

अध्याय 1 सिंहावलोकन

1.1 बृहत आर्थिक सिंहावलोकन

2002-03 में अर्थव्यवस्था

2002-03 में अर्थव्यवस्था में 4.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 2001-02 (सीएसओ के त्वरित अनुमान) में वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। अनेक राज्यों में घटिया मानसून और सूखे के कारण कृषि उत्पाद में (-) 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि कृषि में घटिया नि-पादन का उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2002-03 (तालिका 1) में उद्योग में 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 2001-02 में वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत थी और 'खनन तथा उत्खनन' में (8.8 प्रतिशत), 'विनिर्माण' में (6.2 प्रतिशत), 'विद्युत, गैस और जल आपूर्ति' में (3.8 प्रतिशत) और निर्माण कार्य में (7.3 प्रतिशत) थी। इसी प्रकार सेवा क्षेत्रक में भी 2001-02 के 6.8 प्रतिशत के मुकाबले 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्रकों में जहां 'कारोबार होटल, परिवहन और संचार' में 7.0 प्रतिशत की दर से 'वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पत्ति तथा व्यापारिक सेवाओं' में 7.0 प्रतिशत की दर से तथा 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं' में 5.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

2. औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आईआईपी) (जिसमें निर्माण, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रक शामिल नहीं होते) का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आईआईपी में 79.4 प्रतिशत की भारिता सहित विनिर्माण ने 2002-03 में 6.0 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर (तालिका 2) दर्ज की। प्रयोग-आधारित क्षेत्रक में पूंजीगत माल क्षेत्रक में इन अर्थों में अधिकतम सुधार हुआ कि 2002-03 में इसकी वृद्धि दर 10.6 प्रतिशत थी। आईआईपी में 9.3 प्रतिशत की भारिता सहित पूंजीगत माल क्षेत्रक में 2001-02 और 2000-01 वर्षों में क्रमशः (-) 3.4 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दरें बनी रहीं हैं। आईआईपी में 35.5 प्रतिशत की भारिता सहित बुनियादी माल क्षेत्रक में 4.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई जो कि 2001-02 के दौरान 2.6 प्रतिशत की तुलना में कहीं उच्चतर थी। इस बेहतरी के पीछे मुख्य कारण इस्पात और सीमेंट उद्योगों में आया जबरदस्त सुधार था जिसका श्रेय निर्यात और उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, 'स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना' के कारण बढ़ी हुई घरेलू मांग और गृह निर्माण के कारण बढ़ी हुई मांग को दिया जा सकता है। इस प्रकार जहां 2002-03 में इस्पात के उत्पादन में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहां सीमेंट उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई।

3. 2002-03 में 28.7 प्रतिशत की भारिता सहित उपभोक्ता माल में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। जहां उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का नि-पादन उत्तम स्तर (11.9 प्रतिशत) का रहा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कारों, मोटर साइकिलों तथा बिजली के पंखों जैसे मदों वाली) में गिरावट (-6.2 प्रतिशत) देखी गई। यह ऋणात्मक वृद्धि दर तब और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है जबकि 1999-2002 की अवधि के दौरान यह क्षेत्र 12 से 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा था। दूसरी तरफ 2002-03 के दौरान उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं की उच्च वृद्धि दर के लिए जिम्मेदार कारण खाद्य उत्पादों (10.7 प्रतिशत), पेय पदार्थों, तम्बाकू तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों (20.2 प्रतिशत) और वस्त्रोत्पादों (14.3 प्रतिशत) जैसी मदें प्रतीत होती हैं। आई.आई.पी. में 26.5 प्रतिशत की भारिता सहित मध्यवर्ती माल (मिश्रित सूती धागे, पेंट्स, नेथा, तारें और प्रकाश, फिटिंग तथा फिक्सर जैसी वस्तुओं से युक्त) के

नि-पादन में 5.9 प्रतिशत की संतुलित वृद्धि दर दर्ज की गई जो कि 2001-02 की 3.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में कहीं उच्चतर थी।

तालिका 1

चुनिन्दा आर्थिक संकेतक

मर्द	वार्षिक वृद्धि		तिमाही वृद्धि					
	2002-03 (त्वारित अनुमान)	2003-04 (वास्तविक अनुमान)	2002-03				2003-04	
			तिमाही ₁	तिमाही ₂	तिमाही ₃	तिमाही ₄	तिमाही ₁	तिमाही ₂
I उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (100 प्रतिशत)	4.0	8.1	5.3	5.2	2.3	4.9	5.7	8.4
1. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप (22.1 प्रतिशत)	-5.2	9.1	2.7	-3.5	-7.6	-2.8	1.7	7.4
2. उद्योग (27.1 प्रतिशत)	6.4	6.5	4.7	6.6	6.3	6.4	5.8	6.3
2.1 खनन और उत्खनन (2.2 प्रतिशत)	8.8	4.0	7.6	6.0	3.8	3.2	3.0	2.3
2.2 विनिर्माण (17.1 प्रतिशत)	6.2	7.1	3.8	6.5	6.7	7.1	6.4	7.3
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति (2.4 प्रतिशत)	3.8	5.4	4.4	4.0	5.0	2.4	4.8	2.9
2.4 निर्माण (5.3 प्रतिशत)	7.3	6.0	6.2	8.6	6.7	7.5	5.7	6.4
3. सेवाएं (50.8 प्रतिशत)	7.1	8.4	6.9	7.7	6.3	7.5	7.6	9.9
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन और संचार (24.3 प्रतिशत)	7.0	10.9	6.9	8.1	7.2	8.8	9.6	11.9
3.2 वित्तीय, स्थावर सम्पदा और कारोबार सेवाएं (12.7 प्रतिशत)	8.8	6.4	6.7	7.0	6.3	4.4	7.1	7.3
3.3 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं (13.8 प्रतिशत)	5.8	5.9	6.9	7.8	4.6	7.7	4.3	8.9
II मुद्रा स्फीति								
1. मुद्रा स्फीति (डब्ल्यूपीआई) 1993-94=100	3.3	4.0-4.5	1.9	3.2	3.1	4.8	5.7	4.3
2. मुद्रा स्फीति (सीपीआई-आईडब्ल्यू) 1982=100	4.1	-	4.4	3.9	3.6	3.9	4.7	3.4
3. मुद्रा स्फीति (सीपीआई-एएल) 1986-87=100	3.2	-	2.6	2.6	2.9	4.5	5.2	4.0
4. मुद्रा स्फीति (सीपीआई-यूएनएमई) 1984-85=100	3.8	-	4.5	3.8	3.3	3.8	3.3	3.4
III मुद्रा बाजार								
1. ब्राड मुद्रा (एम ₃)	15.1	-	16.5	16.9	16.3	15.9	12.7	12.2
(विलयनों को घटाकर)	13.2	-	14.4	13.8	13.6	13.8	12.9	13.7
2. आरक्षित मुद्रा (एम ₁)	12.0	-	10.8	11.8	12.5	13.0	13.4	13.4
3. (i) ब्याज दरें (सावधि ऋण)	-	-	12.75-14.00	12.25-14.00	12.25-14.00	12.00-14.00	11.50-14.00	11.00-13.50
(ii) ब्याज दरें (मांग ऋण)	-	-	12.75-14.00	12.00-14.00	11.85-14.00	11.50-14.00	11.50-14.00	11.50-13.50

टिप्पणी: को-ठकों में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्रक का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत: सी.एस.ओ., आर.बी.आई. मासिक बुलेटिन, श्रम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, (आर्थिक सलाहकार का कार्यालय) वित्त मंत्रालय।

मुद्रास्फीति और ब्याज दरें

4. मुद्रा आपूर्ति (एम₃) (विलयनों का नेट) में 2002-03 के दौरान 13.2 प्रतिशत (1,97,196 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई। एम₃ के मुख्य स्रोत थे : सरकार को बैंक के शुद्ध ऋण में 15.0 प्रतिशत (88,494 करोड़ रुपये) की वृद्धि, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में 19.5 प्रतिशत (1,46,965 करोड़ रुपये) की वृद्धि तथा बैंकिंग क्षेत्र (भारतीय रिजर्व बैंक सहित) की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में 26.6 प्रतिशत (82,680 करोड़ रुपये)। दूसरी तरफ आरक्षित मुद्रा वृद्धि दर अपेक्षतया न्यून, अर्थात् 9.2 प्रतिशत (31,091 करोड़ रुपये) रही। एम₁ के स्रोतों में तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने की परिपाटी बन्द कर दिए जाने के कारण (बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी के कारण वाणिज्यिक बैंकों ने एसएलआर निर्धारण की तुलना में कहीं बड़ी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण एक प्रमुख घटक नहीं रह गया है। इसके अलावा आरबीआई की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां (एनएफए) आरक्षित मुद्रा के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। एनएफए का हिस्सा, जो कि मार्च 1991 के अंत में एम₁ का 9.1 प्रतिशत था 2002-03 में बढ़कर 91.3 प्रतिशत हो गया। एनएफए में हुई यह उल्लेखनीय वृद्धि आरबीआई के केन्द्रीय सरकार को (-28,399 करोड़ रुपये) तथा मुक्त बाजार प्रचालनों के माध्यम से बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्रक (-6,468 करोड़ रुपये) को शुद्ध घरेलू ऋण में गिरावट के कारण अंशतः नि-प्रभावी हो गई। इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की सीमाओं के भीतर व्यवस्था कर ली गई और डब्ल्यूपीआई पर आधारित 52-सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति दर 2002-03 के दौरान 3.3 प्रतिशत की दर पर काबू में बनी रही (तालिका 1)।

5. न्यून मुद्रास्फीति, लघु बचतों पर घटी हुई ब्याज दरों तथा बैंक जमाओं पर न्यून ब्याज दरों के चलते आर.बी.आई. ब्याज दरों को कम करने की दिशा में और अधिक उपाय कर सका। 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों पर ब्याज की दरों पर से 1994 में नियंत्रण हटा लिया गया था। बाद में 2001 में बैंकों की पी.एल.आर. (ऋण की मूल ब्याज दरें) एक बेचमार्क में बदल दी गई और उन्हें 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमाओं के लिए ऊपरी भूमिका निभानी थी। बैंकिंग प्रणाली द्वारा उप-पी.एल.आर. दर पर दिया गया ऋण, दिसम्बर 2002 तक कुल ऋण का एक तिहाई से अधिक हिस्सा था। तथापि वाणिज्यिक बैंकों की ऋणों पर प्रभावी ब्याज दरें इस कारण ऊंची बनी रहीं क्योंकि ऋणदाताओं से वसूले जाने वाले ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज के बीच बड़ा अन्तर था। ऋण पर ब्याज दरों की कठोरता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं : सावधि जमा पर उच्च (मामूली) ब्याज दरों की पेशकश की परिपाटी गैर-नि-पादक परिसम्पत्तियों की रखाव लागत तथा सरकार की बाजार-ऋण की मांग की बड़ी मात्रा (तालिका 1)।

2002-03 में नीतिगत पहलें

6. राज्यों के ऋण-भार को घटाने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक ऋण-विनिमय स्कीम शुरू की। ऋण-विनिमय स्कीम के अधीन राज्य उच्च लागत वाले ऋण का पूर्व भुगतान करेंगे और उसके स्थान पर चालू, न्यून-कूपन-वाहक लघु बचत और मुक्त बाजार ऋण ले लेंगे। अट्टाईस में से छब्बीस राज्यों ने इस स्कीम में भाग लेने की सहमति पहले से ही दे दी है। विकास की इस पहल को आगे बढ़ाने के निमित्त विभिन्न क्षेत्रकों के सम्बन्ध में अनेक उपाय/कानून लागू किए गए। सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कम्पनियों और नाबार्ड की पूंजी सहभागिता से दिसम्बर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की गई। इस प्रकार रा-ट्रीय कृषि बीमा योजना एक

नए संगठन को अन्तर्गत कर दी गई है। और शुरु में कारोबार के मुख्य अंग का निर्माण करेगी। इसी प्रकार आधुनिक परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश, जो कि सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) से भी प्राप्त हो सकता है, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपये की एक आधुनिक इक्विटी निधि की भी स्थापना की गई। औद्योगिक विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.) एक समन्वयकारी संस्थान की भूमिका निभाएगा जबकि जिम्मेदारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.) के बीच बंटी रहेगी।

7. संसद द्वारा दिसम्बर 2002 में दो विधेयक, अर्थात् कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 तथा कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किए गए। पहला अधिनियम एक ऐसे संगठन का प्रावधान करता है जिसके अधीन मूल उत्पादक आधुनिक और व्यावसायिक ढंग से उत्पादन और विपणन करते हैं। इसका उद्देश्य सहकारिताओं की प्रभाविता और प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन करना है। दूसरे अधिनियम में "राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण" स्थापित किए जाने का प्रावधान है जो कि इन संगठनों के कार्य अपने हाथ में ले लेगा : (i) कम्पनी विधि बोर्ड (विवाद समाधान और कम्पनी अधिनियम 1956 के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन), (ii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड (रुग्ण कम्पनियों का पुनरुद्धार और बहाली), तथा (iii) उच्च-न्यायालय (कम्पनियों का समापन)। अब कम्पनियों के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एकमात्र मंच होगा जो कि मौजूदा तीनों मंचों का स्थान ले लेगा। एम.आर.टी.पी. अधिनियम 1969 का स्थान लेने वाले प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी परिपाटियों और प्रभुता के दुरुपयोग के निषेध के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

8. बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-नि-पादनकारी परिसम्पत्तियों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनियां स्थापित करने के निमित्त प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों की पुनर्रचना तथा प्रतिभूति ब्याज अधिनियम का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बनाया गया था। इस अधिनियम के अधीन परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनी, कम्पनी तथा बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ हुए करार के अनुसार ऋण पत्र अथवा बन्ध पत्र अथवा कोई अन्य प्रतिभूति जारी करके किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) आकृ-ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में और आगे उदारीकरण लागू किया गया। विज्ञापन और फिल्मों (100 प्रतिशत), चाय तथा चाय बागानों (100 प्रतिशत) एकीकृत टाउनशिपों (100 प्रतिशत), एस.ई.जेड (100 प्रतिशत) में सभी विनिर्माण क्रियाकलापों (रक्षा को छोड़कर) तथा मुद्रित मीडिया (26 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के अधीन एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई। स्वचालित मार्ग के अधीन बैंकिंग कम्पनियों की विदेशी इक्विटी की ऊपरी सीमा भी 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत कर दी गई। एस.एस.आई. क्षेत्रक में बहुत सारी, अर्थात् 51 मर्दें अनारक्षित कर दी गईं। लघु क्षेत्रक में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को सुकर बनाने के लिए विकास आयुक्त (एस.एस.आई. मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक "जैव-प्रौद्योगिकी" सेल खोला गया है। संभावित विकास केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने वाली परिधान निर्माण इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से "ऐप्रेल पार्क्स फार एक्सपोर्ट्स" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरु की गई। सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए (दसवीं योजना के दौरान) 15000 करोड़ रुपये के निवेश सहित "राष्ट्रीय रेल विकास योजना" नामक एक गैर-बजटीय पहल की। इस योजना के अधीन पत्तनों की रेल संयोज्यता सुदृढ़ की जाएगी, बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा, अन्तिम मील परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी और स्वर्णिम चतुर्भुज पर रेल तथा सड़क परिवहन के संयोजक प्रयोग का सुदृढीकरण किया जाएगा।

2003-04 में अर्थव्यवस्था

9. आशा है कि 2003-04 के दौरान अर्थव्यवस्था में 8.1 प्रतिशत (सीएसओ के अग्रिम अनुमान) की दर से वृद्धि होगी जोकि 2002-03 में प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में दुगुनी से अधिक है। बेहतर मानसून और भरी-पूरी फसल के कारण यह वृद्धि दर सुकर हुई है। 1997 के बाद यह पहला मौका है जबकि कृषि क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की जाएगी। तदनुसार 2003-04 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 212 से 215 मिलियन टन होने की आशा है। खरीफ 2003 में खाद्यान्न की उत्पादन 108.45 मिलियन टन के आस-पास होने की आशा है जो कि 2002-03 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। तिलहनों का उत्पादन 15.08 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष 9.22 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। तथापि औद्योगिक क्षेत्र के नि-पादन में जिसमें 2002-03 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2004-05 में उसमें ममूली सा सुधार होकर उसके 6.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। 'विनिर्माण' और 'विद्युत' तथा 'गैस और जल आपूर्ति' को छोड़कर उद्योग के अधीन अन्य क्षेत्रों में वृद्धि दर न्यून रहने की संभावना है (तालिका 1)। तथापि सेवा क्षेत्रक के 8.4 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर दर्ज करने की संभावना है। सेवा क्षेत्रकों के बीच कारोबार, होटल, परिवहन और संचार ने 2003-04 की दूसरी तिमाही (तिमाही2) में 11.9 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि दर दर्ज की है।

10. आईआईपी के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार अप्रैल-जनवरी 2003-04 तक समग्र औद्योगिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्रक के कारण हुई जिसमें 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी। अप्रैल-जनवरी 2003-04 के दौरान खनन और विद्युत क्षेत्रकों में क्रमशः 4.5 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसी प्रकार अप्रैल-जनवरी 2003-04 के दौरान मध्यवर्ती माल क्षेत्रक में 6.3 प्रतिशत की दर से और पूंजीगत माल क्षेत्रक में वर्ष के दौरान 10.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई। बुनियादी माल क्षेत्रक में वृद्धि पूर्ववत अर्थात् 4.8 प्रतिशत पर बनी रही। उपभोक्ता माल श्रेणी में जहां उपभोक्ता उपभोज्य क्षेत्र की वापसी हुई है, उपभोक्ता गैर-उपभोज्य क्षेत्र में वर्ष के दौरान वृद्धि दर न्यून रही है (तालिका 2)।

तालिका 2
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(प्रतिशत बदलाव)

मर्दे (आधार: 1993-94=100)	भारिता (प्रतिशत में)	2002-03	अप्रैल-जनवरी 2002-03	अप्रैल-जनवरी 2003-04
I. सामान्य	100	5.7	5.7	6.5
1. खनन	10.5	5.8	5.4	4.5
2. विनिर्माण	79.4	6.0	5.9	7.1
3. विद्युत	10.1	3.2	3.9	3.7
II. प्रयोग आधारित				
1. बुनियादी माल	35.5	4.8	4.8	4.8
2. पूंजीगत माल	9.3	10.6	11.0	10.3
3. मध्यवर्ती माल	26.5	3.9	3.2	6.3
4. उपभोक्ता माल	28.7	7.0	7.3	7.6
4.1 उपभोक्ता उपभोज्य माल	5.4	-6.2	-5.4	9.7

4.2 उपभोक्ता गैर-उपभोज्य माल	23.3	11.9	12.2	6.9
------------------------------	------	------	------	-----

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)

मुद्रास्फीति और ब्याज दरें

11. 5 मार्च 2003-04 को समाप्त सप्ताह तक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 14.6 प्रतिशत (रु. 2,52,520 करोड़) की वृद्धि हो चुकी थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 15.0 प्रतिशत (रु. 2,24,768 करोड़) की वृद्धि हुई थी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का प्रमुख स्रोत बैंकिंग क्षेत्रक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां हैं। आरक्षित मुद्रा (एम₁) में जिसमें सावधि जमा शामिल नहीं होता। 12 मार्च 2003-04 को समाप्त सप्ताह तक 13.2 प्रतिशत (रु. 48,671 करोड़) की वृद्धि हो चुकी थी जबकि पिछले वर्ष में तदनुसूची अवधि में 7.5 प्रतिशत (रु. 25,461 करोड़) की वृद्धि हुई थी। मार्च 2003 के अन्त और 28 फरवरी 2004 को समाप्त सप्ताह के बीच डब्ल्यूपीआई में प्रतिशत अन्तर 4.5 प्रतिशत था जिसमें से प्राथमिक जिन्सों के मूल्य स्तर में 2.5 प्रतिशत की, ईंधन, विद्युत, प्रकाश और ल्यूब्रीकेन्टों में 2.7 प्रतिशत की और विनिर्मित उत्पादों में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि शामिल थी। डब्ल्यूपीआई में 63.75 प्रतिशत की भारिता से युक्त विनिर्मित उत्पादों के बीच शर्करा, गुड़ और खण्डसारी के मूल्य स्तर में 17.4 प्रतिशत की और खाद्य तैतों में 8.5 प्रतिशत की तथा लोहे और इस्पात में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बचत और निवेश

12. आज की तारीख में भारत में जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में बचत उच्च नि-पादन करने वाली पूर्वी-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बहुत ही निकट है। इसके अलावा बचत-निवेश सम्बन्धों (तालिका-3) के अवलोकन से यह पता चलता है कि 2001-02 तथा 2002-03 में सकल घरेलू बचत सकल घरेलू निवेश से अधिक थी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में बचत की अधिकता रही। तथापि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश और बचत - दोनों दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम रहे। लघु और विशाल - दोनों प्रकार का औद्योगिक क्षेत्रक के समक्ष अप्रयुक्त क्षमताओं की समस्या पेश आ रही है और अर्थव्यवस्था में 'एकीकृत मांग' के बढ़ जाने पर इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। एकीकृत मांग में शामिल हैं: उपभोग (शुद्ध) निर्यात और निवेश।

13. तदनुसूची निवेश के अभाव में एकीकृत मांग और वृद्धि में तेजी का प्रमुख कारण घरेलू खपत थी। निर्यात (शुद्ध) ने भी प्रत्यक्षतः और परोक्षतः - दोनों दृष्टियों से विकास में योगदान दिया। 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान 'भुगतान संतुलन' को लेकर देश के चालू खाते में अधिशेष की स्थिति बनी रही। चालू खाते में अधिशेष का प्रमुख कारण आईटी समर्थित 'बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)' सेवाएं थीं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रक में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च के माध्यम से निजी उपभोग में वृद्धि हुई है। बीपीओ क्षेत्र में जो कि समग्र आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) का लगभग एक चौथाई हिस्सा बैठता है 2002-03 के दौरान 65 प्रतिशत से उच्चतर दर से वृद्धि हुई।

14. 2003-04 के दौरान औद्योगिक निवेश में उछाल उल्लेखनीय है जो कि 2003-04 के दौरान आईईएम (औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन) की संख्या और जारी किए गए एलओआई (आशय पत्रों) की संख्या से परिलक्षित होता है। 2003-04 के लिए आईईएम/एलओआई के अधीन कुल परिकल्पित निवेश रु. 120,000 करोड़ है जबकि 2002-03 में रु. 91,940 करोड़ था जो कि 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता

है। निवेश में वृद्धि अन्य संकेतकों में भी परिलक्षित होती है जैसे कि वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा की गई मंजूरियां और संवितरण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्येतर ऋण, प्राथमिक बाजार निवेश और तेल से इतर आयात। एफआई द्वारा अप्रैल-दिसम्बर 2003 के दौरान जारी की गई मंजूरियों का मूल्य रु. 31,642.3 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ग की तदनुसूची अवधि की तुलना में 243 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान एफआई द्वारा रु. 19,482.1 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई जो कि पिछले वर्ग की तुलना में 171 प्रतिशत अधिक थी।

15. 5 मार्च 2004 को समाप्त अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिए गए खाद्येतर ऋण में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2002-03 की तदनुसूची अवधि में उपलब्ध कराए गए ऋण की तुलना में कम थी। वाणिज्यिक क्षेत्रक के विभिन्न वित्तीय निवेशों (वाणिज्यिक प्रपत्रों, शेयरों, बंध पत्रों/ऋण पत्रों) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको निवेश 2003-04 के दौरान (-) रु. 5428 करोड़ रुपये था जबकि 2002-03 की तदनुसूची अवधि में उसमें रु. 12617 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। हाल के वर्गों में निगमित वित्तपो-नण शैली में बदलाव के सतत संकेत प्राप्त हो रहे हैं तथा उसमें आन्तरिक वित्त और बाह्य ऋणों पर अधिक भरोसा किया जा रहा है। प्राइम डाटाबेस नामक एक स्वतंत्र प्राथमिक बाजार मानीटरन एजेंसी के अनुसार चालू मौद्रिक वर्ग में इक्विटी और मिश्रित प्रपत्रों (जैसे कि बाद की तारीख में इक्विटी के रूप में बदले जाने वाले वारंट) के जरिए 27 निर्गमों से रु. 17665 करोड़ रुपये के आस-पास की राशि जुटाई जाएगी। आयातों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से भी 2003-04 के दौरान उच्चतर औद्योगिक निवेश के संकेत मिलते हैं। अप्रैल-अक्टूबर 2003 के दौरान तेल से इतर आयातों में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आयातों में उनका हिस्सा 70.00 प्रतिशत से बढ़ कर 73.7 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-अगस्त 2003 के सम्बन्ध में उपलब्ध जिन्स आंकड़ों से यह पता चलता है कि भार मात्रा में खपत वाले माल (जैसे कि खाद्य तेल) लोहा और इस्पात, पूंजीगत माल और सोने में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि सहित सभी प्रमुख जिन्स समूहों के आयात में काफी मात्रा में वृद्धि हुई थी जबकि निर्यात सम्बन्धी आयात, कोयला, कोक तथा ब्रिकेट्स, चांदी और अलौह धातुओं के मामले में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 3 बचत और निवेश

(चालू बाजार मूल्य पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	दसवीं योजना लक्ष्य	2001-02	2002-03
1. सकल घरेलू निवेश	28.41	23.1	23.3
1.1 सरकारी क्षेत्रक	3.80	5.8	5.7
1.2 निजी निगमित क्षेत्रक	10.37	4.9	4.8
1.3 पारिवारिक क्षेत्रक	9.60	11.6	12.3
2. सकल घरेलू बचत	26.84	23.5	24.2
2.1 पारिवारिक क्षेत्रक	20.3	22.7	22.6
2.2 सरकारी क्षेत्रक	2.85	-2.7	-1.9
2.2.1 सरकारी क्षेत्रक (केन्द्र तथा राज्य)	-2.41	-6.0	-5.6
2.3 निजी निगमित क्षेत्रक	6.10	3.5	3.4

स्रोत: दसवीं पंचवर्षीय योजना खण्ड 1 तथा सीएसओ

16. तथापि, वांछित विकास के लिए उच्च निवेश के प्रभावी महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। दसवीं योजना में नौवीं योजना में प्राप्त 24.3 प्रतिशत की और 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान प्राप्त जीडीपी के लगभग 23 प्रतिशत की निवेश दर के मुकाबले 28.4 प्रतिशत वार्षिक की निवेश दर की परिकल्पना की गई है। निवेश का 28.4 प्रतिशत का अनुपात 26.84 प्रतिशत तक घरेलू बचत के रूप में और शेन 1.56 प्रतिशत विदेशी बचत के रूप में अनुमानित है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश में तेजी लाने के लिए सरकार (जिसमें संघ और राज्य सरकारें -- दोनों शामिल हैं) के बचत अनुपात में सुधार लाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। सरकारी बचतों अथवा गैर-बचतों से सम्बन्धित चिन्ता के प्रमुख कारण हैं : ब्याज तथा सब्सिडियों का विशाल भार। ब्याज दरें घट रही हैं और इस कारण सरकारों -- केन्द्र तथा राज्यों -- दोनों को किंचित राहत मिली है। विस्तारित कराधान-आधार, प्रशासनिक सुधारों और उच्चतर (जीडीपी) विकास के चलते कर राजस्व में वृद्धि होनी निश्चित है। इसी प्रकार उपयुक्त नीतिगत उपायों से सरकार पर सब्सिडी के भार में कमी लाई जा सकती है। इसी प्रकार बेहतर व्यय प्रबन्धन सहित उच्चतर राजस्व प्राप्तियों से 'ऋणों' पर निर्भरता में कमी लाई जा सकती है।

2003-04 में नीतिगत पहलें

17. **प्राथमिक क्षेत्र वित्तपोषण:** दि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड क्रेडिट फंड, दि स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइज फंड (एसएनई फंड) तथा इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे और यह दर प्रमुख ब्याज दर से 2 प्रतिशत बिन्दु कम रहने की संभावना है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड क्रेडिट फंड 'लोक नायक जयप्रकाश नारायण निधि' कहलाएगी और वह परती भूमि विकास, मौजूदा किन्तु अधूरी सिंचाई परियोजनाओं और साथ ही नई लघु सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति, कृषि उत्पादों का क्रम निर्धारण, प्रमाणन और भण्डारण तथा आधुनिक बूचड़खानों के निर्माण सरीखी आधारिक सुविधाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करेगी। एमएमई निधि, लघु उद्योगों के लिए वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता तथा कुछेक मझोले आकार के उद्यमों के लिए एसआईडीबीआई की कवरेज की कमी की समस्या की ओर ध्यान देगी। इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड विद्युत उत्पादन, समुद्री बन्दरगाहों, सड़कों, पर्यटन, दूरसंचार और नगर सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल निपटान तथा पर्यावरणात्मक परियोजनाओं जैसी शहरी आधारित सुविधाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी। लघु उद्योगों और स्वरोजगार उद्यमों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि 'लघु उद्यमी ऋण कार्ड' स्कीम के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक संतो-पूर्ण रिकार्ड वाले कर्जदारों के लिए ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर देगी।

18. **विनिवेश:** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी में विनिवेश को 2003-04 की चौथी तिमाही में अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। रु. 14,500 करोड़ के संशोधित लक्ष्य के संदर्भ में सरकार केवल रु. 1,335 करोड़ रुपये का विनिवेश करने में सफल रही। लेकिन ओएनजीसी, आईपीसीएल, आईबीपी, गेल, ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा सीएमसी लिमिटेड के विनिवेश के फलस्वरूप मार्च 2004 में रु. 14,126 करोड़ की राशि जुटाई गई जिससे कि 2003-04 में विनिवेश से प्राप्त हाने वाली कुल राशि बढ़ कर रु. 15,461 करोड़ हो गई जो कि वर्न के लिए निर्धारित लक्ष्य से रु. 900 करोड़ अधिक थी।

19. **फार्म हाउस बीमा:** 2003-04 की रबी मौसम में 20 जिलों में 'फार्म हाउस बीमा कार्यक्रम' नामक एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई थी। इसमें एकल पालिसी प्रपत्र के जरिए किसान की आय के दो प्रमुख घटकों अर्थात् पैदावार और मूल्य दोनों को शामिल किया गया है। न्यूनतम गारन्टित आय का निर्धारण पिछले सात वर्षों की औसत पैदावार और न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है। आगामी खरीफ मौसम में इस योजना का विस्तार देश के 100 जिलों में कर दिया जाएगा। फार्म ऋणों

पर ब्याज दरें 2003 में घटा दी गई थी। अब किसानों को प्रत्येक फसल के लिए रु. 50,000 तक के बैंक ऋण पर अधिक से अधिक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। जबकि पहले उसे 14 से 18 प्रतिशत के बीच की दर से ब्याज देना पड़ता था।

1.2 बाह्य क्षेत्रक आयाम

20. त्वरित उन्नति और विकास के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अपेक्षतया अधिक समाकलन की आवश्यकता पर दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में बल दिया गया है। इस अध्याय में मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति स्पष्ट की गई है जिसके बाद भारत के बाह्य व्यापार का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। व्यापार नीति में हाल की गतिविधियां भी संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैं। विदेश मुद्रा भण्डार और प्रे-नों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी ऋण की स्थिति सम्बन्धी गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया है। अन्ततः सितम्बर 2003 में मेक्सिको में कैन्कन में आयोजित 5वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापार करारों से जुड़े मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं।

वैश्विक आर्थिक स्थिति

21. अप्रैल, 2003 के अपने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आई.एम.एफ.) ने विश्व उत्पाद वृद्धि के मौजूदा अनुमान घटा कर 3.2 प्रतिशत पर ला दिए हैं जो कि सितम्बर, 2002 में प्रकाशित पिछले दृष्टिकोण में प्रस्तुत पूर्व अनुमानों

की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी के परिचायक हैं। इसका प्रमुख कारण भू-राजनैतिक स्थिति तथा वसूली की

देश	भारत के कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा 2002-2003 (अप्रैल-मार्च)
संयुक्त राज्य अमरीका	20.78
संयुक्त अरब अमीरात	6.34
यू.के.	4.73
हांगकांग	4.68
जर्मनी	3.95
चीन	3.75
जापान	3.56
बेल्जियम	3.16
सिंगापुर	2.72
इटली	2.56
बांगलादेश	2.10
फ्रांस	2.02
नीदरलैण्ड्स	1.96
सऊदी अरब	1.80
श्रीलंका	1.76
इण्डोनेशिया	1.58
स्पेन	1.54
मलेशिया	1.43
थाइलैंड	1.36
रूस	1.34
कनाडा	1.32
कोरिया गणराज्य	1.23
इसाइल	1.21
23 देशों का योग	76.88

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग

की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी के परिचायक हैं। इसका प्रमुख कारण भू-राजनैतिक स्थिति तथा वसूली की

धीमी गति दोनों - को लेकर जोखिमों और अनिश्चितताओं में वृद्धि हो जाना है। जबकि 2003 के दौरान वैश्विक वसूली की दर अपेक्षतया मंदी बने रहने की संभावना थी, भारत के संबंध में आई.एम.एफ. ने यह अनुमान प्रस्तुत किया था कि पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में वास्तविक जी.डी.पी. में अतिरिक्त 0.2 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत तक की दर से वृद्धि होगी।

भारत का विदेश व्यापार

22. दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि बाजारों, निवेशों और प्रौद्योगिकियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तावित अवसरों का लाभ उठाए बिना वृद्धि दर में प्रस्तावित तेजी नहीं आ सकती। ऊर्जा के लिए आयात पर भारत की अपेक्षतया अधिक

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अनुमान
(जब तक अन्यथा नोट न किए जाएं, वार्षिक प्रतिशत बदलाव)

	2001	2002	मौजूदा अनुमान	
			2003	2004
विश्व उत्पादन	2.3	3.0	3.2	4.1
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	0.9	1.8	1.9	2.9
संयुक्त राज्य अमरीका	0.3	2.4	2.2	3.6
जर्मनी	0.6	0.2	0.5	1.9
फ्रांस	1.8	1.2	1.2	2.4
जापान	0.4	0.3	0.8	1.0
यू.के.	2.0	1.6	2.0	2.5
विकासशील देश	3.9	4.6	5.0	5.8
अफ्रीका	3.6	3.4	3.9	5.2
चीन	7.3	8.0	7.5	7.5
भारत	4.2	4.9	5.1	5.9

स्रोत: विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, 2003 आई.एम.एफ.

निर्भरता और डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा यथा आवश्यक आयातों के उदारीकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना में निर्यात की उच्च वृद्धि दरों पर बल दिया गया है ताकि चालू खाते के घाटे को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखा जा सके। घरेलू क्षमता प्रयोग का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए भी योजना में बाह्य बाजार खोजने पर बल दिया गया है।

23. 2002-03 में भारत से 52.2 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का निर्यात किया गया जो कि 2001-02 के दौरान प्राप्त 43.8 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर की तुलना में 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का परिचायक है और जिसने 12 प्रतिशत का लक्ष्य पार कर लिया है। 2002-03 के दौरान 61.3 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का आयात किया गया जो कि पिछले वर्ष प्राप्त 51.4 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर की तुलना में 19 प्रतिशत की उसी वृद्धि का परिचायक है। 2002-03 में 9.1 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा होने का अनुमान है जबकि 2001-02 में घाटे का स्तर 7.6 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल से मार्च 2002-03 के दौरान डालरों की दृष्टि से भारतीय निर्यात में 2001-02 की तुलना में 34 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि लातिन अमरीकी देशों को लेकर रही जिसके बाद एशिया और ओसिनिया क्षेत्र (32.5 प्रतिशत), अमरीका (26.9 प्रतिशत), पूर्वी यूरोप (15.7) तथा पश्चिम यूरोप (15.4 प्रतिशत) का स्थान आता है। इस अवधि के दौरान ब्राजील और चीन को भारत के निर्यात में क्रमशः 119 प्रतिशत और 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

व्यापार का स्वरूप

24. योजना में पेट्रोलियम उत्पादों में उच्चतम वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसके बाद संचार और विद्युत उपकरण, विद्युत मशीनरी, अन्य गैर-घात्विक खनिजों, रसायनों, पेंटों, औ-धियों तथा कार्बोमेटिकों, वस्त्रों, सिले-सिलाए वस्त्रों और पेय पदार्थों आदि का स्थान आता है। कृषि और सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात में लगभग 9 प्रतिशत की समग्र वृद्धि का अनुमान है। आयातों के संबंध में योजना में संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर उच्चतम वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिसके बाद वैद्युत तथा गैर-वैद्युत मशीनरी, खाद्य तेलों, गैर-घात्विक गौण खनिजों, चाय और काफी तथा चमड़े और चमड़ा उत्पादों का स्थान आता है। अप्रैल-मार्च 2002-03 के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात में मामूली से लेकर उच्च वृद्धि दर (10 प्रतिशत तथा उच्चतर) बनी रही : चावल, गेहूं, तम्बाकू,

अप्रैल-मार्च 2002-03 में मुख्य जिन्सों का निर्यात
(अमरीकी डालर मिलियन में)

जिन्सें	अप्रैल-मार्च 01-02	अप्रैल-मार्च 02-03	% वृद्धि
बागान	590.07	536.38	-9.10
कृषि और संबंधित उत्पाद	4065.43	4484.83	10.32
समुद्री उत्पाद	1236.76	1380.94	11.66
अयस्क और खनिज	1262.39	1899.94	50.50
चमड़ा तथा विनिर्माण	1910.13	1787.01	-6.45
रत्न और जवाहरात	7306.28	8853.52	21.18
रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	6371.39	7416.41	16.40
इंजीनियरी माल	5746.73	7180.14	24.94
इलेक्ट्रॉनिक माल	1192.59	1164.99	-2.31
वस्त्र	9688.58	10611.68	9.53
पेट्रोलियम उत्पाद	2119.14	2421.40	14.26
कुल निर्यात	43826.72	52234.40	19.18

अप्रैल-मार्च 2002-03 में मुख्य जिन्सों का आयात
(अमरीकी डालर मिलियन में)

जिन्सें	अप्रैल-मार्च 01-02	अप्रैल-मार्च 02-03	% वृद्धि
भारी मात्रा में आयात	19828.39	23815.99	20.11
उर्वरक	679.03	587.63	-13.46
खाद्य तेल	1355.57	1806.97	33.30
अलौह धातुएं	647.25	644.80	-0.38
धातुमय अयस्क और धातु कचरा	1143.72	1003.49	-12.26
लोहा और इस्पात	833.72	940.15	12.77
पेट्रोलियम अपरि-कृत तथा उत्पाद	14000.25	17639.52	25.99
मोती, कीमती और अल्प मूल्य पत्थर	4622.59	6054.01	30.97
मशीनरी	4907.64	6108.49	24.47
परियोजना माल	568.97	519.91	-8.62
कोयला, कोक और ब्रिकेट्स	1143.33	1222.15	6.89
कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन	2799.61	2965.59	5.93
व्यावसायिक औजार आदि	1041.07	1067.83	2.57
इलेक्ट्रॉनिक माल	3782.03	5343.73	41.29
सोना और चांदी	4582.29	4234.27	-7.59
कुल आयात	51413.28	61286.31	19.20

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग

इंजीनियरी माल, अयस्क और खनिज, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, रत्न और आभूषण, रबड़, शीशा तथा अन्य उत्पाद, हस्तशिल्प, परियोजना माल, पु-प कृनि उत्पाद, मांस और व्यंजन, प्रसंस्कृत खाद्य, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कायर तथा कायर विनिर्माण, पेट्रोलियम उत्पाद। मसालों, वस्त्रों, अपरि-कृत कपास जिसमें रद्दी शामिल है, ताजा फल और सब्जियां, खेलकूद के सामान तथा सिले-सिलाए वस्त्रों के मामले में वृद्धि दर न्यून (10 प्रतिशत तक) बनी रही। बागानों, चाय, काफी, चमड़े और विनिर्माणों, इलेक्ट्रॉनिक माल, कोयला, गलीचों, चीनी (शर्करा) और सीरा, कुक्कुट और डेयरी उत्पादों, स्पिरिट तथा पेय पदार्थों, तेल खाद्यों (खली), एरण्ड के तेल, दालों, गिरियों और बीजों तथा अम्रक के निर्यात में गिरावट देखी गई। आयात के मामले में इन पदार्थों के सम्बन्ध में मामूली से लेकर उच्च वृद्धि दर (10 प्रतिशत तथा उच्चतर) देखी गई : चावल, मसाले, दूध और क्रीम, मशीनरी, परिवहन उपकरण, रेशमी और सूती धागा तथा वस्त्र, मोती, कीमती और अल्प मूल्य के पत्थर, काजू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऊनी धागा और वस्त्र, चाय, खाद्य तेल, लोहा और इस्पात, मशीनी औजार, लुगदी और रद्दी कागज, अपरि-कृत पटसन तथा कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों, अपरि-कृत रबड़, कोयला, कोक तथा ब्रिकेटों, वैद्युत मशीनरी और व्यावसायिक औजारों के मामले में न्यून वृद्धि दर (10 प्रतिशत तक) देखी गई। इन वस्तुओं के आयात में गिरावट देखी गई : चीनी (शर्करा), उर्वरक, गेहूं, चमड़ा, सोना और चांदी, अखबारी कागज, सिले-सिलाए वस्त्र, धातुमय अयस्क तथा धातु कचरा, सीमेंट, दालें, अलोह धातुएं, परियोजना माल, का-ठ तथा का-ठ उत्पाद और फल तथा गिरियां।

25. व्यापारिक माल के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2002 में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गया जबकि 1992-93 में इस आशय का हिस्सा 0.4 प्रतिशत तथा 2001 में 0.7 प्रतिशत था। अप्रैल-मई 2003 में भारत का निर्यात 8.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा जो कि अप्रैल-मई 2002 के दौरान 8.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 11.1 प्रतिशत उच्चतर है। इस अवधि के दौरान भारत का आयात 11.2 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा जो कि अप्रैल-मई 2002 में 9.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात के स्तर की तुलना में 19.5 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। अप्रैल-मई 2003 में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे का अनुमान लगाया गया है जो कि अप्रैल-मई 2002 के दौरान 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में अधिक है।

भुगतान संतुलन

26. 2002-03 के दौरान भुगतान आधार पर व्यापारिक निर्यात 2001-02 के दौरान 44.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के मुकाबले 53.0 बिलियन अमरीकी डालर का रहा। 2001-02 के दौरान भुगतान आधार पर व्यापारिक आयात 57.6 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले बढ़कर 65.5 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। तदनुसार भुगतान आधार पर व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 12.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में किंचित घटकर 12.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। सेवाओं और निजी अन्तरणों के कारण बढ़ी हुई आय के फलस्वरूप अदृश्यों से शुद्ध आय जो कि 2001-02 में 13.5 बिलियन अमरीकी डालर थी, 2002-03 में बढ़कर 16.2 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई। साफ्टवेयर निर्यात में भारी वृद्धि के कारण सेवा निर्यात में वृद्धि में सहायता मिली। चालू खाता शेन में अधिशेन 2001-02 के दौरान 0.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़ कर 3.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। समग्र सन्तुलन, 2001-02 के दौरान 11.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 17.0 बिलियन डालर का अधिशेन दर्शाता है जिसमें मूल्य निर्धारण परिवर्तन शामिल नहीं है। 2002-03 के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि, जिसमें मूल्य निर्धारण परिवर्तन तो शामिल है किन्तु स्वर्ण शामिल नहीं

है 20.8

बिलियन

अमरीकी

डालर की हुई

जबकि पिछले

वर्ष में इस

आशय की

वृद्धि 11.6

बिलियन

अमरीकी

डालर की थी।

व्यापार नीति

27. भारत

की व्यापार

नीति में पिछले

निर्यात विरोधी

पूर्वग्रह को

समाप्त करने

के लिए

मूलभूत

बदलाव लाए

गए हैं। यह काम मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाकर, टैरिफों में कमी लाकर तथा उन्हें युक्तियुक्त बनाकर, व्यापार और भुगतान व्यवस्था में उदारीकरण आदि के जरिए किया गया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी क्षेत्रक में खुलापन और पारदर्शिता आई है। 2002 के आरम्भ में 2002-07 के लिए मध्य आवधिक निर्यात कार्यनीति (एम.टी.ई.एस.) की घोषणा की गई थी, जिसके साथ निदर्शनात्मक क्षेत्रक-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 2007 तक वैश्विक व्यापार का 1 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था। 2002-07 की अवधि के लिए तैयार की गई नई निर्यात तथा आयात (एक्जिम) नीति भी प्रतिबन्धों और नियंत्रणों से मुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। निर्यात तथा आयात नीति में 31 मार्च 2003 को लाए गए संशोधन के अनुसार भारतीय कोर क्षमता के क्षेत्रों का लाभ उठाने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। सेवाओं के निर्यात पर जबरदस्त बल दिया गया है। कृनि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निगमित निवेश की अनुमति दे दी गई है और कृनि निर्यात क्षेत्रों का और आगे समेकन घोषित किया गया है। लघु क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) स्कीम को लचीला तथा आकर्षक -- दोनों बनाया गया है ताकि विनिर्माण आधार का विस्तार संभव हो सके। संभावित उच्च वृद्धि क्षेत्रों, जैसे कि वस्त्रों, वाहन-पुर्जों, रत्नों और आभूषणों, औ-धियों तथा फार्मेसिटीकलों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की ओर किंचित विशेष ध्यान दिया गया है। नीति में ये भी शामिल हैं -- निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लेना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) में निवेशों को सुकर बनाना, निर्यात संकुल विकास स्कीमों को पुनः दिशाअनुकूलित करना तथा क्रियाविधिक सरलीकरण जिसका उद्देश्य संचालन लागतों में भारी कटौती करना है ताकि भारत को विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में ठहरने लायक बनाया जा सके। 2003-04 के केन्द्रीय बजट में घोषित

भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन अमरीकी डालर)									
मद	2002-03 (पी)			2001-02 (पी.आर.)			2000-01 (पी.आर.)		
	जमा	नामे	शुद्ध	जमा	नामे	शुद्ध	जमा	नामे	शुद्ध
चालू खाता									
व्यापारिक माल	53.0	65.5	-12.5	44.9	57.6	-12.7	44.9	59.3	-14.4
आदर्य	43.0	26.9	16.2	36.7	23.2	13.5	34.8	24.0	10.8
क) सेवाएं	25.0	18.8	6.2	20.7	16.1	4.6	18.9	16.4	2.5
ख) अन्तरण	15.2	0.4	14.9	12.6	0.07	12.5	13.2	0.08	13.1
ग) आय	2.8	7.7	-4.9	3.4	7.0	-3.6	2.7	7.5	4.8
कुल चालू खाता	96.0	92.3	3.7	81.6	80.8	0.8	79.7	83.8	-4.6
पूंजी खाता									
विदेशी निवेश	12.3	7.8	4.6	14.4	7.8	6.7	16.0	10.1	5.8
क) एफ.डी.आई	4.8	1.2	3.6	6.2	1.5	4.7	4.1	0.8	3.3
ख) पोर्टफोलियो निवेश	7.5	6.6	0.9	8.2	6.3	1.9	11.9	9.3	2.6
ऋण	13.7	16.9	-3.2	11.5	12.9	-1.3	22.8	18.5	4.3
क) बाह्य सहायता	2.8	5.2	-2.5	3.4	2.2	1.1	2.9	2.5	0.4
ख) वाणिज्यिक ऋण	2.7	4.4	-1.7	2.7	4.3	-1.6	9.1	5.3	3.7
ग) अल्पकालीन	8.2	7.2	1.0	5.5	6.4	-0.9	10.8	10.7	0.1
बैंकिंग पूंजी	17.5	9.2	8.2	17.5	11.9	5.6	12.8	11.9	0.8
रुपया ऋण सेवा	-	0.5	-0.5	-	0.5	-0.5	-	0.6	-0.6
अन्य पूंजी	6.4	2.9	3.5	3.6	3.5	0.2	4.0	4.3	-0.3
कुल पूंजी लेखा	49.9	37.2	12.6	47.1	36.5	10.6	55.5	45.5	10.0
शुद्ध चालू	0.6	-	0.6	0.4	-	0.4	-	0.6	-0.6
समग्र संतुलन (कुल पूंजी लेखा, चालू लेखा तथा शुद्ध चालू)	146.6	129.6	17.0	129.1	117.4	11.8	135.2	129.4	5.9

पी. अनन्तिम पी.आर. अंशतः संशोधित - उपलब्ध नहीं
 स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नीतिगत उपायों में ये शामिल हैं : कृनि और डेयरी उत्पादों को छोड़कर सीमा शुल्क की उच्चतम दर 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करना, युक्तियुक्तकरण और राहत का समावेश, कारगो की शीघ्र निकासी और संचालन लागत कम करके न्यून क्रियाविधियां जिससे कि निर्यातों और आयातों को सुकर बनाया जा सके, आयातकों और निर्यातकों के लिए स्व:शुल्क निर्धारण स्कीम लागू करना तथा आयात दस्तावेजों की संवर्ती समीक्षा की जगह निकासी के बाद समीक्षा करना जैसा कि विकसित देशों में प्रचलित है।

विदेशी मुद्रा भण्डार और प्रे-गण

28. मात्रात्मक दृष्टि से विदेशी मुद्रा भण्डार में, जो कि 1991 के मार्च अन्त में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर था क्रमिक वृद्धि हुई और 2002 के मार्च अन्त तक वह 54.1 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। 4 जुलाई 2003 को विदेशी मुद्रा भण्डार की राशि 82.8 बिलियन अमरीकी डालर थी। विदेशी मुद्रा भण्डार में स्वस्थ वृद्धि अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास और आर.बी.आई. द्वारा भंडार के समुचित प्रबन्ध का परिचायक है। सेन्ट्रल बैंक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों/भंडार प्रबन्धन प्राधिकरणों के अनुरूप पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासशील है। अपने सकल विदेशी मुद्रा बाजार लेद-देनों (क्रय और विक्रय) के आधार तथा अपनी शुद्ध अग्रिम स्थिति प्रकाशित करने में भारतीय रिजर्व बैंक अनेक विकासशील और औद्योगिक देशों के सेन्ट्रल बैंकों की तुलना में सदा से आगे रहा है।

भारत की प्रे-गण प्राप्तियां
(डालर बिलियन में)

वर्ष	प्राप्तियां (डालर बिलियन में)
1985	2.5
1986	2.2
1987	2.7
1988	2.3
1989	2.6
1990	2.4
1991	3.3
1992	2.9
1993	3.5
1994	5.9
1995	6.2
1996	8.8
1997	10.3
1998	9.5
1999	11.1
2000	9.2
2001	10.0

स्रोत: आईएमएफ, भुगतान संतुलन
यिअरबुक,

वैश्विक विकास वित्त, 2003, विश्व बैंक

29. उच्च स्तरीय प्रे-गणों से देश में स्थिर भुगतान सन्तुलन की स्थिति प्राप्त हुई है। अनुमानों के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जो प्रवृत्ति हाल के वर्षों में दीख रही है वह मध्यम से लेकर दीर्घकाल तक जारी रहने की सम्भावना है। विशेष रूप से अनिवासियों अथवा अस्थायी कामगारों द्वारा प्रे-गणों के प्रवाह मध्यम अवधि के बढ़ जाने की संभावना है। यह भी बताया गया है कि न्यून लागत की तलाश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सीमापार नौकरियों के लिए समुद्रपारीय कामगारों को नियुक्त करने के लिए विवश कर रही है। यदि सेवाओं में व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार बातचीत में, माध्यम 4, के सम्बन्ध में प्रगति होती है तो अस्थायी कामगारों की और अधिक गतिशीलता की इस प्रवृत्ति का सुदृढीकरण हो सकता है। परिवहन और संचार में सुधारों से इस प्रवृत्ति को समर्थन मिलेगा। भारत को प्रे-गणों की राशि जो कि 1985 में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर थी वह 2001 में चौगुनी हो कर 10 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

30. ऋण न उत्पन्न करने और अपनी गैर-अस्थिर प्रकृति के चलते विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (एफ.डी.आई.) को विदेशी वित्त के अन्य रूपों की तुलना में प्रायः वरीयता दी जाती है। भारत में एफ.डी.आई. आंकड़ों की व्याप्ति में मुख्यतः इक्विटी पूंजी शामिल रहती है जबकि कुछ अन्य देशों में इस संबंध में ऐसे आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं जिनमें इक्विटी पूंजी, पुनः निवेश की गई आय (एफ.डी.आई.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह
(बिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	एफडीआई प्रवाह
1991-92	129
1992-93	315
1993-94	586
1994-95	1314
1995-96	2144
1996-97	2821
1997-98	3557
1998-99	2462
1999-2000	2115

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03

कम्पनियों की प्रतिधारित आय) तथा अन्य पूंजी (सम्बद्ध निकायों के बीच अन्तः निगमित ऋण लेन-देन) शामिल रहती है। भारत में एफ.डी.आई. आंकड़ों की रिपोर्ट देने वाली प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों सरीखा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मई 2002 में एक समिति का गठन किया। समिति ने यह सिफारिश करते हुए कि एफ.डी.आई. आंकड़ों में अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप इक्विटी पूंजी के अलावा पुनः निवेश की गई आय तथा अन्य पूंजी दर्शाई जानी चाहिए, अक्टूबर 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए आर.बी.आई. ने 2000-01 तथा 2001-02 के लिए संशोधित एफ.डी.आई. आंकड़े और 2002-03 के लिए अनुमान तैयार किए हैं। तदनुसार 2001-02 के लिए भारत को अनन्तिम एफ.डी.आई. प्रवाह 6131 मिलियन अमरीकी डालर है। 2002-03 के लिए अनुमानित राशि 4660 मिलियन अमरीकी डालर है।

भारत का घटकर-वार संशोधित एफडीआई (मिलियन में अमरीकी डालर)			
मद	2000-01	2001-02	2002-03
भारत को संशोधित एफडीआई	4029	6131	4660
इक्विटी	2400	4095	2700
पुनः निवेश की गई आय	1350	1646	1498
'अन्य पूंजी'	279	390	462
आज तक प्रकाशित एफडीआई आंकड़े	2342	3905	2574
संशोधन के कारण अतिरिक्त राशि	1687	2226	2086
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक			

विदेशी ऋण

31. वर्ष 2002 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 105 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि मार्च, 2002 के अंत में यह राशि 98.8 बिलियन अमरीकी डालर थी। यद्यपि हाल ही की अवधि में विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है तथापि विदेशी ऋण से संबंधित संगत संकेतकों से क्रमिक रूप से सुधारों का पता चलता है। ऋण-जीडीपी अनुपात, जो मार्च, 1992 के अंत में घटकर 20.6 प्रतिशत रह गया। तदनुसारी अवधि के दौरान, वर्तमान प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण सेवा 30.2 प्रतिशत से घटकर 13.7 प्रतिशत हो गई। सरकार द्वारा 1990 के दशक में अपनाए गए विदेशी ऋण प्रबंधन की दिशा में सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, भारत को संतो-जनक विदेश ऋण स्थिति में लाने में मदद मिली। ऋणग्रस्तता वर्गीकरण की दृष्टि से, विश्व बैंक ने भारत को 1999 से कम ऋणग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत किया है। विश्व के 15 सर्वाधिक ऋणी देशों में भारत ने अपना दर्जा सुधारकर, जो 1991 में ब्राजील और मैक्सिको के पश्चात् तीसरा था, 2001 में ब्राजील, चीन, मैक्सिको, रूसी संघ, अर्जेन्टीना, इंडोनेशिया, तुर्की और कोरिया गणराज्य के बाद 9वां दर्जा प्राप्त किया। शीर्ष ऋणी 15 देशों में, भारत के विदेशी ऋण संकेतक, जैसे कि अल्पावधि ऋण से कुल ऋण और अल्पावधि से विदेशी भंडार अनुपात, निम्नतम हैं और रियायती से कुल ऋण अनुपात उच्चतम है, जबकि जीएनपी अनुपात में ऋण, 2001 में चीन के बाद दूसरा निम्नतम है।

भारत का बकाया विदेशी ऋण

	मार्च के अंत में			दिसम्बर, 2002 के अंत में क्यूई
	2000	2001	2000(आर)	
(मिलियन में अमरीकी डालर)				
दीर्घावधि ऋण	94,327	97,504	96,016	101,630
अल्पावधि ऋण	3,936	3,628	2,745	3,357
कुल विदेशी ऋण	98,263	101,132	98,761	104,987
(समय करोड़ों में)				
दीर्घावधि ऋण	411,388	454,805	468,512	488,271
अल्पावधि ऋण	17,162	16,919	13,396	16,123
कुल विदेशी ऋण	428,550	471,724	481,908	504,394
(अनुपात प्रतिशत में)				
जीडीपी के अनुपात में विदेशी ऋण	22.1	22.4	21.0	20.6
चालू प्राप्तियों की दृष्टि से ऋण सेवा	17.1	16.2	13.6	13.7
कुल ऋण के अनुपात में अल्पावधि	4.0	3.6	2.8	3.2
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अनुपात में अल्पावधि	11.2	9.2	5.4	5.0
जीडीपी के अनुपात में अल्पावधि	0.9	0.8	0.6	0.7
कुल ऋण के अनुपात रियायती	38.9	35.5	36.0	36.2
वर्तमान प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज अदायगी	6.6	5.6	5.1	3.9
चालू प्राप्तियों के अनुपात में विदेशी ऋण	145.6	128.0	123.2	152.0
आर - संशोधित	क्यूई - तुल्य अनुमान			

स्रोत: इंडियाज एक्सटर्नल डेट: ए स्टेट्स रिपोर्ट, जून, 2003, वित्त मंत्रालय।

32. भण्डार की संतो-जनक स्थिति तथा घरेलू और अन्तर्रा-ट्रीय बाजारों में न्यून ब्याज दरों की स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के सावरिन ऋण फरवरी 2003 में लौटा दिए क्योंकि इन्हें महंगे ऋण समझा जाता था। सरकार ने विश्व बैंक को देय 1687.80 मिलियन अमरीकी डालर के उच्च लागत वाले करेंसी पूल ऋण (12 ऋण) और एशियाई विकास बैंक को देय 1342.33 मिलियन अमरीकी डालर के सिंगल करेंसी ऋणों (13 ऋण) का फरवरी 2003 में समय-पूर्व भुगतान कर दिया। समय-पूर्व भुगतान पूर्णतः स्वदेशी बाजार ऋणों से वित्तपो-नित है। साथ ही सरकार ने भारत सरकार को फ्रांसीसी द्विपक्षीय सहायता की राशि में से 124.05 मिलियन यूरो का, जो कि कठोर अंश था वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान समय-पूर्व भुगतान कर दिया। अनेक निगमित तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी 2002-03 के दौरान 1141.88 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी ऋणों का समय-पूर्व भुगतान कर दिया। विदेशी मुद्रा भण्डार की सुविधापूर्ण स्थिति और मजबूत भुगतान सन्तुलन की स्थिति ध्यान में रखते हुए अन्तर्रा-ट्रीय मुद्रा निधि (आई.एम.एफ.) ने सितम्बर-नवम्बर 2002 की तिमाही से वित्तीय लेन-देन योजना (एफ.टी.पी.) का सदस्य बनने के लिए भारत का चयन किया है। एफ.टी.पी. में शामिल देश अन्य देशों की भुगतान संतुलन मांगों का वित्तपो-नण करने में आई.एम.एफ. वित्त में सहायता करते हैं। आई.एम.एफ. द्वारा एफ.टी.पी. के एक सदस्य के रूप में पहली बार भारत का चयन किए जाने से देश के अन्तर्रा-ट्रीय समुदाय को देश की क्षमता तथा उसके विदेशी क्षेत्रक के लचीलेपन के बारे में मजबूत संकेत मिलते हैं। भारत ने एफ.टी.पी. में एस.डी.आर. 205 मिलियन का योगदान दिया है।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी मुद्दे

33. दसवीं योजना दस्तावेज में इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि अन्तर्रा-ट्रीय समुदाय के साथ अधिक समाकलन के बिना त्वरित उन्नति और विकास संभव नहीं हो सकता। अधिकांश अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ अपनी भावी बातचीत के लिए भारत को एक सकारात्मक कार्यसूची तैयार करनी चाहिए। नवम्बर 2001 में दोहा, कतार में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के चौथे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में पारित दोहा मंत्रीस्तरीय घो-नणा में यह स्प-टतः स्वीकार किया गया था कि डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रभावी कार्यकरण के लिए विकासशील तथा न्यूनतम विकसित देशों के हितों की रक्षा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घो-नणा में डब्ल्यू.टी.ओ. कार्यतंत्र के भीतर विकासशील तथा न्यूनतम विकसित देशों के साथ किए जाने वाले विशेष और विभेदपूर्ण व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई थी। घो-नणा में सदस्यों को बाजार सुलभता में उल्लेखनीय सुधार, सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों में कटौती तथा व्यापार-विरूपणकारी घरेलू समर्थन में भारी कटौती के प्रति लक्षित व्यापक बातचीत करने का आदेश दिया गया है। दोहा घो-नणा में निर्दि-ट समय अवधियों के अनुसार और आगे प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रियाएं 31 मार्च 2003 तक तय की जानी थी। सितम्बर 2003 में कैन्कुन, मेक्सिको में आयोजित पांचवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में इन प्रक्रियाओं पर आधारित व्यापक समय-सूचियों के मसौदे प्रस्तुत किए जाने थे। बातचीत 1 जनवरी 2005 तक पूरी की जानी है तथा बातचीत के परिणामों को अपनाने और उन्हें कार्यान्वित किए जाने के बारे में बाद में आयोजित किए जाने वाले मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के विशेष सत्र में निर्णय लिया जाएगा।

कृनि के सम्बन्ध में करार

34. बहुपक्षीय व्यापारिक बातचीत के उरुग्वे चक्र के परिणामस्वरूप डब्ल्यू.टी.ओ. का कृनि सम्बन्धी करार (ए.ओ.ए.) 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ। कृनि सम्बन्धी करार के प्रावधानों में मुख्यतः तीन क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् बाजार सुलभता में सुधार लाना, निर्यात सब्सिडियों में कटौती करना तथा व्यापार-विरूपणकारी घरेलू समर्थन को विकसित देशों के लिए सामान्यतः छः वर्षों से अधिक के लिए तथा विकासशील देशों के लिए दस वर्षों के लिए क्रमिक रूप में कम करना। कृनि में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के उद्देश्य कृनि सम्बन्धी करार के अनुच्छेद 20 में यह निर्धारित किया गया है कि बातचीत, कार्यान्वयन अवधि के समाप्त होने से एक वर्ष पहले, अर्थात् 1 जनवरी 2000 तक शुरू कर दी जाए। यह काम सहयोग और संरक्षण, व्यापार से इतर समस्याओं तथा विकासशील देशों के प्रति विशेष तथा विभेदपूर्ण व्यवहार में कमी लाने सम्बन्धी अपनी प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए सदस्यों के अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. की कृनि समिति (सी.ओ.ए.) के पहले चरण के दौरान कृनि में देश के व्यापारिक हित और प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए बातचीत का प्रारम्भिक प्रस्ताव भेज दिया है। इन प्रस्तावों में निम्न उद्देश्यों सहित कृनि संबंधी करार के तीन मूलाधार शामिल थे :

- अपनी खाद्य तथा आजीविका सम्बन्धी चिन्ताओं की रक्षा करना तथा निर्धनता कम करने, ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के निमित्त किए गए उपायों का संरक्षण करना तथा किसानों के लिए समर्थन मूल्य का उपयुक्त सार बनाए रखना।
- विकसित देशों में पर्याप्त बाजार सुलभता प्राप्त करके कृनिक निर्यात के सार्थक विस्तार के लिए अवसर उत्पन्न करना।
- टैरिफ चरम दरों और टैरिफ वृद्धि सहित टैरिफों में भारी कटौती, विकसित देशों द्वारा घरेलू सहयोग और निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति के लिए प्रयास करना।
- भारत के स्वदेशी उत्पादकों की, आयातों में भारी वृद्धि अथवा आयात मूल्यों में भारी गिरावट से रक्षा करना तथा अपने लोगों के लिए खाद्य तथा आजीविका सुरक्षाएं सुनिश्चित करना।

35. नवम्बर 2001 में आयोजित दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन ने सदस्यों को बाजार सुलभता में उल्लेखनीय सुधार, सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी में कटौती तथा व्यापार-विरूपणकारी घरेलू समर्थन में भारी कटौती के प्रति लक्षित व्यापक बातचीत करने का आदेश दिया है। डब्ल्यू.टी.ओ. बातचीत के अधीन विभिन्न मुद्दों में कृनि के समक्ष गंभीर समस्याएं प्रस्तुत हैं क्योंकि वैश्विक खेती व्यापार में ई.यू. तथा संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देश प्रमुख प्रतियोगी हैं। जबकि अमरीका और कैंरन्स समूह व्यापक उदारीकरण का समर्थन करते हैं, तथापि, यूरोपीय संघ क्रमिक उदारीकरण का समर्थन करता है। सम्पन्न देशों द्वारा प्रदत्त स्वदेशी सहयोग के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ओ.ई.सी.डी. में किसानों को सहयोग की मात्रा में कुल मिला कर 2000 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कृनि के लिए समग्र सहायता का स्तर ऊंचा बना हुआ है। 2002 में कुल सहयोग अनुमान (टी.एस.ई.) 318 बिलियन अमरीकी डालर (338 बिलियन यूरो) का रहा। 2001 तथा 2002 में ओ.ई.सी.डी. क्षेत्र में किसानों को कुल सहयोग, देशों के बीच व्यापक भिन्नताओं के चलते जी.डी.पी. का 1.2 प्रतिशत रहा जबकि 1986-88 में वह जी.डी.पी. का 2.3 प्रतिशत था। अमरीका का नया खेती अधिनियम (खेती सुरक्षा और ग्रामीण निवेश अधिनियम, 2002) के फलस्वरूप संयुक्त राज्य के खेती क्षेत्र को दिए जाने वाले सरकारी सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वह विश्व व्यापार को विरूपित करती है। हालांकि यूरोपीय संघ ने सब्सिडी और उत्पादन के बीच के सम्बन्ध को समाप्त करके अपनी सामान्य कृनि नीति (सी.ए.पी.) में बदलाव की

शुरुआत की है और इस प्रकार यूरोप के किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन घटा दिया है, तथापि इसके कार्यान्वयन के बारे में देखे जाने की जरूरत है। कृषि सम्बन्धी डब्ल्यू.टी.ओ. समिति के अध्यक्ष द्वारा कृषि सम्बन्धी बातचीत के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं के मसौदे में देशों के किसी भी समूह का पक्ष नहीं लिया गया है। भारत ने लाखों किसानों के हितों के संरक्षण के लिए जो कि अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं विशेष सुरक्षा तंत्र तथा अन्य ऐसे उपायों के रूप में विशेष और विभेदपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया है। विकासशील देशों के लिए कृषि में घरेलू नीतियों में लचीलापन रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है।

सेवाओं में व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट्स)

36. सेवाओं में व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट्स) जनवरी 1995 में लागू किया गया था। इस करार के अधीन सदस्यों को डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के बल में प्रवेश की तारीख से पांच वर्षों से पूर्व और तदन्तर नियतकालिक रूप से बातचीत के क्रमिक दौर शुरू करने होंगे ताकि उदारीकरण का क्रमिक रूप से उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार इस बातचीत का प्रमुख उद्देश्य सभी सेवा क्षेत्रों में तथा सेवाओं की आपूर्ति के सभी चार माध्यमों में उच्च मात्रा में उदारीकरण प्राप्त करना है। गैट्स द्वारा मान्य सेवाओं की आपूर्ति के चार माध्यम (मोड) हैं :

- माध्यम 1 - सीमा पार आपूर्ति, अर्थात् डिस्क्रेट्स, वास्तुशिल्पकार के ब्लूप्रिन्ट आदि की आपूर्ति।
- माध्यम 2 - विदेशों में उपभोग, अर्थात् विदेशों में सेवाओं का लाभ उठाने वाला पर्यटक।
- माध्यम 3 - वाणिज्यिक प्रक्रिया, अर्थात् विदेश में स्थापित विधिक सत्ता जैसे कि एक बैंक शाखा।
- माध्यम 4 - प्राकृतिक व्यक्तियों का संचलन, अर्थात् अस्थायी अवधि के लिए व्यावसायिकों, कौशल प्राप्त तथा अकुशल श्रमिकों की आवाजाही। इसमें स्थायी प्रवास शामिल नहीं हैं।

37. इन बातचीतों में अपनाई जाने वाला बुनियादी दृष्टिकोण अनुरोध और पेशकश करने का है। इसके अधीन देश मेज पर अपना अनुरोध (अन्य व्यापारिक भागीदारों की मांग सूची) प्रस्तुत कर सकते हैं तथा साथ ही अपनी पेशकश की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां तक माध्यम 4 (अर्थात् नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही) के संबंध में सेवाओं के बारे में बातचीत का सम्बन्ध है जो कि पहले से चली आ रही डब्ल्यू.टी.ओ. बातचीत में भारत की रुचि का प्रमुख क्षेत्र है भारत ने क्षेत्रक-विशिष्ट प्रतिबद्धताओं तथा बाधाओं के हटाने में सहयोग पर बल दिया है। माध्यम 1 पर जिसके अधीन सेवाओं की सीमा-पार आपूर्ति सम्मिलित है, जैसे कि कारोबारी प्रक्रियाओं को और आगे सुपुर्द कर देना (बी.पी.ओ.), भारत ने विकासशील तथा न्यूनतम विकसित देशों के प्रति अधिक लचीलापन दर्शाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

ट्रिप्स तथा जन स्वास्थ्य

38. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पक्षों पर करार (ट्रिप्स) में कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकारों, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतकों, औद्योगिक डिजाइनों, पेटेंटों, एकीकृत सर्किटों के ले-आउट डिजाइनों तथा गुप्त सूचना (व्यापारिक रहस्य) के संरक्षण के सम्बन्ध में न्यूनतम मानदण्डों और मानकों का निर्वाह किए जाने का प्रावधान है। ट्रिप्स करार और जन स्वास्थ्य सम्बन्धी दोहा घोषणा ने ट्रिप्स परिषद को यह निदेश दिया है कि वह फार्मसिटिकल क्षेत्रों में अनिवार्य लाइसेंस के लचीलेपन का प्रभावी प्रयोग करने में अपर्याप्त अथवा तनिक भी विनिर्माण क्षमता के न होने की समस्या से ग्रस्त देशों के लिए दिसम्बर 2002 तक एक त्वरित समाधान की खोज करें। ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भारत ने

फार्मेसिटिकल क्षेत्रों में अनिवार्य लाइसेंस के लचीलेपन का प्रभावी प्रयोग करने में अपर्याप्त अथवा तनिक भी विनिर्माण क्षमता के न रखने वाले देशों के मुद्दों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने तात्कालिक जन स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

गैर-कृनि माल के लिए बाजार सुलभता

39. डब्ल्यू.टी.ओ. के अधीन गैर-कृनि उत्पादों को लेकर बाजार सुलभता सम्बन्धी बातचीत का उद्देश्य विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात की रुचि के उत्पादों पर उच्चतम टैरिफों में कटौती अथवा समाप्ति सहित टैरिफों में कटौती अथवा यदि उपयुक्त हो तो टैरिफों की समाप्ति, उच्च टैरिफ तथा टैरिफ वृद्धि और साथ ही गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना है। गैर-कृनि उत्पादों के लिए बाजार सुलभता सम्बन्धी डब्ल्यू.टी.ओ. बातचीत समूह के अध्यक्ष ने एक संशोधित स्विस सूत्र के अनुसार एक प्रमुख पद्धति का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बिजली के सामान; मत्स्य और मत्स्य उत्पादों; जूतों, चमड़े के सामान; मोटर गाड़ियों के पुर्जों तथा घटकों; पत्थरों, रत्नों और कीमती धातुओं; तथा वस्त्रों और परिधानों जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रकीय बातचीत का भी सुझाव दिया गया है। न्यूनतम विकसित देशों को छोड़कर डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों के टैरिफ लाने के लिए तीन चरणों की अवधि में एक अलग पद्धति की पेशकश भी की गई है। गैर-कृनि बाजार सुलभता सम्बन्धी बातचीत के सम्बन्ध में भारत यह चाहता है कि विकासशील देशों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। जहां तक टैरिफ में कटौती का प्रश्न है भारत ने उच्चतम टैरिफ के मुद्दे से निपटने के लिए पद्धति सहित एक रेखीय पद्धति का समर्थन किया है जो कि दोहा आदेश की अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

सिंगापुर मुद्दे

40. सरकारी प्रापण में व्यापार सुगमीकरण, निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति और पारदर्शिता के मुद्दे 1996 के सिंगापुर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के डब्ल्यू.टी.ओ. कार्यक्रम में जोड़ दिए गए थे। तब से इन्हें सिंगापुर मुद्दों का नाम दे दिया गया है। दोहा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में विकसित देशों के कहने पर बातचीत में शामिल किए जाने के लिए ये मुद्दे उठाए गए। भारत सहित विकासशील देशों के विरोध के कारण एक समझौते की स्थिति प्राप्त की गई जिसके अधीन इस बात को लेकर सहमति हुई कि बातचीत की पद्धतियों सम्बन्धी सत्र में एक सुस्प-ट सर्वसम्मति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के 5वें सत्र के बाद बातचीत शुरू की जानी चाहिए। 5वें सत्र तक की अवधि में काउंसिल फार ट्रेड इन गुड्स को गैट 1994 की समीक्षा करनी है तथा उपयुक्त होने पर गैट के संगत अनुच्छेद स्प-ट करने हैं तथा उनमें सुधार लाना है और सदस्यों की, विशेष रूप से विकासशील तथा न्यूनतम विकसित देशों की व्यापार सुगमीकरण आवश्यकताओं और प्राथमिकताएं अभिज्ञात करनी हैं। जबकि विकसित देश ऐसा मानते हैं कि इसका अर्थ है कि 2003 में पांचवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन ने केवल पद्धतियों की बाबत निर्णय लेना है जबकि बातचीत शुरू करने सम्बन्धी करार पहले ही बन चुका है, विकासशील देशों का यह मानना है कि जब तक सर्वसम्मति से रीतियों की बाबत पहले निर्णय नहीं ले लिया जाता, कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंगापुर के मुद्दों की संरचना और अंतर्वस्तु अभी भी अस्प-ट है, भारत ने किसी भी प्रकार की बातचीत में भाग लेने के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई हैं। दोहा में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एक स्प-टीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा की शुरुआत इस शर्त

के अध्यक्षीन थी कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की पद्धतियों सम्बन्धी बातचीत, पांचवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के बाद केवल एक सुस्प-ट सर्वसम्मति के बाद शुरू होगी।

41. सतत चर्चाओं और सितम्बर, 2003 में मैक्सिको में कैंकुन में आयोजित किए जाने वाले पांचवें डब्ल्यू.टी.ओ. सम्मेलन से पूर्व सिडनी, टोक्यो और कैरो में आयोजित तीन लघु मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों के बाद भी कृनि तथा ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं हो सका है। विकसित बाजारों में विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार सुलभता के प्रमुख मुद्दे से निपटे बिना अंतर्रा-द्रीय व्यापार के क्षेत्र में वास्तविक विकास केवल संपन्न रा-ट्रों के पक्ष में झुका रहेगा।

क्षेत्रीय व्यापार करार

42. डब्ल्यू.टी.ओ. की 2003 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यू.टी.ओ. के केवल चार सदस्य, अर्थात् जापान; हांगकांग, चीन; मैकुआ, चीन; और मंगोलिया जून 2002 के क्षेत्रीय व्यापार करार के सदस्य नहीं थे। जून 2002 तक गैट/डब्ल्यू.टी.ओ. को करीबन 250 आर.टी.ए. अधिसूचित किए जा चुके हैं जिनमें से 129 जनवरी 1995 के बाद अधिसूचित किए गए थे। व्यापार कार्यनीति के एक अंग के रूप में और साथ ही बाजार सुलभता के संरक्षण के लिए देशों को आर.टी.ए. ट्रैक पर रख लिया जाता है। यूरोप में और अब अमरीका में देखी गई प्रवृत्तियों के अनुरूप द्विपक्षीय, बहुपक्षीय व्यापार करारों की पद्धति उभरनी शुरू हो गई है। भौगोलिक दृष्टि से गैर-निकटस्थ देशों के बीच क्षेत्र-पारीय पहलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर अधिकांश प्रमुख रा-ट्र अधिकाधिक रूप से चुनिन्दा अधिमान्य व्यापार करारों में भागीदारों के लिए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से आगे देश रहे हैं।

43. वाणिज्यिक विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यम अवधि की निर्यात कार्यनीति 2002-07 में व्यापार तथा महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ आर्थिक सम्बन्धों के बारे में स्वयं अपना वेब सृजित करने में भारत की असमर्थता व्यक्त की गई है। भारतीय माल और सेवाओं के लिए बेहतर निर्यात बाजार सुलभता प्राप्त करने की दृष्टि से अन्य व्यापारिक रा-ट्रों द्वारा देखी गई प्रवृत्ति के सन्दर्भ में इसे एक कमजोरी समझा गया है।

44. जून 2003 में भारत ने 'मैरकोसूर' (अर्जनटाइना, ब्राजील, उरुग्वे तथा पराग्वे सहित एक क्षेत्रीय समूह) के साथ फ्रेमवर्क ट्रेड ऐग्रीमेंट (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से 'मैरकोसूर' के साथ एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (पी.टी.ए.) को लेकर बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा। पी.टी.ए. पर हस्ताक्षर, के बाद दोनों पक्षों को किसी भी पक्ष से आयात के मामले में पारस्परिक टैरिफ रियायतें प्राप्त होंगी। इससे भारत और 'मैरकोसूर' के बीच द्विपक्षीय व्यापार में और साथ ही लातिनी अमरीकी क्षेत्र के साथ व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी। ऐसी भी संभावना है कि भारत, थाइलैण्ड के साथ एक द्विपक्षीय निःशुल्क व्यापार

महत्वपूर्ण एफ.टी.ए. के लिए मानदण्ड

- | | |
|--------|--|
| (i) | भारत तथा एफ.टी.ए. भागीदार द्वारा टैरिफ कटौतियों की संभावना और प्रभाव। |
| (ii) | एफ.टी.ए. भागीदार को निर्यात में भारत की मूल्य प्रतियोगितात्मकता तथा निर्यात के लिए संभावना। |
| (iii) | भारतीय बाजार में एफ.टी.ए. भागीदार की मूल्य प्रतियोगितात्मकता और घरेलू उत्पादन पर प्रभाव। |
| (iv) | विशेष रूप से आई.टी. तथा आई.टी. सम्बन्धी सेवाओं के निर्यात की संभावना। |
| (v) | लाभकारी निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए संभावना। |
| (vi) | दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में अनुपूरकता। |
| (vii) | ए.एस.ई.ए.एन. सदस्य देश के साथ एफ.टी.ए. नि-मादित करने के अन्य पहलू जैसे कि राजनीतिक लाभ, एक अपेक्षतया विशाल क्षेत्रीय समूह जैसे कि ए.एस.ई.ए.एन. के साथ जुड़ने की संभावनाएं। |
| (viii) | प्रत्येक देश की आयात बासकेट पर दृष्टि डाल कर संभावित निर्यात। |

स्रोत : वाणिज्य विभाग की मध्यम अवधि की निर्यात कार्यनीति, 2002-07

करार नि-पादित करेगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच 28 दिसम्बर 1998 को मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार में यह व्यवस्था है कि नकारात्मक सूची में शामिल सीमित मदों को छोड़कर सभी उत्पादों पर कुछ समय के भीतर टैरिफ समाप्त कर दिए जाएं। भारत ने भी बांग्लादेश के साथ एक मुक्त व्यापार करार करने की पेशकश की है। भारत सार्क अधिमान्य व्यापार करार (एस.ए.पी.टी.ए.) के अधीन साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजिनल कोआपरेशन (सार्क) सदस्य देशों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान कर रहा है।

अध्याय 2

वित्तीय संसाधन और सरकारी क्षेत्रक परिव्यय

वार्षिक योजना 2002-03 के वित्तपोषण की समीक्षा और वार्षिक योजना 2003-04 के वित्तपोषण की प्रस्तावित स्कीम

केन्द्रीय सरकार के 2002-03 के बजट में कुल 410309 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय, 274785 करोड़ रुपये की ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां और 135524 करोड़ रुपये के राजको-नीय घाटे की परिकल्पना की गई थी। 2002-03 के दौरान केन्द्रीय प्राप्तियां और व्यय का सारांश तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है। तुलना केवल अनन्तिम अनुमानों के साथ की गई है जो अब उपलब्ध हैं।

2. कुल व्यय के लिए 410309 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों में 296809 करोड़ रुपये का योजनेतर व्यय तथा 113500 करोड़ रुपये का योजना व्यय शामिल है। योजनेतर व्यय के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान 6885 करोड़ रुपये कम रहा जबकि योजना व्यय मामूली तौर पर 589 करोड़ रुपये अधिक रहा। तथापि तदनुसारी बजट अनुमानों की तुलना में योजनेतर व्यय (अनन्तिम) 4,078 करोड़ रुपये (अर्थात् 1.4% अधिक) अधिक रहा जबकि योजना व्यय 1423 करोड़ रुपये (अर्थात् 1.3%) कम रहा। इस प्रकार सरकार का कुल व्यय बजट अनुमानों की तुलना में 2655 करोड़ रुपये (0.6%) अधिक बैठा जिसका मुख्य कारण उच्चतर योजनेतर व्यय था।

तालिका 1

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियां और व्यय का सारांश, 2002-03								
(आंकड़े करोड़ रुपयों और प्रतिशत में)								
क्र.सं.	मद	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	कमी (-) बढ़ोतरी (+)			
		2002-03	2002-03	2002-03	अंतर (सं.अ.- ब.अ.)	%	अंतर (अनन्तिम- ब.अ.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राप्तियां								
1	राजस्व प्राप्तियां (शुद्ध)	245105	236936	230885	-8169	-3.3	-14220	-5.8
1 क	कर राजस्व (केन्द्र को शुद्ध)	172965	164177	158311	-8788	-5.1	-14654	-8.5
1 ख	कर-भिन्न राजस्व	72140	72759	72574	619	0.9	434	0.6
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	37432	-8069	-27.2	7752	26.1
3	केन्द्र की कुल ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (1+2)	274785	258547	268317	-16238	-5.9	-6468	-2.4
व्यय								
4	योजनेतर व्यय	296809	289924	300887	-6885	-2.3	4078	1.4
5	योजना व्यय	113500	114089	112077	589	0.5	-1423	-1.3
	योग में योजना व्यय का हिस्सा	27.7%	28.2%	27.1%				
6	कुल व्यय (4+5)	410309	404013	412964	-6296	-1.5	2655	0.6
राजको-नीय घाटा								
7	राजको-नीय घाटा	135524	145466	144647	9942	7.3	9123	6.7
7 क	राजको-नीय घाटा/जी.डी.पी. अनुपात	5.3%	5.9%	5.9%				

	%							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

3. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उनमें 6468 करोड़ रुपये की कमी रही। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण करों की न्यून प्राप्तियां हैं। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कर प्राप्तियों की न्यून वसूली और उच्चतर योजनेतर व्यय के फलस्वरूप राजकोनीय घाटा लक्षित से 9000 करोड़ रुपये अधिक रहा। 2002-03 के दौरान प्राप्त राजकोनीय घाटा/जी.डी.पी. अनुपात 5.9% था जबकि बजट अनुमानों में 5.3% का लक्ष्य रखा गया था।

केन्द्र के संसाधन - 2002-03

4. **कर राजस्व** : तालिका 2 में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2002-03 के दौरान केन्द्र के सकल और शुद्ध कर राजस्व में 8.5% की कमी रही। बजट अनुमानों के अनुसार राज्यों का अन्तरण (केन्द्रीय करों में हिस्से के कारण) में भी लगभग उतने ही प्रतिशत की कमी रही। 2002-03 के लिए कर-राजस्व के ब्योरे दर्शाते हैं कि सभी मुख्य करों को लेकर अनन्तिम आंकड़े उनके बजट अनुमानों की तुलना में न्यून थे (तालिका 2 के खाना 8 और 9)।

5. हाल के वर्षों में राजस्व के वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमानों की तुलना में बहुत ही न्यून रहे हैं। 2002-03 के दौरान निगम कर को छोड़कर सभी मदों के सम्बन्ध में इसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति हुई है। वर्ष के दौरान सकल कर-जी.डी.पी. अनुपात 1997-98 के 9.1% तथा 2001-02 के 8.1% के मुकाबले 8.8% होने का अनुमान है।

तालिका 2

केन्द्र के सकल कर राजस्व का ब्योरा 2002-03 (आंकड़े करोड़ रुपयों और प्रतिशत में)								
क्र.सं.	कर राजस्व	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	कमी (-) बढ़ोतरी (+)			
		2002-03	2002-03	2002-03	अंतर (सं.अ.- ब.अ.)	%	अंतर (अनन्तिम- ब.अ.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निगम कर	48616	44700	46281	-3916	-8.1	-2335	-4.8
2	वैयक्तिक आयकर	42524	37300	36336	-5224	-12.3	-6188	-14.6
3	सीमाशुल्क	45193	45500	44761	307	0.7	-432	-1.0
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	91433	87383	82302	-4050	-4.4	-9131	-10.0
5	अन्य**	8034	7035	6363	-999	-12.4	-1671	-20.8
6	सकल कर राजस्व*	235800	221918	216044	-13882	-5.9	-19756	-8.4
7	राज्यों का हिस्सा	61235	56141	56122	-5094	-8.3	-5113	-8.3
8	शुद्ध कर राजस्व (6-7- सीसीएफ)	172965	164177	158311	-8788	-5.1	-14654	-8.5

* आपदा आकस्मिकता निधि (सी.सी.एफ.) को अन्तरण सहित।

** इसमें सेवा कर, व्यय कर, सम्पदा कर, संघशासित क्षेत्रों के कर तथा अन्य कर शामिल हैं।

6. **कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (एन.टी.आर.आर.)** : केन्द्र की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एन.टी.आर.आर.) के तालिका 3 में दिए गए ब्योरे यह दर्शाते हैं कि 2002-03 के दौरान वसूले गए

एन.टी.आर. कम-अधिक अनुमानों (देखें मद 5, खाना 3, 5) के अनुरूप हैं। तथापि वसूले गए एन.टी.आर.आर. की संरचना बजट अनुमानों से भिन्न रही है। ब्याज प्राप्तियां बजट अनुमानों की तुलना में अत्यधिक (10.6%) कम रही। 2002-03 (सं.अ.) के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी की भरपाई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, रा-ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांशों तथा लाभ प्राप्तियों में बढ़ोतरी तथा अन्य कर-भिन्न राजस्व से कर ली गई। फलतः 2002-03 के दौरान कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में किंचित अर्थात् 436 करोड़ रुपये अधिक रहा है।

तालिका 3

कर-भिन्न राजस्व के अनुमान 2002-03								
(आंकड़े करोड़ रुपयों और प्रतिशत में)								
क्र.सं.	कर राजस्व	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	वर्मा (-) बढ़ोतरी (+)			
		2002-03	2002-03	2002-03	अंतर (सं.अ.- ब.अ.)	%	अंतर (अनन्तिम- ब.अ.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ब्याज प्राप्तियां	41660	40571	37224	-1089	-2.6	-4436	-10.6
2	लाभांश और लाभ	18805	20194	21229	1389	7.4	2424	12.9
3	संघ शासित क्षेत्रों का एनटीआर	508	523	530	15	3.0	22	4.4
4	अन्य कर-भिन्न राजस्व*	11167	11471	13591	304	2.7	2424	21.7
5	योग - एन.टी.आर.आर.	72140	72759	72574	620	0.9	434	0.6

* अन्य एन.टी.आर. में विदेशी अनुदान शामिल हैं जिनके बारे में विदेशी ऋणों के साथ-साथ नीचे अलग से चर्चा की गई है।

7. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (एन.डी.सी.आर.) : 2002-03 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों की स्थिति तालिका 4 में प्रस्तुत की गई है। 34282 करोड़ रुपये की ऋण वसूली वित्तीय वर्ष के अनुमानों की तुलना में 16,602 करोड़ रुपये (अर्थात् 94%) अधिक रही है। ऋणों की वसूली में वृद्धि राज्य सरकारों द्वारा अधिक महंगे ऋण का विनिमय किए जाने का परिणाम है। हालांकि विनिवेश के कारण हुई प्राप्तियां लक्ष्य की तुलना में बहुत कम अर्थात् 8800 करोड़ रुपये (74%) रही; फिर भी ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां वर्ष के अनुमानों की तुलना में काफी बढ़ कर रहीं जिसका प्रमुख कारण ऋणों की उच्चतर वसूली था।

तालिका 4

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2002-03								
(आंकड़े करोड़ रुपयों और प्रतिशत में)								
क्र.सं.	कर राजस्व	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	वर्मा (-) बढ़ोतरी (+)			
		2002-03	2002-03	2002-03	अंतर (सं.अ.- ब.अ.)	%	अंतर (अनन्तिम- ब.अ.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ऋणों की वसूली	17680	18251	34282	571	3.2	16602	93.9
2	विनिवेश	12000	3360	3150	-8640	-72.0	-8850	-73.7
3	कुल - ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	37432	-8069	-27.2	7752	26.1

8. **योजनेतर व्यय (एन.पी.ई.)** : योजनेतर व्यय अधिकांशतः प्रतिबद्ध प्रकृति का होता है। इसलिए अनुमानित राजस्वों के किसी स्तर तथा राजकोनीय घाटे के लक्षित स्तर के लिए एन.पी.ई. के हिस्से में किसी भी प्रकार की वृद्धि का अर्थ यह होगा कि योजना व्यय के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में तदनुसूची कटौती हो जाएगी। योजनेतर व्यय के लिए संशोधित अनुमान 2002-03 के बजट अनुमानों की तुलना में 6886 करोड़ रुपये कम थे। तथापि अनन्तिम अनुमान 2002-03 के बजट अनुमानों की तुलना में 4,078 करोड़ रुपये बढ़ कर रहे। योजनेतर व्यय की प्रायः सभी प्रमुख मदों जैसे कि ब्याज, रक्षा, योजनेतर अनुदान सम्बन्धी अनन्तिम अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में न्यून रहे। बजट अनुमानों (साथ ही 2002-03 के संशोधित अनुमानों) के संदर्भ में अनन्तिम अनुमानों में योजनेतर व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण रा-ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई 13765 करोड़ रुपये की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का परिशोधन था।

9. **चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.) तथा पूंजी प्राप्तियों से शे-1 (बी.सी.ए.पी.)** : योजनेतर राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी सहित) के संदर्भ में सरकार के राजस्व में अधिशेष-अथवा कमी दर्शाता है। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-1, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और योजनेतर पूंजी व्यय के बीच का अन्तर होता है। दोनों मिलकर, ऋण लिए बिना योजना व्यय का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध बजटीय संसाधनों का निर्धारण करते हैं।

10. **चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.)** : एक दशक से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार का बी.सी.आर. ऋणात्मक बना हुआ है। यह स्थिति चिंता का एक कारण बनी हुई है। ऋणात्मक बी.सी.आर. का अर्थ यह होता है कि उपभोग व्यय का वित्तपोषण करने के लिए सरकार को पूंजी प्राप्तियों पर निर्भर रहना होता है। 2002-03 के अनुमानों के संदर्भ में वसूला गया बी.सी.आर तालिका 5 में दर्शाया गया है। 2002-03 के लिए जिस ऋणात्मक बी.सी.आर. का अनुमान* 46476 करोड़ रुपये लगाया गया था प्राप्तियों और व्यय के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार वह -49351 करोड़ रुपये निकला। 2002-03 के दौरान बी.सी.आर. (ऋणात्मक) की स्थिति खराब होने का प्रमुख कारण यह था कि राजस्व प्राप्तियां अनुमान की तुलना में न्यून रहीं।

तालिका 5

केन्द्रीय सरकार का चालू राजस्व से शे-1 2002-03 (आंकड़े करोड़ रुपयों में)						
क्र.सं.	मद	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	अन्तर (सं.अ.- ब.अ.)	अन्तर (अनन्तिम- ब.अ.)
		2002-03	2002-03	2002-03		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियां (आर आर)	245105	236936	230885	-8169	-14220
2	योजनेतर राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)*	291581	283891	280235	-7690	-11345
क	ब्याज	117390	115663	115630	-1727	-1760
ख	रक्षा (रक्षा पूंजी सहित)	65000	56000	55455	-9000	-9545
ग	सब्सिडी	39801	44618	40414	4817	613
घ	अन्य	69390	67610	68736	-1780	-654
3	चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.) (1-2)	-46476	-46955	-49351	-479	-2875
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-1 2002-03						
4	कुल - ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	37432	-8069	7752
5	योजनेतर पूंजी व्यय		6033	20651	804	15422
6	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-1 (6-7)	24451	15578	16781	-8873	-7670

11. **ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-न** : जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है ऋणों की वसूली में हुई वृद्धि के कारण ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां अनुमानों की तुलना में उच्चतर रही। लेकिन योजनेतर पूंजी व्यय भी बजट अनुमानों की तुलना में 1500 करोड़ रुपये अधिक रहा। उच्चतर योजनेतर व्यय वर्ग के दौरान 13700 करोड़ रुपये मूल्य की केन्द्रीय प्रतिभूतियों के परिशोधन के कारण हुआ था। इस प्रकार ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-न बजट अनुमानों में निर्दिष्ट 24451 करोड़ रुपये के मुकाबले 16781 करोड़ रुपये रहा।

केन्द्र का योजना व्यय 2002-03

12. वित्तपो-ण पद्धति केन्द्र का योजना व्यय : चालू राजस्व से शे-न और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-न मिलकर अतिरिक्त ऋण लिए बिना योजना व्यय का वित्तपो-ण करने की सरकार की क्षमता का परिचय देते हैं। अनन्तिम लेखाओं के अनुसार चालू राजस्व से शे-न के रूप में (-) 49351 करोड़ रुपये तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के रूप में 16781 करोड़ रुपये के बजटीय संसाधनों का योग 32570 करोड़ रुपये के ऋणात्मक शे-न के रूप में रहा है। अतः 144647 करोड़ रुपये के राजको-नीय घाटे को पूरा करने के लिए 112076 करोड़ रुपये का सकल बजट समर्थन प्रदान करने की, जिसमें केन्द्र का 68710 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना व्यय तथा राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिए 43367 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना अपेक्षित था।

13. **राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता** : बजट अनुमानों में 113499 करोड़ रुपये (योजना के लिए) के कुल जी.बी.एस. में से 46629 करोड़ रुपये (अर्थात् जी.बी.एस. का 41%) राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की योजनाओं की सहायता के रूप में दिए जाने थे। केन्द्रीय सहायता का वास्तविक प्रवाह 43367 करोड़ रुपये का रहा जो कि बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 7% न्यून था। 2002-03 में केन्द्र द्वारा योजना व्यय में कमी का मात्र कारण यह रहा है कि राज्यों/यू.टी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता बजट अनुमानों की तुलना में 3262 करोड़ रुपये कम थी। इसके विपरीत केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक योजना के लिए बजट समर्थन वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में अधिक रहा। वार्षिक योजना 2002-03 के वित्तपो-ण की पद्धति के बारे में तालिका 6 में दिए गए हैं।

तालिका 6क

केन्द्र की वार्षिक योजना 2002-03 के लिए जी.बी.एस. का वित्तपो-ण (आंकड़े करोड़ रुपयों में)						
क्र.सं.	संसाधन	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	अन्तर	अन्तर
		2002-03	2002-03	2002-03	(सं.अ.-ब.अ.)	(अनन्तिम-ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1	चालू राजस्व से शे-न (बी.सी.आर.)	-46476	-46955	-49351	-479	-2875
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-न	24451	15578	16781	-8873	-7670
3	राजको-नीय घाटा		145466	144647	9942	9123
4	योजना के लिए सकल बजट समर्थन (1+2+3)	113499	114089	112076	590	-1423
5	राज्य और यू.टी. योजनाओं के लिए सहायता		45871	43367	-758	-3262

	सहायता					
	कुल जी.बी.एस. में % हिस्सा	41.1	40.2	38.7		
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजट समर्थन		68218	68710	1348	1840
7	जी.बी.एस. में % हिस्सा		59.8	61.3		

*संशोधित अनुमान

14. **विदेशी सहायता** : विदेशी ऋण सरकार के समग्र ऋणों (राजकोनीय घाटा) का हिस्सा होते हैं। पूर्व में की गई चर्चा के अनुसार विदेशी अनुदान कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा होते हैं। दोनों को मिलाकर 'विदेशी सहायता' कहते हैं। सकल विदेशी सहायता केन्द्र द्वारा (केन्द्रीय योजना के लिए तथा राज्य/यू.टी. योजना के लिए केन्द्रीय सहायता) सकल बजट समर्थन का लगभग 10 प्रतिशत बैठती है। तथापि पुराने ऋणों की वापसी के दायित्वों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण सहायता का शुद्ध प्रवाह बहुत ही कम रहा है। 2002-03 के लिए विदेशी सहायता अनुमान तालिका 6ख में उल्लिखित हैं। शुद्ध सहायता प्रवाह को लेकर 2002-03 के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से काफी भिन्नता लिए हुए हैं। इसका कारण ए.डी.बी. और आई.बी.आर.डी. के कतिपय ऊंची ब्याज दरों के ऋणों (कुल 3 बिलियन अमरीकी डालर) को चुकता करने का सरकार का सुविचारित निर्णय था।

तालिका 6ख

विदेशी ऋण और अनुदान तथा शुद्ध विदेशी सहायता (आंकड़े करोड़ रुपयों में)				
	वर्ष	2002-03 ब.अ.	2002-03 सं.अ.	कमी (-) बढ़ोतरी (+)
1	ऋण	11334	11713	379
2	अनुदान	859	982	123
3	सकल विदेशी सहायता	12193	12695	502
4	वापसी (मूलधन)	10563	25209	14646
5	शुद्ध विदेशी सहायता*	1630	-12514	-14144
6	जी.बी.एस. की % के रूप में सकल विदेशी सहायता	10.7 %	11.1 %	

* शुद्ध विदेशी सहायता में विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है।

15. **केन्द्र का योजना परिव्यय** : केन्द्रीय योजना 2002-03 के लिए बजट अनुमानों में 144038 करोड़ रुपये के कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का वित्तपोषण 66871 करोड़ रुपये के बजट समर्थन तथा सी.पी.एस.ई. के 77167 करोड़ रुपये के आन्तरिक बजट-बाह्य संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) के माध्यम से किया जाना था (देखें तालिका 7)। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की योजना के लिए बजट समर्थन आवश्यकता से कहीं बढ़ कर रहा है। तथापि सी.पी.एस.ई. के आई.ई.बी.आर. में कमी देखी गई है जिसके कारण केन्द्रीय क्षेत्रक का समग्र योजना परिव्यय 6680 करोड़ रुपये कम हुआ है।

तालिका 7

केन्द्र का योजना परिव्यय 2002-03 (आंकड़े करोड़ रुपयों में)				
क्र.सं.	मद	ब.अ.*	सं.अ.	अनन्तिम

		2002-03	2002-03	2002-03
1	2	3	4	5
1	बजट समर्थन	66871	68219	68710
2	सी.पी.एस.ई. का आई.ई.बी.आर.	77167	68648	68648*
3	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	144038	136867	137358

* संशोधित अनुमान

16. **सी.पी.एस.ई. की वार्षिक योजना 2002-03** : केन्द्रीय पी.एस.ई. की वार्षिक योजना 2002-03 की वित्तपो-ण पद्धति का सारांश तालिका 8 में प्रस्तुत है। वार्षिक योजना 2002-03 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विभागीय उद्यमों तथा अन्य स्वायत्त निकायों के लिए 90555 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय नियत किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना व्यय 83880 करोड़ रुपये बैठा है।

तालिका 8

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों की वार्षिक योजना 2002-03 का वित्तपो-ण				
(आंकड़े करोड़ रुपयों में)				
क्र.सं.	वित्तपो-ण के स्रोत	ब.अ.	सं.अ.	अंतर
		2002-03	2002-03	सं.अ.-ब.अ.
1	2	3	4	5
I.	बजटीय समर्थन (i+ii)	13389	15232	1843
i.	इक्विटी	12195	11967	-228
ii.	ऋण	1194	3265	2071
II.	आंतरिक संसाधन	39527	38836	-691
III.	उधार (i+ii+iii)	37640	29812	-7828
i.	बांड/ऋण पत्र	21778	17123	-4654
ii.	ई.सी.बी./सप्लायर्स क्रेडिट	5050	2720	-2330
iii.	अन्य	10812	9969	-843
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	90555	83880	-6676

17. सी.पी.एस.ई. के योजना परिव्यय में 6676 करोड़ रुपये की कमी रही है क्योंकि सी.पी.एस.ई. को बजट समर्थन अनुमानों के अनुरूप था परन्तु सी.पी.एस.ई. के वित्तपो-ण में कमी मुख्यतः आई.ई.बी.आर., विशेष रूप से न्यून ऋणों (ई.बी.आर.) के कारण है। बन्ध पत्रों और ई.सी.बी. के माध्यम से न्यून ऋण का आशय न्यून निवेश से भी है और यही कारण है कि पी.एस.यू. योजना में ऊपर बताए अनुसार 6000 करोड़ रुपये की कमी रही।

18. आई.ई.बी.आर. का मंत्रालय-वार वितरण, तालिका 9 यह दर्शाती है कि संचार, विद्युत, नौवहन, कोयला, खान तथा रेलवे मंत्रालयों के अधीन आने वाले सी.पी.एस.ई. ने अपनी योजना के वित्तपो-ण के लिए अनुमानित से कम आन्तरिक संसाधनों का प्रयोग किया। इसके विपरीत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सी.पी.एस.ई. कम-अधिक आई.आर. का लक्ष्य पूरा करने और आई.ई.बी.आर. का अनुमानित स्तर पार करने में सफल रहे हैं। प्रमुख सी.पी.एस.ई. के आई.ई.बी.आर. के ब.अ. तथा सं.अ. के ब्योरे संलग्नक 1 तथा 2 में दिए गए हैं।

तालिका 9

सी.पी.एस.ई. का आई.ई.बी.आर. 2002-03 (सं.अ.) (आंकड़े करोड़ रुपयों में)							
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना अनुमान (ब.अ. 2002-03)			कमी		
		आई.आर.	ई.बी.आर.	कुल आई.ई.बी.आर.	आई.आर.	ई.बी.आर.	आई.ई.बी.आर.
1	संचार	11524	7877	19401	-2625	-3426	-6052
2	विद्युत	1797	8386	10183	-736	-779	-1515
3	नौवहन	1154	1142	2295	-295	-532	-827
4	रेलवे	3940	3000	6940	-509	-120	-629
5	कोयला	1605	1559	3164	-726	99	-627
6	खान	302	717	1019	-70	-245	-315
7	इस्पात	802	595	1397	-17	185	168
8	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	13789	4199	17988	4789	-1677	3112
9	योग (1 से 8 तक)	34913	27475	62387	-189	-6495	-6685
10	सभी सी.पी.एस.ई. का कुल योग	39527	37640	77167	-691	-7828	7137

वार्षिक योजना 2003-04

19. केन्द्रीय सरकार का 2003-04 का बजट राजको-नीय समेकन पर नए सिरे से बल देते हुए प्रस्तुत किया गया है। राजस्व और व्यय का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के योजना परिव्यय के वित्तपो-ण के लिए संसाधनों की स्थिति बाद में प्रस्तुत की गई है। 2003-04 के लिए अनुमानों की तुलना 2002-03 के संशोधित अनुमानों के साथ की गई है।

20. **सरकार के राजस्व और व्यय के अनुमान - 2003-04** : 2003-04 के लिए केन्द्र की कुल ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति-यां अनुमानतः 285158 करोड़ रुपये होंगी जबकि अनुमानित समग्र व्यय 438795 करोड़ रुपये का है। तदनुसार दोनों के बीच के अन्तर को पाटने के लिए राजको-नीय घाटे का अनुमान 153637 करोड़ रुपये (अर्थात् जी.डी.पी. का 5.6 प्रतिशत) लगाया गया है। 2003-04 के लिए कुल 438795 करोड़ रुपये का व्यय 2002-03 के संशोधित अनुमानों की तुलना में नाम मात्र दृ-टि से 8.6 प्रतिशत अधिक है। योजना व्यय के लिए 120974 करोड़ रुपये का सकल बजट समर्थन 2002-03 के

संशोधित अनुमानों की तुलना में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। जहां योजना व्यय में 2002-03 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, योजनेतर व्यय में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। केन्द्र के 2003-04 के कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 2002-03 के संशोधित अनुमानों के 28.2 प्रतिशत के मुकाबले 27.6 प्रतिशत बैठता है। केन्द्रीय सरकार के व्यय का सारांश तालिका 10 में दिया गया है।

तालिका 10

केन्द्रीय सरकार के राजस्व और व्यय के अनुमान 2003-04 (आंकड़े करोड़ रुपये तथा प्रतिशत में)								
क्र.	मद	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	2003-04 की तुलना में बढ़ोतरी (+) कमी (-)			
					ब.अ.	%	सं.अ.	%
सं.		2002-03	2002-03	2003-04	2002-03	%	2002-03	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राप्तियां								
1	राजस्व प्राप्तियां (शुद्ध)	245105	236936	253935	8830	3.6	16999	7.2
1क	कर राजस्व (केन्द्र को शुद्ध)	172965	164177	184169	11204	6.5	19992	12.2
1ख	कर-भिन्न राजस्व	72140	72759	69766	-2374	-3.3	-2993	-4.1
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	31223	1543	5.2	9612	44.5
3	केन्द्र की कुल ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (1+2)	274785	258547	285158	10373	3.8	26611	10.3
व्यय								
4	योजनेतर व्यय	296809	289924	317821	21012	7.1	27897	9.6
5	योजना व्यय	113500	114089	120974	7474	6.6	6885	6.0
	योग में योजना व्यय का हिस्सा#	27.7 %	28.2 %	27.6 %				
6	कुल व्यय (4+5)	410309	404013	438795	28486	6.9	34782	8.6
राजको-नीय घाटा								
7	राजको-नीय घाटा	135524	145466	153637	18113	13.4	8171	5.6
7क	राजको-नीय घाटा/जी.डी.पी. अनुपात %	5.3%	5.9%	5.6%				

नोट - # कुल योजना व्यय का प्रतिशत

केन्द्र के संसाधनों का अनुमान 2003-04

21. **कर राजस्व** : 2003-04 के लिए सकल कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 251527 करोड़ रुपये (तालिका 11 में दर्शाए अनुसार) लगाया गया है जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रमुख करों, अर्थात् निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्र उत्पाद शुल्क की वसूली में 2002-03 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले क्रमशः 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। अन्य करों में जिनमें मुख्यतः सेवा कर शामिल है भारी वृद्धि होने की संभावना है।

तालिका 11

2002-03 के दौरान कर राजस्व तथा 2003-04 के बजट अनुमान (आंकड़े करोड़ रुपयों में)							
क्र.सं.	कर उपाय	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.	निम्न की तुलना में % बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
		2002-03	2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निगम कर	48616	44700	46281	51499	5.9	15.2
2	वैयक्तिक आयकर	42524	37300	36336	44070	3.6	18.2
3	सीमा शुल्क	45193	45500	44761	49350	9.2	8.5
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	91433	87383	82302	96791	5.9	10.8
5	अन्य	8034	7035	6363	9817	22.2	39.5
6	सकल कर राजस्व *(1 से 5 तक)	235800	221918	216044	251527	6.7	13.3
7	राज्यों का हिस्सा	61235	56141	56122	63758	4.1	13.6
8	शुद्ध कर राजस्व (7-8 - सी.सी.एफ.)	172965	164177	158311	184169	6.5	12.2

* आपदा आकस्मिकता निधि (सी.सी.एफ.) को अन्तरण शामिल है। 2002-04 के लिए इनका अनुमान 3600 करोड़ रुपये लगाया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन प्रमुख करों की प्राप्तियों के अनन्तिम अनुमान 2002-03 के बजट अनुमानों और साथ ही 2002-03 के संशोधित अनुमानों की तुलना में न्यून थे, 2003-04 के दौरान कर राजस्व के बजट अनुमानों की पूर्ति करना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। कर प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने और कर-आधार का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय बजट में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इन उपायों का सार बाक्स 1 में दिया गया है।

बाक्स 1

कर राजस्व के लिए परिकल्पित उपाय
अप्रत्यक्ष कर
<ul style="list-style-type: none"> ● वैट प्रणाली की शुरुआत। ● सेवाओं को कर व्यवस्था में शामिल करना।

- एक विवेकाधिकापूर्ण-मुक्त कर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए आई.टी. के प्रयोग में प्रमुख सुधार।

प्रत्यक्ष कर

- आयकर विभाग के गैर-महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को अन्य के सुपुर्द करना।
- छानबीन के लिए विवरणियों के विवेकाधिकार आधारित चयन की समाप्ति।
- फार्मा का युक्तियुक्तकरण करके कर दाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी लाना।
- विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से फाइल करने की व्यवस्था।

22. **कर-भिन्न राजस्व** : 2003-04 के दौरान कर-भिन्न राजस्व में 2002-03 (सं.अ.) के मुकाबले 2993 करोड़ रुपये की गिरावट आने की संभावना है। 2002-03 (सं.अ.) के मुकाबले ब्याज प्राप्तियों में 1411 करोड़ रुपये की, केन्द्रीय पी.एस.यू. रा-द्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांशों में 2333 करोड़ रुपये की गिरावट संभावित है। ब्याज प्राप्तियों में राज्यों/यू.टी. के ऋणों पर ब्याज, रेलवे के ऋणों पर ब्याज तथा अन्य ब्याज प्राप्तियां शामिल होती हैं। 2003-04 के लिए न्यून अनुमानों का प्रमुख कारण 'अन्य प्राप्तियों', अर्थात् पी.एस.यू., सांविधिक निकायों, विभागीय उपक्रमों के परिव्ययों तथा सरकारी कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का न्यून प्रोद्भावन है। संगत ब्योरे तालिका 12 में दिए गए हैं।

तालिका 12

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान 2003-04							
(आंकड़े करोड़ रुपयों और प्रतिशत में)							
क्र.सं.	मद	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.	निम्न की तुलना में %	
		2002-03	2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्याज प्राप्तियां	41660	40571	37224	39160	-2500	-1411
2	लाभांश और लाभ	18805	20194	21229	17861	-944	-2333
3	यू.टी. का एन.टी.आर.	508	523	530	546	38	23
4	अन्य कर-भिन्न राजस्व*	11167	11471	13591	12199	1032	728
5	कुल - एन.टी.आर.आर.	72140	72759	72574	69766	-2374	-2993

* अन्य एन.टी.आर.आर. में विदेशी अनुदान शामिल हैं।

23. **ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां** : ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के संबंध में 2003-04 के लिए अनुमान तालिका 13 में दिए गए हैं। 18023 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली 2002-03 के संशोधित अनुमानों में प्राप्त स्तर के मुकाबले किंचित न्यून (-228 करोड़ रुपये) है। 2003-04 के दौरान विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि का लक्ष्य 13200 करोड़ रुपये रखा गया है। यह लक्ष्य 2002-03 के लिए तय किए गए लक्ष्य से भी उच्चतर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कारण प्राप्त होने वाली राशि 2002-03 के दौरान अनुमानित बजट की तुलना में बहुत ही कम थी, 2003-04 के लिए तय किए गए उच्चतर लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त विशि-ट प्रयास किए जाने होंगे।

तालिका 13

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2003-04 (आंकड़े करोड़ रुपयों तथा प्रतिशत में)							
क्र.सं.		ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.	निम्न की तुलना में % बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
		2002-03	2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ.	सं.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ऋणों की वसूली	17680	18251	34282	18023	343	-228
2	विनिवेश	12000	3360	3150	13200	1200	9840
3	योग - ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	37432	31223	1543	9612

24. **योजनेतर व्यय** : 2003-04 के बजट अनुमानों में योजनेतर व्यय को लेकर 2002-03 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। वास्तविक अर्थों में यह वृद्धि 27897 करोड़ रुपये की है।

25. योजनेतर राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी व्यय सहित) में 26446 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है जिसमें से अकेले ब्याज की देनदारी 7560 करोड़ रुपये, अर्थात् 6.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। रक्षा सम्बन्धी परिव्यय (राजस्व और पूंजी) में 9300 करोड़ रुपये ही वृद्धि होने की संभावना है। सब्सिडियों का अनुमान 44618 करोड़ रुपये के मुकाबले 49907 करोड़ रुपये का लगाया गया है जो कि 5289 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) की बढ़ोतरी का परिचायक है। ब्योरे तालिका 14 में दिए गए हैं।

26. ब्याज भुगतान सम्बन्धी योजनेतर व्यय की वृद्धि पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय बजट 2003-04 प्रस्तुत करते समय विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई थी। इन उपायों में ये शामिल हैं : महंगे ब्याज वाले घरेलू ऋणों की वापिस खरीद, कतिपय महंगे विदेशी ऋणों की समय-पूर्व भुगतान और केन्द्र के खर्च करने वाले प्रमुख मंत्रालयों में नकदी प्रबन्धन प्रणाली लागू करना। राज्य सरकारों पर ब्याज भुगतान का भार कम करने के लिए केन्द्र ने एक ऋण विनिमय स्कीम लागू करने की भी घोषणा की है।

27. **चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.) तथा पूंजी प्राप्तियों से शे-1 (बी.सी.ए.पी.)** : बी.सी.आर. और बी.सी.ए.पी. मिलकर ऋण लिए बिना योजना व्यय के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजटीय संसाधन निर्धारित करते हैं।

28. **चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.)** : अनुमान है कि 2003-04 में राज्यों से अन्तरण के बाद केन्द्र की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां 253935 करोड़ रुपये होगी और योजनेतर राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी सहित) 310337 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस प्रकार 2003-04 के दौरान बी.सी.आर. अनुमानतः (-) 56402 करोड़ रुपये होगा। वास्तविक अर्थों में 2003-04 के लिए राजस्व प्राप्तियों में 2002-03 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 16999 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी जबकि योजनेतर व्यय (रक्षा पूंजी सहित) में 2002-03 के तदनुसूची संशोधित अनुमानों के मुकाबले 26446 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस प्रकार अनुमानित राजस्व और योजनेतर व्यय का आशय यह है कि 2002-03 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले चालू राजस्व से शे-1 में 9447 करोड़ रुपये की हानि होगी। ब्योरे तालिका 14 में दिए गए हैं।

तालिका 14

चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.) 2003-04 (आंकड़े करोड़ रुपयों में)							
क्र.सं.	मद	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.	निम्न की तुलना में % बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
		2002-03	2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व प्राप्तियां	245105	236936	230885	253935	8830	16999
2	योजनेतर राजस्व व्यय*	291581	283891	280236	310337	18756	26446
क.	ब्याज	117390	115663	115630	123223	5833	7560
ख.	रक्षा (रक्षा पूंजी सहित)	65000	56000	55455	65300	300	9300
ग.	सब्सिडियां	39801	44618	40414	49907	10106	5289
घ.	अन्य	69390	67610	68736	71907	2517	4297
3	बी.सी.आर. (1-2)	-46476	-46955	-49351	-56402	-9926	-9447
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शे-1 (बी.सी.ए.पी.) 2003-04							
4	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	29680	21611	37432	31223	1543	9612
5	योजनेतर पूंजी व्यय	5229	6033	20651	7484	2255	1451
6	बी.सी.ए.पी. (4+5)	24451	15578	16781	23739	-712	8161

*रक्षा पूंजी सहित

29. 2003-04 के दौरान ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों (बी.सी.ए.पी.) से शे-1 : ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और योजनेतर पूंजी व्यय से संबंधित 2003-04 के बजट/वार्षिक योजना अनुमान तथा 2002-03 के लिए तदनुसूची अनन्तिम लेखे तालिका 14 में दिए गए हैं। वर्ष 2003-04 के लिए योजनेतर पूंजी व्यय (रक्षा पूंजी को छोड़कर) का अनुमान 7484 करोड़ रुपये लगाया गया है। यह अनुमान 2002-03 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 2255 करोड़ रुपये और 1451 करोड़ रुपये की वृद्धि का परिचायक है। बी.सी.ए.पी. में यह वृद्धि विशेष रूप से विनिवेश से ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में वृद्धि पर आधारित होगी।

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए सकल बजट समर्थन का केन्द्र द्वारा वित्तपोषण

30. चालू राजस्व से शेष (-) 56402 करोड़ रुपये और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष 23739 करोड़ रुपये अनुमानित है। 153637 करोड़ रुपये के अनुमानित राजको-नीय घाटे को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2003-04 के लिए सकल बजट समर्थन 120974 करोड़ रुपये रखा गया है। सकल बजट समर्थन तथा केन्द्र की वार्षिक योजना के वित्तपो-ण की स्कीम तालिका 15 में दी गई है।

31. **राज्यों और यू.टी. योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता** : वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्र द्वारा कुल जी.बी.एस. में से राज्य और यू.टी. योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 48822 करोड़ रुपये होगी जबकि केन्द्र की योजना के लिए बजट समर्थन अनुमानतः 72152 करोड़ रुपये का होगा। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए केन्द्र द्वारा समग्र जी.बी.एस. में, राज्य और यू.टी. योजना की केन्द्रीय सहायता का हिस्सा 2002-03 के संशोधित अनुमानों के 40.3 प्रतिशत के मुकाबले 40.6 प्रतिशत है।

तालिका 15

केन्द्र की वार्षिक योजना के जी.बी.एस. के वित्तपो-ण की स्कीम 2003-04 (आंकड़े करोड़ रुपयों में)							
क्र.सं.	संसाधन	ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.	निम्न की तुलना में % बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
		2002-03	2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	-46476	-46955	-49351	-56402	-9926	-9447
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष	24451	15578	16781	23739	-712	8161
3	राजको-नीय घाटा	135524	145466	144647	153637	18113	8171
4	योजना के लिए सकल बजट समर्थन	113499	114089	112076	120974	7475	6885
5	राज्य तथा यू.टी. योजनाओं के लिए सहायता	46629	45871	43367	48822	2193	2951
	कुल जी.बी.एस. में % हिस्सा	41.1	40.2	38.7	40.35		
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजट समर्थन	66870	68218	68710	72152	5282	3934
		58.9	59.8	61.3	59.65		

32. **विदेशी सहायता** : सकल विदेशी सहायता 2002-03 (सं.अ.) के 12695 करोड़ रुपये के मुकाबले अनुमानतः 14664 करोड़ रुपये होगी जो कि 2002-03 में प्राप्त सकल सहायता की तुलना में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि की परिचायक है। 2003-04 के लिए अनुमानित सकल विदेशी सहायता योजना के लिए केन्द्र द्वारा जी.बी.एस. का 12 प्रतिशत बैठती है।

तालिका 16

विदेशी ऋण और अनुदान तथा शुद्ध विदेशी सहायता (आंकड़े करोड़ रुपयों में)						
क्र.सं.	मद	2002-03 ब.अ.	2002-03 सं.अ.	2003-04 ब.अ.	निम्न की तुलना में % बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
					ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋण	11334	11713	13203	1869	1490
2	अनुदान	859	982	1461	602	479
3	सकल विदेशी सहायता	12193	12695	14664	2471	1969
4	वापसी अदायगी (मूलधन)	10563	25209	9621	-942	-15588
5	शुद्ध विदेशी सहायता*	1630	-12514	5043	3413	17557
6	जी.बी.एस. के % के रूप में सकल विदेशी सहायता	10.7 %	11.1 %	12.1 %		

* शुद्ध विदेशी सहायता में विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं है।

33. **केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के लिए वार्षिक योजना 2003-04** : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) सहित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए 2003-04 के निमित्त 147893 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना परिव्यय मंजूर किया गया है जिसमें 72152 करोड़ रुपये का सकल बजट समर्थन और सी.पी.एस.ई. के 75741 करोड़ रुपये के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधन (आई.ई.बी.आर.) शामिल हैं। सी.पी.एस.ई. के लिए बजट समर्थन का आबंटन 15137 करोड़ रुपये है जबकि जी.बी.एस. का 57015 करोड़ रुपये की बकाया राशि केन्द्रीय मंत्रालयों की विभागीय स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

तालिका 17

केन्द्र की वार्षिक योजना 2003-04 (आंकड़े करोड़ रुपयों में)						
क्र.सं.	मद	ब.अ.*	सं.अ.	ब.अ.	बढ़ोतरी (+) कमी (-)	
		2002-03	2002-03	2003-04	ब.अ.	सं.अ.
1	2	3	4	5	6	7

1	बजट समर्थन - जिसमें से कुल	66871	68219	72152	5281	3933
1क	सी.पी.एस.ई. को बजट समर्थन	13389	15232	15137	1748	-95
2	सी.पी.एस.ई. का आई.ई.बी.आर.	77167	68648	75741	-1426	7093
3	योजना परिव्यय/सी.पी.एस.ई. का निवेश (1क+2)	90556	83880	90878	322	6998
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	144038	136867	147893	3855	11026

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा योजना निवेश अनुमान 2003-04

34. केन्द्र की वार्षिक योजना 2003-04 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 90878 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है और यह राशि केन्द्र की 2003-04 की योजना का 61 प्रतिशत बैठती है। चालू वर्ष में सी.पी.एस.ई. द्वारा योजना निवेश 2002-03 के संशोधित अनुमानों की तुलना में नाम मात्र दृष्टि से 8.3 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। सी.पी.एस.ई. के लिए 2003-04 का 15137 करोड़ रुपये का बजट समर्थन उद्यमों द्वारा योजना निवेश का 17 प्रतिशत बैठता है। शे-न का वित्तपोषण उद्यमों के आई.ई.बी.आर. में से किया जाना है। 2003-04 के दौरान सी.पी.एस.ई. द्वारा योजना निवेश के वित्तपोषण के ब्योरे तालिका 18 में दिए गए हैं।

तालिका 18

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पूंजी निवेश का वित्तपोषण - वार्षिक योजना 2003-04					
(आंकड़े करोड़ रुपयों में)					
क्र.सं.	वित्त का स्रोत	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03	ब.अ. 2003-04	प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6
I.	बजट समर्थन (i+ii)	13389	15232	15137	16.7
	i. इक्विटी	12195	11967	12661	13.9
	ii. ऋण	1194	3265	2476	2.7
II.	आन्तरिक संसाधन	39527	38836	37476	41.2
III.	ऋण (i+ii+iii)	37640	29812	38265	42.1
	i. बन्ध पत्र/ऋण पत्र	21778	17123	18247	20.1
	ii. ई.सी.बी./आपूर्तिकर्ता की जमा	5050	2720	4376	4.8
	iii. अन्य	10812	9969	15642	17.2
IV.	कुल योजना परिव्यय (I+II+III)	90555	83880	90878	100.0

35. अकेले आन्तरिक संसाधन सी.पी.एस.ई. द्वारा पूंजी निवेश के 41 प्रतिशत और ऋण योजना परिव्यय के 42 प्रतिशत बैठते हैं। आन्तरिक संसाधन जुटाने की सी.पी.एस.ई. की क्षमता का, बजट-बाह्य संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आंतरिक संसाधन स्थिति, सी.पी.एस.ई. द्वारा अपनी परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए अपेक्षित अन्य उपायों सहित बहुत सीमा तक उनके द्वारा योजना निवेश की समग्र पूर्ति का निर्धारण करेगी। अतः सी.पी.एस.ई. के योजना निवेश की वसूली की ओर संकेन्द्रित ध्यान देना होगा। तालिका 19 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले

सी.पी.एस.ई. के आई.ई.बी.आर. के ब्योरे दिए गए हैं जो कि समग्र आई.ई.बी.आर. का 82 प्रतिशत बैठते हैं। कुछेक प्रमुख सी.पी.एस.ई. के 2003-04 के लिए आई.ई.बी.आर. अनुमान संलग्नक 3 में दिए गए हैं।

तालिका 19

वार्षिक योजना 2003-04 - सी.पी.एस.ई. का ब.अ. आई.ई.बी.आर./प्रतिशत अंश (आंकड़े करोड़ रुपयों में)						
क्र.सं.	सी.पी.एस.ई.	आई.आर.	बंध पत्र/ऋण पत्र	ई.सी.बी.	अन्य	कुल आई.ई.बी. आर.
1	2	3	4	5	6	7
1	संचार	8882	1536	0	4460	14877
2	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	15075	500	0	7157	22731
3	रेलवे	3341	3000	0	0	6341
4	विद्युत	2108	4899	2936	1223	11168
5	कोयला	2298	0	0	737	3035
6	इस्पात	769	0	0	682	1450
7	खान	503	0	0	151	654
8	नौवहन	767	0	1284	69	2120
	योग	33743	9935	4220	14479	62376
	सभी सी.पी.एस.ई. का सकल योग	37476	18247	4376	15642	75741

वार्षिक योजना : राज्य

वार्षिक योजना 2002-03 : समीक्षा

36. सभी राज्यों तथा विधान मण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03, 1,01,327¹ करोड़ रुपये के समग्र संसाधनों सहित 1,02,181 करोड़ रुपये पर मंजूर की गई थी। अनुमोदित योजना के समग्र संसाधनों में राज्य के अपने संसाधनों (एस.ओ.आर.) के रूप में 47,248 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में 54,079 करोड़ रुपये शामिल हैं। संसाधनों के ताजा अनुमान 84,659 करोड़ रुपये निकाले गए जो कि अनुमोदित अनुमान की तुलना में 16.4% न्यून है। संसाधन जुटाने तथा अनुमोदित योजना के सन्दर्भ में एल.ई. स्तर पर में योजना के वित्तपोषण की संरचना नीचे तालिका 20 से देखी जा सकती है।

¹ अनुमोदित परिव्यय और समग्र संसाधनों के बीच असंतुलन का कारण केरल का 457.77 करोड़ रुपये का विद्युत क्षेत्र का परिव्यय है जिसे संसाधनों तथा जम्मू व कश्मीर के सम्बन्ध में 398.66 करोड़ रुपये के संसाधन अन्तर में शामिल नहीं किया गया था।

तालिका 20

वार्षिक योजना 2002-03 : समग्र संसाधन (करोड़ रुपये)			
संसाधन	ए.पी.	एल.ई.	% वसूली
1. राज्य के अपने संसाधन (एस.ओ.आर.) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	47247.79 (46.63)	37491.23 (44.28)	79.35
2. केन्द्रीय सहायता (सीए) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	54079.52 (53.37)	47168.24 (55.72)	87.22
3. समग्र संसाधन (1+2) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	101327.31 (100.00)	84659.47 (100.00)	83.55

राज्य के अपने संसाधन

37. राज्य के अपने संसाधनों (एस.ओ.आर.) में मुख्यतः दो समूह शामिल थे, अर्थात् (क) ऋण-भिन्न संसाधन और (ख) शुद्ध विविध पूंजी प्राप्तियों (एम.सी.आर.) सहित उधार लिए गए संसाधन। ऋण-भिन्न संसाधनों में ये शामिल हैं : चालू राजस्व से शेन (बी.सी.आर.), सरकारी उद्यमों से अंशदान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना अनुदान, डी.सी.एच.-सी.एम. स्तरीय बैठक के दौरान जिन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का वचन दिया गया है तथा अवशेन का समायोजन। वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों में शामिल हैं : भवि-य निधियां, एम.सी.आर. (शुद्ध), शुद्ध लघु बचत संग्रहों का हिस्सा, एस.एल.आर. आधारित बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से बातचीत के जरिए लिए गए ऋण तथा राज्य सरकार उद्यमों द्वारा जारी बन्ध पत्र/ऋण पत्र। वार्षिक योजना 2002-03 के वित्तपोषण के लिए राज्य के अपने संसाधनों की संरचना का सार तालिका 21 में तथा एस.ओ.आर. के ब्योरे तालिका 22 में दिए गए हैं।

तालिका 21

वार्षिक योजना 2002-03 : राज्य के अपने संसाधन (करोड़ रुपये में)		
संसाधन	ए.पी.	एल.ई.
1. ऋण-भिन्न अपने संसाधन (एस.ओ.आर. के % के रूप में)	-30204.38 (-63.93)	-44050.55 (-117.50)
2. उधार लिए गए अपने संसाधन	77452.17	81541.78

(एस.ओ.आर. के % के रूप में)	(163.93)	(217.50)
3. राज्यों के अपने संसाधन (एस.ओ.आर.)	47247.79	37491.23
(1+2) (एस.ओ.आर. के % के रूप में)	(100.00)	(100.00)

38. **चालू राजस्व से शे-1 (बी.सी.आर.)** : चालू राजस्व से शेन (बी.सी.आर.) योजनेतर राजस्व लेखाओं में अधिशेष-न/घाटे को समाहित कर लेता है जो कि योजना संसाधनों में वृद्धि अथवा कमी लाते हैं। अनुमोदित वार्षिक योजना 2002-03 में बी.सी.आर. का अनुमान (-) 33,308 करोड़ रुपये लगाया गया है जो कि राजस्व प्राप्तियों में लगभग 5.3 प्रतिशत की गिरावट के कारण ताजा अनुमानों के अनुसार घट कर (-) 40,379 करोड़ रह गया है। योजनेतर राजस्व व्यय भी अनुमोदित अनुमान की तुलना में कम रहा है किन्तु राजस्व प्राप्तियों में कमी की तुलना में जिनके फलस्वरूप बी.सी.आर. में 21.2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, किंचित मात्रा में लगभग 1.9 प्रतिशत कम रहा है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए विस्तृत बी.सी.आर. संलग्नक 6 में दिए गए हैं।

39. **सरकारी उद्यमों का अंशदान** : राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एस.एल.ई.पी.) की योजना के लिए संसाधनों में उनके आंतरिक संसाधन, वित्तीय संस्थानों से बातचीत के जरिए प्राप्त किए गए ऋण तथा उद्यमों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र/बन्ध पत्र शामिल हैं। सरकारी उद्यमों के अंशदान में मुख्यतः राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों (एस.आर.टी.सी.) के आन्तरिक संसाधन शामिल रहते हैं। अधिकांश राज्यों ने सरकारी उद्यमों का सुधार करना पहले ही शुरू कर दिया है तथा टी. और डी. हानियों को कम करने और टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में प्रगति तेजी पकड़ रही है। हालांकि बेहतर वित्तीय स्थिति के रूप में सकारात्मक परिणाम अभी देखने में नहीं आए हैं लेकिन अंततः चले आ रहे विद्युत क्षेत्र सुधार से राज्यों की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार होने और साथ ही उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचने की संभावना है। ए.आर.एम. सहित एस.ई.बी. और एस.आर.टी.सी. का राज्य-वार अंशदान संलग्नक 7 और 8 में प्रस्तुत है।

40. **अन्य ऋण-भिन्न संसाधन** : अन्य ऋण-भिन्न संसाधनों में ये शामिल हैं : वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना अनुदान, अवशेष-न का समायोजन तथा नकद बकाया अथवा आरक्षित निधियों का आहरण, स्थानीय निकायों का शुद्ध अतिशेष तथा ऐसे अतिरिक्त संसाधन जिनका अनुमोदित योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय जुटाने का वचन दिया गया था। राजस्व उपायों के माध्यम से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधन बाद में राज्यों के योजनेतर राजस्व का हिस्सा बन जाते हैं।

41. **विविध पूंजी प्राप्तियां (एम.सी.आर.) शुद्ध** : विविध पूंजी प्राप्तियां (एम.सी.आर.) शुद्ध समग्र योजनेतर पूंजी वितरण के बाद शुद्ध सरकारी लेखे (भवि-य निधि से इतर) सहित कुल योजनेतर पूंजी प्राप्तियां (ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो कि योजना वित्त का हिस्सा नहीं बनती) का शे-1 दर्शाती हैं। एम.सी.आर. शुद्ध के वितरण पक्ष के प्रमुख घटकों में ऋणों और अग्रिमों की वापसी तथा आन्तरिक ऋण और योजनेतर पूंजी परिव्यय शामिल होते हैं। ताजा अनुमानों के अनुसार एम.सी.आर. (शुद्ध) में अनुमोदित स्तर की तुलना में 785 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिसका संभावित कारण ऋण-विनिमय है जिससे सामान्य वापसियां घट जाती हैं।

42. **भवि-य निधियां** : सरकारी लेखे में भवि-य निधियों का शुद्ध प्रोद्भवन योजना वित्त का एक महत्वपूर्ण घटक है। शुद्ध प्रोद्भवन पर निर्भर करते हुए भवि-य निधि, योजना में घनात्मक अथवा

ऋणात्मक संसाधनों का योगदान दे सकती है। अनुमोदित वार्षिक योजना 2002-03 में राज्य भविष्य निधि का अनुमान 12,368 करोड़ रुपये, जुटाई गई राशि कम अर्थात् 10,065 करोड़ रुपये रही।

43. **लघु बचत संग्रहों के बदले ऋण** : राज्य योजना के वित्तपोषण के लिए लघु बचतें मुख्य साधन रहीं और ताजा अनुमानों के अनुसार समग्र योजना संसाधनों में उनका हिस्सा, अनुमोदित योजना में 41 प्रतिशत अनुमान के मुकाबले 55 प्रतिशत रहा। भारत सरकार के 2002-03 के बजट में लघु बचतों के समग्र शुद्ध संग्रह को राज्यों को अन्तरित किए जाने की घोषणा की गई थी जबकि वर्तमान में 80% अन्तरण किया जाता है। घटती ब्याज दर व्यवस्था का लाभ राज्यों को पहुंचाने के प्रयास में राज्यों के समूचे शुद्ध संग्रह के 20% हिस्से का प्रयोग ऋण विनिमय स्कीम के अधीन महंगे ऋणों की वापसी के लिए किया गया। 2002-03 के दौरान इस स्कीम के अधीन 26 राज्यों के महंगे ऋणों की वापसी के लिए लघु बचत की 3,766 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग किया गया।

44. **एस.एल.आर. आधारित बाजार ऋण** : आरम्भ में राज्यों की योजना के वित्तपोषण के लिए आबंटित एस.एल.आर. आधारित शुद्ध बाजार ऋण 13,635 करोड़ रुपये था जिसे कुछ राज्यों को किए गए अतिरिक्त आबंटनों के कारण बढ़ा कर 18,895 करोड़ रुपये कर दिया गया। वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए सामान्य बाजार ऋण के अलावा ऋण-विनिमय स्कीम के अधीन 26 राज्यों से 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन भी किए गए।

45. **बातचीत के जरिए लिए गए ऋण और अग्रिम** : राज्य सरकारों तथा उनके सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए एल.आई.सी., जी.आई.सी., नाबार्ड, आई.डी.बी.आई., आर.ई.सी., हुडको तथा एन.सी.डी.पी. जैसे वित्तीय संस्थानों से बातचीत के जरिए ऋण और अग्रिम लिए जाते हैं। अनुमोदित वार्षिक योजना 2002-03 में 15,142 करोड़ रुपए बातचीत के जरिए लिए गए ऋणों में शामिल थे तथा जुटाई गई राशि, नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14,153 करोड़ रुपए थी

46. **ऋण पत्र/बन्ध पत्र** : ऋण पत्रों/बन्ध पत्रों के अधीन संसाधनों के रूप में वार्षिक योजना अनुमान में 12,103 करोड़ रुपये के मुकाबले 7983 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई जो कि 4,120 करोड़ रुपये की कमी दर्शाता है। कुछ समय पहले तक राज्य सरकारों ने विद्युत, परिवहन और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में अपने योजना व्यय के वित्तपोषण के लिए बन्ध पत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऋण जुटाने का मार्ग अपनाया है। ये बन्ध पत्र एस.एल.पी.ई. तथा राज्य सरकार की गारंटी सहित विशेष प्रयोजन वाहनों (एस.पी.वी.) के जरिए जारी किए जाते हैं। संसाधन जुटाने का ये तरीके जिसे कभी 'नवाचारी' माना जाता था अब इस कारण एक प्रमुख चिन्ता का कारण बन गया है कि इन अधिकांश गारंटीयुक्त बन्ध पत्रों का सेवाभार राज्य सरकारों पर पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन राज्यों ने वित्त मंत्रालय के साथ मध्य अवधि के मौद्रिक सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे वे अब अपने सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों/बन्ध पत्रों के मामले में वर्न-वार ऊपरी सीमाएं लागू करने को सहमत हो गए हैं। राज्यों की अपनी वार्षिक योजना 2002-03 के वित्तपोषण के लिए राज्यों के अपने संसाधनों के मद-वार ब्योरे नीचे तालिका 22 में दिए गए हैं।

तालिका 22

वार्षिक योजना 2002-03 : राज्यों के अपने संसाधन (करोड़ रुपये)		
संसाधन	ए.पी.	एल.ई.
ए. ऋण-भिन्न संसाधन (1 से 5 तक)	-30,204.38	-44,050.55
1. चालू राजस्व से शेष	-33,308.28	-40,378.90
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-3,422.97	-6,160.72
3. वित्त आयोग से योजना अनुदान	3,273.69	3,289.58
4. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ए.आर.एम.)	1,641.39	476.92
5. अवशेष का समायोजन और अन्य संसाधन	1,611.79	-1,277.43
बी. राज्य के उधार लिए गए अपने संसाधन (1 से 6 तक)	77,452.17	81,541.78
1. विविध पूंजी प्राप्तियां (एमसीआर) शुद्ध	-16,882.21	-16,097.19
2. भविष्य निधियां	12,367.52	10,065.15
3. शुद्ध लघु बचत संग्रह	41,086.50	46,542.65
4. शुद्ध एस.एल.आर. आधारित ऋण	13,634.58	18,895.38
5. बातचीत के जरिए लिए गए ऋण तथा अग्रिम	15,142.42	14,152.53
6. ऋण पत्र/बन्ध पत्र	12,103.35	7,983.26
सी. राज्य के अपने संसाधन (ए+बी)	47,247.79	37,491.23

केन्द्रीय सहायता

47. 2002-03 के बजट में सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.) के अधीन राज्यों के लिए 20,172 करोड़ रुपये और विधान मण्डलों सहित संघ शासित क्षेत्रों के लिए 538 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। संशोधित अनुमान क्रमशः 18,711 करोड़ रुपये और 753 करोड़ रुपये (संलग्नक 4) थे। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित वित्तपोषण पद्धति में एन.सी.ए. का अनुमान 19,517 करोड़ रुपये लगाया है जो कि ताजा अनुमानों के अनुसार, 19,491 करोड़ रुपये (तालिका 23) रहा। बजट आबंटन और वार्षिक योजना के वित्तपोषण की स्कीम के बीच का अन्तर का कारण राज्यों की स्कीम/परियोजना विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिन्हें अन्य केन्द्रीय सहायता के साथ जोड़ दिया गया था, एनसीए के समग्र आबंटन से अलग रखी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) है।

48. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.) के निमित्त बजट 2002-03 का प्रावधान 6,500 करोड़ रुपये था जिसे बाद में संशोधित करके 8,721 करोड़ रुपये कर दिया गया। राज्यों की वार्षिक योजना के वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम में कुछेक राज्यों के लिए संरचनात्मक समायोजन ऋण सहित 18,727 करोड़ रुपये की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। संसाधनों के ताजा अनुमानों के अनुसार ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए. की वसूली 11,201 करोड़ रुपये थी। अनुमोदित योजना में विदेशी सहायता के आशापूर्ण अनुमानों के बावजूद अधिकांश राज्यों में वास्तविक वसूली उतनी उत्साहपूर्ण नहीं रही है। सच तो यह है कि यह देखा गया है कि केन्द्रीय सहायता में कमी का प्रमुख कारण अनुमोदित योजना के अनुमानों के सन्दर्भ में विदेशी सहायता का न्यून अवशोषण रहा है।

49. क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता, विशेष-केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्य केन्द्रीय सहायता के साथ जोड़ दी गई थी। इन मदों के अधीन निधियां प्रकृति से मुख्यतः स्कीम/परियोजना विशिष्ट होती हैं। हाल ही में कतिपय सुधार-सम्बद्ध निधियां, जैसे कि त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.), विकास सुधार सुविधा (डी.आर.एफ.) जिसे अब रा-ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) का नाम दे दिया गया है, राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अधीन उपलब्ध करा दी गई हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्रीय सहायता का सारांश नीचे तालिका 23 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 23

वार्षिक योजना 2002-03 (ए.पी. तथा एल.ई.) : केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)		
संसाधन	ए.पी.	एल.ई.
1. सामान्य (फार्मूला आधारित) केन्द्रीय सहायता	19516.74	19491.17
2. ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.	18727.29	11201.46
3. अन्य केन्द्रीय सहायता	15835.49	16475.61
4. कुल केन्द्रीय सहायता (1 से 3 तक)	54079.52	47168.24

दसवीं योजना अनुमानों के सन्दर्भ में संसाधन जुटाने में प्रगति

50. 28 राज्यों और विधान मण्डलों वाले संघ शासित क्षेत्रों के लिए 5,86,479 करोड़ रुपये के अनुमोदित दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय में 2001-02 के मूल्यों पर 5,83,376 करोड़ रुपये के समग्र संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। मात्र 13.8 प्रतिशत के समग्र संसाधन जुटाए जाने के सन्दर्भ में अपने ऋण-भिन्न संसाधनों में गिरावट पहले ही दसवीं योजना अनुमानों की तुलना में 64.6 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है और अकेले प्रथम वर्न में स्वयं अपने उधार लिए गए संसाधनों में से 21.9 प्रतिशत जुटाए गए हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना की शेष वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के स्तर में जबरदस्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। दसवीं योजना के प्रथम वर्न, अर्थात् 2002-03 में दसवीं योजना अनुमानों के मुकाबले संसाधन जुटाने में राज्यों का नि-पादन नीचे तालिका 24 में दर्शाया गया है।

² यह असन्तुलन केरल के 3102.40 करोड़ रुपये के विद्युत क्षेत्र परिव्यय के कारण है जिसे दसवीं योजना के वित्तपोषण की अनुमानित स्कीम में शामिल नहीं किया गया था।

तालिका 24

दसवीं योजना : संसाधन जुटाने में प्रगति			
संसाधन	दसवीं योजना	वार्षिक योजना	% वसूली
	अनुमान	2002-03 (एल.ई.)	
	(2001-02 के मूल्यों पर करोड़ रुपयों में)		
ए. राज्य के अपने संसाधन (1+2) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	329192.17 (56.43)	35705.93 (44.28)	10.85
1. ऋण-भिन्न संसाधन (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	-25486.21 (-4.37)	-41952.91 (-52.03)	164.61
2. उधार लिए गए संसाधन (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	354678.38 (60.80)	77658.84 (96.32)	21.90
बी. केन्द्रीय सहायता (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	254184.76 (43.57)	44922.13 (55.72)	17.67
सी. समग्र संसाधन (ए+बी) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	583376.93 (100.00)	80628.06 (100.00)	13.82

वार्षिक योजना 2003-04

51. सभी राज्यों और विधान मण्डलों वाले संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2003-04, 106921³ करोड़ रुपये के समग्र संसाधनों सहित 107,400 करोड़ रुपये पर मंजूर की गई थी। समग्र संसाधनों में राज्य के अपने संसाधनों के रूप में 47,258 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में 59,663 करोड़ रुपये शामिल हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के सन्दर्भ में अनुमोदित वार्षिक योजना 2003-04 की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 25 में दर्शाई गई है।

तालिका 25

वार्षिक योजना 2003-04 : समग्र संसाधन (करोड़ रुपयों में)			
संसाधन	2002-03 (ए.पी.)	2003-04 (ए.पी.)	प्रतिशत वृद्धि
1. राज्यों के अपने संसाधन (एस.ओ.आर.)	47247.79	47258.56	0.02

(समग्र संसाधनों के % के रूप में)	(46.63)	(44.20)	
2. केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	54079.52 (53.37)	59662.70 (55.80)	10.32
3. समग्र संसाधन (1+2) (समग्र संसाधनों के % के रूप में)	101327.31 (100.00)	106921.26 (100.00)	5.52

³ अनुमोदित परिव्यय और समग्र संसाधनों के बीच असन्तुलन का कारण केरल के 640 करोड़ रुपये का विद्युत क्षेत्र परिव्यय जिसे वित्तपोषण की स्कीम में शामिल नहीं किया गया था और एन.सी.टी. दिल्ली से सम्बन्धित 161.18 करोड़ रुपये के अधिशेष संसाधन हैं।

राज्यों के अपने संसाधन

52. अनुमान है कि राज्यों के अपने संसाधन (एस.ओ.आर.) पिछले वर्न की अनुमोदित योजना के मुकाबले दो प्रतिशत से तनिक कम रहेंगे। एस.ओ.आर. के ब्योरे संवर्धित बी.सी.आर. के कारण पिछले वर्न की तुलना में ऋण-भिन्न संसाधनों में सुधार तथा उधार लिए गए संसाधनों में गिरावट दर्शाते हैं।

53. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए चालू राजस्व से शेन (बी.सी.आर.) में 2002-03 (एल.ई.) की तुलना में योजनेतर राजस्व प्राप्तियों में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि मानी गई है। कर-भिन्न राजस्व में पिछले वर्न की तुलना में 31.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि आशाजनक तो लगती है किन्तु राज्यों द्वारा प्रदत्त बहुविध सेवाओं की राजस्व संभावनाओं और खनिजों संबंधी रायल्टी में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण असंभव प्रतीत नहीं होती। योजनेतर राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान और पेंशनों - दोनों में से प्रत्येक में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि चिन्ता का कारण है। 2002-03 से लागू की गई ऋण-विनिमय स्कीम तथा एम.टी.एफ.आर.पी. के लिए वित्त मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन के आधार पर नए ऋणों सम्बन्धी सीमा के कारण राज्यों पर ब्याज भार में राहत मिलने की संभावना है। तथापि तात्कालिक आवश्यकता पेंशन सुधारों के सम्बन्ध में प्रगति को आगे बढ़ाने की है।

54. राज्य स्तरीय सरकारी उद्यम (एस.एल.ई.पी.) राज्यों के योजना संसाधनों पर बोझ बने रहे। कई राज्यों ने सरकारी उद्यमों के सुधार, निजीकरण अथवा समापन की दिशा में गम्भीर उपाय किए हैं। पिछले कुछ वर्नों में विद्युत क्षेत्रक सुधार ने, भारत सरकार की सक्रिय सहायता से अच्छी प्रगति की है। अधिकांश राज्यों ने अब स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोग (ई.आर.सी.) की स्थापना कर दी है अथवा अधिसूचित कर दिया है और कई राज्यों में ई.आर.सी. ने टैरिफ सिफारिशों की हैं जिन्हें यथावत रूप में कार्यान्वित किया गया है।

55. चालू वर्न में राज्यों के अपने ऋणों का जो अनुमान था वह मुख्यतः एम.सी.आर. नेट में गिरावट तथा न्यून बन्ध पत्रों/ऋण पत्रों के कारण 2002-03 की अनुमोदित योजना के मुकाबले कम हुआ है। वार्षिक योजना 2003-04 लिए संसाधन निर्धारण ने भी राज्यों के ऋणों को मध्यम अवधि मौद्रिक सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के लिए नियत सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया है ताकि ऋणों का संधारणीय स्तर बनाए रखा जा सके। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए अनुमानित राज्यों के अपने संसाधनों के ब्योरे नीचे तालिका 26 में दिए गए हैं।

तालिका 26

वार्षिक योजना 2003-04 : राज्यों के अपने संसाधन (करोड़ रुपये)	
संसाधन	ए.पी.
ए. राज्यों के ऋण-भिन्न संसाधन (1 से 5 तक)	-27051.01
1. चालू राजस्व से शेन (बीसीआर)	-28120.11
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-4053.71
3. वित्त आयोग से योजना अनुदान	1275.16
4. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ए.आर.एम.)	3283.91
5. अवशेष का समायोजन और अन्य संसाधन	563.74
बी. राज्य के उधार लिए गए अपने संसाधन (1 से 6 तक)	74309.57
1. विविध पूंजी प्राप्ति (एमसीआर) शुद्ध	-9555.23
2. राज्य भविष्य निधियां	11342.25
3. शुद्ध लघु बचत संग्रह	41329.77
4. शुद्ध एस.एल.आर. आधारित बाजार ऋण	13466.63
5. बातचीत के जरिए लिए गए ऋण तथा अग्रिम	17414.31
6. ऋण पत्र/बन्ध पत्र	10311.84
सी. राज्य के अपने संसाधन (ए+बी)	47258.56

केन्द्रीय सहायता

56. 2003-04 के केन्द्रीय बजट में राज्यों की योजना के लिए 47,458 करोड़ रुपये की तथा विधान मण्डलों वाले संघ शासित क्षेत्रों के लिए 614 करोड़ रुपये का कुल बजट समर्थन आबंटित किया गया है। समग्र बजट समर्थन में 22,484 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.) तथा विदेशी सहायित परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के लिए 6,728 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है (संलग्नक 4)। वार्षिक योजना 2003-04 के वित्तपोषण के लिए अनुमोदित स्कीम में 59,663 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता का अनुमान लगाया गया है जिसमें 21,548 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता, ई.ए.पी. के लिए 19,446 करोड़ रुपये की ए.सी.ए. तथा ए.सी.ए., एस.सी.ए. और क्षेत्र कार्यक्रमों सहित 18,668 करोड़ रुपये की अन्य केन्द्रीय सहायता शामिल है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का सारांश नीचे तालिका 27 में दिया गया है।

तालिका 27

वार्निक योजना 2003-04 : केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	
संसाधन	ए.पी.
1. सामान्य (फार्मूला आधारित) केन्द्रीय सहायता	21548.47
2. ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.	19445.75
3. अन्य केन्द्रीय सहायता	18668.48
4. योग (1 से 3 तक)	59662.70

कार्यनीति और नीतिगत पहलें

57. सामान्यतः राज्य वित्त और विशेष रूप से योजना वित्तपोषण को लेकर एक प्रमुख चिन्ता बढ़ते हुए ऋणों के साथ जुड़ी है। क्रमिक वर्षों में योजना के उच्चतर आकार की राज्यों की इच्छा के सन्दर्भ में उनके अपर्याप्त ऋण-भिन्न संसाधनों ने योजनेतर राजस्व और पूंजी लेखाओं - दोनों में बढ़ते हुए घाटे के दु-चक्र को जन्म दिया है और इस कारण अन्तर को पाटने तथा योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए बढ़ी हुई मात्रा में ऋण जुटाना जरूरी हो गया है। अतः राज्यों पर ऋणों के मौजूदा भार को देखते हुए बढ़ते हुए ऋणों के समग्र स्तर पर रोक लगाना अनिवार्य समझा जाता है। इस दिशा में एक उपाय के रूप में वार्निक योजना 2003-04 में ऋणों के स्तर पर ऋणों की ऊपरी सीमा पर रोक लगा दी गई है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा मध्यम अवधि के अपने मौद्रिक सुधार कार्यक्रमों (एम.टी.एफ.आर.पी.) के लिए वित्त मंत्रालय के साथ नि-पादित सहमति ज्ञापन में प्रतिबद्ध ऋण पत्र/बन्ध पत्र शामिल हैं। वार्निक योजना के वित्तपोषण के लिए लघु बचत संग्रहों के बदले ऋण, यह मानते हुए अनुमानित शुद्ध संग्रहों के 70 प्रतिशत तक नियत किए गए हैं कि शेन 30 प्रतिशत का प्रयोग ऋण विनिमय के लिए किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से बातचीत के जरिए लिए गए ऋण और राज्यों के बन्ध पत्रों/ऋण पत्रों के निर्गम का अब संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन कड़ाई से मानीटरन किया जाता है। राज्य वैट कार्यान्वयन के अनिश्चित रूप से स्थगित किए जाने के बावजूद राज्य सरकारों से अपने कर सुधार जारी रखने का अनुरोध किया गया है। विद्युत क्षेत्र सुधारों में अनेक राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) का पहले ही गठन कर दिया है और कई राज्यों ने एस.ई.आर.सी. के सिफारिशों के अनुसार विद्युत टैरिफ संशोधित कर दिया है। केन्द्रीय सहायता के मामले में पिछले कुछ वर्षों में विदेशी सहायता का वास्तविक अवशोषण अनुमोदित योजना में किए गए अनुमानों की तुलना में अत्यधिक कम रहा है। राज्य सरकारों को विदेशी सहायता आकृ-ट करने के प्रयास करने चाहिए जो कि ई.ए.पी. के त्वरित कार्यान्वयन तथा विश्वसनीय वित्तीय सुधार कार्यक्रम के जरिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं।

चुनिन्दा सी.पी.एस.ई. के सरकारी क्षेत्र परिव्यय का वित्तपो-ण

बजट अनुमान - 2002-03											
क्र.सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बजट बाह्य संसाधन			जोड़ ईबीआर (7 से 9)	जॉइ आईबीआर (6 + 10)	कुल योजना परिव्यय (5+11)
		इविचटी	ग्रहण	जोड़ (3+4)		बांड/ऋण पत्र	ईसीबी/सप्लायर्स धरे डिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	15	15	633	0	0	1542	1542	2175	2190
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	0	0	567	0	18	0	18	585	585
3	सिंथेनी कोलरीज कं. लि.	0	0	0	405	0	0	0	0	405	405
4	एम टी एन एल	0	0	0	2744	1250	0	0	1250	3994	3994
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1136	0	0	0	0	1136	1136
6	दूर संचार &	0	1	1	7692	3502	0	2881	6383	14075	14076
7	एयर इंडिया	0	1	1	858	0	0	0	0	858	859
8	इंडियन एयरलाइन्स	0	1	1	509	0	0	0	0	509	510
9	इफको	0	0	0	75	0	0	201	201	276	276
10	कभको	0	0	0	180	0	0	0	0	180	180
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	35	0	0	0	0	35	35
12	आई पी सी एल	0	0	0	90	25	0	0	25	115	115
13	गैल	0	0	0	1206	100	0	250	350	1556	1556
14	ओ एन जी सी	0	0	0	8973	0	0	0	0	8973	8973
15	भारतीय तेल निगम.	0	0	0	1607	415	1000	700	2115	3722	3722
16	एन टी पी सी	168	0	168	913	1630	795	0	2425	3338	3506
17	नाभिकीय विद्युत निगम.	1342	187	1529	121	0	0	0	0	121	1650
18	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	745	1388	1179	0	2567	3312	3312
19	सेल	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
20	भारतीय रेल	5390	0	5390	3940	3000	0	0	3000	6940	12330
21	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	367	0	965	0	965	1332	1332
	उप-जोड़ (1 से 21)	6899	205	7105	32796	11310	3957	6074	21341	54137	61242
22	अन्य उद्यम	5295	989	6284	6731	10467	1094	4738	16299	23030	29314
	योग	12195	1194	13389	39527	21778	5050	10812	37640	77167	90555

टिप्पणी - * आंतरिक संसाधनों में 'आगे लाए गए अधिशेष' सम्मिलित नहीं हैं और योजना परिव्यय के वित्तपो-ण के लिए प्रयुक्त आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

& दूरसंचार में नवसृजित बीएसएनएल शामिल है।

चुनिन्दा सी.पी.एस.ई. के योजना परिव्यय का वित्तपो-ण

संशोधित अनुमान - 2002-03											
क्र.सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बजट बाह्य संसाधन			जोड़	जोड़	कुल योजना परिव्यय (5+11) त्रहण
		इकिवटी	त्रहण	जोड़ (3+4)		बांड/त्रहण पत्र	ईसीबी/सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य	ईबीआर	आईईबी	
									(7 से 9)	र (6 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	13	13	300	0	0	1393	1393	1693	1706
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	0	0	515	0	102	0	102	618	618
3	सिग्रेनी कोलरीज़ कं. लि.	0	0	0	64	0	0	163	163	227	227
4	एम.टी.एन.एल.	0	0	0	2180	0	0	0	0	2180	2180
5	बी.एस.एन.एल.	0	1	1	6515	1341	0	4428	5769	12284	12285
6	एयर इंडिया	0	0	0	803	0	0	0	0	803	803
7	इंडियन एयरलाइन्स	0	0	0	427	0	0	0	0	427	427
8	इपको	0	0	0	267	0	0	0	0	267	267
9	कुभको	0	0	0	191	0	0	0	0	191	191
10	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	34	0	0	0	0	34	34
11	गैल	0	0	0	1228	0	0	0	0	1228	1228
12	ओ एन जी सी	0	0	0	14645	0	0	0	0	14645	14645
13	भारतीय तेल निगम.	0	0	0	1506	0	0	871	871	2377	2377
14	एन टी पी सी	0	0	0	809	1535	368	0	1903	2712	2712
15	नाभिकीय विद्युत निगम.	1499	187	1686	103	0	0	96	96	199	1885
16	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	330	1247	800	200	2247	2577	2577
17	सेल	0	0	0	0	200	0	150	350	350	350
18	भारतीय रेल	5740	0	5740	3431	2880	0	0	2880	6311	12051
19	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	257	0	538	0	538	796	796
	उप-जोड़ (1 से 21)	7239	201	7439	33605	7203	1809	7301	16312	49917	57357
20	अन्य उद्यम	4728	3064	7792	5231	9921	911	2668	13500	18731	26523
	योग	11967	3265	15232	38836	17123	2720	9969	29812	68648	83880

टिप्पणी - * आंतरिक संसाधनों में 'आगे लाए गए अधिशेष-न' सम्मिलित नहीं है और योजना परिव्यय के वित्तपो-ण के लिए प्रयुक्त आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

चुनिन्दा सी.पी.एस.ई. के योजना परिव्यय का वित्तपोषण

बजट अनुमान - 2003-04											
क्र.सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	बजट बाह्य संसाधन			जाँड़ ई बाँ आर (7 से 9)	जाँड़ आईईबीआर (6 + 10)	कुल योजना परिव्यय (5+11)
		इक्विटी	ऋण	जाँड़ (3+4)		बाँड़/ऋण पत्र	ई साँ बाँ / सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कोल इंडिया लि.	0	0	0	1703	0	0	537	537	2240	2240
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	0	0	305	0	0	150	150	455	455
3	सिग्रनी कोलरीज कं. लि.	0	0	0	290	0	0	50	50	340	340
4	एम.टी.एन.एल.	0	0	0	2284	0	0	0	0	2284	2284
5	बी.एस.एन.एल.	0	0	1	6515	1341		4428	5769	12284	12285
6	एयर इंडिया	1	0	1	600	0	0	0	0	600	601
7	इंडियन एयरलाइन्स	1	0	1	279	0	0	0	0	279	280
8	इफ्को	0	0	0	287	0	0	87	87	374	374
9	कृभको	0	0	0	375	0	0	0	0	375	375
10	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	45	0	0	0	0	45	45
11	गैल	0	0	0	1505	500	0	900	1400	2905	2905
12	ओ एन जी सी	0	0	0	9317	0	0	3906	3906	13223	13223
13	भारतीय तेल निगम.	0	0	0	2201	0	0	701	701	2902	2902
14	एन टी पी सी	5	0	5	1328	1955	1213	0	3168	4496	4501
15	नाभिकीय विद्युत निगम.	1200	700	1900	129	997	0	45	1042	1170	3070
16	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	578	1127	715	250	2092	2670	2670
17	सेल	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600
18	भारतीय रेल	5644	0	5644	3341	3000	0	0	3000	6341	11985
19	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	143	0	959	0	959	1102	1102
	उप-जोड़ (1 से 21)	6851	700	7551	31224	8920	2886	11654	23461	54685	62237
20	अन्य उद्यम	5810	1776	7586	6252	9327	1489	3988	14804	21056	28641
	योग	12661	2476	15137	37476	18247	4376	15642	38265	75741	90878

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता - 2002-03 और 2003-04
(करोड़ रुपये)

मद	2002-03		2003-04
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
ए. राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता (1 से 19)	45,361.08	44,355.96	47,458.40
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए)	20,172.00	18,710.97	22,484.16
2. मलिन (स्लम) बस्ती विकास @	365.00	341.34	341.00
3. विशेष योजना सहायता	700.00	733.00	700.00
4. विशेष केन्द्रीय सहायता	1,670.00	1,735.15	1,717.00
<i>i)</i> पहाड़ी क्षेत्र	160.00	160.00	160.00
<i>ii)</i> जन-जातीय उप योजना	500.00	500.00	497.00
<i>iii)</i> अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	300.00	300.00	300.00
<i>vi)</i> सीमावर्ती सड़कें	260.00	325.15	260.00
<i>v)</i> उत्तर-पूर्वी परिनद	450.00	450.00	500.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता	-	769.42	-
6. परिवर्तनशील खेती पर नियंत्रण	20.00	20.00	20.00
7. सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)	1,580.00	1,580.00	1,580.00
8. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	-	1,577.00	-
9. ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	6,500.00	8,721.00	6,728.00
10. उत्तर-पूर्व तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता	-	550.00	550.00
11. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	2,800.00	2,800.00	2,800.00
12. सड़कें और पुल	974.08	974.08	904.84
13. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) @	2,800.00	2,600.00	2,766.00
(क) ग्रामीण सड़कें	-	-	-
(ख) ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	2,800.00	2,600.00	2,766.00
14. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)	3,500.00	1,089.00	3,500.00
15. ग्रामीण विद्युतीकरण	600.00	600.00	600.00
16. रा-द्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएएसपी)	680.00	680.00	676.00
17. अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु पहल	500.00	100.00	500.00
18. रा-द्रीय समविकास योजना (आरएसवीवाई)	2,500.00	775.00	1,450.00
19. युवा बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी)	-	-	141.40
बी. संघीय क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (1+2)	1,268.00	1,514.81	1,364.00
1. विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	538.00	752.94	614.00
2. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	730.00	761.87	750.00
सी. कुल जोड़ (ए+बी)	46,629.08	45,870.77	48,822.40
@ प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों के लिए है।			
\$ सामान्य केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत शामिल।			

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	अरुणाचल प्रदेश			असम			हिमाचल प्रदेश			जम्मू तथा कश्मीर		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	22.84	-65.37	12.51	-212.99	-1454.89	-263.48	648.48	648.48	-110.32	-236.78	-1263.90	-600.36
1. चालू राजस्व से शेन	-100.52	-106.41	-91.97	-1115.82	-1222.16	-966.32	-1150.71	-1244.00	-2123.42	-704.08	-789.64	-904.00
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-	-	-	-78.54	-50.00	-159.50	0.00	0.00	0.00	-471.10	-1223.01	-388.00
3. राज्य भविष्य निधियां	36.65	36.65	40.00	304.10	270.00	275.00	300.00	258.48	300.00	409.90	308.45	322.55
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	-30.35	-32.17	-45.72	-588.42	-441.99	-609.03	-342.00	-326.00	-425.00	-519.16	-550.44	-443.70
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	23.93	18.22	17.72	77.65	26.65	26.65	32.24	32.24	28.00	43.71	43.71	43.71
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	13.25	13.25	12.60	577.50	577.50	525.70	200.00	350.00	324.10	284.62	227.70	250.47
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	16.22	16.22	16.22	362.00	362.00	362.00	340.09	440.09	340.00	188.61	188.61	88.61
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	63.66	46.63	63.66	248.54	150.00	182.02	331.86	358.36	342.00	530.72	530.72	272.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	779.31	1084.00	0.00	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	158.00
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेन का समायोजन	0.00	-57.76	0.00	0.00	-1126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	653.16	657.55	695.49	1962.99	1962.99	2043.48	1191.52	1391.52	1445.32	2038.12	2403.27	3100.36
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	492.07	492.07	534.87	1212.37	1212.37	1317.81	599.44	599.44	651.58	1187.66	1187.66	1290.96
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.		2.00	0.00	190.07	190.07	120.00	67.33	67.33	45.00	54.54	54.54	37.00
15. अन्य	151.09	163.48	160.62	560.55	560.55	605.67	524.75	724.75	748.74	795.92	1161.07	1772.40
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	676.00	592.18	708.00	1750.00	508.10	1780.00	1840.00	2040.00	1335.00	1801.34	1139.37	2500.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	676.00		708.00	1750.00		1780.00	1840.00		1335.00	2200.00		2500.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	माण्डलपुर			मौ धालाया			भिजाँरम			नागालैण्ड		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	-59.72	-178.39	-78.79	92.41	-86.03	62.76	-41.24	-117.65	-75.42	-73.36	-115.20	-46.34
1. चालू राजस्व से शेष	-199.93	-321.36	-378.94	-156.57	-219.20	-169.12	-225.61	-295.03	-326.19	-303.46	-330.20	-291.22
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.82	-5.99	-	-	-	-	-	-
3. राज्य भविष्य निधियाँ	0.00	0.00	-70.40	35.28	35.28	38.00	55.50	59.79	62.96	35.00	35.00	35.00
4. विविध पूंजी प्राप्तियाँ (शुद्ध)	-59.38	-26.86	-27.12	-31.43	-38.20	-54.52	-14.10	-24.04	-27.57	-54.22	-82.74	-78.45
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	16.41	33.65	45.19	26.00	17.51	24.06	20.41	18.07	17.57	15.58	12.64	12.29
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	27.00	5.00	16.10	26.40	26.40	23.80	15.00	16.00	14.00	12.10	12.10	11.90
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	64.06	64.06	64.06	70.00	70.00	70.00	34.97	34.97	29.97	120.00	153.00	120.00
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	67.12	67.12	67.12	122.73	32.00	111.53	72.59	72.59	72.59	95.00	85.00	122.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	25.00	0.00	205.20	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	81.25	0.00	0.00	22.14
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी. केन्द्रीय सहायता (13 से 15)	609.72	609.72	668.79	452.59	423.25	492.24	471.24	496.24	555.42	497.36	491.87	546.34
13. सामान्य केन्द्रीय सहायता	362.42	362.42	393.94	301.10	301.10	327.29	346.93	346.93	377.10	366.82	366.82	398.72
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	75.60	75.60	72.90	10.00	8.11	20.00	25.00	50.00	65.00	9.25	3.76	9.25
15. अन्य	171.70	171.70	201.95	141.49	114.04	144.95	99.31	99.31	113.32	121.29	121.29	138.37
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	550.00	431.33	590.00	545.00	337.22	555.00	430.00	378.59	480.00	424.00	376.67	500.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	550.00		590.00	545.00		555.00	430.00		480.00	424.00		500.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	सिक्किम			त्रिपुरा			उत्तरांचल			कुल विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	29.98	44.75	42.58	-58.61	-63.98	-104.93	63.64	-262.35	-54.49	174.65	-2914.53	-1216.28
1. चालू राजस्व से शेष	-9.17	1.70	5.40	-519.42	-609.72	-512.72	-1347.46	-1506.76	-1340.99	-5832.75	-6642.78	-7099.49
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-	-	-	-8.50	-8.50	-9.18	0.00	0.00	0.00	-558.14	-1291.33	-562.67
3. राज्य भविष्य निधियां	10.00	15.00	17.00	238.00	245.15	188.00	150.00	150.00	150.00	1574.43	1413.80	1358.11
4. विविध पूंजी प्राप्ति (शुद्ध)	-20.46	-20.46	-24.96	-93.27	-93.27	-80.92	-10.00	-10.00	-30.50	-1762.79	-1646.17	-1847.49
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	14.53	13.43	13.06	10.44	25.69	25.00	166.98	166.00	96.00	447.88	407.81	349.25
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	10.00	10.00	7.00	128.00	214.12	119.70	550.00	508.43	496.00	1843.87	1960.50	1801.37
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	10.00	10.00	10.00	75.55	75.55	81.69	350.00	350.00	350.00	1631.50	1764.50	1532.55
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	15.08	15.08	15.08	87.00	87.00	50.00	175.00	79.98	175.00	1809.30	1524.48	1473.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.64	779.31	1084.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	0.00	0.00	23.59	0.00	33.50	29.12	0.00	50.00	77.71	0.00	695.09
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1184.65	0.00
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	320.02	320.02	362.42	683.61	683.61	754.93	1469.49	1605.59	1629.49	10349.82	11045.63	12294.28
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	233.97	233.97	254.32	510.95	510.95	555.39	591.80	581.80	643.27	6205.53	6195.53	6745.25
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	16.00	16.00	20.00	5.70	5.70	5.70	150.00	200.71	200.00	613.49	673.82	594.85
15. अन्य	70.05	70.05	88.10	166.96	166.96	193.84	727.69	823.08	786.22	3530.80	4176.28	4954.18
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	350.00	364.77	405.00	625.00	619.63	650.00	1533.13	1343.24	1575.00	10524.47	8131.10	11078.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	350.00		405.00	625.00		650.00	1533.13		1575.00	10923.13		11078.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	आन्ध्र प्रदेश			बिहार			छत्तीसगढ़			गोवा		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	4078.40	4202.93	4483.98	699.12	99.86	574.26	1011.90	1106.00	1476.01	432.95	415.74	533.18
1. चालू राजस्व से शेष	331.32	-534.16	788.38	-824.93	-1424.57	-842.64	119.72	167.36	473.47	72.08	100.63	220.19
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-57.27	-1000.45	-979.58	-517.69	-611.68	-736.74	20.00	20.00	50.00	-4.00	-5.00	-5.50
3. राज्य भविय निधियां	470.15	392.66	427.85	-181.00	-181.00	0.00	117.66	50.27	61.55	77.00	50.00	60.00
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	-1541.39	-2330.54	-1715.59	-556.28	-597.48	-340.63	-180.40	-134.01	-67.76	-80.93	-76.17	-91.94
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	242.34	247.90	60.78	248.04	383.61	78.55	79.92	80.54	37.75	8.27	8.27	5.49
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	1604.92	2327.12	2233.00	1598.00	1598.00	1361.50	400.00	489.30	476.00	140.00	150.00	173.60
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	1198.70	2398.70	1198.70	603.28	603.28	603.28	300.00	300.00	300.00	110.00	155.01	110.00
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	1202.33	1884.82	2017.12	329.70	329.70	450.94	155.00	132.54	145.00	15.50	33.00	35.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	560.00	800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	0.00	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	67.30	16.88	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03	0.00	0.00
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	6021.60	4134.84	6486.48	2200.88	2214.14	2745.74	745.10	681.82	858.99	153.05	114.55	116.82
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	1118.65	1121.96	1239.04	1353.74	1353.74	1500.60	370.94	360.90	418.85	71.45	71.45	71.45
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	3996.42	2141.35	4168.36	51.14	0.00	0.00	30.00	8.96	30.20	0.00	0.00	0.00
15. अन्य	906.53	871.53	1079.08	796.00	860.40	1245.14	344.16	311.96	409.94	81.60	43.10	45.37
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	10100.00	8337.77	10970.46	2900.00	2314.00	3320.00	1757.00	1787.82	2335.00	586.00	530.29	650.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	10100.00		10970.46	2900.00		3320.00	1757.00		2335.00	586.00		650.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	गुजरात			हरियाणा			झारखंड			कर्नाटक		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	2344.89	1674.30	3654.00	1441.40	1250.18	1491.85	1796.29	1729.86	2003.67	5130.04	6101.01	5653.65
1. चालू राजस्व से शेष	-4405.74	-4902.31	-3032.06	-260.53	-534.83	-230.98	412.00	397.28	1166.68	-883.79	-1405.13	-34.55
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	0.00	0.00	0.00	-74.30	0.00	0.00	-155.70	-155.70	-168.16	81.39	191.96	148.31
3. राज्य भविय निधियां	222.00	228.98	316.22	567.44	511.90	556.90	185.00	185.00	139.70	705.00	780.00	690.00
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	-567.90	-566.33	-1362.08	-527.05	-522.20	-620.31	-562.48	-393.77	-754.25	-890.89	637.05	-890.72
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	143.34	143.34	45.93	63.43	63.53	25.94	82.59	82.59	29.29	166.43	166.43	60.93
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	4200.00	4482.00	4391.80	918.00	920.00	1130.00	1100.00	909.58	886.20	1890.00	1667.98	1666.00
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	1321.99	1389.22	1021.99	335.30	335.30	335.30	204.21	204.21	204.21	900.18	900.25	900.18
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	821.20	327.10	821.20	394.11	295.16	295.00	200.67	200.67	200.00	1170.00	1150.76	1145.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1936.45	1841.70	1968.50
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	110.00	0.00	951.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	72.30	0.00	0.00	181.32	0.00	330.00	300.00	300.00	55.27	170.01	0.00
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	5255.11	4355.22	4206.00	592.60	569.11	576.15	855.71	855.71	932.18	3480.57	1967.55	3966.35
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	506.48	506.48	571.38	221.52	221.52	250.18	416.97	416.97	461.41	576.33	576.33	641.07
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	3624.75	2258.01	2453.48	140.26	103.23	76.00	10.00	10.00	0.00	2063.02	550.00	2345.24
15. अन्य	1123.88	1590.73	1181.14	230.82	244.36	249.97	428.74	428.74	470.77	841.22	841.22	980.04
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	7600.00	6029.52	7860.00	2034.00	1819.29	2068.00	2652.00	2585.57	2935.85	8610.61	8068.56	9620.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	7600.00		7860.00	2034.00		2068.00	2652.00		2935.85	8610.61		9620.00

जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	कर्नाटक			मध्य प्रदेश			महाराष्ट्र			उड़ीसा		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	1718.15	1212.03	1945.32	2612.60	3049.58	3000.10	9068.10	4659.51	9289.26	-465.13	146.87	-613.95
1. चालू राजस्व से शेष	-689.98	-269.83	-454.70	-306.15	-133.36	798.41	-1749.17	-3131.88	-1099.29	-2116.90	-1893.22	-2255.26
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.71	0.00	80.16	80.16	89.78
3. राज्य भविय निधियां	100.08	-148.87	325.00	1069.17	98.06	73.83	1800.00	1419.19	1727.43	812.41	932.41	800.00
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	225.00	-925.67	-87.49	-433.13	-113.95	-847.93	-5556.47	-5422.15	-5549.90	-711.79	-565.94	-1057.18
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	106.93	106.95	25.26	197.36	197.36	70.79	261.36	193.38	64.93	120.36	120.36	42.07
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	717.12	1200.00	719.60	831.93	1412.71	1373.40	5170.00	7079.43	4656.40	402.30	527.08	615.30
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	540.00	893.41	540.00	685.92	685.92	685.92	1000.00	1073.88	1000.00	514.71	814.71	714.71
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	719.00	485.00	709.00	567.50	364.53	557.96	714.93	1652.76	3293.07	433.62	323.27	436.63
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72	5483.26	1782.25	4471.62	0.00	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	0.00	168.65	0.00	229.24	170.00	1130.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	-128.96	0.00	0.00	309.07	0.00	814.19	-123.06	0.00	0.00	-191.96	0.00
बी. कर्नाटकीय सहायता (13 से 15)	1852.08	1702.77	1844.68	2208.40	2208.40	2702.90	2493.90	2574.87	2760.74	2715.13	2403.13	3813.95
13. सामान्य केन्द्रीय सहायता	508.15	508.15	508.15	854.27	854.27	945.72	884.42	875.58	982.48	662.01	662.01	733.55
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	969.75	819.44	925.00	597.50	597.50	883.00	575.36	651.96	716.98	1045.00	845.00	2020.40
15. अन्य	374.18	375.18	411.53	756.63	756.63	874.18	1034.12	1047.33	1061.28	1008.12	896.12	1060.00
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	3570.23	2914.80	3790.00	4821.00	5257.98	5703.00	11562.00	7234.38	12050.00	2250.00	2550.00	3200.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	4025.00	3425.02	4430.00	4821.00		5703.00	11562.00		12050.00	2250.00		3200.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	पंजाब			राजस्थान			तामिलनाडु			उत्तर प्रदेश		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	1828.38	1081.75	1926.57	3013.04	2635.35	1748.75	3955.86	4070.76	3942.20	1148.93	1392.24	1920.46
1. चालू राजस्व से शेष	-2681.53	-3391.40	-2283.72	-3246.00	-3179.10	-3169.23	-2526.47	-1339.57	-1127.58	-6208.66	-6634.72	-5381.48
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-275.79	0.00	0.00	182.40	134.70	151.20	-483.22	-1083.33	-434.41	-883.29	-1065.29	-684.28
3. राज्य भविय निधियां	736.75	700.00	987.00	1114.07	962.37	1081.25	1022.88	500.16	350.58	1784.48	1400.22	1579.83
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	-532.33	-106.98	-965.66	-871.57	-505.76	-844.17	-907.46	-386.38	-677.13	-223.90	193.01	-167.23
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	142.28	160.13	96.95	178.37	178.37	58.65	182.55	153.89	70.55	387.05	387.05	105.21
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	2844.00	2025.00	2137.00	3500.00	3138.00	2682.00	1800.00	1705.99	1803.20	3890.41	4240.00	4386.00
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	345.00	345.00	345.00	839.37	839.37	839.37	950.00	1450.00	950.00	1489.55	2337.75	1520.55
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	1000.00	1000.00	1150.00	1186.40	937.40	829.68	1232.58	920.00	1256.99	913.29	534.22	561.86
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	250.00	250.00	250.00	130.00	130.00	120.00	2300.00	1900.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	964.62	964.62	895.43	2146.96	1735.43	2509.25	1794.14	1403.45	3057.80	6101.07	5001.07	5807.54
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	277.35	277.35	312.32	686.84	686.84	776.36	759.28	759.28	858.65	2379.81	2379.81	2677.50
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	246.07	246.07	182.48	735.99	370.92	899.82	418.00	200.00	1510.30	2085.00	985.00	1437.43
15. अन्य	441.20	441.20	400.63	724.13	677.67	833.07	616.86	444.17	688.85	1636.26	1636.26	1692.61
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	2793.00	2046.37	2822.00	5160.00	4370.78	4258.00	5750.00	5474.21	7000.00	7250.00	6393.31	7728.00
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	2793.00		2822.00	5160.00		4258.00	5750.00		7000.00	7250.00		7728.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	पश्चिम बंगाल			दुर्गल गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)			दुर्गल राज्य (एससीएस+एनएससीएस)			एन सी टी दिल्ली		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	2908.00	1218.68	606.58	42722.92	36046.65	43635.89	42897.57	33132.12	42419.61	4151.54	4148.38	4597.00
1. चालू राजस्व से शेष	-5805.52	-8790.91	-7913.80	-30770.25	-36899.72	-24378.16	-36603.00	-43542.50	-31477.65	3294.72	3163.60	3357.54
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	-218.12	-218.12	-218.12	-2305.43	-3577.04	-2787.50	-2863.57	-4868.37	-3350.17	-559.40	-1292.35	-703.54
3. राज्य भविय निधियां	190.00	770.00	807.00	10793.09	8651.35	9984.14	12367.52	10065.15	11342.25	0.00	0.00	0.00
4. विविध पूंजी प्राप्ति (शुद्ध)	-1165.72	-1777.35	-1598.77	-15084.69	-13594.62	-17638.74	-16847.48	-15240.79	-19486.23	-34.73	-856.40	-69.00
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	215.19	208.07	46.84	2825.81	2881.77	925.91	3273.69	3289.58	1275.16	0.00	0.00	0.00
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	6750.00	7880.00	6740.00	37756.68	41752.19	37431.00	39600.55	43712.69	39232.37	1450.95	2778.96	2012.00
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	664.87	2404.87	664.87	12003.08	17130.88	11934.08	13634.58	18895.38	13466.63	0.00	0.00	0.00
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	2277.29	2057.12	2036.86	13333.12	12628.05	15941.31	15142.42	14152.53	17414.31	0.00	0.00	0.00
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैर-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	11159.71	7203.95	9227.84	12103.35	7983.26	10311.84	0.00	0.00	0.00
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	0.00	0.00	41.70	1400.00	329.24	2432.27	1477.71	329.24	3127.36	0.00	0.00	0.00
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12. अपशेष का समायोजन	0.00	-1315.00	0.00	1361.79	-709.40	313.74	1361.79	-1894.05	313.74	0.00	354.57	0.00
बी. कनेन्ट्रीय सहायता (13 से 15)	3399.00	2482.99	3287.42	42979.92	35369.67	46568.42	53329.74	46415.30	58862.70	548.46	551.62	589.18
13. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1125.00	1125.00	1240.51	12773.21	12757.64	14189.22	18978.74	18953.17	20934.47	362.00	362.00	428.00
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	1520.75	735.41	1196.99	18109.01	10522.85	18845.68	18722.50	11196.67	19440.53	0.00	0.00	0.00
15. अन्य	753.25	622.58	849.92	12097.70	12089.18	13533.52	15628.50	16265.46	18487.70	186.46	189.62	161.18
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	6307.00	3701.67	3894.00	85702.84	71416.32	90204.31	96227.31	79547.42	101282.31	4700.00	4700.00	5186.18
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	6307.00		3894.00	86157.61		90844.31	97080.74		101992.31	4700.00		5025.00

संलग्नक 2.1.5 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 (एपी तथा एलई) और 2003-04 (एपी) की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रुपये)

संसाधन	पाण्डिचोरी			ग्रुला संघ शासित क्षेत्र			सर्मा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र		
	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04	2002-03		2003-04
	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी	एपी	एलई	एपी
I	98	99	100	101	102	103	104	105	106
ए. राज्य के अपने संसाधन (1 से 12 तक)	198.68	210.73	241.95	4350.22	4359.11	4838.95	47247.79	37491.23	47258.56
1. चालू राजस्व से शेष	0.00	0.00	0.00	3294.72	3163.60	3357.54	-33308.28	-40378.90	-28120.11
2. सरकारी उद्यमों का अंशदान	0.00	0.00	0.00	-559.40	-1292.35	-703.54	-3422.97	-6160.72	-4053.71
3. राज्य भविष्य निधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12367.52	10065.15	11342.25
4. विविध पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	-34.73	-856.40	-69.00	-16882.21	-16097.19	-19555.23
5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.69	3289.58	1275.16
6. शुद्ध लघु बचत के बदले ऋण का हिस्सा	35.00	51.00	85.40	1485.95	2829.96	2097.40	41086.50	46542.65	41329.77
7. एसएलआर आधारित बाजार ऋण (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13634.58	18895.38	13466.63
8. पराक्रामित ऋण तथा अन्य वित्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15142.42	14152.53	17414.31
9. बन्ध पत्र/ऋण पत्र (गैस-एसएलआर आधारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12103.35	7983.26	10311.84
10. डीसीएच - सीएम चर्चा में सहमत एआरएम	163.68	147.68	156.55	163.68	147.68	156.55	1641.39	476.92	3283.91
11. स्थानीय निकायों से शुद्ध अधिशेष	0.00	12.05	0.00	0.00	12.05	0.00	250.00	262.05	250.00
12. अपशा का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	354.57	0.00	1361.79	-1539.48	313.74
बी. केंद्रीय सहायता (13 से 15)	201.32	201.32	210.82	749.78	752.94	800.00	54079.52	47168.24	58993.91
13. सामान्य केंद्रीय सहायता	176.00	176.00	186.00	538.00	538.00	614.00	19516.74	19491.17	21548.47
14. विदेशी सहायित परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	4.79	4.79	5.22	4.79	4.79	5.22	18727.29	11201.46	19445.75
15. अन्य	20.53	20.53	19.60	206.99	210.15	180.78	15835.49	16475.61	18668.48
सी. समग्र योजना संसाधन (ए+बी)	400.00	412.05	452.77	5100.00	5112.05	5638.95	101327.31	84659.47	106921.26
डी. अनुमोदित योजना परिव्यय	400.00		452.77	5100.00		5477.77	102180.74		107400.08

संलग्नक 2.1.6

वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के लिए चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)
(करोड़ रुपये)

मद	सभी राज्य तथा संघशासित क्षेत्र		
	2002-03		2003-04
	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान	वार्षिक योजना
1	2	3	4
I. योजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (1 से 4 तक)	242.827.24	229.859.99	262.903.34
1. केन्द्रीय करों का हिस्सा	61.633.93	56.619.72	64.061.36
2. राज्यों का अपना कर राजस्व	148.659.53	143.011.34	162.747.87
3. राज्यों का अपना कर-भिन्न राजस्व	21.166.72	18.516.43	24.339.26
4. केन्द्र से योजना-भिन्न अनुदान	11.367.06	11.712.50	11.754.85
II. योजना-भिन्न राजस्व व्यय	277.002.28	271.680.50	292.212.53
1. गैर-विकासात्मक व्यय (क से घ तक)	149.709.61	149.554.28	166.934.45
(क) ब्याज अदायगी	71.175.39	72.513.00	80.536.55
(ख) पेंशन	30.025.42	31.747.15	35.390.99
(ग) वेतन	28.704.21	27.221.94	29.473.47
(घ) अन्य	19.804.59	18.072.19	21.533.44
2. विकासात्मक व्यय (क से ख तक)	125.197.95	121.157.70	124.824.32
(क) वेतन	67.667.29	66.991.00	69.310.14
(ख) वेतन-भिन्न	57.530.66	54.166.70	55.514.18
3. अन्य एनपीआरई	2.094.72	968.52	453.76
III. चालू राजस्व से शेष -I	-34.175.04	-41.820.51	-29.309.19
IV. बजट एआरएम जिसे उक्त राजस्व प्राप्ति मदों में शामिल नहीं किया गया है।	866.76	1,441.61	1,216.38
V. एआरएम सहित बीसीआर (III+IV)	-33.308.28	-40.378.90	-28.120.11

वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का योगदान

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	2002-03						2003-04		
	वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान			वार्षिक योजना		
	2001-02 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग	2001-02 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग	2002-03 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	104.04	0.00	104.04	-748.29	0.00	-748.29	-741.19	0.00	-741.19
2. अरुणाचल प्रदेश									
3. असम	-60.00	0.00	-60.00	-40.00	0.00	-40.00	-143.09	0.00	-143.09
4. बिहार	-514.60	0.00	-514.60	-596.59	0.00	-596.59	-734.44	0.00	-734.44
5. छत्तीसगढ़	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	50.00	0.00	50.00
6. गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. हरियाणा	-74.30	0.00	-74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. जम्मू और कश्मीर	-442.42	0.00	-442.42	-1,194.33	0.00	-1,194.33	-1,229.25	867.25	-362.00
11. झारखंड	-151.97	0.00	-151.97	-151.97	0.00	-151.97	-164.13	0.00	-164.13
12. कर्नाटक	8.00	0.00	8.00	78.00	0.00	78.00	14.00	0.00	14.00
13. केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
16. मणिपुर*									
17. मेघालय	0.00	0.00	0.00	-9.82	0.00	-9.82	-5.99	0.00	-5.99
18. मिजोरम*									
19. नागालैंड*									
20. उड़ीसा	58.00	0.00	58.00	-1.55	0.00	-1.55	64.96	0.00	64.96
21. पंजाब	-931.75	681.75	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23. सिक्किम*									
24. तमिलनाडु	-687.50	0.00	-687.50	-1,592.54	430.00	-1,162.54	-2,075.68	1,714.42	-361.26
25. त्रिपुरा*									
26. उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. उत्तर प्रदेश	-987.56	0.00	-987.56	-1,051.56	0.00	-1,051.56	-692.87	0.00	-692.87
28. पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29. एनसीटी दिल्ली	0.00	0.00	0.00	-90.48	0.00	-90.48	0.00	0.00	0.00
30. पोंडिचेरी									
योग	-3660.06	681.75	-2978.31	-5243.42	430.00	-4813.42	-5657.68	2581.67	-3076.01
* विभागीय उपक्रम									

संलग्नक 2.1.8

वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के लिए राज्य यातायात बोर्डों (आर.टी.सी.) का योगदान
(करोड़ रुपयों में)

राज्य	2002-03						2003-04		
	वार्षिक योजना नवीनतम अनुमान			वार्षिक योजना			वार्षिक योजना		
	2001-02 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग	2001-02 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग	2002-03 की दरों पर	एआरएम	चालू का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	104.04	0.00	104.04	-252.16	0.00	-252.16	-238.39	0.00	-238.39
2. अरुणाचल प्रदेश*									
3. असम	-18.54	0.00	-18.54	-10.00	0.00	-10.00	-16.41	0.00	-16.41
4. बिहार	-3.09	0.00	-3.09	-15.09	0.00	-15.09	-2.30	0.00	-2.30
5. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. गोवा	-4.00	0.00	-4.00	-5.00	0.00	-5.00	-5.50	0.00	-5.50
7. गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. जम्मू और कश्मीर	-28.68	0.00	-28.68	-28.68	0.00	-28.68	-26.00	0.00	-26.00
11. झारखंड	-3.73	0.00	-3.73	-3.73	0.00	-3.73	-4.03	0.00	-4.03
12. कर्नाटक	73.39	0.00	73.39	113.96	0.00	113.96	134.31	0.00	134.31
13. केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. मिजोरम*									
19. नागालैंड*									
20. उड़ीसा	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.66	0.00	1.66

21. पंजाब	-25.79	0.00	-25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. राजस्थान	-72.10	0.00	-72.10	-52.80	0.00	-52.80	-49.30	0.00	-49.30
23. सिक्किम*									
24. तमिलनाडु	134.28	0.00	134.28	9.21	0.00	9.21	-123.15	0.00	-123.15
25. त्रिपुरा	-8.50	0.00	-8.50	-8.50	0.00	-8.50	-9.18	0.00	-9.18
26. उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. उत्तर प्रदेश	104.27	0.00	104.27	-13.73	0.00	-13.73	8.59	0.00	8.59
28. पश्चिम बंगाल	-218.12	0.00	-218.12	-218.12	0.00	-218.12	-218.12	0.00	-218.12
29. एनसीटी दिल्ली	-382.40	0.00	-382.40	-586.87	0.00	-586.87	-293.54	0.00	-293.54
30. पोण्डिचेरी									
योग	-347.49	0.00	-347.49	-1070.03	0.00	-1070.03	-841.36	0.00	-841.36
* विभागीय उपक्रम									

2.2 सरकारी क्षेत्रक परिव्यय

वार्षिक योजना 2003-04 के परिव्यय की राशि, 1,47,892.61 करोड़ रुपए है, जिसमें 72,151.60 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और 75,741.01 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईईबीआर) सम्मिलित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 48,822.40 करोड़ रुपए की जीबीएस आबंटित की गई है। केन्द्रीय क्षेत्रक योजना और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के बीच संसाधन आबंटनों के प्रवाह में शून्य को दृष्टिगत रखते हुए उनके बीच जीबीएस का आबंटन किया गया।

वार्षिक योजना 2003-04 की पृष्ठभूमि

2. जीडीपी के लिए सकल बजटीय सहायता के अनुपात में और विगत दशक के दौरान, विशेष रूप से, नौवीं योजना अवधि के दौरान लगभग निरंतर रूप से जीडीपी के लिए सरकारी निवेश के अनुपात में भी घटती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए आबंटनों की शुरुआत में ही इस बात पर बल दिया गया था कि आर्थिक नीति और विकास आयोजना के हमारे समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अनेक मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि अनेक संभव कारणों की वजह से जैसे कि एक क्षेत्रक के अंदर तथा परस्पर क्षेत्रकों के बीच एक जैसे उद्देश्य के साथ केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के फैलाव के कारण दुर्लभ साधनों के थोड़ा-थोड़ा विभाजन, योजना व्यय का अपर्याप्त मानीटरन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात दुर्लभ संसाधनों को वांछित परिणामों में बदलने में सामान्य अकार्यकुशलता और कारगरहीनता की वजह से, योजना परिव्यय वास्तविक उपलब्धियों की दृष्टि से पूर्णतः परिलक्षित नहीं होते। चूंकि दसवीं योजना अवधि के लिए पूर्वानुमानों के रूप में औसतन 8% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है इसलिए हमें अपनी निवेश दर को बढ़ाने तथा इन सभी चिंताओं का समाधान करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के वास्ते गंभीर रूप से प्रयास करने होंगे। योजना को, हमारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकुशलता और कारगरता के संबंध में नए बेंचमार्क कायम करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना होगा।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा औसतन 43 प्रतिशत के लगभग था। तथापि, वार्षिक योजना 2002-03 में यह घटकर 41.08 प्रतिशत हो गया। वार्षिक योजना 2003-04 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा और कम होकर 40.36 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, इस हिस्से को बढ़ाकर नौवीं योजना के औसतन 43 प्रतिशत से अधिक करना वांछनीय होगा, तथापि अतिरिक्त संसाधन प्रतिबद्धताओं और केन्द्रीय क्षेत्रक में स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में नीतिगत घोटानाओं के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका है। वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय क्षेत्रक आबंटन वार्षिक योजना 2002-03 की तुलना में 7.9 प्रतिशत अधिक हो गया है।

4. दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय सभी योजनागत कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने पर बल दिया गया था जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सर्वाधिक विवेकपूर्ण तथा किफायती ढंग से कुशलतापूर्वक ढंग से किया जा सके। वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार करते समय इस बल को फिर से दोहराया गया और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया कि वे विभिन्न क्षेत्रकों में

अपेक्षित सार्वजनिक कार्रवाई हेतु बुनियादी क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं और न्यूनतम कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए, "कोर योजना" की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करें। इसमें एक अंतर्निहित विचार यह है कि प्रत्येक क्षेत्रक में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को योजना अवधि के दौरान आवंटन के अभाव में हानि नहीं पहुँचे और उन्हें योजना अवधि के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि उनके कार्यान्वयन से पूर्वानुमानित लाभ पूर्ण रूप में प्राप्त किए जा सकें।

5. इस बात पर भी बल दिया गया कि जहां तक संभव हो, केवल ऐसी केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को योजना में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। जिनके संबंध में मनोनीत निकाय द्वारा आवश्यक निवेश संबंधी निर्णय लिए गए हैं अथवा जो प्रस्ताव जो सार्वजनिक हित में हैं तथा जिन्हें अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों के बगैर रोका नहीं जा सकता और जिसके संबंध में कम से कम प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन किया जा चुका है। तथापि, इस संदर्भ में, अंतर्निहित उद्यमी शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए और कुछ सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने और धीरे-धीरे समर्थन प्रदान करने के लिए, निजी पहलों को प्रोत्साहित करते हुए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के वास्ते संस्थात्मक रूपरेखा को सुदृढ़ करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, संसाधनों की मांग और व्यवस्था किए बगैर, अर्थात् "संसाधन नि-प्रभावी नीतियों" के माध्यम से, विनिश्चित योजना उद्देश्यों की दृष्टि से काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

6. संसाधनों के एक यथार्थवादी मूल्यांकन की जरूरत पर बल दिया गया ताकि वार्षिक योजना 2003-04 के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव विश्वसनीय हों और मूल्यांकन सार्थक हो। सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों, जैसे कि विद्युत बोर्डों, परिवहन निगमों और सिंचाई विभागों का कामकाज और आंतरिक संसाधन एक चिंता का विनय रहा है और इन पर आयोग में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया है। ऐसे उपक्रमों के आंतरिक प्रोद्भवनों में वृद्धि करने के लिए भरपूर प्रयास करने होंगे जिससे कि वे सरकार के बजटीय संसाधनों पर एक बोझ न बनें बल्कि इसके विपरीत वे योजना के लिए संसाधन जुटाने के सरकारी प्रयासों में ठोस रूप में योगदान करने की स्थिति में होने चाहिए। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में अनुमोदित योजना परिव्यय और संशोधित/वास्तविक योजना परिव्यय के बीच अंतर मुख्य रूप से योजना के लिए आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों की सहमत मात्रा जुटाने में स.क्षे.उ. की असफलता के कारण है। इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए और ऐसे मंत्रालयों/विभागों द्वारा जिनके अधीन ऐसे सरकारी क्षेत्रक उपक्रम हों, उक्त अंतर को पाटे जाने की जरूरत है।

7. सरकारी कार्यक्रमों की कार्यकुशलता और प्रभाव में सुधार करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के विलयन, छंटाई और हस्तांतरित करने के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। केन्द्रीय बजट 2001-02 में की गई घो-णाओं के अनुसरण में, सभी चालू स्कीमों की योजना आयोग में शून्य आधारित बजट-पद्धति की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया था। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की संख्या में काफी कमी आई है। परिणाम, केन्द्रीय क्षेत्रक योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में किए जाने वाले आबंटनों में परिलक्षित हो रहे हैं।

8. अतिरिक्त संसाधनों के संबंध में प्रतिबद्धताओं और नीतिगत घो-णाओं को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के रूप में विनिर्धारित क्षेत्रकों/मंत्रालयों के लिए पर्याप्त

संसाधनों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया जैसाकि रा-ट्रीय विकास परि-द द्वारा दसवीं पंचव-र्रीय योजना के दृ-टिकोण-पत्र में अनुमोदित किया गया था ।

9. विशेष-न प्राथमिकता के लिए विनिर्धारित क्षेत्रकों/मंत्रालयों में सम्मिलित हैं : शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्राम विकास, कृ-नि, विद्युत और ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी । कुल मिलाकर 50,320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, जो योजना के लिए कुल बजटीय सहायता का लगभग 70 प्रतिशत है, केन्द्र और राज्य क्षेत्रकों में इन क्षेत्रकों के लिए, आबंटित की गई है।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए (विशि-ट रूप से छूट प्राप्त मंत्रालय/विभाग को छोड़कर), विनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था । यह भी अनुरोध किया गया था कि इस आबंटन का स्कीम-वार विवरण भी वार्षिक योजना 2003-04 में दर्शाया जाए ।

योजना बजटीय आबंटनों की विशेष-ताएं

11. वर्ष 2003-04 के लिए मंत्रालयों/विभागों के बजट आबंटन, सरकार की तदनुसूची क्षेत्रकों के संबंध में प्रतिबद्धताओं और नीतिगत घो-णाओं और साथ ही राजको-नीय लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए किए गए हैं । विशेष-न ध्यान दिए जाने तथा अतिरिक्त आबंटनों के लिए विनिर्धारित क्षेत्रकों/मंत्रालयों में मुख्यतः आधारभूत क्षेत्रक सम्मिलित हैं, जैसेकि विद्युत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और रेलवे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि । योजना आबंटनों की प्रमुख विशेष-ताएं निम्नलिखित हैं :

12. विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रक में मुख्य बल, विद्युत क्षेत्रक सुधारों और विद्युत का उत्पादन बढ़ाकर विद्युत क्षेत्रक की कार्यकुशलता बढ़ाने पर दिया गया है । तदनुसार, विद्युत मंत्रालय की बजटीय सहायता में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है । विद्युत मंत्रालय की बढ़ी हुई बजटीय सहायता, मुख्य रूप से पनविद्युत बिजली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी । परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए, 2002-03 ब.अ. की तुलना में, 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है । बढ़े हुए आबंटन का उपयोग मूल रूप से विद्युत परियोजनाओं को जल्द पूरा करने तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा ।

13. सड़क परिवहन और राजमार्ग व रेलवे सहित परिवहन क्षेत्रक के लिए बजटीय सहायता में 600 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है । सड़क क्षेत्रक के लिए 425 करोड़ रुपए की तथा रेलवे के लिए 237.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है । सड़क परिवहन व राजमार्ग के क्षेत्रक में की गई वृद्धि सड़क नेटवर्क के विकास और समुचित रख-रखाव के लिए है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। "स्वर्ण चतुर्भुज" और "उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम" गलियारों के निर्माण के लिए भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आर्थिक व अंतर-राज्य महत्व की सड़कों के वास्ते 1993 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । रेलवे के लिए बजट आबंटन में 237.4 करोड़ रुपए की वृद्धि करके 6077.33 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें 1600 करोड़ रुपए की राशि विशेष-न रेलवे सुरक्षा को-न के लिए सम्मिलित है ।

14. पर्यटन को, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और रोजगार सृजन की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र विनिर्धारित किया गया है। तदनुसार, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय के आबंटन में वर्ष 2002-03 ब.अ. की तुलना में 44% की वृद्धि करके उसे 325 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

15. शहरी विकास के लिए बजटीय सहायता में 2002-03 ब.अ. की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शहरी विकास के अंतर्गत प्रमुख रूप से सभी के लिए आवासन की व्यवस्था करने और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। तदनुसार, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के लिए 238 करोड़ रुपए की तथा आवासन और शहरी निगम के लिए 215.6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए, वृहत नगरों के आधारभूत विकास की स्कीम के निमित्त 100 करोड़ रुपए की तथा दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिए 880 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो 2002-03 ब.अ. की तुलना में लगभग 700 करोड़ रुपए अधिक है।

16. महिला और बाल विकास विभाग के लिए बजटीय सहायता बढ़ाकर 2600 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो 2002-03 ब.अ. की तुलना में 400 करोड़ रुपए अधिक है। बढ़ा हुआ आबंटन मुख्य रूप से बाल कल्याण स्कीमों के लिए है जिनके लिए आबंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

17. ग्राम विकास मंत्रालय के लिए 14070 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। ग्राम विकास के अंतर्गत प्रमुख रूप से सुरक्षित पेयजल, अच्छी सड़क संयोजकता, आवासन और ग्रामीण जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। तदनुसार, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2090 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और ग्रामीण आवासन के लिए आबंटन में 964 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

18. योजना बजटीय आबंटनों की प्रमुख विशेषताएं बॉक्स 2.2.1 में दी गई हैं :

बॉक्स 2.1.1 *
योजना बजटीय आबंटनों की विशेषताएं

ग्रामीण विकास

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना: स्कीम के लिए 4900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा साथ ही खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत, मजदूरी के भाग के रूप में श्रमिक को 5 कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस के हिसाब से खाद्यान्न के वितरण की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम को जिला और ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य के साथ एक वृहत स्वरोजगार कार्यक्रम है। कार्यक्रमलाप संकुल और सामूहिक दृष्टिकोण, कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक हैं। स्वरोजगारियों में से कम से कम

50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3% विकलांग व्यक्ति होंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अच्छी सभी मौसमी अच्छी सड़कों के जरिए अभी तक न जुड़ी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, 2325 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण आवासन - ग्रामीण आवासन के लिए ग्रामीण निर्धनों के निमित्त 1900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिनका निर्माण उनके द्वारा स्वयं किया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम - राज्यों को, सभी ग्रामीण बस्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने में उनके प्रयासों में सहायता देने के उद्देश्य से 2585 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण स्वच्छता - ग्रामीण स्वच्छता हेतु 165 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह चुनिंदा जिलों में जनजातीय स्वच्छता अभियान के लिए है, जिसके संबंध में निर्णय राज्यों द्वारा किया जाएगा।

भू - संसाधन

एकीकृत परतीभूमि विकास कार्यक्रम - जन भागीदारी के माध्यम से वाटरशेड आधार पर विकास हेतु अतिरिक्त 11 लाख हैक्टेयर के निमित्त 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम - लगभग 13 लाख हैक्टेयर को कवर करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए 295 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम - 8.50 लाख हैक्टेयर को कवर करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

कृषि और सहकारिता

- फसल बीमा स्कीम हेतु 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- कृषि में मेक्रो-प्रबंधन हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- "फार्म- पर जल प्रबंध स्कीम" के लिए 82 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तरांचल में बागवानी में प्रौद्योगिकी मिशन हेतु 134 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

उर्वरक

- 116.15 लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य है ।
- 48.19 लाख टन फासफेटी उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य है ।

कोयला और लिग्नाइट

- 350.05 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है ।
- 20.90 मिलियन टन लिग्नाइट के उत्पादन का लक्ष्य है ।

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता

- सर्वशिक्षा अभियान के लिए 1951 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । यह, 6-14 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों को अच्छी कोटि की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्प-ट जिले बल के साथ एक मिशन मोड के अनुसार सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु है । बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों, शहरी मलिन बस्तीवासियों और निम्न महिला साक्षरता ब्लॉकों पर विशेष बल दिया जाएगा ।
- प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रा-ट्रीय पो-नाहार सहायता कार्यक्रम के निमित्त 1175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- प्रौढ़ शिक्षा के लिए 233 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और प्रौन्नयन हेतु 470 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

स्वास्थ्य

- रा-ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु, काला अजार सहित, 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- रा-ट्रीय कु-ठ नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 74 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- रा-ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- अंधता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- रा-ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

सड़कें

- भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के निमित्त 1993 करोड़ रुपए की व्यवस्था

की गई है जिसे "स्वर्ण चतुर्भुज" और "उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम" गलियारों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

- आर्थिक और अन्तर-राज्य महत्व की सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

विद्युत

- 545.55 बिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य है।
- 24000 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

रेलवे

- 20050 वेगन, 1760 कोच, 274 ई.एम.यू., 85 डीजल इंजिन और 69 विद्युत इंजिन जोड़े जाएंगे।
- 3850 कि.मी. रेलपटरी का नवीकरण किया जाएगा।
- 350 रूट कि.मीटर का विद्युतीकरण।
- 775 रूट कि.मीटर का गेज परिवर्तन।
- 225 कि.मीटर नई लाइनें जोड़ी जाएंगी।
- 340 रूट कि.मीटर को दोहरा किया जाएगा।

दूर-संचार

निम्नलिखित की स्थापना -

- बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा 64.11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें, डब्ल्यूएलएल और सेलुलर कनेक्शनों सहित।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा 69.00 लाख स्विचिंग क्षमता।
- बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज क्षमता की 11.08 लाख लाइनें।
- ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का 55,000 रूट कि.मीटर।

वृत्ति और ग्रामीण उद्योग

- शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायतार्थ प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों/क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के निमित्त 191 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इस्पात

- सेल, रिन्ल तथा टिस्को द्वारा 17.61 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

- अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए 260 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे 2003-04 के दौरान लगभग 19.26 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है ।
- विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के निमित्त 377 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे 2003-04 के दौरान लगभग 3.77 लाख अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित होने की संभावना है ।

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत

- 1000 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है ।
- दूरवर्ती और सुदूरपूर्व इलाकों में 40,000 सौर चूल्हे स्थापित किए जाएंगे ।
- नवीकरणीय साधनों से 478.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी ।

जनजातीय मामले

- अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के निमित्त 497 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- जनजातीय क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के समान स्तर पर लाने के लिए वहां क्रांतिक अवस्थापना का सृजन करने के वास्ते 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।
- अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के निमित्त 56 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे 2003-04 के दौरान लगभग 4.5 लाख छात्र लाभान्वित होने की संभावना है ।

लघु उद्योग

- लघु उद्योग क्षेत्रक को सहवर्ती निःशुल्क ऋण प्रदान करने के वास्ते लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के निमित्त 172.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

शहरी विकास

- दिल्ली में मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) हेतु 880 करोड़ रुपए की

व्यवस्था की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एसईआरसी) के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में बहु-वि-यक अनुसंधान हेतु 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- फार्मास्यूटिकल आर एंड डी सहायता निधि कायम करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

डाक सेवाएं

निम्नलिखित खोलने हेतु -

- 900 पंचायत संचार सेवा केन्द्र
- 200 शाखा डाकघर

* स्रोत: बजट एट ए ग्लॉस, 2003-04

19. केन्द्र के संबंध में वार्षिक योजना 2003-04 के लिए ब.अ., विकास शीर्ष-वार, संक्षेप में तालिका 2.2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2003-04 के बजट अनुमान (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
		बजटीय सहायता	आईईबीआर	परिव्यय		
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	3744.05	121.52	3865.57	6074.77	9940.34
2.	ग्राम विकास	6470.65	0.00	6470.65	9413.61	15884.26
3.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	442.50	0.00	442.50	17308.28	17750.78
4.	ऊर्जा	5467.67	37911.58	43379.25	16309.99	59689.24
5.	उद्योग और खनिज	3078.74	4519.61	7598.35	2502.87	10101.22
6.	परिवहन	14678.57	14104.98	28783.55	13585.86	42369.41
7.	संचार	335.00	14568.00	14903.00	11.29	14914.29
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4696.00	0.00	4696.00	350.75	5046.75
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3945.43	0.00	3945.43	3183.89	7129.32
10.	सामाजिक सेवाएं	28884.04	4515.32	33399.36	35631.14	69030.50
11.	सामान्य सेवाएं	408.95	0.00	408.95	1770.00	2178.95
12.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	2006.81	2006.81
13.	जोड़	72151.6	75741.01	147892.61	108149.26	256041.87

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

20. संशोधित अनुमानों (सं.अ.) में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय संशोधित करके 136866.59 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो 144037.77 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों (ब.अ.) की तुलना में 4.97 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसयू) के 11.03 प्रतिशत कम आईईबीआर हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के ब.अ. के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय के लगभग 53.57 प्रतिशत भाग का वित्तपोषण सीपीएसयू द्वारा आईईबीआर के माध्यम से किया जाना था तथा शेष 66870.92 करोड़ रुपए की व्यवस्था जीबीएस से की जानी थी। केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए सं.अ., विकास शीर्ष-वार, संक्षेप में तालिका 2.2.2 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	केन्द्र			राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
		बजटीय सहायता	आईईबीआर	परिव्यय		
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	3072.23	146.83	3219.06	5671.15	8890.21
2	ग्राम विकास	11281.72	0.00	11281.72	8593.65	31157.09
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	380.67	0.00	380.67	15723.62	16484.96
4	ऊर्जा	4460.05	32365.40	36825.45	16778.50	90429.4
5	उद्योग और खनिज	2991.17	4122.39	7113.56	2362.10	16589.22
6	परिवहन	13571.25	14240.29	27811.54	11056.41	66679.49
7	संचार	936.31	13278.00	14214.31	11.35	28439.97
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4021.56	0.00	4021.56	336.68	8379.8
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1586.16	2.00	1588.16	2421.82	5598.14
10	सामाजिक सेवाएं	25519.95	4493.16	30013.11	30056.60	90082.82
11	सामान्य सेवाएं	397.45	0.00	397.45	2799.68	3197.13
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	1054.52	1054.52
	जोड़	68218.52	68648.07	136866.59	96866.08	366982.75

21. केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2001-02 का विकास शीर्ष-वार वास्तविक व्यय संलग्नक 2.2.1 में दर्शाया गया है । केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शीर्ष-वार बजट अनुमान संलग्नक 2.2.2 में दर्शाए गए हैं । संलग्नक 2.2.3 में, केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शीर्ष-वार संशोधित अनुमानों का विवरण दिया गया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शीर्ष-वार संशोधित योजना परिव्यय संलग्नक 2.2.4 में दर्शाए गए हैं । केन्द्र के संबंध में मंत्रालय/विभाग-वार वार्षिक योजना 2003-04 के बजट अनुमान संलग्नक 2.2.5 में दिए गए हैं। केन्द्र के संबंध में वार्षिक योजना 2003-04 के बजट अनुमान, विकास शीर्ष-वार संलग्नक 2.2.6 में दिए गए हैं ।

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
I.	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप		3294.07	4854.73	99.47	8248.27
1	फसल कृषि	12401	1557.74	1572.55	16.10	3146.39
2	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	23.87	601.17	4.36	629.4
3	पशु पालन	12403	156.49	314.32	17.20	488.01
4	डेरी विकास	12404	37.74	47.73	3.21	88.68
5	मत्स्य पालन	12405	103.86	154.23	9.58	267.67
6	वानिकी और वन्य जीवन	12406	124.01	1309.96	24.23	1458.2
7	बागान #	12407	181.42	5.92	5.34	192.68
8	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	171.41	19.52	0.00	190.93
9	कृषि अनुसंधान और शिक्षा #	12415	684.00	279.24	4.68	967.92
10	कृषि वित्तीय संस्थान #	12416	46.00	37.32	0.00	83.32
11	सहकारिता	12425	178.50	358.03	14.43	550.96
12	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	29.03	154.74	0.34	184.11
II.	ग्रामीण विकास		6221.93	7909.94	102.97	14234.84
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1296.65	1212.04	2.82	2511.51
2	ग्रामीण रोजगार	12505	4591.39	2791.61	0.00	7383
3	भू-सुधार	12506	38.83	228.66	1.34	268.83
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	295.06	3677.63	98.81	4071.5

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
5	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	विशेष-1 क्षेत्र कार्यक्रम*			919.13	0.00	919.13
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551	-			
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	-			
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	-			
	(क) पिछड़े क्षेत्र		-			
	(ख) जनजातीय उप-योजना		-			
	(ग) सीमा क्षेत्र		-			
	(घ) अन्य		-			
IV.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		457.12	14052.61	42.24	14551.97
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	47.72	11795.28	0.60	11843.60
2	लघु सिंचाई	12702	123.01	1546.75	13.15	1682.91
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	148.13	206.25	0.17	354.55
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	138.26	504.33	28.32	670.91
V.	ऊर्जा		23516.82	12023.30	1605.28	37145.40
1	विद्युत	12801	11624.80	11955.74	1599.45	25179.99
2	पेट्रोलियम	12802	8702.13	0.00	0.00	8702.13
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	2106.75	0.00	0.00	2106.75

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्षक		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	1083.14	67.56	5.83	1156.53
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	उद्योग तथा खनिज		5939.96	1887.31	114.77	7942.04
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	995.45	805.95	40.63	1842.03
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	460.51	0.00	0.00	460.51
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	1270.98	0.00	0.00	1270.98
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	3.07	0.00	0.00	3.07
5	उर्वरक उद्योग	12855	408.19	0.00	0.00	408.19
6	पेट्रोरसायनिक उद्योग	12856	216.65	0.00	0.00	216.65
7	रासायनिक तथा फार्मेसिटीकल उद्योग	12857	153.84	0.00	0.00	153.84
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	1283.81	0.00	0.00	1283.81
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	310.02	0.00	0.00	310.02
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	381.48	0.00	0.00	381.48
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	274.04	0.00	0.00	274.04
12	अन्य उद्योग	12875	37.3	991.4	74.14	1102.84
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	144.62	89.96	0.00	234.58
VII.	परिवहन		20560.71	8550.51	807.05	29918.27
1	रेलवे	13002	10177.00	0.00	0.00	10177.00
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	744.51	19.07	19.79	783.37

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
3	नौवहन	13052	243.99	0.00	96.53	340.52
4	नागर विमानन	13053	1145.97	24.09	14.07	1184.13
5	सड़कें और पुल	13054	8170.93	6941.19	354.17	15466.29
6	सड़क परिवहन	13055	-	1004.32	321.75	1326.07
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	66.26	32.26	0.66	99.18
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	12.05	529.58	0.08	541.71
VIII.	संचार*		18081.33	0.27	1.42	18083.02
1	डाक सेवाएं	13201	82.33			82.33
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	17890.72			17890.72
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	108.28			108.28
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		3405.91	254.85	8.89	3669.65
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	419.71	0.00	0.00	419.71
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1592.55	0.00	0.00	1592.55
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	119.18	0.00	0.00	119.18
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	839.19	148.01	4.26	991.46
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	435.28	106.84	4.63	546.75
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		944.57	1967.05	36.33	2947.95
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	6.29	821.23	3.46	830.98

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
2	पर्यटन	13452	146.43	249.26	20.34	416.03
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	280.98	0.00	0.00	280.98
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	29.59	22.44	1.94	53.97
5	मौसम विज्ञान	13455	42.14	0.00	0.00	42.14
6	नागरिक आपूर्ति	13456	11.67	85.43	8.07	105.17
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465	-	0.00	0.00	0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग #	13605	400.00	0.00	0.00	400.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं #	13475	27.47	788.69	2.52	818.68
XI.	सामाजिक सेवाएं		21746.94	22597.69	2129.42	46474.05
1	सामान्य शिक्षा	22202	3880.74	5676.9	313.48	9871.12
2	तकनीकी शिक्षा	22203	564.98	309.81	61.82	936.61
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	262.75	170.65	13.01	446.41
4	कला तथा संस्कृति	22205	151.52	134.86	15.51	301.89
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	1390.39	2619.86	398.3	4408.55
6	परिवार कल्याण	22211	3613.94	0.00	0.00	3613.94
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	188.28	5040.63	562.36	5791.27
8	आवास	22216	4778.89	1840.58	55.00	6674.47
9	शहरी विकास	22217	1949.19	2739.8	571.08	5260.07
10	सूचना और प्रचार	22220	36.42	67.16	4.73	108.31

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
11	प्रसारण	22221	602.62	0.00	0.00	602.62
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	884.95	1721.06	25.87	2631.88
13	श्रम और रोजगार	22230	114.52	185.21	8.92	308.65
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	2575.76	1195.33	58.77	3829.86
15	पो-नाहार #	22236	3.95	809.07	40.47	853.49
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	-	0.00	0.00	0.00
17	अन्य सामाजिक सेवाएं #	22250	1.50	86.77	0.10	88.37
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	25.30	0.00	0.00	25.3
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	721.24	0.00	0.00	721.24
XII.	सामान्य सेवाएं		234.44	1821.31	124.86	2180.61
1	न्याय प्रशासन	32014	23.15	0.00	0.00	23.15
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल #	32046	8.95	0.00	0.00	8.95
3	अन्य वित्तीय सेवाएं	32047	-	0.00	0.00	0.00
4	सचिवालय-सामान्य सेवाएं #	32052	4.50	0.00	0.00	4.50
5	पुलिस	32055	151.09	0.00	0.00	151.09
6	जेलें #	32056	7.00	16.71	14.61	38.32
7	आपूर्ति और निपटान #	32057	0.35	0.00	0.00	0.35
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058	-	13.74	1.48	15.22

संलग्नक 2.2.1

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र, राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों का वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
9	लोक निर्माण	32059	35.02	577.43	55.01	667.46
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	2.50	1213.43	53.76	1269.69
11	विविध सामान्य सेवाएं #	32075	1.88	0.00	0.00	1.88
	सकल योग		104403.80	76838.70	5072.70	186315.20

* ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं

-कोई आबंटन नहीं

संशोधित अनुमानों का उपयोग किया गया, क्योंकि वास्तविक व्यय आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है।

संलग्नक 2.2.2

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शर्ी-ई के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शर्ी-ई		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
I.	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप		3733.13	6114.02	129.97	9977.12
1	फसल कृषि	12401	1664.45	1678.95	17.10	3360.50
2	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	11.55	1298.78	4.29	1314.62
3	पशु पालन	12403	139.98	346.97	19.13	506.08
4	डेरी विकास	12404	31.52	49.87	5.53	86.92
5	मत्स्य पालन	12405	123.00	179.91	10.84	313.75
6	वानिकी और वन्य जीवन	12406	384.00	1620.04	27.61	2031.65
7	बागान	12407	167.00	4.54	5.56	177.10
8	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	168.33	17.95	0.00	186.28
9	कृषिक अनुसंधान और शिक्षा	12415	775.00	245.06	5.77	1025.83
10	कृषिक वित्तीय संस्थान	12416	0.00	56.87	0.00	56.87
11	सहकारिता	12425	188.33	482.91	31.99	703.23
12	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	79.97	132.17	2.15	214.29
II.	ग्रामीण विकास		6420.72	9232.75	124.70	15778.17
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1476.22	1577.60	2.70	3056.52
2	ग्रामीण रोजगार	12505	4596.00	2350.21	0.00	6946.21
3	भू-सुधार	12506	80.00	152.47	1.70	234.17
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	268.50	5152.47	120.30	5541.27

संलग्नक 2.2.2
वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शर्ी-रू के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शर्ी-रू		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
5	अन्य विशेष-न क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	विशे-न क्षेत्र कार्यक्रम*		0.00	1045.90	0.00	1045.90
1	पहाड़ी क्षेत्र	12551	0.00	86.24	0.00	86.24
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य विशेष-न क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	959.66	0.00	959.66
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00	124.29	0.00	124.29
	(घ) अन्य		0.00	835.37	0.00	835.37
IV	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		442.98	16470.69	50.55	16964.22
1	बड़ी और मझोली सिंचाई	12701	60.80	13611.27	0.90	13672.97
2	लघु सिंचाई	12702	109.16	2029.12	18.80	2157.08
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	202.00	283.62	22.18	507.80
4	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	12711	71.02	546.68	8.67	626.37
V.	रूर्जा		36306.32	15928.61	1545.63	53780.56
1	विद्युत	12801	14823.05	15727.69	1537.10	32087.84
2	पेट्रोलियम	12802	17183.26	0.00	0.00	17183.26
3	कोयला तथा लिग्नाइट	12803	3198.75	0.00	0.00	3198.75

संलग्नक 2.2.2
वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शर्ी-रू के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शर्ी-रू		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
4	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	1101.26	200.92	8.53	1310.71
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	उद्योग तथा खनिज		7993.01	2516.45	98.65	10608.11
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1212.77	1043.31	71.73	2327.81
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	1417.50	0.00	0.00	1417.50
3	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	12853	1243.01	0.00	0.00	1243.01
4	सीमेंट तथा गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	31.75	0.00	0.00	31.75
5	उर्वरक उद्योग	12855	899.00	0.00	0.00	899.00
6	पेट्रोरासायनिक उद्योग	12856	936.74	0.00	0.00	936.74
7	रासायनिक तथा फार्मेसिटीकल उद्योग	12857	67.96	0.00	0.00	67.96
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	416.86	0.00	0.00	416.86
9	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग	12859	521.88	0.00	0.00	521.88
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	489.20	0.00	0.00	489.20
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	481.09	0.00	0.00	481.09
12	अन्य उद्योग	12875	194.90	1123.35	26.92	1345.17
13	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	80.35	349.79	0.00	430.14
VII.	परिवहन		32041.37	11091.48	1124.98	44257.83
1	रेलवे	13002	12330.00	0.00	0.00	12330

संलग्नक 2.2.2

वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शर्ी-ई के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शर्ी-ई		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
2	पत्तन तथा प्रकाशगृह	13051	1005.00	45.58	33.48	1084.06
3	नौवहन	13052	1562.26	0.00	56.75	1619.01
4	नागर विमानन	13053	2521.19	83.66	15.22	2620.07
5	सड़के और पुल	13054	14542.92	8850.30	428.62	23821.84
6	सड़क परिवहन	13055	0.00	1620.77	588.72	2209.49
7	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	55.00	37.02	2.00	94.02
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.00	454.15	0.19	479.34
VIII.	सं चार*		19539.79	9.99	1.50	19551.28
1	डाक सेवाएं	13201	150.00			150.00
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	18069.06			18069.06
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	1320.73			1320.73
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		4413.80	358.39	10.46	4782.65
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	535.00	0.00	0.00	535.00
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1950.00	0.00	0.00	1950.00
3	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	175.00	0.00	0.00	175.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1228.80	228.74	2.97	1460.51
5	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	13435	525.00	129.65	7.49	662.14
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1785.14	2718.83	52.92	4556.89

संलग्नक 2.2.2
वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शी-ई के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शी-ई		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
1	सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13451	193.61	758.05	5.00	956.66
2	पर्यटन	13452	225.00	446.10	29.96	701.06
3	विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	13453	530.00	0.00	0.00	530.00
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	114.20	34.13	3.50	151.83
5	मौसम विज्ञान	13455	60.00	0.00	0.00	60.00
6	नागरिक आपूर्ति	13456	14.55	106.69	11.38	132.62
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान	13465	0.00	0.00	0.00	0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	600.00	0.00	0.00	600.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	47.78	1373.86	3.08	1424.72
XI.	सामाजिक सेवाएं		30927.97	29518.00	2559.73	63005.7
1	सामान्य शिक्षा	22202	5793.91	5682.42	427.21	11903.54
2	तकनीकी शिक्षा	22203	627.30	409.90	71.35	1108.55
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	255.82	319.44	20.55	595.81
4	कला तथा संस्कृति	22205	227.10	186.77	20.97	434.84
5	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	22210	1527.00	3216.91	488.03	5231.94
6	परिवार कल्याण	22211	4521.00	0.00	0.00	4521.00
7	जल आपूर्ति और सफाई	22215	2359.30	6272.86	659.86	9292.02

संलग्नक 2.2.2
वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शर्ी-ई के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शर्ी-ई		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
8	आवास	22216	4698.47	2721.46	67.21	7487.14
9	शहरी विकास	22217	1635.27	4645.09	617.69	6898.05
10	सूचना और प्रचार	22220	52.70	67.50	5.25	125.45
11	प्रसारण	22221	745.50	0.00	0.00	745.50
12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1369.83	3066.39	38.61	4474.83
13	श्रम और रोजगार	22230	151.77	389.28	13.14	554.19
14	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	2269.10	1237.94	74.25	3581.29
15	पो-नाहार	22236	2.80	1123.91	55.00	1181.71
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	4.00	178.13	0.61	182.74
18	सचिवालयीय सामाजिक सेवाएं	22251	7.75	0.00	0.00	7.75
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	4679.35	0.00	0.00	4679.35
XII.	सामान्य सेवाएं		433.54	2991.03	163.79	3588.36
1	न्याय प्रशासन	32014	109.00	0.00	0.00	109.00
2	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	32046	14.00	0.00	0.00	14.00
3	अन्य मौद्रिक सेवाएं	32047	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	9.30	0.00	0.00	9.30
5	पुलिस	32055	228.20	0.00	0.00	228.20

संलग्नक 2.2.2
वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विकास शी-ई के अनुसार बजट अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विकास शी-ई		केन्द्र	राज्य	संघशासित क्षेत्र	योग
6	जिले	32056	0.00	57.47	26.75	84.22
7	आपूर्ति और निपटान	32057	2.00	0.00	0.00	2.00
8	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32058	0.00	16.26	2.39	18.65
9	लोक निर्माण	32059	35.00	611.75	58.89	705.64
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	31.39	2305.55	75.76	2412.70
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	4.65	0.00	0.00	4.65
	सकल योग		144037.77	97996.14	5862.88	247896.79

* ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं

-कोई आबंटन नहीं

संलग्नक 2.2.3

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
I.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप		3219.06	5505.96	165.20	8890.22
1	कृषि	12401	1331.07	1615.63	16.81	2963.51
2	मृदा और जल संरक्षण	12402	9.50	1188.73	4.22	1202.45
3	पशुपालन	12403	110.36	303.66	19.04	433.06
4	डेयरी विकास	12404	28.44	39.41	5.17	73.02
5	मत्स्य पालन	12405	102.50	168.85	10.88	282.23
6	वानिकी व वन्य जीवन	12406	344.03	1314.22	62.90	1721.15
7	बागान	12407	173.68	4.11	5.36	183.15
8	खाद्य, भंडारण और भंडारगृह	12408	194.37	18.69	0.00	213.06
9	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा	12415	725.00	242.60	7.73	975.33
10	कृषि वित्त संस्थान	12416	28.35	49.42	0.00	77.77
11	सहकारिता	12425	103.76	427.46	32.83	564.05
12	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	68.00	133.18	0.26	201.44

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शीर्षवार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
II.	ग्रामीण विकास		11281.72	8479.28	114.37	19875.37
1	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1466.22	1391.00	2.60	2859.82
2	ग्रामीण रोजगार	12505	9502.00	2369.27	0.00	11871.27
3	भूमि-सुधार	12506	45.00	143.49	1.69	190.18
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	268.50	4575.52	110.08	4954.10
5	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम *			1054.52	0.00	1054.52
1	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00	81.11	0.00	81.11
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	973.41	0.00	973.41
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) जनजातीय उपयोजना		0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00	137.26	0.00	137.26
	(घ) अन्य		0.00	836.15	0.00	836.15

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-रि		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
IV.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		380.67	15666.7	56.92	16104.29
1	बड़ी और मझौली सिंचाई	12701	52.91	13076.37	0.90	13130.18
2	लघु सिंचाई	12702	97.31	1833.98	19.15	1950.44
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	153.05	265.87	21.18	440.10
4	बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास	12711	77.40	490.48	15.69	583.57
V.	ऊर्जा		36825.45	15037.84	1740.66	53603.95
1	विद्युत	12801	12970.78	14942.89	1732.13	29645.8
2	पेट्रोलियम	12802	20540.85	0.00	0.00	20540.85
3	कोयला एवं लिग्नाइट	12803	2425.60	0.00	0.00	2425.6
4	ऊर्जा के गैर-परम्परागत क्षेत्र	12810	888.22	94.95	8.53	991.7
5	ऊर्जा समन्वय एवं विकास	12820	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	उद्योग एवं खनिज		7113.56	2307.96	54.14	9475.66
1	ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	1146.37	1079.74	37.57	2263.68
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	1585.23	0.00	0.00	1585.23

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
3	अलौह खनन एवं धातु कर्मी उद्योग	12853	907.41	0.00	0.00	907.41
4	सीमेंट एवं गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	31.73	0.00	0.00	31.73
5	उर्वरक उद्योग	12855	770.62	0.00	0.00	770.62
6	पेट्रो रसायन उद्योग	12856	549.60	0.00	0.00	549.60
7	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग	12857	56.38	0.00	0.00	56.38
8	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	420.66	0.00	0.00	420.66
9	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	520.62	0.00	0.00	520.62
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	450.64	0.00	0.00	450.64
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	324.15	0.00	0.00	324.15
12	अन्य उद्योग	12875	48.42	1084.50	16.57	1149.49
13	उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	301.73	143.72	0.00	445.45
VII.	परिवहन		27811.54	10091.94	964.47	38867.95
1	रेलवे	13002	12051.00	0.00	0.00	12051.00
2	पत्तन एवं प्रकाश स्तंभ	13051	712.50	54.61	33.48	800.59
3	नौवहन	13052	815.40	0.00	56.75	872.15

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
4	नागर विमानन	13053	2038.52	91.22	15.22	2144.96
5	सड़कें और पुल	13054	12124.92	8084.05	388.47	20597.44
6	सड़क परिवहन	13055	0.00	1368.84	468.36	1837.2
7	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	46.20	26.30	2.00	74.50
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	23.00	466.92	0.19	490.11
VIII.	संचार*		14214.31	9.85	1.50	14225.66
1	डाक सेवाएं	13201	95.00	0.00	0.00	95.00
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	13278.00	0.00	0.00	13278.00
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	841.31	0.00	0.00	841.31
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		4021.56	328.72	7.96	4358.24
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	434.33	0.00	0.00	434.33
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1850.00	0.00	0.00	1850.00
3	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	150.00	0.00	0.00	150.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1077.43	187.02	2.52	1266.97
5	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	509.80	141.70	5.44	656.94

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1588.16	2375.50	46.32	4009.98
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	191.97	667.19	3.89	863.05
2	पर्यटन	13452	225.00	381.96	23.94	630.90
3	विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	457.05	0.00	0.00	457.05
4	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	47.68	32.60	4.24	84.52
5	मौसम विज्ञान	13455	64.49	0.00	0.00	64.49
6	नागरिक आपूर्ति	13456	10.55	89.79	11.68	112.02
7	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थान	13465	0.00	0.00	0.00	0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	550.00	0.00	0.00	550.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	41.42	1203.96	2.57	1247.95
XI.	सामाजिक सेवाएं		30013.11	27513.38	2543.22	60069.71
1	सामान्य शिक्षा	22202	5170.68	5192.08	373.01	10735.77
2	तकनीकी शिक्षा	22203	543.88	367.96	57.14	968.98
3	खेलकूद एवं युवा सेवाएं	22204	255.82	292.73	18.74	567.29
4	कला और संस्कृति	22205	229.41	205.85	21.32	456.58
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1369.87	3101.20	452.15	4923.22

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-रवार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
6	परिवार कल्याण	22211	3735.00	0.00	0.00	3735.00
7	जलापूर्ति एवं सफाई	22215	2173.75	5933.57	704.66	8811.98
8	आवास	22216	5121.15	2454.26	70.29	7645.70
9	शहरी विकास	22217	2958.26	3832.58	642.38	7433.22
10	सूचना एवं प्रचार	22220	36.40	151.70	7.35	195.45
11	प्रसारण	22221	697.90	0.00	0.00	697.90
12	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1135.96	2760.29	50.67	3946.92
13	श्रम एवं रोजगार	22230	127.43	370.22	10.27	507.92
14	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	2145.70	1344.43	83.52	3573.65
15	पो-नाहार	22236	1.79	1352.31	51.11	1405.21
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	4.00	154.20	0.61	158.81
18	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	8.20	0.00	0.00	8.20
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	4297.91	0.00	0.00	4297.91

संलग्नक 2.2.3 जारी

वार्षिक योजना 2002-03 के विकास शी-वार संशोधित अनुमान
केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विकास शी-र		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
XII.	सामान्य सेवाएं		397.45	2620.49	179.19	3197.13
1	न्याय प्रशासन	32014	109.00	0.00	0.00	109.00
2	मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल	32046	12.58	0.00	0.00	12.58
3	अन्य राजको-नीय सेवाएं	32047	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	32052	8.30	0.00	0.00	8.30
5	पुलिस	32055	198.80	0.00	0.00	198.80
6	ज़ेल	32056	0.00	57.30	27.25	84.55
7	पूर्ति एवं निपटान	32057	2.00	0.00	0.00	2.00
8	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00	16.46	42.64	59.10
9	सार्वजनिक निर्माण कार्य	32059	34.00	702.75	25.93	762.68
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	30.84	1843.98	83.37	1958.19
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	1.93	0.00	0.00	1.93
	कुल जोड़		136866.59	90992.14	5873.95	233732.68

*आंकड़े उपलब्ध नहीं

- इसके अंतर्गत आबंटन नहीं

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शर्मा-1 आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. वृत्ति तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप													
1. फसल कृषि (बागवानी सहित)	13961.00	1767.00	7513.00	1181.00	4562.00	758.00	25001.00	465.00	4755.00	6021.00	4478.00	7139.00	4000.00
2. मृदा और जल संरक्षण (झूम खेती के नियंत्रण सहित)	71.00	610.00	302.00	0.00	247.00	125.00	3700.00	2780.00	3096.00	5199.00	0.00	5581.00	1200.00
3. पशु पालन	123.00	628.00	2275.00	273.00	1431.00	318.00	2007.00	600.00	3229.00	2544.00	450.00	1871.00	3500.00
4. डेरी विकास	0.00	27.00	329.00	50.00	0.00	68.00	106.00	100.00	357.00	72.00	231.00	60.00	200.00
5. मत्स्य पालन	189.00	250.00	1539.00	180.00	246.00	174.00	1214.00	715.00	221.00	702.00	421.00	852.00	3000.00
6. वानिकी और वन्य जीवन	7783.00	1248.00	2734.00	509.00	5226.00	417.00	17000.00	3045.00	7455.00	6075.00	8500.00	12026.00	4000.00
7. बागान	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8. खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.00	86.00	1.00	0.00	69.00	0.00	300.00	50.00
9. कृषिक अनुसंधान और शिक्षा	2114.00	63.00	2020.00	542.00	456.00	7.00	1920.00	512.00	2888.00	2712.00	0.00	2258.00	2000.00
10. कृषि वित्तीय संस्थान	614.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	500.00
11. सहकारिता	965.00	250.00	1197.00	450.00	1529.00	487.00	1800.00	1100.00	289.00	353.00	1200.00	2541.00	1200.00
12. अन्य वृत्ति वित्तिय कार्यक्रम													
(क) कृषि विपणन	0.00	1037.00	52.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1591.00	928.00	0.00	552.00	500.00
(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग - (I)	25820.00	5880.00	17983.00	3225.00	13697.00	2359.00	53343.00	9318.00	23881.00	24675.00	15280.00	33390.00	20150.00
	(3.02)	(8.70)	(10.28)	(1.39)	(7.72)	(4.03)	(7.02)	(5.12)	(11.70)	(11.22)	(5.76)	(3.97)	(5.88)
II. ग्रामीण विकास													
1 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	0.00	38.00	3932.00	2635.00	0.00	17.00	900.00	280.00	506.00	363.00	0.00	726.00	1504.00
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र विकास (डीपीएपी)	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	97.00	236.00	0.00	496.00	0.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास क्षेत्र	प्रमुख/लघु शर्मा-1	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल
	*			*			*	*			*	*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
(ग) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	280.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	
(घ) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरडीपी)	80.00	85.00	10.00	0.00	0.00	18.00	0.00	120.00	396.00	75.00	0.00	251.00	3000.00	
(ड.) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाएं	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	300.00	25.00	100.00	0.00	0.00	128.00	0.00	
(च) अन्य	18627.00	516.00	4149.00	0.00	719.00	105.00	6725.00	225.00	140.00	0.00	60692.00	293.00	0.00	
2. ग्रामीण रोजगार														
(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	8129.00	0.00	1263.00	11679.00	9084.00	0.00	6150.00	3070.00	1098.00	1624.00	0.00	450.00	0.00	
(ख) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)	0.00	662.00	2123.00	7598.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	280.00	0.00	0.00	4516.00	3149.00	
(काम के लिए भोजन कार्यक्रम सहित)														
3. भू सुधार	47.00	185.00	303.00	2675.00	145.00	125.00	806.00	11.00	2122.00	1055.00	2200.00	281.00	400.00	
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम														
(क) सामुदायिक विकास और पंचायतें	7629.00	642.00	1690.00	22882.00	0.00	1490.00	10550.00	3380.00	3935.00	2736.00	0.00	300.00	0.00	
(ख) ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	13100.00	934.00	2800.00	38189.00	8563.00	83.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26539.00	10000.00	
योग - II	47612.00	3062.00	16320.00	85905.00	18511.00	1838.00	31631.00	7391.00	8674.00	6089.00	62892.00	34183.00	18053.00	
	(5.57)	(4.53)	(9.33)	(37.12)	(10.43)	(3.14)	(4.16)	(4.06)	(4.25)	(2.77)	(23.71)	(4.06)	(5.27)	
III विशेष-1 क्षेत्र वनार्य कार्यक्रम														
(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ख) अन्य विशेष-1 क्षेत्र वनार्य कार्यक्रम														
(i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	1402.00	1118.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	210.00	0.00	
(ii) अन्य	18035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	3069.00	80.00	5605.00	0.00	3895.00	1774.00	
योग - III	18035.00	1402.00	1118.00	728.00	0.00	321.00	0.00	3069.00	496.00	5605.00	0.00	4105.00	1774.00	

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र
(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शर्मा-1 आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	(2.11)	(2.07)	(0.64)	(0.31)		(0.55)	0.00	(1.69)	(0.24)	(2.55)	0.00	(0.49)	(0.52)
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण													
1. बड़ी और मझोली सिंचाई	133176.00	40.00	5329.00	27990.00	27495.00	6850.00	119032.00	17000.00	1183.00	3734.00	29000.00	247427.00	10000.00
2. लघु सिंचाई	25002.00	2253.00	5956.00	8600.00	12405.00	956.00	19822.00	0.00	5809.00	5251.00	6000.00	10065.00	2000.00
3. कमान क्षेत्र विकास (एआईबीपी सहित)	1358.00	200.00	1000.00	1530.00	108.00	309.00	612.00	1500.00	215.00	861.00	0.00	2100.00	1000.00
4. बाढ़ नियंत्रण (बाढ़ सुरक्षा कार्यों सहित)	4370.00	675.00	341.00	9200.00	30.00	176.00	302.00	2500.00	1340.00	2994.00	1000.00	620.00	600.00
योग- IV	163906.00	3168.00	12626.00	47320.00	40038.00	8291.00	139768.00	21000.00	8547.00	12840.00	36000.00	260212.00	13600.00
	(19.16)	(4.69)	(7.21)	(20.45)	(22.56)	(14.15)	(18.39)	(11.54)	(4.19)	(5.84)	(13.57)	(30.90)	(3.97)
V. ऊर्जा													
1. विद्युत	228434.00	12231.00	18711.00	17402.00	1375.00	5522.00	79224.00	22840.00	30940.00	41191.00	15000.00	107981.00	58900.00
2. ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	16.00	155.00	26.00	346.00	544.00	70.00	1070.00	70.00	0.00	89.00	0.00	615.00	1100.00
योग- V	228450.00	12386.00	18737.00	17748.00	1919.00	5592.00	80294.00	22910.00	30940.00	41280.00	15000.00	108596.00	60000.00
	(26.71)	(18.32)	(10.71)	(7.67)	(1.08)	(9.54)	(10.57)	(12.59)	(15.15)	(18.76)	(5.66)	(12.90)	(17.52)
VI. उद्योग और खनिज													
1. ग्राम तथा लघु उद्योग	12937.00	533.00	3589.00	900.00	2053.00	819.00	7344.00	714.00	1566.00	5152.00	11000.00	14232.00	7000.00
2. उद्योग (वीएसआई से इतर)	31377.00	8.00	1085.00	700.00	720.00	800.00	24055.00	1556.00	50.00	1450.00		9866.00	9000.00
3. खनिज	264.00	75.00	193.00	30.00	647.00	30.00	811.00	20.00	70.00	424.00	475.00	580.00	3525.00
योग- VI	44578.00	616.00	4867.00	1630.00	3420.00	1649.00	32210.00	2290.00	1686.00	7026.00	11475.00	24678.00	19525.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास वक्रे प्रमुखा/लघु शर्ी-र्ी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल जम्मू तथा कश्मीर झारखंड कर्नाटक कनेरल													
			*			*	*			*	*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	(5.21)	(0.91)	(2.78)	(0.70)	(1.93)	(2.81)	(4.24)	(1.26)	(0.83)	(3.19)	(4.33)	(2.93)	(5.70)
VII. परिवहन													
1. पत्तन तथा प्रकाश गृह	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2. नौवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. नागर विमानन	0.00	310.00	0.00	70.00	62.00	50.00	605.00	20.00	169.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4. सडकें तथा पुल	93581.00	10047.00	18531.00	11999.00	7152.00	5137.00	76700.00	27000.00	26745.00	23538.00	21500.00	69183.00	24000.00
5. सडकें परिवहन	4341.00	450.00	4595.00	219.00	0.00	360.00	2016.00	5500.00	1502.00	103.00	204.00	23066.00	800.00
6. अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	2.00	211.00	0.00	659.00	800.00
7. अन्य परिवहन सेवाएं	1220.00	44.00	83.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	25.00	700.00
योग- VII	100142.00	10851.00	23509.00	12288.00	7214.00	5820.00	79321.00	32520.00	28418.00	24230.00	22204.00	92933.00	27050.00
	(11.71)	(16.05)	(13.43)	(5.31)	(4.07)	(9.93)	(10.44)	(17.88)	(13.92)	(11.01)	(8.37)	(11.04)	(7.90)
VIII. सर्चार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							(0.13)		(0.01)				
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण													
1. वैज्ञानिक अनुसंधान	20.00	126.00	145.00	0.00	48.00	35.00	6524.00	169.00	108.00	576.00	6000.00	191.00	2000.00
2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	2.00	10.00	15.00	0.00	125.00	30.00	504.00	50.00	50.00			1240.00	500.00
योग- IX	22.00	136.00	160.00	0.00	173.00	65.00	7028.00	219.00	158.00	576.00	6000.00	1431.00	2500.00
	0.00	(0.20)	(0.09)		(0.10)	(0.11)	(0.92)	(0.12)	(0.08)	(0.26)	(2.26)	(0.17)	(0.73)
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1. सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	8621.00	166.00	707.00	221.00	2620.00	270.00	24.00	20.00	473.00	11369.00	800.00	82.00	3657.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास वक्रे प्रमुख/लघु शर्ी-र आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	कनेरल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2. पर्यटन	2809.00	870.00	517.00	150.00	596.00	1861.00	1723.00	250.00	494.00	3850.00	1800.00	1315.00	6000.00
3. जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	211.00	575.00	285.00	176.00	14.00	50.00	96.00	40.00	57.00	127.00	0.00	101.00	440.00
4. नागरिक आपूर्ति	2650.00	137.00	66.00	1435.00	0.00	0.00	302.00	0.00	143.00	0.00	950.00	0.00	100.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
क) जिला आयोजना/जिला परि-दे	0.00	2583.00	3050.00	204.00	0.00	0.00	15075.00	1243.00	6854.00	15317.00	0.00	0.00	0.00
ख) वजन और बाट	0.00	40.00	51.00	0.00	0.00	25.00	101.00	93.00	17.00	41.00	22.00	30.00	30.00
ग) अन्य	26.00	1213.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	700.00	0.00	28057.00	0.00
योग - X	14317.00	5584.00	4899.00	2186.00	3230.00	2206.00	17321.00	1646.00	8248.00	31404.00	3572.00	29585.00	10227.00
	(1.67)	(8.26)	(2.80)	(0.94)	(1.82)	(3.76)	(2.28)	(0.90)	(4.04)	(14.27)	(1.35)	(3.51)	(2.99)
XI. सामाजिक सेवाएं													
1. सामान्य शिक्षा	27690.00	10043.00	44796.00	19528.00	36780.00	2839.00	40500.00	8905.00	44420.00	20037.00	12903.00	41808.00	6360.00
2. तकनीकी शिक्षा	647.00	0.00	955.00	1100.00	813.00	1227.00	5840.00	2920.00	794.00	2477.00	0.00	510.00	3700.00
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	6444.00	378.00	246.00	100.00	517.00	535.00	326.00	521.00	567.00	1052.00	0.00	538.00	800.00
4. कला और संस्कृति	819.00	371.00	774.00	536.00	342.00	981.00	1238.00	244.00	360.00	249.00	675.00	1008.00	650.00
उप-योग-XI (एवं सौ 4 लाख)	35600.00	10792.00	46771.00	21264.00	38452.00	5582.00	47904.00	12590.00	46141.00	23815.00	13578.00	43864.00	11510.00
5. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	25302.00	2460.00	8648.00	13181.00	6935.00	1895.00	21387.00	6907.00	13112.00	13000.00	11575.00	19948.00	7000.00
6. जल आपूर्ति तथा सफाई	35667.00	3059.00	6613.00	6884.00	13530.00	10897.00	79213.00	13117.00	11133.00	13042.00	10020.00	61327.00	14500.00
7. आवास (पुलिस आवास सहित)	13238.00	1901.00	376.00	1311.00	2744.00	793.00	54894.00	4580.00	8133.00	341.00	4600.00	55185.00	6500.00
8. शहरी विकास (राज्य राजधानी परियोजना और मलिन क्षेत्र सहित)	19297.00	2160.00	1843.00	3653.00	11057.00	3291.00	50401.00	3725.00	6185.00	4322.00	19000.00	23499.00	3425.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास क्षेत्र	प्रमुख/लघु शर्मा-आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल
	*		*			*	*			*	*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9. सूचना और प्रचार	586.00	131.00	308.00	107.00	50.00	55.00	1013.00	58.00	534.00	119.00	100.00	450.00	400.00
10. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	58138.00	0.00	5293.00	2026.00	4195.00	77.00	32628.00	1300.00	923.00	746.00	20318.00	32817.00	19626.00
11. श्रम तथा रोजगार													
i) श्रम तथा श्रम कल्याण	1666.00	50.00	687.00	5233.00	1296.00	500.00	11555.00	1130.00	75.00	1453.00	350.00	574.00	600.00
ii) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) श्रम शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) रोजगार प्रशिक्षण	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251.00	0.00
12 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण													
i) जीआईसी के माध्यम से गरीबों का बीमा आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) बाल कल्याण (एकीकृत बाल विकास सेवाओं बालवाड़ी) पो-नाहार कार्यक्रम, दिवा देखभाल केन्द्रों सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) महिला कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3194.00	0.00
iv) रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) अन्नपूर्णा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi) विकलांगों का कल्याण (स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
vii) अन्य	6528.00	544.00	0.00	474.00	352.00	3450.00	5426.00	30885.00	3486.00	2266.00	3795.00	418.00	1250.00
13. पो-नाहार	8492.00	1146.00	3747.00	1813.00	5193.00	90.00	13416.00	900.00	1090.00	1000.00	0.00	3930.00	1750.00
14. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग- XI	204514.00	22320.00	74286.00	55946.00	85543.00	26630.00	317837.00	75232.00	90812.00	60104.00	83336.00	247752.00	66561.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास वक्रे प्रमुखा/लघु शर्ी-र्ी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल जम्मू तथा कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	कनेरल			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	(23.91)	(33.02)	(42.45)	(24.18)	(48.21)	(45.44)	(41.82)	(41.35)	(44.48)	(27.32)	(31.42)	(29.42)	(19.43)
XII. सामान्य से वाए													
1. जेले	0.00	0.00	0.00	1000.00	192.00	200.00	0.00	0.00	130.00	0.00	1700.00	65.00	0.00
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	0.00	85.00	45.00	0.00	51.00	45.00	0.00	36.00	175.00	265.00	0.00	230.00	110.00
3. लोक निर्माण	3803.00	1587.00	245.00	700.00	3457.00	1455.00	0.00	6288.00	887.00	1136.00	4055.00	4706.00	2300.00
4. <u>अन्य प्रशासनिक से वाए</u>													
i) प्रशिक्षण	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	58.00	0.00	0.00	27.00	0.00
ii) अन्य	4120.00	496.00	205.00	2724.00	0.00	2129.00	0.00	0.00	1047.00	4770.00	3686.00	170.00	100650.00
योग- XII	7923.00	2195.00	495.00	4424.00	3700.00	3829.00	287.00	6324.00	2297.00	6171.00	9441.00	5198.00	103060.00
	(0.93)	(3.25)	(0.28)	(1.91)	(2.09)	(6.53)	(0.04)	(3.48)	(1.12)	(2.81)	(3.56)	(0.62)	(30.09)
सकल योग	855319.00	67600.00	175000.00	231400.00	177445.00	58600.00	760000.00	181919.00	204178.00	220000.00	265200.00	842063.00	342500.00
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र
(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-मध्य प्रदेश महारा-टू माणिपुर मेघालय भिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश													
	*	*						*				*	
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. वृत्ति तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप													
1. फसल कृति (बागबानी सहित)	12018.00	9068.00	361.00	1300.00	1259.00	1425.00	1479.00	1045.00	1435.00	888.00	7305.00	1921.00	33619.00
2. मृदा और जल संरक्षण (झूम खेती के नियंत्रण सहित)	872.00	61216.00	397.00	700.00	274.00	575.00	984.00	546.00	19.00	120.00	4877.00	49.00	20000.00
3. पशु पालन	2600.00	1280.00	174.00	700.00	512.00	468.00	254.00	303.00	602.00	520.00	865.00	499.00	680.00
4. डेशी विकास	0.00	347.00	10.00	110.00	40.00	22.00	74.00	300.00	0.00	175.00	0.00	7.00	318.00
5. मत्स्य पालन	570.00	1086.00	140.00	110.00	117.00	90.00	180.00	27.00	44.00	45.00	1780.00	232.00	619.00
6. वानिकी और वन्य जीवन	11444.00	2081.00	495.00	700.00	600.00	410.00	2318.00	9458.00	454.00	684.00	11161.00	684.00	6918.00
7. बागान	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	180.00	0.00
8. खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	500.00	0.00	210.00	27.00	278.00	255.00	0.00
9. कृति अनुसंधान और शिक्षा	1428.00	474.00	10.00	30.00	10.00	0.00	59.00	0.00	322.00	0.00	2948.00	6.00	309.00
10. कृति वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	552.00	0.00	832.00	0.00	1400.00
11. सहकारिता	4155.00	8716.00	202.00	342.00	300.00	155.00	1355.00	705.00	3995.00	250.00	7622.00	245.00	50.00
12. अन्य वृत्ति वनार्यक्रम													
(क) कृति विपणन	0.00	0.00	2.00	75.00	160.00	0.00	397.00	0.00	0.00	40.00	0.00	333.00	0.00
(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
योग - (I)	33087.00	84268.00	1818.00	4077.00	3272.00	3432.00	7601.00	12384.00	7633.00	2764.00	37668.00	4411.00	70913.00
	(5.91)	(7.29)	(3.31)	(8.49)	(6.69)	(8.03)	(2.98)	(4.43)	(1.75)	(7.47)	(6.55)	(7.06)	(11.09)
II. ग्रामीण विकास													

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष मध्य प्रदेश महाराष्ट्र माणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	*	*						*			*		
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	0.00	4296.00	160.00	322.00	280.00	17.00	900.00	280.00	506.00	363.00	0.00	726.00	1504.00
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र विकास (डीपीएपी)	0.00	3577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	97.00	236.00	0.00	496.00	0.00
(ग) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	280.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
(घ) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	0.00	48.00	118.00	125.00	11.00	18.00	0.00	120.00	396.00	75.00	0.00	251.00	3000.00
(ड.) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाएं	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	25.00	100.00	0.00	0.00	128.00	0.00
(च) अन्य	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	105.00	6725.00	225.00	140.00	0.00	60692.00	293.00	0.00
2. ग्रामीण रोजगार													
(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	19006.00	20090.00	50.00	519.00	316.00	240.00	3144.00	0.00	4746.00	90.00	2180.00	1471.00	41008.00
(ख) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) (काम के लिए भोजन कार्यक्रम सहित)	0.00	60000.00	485.00	310.00	0.00	0.00	0.00	3919.00	995.00	2277.00	6358.00	1020.00	21.00
3. भू सुधार	1411.00	1000.00	1.00	160.00	259.00	293.00	331.00	0.00	33.00	150.00	0.00	25.00	81.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
(क) सामुदायिक विकास और पंचायतें	31727.00	13135.00	256.00	770.00	3123.00	1769.00	0.00	0.00	41987.00	0.00	3406.00	0.00	0.00
(ख) ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	7734.00	9044.00	900.00	2063.00	0.00	1035.00	7284.00	22387.00	0.00	990.00	47239.00	5433.00	67081.00
योग - II	60193.00	111318.00	1970.00	4269.00	3989.00	3464.00	11536.00	27876.00	52201.00	3940.00	61590.00	8544.00	113850.00
	(10.75)	(9.63)	(3.58)	(8.89)	(8.15)	(8.11)	(4.52)	(9.98)	(11.94)	(10.65)	(10.70)	(13.67)	(17.81)
III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम													
(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	4743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शी-ई मध्य प्रदेश महारा-टू माणिपुर मेघालय भिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
(ख) अन्य विशेष-क्षेत्र कार्यक्रम													
(i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	416.00	612.00	1952.00	416.00	0.00	3008.00	3032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	0.00	2127.00	230.00	0.00	78.00	719.00	0.00	3629.00	250.00	605.00	210.00	3181.00	20000.00
योग - III	0.00	6870.00	646.00	612.00	2030.00	1135.00	0.00	6637.00	3282.00	605.00	210.00	3181.00	20000.00
	0.00	(0.59)	(1.17)	(1.27)	(4.15)	(2.66)		(2.38)	(0.75)	(1.63)	(0.04)	(5.09)	(3.13)
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण													
1. बड़ी और मझोली सिंचाई	93767.00	361087.00	5310.00	200.00	1.00	0.00	45365.00	17587.00	26618.00	0.00	29112.00	746.00	81666.00
2. लघु सिंचाई	22460.00	13407.00	1590.00	650.00	630.00	695.00	9333.00	2701.00	5358.00	415.00	6339.00	3293.00	4391.00
3. कमान क्षेत्र विकास (एआईबीपी सहित)	737.00	1277.00	294.00	15.00	10.00	20.00	404.00	2990.00	3035.00	350.00	2322.00	3.00	4004.00
4. बाढ़ नियंत्रण (बाढ़ सुरक्षा कार्य सहित)	261.00	143.00	670.00	120.00	0.00	310.00	277.00	8907.00	395.00	5.00		405.00	3862.00
योग - IV	117225.00	375914.00	7864.00	985.00	641.00	1025.00	55379.00	32185.00	35406.00	770.00	37773.00	4447.00	93923.00
	(20.94)	(32.51)	(14.30)	(2.05)	(1.31)	(2.40)	(21.72)	(11.52)	(8.10)	(2.08)	(6.56)	(7.12)	(14.69)
V. ऊर्जा													
1. विद्युत	130499.00	73056.00	6273.00	9382.00	4201.00	3525.00	67827.00	78269.00	128600.00	4220.00	142470.00	4443.00	89207.00
2. ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	417.00	147.00	82.00	50.00	131.00	10.00	27.00	321.00	1816.00	35.00	360.00	79.00	300.00
योग - V	130916.00	73203.00	6355.00	9432.00	4332.00	3535.00	67854.00	78590.00	130416.00	4255.00	142830.00	4522.00	89507.00
	(23.39)	(6.33)	(11.55)	(19.63)	(8.85)	(8.27)	(26.61)	(28.14)	(29.84)	(11.50)	(24.82)	(7.24)	(14.00)
VI. उद्योग और खानिज													
1. ग्राम तथा लघु उद्योग	1899.00	2520.00	5729.00	510.00	1463.00	1448.00	461.00	89.00	1007.00	1650.00	13758.00	906.00	2111.00
2. उद्योग (वीएसआई से इतर)	3050.00	916.00	194.00	1761.00	84.00	1041.00	33.00	11.00	2205.00	525.00	1251.00	1524.00	500.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-ई मध्य प्रदेश महारा-ट्ट माणिपुर मेघालय भिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3. खनिज	529.00	0.00	10.00	155.00	68.00	694.00	0.00	0.00	5213.00	100.00	0.00	5.00	48.00
योग- VI	5478.00	3436.00	5933.00	2426.00	1615.00	3183.00	494.00	100.00	8425.00	2275.00	15009.00	2435.00	2659.00
	(0.98)	(0.30)	(10.79)	(5.05)	(3.30)	(7.45)	(0.19)	(0.04)	(1.93)	(6.15)	(2.61)	(3.90)	(0.42)
VII. परिवहन													
1. पत्तन तथा प्रकाश गृह	0.00	3644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. नौवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. नागर विमानन	2242.00	4401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	216.00
4. सड़कें तथा पुल	26551.00	64337.00	2619.00	6446.00	4247.00	2879.00	29696.00	19043.00	32829.00	4518.00	52025.00	3188.00	100000.00
5. सड़कें परिवहन	0.00	60511.00	100.00	200.00	511.00	695.00	209.00	0.00	5195.00	300.00	751.00	85.00	10190.00
6. अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.00	137.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	255.00	37.00	50.00	75.00	499.00	0.00	33000.00	10000.00	0.00	0.00	26.00	0.00
योग- VII	28793.00	133285.00	2756.00	6696.00	4838.00	4073.00	29992.00	52043.00	48024.00	4818.00	52776.00	3299.00	110406.00
	(5.14)	(11.53)	(5.01)	(13.94)	(9.89)	(9.53)	(11.76)	(18.63)	(10.99)	(13.02)	(9.17)	(5.28)	(17.27)
VIII. संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
												(0.01)	
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण													
1. वैज्ञानिक अनुसंधान	190.00	23.00	195.00	85.00	110.00	49.00	320.00	263.00	65.00	75.00	165.00	20.00	350.00
2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	4042.00	128.00	881.00	50.00	4.00	5.00	1161.00	23.00	12.00	30.00	48.00	0.00	2091.00
योग- IX	4232.00	151.00	1076.00	135.00	114.00	54.00	1481.00	286.00	77.00	105.00	213.00	20.00	2441.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष मध्य प्रदेश महाराष्ट्र माणिपुर मेघालय भिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	(0.76)	(0.01)	(1.96)	(0.28)	(0.23)	(0.13)	(0.58)	(0.10)	(0.02)	(0.28)	(0.04)	(0.03)	(0.38)
X. सामान्य आर्थिक से वाएं													
1. सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	13290.00	1852.00	8145.00	175.00	1848.00	403.00	13.00	290.00	735.00	189.00	545.00	336.00	1702.00
2. पर्यटन	2073.00	6548.00	100.00	200.00	336.00	169.00	156.00	85.00	1251.00	783.00	494.00	275.00	976.00
3. जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	15.00	95.00	18.00	85.00	91.00	193.00	3.00	126.00	51.00	100.00	42.00	34.00	140.00
4. नागरिक आपूर्ति	842.00	0.00	9.00	30.00	139.00	87.00	572.00	8.00	80.00	91.00	71.00	21.00	0.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक से वाएं													
क) जिला आयोजना/जिला परिषदें	0.00	0.00	464.00	500.00	1891.00	3000.00	2318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ख) वजन और बाट	7.00	0.00	1.00	30.00	56.00	25.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	3.00	0.00
ग) अन्य	0.00	27546.00	0.00	30.00	158.00	203.00	6509.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग- X	16227.00	36041.00	8737.00	1050.00	4519.00	4080.00	9571.00	509.00	2872.00	1171.00	1152.00	670.00	2818.00
	(2.90)	(3.12)	(15.89)	(2.19)	(9.24)	(9.55)	(3.75)	(0.18)	(0.66)	(3.16)	(0.20)	(1.07)	(0.44)
XI. सामाजिक से वाएं													
1. सामान्य शिक्षा	52094.00	26489.00	2744.00	4728.00	4863.00	2338.00	7649.00	16142.00	11717.00	5136.00	13204.00	8031.00	20216.00
2. तकनीकी शिक्षा	2638.00	4703.00	124.00	420.00	1025.00	1039.00	38.00	388.00	241.00	1042.00	88.00	465.00	765.00
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	365.00	11049.00	483.00	750.00	226.00	792.00	44.00	235.00	115.00	474.00	695.00	267.00	120.00
4. कला और संस्कृति	940.00	814.00	466.00	499.00	304.00	141.00	386.00	2068.00	492.00	425.00	1578.00	49.00	2820.00
उप-योग-XI (1 से 4 तक)	56037.00	43055.00	3817.00	6397.00	6418.00	4310.00	8117.00	18833.00	12565.00	7077.00	15565.00	8812.00	23921.00
5. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	14370.00	40740.00	1415.00	3323.00	4062.00	1549.00	8347.00	9298.00	5831.00	1611.00	16911.00	1480.00	18893.00
6. जल आपूर्ति तथा सफाई	17677.00	119364.00	5186.00	2799.00	2718.00	3291.00	9133.00	11524.00	26581.00	2231.00	60559.00	3690.00	21052.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7. आवास (पुलिस आवास सहित)	13423.00	17907.00	1656.00	828.00	4524.00	4265.00	7426.00	17.00	14284.00	500.00	16335.00	7397.00	532.00
8. शहरी विकास (राज्य राजधानी परियोजना और मलिन क्षेत्र सहित)	19053.00	49285.00	1674.00	1007.00	3427.00	932.00	2570.00	6001.00	63770.00	837.00	35123.00	1137.00	19000.00
9. सूचना और प्रचार	107.00	49.00	46.00	135.00	133.00	257.00	54.00	13.00	9104.00	272.00	23.00	591.00	96.00
10. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18625.00	27542.00	1214.00	10.00	0.00	0.00	11961.00	3284.00	36.00	517.00	11454.00	4614.00	11761.00
11. श्रम तथा रोजगार													
i) श्रम तथा श्रम कल्याण	140.00	6037.00	7.00	25.00	78.00	10.00	0.00	57.00	109.00	35.00	109.00	79.00	264.00
ii) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) श्रम शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) रोजगार प्रशिक्षण	833.00	0.00	50.00	70.00	0.00	70.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण													
i) जीआईसी के माध्यम से गरीबों का बीमा आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) बाल कल्याण (एकीकृत बाल विकास सेवाओं बालवाड़ी पो-नाहार कार्यक्रम, दिवा देखभाल केन्द्रों सहित)	1154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) महिला कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
iv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) अन्नपूर्णा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi) विकलांगों का कल्याण (स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vii) अन्य	395.00	1208.00	733.00	550.00	655.00	541.00	0.00	16577.00	1941.00	300.00	17451.00	1314.00	16124.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शी-ई मध्य प्रदेश महारा-ट्ट माणिपुर मेघालय भिजोरम नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13. पोनाहार	8145.00	4564.00	770.00	685.00	658.00	680.00	8558.00	667.00	10506.00	611.00	36075.00	1063.00	10289.00
14. अन्य सामाजिक सेवाएं	3172.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	9892.00	0.00	0.00
योग - XI	153131.00	310198.00	16571.00	15829.00	22673.00	15905.00	60818.00	66296.00	144727.00	14132.00	219497.00	30177.00	121932.00
	(27.36)	(26.83)	(30.13)	(32.95)	(46.34)	(37.22)	(23.85)	(23.74)	(33.11)	(38.18)	(38.14)	(48.28)	(19.07)
XII. सामान्य से बाएं													
1. जेलें	566.00	485.00	29.00	360.00	198.00	0.00	58.00	81.00	200.00	0.00	0.00	42.00	0.00
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	99.00	0.00	22.00	80.00	103.00	64.00	0.00	0.00	0.00	118.00	36.00	10.00	60.00
3. लोक निर्माण	489.00	511.00	775.00	608.00	551.00	340.00	915.00	1794.00	3806.00	872.00	6689.00	468.00	10822.00
4. अन्य प्रशासनिक से बाएं													
i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) अन्य	9329.00	20520.00	448.00	1479.00	50.00	2365.00	9301.00	519.00	9.00	1187.00	0.00	270.00	0.00
योग - XII	10483.00	21516.00	1274.00	2532.00	902.00	2844.00	10274.00	2394.00	4015.00	2177.00	6725.00	790.00	10882.00
	(1.87)	(1.86)	(2.32)	(5.27)	(1.84)	(6.66)	(4.03)	(0.86)	(0.92)	(5.88)	(1.17)	(1.26)	(1.70)
सकल योग	559765.00	1156200.00	55000.00	48043.00	48925.00	42730.00	255000.00	279300.00	437078.00	37012.00	575443.00	62500.00	639331.00
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शीर्ष उच्चतरांचाल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकासो बांर ही पासमूह	अंशमान और		चंडी गढ		दादर तथा नागर हवेली		दमन तथा दीव		दिल्ली		लाक्षादीप पाण्डिचेरी		योग	योग (राज्य	परिव्यय के
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(सं.शा.क्षेत्र)	(सं.शा.क्षेत्र)	तथा प्रति %	प्रति %	
1.	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
I. वृत्ति तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप															
1. फसल कृति (बागबानी सहित)	4775.00	2064.00	161563.00	315.00	3.00	128.75	39.00	139.00	150.00	905.90	1680.65	163243.65	1.69		
2. मृदा और जल संरक्षण (झूम खेती के नियंत्रण सहित)	5211.00	122.00	118873.00	200.00	3.00	152.05	1.00	53.00	13.00	0.00	422.05	119295.05	1.23		
3. पशु पालन	415.00	1245.00	30366.00	360.00	25.00	36.00	15.00	373.00	238.00	857.01	1904.01	32270.01	0.33		
4. डेरी विकास	623.00	315.00	3941.00	0.00		1.00	2.00	500.00	0.00	13.50	516.50	4457.50	0.05		
5. मत्स्य पालन	87.00	2055.00	16885.00	450.00	58.00	0.00	52.00	14.00	190.00	323.85	1087.85	17972.85	0.19		
6. वानिकी और वन्य जीवन	6274.00	1723.00	131422.00	1196.00	666.00	267.00	37.00	4013.00	20.00	91.00	6290.00	137712.00	1.42		
7. बागान	0.00	171.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	536.00	947.00	0.01		
8. खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	0.00	72.00	1869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869.00	0.02		
9. कृषिक अनुसंधान और शिक्षा	667.00	505.00	24260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	773.00	25033.00	0.26		
10. कृषि वित्तीय संस्थान	0.00	288.00	4942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4942.00	0.05		
11. सहकारिता	259.00	1034.00	42746.00	350.00	11.00	12.20	13.00	39.00	1802.70	1054.64	3282.54	46028.54	0.48		
12. अन्य वृत्ति वार्य कार्यक्रम															0.00
(क) कृषि विपणन	0.00	362.00	6031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	21.00	26.00	6057.00	0.06		
(ख) अन्य	0.00	0.00	7287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7287.00	0.08		
योग - (I)	18311.00	9956.00	550596.00	2871.00	766.00	597.00	159.00	5672.00	2413.70	4039.90	16518.60	567114.60	5.85		
	(11.94)	(2.70)	(6.05)	(7.14)	(4.63)	(10.57)	(3.54)	(1.21)	(26.01)	(9.80)	(2.81)	(5.85)			

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकास के अंडमान और चंडीगढ़ द्वीपसमूह	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
II. ग्रामीण विकास													
1 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	0.00	1273.00	27792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27792.00	0.29
(ख) सूखा संभावित क्षेत्र विकास (डीपीएपी)	0.00	0.00	7379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7379.00	0.08
(ग) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	0.00	0.00	4362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4362.00	0.05
(घ) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	0.00	0.00	5043.00	0.00	5.00	4.90	0.00	200.00	0.00	0.00	209.90	5252.90	0.05
(ड.) एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाएं	0.00	0.00	1085.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1135.00	0.01
(च) अन्य	0.00	0.00	93439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93439.00	0.96
2. ग्रामीण रोजगार													
(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	0.00	4915.00	140322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140322.00	1.45
(ख) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) (काम के लिए भोजन कार्यक्रम सहित)	0.00	142.00	96605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96605.00	1.00
3. भू सुधार	0.00	250.00	14349.00	110.00	0.00	6.00	18.00	1.00	0.00	34.10	169.10	14518.10	0.15
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
(क) सामुदायिक विकास और पंचायतें	0.00	25489.00	176896.00	2695.00	52.00	192.00	11.00	6915.00	110.00	863.38	10838.38	187734.38	1.94
(ख) ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	8958.00	0.00	280656.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	280826.00	2.90
योग - II	8958.00	32069.00	847928.00	2855.00	227.00	202.90	29.00	7116.00	110.00	897.48	11437.38	859365.38	8.87
	(5.84)	(8.71)	(9.32)	(7.10)	(1.37)	(3.59)	(0.65)	(1.51)	(1.19)	(2.18)	(1.95)	(8.87)	
III विशेष-1 क्षेत्र कार्यक्रम													

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-र उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकास के प्रमुखा/लघु शी-र उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य)	अंडमान और		चंडीगढ़		दादर तथा		दमन तथा दीव		दिल्ली		लक्षद्वीप		पाण्डिचेरी		योग (राज्य		परिव्यय के		
	अंडमान और चंडीगढ़ द्वीपसमूह	चंडीगढ़	दादर तथा नागर हवेली	दमन तथा दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	योग (राज्य सं.शा.क्षेत्र)	योग (राज्य सं.शा.क्षेत्र)	परिव्यय के प्राप्ति %									
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	3368.00	8111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8111.00	0.08						
(ख) अन्य विशेष-1 क्षेत्र कार्यक्रम																			
(i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	416.00	0.00	13726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13726.00	0.14						
(ii) अन्य	0.00	19807.00	83615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83615.00	0.86						
योग- III	416.00	23175.00	105452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105452.00	1.09						
	(0.27)	(6.29)	(1.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		(1.09)						
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण																			
1. बड़ी और मझोली सिंचाई	3176.00	14746.00	1307637.00	0.00	0.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1307727.00	13.50						
2. लघु सिंचाई	4135.00	3882.00	183398.00	390.00	70.00	57.00	15.00	60.00	0.00	1323.25	1915.25	185313.25	1.91						
3. कमान क्षेत्र विकास (एआईबीपी सहित)	0.00	333.00	26587.00	0.00	0.00	18.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	2118.00	28705.00	0.30						
4. बाढ़ नियंत्रण (बाढ़ सुरक्षा कार्य सहित)	370.00	9175.00	49048.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	300.00	1247.11	1569.11	50617.11	0.52						
योग- IV	7681.00	28136.00	1566670.00	390.00	70.00	155.00	47.00	2160.00	300.00	2570.36	5692.36	1572362.36	16.23						
	(5.01)	(7.64)	(17.22)	(0.97)	(0.42)	(2.74)	(1.05)	(0.46)	(3.23)	(6.23)	(0.97)	(16.23)							
V. ऊर्जा																			
1. विद्युत	30367.00	82199.00	1494289.00	3200.00	1566.35	1888.00	1924.10	161058.00	1078.00	2498.60	173213.05	1667502.05	17.21						
2. ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	1519.00	100.00	9495.00	225.00	13.00	3.10	3.00	100.00	494.20	15.00	853.30	10348.30	0.11						
योग- V	31886.00	82299.00	1503784.00	3425.00	1579.35	1891.10	1927.10	161158.00	1572.20	2513.60	174066.35	1677850.35	17.32						
	(20.78)	(22.35)	(16.53)	(8.52)	(9.55)	(33.47)	(42.90)	(34.29)	(16.94)	(6.10)	(29.63)	(17.32)							
VI. उद्योग और खानिज																			

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शी-उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकास के प्रमुख/लघु शी-उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य)	अंडमान और		चंडीगढ़		दादर तथा		दिल्ली		लक्षद्वीप		योग (राज्य		परिव्यय के
	निचोला	द्वीपसमूह	निचोला	द्वीपसमूह	नागर हवेली	दमन तथा दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	योग (सं.शा.क्षेत्र)	तथा (सं.शा.क्षेत्र)	प्राप्ति %	
1.	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1. ग्राम तथा लघु उद्योग	3222.00	3362.00	107974.00	800.00	52.00	33.00	0.00	1577.00	150.02	1144.85	3756.87	111730.87	1.15
2. उद्योग (वीएसआई से इतर)	1996.00	12692.00	108450.00	0.00	0.00	0.00	29.33	0.00	0.00	1628.01	1657.34	110107.34	1.14
3. खनिज	55.00	351.00	14372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14372.00	0.15
योग- VI	5273.00	16405.00	230796.00	800.00	52.00	33.00	29.33	1577.00	150.02	2772.86	5414.21	236210.21	2.44
	(3.44)	(4.45)	(2.54)	(1.99)	(0.31)	(0.58)	(0.65)	(0.34)	(1.62)	(6.73)	(0.92)	(2.44)	
VII. परिवहन													
1. पत्तन तथा प्रकाश गृह	0.00	0.00	5461.00	1180.00	0.00	0.00	23.00	0.00	1745.00	400.00	3348.00	8809.00	0.09
2. नौवहन	0.00	0.00	0.00	5673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5675.00	5675.00	0.06
3. नागर विमानन	400.00	52.00	9122.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	1522.00	10644.00	0.11
4. सड़कें तथा पुल	16660.00	28254.00	808405.00	6003.00	50.00	709.00	873.00	28155.00	155.00	2901.57	38846.57	847251.57	8.75
5. सड़कें परिवहन	0.00	14981.00	136884.00	188.00	453.00	0.00	2.00	46133.00	0.00	60.00	46836.00	183720.00	1.90
6. अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.00	348.00	2630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2830.00	0.03
7. अन्य परिवहन सेवाएं	200.00	0.00	46692.00	0.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	46711.00	0.48
योग- VII	17260.00	43635.00	1009194.00	14544.00	521.00	710.00	898.00	74288.00	2124.00	3361.57	96446.57	1105640.57	11.41
	(11.25)	(11.85)	(11.09)	(36.17)	(3.15)	(12.57)	(19.99)	(15.81)	(22.89)	(8.15)	(16.42)	(11.41)	
VIII. संचार	0.00	0.00	985.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1135.00	0.01
			(0.01)	(0.37)							(0.03)	(0.01)	
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण													
1. वैज्ञानिक अनुसंधान	361.00	489.00	18702.00	35.00	15.00	6.00	13.00	80.00	63.00	40.00	252.00	18954.00	0.20

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकास बारा चंडी गढ़ दादर तथा नागर हवेली दमन तथा दीव दिल्ली लक्षादीप पाण्डिचेरी योग (सं.शा.क्षेत्र) योग (राज्य तथा सं.शा.क्षेत्र) परिव्यय के प्राप्ति %	अंडमान और		अंडमान और		अंडमान और		अंडमान और		अंडमान और		अंडमान और		अंडमान और	
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40
2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	400.00	2769.00	14170.00	0.00	44.00	0.00	0.00	420.00	41.00	39.00	544.00	14714.00	0.15	
योग - IX	761.00	3258.00	32872.00	35.00	59.00	6.00	13.00	500.00	104.00	79.00	796.00	33668.00	0.35	
	(0.50)	(0.88)	(0.36)	(0.09)	(0.36)	(0.11)	(0.29)	(0.11)	(1.12)	(0.19)	(0.14)	(0.35)		
X. सामान्य आर्थिक से वाएं														
1. सचिवालयीय आर्थिक सेवाएं	7350.00	816.00	66719.00	175.00	2.00	1.00	0.00	189.10	2.53	19.64	389.27	67108.27	0.69	
2. पर्यटन	2030.00	485.00	38196.00	750.00	58.00	93.00	65.00	541.00	320.00	567.01	2394.01	40590.01	0.42	
3. जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	66.00	29.00	3260.00	32.00	1.00	2.00	15.00	350.00	5.00	18.50	423.50	3683.50	0.04	
4. नागरिक आपूर्ति	193.00	1053.00	8979.00	175.00	106.00	2.00	5.00	430.00	0.00	450.00	1168.00	10147.00	0.10	
5. अन्य सामान्य आर्थिक से वाएं														
क) जिला आयोजना/जिला परि-दें	0.00	1603.00	54103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54103.00	0.56	
ख) वजन और बाट	45.00	38.00	663.00	0.00	10.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	63.00	726.00	0.01	
ग) अन्य	0.00	0.00	65630.00	0.00	58.00	3.00	0.00	0.00	3.60	129.66	194.26	65824.26	0.68	
योग - X	9684.00	4024.00	237550.00	1132.00	235.00	102.00	87.00	1560.10	331.13	1184.81	4632.04	242182.04	2.50	
	(6.31)	(1.09)	(2.61)	(2.82)	(1.42)	(1.81)	(1.94)	(0.33)	(3.57)	(2.87)	(0.79)	(2.50)		
XI. सामाजिक से वाएं														
1. सामान्य शिक्षा	12796.00	14452.00	519208.00	3768.80	920.00	733.00	229.10	27175.00	323.70	4152.09	37301.69	556509.69	5.75	
2. तकनीकी शिक्षा	1613.00	1224.00	36796.00	715.00	395.00	193.00	149.00	2788.00	0.00	1473.79	5713.79	42509.79	0.44	
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	433.00	1201.00	29273.00	96.00	258.00	10.00	10.00	625.00	130.00	744.55	1873.55	31146.55	0.32	
4. कला और संस्कृति	311.00	1045.00	20585.00	70.20	371.00	10.00	14.00	1284.00	98.45	284.81	2132.46	22717.46	0.23	

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		चंडीगढ़	दादर तथा नागर हवेली	दमन तथा दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	योग (सं.शा.क्षेत्र)	योग (राज्य तथा सं.शा.क्षेत्र)	परिव्यय के प्रति %		
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1.	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
उप-योग-XI (1 से 4 तक)	15153.00	17922.00	605862.00	4650.00	1944.00	946.00	402.10	31872.00	552.15	6655.24	47021.49	652883.49	6.74
5. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	4336.00	26604.00	310120.00	2050.00	3803.65	238.00	194.15	35635.00	275.20	3019.39	45215.39	355335.39	3.67
6. जल आपूर्ति तथा सफाई	9800.00	18750.00	593357.00	2577.00	1154.00	294.00	173.00	63350.00	305.40	2612.75	70466.15	663823.15	6.85
7. आवास (पुलिस आवास सहित)	200.00	1536.00	245426.00	1465.00	615.00	68.00	53.83	3441.00	312.20	1073.94	7028.97	252454.97	2.61
8. शहरी विकास (राज्य राजधानी परियोजना और मलिन क्षेत्र सहित)	2450.00	25134.00	383258.00	1365.00	4366.00	115.00	108.00	55165.00	200.00	2918.94	64237.94	447495.94	4.62
9. सूचना और प्रचार	91.00	288.00	15170.00	67.00	10.00	8.00	10.00	485.00	85.00	70.01	735.01	15905.01	0.16
10. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1596.00	5328.00	276029.00	105.00	93.00	0.00	12.84	3638.00	0.00	1217.80	5066.64	281095.64	2.90
11. श्रम तथा रोजगार													
i) श्रम तथा श्रम कल्याण	122.00	365.00	32606.00	84.00	33.00	0.00	28.00	567.00	2.70	285.97	1000.67	33606.67	0.35
ii) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
iii) श्रम शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) रोजगार प्रशिक्षण	796.00	258.00	4411.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	4437.00	0.05
12. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण													
i) जीआईसी के माध्यम से गरीबों का बीमा आदि	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.01
ii) बाल कल्याण (एकीकृत बाल विकास सेवाओं बालवाड़ी पो-नाहार कार्यक्रम, दिवा देखभाल केन्द्रों सहित)	0.00	0.00	1803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1803.00	0.02
iii) महिला कल्याण	213.00	0.00	5121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.00	0.05
iv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता	0.00	0.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3995.00	0.04

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुखा/लघु शी-ई उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य) विकास के प्रमुखा/लघु शी-ई उत्तरांचल पश्चिम बंगाल योग (राज्य)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		चंडीगढ़	दादर तथा नागर हवेली	दमन तथा दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	योग (राज्य सं.शा.क्षेत्र)	योग (राज्य तथा सं.शा.क्षेत्र)	परिव्यय के प्राप्ति %		
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1.	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
कार्यक्रम													
v) अन्नपूर्णा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi) विकलांगों का कल्याण (स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता सहित)	186.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
vii) अन्य	0.00	5682.00	122345.00	189.53	216.00	23.62	11.76	5460.00	44.10	2407.22	8352.23	130697.23	1.35
13. पोनाहार	779.00	8614.00	135231.00	248.00	247.00	56.00	144.65	3310.00	55.30	1050.02	5110.97	140341.97	1.45
14. अन्य सामाजिक सेवाएं	45.00	1633.00	15420.00	45.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	15481.00	0.16
योग- XI	36465.00	112114.00	2751338.00	12845.53	12497.65	1774.62	1138.33	202923.00	1832.05	21311.28	254322.46	3005660.46	31.03
	(23.77)	(30.45)	(30.24)	(31.95)	(75.55)	(31.41)	(25.34)	(43.18)	(19.74)	(51.69)	(43.30)	(31.03)	
XII. सामान्य से वाएं													
1. जेलें	0.00	424.00	5730.00	175.00	0.00	0.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	2725.00	8455.00	0.09
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	0.00	12.00	1646.00	0.00	0.00	11.00	33.00	4040.00	95.00	85.00	4264.00	5910.00	0.06
3. लोक निर्माण	0.00	11016.00	70275.00	500.00	0.00	132.00	127.00	0.00	0.00	1834.38	2593.38	72868.38	0.75
4. अन्य प्रशासनिक से वाएं													
i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	524.00	0.01
ii) अन्य	16718.00	1727.00	183919.00	483.00	535.00	35.00	4.00	6410.90	249.00	575.18	8292.08	192211.08	1.98
योग- XII	16718.00	13179.00	262049.00	1158.00	535.00	178.00	164.00	13045.90	344.00	2494.56	17919.46	279968.46	2.89
	(10.90)	(3.58)	(2.88)	(2.88)	(3.23)	(3.15)	(3.65)	(2.78)	(3.71)	(6.05)	(3.05)	(2.89)	
सकल योग	153413.00	368250.00	9099214.00	40205.53	16542.00	5649.62	4491.76	470000.00	9281.10	41225.42	587395.43	9686609.43	100.00

वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघशासित क्षेत्र

(लाख रुपये)

विकास के प्रमुख/लघु शीर्षक	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		छत्तीसगढ़		दादर तथा नागर हवेली		दमन तथा दीव		दिल्ली	लक्षद्वीप	पाण्डिचेरी	योग (सं.शा.क्षेत्र)	योग (राज्य तथा सं.शा.क्षेत्र)	परिव्यय के प्राप्ति %
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1.	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

**वार्षिक योजना (2003-04) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान
आंतरिक और बजटेतर संसाधन**

(घरोंड रुपयों)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बन्ध पत्र	ई सी बी / आपूर्ति-कर्ता ग्रहण	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आईबी आर	कुल योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	कृषि मंत्रालय	3242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3242.00
	ए कृषि और सहकारिता विभाग	2167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2167.00
	बी कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
	सी पशु पालन और डेयरी विभाग	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
II.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
III.	परमाणु ऊर्जा विभाग	2800.00	224.60	997.0	0.00	84.50	1081.50	1306.10	4106.10
IV.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	252.00	721.22	0.00	0.00	194.12	194.12	915.34	1167.34
	ए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	55.00	14.61	0.00	0.00	37.98	37.98	52.59	107.59
	बी उर्वरक विभाग	197.00	706.61	0.00	0.00	156.14	156.14	862.75	1059.75
V.	नागर विमानन मंत्रालय	52.88	1452.02	0.00	0.00	274.28	274.28	1726.3	1779.18
VI.	कौयला मंत्रालय	285.90	2298.05	0.00	0.00	737.35	737.35	3035.4	3321.30
VII.	खान मंत्रालय	234.50	502.8	0.00	0.00	150.75	150.75	653.55	888.05
VIII.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1165.00	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52	27.52	1192.52
	ए वाणिज्य विभाग	885.00	0.00	0.00	0.00	27.52	27.52	27.52	912.52
	बी औद्योगिक नीति व प्रोन्नयन विभाग	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
IX.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	805.00	8881.65	1536.00	0.00	4459.80	5995.8	14877.5	15682.45
	ए डाक विभाग	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	बी दूर संचार विभाग	185.00	8806.00	1536.00	0.00	4428.00	5964.0	14770.00	14955.00
	सी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	470.00	75.65	0.00	0.00	31.80	31.80	107.45	577.45
X.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	54.48	44.00	0.00	0.00	50.00	50.00	94.00	148.48
	ए उपभोक्ता मामले विभाग	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25

**वार्षिक योजना (2003-04) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान
आंतरिक और बजटेतर संसाधन**

(घरोंड रुपयों)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बन्ध पत्र	ई सी बी / आपूर्ति-कर्ता ग्रहण	अन्य	कुल ई बी आर	कुल आई बी आर	कुल योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बी सार्वजनिक वितरण विभाग	44.23	44.00	0.00	0.00	50.00	50.00	94.00	138.23
XI.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	19.90	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	20.72
XII.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.00
XIII.	विदेश मंत्रालय	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
XIV.	वित्त मंत्रालय	2492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2492.69
	ए आर्थिक कार्य विभाग	2482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2482.38
	बी व्यय विभाग	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
	सी राजस्व विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	डी कम्पनी कार्य विभाग	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
XV.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
XVI.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6630.00
	ए स्वास्थ्य विभाग	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00
	बी आई.एस.एम. एंड एच. विभाग	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	सी परिवार कल्याण विभाग	4930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4930.00
XVII.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	110.00	255.97	0.00	0.00	11.10	11.10	267.07	377.07
	ए भारी उद्योग विभाग	100.00	255.97	0.00	0.00	11.1	11.1	267.07	367.07
	बी सार्वजनिक उद्यम विभाग	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
XVIII.	गृह मंत्रालय	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
XIX.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	9625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.00
	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00
	बी माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	2125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2125.00
	सी महिला और बाल विकास	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00

**वार्षिक योजना (2003-04) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान
आंतरिक और बजटेतर संसाधन**

(घनरोड रुपये)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बन्ध पत्र	ई सी बी / आपूर्ति-कर्ता ग्रहण	अन्य	कुल ईबीआर	कुल आईबी आर	कुल योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विभाग								
XX.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	415.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	890.00
XXI.	श्रम मंत्रालय	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
XXII.	विधि, न्याय मंत्रालय	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
XXIII.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	625.00	93.14	100.00	155.00	110.00	365.00	458.14	1083.14
XXIV.	महासागर विकास विभाग	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
XXV.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
XXVI.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	0.00	15074.82	500.00	0.00	7156.65	7656.65	22731.5	22731.47
XXVII.	योजना मंत्रालय	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
XXVIII.	विद्युत मंत्रालय	3500.00	2108.49	4899.29	2936.45	1223.38	9059.12	11167.6	14667.61
XXIX.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	6330.92	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	10330.92
XXX.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	14070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14070.00
	एग्रामीण विकास विभाग	10270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10270.00
	बीभूमि तथा संसाधन विभाग	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
	सीपीय जल आपूर्ति विभाग	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.00
XXXI.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
	एविज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	बीवैज्ञानिक और प्रौद्योगिक/अनुसंधान विभाग	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
	सीजैव-प्रौद्योगिकी	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

वार्षिक योजना (2003-04) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान
आंतरिक और बजटेतर संसाधन

(घरोंड रुपयें)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सकल बजट सहायता	आंतरिक संसाधन	बन्ध पत्र	ई सी बी / आपूर्ति-कर्ता ग्रहण	अन्य	कुल ई बी आर	कुल आई बी आर	कुल योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXII.	जहाजरानी मंत्रालय	425.00	766.65	0.00	1284.25	69.12	1353.37	2120.02	2545.02
XXXIII.	लघु और कृषि तथा ग्राम उद्योग मंत्रालय	350.00	24.00	0.00	0.00	26.00	26.00	50.00	400.00
XXXIV.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.00
XXXV.	अंतरिक्ष विभाग	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00
XXXVI.	सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78
XXXVII.	इस्पात मंत्रालय	11.00	768.80	0.00	0.00	681.50	681.5	1450.30	1461.30
XXXVIII.	वस्त्र मंत्रालय	760.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	763.94
XXXIX.	पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
	एसांस्कृति विभाग	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	बीपर्यटन विभाग	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
XL.	जनजातीय मामलों संबंधी मंत्रालय	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
XLI.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2225.00	440.42	3215.00	0.00	384.90	3599.9	4040.32	6265.32
XLII.	जल संसाधन मंत्रालय	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00
XLIII.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
XLIV.	रेल मंत्रालय	5644.34	3340.66	3000.00	0.00	0.00	3000.00	6340.66	11985.00
	सकल योग	72151.60	37476.23	18247.29	4375.70	15641.79	38264.78	75741	147892.61

		संलग्नक 2.2.6	
वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विकास शीर्ष-वार केन्द्र के बजट अनुमान			
(करोड़ रुपए)			
क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
I.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप		3865.57
1	कृषि	12401	1662.57
2	मृदा और जल संरक्षण	12402	29.03
3	पशुपालन	12403	152.10
4	डेयरी विकास	12404	25.40
5	मत्स्य पालन	12405	118.50
6	वानिकी और वन्य जीवन	12406	434.00
7	बागान	12407	236.54
8	खाद्य, भंडारण और भाण्डारागृह	12408	169.18
9	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	775.00
10	कृषि संबंधी वित्त संस्थान	12416	0.00
11	सहकारिता	12425	163.25
12	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	100.00
II.	ग्राम विकास		6470.65
1	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1615.15
2	ग्रामीण रोजगार	12505	4487.50
3	भू-सुधार	12506	55.00
4	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	12515	313.00
5	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00
1	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00
	(ख) जनजातीय उप योजना		0.00
	(ग) सीमवर्ती क्षेत्र		0.00
	(घ) अन्य		0.00
IV	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		442.50
1	बड़ी और मझौली सिंचाई	12701	74.58
2	लघु सिंचाई	12702	95.22
3	कमान क्षेत्र विकास	12705	202.00
4	बाढ़ नियंत्रण और नाली व्यवस्था	12711	70.70

		संलग्नक 2.2.6	
वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विकास शीर्ष-वार केन्द्र के बजट अनुमान			
(करोड़ रुपए)			
क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
V.	ऊर्जा		43379.25
1	विद्युत	12801	17172.98
2	पेट्रोलियम	12802	22080.43
3	कोयला और लिग्नाइट	12803	3042.85
4	ऊर्जा के गैर - परंपरागत स्रोत	12810	1082.99
5	ऊर्जा समन्वय और विकास	12820	0.00
VI.	उद्योग और खनिज		6067.75
1	ग्राम और लघु उद्योग	12851	1200.53
2	लोहा और इस्पात उद्योग	12852	1470.30
3	अलौह खनन और धातु कर्मीय उद्योग		
4	सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	15.01
5	उर्वरक उद्योग	12855	1059.75
6	पेट्रोलियम उद्योग	12856	672.52
7	रसायन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग	12857	67.68
8	इंजीनियरी उद्योग	12858	416.19
9	दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग		
10	उपभोक्ता उद्योग	12860	451.50
11	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	452.10
12	अन्य उद्योग	12875	139.02
13	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	123.15
VII.	परिवहन		28783.55
1	रेलवे	13002	11985.00
2	पत्तन और प्रकाशस्तंभ	13051	1068.89
3	नौवहन	13052	1318.13
4	नागर विमानन	13053	1779.18
5	सड़कें और पुल	13054	12566.92
6	सड़क परिवहन	13055	0.00
7	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	40.43
8	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.00
VIII.	संचार		14903.00
1	डाक सेवाएं	13201	150.00
2	दूरसंचार सेवाएं	13225	14568.00
3	अन्य संचार सेवाएं	13275	185.00

		संलग्नक 2.2.6	
वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विकास शीर्ष-वार केन्द्र के बजट अनुमान			
(करोड़ रुपए)			
क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
IX.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		4696.00
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	464.00
2	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	2050.00
3	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	175.00
4	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1507.00
5	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	500.00
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		3945.43
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	188.13
2	पर्यटन	13452	325.00
3	विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	578.09
4	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	75.07
5	मौसम विज्ञान	13455	65.00
6	नागरिक आपूर्ति	13456	12.20
7	सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थान	13465	0.00
8	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	13605	650.00
9	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	2051.94
XI.	सामाजिक सेवाएं		33399.36
1	सामान्य शिक्षा	22202	6325.00
2	तकनीकी शिक्षा	22203	697.00
3	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	345.63
4	कला और संस्कृति	22205	223.25
5	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	1527.00
6	परिवार कल्याण	22211	4437.00
7	जल आपूर्ति और स्वच्छता	22215	2631.25
8	आवासन	22216	5408.00
9	शहरी विकास	22217	2162.82
10	सूचना और प्रचार	22220	46.90
11	प्रसारण	22221	750.20
12	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1381.09
13	श्रम और रोजगार	22230	152.30
14	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2620.17
15	पो-नाहार	22236	1.83
16	प्राकृतिक आपदाएं	22245	4.38

		संलग्नक 2.2.6	
वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विकास शीर्ष-वार केन्द्र के बजट अनुमान			
(करोड़ रुपए)			
क्र.सं.	विकास शीर्ष		केन्द्र
17	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	4.00
18	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	9.60
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	4671.94
XII.	सामान्य सेवाएं		408.95
1	न्याय का प्रशासन	32014	108.00
2	मुद्रा, सिक्के और टकसाल	32046	0.00
3	अन्य वित्तीय सेवाएं	32047	0.00
4	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	8.40
5	पुलिस	32055	227.70
6	जेल	32056	0.00
7	आपूर्ति और निपटान	32057	1.91
8	लेखन सामग्री और मुद्रण	32058	0.00
9	सार्वजनिक निर्माण कार्य	32059	26.75
10	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	32.81
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	3.38
	कुल जोड़		146362.01
टिप्पणी: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में बजट अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।			

पाद टिप्पणी - वार्षिक योजना 2002-03 - संशोधित परिव्यय

*: राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया ।

आंध्र प्रदेश

1. 8310 लाख रुपए सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए; 29 लाख रुपए "अपार्ड" के लिए; 10288 लाख रुपए सामान्य महिला सशक्तिकरण के लिए शामिल हैं ।
2. 13000 लाख रुपए "एप्सेर्प" के लिए और 100 लाख रुपए एसआरटी संस्थान के लिए शामिल हैं।
3. यातायात (ट्रैफिक) पुलिस के लिए ।
4. विधिक मापविद्या के लिए ।
5. 1538 लाख रुपए न्यायालय इमारतों के लिए; 9 लाख रुपए आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी परिसर के लिए और 300 लाख रुपए मंडल इमारतों के लिए भी शामिल हैं ।
6. 1500 लाख रुपए प्रशासन संस्थान के लिए; 340 लाख रुपए अग्नि सेवा निदेशालय के लिए; 1980 लाख रुपए डीजी और आईजी पुलिस के लिए और 300 लाख रुपए "नलसर" के लिए शामिल हैं ।

अरुणाचल प्रदेश

1. प्रशासन और प्रशिक्षण के लिए
2. 445 लाख रुपए एसजीएसवाई के लिए और 207 लाख रुपए इंदिरा आवास योजना के लिए शामिल हैं ।
3. 604 लाख रुपए ग्रामीण आवास के लिए और 330 लाख रुपए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए शामिल हैं ।
4. 35 लाख रुपए परिवहन निदेशालय के लिए और 9 लाख रुपए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए शामिल हैं ।
5. 1200 लाख रुपए एमएलएसीएडी स्कीम के लिए शामिल हैं ।
6. 53 लाख रुपए अवस्थापना के लिए शामिल हैं ।

असम

1. रा-द्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए हैं ।
2. 650 लाख रुपए आईएवाई के लिए शामिल हैं ।
3. 2500 लाख रुपए पीएमजीवाई के लिए (आश्रय और ग्रामीण सड़कें) और 300 लाख रुपए डीआरडीए प्रशासन के लिए शामिल हैं ।

4. 23 लाख रुपए लोक उद्यमों के लिए तथा 200 लाख रुपए न्याय के प्रशासन के लिए शामिल हैं ।
5. 95 लाख रुपए एएएससी के विकास के लिए; 45 लाख रुपए एपीएससी के निर्माण के लिए और 65 लाख रुपए अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए शामिल हैं ।

बिहार

1. इंदिरा आवास योजना के लिए ।
2. 8460 लाख रुपए पीएमजीवाई-आईवाई के लिए तथा 29729 लाख रुपए एमएलए-एमएलसी स्कीमों के लिए शामिल हैं ।
3. 354 लाख रुपए राजको-नों के कंप्यूटरीकरण के लिए; 30 लाख रुपए 20 सूत्री कार्यक्रम के मानीटरन के लिए; 20 लाख रुपए जिला पुनर्गठन के लिए; 190 लाख रुपए अल्पसंख्यक वित्तपो-ण के लिए और 2130 लाख रुपए विधि के लिए शामिल हैं ।

गोवा

1. संपूर्ण ग्रामीण योजना के लिए ।
2. 34 लाख रुपए डीआरडीए प्रशासन के लिए और 49 लाख रुपए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (एनएसएपी सहित) के लिए शामिल हैं ।
3. स्काई बस मेट्रो के लिए ।
4. 70 लाख रुपए न्यायिक प्रशासन के लिए; 19 लाख रुपए लेखों के लिए 2000 लाख रुपए वित्त के लिए और 40 लाख रुपए नोटरी सेवाओं के लिए शामिल हैं ।

गुजरात

1. 28 लाख रुपए ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए; 400 लाख रुपए डीआरडीए प्रशासन के लिए; 19 लाख रुपए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए; 845 लाख रुपए टीएसपी के लिए विनिर्धारित; 453 लाख रुपए विशेष- रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए; 5 लाख रुपए मांग पर राज्य वाटरशेड कार्यक्रम के लिए; 90 लाख रुपए वाटरशेड परियोजनाओं (नाबार्ड) के लिए और 4885 लाख रुपए गोकुल ग्राम योजना के लिए शामिल हैं ।
2. 1000 लाख रुपए आईवाई (नया निर्माण) के लिए; 250 लाख रुपए आईवाई (उन्नयन) के लिए; 3200 लाख रुपए भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के लिए आईवाई के वास्ते; और 1700 लाख रुपए आईवाई के लिए राज्य सरकार को पूरक के रूप में शामिल हैं ।
3. संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के लिए ।
4. 200 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम के लिए और 100 लाख रुपए भूकम्प प्रभावित ग्रामीण एचएचएस के लिए आजीविका सुरक्षा परियोजना के लिए शामिल हैं।
5. 8352 लाख रुपए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए शामिल हैं ।

हरियाणा

1. डीआरडीए प्रशासन के लिए ।
2. 2022 लाख रुपए एसजीआरवाई के लिए, 465 लाख रुपए आईएवाई के लिए और 188 लाख रुपए ग्रामीण आवास के लिए भी शामिल हैं ।

हिमाचल प्रदेश

1. इंदिरा आवास योजना के लिए ।
2. 100 लाख रुपए संस्थात्मक वित्त के लिए और 110 लाख रुपए उपभोक्ता आयोग के लिए शामिल हैं ।

जम्मू और कश्मीर

1. "वैज्ञानिक अनुसंधान" के अंतर्गत सम्मिलित ।
2. सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए ।

झारखंड

1. ग्राम तथा लघु उद्योग (वी एंड एसआई) के अंतर्गत सम्मिलित ।
2. वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत सम्मिलित ।
3. 1950 लाख रुपए गृह पुलिस के लिए; 650 लाख रुपए होमगार्ड के लिए; 198 लाख रुपए अग्नि सेवाओं के लिए; 297 लाख रुपए अभियोजन के लिए; 233 लाख रुपए कार्मिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए और 352 लाख रुपए संस्थात्मक वित्त के लिए शामिल हैं ।

कर्नाटक

1. 284 लाख रुपए डीआरडीए प्रशासन के लिए और 9 लाख रुपए विकेन्द्रीकृत नर्सरियों के लिए शामिल हैं ।
2. 1265 लाख रुपए मलन्द क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए; 1685 लाख रुपए हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड के लिए और 245 लाख रुपए मैदान विकास के लिए तथा 700 लाख रुपए अनुच्छेद 275(1) और टीएसपी के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए शामिल हैं ।
3. प्रदू-ण नियंत्रण के लिए ।
4. 90 लाख रुपए प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए; 22200 लाख रुपए उपकर को अवस्थापना पहल निधि में अंतरित करने के लिए; 1000 लाख रुपए "वाट" के लिए तकनीकी सहायता हेतु;

1767 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए और 3000 लाख रुपए अवस्थापना विकास के लिए शामिल हैं ।

5. 260 लाख रुपए साड़ी-धोती स्कीम के लिए और 158 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण के लिए शामिल हैं ।
6. अग्नि संरक्षण हेतु ।

केरल

1. 2099 लाख रुपए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए और 1050 लाख रुपए आईएवाई के लिए शामिल हैं ।
2. 3500 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शामिल हैं ।
3. स्थानीय निकायों को सहायताार्थ ।

मध्य प्रदेश

1. 5100 लाख रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए और 2634 लाख रुपए वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए शामिल हैं ।

महाराष्ट्र

1. 100 लाख रुपए आईएवाई के लिए शामिल हैं ।
2. 27 लाख रुपए शमशान और कब्रिस्तान भूमि संबंधी कार्यकलापों के लिए; 32 लाख रुपए "यशदा" के लिए सहायता-अनुदान हेतु; 1188 लाख रुपए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए; 96 लाख रुपए आदर्श गांव के लिए; 201 लाख रुपए आईएफएडी के लिए; और 7500 लाख रुपए यशवंत ग्राम समृद्धि योजना के लिए शामिल हैं ।
3. 63 लाख रुपए अयाकट विकास के लिए शामिल हैं ।
4. 12102 लाख रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए शामिल हैं ।
5. कोंकण रेल परियोजना में राज्य की भागीदारी के लिए ।
6. 96 लाख रुपए दूरवर्ती संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र के लिए और 32 लाख रुपए जल प्रदू-ण नियंत्रण के लिए शामिल हैं ।
7. 27540 लाख रुपए स्थानीय विकास कार्यक्रमों के लिए और 6 लाख रुपए 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन जिले के पुरस्कार के लिए शामिल हैं ।
8. रोजगार और स्वरोजगार के लिए ।
9. 1970 लाख रुपए विविध सामान्य सेवाओं के लिए और 18550 लाख रुपए अन्य कार्यक्रमों के लिए शामिल हैं ।

मणिपुर

1. 425 लाख रुपए आईएवाई (ग्रामीण आवास) के लिए शामिल हैं ।
2. एमएलएएलएडीपी के लिए ।
3. 200 लाख रुपए एलडीए के लिए शामिल हैं ।
4. 5180 लाख रुपए रेशमपालन के लिए शामिल हैं ।
5. 23 लाख रुपए मोटर वाहन के लिए और 14 लाख रुपए नगर बस टर्मिनल के लिए सम्मिलित हैं ।
6. 145 लाख रुपए एमडीएस के लिए और 588 लाख रुपए समाज कल्याण के लिए शामिल हैं ।
7. 150 लाख रुपए पुलिस उन्नयन के लिए; 4 लाख रुपए एसएटी के लिए; 4 लाख रुपए कानूनी सहायता और सलाह के लिए; 100 लाख रुपए रा-ट्रीय राजमार्ग के लिए; 50 लाख रुपए राजस्व (जिला प्रशासन) के लिए; 25 लाख रुपए न्यायिक प्रशासन के लिए; 25 लाख रुपए राजको-नीय प्रशासन के लिए; 50 लाख रुपए जीएडी के लिए और 40 लाख रुपए अग्नि सेवाओं के लिए शामिल हैं ।

मेघालय

1. 28 लाख रुपए ग्रामीण विकास में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए और 2035 लाख रुपए विशेष-ग्रामीण कार्य कार्यक्रम के लिए शामिल हैं ।
2. 250 लाख रुपए रेशमपालन के लिए शामिल हैं ।
3. मोटर वाहन के लिए ।
4. स्वैच्छिक कार्रवाई निधि के लिए ।
5. 120 लाख रुपए अग्नि संरक्षण के लिए, 239 लाख रुपए पुलिस कार्यात्मक तथा प्रशासनिक इमारतों के लिए; 370 लाख रुपए न्यायिक इमारतों और त्वरित मार्ग न्यायालयों के लिए; 500 लाख रुपए राज्य विधानसभा भवन के लिए और 250 लाख रुपए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा परिसर के लिए शामिल हैं ।

मिजोरम

1. 105 लाख रुपए आईएवाई के लिए और 211 लाख रुपए जेजीएसवाई के लिए शामिल हैं ।
2. 626 लाख रुपए ग्रामीण आवासन के लिए और 2497 लाख रुपए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए शामिल हैं ।
3. नागर विमानन के लिए भी प्रावधान शामिल हैं ।
4. एम.वी. विंग के लिए ।

5. विधि और न्यायिक के लिए ।

नागालैंड

1. वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए ।
2. 100 लाख रुपए इंदिरा आवास योजना के लिए शामिल हैं ।
3. 700 लाख रुपए ग्रामीण आवासन (पीएमजीवाई) के लिए; 325 लाख रुपए रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए और 10 लाख रुपए एसआईआरडी के लिए शामिल हैं ।
4. 15 लाख रुपए वाहन प्रदू-ण नियंत्रण के लिए और 484 लाख रुपए यांत्रिकी इंजीनियरी के लिए शामिल हैं ।
5. 120 लाख रुपए न्यायपालिका के लिए और 83 लाख रुपए मूल्यांकन के लिए शामिल हैं ।
6. ईएफसी के तहत गैर-विकासात्मक विभागों के लिए ।

उड़ीसा

1. डीआरडीए प्रशासन के लिए ।
2. 277 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शामिल हैं ।
3. 65 लाख रुपए आरआरबी के लिए शेयर पूंजी के लिए; 1312 लाख रुपए एलटीएपी व अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए; 5000 लाख रुपए डब्ल्यूओडीसी को अनुदानों के लिए और 132 लाख रुपए प्रशिक्षण, सीए एंड सीटी संगठन के कंप्यूटरीकरण के लिए शामिल हैं ।
4. बाल कल्याण के अंतर्गत सम्मिलित ।
5. 299 लाख रुपए पुलिस कल्याण और भवन के लिए और 9302 लाख रुपए आपात चक्रवात पुर्निर्माण और आपदा प्रबंधन के लिए शामिल हैं ।

राजस्थान

1. डीआरडीए प्रशासन के लिए ।
2. 175 लाख रुपए ग्रामीण हाट तथा महिला विकास के लिए और 820 लाख रुपए इंदिरा आवास योजना के लिए शामिल हैं ।
3. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के लिए ।
4. 20 लाख रुपए राजस्थान प्रति-ठान निधि कायम करने के लिए; 500 लाख रुपए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए और 235 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के लिए शामिल हैं ।

सिक्किम

1. 300 लाख रुपए एसजीआरवाई के लिए और 1977 लाख रुपए ग्रामीण आवासन के लिए शामिल हैं ।
2. 100 लाख रुपए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शामिल हैं ।
3. सड़क और सेतु के अंतर्गत सम्मिलित ।
4. 2 लाख रुपए वित्त के लिए; 720 लाख रुपए राजको-नीय सुधार के लिए और 465 लाख रुपए पुलिस प्रशासन के लिए शामिल हैं ।

तमिलनाडु

1. डीआरडीए प्रशासन के लिए ।
2. इंदिरा आवास योजना के लिए ।
3. 1877 लाख रुपए ग्रामीण आवास के लिए; 13189 लाख रुपए स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान हेतु; 32173 लाख राज्य क्षेत्रक स्कीमों के लिए शामिल हैं ।
4. जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों के लिए ।
5. "बड़ी और मझौली सिंचाई" के अंतर्गत शामिल ।

त्रिपुरा

1. आयोजना और विकास प्रको-ठ के लिए ।
2. 64 लाख रुपए न्यायिक अवस्थापना के लिए; 8 लाख रुपए कानूनी सहायता और सलाह के लिए और 198 लाख रुपए अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए शामिल हैं ।

उत्तरांचल

1. एआरटीओ/आरटीओ के लिए ।
2. सैनिक कल्याण के लिए ।
3. ईएफसी के लिए ।

पश्चिम बंगाल

1. 18414 लाख रुपए अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए और 1393 लाख रुपए जनजातीय कल्याण के लिए अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के लिए शामिल हैं ।

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत हेतु ।
2. 58 लाख रुपए स्थानीय आडिट निधि के लिए; 40 लाख रुपए पहचान पत्र जारी करने के लिए; 130 लाख रुपए न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए; 45 लाख रुपए सरकारी मुद्रणालय के आधुनिकीकरण के लिए; और 210 लाख रुपए पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए ।

चंडीगढ़

1. डेयरी विकास के लिए भी प्रावधान शामिल है ।
2. 160 लाख रुपए ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए और 10 लाख रुपए ग्रामीण नाली व्यवस्था के लिए शामिल हैं ।
3. 10 लाख रुपए ग्रामीण सुरक्षा के लिए और 8 लाख रुपए एमवी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए शामिल हैं ।
4. सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ।

दादरा व नगर हवेली

1. पीएओ कार्यालय की स्थापना के लिए ।
2. अग्नि संरक्षण और नियंत्रण के लिए ।

दमन व दीव

1. लेखा सेवाओं के लिए ।

लक्षद्वीप

1. विधिक मापविद्या के लिए ।
2. 39 लाख रुपए अग्नि संरक्षण के लिए; 200 लाख रुपए सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए और 10 लाख रुपए पुलिस के लिए शामिल हैं ।

पांडिचेरी

1. कंप्यूटरीकरण के लिए ।

अध्याय 3

नीतियों और कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

3.1 कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

1. आजादी के बाद से आयोजना आर्थिक विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण का एक मुख्य स्तंभ रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण, अगले दस वर्षों के अंदर देश में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के एक महत्वाकांक्षापूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया है। दसवीं योजना की एक अनूठी बात इसकी यह स्वीकार्यता है कि आर्थिक विकास ही राष्ट्रीय आयोजना का मात्र उद्देश्य नहीं हो सकता बल्कि यह मानव कल्याण की संवृद्धि की दृष्टि से विकास उद्देश्य की फिर से परिभाषा करने का एक साधन है। इसलिए, योजना में कतिपय मात्रायोग्य और मानीटरनयोग्य लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें 2007 तक प्राप्त किया जाना है, विशेष रूप से मानव विकास से संबंधित लक्ष्य, जैसे कि निर्धनता में कमी, रोजगार सृजन और जीवन स्तर के कुछ क्रांतिक संकेतकों में सुधार, जिसमें निर्धनता अनुपात को कम करना, साक्षरता दर बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना और सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा शामिल है। योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत की औसत जीडीपी विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत ऐसे नीतिगत और संस्थात्मक सुधारों की व्यवस्था की गई है जो कृषि, कृषि-वार्निकी, सिंचाई, लघु और मझौले उद्यम, पर्यटन, सूचना और संचार व अन्य सेवाओं जैसे रोजगार प्रधान क्षेत्रों पर बल देते हुए, प्रत्येक क्षेत्रक के संबंध में अपेक्षित हैं। योजना में इस बात की पुष्टि की गई है कि 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निःसंदेह हमें अपनी बचत और निवेश दरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी होगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि आमतौर पर समझा जाता है। विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि अर्थव्यवस्था के कुछेक क्षेत्रों में पर्याप्त अधिक क्षमता विद्यमान है और इसलिए यह संभव होना चाहिए कि निवेशयोग्य संसाधनों में तदनुरूपी वृद्धि किए बगैर उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके और साथ ही कार्यकुशलता में सुधार और बेहतर क्षेत्रकीय बल के फलस्वरूप दसवीं योजना अवधि के लिए वृद्धिकारी पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में गिरावट आनी चाहिए।

2. केवल अच्छे शासन, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करके, परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग और उद्यमशीलता विकास पर से नियंत्रण और प्रतिबंधों और व्यापार सम्बद्ध बाधाओं को दूर करके ही योजना के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही के साथ उनकी प्रभावी सुलभता आज की स्थिति में, विशेष रूप से भविष्य में सामाजिक क्षेत्रों में परिकल्पित सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, अधिकाधिक महसूस की जा रही है। वार्षिक योजना 2003-04 में अच्छे शासन और कुशल, पारदर्शी व प्रतिक्रियाशील नागरिक सेवाओं के संबंध में ई-शासन की पहलों को कार्यान्वित करने में पहलों पर बल दिया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 को दसवीं योजना का द्वितीय वर्ष होने के नाते एक बड़ी सीमा तक अर्थव्यवस्था की कम वृद्धि की क्षतिपूर्ति करनी होगी जिसमें मुख्यतः देश में गंभीर सूखे के कारण पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2002-03 में केवल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका न केवल कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा बल्कि जिसका अन्य अधिकांश क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3. वार्षिक योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने उन कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनका सामान्य रूप से योजना के निर्माण की प्रक्रिया पर और विशेष रूप से वार्षिक योजना 2003-04 पर प्रभाव पड़ा है तथा उन सुझावों को पुनः दोहराया जो विगत कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय

मंत्रालयों/विभागों व राज्य सरकारों को दिए गए हैं तथा जो अभी भी विशेष रूप से वर्तमान वार्षिक योजना तैयार करने के संबंध में प्रासंगिक हैं ।

4. योजना आयोग की मूल्यांकन रिपोर्टों से यह स्पष्टतः पता चलता है कि बड़ी संख्या में स्कीमों में प्रशासन पर अत्यधिक राशि खर्च की जाती है और परिणामस्वरूप किए जाने वाले वास्तविक कार्य के लिए बहुत कम राशि बच पाती है । मंत्रालयों/विभागों को इस बात की जानकारी है कि योजना आयोग केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के विलयन/छंट्टाई और हस्तांतरण के संबंध में कार्रवाई कर रहा है । इससे निधियों की आवश्यकता और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन रूकेगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि योजनागत व्यय वांछित वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप हो । इससे योजना के तहत इन्पुटों के बदले परिणामों पर बल दिया जाएगा, अर्थात् वास्तविक लक्ष्य पर, न कि वित्तीय आबंटनों पर ।

5. दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सभी योजनागत कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्राथमिकता तय किए जाने की जरूरत है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सर्वाधिक विवेकपूर्ण और आर्थिक रूप से किफायती ढंग से किया जा सके । विशेष रूप से वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार करते समय, बुनियादी क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं और संबंधित क्षेत्रक में सार्वजनिक कार्रवाई के लिए न्यूनतम कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय/विभाग के संबंध में "कोर योजना" की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए । इसमें यह विचार अंतर्निहित है कि प्रत्येक क्षेत्रक में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को योजना अवधि के दौरान आबंटन के अभाव में क्षति न पहुंचे तथा उन्हें योजना के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि उनके कार्यान्वयन से पूर्वानुमानित लाभ पूर्ण रूप में प्राप्त किए जा सकें ।

6. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राथमिकतापूर्ण सरकारी क्षेत्रक परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित करने की जरूरत है । तथापि, अंतर्निहित उद्यमी शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए और कुछ सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने और धीरे-धीरे समर्थन प्रदान करने के लिए निजी पहलों को प्रोत्साहित करते हुए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के वास्ते संस्थात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना भी महत्वपूर्ण है । संसाधनों की मांग और व्यवस्था किए बगैर, "संसाधन नि-प्रभावी नीतियों" के माध्यम से, विनिश्चित योजना उद्देश्यों की दृष्टि से काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, चाहे नया व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रयासरत किसी लघु उद्यमी का मामला हो, अथवा उस दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मामला हो । ऐसे मामले हैं जहां प्रक्रियात्मक बाधाओं और नियमों व विनियमों की रूपरेखा की वजह से हमारे उत्पाद के उत्पादन, वितरण और खपत में भी आर्थिक गतिविधियों की कारोबारी लागत में वृद्धि हुई है । इसकी वजह से हमारी पद्धतियों में अकार्यकुशलताएं आई हैं तथा भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात बाजारों में हमारे कुछेक प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में एक उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था बन गई है । इसलिए, इक्विटी संबंधी हमारी चिंताओं के समाधान और देश की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास नि-पादन को बनाए रखते हुए, सरकारी और निजी क्षेत्र का भेदभाव किए बगैर, और अधिक व्यापक आधारित विकास गति पैदा करने के वास्ते हमारी नीतिगत रूपरेखा में इन विकृतियों को तेजी से दूर किए जाने की जरूरत है।

7. प्रभावी ढंग से त्रैमासिक नि-पादन समीक्षा और योजनागत स्कीमों के समय-समय पर संयुक्त मानीटरन को प्रोत्साहित करके योजनागत व्यय के मानीटरन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है ताकि योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के विनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारी खर्च की कारगरता में सुधार हो सके ।

8. जहां तक संभव हो, केवल ऐसी केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को योजना में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें दसवीं योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है और जिनके संबंध में नामित निकाय द्वारा आवश्यक निवेश संबंधी निर्णय लिए जा चुके हैं अथवा ऐसे प्रस्ताव जो सार्वजनिक हित में हैं तथा जिन्हें अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रभावों के बगैर रोका नहीं जा सकता और जिसके संबंध में कम से कम प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा चुका है।

9. विकास के लिए, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रकों में विकास के लिए संसाधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण उपाय विदेशी सहायित परियोजनाएं (ईएपी) तथा एनजीओ द्वारा परियोजनाओं का प्रत्यक्ष वित्तपोषण है (अर्थात् बजटीय प्रवाहों से बाहर), जिन्हें आयोजन प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि इनमें कुछ परियोजनाएं वर्न के दौरान शुरू की जाती हैं और वित्त वर्न के संबंध में बजटीय सहायता केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के समय निश्चित की जाती है, इसलिए नई ईएपी को सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था मंत्रालयों/विभागों के देशज बजटीय सहायता (डीबीएस) के अंतर्गत निधियों में कमी करके ही की जा सकती है। इससे बहुत से मामलों में संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के संबंध में निश्चित वास्तविक लक्ष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए और आगे संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास के लिए संसाधनों के इस महत्वपूर्ण स्रोत का पर्याप्त रूप से दोहन किया जाना चाहिए, किन्तु मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों व अन्य कार्यक्रमों तथा ईएपी के बीच अपेक्षित बजटीय सहायता की व्यवस्था करने के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की भी पर्याप्त गुंजाइश है। जो ईएपी कोर योजना में शामिल किए जाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाली हों, उनका उल्लेख कोर योजना में भी किया जाना चाहिए तथा शामिल भी किया जाना चाहिए।

10. दसवीं योजना और उसके आगे की अवधियों के लिए रा-ट्र स्तरीय मानीटरनयोग्य लक्ष्य तय किए गए हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य के संबंध में तदनुसूची लक्ष्य तय किए जाएं और उन लक्ष्यों के संबंध में प्राप्त प्रगति का संबंधित राज्य में सर्वोच्च स्तर पर मानीटरन किया जाना चाहिए। रा-ट्रीय स्तर पर चहुंमुखी प्रगति के बावजूद, विकास में बहुत से असंतुलन अभी बने हुए हैं। कुछ असंतुलनों में कमी आई है किन्तु कुछ में समय के दौरान वृद्धि हुई है जिससे अधिक विकसित और कम विकसित राज्यों के बीच अंतर में वृद्धि हुई है। ये असंतुलन, वृद्धि की दर, विकास की पद्धतियों, योजना परिव्ययों और विकास परिणामों में तथा भावी विकास का वित्तपोषण करने के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमताओं में, सर्वाधिक स्प-ट रूप से देखे जा सकते हैं। जैसाकि कुछ सीमा तक देखा जा सकता है, बेहतर आधारभूत ढांचे वाले राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में निजी निवेश आकर्षित करते हैं। इसलिए, पिछड़े क्षेत्रों में कम विकसित राज्यों की विकास प्रक्रिया तेज करने के लिए एक बहु-आयामीय कार्यनीति जरूरी है।

सरकारी क्षेत्रक योजना

11. दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2002-07 अवधि के दौरान 8 प्रतिशत प्रतिवर्न की औसत जीडीपी विकास दर प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, रा-ट्रीय निवेश के आकार में स्थिर (2001-02) कीमतों पर नौवीं योजना के दौरान 2507 हजार करोड़ रुपए से, दसवीं योजना के

दौरान 4082 हजार करोड़ रुपए तक, अर्थात् 62 प्रतिशत से अधिक की पर्याप्त रूप में वृद्धि करना आवश्यक है ।

12. दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्रक निवेश में वृद्धि करने की जरूरत को देखते हुए, दसवीं योजना के लिए 2001-02 कीमतों पर 15,92,300 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्रक के संसाधनों की प्रक्षेपित आवश्यकता में केन्द्र का हिस्सा 9,21,291 करोड़ रुपए (58.5 प्रतिशत) और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 6,71,009 करोड़ रुपए (41.5 प्रतिशत) है । केन्द्रीय योजना के लिए संसाधनों में, 4,05,735 करोड़ रुपए का सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) घटक तथा 5,15,556 करोड़ रुपए का आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईईबीआर) घटक सम्मिलित है । केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा इस समय अनुमानित आईईबीआर घटक 4,87,448 करोड़ रुपए है, जो दसवीं योजना के लिए पूर्वानुमानित जीडीपी के 8 प्रतिशत विकास के अनुरूप स्तर से 28,108 करोड़ रुपए कम है । इस प्रकार, केन्द्रीय क्षेत्रक में संसाधन आबंटन की राशि 8,93,183 करोड़ रुपए बैठती है जैसाकि **संलग्नक 3.1.1** में दर्शाया गया है।

13. वार्षिक योजना 2002-03 में 2,47,897 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्रक परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसके संदर्भ में संशोधित अनुमान (आरई) की राशि वर्तमान कीमतों पर 2,50,956 करोड़ रुपए है । स्थिर कीमतों (2001-02) पर यह दसवीं योजना परिव्यय की केवल 16.1 प्रतिशत बैठती है । वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन (ब.अ.) वर्तमान कीमतों पर 2,68,867 करोड़ रुपए है, जो स्थिर कीमतों पर दसवीं योजना का 16.8 प्रतिशत बैठता है जैसाकि नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है । सरकारी क्षेत्रक द्वारा आंतरिक संसाधनों के उम्मीद से कम जुटाव और साथ ही कर - जीडीपी अनुपात में गिरावट के कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों की कमी की स्थिति और खराब हो गई ।

तालिका 3.1

दसवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्रक योजना व्यय

(2001-02 कीमतों पर)

वर्ष	कुल दसवीं योजना का प्रतिशत
2002-03 (सं.अ.)	16.1
2003-04 (ब.अ.)	16.8
जोड़ (2002-04)	32.9

14. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दसवीं योजना संसाधन, 2001-02 कीमतों पर 6,71,009 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित हैं । तथापि, कोर योजना अनुमानों के अनुसार संसाधनों की राशि 5,90,948 करोड़ रुपए बैठती है, जिससे 80,061 करोड़ रुपए का शेष रह जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रकीय आबंटन में कोर योजना संसाधन तथा शेष का केन्द्रीय सहायता घटक, अर्थात् 41,508 करोड़ रुपए शामिल है । यह घटक कतिपय क्रांतिक क्षेत्रकों के लिए आबंटित किया गया है जिनका विनिर्धारण योजना आयोग द्वारा किया गया है । शेष के स्वयं के संसाधन घटक के आबंटन के संबंध में, जिसकी राशि 38,553 करोड़ रुपए बैठती है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके वास्तविक जुटाव तक

प्रतीक्षा करनी होगी । परिणामस्वरूप, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रक में क्षेत्रकीय घटक 2001-02 कीमतों पर 6,32,456 करोड़ रुपए तय किया गया है जैसाकि **संलग्नक 3.1.1** में दिखाया गया है ।

15. दसवीं योजना के लिए अनुमोदित सरकारी क्षेत्रक परिव्यय, केन्द्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच क्रमशः 58.5 और 41.5 के अनुपात में था । दसवीं योजना के पहले दो वर्षों (2002-2004) के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा, दसवीं योजना में परिकल्पित प्रतिशत हिस्से से अधिक है, जैसाकि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.2

दसवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्यय में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा
(2001-02 कीमतों पर प्रतिशत)

दसवीं योजना (2002-07) (पूर्वानुमानित)	41.5
2002-03 (सं.अ.)	45.5
2003-04 (ब.अ.)	45.0

16. सभी विकास प्रयासों का अंतिम उद्देश्य मानव विकास है, जिसके अंतर्गत लोगों का जीवन स्तर और उनके कल्याण का स्तर व बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक उनकी उपलब्धता है । सामाजिक न्याय के साथ-साथ उच्च आर्थिक विकास की उपलब्धि पर बल के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्रकों में विकास पहलों पर पुनः बल दिया जाना सम्मिलित है । उपरोक्त उद्देश्य के साक्ष्यस्वरूप देखा गया है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्रकों पर सरकारी व्यय में पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि हो रही है जैसाकि **तालिका 3.3** में दिखाया गया है ।

तालिका 3.3

पिछले वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्रकों (केन्द्र और राज्यों) पर कुल व्यय

वर्ष	जीडीपी का प्रतिशत
1996-97 (वास्तविक)	23.4
1997-98 (")	24.2
1998-99 (")	25.4
1999-2000 (")	26.6
2000-01 (")	28.1
2001-02 (")	29.5
2002-03 (ब.अ.)	29.6

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03

केन्द्रीय क्षेत्रक

17. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2001-02 कीमतों पर केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए 8,93,183 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है । ऊर्जा, परिवहन और संचार जैसे आधारभूत क्षेत्रकों में आबंटन केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए परिकल्पित कुल परिव्यय का लगभग 64 प्रतिशत है । इस प्रवृत्ति से निश्चित रूप से आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा और विकास प्रक्रिया को संधारणीय आधार पर समर्थन प्राप्त होगा । पहली

दो वार्षिक योजनाओं (2002-04) के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए वास्तविक दृष्टि से, दसवीं योजना के लिए परिकल्पित कुल परिव्यय के लगभग 30 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है जो काफी कम है जैसाकि **संलग्नक 3.1.2** में दर्शाया गया है। कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं, ग्राम विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा और संचार जैसे क्षेत्रकों में है। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में सामाजिक क्षेत्रकों के लिए अधिक आबंटन किया गया है, जैसाकि **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4

दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विभागों में सामाजिक क्षेत्रक परिव्यय
(2001-02 कीमतों पर प्रतिशत)

दसवीं योजना (पुर्वानुमानित)	15.6
2002-03 (सं.अ.)	22.0
2003-04 (ब.अ.)	23.0

18. राजको-नीय घाटे के लक्षित स्तर के अनुरूप, केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता, पांच वर्ष की अवधि (2002-07) के दौरान, 4,05,735 करोड़ रुपए पर रखी गई जैसाकि **संलग्नक 3.1.3** में दर्शाया गया है। पहले दो वर्षों (2002-04) के दौरान केन्द्र, बजटीय सहायता के 33 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 29 प्रतिशत आंतरिक व बजट बाह्य संसाधन जुटा सका, जैसाकि **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विभागों का वित्तपो-ण

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

व-र्ष	सकल बजटीय सहायता (जी बी एस)	आंतरिक व बजट-बाह्य संसाधन (आई ई बी आर)	कुल परिव्यय
दसवीं योजना (2002-07)	405735	487448	893183
2002-03 (सं.अ.)	66760	67179	133939
2003-04 (ब.अ.)	69098	72535	141633
Total (2002-04)	135858	139714	275572
दसवीं योजना का प्रतिशत	33	29	31

19. चूंकि सरकारी क्षेत्रक कार्यक्रम मानव कल्याण में वृद्धि करने और गरीबों की सहायतार्थ होते हैं इसलिए उनका वित्तपो-ण सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है, जो योजना के बजटीय संसाधनों के इस्तेमाल की पद्धति से भिन्न है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना द्वारा प्रदान की गई सहायता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास जैसे मानव विकास के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय विभागों के लिए तथा पेयजल, आवासन, शहरी विकास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता का घटक, केन्द्रीय

क्षेत्रक के लिए कुल बजटीय सहायता आबंटन के लगभग 39 प्रतिशत पर रखा गया है, जैसाकि **संलग्नक 3.1.3** में दर्शाया गया है ।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

20. दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत जीडीपी विकास प्राप्त करने के वास्ते सरकारी क्षेत्रक निवेश में वृद्धि करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रकों के संबंध में बजटीय संसाधनों में 2001-02 में जीडीपी के 3.85 प्रतिशत की दर से तथा 2006-07 में 4.20 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है । दसवीं योजना का औसत 4.10 प्रतिशत बैठता है जबकि नौवीं योजना में 3.14 प्रतिशत प्राप्त किया गया था ।

21. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कोर दसवीं योजना संसाधन 5,90,948 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित हैं जो 8 प्रतिशत जीडीपी विकास परिदृश्य के अनुरूप स्तर से 80,061 करोड़ रुपए कम है। इसे विकास लक्ष्य के अनुरूप बनने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को स्वयं के साधन 38,553 करोड़ रुपए बढ़ाने की जरूरत है तथा केन्द्र को शेन की कमी पूरी करने के वास्ते 41,508 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने की जरूरत है । फलतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रकीय आबंटन 6,32,456 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें से 33 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रकों, अर्थात् मानव विकास के लिए विनिश्चित किया गया है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है, जैसाकि **संलग्नक 3.1.4** में दर्शाया गया है ।

22. वर्ष 2002-03 के दौरान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चालू कीमतों पर 96,865 करोड़ रुपए (सं.अ.) का परिव्यय आबंटित किया गया था तथा वास्तविक दृष्टि से यह 93,624 करोड़ रुपए (2001-02 कीमतों पर) बैठता है, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रकों के लिए परिकल्पित कुल परिव्यय के आनुपातिक 16 प्रतिशत पर कम है, जैसाकि **संलग्नक 3.1.5** में दर्शाया गया है ।

23. वार्षिक योजना 2002-03 में, 18 राज्यों ने संशोधित अनुमानों के साथ व्यय की दृष्टि से अच्छा नि-पादन दिखाया है जैसाकि **संलग्नक 3.1.6** में दर्शाया गया है । इन राज्यों में सम्मिलित हैं : मध्य प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, नागालैंड (100 प्रतिशत से अधिक) तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, महारा-द्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, और उत्तरांचल (100 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में (-2) से (-42) प्रतिशत तक कमी रही । यह एक चिंता की बात है ।

24. कुछेक राज्यों में उनकी विशि-ट भू-भौतिक संरचना और सहवर्ती समाजार्थिक विकास के कारण उत्पन्न कतिपय क्षेत्रों में पेश आने वाली विशेष- समस्याओं से निपटने के लिए विशेष- क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं । पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही कार्यान्वित किया जा रहा है और उसे विनिश्चित पर्वतीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकीय संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है । इस समय एचएडीपी के अंतर्गत कवर किए गए विनिश्चित पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: (क) असम के दो पर्वतीय जिले - उत्तरी

कछाड और कर्बी अंगलॉग; (ख) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का एक बड़ा भाग; और (ग) तमिलनाडु का नीलगिरी जिला । इन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का, उनके आवास की कमजोर स्थिति के अनुरूप, विकास करने के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है जो मात्र वाटरशेड विकास न हो और इसलिए संधारणीय किस्म के आर्थिक कार्यकलापों पर ध्यान देने और ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने की जरूरत है जो पारिस्थितिकी को कम से कम अव्यवस्थित करते हुए निवासियों के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करते हुए, आर्थिक और पारिवारिक, दोनों प्रकार की स्थितियों में लोगों का भार कम करने में मददगार हों ।

25. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पाकिस्तान के सीमावर्ती जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों के संतुलित विकास के लिए वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था । आठवीं योजना के दौरान, कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया तथा इसका कवरेज बंगलादेश के साथ पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों तक बढ़ा दिया गया । नौवीं योजना में कार्यक्रम का और विस्तार सभी जमीनी सीमाओं तक कर दिया गया । बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य, सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है । केन्द्रीय स्तर पर अधिकार-प्राप्त समिति, कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों, राज्यों में क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण और संबंधित राज्यों के लिए निधियों के आबंटन संबंधी मामलों को देखती है । प्रत्येक राज्य में संवीक्षा समिति, कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाली स्कीमों के बारे में तय करती है ।

26. विकास और सुधार सुविधा (रा-ट्रीय सम विकास योजना) एक नई पहल है । रा-ट्रीय सम विकास योजना के दो घटक, यथा बिहार के लिए विशेष योजना और उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना पर पहले से ही अमल किया जा रहा है । पिछड़ा जिला पहल घटक को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

वृद्धि और सिंचाई

27. कृषि हमेशा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है । यह क्षेत्रक देश के 56.7 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है तथा सबसे बड़ा निजी क्षेत्रक व्यवसाय है । चूंकि कृषि क्षेत्रक दसवीं योजना का आधार है और नए रोजगार अवसरों में से भारी भाग इस क्षेत्रक से उत्पन्न होगा इसलिए कृषि उत्पादकता में सुधार करना तथा इस क्षेत्रक में रोजगार अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है । ध्यान दिए जाने योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं : हमारी विद्यमान कृषि भूमि की फसल गहनता को सुधारना, वर्षा के पानी को एकत्र करने तथा वैज्ञानिक वाटरशेड विकास और छोटी सिंचाई के जरिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने पर अधिक ध्यान देना, अन्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास, जिससे न केवल कृषकों को बल्कि सभी ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों को समर्थन प्राप्त हो, कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा कृषि उत्पाद का भौगोलिक रूप से तथा समय के दौरान दोनों ही दृष्टि से विविधीकरण । दसवीं योजना के दौरान जिन नई कार्यनीतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उनमें शामिल हैं : स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वरोजगार के एक प्रमुख साधन के रूप में सामाजिक जनचेतना; विनिर्धारित पिछड़े जिलों में 100 दिन के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के जरिए आश्वस्त मजदूरी और रोजगार और जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना (जेपीआरजीवाई) के माध्यम से सर्वाधिक पीड़ितों के लिए रोजगार गारंटी । भू-उपयोग नीति के संबंध में एक समन्वित दृष्टिकोण तथा जन भागीदारी के जरिए परती भूमि को हरा-भरा बनाना कुछेक नई पहलें हैं जिन्हें इस क्षेत्रक में योजना में शुरू करने का प्रस्ताव है ।

28. दसवीं योजना में कृषि व सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध में 4 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात् 2002-03 में विकास संभावनाओं को क्षति पहुंची जिसका मुख्य कारण, मानसून की लगभग असफलता के कारण गंभीर सूखे की वजह से कृषि से जीडीपी में तेजी से आई गिरावट का होना था। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2002-03 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 182.57 मिलियन टन के स्तर पर रहा, जो 2001-02 के उत्पादन से लगभग 13 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार 15.75 मिलियन का तिलहन उत्पादन, 2001-02 के स्तर से लगभग 24 प्रतिशत कम रहा। अन्य वाणिज्यिक फसलों, जैसे कि कपास, जूट और ईख के उत्पादन में भी 2002-03 के दौरान पर्याप्त गिरावट आई। तथापि, चालू वर्ष (2002-04) में अच्छे मानसून से कृषि उत्पादन की संभावना में सुधार हुआ है जिसमें 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

29. उच्च उत्पादकता स्तर प्राप्त करने में एक बुनियादी इनपुट के रूप में बीजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है जिनके उत्पादन में पिछले वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई "बीज कोन" स्कीम, सूखे और बाढ़ जैसी आकस्मिकताओं के मामले में बीजों की जरूरतें पूरा करने में सफल सिद्ध हुई है। वर्ष 2002-03 के दौरान, बीज प्रबंधन कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न फसलों और किस्मों के लगभग 1,24 लाख क्विंटल बीजों का रख-रखाव किया गया। "बीज कोन" में रखे गए बीजों में से 65,424 क्विंटल का वितरण सूखा प्रभावित किसानों के बीच किया गया। वर्ष 2003-04 के लिए, बीज कोन के लिए विभिन्न फसलों के संबंध में 1.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का और 8370 क्विंटल फाउंडेशन बीजों का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है। बीज क्षेत्रक में और सुधार करने तथा भिन्न-भिन्न फसलों की प्रमाणित और अच्छी कोटि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों को वर्ष के दौरान जारी रखा जाएगा।

30. पिछली व्यापक फसल बीमा स्कीम के स्थान पर 1999-2000 से शुरू की गई रा-ट्रीय कृषि-बीमा स्कीम (एनएआईएस) के अंतर्गत किसानों की फसलों और जोखिमों की दृष्टि से अधिक कवरेज की व्यवस्था है। अधिक वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त करने की दृष्टि से स्कीम में प्रीमियम की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाया गया है। अब कार्यान्वित करने वाले राज्यों की वित्तीय देनदारियां एकसमान हैं। इस समय यह स्कीम 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। कृषि उत्पाद के कटाई पश्चात प्रबंधन के संबंध में, ग्रामीण गोदामों के निर्माण, पुनरुद्धार और विस्तार की एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम प्रारंभ की गई है जिससे कि किसानों के लिए भंडारण, वित्तपोषण के लिए गिरवी रखने व अन्य विपणन सेवाएं प्रदान की जा सकें।

31. कृषि उत्पादकता में तीव्र और सतत रूप से संवृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि अनुसंधान और विकास पद्धति को सुदृढ़ करना तथा प्रौद्योगिकी प्रसार प्रक्रियाओं की जटिलता में सुधार करना जरूरी है। किसानों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास व विस्तार सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशिष्ट उपाय किए जाने आवश्यक हैं। कृषि और सिंचाई में घटता सरकारी निवेश एक अन्य चिंता का वि-य है। सस्ते विकल्पों की खोज करने की बजाए, जिनमें उच्च पूंजी-परिणाम अनुपात होता है, वर्तमान नीतियों के फलस्वरूप फार्मों पर अत्यधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, जैसेकि जल दुर्लभ क्षेत्रों में बहुत अधिक ट्यूबवैल। सभी श्रेणी के किसानों के मामले में निजी पूंजी की गहनता में वस्तुतः वृद्धि हो रही है, किन्तु हरित क्रांति वाले क्षेत्रों और बड़े किसानों के मामले में इसकी गति तेज है। छोटे और सीमांतिक किसानों व पूर्वी तथा वर्नापोनित क्षेत्रों पर बल देना एक बेहतर कार्यनीति होगी जहां पूंजी और श्रम दोनों का प्रतिफल ऊंचा है। भारतीय कृषि की वास्तविक क्षमता केवल तभी प्राप्त की जा

सकती है जबकि हम अपने कृनि उत्पादों को भौगोलिक और समय दोनों ही दृष्टि से विविधिकृत करें। एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए हमारे लोगों की खाद्य व पो-ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस समय औसतन उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की तुलना में अधिक किस्म के उत्पाद तैयार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की भी जरूरत है। तथापि, खाद्यान्न-भिन्न अधिकांश खाद्य पदार्थ प्रकृति से नश्वरयोग्य हैं। अपशि-ट को न्यूनतम करके इस विविधिकरण को बढ़ावा देने के वास्ते कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकियों और विपणन ढांचे पर पर्याप्त रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए, कृनि व्यापार को शासित करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों पर फिर से विचार किए जाने की भी जरूरत है जो प्रायः किसानों के हित के विपरीत कार्य करते हैं और उनकी प्रोत्साहन पद्धति को विकृत बनाते हैं।

32. कृनि विविधिकरण का एक महत्वपूर्ण घटक पशुपालन है, जिसमें डेयरी और कुक्कुटपालन शामिल हैं, जिनमें न केवल ग्रामीण आजीविकाओं में बल्कि शहरी आजीविकाओं में भी वृद्धि करने की विशाल क्षमता है। इस क्षेत्रक के समुचित विकास के लिए न केवल प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और विपणन प्रबंधों पर बल्कि पशु कल्याण मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी।

33. क्योंकि बागवानी क्षेत्रक का भारतीय कृनि में एक महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए भूमि की उत्पादकता सुधारने, रोजगार का सृजन करने, किसानों और उद्यमियों की आर्थिक स्थितियां सुधारने, निर्यात बढ़ाने आदि में बागवानी की भूमिका सु-मान्य है। यह क्षेत्रक बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने के अलावा, प्रति यूनिट क्षेत्र उच्च-आय सृजन और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धति होने की वजह से भारतीय कृनि में विविधिकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक के रूप में उभरा है। इस क्षेत्रक से पौधारोपित क्षेत्र का प्रति यूनिट संवर्धित प्रतिफल भी प्राप्त होता है और यह खाद्य व पो-ण सुरक्षा प्रदान करता है।

34. दसवीं योजना में विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित हैं : उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना, सुधरी खेती और किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, अच्छी कोटि के रोग-मुक्त, उच्च पैदावार वाले बीजों और पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति द्वारा लागत में कमी करना, नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सुधरी कृनि पद्धतियों को अपनाकर गुणवत्ता सुधार, विपणन और निर्यात को प्रोत्साहन तथा पूर्वोत्तर जैसे उच्च संभाव्यता क्षेत्र में मिशन मोड पद्धति अपनाना। कटाई पश्चात प्रबंधन और शीतागार पद्धति के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए नाबार्ड और बैंकिंग क्षेत्रक की भागीदारी के साथ पश्च समर्थित क्रेडिट से जुडी सब्सिडी निवेश पद्धति के साथ बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू व कश्मीर में विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की विशाल क्षमता का लाभ उठाया जा सके। बागवानी में उभरते क्षेत्र हैं : औ-धीय तथा सुगंधित पौधे, पु-कृनि, मशरूम आदि तथा बहुत से विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करके इन सभी उप-क्षेत्रों पर और अधिक बल देने का प्रस्ताव है।

35. चाय, काफी और रबड़ देश में पारंपरिक बागान फसलें हैं तथा ये अधिकांशतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाती हैं। देशज खपत मांग की पूर्ति करने के अलावा, जिसों का यह समूह देश की निर्यात डाली में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये फसलें श्रमिक प्रधान हैं और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के एक अच्छे स्रोत हैं। इन समूहों की बागान फसलों से संबंधित क्षेत्रों की जैव-मंडलीय और पारिस्थितिकी का परिरक्षण भी सुनिश्चित होता है। चाय पर एक रुपया प्रति किलोग्राम का उत्पाद शुल्क समाप्त करके तथा उसके स्थान पर उतनी ही राशि का एक उप-कर लगाकर चाय बागान क्षेत्रक के विकास, आधुनिकीकरण व पुनरुत्थान के वास्ते एक पृथक चाय बागान को-न की स्थापना की गई है।

36. कृषि के लिए सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशेष इनपुट है तथा कृषि में प्रक्षेपित विकास प्राप्त करने के लिए सिंचाई का भी तदनुसूची गति के साथ विकास करना होगा। सिंचाई के संबंध में दसवीं योजना कार्यनीति में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जल उपयोग कार्यकुशलता का प्रोत्साहन, प्रणाली पुनरुद्धार और कृषक भागीदारी लागू करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) का पुनर्गठन, जल दरों में वृद्धि, सतही तथा जमीनी जल प्रदूषण को न्यूनतम करने तथा कुशल ढंग से बाढ़ प्रबंधन जैसे केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग करके चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है।

37. देश की अंतिम सिंचाई क्षमता 139.89 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें से 68 प्रतिशत का दोहन किया जा चुका है। विगत में सिंचाई क्षमता के सृजन में धीमी प्रगति के अनेक कारण रहे हैं जिनमें राज्य सरकारों के पास संसाधनों की तंगी शामिल है। दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों ने 15.16 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का प्रक्षेपण किया है।

38. वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का उद्देश्य, जिसके अंतर्गत केन्द्र राज्यों को ऋणों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है, बड़ी और बहु-प्रयोजन सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करके अंततः सिंचाई क्षमता का दोहन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन में बड़े पैमाने पर वृद्धि किए जाने की जरूरत है। वैज्ञानिक ढंग से वाटरशेड विकास के जरिए वर्नाजल के दोहन और सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अधिकतम उपयोग और सक्रिय भागीदारीपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से विद्यमान सिंचाई अवस्थापना की कार्यकुशलता में सुधार करने की भी काफी गुंजाइश है।

39. 159 बड़ी, 242 मझौली और 89 विस्तार, पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण परियोजनाएं ऐसी हैं जो नौवीं योजना से बचकर दसवीं योजना में आ गई हैं। इनमें से 119 पांचवी योजना से पूर्व और पांचवी योजना अवधियों की हैं, जिनमें से 30 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को, 2002-03 में 7 तथा 2003-04 में 12 को पूरा करके, दसवीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई में महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा बेसिन में क्रांतिक कटाव-रोधी कार्य; कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम; उत्तर बिहार में बाढ़ सुरक्षा कार्य और लघु सिंचाई सांख्यिकी युक्तिकरण (आरएमआईएस) स्कीम सम्मिलित हैं।

40. सिंचित कृषि की स्कीम में विशेष रूप से देश के महाद्वीपीय भाग और पर्वतीय क्षेत्रों में, भंडारण तालाबों, विचलनों और सतही लिफ्ट को मिलाकर, छोटी सतही प्रवाह सिंचाई परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। चूंकि स्कीमों की परिपक्वनावधि कम होती है, ये श्रम प्रधान व गरीबी दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं इसलिए उन्हें आमतौर पर जन कार्यक्रमों के रूप में समझा जाता है।

41. केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी), भू-जल के अति दोहन पर अंकुश लगाने के लिए अपने विनियामक कार्य को जारी रखे हुए है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा परिचालित भू-जल विधान संबंधी मॉडल विधेयक के आधार पर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा राज्यों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने विधान अधिनियमित किए हैं तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी राज्यों ने इस संबंध में विधेयक पारित किए हैं। दसवीं योजना में सीएडीपी का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे कि इसे, स्कीमों के अधिक संख्या में फैलाव को नियंत्रित करके तथा सीएडीपी के तहत निर्मित पद्धति के रख-रखाव के लिए जल उपभोग एसोसिएशनों के साथ भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर और संकेन्द्रित

बनाया जा सके। बेहतर मानीटरन और समय पर पूर्णता की दृष्टि से परियोजनाओं की संख्या 236 से कम करके 96 करने का भी प्रस्ताव है।

सामाजिक अवस्थापना

42. आज भारत के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या इसकी आबादी का आकार व वृद्धि की है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 23.84 करोड़ की देश की आबादी की तुलना में 21वीं शताब्दी के शुरु में 102.7 करोड़ की आबादी का अर्थ विगत सौ वर्षों में चार गुणा से भी अधिक वृद्धि होना है। विगत दशक के दौरान ही हमारी आबादी में निवल वृद्धि लगभग 18.1 करोड़ हुई। जनसंख्या का घनत्व, जो 1951 में 117 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था 2001 में बढ़कर 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. हो गया। चूंकि देश की आबादी अभी भी प्रत्येक वर्ष 1.7 करोड़ व्यक्ति की दर से बढ़ रही है, इसलिए अवस्थापना, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव अवश्य ही बढ़ेगा।

43. रा-ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी), 2000 में विशुद्धतः जनांकिकीय चिंताओं पर जोर दिया गया है और इसके अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य पर बल दिया गया है। यद्यपि नीति का दीर्घावधिक उद्देश्य 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति है तथापि, मध्यावधि में इसका उद्देश्य समग्र उर्वरता दर (टीएफआर) को 2010 तक 2.1 के जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधकों की पूरी न हुई सभी जरूरतों को पूरा करना तथा महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। जनसंख्या परिप्रेक्ष्य के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना और उससे आगे के लिए मानीटरनोग्य लक्ष्यों में सम्मिलित हैं - शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को 2007 और 2012 तक क्रमशः 45 और 28 प्रति 1000 जीवित जन्म तक कम करना, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को 2007 और 2012 तक क्रमशः 2 और 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक कम करना और 2001 तथा 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना। बहुत से राज्यों ने, उर्वरता व मृत्यु दरों में तीव्र कमी प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति की है। भारत में केरल पहला राज्य है जिसने 1988 में 2.1 टीएफआर प्राप्त की। तमिलनाडु दूसरा राज्य था जिसने केरल की तुलना में न्यून महिला साक्षरता दर और ऊंची आईएमआर के बावजूद जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर उर्वरता प्राप्त की। आंध्र प्रदेश संभवतः अगले दो वर्षों में उर्वरता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लेगा तथा उसने विवाह की अपेक्षाकृत कम आयु, न्यून महिला साक्षरता दर और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवस्थापना की असंतो-नजनक सुलभता के बावजूद उर्वरता में काफी कमी प्रदर्शित की है। किन्तु विद्यमान आबादी समस्या का संकट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च उर्वरता वाले राज्यों में है जिनकी 2001 में कुल आबादी 42.19 करोड़ थी जो देश की आबादी का 41.09 प्रतिशत है। चूंकि देश में 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि में लगभग 48 प्रतिशत का योगदान इन चार राज्यों का था इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किसी भी कार्यनीति में इन चार राज्यों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाना चाहिए।

44. भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास का एक उद्देश्य गरीबी दूर करना तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यद्यपि देश में ग्रामीण निर्धनता 1993-94 में 37.27 प्रतिशत से कम होकर 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत हो गई किन्तु ग्रामीण गरीबों की संख्या अभी भी ऊंची बनी हुई है जिसका अनुमान 1999-2000 में 193.24 मिलियन लगाया गया है। यह सर्वमान्य है कि गरीबी को तभी कारगर ढंग से दूर किया जा सकता है यदि गरीब लोग विकास प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकास में अपना योगदान करना आरंभ करें। इसलिए, सभी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अधिकाधिक ऐसे दृष्टिकोणों और पद्धतियों पर आधारित है जिनमें सामाजिक गतिशीलता,

भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोणों के प्रोत्साहन तथा गरीबों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन की प्रक्रिया में गरीबों को ही शामिल किया जाए। इस प्रयास में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

45. पूर्व एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) व इसके सम्बद्ध कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके, 1999 में शुरू की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) का उद्देश्य सहायित निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को समाजिक गतिशीलता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक क्रेडिट व सरकारी सहायता के एक मिश्रण द्वारा आय सृजक परिसंपत्तियों की व्यवस्था करके, उन्हें स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) में संगठित करके, गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत, 50 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए, 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए तथा 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करके, कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लॉक में गठित 50 प्रतिशत समूह मात्र महिलाओं के लिए हों।

46. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने व पोषण स्तरों में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियां कायम करने और अवस्थापना विकास के उद्देश्य से, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएसएस), दोनों स्कीमों को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) की शुरुआत 2001 में की गई थी। एसजीआरवाई में वे सभी निर्धन ग्रामीण भाग ले सकते हैं जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है तथा जो गांव/उसके आस-पास के इलाके में शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों। मजदूरी रोजगार प्रदान करते समय, कृषि मजदूर अर्जकों, कृषि-भिन्न अकुशल मजदूरी अर्जकों, सीमांतिक किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, विकलांग बच्चों के माता-पिताओं अथवा विकलांग माता-पिताओं वाले प्रौढ़ों आदि को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम को नकद घटक के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत भागीदारी अनुपात में कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, कार्यक्रम के अंतर्गत वितरणार्थ खाद्यान्न राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

47. रा-द्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत वर्ष 1995 में, वृद्धावस्था, प्रमुख आजीविका अर्जक की मृत्यु हो जाने और मातृत्व की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत, कल्याण के न्यूनतम रा-द्रीय स्तर सुनिश्चित करने के वास्ते राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। एनएसएपी के मातृ लाभ -घटक को परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था ताकि पोषाहार और रा-द्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संयोजन सुनिश्चित किया जा सके। एनएसएपी के शेन दो घटकों, अर्थात् रा-द्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (65 वर्ष और उससे अधिक के निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए) और रा-द्रीय परिवार लाभ स्कीम (प्राकृतिक अथवा दुर्घटना के कारण गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बीपीएल) के प्रमुख आजीविका अर्जक की मृत्यु होने की स्थिति में एकमुश्त राशि प्रदान करने के लिए) और साथ ही अन्नपूर्णा स्कीम को (रा-द्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर न हुए निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए) वर्ष 2002-03 से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। परिकल्पना की गई है कि इन स्कीमों के हस्तांतरण से स्कीमों के बेहतर प्रबंधन और कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपेक्षित नम्यता प्राप्त होगी।

48. इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) एक अन्य स्कीम है जिसका उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराना है। वर्ष 1995-96 से, आईएवाई लाभों का विस्तार विधवाओं अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों के संबंधियों तक कर दिया गया है। लाभों का विस्तार भूतपूर्व सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों तक भी कर दिया गया है जब तक वे स्कीम के तहत सामान्य पात्रता शर्तों को पूरा करें। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इन्पुटों को सतत आधार पर क्षेत्रक में समाहित करने को सुकर बनाने तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए वहनीय आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी, निवास और ऊर्जा सम्बद्ध मुद्दों के विलयन की व्यवस्था करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास और रिहायश के संबंध में भी एक रा-ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है।

49. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) की शुरुआत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, ग्राम स्तर पर संधारणीय मानव विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के उद्देश्य से, वर्ष 2000-01 में की गई थी। इसकी शुरुआत से पिछले बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम का स्थान पीएमजीवाई ने ले लिया। पीएमजीवाई के अतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, शासन के कतिपय प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों पर बल देने के उद्देश्य से, चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन की परिकल्पना की गई है। प्रारंभ में पीएमजीवाई के पांच घटक थे, यथा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पो-नाहार। वर्ष 2001-02 से ग्राम विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया गया है।

50. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद से पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) शासन की तृतीय प्रणाली के रूप में उभरी हैं। अधिनियम का उद्देश्य, पीआरआई को सांविधिक स्तर प्रदान करके न केवल प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण करना है बल्कि स्थानीय संस्थानों का उपयोग ग्रामीण परिवर्तन प्राप्त करने के लिए लोगों की अंतर्निहित योग्यताओं का इस ढंग से उपयोग और दोहन करने के एक साधन के रूप में करने की भी परिकल्पना की गई है जिससे हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसका सही स्थान प्राप्त हो सके। अधिनियम के अतर्गत, पीआरआई की परिकल्पना, निर्णय निर्माण में, लोगों की रहन-सहन स्थितियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान और कार्यान्वित करने में, एक प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकृत विकास प्रक्रिया की स्थापना हेतु एक साधन के रूप में की गई है।

51. अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, दसवीं योजना (2002-07) में सरकार का एक प्राथमिकतापूर्ण विनय बना हुआ है। निम्नलिखित की प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न कल्याण और विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए गए हैं : (i) सामाजिक सशक्तिकरण - विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण - रोजगार तथा आय सृजन व गरीबी उन्मूलन के माध्यम से; और (iii) सामाजिक न्याय - सुविधाविहीन वर्गों को अत्याचारों, शो-ण और भेदभाव से बचाने व संरक्षण प्रदान करने के लिए विद्यमान विधानों व अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से।

52. इन सुविधाविहीन वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण अन्य बुनियादी न्यूनतम सेवाएं सुलभ कराने के अलावा, केवल विद्यमान असमानताओं, वि-मताओं व अन्य सतत समस्याओं, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं को दूर/कम करके ही प्राप्त करना संभव है। शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु एक बुनियादी आवश्यकता और सर्वाधिक कारगर उपाय है इसलिए अनुसूचित जाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर (पीएमएस) छात्रवृत्तियों की एक रा-द्रव्यापी प्रमुख स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को वर्ष 2002-03 के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई जिससे कि सभी पात्र अनुसूचित जाति छात्र, देश के अंदर मान्यताप्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित मैट्रिक से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने में समर्थ हो सकें। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंकों की एक अन्य सहायक सेवा को, जिसके अंतर्गत मेडिकल, इंजीनियरी, पशु विज्ञान, कृषि, पॉलिटैक्निक, चार्टर्ड लेखांकन, व्यापार प्रशासन, जीव विज्ञानों व विधि पाठ्यक्रमों आदि में अध्ययन करने के लिए पाठ्यपुस्तकें मुहैया की जाती हैं, पीएमएस के साथ जोड़ दिया गया और वर्ष 2002-03 के दौरान इस स्कीम के तहत 15,791 अनुसूचित जाति के छात्र लाभान्वित हुए।

53. एक प्रभावी युक्तियुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा के विकास पर ऐसा ही संकेन्द्रित बल देने के उद्देश्य से, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों व योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों और अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों की स्कीमों को दसवीं योजना के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों की एकल छात्र स्कीम में मिला दिया गया। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 1,97,506 अन्य पिछड़े वर्ग छात्र मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों से तथा 3,98,061 लाख अन्य पिछड़े वर्ग छात्र मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों से लाभान्वित हुए।

54. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम, इन बच्चों को इन घृणित व्यवसायों के शिकंजे से बचाने के लिए, विशेष रूप से हाथ से सफाई करने के निम्न व्यवसाय से बचाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 5 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं तथा वर्ष 2003-04 में इस स्कीम के तहत संभवतः लगभग 5.47 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। दसवीं योजना के अंत तक हाथ से सफाई करने के काम को पूर्ण रूप से समाप्त करने का रा-द्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों के लिए प्राथमिकतापूर्ण प्रतिबद्धता जारी रहेगी। देश में लगभग 6.76 लाख झाड़ूकश हैं। 2001-02 तक, 156,488 झाड़ूकशों को प्रशिक्षित किया गया तथा 4,08,644 का पुनर्वास किया गया।

55. दसवीं योजना में, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण को, विशेष रूप से रोजगार और आयसृजक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करके गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल देते हुए, समान प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस संबंध में, इन सुविधाविहीन वर्गों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्म-निर्भर बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ सरकारी व गैर-सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न रोजगार-सह-आय सृजक कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। रा-द्रीय और राज्य स्तरों पर मात्र इसी प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (i) रा-द्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम (एनएससीएफडीसी), (ii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी), (iii) रा-द्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), (iv) रा-द्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), और (v) रा-द्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी)।

56. वार्षिक योजना 2003-04 में, सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और दृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन सुविधाविहीन वर्गों के बीच सामाजिक न्याय के साथ निश्चित समाजार्थिक विकास प्राप्त हो सके। न केवल विभिन्न चालू कल्याण और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी अतिरिक्त बल दिया जाएगा कि स्कीमों को, इन वर्गों का स्तर समाज के शेष वर्गों के बराबर तक ऊपर उठाने की शीघ्र प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति के साथ कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए।

57. 2001 की जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 1027 मिलियन आबादी में से लगभग 285 मिलियन अथवा 27.8 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यद्यपि 1991-2001 दशक के दौरान शहरी आबादी में वृद्धि का अनुपात 2.1 प्रतिशतांक था, तथापि जनगणना संगठन ने पाया कि भारत में शहरीकरण की मात्रा विश्व में निम्न है।

58. शहरीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों के बीच भिन्न-भिन्न है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु सर्वाधिक शहरीकृत है जहां शहरी आबादी का प्रतिशत 43.9 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 42.4 प्रतिशत तथा गुजरात में 37.4 प्रतिशत है। बड़े राज्यों के बीच शहरी जनसंख्या का अनुपात बिहार में सबसे कम 10.5 प्रतिशत है, उसके बाद असम में 12.7 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 14.9 प्रतिशत है। देश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत (9.8 प्रतिशत) है, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 93 प्रतिशत शहरी जनता के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान 41 मिलियन व्यक्तियों के साथ सबसे ऊपर है उसके बाद उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों की यह संख्या 35 मिलियन और तमिलनाडु में 27 मिलियन है। एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों की संख्या 27 है, तथा ऐसे नगरों/शहरों बस्तियों की संख्या 35 है जहां एक मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी आबादी के लगभग 37 प्रतिशत व्यक्ति भारत में इन एक मिलियन से अधिक लोगों वाली शहरी बस्तियों/नगरों में रहते हैं।

59. दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशतांक बिंदु तक, 2012 तक 15 प्रतिशतांक बिंदु तक निर्धनता अनुपात में कमी करने की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें रोजगार की क्षमता बहुत अधिक है, जैसे कि आवासन, निर्माण, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, लाभप्रद उच्च कोटि के रोजगार अवसरों की व्यवस्था की जाएगी। आर्थिक आयोजन की शुरुआत से ही निर्धनता उन्मूलन राष्ट्रीय ध्येयों में से एक ध्येय रहा। एनएसएसओ के अनुसार, (55वां चक्र) भारत की शहरी आबादी के 23.62 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ग्रामीण निर्धनों की तुलना में शहरी निर्धन आबादी 3.47 प्रतिशत कम है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी लोगों की संख्या 670.07 लाख है। निर्धनता में अंतर-राज्यीय भिन्नता के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे प्रतिव्यक्ति आय अथवा प्रतिव्यक्ति खपत, औद्योगिक और आधारभूत विकास के स्तर आदि जैसे अन्य विकास संकेतकों के साथ कोई सह-संबंध नहीं है। इस प्रकार, शहरी निर्धनता ग्रामीण निर्धनता की तुलना में अधिक जटिल लक्षण के रूप में उभरी है।

60. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की एक सकारात्मक विशेषता, जिसकी शहरी निर्धनता उन्मूलन के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम के रूप में परिकल्पना की गई है, यह है कि इसमें समुदाय को शामिल किया गया है। इस प्रकार तैयार किए गए सामुदायिक ढांचों का

सुदृढीकरण तथा और आगे विविधीकरण किए जाने की जरूरत है । एक उपाय यह हो सकता है कि विशि-ट वर्गों की, जैसे कि मिटाई विक्रेताओं की एसोसिएशनें गठित की जाएं जिनके अपने स्वयंसेवी समूह और नेटवर्क हों तथा जो आय सृजन, आवासन आदि के लिए क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए औपचारिक क्षेत्रकीय वित्तीय संस्थानों के साथ एक वित्तीय अन्योन्या क्रिया कायम करने के वास्ते अपने संघ बना सकती हैं ।

61. रा-ट्रीय आवासन और बस्ती नीति, 1998 का उद्देश्य, सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धनों और वंचितों के लिए आवास की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि सभी के लिए आवास का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाए । नीति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग 2 मिलियन अतिरिक्त मकानों का निर्माण परिकल्पित था । इनमें से 1.3 मिलियन यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 0.7 मिलियन यूनिट शहरी क्षेत्रों में होंगे । आवासन कार्यकलाप के संबंध में एक वृहत दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें लाभप्रद रोजगार पैदा करने की भी क्षमता विद्यमान है । बेघरबारी का समाधान करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप स्कीमों, जैसेकि मलिन बस्तियों के लोगों के लिए केन्द्रीय सहायता से दो मिलियन आवास स्कीम, पटरीवासियों के लिए रात्रि विश्राम गृह स्कीम और आवासन की नई स्कीम, यथा वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना (वामबे) का समुचित एकीकरण किया जाना चाहिए ताकि सर्वाधिक सुविधाविहीन शहरी वर्गों को तत्काल लाभ प्रदान किया जा सके । वामबे के अंतर्गत "निर्मल अभियान योजना " के विशि-ट घटक तथा मलिन बस्तिवासियों के रहन-सहन परिवेश में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए चालू रा-ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के कार्यान्वयन से देश में एक स्वस्थ और समर्थनकारी शहरी परिवेश के साथ मलिन बस्ती रहित नगरों का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए ।

62. नई पहलों के क्षेत्र में, वित्तमंत्री ने अपने बजट भा-ण, 2002 में शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) के सृजन का प्रस्ताव किया था । निधि के तहत, किराया नियंत्रण कानूनों और शहरी भू-सीमा अधिनियमों को रद्द करने; उच्च स्टा-म्प ड्यूटी व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने; इमारतों के निर्माण स्थलों के विकास आदि के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया को चुस्त बनाने के लिए उप-नियमों में संशोधन करने; शहरी विकास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए माडल विधान के अनुरूप म्यूनिसिपल कानूनों में संशोधन के क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा ।

63. रा-ट्र, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं ; विशेष जरूरतों वाले बच्चों को कवर करते हुए, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल । वर्ग 2002 में अधिसूचित संवैधानिक (86वां संशोधन) अधिनियम के तहत 6-14 वर्ग के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया है । सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत जिसे इस उद्देश्य की प्राप्ति के वास्ते शुरू किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का देश का संकल्प कड़े शब्दों में दोहराया गया । इसके अंतर्गत पूरे देश को कवर किया गया है तथा 11 लाख बस्तियों में 19.2 करोड़ बच्चों की जरूरतों का समाधान करने का प्रयास किया गया है । एसएसए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे 2003 तक स्कूलों में जाने लग जाएं, वे सभी 2007 तक 5 वर्ग की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें तथा 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ग की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें ।

64. प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा बुनियादी स्कूल अवस्थापना में सुधार करना, इस प्रयास से कि शिक्षा पद्धति को लोगों की आर्थिक जरूरतों के साथ समेकित किया जाए, दसवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। बुनियादी स्कूल शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, सामाजिक और लैंगिक अंतरों को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लड़के और लड़कियाँ स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।

65. माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करती है तथा 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बीच युवाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करती है। दसवीं योजना के दौरान, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को कम करने और सुलभता में सुधार करने पर अधिक बल परिलक्षित है। योजना के अंतर्गत, व्यावसायीकरण और रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों, मुक्त अध्ययन पद्धति के विस्तार और विविधिकरण, शिक्षक प्रशिक्षण के पुनर्गठन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के अधिक उपयोग पर बल देते हुए, पाठ्यचर्या में संशोधन पर भी बल दिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की पुनर्संरचना करने की परिकल्पना की गई है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत मुख्य बल 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में युवाओं का नामांकन वर्तमान के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर दसवीं योजना के अंत तक 10 प्रतिशत करने पर दिया गया है। उपलब्धता और कोटि में सुधार करने, राज्य विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाने, व्यावसायीकरण, दूरवर्ती शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरवर्ती व आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण, कालेज तथा सम-विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और उनके संचालन में अधिक निजी भागीदारी पर बल दिया जाएगा और कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी।

66. तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के अंतर्गत जिन प्रमुख मुद्दों पर बल दिया जा रहा है उनमें सम्मिलित हैं : दाखिला क्षमता में वृद्धि, संकाय विकास, पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्किंग और नए व उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास। विश्व बैंक सहायित तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी), जिसे वर्ष 2002-03 में अनुमोदित किया गया था, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका ध्येय विद्यमान संस्थानों में क्षमताओं में वृद्धि करके तकनीकी शिक्षा की कोटि में सुधार करना है। टीईक्यूआईपी को एक बहु-राज्य कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा तथा पहले चरण में, 18 प्रमुख संस्थानों व शेन नेटवर्क संस्थानों को मिलाकर 70-80 इंजीनियरी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छः राज्यों को चुना गया है।

67. रा-द्रीय साक्षरता मिशन का बुनियादी उद्देश्य, साक्षरता को देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, एनजीओ की सक्रिय भागीदारी के साथ, मूलभूत बनाना है। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2005 तक 75 प्रतिशत साक्षरता के दहलीज स्तर बनाए रखना तथा प्रौढ़ों के लिए आजीवन अध्ययनार्थ सार्थक अवसर उपलब्ध कराना तथा शेन रहती साक्षरता पर बल देना है। एनजीओ के लिए परिकल्पित प्रमुख भूमिका को देखते हुए, अब उन्हें जिला साक्षरता समितियों से धन प्राप्त करने के लिए सतत शिक्षा केन्द्र संचालित करने की अनुमति दी गई है।

68. उत्पादन से जुड़े सभी आर्थिक कार्यकलापों में रोजगार का सृजन करना आयोजना का एक बुनियादी उद्देश्य है। श्रम की मांग तथा रोजगार अवसरों का सृजन सीधे ही आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि की प्रक्रिया से जुड़ा है, जबकि समग्र विकास नि-पादन में सुधार का तीव्र व बेहतर कोटि रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दसवीं योजना के लिए रोजगार परिदृश्य का उद्देश्य 50 मिलियन रोजगार

अवसरों का सृजन करना है जिसमें से रोजगार अवसरों के लगभग 20 मिलियन व्यक्ति व-र्गों का सृजन चुनिंदा नूतन कार्यक्रमों और नीतियों द्वारा किया जाएगा जिसके फलस्वरूप श्रम प्रधान क्षेत्रों के पक्ष में विकास की पद्धति में बदलाव आएगा तथा शे-न 30 मिलियन का सृजन विकास की सामान्य उत्पादकता के फलस्वरूप होगा जैसाकि हाल ही में पीछे देखा गया है (1993-94 से 1999-2000) तथा कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप, खाद्य प्रसंस्करण, खादी और ग्रामोद्योग सहित ग्रामीण कृषि-भिन्न क्षेत्रक, लघु और मझौले उद्योग और स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित सेवा क्षेत्रों जैसे बहुत से श्रम प्रधान क्षेत्रों के विनिर्धारण से, जहां रोजगार सृजन में पर्याप्त रूप से विकास किया जा सकता है, यदि सही प्रकार की क्षेत्रकीय नीतियों को कार्यरूप दिया जाए ।

69. दसवीं योजना अवधि के दौरान दस मिलियन रोजगार अवसरों के लक्ष्य के साथ योजना आयोग में एक विशेष दल गठित किया गया था, जिसने अर्थव्यवस्था में श्रम खपत की गति में वृद्धि करने और साथ ही श्रमिकों की स्थितियों, विशेष रूप से मार्जिनकृत मजदूरों की स्थिति में सुधार करने व उसके मानीटरन की जरूरत के बारे में और श्रम प्रधान क्षेत्रों के पक्ष में पूंजी के उपयुक्त पुनर्आर्बटन हेतु उपयुक्त कार्यक्रम व नीतियां तैयार करने की भी सिफारिश की थी । क्षेत्रकीय स्तर पर, दल ने कुछ क्षेत्रक विनिर्धारित किए, जैसे कि कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप, लघु और मझौले उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनमें बड़ी संख्या में नए रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता विद्यमान है ।

70. संगठित क्षेत्रक में श्रम से संबंधित विद्यमान कानूनों को युक्तियुक्त बनाने तथा असंगठित क्षेत्रक में कामगारों का न्यूनतम संरक्षण स्तर सुनिश्चित करने के संबंध में एक "छत्र" विधान अधिनियमित करने के बारे में सुझाव देने के वास्ते द्वितीय रा-द्रीय श्रम आयोग (एनसीएल) अक्टूबर, 1999 में गठित किया गया था । आयोग ने, लघु उद्योग क्षेत्रक की विशेष समस्याओं और आर्थिक कार्यकुशलता तथा लघु उद्योगों द्वारा नियुक्त बड़ी संख्या में कामगारों के कल्याण और संरक्षण पर विचार किया है । इसने महिला कामगारों की स्थिति, एकसमान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने की जरूरत, कामगार के रूप में उनके योगदान और स्तर को पूर्ण मान्यता प्रदान करने और उन्हें अपनी व परिवार की जिम्मेदारियां खुद पूरा करने में मदद देने की जरूरत पर विशेष रूप से ध्यान दिया है । आयोग ने असंगठित कामगारों के लिए बहुत से सामाजिक सुरक्षा उपायों की भी सिफारिश की है जिनमें शामिल हैं; स्वास्थ्य देखरेख, मातृत्व व प्रारंभिक बाल देखरेख, भवि-य निधि लाभ, परिवार लाभ, आवासन, पेयजल और स्वच्छता सहित सुविधाएं ।

71. सरकार की एक प्रमुख चिंता बढ़ती उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा के एक समुचित स्तर की व्यवस्था के साथ-साथ श्रमिक कल्याण के सुधार की रही है । श्रम कानूनों की समीक्षा करना तथा नई आर्थिक व सामाजिक स्थिति के साथ उनका सामंजस्य करना; व्यवहार्य स्थान विशि-ट उपायों के सृजन के लिए प्रयासों के माध्यम से कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का विस्तार करना, और उच्च प्रतिकूल कार्य परिस्थितियों का सामना करने वाले श्रमिकों की स्थितियों में सुधार करना, दसवीं योजना के दौरान श्रम और रोजगार क्षेत्रक में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र बने रहेंगे । बाल श्रम की विद्यमानता को कम करने के लिए, दसवीं योजना के दौरान इस स्कीम को सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक स्कीम - के साथ मिलाने के प्रयास किए जाएंगे । सरकार ने कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान भी अधिनियमित किए हैं तथा इन अधिनियमों के तहत कामगारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के वास्ते हाल ही में अनेक उपाय किए हैं ।

72. स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के इ-टतम से कम कार्यकरण की समस्याओं और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए अपर्याप्त निवेश को देखते हुए, नौवीं योजना में, बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा करने, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्रक स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के प्रति जनता की प्रतिक्रिया का जायजा लेने, स्वास्थ्य पद्धतियों का इस प्रकार से पुनर्गठन करने कि वे कुशल और प्रभावी बन जाएं और ऐसे स्वास्थ्य पद्धति सुधार लागू करने की जरूरत पर बल दिया गया है जिनसे तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धता सभी के लिए मुफ्त सुनिश्चित हो सके और लोग, दुर्घटना के पश्चात व अन्य आपातक स्थितियों के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य देखरेख वहनीय लागत पर प्राप्त कर सकें ।

73. स्वास्थ्य पद्धति सुधार प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं ; कार्यकुशलता सुधारने के उद्देश्य से संरचनात्मक व कार्यात्मक; उपलब्ध संसाधनों में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय तथा शासन सम्बद्ध, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार करना है । चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य विनय है, इसलिए स्वास्थ्य पद्धति सुधारों को कार्यान्वित करने में राज्यों की जिम्मेदारी प्रमुख है । किन्तु स्वास्थ्य पद्धति सुधारों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है । भिन्न-भिन्न राज्यों ने स्वास्थ्य पद्धति सुधारों के भिन्न-भिन्न घटकों का कार्यान्वयन किया है किन्तु किसी ने भी अभी तक विस्तृत सुधार कार्यान्वित नहीं किए हैं जिनमें उपरोक्त तीनों पहलू सम्मिलित हों । सुधारों के कार्यान्वयन की गति में भी राज्यों के बीच भिन्नताएं रही हैं । केन्द्र का, स्वास्थ्य देखरेख पद्धति में एक बड़ा हित है क्योंकि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य देखरेख अवस्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं । प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य पद्धति सुधार पहलों में सम्मिलित हैं : समानांतर कार्यक्रमों (कु-ठरोग) का ऊर्ध्वार एकीकरण, विकेन्द्रीकृत जिला आधारित आयोजना, परिवार कल्याण तथा रोग नियंत्रण हेतु केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का मानीटरन, रोग निगरानी पद्धति की शुरुआत, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण का सुदृढीकरण तथा अपशि-ट प्रबंधन और अनिवार्य औ-धि आपूर्ति के संभारतंत्र में सुधार करने के प्रयास ।

74. उर्वरता, मृत्युदर और जनसंख्या वृद्धि में कटौती, दसवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य बने रहेंगे । दसवीं योजना और उसके आगे की अवधि के लिए 11 मानीटरनयोग्य लक्ष्यों में से तीन हैं : बाल मृत्यु दर (आईएमआर) को 2007 तक 45 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक तथा 2012 तक 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक कम करना; मातृ मृत्यु अनुपात को 2007 तक 2 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक तथा 2012 तक 1 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक कम करना; और 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16.2 तक कम करना । उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्वास्थ्य देखरेख की उपलब्धता में तत्काल सुधार करने की जरूरत है जिससे कि दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार-प्राप्त कार्रवाई दल गठित किया गया है ।

75. दसवीं योजना में पारिवारिक खाद्य सुरक्षा और भूख से मुक्ति की बजाए परिवार तथा व्यक्ति के लिए पो-नाहार सुरक्षा; अलक्षित पूरकता की बजाए कमजोर वर्गों के सभी व्यक्तियों की जांच-पड़ताल और अल्प-पो-नण की विभिन्न श्रेणियों से पीड़ितों की पहचान करने और उनके समुचित प्रबंधन के प्रति प्रतिमान बदलाव की परिकल्पना की गई है । योजना के अंतर्गत राज्य विशि-ट पो-नाहार लक्ष्य निश्चित किए गए हैं जिन्हें 2007 तक प्राप्त किया जाना है तथा अल्प-पो-नण के संबंध में दो-तरफा कार्रवाई करने की परिकल्पना की गई है, यथा (i) पो-नाहार शिक्षा के माध्यम से अल्प-पो-नण का निवारण जिसका

उद्देश्य उपयुक्त शिशु खाद्य प्रथाएं सुनिश्चित करना, आवश्यकताओं के आधार पर खाद्य के उपयुक्त अंतर-परिवार वितरण को प्रोत्साहित करना और परिवार की पो-नाहार जरूरतों को पूरा करने के लिए आहारय विविधिकरण; और (ii) सभी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और स्कूल-पूर्व तथा स्कूली बच्चों की अल्पपो-नण के संबंध में सार्वजनीन जांच-पड़ताल को मूर्त रूप देकर अल्पपो-नित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान व समुचित प्रबंधन और समुचित पो-नाहार उपायों की शुरूआत ।

76. रा-ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) से उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि किशोर बालिकाओं व गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के बीच अल्प-पो-नण सामान्य है। इस समस्या की विशालता को कम करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस, 2001 भा-नण में घो-नणा की थी कि बीपीएल परिवारों की किशोर बालिकाओं और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा । चूंकि राज्य अभी तक खाद्य पूरकों की लागत एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के माध्यम से वहन कर रहे हैं इसलिए योजना आयोग ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घो-नणा पर अमल करने के लिए प्रायोगिक तौर पर 51 जिलों में राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान की । एसीए का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण पद्धति (टीपीडीएस) के माध्यम से, विनिर्धारित अल्प-पो-नित व्यक्तियों के परिवारों को बिल्कुल मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किया जाना है ।

आर्थिक अवस्थापना

77. जीडीपी में उद्योग क्षेत्रक का योगदान, ग्रामीण कृ-नि समाज से एक अधिक शहरी औद्योगिकृत तक संरचनात्मक संक्रमण की प्रक्रिया में रा-ट्र की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । इसके अलावा, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, रा-ट्रीय आय में कृ-नि के हिस्से में गिरावट के साथ-साथ उद्योग के हिस्से में वृद्धि के साथ जुड़ी है । तीव्र आर्थिक विकास प्रेरित करने के लिए विनिर्माण उद्योग एक अभिप्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करता है तथा विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं की खपत को जीवन कोटि तथा रहन-सहन के स्तर का एक सर्वाधिक स्वीकृत मापदंड माना जाता है । इस विशेष महत्व की मान्यतास्वरूप ही जीडीपी में उद्योग के बढ़ते हिस्से को दसवीं योजना में सर्वोपरि ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया है । अगले दशक के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से दसवीं योजना में अर्थव्यवस्था के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है । औद्योगिक क्षेत्रक के संबंध में तदनुरूपी वृद्धि लक्ष्य 10 प्रतिशत है ।

78. वर्ष 2001-02 की एक विशेषता विश्व के औद्योगिक उत्पादन में धीमेपन की रही है। भारत में भी इस वर्ष के दौरान 2.7 प्रतिशत की कमजोर औद्योगिक प्रगति देखी गई जैसाकि औद्योगिक उत्पादन के सूचक (आईआईपी) द्वारा मापित है । धीमापन व्यापक रूप से रहा तथा अधिकांश औद्योगिक समूहों के बीच रहा, विशेष रूप से खनन और उत्खनन में केवल 1.2 प्रतिशत की कमजोर वृद्धि देखी गई । तथापि, औद्योगिक विकास ने बहाली के कुछ संकेत दिखाए हैं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-03 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है । यह नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त औसत वृद्धि से अधिक है जबकि सभी क्षेत्रकों ने ऐसी सतत वृद्धि में योग दिया - खनन (5.8 प्रतिशत), विनिर्माण (6.0 प्रतिशत), पूंजीगत वस्तुएं (10.6 प्रतिशत), मध्यवर्ती वस्तुएं (3.9 प्रतिशत), और उपभोक्ता वस्तुएं (7.0 प्रतिशत) । वर्ष 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 17 दो-अंकीय उद्योग समूह में से 13 ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई है । इनमें पेय पदार्थों, तम्बाकू और सम्बद्ध उत्पादों ने 27.9 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है, उसके बाद कपड़ा उत्पादों ने 14.4 प्रतिशत की तथा

परिवहन उपस्कर ने 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। अप्रैल-जनवरी 2003-04 अवधि के दौरान समग्र औद्योगिक उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई जबकि 2002-03 पूरे वर्ष के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुख्य रूप से निम्नलिखितों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई: कागज और कागज उत्पाद (19.7 प्रतिशत), बुनियादी रसायन और रसायनिक उत्पाद (6 प्रतिशत), मशीनरी और उपस्कर (11.2 प्रतिशत) और परिवहन उपस्कर (18.6 प्रतिशत), जैसाकि **संलग्नक 3.1.7** में दर्शाया गया है।

79. दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि विकास दर में प्रस्तावित वृद्धि, बाजारों, निवेश और प्रौद्योगिकियों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों का दोहन किए बगैर नहीं हो सकती। ऊर्जा के लिए भारत की आयातों पर अधिक निर्भरता और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा यथाअपेक्षित आयातों के उदारीकरण को देखते हुए, दसवीं योजना में चालू खाता घाटे को प्रबंधकीय सीमाओं में रखने के लिए निर्यात की वृद्धि दरें ऊंची रखने पर बल दिया गया है। देशज क्षमता उपयोग के उच्च स्तर बनाए रखने के लिए भी योजना में विदेशी बाजार खोजने पर बल दिया गया है।

80. वर्ष 2002-03 के दौरान भारत का निर्यात 52.2 बिलियन अमरीकी डालर पर मूल्यांकित है, जो 2001-02 के दौरान प्राप्त 43.8 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर की तुलना में 19 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाता है और इस प्रकार इसने 12 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया है। वर्ष 2002-03 के दौरान आयात 61.3 बिलियन अमरीकी डालर पर मूल्यांकित है जो पिछले वर्ष के दौरान 51.4 बिलियन अमरीकी डालर के आयात स्तर की तुलना में 19 प्रतिशत की उतनी ही वृद्धि दर्शाते हैं। चूंकि आयात में सकारात्मक वृद्धि औद्योगिक क्षेत्रक में ऊंची वृद्धि के साथ जुड़ी है, इसलिए विनिर्माण क्षेत्रक में स्प-ट रूप से दृढ़ बहाली देखी गई तथा इसने 2002-03 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि 2001-02 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। तथापि, 2002-03 में 9.1 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा होने का अनुमान है जबकि 2001-02 में घाटे का स्तर 7.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

81. सरकार ने विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के संबंध में प्रक्रियाओं को सरल व युक्तिसंगत बनाया। 31.3.2002 को घोषित एग्जिम नीति में राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से निर्यात के लिए आरक्षित कुछेक संवेदनशील मदों को छोड़कर, सभी आयात नियंत्रणों को दूर करने का प्रस्ताव किया गया, कृनि उत्पादों के निर्यात के लिए खेत से पत्तन तक दृष्टिकोण, कुटीर और हस्तशिल्पों पर विशेष बल तथा निर्यात के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु राज्यों को बढ़ी हुई सहायता का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक 19 राज्यों में 45 कृनि आर्थिक क्षेत्र मंजूर किए गए हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। लघु क्षेत्रक की निर्यात क्षमता को, जिसका हमारे निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है, सुदृढ़ किया जा रहा है। उच्च श्रेणी की अवस्थापना द्वारा समर्थित निर्यात उत्पादन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक, शुल्क मुक्त परिवेश की व्यवस्था करने के वास्ते विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। अभी तक 18 एसईजेड अनुमोदित किए गए हैं। 31.3.2003 को घोषित एग्जिम नीति में बढ़ती संख्या में सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। नीति का उद्देश्य, कृनि निर्यात को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के वास्ते, निगमित निवेश को सुकर बनाना है। इसके अलावा, नीति के अंतर्गत हार्डवेयर, रत्नों और जवाहरात आदि के निर्यात के लिए और प्रोत्साहन दिए गए हैं।

82. आर्थिक विकास का एक मूलाधार होने के नाते अच्छी कोटि की और एक विश्वसनीय पर्याप्त अवस्थापना का विकास आर्थिक विकास हेतु एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत के निर्यात की भावी सफलता अवस्थापना क्षेत्रक के कुशल नि-पादन पर निर्भर करती है। संधारणीय विकास हेतु अवस्थापना का सुदृढीकरण और विस्तार दसवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। अवस्थापना नीति के अंतर्गत प्रमुख बल, निजी पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विनियामक रूपरेखा का निर्माण करने, आधारभूत सेवाओं में स्वस्थ प्रतियोगिता और अंतर्रा-द्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाएं, विशेष रूप से उपभोक्ताओं को वहनीय लागतों पर दूरसंचार व विद्युत क्षेत्रकों में सुविधाएं प्रदान करने पर दिया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 में, संगठनात्मक पुनर्गठन से संबंधित विद्युत अवस्थापना में सुधारों, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण तथा उच्च क्षमता उपयोग को जारी रखा जाएगा।

83. छः प्रमुख आधारभूत उद्योगों ने (अर्थात् कोयला, विद्युत, इस्पात, अशोधित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी और सीमेंट), जो आधारभूत क्षेत्रक के लिए प्रमुख निविटियां हैं तथा जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचक (आईआईपी) में 26.7 प्रतिशत का भार है, वर्ष 2002-03 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जबकि पिछले वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, जैसाकि **संलग्नक 3.1.8** में दर्शाया गया है। इस्पात और सीमेंट, दो उद्योगों ने उल्लेखनीय पुनरुत्थान का अनुभव किया है। इस्पात और सीमेंट के संबंध में देशज मांग को भारतीय रा-द्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तत्वावधान में हो रहे राजमार्ग निर्माण की तेज गति और आवासन क्षेत्रक से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसे आवासन वित्त की सहज उपलब्धता प्राप्त हुई तथा कर व्यवस्था अनुकूल रही, जिसकी वजह से वर्ष 2002-03 में विनिर्मित इस्पात के उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा सीमेंट का उत्पादन 8.4 प्रतिशत बढ़ गया। प्रौद्योगिकी में सुधार तथा लागत में कमी से भारत इस्पात और सीमेंट का निर्यात करने में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। वर्ष 2003-04, (अप्रैल-जनवरी) में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 7.3 प्रतिशत की काफी प्रभावी वृद्धि देखी गई तथा कोयले और विद्युत उत्पादन के मामले में साधारण वृद्धि देखने में आई।

84. देश के एक संधारणीय औद्योगिक तथा आधारभूत विकास के लिए खनिज क्षेत्रक का विकास अनिवार्य है। विगत पांच दशकों के दौरान खनिजों की खोज और विकास में सतत प्रयासों के फलस्वरूप खनिज तालिका काफी सुदृढ हुई है। खनिज खोज और विकास की एक समीक्षा से पता चलता है कि अधिकांश प्राप्य और सतह के निकट भंडार या तो समाप्त हो गए हैं अथवा उत्पादन के अधीन हैं। तांबे, जस्ते और सीसे के बड़े भंडार "संभावित" श्रेणी के अंतर्गत हैं और उनकी "सिद्ध" भंडारों के स्तर तक खोज नहीं हुई है। तांबे, सीसे और जस्ते के आधार धातु भंडारों का कार्यकाल सूचक अनुमानतः क्रमशः दस वर्ष, पांच वर्ष और पंद्रह वर्ष तक का है। तथापि, बाक्साइट के मामले में देश संतो-जनक स्थिति में है जिसका कार्यकाल सूचक दसवीं योजना से आगे 153 वर्ष है। भारत में एल्युमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी काफी कम है। एल्युमिना का उत्पादन और इसका विस्तार बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसलिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके निर्यात हेतु और अधिक एल्युमिना का उत्पादन करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

85. तांबे, सीसे और जस्ते के और वसूलीयोग्य भंडार कायम करने के लिए खनिज खोज कार्य में तेजी लाए जाने की जरूरत है। खनिज क्षेत्रक को देशज तथा विदेशी - दोनों ही प्रकार के निजी क्षेत्रक के लिए खोल दिया गया है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में 1999 में संशोधन किया गया ताकि सांविधिक प्रावधानों को अंतर्रा-द्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समान बनाया जा सके और इस प्रकार अधिनियम को, इस क्षेत्रक में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु विनियम की अपेक्षा विकास पर बल के साथ और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया

गया। नीतिगत परिवर्तनों से आधार धातुओं, नवीन धातुओं और रत्न पत्थरों की खोज में निजी निवेश आकर्षित हुआ है ।

86. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 जिसके अंतर्गत समुद्री सीमाओं, महाद्वीपीय स्थलों और एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन की व्यवस्था है, 31.1.2003 को अधिसूचित किया गया । इस विधान से अपतटीय क्षेत्रों में खनिज के खोज और विकास को तेज करने में मदद मिलेगी तथा खनिज क्षेत्रक में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए खनिज भंडारों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक दोहन सुनिश्चित होगा (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर) ।

87. दसवीं योजना के उद्देश्यों के एक भाग के रूप में, खनिज क्षेत्रक के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : देशज खनिज संसाधनों को बढ़ाना; स्वर्ण, हीरे और प्लेटिनम धातु समूहों जैसे उच्च मूल्य निम्न मात्रा खनिजों के क्षेत्र में गहन खोज; नए भंडार खोजने तथा उनका स्थिर रूप से विकास करने के लिए आधुनिक तकनीकी व प्रबंधकीय विशेषज्ञता के साथ निजी क्षेत्रक की भागीदारी के माध्यम से नया निवेश आकर्षित करने के वास्ते समर्थनकारी माहौल का निर्माण । निम्न ग्रेड अयस्कों पर समुचित ध्यान देना भी आवश्यक है ताकि पिछले वर्षों के अवशिष्ट को, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा प्रौद्योगिकीय नूतनताओं की मदद से कल के अयस्क में परिवर्तित किया जा सके ।

88. लोह अयस्क, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए बुनियादी कच्ची सामग्री है । लौह अयस्क को लौह प्रतिशतता पर निर्भर करते हुए तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् निम्न ग्रेड (62 प्रतिशत से कम), मध्यम ग्रेड (62 से 65 प्रतिशत) और उच्च ग्रेड (65 प्रतिशत से अधिक)। भारत में उपलब्ध लोहे की अधिकतम मात्रा (एफई) 68 प्रतिशत है, जिसे लोह अयस्क की सर्वोत्तम कोटि समझा जाता है । देशज मांग पूरी करने के बाद, लोह अयस्क का विभिन्न देशों को निर्यात भी किया जाता है । भारत ने, 53.3 मिलियन टन की देशज खपत को पूरा करने के बाद, वर्ष 2002-03 में लगभग 31.4 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया । वर्ष 2002-03 में 84.7 मिलियन टन लोह अयस्क का कुल उत्पादन उस वर्ष के 100 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन से कम था जिसका मुख्य कारण औद्योगिक उत्पादन का धीमापन था ।

89. किसी भी रा-ट्र के आर्थिक विकास के लिए इस्पात सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारिक वस्तु है । भारतीय इस्पात उद्योग में दस प्रमुख इस्पात संयंत्र सम्मिलित हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 मिलियन टन तथा 13 मिलियन टन की मिली-जुली वार्षिक क्षमता के साथ 848 विद्युत/इन्डक्शन भट्टियां थी । उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है जो बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त है । इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत इस्पात उद्योग के विकास और साथ ही रा-ट्रीय आर्थिक अवस्थापना विकास का एक संकेतक है । भारत की लगभग 29 कि.ग्राम की वर्तमान प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 140 कि.ग्राम के विश्व औसत से काफी कम है। नौवीं योजना के अंत तक, भारत विश्व में आठवां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया तथा दक्षिण एशियाई देशों व खाड़ी क्षेत्र को निर्यात सहित इस्पात खपत के संबंध में नए बाजारों की खोज करके उद्योग का और विकास करने के लिए उपाय किए गए हैं । वर्ष 2002-03 के दौरान विनिर्मित इस्पात का उत्पादन 33 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। वर्ष 2002-03 में उद्योग ने 3.7 मिलियन टन इस्पात का निर्यात किया जो वर्ष 2001-02 की तुलना में 37 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है । वर्ष 2003-04 की प्रथम तिमाही में देशज इस्पात उद्योग में दृढ़ सुधार हुआ है । अप्रैल-जून, 2003 के दौरान

विनिर्मित इस्पात का कुल उत्पादन अनुमानतः 8.7 मिलियन टन था जबकि विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन 8.1 मिलियन टन था, जो 7.5 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। दसवीं योजना के अंतर्गत रा-ट्र की अवस्थापना में सुधार करने पर, विशेष रूप से आवास निर्माण और सड़क परियोजनाओं पर काफी बल दिया गया है और इसलिए इस्पात की अधिक मांग की तथा आने वाले वर्षों में निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने की भी काफी गुंजाइश है।

90. विश्व प्रमुख ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान लगभग 22 प्रतिशत है तथा यह निकट भविष्य में देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। कुल विद्युत उत्पादन में कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है और इस प्रकार कोयला संसाधनों के तीव्र विकास के लिए भरसक प्रयास किए जाने की जरूरत है। यदि दसवीं योजना में 8 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर का समर्थन करने के लिए विद्युत क्षेत्रक का विस्तार किया गया तो स्वदेशी कोयला उत्पादन का पर्याप्त रूप में विस्तार करना होगा। संसद द्वारा कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के अनुमोदन से कोयला क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया में तेजी आएगी जिससे कि निजी क्षेत्रक निवेश आकर्षित किया जा सके।

91. कोयला क्षेत्रक के संबंध में दसवीं योजना में कुछेक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र तथा प्रमुख पहलें हैं: अलग-अलग कोयला उत्पादक कंपनियों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करके इस क्षेत्रक का पुनर्गठन ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर सकें और सक्षम बन सकें, विशिष्ट रूप से विद्युत क्षेत्रक की और सामान्य रूप से अन्य अन्त्य उपयोग क्षेत्रकों की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना; सुधार प्रक्रिया को जारी रखना तथा वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्रक भागीदारी को सुकर बनाना ताकि कोयला खोज, उत्पादन और उपयोग के संबंध में नवीनतम प्रौद्योगिकी की सुलभता सहज हो सके; कोयले की ढुलाई तथा सड़क परिवहन पर निर्भरता को कम करने के लिए पत्तन व रेल अवस्थापना को मजबूत बनाना तथा कोयले की ढुलाई के लिए अन्य साधनों की खोज करना तथा बेहतर प्रौद्योगिकियां अपनाकर देशज धुले कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसे इस्पात क्षेत्रक के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना जिससे कि आयात निर्भरता कम हो सके। कोयला बैड मीथेन (सीबीएम) वाणिज्यिक ऊर्जा के एक नए स्रोत के रूप में उभर रहा है। सरकार ने सीबीएम की खोज और दोहन के संबंध में नीति अनुमोदित की तथा नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। दसवीं योजना के अंतर्गत, सीबीएम की स्वच्छ ऊर्जा के एक देशज स्रोत के रूप में बड़ी संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, इसके विकास पर बल दिया जाता रहेगा।

92. कौटिल्य-भिन्न खनन में निजी क्षेत्रक को अनुमति देने, एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए लंबित पड़े कोयला विधेयक, 2000 के शीघ्र पारित होने से, जिससे प्रतिस्पर्धापूर्ण बराबरी की स्थिति सुनिश्चित होगी, कोल इंडिया लि0 (सीआईएल) का पुनर्गठन, कोयले को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटाकर कोयले की मुक्त बिक्री की अनुमति देना, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत संभाव्य उद्यमियों को पेश किए जाने के लिए सीआईएल द्वारा धारित कोयला ब्लॉकों को ब्लॉकों में से हटाना, कोयले के लिए रेल भाड़ा दरों का युक्तिकरण, सकल केलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित ग्रेडिंग और कोयले की कीमत पद्धति अपनाना, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कुछेक महत्वपूर्ण प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं।

93. कोयले की मांग प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्रक की मांग द्वारा प्रेरित होती है। नई कोयला आधारित ताप क्षमता में कमी (49 प्रतिशत) के कारण (15102 मेगावाट के नौवीं योजना के लक्ष्य के

बदले 7680 मेगावाट की वास्तविक अभिवृद्धि) तथा योजना अवधि के दौरान प्रत्याशा से कम आर्थिक वृद्धि के कारण भी कोयले का उत्पादन और उठान नौवीं योजना के दौरान परिकल्पित से कहीं कम था। कोयले के उठान में गिरावट के फलस्वरूप, कोयले के उत्पादन और नई उत्पादन क्षमता सृजन को हानि पहुंची। कोयला कंपनियों ने उठान के अनुरूप कोयला उत्पादन को सीमित करने का मार्ग अपनाया ताकि खदान भंडारों में ढेरों से बचा जा सके। परिकल्पना है कि दसवीं योजना के दौरान कोयले की मांग में 5.74 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि होगी जबकि नौवीं योजना में वास्तविक सीएजीआर 3.5 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, कोयला उत्पादन में दसवीं योजना के दौरान 4.46 प्रतिशत की वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है जबकि नौवीं योजना के दौरान यह वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2003-04 के लिए, कोयले की मांग 380.90 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है (वाशरी मिडलिंग के 4.29 मिलियन टन को छोड़कर)। यह 2002-03 में 361.68 मिलियन टन की प्रत्याशित खपत/उठान से 5.3 प्रतिशत अधिक है (वाशरी मिडलिंग के 4.1 मिलियन टन को छोड़कर)। कोकिंग कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण करके तथा उन्हें अपरिशोधित कोयला फीड व इस्पात क्षेत्रक के विनिर्देशनों के लिए उपयुक्त बहु-उत्पाद वाशरियों में बदलकर, धुले कोकिंग कोयले के घटते उत्पादन व वाशरी पैदावार को चैक करने की जरूरत है।

94. वर्ष 2002-03 के दौरान नेयवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) से लिग्नाइट का प्रत्याशित उत्पादन 18.85 मिलियन टन है जबकि लक्ष्य 19.95 मिलियन टन का था। वर्ष 2003-04 के लिए 20.90 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है तथा लिग्नाइट ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 15 बिलियन के डब्ल्यूएच है। वर्ष 2003-04 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य से लिग्नाइट उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की उत्पादकता में प्रस्तावित सुधार के साथ विद्युत उत्पादन में 21.5 प्रतिशत वृद्धि का संकेत मिलता है। एनएलसी को कोयला अग्नि (फायर्ड) विद्युत उत्पादन में विविधीकृत करने की अनुमति प्राप्त है तथा इस संबंध में कुछेक परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

95. सीमेंट एक बुनियादी निर्माण सामग्री है तथा भारत को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ व कंपनशील सीमेंट उद्योग अनिवार्य है। यह सामाजिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे आर्थिक विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। उद्योग, मशीनरी, विनिर्माण, सामग्री व सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार का पर्याप्त रूप से उच्च अनुपात कायम करने के साथ-साथ सीधे ही 1.35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसने उत्पाद शुल्क (केन्द्र के उत्पाद शुल्क राजस्व के 5 प्रतिशत तक) और बिक्री कर के माध्यम से राजस्व के रूप में काफी योगदान दिया है।

96. विगत दो दशकों के दौरान सीमेंट उद्योग में 8.4 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में, भारत विश्व में चीने के बाद, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। तथापि, प्रति व्यक्ति खपत 107.6 कि.ग्राम पर काफी कम है जबकि विश्व औसत 263 कि.ग्राम है। कोरिया के मामले में, प्रति व्यक्ति खपत 1015 कि.ग्राम है जो सबसे अधिक है उसके बाद 890 कि.ग्राम पर ताइवान का, 570 कि.ग्राम पर जापान का, 506 कि.ग्राम पर मलेशिया का और 450 कि.ग्राम पर चीन का स्थान है।

97. सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता 148.63 मिलियन टन है तथा इस क्षमता का अधिकांश भाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का है और ऊर्जा बचत शु-क प्रक्रिया पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में विकास में तेजी में सकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ, सीमेंट की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्पादन, जो 2001-02 में

107 मिलियन टन था, 2002-03 में बढ़कर 116 मिलियन टन हो गया और 8.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। खपत में भी वृद्धि हुई, जो 2001-02 में 99.01 मिलियन टन थी, 2002-03 में बढ़कर 107.6 मि.टन हो गई तथा 8.68 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। निर्यात मोर्चे पर, सीमेंट उद्योग ने 2002-03 में 6.18 मिलियन टन सीमेंट (क्लिकर सहित) का निर्यात किया जबकि उससे पिछले वर्ष यह मात्रा 4.58 मिलियन टन थी, जो 35 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

98. सीमेंट उद्योग की मांग, सामान्य रूप से निर्माण, आवासन, परिवहन और ऊर्जा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में विकास पर निर्भर करती है। चूंकि भौतिक अवस्थापना का त्वरित विकास दसवीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए सीमेंट की घरेलू मांग, अर्थव्यवस्था के लक्षित 8 प्रतिशत के जीडीपी विकास के साथ, 150 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। दसवीं योजना के अंत तक निर्यात भी (क्लिकर को छोड़कर) 8 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसके लिए उत्पादन क्षमता, 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग के साथ, 186 मिलियन टन तक होना जरूरी है जिसके लिए वर्ष 2006-07 तक 37 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता की जरूरत होगी।

99. विद्युत क्षेत्रक, देश के समग्र समाजार्थिक विकास का आधार है। दसवीं योजना में विद्युत क्षेत्रक में 41,110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की कल्पना की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त 3000 मेगावाट का भी प्रस्ताव है। दसवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का प्रस्ताव अनेक नए नीतिगत उपाय करने का है तथा यह विद्युत क्षेत्रक सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि क्षेत्रक को प्रतियोगी व सक्षम बनाया जा सके। हाल ही में अधिसूचित विद्युत अधिनियम, 2003 ने विद्युत से संबंधित पिछले तीन अधिनियमों का स्थान ले लिया, यथा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत व्यापार को एक भिन्न कार्यकलाप माना गया है तथा इसके तहत एक ही क्षेत्र के अंदर पारे-ण और वितरण के लिए अनेक लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति है, पारे-ण में मुक्त सुलभता के वास्ते आधार तय किए गए हैं तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को चरणों में विद्युत के वितरण में मुक्त सुलभता की अनुमति देने की इजाजत है। अंततः इन सभी से क्षेत्रक में कार्यकुशलता और प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा। 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, कोयला विभाग, परमाणु ऊर्जा और रेल मंत्रालय के केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उपक्रमों को देय राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) के बकाया देयों को एकबारगी निपटान की व्यवस्था के अंतर्गत, चौबीस राज्यों ने भा.रि.बैंक और विद्युत मंत्रालय के साथ मार्च, 2003 में त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए थे। चार पूर्वोत्तर राज्यों यथा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ने अभी तक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

100. वर्ष 2002-03 में 2979.40 मेगावाट की वास्तविक क्षमता वृद्धि इस अवधि के लिए प्रस्तावित 4109 मेगावाट क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की लगभग 73 प्रतिशत थी। 545.5 बिलियन यूनिट (बी.यू.) के लक्ष्य के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 531.40 बी.यू. था, जो 2.6 प्रतिशत कमी का परिचायक है। वर्ष 2002-03 के लिए 70.8 प्रतिशत अखिल भारत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) का लक्ष्य रखा गया था तथा वास्तविक उपलब्धि 72.1 प्रतिशत पर अधिक थी।

101. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 5.87 लाख गांवों में से अभी तक 83.4 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया गया है। विद्युतीकरण किए जाने वाले शेष लगभग 80,000 गांवों से कुछ 62,000 गांवों का विद्युतीकरण दसवीं योजना अवधि के अंत तक ग्रिड विस्तार के माध्यम से किया

जाना है। श्रेण 18,000 गांवों को, जो दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, ग्यारहवीं योजना के अंत तक (दसवीं योजना के लिए पांच हजार गांवों का लक्ष्य रखा गया है) सौर, लघु पन तथा बायोमास जैसे विकेन्द्रीकृत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को कवर करने के उद्देश्य को पूरा करने के वास्ते कार्यक्रम में तेजी लाई गई है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक सभी के लिए बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक केन्द्रीय व राज्य स्तरीय पहलें तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) तथा न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम जैसी स्कीमों का उद्देश्य अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना है। पद्धति सुधार, भार तीव्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कवरेज को बढ़ाने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम, नए तीव्र ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) और चालू ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आरआईडीएफ) के माध्यम से जिसका कार्यान्वयन रा-ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। नए प्रारंभ किए गए एआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरण के हेतु लिए गए ऋणों पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) को पहली बार ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निधि प्रदान करने की अनुमति दी गई है जिससे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के प्रयासों को समर्थन मिल सके।

102. भारत, प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय संसाधनों से समृद्ध है यथा सौर, पवन, लघु पन तथा बायोमास, जिसमें कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की, विशेष रूप से दूरवर्ती तथा कठिन तराईयों में स्थित दूर-दराज के गांवों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इन संसाधनों का दोहन करना सर्वोत्तम है, जहां कि विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प पाया गया है। खाना पकाने, ऊर्मा प्रदान करने तथा प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों संबंधी ऊर्जा की पूर्ति के वास्ते ऐसी विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों से, पवन, बायोमास, सौर तथा लघु पन परियोजनाओं से जुड़ी ग्रिड के माध्यम से पारंपरिक विद्युत उत्पादन को पूरक भी किया जा सकता है। दसवीं योजना के दौरान गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) का प्रस्ताव, नवीकरणीय साधनों के माध्यम से 3075 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त करने का है। इसमें पवन विद्युत से 1500 मेगावाट, बायोमास विद्युत से 750 मेगावाट, लघु पन आधारित से 600 मेगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा वसूली से 80 मेगावाट विद्युत, सौर ताप विद्युत से 140 मेगावाट और 5 मेगावाट सौर फोटो-वोल्टिक विद्युत शामिल है। दसवीं योजना के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों में सम्मिलित हैं : 15 लाख बायोगैस संयंत्र, 14 लाख एसपीवी प्रकाश पद्धतियां, 15,000 एसपीवी पंप और 30,000 एसपीवी जेनेरेटर। वर्ष 2003-04 के दौरान 1.50 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 53000 गृह प्रकाश पद्धतियां, 600 सौर जेनेरेटर, 0.45 मेगावाट के समकक्ष सौर विद्युत संयंत्र, 1600 एसपीवी पंप, 250 मेगावाट पवन विद्युत, 125 मेगावाट बायोमास विद्युत, 5 मेगावाट के समकक्ष बायोमास गैसीफायर पद्धतियां, 80 मेगावाट लघु पन विद्युत तथा 13.30 मेगावाट के समकक्ष शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

103. दसवीं योजना निर्माण, विनिवेशों के माध्यम से पुनर्संरचना और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन एवं वितरण में निजी पक्षकारों के प्रवेश के संबंध में पिछली योजनाओं की तुलना में प्रतिमान बदलाव का परिचायक है। भविष्य में भारत की तेल आयात निर्भरता बढ़ने की संभावना है। दसवीं योजना में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रक हैं; नई अन्वेषण लाइसेंसिंग पद्धति (एनईएलपी) के अंतर्गत विशेष गहन अपतटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतियोगितापूर्ण बोली के जरिए अन्वेषण प्रयासों में तेजी; सुधरी/संवर्धित तेल वसूली; विदेश में तेल और गैस/एलएनजी में इक्विटी प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के वास्ते स्ट्रेटेजिक भंडारण और वैश्वीकरण उपाय;

उपभोक्ता हितों पर नजर रखने के लिए विनियामक तंत्र की स्थापना और हाइड्रो-कार्बन क्षेत्रक को एक विश्व प्रतियोगितापूर्ण उद्योग के रूप में विकसित करना जिसे उद्योग के सभी पहलुओं की दृष्टि से प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण के माध्यम से विश्व में सर्वोत्तम के साथ बेंचमार्क किया जा सके ।

104. वर्ष 2002-03 के दौरान अन्वे-णात्मक तथा विकास ड्रिलिंग में उपलब्धि क्रमशः 456.08 हजार मीटर व 474.67 हजार मीटर प्रत्याशित है । वर्ष 2003-04 में 557.86 हजार मीटर अन्वे-णात्मक ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया है जो 2002-03 की उपलब्धि से 22.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2003-04 के दौरान 501.45 हजार मीटर की विकास ड्रिलिंग का लक्ष्य, 2002-03 की प्रत्याशित उपलब्धि से 5.6 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2002-03 के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन 33.1 मिलियन टन था जबकि लक्ष्य 33.08 मिलियन टन का था । वर्ष 2003-04 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 33.50 मिलियन टन है । 2002-03 के दौरान 31.39 बिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है जबकि लक्ष्य 31.37 बीसीएम का है । वर्ष 2002-03 के लिए 31.30 बीसीएम प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

105. देश ने परिशोधन क्षमता में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है । रिफाइनरी क्षेत्रक को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है । अतिरिक्त परिशोधन क्षमता की स्थापना अनेक कारकों पर निर्भर करेगी जैसेकि शुल्क संरचना, घरेलू मांग तथा आयात और निर्यात संभावनाएं । 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार परिशोधन क्षमता 116.97 एमएमटी है । वर्ष 2003-04 के दौरान परिशोधन क्षमता में किसी वृद्धि की उम्मीद नहीं है । दसवीं योजना के संबंध में कार्यदल ने 2002-03 में 111.23 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान लगाया है । तथापि, वर्ष 2002-03 में केवल 104.14 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत होने का अनुमान है जो कि 2001-02 में 100.43 एमएमटी की वास्तविक खपत में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है । पेट्रोलियम उत्पादों की मांग प्रक्षेपित स्तरों से काफी कम दर से बढ़ रही है । 2003-04 के अंत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/खपत लगभग 107.16 एमएमटी होने का अनुमान है । संसद में पेट्रोलियम विनियामक विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया गया है । एक प्रमुख नीतिगत निर्णय में सरकार ने पेट्रोल के एथनोल मिश्रण की शुरुआत करने का निश्चय किया है । 5 प्रतिशत एथनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री 9 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई थी । शे-न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को द्वितीय चरण में कवर किया जाएगा ।

106. एक सक्षम परिवहन पद्धति, संधारणीय आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है । यह प्रमुख अवस्थापना समर्थन पद्धति है जो पिछड़े इलाकों को अर्थव्यवस्था की मुख्य-धारा के साथ समेकित करके तथा उन्हें व्यापार तथा निवेश के लिए खोलकर उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । इसके अलावा, रा-ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो भारत जैसे बड़े देश के लिए विशेष-रूप से महत्वपूर्ण है । एक उदारीकृत व्यवस्था में, विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के वास्ते एक सक्षम परिवहन नेटवर्क का महत्व बढ़ जाता है ।

107. सड़क नेटवर्क, विकास प्रक्रिया का आधार है और रा-ट्रीय एकीकरण में और दूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़कर तथा देशज व विदेशी निवेश के निमित्त प्रेरक परिवेश कायम करके देश के समाजार्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । भारत में विद्यमान सड़क नीति के दो बुनियादी तत्व हैं, यथा उपलब्धता और गतिशीलता । उपलब्धता का उद्देश्य सुधरे ग्रामीण सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जाना है । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम सड़क संयोजकता की व्यवस्था करने के लिए इस प्रयोजनार्थ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई है। क्षमता में सुधार करके तथा उच्च घनत्व वाले गलियारों को मजबूत बनाकर गतिशीलता को सुकर बनाया जाना है। इस संबंध में रा-ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्वर्ण चतुर्भुज के 4/6 लेनों का तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारों का निर्माण करना है। वर्ष 2003-04 के दौरान, निम्न ग्रेड सेक्शनों में सुधार, कमजोर पुलों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण, उप-मार्गों के निर्माण और 4 लेनों व 2 लेनों का निर्माण करने पर बल देने के अलावा, विद्यमान राजमार्गों की भार क्षमता में सुधार करने पर भी बल दिया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों पर वर्ष के दौरान अधिकाधिक ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी।

108. रा-ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजनाएं सम्मिलित हैं, भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत विद्यमान नेटवर्क को चार/छः लेनों में बदलने की परिकल्पना की गई है। जीक्यू की पूर्णता में कुछ देरियां हुई हैं। जीक्यू की कुल 5846 कि.मी. की लम्बाई के संदर्भ में, 1327 कि.मी. को 4 लेनों वाला बनाया गया तथा 4383 कि.मी. पर कार्य चल रहा था और 136 कि.मी. के लिए मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, ठेका दिया जाना बाकी है। एनएचडीपी कार्यक्रम के द्वितीय चरण (उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों) को 2003-04 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है जिसके अंतर्गत 6369 कि.मी. रा-ट्रीय राजमार्ग को 4/6 लेनों वाला बनाया जाएगा।

109. भारतीय रेलवे, विश्व में एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसका लगभग 63,000 रूट कि.मी. का नेटवर्क है तथा भारी माल के यातायात व लम्बी दूरी की सवारी यात्रा के लिए एक प्रमुख साधन है। दसवीं योजना में, रेलवे पद्धतियों की सुरक्षा और सेवाओं में विश्वसनीयता में सुधार करने के अलावा बढ़ते हुए माल व यात्री ट्रैफिक की जरूरत को पूरा करने के लिए इसके आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के माध्यम से क्षमता का विस्तार करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। नेटवर्क के क्रांतिक सेक्शनों में क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए रेलवे अवस्थापना में निवेश को तेज करने के वास्ते रा-ट्रीय रेल विकास योजना शुरू की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, उच्च घनत्व वाले गलियारों में क्षमता को बढ़ाना तथा सेवाओं की कोटि में सुधार करना रेलवे के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं। जहां तक यात्री ट्रैफिक का संबंध है, वर्ष 2003-04 के लिए 5177 मिलियन यात्रियों का उच्च लक्ष्य रखा गया है जबकि 2002-03 में यात्रियों की संख्या 5022.12 मिलियन थी। वर्ष 2003-04 दौरान प्रमुख कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं, रोलिंग स्टॉक प्राप्त करना, 3850 कि.मी. पटरी का नवीकरण, 775 कि.मी. गॉज परिवर्तन, 350 कि.मी. रेलवे विद्युतीकरण और 225 कि.मी. नई रेल लाइन का निर्माण। रेलवे, विभिन्न मॉडलों के जरिए रेल परियोजनाओं में निजी/सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। सुरेन्द्रनगर-राजुला नगर-पिपावव गॉज परिवर्तन परियोजना शुरू करने के लिए एसपीवी का गठन किया गया है जिसमें एक ओर रेलवे मंत्रालय व इसके स.क्षे.उ. की तथा दूसरी ओर गुजरात पिपावव पोर्ट लि0 (जीपीपीएल) व अन्यो की 50:50 भागीदारी आधार पर इक्विटी भागीदारी है। पुरानी बीओएलटी स्कीम के स्थान पर नई बीओटी स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत निर्माण के ठेकेदारों और वित्तपो-कों के एक महासंघ द्वारा निजी भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

110. बंदरगाह, जल परिवहन और सतही परिवहन के बीच पार-लदान (ट्रांस-शिपमेंट) प्वाइंट के रूप में काम करते हैं और इसलिए अंतर्रा-ट्रीय व्यापार को सुकर बनाने के वास्ते परिवहन पद्धति में एक

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के समुद्रतट के साथ-साथ बारह बड़े बंदरगाह देश के बंदरगाह ट्रैफिक के लगभग 75 प्रतिशत को हैंडल करते हैं तथा शेष 25 प्रतिशत छोटे/राज्य बंदरगाहों द्वारा संभाला जाता है। दसवीं योजना के अंतर्गत प्रमुख बल, निजी क्षेत्रक भागीदारी के माध्यम से तथा संगठनात्मक परिवर्तन लागू करके कार्यकुशलता और उत्पादकता सुधार व कंटेनर ट्रैफिक पर जोर देते हुए, सामान्य उपभोक्ता सामान्य कार्गो सुविधाएं कायम करने पर दिया जाएगा। वर्ष 2003-04 के दौरान बंदरगाह क्षेत्रक के अंतर्गत शुरू की जाने वाली प्रमुख स्कीमों/कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : हुगली एस्टुअरी में रीवर ड्राफ्ट का सुधार करने के लिए नदी विनियामक कार्य, चेन्नई में वेस्टक्वे का आधुनिकीकरण और नार्थक्वे का विस्तार, न्यू मंगलौर बंदरगाह पर अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण, कांडला बंदरगाह पर विद्यमान छोटी (व्हार्फ) क्रेनों के स्थान पर चार 20 टन व्हार्फ क्रेनों की प्राप्ति आदि।

111. अंतर्देशीय जल परिवहन (आईटीडब्ल्यू) एक ऊर्जा बचत वाला, पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ और यातायात का किफायती साधन है। भारत जलमार्गों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है जिसमें नदी प्रणाली व नहरें शामिल हैं। अनुमान है कि कुल 14,544 कि.मी. जलमार्गों का उपयोग यात्री और माल ढुलाई के लिए किया जा सकता है। तथापि, इस क्षेत्रक में क्षमता का बहुत कम उपयोग हुआ है क्योंकि अधिकांश नौवहन योग्य जलमार्ग अनेक संकटों से ग्रस्त हैं जैसेकि उथला जल और शुष्क मौसम के दौरान मार्ग की संकीर्ण चौड़ाई, नदी की तलहटी में गाद का भराव, किनारों का कटाव, माल के लदान के लिए टर्मिनलों और बर्थों जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और सतही सड़क संयोजनों का अभाव।

112. यात्री आवागमन और माल ढुलाई के संबंध में यातायात का सबसे तेज साधन नागर विमानन, प्रमुख रूप से 3 विशिष्ट कार्यात्मक मार्गों में बंटा हुआ है, यथा विनियामक-सह-विकास, प्रचालन और अवस्थापना। दसवीं योजना में नागर विमानन विकास का प्रमुख उद्देश्य, व्यापार और पर्यटन की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाओं और कुशल, सुरक्षित व भरोसेमंद हवाई सेवाओं की व्यवस्था करना है। दसवीं योजना के लिए विकास नीति के अनुरूप, वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा : हवाई अड्डों की अवस्थापना का उन्नयन और विस्तार, हवाई सेवाओं की सुरक्षा में सुधार और दुर्गम इलाकों तक हवाई संयोजकता की व्यवस्था करना।

113. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में, विशेष रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, व्यापार उद्योग और सेवा क्षेत्रक में, एक क्रांतिकारी प्रभाव दिखाया है। विश्व में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रक राजस्व मंदी के बावजूद, भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योग में वर्ष 2001-02 में 10.04 बिलियन अमरीकी डालर (47374 करोड़ रुपए) के संदर्भ में 12.7 बिलियन अमरीकी डालर (59,900 करोड़ रुपए) का उत्पादन करके 2002-03 में डालर की दृष्टि से 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। भारत ने वर्ष 2002-03 में 10 बिलियन अमरीकी डालर (47,500 करोड़ रुपए) मूल्य के साफ्टवेयर का निर्यात किया जो 2001-02 में 7.8 बिलियन (36,500 करोड़ रुपए) अमरीकी डालर के संदर्भ में डालर की दृष्टि से लगभग 28 प्रतिशत अधिक है। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष तक (2006-07) पूर्वानुमान है कि भारत के जीडीपी में उद्योग का हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत और निर्यात में 35 प्रतिशत रहेगा जबकि वर्तमान स्तर क्रमशः 2.4 प्रतिशत व 20.4 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 तक विश्व आईटी बाजार में भारत का हिस्सा बढ़कर 6 प्रतिशत तक के स्तर पर पहुंचने की परिकल्पना की गई है जबकि वर्तमान में यह 2 प्रतिशत है। आईटी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रक रोजगार सृजन व संपदा निर्माण के लिए आईटी उद्योग का एक तेजी से बढ़ता घटक उभर रहा है। आईटीईएस क्षेत्रक ने

11,700 करोड़ रुपए का कारोबार करके 2002-03 में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जबकि 2001-02 में यह राशि 7,100 करोड़ रुपए थी । वर्तमान में भारतीय आईटी साफ्टवेयर व सेवा उद्योग 6.50 लाख व्यवसायिकों को सीधे रोजगार प्रदान कर रहा है ।

114. जहां-जहां आईटी क्षेत्रक के लिए पहल की गई है वहां प्रमुख कार्यक्रमों और प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : सरकार-नागरिक विचार-विमर्श स्तर पर कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुधारने के लिए ई-अधिशासन स्थापित करना बहु-प्रयोजनीय स्मार्ट कार्ड जारी करना, विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी कार्यक्रमों के माध्यम से आईटी संयोजकता की व्यवस्था करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) गठित करना, डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए अवस्थापना का निर्माण और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाना देने के लिए एक रा-द्रीय हार्डवेयर विकास नीति का निर्माण । वर्ष 2002-03 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: सभी पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 487 ब्लॉकों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की शुरुआत, उच्च नि-पादक सुपर कंप्यूटर "परम पदम" का विकास और सुपुर्दगी, पांच नए स्थानों पर साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना, अनेक जिलों में विडियो-कांफ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित करना आदि । 2003-04 के दौरान प्रस्तावित कुछेक प्रमुख कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं : "इरनेट" और "निकनेट" अवस्थापना का उन्नयन और सेवाओं में विस्तार, ई-अधिशासन का कार्यान्वयन ।

115. दूरसंचार, आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख वाहक है, जिसमें विकास की अपार संभाव्यताएं हैं । मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में 536.85 लाख संचार लाइनें सम्मिलित हैं जिनमें सेलूलर कनेक्शन व 38 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन शामिल हैं । देश में 6.04 लाख गांवों में से 5.14 लाख गांवों को मार्च, 2003 तक कवर कर लिया गया है। दूरसंचार क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना के दौरान परिकल्पित प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित हैं : योजना के अंत तक 9.91 प्रति हजार का समग्र दूरी घनत्व प्राप्त करना जबकि वर्तमान में यह 5.11 है, मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, सभी गांवों के लिए दूरसंचार कवरेज प्राप्त करना, सभी एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय साधन (मीडिया) और 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरों के लिए उच्च गति डाटा व बहु-मीडिया क्षमता की व्यवस्था करना । वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं : 64.11 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना, 29,600 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन, 11.47 लाख ट्रंक आटो एक्सचेंज (टेक्स) लाइनें तथा ग्रामीण इलाकों में 8.61 लाख नए कनेक्शन प्रदान करना । दूरसंचार नेटवर्क का ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने के वास्ते यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन (यूएसओ) निधि का कार्यान्वयन, ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनो को बढ़ावा देना, नागरिक प्रयोजन हेतु कार्यक्षेत्र आबंटन में वृद्धि कुछेक महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं जिनकी वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान परिकल्पना की गई है ।

116. एक सक्षम डाक पद्धति, आधुनिक संचार पद्धति का एक महत्वपूर्ण घटक है । लगभग 1.55 लाख डाकघरों के नेटवर्क के साथ भारतीय डाक पद्धति विश्व में सबसे बड़ी है । परिकल्पना की गई है कि दसवीं योजना के दौरान अवस्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन, डाक संबंधी कामकाज के आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें बहु-उत्पाद और बहु-सेवा केन्द्र बनाकर डाकघरों को एक नया रूप प्रदान किया जाए । नई सेवाएं लागू करने के अलावा, सेवाओं की कार्यकुशलता और कोटि सुधारकर क्षेत्रक को बदलने में सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी । डाक क्षेत्रक को दसवीं योजना के अंत तक आत्म-निर्भर (स्ववित्तपो-नी) बनाने की भी परिकल्पना की गई है । दसवीं

योजना के दौरान क्षेत्रक के लिए परिकल्पित एक बड़े सुधार कार्य में एक स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना करना शामिल है जो, अन्य बातों के अलावा, टैरिफ निर्धारण का काम भी देखेगा। डाक क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2003-04 के लिए तैयार प्राथमिकतापूर्ण कार्यसूची में भारतीय डाक अधिनियम, 1898 के स्थान पर एक भावी विधान तैयार करना शामिल है जो प्रतिस्पर्द्धा, अभिसरण व अन्य नई घटनाओं संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख वास्तविक लक्ष्यों में शामिल हैं: 20 विभागीय उप कार्यालय (डीएसओ), 2000 बाह्य-विभागीय शाखा कार्यालय (ईडीबीओ), 900 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोलना, जो 200 बड़े डाकघरों, 10 डाक लेखा कार्यालयों, 3 सर्किल कार्यालयों और 37 क्षेत्रीय कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के अलावा है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी व पर्यावरण

117. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को सदा ही आर्थिक विकास की एक प्रेरक शक्ति और लोगों के रहन-सहन को सुधारने के एक साधन के रूप में स्वीकारा गया है तथा इस प्रक्रिया में इसने लोगों के जीवन में इतनी घुसपैठ कर ली है कि किसी भी मानव कार्यकलाप के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की घटनाओं से अछूता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई घटनाओं से मनु-य के सम्मुख प्रस्तुत अनेक समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिली है, जिनमें कुछेक महत्वपूर्ण संचारी रोगों का उन्मूलन, खाद्य और ऊर्जा कमियां आदि शामिल हैं। तथापि, आजकल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति से अनेक नई समस्याओं ने वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है। विश्वभर में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

118. वैज्ञानिक उद्यम के बदलते संदर्भ को समझते हुए तथा वैश्वीकरण के इस नए युग में वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के वास्ते, सरकार द्वारा "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति - 2003" की घोषणा की गई। नीति का उद्देश्य एक नए व उदीयमान भारत का निर्माण करना है जो अपनी दृढ़, प्रजातांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं को जारी रखे और जो न केवल सैनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहे। नीति को चारों ओर एक बड़े मानव परिवार की विश्व संकल्पना के साथ तालमेल बैठाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से भारतीय लोगों का तथा वस्तुतः पूर्ण मानवता का वास्तव में उत्थान हो।

119. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित पर बल दिया गया है; अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सृजन हेतु विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन विकास, विशेष रूप से प्रतिभाशाली युवाओं को आजीविका के रूप में विज्ञान को अपनाने के लिए आकृ-ट करना, प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखे और भू-स्खलन के पूर्वानुमान, निवारण और कमी करने के संबंध में सूचना तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में होने वाली घटनाओं का रा-ट्रीय कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में समाकलन करना और उनका आजीविका सुधारने, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा हेतु उपयोग करना।

120. वर्ष 2003-04 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं : कल्पकम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) का सतत रूप से प्रचालन तथा रिएक्टर शक्ति (पावर) को और बढ़ाना ताकि वह क्रमिक रूप से सामान्य विद्युत (पावर) स्तर तक पहुंच सके और भावी न्यूक्लीय विद्युत

कार्यक्रमों के लिए थोरियम एलायज, रिफ्रेक्टरी एलायज आदि जैसी सामग्री के विकास के संबंध में अध्ययन आयोजित करना । जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बड़ी उभरती बीमारियों आदि के लिए सुधरे टीकों और निदान विज्ञान का विकास, तथा अंतरिक्ष विज्ञानों के अंतर्गत इनसेट-3 ई-उपग्रह का प्रक्षेपण व प्रचालन, दूरवर्ती संवेदी डाटा की सततता प्रदान करने के लिए आईआर-एसपी 6 उपग्रह का प्रक्षेपण, जीएसएटी-3 (एड्यूसेट) का प्रक्षेपण, यह उपग्रह देश सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करने के लिए समर्पित है तथा श्रीहरिकोटा में द्वितीय प्रक्षेपण स्थल (पैड) को चालू करना कुछेक बड़े कार्यक्रम हैं जो वर्ष 2003-04 के लिए परिकल्पित हैं ।

121. आजीविका हेतु प्राकृतिक संसाधनों तक गरीबों की पहुंच में वृद्धि करने के लिए निर्धनता उन्मूलन पर बल देते हुए, स्वास्थ्य आधारों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम और पर्यावरणीय स्वस्थ रहन-सहन प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता स्तर में वृद्धि करना दसवीं योजना के लिए कुछेक कार्यक्रम हैं । ताज संरक्षण मिशन, जैव-विविधता, कच्छ वनस्पति (मैनग्रोवज) के संरक्षण, प्रवाल पुंज (कोरल रीफ) और परती भूमि व जीव मंडल भंडार जैसे विशि-ट क्षेत्रों में पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने के लिए भी कुछ विनिर्दि-ट परियोजनाएं शुरू की गई हैं ।

122. बड़ी प्रदूषित नदियों को 2007 तक व अन्य अधिसूचित खंडों को 2012 तक साफ करना दसवीं योजना के तहत एक मानीटरनयोग्य लक्ष्य है । रा-ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत बड़ी नदियों के प्रदूषित खंडों का सीवेज संग्रह और उपचार हेतु विनिर्धारण किया गया है । इस समय एनआरसीपी के तहत 17 राज्यों में फैले नदियों के 28 प्रदूषित खंडों के साथ-साथ 155 नगरों में कार्य करना सम्मिलित है । यह परियोजना 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्तपो-ण के साथ शुरू की गई थी। तथापि, संसाधन तंगी को देखते हुए दसवीं योजना के दौरान राज्यों को लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा वहन करना होगा । स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करके नदी प्रदू-ण का समाधान करने की योजना है ।

123. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पारि-पुनरुद्धार, पर्यावरणीय अनुसंधान के प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण हेतु विस्तार, शिक्षा और प्रशिक्षण, अंतर्रा-ट्रीय सहयोग और देश की जनता के सभी वर्गों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता के सृजन की सहायता से अनेक स्कीमों के माध्यम से संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा रहा है । इन कार्यकलापों की सहायतार्थ अनेक विधायी और विनियामक उपाय हैं जिनका उद्देश्य पर्यावरण का परिरक्षण, संरक्षण और बचाव करना है ।

124. वानिकी क्षेत्रक के संबंध में दसवीं पंचव-र्षीय योजना के उद्देश्यों में 25 प्रतिशत भू-क्षेत्र को वानिकी कवर के अंतर्गत लाना और संयुक्त वन प्रबंधन को सर्वव्यापी बनाना सम्मिलित है । हाल ही के मूल्यांकन से पता चला है कि देश में हरित कवर की प्रतिशतता 23.03 है । इससे आगे हरित कवर को बढ़ाने के लिए, वनों की सीमा से बाहर पौधारोपण अभियान शुरू करने की जरूरत होगी जिसके लिए कृ-नि-वानिकी प्रणालियों का प्रस्ताव किया गया है । इस उद्देश्य के अनुपालन में, ग्रामीण समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बांस संसाधनों, व्यापार और प्रौद्योगिकी तथा जैव-ईंधनों के प्रोन्नयन को प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के रूप में चुना गया है तथा इन कार्यकलापों को एक मिशन मोड तरीके से शुरू करने का प्रस्ताव है ।

125. एक व्यापक रा-ट्रीय वनारोपण स्कीम, एकीकृत वन संरक्षण स्कीम और रा-ट्रीय उद्यानों और शरणस्थलों के विकास की एक अन्य स्कीम लागू की गई है । "भारत पारि-विकास परियोजना" को जून,

2004 तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। शरणास्थलों और रा-द्रीय उद्यानों से बाहर वन क्षेत्रों में वन्यजीवन के संरक्षण पर और बल देने का भी प्रस्ताव है।

संलग्नक 3.1.1

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए तथा वार्षिक योजनाओं के दौरान सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

मद	दसवीं योजना परिव्यय	2002-03	2002-03	2003-04	
		(ब.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	
	(2001-02 कीमतों पर)	(वर्तमान कीमतों पर)			
1	2	3	4	5	
केन्द्रीय क्षेत्रक					
1	परिव्यय	893183	144038	136867	147893
	बजटीय सहायता	405735	66871	68219	72152
	आई.ई.बी.आर.	487448	77167	68648	75741
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र					
2	परिव्यय	632456	103859	114089	120974
	बजटीय सहायता	300265	46629	45871	48822
	स्वयं के संसाधन	332191	57230	68218	72152
कुल सरकारी क्षेत्रक (1+2)		1525639	247897	250956	268867

संलग्नक 3.1.2

दसवीं योजना (2002-07) तथा वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

	विकास शी-र्ष	दसवीं योजना परिव्यय (2001-02 कीमतों पर)	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	कुल (2002-04)	दसवीं योजना की प्रतिशतता
			(सं.अ.)	(ब.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	21068	3214	3840	3106	3584	6691	32
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3600	381	443	368	414	782	22
3	ग्रामीण विकास	79724	11282	6471	10904	6040	16945	21
4	ऊर्जा	318183	36825	43379	35593	40491	76084	24
5	उद्योग और खनिज	40372	7114	7598	6876	7092	13968	35
6	परिवहन	147448	27812	28784	26881	26868	53749	36
7	संचार	98956	14214	14903	13738	13911	27649	28
8	विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा पर्यावरण	27570	4022	4696	3887	4383	8271	30
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	11087	1588	3945	1535	3682	5217	47
10	सामाजिक सेवाएं	139002	30013	33395	29009	31172	60181	43
11	सामान्य सेवाएं	6173	402	439	389	410	798	13
	जोड़	893183	136867	147893	132287	138047	270335	30

*मूल्य वृद्धि % =

2002-03/2001-02=3.462

2003-04/2001-02=7.132

संलग्नक 3.1.3

दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजनाओं के लिए
बजटीय सहायता और व्यय - केन्द्रीय क्षेत्रक

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	दसवीं योजना परिव्यय (2001-02 कीमतों पर)	2002-03	2003-04	2002-03	2003-04	कुल (2002-04)	दसवीं योजना की प्रतिशतता
			(सं.अ.)	(ब.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	वृद्धि और सम्बद्ध कार्यकलाप	21068	3068	3719	2965	3471	6437	31
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3600	381	442	368	413	781	22
3	ग्रामीण विकास	79724	11282	6471	10904	6040	16945	21
4	ऊर्जा	51600	4460	5468	4311	5104	9415	18
5	उद्योग और खनिज	11786	2991	3079	2891	2874	5765	49
6	परिवहन	65350	13571	14679	13117	13702	26819	41
7	संचार	7944	936	335	905	313	1217	15
8	विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा पर्यावरण	27570	4022	4696	3887	4383	8271	30
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	10587	1586	3946	1533	3683	5216	49
10	सामाजिक सेवाएं	120333	25520	28880	24666	26957	51623	43
11	सामान्य सेवाएं	6173	402	439	389	410	798	13
	जोड़	405735	68219	72152	65936	67349	133285	33

*मूल्य वृद्धि (%) =

2002-03/2001-02=3.462

2003-04/2002-03=7.132

संलग्नक 3.1.4

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	दसवीं योजना परिव्यय (2001-02 कीमतों पर)	2002-03			
			(ब.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	(सं.अ.)
			वर्तमान कीमतों पर		(2001-02 कीमतों पर)	
1	2	3	4	5	6	
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	37865	6244	5671	6035	5477
2	ग्रामीण विकास	42204	9357	8594	9044	8300
3	विशेष-क्षेत्र कार्यक्रम	20879	1046	1054	1011	1018
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	99715	16521	15724	15968	15185
5	ऊर्जा	85744	17474	16778	16889	16203
6	उद्योग और खनिज	18567	2615	2362	2527	2281
7	परिवहन	78529	12217	11056	11808	10677
8	संचार	12	11	11	11	11
9	विज्ञान और प्राद्योगिकी तथा पर्यावरण	2854	369	337	357	325
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	27543	2772	2422	2679	2339
11	सामाजिक सेवाएं	208389	32078	30057	31005	29027
12	सामान्य सेवाएं	10155	3155	2800	3049	2704
	जोड़	632456*	103859	96866	100384	93547

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 590948 करोड़ रुपए योजना संसाधनों और योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 41508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय का आबंटन सम्मिलित है।

संलग्नक 3.1.5

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) और वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान
परिव्यय और व्यय - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	दसवीं योजना अनुमोदित परिव्यय (2001-02 कीमतों पर)	2002-03				दसवीं योजना की प्रतिशतता
			(ब.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	(सं.अ.)	
			(वर्तमान कीमतों पर)		(2001-02 कीमतों पर)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	46614	10100	8553	9762	8267	18
2	अरुणाचल प्रदेश	3888	676	676	653	653	17
3	असम	8315	1750	1750	1691	1691	20
4	बिहार	21000	2964	2314	2865	2237	11
5	छत्तीसगढ़	11000	1757	1774	1698	1715	16
6	गोवा	3200	586	586	566	566	18
7	गुजरात	40007	7600	7600	7346	7346	18
8	हरियाणा	10285	2034	1819	1966	1758	17
9	हिमाचल प्रदेश	10300	1840	2042	1778	1974	19
10	जम्मू व कश्मीर	14500	2200	2200	2126	2126	15
11	झारखंड	14633	2652	2652	2563	2563	18
12	कर्नाटक	43558	8611	8421	8323	8139	19
13	केरल	24000	4026	3425	3891	3310	14
14	मध्य प्रदेश	26190	4821	5598	4660	5411	21
15	महाराष्ट्र	66632	11562	11562	11175	11175	17
16	मणिपुर	2804	550	550	532	532	19
17	मेघालय	3009	545	480	527	464	15
18	मिजोरम	2300	430	489	416	473	21
19	नागालैंड	2228	424	427	410	413	19
20	उड़ीसा	19000	3100	2550	2996	2465	13
21	पंजाब	18657	2793	2793	2700	2700	14
22	राजस्थान	27318	5160	4371	4987	4225	15
23	सिक्किम	1656	350	370	338	358	22
24	तमिलनाडु	40000	5750	480	5558	5561	14
25	त्रिपुरा	4500	625	625	604	604	13
26	उत्तर प्रदेश	59708	7250	6393	7007	6179	10
27	उत्तरांचल	7630	1533	1534	1482	1483	19
28	पश्चिम बंगाल	28641	6307	3683	6096	3560	12
29	दुर्गल सं.रा.क्षे.	29375	5863	5874	5667	5677	19

जोड़	590948	103859	96865	100384	93624	16
------	--------	--------	-------	--------	-------	----

संलग्नक 3.1.6

राज्य योजना व्यय - अनुमोदित परिव्यय से भिन्नताएं

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2002-03		प्रतिशत
		(ब.अ.)	(सं.अ.)	भिन्नता
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10100	8553	-15
2	अरुणाचल प्रदेश	676	676	0
3	असम	1750	1750	0
4	बिहार	2964	2314	-22
5	छत्तीसगढ़	1757	1774	1
6	गोवा	586	586	0
7	गुजरात	7600	7600	0
8	हरियाणा	2034	1819	-11
9	हिमाचल प्रदेश	1840	2042	11
10	जम्मू व कश्मीर	2200	2200	0
11	झारखंड	2652	2652	0
12	कर्नाटक	8611	8421	-2
13	केरल	4026	3425	-15
14	मध्य प्रदेश	4821	5598	16
15	महाराष्ट्र	11562	11562	0
16	मणिपुर	550	550	0
17	मेघालय	545	480	-12
18	मिजोरम	430	489	14
19	नागालैंड	424	427	1
20	उड़ीसा	3100	2550	-18
21	पंजाब	2793	2793	0
22	राजस्थान	5160	4371	-15
23	सिक्किम	350	370	6
24	तमिलनाडु	5750	5754	0
25	त्रिपुरा	625	625	0
26	उत्तर प्रदेश	7250	6393	-12
27	उत्तरांचल	1533	1534	0
28	पश्चिम बंगाल	6307	3683	-42
	जोड़	97996	90992	-7

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (2 अंकीय स्तर पर)

(आधार वर्ष 1993-94)

वर्गीकरण	उद्योग विवरण	भार	नौवीं योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद का सूचक			2001-02 की तुलना में % वृद्धि	आईआईपी अप्रैल-जनवरी 2002-03	आईआईपी अप्रैल-जनवरी 2003-04	% वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2003-04
			औसत वृद्धि (1997-2002)	(आईआईपी) 2001-02 2002-03					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-21	छाछा उत्पाद	90.83	3.3	152.0	168.7	11.0	155.2	161.8	4.3
22	पेय पदार्थ, तम्बाकू और सम्बद्ध उत्पाद	23.82	10.9	224.8	287.6	27.9	281.9	308.1	9.3
23	सूती वस्त्र	55.18	0.7	124.5	121.2	-2.7	122.1	116.2	-4.8
24	रून, रेशम और मानव-निर्मित फाइबर कपड़े (सूती वस्त्र छोड़कर)	22.58	7.8	218.5	225.1	3.0	231.3	239.5	3.5
25	जूट व अन्य वनस्पति रेशों कपड़े	5.9	0.6	99.6	107.9	8.3	106.7	101.1	-5.2
26	कपड़ा उत्पाद (पहनने के परिधान सहित)	25.37	2.5	166.3	190.3	14.4	190.4	188.5	-1.0
27	का-ठ और का-ठ उत्पाद; फर्नीचर व सज्जा	27.01	-6.8	92.8	76.5	-17.6	75.1	82.1	9.3
28	कागज व कागज उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन और सम्बद्ध उद्योग	26.52	5.1	169.0	180.5	6.8	176.0	210.7	19.7
29	चर्म और चमड़ा व फर उत्पाद	11.39	8.0	158.0	152.9	-3.2	152.5	149.7	-1.8
30	बुनियादी रसायन एवं रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम के उत्पाद व कोयले को छोड़कर)	140.02	10.8	185.0	191.8	3.7	192.4	203.9	6.0
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद	57.28	7.2	170.4	179.7	5.5	177.8	187.8	5.6
32	गैर-धातुिक खानिज उत्पाद	43.97	10.5	220.7	232.0	5.1	228.2	238.0	4.3

संलग्नक 3.1.7 जारी

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (2 अंकीय स्तर पर)

(आधार वर्ष 1993-94)

वर्गीकरण	उद्योग विवरण	भार	नौवीं योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचक औसत वृद्धि (आईआईपी)			2001-02 की तुलना में % वृद्धि	आईआईपी अप्रैल-जनवरी 2002-03	आईआईपी अप्रैल-जनवरी 2003-04	% वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2003-04
			(1997-2002)	2001-02	2001-02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	बुनियादी धातु और भिन्न धातु उद्योग	74.53	1.9	156.0	170.4	9.2	168.1	185.3	10.2
34	धातु उत्पाद और कल-पुर्जे, मशीनरी व उपस्कर वगैरे छोड़कर	28.1	5.3	142.6	151.7	6.4	152.5	156.4	2.6
35-36	मशीनरी व उपस्कर, परिवहन उपस्कर के अलावा	95.65	4.5	198.3	201.4	1.6	199.6	221.9	11.2
37	परिवहन उपस्कर और कल-पुर्जे	39.84	4.1	203.3	232.9	14.6	226.3	268.4	18.6
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	25.59	1.3	173.2	173.3	0.1	169.9	179.8	5.8
	खाना व उखाना	104.73	2.0	131.9	139.6	5.8	137.6	143.8	4.5
	विनिर्माण	793.58	5.5	172.7	183.1	6.0	180.3	193.1	7.1
	घिद्युत्	101.69	5.4	159.2	164.3	3.2	164.8	170.9	3.7
	सामान्य सूचक	1000	5.2	167.0	176.6	5.7	174.3	185.7	6.5

* वार्षिक औसत

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

आधाभूत क्षेत्रकों का नि-पादन

क्र.सं.	उद्योग	यूनिट	भार	2001-02	2002-03	2001-02 की तुलना 2002-03 में प्रतिशत वृद्धि	अप्रैल-जनवरी 2003-04	प्रतिशत वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2003-04	
1	कोयला	मिलियन टन	3.22	323.0	337.0	4.3	271.7	284.5	4.7
2	विद्युत	बिलियन यूनिट	10.17	515.3	531.4	3.1	444.2	460.6	3.7
	I ताप			422.0	448.4	6.3	372.4	382.9	
	II पन (न्यूक्लीय सहित)			93.3	83.0		71.8	77.7	
3	इस्पात	मिलियन टन	5.13	31.6	34.4	9.7	28.4	30.3	6.7
4	अशोधित पेट्रोलियम	मिलियन टन	4.17	32.0	33.1	3.3	27.7	27.8	0.4
5	पेट्रोलियम रिफाइनरी	मिलियन टन	2.00	99.8	104.7	4.9	93.3	100.1	7.3
6	सीमेंट	मिलियन टन	1.99	107.0	116.0	8.8	95.3	100.8	5.8
	जोड़ आधारभूत उद्योग		26.68			5.1			

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

3.2 योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन

126. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग, केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन करता है ताकि उनके वास्तविक और वित्तीय नि-पादन, कार्यान्वयन/प्रदाय तंत्रों की कार्यक्षमता और लाभार्थियों पर उनके प्रभाव का जायजा लिया जा सके। मूल्यांकन अध्ययन के नि-कर्णों को कार्यान्वयन मंत्रालयों व योजना आयोग के संबंधित वि-नय प्रभागों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे डिजाइन व कार्यान्वयन में मध्यावधिक सुधार कर सकें। हाल ही में विगत में विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रभागों से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि पीईओ अध्ययनों के नि-कर्ण और सिफारिशें, परियोजना/कार्यक्रम/डिजाइन/कार्यान्वयन में सुधार करने में तथा बहुत सी योजनागत स्कीमों की पुनर्संरचना करने और छंटाई करने में तथा एक जैसी स्कीमों का विलयन करने में उपयोगी रही हैं।

127. दसवीं पंचवर्षीय योजना से पता चलता है कि कार्यक्रमों और स्कीमों की असफलता का एक सर्वाधिक सामान्य कारण कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों का त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण डिजाइन किया जाना है। कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों को और अधिक व्यवस्थित व व्यावसायिक ढंग से तैयार करने में सावधानी बरती जानी चाहिए। मानीटरन और मूल्यांकन के लिए विद्यमान तंत्र को सुदृढ़ करना अनिवार्य है जिससे कि यह आश्वस्त हो सके कि योजनाओं का कार्यान्वयन यथा कल्पनानुसार किया जा रहा है तथा उनका प्रभाव भी योजना के अनुसार हो रहा है। ऐसी कार्यनीति से निश्चित रूप से योजना कार्यक्रमों के सुधरे नि-पादन और संसाधन उपयोग में कार्यकुशलता में योगदान प्राप्त होगा। इसके लिए मूल्यांकन को एक प्रभावी साधन बनाने के वास्ते मूल्यांकन संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी। किन्तु इसके लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय स्तर पर स्थापित मूल्यांकन संगठनों के लिए अधिक भौतिक व वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

128. पीईओ की अवस्थापना में सुधार करने तथा एनजीओ/अनुसंधान संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह मूल्यांकन की बढ़ती मांग को पूरा करने और अन्य सम्बद्ध जिम्मेदारियों को निपटाने में समर्थ हो सके। हाल ही में, मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के अलावा, पीईओ ने अन्य कार्यकलाप भी आयोजित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं; इसके स्टाफ सदस्यों के लिए विख्यात संस्थानों (आईआईपीए, एनआईआरडी) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, राज्य स्तरीय मूल्यांकन संगठनों के साथ अधिक विचार-विमर्श, डाटा के संप्रे-ण और प्रसंस्करण की गति बढ़ाने के वास्ते पीईओ क्षेत्र यूनिटों के साथ इंटरनेट/निकनेट की संयोजकता। पीईओ के क्षेत्र यूनिटों के स्टाफ को मूल्यांकन अध्ययनों की अनुसूचियों की डाटा प्रवि-टि के संबंध में एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे कि इंटरनेट/ निकनेट के जरिए डाटा का सीधा संप्रे-ण सुकर हो सके। अंतर्रा-ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, पीईओ के अधिकारियों को, विश्व बैंक, यूएनडीपी तथा अन्य देशों के मूल्यांकन संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्रा-ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हाल ही में किए गए मूल्यांकन अध्ययन

129. विगत कुछेक वर्षों के दौरान पीईओ द्वारा मूल्यांकित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं; रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), राज्य प्रदू-ण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) का कामकाज, खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम (केवीआईसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा कड़ी

कार्यक्रम (एसएसएनपी), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस), रा-ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना (एनपीबीडी), महारा-ट्र में सांविधिक विकास बोर्ड (एसडीबी) तथा एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी) ।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम

130. अध्ययन के नि-क-नों से पता चलता है कि उत्पादन और विक्रय कार्यनीतियों के बीच अपर्याप्त संयोजन के फलस्वरूप भंडारों का एकीकरण हो गया है, निवेश पर प्रतिफल न्यून रहा है, गैर-नि-पादन परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है तथा उत्पादन में कमी आई है व रोजगार अवसरों का संकुचन हुआ है । एमएमएस (मार्जिन मनी स्कीम) लागू किए जाने से बजटीय सहायता में काफी कमी आई है । अध्ययन से पता चलता है कि चिंता की एक अन्य बात उत्पादन अनुपात में अधिक कच्चे माल का होना है । खादी क्षेत्रक में अंशकालिक रोजगार की वजह से, कामगारों की आय अन्य ग्रामोद्योगों की तुलना में कम है । केवीआईसी कार्यक्रमों के फलस्वरूप अतिरिक्त आय की मदद से बहुत से गरीब परिवार वस्तुतः गरीबी की रेखा को पार कर गए हैं ।

सामाजिक सुरक्षा कड़ी कार्यक्रम (एसएसएनपी)

131. अध्ययन के मुख्य नि-क-नों से पता चलता है कि कार्यक्रमों की आशातीत सफलता न होना मुख्य रूप से उचित आधारभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से है । अन्य कारकों ने, जैसेकि महिला चिकित्सकों के पदों के अभाव, चिकित्सकों का अपने कार्य स्थलों से अनुपस्थित रहने, अर्ध-चिकित्सीय और सहायक अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ के व्यवहार ने स्थिति को और खराब बना दिया है । लाभभोगी पीएचसी के कामकाज से संतु-ट नहीं हैं । सार्वजनिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाय पद्धति से निम्न आय वर्ग परिवारों को दूर रहने की वजह वहां औ-धियों का उपलब्ध न होना, यातायात की अप्रत्यक्ष लागत तथा आय में होने वाली हानि (अर्थात् मजदूरी आय की हानि के कारण) की दृ-टि से उच्च अवसर लागत है ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)

132. स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव किए गए स्कीम के प्रभाव से पता चलता है कि सृजित संपत्तियों में से लगभग 65% को अच्छा माना गया है तथा अधिकांश लोगों ने यह मत व्यक्त किया है कि सृजित संपत्तियां उनके द्वारा अनुभव की गई जरूरतों के अनुसार ही हैं और उनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है । अध्ययन से कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख खामियों का पता चलता है जैसेकि सड़कों और पुलों तथा सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता, बड़ी खर्च न हुई राशि के बावजूद अल्प आबंटन, असंतो-जनक मानीटरन और पर्यवेक्षण तथा अनुरक्षण का अभाव । अध्ययन से पता चलता है कि स्कीम का, वित्तीय प्रबंधन, कार्यान्वयन हेतु अंतर-विभागीय समन्वय और समुचित कार्यों के विनिर्धारण, मानीटरन तथा सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के संबंध में पीआरआई की भागीदारी की दृ-टि से पुनर्गठन करने की जरूरत है ।

बायो-गैस विकास के संबंध में रा-ट्रीय परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन

133. अध्ययन से पता चलता है कि कार्य की स्थिति वाले संयंत्रों की प्रतिशतता बहुत कम है और स्वच्छता जुड़े संयंत्रों की स्वीकार्यता, इन संयंत्रों के सामान्य संचालन के संबंध में कुछ सामाजिक-

मानसिक अवरोधों के कारण कम है। अधिकांश राज्य स्तरीय बायोगैस प्रको-ठों में स्टाफ की संख्या अधिक है जबकि जिलों में स्टाफ की कमी है। पारिवारिक किस्म के बायोगैस संयंत्रों की पारिवारिक मांग, वैकल्पिक सुविधाजनक ईंधनों (एलपीजी) की उलपब्धता, नजदीकी शहर से गांव की दूरी तथा बायोगैस संयंत्रों के हैंडलिंग व अनुरक्षण में असुविधा जैसे कारणों की वजह से प्रभावित होती है। जहां तक सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों का संबंध है, एमएनईएस ने पिछले पांच वनों के दौरान सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के प्रोत्साहन को लगभग बंद कर दिया है।

महारा-ट्र में सांविधिक विकास बोर्ड (एसडीबी)

134. अध्ययनों के नि-क-नों से स्प-टतः पता चलता है कि बोर्डों ने न केवल उन्हें सौंपे गए कार्यों और दायित्वों का निवर्हन भली-भांति किया बल्कि उन्होंने महारा-ट्र की योजना प्रक्रिया में संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। तथापि, राज्यपाल के कार्यालय द्वारा एक मध्यस्थ के रूप में तथा रचनात्मक प्रयोजनों की दिशा में बोर्डों के कार्यकलापों को मार्गदर्शित करने में निभाई गई भूमिका ने इस उपलब्धि में एक बहुत ही क्रांतिक इन्पुट का योगदान किया है। इसके साथ ही बोर्डों के कार्यकलापों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत लाने से इन बोर्डों को अपना दायित्व कुशलतापूर्वक व सौंदर्यपूर्ण ढंग से निभाने में मदद मिली है। इसलिए, क्षेत्रों के बीच विकास के स्तर में निःसंदेह बड़े अंतरों के कारण उत्पन्न सामाजिक-राजनीतिक तनावों को कम और समाप्त करने के लिए बोर्डों को गठित करने का प्रयोजन काफी सीमा तक सिद्ध हुआ है। पीईओ ने बोर्डों को उनकी पुनर्संरचित भूमिका के साथ 2004 के बाद भी जारी रखने का सुझाव दिया है।

एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आईडीडीपी)

135. अध्ययन के नि-क-नों से इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि कुछेक अलग-थलग मामलों को छोड़कर, आईडीडीपी के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। स्कीम में कमजोरियों के क्षेत्र आयोजना और कार्यान्वयन के अनेक पहलुओं से संबंधित हैं। डेयरी सहकारी सोसायटियां (डीसी) आईडीडीपी का रीढ़ आधार हैं और इनकी सक्षमता, संधारणीयता तथा कारगरता स्कीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी सक्षमता और कारगरता के लिए, सहकारी सोसायटियों के कार्यकलाप मात्र दूध की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि स्थानीय दुग्ध उत्पादन और विपणनयोग्य अधिशे-न बढ़ाने के लिए उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। डेयरी सहकारी सोसायटियों को अनेक सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाया जाना चाहिए जिनमें चारा सुलभता, पशुविज्ञान सेवाएं, जागरूकता पैदा करना और क्षमता निर्माण सम्मिलित है।

वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना

136. निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन/कार्यकलाप पूरे हो गए/प्रगति पर हैं :

- (i) महारा-ट्र में सांविधिक विकास बोर्डों के कामकाज के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन -पूरा हो गया।
- (ii) गुजरात, नागालैंड और उड़ीसा में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के संबंध में प्रभाव अध्ययन - पूरा हो गया।
- (iii) विकास केन्द्र स्कीम के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर।

- (iv) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर।
- (v) विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर ।
- (vi) मध्याह्न भोजन स्कीमों के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर ।
- (vii) प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के कार्यबल प्रबंधन विकल्प तथा अवस्थापना युक्तियुक्तकरण के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर ।
- (viii) जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, राजौरी और डोडा जिलों में सीएस स्कीमों के प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन - प्रगति पर ।

137. वर्ष 2003-04 के दौरान पीईओ का प्रस्ताव निम्नलिखित स्कीमों का मूल्यांकन करना है:

1. रा-ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ।
2. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) ।
3. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास ।
4. उत्तर प्रदेश में सर्दा सहायक परियोजना ।

अन्य कार्यकलाप

138. ऊपर वर्णित कार्यकलापों के अलावा, पीईओ ने "भारत में विकास मूल्यांकन - समकालीन मुद्दे और दृष्टिकोण" पर रिपोर्ट तैयार और उसे अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसका प्रकाशन सीएजी ने किया था तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा विभाग को, प्रतिदर्श डिजाइन में और साथ ही अध्ययनार्थियों/लाभार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रतिदर्शों को तैयार करने के लिए भी तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की । राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा आयोजित की गई लाभार्थियों की जांच के दौरान, पीईओ मुख्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ के अधिकारियों ने प्रेक्षकों के रूप में भाग लिया ।

3.3 योजना के लिए नीतिगत कार्यसूची

139. दसवीं पंचवर्षीय योजना, सावधानीपूर्ण आशावाद के काफी लम्बे अर्से के बाद भारत में कल्पनात्मक आयोजना की वापसी का संकेत है। विगत दो दशकों के दौरान, निःसंदेह भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई दस अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। दसवीं योजना का उद्देश्य देश को और भी आगे ले जाने का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक दसवीं योजना के लिए, आर्थिक विकास व सामाजिक विकास, दोनों ही दृष्टि से, निर्धारित लक्ष्यों का संबंध है, ये बड़े महत्वाकांक्षापूर्ण हैं। तथापि, ये लोगों के वांछनीय कल्याण और जीवन स्तर में सुधार प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं।

140. दसवीं योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अधिकांश क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नीतिगत सुधारों को कार्यान्वित करने की जरूरत होगी। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए सरकार ने सुधार के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों का विनिर्धारण किया है जैसाकि संलग्नक में उल्लेख किया गया है। विनिर्धारित नीतिगत सुधारों का समय पर और कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संलग्नक की श्रेणी-1 में वर्णित मदों का मानीटरन प्रधानमंत्री द्वारा और श्रेणी-2 के अंतर्गत मदों का मानीटरन, सरकार द्वारा गठित सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा किया जाएगा। यद्यपि नीतिगत सुधारों को दसवीं योजना अवधि के दौरान वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनिवार्य समझा गया है, तथापि उनमें से कुछेक पूरे आर्थिक पद्धति कार्यकरण के ढंग को प्रभावित करते हैं तथा कुछ अन्यो का कार्यक्षेत्र सीमित है जो या तो सरकार की बजटीय प्रक्रिया में अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बाधा पहुंचाते हैं। किन्तु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जिस क्रम में नीतिगत सुधारों का संलग्नक में उल्लेख किया गया है वे किसी प्रकार के प्राथमिकताकरण का उल्लेख करते हैं। वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी भी एकीकृत आर्थिक पद्धति में अंतर-संयोजन पर्याप्त हो सकते हैं और प्रायः सहज रूप में मापित नहीं जा सकते। इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता क्रांतिक रूप से इस अध्याय में वर्णित नीतियों को अपनाने पर निर्भर है। निम्नलिखित खंडों में कुछेक नीतियों की रूपरेखा का संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

141. अर्थव्यवस्था-व्यापक नीतिगत उपायों में सम्मिलित हैं : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन सहित निवेश के संबंध में कानूनों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विशेष-आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की रूपरेखा की पुनर्संरचना तथा एसईजेड में कराधान, सीमा-शुल्क, श्रम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में बाधा-मुक्त विनियामक व्यवस्था तथा निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय अवस्थापना कायम करना, डब्ल्यूटीओ विनयों से सम्बद्ध निर्देशानुसार डंपिंग-रोधी प्रको-ठ को एक स्वायत्त अर्ध-न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग में पुनर्गठित करना, उर्वरक क्षेत्र के संबंध में एक दीर्घावधिक नीति का निर्माण, सब्सिडी मानदंडों और विद्यमान सब्सिडियों के संबंध में समापन कार्यनीति विनिश्चित करने के लिए एक रा-ष्ट्रीय नीति का निर्माण, जो नीति के अनुरूप हों, सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का विनिवेश, वस्तुओं के भंडारण और ढुलाई के संबंध में ढांचों को उदार बनाने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना।

142. सरकारी वित्त के संबंध में अत्यावश्यक सुधार तीन स्तरों पर - केन्द्रीय, राज्य और कतिपय विनिर्दिष्ट नीतियों के मामले में केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर, शुरू करने होंगे। इस संबंध में सुधारों में सम्मिलित हैं : आयकर प्रणाली का व्यापक कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता तथा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सीमा-शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संहिताओं में संशोधन, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केलकर समिति रिपोर्ट पर कार्यवाही, सरकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित नई पेंशन स्कीम को अंतिम रूप देना तथा कार्यान्वित करना, निरर्थक व्यय को कम करने के लिए व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) की

सिफारिशों पर अमल करना, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण की स्थापना, डाक क्षेत्रक के निगमीकरण हेतु कार्यनीति और प्रक्रियाएं तय करना और पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना करना ।

143. अधिशासन में सुधार करना विकास और समृद्धि के लिए अनिवार्य है । अधिशासन को सुधारने के संबंध में उपायों में सम्मिलित हैं : ई-अधिशासन के संबंध में रा-द्रीय कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना और तत्पश्चात उसका कार्यान्वयन, रा-द्रीय "स्मार्ट" (सरल, नैतिक, जवाबदेही, प्रतिक्रियाशील और पारदर्शी) अधिशासन संस्थान की स्थापना से संबंधित मुद्दों का समाधान, अनुवर्ती मशीन-पाठ्य नागरिक पहचान-पत्र स्कीम, सभी स्तरों पर सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता सुधारने हेतु सिविल सेवा सुधार, निगमित अधिशासन सुनिश्चित करने के उपाय तैयार करना, न्यायिक सुधारों का कार्यान्वयन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना तथा मलिन बस्तियों के संबंध में रा-द्रीय नीति को अंतिम रूप देना ।

144. देश में एक उत्पादक आधार निर्मित करने के उद्देश्य से, विकास के प्रत्येक निर्माण ब्लॉक को कार्यान्वित करने और उसे ई-टतम बनाए जाने की जरूरत है । इस संबंध में विनिर्धारित सुधारों में निम्नलिखित की जरूरत होगी: एक समेकित ऊर्जा नीति का विकास करने के लिए एक शीर्ष समिति की स्थापना, विद्युत क्षेत्रक को सुधारने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रतिपादित विभिन्न नीतियों का निर्माण, कोयला खान (रा-द्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 का शीघ्र अधिनियमन, जिससे कि कौप्टिव-भिन्न कोयला खनन में निजी भागीदारी समर्थ हो सके, कोयला उत्पादन के प्रत्येक घटक में प्रतियोगिता लागू करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने के अलावा क्रेडिट गारंटी न्यास निधि स्कीम के तहत लघु उद्योगों/छोटे यूनिटों का अधिक कवरेज प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना, श्रम विधान में सुधार, एनटीपी 1999 और दसवीं योजना में निर्धारित लक्षित दूर-घनत्व प्राप्त करने के लिए दूरसंचार क्षेत्रक को एक आधारभूत क्षेत्रक समझने से संबंधित मुद्दों की जांच-पड़ताल, तथा क्षेत्रकीय आबंटन नीति की व्यापक समीक्षा ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

145. नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है । इस संबंध में प्रस्तावित सुधारों में सम्मिलित हैं : सरकारी/निजी क्षेत्रक में विकलांग अनुकूल नीतियां विकसित और कार्यान्वित करना, वृद्धों और विकलांगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम तैयार करना, बाल चार्टर तथा बच्चों के लिए रा-द्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप देना और रा-द्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का कार्यान्वयन ।

146. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अवस्थापना को सशक्त बनाना आवश्यक है । इस संबंध में प्रस्तावित सुधारों में सम्मिलित हैं : एक रा-द्रीय कार्य योजना तैयार करना ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और खाद्य उत्पादन 2010 तक दुगुना किया जा सके, फसल विविधीकरण और किफायती कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन, परती भूमि को हरित बनाने के लिए नीतिगत रूपरेखा का विकास, जिला और निचले स्तरों पर विकास निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानीटरन की एक प्रभावी पद्धति लागू करना, नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में रा-द्रीय कार्यक्रम के लिए एक कार्ययोजना तथा संस्थात्मक तंत्र को अंतिम रूप देना तथा भू-जल दोहन के नियंत्रण व वर्ना जल के एकत्रीकरण हेतु एक केन्द्रीय विधान का अधिनियमन।

147. स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार, रा-द्रीय विकास का एक संकेतक है । डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने व स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के लिए आधारभूत/संस्थात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रस्ताव है ।

148. नीतियों की वि-यवस्तु, आशय और रूपरेखा से, 8 प्रतिशत प्रतिवर्-न जीडीपी विकास दर प्राप्त करने के अलावा, दसवीं योजना के वांछित लक्ष्य प्राप्त करने तथा निर्धनता अनुपात में कटौती करने, लाभप्रद रोजगार में वृद्धि करने, साक्षरता में लैंगिक अंतर कम करने आदि जैसे अन्य मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की झलक मिलती है । सौभाग्यवश, वर्तमान व-र्न, अर्थात् 2003-04 के दौरान अच्छे संकेत मिले हैं जिनसे आर्थिक दृ-टिकोण में सुधार हुआ है । विनिर्माण क्षेत्रक, विद्युत उत्पादन, इस्पात आदि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं । कृ-नि क्षेत्रक में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोत्तरी होगी तथा औद्योगिक वस्तुओं की मांग में तेजी आएगी । खाद्यान्नों और विदेशी मुद्रा भंडारों में अपार वृद्धि अन्य सकारात्मक संकेत है । निर्यात भी दोहरे अंक की दर से बढ़ रहे हैं और मुद्रास्फीति की दर भी नीची रही है । विकास की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक नीतिगत सुधार कार्यान्वित करने का संकल्प किया है जिनका उद्देश्य विकास में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों का समाधान करना तथा व्यापार करने के दृ-टिकोण में आमूल परिवर्तन करना है। सरकार के शी-र्न स्तरों पर नीतिगत सुधारों के मानीटरन से आधारभूत स्तर पर शीघ्र परिणाम सुनिश्चित होंगे ।

श्रेणी - I. प्रधानमंत्री द्वारा मॉनीटर किए जाने वाले प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र		
सं.	मंत्रालय/विभाग	प्रस्तावित सुधार
1.	प्रशासनिक सुधार/ सूचना प्रौद्योगिकी	ई-अधिशासन के संबंध में रा-द्रीय कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने तथा बाद में उसके कार्यान्वयन में तेजी लाना और मॉनीटरन। विभिन्न प्रस्तावित कार्रवाइयों के संबंध में समय-सीमा तैयार करना और मानीटरन।
2.	कृषि और सहकारिता, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	रा-द्रीय कार्रवाई योजना तैयार करना, जिसमें 2010 तक कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य उत्पादन दुगना करने की दिशा में अगले दस वर्षों के दौरान किए जाने वाले उपायों पर बल दिया जाएगा।
3.	कृषि और सहकारिता, खाद्य और सा.वि.	एमएसपी में खामियों पर काबू पाने के लिए एक फसल नि-प्रभावी आय समर्थन स्कीम तैयार करना, फसल विविधीकरण और किफायती कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना। निजी व्यापार भागीदारी सहित विकेन्द्रीयकृत खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए भी नीति तैयार करना।
4.	परमाणु ऊर्जा	विकासात्मक अनुप्रायोग हेतु नाभिकीय प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में रा-द्रीय एजेंडा तैयार करना।
5.	नागर विमानन	नागर विमानन उद्योग से जुड़े मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए एक नई नागर विमानन नीति तैयार करना।
6.	वाणिज्य	विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 0.6% के विद्यमान स्तर से बढ़ाकर 1% करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करना तथा समर्थनकारी परिवेश कायम करना।
7.	पूर्वोत्तर राज्यों का विकास/ गृह मंत्रालय	पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर परि-द का पुनर्गठन। विशेष- विकासात्मक, प्रशासनिक और सुरक्षा सम्बद्ध कार्यक्रम, जिसमें भारत-बंगलादेश के शे-न हिस्से में बाड़ लगाना और सड़कों का निर्माण।
8.	पर्यावरण और वन	विकास और पर्यावरण की मांग में तालमेल बिठाने के लिए रा-द्रीय पर्यावरण नीति तैयार करना।
9.	वित्त (आर्थिक कार्य)	विभिन्न क्षेत्रों के बीच विनियामक व्यवस्था के लिए अंतर्निहित आधार के रूप में आवश्यक क्षेत्रकीय भिन्नताओं के साथ विनियमन के संबंध में सरकार का दर्शन विकसित करना।
10.	वित्त (आर्थिक कार्य)	सब्सिडियों के संबंध में एक रा-द्रीय नीति तैयार करना, जिसमें लक्ष्य समूहों, वस्तुओं और सेवाओं, सब्सिडी मानदंडों और विद्यमान सब्सिडियों को समाप्त करने की नीति का विनिर्धारण किया जाएगा, जो नीति के अनुरूप नहीं हैं।
11.	वित्त (राजस्व)	आयकर दाताओं के लाभार्थ तथा कर प्रशासन सुधारने के लिए आयकर पद्धति का व्यापक कंप्यूटरीकरण।
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	रा-द्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन का मॉनीटरन, विशेष- रूप से पिछड़े रहे आठ राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़) के संबंध में विशेष- ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अधिकार-प्राप्त कार्रवाई समूह की निगरानी वाले उपाय।
13.	मानव संसाधन विकास	प्रारंभिक शिक्षा के मूलभूत अधिकार को कार्यरूप देने के लिए कानूनी/ संस्थात्मक तंत्र की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दि-ट कार्रवाई योजना तैयार करना।

संलग्नक-3.3

14.	सूचना प्रौद्योगिकी/गृह	सभी संभव सरकारी हस्तक्षेप हेतु परस्पर जुड़ी पहचान संख्या के महत्व के रूप में संख्या का उपयोग सुकर बनाने के वास्ते क्षेत्रकों/डाटा आधारों के बीच तालमेल/व्यवस्था करने के लिए प्रस्तावित मशीन पाठ्य पहचान-पत्र स्कीम की सामग्री तैयार करना ।
15.	भू-संसाधन/कृषि	प्रधानमंत्री की जल संवर्धन योजना से सम्बद्ध नीति, संस्थागत व्यवस्था और विनय-वस्तु को अंतिम रूप देना तथा उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाना ।
16.	कार्मिक और प्रशिक्षण	सभी स्तरों पर लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता में सुधार करने हेतु सिविल सेवा सुधार।
17.	विद्युत	ग्राम विद्युतीकरण के लिए नीति तैयार करना, जिसमें निजी पहल हेतु एक समर्थनकारी, विनियमित परिवेश का सृजन हो तथा जिसे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा मिले ।
18.	विद्युत	निजी/एफडीआई निवेश, एसपीवी, बीओटी, विनिवेश और पुनर्निवेश आदि सहित, तेज करने के लिए तंत्र को कार्यात्मक रूप देना ।
19.	ग्रामीण विकास	जन भागीदारी और पीपीपी के माध्यम से परती भूमि को हरित बनाने के लिए नीतिगत रूपरेखा विकसित करना ।
20.	ग्रामीण विकास	पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के लिए, ताकि पंचायती राज संस्थान अन्य बातों के साथ बाजार, उपभोक्ता प्रभारों आदि के माध्यम से निधियां जुटाने में समर्थ बन सकें, अप्रैल, 2002 में आयोजित पंचायती राज संस्थानों के संबंध में रा-द्रीय बैठक में प्रधानमंत्री की उद्घोषणा पर अमल करना ।
21.	ग्रामीण विकास	पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन का मॉनीटरन तथा और अधिक संसाधन आबंटित करने की संभावनाओं की जाँच करना, जो विचाराधीन था ।
22.	ग्रामीण विकास	कार्य अवसरों के सृजनों में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसजीआरवाई के कार्यान्वयन का मॉनीटरन । स्कीम में कार्य घटक के लिए खाद्य की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता का योजना आयोग द्वारा अध्ययन, इस पहल के असंतो-जनक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ।
23.	ग्रामीण विकास, अन्य विकास मंत्रालयों की सहायता से	जिला और निम्न स्तरों पर विकास निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरन की एक प्रभावी पद्धति तैयार और कार्यान्वित की जाए ।
24.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	स्वर्ण चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों को समय पर पूरा करना ।
25.	अंतरिक्ष	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकासात्मक अनुप्रयोगों हेतु उपयोग करने के लिए एक रा-द्रीय एजेंडा तैयार करना ।
26.	कपड़ा	प्रधानमंत्री द्वारा बुनकरों और शिल्पकारों के लिए घोषित सहायता पैकेज का शीघ्र कार्यान्वयन ।
27.	शहरी विकास	मॉडल म्यूनिसिपल कानून को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करना तथा राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुकर बनाना ।
28.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	मलिन बस्तियों के संबंध में रा-द्रीय नीति को अंतिम रूप देना ।
29.	जल संसाधन	भागीदारीपूर्ण सिंचाई प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, जल प्रभारों को युक्तिसंगत बनाना और ओ एंड एम में स्थापना घटक हेतु मानदंड निश्चित करना ।
30.	जल संसाधन	नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में रा-द्रीय कार्यक्रम के लिए कार्रवाई योजना और संस्थागत तंत्र को अंतिम रूप देना ।
31.	जल संसाधन/विधि	भू-जल दोहन के नियंत्रण और वर्ना जल एकत्रण हेतु केन्द्रीय अधिनियम अधिनियमित करना तथा राज्यों को भू-जल संसाधन विकसित/नियंत्रित करने के लिए एक मॉडल विधेयक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

श्रेणी - II. सचिवों की समिति द्वारा मॉनीटर किए जाने वाले प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

सं.	मंत्रालय/विभाग	प्रस्तावित सुधार
32.	कृषि	ठेके पर खेती, भू-इक्विटी पर आधारित कृषि में संयुक्त स्टॉक कंपनियों और फसल उगाने व वन रोपण के लिए परती भूमि को लीज पर देने के संबंध में मॉडल विधानों का निर्माण और अधिनियमन ।
33.	कृषि	" फसल " को कार्यरूप देना, परिणामों का इंटरनेट पर प्रसार ।
34.	कृषि (डेयरी)	जीवीके रॉव समिति रिपोर्ट पर कार्रवाई को पूरा करना ।
35.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	जेनेटिकली संशोधित पौधारोपण सामग्री और बीटी कॉटन जैसे बीजों से जुड़े आईपीआर मुद्दे ।
36.	पशुपालन और डेयरी	समुद्रीय तथा साथ ही अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करना ।
37.	मंत्रिमंडल सचिवालय	आप्रवाह (निवेश अनुमोदन से पूर्व) और अनुप्रवाह (कार्यान्वयन के दौरान) दोनों के संबंध में सभी प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार राज्य/म्यूनिसिपल स्तरों पर अपनाते हेतु प्रोत्साहन पद्धति विकसित करना ।
38.	रसायन और पेट्रो-रसायन	रसायन उद्योग के संबंध में कार्य बल की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।
39.	रसायन और पेट्रो-रसायन	एक स्प-ट विनियामक सिद्धांतों के सैट के आधार पर औ-धि कीमतों का और विनियंत्रण; कीमत विनियमन हेतु संस्थात्मक पद्धति ।
40.	कोयला	गैर-कैप्टिव खनन में निजी भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 का शीघ्र अधिनियमन सुनिश्चित करना । उचित प्रतियोगिता और कोयला उत्पादन के प्रत्येक घटक में कार्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समर्थनकारी उपाय करना ।
41.	कोयला	कोयले की गुणवत्ता सुधारना और शुल्क संरचना पर गौर करके आयात के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहित करना ।
42.	वाणिज्य	परियोजना निर्यात पर कार्य बल की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ।
43.	वाणिज्य	एसईजेड और केन्द्रीय एसईजेड अधिनियम सहित, प्रतियोगी आर्थिक क्षेत्र नीति की वि-य-वस्तु पर पुनरावलोकन, जिससे कि निजी भागीदारी और एसईजेड में कराधान, सीमा-शुल्क, श्रम आदि सहित विभिन्न क्षेत्र में बाधा रहित विनियामक व्यवस्था के माध्यम से विश्व स्तर की अवसंरचना कायम हो सके ।
44.	वाणिज्य	दो वर्ग में सभी खाद्य निर्यात के लिए अनिवार्य जीएमपी/एचएसीसीपी प्रमाणन संबंधी विधान अनुपालन किए जाने हेतु तकनीकी सहायता के लिए योजना/एमएफआई स्कीम तैयार करना ।
45.	वाणिज्य/राजस्व	ऑन-लाइन फाइलिंग, डाटा संग्रहण हेतु विदेश व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक डाटा परस्पर परिवर्तन लागू करने को पूरा करना ।
46.	वाणिज्य/वित्त	विद्यमान डंपिंग-रोधी प्रको-ठ को, डब्ल्यूटीओ वि-यों (यूएस आईटीसी की तरह) से सम्बद्ध व्यापक आदेश के साथ और डब्ल्यूटीओ सम्बद्ध कानूनी क्षमताओं द्वारा संवर्धित, पूर्व बीआईसीपी की तकनीकी क्षमताओं से सज्जित, एक स्वायत्त, अर्ध-न्यायिक अंतर्रा-ट्रीय व्यापार आयोग के रूप में विलय करना ।
47.	उपभोक्ता मामले	वस्तुओं के भंडारण और लाने ले जाने के लिए सांविधिक रूपरेखा को उदार बनाने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियमन में आवश्यक संशोधन करना ।
48.	उपभोक्ता मामले	उपभोक्ता जागरूकता, समाधान और प्रवर्तन हेतु रा-ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार करना ।

49.	उपभोक्ता मामले	बीआईएस की कोर दक्षताओं को सुदृढ़ करने और इसके कुछेक कार्यकलापों को बाहर से कराने की संभावना का पता लगाने के लिए इसके कामकाज की व्यापक समीक्षा ।
50.	उपभोक्ता मामले	कृनि जिसों में भावी व्यापार पर से सभी कानूनी प्रतिबंधों को हटाना, किन्तु, आवश्यक होने पर एक स्वायत्त विनियामक की व्यवस्था करना । टिप्पणी : इसे रा-ट्रीय जिस एक्सचेंज/अन्य जिन्स एक्सचेंज की स्थापना के संबंध में चालू प्रयासों को पूरा करने के साथ जोड़ने की जरूरत है और प्रस्तावित अध्ययन के आधार पर विवेकपूर्ण विनियामक/प्रचालन प्रथाओं को कार्यान्वित करना ।
51.	संस्कृति	विरासत स्थलों पर एक विवेकपूर्ण रा-ट्रीय नीति तैयार करना । समर्थनकारी सांविधिक परिवर्तनों के माध्यम से यदि आवश्यक हो, ऐतिहासिक/विरासत स्थलों/स्मारकों के विकास और अनुरक्षण में सरकारी-निजी भागीदारी प्रारंभ करना ।
52.	संस्कृति	रा-ट्रीय सांस्कृतिक नीति का निर्माण ।
53.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	पूर्वोत्तर के लिए संसाधनों के अ-व्ययगत केन्द्रीय पूल के अतर्गत परियोजनाएं मंजूर करने के लिए प्रक्रियाओं को तेज करना ।
54.	विनिवेश	घाटा उठाने वाले पीएसयू के लिए वि.निवेश की नीति तैयार करना ।
55.	विनिवेश	विनिवेशित कंपनियों को बचे हुए शेयरों के प्रबंध और निपटान के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी गठित करने के संबंध में अंतिम मत तैयार करना ।
56.	विनिवेश	नई परिसंपत्तियाँ, निवेश, रोजगार और लोक ऋण को समाप्त करने के लिए एक "विनिवेश राशि को-न" स्थापित करने के संबंध में अंतिम मत तैयार करना ।
57.	पेय जल आपूर्ति	पेय जल की गुणवत्ता के मानीटरन के लिए आवश्यक पद्धति तैयार तथा लोगों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छ पेयजल की सफाई संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित और जानकारी का प्रसार करने के लिए कारगर आईईसी (सूचना, शिक्षा तथा संचार) तैयार करना ।
58.	पेय जल आपूर्ति	वर्तमान एआरडब्ल्यूएसपी कार्यक्रम को सामुदायिक स्तर भागीदारी सुधार-उन्मुख कार्यक्रम बदलना । इस कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ना के पानी को एकत्र करने को सुकर बनाने तथा वर्ना जल दोहन के लिए नूतन परियोजनाएं तैयार करने के वास्ते भी उपायों की जांच करना ।
59.	पेय जल आपूर्ति	15,503 एनसी तथा 1,31,715 पीसी बस्तियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन का मॉनीटरन तथा कार्रवाई योजनाओं को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए नए सर्वेक्षण आयोजित करना । इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख प्राथमिक स्कूलों के लिए पेयजल सुविधाएं प्रदान करके, जल अभाव वाले क्षेत्रों में एक लाख हैंडपंप की स्थापना में तेजी लाना, पेयजल के एक लाख परंपरागत स्रोतों को फिर से चालू करना ।
60.	पर्यावरण और वन/मंत्रिमंडल सचिवालय	उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीआरजेड अधिसूचना पर पुनर्विचार जिससे कि तटीय संसाधनों का पर्यावरणीय संपो-नक उपयोग हो सके ।
61.	पर्यावरण और वन	विकास और पर्यावरण की मांग में सामंजस्य स्थापित करने के लिए रा-ट्रीय पर्यावरण नीति का निर्माण ।
62.	पर्यावरण और वन	खेल उद्यानों/रा-ट्रीय उद्यानों के विकास, अनुरक्षण और संचालन में सरकारी निजी भागीदारी लागू करना और उसके संबंध में मार्ग निर्देश और संविदाकारी रूपरेखा तैयार करना ।
63.	पर्यावरण और वन	स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) से सम्बद्ध, जिससे विनियामक तंत्र की स्थापना शामिल है, नीति तथा कार्रवाई योजना तैयार और कार्यान्वित करना ।

संलग्नक-3.3

64.	पर्यावरण और वन	जल निकायों में प्रदू-णकर्ताओं के निपटान को चैक करने के लिए गंगा कार्रवाई योजना व अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन । एक उचित सीमा के अंदर देश में महत्वपूर्ण जल निकायों के व्यापक कवरेज हेतु योजना तैयार करना ।
65.	पर्यावरण और वन	2007 तक वन कवर को 25% तक तथा 2012 तक 33% तक बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों तथा साथ ही एनजीओ के माध्यम से उपयुक्त उपाय तैयार करना ।
66.	पर्यावरण और वन/ मंत्रिमंडल सचिवालय	विवेकपूर्ण समुद्रपार प्रथाओं की जाँच करके, बाधाओं/अवरोधों का पता लगाकर, एक पारदर्शी, गैर-हस्तक्षेपणीय और पूर्वानुमानित ढंग से विनियामक चिंताओं को शामिल करके, पर्यावरणीय मंजूरी पद्धति की समीक्षा और सुधार ।
67.	परिवार कल्याण	परिवार कल्याण कार्यक्रमों को जन केन्द्रित बनाने के लिए सम्बद्ध सरकारी विभागों के बीच अंतर क्षेत्रकीय समन्वय हेतु एक उपयुक्त संस्थात्मक पद्धति लागू करना । इसके साथ ही सामाजिक विपणन हेतु रा-ट्रीय कार्यनीति तैयार और अधिनियमित करना ।
68.	परिवार कल्याण	प्रतिरक्षण के तहत 100% कवरेज सुनिश्चित करना ।
69.	उर्वरक	यूरिया के संबंध में सब्सिडी स्कीम तथा विनियंत्रित उर्वरकों (डीएपी, एमओपी तथा कम्प्लेक्सिज) के संबंध में रियायती स्कीम के बारे में मंत्रिमंडल निर्णयों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन ।
70.	उर्वरक	उर्वरक क्षेत्रक के लिए एक दीर्घावधिक नीति तैयार करना ।
71.	वित्त (बैंकिंग)	असंगठित क्षेत्रक के लिए वित्तीय प्रवाहों को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन ।
72.	वित्त (बैंकिंग)/ (कृ-नि)	सभी पात्र किसानों को वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए दो व-र्तीय कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन का मॉनीटरन ।
73.	वित्त (बैंकिंग)/ लघु उद्योग	क्रेडिट उपलब्धता सुकर करना, जिसमें लघु उद्योगों को सहवर्ती मुक्त क्रेडिट शामिल है, और क्रेडिट गारंटी न्यास को-न स्कीम के तहत लघु उद्योग/छोटी इकाइयों का अधिक कवरेज प्राप्त करना । इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण, आधुनिक परीक्षण सुविधाओं, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं और दक्षताओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
74.	वित्त (कंपनी कार्य)	निगमित अधिशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें नरेश चन्द्र समिति रिपोर्ट का कार्यान्वयन शामिल है, अंतररा-ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और विभिन्न देशों में हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न उपाय तैयार और कार्यान्वित करना ।
75.	वित्त (आर्थिक कार्य)	प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद आर्थिक कार्य विभाग को उपलब्ध कराए गए अवधारणा पत्र के आधार पर आर्थिक सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दृश्यक मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को कार्यान्वित करना ।
76.	वित्त (आर्थिक कार्य)	एफडीआई के संबंध में नीति, एफडीआई मंजूरीयों के लिए प्रक्रियाएं संशोधित करना, सुकर बनाने को सुदृढ़ करना ।
77.	वित्त (आर्थिक कार्य)	सरकारी क्षेत्रक वित्तीय संस्थानों से संबंधित शिकायतों के बारे में स्वतंत्र, विशेषज्ञ जाँच-पड़ताल हेतु एक संस्थात्मक तंत्र विकसित और कार्यान्वित करना ।
78.	वित्त (व्यय)	सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति में अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पद्धा, नि-पक्षता सुनिश्चित करने और मनमानी समाप्त करने के लिए मानदंडों को संशोधित करना ।
79.	वित्त (व्यय/मंत्रिमंडल सचिवालय)	व्यर्थ व्यय को कम करने के उद्देश्य से ईआरसी सिफारिशों तथा सम्बद्ध वीआरएस स्कीम का कार्यान्वयन ।
80.	वित्त (राजस्व)	अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केलकर समिति रिपोर्ट की छानबीन ।

81.	वित्त (राजस्व)	सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संहिता आदि का व्यापक संशोधन, जिसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निदेशन के अभाव को दूर करने, अनावश्यक स्तरों को समाप्त करने और अनिवार्य समय-सीमा के वास्ते पूरा किया जाना है ।
82.	वित्त मंत्रालय/ योजना आयोग	सरकारी परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए, जिससे कि उन्हें दसवीं योजना में सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिए त्रुटि विकल्प बनाया जा सके, विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के मानक मॉडलों का विकास ।
83.	वित्त/ आ.का.वि.	पिछले बजट में घोषित रा-द्वीय पेंशन व्यवस्था को कार्यरूप देना ।
84.	वित्त/आ.का.वि.	सरकारी सेवकों के लिए प्रस्तावित नई पेंशन स्कीम को अंतिम रूप देना व कार्यान्वित करना ।
85.	वित्त/आ.का.वि.	असंगठित क्षेत्रक के लिए, बीपीएल परिवार सहित, वित्त मंत्री द्वारा पिछले बजट में घोषित, प्रस्तावित मेडिकल बीमा स्कीम को अंतिम रूप देना तथा कार्यान्वित करना ।
86.	खाद्य और सा.वितरण	खाद्यान्नों की खरीद और निर्यात में निजी व्यापारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
87.	खाद्य और सा.वितरण	उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों और उनके माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार करना । ग्राम अन्न विक्रेताओं, ग्राम स्वःसेवी समूहों और एनजीओ द्वारा, जहां कहीं वे विद्यमान हैं, एफपीएस प्रबंधन को प्रोत्साहित/परिकल्पित करना ।
88.	खाद्य और सा.वितरण	भंडारण क्षमता के सृजन में पीपीपी व अन्य साधनों के जरिए निजी भागीदारी के संवर्धन हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना, तथा निजी भागीदारी के साथ विकेन्द्रीकृत अन्न बैंकों की स्थापना के लिए नीति तैयार करना ।
89.	खाद्य और सा.वितरण	एफसीआई के कामकाज में सुधार करने के लिए उपाय लागू करना, जिसमें विभिन्न कामकाज को बाहर से कराने तथा क्रमिक ढंग से जनशक्ति को कम करना/पुनः तैनात करने के लिए उपाय करना शामिल है, जिससे कि और अधिक कुशल व किफायती कामकाज सुनिश्चित हो सके ।
90.	खाद्य और सा.वितरण/बैंकिंग	भंडारण की रसीद/सबूत के आधार पर किसानों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा, गोदामों में भंडारित कृषि उत्पाद को रेहन और गिरवी रखने के लिए पद्धति तैयार/लागू करना तथा भंडारण के विपणन/आदान-प्रदान को समर्थ बनाने के लिए भी उपाय करना ।
91.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	(i) एक नए एकीकृत खाद्य कानून के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम व अन्य खाद्य कानूनों में व्यापक रूप से संशोधन, (ii) खाद्य क्षेत्रक में परस्पर बातचीत के आधार पर उद्योग के साथ परामर्श को संस्थागत बनाना, (iii) इस संदर्भ में कृषि में इन्पुटों और उत्पाद के संबंध में कोटि नियंत्रण पद्धति सुदृढ़ करना ।
92.	स्वास्थ्य	डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उपयुक्त नीतिगत उपाय ।
93.	स्वास्थ्य	औ-धि-विनियामक पद्धति प्रारंभ करना, जिसमें नकली दवाइयाँ जारी करने को विनियमित करना शामिल है ।
94.	स्वास्थ्य	आईएसएम एंड एच को मुख्य धारा के साथ जोड़ना तथा स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता सुधारने के लिए आईएसएम चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करना ।
95.	स्वास्थ्य	सीजीएचएस सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी उपाय । इसके साथ ही सेवाओं की कोटि में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे उच्च विशेष-ज्ञता वाले संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना ।
96.	स्वास्थ्य	एक योजनागत/एमएफआई स्कीम के जरिए अवस्थापना/संस्थात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना ।

97.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	विश्व उद्योग की तुलना में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु स्कीम तैयार और कार्यान्वित करना ।
98.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	एमओयू पद्धति का पुनर्गठन ।
99.	गृह	विद्यमान ढाँचे, उपस्कर, सुविधाओं और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर रा-ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और सम्बद्ध कार्यान्वयन तंत्र को अंतिम रूप देना ।
100.	गृह	अगले दो व-र्षों में जम्मू व कश्मीर में एक लाख रोजगारों का सृजन ।
101.	मानव संसाधन विकास	उच्च शिक्षा संस्थानों की पारदर्शी, समयबद्ध प्रत्यायन प्रक्रिया विकसित करना ।
102.	मा.सं.वि (माध्य. और उच्च शिक्षा)/ सू.और प्र./संस्कृति	फिल्म/संगीत की चोरी रोकने के लिए संगत आईपीआर संविधियों/नीति में परिवर्तन अधिनियमित करना ।
103.	मानव संसाधन विकास	गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कॉलेज स्थापित करने के लिए और साथ ही पेशेवर शिक्षा के संबंध में भी एक नीतिगत, विनियामक तथा कानूनी रूपरेखा तैयार करना । विद्यमान विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में निजी क्षेत्रक द्वारा धर्मादा पीठ स्थापित करने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तय करना । सभी श्रेणी के छात्रों के लिए (बीपीएल एपीएल) संस्थात्मक वित्त का उपयोग करके ऋण छात्रवृत्तियों की एक व्यापक स्कीम प्रारंभ करना ।
104.	मा.सं.वि., विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वित्त, वाणिज्य	सीएसआईआर की प्रथा की तरह लागत और लाभ (आईपीआर) बांटने के लिए विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के बीच सहयोगात्मक आर एंड डी के संबंध में सरकारी-निजी भागीदारी के मॉडल स्थापित करना ।
105.	सूचना और प्रसारण	जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण तंत्र के विस्तार और कार्यान्वयन हेतु विशेष पैकेज तैयार करना ।
106.	सूचना और प्रसारण	सामूहिक शिक्षा, विशेष-रूप से, स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता आदि के लिए मीडिया का उपयोग ।
107.	औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन	जरूरत आधारित तथा विशि-ट रूप से डिजाइन किए गए उपायों के लिए उच्च विकास क्षमता वाले औद्योगिक समूहों का विनिर्धारण ।
108.	सूचना प्रौद्योगिकी	सुप्रशिक्षित आईटी व्यावसायिकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करने के वास्ते मानव संसाधन विकास के संबंध में कार्यबल की स्थापना ।
109.	आईपीपी/वित्त	एफडीआई के माध्यम से आर एंड डी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय लागू करना । आर एंड डी निर्यात से अर्जित आय को आयकर प्रयोजनार्थ अन्य निर्यात आय की तरह ही समझना ।
110.	आईटी/राजस्व	2005 के बाद से लागू होने वाले विनिर्मित उत्पादों पर शून्य शुल्क व्यवस्था से निपटने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्यनीति तैयार करना ।
111.	श्रम	चौथे श्रम आयोग की सिफारिशों पर सरकार की स्थिति को अंतिम रूप देना ।
112.	श्रम	श्रम विधान में सुधार, जिसमें संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम व अन्य अधिनियम शामिल हैं ।
113.	भू-संसाधन	परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास व पुनरुद्धार विधेयक का अधिनियमन ।
114.	भू-संसाधन	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन अधिनियमित करना ।
115.	विधि और न्याय	न्यायिक प्रशासन की लागत को कवर करने के लिए न्यायालय फीस (प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाने से पूर्व और इकतरफा रोक जारी किए जाने से पहले न्यायालय फीस की अदायगी पर कठोरतापूर्वक जोर देने सहित) में संशोधन करना जरूरी है ।

116.	कार्मिक	कार्मिक/सिविल सेवा मुद्दों के संबंध में सुरेन्द्र नाथ समिति रिपोर्ट पर विचार और कार्यान्वयन ।
117.	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और	एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करना ।
118.	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और	भारत की हाइड्रोकार्बन सुरक्षा के संबंध में अध्ययन पूरा हो जाने के फलस्वरूप भारत की हाइड्रोकार्बन सोर्सिंग के संबंध में एक रा-ट्रीय नीति तैयार करना ।
119.	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और	पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 पारित करना तथा पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना अधिनियम के तहत तैयार किए जाने वाले नियमों की विनय-वस्तु विवेकपूर्ण ढंग से तय की जाए ।
120.	योजना आयोग/ संबंधित मंत्रालय	मांग और पूर्ति संबंधी मुद्दे अधिशासित करने तथा प्राकृतिक संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय और इक्विटी चिंताओं का समाधान करने के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति विकसित करने के लिए एक शी-र्न समिति स्थापित करना ।
121.	डाक	प्रतियोगिता, अभिसरण व अन्य नई घटनाओं की जरूरतों की देखभाल करने के लिए एक दूरदृष्टिपूर्ण विधान के जरिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना ।
122.	डाक	डाक क्षेत्रक के निगमीकरण के लिए एक योजना तैयार करना व प्रक्रियाएं निर्धारित करना ।
123.	डाक	डाक कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण करना तथा देशभर के डाकघरों की विश्वसनीय संयोजकता सुनिश्चित करना, जिससे कि अंतर्रा-ट्रीय स्तरों के अनुरूप अच्छी सेवाएं प्रदान की जा सकें । इसके साथ ही, स्पीड-पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ई-पोस्ट, ई-बिलिंग, अदायगी तथा प्रस्तुतीकरण (ईबीपीपी), ई-वाणिज्य जैसी सेवाओं पर विशेष-बल के साथ भावी व्यवसाय विकास का पुनर्गठन ।
124.	विद्युत	विद्युत अधिनियम के तहत भवि-य हेतु नियम आदि तैयार करना ।
125.	विद्युत	सरकारी भवनों में ऊर्जा कुशलता के संबंध में कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण को पूरा करना तथा व्यापक प्रसार व कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई योजना तैयार करना ।
126.	विद्युत	एसपीयू का पुनरुद्धार ।
127.	रेलवे	रेल टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण की स्थापना।
128.	रेलवे	सरकार, एमएफआई और पीपीपी निधियन के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु पिछड़ी/भावी रेल परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा विकसित करना ।
129.	रेलवे	अ-महत्वपूर्ण रेल कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग हेतु नीति तैयार करना ।
130.	रेलवे	माल ट्रैफिक के कंप्यूटरीकरण, सुधरी सिग्नल पद्धति और रेल पटरियों पर विशेष-बल के साथ रेलवे का आधुनिकीकरण ।
131.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	रा-ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को दो गलियों वाला बनाना, जिसमें गैर एनएचडीपी मार्ग के 4000 कि.मी. को दो गलियों वाला तथा 800 कि.मी0 को चार गलियों वाला बनाना शामिल है ।
132.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	रा-ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते गैर-कानूनी कब्जों से निपटने के लिए कार्रवाई योजना ।
133.	ग्रामीण विकास	भू-उपयोग/संसाधन प्रबंधन के बारे में एक रा-ट्रीय नीति का निर्माण ।
134.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	निजी कंपनियों तथा सरकारी एस एंड टी संस्थानों और साथ ही विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक आर एंड डी के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के मॉडलों का विकास, जिससे कि लागत और लाभ (आईपीआर) बांटे जा सकें ।
135.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	उत्कृ-ट केन्द्रों की स्थापना तथा आर एंड डी सुदृढ़ करने के लिए रा-ट्रीय प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण ।

संलग्नक-3.3

136.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	ज्ञान आधारित उद्योगों में हमारे तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाने के लिए एक नई आईपीआर व्यवस्था अपनाने को अंतिम रूप देना ।
137.	माध्यम और उच्च शिक्षा	शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी विद्यमान स्कीम के स्थापन पर आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर तथा दक्षता पर जोर देते हुए एक नई स्कीम लागू करना ।
138.	नौवहन	बड़े और छोटे पत्तनों के संबंध में प्रमुख पत्तन न्यास संशोधन विधेयक, 2001 के संबंध में नीति का अधिनियमन ।
139.	नौवहन	रेल और सड़क विधियों से घरेलू माल की दुलाई अंतर्देशीय जन परिवहन के माध्यम से धीरे-धीरे प्रोत्साहित करना, ताकि इसका हिस्सा जो वर्तमान में 1% से भी कम है, कम से कम 2% तक बढ़ सके ।
140.	नौवहन	निजी/एफडीआई निवेश सुकर बनाने के लिए बड़े/छोटे समुद्र पत्तनों के संबंध में एक रा-द्रीय नीति तैयार और अपनाना और यदि जरूरी हो, तो टैरिफ पद्धति के संबंध में एक स्वायत्त सांविधिक विनियामक एजेंसी कायम करना ।
141.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सरकारी/निजी क्षेत्रक में विकलांग अनुकूल नीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करना ।
142.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	वृद्ध और विकलांगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम तैयार करना । इस प्रयास को प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित अवधारणा पत्र के आधार पर आजीवन चिंताओं का समाधान करने के संबंध में चल रही कार्रवाई के साथ जोड़ा जा सकता है ।
143.	लघु उद्योग	लघु उद्योगों के संबंध में राकेश मोहन, आबिद हुसैन, एस.पी. गुप्ता और के.सी. पंत समिति की सिफारिशों पर विचार और कार्यान्वयन ।
144.	लघु उद्योग/मंत्रिमंडल सचिवालय	लघु उद्योग क्षेत्रक के प्रक्रियात्मक/विनियामक सुधार के संबंध में एएससीआई रिपोर्ट पर विचार और कार्यान्वयन और इसके साथ ही गोविंदराजन समिति रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई।
145.	दूरसंचार विभाग	दूरसंचार क्षेत्रक को एक आधारभूत क्षेत्र समझने से सम्बद्ध मुद्दों की जांच करना ताकि एनपीटी, 1999 और दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप दूर-घनत्व के लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उन पर कार्रवाई करना ।
146.	दूरसंचार विभाग	संचार अभिसरण विधेयक, 2000 के अधिनियमन और अधिसूचना की दिशा में आवश्यक उपाय करना तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक पद्धति तैयार करना ।
147.	दूरसंचार विभाग/गृह/रक्षा	अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्पेक्ट्रम आबंधन नीति की व्यापक समीक्षा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना ।
148.	कपड़ा	विश्व कपड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा 3% से 10% बढ़ाने के लिए समर्थनकारी परिवेश और उपायों का सृजन ।
149.	पर्यटन	पर्यटन अवसंरचना के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन में सरकारी-निजी भागीदारी प्रारंभ करना ।
150.	पर्यटन	संदेहास्पद सदाशयता वाले सेवा प्रदाताओं और आपातिक सेवाओं के बारे में पर्यटकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार और कार्यान्वित करना ।
151.	शहरी विकास	एनएचएआई परियोजनाओं की तरह सरकारी सिविल कार्यों में पीपीपी को मुख्य धारा में मिलाने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित करना, जिससे कि प्रतिस्पर्द्धा और प्रभावी मॉनीटरन के आधार पर अदायगियों पर आधारित नि-पादन के लिए सुधरी गुणवत्ता और धन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके ।
152.	शहरी विकास	डीडीए व अन्य शहरी विकास एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करने तथा इनकी सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशेष-ज्ञ समूह का गठन ।
153.	शहरी विकास	शहरी परिवहन के संबंध में एक रा-द्रीय नीति का निर्माण ।

संलग्नक-3.3

154.	शहरी विकास	मलिन बस्तिवासियों के लिए "वामबॉय" स्कीम का मॉनीटरन ।
155.	शहरी विकास	अधिशेन सरकारी जमीन का उपयोग बीपीएल आवासन तथा पूंजी निवेश करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार और कार्यान्वित करना ।
156.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक (सड़क विक्रेताओं और रिक्शा चालकों से संबंधित है) के लिए रा-ट्रीय नीति और मॉडल विधान का निर्माण ।
157.	शहरी विकास	दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली को समय पर पूरा करना ।
158.	शहरी विकास/शहरी रोजगार और पीए	एक एकल मंच के तहत नगर चुनौती कोन, पूल वित्त विकास सुविधा और यूआरआईएफ को अंतिम रूप देना तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुकर बनाना ।
159.	शहरी रोजगार और पीए	शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक के लिए माइक्रो क्रेडिट पर विशेष बल देते हुए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का पुनर्गठन और रा-ट्र स्तरीय समीक्षा।
160.	जल संसाधन	रा.शै.अ.प्र. परिन्द की पाठ्यचर्या तथा विद्या वाहिनी परियोजना द्वारा तैयार किए जा रहे पैकेज में भी वर्ना जल दोहन तथा भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण लागू करना ।
161.	महिला और बाल	बाल चार्टर तथा बच्चों के लिए रा-ट्रीय कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देना जिसमें विद्यमान कानूनों में अपेक्षित बाल अनुकूल संशोधनों का विनिर्धारण और प्राथमिकरण व उनका अधिनियमन शामिल है ।
162.	महिला और बाल	रा-ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कार्यान्वित करना ।
163.	युवा मामले और खेल	अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए देश में 5000 ब्लॉकों में से प्रत्येक युवा विकास केन्द्र (वाईडीसी) स्थापित करना ।

अध्याय 4

मानव और सामाजिक विकास

प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा

भारत के संविधान में चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। योजना के प्रारंभिक स्तरों पर उम्मीद की गई थी कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा सहित, आर्थिक और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना एक प्राथमिक साधन होगा। किन्तु इस कार्यनीति के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा, समय के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के विकास अनुभवों से यह विश्वास पक्का हुआ है कि साक्षरता और शिक्षा की मानव विकास में प्रत्यक्ष भूमिका है और ये आर्थिक विकास सहित अन्य उपलब्धियों को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण हैं। नौवीं योजना के दौरान शिक्षा को मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश समझा गया। राष्ट्र, सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के प्रति पक्की तौर पर प्रतिबद्ध है, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विशेष-जरूरतों वाले बच्चों का कवरेज, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता तथा सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन पी ई) के तहत, जिसकी घोषणा 1986 में की गई थी तथा 1992 में जिसकी समीक्षा की गई थी, कार्रवाई की एक ठोस योजना के साथ सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया गया। उसके बाद से सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा (यू ई ई) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विगत दशक (1991-2001) के दौरान साक्षरता दर में 1951 के बाद से 13.15% की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यह 52.21% से बढ़कर 65.37% हो गई। इसी प्रकार महिला साक्षरता दर में 14.87% की वृद्धि हुई जो 1991 में 39.29% से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई। समेकित प्रयासों के फलस्वरूप, संस्थानों, अध्यापकों और छात्रों के दाखिले में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1993 के बाद से, प्राथमिक स्तर तक सुलभता में "आपरेशन ब्लैकबोर्ड", जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, गैर औपचारिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी स्कीम जैसी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तक्षेपणीय उपायों और राज्य सरकारों के प्रयास के कारण काफी सुधार हुआ है। तथापि, हम अभी भी "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्य से काफी दूर हैं। इसके लिए मध्यावधि में विस्तृत आधारस्तरीय आयोजना तैयार करने की जरूरत है।

3. सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा (यू ई ई) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, नौवीं योजना के अंत, अर्थात् वर्ष 2001-02 में "सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)" प्रारंभ किया गया था। पूरे देश को कवर करते हुए यू ई ई के संबंध में यह प्रथम कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इस लक्ष्य को एक समयबद्ध एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त करना है जिसे राज्यों की भागीदारी के साथ मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। दृष्टिकोण, समुदाय स्वामित्व में तथा पंचायती राज संस्थानों के साथ परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाओं पर आधारित होगा जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों व कठिनाईग्रस्त अन्य बच्चों पर अधिक बल दिया जाएगा। 13 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित एक संविधान संशोधन विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया है।

वर्ष 2002-03 की समीक्षा

4. वर्ष 2002-03 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की स्कीमों के लिए 4667 करोड़ रुपए अनुमोदित परिव्यय के बदले वास्तविक व्यय 4259.29 करोड़ रुपए था, जो अनुमोदित परिव्यय के 91.25% का द्योतक है। दो प्रमुख स्कीमों, यथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) तथा मध्याह्न भोजन (एम डी एम) का वित्तीय नि-पादन वर्ष 2002-03 के दौरान काफी अच्छा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 1380 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के बदले 1287.05 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। इसी प्रकार, प्राथमिक शिक्षा के लिए रा-ट्रीय पो-नाहार सहायता कार्यक्रम के लिए खर्च हुई राशि 1099.03 थी जबकि अनुमोदित परिव्यय 1175 करोड़ रुपए था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी जैसे राज्य उन्हें मध्याह्न भोजन स्कीम के तहत आबंटित खाद्यान्नों के 90% से अधिक भाग को उठाने में समर्थ रहे। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने आबंटित खाद्यान्नों का 25% से कम का उठान किया।

5. राजस्थान में शिक्षा कर्मी स्कीम पर खर्च केवल 15.02 करोड़ रुपए था जबकि प्रावधान 40 करोड़ रुपए का किया गया था। "जन शाला" नामक स्कीम के अंतर्गत खर्च की गई राशि 13.50 करोड़ रुपए थी जबकि आबंटन 20 करोड़ रुपए का किया गया था, जो खर्च के केवल 67.5% का द्योतक है। इसी प्रकार, महिला सामाख्या पर 7.52 करोड़ रुपए के खर्च की रिपोर्ट की गई है जबकि आबंटित राशि 20 करोड़ रुपए थी, जो मात्र 39.55% है। कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय स्कीम के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गई क्योंकि स्कीम आलोच्य वर्ष के दौरान शुरू नहीं हो सकी।

प्रमुख घटनाएं

दसवीं योजना में, रा.वि.प. द्वारा निर्धारित मानीटरन योग्य लक्ष्यों में "सभी के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है - 2003 तक सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला; 2007 तक सभी बच्चों द्वारा 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करना; साक्षरता में लिंग अंतर में कम से कम 50% की कमी और कार्यात्मक साक्षरता की 75% तक की उपलब्धि।

86वें संविधान संशोधन के संबंध में रा-ट्रपति की सहमति, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक वादयोग्य मूलभूत अधिकार बनाया गया है।

स्थानीय निकायों को शक्ति के और अधिक विकेन्द्रीकरण की भावना को हेतु 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को कार्यरूप देना, यू ई ई की दिशा में प्रयासों में सामुदायिक आयोजन। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित किया जाने वाला एक वि-नय विनिर्धारित किया गया।

योजना आयोग द्वारा सभी स्कीमों को चार मुख्य कार्यक्रमों/स्कीमों, यथा एस एस ए, एम डी एम एस, शिक्षक शिक्षा और लड़कियों के लिए के जी एस वी के अंतर्गत लाकर जेड बी बी प्रक्रिया के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में स्कीमों का युक्तिकरण।

वार्षिक योजना 2003-04

6. प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 4667.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए 1415 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है। योजना आयोग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के परामर्श से शून्य आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया में यह तय पाया गया कि देशज बजटीय सहायता द्वारा वित्तपोषित स्कीमों में, शिक्षक शिक्षा, मध्याह्न भोजन और कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय की स्कीमों में बनी रहेंगी, किन्तु उनकी अन्य चालू स्कीमों को सर्व शिक्षा के संबंध में विदेशी सहायित परियोजनाएं जैसे कि शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, डी पी ई पी और जनशाला, यद्यपि इन्हें अपनी अलग पहचान बनाए रखने की अनुमति दी गई, तथापि उन्हें एस एस ए के छत्र के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इस प्रकार, उम्मीद है कि एस एस ए के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन की यूनिट के रूप में जिले के साथ, इसकी समग्र रूपरेखा के अंदर अधिकांश विद्यमान कार्यक्रम आ जाएंगे। दृष्टिकोण को पूर्णतः एक वृहदाकार और उसके अभिसरण हेतु कार्यक्रम को अन्य सभी विभागों के साथ जिला स्तर पर कार्यान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे। एस एस ए का उद्देश्य समुदाय को एक व्यवस्थित ढंग से गतिवान बनाना तथा विकेन्द्रीकृत निर्णय निर्माण की एक प्रभावी पद्धति कायम करना भी है।

प्रौढ़ शिक्षा

7. रा-ट्रीय साक्षरता मिशन का बुनियादी उद्देश्य, देश में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, साक्षरता को मौलिक बनाना है। इसका उद्देश्य 2005 तक 75% का एक संधारणीय स्तर प्राप्त करना है। मिशन का ध्येय प्रौढ़ों के लिए आजीवन अध्ययन हेतु सार्थक अवसर प्रदान करना तथा शेष रहती निरक्षरता पर बल देना है। देश में कुल 600 जिलों में से 587 जिलों को साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है। 201 जिलों में सतत् शिक्षा कार्यक्रम शुरू हो गए हैं; 196 जिलों में साक्षरतोत्तर के कार्यक्रम चल रहे हैं और 190 जिलों में समग्र साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता के प्रोन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जन शिक्षा संस्थानों ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है तथा ये लगभग 250 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करके ग्रामीण वर्ग की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। इस समय रा-ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के सामान्य परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रौढ़ साक्षरता की दो अग्रणी कार्यनीतियां इस प्रकार हैं : बुनियादी साक्षरता शिक्षण का पहला चरण और समेकन, समाधान और कौशल-उन्नयन का द्वितीय चरण।

8. रा-ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, इसके कार्यक्रमों और स्कीमों को बढ़ावा देने में एन जी ओ की संभाव्यता को स्वीकारा गया है। साक्षरता अभियान में एन जी ओ की प्रमुख भूमिका को देखते हुए, अब उन्हें जिला साक्षरता समितियों से धन प्राप्त करने और सतत् शिक्षा को वस्तुतः चलाने की अनुमति भी दे दी गई है।

वर्ष 2002-2003 की समीक्षा

9. वर्ष 2002-03 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 233 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के बदले वास्तविक खर्च 216.33 करोड़ रुपए हुआ, अर्थात् कुल परिव्यय का 92.83%। मात्र सतत् शिक्षा स्कीम

के लिए 145 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई अर्थात् कुल अनुमोदित परिव्यय का 62.23%, जिसके बदले खर्च हुई राशि 133.03 करोड़ रुपए थी। "स्वैच्छिक संगठनों" की स्कीम के अंतर्गत 22.03 करोड़ रुपए का व्यय, इसके लिए आबंटित 20 करोड़ रुपए की राशि को पार कर गया। "निश्चरता उन्मूलन के लिए विशेष-परियोजना" स्कीम पर 24.57 करोड़ रुपए के व्यय की रिपोर्ट की गई है जबकि आबंटित परिव्यय 25 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, "जन शिक्षण संस्थान" स्कीम के तहत 23.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई जबकि आबंटित राशि 25 करोड़ रुपए थी। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों का वित्तपोषण अनुपात 2:1 है, सिवाय जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जिलों के, जिनके संबंध में यह 4:1 है। अब कार्यान्वयन एजेंसियों को साक्षरतोत्तर चरण के दौरान बुनियादी साक्षरता कार्यकलापों पर खर्च करने की अनुमति है।

वार्षिक योजना 2003-2004

10. प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 2003-04 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय की राशि 233 करोड़ रुपए है। मात्र नव-साक्षरों के लिए सतत् शिक्षा स्कीम का हिस्सा 145 करोड़ रुपए अर्थात् कुल अनुमोदित परिव्यय का 62.23% है। जन शिक्षा संस्थान और साक्षरता अभियान तथा आपरेशन रेस्टोरेशन की स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने तथा सामुदायिक विकास व सशक्तिकरण की व्यापक प्रतिक्रिया सुकर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और एस एस ए साथ-साथ चलेंगे।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई ए पी)

11. प्रारंभिक शिक्षा विभाग, अनेक परियोजनाएं चला रहा है जो विदेशी सहायित हैं। ई ए पी का वित्तीय नि-पादन नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपए)

	ई ए पी	दसवीं योजना	वार्षिक योजना 2002-03			वार्षिक योजना 2003-04
			अनु. परिव्यय	अनु. परिव्यय	संशोधित अनुमान	व्यय
1	शिक्षा कर्मी	47.0	40.0	15.02	15.02	10.00
2	लोक जुम्बिश	137.0	60.00	60.00	60.00	70.00
3	महिला सामाख्या	100.0	20.00	9.00	7.52	30.00
4	डी पी ई पी	4000.0	1380.0	1287	1287.05	1200.00
5	एस एस ए	600.0				100.00
6	संयुक्त भारत सरकार - प्राथमिक शिक्षा हेतु संयुक्त रा-ट्र कार्यक्रम	20.00	20.00	13.50	13.50	5.00
	उप-जोड़ (ई ए पी)	4904.0	1520.0	1384.52	1383.09	1415.00
7	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय (नई स्कीम)	489.00	8.50	0.02	0	8.50

2002-02 के दौरान केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई राशि (योजनागत)

संलग्नक 4.1.1
(लाख रुपए)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएसए	ओबी	टी.ई.	डीपीईपी	महिला सामाख्या	लोक जुम्बिश	शिक्षा कर्मी	वी.ई.	विज्ञान शिक्षा	पर्यावरणीय शिक्षा	आईईडीसी	क्लास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	8226.10	0.00	19.00	16500.00	190.00	0.00	0.00	0.00	2.27	1.61	89.98	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1412.00	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	10175.92	805.31	672.53	5401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.76	4.02	23.08	0.00
4	बिहार	7914.97	0.00	319.50	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	2.74	12.54	0.00
5	छत्तीसगढ़	3639.73	2778.59	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60	5.09	10.58	250.00
6	गोवा	0.00	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	125.00
7	गुजरात	14004.30	0.00	1961.14	4668.00	130.00	0.00	0.00	467.58	35.81	34.37	798.15	0.00
8	हरियाणा	2735.87	0.00	961.88	3500.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	68.32	39.30
9	हिमाचल प्रदेश	1717.62	0.00	797.48	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू व कश्मीर	1948.85	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	3244.32	0.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	8270.46	0.00	1437.34	4950.00	205.00	0.00	0.00	0.00	520.84	0.00	517.02	0.00
13	केरल	2250.78	0.00	617.74	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00
14	मध्य प्रदेश	11017.10	0.00	1157.05	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	583.64	0.00
15	महाराष्ट्र	11000.00	0.00	257.30	9148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	160.66	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	132.87	0.00
17	मेघालय	711.37	0.00	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00
18	मिजोरम	903.29	833.06	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00
19	नागालैंड	973.28	0.00	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00
20	उड़ीसा	2214.15	11.38	584.02	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	4.14	150.33	0.00
21	पंजाब	4868.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	9995.58	0.00	1259.39	11300.00	0.00	6000.00	1501.50	0.00	0.00	0.00	33.66	0.00
23	सिक्किम	425.14	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	291.48	0.00	0.00	12.35	72.50
24	तमिलनाडु	13526.90	0.00	1734.18	2013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	28.00	139.60	72.66
25	त्रिपुरा	1162.18	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00
26	उत्तर प्रदेश	20245.40	0.00	1965.27	23900.00	160.00	0.00	0.00	375.00	270.00	3.66	16.94	0.00
27	उत्तरांचल	2067.69	0.00	0.00	2000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	10867.61	0.00	98.01	7850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	2.18	103.24	469.84
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00

32	दमन व दीव	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
33	दिल्ली	161.27	0.00	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78	14.74	57.77	0.00
34	लक्षद्वीप	19.98	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	116.46	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.00
कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)		155828.32	4428.34	16216.03	127880.00	735.00	6000.00	1501.50	1463.06	1612.71	174.53	3384.41	1029.30

परंपरा: एसएसए: सर्व शिक्षा अभियान
ओबी: आपरेशन ब्लेक बोर्ड
टीई: शिक्षक शिक्षा

डीपीईपी: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
वीई: व्यावसायिक शिक्षा
आईईडीसी: विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
क्लास: स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन

2002-02 के दौरान केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई राशि (योजनागत) (रूपए लाख में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योगा	साक्षरता	जन शिक्षण	सतत् शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए	एआईएमएमपी	भा-आ	संस्कृत का	रा-ट्रीय	प्रतिभावान	कुल
			अभियान	संस्थान		गैर सरकारी		अध्यापकों	विकास	छात्रवृत्तियां	बच्चों के लिए	सीएसएस+
			तथा ओआर			संगठनों को समर्थन		की नियुक्ति			छात्रवृत्तियां	सी एस
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	209.39	701.48	164.02	968.51	14.73	27.51	0.00	0.00	27114.60
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	171.00	15.25	0.00	0.00	0.00	172.19	0.00	0.00	0.00	1832.64
3	असम	1.31	48.65	37.05	0.00	25.00	0.00	276.20	2.70	0.00	0.00	18065.53
4	बिहार	0.00	808.24	56.06	0.00	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15632.88
5	छत्तीसगढ़	0.00	252.98	21.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9777.35
6	गोवा	0.00	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.02
7	गुजरात	2.65	0.00	130.26	1720.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23981.96
8	हरियाणा	0.00	0.00	39.43	0.00	42.78	0.00	0.00	1.08	0.00	0.42	7718.08
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	155.42	0.00	0.00	4496.92
10	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	21.42	0.00	39.99	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	2062.29
11	झारखंड	0.00	307.54	54.14	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7718.50
12	कर्नाटक	2.39	20.37	150.86	1810.79	34.50	0.00	167.04	23.71	0.00	0.00	18110.32
13	केरल	0.00	0.00	117.31	119.40	32.92	0.00	95.46	5.96	0.00	0.00	4869.35
14	मध्य प्रदेश	0.00	88.21	172.49	3475.80	89.25	205.98	0.00	757.97	0.00	0.00	30653.27
15	महाराष्ट्र	6.42	10.00	193.84	10.00	80.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	20886.57
16	मणिपुर	1.67	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	248.44	0.00	0.00	0.00	498.44
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.59
18	मिजोरम	0.00	0.00	14.00	74.40	0.00	0.00	165.92	0.00	0.00	0.00	2190.27
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.06
20	उड़ीसा	4.11	282.45	146.80	0.00	36.84	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	10754.06
21	पंजाब	0.00	43.14	24.24	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5859.38
22	राजस्थान	0.00	77.47	137.08	2328.30	48.61	0.00	0.00	10.53	12.39	0.00	26704.51
23	सिक्किम	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.76
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	150.29	530.70	60.72	0.00	0.00	44.23	0.00	0.00	18310.28
25	त्रिपुरा	2.47	0.00	0.00	155.00	10.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.04	1423.61
26	उत्तर प्रदेश	0.00	247.97	441.89	2262.28	1168.27	1624.37	0.00	16.78	0.00	0.00	52697.83
27	उत्तरांचल	0.00	11.63	12.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4239.32
28	पश्चिम बंगाल	0.00	50.00	98.79	0.00	53.00	0.00	0.00	23.82	0.00	0.00	19637.42

29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	26.99	91.40	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	131.73
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	12.40
33	दिल्ली	1.50	0.00	20.93	0.00	68.57	0.00	0.00	1.57	0.00	0.10	812.80
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.01	181.96
कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)		22.52	2456.25	2331.55	13302.40	2201.45	2844.58	1139.98	1115.73	22.97	0.72	339691.35

परंपरा: ओआर: आपरेशन रेस्टोरेशन
 एई: प्रौढ़ शिक्षा

एआईएमएमपी: क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम
 स्कालरशिप्स फार टैल. चिल्ड्रन: प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

4.2 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करती है और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करती है।

2. प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए उपायों के प्रभावस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की मांग बढ़ रही है। कुल पात्र आयु वर्ग (15-19 वर्ष) जनसंख्या, अर्थात् 9.7 करोड़, में से लगभग 7.0 करोड़ की बड़ी संख्या अभी भी स्कूल पद्धति से बाहर है क्योंकि केवल 2.8 करोड़ युवा माध्यमिक स्कूलों में भर्ती हैं। यद्यपि, देश में हाई और उच्चतर माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी लगभग 23 प्रतिशत आबादी को स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 कि.मीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हम पांच कि.मीटर के अन्दर एक माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लक्ष्य से काफी दूर हैं। लड़कियों के मामले में, ग्रामीण इलाकों में, केवल 32.33 प्रतिशत लड़कियां माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और 29.76 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिला लिए हुए हैं। लड़कियों के अलावा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक जरूरतें स्कूल पद्धति की मुख्य धारा द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। साम्यता को ध्यान में रखते हुए स्कूली सुविधाओं का विस्तार करना आज की बड़ी जरूरत है।

दसवीं योजना के दौरान मुख्य मुद्दे होंगे: सुलभता में सुधार करने और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक में असमानताओं को दूर करने पर और अधिक बल देना। योजना के अन्तर्गत, व्यावसायीकरण और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर बल देते हुए पाठ्यचर्या के संशोधन, मुक्त अध्ययन पद्धति के विस्तार और विविधीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण के पुनर्गठन और नई सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों पर भी बल दिया जाएगा।

वर्ष 2002-03 की समीक्षा

3. आलोच्य वर्ष दसवीं योजना का प्रथम वर्ष था। केन्द्रीय क्षेत्रक में वार्षिक योजना 2002-03 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक के वास्ते 719 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। सं.अ. स्तर पर इस परिव्यय को कम करके 525.03 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें से उपर्युक्त वर्ष में 578.14 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

4. इस समय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर दो स्तरों पर केन्द्रीय हस्तक्षेप किया जाता है, एक तो स्कूल शिक्षा के लिए रा-ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्थाओं की रचना और स्थापना द्वारा और दूसरे केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से। वर्ष 2002-03 में योजना आयोग ने ध्यानपूर्वक कार्यान्वित करने/ बेहतर लक्ष्य निर्धारण और निधियों के प्रभावी उपयोग के वास्ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अभिसरण के उद्देश्य से एक शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेड.बी.बी.) पर कार्य किया।

5. इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप, दसवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक में केवल पांच केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों कार्यान्वित की जाएंगी: (i) सुलभता और साम्यता; (ii) स्कूलों में गुणवत्ता सुधार; (iii) स्कूलों में आई.सी.टी.; (iv) विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा और (v) माध्यमिक शिक्षा का

व्यावसायीकरण (माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के ब्योरे अध्याय के खण्ड 2 में दिए गए हैं)। इनमें से अधिकांश स्कीमें फिलहाल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया में हैं और उनके ई.एफ.सी. प्रस्तावों के जांच की जा रही है। ऐसे समय तक स्कीमों को नौवीं योजना पद्धति के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. केन्द्रीय क्षेत्रक के पांच शीर्षस्थ संस्थान - रा.शै.अ.प्र.परि-द, रा-ट्रीय मुक्त स्कूल, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सी.टी.एस.ए.) - दसवीं योजना के दौरान अपना कार्य जारी रखेंगे।

7. वर्न 2002-03 के दौरान माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें थीं:

- (क) लड़कियों के लिए बोर्डिंग और होस्टल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की स्कीम, जिसका उद्देश्य स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में वृद्धि करना है, वर्न 2002-03 के दौरान कार्यान्वित की जाती रहीं। मा.स.वि. मंत्रालय ने, इन होस्टलों को चलाने वाले एन.जी.ओ. को (2001-02 में) सहायता में संशोधन किया है। वर्न 2003-04 से इस घटक को "सुलभता और समानता" नामक नई योजना में मिला दिया जाएगा।
- (ख) पर्यावरणीय अनुस्थापन, स्कीम के अन्तर्गत एन.जी.ओ. को पर्यावरणीय शिक्षा पर नूतन कार्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के वास्ते, सहायता दी जाती है जिसे पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जा सके।
- ग) स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से स्कूलों में आई.टी. शिक्षा के वास्ते कम्प्यूटर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम के अन्तर्गत निधियां प्रदान की गई हैं।
- (घ) स्कूलों में योग शिक्षा प्रदान करने के वास्ते, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एन.जी.ओ. को शिक्षकों के प्रशिक्षण और अवस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- (ङ.) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के वास्ते एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत विज्ञान किट प्रदान करने, विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने और विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।
- (च) स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा का संस्थायन करने के उद्देश्य से, जनसंख्या कार्यकलापों हेतु संयुक्त रा-ट्र निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.) की मदद से रा-ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
- (छ) स्कूलों में संस्कृति और मूल्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते एन.जी.ओ. को कला तथा संस्कृति का प्रचार करने के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

- (ज) आलोच्य वर्ग के दौरान, "विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जाती रही। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और एन.जी.ओ. को विशेष-जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक सहायक सामग्री तथा उपस्कर जैसे घटकों तथा विशेष-अध्यापकों के लिए वेतनों के वास्ते, 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इस समय यह स्कीम 41,875 से अधिक स्कूलों के माध्यम से 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिससे 1,33,000 से अधिक विकलांग बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ग के दौरान केन्द्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

8. स्कूल शिक्षा की रा-ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, रा.शै.अ.प. परि-नद ने विभिन्न स्कूल वि-यों के लिए पाठ्यविवरण, पाठ्यपुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करना और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखा।

9. रा-ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.सी.) की स्थापना, छात्रों को अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के वास्ते अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ग 1989 में शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। एन.ओ.एस. का मुक्त अध्ययन तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने के लिए दस क्षेत्रीय केन्द्रों और लगभग 2000 अध्ययन केन्द्रों का एक नेटवर्क है। एन.ओ.एस. ने, यू.ए.ई., कुवैत, ओमान, नेपाल, कनाडा और अमरीका में अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं।

10. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन ने देश में तिब्बती बच्चों के लिए 79 स्कूलों का संचालन जारी रखा जिनमें 9602 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये स्कूल विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों से सम्बद्ध हैं।

11. केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। सम्प्रति, देश में 843 विद्यालय मौजूद हैं।

12. जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों को अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत देश में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस समय, 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 480 जिलों में इतनी ही संख्या में नवोदय विद्यालय हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

13. वार्षिक योजना 2003-04 में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक के लिए 669 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ग 2003-04 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

सुलभता और समानता

14. यू.ई.ई. के लिए हाल ही में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की मांग बढ़ रही है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने दसवीं योजना के लिए "सुलभता और समानता" नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव किया है। दसवीं योजना के दौरान, इस स्कीम के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में 305 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है जिसमें से 20 करोड़ रुपए का आबंटन वार्षिक योजना 2003-04 के अन्तर्गत किया गया है (राज्य क्षेत्रक में 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्कीम के लिए योजना आयोग द्वारा भी आबंटित की गई है)।

15. स्कीम के संबंध में ई.एफ.सी. प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और वह विचाराधीन है। स्कीम में दो घटक सम्मिलित होंगे (i) लड़कियों के लिए होस्टल और बोर्डिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करने की चालू स्कीम; तथा (ii) विख्यात एन.जी.ओ., न्यासों, सोसायटियों तथा राज्य सरकारों की भागीदारी में नए स्कूलों की स्थापना। राज्य सरकार यह पता लगाने के लिए कि नए स्कूल कहां खोले जाएं, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण करेगी। राज्य सरकारें इन जिलों में उन एन.जी.ओ. का भी विनिर्धारण करेंगी जो मिडिल स्तर तक स्कूल चला रहे हैं किन्तु वित्तीय बाधाओं के कारण अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में असमर्थ हैं। भारत सरकार इन संगठनों को, नए स्कूल खोलने के लिए, एकबारगी अनुदान/ आधार धनराशि प्रदान करेगी।

16. स्कूलों में गुणवत्ता सुधार: दसवीं योजना में "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें नौवीं योजना की केन्द्रीय प्रायोजित/ केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें सम्मिलित होंगी, अर्थात् (i) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड, (iii) स्कूल शिक्षा के प्रति पर्यावरणीय अनुस्थापन, (iv) जनसंख्या शिक्षा, और (v) स्कूलों में योग प्रारंभ करना। दसवीं योजना में क्यू.आई.एस. के लिए 110 करोड़ रुपए का योजनागत प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 26 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। लगभग 50,000 स्कूलों में बच्चे बुनियादी विज्ञानों में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें विज्ञान शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, योग और जनसंख्या नियंत्रण की अवधारणा से अवगत कराया जाएगा। इन स्कूलों में स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापक लाभान्वित होंगे। क्यू.आई.एस. एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय, एन.जी.ओ., पंजीकृत सोसायटियां, सार्वजनिक न्यास, सहायता और भागीदारी के लिए पात्र होंगे। स्कीम के अन्तर्गत, निर्धारित पद्धति के अनुसार, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेलकूद सुविधाओं, योग शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, कला और शिल्प, खेलकूद, योग के क्षेत्रों में नूतन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उपरोक्त कार्यान्वयन भागीदारों के प्रस्तावों की मा.सं.वि.मं. की सहायता-अनुदान समिति द्वारा जांच की जाएगी।

17. स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आई.सी.टी.): इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए दसवीं योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान स्कीम के लिए 111 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है। प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार को कम्प्यूटर शिक्षा योजनाएं (सी.ई.पी.) प्रस्तुत करेगा। स्कीम के तहत, स्कूलों को, निर्धारित पद्धति के अनुसार, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, शिक्षक प्रशिक्षण, इन्टरनेट

कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और अनुरक्षण हेतु, राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्कूलों को 6.70 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक उनकी इच्छानुसार मदों पर खर्च करने की ढील प्राप्त होगी। तथापि, केन्द्रीय सहायता प्रति स्कूल 5 लाख रुपए तक सीमित होगी। स्कीम के जरिए सरकारी/ सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में बच्चे कम्प्यूटर प्रचालनों में बुनियादी जानकारी और दक्षता प्राप्त करेंगे।

18. विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.सी.): उपरोक्त योजना के लिए दसवीं योजना में 200 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है जिसमें से वर्न 2003-04 के लिए आबंटित राशि 35 करोड़ रुपए है। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को विकलांग बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, परहिवहन भत्ता, एस्कार्ट भत्ता आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय क्षेत्रक संस्थान

19. पांच केन्द्रीय क्षेत्रक संस्थान, वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान अपने चालू कार्यकलापों को जारी रखेंगे। रा.शै.अ.प्र.प.ने सातवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है जिसकी 2004 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। रा.शै.अ.प्र.प., स्कूल पाठ्यपुस्तकों, कार्य पुस्तकों, पाठमालाओं, शिक्षण सामग्री का प्रकाशन जारी रखेगी तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। दसवीं योजना में रा.शै.अ.प्र. परि-द के लिए 60 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है जिसमें से 14 करोड़ रुपए का आबंटन वर्न 2003-04 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में, शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा सहित, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए है। 65 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दसवीं योजना में रा-द्रीय मुक्त स्कूल का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। चालू वर्न के दौरान रा-द्रीय मुक्त स्कूल के लिए 15 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। दसवीं योजना के दौरान, नव-साक्षरों, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों तथा गैर-औपचारिक शिक्षा पूरी करने वालों के लिए मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओ.बी.ई.) की एक बड़ी पहल शुरू की गई है। 30 नवम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 843 थी। 106 केन्द्रीय विद्यालयों में, जिनकी अपनी इमारतें नहीं हैं, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दसवीं योजना में 420 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए इस वर्न की आबंटित राशि 85 करोड़ रुपए है। दसवीं योजना के दौरान नवोदय विद्यालय समिति के लिए, शै-न जिलों में 100 नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वि.) स्थापित करने के लिए तथा विद्यमान 491 जे.एन.वी. में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के वास्ते 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा परिव्यय विनिश्चित किया गया है। स्कूल भवनों, होस्टलों, रिहायशी स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण आदि जैसी ढांचागत सुविधा की पूर्ति के वास्ते वर्न 2003-04 के दौरान 360 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के लिए, जो तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन करता है, दसवीं योजना परिव्यय की राशि 15 करोड़ रुपए है, जिसमें से वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान तीन करोड़ रुपए की राशि शैक्षणिक कार्यकलापों और निर्माण कार्य के लिए है।

4.3 उच्च तथा तकनीकी शिक्षा

उच्च शिक्षा

हाल ही के वर्षों में उच्च शिक्षा पद्धति में विलक्षण रूप से विस्तार हुआ है। उच्च शिक्षा क्षेत्रक में अब, गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों के अलावा, 196 विश्वविद्यालय, 76 विश्वविद्यालयवत् और लगभग 13,150 कालेज (1600 महिला कालेजों सहित) हैं।

2. "सुलभता और समानता" के मुद्दे विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय पद्धति के अन्तर्गत 18-24 आयु वर्ग में अनुमानित जनसंख्या के केवल 6 प्रतिशत को सुलभता उपलब्ध है {वर्ष 2000-01 से संबंधित उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आयु वर्ग (18-24) में कुल अनुमानित 1345 लाख आबादी में से 88.21 लाख व्यक्ति कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिल थे}। हमें उच्च शिक्षा पद्धति में दाखिले में वृद्धि करनी है। इसके अलावा, असुविधाप्राप्त वर्गों के दाखिले पर ध्यान देना है तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है।

3. मुख्य उद्देश्य, उच्च शिक्षा में (18-24) आयु वर्ग में आबादी के दाखिले को दसवीं योजना अवधि के अन्त तक वर्तमान के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है। प्रमुख रूप से निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा: सुलभता बढ़ाना; कोटि; राज्य विशिष्ट नीतियां अपनाना; उच्च शिक्षा पद्धति को उदार बनाना; पाठ्यचर्या, व्यावसायीकरण, नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रासंगिकता; दूरवर्ती शिक्षा; औपचारिक, गैर-औपचारिक, दूरवर्ती और आई.टी. शिक्षा संस्थानों का अभिसरण; कालेज तथा सम-विश्वविद्यालय स्थापित और संचालित करने में अधिक निजी भागीदारी।

2002-03 की समीक्षा

4. वर्ष 2002-03 में विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रक के लिए 615.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसे सं.अ. स्तर पर कम करके 569.41 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसके बदले 619.14 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच एक समन्वयक निकाय के रूप में कार्य करना जारी रखा। इस समय 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 178 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिन्हें वि.अ.आ. द्वारा विकास तथा अनुसंधान अनुदान प्रदान दिए जाते हैं।

6. आलोच्य वर्ष के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 51 अकादमिक स्टाफ कालेजों (ए.एस.सी.) ने अनुस्थापन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सेमिनार आयोजित करके अध्यापकों का अनन्तिम विकास संवर्धित करने के प्रयास किए। एस.एस.सी. और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केन्द्रों (आर.सी.सी.) को 225 अनुस्थापन कार्यक्रम और 9833 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आबंटित किए गए। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विनिर्दिष्ट वि-य क्षेत्रों में व्यापक और गहन अध्ययन आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखा।

7. विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.), कम्प्यूटर मुक्त पद्धति सुधार कार्यक्रम (सी.ओ.एस.आई.पी.) तथा कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी.ओ.एच.एस.एस.आई.पी.) के अधीन वि.अ.आ. ने उन चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में जहां उन्नत

अकादमिक कार्य की सम्भाव्यता है, मानविकी, बुनियादी विज्ञान तथा समाज विज्ञान विभाग को सुदृढ़ किया।

वार्षिक योजना 2003-04

8. वार्षिक योजना 2003-04 के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रक के लिए 615 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

9. चालू वर्ष 2003-04 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 516.75 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। वर्तमान वर्ष में, वि.अ.आ., विश्वविद्यालयों और कालेजों को, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कैम्पस विकास जैसी अवस्थापना सुधारने के लिए और साथ ही विश्वविद्यालयों और कालेज कैम्पस में इमारतों के निर्माण के लिए, विकास सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। योजना अवधि के दौरान, वि.अ.आ., एक क्रमिक ढंग से कालेजों और विश्वविद्यालयों की इंटरनेट और इन्टरनेट संयोजकता के लिए उपाय करेगा। इसके अतिरिक्त, नए अकादमिक स्टाफ कालेज स्थापित करने के लिए उपाय किए जाएंगे जिससे कि शिक्षण की कोटि में सुधार किया जा सके। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को दिवा देखभाल केन्द्र/ शिशुगृह, महिला होस्टल स्थापित करने के लिए अनुदान दिए जाएंगे जिससे कि महिलाओं के लिए सतत शिक्षा सुकर हो सके। समानता प्रदान करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में आयोग द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों और कालेजों को विशेष-विकास अनुदान दिए जाएंगे।

10. इन्दिरा गांधी रा-द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दसवीं पंच व-र्षीय योजना के दौरान बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2003-04 में आबंटित 67 करोड़ रुपए का परिव्यय "इग्नू" के लिए है, जिसका प्रस्ताव 40 एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित करने का है जो पूर्णतः शिक्षा और विकास के प्रति समर्पित होंगे। वर्ष 2003-04 के दौरान, इलाहाबाद, कोयम्बटूर, लखनऊ, मुम्बई, बंगलौर, विशाखापटनम और भोपाल में स्थापित सात ज्ञान वाणी केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। विस्तारित सी-बैण्ड पर इनसेट-2ए के माध्यम से इग्नू की टेली-कन्फरेन्सिंग भी जारी रहेगी। मध्य-पूर्व देशों सहित 21 देशों में इसके चालू शैक्षिक कार्यक्रम भी जारी रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक दृ-टि से पिछड़े वर्गों को दूरवर्ती शिक्षा सुलभ कराने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में डाउन लिंग सुविधा स्थापित की गई है। इसके अलावा, इन राज्यों में, सिक्किम को मिलाकर, 82 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

11. इग्नू अधिनियम के अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा परि-द, 9 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और 64 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगी।

12. समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर हैं, यथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परि-द (आई.सी.एस.एस.आर.), भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परि-द (आई.सी.पी.आर.), भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परि-द (आई.सी.एच.आर.) आदि ने समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान आयोजित करना जारी रखा। इन संगठनों ने, अलग-अलग विद्वानों व अन्य अधीनस्थ संस्थानों द्वारा अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए।

तकनीकी शिक्षा

13. देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर आयोजन और भे-नज विज्ञान में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस क्षेत्रक ने देश के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

14. दसवीं योजना के दौरान तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में प्रमुख मुद्दे होंगे: अधिकाधिक दाखिला क्षमता; गुणवत्ता, संकाय विकास; नेटवर्किंग के माध्यम से संसाधनों को इ-टतम बनाने; सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास; प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान की कोटि और मात्रा में सुधार; पाठ्यचर्या के आधुनिकीकरण/ विकास; अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग; नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्षमता के विकास; तकनीकी शिक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण ढंग से आयोजना और प्रबंधन तथा अनौपचारिक क्षेत्रक विकास पर सतत रूप से बल देना।

15. दसवीं योजना के दौरान, मा.सं.वि.मंत्रालय ने, तकनीकी शिक्षा की कोटि सुधारने और स्तरों को उन्नत करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्रथमतः, सूचना प्रौद्योगिकी को तकनीकी शिक्षा पद्धति में एकीकृत करने के लिए उपाय किए गए हैं जिससे कि इसकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। दूरवर्ती तथा वेब-आधारित अध्ययन हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी., बंगलौर संयुक्त रूप से माडुलर वेब-समर्थित पाठ्यक्रमों का विकास करेंगे और उन्हें कार्यरत व्यावसायिकों के लिए संकाय विकास तथा सतत शिक्षा पर बल देते हुए दूरवर्ती मोड/ आन-लाइन के जरिए पेश करेंगे। वेब-आधारित अधिगम, आन-लाइन अधिगम, विडियो कन्फरेंसिंग, ई-मेल, सी.डी.-आर.ओ.एम., मल्टी मीडिया आदि के रूप में आई.टी. की मदद से, तकनीकी शिक्षा को बड़ी संख्या में छात्रों को सुलभ बनाया जा सकता है।

16. इसके अतिरिक्त, तकनीकी संस्थान, बायो-टेक्नोलोजी, भूकम्प इंजीनियरी, नानो-प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे नए उभरते प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों पर बल देंगे।

वर्ष 2002-03 की समीक्षा

17. वर्ष 2002-03 में तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 575 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 537.88 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसके बदले 600.47 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

वार्षिक योजना 2003-04

18. वर्ष 2003-04 के दौरान, तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 700 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में 14 रा-ष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और 3 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर, मा.सं.वि. मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने 14 मई 2003 को, एक अधिसूचना जारी की थी।

20. केन्द्रीय सरकार ने इन 17 संस्थानों का पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। इन संस्थानों का योजनागत और योजना-भिन्न व्यय, वित्त वर्ष 2003-04 के बाद से पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

21. ए.आई.सी.टी.ई. के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनमें इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, भे-ज विज्ञान, अनुप्रयुक्त कलाओं और शिल्पों, होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल है। ए.आई.सी.टी.ई. ने, डेलनेट और इरनेट की स्कीमों के माध्यम से तकनीकी संस्थानों की नेटवर्किंग की व्यवस्था करने के लिए उपाय किए। तकनीकी संस्थानों के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग के प्रयोजनार्थ डेलनेट के साथ और ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित तकनीकी संस्थानों की इन्टरनेट संयोजकता की व्यवस्था करने के वास्ते इरनेट के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

22. 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार, 295796 की मंजूरशुदा दाखिला क्षमता के साथ 1057 ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित डिग्री स्तरीय इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान (फार्मसी संस्थानों सहित) और 235507 की मंजूरशुदा दाखिला क्षमता के साथ 1203 डिप्लोमा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान थे। आलोच्य वर्न के दौरान परि-द ने, तकनीकी शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए अनेक स्कीमों का संचलन जारी रखा। इनमें, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के कैरियर विकास हेतु स्कीमें सम्मिलित थीं। संकाय सदस्य, अपनी शैक्षणिक अर्हताएं उन्नत कर सकते हैं, अल्पावधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा और सेमिनार अनुदानों और अध्येतावृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। प्रति मास 12,000/- रुपए की छात्रवृत्ति और प्रति वर्न 25,000/- रुपए के आकस्मिक अनुदान के साथ पचास रा-ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रारम्भ की गई हैं। इन अध्येताओं को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में आर एण्ड डी में अग्रणी व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। कोटि प्रबंधन के साधन के रूप में पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन को प्रोत्साहित और सुदृढ़ किया जाए रहा है। नए उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पी.जी. कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

23. देश में तकनीकी शिक्षा की कोटि में समग्र सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ए.आई.सी.टी.ई. ने बहुत सी स्कीमें संचालित की, यथा आधुनिकीकरण और अप्रचलन को दूर करना। तकनीकी शिक्षा के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र, अनुसंधान तथा विकास, उद्योग संस्थान अन्योन्यक्रिया, भागीदारी प्रको-ठ, उद्यमशीलता प्रबंध विकास, स्टाफ विकास कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम सहित, कोटि सुधार कार्यक्रम, युवा शिक्षकों के लिए कैरियर अवार्ड, अवकाशप्राप्त अध्येतावृत्तियां, व्यावसायिक निकायों को अनुदान, तकनीकी संस्थानों की नेटवर्किंग, ए.आई.सी.टी.ई.-आई.एन.ए.ई. विशि-ट भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप, औद्योगिक सहयोग के साथ इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में रा-ट्रीय सुविधा और शीघ्र संकाय प्रवेश कार्यक्रम आदि।

24. चालू वर्न के दौरान दो नए कार्यक्रम, यथा "भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा के लिए रा-ट्रीय कार्यक्रम" और "तकनीकी शिक्षा में दूरवर्ती और वेब-आधारित शिक्षा के लिए सहायता हेतु रा-ट्रीय कार्यक्रम" शुरू किए गए।

25. एन.पी.ई. 1986 और कार्य-योजना के अनुसरण में, देश में व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थानों में 2002 से अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। अखिल भारतीय आधार पर मा.सं.वि.मंत्रालय द्वारा आयोजित एकसमान प्रवेश परीक्षा - अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) से इन संस्थानों में व्यावसायिक स्तरों के अनुरक्षण में मदद मिलती है।

26. भारत सरकार का विश्व बैंक सहायताप्राप्त तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम 2002 में शुरू किया गया था। वर्तमान वर्न के दौरान, परियोजना का प्रथम चरण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के प्रथम चक्र में, छः राज्यों; हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, और उत्तर

प्रदेश को कवर किया जाएगा। प्रस्ताविक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप हैं: (i) शैक्षणिक उत्कृष्टता विकसित करना; (ii) इंजीनियरी संस्थानों का नेटवर्किंग; (iii) प्रबंध क्षमता विकसित करना। प्रथम चरण के दौरान, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 70 से 80 तक इंजीनियरी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें 18 अग्रणी संस्थान और शे-नेटवर्क संस्थान सम्मिलित होंगे।

भा-नाओं का प्रोत्साहन

27. योजना अवधि के दौरान, संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध सभी भा-नाओं को अनेक केन्द्रीय पहलों के माध्यम से प्रोत्साहित और विकसित किया गया।

वार्निक योजना 2003-04

28. व-र्न 2002-03 में भा-नाओं की स्कीम के लिए 114 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसे सं.अ. स्तर पर कम करके 101.23 करोड़ कर दिया गया था जिसके विपरीत 103.57 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

29. इस क्षेत्रक में केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख स्कीमें हैं: (i) भा-ना शिक्षकों की नियुक्ति, (ii) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, और (iii) मानवीय मूल्यों में शिक्षा।

30. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत व-र्न 2002-03 के दौरान 28.35 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था। इस स्कीम के दो घटक हैं: (क) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों और जिलों में लड़कियों के लिए नए प्राथमिक/अपर प्राथमिक स्कूल/ रिहायशी उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और एन.जी.ओ. को केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है, और (ख) मदरसा आधुनिकीकरण के दूसरे घटक के अन्तर्गत भारत सरकार, चुने गए प्रति मदरसा के लिए दो अध्यापकों के वेतन का वित्तपो-ण करती है। ये अध्यापक, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन जैसे आधुनिक वि-नयों के शिक्षण के लिए होते हैं, इसके साथ ही प्रति मदरसा विज्ञान और गणित किटों की खरीद के वास्ते 7000/- रुपए का एकबारगी अनुदान भी दिया जाता है और 7000/- रुपए का एक अन्य एकबारगी अनुदान पुस्तक बैंक और पुस्तकालयों के लिए दिया जाता है।

31. भा-ना शिक्षकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत व-र्न 2002-03 में 11.50 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था। इस स्कीम के तीन भाग हैं- (क) अ-हिन्दी भा-नी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों के वेतन; (ख) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों/ जिलों में उर्दू अध्यापकों को वेतन (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्धारित); और (ग) संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में आधुनिक भारतीय भा-ना अध्यापकों के वेतनों का वित्तपो-ण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

32. तीसरी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "मानवीय मूल्यों में शिक्षा" के अन्तर्गत, औपचारिक और गैर-औपचारिक स्कूलों में शिक्षा में मूल्य और संस्कृति से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने के लिए तथा कला, शिल्पकला, संगीत और नृत्य में सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकारी एजेन्सियों, पी.आर.आई. पंजीकृत सोसायटियों, सार्वजनिक न्यासों को परियोजनाएं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्री सत्य साईं बाबा उच्च अध्ययन संस्थान, रामकृ-ण मिशन नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा

संस्थान, श्री अरविन्द शिक्षा सोसायटी, चिन्मय मिशन आदि जैसे धार्मिक/ आध्यात्मिक संगठनों को मूल्य शिक्षा में शिक्षकों के लिए संसाधन केन्द्रों के रूप में विनिर्धारित किया गया है।

33. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण और हिन्दी भाषा शिक्षण की नवीनतम प्रौद्योगिकियां विकसित करने में अपने प्रयास जारी रखे। आलोच्य वर्ग के दौरान, अहिन्दी भाषी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्कीम पर अमल किया जाना जारी रहा।

34. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, भाषा शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करके आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण में एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। अंग्रेजी के शिक्षण और अधिगम स्तरों में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार, क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों और विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

35. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो मा.सं.वि. मंत्रालय के अधीन एक विश्वविद्यालयवत् संस्थान है, संस्कृत भाषा के प्रचार और विकास के वास्ते एक शीर्ष निकाय है। संस्थान, विभिन्न स्थानों पर स्थित दस केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से डाक्ट्रेट स्तर तक संस्कृत शिक्षण प्रदान करता है। संस्थान, संस्कृत के प्रोत्साहन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को मानदेय भी अदा करता है।

पुस्तक प्रोत्साहन तथा कापीराइट

वर्ग 2002-03 की समीक्षा

36. वार्षिक योजना 2003-04 के अन्तर्गत पुस्तक प्रोत्साहन और कापीराइट स्कीम के लिए 12 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसके विपरीत 6.80 करोड़ रुपए का परिव्यय खर्च किया गया।

37. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.1986) के अनुसरण में, जिसके अन्तर्गत बच्चों के लिए पुस्तकों की सहज सुलभता की परिकल्पना की गई है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (एन.बी.टी.) की स्थापना की, जो पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के संबंध में एक नोडल एजेंसी है। न्यास ने, लोगों के बीच पढ़ने की आदत प्रोत्साहित और पैदा करने के लिए अनेक पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, स्वैच्छिक संगठनों और प्रकाशक संघों को पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के संबंध में सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान देता है।

38. कापीराइट के अन्तर्गत मूलतः दो स्कीमें हैं:

- (i) बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक आउटरीच स्कीम। स्कीम के अन्तर्गत मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा व्यय प्रत्यक्षतः वहन किया जाता है अथवा वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और कालेजों, कापीराइट सोसायटियों, स्वैच्छिक संगठनों, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार अध्ययन और कापीराइट तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। मा.सं.वि. मंत्रालय और सी.एस.आई.आर. ने

इलाहाबाद, दिल्ली, पुणे, चेन्नई विश्वविद्यालयों और नेशनल लॉ कालेज, बंगलौर में पांच आई.पी.आर. पीठ स्थापित की हैं।

- (ii) "डब्ल्यू.टी.ओ. अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम", उच्चतर शिक्षा संस्थानों को डब्ल्यू.टी.ओ. प्रस्तावों के बारे में अध्ययन आयोजित करने के लिए, तैयार की जा रही है। यह स्मरणीय है कि शिक्षा उन बारह सेवाओं में से एक है जिन पर जी.ए.टी.एस. के तहत बातचीत की जानी है। शिक्षा से सम्बद्ध जी.ए.टी.एस. के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव का अध्ययन करने की जरूरत है जिससे कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी क्षमता और कमजोरियों का अन्दाजा लगाया जा सके ताकि विकसित देशों से आने वाली पेशकश पर समुचित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सके।

39. दसवीं योजना के दौरान सरकार शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए एक नई स्कीम तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत आधारभूत सहायता के लिए 1-2 लाख रुपए की एकबारगी वित्तीय सहायता और उच्च कोटि की पत्रिकाएं और पत्र/ बाल पुस्तकें खरीदने के लिए वार्षिक अनुदान के रूप में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक सहायता स्कूलों को प्रदान की जाएंगी। स्कीम तैयारी के स्तर पर है।

वार्षिक योजना 2003-04

40. वर्ष 2003-04 के दौरान पुस्तक प्रोत्साहन और कापीराइट की उपरोक्त स्कीमों के लिए बारह करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

छात्रवृत्तियां

41. मा.सं.वि. मंत्रालय, रा-ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों की स्कीम क्रमशः 1961-62 और 1971-72 से कार्यान्वित कर रहा है। दसवीं योजना के दौरान दो स्कीमों को मिलाकर एक बना दिया गया है, नामतः रा-ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम, जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया जाता है। दसवीं योजना में रा-ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के लिए 52 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

42. दसवीं योजना में, इन स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की नौवीं योजना में लागू दरों को, नीचे दिए गए विवरणानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

(प्रति मास रुपए)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	विद्यमान दरें (नौवीं योजना)		दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित छात्रवृत्ति की दरें
		दिवा छात्र	होस्टलवासी	
1	XI और XII (अर्थात् +2 स्तर)/ पूर्व-	60	100	300

	विश्वविद्यालय, तीन-वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम आदि पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ग			
2	बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम/बी.आर्कियोलोजी आदि (द्वितीय और तृतीय वर्ग) पाठ्यक्रम	90	140	500
3	बी.ई./बी.टेक./एम.बी.बी.एस./एल.एल.बी./बी.एड./व्यावसायिक तथा इंजीनियरी अध्ययन में डिप्लोमा बी.डी.एस./एम.ए./एमएस.सी./एल.एल.एम./एम.एड./एम.बी.ए.आदि	120	300	1,000
4	VI से X		30	250
5	XI से XII		60	300
6	होस्टलों में रहने वाले छात्र		100	लागू नहीं* *दिवा छात्रों और होस्टलवासियों के बीच वर्गीकरण को दसवीं योजना में समाप्त कर दिया गया।

आयोजना और प्रशासन

43. वार्षिक योजना 2002-03 के अन्तर्गत 7 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था जिसके विपरीत 5.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इस क्षेत्रक में मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं जिनमें यूनेस्को, नीपा और ओरोविले प्रबंधक मंडल को अनुदान देना शामिल है।

44. राज्य स्तर पर सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 33.50 करोड़ रुपए के दसवीं योजना परिव्यय और 2003-04 के दौरान एक करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की जा रही है। शैक्षिक सांख्यिकी की विद्यमान पद्धति, कोटि, व्यापकता और समय की पाबन्दी की दृष्टि से अपर्याप्त है। स्कीम के अन्तर्गत, एक कम्प्यूटरीकृत विकेन्द्रीकृत योजना तंत्र से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्णीत विभिन्न संकेतकों के संबंध में शैक्षिक डाटा का संकलन और विश्लेषण करना सुनिश्चित हो सकेगा। यह स्कीम डाटा को हाथ से प्रसंस्करित करने की विद्यमान स्कीम का स्थान लेगी।

45. संलग्नक I में प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (केन्द्रीय क्षेत्रक) की वर्ग 2002-03 और 2003-04 की स्कीमों के व्यय/परिव्यय का विवरण दिया गया है (पूर्व में अनुमोदित)।

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कीमों का परिव्यय और व्यय - केन्द्रीय क्षेत्रक

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	नौवीं योजना (1997-2002) अनु. परिव्यय	2000-2001 वास्तविक व्यय	2001-02		2002-03 अनुमोदित परिव्यय
				अनुमोदित परिव्यय	31.3.2002 को प्रमाणित निधियां*	
1	2	3	4	5	6	7
क1	प्रारम्भिक शिक्षा	16369.59	3117.39	3800.00	3569.16	4667.00
2	प्रौढ़ शिक्षा	630.39	108.16	200.00	174.00	233.00
	जोड़ (क)- प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	16999.98	322.55	4000.00	3743.16	4900.00
बी1	माध्यमिक शिक्षा	2603.49	554.08	643.70	615.39	719.00
2	विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	2500.00	497.55	575.00	544.73	615.00
3	भा-ना विकास	324.45	73.00	104.30	86.75	114.00
4	छात्रवृत्तियां	25.32	0.65	3.00	0.05	8.00
5	पुस्तक प्रोत्साहन	16.25	3.51	12.00	13.74	12.00
6	आयोजना और प्रशासन	65.38	6.44	7.00	4.18	7.00
7	तकनीकी शिक्षा	2373.51	494.00	575.00	552.08	650.00
	जोड़ (ख)- माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग	7908.40	1629.23	1920.00	1816.92	2125.00
	कुल जोड़ (क+ख)	24908.38	4854.78	5920.00	5560.08	7025.00

4.4 युवा मामले और खेल

हमारे देश के संदर्भ में, एक विशिष्ट समूह के रूप में युवाओं के अन्तर्गत वे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जो 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, इस आयु-वर्ग में लगभग 400 मिलियन युवा थे, जिनमें से लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वर्ष 2016 तक इस संख्या के और बढ़कर 510.00 मिलियन तक हो जाने की सम्भावना है। युवा वर्ग, समाज का एक कम्पायमान और महत्वपूर्ण घटक है जिनका उपयोग रा-ट्र के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए। अपना व्यक्तित्व और कार्यात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनके वास्ते अवसर पैदा करने की जरूरत है जिससे वे न केवल आर्थिक रूप से उत्पादक बनेंगे बल्कि सामाजिक रूप से भी उपयोगी बनेंगे। विस्तृत क्षेत्र कवर करने के लिए बड़े पैमाने पर ऐसे अवसर सृजित किए जाने की जरूरत है। युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए और उनमें अनूठे तथा देशभक्तिपूर्ण मूल्य पैदा करने हेतु योजना आयोग ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनेक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

2. दसवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने 1825.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसमें से 677.64 करोड़ रुपए युवा कार्यक्रमों के लिए और 1145.36 करोड़ रुपए खेल-कूद के लिए तथा 2.00 करोड़ रुपए कार्यालय के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण हेतु हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान 261.45 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय के विपरीत वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 285.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 106.98 करोड़ रुपए की राशि युवा ब्यूरो के लिए और 177.76 करोड़ रुपए खेल-कूद के लिए थे, इसके अतिरिक्त 0.35 करोड़ रुपए प्रशासन और सचिवालय सेवाओं के लिए थे। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 385.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से 121.98 करोड़ रुपए युवा कल्याण के लिए 262.67 करोड़ रुपए खेलों के लिए और 0.35 करोड़ रुपए प्रशासन तथा सचिवालय सेवाओं के लिए हैं।

3. नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, देश में 500 जिलों में कार्यालय हैं। यह विश्व में एक सबसे बड़ा ग्रासरूट स्तरीय संगठन बन गया है, जो 1.89 लाख ग्राम-आधारित युवा-क्लबों के माध्यम से नामांकित 8 मिलियन से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की जरूरतें पूरा कर रहा है। एन.वाई.के.एस. ने ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक क्षमताओं को अद्यतन बनाने व उनमें सुधार करने के लिए 7687 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे कि वे अपनी आय को विद्यमान पेशों से बढ़ा सकें। इस कार्यक्रम से 216281 युवा लाभान्वित हुए। 2002-03 के दौरान 1340 जागरूकता सृजन कार्यक्रम, 1235 कार्य शिविर आयोजित किए गए।

4. एन.वाई.के.एस. ने स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना कार्यान्वित की है, जो देश के नौ राज्यों के 14 जिलों में चुनिन्दा 1400 गांवों में एक ग्रामीण युवा पहल है। आशा है कि इस स्कीम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 14000 गरीब लोग लाभान्वित होंगे। दीन दयाल उपाध्याय स्वाभिमान योजना, ग्राम वार्ता साधन, रा-ट्रीय पुनर्निर्माण कोर, तेन्जिंग नोरगे साहस शिविर, रा-ट्रीय युवा सहकारी सोसायटी, कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, तम्बाकू उन्मूलन कार्यक्रम, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान आयोजित किए गए।

5. रा-ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.), जो एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर प्रमुख रूप से बल देते हुए, कार्यान्वित की जा रही है। आजकल एन.एस.एस. के अन्तर्गत 19 लाख छात्र स्वयंसेवक हैं जो 176 विश्वविद्यालयों और 22 उच्च माध्यमिक स्कूलों में फैले हैं। स्कीम की शुरुआत से अब तक, विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से 2.51 करोड़ से अधिक छात्र एन.एस.एस. कार्यकलापों से लाभान्वित हुए हैं। एन.एस.एस. स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सर्वाधिक अनुठा कार्यक्रम एच.आई.वी./ एड्स जागरूकता के क्षेत्र में है। विश्वविद्यालय वार्ता एड्स (यू.टी.ए.) कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवक लाखों छात्रों और सामान्य जनता को एच.आई.वी./एड्स के खतरों के बारे में संवेदी बनाने में सफल हुए हैं।

6. ग्रामीण युवाओं की भागीदारी और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रस्ताव है कि युवा विकास केन्द्र, सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में और युवाओं के लिए एक किस्म के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करे। वर्तमान वित्त वर्ष में 500 वाई.डी.सी. का स्तरोन्नयन किया जाएगा जिससे कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं की जरूरतों के संबंध में सार्थक रूप से आई.टी. केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें।

7. युवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रोत्साहन पर बल के साथ नेहरू युवा केन्द्र और रा-ट्रीय सेवा स्कीम का बड़े पैमाने पर विस्तार करने पर बल दिया जाता है। देश के सभी जिलों को कवर करने और देश में 6 लाख गांवों के कम से कम 50 प्रतिशत को कवर करने के लिए युवा क्लब अभियान को सुदृढ़ करके युवाओं को जुटाने तथा सामर्थ्यवान बनाने के उद्देश्य से एन.वाई.के.एस. का विस्तार किया जाएगा। देश के 5000 ब्लॉकों में से प्रत्येक में युवा विकास केन्द्रों (वाई.डी.सी.) का विस्तार किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा ब्यूरो की विभिन्न स्कीमों को ऐसे ढंग से एकीकृत किया जाना चाहिए कि युवाओं की शक्ति का उपयोग करने और उन्हें विकास कार्यकलापों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाए। क्योंकि किशोरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए किशोरों के लिए कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, भावात्मक परामर्श, शिविरों और कार्यशालाओं के क्षेत्रों में कुछ नए हस्तक्षेपणीय उपायों पर विचार करना होगा जिससे कि उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण आदि की समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जा सके। युवाओं के विकास के लिए सरकार और एन.जी.ओ. क्षेत्रक का एक नेटवर्क निर्मित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8. युवाओं के कतिपय वर्ग ऐसे हैं जो शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रकार की विकलांगताओं और बाधाओं से पीड़ित हैं। यह वांछनीय है कि उनके संबंध में सुविधाओं और सेवाओं का युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा ब्यूरो द्वारा सभी युवा सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध में एक नोडल ब्यूरो के रूप में, समन्वयन, प्रचार और मानीटरन किया जाना चाहिए।

खेल

9. शून्य-आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया के फलस्वरूप, युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल ब्यूरो की सभी योजनागत स्कीमों को छः छत्र स्कीमों के रूप में मिला दिया गया था।

10. स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल, और योग की जरूरत और महत्व अनिवार्य है जिससे कि वैयक्तिक उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। सामाजिक सामन्जस्य और अनुशासन प्रोत्साहित करने के लिए क्षमता सृजित करने के एक उपाय के रूप में खेलों का मूल्य विश्व भर में सभी लोग मानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बुनियादी मुद्दा इस तथ्य को गम्भीर रूप से समझना है कि खेलों और शारीरिक शिक्षा पर बल दिए बगैर कोई शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। नई खेल नीति के अन्तर्गत,

खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठता की प्राप्ति और आधुनिक खेल-आधारित ढांचे की व्यवस्था करने, हमारे प्रशिक्षक भाइयों की क्षमताओं के उन्नयन, खेल संगठनों के कामकाज को और सुचारु बनाने, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और ग्रामीण युवाओं की और अधिक भागीदारी और खेल प्रोन्नयन में निगमित क्षेत्रक की हिस्सेदारी की भी परिकल्पना की गई है। रा-ट्रमण्डल खेलों में, जो 25 अगस्त से 4 सितम्बर 2002 तक मेनचेस्टर में आयोजित हुए थे, भारत ने 69 पदक जीतकर (30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य) चौथा स्थान प्राप्त किया।

11. भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.), युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और मंत्रालय की कुछेक स्कीमें कार्यान्वित करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए दसवीं योजना आबंटन 482.28 करोड़ रुपए और वार्षिक योजना, 2002-03 के लिए परिव्यय 88.23 करोड़ रुपए है, जिसमें पूर्वोक्त घटक का प्रावधान सम्मिलित नहीं है, जो 10.23 करोड़ रुपए था। दसवीं योजना के दौरान एस.ए.आई. के लिए इस तथ्य की वजह से एक बढ़े हुए बजट की व्यवस्था की गई थी कि बड़ी संख्या में आधारभूत परियोजनाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना थी।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

12. पूरे देश में बुनियादी खेल अवस्थापना का एक नेटवर्क स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। सृजन से भी अधिक, आधारभूत ढांचे की सुलभता प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार की भूमिका, आधारभूत ढांचा निर्मित करने और खेलों को एक व्यापक आधार प्रदान करने के वास्ते क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और साथ ही रा-द्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने की भी है। प्रतिस्पर्द्धात्मक खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए आधुनिक उपस्करों और यंत्रों की व्यवस्था किए जाने की जरूरत है।

13. वार्षिक योजना 2001-02 में 178.46 करोड़ रुपए के व्यय के विपरीत 2002-03 के दौरान खेलों के लिए 177.67 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी; वार्षिक योजना 2003-04 के लिए देश में खेलों के विकास हेतु 262.67 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

14. सामान्य जनता के लिए पर्याप्त खेल-कूद आधारिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, उनके आस-पड़ोस में, स्कूलों और कालेजों में खेल आधारिक ढांचा सृजित किया जाएगा। सभी शहरी निकायों को, जब भी नई कालोनियां स्थापित की जाएं, खेल मैदानों के लिए खुली जगह विनिश्चित करनी चाहिए। खेल मैदानों को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक परिसरों में बदलने पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। ग्राम से राज्य स्तर तक खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने का कार्य युवाओं को शामिल करके तथा सभी शिक्षा संस्थानों में योजनाबद्ध खेल कार्यक्रम आयोजित करके, किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को शामिल करके ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमलाप प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर प्रतिभावान लड़कों और लड़कियों को दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षण के लिए मानक कोटि का खेल उपस्कर और अपना नि-पादन सुधारने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

4.5 स्वास्थ्य

व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना देश में सामाजिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में एक प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है। यह जनसंख्या के अल्प-सेवित और अल्प-सुविधाप्राप्त घटकों पर विशेष बल के साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पो-नाहार सेवाओं के उपयोग और उनकी सुलभता में सुधार के जरिए प्राप्त किया जाना था। पिछले पांच दशकों के दौरान, भारत ने सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में विशाल स्वास्थ्य अवस्थापना और जनशक्ति का निर्माण किया है। लोगों को, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम, शीघ्र निदान, कारगर उपचार की स्वास्थ्य सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों और साथ ही पुनर्वास के लाभों और सुलभतापूर्वक उपलब्ध सेवाओं की जानकारी हो गई है। स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों तक सुलभता, जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली और अमल किए जाने में सहज हैं, में सुधार और प्रौद्योगिकीय प्रगति के फलस्वरूप 1950 और 1990 के बीच मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता और उपयोग की सीमा में राज्यों, जिलों और समाज के विभिन्न घटकों के बीच काफी भिन्नता थी; जो काफी सीमा तक, लोगों के स्वास्थ्य सूचकों में राज्यों के बीच बड़ी भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार है।

2. 1990 के दशक के दौरान, मृत्यु दर अधित्यका पर पहुंच गई; देश ने दोहरे बीमारी भार के युग में प्रवेश किया। एक ओर संचारणीय रोग हैं जिनका मुकाबला करना, वेक्टरों के बीच कीटनाशी रोध, बहुत से बेक्टीरिया में एन्टीबायोटिक्स के प्रति रोध और एच.आई.वी. जैसी नई बीमारियों के कारण, जिनका कोई उपचार नहीं है, कठिन हो गया है; दूसरी ओर बढ़ते हुए आयुकाल और जीवनशैली में परिवर्तन के फलस्वरूप गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हुई है। अल्प-पो-ण और सूक्ष्म पो-णिक कमियां तथा सम्बद्ध स्वास्थ्य समस्याएं, मोटोपे की बढ़ती विद्यमानता और जीवन शैली सम्बद्ध गैर-संचारी रोगों के साथ-साथ मौजूद हैं। पिछले युग के विपरीत, निदान और उपचार की प्रौद्योगिकियां अधिकाधिक जटिल होती जा रही हैं तथा खर्चीली हैं। नई स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों की क्षमता तथा जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के बारे में बढ़ती जागरूकता ने, जो संभव है और जिसे व्यक्ति, संस्थान अथवा देश वहन कर सकता है, के बीच विज्ञान संबंधी अन्तर को बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे देश जनांकिकीय और महामारी विज्ञान संबंधी संक्रमण से गुजर रहा है, संभावना है कि वर्तमान स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने के लिए भी स्वास्थ्य में बड़े निवेश की जरूरत होगी, क्योंकि रोधी संक्रमणों और संचारी रोगों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी खर्चीली है और इससे अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल लागतों में वृद्धि होगी।

3. स्वास्थ्य पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- * स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थान, जिनका प्रबंध चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिक करते हैं।
- * आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षित करने तथा अपेक्षित अकादमिक इनपुट प्रदान करने के लिए मेडिकल कालेज और अर्ध-व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
- * केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर वर्तमान कार्यक्रमों का प्रबंध करने वाले कार्यक्रम प्रबंधक।
- * एच.एम.आई.एस.-डाटा संग्रहण, समन्वय, विश्लेषण और प्रतिक्रिया की दोहरी पद्धति।

4. ये चारों घटक उचित रूप से जुड़े हुए नहीं हैं और पद्धति के एक ससंजक के रूप में कार्य नहीं करते। सरकारी, सार्वजनिक और स्वैच्छिक क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय पद्धति विरोधाभास में जकड़ी है, जहां निम्नलिखित समस्याएं हैं:

- * अस्पतालों की बड़ी संख्या किन्तु बहुत कम ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान हैं जहां रुग्णता अधिक है।
- * सरकारी, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्रक में अस्पतालों में समुचित जनशक्ति, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाएं और औ-धियां नहीं हैं।
- * नि-पादन में विशाल अन्तर - राज्य/अन्तर-जिला/ शहरी-ग्रामीण भिन्नताएं हैं।
- * राज्यों/ जिलों में सर्वाधिक जरूरतमंद दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग सबसे कम है।
- * बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य जनशक्ति - बहुत से अल्प रोजगार-प्राप्त और कुछ बेरोजगार - फिर भी अयोग्य व्यक्ति व्यवसाय चलाते हैं।
- * औ-धियों और निदान सुविधाओं पर विशाल राशि खर्च की जाती है किन्तु कुछ स्थानों पर अप्रयुक्त औ-धियों का ढेर और अन्यो में उचित निदान व्यवस्था और औ-धियों का अभाव।
- * प्रत्येक स्तर पर देखभाल और रेफरल के संबंध में सुपरिभाषित मानदण्डों का अभाव।
- * प्राथमिक देखभाल कार्मिकों को गेटकीपर की जिम्मेदारी नहीं सौपी जाती; रेफरल किए गए उनके मामलों का सम्मान नहीं किया जाता।
- * कुछेक अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ और कुछ की सेवाएं अप्रयुक्त रहती हैं।

5. अधिकांश द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों में अच्छी सुविधाएं हैं और दक्ष स्टाफ है, किन्तु उन्हें बदलती स्वास्थ्य देखरेख जरूरतों, प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति, उपस्कर के अप्रचलन और स्टाफ की जल्द अदला-बदली के कारण, संस्थानों को चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लागतों को नियंत्रित करने और स्व-सम्पो-नक होने बनाम सामाजिक जिम्मेदारी उठाने की विरोधाभासी अनिवार्यताएं तथा श्रम व उपभोक्ता मुकदमेबाजी से निबटने का, जैसे कि वह एक उद्योग हो, सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. विश्व भर में यह माना जाता है कि भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अत्यंत कुशल, दक्ष और प्रतिबद्ध होते हैं। किन्तु स्वास्थ्य देखभाल में तीव्र उन्नति को देखते हुए, इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि सी.एम.ई., औ-धियों के युक्तिपूर्ण उपयोग और बीमारियों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉलों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करें। प्रभावी तथा किफायती ढंग से कार्य करने के लिए उन्हें जटिल बीमारियों के लिए देखभाल चाहने वाले मरीजों को पर्याप्त स्टाफ और अवस्थापना वाले संस्थानों को रेफर करने व उनकी जांच-पड़ताल करने की एक पद्धति का पालन करने की जरूरत है।

7. सभी स्वास्थ्य और जनांकिकीय सर्वेक्षणों से प्राप्त डाटा से पता चलता है कि लोग जिम्मेदार और युक्तिसंगत हैं तथा समुचित स्वास्थ्य देखभाल चाहने की महत्ता के प्रति अधिकाधिक जागरूक हैं; वे स्वास्थ्य शिक्षा संदेशों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाने में धीमे हो सकते हैं किन्तु उनकी प्रतिक्रिया संधारणीय होती है। वे स्वास्थ्य के लिए और उस पर निवेश करने और सस्वास्थ्य देखभाल की सुलभता और लागत के बारे में उपलब्ध अल्प-सूचना के बावजूद उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक होते हैं। किन्तु वे इस बात से अधिकाधिक चिन्तित हैं कि बीमारियों का निदान और प्रबंधन अधिकाधिक जटिल और खर्चीला होता जा रहा है; पारिवारिक डाक्टर, जो परिवार को समुचित देखभाल की उपलब्धता के बारे में गाइड करता था, अब उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल का वाणिज्यिकरण होने से उन्हें घटिया स्तर की देखभाल, प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग की समस्याओं और गरीब मरीजों के शो-नण की आशंका रहती है।

स्वास्थ्य पद्धति सुधार

8. एक उप-इ-टतम स्तर पर काम करने वाली स्वास्थ्य देखभाल पद्धति और लोगों का स्वास्थ्य स्तर सुधारने के लिए अपर्याप्त निवेश की समस्याओं को देखते हुए नौवीं योजना में निम्नलिखित पर बल दिया गया:

- बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा करना, और बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य के संबंध में सार्वजनिक, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं तथा साथ ही जनता की खुद की प्रतिक्रिया का जायजा लेना;
- स्वास्थ्य देखभाल का पुनर्गठन और पुनर्संरचना जिससे कि वे एक कुशल तथा प्रभावी बहु-व्यावसायिक स्वास्थ्य पद्धति के समेकित घटक के रूप में कार्य कर सकें;
- ऐसे स्वास्थ्य सुधार लागू करना जिनसे सभी के लिए निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सुलभता सुनिश्चित हो सके और लोगों को वहनीय लागत पर अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो सके।

स्वास्थ्य पद्धति में सुधार में कौन पणधारी हैं

राज्य - क्योंकि स्वास्थ्य राज्य विनय है।
केन्द्र - क्योंकि सी.एस.एस. के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक सक्षम राज्य स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की जरूरत है।
स्वास्थ्य देखभाल संस्थान - क्योंकि वे परिभाषित मानदण्डों के अनुसार कार्य कर सकते हैं।
स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता - क्योंकि उन्हें आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक जरूरतें प्राप्त होंगी।
लोग - क्योंकि उन्हें वहनीय लागत पर अच्छी कोटि की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है।

9. दसवीं योजना ने नौवीं योजना अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए चालू सुधार प्रक्रियाओं को व्यापक व कारगर बनाने की सिफारिश की। कोटि नियंत्रण पद्धतियों पर अमल करने की जरूरत पर बल दिया गया जिनसे यह सुनिश्चित हो कि रोगियों को समुचित देखभाल प्राप्त हो, लागत अत्यधिक न हो और उसके साथ ही डाक्टरों को मुकदमेबाजी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो।

10. स्वास्थ्य पद्धति सुधार मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- * संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, जिनका उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना है;
- * वित्तीय, जिनका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों में सुधार करना है; और
- * अधिशासन सम्बद्ध, जिनका उद्देश्य कोटि सुधारना तथा पारदर्शिता व जवाबदेही पैदा करना है।

परिकल्पना की गई है कि सरकारी क्षेत्रक पद्धति सुधार के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

संरचनात्मक सुधार

- * प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक देखभाल स्तरों पर आई.एस.एम. एण्ड एच. सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे सहित, विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल संरचना का पुनर्गठन और पुनर्संरचना, जिससे कि एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करने की उनकी जिम्मेदारी हो और उनका एक-दूसरे के साथ समुचित रेफरल संयोजन हो।

- * आई.एस.एम. एण्ड एच. जनशक्ति और ढांचे को मुख्य ढांचे के साथ जोड़ना जिससे कि वे अपनी पद्धति के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल सुलभता में सुधार कर सकें और रा-ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों को सलाह और अनुवर्ती देखभाल प्रदान करने में भी मदद कर सकें।

कार्यात्मक सुधार

- * मानव संसाधन विकास
 - बढ़ती/बदलती स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित दक्षताओं और अभिवृत्तियों के साथ, पर्याप्त संख्या में।
 - सी.एम.ई. के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रदानकर्ताओं का दक्षता स्तरोन्नयन - विद्यमान स्वास्थ्य जनशक्ति की पुनःतैनाती जिससे कि वे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर विद्यमान तथा उभरती स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दे सकें।
- * वर्तमान ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों का समानान्तर एकीकरण, जिसमें आपूर्ति, मानीटरन, आई.ई.सी., प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था शामिल है।
- * जरूरत और उपयोग के आधार पर औ-धियों, टीकों और उपभोज्यों की आपूर्ति की एक सुचारु तथा प्रभावी संभारतंत्रीय पद्धति का निर्माण।
- * पूर्ण रूप से कार्यात्मक सही रिपोर्टिंग पद्धति, जिससे कि विद्यमान अवस्थापना के अन्दर सेवा प्रणालियों के माध्यम से वर्तमान कार्यक्रमों से संबंधित डाटा, जन्म, मृत्यु, बीमारियों के बारे में डाटा सुलभ हो सकें; इन रिपोर्टों का मानीटरन और मूल्यांकन तथा उचित मध्यावधि सुधार जिला स्तर पर किए जाएंगे।
- * विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत और उनके एक अंग के रूप में जिला, राज्य और रा-ट्रीय स्तर पर रोग निगरानी और प्रतिक्रिया की एक कारगर पद्धति का निर्माण।

अधिशासन सम्बद्ध

- * देश में कोटि नियंत्रण पद्धति लागू करना जिससे:
 - सुविधाओं के अधिक उपयोग, अल्प उपयोग, कु-प्रयोग और दुरुपयोग की रोकथाम हो।
 - प्रभावशीलता और कार्यकुशलता में सुधार हो।
 - सकारात्मक परिणामों की अधिक संभावना में मदद मिले।
 - संसाधनों के प्रभावी और जिम्मेदाराना उपयोग में मदद मिले।
 - देखभाल स्तरों को जरूरत स्तरों के साथ सुमेलित करके विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त देखभाल में आने वाली बाधाएं न्यूनतम करना।
 - स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही पैदा करना और यह सुनिश्चित करना कि निवेश किए गए प्रत्येक रुपए का अधिकतम उपयोग हो।
- * देखभाल के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति लागू करना जो कि परिमाणनीय निर्धारकों और घटकों पर आधारित हो जैसेकि आधारिक तंत्र/ जनशक्ति, निदान और उपचार के लिए प्रक्रियाएं, सुरक्षा और हस्तक्षेपणीय उपाय की सामयिकता, मामले में मृत्यु, विकलांगता और देखभाल की लागत जैसे परिणाम।

- * ऐसे अनेक व्यापक विनियम लागू करना जिनमें अर्हताप्राप्त स्टाफ की न्यूनतम अपेक्षाएं, विशेष-ज्ञतापूर्ण हस्तक्षेपणीय उपाय कार्यान्वित करने के लिए स्थितियां तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिए सुस्थापित क्रियाविधियों का एक सैट निर्धारित किया गया हो।
- * विभिन्न बीमारियों की देखभाल के संबंध में मानक प्रोटोकॉल विकसित करना; प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल पद्धतियों के स्तर पर - सरकारी क्षेत्रक अस्पताल, मेडिकल कालेज, व्यावसायिक एसोसिएशन इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।
- * देखभाल के विभिन्न स्तरों पर बड़ी और छोटी बीमारियों के लिए निदान और उपचार प्रक्रियाओं की लागत तय करना तथा देखभाल मानदण्डों की लागत निर्धारित करना।
- * कोटि आश्वासन और समाधान तंत्र, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अस्पतालों के लिए एक नागरिक चार्टर तैयार किया जाएगा।
- * पंचायती राज संस्थानों को अधिकारों का समुचित प्रत्यायोजन जिससे की अनुपस्थिति और घटिया नि-पादन की समस्याओं का स्थानीय रूप से समाधान हो सके और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक एक प्रभावी टीम के रूप में कार्य करें।
- * वर्तमान कार्यक्रमों के आयोजन और मानीटरन में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना तथा सेवाओं के इ-टतम उपयोग हेतु समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- * इस संबंध में जानकारी की बेहतर सुलभता कि किस प्रकार की और कहां पर तथा कितनी लागत पर सेवाएं उपलब्ध हैं।

वित्तीय सुधार

- * व्यक्तियों को उनकी जरूरत के आधार पर और न कि अदा करने की उनकी क्षमता के आधार पर अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, आपातक जीवन रक्षक सेवाएं, रा-ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा रा-ट्रीय पिरवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन सेवाएं बिलकुल मुफ्त सुलभ कराने के प्रति सतत प्रतिबद्धता।
- * गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त सेवा प्रदान करने के साथ, गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार आरोपित करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार, परीक्षण और कार्यान्वित करना।
- * सरकार वित्तपोनित विद्यमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार और कार्यान्वित करना।

स्वास्थ्य पद्धति सुधार जिनके संबंध में वर्तमान वर्-न के दौरान रिपोर्ट की गई

11. योजना आयोग, वार्षिक योजनाओं और केन्द्रीय मंत्रालयों/ राज्यों की त्रैमासिक नि-पादन समीक्षाओं के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारों में प्रगति की समीक्षा करता है और उनके अनुभवों को अन्यो के साथ बांटने में मदद करता है। प्राप्त प्रगति के सारांश की रिपोर्ट प्रत्येक वर्-न वार्षिक योजना प्रलेखों में की गई है। इस वर्-न, राज्यों/ केन्द्र ने दो प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की रिपोर्ट की: स्वास्थ्य पद्धति सुधारने में आई.टी. का प्रयोग और निम्न तथा मध्यम आय समूहों की अस्पताल में भर्ती होने की लागत वहन करने में मदद करने के वास्ते निम्न लागत वाला स्वास्थ्य बीमा लागू करना। इन दोनों के बारे में कुछ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

स्वास्थ्य पद्धति सुधारने में आई.टी. का उपयोग

12. एक व्यापक एच.एम.आई.एस. निर्मित करने के लिए इस समय उपलब्ध आई.टी. साधनों का उपयोग करने तथा स्वास्थ्य प्रणाली की कार्यकुशलता और कार्यात्मक स्थिति सुधारने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरे देश में एक कारगर दो-तरफा प्रबंधन सूचना पद्धति का निर्माण किया जाए। इस पद्धति के माध्यम से सभी जिलों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्र, समन्वित और उनकी रिपोर्ट की जाएगी। इससे, जन्म, मृत्यु, बीमारियों, औ-नाधियों, निदान और उपस्कर, जनशक्ति और निधियन के लिए अनुरोध और विद्यमान ढांचे के अन्दर सेवा पद्धतियों के माध्यम से वर्तमान कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में आंकड़े उपलब्ध होंगे। इन रिपोर्टों के मानीटरन और मूल्यांकन का काम तथा समुचित मध्यावधिक उपाय जिला स्तर पर किए जाएंगे। इससे विकेन्द्रीकृत जिला-आधारित आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरन भी सुकर होगा।

13. दक्षता और जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए सामग्री की सहज सुलभता सुनिश्चित करने के निमित्त सी.एम.ई. कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध आई.टी. साधनों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ राज्यों में मरीजों को निदान के लिए अस्पताल तक ले जाने की समस्या को न्यून करने और प्रबंधन के संबंध में सलाह के बारे में और सेवाओं की कोटि सुधारने के लिए, अर्ध-व्यावसायिकों और डाक्टरों, और डाक्टरों तथा विशेषज्ञों के बीच आन-लाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

14. आन्ध्र प्रदेश में, गहन मच्छर वाली स्थितियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने और मच्छर प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने के वास्ते दूरवर्ती संवेदन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

15. पी.एच.सी. और एफ.आर.यू. के बीच तथा एफ.आर.यू., जिला अस्पतालों और तृतीयक देखभाल संस्थानों के बीच टेलीफोन संयोजन कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तृतीयक/सुपर-विशे-ज्ञता देखभाल संस्थानों के बीच टेली-मेडिसिन परामर्श पर भी अमल किया जा रहा है। किए जा रहे कुछेक प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

- * उड़ीसा - प्रत्येक गांव में टेलीफोन संयोजन कायम किया जा रहा है और उन्हें ब्लाकों के साथ, जहां कहीं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, जोड़ा जा रहा है। जहां कहीं कोई विशेषज्ञ विशेष-आपातिक देखभाल के लिए उपलब्ध होगा, इस संबंध में ब्लाक स्तरीय पी.एच.सी. में नेट पर जानकारी उपलब्ध रहती है। उड़ीसा में तीन मेडिकल कालेजों को एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ से उपग्रह-आधारित टेली-पद्धति द्वारा जोड़ा गया है।
- * एस एण्ड टी प्रभाग एन.ई.सी. ने, पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच तथा राज्य के अन्दर व राज्य से बाहर के चुनिन्दा संस्थानों के साथ वीडियो कन्फरेन्सिंग संयोजन का प्रस्ताव किया है। क्षेत्र के व्यावसायिकों और अर्ध-व्यावसायिकों को एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ से टेली-मेडिसिन में प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
- * उत्तरांचल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के बीच टेलीफोन संयोजन कायम कर रहा है; 10 प्रतिशत गांवों को एस.आई.पी. परियोजना के तहत पहले ही जोड़ा जा चुका है। एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ, "उत्तरांचल टेली स्वास्थ्य नेटवर्क" विकसित करने और देहरादून अस्पताल के लिए एच.एम.आई.एस. डिजाइन करने में राज्य सरकार की मदद कर रहा है।

- * उत्तर प्रदेश - एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ, निकटवर्ती राज्यों की टेली-मेडिसिन अवस्थापना विकसित करने में मदद देने के अलावा, पिथोरोगढ़ अस्पताल से भी जुड़ा था और इसने प्रयोगात्मक आधार पर कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को टेली-मेडिसिन कवरेज प्रदान किया। यह, विभिन्न वि-यों में टेली-मेडिसिन सी.एम.ई. भी आयोजित करता है।
- * तमिलनाडु - सेलम और नामाक्कल जिलों में सभी ब्लॉक पी.एच.सी. कम्प्यूटरों के साथ जुड़े हैं: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपयोगार्थ साफ्टवेयर विकसित किया गया है तथा उसका प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है; और राज्य का प्रस्ताव सभी पी.एच.सी. व एफ.आर.यू. स्टाफ को एच.एम.आई.एस. पर और कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षित करने का है।
- * आन्ध्र प्रदेश - राज्य में एक एकसमान शुल्क-मुक्त संख्या वाली एक अन्योन्यक्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया पद्धति, टेली-काउन्सिलिंग, एच.आई.वी./एड्स मरीजों को परामर्श प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।
- * अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह ने सभी गांवों को निकटतम उप-केन्द्र के साथ, उप-केन्द्रों को निकटतम पी.एच.सी. के साथ, पी.एच.सी. को निकटतम सी.एच.सी. के साथ और सी.एच.सी. को जिला अस्पतालों के साथ, टेलीफोनिक संयोजनों के साथ, जोड़ने का निर्णय किया है। रोगी/ उप-केन्द्र में तैनात ए.एन.एम., बीमारी के प्रबंधन के संबंध में सलाह लेने के वास्ते डाक्टर से टेलीफोन पर सम्पर्क कर सकते हैं। एक भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए टेली-संयोजन के माध्यम से, पी.एच.सी. को रेफरल अस्पताल से जोड़ने और पोर्ट ब्लेयर में शहरी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के अल्प-उपयोग पर भी विचार किया जाएगा।
- * लक्षद्वीप ने, जटिल मेडिकल समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के वास्ते मुख्य भूमि के साथ टेली-मेडिसिन संयोजन कायम किया है। इन संयोजनों का उपयोग, मेडिकल और अर्ध-मेडिकल स्टाफ की, विशेष रूप से क्षेत्र में स्थानीय तौर पर विद्यमान समस्याओं के बारे में, जानकारी और दक्षता को अद्यतन बनाने के वास्ते आवधिक सी.एम.ई. आयोजित करने के लिए भी किया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा के संबंध में किए जा रहे उपाय

16. दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि केन्द्र और राज्य, विभिन्न आय वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण के संबंध में एक उचित स्कीम तैयार, कार्यान्वित और उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। चिरकालिक बीमारियों के उपचार/ अस्पताल में भर्ती होने के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों को कम करने के लिए एक पद्धति के तौर पर स्वास्थ्य बीमा का सुझाव दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए अनिवार्य अस्पतालीकरण लागतों को वहन करने के लिए सामाजिक बीमा के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुछेक उपाय हैं:

- * केरल ने, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की अस्पतालीकरण लागत वहन करने के लिए, व्यक्ति, राज्य और पी.आर.आई. के अंशदान से एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम का प्रस्ताव किया है, जिसे कुटुम्बश्री स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।
- * दिल्ली में, सरकार द्वारा वित्तपोषित एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम "आरोग्य निधि" शुरू की जा रही है। सरकार का प्रस्ताव, सरकारी संस्थानों में द्वितीयक देखभाल के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की योजना है।

- * आन्ध्र प्रदेश में एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत, बन्धीकरण स्वीकारकर्ता और उसके दो बच्चों के लिए, 4000 रुपए प्रति वर्न की अधिकतम सीमा तक, पांच वर्न की अवधि के लिए अस्पतालीकरण प्रभारों के लिए 20,000 रुपए का कवर आश्वस्त है।
- * मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश एक सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

17. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, इस वर्न अपने बजट भा-नण में घो-नणा की थी कि न्यून सुविधाप्राप्त नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं सहज रूप से सुलभ कराने के प्रयासस्वरूप बजट में वर्न 2003-04 के दौरान एक नई समुदाय-आधारित स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। स्कीम के अन्तर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रक सामान्य बीमा कम्पनियों को कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। स्कीम के अन्तर्गत, एक व्यक्ति के लिए एक रुपया प्रति दिन (अथवा 365 रुपए प्रति वर्न), पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए 1.50 रुपए प्रति दिन और सात व्यक्तियों के परिवार के लिए दो रुपए प्रति दिन के बराबर प्रीमियम से, अस्पतालीकरण हेतु 30,000 रुपए तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए के कवर और आमदनी समाप्त हो जाने की स्थिति में अधिकतम 15 दिन के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति की हकदारी प्राप्त होगी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए स्कीम वहनीय बनाने के वास्ते सरकार ने उनके वार्षिक प्रीमियम हेतु 100 रुपए प्रति वर्न का अंशदान करने का निर्णय किया है।

18. कुछ राज्यों ने रिपोर्ट की है कि निम्न आय समूह परिवार स्कीम में अंशदान करने में हिचकिचा रहे हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक बीमा स्कीम के लिए एक निश्चित राशि का प्रीमियम के तौर पर अंशदान करता है और केवल अस्पताल में भर्ती होने वालों को ही एक निश्चित सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसलिए उनका मत है कि अंशदान करने वाली कुल आबादी के केवल थोड़े से लोगों को ही स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। इस समय, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत स्वस्थ व्यक्ति अपेक्षाकृत कम राशि का अंशदान करे जो वर्नों के दौरान इकट्ठी होती रहे और जिससे व्यक्ति को किसी गम्भीर वित्तीय संकट का सामना किए बगैर अस्पतालीकरण सहित स्वास्थ्य देखभाल खर्चों का कवर प्राप्त हो। किसी भी वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है जो स्वस्थ रहें, जैसेकि "कोई दावा नहीं बोनस" की स्कीम में व्यवस्था नहीं है यदि वे अदा करें और स्वस्थ रहें तथा किसी राशि का दावा नहीं करें।

स्वास्थ्य पद्धति सुधारों में प्रगति की समीक्षा

19. नौवीं योजना और दसवीं योजना के प्रथम वर्न के दौरान प्राप्त प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि केन्द्र तथा राज्यों ने स्वास्थ्य पद्धति सुधारों को स्वीकार कर लिया है तथा उनका संस्थापन कर दिया है। सुधारों को कार्यान्वित करने के प्रयास कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रयासों में बहुत कम तालमेल और उनके द्वारा वित्तपोनित सुधार कार्यक्रमों के बीच प्रयासों में काफी दोहरापन है। लगभग सभी राज्यों ने स्वास्थ्य पद्धति सुधारों के एक अथवा अधिक घटकों पर अमल करना शुरू कर दिया है तथापि, किसी भी राज्य ने सुधारों के सभी घटकों को वस्तुतः कार्यान्वित करने की शुरुआत नहीं की है। इसके साथ ही सभी राज्यों में सुधारों का कोई घटक कार्यान्वित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, यद्यपि एक अथवा अधिक राज्यों में किसी न किसी घटक को कार्यान्वित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है तथापि, पूर्ण रूप में स्वास्थ्य पद्धति अथवा स्वास्थ्य पद्धति के किसी घटक ने सभी राज्यों में कोई सुस्प-ट सुधार नहीं दर्शाया है। स्वास्थ्य

पद्धति सुधारों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है। अभी तक किसी भी राज्य ने पूर्ण स्वास्थ्य पद्धति के व्यापक सुधारों के विशाल कार्य की शुरुआत नहीं की है; अधिकांश राज्यों ने एक अथवा अधिक घटकों को कार्यान्वित करने का चुनाव किया है जिन्हें वे समझते हैं कि उसका कार्यकुशलता सुधारने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि जैसे-जैसे राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित किए गए सुधारों के लाभों का अनुभव होगा, वैसे-वैसे कार्यकुशलता, कोटि और समान रूप से सुलभता सुधारने के उद्देश्य से सुधार अभियान गति पकड़ेगा।

20. स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारों के एक अथवा अधिक पहलुओं को, रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (आर.एन.टी.सी.पी. हेतु सुधरा इलेक्ट्रॉनिक एच.एम.आई.एस., विद्यमान स्वास्थ्य अवस्थापना के माध्यम से कु-ठरोग सेवाओं की उपलब्धता), और परिवार कल्याण (विकेन्द्रीकृत, जिला-आधारित आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरन) में शामिल किया गया था। वित्तपोषित करने वाली विदेशी एजेन्सियों ने, जिनमें विश्व बैंक (जिला अस्पतालों में उपभोक्ता प्रभार और अस्पताल संक्रमण नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबंधन, द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं के भाग के रूप में) और यूरोपीय आयोग शामिल है (उनके एस.आई.पी. के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार), उनके द्वारा वित्तपोषित चालू परियोजनाओं में एक भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारों के घटकों को शामिल किया है।

21. उम्मीद है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुधारों के कोर सेट को, जैसे कि उपयुक्त रेफरल सेवा के साथ तीहरी स्वास्थ्य देखभाल अवस्थापना का पुनर्गठन और पुनर्संरचना, आपूर्तियों के संभारतंत्र में सुधार, वहनीय लागत पर अच्छी कोटि की औ-धियों की आपूर्ति, संस्थानों, प्रक्रियाओं के संबंध में कोटि आश्वासन की पद्धति कायम करके सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न स्तरों पर देखभाल की लागत, उपभोक्ता प्रभार लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि इस प्रकार सृजित निधियों का उपयोग स्थानीय रूप से सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में हो तथा एक ऐसी स्वास्थ्य प्रबंध सूचना पद्धति निर्मित करना जिससे एक वास्तविक समय आधार पर सभी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना सुलभ हो सके, सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा। इनके संबंध में प्रगति की राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयों के साथ त्रैमासिक नि-पादन समीक्षा तथा वार्षिक योजना समीक्षा के दौरान पुनरीक्षा की जाएगी।

केन्द्रीय क्षेत्रक संस्थानों के दसवीं योजना प्रस्तावों का सिद्धान्ततः तथा ई.एफ.सी. अनुमोदन

22. स्वायत्तता में सुधार करने तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दसवीं योजना में सिफारिश की गई कि उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को सुदृढ़ तथा उन्नत करने के लिए अनिवार्य स्कीमों का मूल्यांकन करने और उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के वास्ते सभी प्रमुख सरकारी संस्थानों में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की जानी चाहिए। दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए एम्स, नई दिल्ली, पी.जी.आई., चन्डीगढ़, जे.आई.पी.एम.ई.आर., पाण्डिचेरी, आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, और वी.एम. मेडिकल कालेज ने अपने प्रस्तावों को स्कीम-वार अनुमोदनार्थ योजना आयोग को भेजने से पहले उनका एक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन कराया था और प्राथमिकताएं निर्धारित की थी। उम्मीद है कि अन्य संस्थान शीघ्र ही ऐसा करेंगे। वर्न के दौरान, निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों ने स्कीम-वार आबंटन के संबंध में तथा नई स्कीमों के संबंध में "सिद्धान्ततः" अनुमोदन के लिए भी योजना आयोग का अनुमोदन मांगा तथा प्राप्त किया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

23. एम्स की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक छत के नीचे स्वास्थ्य कार्यकलाप की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में उच्चतम कोटि की शिक्षा सुविधाओं को समेकित करके एक व्यापक अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते आधुनिक चिकित्सा में एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में की गई थी। यह अपनी स्वयं की डिग्री प्रदान करता है और एम.सी.आई. के क्षेत्राधिकार से बाहर है। संस्थान पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसके अतिरिक्त, इसे रा-द्रीय तथा अन्तर्रा-द्रीय स्रोतों से अनुसंधान अनुदान प्राप्त होते हैं। अधिकांश अस्पताल सेवाएं अत्यंत सस्बिडाइज्ड हैं किन्तु कुछ श्रेणी के रोगियों से उपचार और निदान हेतु शुल्क लिया जाता है।

24. संस्थान ने एक 25-वर्षीय संभावी योजना तैयार की है और संस्थान के दसवीं योजना प्रस्ताव इस दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। संस्थान के दसवीं योजना प्रस्तावों की संस्थान की अस्पताल मामले समिति और संस्थान के प्रशासन द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी। योजना आयोग ने उप-स्कीम-वार परिव्यय अनुमोदित किए हैं और विनिर्दि-ट नई पहलों के संबंध में "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है। चालू कार्यकलापों के तहत, जिन्हें दसवीं योजना में शामिल किया गया है, योजना निधियों का काफी बड़ा हिस्सा वेतनों और उपभोज्यों के लिए आबंटित किया गया है, जिन्हें योजना पक्ष से वहन किया जा रहा है क्योंकि योजना-भिन्न निधियां उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि ये यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि संस्थान उत्तम कोटि की सेवाएं प्रदान करता रहे, योजना आयोग वेतनों और उपभोज्यों के एक भाग की पूर्ति योजना निधियों में से करने के लिए संस्थान के अनुरोध से सहमत हो गया है।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जे.आई.पी.एम.ई.आर.)

25. जे.आई.पी.एम.ई.आर., एक केन्द्रीय सरकारी संस्थान है, जो पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर तथा अर्ध-चिकित्सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान ने अपनी दसवीं योजना प्राथमिकता स्कीम तैयार की है और योजना आयोग के अनुमोदनार्थ उप-स्कीम-वार परिव्यय प्रस्तुत किए हैं।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चन्डीगढ़

26. पी.जी.आई., चन्डीगढ़ एक रा-द्रीय महत्व का संस्थान है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा सन 1967 में चिकित्सा शिक्षा की सभी शाखाओं में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की पद्धतियां विकसित करने तथा स्वास्थ्य कार्यकलाप की महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के वास्ते उच्चतम कोटि की शिक्षा सुविधाओं को एकछत्र के नीचे लाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अतिरिक्त, अस्पताल अनुसंधान अध्ययन आयोजित करता है जिन्हें विभिन्न रा-द्रीय और अन्तर्रा-द्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। पी.जी.आई., चन्डीगढ़ ने, दसवीं योजना के लिए अपने उप-स्कीम-वार परिव्यय अनुमोदनार्थ योजना आयोग को प्रस्तुत किए हैं।

भारतीय भे-ज अनुसंधान परि-द (आई.सी.एम.आर.)

27. आई.सी.एम.आर., देश में चिकित्सा अनुसंधान की आयोजना, आयोजन, कार्यान्वयन और समन्वय हेतु एक शी-र्न निकाय है तथा देश भर में फैले 21 स्थायी संस्थानों और 6 क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बायो-मेडिकल अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। आई.सी.एम.आर. परियोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान भी देता है। आई.सी.एम.आर. के अनुसंधान कार्यकलापों के लिए स्वास्थ्य विभाग (दसवीं योजना के लिए 870 करोड़ रुपए) और परिवार कल्याण विभाग द्वारा (दसवीं


योजना के लिए 100 करोड़ रुपए) धन दिया जाता है। परि-द, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों, मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा पो-नाहार में बुनियादी, प्रयुक्त, नैदानिक और प्रचालनात्मक अनुसंधान आयोजित करता है। आई.सी.एम.आर. ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त कुल आबंटन के संबंध में उप-स्कीम-वार परिव्यय प्रस्तुत किया है। योजना आयोग ने उप-स्कीम-वार परिव्यय अनुमोदित कर दिए हैं तथा नई पहलों के संबंध में सिद्धान्त रूप में अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

संचारी रोग

28. दसवीं योजना के दौरान संचारी रोगों के नियंत्रण पर प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इन रोगों के कारण रुग्णता की दर ऊंची बनी हुई है। कम होती शहरी तथा ग्रामीण स्वच्छता, असंतो-जनक तरल और ठोस अपशि-ट प्रबंधन तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ ने संचारी रोगों की बढ़ती विद्यमानता में योग दिया है। संक्रमणों का उपचार अधिक कठिन और खर्चीला हो गया है जिसकी वजह एन्टीबायोटिक प्रतिरोध का उद्भव होना है; इसलिए संक्रमण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करके निवारण के संबंध में अधिकाधिक ध्यान देने की तत्काल जरूरत है। यद्यपि स्वास्थ्य राज्य वि-य है, फिर भी केन्द्रीय सरकार रोग नियंत्रण हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से अतिरिक्त निधियां प्रदान करना जारी रखे हुए है (चित्र 1)। संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए नौवीं योजना में शुरू किए गए कार्यक्रम और

संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए दसवीं योजना कार्यनीतियां

- * रोग नियंत्रण कार्यक्रम के डिजाइन और सुलभता में विनिश्चित कमियों को दूर करना।
- * आधारभूत ढांचे और जनशक्ति में क्रान्तिक अन्तरों को पाटना।
- * सेवा सुलभता को उपभोक्ता की जरूरतों के अनुकूल बनाना।
- * यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को आवश्यक दक्षताएं और सहायता प्राप्त हो जिसमें रेफरल सुविधाएं और आपूर्ति शामिल है।
- * उपलब्ध सेवाओं के बारे में सामुदायिक जागरूकता, भागीदारी और प्रभावी उपयोग में सुधार करना।
- * सामुदायिक भागीदारी और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मानीटरन में पी.आर.आई. का उपयोग।



नीतियां दसवीं योजना में जारी रहेंगी। विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों से संबंधित सेवाओं की सुलभता में सुधार के लिए प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं। कार्यक्रमों का राज्य स्वामित्व सुधारने और समुदाय, निजी क्षेत्रक तथा एन.जी.ओ. की भागीदारी के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय जवाबदेही और अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय सुधारने के लिए पी.आर.आई. को शामिल किया जा रहा है। कार्यान्वयन में समस्याओं को दूर करने तथा कार्यकुशलता में सुधार

करने के लिए मूल्यांकन और प्रचालनात्मक अनुसंधान पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

रा-द्रीय रोगवाहक रोपित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

29. रा-ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो प्रथम केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, 1953 में शुरू किया गया था। रा-ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत, मलेरिया, फाइलेरिया, काला-अजार, जापानी मस्ति-कशोथ और डेंगू का निपटान किया जाता है। योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने, दसवीं योजना के दौरान वर्तमान रा-ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, काला-अजार, फाइलेरिया, जापानी मस्ति-कशोथ व अन्य रोगवाहक रोपित बीमारियों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम को एक रा-ट्रीय रोगवाहक रोपित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) में समेकित कर दिया और इसके लिए 1370 करोड़ रुपए की व्यवस्था की।


मलेरिया

30. रा-ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ में अभूतपूर्व सफलता मिली जबकि मलेरिया का भारत 0.8 मिलियन मौतों के साथ 75 मिलियन मामलों से 1965 तक किसी मौत के बिना 0.1 मिलियन मामले रह गया, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुस्थापित सवास्थ्य देखभाल ढांचा नहीं था। तथापि, बाद में मलेरिया फिर से उभरा। 1976 में 6.7 मिलियन से अधिक मामलों की रिपोर्ट की गई। वर्- 1977 से रा-ट्रीय मलेरिया उन्मूलन

मलेरिया के नियंत्रण के लिए दसवीं योजना कार्यनीति

- * शीघ्र निदान और तुरंत उपचार
 - * चयनात्मक रोगवाहक नियंत्रण तथा वैयक्तिक संरक्षण
 - * पूर्वानुमान, शीघ्र पता लगाना और व्याप्ति के संबंध में कारगर उपाय
 - * आई.ई.सी.
 - * समय पर, कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा प्रभावी मानीटरन सुनिश्चित करना
- वर्- 2007 के लिए लक्ष्य
- * 10 प्रतिशत से अधिक का ए.बी.ई.आर.
 - * 0.5 प्रतिशत से कम ए.पी.आई.
 - * मलेरिया के कारण रुग्णता और मृत्यु दर में 25 प्रतिशत कटौती

कार्यक्रम ने मलेरिया के नियंत्रण के लिए प्रचालन की एक संशोधित योजना का कार्यान्वयन शुरू किया। इन प्रयासों के बावजूद, मलेरिया के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 1990 के दशक में लगभग दो



मिलियन रही। 1994 से पूर्वोत्तर राज्यों को प्रचालन, औ-नधियों और कीटनाशकों की लागत वहन करने के लिए 100 प्रतिशत योजनागत वित्तपो-नण प्राप्त हो रहा है। संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना 8 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महारा-ट्र, उड़ीसा, राजस्थान) में 100 जिलों और 19 नगरों में 1045 जनजातीय पी.एच.सी. में कार्य कर रही है। परियोजना को

सितम्बर 1997 से 5 वर्- के लिए अनुमोदित किया गया था तथा इसे 2 वर्- तक और बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उड़ीसा के सभी 8 के.बी.के. जिलों को पूर्वोत्तर राज्यों

की तरह वित्तपो-ण की पद्धति के अनुसार शामिल करने तथा कीटनाशकों की दुलाई लागत के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में ई.एफ.सी. का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

31. नौवीं योजना अवधि के दौरान नि-पादन चित्र 2 में दर्शाया गया है। मामलों में कमी, कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों के लिए वित्तपो-ण में पर्याप्त वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। पी. फाल्सीपरम मलेरिया के बढ़ते अनुपात, कीटनाशकों के प्रति बढ़ते रोगवाहक प्रतिरोध और क्लोरोक्विन के प्रति बढ़ते पेरासाइट प्रतिरोध की वजह से मलेरिया को रोकने और नियंत्रण का काम दसवीं योजना अवधि में और कठिन हो जाएगा। ए.पी.आई. और रुग्णता में कटौती का नौवीं योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग इ-टतम से कम रहा है (तालिका 1)। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002

तालिका 1: एन.ए.एम.पी.-परिव्यय और व्यय (लाख रुपए)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय/ सं.अ.#
9वीं योजना	103000.00	
1997-98	20000.00	12575.68
1998-99	29700.00	14404.16
1999-2000	25000.00	15500.61
2000-2001	25500.00	16914.12
2001-2002	22500.00	19443.86
जोड़	122700.00	78838.43
10वीं योजना	137000.00	
2002-2003	23500.00	21400.00
2003-2004	24500.00	
स्रोत: # व्यय/ सं.अ. आयोजना ब्यूरो से		
* परिव्यय: योजना आयोग से		

में मलेरिया के मामलों की रिपोर्ट की गई संख्या दो मिलियन से कम रही। यदि कमी की पु-टि हो जाती है और रिपोर्ट किए गए मामलों में कमी की प्रवृत्ति 2003-04 में भी जारी रहती है, चाहे मानसून सामान्य हो, यह उम्मीद करना संभव है कि मलेरिया के संबंध में दसवीं योजना लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे।

काला-अजार

32. काला-अजार बिहार के 33 जिलों, पश्चिम बंगाल के 11 जिलों और झारखण्ड के तीन जिलों में प्रचलित है तथा उत्तर प्रदेश से छिट-पुट मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। काला अजार के कारण 1989-91 के बीच मामलों की संख्या और मौतों में संख्या में रपोर्ट की गई वृद्धि के बाद, काला अजार की रोकथाम के लिए 1992 में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था।

दसवीं योजना के लिए लक्ष्य
➤ काला-अजार के कारण मौतों को 2004 तक कम से कम 25 प्रतिशत वार्षिक कटौती के साथ रोकना
➤ वर्ष 2001 को आधार वर्ष मानते हुए कम से कम 20 प्रतिशत की वार्षिक कटौती के साथ, 2007 तक भारत को शून्य स्तर तक लाना
➤ 2010 तक काला-अजार का उन्मूलन (एन.एच.पी.2002)

संक्रमण के नियंत्रण हेतु कार्यनीति में, डी.डी.टी. के साथ कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए संचरण को रोकना, तथा काला अजार के मामलों का शीघ्र निदान व उपचार शामिल है। केन्द्रीय सरकार कीटनाशक तथा काला-अजार-रोधी दवाइयां मुहैया

कराती है जबकि राज्य सरकारें मामलों के निदान व उपचार तथा कीटनाशक छिड़कने के कामकाज पर होने वाले व्यय को वहन करती हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए मामले और मौतों की संख्या में कोई खास गिरावट नहीं आई है (तालिका 2)। इसका कारण अपर्याप्त कीटनाशकों का छिड़काव और निदान व उपचार सेवाओं का असंतो-जनक होना है। सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट के प्रति औ-धि प्रतिरोध

में वृद्धि के बारे में बिहार के मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों से रिपोर्ट मिली है। यद्यपि रेगिस्तानी मक्षिका आमतौर पर डी.डी.टी. के प्रति संवेदनशील होती है, तथापि, बिहार से कीटनाशी प्रतिरोध की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बिहार द्वारा कीटनाशी छिड़काव के लिए प्रचालन लागतों के वास्ते प्रस्तुत समस्या को देखते हुए योजना आयोग, स्वास्थ्य विभाग के इस अनुरोध से सहमत हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग, औ-धियों, कीटनाशकों की लागत और साथ ही काला अजार उन्मूलन प्रयासों की प्रचालन लागत वहन करेगा जिसमें छिड़काव, मजदूरी, ढुलाई और लाने-ले जाने की लागत शामिल है। कार्यक्रम में न केवल बिहार के प्रभावित जिले शामिल होंगे बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिले भी शामिल होंगे। इसे इ.एफ.सी. ने अनुमोदित कर दिया है।

तालिका 2: काला-अजार नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	बिहार		पश्चिम बंगाल		देहात	
	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1996	25056	674	उ. नहीं	उ. नहीं	27049	687
1997	15948	251	1450	3	17429	255
1998	12229	211	1113	6	13577	226
1999	11627	277	1091	6	12869	297
2000	12909	130	1244	11	14753	150
2001(पी)	10327	204	1238	4	12239	213
2002(पी)*	6364	84	920	3	7757	90

स्रोत: एनएएमपी, स्वास्थ्य विभाग
अगस्त 2002 तक एनएएमपी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

पी = अनन्तिम

डेंगू/ जापानी मस्ति-कशोथ (जेई)

33. भारत के शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों के बहुत से भागों में समय-समय पर डेंगू फैलता है। मृत्यु दर सामान्यतः कम होती है, किन्तु डेंगू विक्षोभ लक्षण और डेंगू रक्तस्राव ज्वर के मामलों में मृत्यु दर ऊंची हो सकती है। डेंगू के लिए नैदानिक परीक्षण अभी तक उपलब्ध नहीं है। जापानी मस्ति-कशोथ फैलने की रिपोर्ट मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई है। देश के बहुत से भागों में जापानी मस्ति-कशोथ के लिए नैदानिक परीक्षण और मामला प्रबंधन सुविधाएं तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। स्थानिक मारी वाले राज्यों में, शीघ्र निदान, समुचित प्रबंधन और अपशि-ट विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रोगवाहक नियंत्रण के लिए नूतन कार्यनीतियों की जांच-पड़ताल की जा रही है। नौवीं योजना के दौरान डेंगू/ जापानी मस्ति-कशोथ के कारण रिपोर्ट किए गए कुल

तालिका 3 जापानी मस्ति-कशोथ (जे.ई.) और डेंगू मामले तथा मृत्यु				
वर्ष	जे.ई.		डेंगू	
	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1997	2516	632	1177	36
1998	2120	507	707	18
1999	3428	680	944	17
2000	2593	556	622	7
2001	2061	479	3278	53
2002*	816	229	748	15
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग 2002-03				
* जे.ई. मामले सितम्बर तक तथा डेंगू के मामले अक्टूबर 2002 तक				

मामलों और मौतों का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

34. फिलहाल, देश में डेंगू/ डी.एच.एस. के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं है। घटनाओं की रोकथाम के लिए कीटनाशकों की दृष्टि से सीमित सहायता प्रदान की जा रही है। रा-ट्रीय रोगवाहक रोपित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक डेंगू नियंत्रण घटक होगा जो निम्नलिखित कार्यनीतियां कार्यान्वित करेगा:

- निकटवर्ती देशज मच्छर प्रजनन को कम करने के लिए म्यूनिसिपल उप-नियमों/ विधायी उपायों का अधिनियमन
- स्रोत कटौती, लार्वानाशी अथवा प्रौढ़नाशी अनुप्रयोग और बायो पर्यावरणीय उपायों द्वारा रोगवाहक नियंत्रण
- क्षमता निर्माण और जनशक्ति विकास के जरिए विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के माध्यम से शीघ्र निदान और तुरत प्रबंधन के लिए सुधरी सुविधाएं।

फाइलेरिया

35. फाइलेरिया सर्वेक्षण यूनिटों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 454 मिलियन लोग (शहरी क्षेत्रों में 120 मिलियन) ज्ञात स्थानिक मारी क्षेत्रों में रह रहे हैं; देश में 29 मिलियन फाइलेरिया मामले तथा 22 मिलियन माइक्रोफाइलेरिया कैरियर (वाहक) हैं। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों, म्यूनिसिपल निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पी.एच.सी. माध्यम से 19 स्थानिक भारी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। फाइलेरिया-रोधी दवाइयों और डिम्भावस्था/ प्रौढ़नाशियों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय 206 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिट; 199 फाइलेरिया क्लिनिक; और 27 फाइलेरिया सर्वेक्षण यूनिट हैं। लार्वा-रोधी उपायों के जरिए शहरी क्षेत्रों में कुल 48 मिलियन लोगों को बचाया जा रहा है। भारतीय भे-नज अनुसंधान परि-द (आई.सी.एम.आर.), फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए डी.ई.सी. और अलबेनडाज़ोल की एक सामूहिक वार्षिक एकल खुराक पिलाकर एक व्यवहार्यता और उपयोगिता अध्ययन कर रही है। केरल ने, रोगवाहक-रोपित बीमारियों के नियंत्रण के लिए तीन फाइलेरिया महामारी वाले जिलों (कोट्टयम, अल्प्पुज्हा और इरनाकुलम) में मच्छरों के मानीटरन और प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। ऐसी नूतन पहलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि व्यवहार्य पाया गया तो उनका अनुकरण किया जाएगा। ई.एफ.सी. ने स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है कि फाइलेरिया नियंत्रण के लिए चल रही कार्यनीतियों को जारी रखा जाएगा और दसवीं योजना के अन्त तक सामूहिक औ-धि पिलाने का, 60 जिलों को कवर करने के वास्ते, क्रमिक ढंग से विस्तार किया जाएगा।

36. ई.एफ.सी. ने 13 जून 2003 को एन.वी.बी.डी.सी.पी. पर विचार किया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि विश्व बैंक सहायताप्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना क्रेडिट व्यवस्था अगले वर्- समाप्त हो सकती है और यदि ऐसा हुआ तो परियोजना को दसवीं पंचवर्-ीय योजना के शे-न वर्-ों के दौरान देशज बजटीय सहायता से जारी रखना होगा। ई.एफ.सी. ने एन.वी.बी.डी.सी.पी. को निम्नलिखित शर्त के साथ 1370 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित कर दिया। कार्यक्रम में अनुमोदित परिव्ययों के अन्दर जरूरत-आधारित राज्य-वार/ रोग-वार प्रावधानों को पुनःआबंटित करने की अन्तर्निहित शिथिलता होनी चाहिए। वर्- 2003-04 के दौरान चालू कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के आधार पर, कार्यक्रम की वि-य-वस्तु बदलने और सहायता के स्तर को कोटि की दृ-टि से उन्नत करने के लिए नए घटकों पर विचार किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय समिति को इस पर राज्यों के प्रतिनिधियों के

साथ मिलकर विचार करना चाहिए। मूल्यांकन के पश्चात, विभाग संशोधित कार्यक्रम ई.एफ.सी. के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। वर्ष 2003-04 के लिए कार्यक्रम के संबंध में सी.सी.ई.ए. का "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। मच्छरदानियों के वितरण में सामुदायिक भागीदारी और कीमत पद्धति के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार और सभी राज्यों को परिचालित किए जा सकते हैं। किसी प्रयोगशाला पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन और स्वयंसेवकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है; सक्रिय संचरण अवधि के दौरान, पी.आर.आई., महिला समिति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्थानीय स्वयंसेवकों को नि-पादन-आधारित मानदेय की अदायगी की जा सकती है। निजी प्रयोगशालाओं व अन्य परीक्षण सुविधाओं का भी पता लगाने व उन्हें शामिल करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। राज्यों को डी.डी.टी.की आपूर्ति करने के लिए अदा किया जाने वाला कुल भाड़ा प्रभार, सप्लाई किए गए डी.डी.टी. कुल मूल्य का 3-5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। रा-ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम निदेशालय के लिए किसी इमारत का निर्माण नहीं किया जाएगा।

37. रोगवाहक-रोपित बीमारियों के संबंध में निगरानी रखना चालू रोग नियंत्रण कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक होना चाहिए और यह संभवतः, जब भी आवश्यक हो, विशेषज्ञों और प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थानों की सहायता से, विद्यमान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अवस्थापना और जनशक्ति के साथ किया जाना चाहिए। एक बार पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने तथा कारगर ढंग से कार्यान्वित हो जाने के बाद, निगरानी कार्यक्रम से, कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर पृ-ठ सामग्री (फीडबैक) उपलब्ध होगी तथा समुचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। यह अनिवार्य है कि निम्नलिखित सुधार करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए:

- यह जागरूकता कि तुरंत निदान और उपचार के जरिए रोगवाहक-रोपित बीमारियों के प्रभावी उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान सर्वाधिक उपयुक्त हैं,
- कार्यक्रम की सफलता के लिए, मानीटरन, निगरानी और प्रतिक्रिया; वेक्टर घनत्वों का सतत मानीटरन, और वेक्टर व परजीवी रोध की उत्पत्ति महत्वपूर्ण है।

38. अन्य एजेन्सियों से सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि:


- मच्छर जनन स्थितियों को रोकने के लिए नागरिक प्राधिकारी
- मच्छर प्रजनन के नियंत्रण हेतु, जैव-पर्यावरणीय उपायों को कार्यान्वित करने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
- जनजातीय क्षेत्रों में मच्छर प्रजनन स्थितियों का शीघ्र विनिर्धारण करने के लिए रा-ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेन्सी।

रा-ट्रीय कु-ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.)

39. कु-ठरोग, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। वर्ष 1984 में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में कु-ठरोग के लगभग चार मिलियन मामले हैं; जिनमें से 15 प्रतिशत बच्चे हैं। बहु-औ-धि उपचार (एम.डी.टी.) की उपलब्धता से, कु-ठरोग मामलों का 6 से 24 मास की संक्षिप्त अवधि के अन्दर उपचार करना संभव हो गया है। एन.एल.ई.पी. की शुरुआत बीमारी को फैलने से रोकने तथा कु-ठरोग की विद्यमानता को 2000 तक प्रति दस हजार में एक तक लाने के लक्ष्य के साथ 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित स्कीम के रूप में वर्ष 1983 में की गई थी। इसे प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति थी:

- ☞ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सक्रिय सामुदायिक-आधारित मामला पता करके कु-ठरोग मामलों का शीघ्र पता लगाना;
- ☞ स्थानिक मारी जिलों में कु-ठरोग कार्यकर्ताओं तथा साधारण से न्यून स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों/जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और सचल कु-ठ उपचार यूनिटों द्वारा एम.डी.टी. के साथ मामलों का नियमित उपचार;
- ☞ बीमारी के साथ जुड़े सामाजिक लांछन को दूर करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा तथा जन जागरूकता अभियान; और
- ☞ समुचित मेडिकल पुनर्वास तथा अल्सर देखरेख सेवाएं।

40. 1980 के दशक के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत कवरेज न्यून था। विश्व बैंक सहायता (1993-94 से शुरू होकर छः वर्ष की अवधि के लिए 302 करोड़ रुपए) से 1993-94 में शुरू किए गए एन.एल.ई.पी. चरण-I के फलस्वरूप, देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए एम.डी.टी. सेवाओं का तेजी से विस्तार और पता लगाए गए व उपचारित कु-ठ रोगियों की संख्या में तेज वृद्धि हुई। दो मिलियन नए रोगियों का पता लगाने व उपचार करने के लक्ष्य के विपरीत, मार्च 2000 तक कुल 3.8 मिलियन नए मामलों का पता लगाया तथा 4.15 मिलियन कु-ठ रोगियों का उपचार और उन्हें ठीक किया गया। इस अवधि में प्रगति से प्रोत्साहित होकर एन.एल.ई.पी. चरण-II (249.8 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ - 143.6 करोड़ रुपए आई.डी.ए. द्वारा, 58.2 करोड़ रुपए का भारत सरकार का अंशदान तथा वि.स्वा.सं. 48 करोड़ रुपए की लागत की कु-ठरोधी इवाइयां मुहैया करेगा) मई 2001 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया जिसका उद्देश्य कु-ठरोग की विद्यमानता को प्रति दस हजार में एक तक लाना है।



41. नौवीं योजना के दौरान एल.एल.ई.पी. का नि-पादन चित्र 3 में दर्शाया गया है। कु-ठ रोग की विद्यमानता के संबंध में राज्य-वार डाटा तालिका 4 में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान निधियों का उपयोग तालिका 5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4: कु-ठरोग की विद्यमानता	
राज्य	पी.आर.
बिहार	8.60
उड़ीसा	7.32
छत्तीसगढ़	7.20
झारखण्ड	6.49
दादर और नगर हवेली	5.05
लक्षद्वीप	4.64
दिल्ली	4.17
उत्तर प्रदेश	4.12
गोवा	3.10
महाराष्ट्र	2.95
पश्चिम बंगाल	2.70
आन्ध्र प्रदेश	2.53
चण्डीगढ़	2.48
तमिलनाडु	2.34
मध्य प्रदेश	1.98
कर्नाटक	1.90
उत्तरांचल	1.88
गुजरात	1.40
अंड.और नि. द्वीपसमूह	1.31
पांडिचेरी	1.29
अरुणाचल प्रदेश	0.90
राजस्थान	0.73
केरल	0.67
सिक्किम	0.61
जम्मू तथा कश्मीर	0.60
असम	0.56
पंजाब	0.47
हिमाचल प्रदेश	0.41
दमन और दीव	0.41
मणिपुर	0.37
मेघालय	0.35
त्रिपुरा	0.31
हरियाणा	0.25
नागालैण्ड	0.19
मिजोरम	0.10
जोड़	3.23
स्रोत: कु-ठरोग प्रभाग, डी.जी.एच.एस.	

तालिका 5 एन.एल.ई.पी. परिव्यय तथा व्यय		
(लाख रुपए)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय/ सं.अ.
9वीं योजना	30100.00	
1997-98	7500.00	7679.72
1998-99	7900.00	7188.99
1999-2000	8500.00	7001.98
2000-2001	7400.00	6509.56
2001-2002	7500.00	4704.92
जोड़	38800.00	33085.17
10वीं योजना	25500.00	
2002-2003	7500.00	7500.00
2003-2004	7400.00	
स्रोत: स्वास्थ्य विभाग		
परिव्यय: योजना आयोग		
व्यय/ सं.अ.: बी.ओ.पी., स्वास्थ्य विभाग		

42. स्वास्थ्य विभाग ने, कु-ठरोग मामलों का पता लगाने और उनके प्रबंधन में स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों को प्रशिक्षित करके, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम.डी.टी. उपलब्ध कराकर, विकलांगता तथा अल्सर देखभाल में सुधार करके व मानीटरन व पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करके, इस ऊर्ध्वधर कार्यक्रम को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के अन्दर क्रमिक रूप से समेकित करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं।

43. वर्ष 1997-98 के दौरान, एम.डी.टी. के साथ उपचार की अवधि बहु-रोगाणु रोगियों के संबंध में 24 मास से घटाकर 12 मास और पोसी-रोगाणु रोगियों के संबंध में 12 मास से घटाकर छः मास कर दी गई। एकल घाव रोगियों के लिए एक खुराक रिफम्पसिन, आफलोक्सिन और मिनोसाइक्लिन (आर.ओ.एम.) उपचार प्रारंभ किया गया। निश्चित खुराक उपचार शुरू करने से पहले, नैदानिक निष्क्रियता तक उपचार जारी रखा गया। निश्चित खुराक उपचार के साथ, रोगियों को, उपचार की अवधि एक बार पूरी हो जाने पर, उपचार से मुक्त कर दिया

जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत दाग परीक्षण ऐच्छिक है, इसलिए ठीक होने और फिर से बीमारी हो जाने की दरें निर्धारित करना कठिन है। यह महत्वपूर्ण है कि निगरानी तेज की जाए ताकि पुनरावृत्ति का शीघ्र पता लगाया जा सके।

44. एन.एल.ई.पी., कु-ठ मामलों की संख्या को कम करने में सफल रहा है। तथापि, इससे विकृतियों वाले रोगियों की संख्या में तत्काल कोई कमी नहीं आएगी। विकृतियों का शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार किए जाने पर प्रमुख रूप से बल देने की जरूरत है जिससे कि लोगों की कार्यात्मक स्थिति में सुधार हो सके। विकलांगता/ अल्सर देखभाल प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अभी तक 210 जिला कु-ठरोग सोसायटियों को धन उपलब्ध कराया गया। गुजरात ने, विभिन्न जिला अस्पतालों में पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा करने के लिए देश भर से अनुभवी शल्यचिकित्सकों को बुलाया जिससे कि रोगियों को उनके निवास के निकट उपचार मिल सके। इन उपायों के प्रभाव और लागत का मूल्यांकन करने की जरूरत है।

45. दसवीं योजना में एन.एल.ई.पी. के अन्तर्गत कार्यकलापों में निम्नलिखित पर प्रमुख रूप से बल दिया जा रहा है:

- उच्च विद्यमानता वाले राज्यों में मामलों की विद्यमानता में कटौती सुनिश्चित करना
- अन्य राज्यों में अभी तक प्राप्त लाभों का फायदा उठाना ताकि बीमारी की पुनः आवृत्ति न हो
- कु-ठरोग सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत प्रभावी ढंग से एकीकृत करना जिससे कि कु-ठरोग देखभाल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का एक भाग बन सके।

46. दसवीं योजना का लक्ष्य एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कु-ठ का उन्मूलन करना तथा विद्यमानता को प्रति 10,000 में से 1 से कम तक लाना। इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीति में निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा:

- ☞ कु-ठ रोगी के शीघ्र पता लगाने तथा प्रबंधन, जटिलता वाले रोगियों का विनिर्धारण और रेफर करने के बारे में विद्यमान कार्मिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में प्रशिक्षण;
- ☞ व्यक्तियों की कार्यात्मक स्थिति सुधारने के लिए पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा;
- ☞ कु-ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए अन्तर-क्षेत्रकीय सहयोग;
- ☞ 2007 तक कार्यक्रम का एक सामान्य स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में समानान्तर एकीकरण पूरा करना। एन.एल.ई.पी. के तहत नियुक्त कार्मिकों को दसवीं योजना के दौरान राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। 30,000 से अधिक कु-ठरोग कार्यकर्ताओं और प्रयोगशाला तकनीशियनों के दक्षता उन्नयन तथा फिर से तैनाती करने से पी.एच.सी./ सी.एच.सी. में पुरु-बहु-प्रयोजन कार्यकर्ताओं और प्रयोगशाला तकनीशियनों में विद्यमान अन्तर को पाटने में काफी मदद मिलेगी और इससे कु-ठरोग कार्यक्रम सहित, सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नि-पादन में सुधार होगा।

47. दसवीं योजना में एन.एल.ई.पी. के लिए कुल परिव्यय 255 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद एन.एल.ई.पी. स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्रथम केन्द्र प्रायोजित स्कीम होगी जो अपने लक्ष्य प्राप्त करेगी तथा जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमारी कुछेक वर्गों के पश्चात पुनः न उभरे, कार्य का व्यवस्थित हस्तान्तरण अनिवार्य है।


संशोधित रा-द्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

48. तपेदिक भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तपेदिक के वैश्विक मामलों में इसका हिस्सा लगभग एक-तिहाई है। रा-द्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 में एक केन्द्र प्रायोजित

कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। लगभग तीन दशकों तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावी रासायनी चिकित्सा की उपलब्धता के बावजूद, निम्न मामला पहचान, मामला धारण और उपचार दरों के कारण टी.बी. की वजह से रुग्णता और मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई। अनुमान है कि टी.बी. की विद्यमानता 1.4 प्रतिशत है और लगभग एक-तिहाई मामले बलगम निश्चयात्मक (थूक पाजिटिव) के हैं। विगत दो दशकों के दौरान टी.बी. के प्राथमिक और प्राप्त बहु-औ-धि-रोधी मामलों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। एच.आई.वी. महामारी की वजह से टी.बी. तथा औ-धि-रोधी टी.बी. के मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

49. वर्ष 1992 में टी.बी. नियंत्रण कार्यकलापों की एक बड़ी समीक्षा के बाद, देश ने सुधरा नि-पादन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्यनीति में संशोधन किया। संशोधित रा-ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया और तत्पश्चात विश्व बैंक सहायता से इसका नौवीं याजना के दौरान विस्तार किया गया (चित्र 4)। आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत, निम्नलिखित पर बल देते हुए रोगमुक्ति दर में सुधार करने का उद्देश्य था:

- बलगम माइक्रोस्कोपी के माध्यम से निदान।
- अल्पावधि रासायनी चिकित्सा के लिए औ-धियों की निर्बाध आपूर्ति।
- अनुपालन में सुधार करने के लिए अल्पावधि रासायनी चिकित्सा (डी.ओ.टी.एस.) के साथ उपचार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण, और
- सभी स्तरों पर व्यवस्थित मानीटरन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण।



50. नौवीं योजना के दौरान आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यान्वयन में काफी देरियां हुईं। तथापि, 1998 के अन्त में कार्यक्रम में तेजी से सुधार हुआ। आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत कवरेज में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत नि-पादन तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका 6: नौवीं योजना के दौरान आर.एन.टी.सी.पी. नि-पादन								
वर्ष	बलगम परीक्षण		बलगम निश्चयात्मक लक्ष्य	नए मामले			नए मामले	
	लक्ष्य	उपलब्धि		बलगम निश्चया.	अन्य	जोड़	आरएनटीसीपी	एनटीसीपी
1997-98	14189175	4518068	472980	351921	957744	1309665	-	-
1998-99	14189175	3893213	472980	321920	927526	1249446	-	-
1999-2000	4884840	4009727	488480	373055	862611	1235666	137615	1098051
2000-01	4985720	3768539	498590	356522	784848	1141370	245135	896235
2001-02	5135100	3889007	513510	402743	718685	1121428	471658	649770
2002-03	4316220	4327176	431622	448381	679157	1127538	623876	503662

स्रोत: डी.जी.एस.एस., केन्द्रीय टी.बी.प्रभाग

नौवीं योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान निधियों का उपयोग निम्न था; बाद में उपयोग में सुधार हुआ (तालिका 7)।

51. भारत सरकार और विश्व बैंक टीम टीम द्वारा 2000 में की गई कार्यक्रम की समीक्षा से पता चला कि:

- बलगम परीक्षण की कोटि में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और आर.एन.टी.सी.पी. जिलों में उपचार पूर्णता दरें, जहां 240000 रोगियों को आर.एन.टी.सी.पी. उपचार के अन्तर्गत रखा गया था, उपचार सफलता दर 80 प्रतिशत थी। किन्तु आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत देश में टी.बी. रोगियों में से 10 प्रतिशत से कम को कवर किया गया है।
- आर.एन.टी.सी.पी.-भिन्न में, कुछ क्षेत्रों में निदान की कोटि में कुछ सुधार हुआ है, जबकि दाग-नकारात्मक रोगियों के अधिक-निदान में धीरे-धीरे कमी आई है तथा निदान किए गए दाग-निश्चयात्मक रोगियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। आर.एन.टी.सी.पी.-भिन्न क्षेत्र में बलगम निश्चयात्मक मामला पता लगाने की दरें न्यून हैं और उपचार पूर्णता दरें 30 प्रतिशत से कम हैं।

तालिका 7: आर.एन.टी.सी.पी. - परिव्यय/ व्यय (लाख रुपए)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय/संशोधित अनुमान
9वीं योजना	45000.00	
1997-98	9000.00	3083.50
1998-99	12500.00	6777.76
1999-2000	10500.00	8654.15
2000-2001	12500.00	10626.00
2001-02	13600.00	10129.73
जोड़	58100.00	39271.14
10वीं योजना	68000.00	
2002-03	11500.00	9700.00
2003-04	11500.00	
स्रोत: स्वास्थ्य विभाग परिव्यय योजना आयोग से व्यय/ सं.अ. बी.ओ.पी., स्वास्थ्य विभाग से		

- मानक-भिन्न औ-धि पद्धति और स्वप्रशासित पद्धति, जिसमें निरन्तरता चरण में रिफम्पीसिन होती है, अभी भी कुछ राज्यों में प्रयोग में लाई जा रही है, इसके विपरीत नीति और सिफारिशों के बावजूद; यह प्रथा बहु-औ-धि रोध में और वृद्धि के पर्याप्त जोखिम से जुड़ी है।
- आर.एन.टी.सी.पी.-भिन्न क्षेत्रों में, कुछ राज्यों के पास पर्याप्त औ-धि भण्डार हैं किन्तु बहुत से राज्यों के पास नहीं हैं तथा उपचार पूर्णता की दरें न्यून बनी हुई हैं।

52. आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत सफलता पर्याप्त निधियों की उपलब्धता, ठोस तकनीकी और प्रशिक्षण नीतियों तथा व्यापक मानीटरन व पर्यवेक्षण, उपचार की सम्पूर्ण खुराक वाले रोगी-वार बाक्सों के उपयोग, तथा चल व समर्थित पर्यवेक्षण स्टाफ के साथ उप-जिला स्तरीय तपेदिक यूनितों के कारण संभव हुई है। प्रस्तुत मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

- सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता शामिल नहीं हैं। {सरकार, निजी, और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ)} और इसलिए सभी रोगियों को आर.एन.टी.सी.पी. का लाभ प्राप्त नहीं होता।
- देखभाल को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, समन्वित करना कठिन है, उनमें से कुछ के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों, टी.बी. नियंत्रण अवस्थापना, अथवा दोनों का अभाव है।
- उपचार का प्रेक्षण प्रायः सुविधाजनक नहीं होता।
- आर.एन.टी.सी.पी. की जानकारी का अभाव।

53. समीक्षा दल ने निम्नलिखित सिफारिश की:

- केन्द्रीय सरकार को, आर.एन.टी.सी.पी. का विकेन्द्रीकरण करने के लिए एक योजना विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करना चाहिए।
- आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यान्वयन की तैयारी तेज करने और पर्यवेक्षण तथा मानीटरन में सुधार करने के लिए राज्य स्तर पर क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।
- पर्याप्त क्षमता वाले राज्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपना ध्यान राज्य से जिला स्तर पर केन्द्रित करना चाहिए। पर्याप्त क्षमता के बिना राज्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को राज्यों को यह क्षमता प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने से पहले राज्यों में क्रान्तिक कार्यों में सफलता की उचित संभावना हो।
- अधिकाधिक आन्तर और अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय होना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों को आर.एन.टी.सी.पी. उपलब्ध हो।
- सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को आर.एन.टी.सी.पी. को कम से कम अपने लाभार्थियों के लिए अपनाना चाहिए।
- आर.एन.टी.सी.पी. कार्यान्वयन की तैयारी करने वाले क्षेत्रों में, प्रमुख चुनौती स्थानीय प्रतिबद्धता में वृद्धि करने, माइक्रोस्कोपी सेवाएं सुनिश्चित करने, मार्गनिर्देशों के अनुसार स्टाफ को प्रशिक्षित करने तथा पर्यवेक्षी स्टाफ को ठेके पर अथवा तैनात करने, कोटि और नैदानिक सेवाएं सुनिश्चित करने, सभी मामला प्रदाताओं द्वारा मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग करने की है।
- औ-धि की आपूर्ति नियमित होनी चाहिए तथा एस.सी.सी. क्षेत्रों में, जहां संभव हो, व्यापक चरण के दौरान, कम से कम अस्पताल में भर्ती रोगियों के उपचार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जाना चाहिए।
- राज्य तथा जिला टी.बी. कार्यक्रमों को, रोगी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक स्वयंसेवकों द्वारा उपचार के प्रेक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेक्षण नीत के अनुसार हो।
- एन.जी.ओ. को कार्यक्रम को हाल ही में प्रकाशित मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- मानीटरन में सुधार करने के लिए संशोधित रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग पद्धति कार्यान्वित की जानी चाहिए।

54. दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि 2007 तक सम्पूर्ण भारत आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत कवर हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त विदेशी सहायता का उपयोग करके कार्यक्रम के लिए प्रदत्त परिव्यय (तालिका 8) के अन्दर 2005 तक आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत पूरे देश के तेजी से कवरेज के संबंध में योजना आयोग का "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन मांगा और प्राप्त कर लिया है।

तालिका 8: दसवीं योजना के दौरान आर.एन.टी.सी.पी. के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपए)

स्कीमें	नौवीं योजना			दसवीं योजना के लिए बर्न-वार परिव्यय				
	नौवीं योजना व्यय	दसवीं योजना में ले जाया गया	दसवीं योजना परिव्यय	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
विश्व बैंक सहाय्यित आर.एन.टी.सी.पी.*	266.89	442.44	222.65	71.98	84.31	66.36	-	
नया			163.41	-	-	13.52	71.00	78.89
डनीडा सहाय्यित उड़ीसा में आर.एन.टी.सी.पी.	12.84	19.11	12.64	7.49	5.15	-	-	-
नया			31.00	-	3.00	9.00	9.00	10.00
डी.एफ.आई.डी. सहाय्यित आन्ध्रा में आर.एन.टी.सी.पी.*	34.37	75.56	54.73	15.73	6.00	15.00	18.00	
नया			20.00	-	-	-	-	20.00
अन्य चल रही परियोजनाएं (एन.टी.पी.)	84.36	शून्य	3.09	1.74	1.35	शून्य	शून्य	शून्य
जी.डी.एफ.			30.00	-	11.00	10.00	9.00	-
3 नए राज्यों में आर.एन.टी.सी.पी. (जी.एफ.ए.टी.एम.)			56.22	-	9.39	17.06	14.77	15.00
हरियाणा में आर.एन.टी.सी.पी. (यूसेड)			25.23	-	6.91	5.91	6.10	6.31
बाद के बर्नों में जी.एफ.ए.टी.एम. के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले नए उपाय			61.03	-	2.00	8.00	25.28	25.75
जोड़			680.00	96.94	129.11	144.85	153.15	155.95

* चल रही योजनाएं

स्रोत: टी.बी. इंडिया, 2001, 2002, 2003, आरएनटीसीपी स्टेट्स रिपोर्ट ।

55. प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय योजना आयोग ने सुझाव दिया कि विभाग को-

- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम के तीव्र विस्तार से निदान, उपचार की कोटि और अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव न डाले
- डी.ओ.टी.एस. के अन्तर्गत बलगम माइक्रोस्कोपी, इलाज की पूर्णता के माध्यम से निदान कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा साथ ही आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यान्वयन में पेश आई समस्याओं का अन्दाजा लगाने के लिए आर.एन.टी.सी.पी. का मध्यावधिक मूल्यांकन करना चाहिए, और
- उन प्रक्रियाओं का अन्दाजा लगाना जिनके जरिए विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद कार्यक्रम को जारी रखा जा सकता है।

रा-ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

56. भारत को, एड्स मामलों के सूचित किए जाने से काफी पहले एच.आई.वी. महामारी के नि-क्रिय चरण में एच.आई.वी. संक्रमण की मात्रा और आयाम परिभाषित करने के लिए 1986 में रा-ट्रीय सीर-निगरानी प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। आजकल, सामान्य आबादी के बीच एच.आई.वी. संक्रमण शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में सभी राज्यों में देखा जा सकता है। एच.आई.वी. संक्रमण की विद्यमानता में राज्यों के बीच और उनके अन्दर स्प-ट भिन्नता, काफी सीमा तक, जांच किए गए व्यक्तियों की किस्म और संख्या में अन्तरों के कारण हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि विगत दो दशकों के दौरान सभी राज्यों में सभी आयु-समूहों में संक्रमण की विद्यमानता में वृद्धि धीमी किन्तु उतरोत्तर हुई है। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जो 1991 में दो मिलियन थी, 1998 में बढ़कर 3.5 मिलियन और 2000 में 3.9 मिलियन हो गई। संक्रमित व्यक्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। प्रत्येक वर्ष, भारत में लगभग 30,000 प्रसूतियां सीर-निश्चयात्मक महिलाओं के बीच होती हैं तथा 6000 से 8000 तक शिशु प्रसव-पूर्व एच.आई.वी. से संक्रमित होते हैं। इस समय, देश में एड्स रोगियों की संख्या थोड़ी है। तथापि, अगले दशक के दौरान, जो व्यक्ति 1980 और 1990 के दशकों के दौरान संक्रमित हुए थे, उनमें एड्स विकसित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एड्स रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। चूंकि संक्रमण सभी राज्यों में विद्यमान है, इसलिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य ढांचे और जनशक्ति को चुस्त बनाने के लिए उपाय किए जाएं जिससे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तर पर एच.आई.वी./ एड्स से निपटने के लिए क्षमता का सभी राज्यों में निर्माण हो सके।

57. विश्व बैंक की सहायता से, देश में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा दीर्घावधिक आधार पर एच.आई.वी./एड्स का सामना करने की देश की क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 1952 में रा-ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण I /एन.ए.सी.पी.1) शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में कार्यक्रम पांच वर्ष की अवधि के लिए था किन्तु इसे मार्च 1999 तक बढ़ा दिया गया। रा-ट्रीय स्तर पर इसे रा-ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य एड्स प्रको-ठ द्वारा कार्यान्वित किया गया था। एन.ए.सी.पी.2 विश्व बैंक तथा दो द्विपक्षीय एजेन्सियों, नामतः यूसेड और डी.एफ.आई.डी., की सहायता से 1 अप्रैल, 1999 से शुरु किया गया था। एड्स चरण II कार्यक्रम में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

नाको द्वारा स्थापित अवस्थापना निम्नलिखित का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:

- * 815 रक्त कोश
- * जिला अस्पतालों में 504 एस.टी.डी. क्लिनिक निम्नलिखित की स्थापना
- * 40 रक्त घटक पृथक्करण सुविधाएं
- * 142 स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र
- * एच.आई.वी. संक्रमण की विद्यमानता में समय प्रवृत्तियों के मानीटरन हेतु 320 प्रहरी स्थल
- * उच्च जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रबंधन और रोकथाम के लिए 570 लक्षित हस्तक्षेपणीय उपाय
- * एच.आई.वी./एड्स के साथ रहने वाले लोगों के लिए सस्ती समुदाय-आधारित देखभाल

- * लक्षित उपाय, एस.टी.डी. नियंत्रण और गर्भनिरोधक प्रोत्साहन द्वारा गरीब और कमजोर उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच एच.आई.वी. संचरण को कम करना;
- * रक्त-आधारित संचरण को कम करके सामान्य जनता के बीच एच.आई.वी. के प्रसार को कम करना;
- * आई.ई.सी., स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श को प्रोत्साहन;
- * एच.आई.वी./एड्स के साथ रहने वाले लोगों के लिए समुदाय-आधारित सस्ती देखभाल के लिए क्षमता विकसित करना;
- * समुचित व्यवस्था के जरिए रा-ट्रीय, राज्य और पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता को सुदृढ़ करना तथा विश्वसनीय सूचना की समय पर उपलब्धता में वृद्धि करना;
- * सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच तालमेल कायम करना।

58. पूर्ववर्ती वर्गों में, एच.आई.वी./एड्स को रोकने के लिए जागरूकता निर्माण, और विनिर्दि-ट दुर्बल समूहों में आचरणात्मक परिवर्तन लाने पर बल दिया जाता था किन्तु बाद के वर्गों में, संक्रमण को प्राप्त करने और उसके संचरण की सर्वाधिक जोखिम वाली लक्षित आबादी की ओर ध्यान देने के लिए दृ-टिकोण को व्यापक बनाया गया। एन.ए.सी.पी. के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय का विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

तालिका 9: एन.ए.सी.पी.-परिव्यय और व्यय (करोड़ रुपए)		
वर्ष	परिव्यय	व्यय
नौवीं योजना	760.00	
1997-98	100.00	59.58
1998-99	111.00	62.49
1999-2000	140.00	105.13
2000-2001	145.00	91.11
2001-2002	210.00	154.49
जोड़	706.00	472.80
दसवीं योजना	270/127.00	
2002-03	225.00	242.00
2003-04	225.00	
स्रोत: स्वास्थ्य विभाग		
परिव्यय योजना आयोग से		
व्यय/ सं.अ. बी.ओ.पी., स्वास्थ्य विभाग से		

59. दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रम को निम्नलिखित पर बल देते हुए जारी रखा जाएगा:

- माता से बच्चे को संक्रमण रोकना;
- रक्त-रोपित सम्प्रे-ण और स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में संयोगवश संक्रमण में कमी;
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों/ एड्स मामलों की देखभाल;
- एसटीडी का निवारण और प्रबंधन; और
- एच.आई.वी. संक्रमण में समय प्रवृत्तियों के संबंध में महामारीय डाटा प्राप्त करने के लिए सुधरे प्रयास।

60. स्वास्थ्य विभाग ने दसवीं योजना के दौरान एक व्यापक एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, दसवीं योजना में निर्दि-ट सभी घटकों सहित, कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। देश भर में रक्त

दसवीं योजना लक्ष्य

- लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च जोखिम वाले समूहों का 80 प्रतिशत कवरेज;
- शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों और कालेजों का 90 प्रतिशत कवरेज;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य आबादी के बीच 80 प्रतिशत जागरूकता;
- रक्त वाहित संचरण को 1 प्रतिशत से कम करना;
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्र स्थापित करना;
- माता से बच्चे को संक्रमण रोकने के कार्यक्रमों का जिला स्तर तक विस्तार;
- 2007 तक एच.आई.वी./एड्स विद्यमानता की शून्य वृद्धि प्राप्त करना;
- एस.टी.डी. क्लिनिकों के उपयोग में सुधार; और
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों और एड्स मामलों के उपचार और देखभाल में सुधार

आदान सेवाओं के समेकित प्रबंधन के लिए एक कार्रवाई योजना शुरू की जा रही है। परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से, प्रथम रेफरल यूनिटों में रक्त भण्डारण सुविधाएं निर्मित की जा रही हैं। माता से बच्चे को संक्रमण को रोकने के लिए कार्यकलापों का जिला स्तर अस्पतालों तक और साथ ही महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, नगलैण्ड और तमिलनाडु में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तक प्रसार करने का विचार है। बाद में अन्य राज्यों के मेडिकल कालेज अस्पतालों को क्रमिक रूप से कवर किया जाएगा। इन राज्यों में जिला स्तर तक स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण (वी.सी.टी.) सेवाएं कायम की गईं और क्रमिक रूप से विस्तार किया गया। एच.आई.वी. पाजिटिव रोगियों का उपचार करते समय दुर्घटनावश सूई छड़ चोट की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रकटन पश्चात प्रोफीलेक्सिस (पी.ई.पी.), जिला स्तर तक सभी सरकारी क्षेत्रक अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। एच.आई.वी./एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए औषधियों की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। एच.आई.वी.-टी.बी. सह-संक्रमण के शीघ्र निदान और उपचार के लिए संशोधित रा-ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के साथ सहयोग कायम किया गया है। गोपनीयता तथा विश्वस्तता में सुधार लाकर सरकारी क्षेत्रक अस्पतालों में एस.टी.डी. क्लिनिकों के उपयोग में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार कल्याण विभाग के उप-जिला एस.टी.डी./आर.टी.आई. कार्यक्रमों के साथ संयोजन को सुदृढ़ किया जा रहा है। एड्स मरीजों को देखभाल और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए समुदाय देखभाल केन्द्र कायम किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के सभी स्तरों पर इन रोगियों के बीच अवसरवादी संक्रमणों के प्रबंधन के लिए सुविधाएं प्रदान की गईं हैं। उच्च कोटि की सेवाओं का परामर्श प्रदान करके उच्च जोखिम वाले समूह के बीच लक्षित हस्तक्षेप को दसवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर अवस्थापना विकास और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 1 जनवरी 2003 तक, 81,650 डाक्टरों, 78,122 नर्सों, 190944 अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। रा-ट्रीय और राज्य स्तरों पर एन.ए.सी.पी. II के कार्यान्वयन के कारगर मानीटरन के वास्ते एक कम्प्यूटरीकृत सूचना पद्धति विकसित की गई है। पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सौसायटियों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा राज्यों से सभी सूचना को जनवरी 2002 से इलेक्ट्रानिकी के माध्यम से नाको को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

एन.ए.सी.पी. - चल रहे तथा नए कार्यक्रमों के लिए विदेशी वित्तपो-नण

ई.ए.पी. वित्तपो-नण एजेन्सी	(करोड़ रुपए)
विश्व बैंक सहायित एड्स चरण II परियोजना	1155.00
डी.एफ.आई.डी. परियोजना (5 राज्यों में)	487.40
"एवर्ट" परियोजना (महाराष्ट्र)	166.00
ए.पी.ए.सी. परियोजना (तमिलनाडु और पांडिचेरी)	64.58
सीडा परियोजना (राजस्थान और कर्नाटक)	37.81
यू.एन.डी.पी.	6.47
आस्ट सहायता (4 राज्य)	24.65
जोड़	1941.91

61. स्वास्थ्य विभाग ने दसवीं योजना परिव्यय के अन्दर दसवीं योजना के दौरान एड्स नियंत्रण हेतु एक व्यापक बहु-एजेन्सी वित्तपो-नित कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। नौवीं योजना के दौरान एन.ए.सी.पी. के विभिन्न घटकों पर व्यय 5,15.97 करोड़ रुपए था। दसवीं योजना के लिए एन.ए.सी.पी. II के वास्ते परिव्यय 1270 करोड़ रुपए है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यय प्रदत्त आबंटन तक सीमित रहे, डी.एफ.आई.डी. परियोजना पर खर्च अगली

योजना अवधि तक चला जाएगा।

62. ई.एफ.सी. ने नाको के प्रस्ताव को 1941.91 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ निम्नलिखित के अध्यक्षीन अनुमोदित कर दिया:

- * कुल परिव्यय योजना आयोग द्वारा प्रदत्त राशि, अर्थात् 1270 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए;
- * राशि में से कुछ प्रतिशत अवस्थापना के निर्माण के लिए विनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके बारे में नाको द्वारा योजना आयोग के परामर्श से निर्णय किया जा सकता है;
- * आवर्ती देनदारियों के भार का पता लगाया जाना चाहिए और उसमें किफायत बरती जानी चाहिए, क्योंकि भावी नीति और संधारणीयता के लिए इसके प्रभाव होंगे;
- * निधियों के आबंटन का घटक-वार विवरण, सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, तय किया जाना चाहिए;
- * यूनिट लागत और साथ ही उपायों की कारगरता की एन.ए.सी.बी. द्वारा जांच की जानी चाहिए।
- * दाता एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्षतः वित्तपो-ण के लिए प्रस्तावित घटक की नाको द्वारा जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और वह कार्यक्रम के उद्देश्य, लक्ष्य और प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

63. एच.आई.वी. एक बहुमुखी समस्या है जो समाज के सभी घटकों को प्रभावित कर रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग, न केवल स्वास्थ्य क्षेत्रक के पारम्परिक कार्यक्रमों के संबंध में, जैसेकि रोकथाम, पता लगाना, परामर्श और प्रबंधन, बल्कि विधान, संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास, जैसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी उपायों का एक नोडल पाइंट है। उम्मीद है कि दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में एच.आई.वी. संक्रमण सम्बद्ध मुद्दों पर कार्रवाई करेगा। उदाहरणार्थ, श्रम मंत्रालय कार्य स्थल पर भेदभाव को रोकने के क्षेत्र की देखभाल करेगा। स्वैच्छिक संगठन, एड्स रोगियों का सहारा प्रदान करने में सर्वाधिक उपयुक्त हो सकते हैं, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता, तथा अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए, जिनके मां-बाप एड्स के कारण मर गए हैं। यदि प्रत्येक क्षेत्रक इस क्षेत्रक से संबंधित कार्य करेगा तो देश एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवारों की जरूरतों की, अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देखभाल कर सकता है।

ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों का समानान्तर एकीकरण

64. प्रारंभ में, जबकि प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंध के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा और जनशक्ति उपलब्ध नहीं थी, एन.एम.ई.पी. तथा एन.एल.ई.पी. जैसे अनेक ऊर्ध्वाधर कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पिछले वर्षों के दौरान तिहरा स्वास्थ्य देखभाल ढांचा स्थापित किया गया है। नौवीं योजना में परिकल्पना की गई थी कि जिला स्तर पर विद्यमान ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों को समेकित करने के प्रयास किए जाएंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान व्यापक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करें। समानान्तर एकीकरण की गति बहुत धीमी और असमान रही है। नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित के संबंध में प्रयास किए गए:

- * विभिन्न ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के अन्तर्गत आई.ई.सी. और प्रशिक्षण से सम्बद्ध कार्यक्रमों का एकीकरण करना;

- * आर.सी.एच. और एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत एस.टी.डी./ प्रजनन मार्ग संक्रमणों (आर.टी.आई.) की रोकथाम और प्रबंधन हेतु कार्यकलापों का समन्वय करना;
- * वर्तमान एच.आई.वी. तथा टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रमों के बीच समन्वय में सुधार लाना; और
- * प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के माध्यम से कु-ठ सेवाएं प्रदान करना।

65. उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने, सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी का गठन किया है। कुछ राज्यों में, मध्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधकों को, जो फिलहाल जिला स्तर पर ऊर्ध्वधर कार्यक्रमों के प्रधान हैं, विनिश्चित ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा जा रहा है। उनकी भागीदारी से डाटा संग्रहण और रिपोर्टिंग में सुधार होने, एच.एम.आई.एस. के सुदृढ़ होने, पी.एच.सी./सी.एच.सी. में अनिवार्य औ-धियों और साधनों की आपूर्ति में भी सुधार होने की संभावना है तथा जिला स्तर पर रोग निगरानी व प्रतिक्रिया तंत्र को कार्यान्वित करने में भी मदद मिलेगी। रा-ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 (एन.एच.पी. 2002) में, वित्तपो-ण, कार्यान्वयन और मानीटरन हेतु जिला तथा उससे नीचे के स्तरों पर शुरू करके प्रशासन के एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रमिक रूप से अभिसरण की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना के दौरान, मुख्य रूप से इस अभिसरण की गति और कवरेज में सुधार करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। एन.एच.पी.2002 में परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य पद्धति में विकेन्द्रीकृत स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी कार्यकलापों के लिए जनशक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वे कार्यकलाप रा-ट्रीय कार्यकलापों से अथवा राज्य/ पी.आर.आई. द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकलापों से संबंधित हों।

गैर-संचारी रोगों (एन.सी.डी.) पर नियंत्रण

66. गैर-संचारी रोगों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की वि-म स्थितियां आती हैं जो भिन्न-भिन्न आयु और समाजार्थिक वर्गों में विभिन्न अंगों और पद्धतियों को प्रभावित करती हैं। विगत दो दशकों के दौरान, हृदय-रोगों, मानसिक विकृतियों, कैंसर तथा दुर्घटनाओं के कारण, निम्नलिखित की वजह से, रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है:

- * गैर-संचारी रोगों की उच्च विद्यमानता वाले वरि-ठ नागरिकों की संख्या;
- * जीवन-शैली परिवर्तनों, मोटापे और तनाव के कारण युवा लोगों में गैर-संचारी बीमारियों की विद्यमानता; और
- * पर्यावरणीय जोखिम कारकों का सामना और तम्बाकू का उपयोग।

67. 1990 के दशक के दौरान, रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, हृदवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वाणी तथा श्रवण विकलांगता की रोकथाम, मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मेडिकल पुनर्वास जैसी अनेक प्रायोगिक परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्रक प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में शुरू की गई थीं। प्रायोगिक चरण पूरा हो जाने के बाद इन कार्यक्रमों को इन समस्याओं से सम्बन्धित केन्द्रीय संस्थानों के साथ मिला दिया गया है।

68. नौवीं योजना में, विद्यमान अवस्थापना के माध्यम से, एकीकृत गैर-संचारी रोग निवारण तथा नियंत्रण सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस मोर्चे पर प्रगति बहुत धीमी रही है। केरल जैसे कुछ राज्यों में, निवारण, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उपयुक्त रेफरल पद्धति के निर्माण पर बल देते हुए, प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल स्तर पर एक एकीकृत गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जटिलताओं के प्रबंधन हेतु उपचार सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते तृतीयक देखभाल केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

69. दसवीं योजना के दौरान, देशभर में देखभाल के सभी स्तरों पर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, संवर्धक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं में सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे जिससे कि रुग्णता और मृत्यु दर कम हो सके। निम्नलिखित पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा:

- * गैर-संचारी बीमारियों की प्राथमिक और द्वितीयक रोकथाम के लिए एक सुरचित आई.ई.सी. तथा एम;
- * देखभाल के विभिन्न स्तरों पर गैर-संचारी रोगों के निदान और प्रबंधन में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का पुनर्स्थापन व दक्षता उन्नयन;
- * प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संस्थानों के बीच रेफरल संयोजन कायम करना;
- * वहनीय लागत पर गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए औ-धियों का निर्माण व प्रावधान
- * विकलांग व्यक्तियों, शिक्षकों को अपनी विकलांगता के साथ रहने के लिए संस्थानों का विकास;
- * बीमारी की अन्तिम अवस्था वाले लोगों की देखभाल के लिए, जिन्हें घर पर देखभाल प्राप्त नहीं हो सकती, आश्रय स्थलों का विकास; और
- * गैर-संचारी बीमारियों, विशेष रूप से सी.वी.डी., आघात और मधुमेह के संबंध में एक महामारीय डाटाबेस सृजित करना।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.)

70. भारत में विश्वभर में कैंसर की निम्नतम दर है किन्तु बिलियन से अधिक आबादी होने के कारण भारत में 2 से 2.5 मिलियन तक कैंसर के मामले हैं तथा प्रत्येक वर्ष 7,00,000 नए मामलों का पता चलता है। लगभग दो-तिहाई मामले, पता लगने के समय गंभीर स्थिति में होते हैं तथा प्रत्येक वर्ष 3,00,000 से 3,50,000 कैंसर रोगियों की मौत होती है। वर्तमान पूर्वानुमानों से पता चलता है कि सभी क्षेत्रों के संबंध में भारत में कैंसर मामलों की कुल संख्या 2026 तक दुगुनी हो जाएगी जिसका कारण बढ़ती जीवन अवधि, औद्योगीकरण के कारण पर्यावरणीय कर्कट वृद्धि की अधिक समस्या, फोसिल ईंधन का उपयोग, उद्योग तथा कृनि में विविध प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रयोग तथा तम्बाकू का निरन्तर उपयोग किया जाना है।

71. स्त्री-पुरुष - दोनों में ही मुख/ ओरोफारिन्क्सक, अन्न नाली का कैंसर आम है, पेट तथा निम्न श्वसन प्रणाली का कैंसर पुरुषों में आम है; महिलाओं में ग्रीवा, वक्ष कैंसर आम है। कैंसर के लगभग एक-तिहाई मामलों में पता लगाना सरल है और यदि शीघ्र पता चल जाए तो उनका तत्काल इलाज किया जा सकता है। देश में कुल कैंसर मामलों में तम्बाकू सम्बद्ध कैंसर (विशेष रूप से मुख छिद्र और फेफड़ा कैंसर) का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। तम्बाकू चबाने की बजाए धूम्रपान में वृद्धि से फेफड़ा कैंसर के मामलों में वृद्धि हो सकती है जिसका पता लगाना और इलाज करना बहुत कठिन है। बदलती आहारिय

पद्धतियों (उच्च केलोरी, अधिक वसा अन्तर्गहण) और निम्न समानता के कारण वक्ष कैंसर के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

72. कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, एक केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में 1975-76 में शुरू किया गया था। 1985 में इसका नाम बदलकर रा-द्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.) कर दिया गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आर.सी.सी.) को, कैंसर रोगियों के निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए, धन उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अनुसंधान अध्ययन, कैंसर के कारण मृत्यु और रुग्णता का सर्वेक्षण आयोजित करते हैं और कैंसर देखभाल तथा स्वास्थ्य शिक्षा में मेडिकल और अर्ध-मेडिकल शिक्षा में मेडिकल और अर्ध-मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एन.सी.पी.पी. के अन्तर्गत उपस्कर

रा-द्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य

- * सरकार तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसर की प्राथमिक रोकथाम;
- * कैंसर, विशेष रूप से ग्रीवा, वर्न तथा आरोफारिगल कैंसर का शीघ्र पता लगाना तथा निदान;
- * विद्यमान कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण;
- * कैंसर के अन्तिम चरण में सान्त्वनावादी देखभाल तक अधिकारिक पहुंच।

की खरीद (कोबाल्ट यूनिट, मैमोग्राफी यूनिट) और राजकीय मेडिकल कालेजों/ स्वैच्छिक संगठनों में अर्बुद-विज्ञान खण्डों के विकास के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्न 1990-91 में शुरू किए गए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रोत्साहित करना, कैंसर का शीघ्र पता लगाना तथा दर्द राहत है। आई.सी.एम.आर. ने, मुम्बई, बंगलौर, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली में पांच जनसंख्या-आधारित शहरी कैंसर रजिस्ट्रियों, महारा-द्र में बरसी में ग्राम रजिस्ट्री तथा चण्डीगढ़, डिब्रूगढ़, तिरुवनन्तपुरम बंगलौर में बरसी में ग्राम रजिस्ट्री तथा चण्डीगढ़, डिब्रूगढ़, तिरुवनन्तपुरम, बंगलौर, मुम्बई और चेन्नई में छः अस्पताल-आधारित रजिस्ट्रियों के साथ 1981-82 में रा-द्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एन.सी.आर.पी.) की शुरुआत की थी। एन.सी.आर.पी., कैंसर विद्यमानता में क्षेत्रीय अन्तरों और समय प्रवृत्तियों के संबंध में डाटा उपलब्ध कराता है ताकि चालू कार्यक्रमों में समुचित आशोधन किए जा सकें।

73. कैंसर रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के संबंध में वर्तमान प्रयासों में प्रगति बहुत धीमी रही है। एन.सी.सी.पी. के मूल्यांकन से निम्नलिखित का पता चला:

- * कैंसर उपचार सुविधाएं समान रूप से वितरित नहीं हैं। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और बेहतर नि-पादनकर्ता राज्यों के निर्धनतम जिलों में बहुत कम रेडियोथेरापी यूनिट हैं।
- * एक सुस्थापित रेफरल पद्धति के अभाव के कारण, कैंसर उपचार केन्द्रों में अत्यधिक भीड़-भाड़ होती है।
- * जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम संतो-जनक ढंग से काम नहीं कर रहा है।
- * आई.ई.सी. प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन असंतो-जनक ढंग से काम कर रहे हैं।
- * बेहतर समन्वय की जरूरत है।

74. कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख बल विद्यमान यूनिटों को सतत रूप से सहायता प्रदान करने पर नहीं बल्कि अल्प-सेवित राज्यों/ जिलों में कैंसर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता में कमियों को पूरा करने के लिए तथा पूरे देश में विद्यमान कैंसर उपचार केन्द्रों का कामकाजी स्तर सुधारने के वास्ते

उपलब्ध योजनागत निधियों के उपयोग पर दिया जाना चाहिए। कैंसर का शीघ्र पता लगाने में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। शून्य-आधारत बजट पद्धति (जेड.बी.बी.) प्रक्रिया 2000 के दौरान इस बात पर सहमत हुई कि कार्यक्रम दसवीं योजना अवधि के दौरान जारी रहेगा तथा इसे एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा। दसवीं योजना के दौरान, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को संवेदी बनाने तथा उनकी दक्षताओं को उन्नत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जाएगा जिससे कि वे निम्नलिखित के संबंध में जिम्मेदारी उठा सकें:

- * कैंसर निवारण के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा;
- * उपयुक्त संस्थानों में मानक उपचार प्रोटोकॉलों के अनुसार शीघ्र निदान और प्रबंधन; और
- * कैंसर रोगियों को सही समय पर उपयुक्त देखभाल स्तरों तक रेफर करना।

75. स्वास्थ्य विभाग ने, विभिन्न घटकों के लिए सहायता में वृद्धि के साथ नौवीं योजना की तरह ही कार्यक्रम को दसवीं योजना में जारी रखने के संबंध में एन.सी.सी.पी. हेतु एक ई.एफ.सी. प्रस्ताव प्रस्तुत किया। व्यय वित्त समिति ने 11 फरवरी 2003 को हुई अपनी बैठक में ई.एफ.सी. प्रस्ताव पर विचार किया। ई.एफ.सी. ने सुझाव दिया कि विभाग, मूल्यांकन नि-क-नों को ध्यान में रखते हुए ई.एफ.सी. ज्ञापन की पुनर्संरचना करे। प्रस्ताव फिर से तैयार करते समय निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है। विद्यमान आर.सी.सी. तथा साथ ही कैंसर उपचार केन्द्र अधिकाधिक आत्मनिर्भर होने चाहिए जिससे कि कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम से उपलब्ध राशि इन केन्द्रों को प्रदान की जा सके जहां उपचार की कोई सुविधा विद्यमान नहीं है। विद्यमान केन्द्रों का नेटवर्क करना तथा उपयुक्त रेफरल सेवाएं सृजित करना महत्वपूर्ण है। सभी मेडिकल कालेजों को कम से कम एक कोबाल्ट मशीन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। विद्यमान कैंसर उपचार केन्द्रों और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को राज्य में विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के साथ एकीकृत करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मुफ्त/ सहायता-प्राप्त उपचार की व्यवस्था करने के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए नैदानिक और चिकित्सा सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों के संबंध में स्प-ट मानदण्ड विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए। नया प्रस्ताव अनुमोदित होने तक, एन.सी.सी.पी. के अन्तर्गत विद्यमान स्कीमों को नौवीं योजना प्रतिमानों के अनुसार जारी रखा जा सकता है।

रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

76. मानसिक स्वास्थ्य के तीन प्रमुख पहलू हैं: मानसिक रूप से बीमार रोगियों में स्वास्थ्य की बहाली, जोखिम की स्थिति में आने वालों का शीघ्र पता लगाना व सामान्य व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य का समुचित संरक्षण व प्रोत्साहन। 1950 से पहले, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से बड़े, केन्द्रीयकृत मानसिक अस्पतालों में उपलब्ध थी जो मानसिक विकृतियों वाले व्यक्तियों को सुरक्षा तथा देखभाल प्रदान करते थे। आजादी के समय, 17 मानसिक अस्पताल थे, जिनमें 8,000 से अधिक रोगियों के लिए स्थान था। आजादी के तुरंत बाद, मानसिक अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर, और सामान्य अस्पतालों में मनःचिकित्सा देखभाल प्रदान करने से तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की मात्रा अनुमान है कि-	
*	दस मिलियन लोग गम्भीर मानसिक विकृतियों से पीड़ित हैं।
*	20-30 मिलियन लोगों में मनस्तापी मनःशारीरिक विकृतियां मौजूद हैं।
*	0.5-1.0 प्रतिशत बच्चे मन्द बुद्धि हैं।

को मानसिक अस्पतालों की चारदिवारी से बाहर लाने से, मानसिक बीमारी का इलाज करने से जुड़ा लांछन कम हो गया, मरीजों की दाखिल करने व उपचार करने पर कानूनी प्रतिबंध हट गए तथा सम्बद्ध शारीरिक समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में सुविधा हुई।

77. वर्ष 2001 में, देश में 37 विशेषज्ञतापूर्ण राजकीय मानसिक अस्पताल हैं (छोटे: 250 से कम बिस्तर वाले, मझोले 250-500 बिस्तर वाले और बड़े 500 से अधिक बिस्तर वाले) जिनमें कुल 18,024 बिस्तरों (शैय्याओं) की व्यवस्था है। इसके अलावा, देश में विभिन्न मेडिकल कालेजों और सामान्य अस्पतालों में, कुल 3000 बिस्तरों के साथ भिन्न-भिन्न आकार के लगभग 200 मनःचिकित्सा यूनिट हैं। रा-ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने, रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान संस्थान (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.), बंगलौर के माध्यम से सभी राज्य-संचालित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की और पाया कि:

- केवल 16 राज्यों में राजकीय मानसिक अस्पताल हैं।
- भारत में मनःचिकित्सा अस्पताल का औसत कार्यकाल 85.7 वर्ष है, जिनमें से कुछेक 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं।
- इन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से लगभग 40 प्रतिशत जेलों जैसे हैं और इनका रख-रखाव असंतो-जनक है।
- डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं।
- इन अस्पतालों के लिए बजट भी सीमित है।

78. विद्यमान अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में मानसिक रोगियों के इलाज के संबंध में विद्यमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं; इनमें से बहुत से अस्पतालों में न तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है और न ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। एन.एच.आर.सी. ने सुझाया कि यदि इन अस्पतालों को मानसिक रोगियों की देखभाल पर्याप्त ढंग से करनी है तो इन सभी को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

79. भारतीय मेडिकल परि-द द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल कालेज में कम से कम तीन संकाय सदस्यों और मरीज दाखिल करने की 30 बिस्तरों की सुविधाओं के साथ एक मनोरोग चिकित्सा विभाग होना चाहिए। उनमें बहिरंग विभाग तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रदान करने की सुविधाएं भी होनी चाहिए। लगभग एक-तिहाई मेडिकल कालेजों में इन अनिवार्य सुविधाओं का अभाव है। आजकल देश में लगभग 40 पी.जी. शिक्षण केन्द्र, 3000 अर्हताप्राप्त मनोरोग चिकित्सक, 500 नैदानिक मनोरोग चिकित्सक, 300 मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता तथा 600 प्रशिक्षित मनोरोग नर्स हैं। मेडिकल कालेजों में अवर स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का उन्नयन नहीं किया गया है। विशेष-ज्ञ गैर-मेडिकल मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों (नैदानिक मनोरोग चिकित्सक, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता और मनोरोग नर्स) को प्रशिक्षित करने के लिए देश में बहुत कम केन्द्र हैं। मेडिकल कालेजों में मनोरोग चिकित्सा में प्रशिक्षण के स्तरोन्नयन के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों का प्रस्ताव किया गया है:

- जिन मेडिकल कालेजों में मनोरोग चिकित्सा विभाग नहीं है, वहां उसकी स्थापना करना।
- विद्यमान मनोरोग चिकित्सासेवाओं (अन्तरंग सेवाओं की व्यवस्था सहित) का आवश्यक उपस्कर और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ, उन्नयन।
- रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम/ डी.एम.एच.पी. के नि-पादन के लिए सहायता प्रदान करने और उसके कार्यान्वयन के लिए मनोरोग विभाग जिम्मेदार होगा।

- मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा उन्हें प्रत्यायन और लाइसेंस प्रदान करना।
 - विद्यमान केन्द्रीय/ राज्य सरकार संस्थानों/ कालेजों में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए क्षमता बढ़ाना।
80. रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) 1982 में निम्नलिखित उद्देश्य से शुरू किया गया था:
- निकट भवि-य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की उपलब्धता और सुलभता सुनिश्चित करना (विशेष-रूप से सर्वाधिक कमजोर व असुविधाप्राप्त वर्गों को)।
 - सामान्य स्वास्थ्य देखरेख में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान का अनुप्रयोग प्रोत्साहित करना।
 - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा समुदाय में स्वयंसेवा की दिशा में प्रयास प्रेरित करना।
81. निम्नलिखित के संबंध में प्रयास किए गए:
- * बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करना; स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सभी स्तरों तक मानसिक स्वास्थ्य कौशलों के प्रसार में सुधार।
 - * विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में कार्यों का उपयुक्त आबंटन।
 - * संसाधनों का एकसमान और संतुलित विभाजन।
 - * अन्य समुदाय विकास कार्यक्रमों के साथ संयोजन में सुधार।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी और सातवीं योजना अवधियों के दौरान प्रगति धीमी थी।
82. आठवीं योजना के दौरान एन.आई.एम.एच. ए.एन.एस. ने, निम्नलिखितों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के बेल्लारी जिले में एक जिला मानसिक स्वास्थ्य देखभाल माडल विकसित और कार्यान्वित किया:
- * अधिकांश मनोरोग पीड़ित व्यक्ति विद्यमान मनःचिकित्सा सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते।
 - * मानसिक विकृतियों वाले रोगी बड़ी संख्या में चलने-फिरने लायक होते हैं और उनकी देखरेख घर में की जा सकती है।
 - * शीघ्र पता लगाना और मानसिक विकृतियों का तुरन्त उपचार शीघ्र सुधार की कुन्जी है।
83. कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:
- * एक गृहोपचर्या विकसित करने के लिए, जिसे विशेष-ज्ञ-भिन्न मेडिकल और मेडिकल-भिन्न कार्मिक द्वारा, सरल, कम खर्चीली और प्रभावी हस्तक्षेप तकनीकों का इस्तेमाल करके, प्रदान किया जाए।
 - * मानसिक बीमारी से जुड़े लांछन को कम करने के लिए सामुदायिक शिक्षा, और
 - * रोगियों का उनके पारिवारिक परिवेश के अन्दर उपचार तथा पुनर्वास।

84. सेवाओं के अन्तर्गत 7 तालुकों में फैले 1.5 मिलियन लोगों को कवर किया गया। परिसर में एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक आयोजित करने तथा पूरे जिले का दौरा करने के वास्ते भी, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया गया। एक सरल रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग पद्धति विकसित की गई। जिले में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में वितरणार्थ पांच अनिवार्य औ-धियां उपलब्ध कराई गईं। 1990 के पश्चात बेल्लारी में डी.एम.एच.पी. को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक द्वारा ले लिया गया था। इन उत्साहवर्धक अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम का नौवीं योजना के दौरान 20 राज्यों में 22 जिलों को कवर करके विस्तार किया गया ।

85. दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि केन्द्र और राज्य, क्रमिक रूप से सभी जिलों को कवर करने के वास्ते, प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल स्तरों तक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता में धीरे-धीरे सुधार करेंगे। मेडिकल कालेजों में मनोरोग विभाग, जिस जिले में वे स्थित हैं, उस जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मानीटरन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अन्य चल रहे सम्बद्ध कार्यक्रमों के साथ कारगर संयोजन कायम करेंगे। सी.एस.एस.रा-द्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 190 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है।

86. स्वास्थ्य विभाग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान एन.एम.एच.पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय तैयार किए हैं:

- * विद्यमान सरकारी मानसिक अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों के मनोरोग स्कन्धों (72.00 करोड़ रुपए) और मेडिकल कालेजों में मनोरोग स्कन्धों (37.50 करोड़ रुपए) की अवस्थापना और कामकाज में सुधार।
- * जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का 100 जिलों तक बिस्तार (89.43 करोड़ रुपए)।
- * आई.ई.सी. और जागरूकता सृजन पर अधिक बल जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े भ्रमों और पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके (10 करोड़ रुपए)।
- * समुदाय-आधारित अनुसंधान पर जोर देते हुए संगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना जिससे और अधिक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुकर होंगे (5 करोड़ रुपए)
- * राज्य और केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों को मजबूत बनाना जिससे कि उनकी मानीटरन भूमिका और अधिक कारगर बन सके।

87. ई.एफ.सी. ने उपरोक्त प्रस्ताव को इस उपबन्ध के साथ अनुमोदित किया कि कार्यक्रम की कुल लागत 190 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय तक सीमित रहे। ई.एफ.सी. ने, मेडिकल कालेजों के विस्तार और सुदृढीकरण, विद्यमान मानसिक अस्पतालों को चुस्त बनाने के आधुनिक निम्नलिखित उपायों का समर्थन किया:

- 72 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के अन्दर, 3.00 करोड़ रुपए तक का प्रावधान 500 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए तथा 500 से कम बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए 1.50 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। इस राशि को, संस्थान द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर अस्पताल को जारी कर दिया जाएगा। अनुदान के अन्तर्गत विद्यमान इमारतों का निर्माण/ मरम्मत, उपस्कर/ फर्नीचर की खरीद और अवस्थापना की व्यवस्था (वाटर टैंक, शौचालय आदि) शामिल होंगी। इसके अन्तर्गत वेतन, मानसिक अस्पतालों के संचालन के लिए आवर्ती व्यय अथवा औ-धियों और उपभोज्यों पर व्यय सम्मिलित नहीं होगा।

- यह एक बार का अनुमान है जो बिस्तरों की संख्या से नहीं बल्कि प्रदत्त निधियों को खपाने की तैयारी और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की शर्त पर है।
- प्रत्येक प्रस्ताव पर, इन घटकों के लिए प्रदत्त निधियों के अन्दर, सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार और मंजूर किया जाना चाहिए।

88. ई.एफ.सी. ने, कालेजों द्वारा अपने प्रस्ताव राज्य के माध्यम से भेजे जाने और सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार और मंजूर किए जाने के बाद अवस्थापना और उपस्कर के उन्नयन हेतु उन्हें 50 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान प्रदान करके सरकारी क्षेत्रक में सरकारी अस्पतालों के मनोरोग स्कन्धों और मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ करने की सिफारिश की। अनुदान का उपयोग आवर्ती खर्च और संचालन व्यय के लिए नहीं किया जाएगा। इस अनुमान के आधार पर कि योजना अवधि के दौरान कम से कम 75 प्रस्तावों पर और अस्पतालों/ मेडिकल कालेजों के स्तरोन्नयन के लिए प्रत्येक वर्ग कम से कम 15 प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए अनुमानित आवश्यकता प्रति वर्ग लगभग 7.5 करोड़ रुपए तथा दसवीं योजना के लिए 37.5 करोड़ रुपए होगी।

89. ई.एफ.सी. ने सिफारिश की कि प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन तुरंत किया जाए। जिन जिलों को नौवीं योजना के दौरान पूरे पांच वर्ग के लिए सहायता नहीं दी गई है उन्हें विद्यमान आधार पर शेन अवधि के लिए सहायता दी जा सकती है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार प्रायोगिक कार्यक्रम के मूल्यांकन के बाद ही किया जाना चाहिए। सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक समिति, प्रायोगिक परियोजना के मूल्यांकन के पश्चात जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार के मुद्दे पर निर्णय करेगी। ई.एफ.सी. ने यह भी सुझाव दिया कि आई.ई.सी. तथा अनुसंधान कायनीतयों को संशोधित किया जाए।


अन्धता के नियंत्रण के लिए रा-द्रीय कार्यक्रम

90. विश्व में कुल अनुमानित 45 मिलियन नेत्रहीन व्यक्तियों में से (3/60 से कम दृष्टि), भारत में 7 मिलियन लोग हैं। देश में अन्धेपन की विद्यमानता का पता लगाने के लिए दो बड़े सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। भारतीय भे-ज अनुसंधान परि-द (आई.सी.एम.आर.) द्वारा 1974 में किए गए पहले सर्वेक्षण से सामान्य आबादी में (दृष्टि 6/60 से कम) 1.38 प्रतिशत की विद्यमानता का पता चला। रा-द्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) 1976 में, अन्धेपन की विद्यमानता को कम करने के लक्ष्य के साथ 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। भारत सरकार/ वि.स्वा.सं. द्वारा प्रायोजित दूसरे सर्वेक्षण (1986-89) से पता चला कि 15 वर्ग की बीच की अवधि में देश में अन्धेपन की विद्यमानता में कोई कम नहीं आई है। इन दोनों सर्वेक्षणों से पता चला कि भारत में मोतियाबिन्द अन्धपन का अकेला सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मोतियाबिन्द अन्धपन को दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एन.पी.सी.बी. का उद्देश्य, मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा की सुधरी सुलभता पर बल देते हुए नेत्र देख-रेख सुविधाओं में सुधार करना है। लक्ष्य, अन्धपन की विद्यमानता को 2002 तक 0.3 प्रतिशत तक कम करना है। 7 राज्यों में मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा करने के लिए, जिनके बारे में अनुमान है कि वे देश के मोतियाबिन्द अन्धपन में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं, सुविधाओं में सुधार करने के वास्ते विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की गई। कार्यक्रम 1994-2003 के बीच कार्यान्वित किया जा रहा था। शे-न राज्यों को स्वदेशी बजट से धन प्राप्त हुआ। रा-द्रीय अन्धपन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत-

- 307 समर्पित नेत्र आपरेशन थिएटर तथा नेत्र वार्ड जिला स्तर अस्पतालों में निर्मित किए गए हैं;

- नेत्रों की सामान्य विकृतियों के निदान और उपचार तथा आई.ओ.एल. के लिए नेत्रोपचर्या उपस्कर सभी जिला अस्पतालों को सप्लाई किया गया;
- 800 से अधिक नेत्र सर्जनों को आई.ओ.एल. सर्जरी में प्रशिक्षित किया गया है;
- नेत्र देखभाल सुविधाएं कायम करने/ विस्तार करने के लिए 30 एन.जी.ओ. की सहायता की गई।

91. कार्यक्रम के अन्तर्गत नि-पादन तथा निधियों का उपयोग चित्र 5 में और तालिका 10 में दर्शाया गया है।



तालिका 10: वित्तीय स्थिति - अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (लाख रुपए)

वर्ष	परिव्यय	व्यय/ सं.अ.
9वीं योजना	44800.00	
1997-98	7000.00	6799.46
1998-99	7500.00	7542.75
1999-2000	8500.00	8990.14
2000-2001	11000.00	10144.33
2001-2002	14000.00	8564.99
जोड़	48000.00	42041.67
10वीं योजना	44500.00	
2002-03	8600.00	8600.00
2003-04	8600.00	
परिव्यय योजना आयोग से		
व्यय/सं.अ. बी.ओ.पी., स्वास्थ्य विभाग से		

मोतियाबिन्द सर्जरी के मामलों में 1993 से धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, वर्तमान दर 3700 प्रति मिलियन लोग है। आई.ओ.एल. आरोपण के साथ मोतियाबिन्द सर्जरी, जो 1994 में 5 प्रतिशत थी, 2001-02 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई तथा नेत्र देखरेख सेवाओं के कवरेज में वृद्धि हुई है। 12 जिलों में किए गए तीव्र मूल्यांकन सर्वेक्षण से पता चला है कि मोतियाबिन्द अन्ध व्यक्तियों में से 70 प्रतिशत ने नेत्र देखभाल सेवाओं का उपयोग किया। देश के 15 जिलों में हाल ही के सर्वेक्षण (1999-2001) से पता चला कि अन्धता की विद्यमानता (वी.ए.< 6/60) घटकर 1.08 प्रतिशत रह गई है।

92. 1997-98 में किए गए विश्व बैंक सहायता-प्राप्त मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना के मध्यावधिक मूल्यांकन से पता चला कि:

- सभी परियोजना राज्यों में किए गए मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- महिलाओं द्वारा सेवाओं के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।
- परियोजना राज्यों में (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) अन्धता की विद्यमानता में कमी देखी गई है।
- नेत्र शिविरों में किए गए आपरेशनों के अनुपात में धीरे-धीरे कमी।
- देखभाल की कोटि में, जैसा कि असफलता दर में कटौती द्वारा अन्दाजा लगाया गया है, पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है।


- आई.ओ.एल. सर्जरी के बाद दृश्य बहाली, पारम्परिक सर्जरी की तुलना में कहीं अधिक उत्तम है, पारम्परिक सर्जरी के संबंध में भी व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई की जरूरत है और इसका परिणाम सुधारात्मक शीशों की व्यवस्था पर निर्भर करता है।
- सेवाओं का कवरेज भी लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति और 70 प्रतिशत नेत्र कर दिया गया है।

93. वर्न 2001 में विश्व बैंक/ भारत सरकार के मूल्यांकन से पता चला कि प्रभावशाली प्रगति के बावजूद कार्यक्रम की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि:

- नेत्र सर्जनों का असमान वितरण: यद्यपि भारत में एक बिलियन आबादी (एक लाख आबादी के लिए एक नेत्र सर्जन का औसत अनुपात) के लिए 11,000 नेत्र सर्जन हैं। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच व्यापक भिन्नता है;
- मानव संसाधनों का उप-इ-टतम उपयोग: अनुमान है कि लगभग 50 प्रतिशत नेत्र सर्जन "आपरेशन न करने वाले" सर्जन हैं, जो मेडिकल नेत्र देखभाल, रेफ्रेक्टिव सेवाएं प्रदान करते हैं अथवा सामान्य मेडिकल देखभाल करते हैं;
- अर्ध-चिकित्सा नेत्र देखभाल कार्मिकों की अपर्याप्त संख्या, जिससे नेत्र सर्जन - अर्ध-मेडिको अनुपात 1:3 अथवा 1:4 से काफी कम है, नेत्र सर्जनों की तुलना में अर्हता-प्राप्त अर्ध-मेडिको की संख्या कम है;
- कोटि में भिन्नता: अनिवार्य प्रोटोकॉल और प्रत्यायन की पद्धति के अभाव के फलस्वरूप सेवाओं की कोटि और परिणाम में व्यापक भिन्नता है;
- दूरवर्ती और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का उप-इ-टतम कवरेज;
- मोतियाबिन्द पर अधिक बल तथा अन्य समस्याओं के संबंध में निम्न प्राथमिकता, जैसे कि पुतली पारान्धता, ग्लाकोमा, रेटिना शास्त्र, और बच्चों की समस्याएं, जिनसे अन्धता उत्पन्न होती है। ये उप-विशेषताएं केवल कुछेक तृतीयक संस्थानों में उपलब्ध हैं तथा इन उप-विशेषताओं में नेत्र-सर्जनों का प्रशिक्षण अपर्याप्त है।
- सार्वजनिक चेतना की कमी: ग्रामीण, निरक्षर तथा कम सुविधाप्राप्त लोगों को दृष्टि बहाली के लिए उपलब्ध विभिन्न संभव उपायों की जानकारी नहीं है। चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ समेकन सीमित है, इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता संभाव्य लाभार्थियों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं।

94. विश्व बैंक सहायित मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना के अन्त्य-रेखा मूल्यांकन के भाग के रूप में अनेक अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों में से कुछेक के परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

- अन्धता के संबंध में रा-ट्रीय सर्वेक्षण (2001-02) से पता चला कि विगत दशक के दौरान अन्धता के कारणों में बदलाव आया है (चित्र 6)।



95. राज्यों के यादृच्छिक ढंग से चुने गए 9 जिलों में 2001-02 में किए गए सर्वेक्षण से, जिन्हें विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कवर किया गया था, पता चला कि:

- नेत्र शिविरों पर निर्भरता में आजकल कमी आई है, सिवाय दूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में।
- एन.पी.सी.बी. कार्यक्रम में पी.एच.सी./सी.एच.सी. डाक्टर की भागीदारी में वृद्धि हुई है।
- मोतियाबिन्द आपरेटिड व्यक्तियों ने अधिक अनुपात में प्रारम्भिक स्तर पर डाक्टरों से परामर्श किया।
- आई.एल.ओ. और टांके रहित शल्यचिकित्सा की मांग में वृद्धि हुई है।
- 84 प्रतिशत मोतियाबिन्द आपरेटिड व्यक्तियों को मुफ्त चश्में प्राप्त हुए।
- मोतियाबिन्द सर्जरी की व्यवस्था करने की यूनिट लागत निजी अस्पतालों में सर्वाधिक है (5331 रुपए), उसके क्रम में एन.जी.ओ. अस्पताल (4977 रुपए) और सरकारी शिविर (2143 रुपए) हैं। सबसे सस्ता विकल्प एन.जी.ओ.-आयोजित जांच-पड़ताल शिविर हैं जिनकी पूरकता बेस अस्पताल में जांचे गए व्यक्तियों की सर्जरी द्वारा होती है (1128 रुपए)। मरीजों ने (प्रत्यक्ष दवाइयां, चश्में, निदान आदि) और अप्रत्यक्ष (यात्रा, खाना, मजदूरी की हानि आदि) लागतों की अदायगी करने के लिए अपनी जेब से काफी राशि खर्च की।

दसवीं योजना अवधि में अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम

96. दसवीं योजना के दौरान, अधिककांश नेत्र रोग संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी कोटि की नेत्र देखभाल की सुलभता में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। विभाग ने प्रस्ताव किया है कि 2002-07 अवधि के दौरान 211 लाख मोतियाबिन्द आपरेशन किए जाएंगे जिनमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत आई.ओ.एल. रोपण द्वारा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वर्तन दोन वाले लगभग 3 लाख स्कूली बच्चों को मुफ्त चश्में प्रदान किए जाएंगे। समुदाय को व्यापक नेत्र देख-रेख सेवाएं प्रदान करने में राज्य की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान (दृष्टि) केन्द्र, बालरोग यूनिट, निम्न विज्ञान केन्द्र तथा नेत्र बैंक सहित नेत्र देखभाल अवस्थापना का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में नेत्र देखभाल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उपस्कर, उपभोज्यों और औ-धियों के रूप में वस्तु सहायता प्रदान करने की जरूरत होगी।

97. जिला अन्धता नियंत्रण सोसायटियां (डी.बी.सी.एस.) 563 जिलों में नोडल एजेन्सियों के रूप में कार्य करेंगी तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना व तैयारी, सरकारी सुविधाओं के प्रयोग के जरिए कार्यान्वयन, मानीटरन तथा कोटि नियंत्रण, सामाजिक अभिप्रेरण, और सार्वजनिक जागरूकता, औ-धियों, उपस्कर, उपभोज्यों आदि की प्राप्ति, वित्तीय तथा सामग्री प्रबंधन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पुनर्नस्थापन, और अन्धे व्यक्तियों के विनिर्धारण, रोगियों के परिवहन की व्यवस्था करने तथा सर्जरी के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

98. जिला स्तर पर सूक्ष्म आयोजना में, सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों को, विशेष रूप से दोनों नेत्रों में दृष्टिहीनता वाले व्यक्तियों को तथा 50 वर्न की आयु से अधिक के लोगों को सूचीबद्ध करना, निश्चित सुविधाओं (सरकारी, स्वैच्छिक, निजी क्षेत्र) का आलेखन, और मानदण्डों के अनुसार मानचित्रण, अर्थात् प्रति वर्न 700 मोतियाबिन्द सर्जरियों के लिए एक नेत्र सर्जन, प्रति वर्न 50 सर्जरियों के लिए बिस्तर शामिल होंगे।

99. निर्धारित लक्ष्य से निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:

- तीन वर्षों के दौरान मोतियाबिन्द सर्जरी दर 600/1,00,000 आबादी तक बढ़ाना;
- 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को कवर करना;
- सभी गांवों का एकसमान कवरेज और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 प्रतिशत व्यक्तियों का मुफ्त मोतियाबिन्द सर्जरी के तहत कवरेज।
- कोटि सुधारने के उद्देश्य से डी.बी.सी.एस. सुनिश्चित करेंगी कि:
 - सर्जरी धूल रहित, विसंक्रमित आपरेशन थिएटरों में की जाए;
 - आई.ओ.एल. सर्जरी केवल निश्चित सुविधा में नि-पादित किए जाएं जहां अपेक्षित उपस्कर और प्रशिक्षित नेत्र सर्जन उपलब्ध हों;
 - प्रशिक्षित सर्जन की अनुपस्थिति में, परम्परागत सर्जरी नि-पादित की जाए।

100. डी.बी.सी.एस, डाटा की वैधता के मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में हुई प्रगति का मूल्यांकन करेंगी। एन.पी.सी.बी. के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों के विश्लेषण और डाटा संकलन को सुकर बनाने के वास्ते साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसकी स्थापना 25 प्रहरी निगरानी यूनितों (एस.एस.यू.) में की गई है जो मानीटरन तथा मूल्यांकन को सुकर बनाने के वास्ते मेडिकल कालेजों में स्थित हैं।

उद्देश्य	दसवीं योजना के लिए लक्ष्य
मोतियाबिन्द सर्जरी की मात्रा और कोटि सुधारना	* वर्ष 2007 तक मोतियाबिन्द सर्जरी दर प्रति वर्ष 4500 प्रति लाख आबादी तक बढ़ाना * मोतियाबिन्द सर्जरी के दृश्य परिणाम सर्जरी के पश्चात (> 6/18 मामलों में सर्जरी के पश्चात >80 प्रतिशत को दृष्टि प्राप्ति) तक सुधारना। * वर्ष 2007 तक आई.ओ.एल. सर्जरी का अनुपात > 80 प्रतिशत तक बढ़ाना।
बाल नेत्ररोग यूनितों का विकास	* बाल रोग यूनितें 50 संस्थानों में कायम की गईं।
मोतियाबिन्द और ग्लोकोमा तथा मधुमेह रेटिना विज्ञान का शीघ्र निदान व उपचार	* रेटिना विज्ञान के लिए सभी ज्ञात मधुमेह रोगियों की जांच-पड़ताल करना तथा जरूरतमंदों के लिए लेसर उपचार की व्यवस्था करना। * नेत्र क्लिनिक आने वाले 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी रोगियों की ग्लोकोमा के लिए जांच करना।
क्रमिक ढंग से द्वितीयक स्तर और प्राथमिक स्तर के साथ पर्याप्त संयोजनों के साथ तृतीयक स्तर पर निम्न दृष्टि सेवाएं शुरू करना	* देश के सभी जिलों में सी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध बुनियादी वर्तन सेवाएं उपलब्ध कराना। * प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रबंधित 4000 दृष्टि केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। * एक क्रमिक ढंग से 50 संस्थानों में निम्न दृष्टि केन्द्रों की स्थापना।
सुरक्षित नेत्र बैंकों का विकास तथा नेत्र दान व प्रशिक्षण केन्द्रों की नेटवर्किंग	* प्रत्येक की प्रति वर्ष 1000 अथवा अधिक नेत्र इकट्ठा और उपयोग करने की क्षमता के साथ और नेत्र दान केन्द्रों के नेटवर्क के साथ जुड़े हुए 25 पूर्णतः कार्यात्मक और प्रत्यायित सुरक्षित नेत्र बैंक बैंक स्थापित करना।

प्राथमिक नेत्र देखरेख को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के साथ एकीकृत करना	<ul style="list-style-type: none"> * वर्तन सेवाओं सहित साधारण नेत्र रोगों का उचार, पी.एच.सी. स्तर पर। * प्राथमिक प्रतिरक्षण में चेचक टीके की जगह एम.एम.आर. टीका तथा आबादी के कम से कम 60 प्रतिशत जनसंख्या का कवरेज (आर.सी.एच. कार्यक्रम)। * पांच वर्न से कम बच्चों का नियमित विटामिन ए की पूरकता के साथ 75 प्रतिशत कवरेज (एकीकृत आर.सी.एच. कार्यक्रम)।
मानव संसाधनों व नेत्र देखभाल के लिए संस्थात्मक क्षमता का विकास	<ul style="list-style-type: none"> * आई.ओ.एल. सर्जरी, पुतली प्रतिरोपण, विट्रोओ-रेटिनल सर्जरी, बाल नेत्ररोग व अन्य उप-विशेषताओं में नेत्र सर्जनों का प्रशिक्षण। * प्राथमिक नेत्र देखभाल तथा समर्थनकारी सेवाओं के लिए मध्य स्तरीय नेत्र देखभाल कार्मिकों का प्रशिक्षण। * नेत्र देखभाल प्रबंधन में प्रशिक्षण। * अवस्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान। * वस्तु सहायता: नेत्र रोग संबंधी उपस्कर तथा उपभोज्य पदार्थ।

101. ई.एफ.सी. ने, 445 करोड़ रुपए के परिव्यय (433.65 करोड़ रुपए योजनागत बजट से और 11.35 करोड़ रुपए डेनिडा प्रोजेक्ट चरण III) के साथ दसवीं योजना में अन्धता के नियंत्रण हेतु रा-ट्रीय कार्यक्रम अनुमोदित किया। ई.एफ.सी. ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

- अपर सचिव (स्वास्थ्य), संयुक्त सचिव तथा वि.स. और कार्यक्रम के संयुक्त सचिव को मिलाकर एक समिति विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में मानदण्ड निर्धारित करेगी।
- अनावर्ती अनुदान केवल नए उपस्कर की खरीद के लिए दिए जाएं न कि उपस्कर के प्रतिस्थापन हेतु।
- वर्न 2004-05 के दौरान मध्यावधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके बाद और संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं, अल्पसेवित क्षेत्रों और राज्यों में, जहां अन्धता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, स्कूली बच्चों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

अनिवार्य औ-नधियों की आपूर्ति तथा निदानशास्त्र का संभारतंत्र

102. स्वास्थ्य पर खर्च का लगभग एक-तिहाई, औ-नधियों की खरीद, भण्डारण और वितरण पर व्यय होता है। अधिकांश मरीजों की शिकायत है कि सरकारी अस्पताल दवाइयां नहीं देते और अनिवार्य औ-नधियों की भी कमी होती है। स्वास्थ्य व्यावसायिक, सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रक में औ-नधियों के अधिक उपयोग, दुरुपयोग और बरबादी के बारे में चिन्तित है जिससे न केवल स्वास्थ्य देखभाल लागतों में वृद्धि होती है बल्कि लम्बी अवधि में इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल, औ-नधियों की खरीद के लिए उपलब्ध धन के प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपयोग के संबंध में उचित कार्यनीति विकसित और कार्यान्वित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। कार्यान्वित किए जा रहे कुछ उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: अनिवार्य औ-नधियों का सूचीकरण, डाक्टरों और समाज के बीच तर्कसंगत औ-नधि उपयोग के संबंध में प्रचार, सामान्य रोगों के उपचार के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करना तथा उपयुक्त सी.एम.ई. कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संबंध में डाक्टरों को सूचित करना। इकट्ठी खरीद और आपूर्ति के संभारतंत्र को सुधारने के माध्यम से औ-नधियों तथा निदान की लागत को घटाने के प्रयास किए जाएंगे। औ-नधियों और निदान की कोटि सुनिश्चित करने के वास्ते, औ-नधि नियंत्रण संगठन और औ-नधि/जीवविज्ञानीय एजेन्ट परीक्षण प्रयोगशालाओं और औ-नधि नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करना जरूरी है ताकि औ-नधियों और निदान की कोटि सुनिश्चित की जा सके। दसवीं योजना के दौरान, सार्वजनिक स्वास्थ्य

कार्यक्रमों में उपयोगार्थ सस्ती, प्रभावी और सुरक्षित औ-धियां/ निदान शास्त्र विकसित करने के लिए, पर्याप्त निवेश, प्रमुख रूप से आर.एण्ड.डी. में सरकारी क्षेत्रक से निवेश की व्यवस्था करने के लिए, प्रयास किए जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा तथा औ-धि कोटि नियंत्रण में क्षमता निर्माण

103. औ-धि और खाद्य - दोनों ही की कोटि और सुरक्षा केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा अधिशासित होती है। नीति निर्माण, आयात तथा नई औ-धियों की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है तथा इन अधिनियमों का प्रवर्तन राज्य की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय औ-धि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, और साथ ही राज्य का औ-धि नियंत्रण संगठन, औ-धियों की सुरक्षा, उपयोगिता और कोटि, उनके आयात, विनिर्माण, वितरण, बिक्री और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनका विनियमन औ-धि और प्रसाधन अधिनियम व नियमों (1940 तथा 1945) के अन्तर्गत किया जाता है। सी.डी.एस.सी.ओ. के मुख्य कार्य में, देश में आयातित औ-धियों की गुणवत्ता का नियंत्रण और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यकलापों का समन्वय करना सम्मिलित है। औ-धि नियंत्रण प्राधिकरण, आयात की जाने वाली अथवा देश में विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित नई औ-धियों का अनुमोदन करता है, मानक और विनियामक उपाय निर्धारित करता है और देश में विनिर्मित तथा औ-धि व प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित औ-धियों के संबंध में (रक्त और रक्त उत्पाद तथा बड़ी मात्रा में आन्त्रेत्तरों, सिरिंजों व टीके सहित) केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

104. पिछले व-र्षों के दौरान, केन्द्र और राज्यों द्वारा प्राथमिकता, राजको-नीय दबावों के अभाव और असंतो-जनक विनियामक अवरस्थापना में औ-धियों और खाद्य की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में विनियामक तंत्र में गिरावट आई है। औ-धि क्षेत्र में भारत की दक्षता विश्वभर में मान्य है किन्तु कुशल तथा प्रभावी विनियामक पद्धति की वजह से यह क्षेत्रक अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर सका है। बढ़ते हुए अन्तर्रा-ट्रीय व्यापार को देखते हुए, आन्तरिक खपत और निर्यात - दोनों ही दृष्टि से खाद्यान्न और खाद्य उत्पादों का उचित गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही, देश में आयातित खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

105. स्वास्थ्य विभाग ने, विश्व बैंक की सहायता से खाद्य और औ-धियों की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में कुल 291.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केन्द्र और राज्य की क्षमता निर्माण की एक मिली-जुली

उप-घटक का नाम	केन्द्रीय क्षेत्रक	राज्य क्षेत्रक (सी.एस.एस.)	जोड़
खाद्य सुरक्षा	75.88	95.39	171.27
औ-धि गुणवत्ता नियंत्रण	53.07	61.84	114.91
परियोजना प्रबंध यूनिट	5.07	0	5.07
जोड़	134.02	157.23	291.25

स्कीम के संबंध में योजना आयोग का अनुमोदन मांगा था और प्राप्त कर लिया है। विभाग ने संकेत दिया है कि प्रत्येक घटक और स्कीम के तहत कार्यकलाप को दसवीं योजना की पूरी अवधि के दौरान पृथक रखा जाएगा

और बाद में उपयुक्त केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों को सौंप दिया जाएगा जिससे कि वे ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे योजना-भिन्न पक्ष में शामिल कर सकें।

106. स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- समुचित अवस्थापना, उपस्कर और प्रशिक्षण की व्यवस्था करके राज्यों और केन्द्र में खाद्य तथा औ-धि प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।
- केन्द्रीय क्षेत्रक में तथा जिन राज्यों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं विद्यमान नहीं हैं, वहां नई प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- केन्द्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सी.डी.एस.सी.ओ. को सुदृढ़ करना।
- सभी प्रयोगशालाओं और प्रशासनिक तंत्र को जोड़ते हुए एक प्रबन्ध सूचना पद्धति कायम करना
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा जी.एम.पी. और एच.ए.सी.सी.पी. अपनाना।
- राज्य मुख्यालयों में छोटी खाद्य मानीटरन इकाइयां स्थापित करना।

107. फिलहाल, राज्यों में खाद्य क्षेत्रक में 70 प्रयोगशालाएं हैं। वे नेमी विश्ले-ण नि-पादित करती हैं तथा संयोज्यों तथा मसालों का प्रशिक्षण करने की स्थिति में नहीं हैं। उपस्कर सप्लाई करने तथा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रयोगशाला सभी अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित कर सके। फिलहाल, आयातित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता मानीटर करना तथा ऐसे उत्पादों का डाटाबेस रखने के लिए कोई पद्धति मौजूद नहीं है। उन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयोगशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें खाद्य का आयात किया जाता है किन्तु उनके परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। खाद्य विनियामक प्राधिकारियों तथा खाद्य उद्योग के सभी स्तरों पर स्टाफ को खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं में, विशेष-रूप से एच.ए.सी.सी.पी. में, प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए खाद्य उत्पादों को स्प-ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। उद्योग कार्मिकों, विशेष-रूप से लघु उप-क्षेत्रक से कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है जिससे कि वे नव स्तरोन्नत जी.एम.पी. के अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमताओं को उन्नत बना सकें। प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के लिए उपयुक्त रूप से चार्ज करके संगठन के अन्दर निधियां सृजित करने की संभावना का पता लगाया जाएगा जिससे कि ये महत्वपूर्ण कार्यकलाप आत्म-निर्भर बन सकें।

108. औ-धि क्षेत्रक में, 19 औ-धि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें से केवल सात में सभी किस्म की दवाइयों का परीक्षण करने की क्षमता है। प्रस्ताव का उद्देश्य इन प्रयोगशालाओं को उपस्कर और स्टाफ के प्रशिक्षण के जरिए सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिससे कि अनिवार्य रासायनिक और माइक्रो-जीवविज्ञानीय परीक्षण आयोजित किए जा सकें और देरी से बचा जा सके। सभी विनियामक स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे कि वे औ-धि तथा प्रसाधन अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से प्रशासित और मानीटर कर सकें तथा जी.एम.पी. और जी.एल.पी. का एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/ नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के अन्तर्गत परीक्षण के लिए राज्य में विनिर्मित औ-धियों की मात्रा, आयात और निर्यात क्षमता तथा परीक्षण चाहने वाली दवाइयों तथा सूत्रों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।

109. व्यय वित्त समिति ने, खाद्य सुरक्षा तथा औ-धि कोटि नियंत्रण के संबंध में क्षमता निर्माण परियोजना अनुमोदित करते समय, अगस्त 2002 में सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य विभाग को, उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद स्वास्थ्य पद्धति में अधिशे-न स्टाफ में से इन प्रयोगशालाओं की स्टाफ संबंधी जरूरतों को पूरा करने की संभावना की खोज करनी चाहिए। राज्य सरकारों से इस बाबत एक वचन लेना आवश्यक है कि एक बार सुविधाएं स्थापित हो जाने पर अगली योजना अवधि में उन्हें ले लिया जाएगा तथा राज्य सरकारें उनकी कार्यात्मक लागत वहन करेंगी। स्वास्थ्य विभाग को, कार्यक्रम को कार्यान्वित

करते समय विद्यमान प्रयोगशालाओं की क्षमता उपयोग के वर्तमान स्तर, पूरी की जाने वाली कमियों के ब्योरों तथा नई प्रयोगशालाएं किस सीमा तक इन कमियों को पूरा करेंगी तथा साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ता प्रभार और लाइसेंस फीस किस सीमा तक इन प्रयोगशालाओं की आवर्ती लागतों को पूरा करने में समर्थ होंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्रक परिव्यय

110. स्वास्थ्य क्षेत्रक का वित्तपो-ण, केन्द्र, राज्यों तथा विदेशी सहायता से किया जाता है (केन्द्र तथा राज्यों - दोनों के संबंध में)।

विदेशी सहाय्यित परियोजनाएं

111. विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रारंभ में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यथा इण्डिया पापुलेशन प्रोजेक्ट (आई.पी.पी.) (I से IV, VI और VII) पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता था तथा बाद में इसके अन्तर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को भी (आई.पी.पी.V, VIII) शामिल कर लिया गया। 1990 के दशक के दौरान, द्वितीयक देखभाल संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए सात राज्यों में विदेशी सहाय्यित परियोजनाएं शुरू की गईं। तृतीयक देखभाल संस्थानों को विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं से ज्यादा धन प्राप्त नहीं हुआ है सिवाय अलग-अलग संस्थानों के, जैसे कि संजय गांधी चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (जापान से)। बताया गया है कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं के संबंध में एक परियोजना रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां, व्यय के प्राचल, यूनिट लागत तथा मानीटरन के संबंध में संस्थात्मक व्यवस्था आवश्यक है जो रा-ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहले से विद्यमान व्यवस्थाओं से बहुत भिन्न हैं। जिन सेवा प्रदाताओं ने विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं में काम किया है, वे परियोजना पूरी हो जाने के बाद उत्साहहीन हो जाते हैं क्योंकि व्यय के ऐसे प्राचल कायम नहीं रखे जा सकते। ऐसी भी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं के माध्यम से सुविधाओं और उपस्कर में सुधार से नि-पादन में सुधार नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ, बड़ी संख्या में उप-केन्द्रों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के बावजूद, उनका कब्जा खाली रहता है और इन संस्थानों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वृद्धि नहीं होती। राज्य, इन अवस्थापनाओं तथा ई.ए.पी. के तहत प्राप्त उपस्कर के अनुस्क्षण के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने में समर्थ नहीं होते। स्वास्थ्य क्षेत्रक में विदेशी सहायता के लिए क्षेत्रों/ स्कीमों के संबंध में निर्णय करते समय, इन पहलुओं तथा परियोजनाओं की संधारणीयता के मुद्दे को, उनके पूरा हो जाने के बाद, ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऋण के रूप में ई.ए.पी. होने की स्थिति में ऋणों की वापसी अदायगी के लिए प्रक्रिया एक अन्य पहलू है जिस पर स्वास्थ्य क्षेत्रक में ई.ए.पी. शुरू किए जाने से पहले विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार

112. राज्य सरकारें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों के लिए (मेडिकल कालेज तथा उनसे सम्बद्ध अस्पताल सहित) धन प्रदान करती हैं। राज्य सरकारों को, केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से भी धन प्राप्त होता है। स्वास्थ्य एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र था जिसके लिए नौवीं योजना के दौरान, पी.एम.जी.वाई. के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राशि प्रदान की गई थी। इन राशियों का उपयोग, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कार्यान्वित करने के लिए अनवार्य जरूरतों को पूरा करने के वास्ते किया जाना था। चल रहीं तथा प्रस्तावित विदेशी

सहाय्यित परियोजनाओं से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। नौवीं योजना के दौरान तथा वर्ग 2002-03 में राज्य-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 4.5.1 में दर्शाया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रक

113. केन्द्रीय क्षेत्रक से निधियों का उपयोग निम्नलिखित का सृजन करने के लिए किया जा रहा है:

- उत्कृष्टता वाले मेडिकल शिक्षा संस्थान;
- नर्सों के लिए प्रशिक्षण संस्थान;
- टीका उत्पादन संस्थान तथा विशिष्ट रोगों के वास्ते विशेष केन्द्र;
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीमें;
- आपात राहत उपाय; और
- या तो रोग नियंत्रण की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए अथवा स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में कार्यनीतियां तैयार करने के वास्ते प्रायोगिक केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं।

114. वार्षिक योजना 2003-04 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 1550 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय उतना ही है जितने परिव्यय की 2002-03 में व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदान किया गया परिव्यय, दसवीं योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वर्ग 2003-04 के लिए वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने यह मुद्दा उठाया था कि विभाग विदेशी एजेंसियों से, अनुदानों के रूप में आने वाली राशि को आकर्षित करने में समर्थ है, जैसे कि रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए एड्स, टी.बी. और मलेरिया के लिए विश्व निधियां, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के लिए दसवीं योजना परिव्यय के अन्दर सम्मिलित नहीं किया जा सका। विभाग ने अनुरोध किया कि उसे ये अनुदान, विद्यमान दसवीं योजना परिव्यय की अतिरिक्तता के रूप में, प्रदान किए जाने चाहिए। सचिव, योजना आयोग, ने सुझाव दिया कि विभाग को इस संबंध में एक स्थिति पत्र तैयार करना चाहिए और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ चर्चा करनी चाहिए जिससे कि इस समस्या का उपयुक्त हल खोजा जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने एक स्थिति पत्र तैयार किया था जिस पर फिलहाल चर्चा चल रही है।

115. नौवीं योजना के दौरान, स्वास्थ्य विभाग ने केवल सात कार्यक्रमों को सीएसएस के रूप में वर्गीकृत किया था (राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कु-ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपैदिक नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गिनीकृमी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम और राज्यों में औषधि नियंत्रण व खाद्य मानक प्रशासन को सुदृढ़ करना)। इनमें से कुछेक स्कीमें, जैसेकि खाद्य और औषधि नियंत्रण के बहु-घटक थे जो भिन्न थे। जेडबीबी 2001 के समय, योजना आयोग ने कुल 22 स्कीमें विनिश्चित की थीं जिन्हें केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके क्योंकि उनका वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाता है तथा राज्य सरकार अवस्थापना के माध्यम से चलाया जाता है और उन्हें केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया। केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की संख्या 69 थी। इन सभी 91 स्कीमों के संबंध में नौवीं योजना तथा वार्षिक परिव्यय और व्यय का विवरण संलग्नक 4.5.2 क में दिया गया है।

116. जेडबीबी 2001 के अंतर्गत युक्तिकरण, विलयन और छंटाई की प्रक्रिया की गई तथा सिफारिश की गई कि केवल 12 सीएसएस और 47 सीएस स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रखा जाना चाहिए।

बाद में, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने दो सीएसएस को (मादक औ-धि मुक्ति और अस्पताल अपशि-ट प्रबंधन) दसवीं योजना के दौरान बनाए रखने के संबंध में अनुमोदन का अनुरोध किया और प्राप्त कर लिया तथा इस पर योजना आयोग सहमत हो गया । योजना आयोग ने दुर्घटना (ट्रोमा) देखरेख हेतु क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता के संबंध में एक नई सीएसएस के संबंध में "सिद्धांत रूप में " अनुमोदन दे दिया है । 2003 में क्यूपीआर के दौरान सभी चालू स्कीमों पर पुनः विचार किया गया । किसी भी चालू अथवा नई स्कीम में कोई संशोधन, विलयन अथवा समाप्त करने की जरूरत नहीं थी । दसवीं योजना के लिए स्कीम-वार परिव्यय 2002-03 और 2003-04 के संबंध में परिव्यय संलग्नक 4.5.2ख में दर्शाया गया है । स्वास्थ्य विभाग ने नौवीं योजना और 2002-03 के दौरान छः प्रमुख सीएसएस के संबंध में राज्य-वार आबंटन/व्यय तथा 2003-04 के लिए आबंटन उपलब्ध कराया था; ये संलग्नक 4.5.3-4.5.8 में दिए गए हैं ।

4.6 भारतीय औ-ध पद्धति तथा होम्योपैथी (आई.एस.एम. एण्ड एच.)

प्रस्तावना

छत्र शब्द, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी (आई.एस.एम. एण्ड एच.) के अन्तर्गत, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे उपचार सम्मिलित हैं। भारत में बीसवीं शताब्दी में आधुनिक औ-ध पद्धति आने से पहले आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक लोगों की सभी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करते थे। इस समय देश में 6,80,000 से अधिक पंजीकृत आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक हैं, उनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। आई.एस.एम. एण्ड एच. पद्धति का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह सुलभ, स्वीकार्य और वहनीय है। आयुर्वेद, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में लोकप्रिय है। यूनानी पद्धति का उपयोग, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, महारा-ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में बड़े पैमाने पर किया जाता है। होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महारा-ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है।

2. भारत में सरकारी आई.एस.एम. एण्ड एच. स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क भी है। 18 राज्यों में पृथक आई.एस.एम. एण्ड एच. निदेशालय हैं। अस्पतालों की संख्या 3841 है, जिनमें 65753 से अधिक बिस्तर हैं तथा 23597 औ-धालय हैं जो सरकारी क्षेत्रक में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग 409 आई.एस.एम. एण्ड एच. कालेजों से 19,196 आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक पास करते हैं। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग चार अनुसंधान परि-दों को सहायता प्रदान करता है तथा अनेक वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को, नैदानिक अनुसंधान, प्रजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भे-ज विज्ञानीय तथा जड़ी-बूटी औ-धियों व औ-धीय पौधों के बारे में औ-ध प्रकृतिज्ञ अध्ययनों के संबंध में नैदानिक अनुसंधान आयोजित करने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। विभाग द्वारा गठित भे-ज संहिता समितियां एकल प्रतिदर्श सूत्रों के संबंध में मानकों को अन्तिम रूप देने का कार्य कर रही हैं तथा शीघ्र ही मिश्रित आई.एस.एम. सूत्रों के संबंध में मानक तैयार करने का काम आरम्भ करेंगी।

3. इन सभी प्रयासों के बावजूद, आई.एस.एम. एण्ड एच. ने अभी तक अपनी पूर्ण क्षमता निम्नलिखित कारणवश प्राप्त नहीं की है:

- विद्यमान आई.एस.एम. एण्ड एच. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों में अनिवार्य स्टाफ, अवस्थापना, नैदानिक सुविधाओं तथा औ-धियों का अभाव है।
- आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धियों तथा उपचार प्रक्रियाओं की क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।
- गुणवत्ता नियंत्रण और अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं के अभाव के फलस्वरूप नकली तथा उप-स्तरीय औ-धियों का प्रयोग होगा है।
- आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों की कोटि और प्रशिक्षण स्तर से कम है। अनेक आई.एस.एम. एण्ड एच. कालेजों में अनिवार्य सुविधाओं, योग्यताप्राप्त शिक्षकों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अस्पतालों का अभाव है। ज्ञान और दक्षताओं के आवधिक उन्नयन के लिए कोई सतत मेडिकल शिक्षा पद्धति (सी.एम.ई.) नहीं है।

- आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों को रा-ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता।
- औ-धीय पौधों का अत्यधिक दोहन हुआ है और परिणामस्वरूप आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धियों की लागत में वृद्धि हुई है और बाजार में नकली उत्पाद आ रहे हैं।

दसवीं योजना के दौरान दृ-टिकोण

4. दसवीं योजना का उद्देश्य इन कमियों को निम्नलिखितों के जरिए पूरा करने का है:

- * प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना;
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. संस्थानों और चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति की मुख्यधारा के साथ जोड़ना जिससे कि लोगों को देखभाल की पूरक पद्धति सुलभ हो सके;
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करना ताकि छात्र पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें जिससे उन्हें अपनी पद्धति के अनुसार चिकित्सा करने और रा-ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विश्वास पैदा हो सके;
- * सतत मेडिकल चिकित्सा में निवेश;
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धियों की बढ़ती देशज मांग और निर्यात क्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक औ-धीय पौधों और जड़ी-बूटियों का संरक्षण, परिरक्षण, प्रोन्नयन, कृ-नि, संग्रहण और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना;
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. की सभी पद्धतियों की भे-ज संहिता पूर्ण करना तथा अनिवार्य औ-धियों की एक सूची तैयार करना तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- * औ-धियों का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना तथा उनकी उपलब्धता में वहनीय लागत पर सुधार करना;
- * नई औ-धियों और सूत्रों के लिए अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) में निवेश, नैदानिक परीक्षण आयोजित करना तथा उन्हें पेटेन्ट करना; और
- * केन्द्रीय अनुसंधान परि-दों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके तथा उनके अनुसंधान को, भारतीय भे-ज अनुसंधान परि-द (आई.सी.एम.आर.) जैसी अन्य अनुसंधान एजेन्सियों के साथ समन्वित करके, उपयोग की जा रही प्रभावशाली औ-धियों के नैदानिक परीक्षण आयोजित करना।

आई.एस.एम. एण्ड एच. सेवाओं को मुख्यधारा के साथ जोड़ना

5. विगत पांच दशकों के दौरान, लोगों को आई.एस.एम. एण्ड एच. देखभाल प्रदान करने के वास्ते, औ-धालयों और अस्पताल का एक विशाल ढांचा निर्मित किया गया है (तालिका 1)।

तालिका-I

दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय औ-ध और होमियोपैथी पद्धति के अंतर्गत उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सारांश

क्र. सं.	सुविधाएं	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योगा	नेचुरोपैथी	होमियोपैथी	कुल
1.	अस्पताल	2955	312	237	7	22	307	3841@
2.	बेड (बिस्तरें)	43973	5128	1986	200	757	13694	65753@
3.	दवाखाना	14721	958	352	65	56	7411	23597*
4.	पंजीकृत प्रैक्टिशनर्स \$	430890	43108	17097	-	455	197252	688802
5.	(i) अंडर ग्रेजुएट कॉलेज	196	39	2	-	6\$\$	166	409
	(ii) प्रवेश क्षमता	7145	1410	150	-	170	9330	18205
6.	(i) पोस्ट ग्रेजुएट कालेज #	53	5	2	-	-	17	77
	(ii) प्रवेश क्षमता	651	54	76	-	-	210	991
7.	लाइसेंस शुदा फार्मसीज	8386	453	384	-	-	609	9832

स्रोत : आईएसएम एण्ड एच विभाग, 2001
आँकड़े अनंतिम हैं ।

नोट :

- = शून्य सूचना

@= 15 विस्तरों वाला आम्ची का एक अस्पताल शामिल

*= 34 आम्ची दवाखाने

\$= सूचना 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार

\$\$= ये कालेज 5-1/2 व-र्रीय बीएनवाईएस डिग्री कोर्स चलाते हैं ।

#= ये कालेज क्रम सं.5 (i) में उल्लिखित अंडर ग्रेजुएट कालेजों के अंश है सिवाय आयुर्वेद के अंतर्गत उन दो कालेजों को छोड़कर जो पश्चिम बंगाल और गुजरात में है तथा वहां पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ही चलाए जाते हैं । आयुर्वेद के अंतर्गत इस प्रकार के कालेजों की संख्या 198 है। तथापि, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी के अंतर्गत कुल कालेजों की संख्या क्रमशः 39, 2 ओर 166 है।

इनमें से अधिकांश संस्थान, प्राथमिक देख-रेख स्थिति में हैं। इसके अलावा, द्वितीयक और विशेषज्ञता अस्पताल हैं जिनमें से कुछ आई.एस.एम. एण्ड एच. कालेजों से सम्बद्ध हैं। उनमें से अनेक के पास आधारभूत सुविधाओं, निदान और औ-धियों का अभाव है और ये इ-टतम रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। नौवीं योजना का उद्देश्य, आई.एस.एम. एण्ड एच. में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की

सरकारी, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्रों में विशाल अवस्थापना कायम की गई है, किन्तु

- * प्रत्येक केन्द्र अलग-अलग है। वे क्षेत्र के अन्य संस्थानों के साथ नहीं जुड़े हैं।
- * कोई व्यवस्थित रेफरल पद्धति नहीं है।
- * विद्यमान आधुनिक चिकित्सा पद्धति अस्पतालों के साथ कोई संयोजन नहीं है, इसलिए वे पूरक पद्धति के रूप में इ-टतम ढंग से कार्य करने या उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

कोटि का सुधार करना था। केन्द्र तथा राज्यों

में आई.एस.एम. एण्ड एच. विभागों ने प्रत्येक

स्तर पर इन सेवाओं की कोटि और कवरेज में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए। आई.एस.एम. एण्ड एच. सेवाओं को मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने, केन्द्रीय क्षेत्रक में प्रमुख तृतीयक देखरेख संस्थानों में आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक तैनात किए हैं, उदाहरणार्थ, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल। सभी राज्यों को, तृतीयक देखरेख स्तरों और जिला अस्पतालों में ऐसी ही कार्यनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केरल जैसे कुछ राज्य पहले ही आधुनिक औ-धि चिकित्सकों के साथ-साथ पी.एच.सी. में आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक तैनात कर रहे हैं जिससे कि देखभाल के लिए पी.एच.सी. में आने वाले मरीज अपनी पसंद की देखभाल पद्धति चुन सकें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्य आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों को रा-ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर रहे हैं और फिर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में (विशेष रूप से दूरवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में) तैनात करते हैं, चाहे वहां आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई डाक्टर नहीं हो जिससे कि वहां स्वास्थ्य देखभाल की सुधरी सुलभता उपलब्ध हो सके।

आई.एस.एम. एण्ड एच. के लिए मानव संसाधन विकास

6. विगत पांच दशकों के दौरान आई.एस.एम. एण्ड एच. शिक्षा संस्थानों से स्नातक की परीक्षा पास करने वाले चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिलहाल, आई.एस.एम. एण्ड एच. में 409 अवर-स्नातक और 77 स्नातकोत्तर कालेज हैं (तालिका 1) किन्तु इन कालेजों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण असंतो-जनक है। सभी कालेजों में ऐसा छात्र/ बिस्तर अनुपात है जो 1:3 के निर्धारित अनुपात से अधिक है। आई.एस.एम. एण्ड एच. निदान और उपचर्या प्रक्रियाओं का प्रयोग करने में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप, इन छात्रों में

मेडिकल चिकित्सा में वर्तमान समस्याएं

- * छात्र, आई.एस.एम.एण्ड एच. संस्थानों में प्रवेश एक एकसमान प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है; जिन छात्रों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में प्रवेश नहीं मिलता, वे आई.एस.एम.एण्ड एच. कालेजों में प्रवेश लेते हैं।
- * शिक्षकों की कोटि असंतो-जनक है तथा शिक्षण साधनों की आपूर्ति में कमी रहती है।
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. शिक्षकों और छात्रों का मनोबल न्यून रहता है।
- * वर्तमान आई.एस.एम. एण्ड एच. पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्या अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप, स्नातकों के पास आई.एस.एम. एण्ड एच. उपचार करने के लिए ज्ञान, दक्षताएं विश्वास नहीं होता।

आई.एस.एम. एण्ड एच. उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग करने में विश्वास, ज्ञान और दक्षताओं की कमी होती है और वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने लगते हैं जिसमें वे प्रशिक्षित नहीं होते। इसलिए रोगियों को आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों की उपलब्धता के बावजूद आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों का लाभ प्राप्त नहीं होता।

7. स्थिति को सुधारने के लिए दसवीं योजना में कुछेक सिफारिशें निम्नांकित हैं:

- छात्रों की क्षमता और रुचि का पता लगाने के लिए उपयुक्त पात्रता मानदण्ड के साथ आई.एस.एम. एण्ड एच. अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में एक प्रवेश परीक्षा प्रारंभ करना;
- अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पद्धति में एकरूपता सुनिश्चित करना;

- उद्योग में रोजगार की क्षमता तथा विशेषज्ञता क्लिनिकों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही आई.एस.एम. एण्ड एच. सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य विवरण का पुनर्गठन;
- आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग के सहयोग से विद्यमान रा-ट्रीय उत्कृ-टता केन्द्रों को सुदृढ़ करना;
- प्रत्येक बड़े राज्य में एक माडल अवर-स्नातक/ स्नातकोत्तर कालेज के रूप में प्रत्येक पद्धति के संबंध में कम से कम एक कालेज को सुदृढ़ बनाना तथा उसे मुख्यधारा के साथ जोड़ना; और
- आई.एस.एम. एण्ड एच. परि-दों के माध्यम से शिक्षा संस्थानों के लिए एक उपयुक्त तथा पारदर्शी प्रत्यायन पद्धति कार्यान्वित करना।

आई.एस.एम. एण्ड एच. में शिक्षा में कोटि आश्वासन

8. भारतीय औ-नधि केन्द्रीय परि-द अधिनियम 1970 का अधिनियमन, भारतीय औ-नधियों की केन्द्रीय परि-द गठित करने, आयुर्वेद, सिद्धा, और यूनानी तथा सम्बद्ध मामलों का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखने के लिए किया गया था। भारतीय औ-नधि की केन्द्रीय परि-द (सी.सी.आई.एम.) तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परि-द (सी.सी.एच.), जिनका गठन क्रमशः 1970 और 1973 में किया गया था, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

- आई.एस.एम. एण्ड एच. पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के एकसमान स्तर निर्धारित करना व उनका अनु-रक्षण तथा चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शि-टाचार व नैतिकता संहिता स्तर निर्धारित करना; और
- आई.एस.एम. एण्ड एच. की समुचित अर्हताओं की मान्यता से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

9. राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त करके तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद, बड़ी संख्या में कालेज खोले जा रहे हैं, प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र में। 1995 और 2000 के बीच सी.सी.आई.एम. ने 73 आयुर्वेद कालेज, 11 होम्योपैथी कालेज तथा तीन सिद्धा कालेज स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। बड़ी संख्या में कालेजों की इस स्थापना से आई.एस.एम. एण्ड एच. शिक्षा की कोटि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। इस समस्या पर वर्ष 1977 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु केन्द्रीय परि-द द्वारा तथा 1997 में आई.एस.एम. एण्ड एच. के संबंध में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के पहले सम्मेलन में चर्चा की गई थी। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, उप-स्तरीय मेडिकल कालेज के फैलाव को रोकने तथा शिक्षण स्तरों में गिरावट पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहा है। भारतीय औ-नधि केन्द्रीय अधिनियम, 1970 तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परि-द अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है ताकि उप-स्तरीय आई.एस.एम. एण्ड एच. अस्पतालों में वृद्धि को रोका जा सके।

10. इसके साथ-साथ, आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है कि सांविधिक परि-दें उन्हें सौंपे गए कार्यों का नि-पादन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उन्हीं कालेजों को जारी रहने की अनुमति दी जाए जिनके पास आवश्यक आधारभूत ढांचा, जनशक्ति और सुविधाएं हों, सभी स्थापित आई.एस.एम. एण्ड एच. कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है। निःसन्देह यह एक कठिन कार्य है किन्तु आई.एस.एम. एण्ड एच. शिक्षा स्तरों में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने, अवर-स्नातक/ स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थानों के विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के संबंध में ई.एफ.सी. का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन

प्राप्त कर लिया है जिसके अन्तर्गत चुनिन्दा अवर स्नातक/ स्नातकोत्तर कालेजों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि देखभाल की कोटि और शिक्षण में सुधार हो सके।

आई.एस.एम.एण्ड एच. में रा-द्रीय संस्थान

11. आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने प्रत्येक प्रमुख वि-य में रा-द्रीय संस्थान स्थापित किए हैं जिनका उद्देश्य उच्च कोटि की रोगी देखभाल, शिक्षण व अनुसंधान की व्यवस्था करते हुए उत्कृ-टता केन्द्र के रूप में कार्य करना है। यद्यपि इनमें से कुछ संस्थान सुस्थापित हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, किन्तु बहुत से कार्यकरण के प्रारम्भिक स्तर पर हैं। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने इन संस्थानों को सुदृढ़

करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के संबंध में ई.एफ.सी. अनुमोदन "सिद्धान्त रूप में" प्राप्त कर लिया है जिससे कि ये केन्द्र, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोगी देखभाल तथा अनुसंधान और रोगी देखरेख स्तरों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आईएसएम एंड एच में सतत मेडिकल शिक्षा (सीएमई)

12. आई.एस.एम. एण्ड एच. के अधिकांश पंजीकृत चिकित्सक निजी क्षेत्रक में हैं (तालिका 1); उनके ज्ञान और दक्षताओं को सतत मेडिकल शिक्षा के माध्यम से, समय-समय पर अद्यतन बनाने की जरूरत है। नौवीं योजना के दौरान आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने पुनर्स्थापन और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम के अन्तर्गत, क्षारसूत्र, पंचकर्म उपचार, दन्त उपचार तथा योग जैसे विशि-ट क्षेत्रों में आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों के लिए दो मास के पाठ्यक्रम का तथा शिक्षकों व चिकित्सकों के लिए एक मास के पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया गया था। इस पाठ्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया असंतो-जनक थी जिसकी वजह यह थी कि अधिकांश चिकित्सकों का मत है कि वे अपना व्यवसाय विस्तारित अवधि तक के लिए नहीं छोड़ सकते।

13. वर्तमान वर्-न के दौरान, पंजीकृत आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों को, सरकारी सेवारत आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों के साथ शुरू करके, उनकी अपनी-अपनी पद्धतियों में हुई प्रगतियों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रा-द्रीय संस्थान तथा राज्य आई.एस.एम. एण्ड एच. कालेज, विशेष-ज्ञों की मदद से प्रशिक्षण सामग्री का प्रकाशन करेंगे। सी.एम.ई. कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगतियों का इ-टम उपयोग किया जाएगा जिससे कि इससे उनके व्यवसाय में बाधा न पहुंचे। योजना अवधि के दौरान रा-द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं के उपयोग में सुधार करने तथा परामर्श कार्य में आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सकों को भी सहयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे। आई.एस.एम. एण्ड एच. चिकित्सक निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे:

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपो-नित रा-द्रीय संस्थान

- * रा-द्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
 - * रा-द्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर*
 - * रा-द्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
 - * रा-द्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
 - * मोरारजी देसाई रा-द्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
 - * रा-द्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई*
 - * रा-द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
- * स्थापित किए जा रहे हैं

तालिका 1: आई.एस.एम. एण्ड एच. में पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक

आयुर्वेद	4,30,890
यूनानी	43,108
सिद्धा	17,097
प्राकृतिक चिकित्सा	455
होम्योपैथी	1,97,252
जोड़	6,88,802
स्रोत: आई.एस.एम.एण्ड एच. विभाग, 2002	

- स्वास्थ्य शिक्षा;
- रा-ट्रीय कार्यक्रमों के लिए औ-नधि वितरण;
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रेरणा तथा परामर्श;
- चुनिन्दा मर्दों, जैसे कि गर्भनिरोधक और मौखिक पुनर्जलीयन उपचार (ओ.आर.टी.) पैकेजों के लिए डिपू धारकों की भूमिका निभाना;
- प्रतिरक्षण के लिए प्रेरणा; और
- सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता में भागीदारी

परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टी.के.डी.एल.)

14. आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने, परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय के संबंध में एक स्कीम शुरू की है। आयुर्वेद से संबंधित 14 प्राचीन पाठों में वर्णित लगभग 35,000 सूत्र अब इस पुस्तकालय में दर्ज हैं और इस पुस्तकालय का सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। इस उपाय से परम्परागत प्रणालियों तक पहुंच सहज होगी और बाहरी लोगों को उन्हें पेटेन्ट कराने से रोका जा सकेगा। विभाग ने, भारत में और विदेश में फाइल किए जा रहे आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी से संबंधित पेटेन्टों पर नजर रखने के लिए एक पेटेन्ट प्रको-ठ स्थापित किया है। यह प्रको-ठ, पेटेन्ट फाइल करने के संबंध में सरकारी तथा निजी आई.एस.एम. एण्ड एच. वैज्ञानिकों को व्यावसायिक तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। विभाग को पेटेन्टिंग मुद्दों के संबंध में सलाह देने के वास्ते एक विशेष-ज्ञ दल गठित किया गया है। आयुर्वेद के संबंध में परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय का काम लगभग पूरा हो गया है। टी.के.डी.एल ने, सिद्धा, यूनानी, और योग का कार्य भी शुरू किया है।

औ-नधीय पौधा बोर्ड (एम.पी.बी.)

15. भारत में 16 कृनि जलवायु क्षेत्र, 45000 भिन्न-भिन्न पौधा प्रजातियां और 15,000 औ-नधीय पौधे हैं जिनमें आयुर्वेद में प्रयुक्त 7000 पौधे, यूनानी औ-नधि में 700, सिद्धा औ-नधि में 600 और आधुनिक चिकित्सा में 30 पौधे सम्मिलित हैं। इससे भारत, विश्व के 12 वृहत जैव-विविध देशों में से एक है। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने 1500 औ-नधीय पौधे विनिर्धारित किए हैं, जिनमें से 500 प्रजातियों का उपयोग औ-नधियां तैयार करने में किया जाता है। 150 से अधिक पौधा प्रजातियों को खतराग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपनी जैव-विविधता के साथ भारत में, देश में तथा विदेश में उभरते हुए जड़ी-बूटी उत्पाद बाजार में, अपार क्षमता व लाभ प्राप्त है।

16. आई.एस.एम. में प्रयुक्त होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक औ-नधियां पौधा-आधारित हैं। इन पद्धतियों की प्रभावशीलता मुख्य रूप से वास्तविक पौधा सामग्री की सतत उपलब्धता पर निर्भर है, जिन्हें वर्गीकृत पद्धतियों के अनुसार उपयुक्त रूप में औ-नधियों और सूत्रों में प्रसंस्करित किया जाता है। प्रमाणीकृत कच्ची औ-नधियों की उपलब्धता की जरूरत और जड़ी-बूटी उत्पाद/ जड़ी-बूटी औ-नधियों की जरूरत तथा विश्व बाजार में निर्भाई जा सकने वाली भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने, औ-नधीय पौधा क्षेत्रक के एकीकृत विकास, औ-नधीय पौधा विपणन आयोजित करने के लिए तथा इस क्षेत्रक में सभी पणधारियों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए एक "औ-नधीय पौधा बोर्ड" स्थापित किया है। औ-नधीय पौधा बोर्ड की स्थापना, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में, एक सरकारी संकल्प के तहत की गई थी, जिसे 24 नवम्बर 2000 को अधिसूचित किया गया था। औ-नधीय पौधा बोर्ड, एक रा-ट्र स्तरीय नोडल निकाय है, जिसकी स्थापना औ-नधीय पौधों के

संबंध में नीति तैयार करने तथा विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्रक की क्षमता विकसित करने में मदद देने के लिए की गई थी।

17. एम.पी.बी., औ-धीय पौधों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें संरक्षण, उचित दोहन, किफायती खेती, अनुसंधान और विकास, प्रसंस्करण, कच्ची सामग्री का विपणन सम्मिलित है जिससे कि इस क्षेत्रक को संरक्षित, बनाए रखा और विकसित किया जा सके। कार्य संबंधित विभागों/ संगठनों द्वारा किया जाता रहेगा किन्तु बोर्ड कार्यकलापों पर ध्यान देगा तथा दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। एम.पी. बोर्ड, सामान्य रूप से औ-धीय पौधों के विकास के संबंध में और विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ तालमेल से कार्य करेगा:

- देश में और विदेश में औ-धीय पौधों से संबंधित मांग/ आपूर्ति स्थिति का अनुमान।
- औ-धीय पौधों के विकास के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह देना।
- औ-धीय पौधों के संग्रह, भण्डारण और ढुलाई के लिए अवस्थापना तथा खेती के लिए भूमि की सुलभता वाली एजेन्सियों द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों, प्रस्तावों और स्कीमों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- औ-धीय पौधों का विनिर्धारण, तालिका तैयार करना और मात्रा निर्धारित करना।
- औ-धीय पौधों की उसी स्थान पर/ बाहर के स्थान पर खेती और संरक्षण को प्रोत्साहन।
- संग्रहकर्ताओं और उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपने उत्पाद प्रभावी ढंग से भण्डारित, परिवहन और विपणन में सहायता प्रदान करना।
- तालिका तैयार करने, सूचना के प्रसार और पौधों के औ-धीय उपयोग के संबंध में प्राप्त किए जा रहे पेटेंटों को रोकने को सुकर बनाने के वास्ते, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, डाटाबेस स्थापित करना।
- कच्चे माल के आयात/ निर्यात तथा साथ ही औ-धी, खाद्य पूरकों या जड़ी-बूटी प्रसाधनों के रूप में, मूल्यवर्धित उपादों से संबंधित मामले, जिनमें देश-विदेश में कोटि और विश्वसनीयता के संबंध में अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए उत्पाद के विपणन हेतु बेहतर तकनीक अपनाना सम्मिलित है।
- वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय अनुसंधान तथा किफायत संबंधी अध्ययन प्रारंभ और सौंपना।
- खेती तथा कोटि नियंत्रण हेतु प्रोटोकॉल का विकास।
- पेटेंट अधिकारों और आई.पी.आर. के संरक्षण को प्रोत्साहन।

18. रा-ट्रीय औ-धीय पौधा बोर्ड, आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग के अधीन पूर्ण रूप में कार्यरत है; विभिन्न राज्यों में 26 औ-धीय पौधा बोर्ड स्थापित किए गए हैं। 32 औ-धीय पौधे, जिनकी देश में तथा अन्तर्-ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, विनिश्चित किए गए हैं तथा सह-संबंध, खेती, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए उन्हें प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान, औ-धीय पौधा बोर्ड ने 219 परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें 103 प्रोत्साहन स्कीमों और 116 वाणिज्यिक स्कीम सम्मिलित हैं। औ-धीय पौधा बोर्ड के लिए सं.अ. स्तर पर प्रदान की गई राशि 15 करोड़ रुपए थी तथा इसका पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया। औ-धीय पौधा बोर्ड के अन्तर्गत, विभाग ने उत्तरांचल और कर्नाटक में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कायम किए हैं तथा एक क्षेत्र पूर्वोत्तर में स्थापित करने की योजना है। पूर्वोत्तर में

एक प्रमुख समस्या परिवहन और प्रसंस्करण बाधाओं की है। बोर्ड, ऐसी पद्धतियां खोज रहा है जिनके जरिए इनका समाधान किया जा सकता है।

आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-नधियों की आपूर्ति

19. आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों को, अनिवार्य औ-नधियों की आपूर्ति की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत औ-नधियों की आपूर्ति कर रहा है। इसके साथ ही विभाग, राज्यों में आई.एस.एम. एण्ड एच. में भे-जशालाओं को भी सुदृढ़ बना रहा है। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, राज्य सरकारों को औ-नधि आपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत इस अनुरोध के साथ निधि जारी कर रहा है कि उन्हें औ-नधियां केवल राज्य आई.एस.एम. एण्ड एच. भे-जशालाओं से खरीदनी चाहिए जिन्हें आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। इस पद्धति का दोहरा लाभ है, एक तो आई.एस.एम. एण्ड एच. भे-जशालाओं के संबंध में, जिन्हें विभाग द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है, कि वे कार्यात्मक हो जाएं और दूसरे यह कि सरकारी आई.एस.एम. एण्ड एच. अस्पतालों और औ-नधालयों में सक्षम और अच्छी कोटि की औ-नधियां उपलब्ध हों। आई.एस.एम. एण्ड एच. अस्पतालों में आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-नधालयों की उपलब्धता और प्रतिस्थापन के बीच अन्तर को कम करने के प्रयास स्वरूप विभाग खर्च न हुए शे-न को अन्य स्कीमों में पुनर्विनियोजन करने के प्रयास कर रहा है जिससे कि इस राशि का उपयोग आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-नधालयों और अस्पतालों में औ-नधियां उपलब्ध कराने के लिए किया जा सके।

औ-नधियों का गुणवत्ता नियंत्रण

20. देश में बड़ी संख्या में आई.एस.एम. एण्ड एच. भे-जशालाएं हैं (तालिका 2) तथा उनमें से बहुत सी, विशेष रूप से छोटी भे-जशालाएं अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करती। आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग ने, विगत दो वर्षों के दौरान आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी औ-नधियों के संबंध में अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दिया है और

तालिका 2: भारत में लाइसेंसशुदा भे-जशालाएं

* आयुर्वेद	8,386
* यूनानी	453
* सिद्धा	384
* होम्योपैथी	609
* जोड़	9,832

स्रोत: आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, 2002

अधिसूचित किया है।

औ-नधि गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रयास

- * भारतीय औ-नधियों हेतु भे-जसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद तथा होम्योपैथी भे-जसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- * औ-नधि परीक्षण तथा कोटि नियंत्रण के लिए अपीलीय प्रयोगशालाएं विनिश्चित की जा रही हैं।
- * औ-नधि सूत्रसंहिता तथा आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी औ-नधियों के संबंध में भे-जसंहिता का कार्य तेजी से चल रहा है।
- * आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-नधि उद्योग कार्मिकों तथा मानकीकरण व कोटि नियंत्रण में औ-नधि निरीक्षण स्टाफ का अनुमान लगा रहा है और प्रशिक्षित कर

21. भे-ज संहिता संबंधी मानक तय करने तथा औ-नधि नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने को नौवीं योजना में एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र के रूप में विनिर्धारित किया गया है। भारतीय औ-नधि पद्धति की भे-ज संहिता प्रयोगशाला (पी.एल.आई.एम) तथा होम्योपैथिक भे-ज संहिता प्रयोगशाला (एच.पी.एल.), जो गाजियाबाद में स्थित हैं, प्रमुख आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-नधि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। तथापि, पर्याप्त संख्या में आई.एस.एम. एण्ड एच. परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभाव के कारण गुणवत्ता सुनिश्चित करना अभी

भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए विभाग ने, राज्य औ-धि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने तथा आई.एस.एम. एण्ड एच. भे-जशालाओं में अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाएं सुधारने के संबंध में एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के बारे में ई.एफ.सी. का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। तथापि, घटकों की घटिया कोटि अथवा अपमिश्रण और आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धि तैयार करने हेतु प्रयुक्त घटकों के प्रतिस्थापन की शिकायतें और औ-धियों की सुरक्षा, सक्षमता और कोटि में विश्वास का अभाव बना हुआ है तथा जटिल आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धियों का परीक्षण कठिन है। राज्य स्तर पर औ-धि परीक्षण प्रयोगशालाएं या तो अपर्याप्त हैं अथवा विद्यमान नहीं हैं। राज्य सरकारें, भे-जसंहिता संबंधी मानकों के प्रवर्तन के लिए लाइसेंस पद्धति अथवा गुणवत्ता परीक्षण आवश्यकताओं को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं।

22. आई.एस.एम. एण्ड एच. विभाग, निम्नलिखितों के जरिए, आई.एस.एम. एण्ड एच. में प्रयुक्त औ-धियों का कोटि नियंत्रण सुधारने के प्रयास कर रहा है:

- भे-जसंहिता संबंधी सभी कार्य 2004 तक पूरा करना;
- राज्य आई.एस.एम. एण्ड एच. भे-जशालाओं का आधुनिकीकरण;
- इन भे-जशालाओं तथा आई.एस.एम. एण्ड एच. उद्योग को अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाएं अपनाने के लिए प्रेरित करना;
- केन्द्रीय तथा राज्य कोटि नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना तथा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परि-नद (सी.सी.आर.ए.एस.) की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों/ कालेजों की रसायन व जीव-रसायन प्रयोगशालाओं तथा साथ ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति में विद्यमान औ-ध परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी आई.एस.एम. एण्ड एच. औ-धियों के परीक्षण व कोटि नियंत्रण हेतु उपयोग करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- औ-ध कोटि नियंत्रण का कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन तथा औ-ध व प्रसाधन अधिनियम (1940) व जादुई उपचार निवारण अधिनियम (1954) के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक प्रवर्तन;
- आई.एस.एम. एण्ड एच. के सांविधिक नमूनों और सर्वेक्षण नमूनों से संबंधित मानीटरन कार्य।

मेडिकल पर्यटन

23. भारत में और विदेश में परम्परागत औ-धि में फिर से रुचि उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप आई.एस.एम. एण्ड एच. में उपलब्ध विशेष-ज्ञतापूर्ण उपचार की मांग बढ़ी है। अनेक पर्यटक, कायाकल्प के उपचार और पेशीतन्त्रिका व विकलांग विकृतियों के इलाज के लिए "पंचकर्म" उपचार हेतु केरल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने, अच्छे होटलों में "पंचकर्म" की पेशकश करके स्वास्थ्य पर्यटन के संबंध में एक स्कीम शुरू की है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान इस क्षेत्र में अवसरों का पता लगाया जाएगा तथा उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, ग्राहकों के शो-ण को रोकने के लिए उपयुक्त पारदर्शी कोटि तथा देखभाल के लागत मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे और इनका मानीटरन किया जाएगा।

अनुसंधान और विकास

24. वर्तमान व-र्ष के दौरान, आर.एण्ड डी. पर, विशेष-रूप से नए औ-ध सूत्रों के नैदानिक परीक्षणों, केन्द्रीय अनुसंधान परि-नों को सुदृढ़ करके प्रभावशाली औ-धियों के नैदानिक परीक्षण तथा अन्य

अनुसंधान एजेन्सियों के साथ समन्वय पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। रा-ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आई.एस.एम.एण्ड एच. इन्पुट सुधारने के उद्देश्य से अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। बीमारियों में परम्परागत रूप से प्रयुक्त औ-धियों तथा सुरक्षा व व्यवहार्यता के लिए जनजातीय

आई.एस.एम.एण्ड एच. में आर.एण्ड डी. में कुछ प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- * आई.एस.एम.एण्ड एच. चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया में प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है।
- * भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों, वैकल्पिक तथा पूरक औ-धियों में बढ़ती रुचि के बावजूद, अनुसंधान परि-दों, उद्योग और अकादमिक संस्थानों द्वारा किए गए किसी भी अनुसंधान कार्य को रा-ट्रीय और अन्तर्रा-ट्रीय ख्याति की वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया है।
- * उन वि-यों पर अनुसंधान में ध्यान नहीं दिया गया है जहां आई.एस.एम.एण्ड एच. के अनूठे लाभ हैं, जैसेकि जीवनशैली सम्बद्ध बीमारियों तथा ऐसी बीमारियों की रोकथाम व प्रबंधन जिनके लिए आधुनिक पद्धति में औ-धियां उपलब्ध नहीं हैं।
- * आधुनिक अस्पतालों के सहयोग से अनुसंधान कार्य नहीं किया जाता जहां प्रचुर नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

सोसायटियों द्वारा प्रयुक्त औ-धियों के परीक्षण के संबंध में नैदानिक परीक्षण तथा नए औ-ध सूत्र विकसित करने के बारे में अनुसंधान आयोजित किए जा सकते हैं।

25. आई.एस.एम.एण्ड एच. में चार अनुसंधान परि-दें हैं: आयुर्वेद और सिद्धा में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परि-द (सी.सी.आर.ए.एस), यूनानी औ-धियों में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परि-द (सी.सी.आर.यू.एम.), योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परि-द (सी.सी.आर.वाई.एन.) और होम्योपैथी में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परि-द (सी.सी.आर.एच.)। ये परि-दें, विभिन्न औ-ध पद्धतियों में अनुसंधान हेतु शी-र्न निकाय हैं तथा पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपो-नित हैं। ये, बुनियादी और प्रयुक्त अनुसंधान, मेडिको-वानस्पतिक सर्वेक्षण, औ-धीय पौधों की खेती के संबंध में अध्ययन तथा भे-जसंहिता संबंधी अध्ययन प्रारम्भ, मार्गदर्शित, विकसित और समन्वित करती हैं। ये परि-दें, औ-ध मानकीकरण तथा नई आई.एस.एम.एण्ड एच. औ-धियों के नैदानिक परीक्षणों के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं।

26. आर.एण्ड डी. सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- उन विशि-ट क्षेत्रों में जहां आई.एस.एम. की गुणवत्ता पहले ही सिद्ध हो चुकी है, औ-ध विकास से संबंधित जैव-मेडिकल अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आई.एस.एम.एण्ड एच. के मूलभूत सिद्धान्तों के संबंध में अनुसंधान को महत्व दिया जाएगा।
- आई.एस.एम. के निवारक तथा प्रोत्साहन पहलुओं में, विशेष रूप से जीवनशैली सम्बद्ध विकृतियों में अनुसंधान पर बल दिया जाएगा।
- आई.एस.एम.एण्ड एच. की मेडिको-ऐतिहासिक जांच-पड़ताल जारी रखी जाएगी।
- ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पारम्परिक उपचारों की असरदार व्यापक रूप से स्वीकृत प्रथाओं और दक्षताओं का विनिर्धारण व मूल्यांकन किया जाएगा।

रा-ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी

27. आई.एस.एम.एण्ड एच. विभाग, परिवार कल्याण विभाग के आर.सी.एच. कार्यक्रम से सम्बद्ध है। आई.एस.एम.एण्ड एच. चिकित्सकों को आर.सी.एच. में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीस संस्थान विनिर्धारित किए गए हैं। नौवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण विभाग द्वारा ए.एन.एम. के औ-धि किट में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को शामिल करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया था। मलेरिया, तपेदिक, पेचिश रोगों के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों सहित सभी अन्य केन्द्रीय व राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रक कार्यक्रमों में आई.एस.एम.एण्ड एच. चिकित्सकों की भागीदारी पर क्रमिक रूप से विचार किया जाएगा।

रा-द्रीय आई.एस.एम.एण्ड एच. नीति

28. विश्वभर में, स्वास्थ्य देखभाल की एक पूरक पद्धति में, विशेष रूप से चिरकालिक जीवनशैली सम्बद्ध गैर-संचारी रोगों और ऐसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में, जिनके लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई कारगर औ-धि नहीं है, फिर से रुचि जागृत हुई है। भारत में आजकल जनांकिकीय और जीवनशैली संक्रमण हो रहा है जिसके फलस्वरूप गैर-संचारी रोगों तथा जीवनशैली सम्बद्ध विकृतियों की विद्यमानता में वृद्धि होगी। आई.एस.एम.एण्ड एच., विशेष रूप से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन विकृतियों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आई.एस.एम.एण्ड एच. चिकित्सक, रा-द्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम में औ-धियों के निरन्तर प्रयोग और कवरेज को सुधारने तथा परामर्श देने का कार्य कर सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2002 में अनुमोदित रा-द्रीय आई.एस.एम.एण्ड एच. नीति में उन उपायों का उल्लेख किया गया है जिनसे आई.एस.एम.एण्ड एच. पद्धति को स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

शून्य-आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया की समीक्षा

29. शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेड.बी.बी.) 2001 के अंतर्गत आई.एस.एम.एण्ड एच. विभाग में चल रही सभी स्कीमों की समीक्षा की गई। उस समय स्कीमों की संख्या 45 थी। इन स्कीमों को मिलाकर चार केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और नौ केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों में पुनर्गठन कर दिया गया। क्यू.पी.आर. के समय, सदस्य (स्वास्थ्य) ने 2001 और 2002 की जेड.बी.बी. प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के इस अनुरोध से सहमति व्यक्त की कि आई.ई.सी. की सी.एस.एस. को आई.ई.सी. की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के साथ मिलाया जा सकता है जिससे आई.एस.एम.एण्ड एच. विभागों के अधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कम करके तीन किया जा सकता है। केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें संतो-जनक रूप से कार्य कर रही हैं और स्कीमों के प्रतिमानों में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

सिद्धान्त रूप में अनुमोदन/ ई.एफ.सी./ एस.एफ.सी. अनुमोदन

30. नौवीं योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बीच स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रतिमानों में विशाल परिवर्तनों को देखते हुए, विभाग को लगभग सभी स्कीमों के संबंध में "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन और साथ ही ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. अनुमोदन प्राप्त करना पड़ा। 2002-03 के अन्त तक, आई.एस.एम.एण्ड एच. विभाग ने सभी नई स्कीमों के संबंध में "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन, सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और लगभग सभी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के संबंध में एस.एफ.सी./ ई.एफ.सी. अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई पूरी कर ली थी। चूंकि विभाग ने, दसवीं योजना के पहले वर्न में ही प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, इसलिए वह अगले चार वर्नों के दौरान स्कीमों के कार्यान्वयन और उनकी प्रगति के मानीटरन पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकता है।

वार्षिक कार्रवाई योजना/ त्रैमासिक नि-पादन समीक्षा

31. दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रमों के समय पर कार्यान्वयन का मानीटरन करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने दो नई शुरुआत कीं। वार्षिक कार्रवाई योजना में कार्यनीतियों पर अमल करने, और राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रभाव संकेतकों व वार्षिक कार्रवाई के माध्यम से मानीटरन पर ध्यान दिया जा सकता है। आजकल त्रैमासिक नि-पादन समीक्षाओं (क्यू.पी.आर.) का उद्देश्य, समय पर निधियां जारी करने, उनके उपयोग तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति का मानीटरन करना है। दसवीं योजना में आई.एस.एम.एण्ड एच. के संबंध में प्रमुख कार्यनीतियां हैं:

- आई.एस.एम.एण्ड एच. संस्थानों/ कार्मिकों को विद्यमान प्राथमिक, द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के साथ मुख्यधारा में शामिल करना।
- औ-धियों और सूत्रों के कोटि नियंत्रण में सुधार।

32. सदस्य (स्वास्थ्य), आई.एस.एम.एण्ड एच. के केन्द्रीय विभाग के संबंध में क्यू.पी.आर. और राज्य योजना प्रधान सलाहकार अपने-अपने संबंधित राज्यों की क्यू.पी.आर. के दौरान आई.एस.एम.एण्ड एच. क्षेत्रक के संबंध में भी नि-पादन की समीक्षा करते हैं ।

परिव्यय और व्यय

33. नौवीं योजना अवधि के दौरान, आईएसएम एंड एच विभाग की 44 स्कीमें थी, किसी भी स्कीम को नौवीं योजना में सीएसएस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया । जेडबीबी, 2001 के समय, योजना आयोग ने 10 स्कीमें विनिर्धारित की, जो केन्द्र द्वारा वित्तपोषित थी तथा जिन्हें राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था । जेडबीबी, 2001 के दौरान सिफारिश की गई कि इन स्कीमों को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाए । सभी 44 (सीएस और सीएसएस) के संबंध में नौवीं योजना और वार्षिक परिव्यय तथा व्यय संलग्नक 1क में दर्शाया गया है ।

34. जेडबीबी के दौरान, स्कीमां के विलयन, छंटाई करने के संबंध में कार्रवाई की गई थी तथा 4 सीएसएस को तथा 9 सीएस को दसवीं योजना में जारी रखने के लिए विनिर्धारित किया गया । क्यूपीआर तथा जेडबीबी, 2002-03 के दौरान विभाग ने आईईसी के संबंध में सीएसएस को तथा आईईएस के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के साथ विलयन हेतु योजना आयोग के अनुमोदन की मांग की तथा योजना आयोग ने इस पर सहमति प्रदान कर दी । इसलिए, केवल 3 सीएसएस थी । परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना परिव्ययों को स्कीम-वार संशोधित किया गया । दसवीं योजना के लिए स्कीमवार परिव्यय, वार्षिक योजना परिव्यय और 2002-03 के लिए सं.अ., दसवीं योजना के लिए संशोधित परिव्यय तथा 2003-04 के संबंध में ब.अ. संलग्नक 4.6.1 ख में दिए गए हैं ।

35. विभाग ने नौवीं और दसवीं योजना के दौरान सीएसएस के अतर्गत राज्यवार जारी राशि के संबंध में जानकारी भेजी है । "नौवीं योजना के दौरान 6 सीएसएस के अंतर्गत राज्यों को कोई राशि जारी नहीं की गई । आईएसएम एंड एच विभाग ने शे-4 सीएसएस के लिए राज्यवार आबंटन/व्यय उपलब्ध

कराया था । विभाग ने दसवीं योजना में सभी तीन सीएसएस के अंतर्गत राज्यों को जारी राशि के संबंध में जानकारी भेजी है । इन्हें संलग्नक 4.6.2 में दर्शाया गया है ।

.....

4.7 परिवार कल्याण

आजादी के बाद से ही स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख की सुलभता में सुधार करने और गर्भनिरोध देखभाल की व्यवस्था करने के प्रयासों पर बल दिया गया। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में नीतिगत रूपरेखा तथा रा-ट्रव्यापी स्वास्थ्य देखभाल के योजनाबद्ध विकास तथा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति के लिए निधियों की व्यवस्था की जाती रही है। केन्द्र प्रायोजित तथा 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने तथा उर्वरता विनियमन हेतु अनुभव की गई सभी जरूरतों को पूरा करने के वास्ते, राज्यों के लिए आवश्यक अतिरिक्त अवस्थापना, जनशक्ति और उपभोज्यों की व्यवस्था की गई है।

2. प्रौद्योगिकीय प्रगतियों तथा स्वास्थ्य देखभाल की सुधरी कोटि तथा कवरेज के फलस्वरूप समग्र मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है (सी.डी.आर.) जो 1951 में 25.1 से 2001 में 8.4 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत समग्र जन्म दर में (सी.बी.आर.) में कमी कम गति से आई है, जो 1951 में 40.8 से 2001 में 25.4 हो गई। भारत में जनांकिकीय संक्रमण की गति अपेक्षाकृत धीमी किन्तु सतत रही। 1991 और 2001 की जनगणना से पता चला कि जनसंख्या विकास दर 2 प्रतिशत से कम रही तथा कमी जारी है।

3. फिलहाल, चिन्ता के कुछेक मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उर्वरता तथा मृत्यु दर में विशाल अन्तर-राज्य भिन्नताएं; उर्वरता और मृत्यु दर सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में बहुत अधिक है, जहां कि देश की आधी जनसंख्या रहती है;
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.)/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) में आधारभूत ढांचे और जनशक्ति के बीच अवस्थापना, जनशक्ति और उपस्कर में कमियां तथा बेमेलपन; रेफरल सेवाओं का अभाव;
- 1990 के दशक के दौरान मृत्यु दर में धीमी कमी; नौवीं योजना के दौरान मृत्यु दर और उर्वरता के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे;
- विगत तीन दशकों के दौरान मातृ मृत्यु दर अनुपात में कोई कमी नहीं आई है, जबकि नवजात और शिशु मृत्यु दरें 1990 के दौरान अधित्यका पर पहुंच गईं;
- परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत कवरेज में सुधार नहीं हुआ है, संभवतः कार्यक्रम के अलग-अलग घटकों के संबंध में अभियान विधि कामकाज पर बल देने के कारण;
- एकीकृत प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) सेवाएं प्रदान करने के लिए दक्षताओं में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण पर बल देने के बावजूद, सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्रगति बहुत धीमी रही है तथा देखभाल की विनयवस्तु और कोटि में प्रत्याशित सुधार नहीं हुआ है;
- मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि प्रतिरक्षण के अन्तर्गत कवरेज, सर्वोत्तम नि-पादन दर्शाने वाले राज्यों में भी एकसमान नहीं रही है जबकि बिहार जैसे राज्यों में कवरेज दरें बहुत कम हैं, फिर भी पोलियो का उन्मूलन अभी भी होना बाकी है;
- कुल राज्यों में औ-धि सप्लाई के संभारतंत्र में सुधार हुआ है किन्तु घनी आबादी वाले राज्यों में यह असंतो-जनक बना हुआ है;
- सामुदायिक जरूरत मूल्यांकन के आधार पर विकेन्द्रीकृत जिला-आधारित आयोजना, सभी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अभी पूर्ण रूप से होना है;
- स्थानीय रूप से सृजित सेवा डाटा और सिविल पंजीकरण का उपयोग करते हुए मानीटरन तथा मध्यावधिक सुधार पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

दसवीं योजना के दौरान दृ-टिकोण

4. दसवीं योजना के दौरान प्रतिमान बदलाव, जो नौवीं योजना के दौरान आरंभ हुआ, पूर्ण रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। बदलाव निम्नलिखित से था:

- जनांकिकीय लक्ष्यों से, योग्य युगलों को अपने पुनर्जनन लक्ष्य प्राप्त करने पर बल देना;
- विधि-विशि-ट गर्भनिरोध लक्ष्यों से, अवांछित गर्भों को कम करने के लिए पूरी न हुई गर्भ निरोधकों की जरूरतों को पूरा करना;
- परिवार नियोजन तथा मातृ व बाल स्वास्थ्य के संबंध में अनेक ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों से महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल;
- केन्द्रीय रूप से परिभाषित लक्ष्यों से सामुदायिक जरूरत मूल्यांकन तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशि-ट माइक्रोयोजना और शिशु मृत्यु दर कम करने तथा उच्च आकांक्षा वाली उर्वरता को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में कार्यक्रम का कार्यान्वयन;
- मात्रात्मक कवरेज से, देखभाल की कोटि और मात्रा पर बल देना;
- प्रमुख रूप से महिला केन्द्रित कार्यक्रमों से, योजनाबद्ध पितृत्व में पुरु-नों की भागीदारी पर बल देते हुए परिवार की स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करना;
- आपूर्ति प्रेरित सेवा प्रदाय से जरूरत तथा मांग प्रेरित सेवा; जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और समय पर आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए सुधरा संभारतंत्र;
- प्रदाता बोध पर आधारित सेवा प्रावधान से युगलों का चयन और सुविधाओं पर ध्यान देना।

5. जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित कारणों से अभी भी ऊंची बनी हुई है:

- पुनर्जनन आयु-वर्ग में आबादी का बड़ा आकार (जो कुल आबादी वृद्धि के अनुमानतः 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है);
- गर्भनिरोध के संबंध में पूरी न हुई जरूरतों के कारण ऊंची उर्वरता (जो आबादी वृद्धि के लगभग 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है); और
- विद्यमान ऊंची शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) व अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणवश उच्च अपेक्षित उर्वरता दर (जनसंख्या वृद्धि में लगभग 20 प्रतिशत का अनुमानित अंशदान)।

6. दसवीं योजना में निम्नलिखित की प्राप्ति हेतु पूर्णतः बल दिया जाएगा:

- गर्भ निरोधकों की पूरी न हुई जरूरतों का मूल्यांकन और पूर्ति;
- आई.एम.आर. और मातृ मृत्यु दर अनुपात (एम.एम.आर.) में कमी के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से उर्वरता के उच्च वांछित स्तर में कटौती लाना; और
- परिवारों को उनके पुनर्जनन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्थ बनाना।

7. यदि परिवारों के पुनर्जनन लक्ष्य पूर्ण रूप में प्राप्त कर लिए जाएं तो देश, उर्वरता का प्रतिस्थापन स्तर के रा-ट्रीय जनसंख्या लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। मध्यम और दीर्घावधिक लक्ष्य, जनांकिकीय संक्रमण की गति को तेज करने और 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को जारी रखने का होगा। जल्द जनसंख्या स्थिरीकरण से देश, नागरिकों के आर्थिक स्तर और जीवन स्तर को सुधारने का अपना विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा।

8. उर्वरता, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर में कटौती करना दसवीं योजना के दौरान प्रमुख उद्देश्यों में होंगे। दसवीं योजना के दौरान तथा उससे बाद में ग्यारह मानीटरनयोग्य लक्ष्यों में से तीन निम्नलिखित होंगे:

- आई.एम.आर. को 2007 तक प्रति एक हजार 45 जीवित जन्म तक और 2012 तक प्रति एक हजार 28 जीवित जन्म तक करना;
- मातृ मृत्यु दर अनुपात को 2007 तक प्रति एक हजार 2 जीवित जन्म तक और 2012 तक प्रति एक हजार एक जीवित जन्म तक कम करना; और
- 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16.2 तक कम करना।

9. दसवीं योजना के दौरान, निम्नलिखितों के माध्यम से, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुलभता में सुधार करने पर बल रहेगा:

- आयोजना, कार्यान्वयन तथा नि-पादन के मानीटरन के लिए एक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण तथा मध्यावधि सुधार करना;
- सभी राज्यों/ जिलों में नि-पादन में वृद्धिकारी सुधार प्राप्त करने के वास्ते विभेदक नीति;
- उच्च मृत्यु दर और/ अथवा उर्वरता दरों वाले राज्यों/ जिलों में सेवाओं की सुलभता और उपयोग सुधारने के लिए विशेष प्रयास;
- विद्यमान अवस्थापना में, विशेष रूप से सी.एच.सी. में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवस्थापना का उपयुक्त पुनर्गठन और पुनर्संरचना के माध्यम से, क्रान्तिक कमियों को पूरा करना;
- यह सुनिश्चित करना कि सी.एच.सी. में विशेषज्ञों के पद रिक्त न रहें; दक्षताओं का उन्नयन तथा अन्य क्रान्तिक कमियों को पूरा करने के लिए विद्यमान जनशक्ति की पुनः तैनाती;
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के कामकाज को चुस्त बनाना; प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर अच्छी कोटि की एकीकृत आर.सी.एच. सेवाएं प्रदान करना तथा रेफरल सुविधाएं सुधारना;
- अनिवार्य औ-धियों, निदान तथा टीकों की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करना; आपूर्ति के संभारतंत्र में सुधार करना;
- कवरेज सुधारने के वास्ते सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के वास्ते सु-समन्वित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;
- स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन, मानीटरन तथा मध्यावधि सुधार में पी.आर.आई. का सहयोग प्राप्त करना;
- आर.सी.एच. सेवाओं की सुलभता सुधारने में संगठित व असंगठित क्षेत्रों में उद्योग, कृषि श्रमिकों और श्रमिक प्रतिनिधियों की भागीदारी;
- सहज तैयारशुदा (ओ.टी.सी.) उत्पादों, जैसे कि ओ.आर.टी. और गर्भनिरोधकों तक सुलभता में सुधार करने के लिए सामाजिक विपणन का प्रभावी उपयोग;
- प्रभावी आई.ई.सी. तथा अभिप्रेरण कार्यक्रम; और
- प्रभावी अन्तर-क्षेत्रकीय कार्यान्वयन।

10. दसवीं योजना में यथापरिकल्पित मृत्यु दर और उर्वरता दर में तेज गिरावट, विद्यमान अवस्थापना और जनशक्ति के साथ तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है, जैसा कि अनेक जिलों/ राज्यों में देखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग तथा आबादी के स्वास्थ्य सूचकों में विशाल भिन्नताओं को देखते हुए, एक विभेदक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है ताकि सभी जिलों में वृद्धिकारी सुधार हो

सके। उम्मीद है कि ऐसा करने से राज्य और राष्ट्रीय सूचकों में पर्याप्त सुधार होगा और देश दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा।


परिवार कल्याण कार्यक्रम का नि-पादन

11. नौवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में डाटा, वर्तमान स्थिति और दसवीं योजना और एन.पी.पी. 2000 में निर्धारित लक्ष्य संलग्नक 4.7.1 में दिए गए हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा से पता चला है कि सरकारी नेटवर्क से अधिकांशतः एम.सी.एच. और गर्भनिरोधक देखभाल (एन.एफ.एच.एस. 1998-99) प्राप्त होती है। तथापि, छोटी-मोटी बीमारियों के प्रबंधन के लिए अल्पकालिक देखभाल के संबंध में सरकारी सुविधाओं के उपयोग का स्तर न्यून है। परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता में जनांकिकीय सूचकों में विशाल अन्तर-राज्य और अन्तर-जिला भिन्नताओं को देखते हुए, परिवार कल्याण विभाग ने जरूरतों को पूरा करने के लिए (सी.एन.ए. दृष्टिकोण), विकेन्द्रीकृत, जिला-आधारित, क्षेत्र विशिष्ट जरूरत मूल्यांकन और कार्यक्रमों की परिकल्पना की है। आर.सी.एच. कार्यक्रम का उद्देश्य, एकीकृत अच्छी कोटि का मानसिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोध संबंधी देखभाल की व्यवस्था करना है। उम्मीद की गई थी कि इन उपायों से सेवाओं के कवरेज और कोटि में पर्याप्त सुधार होगा। इन धारणाओं के आधार पर नौवीं योजना लक्ष्यों का पूर्वानुमान लगाया गया था।

12. राज्यों में स्वास्थ्य पद्धतियों के संबंध में विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा आर.सी.एच. कार्यक्रम कार्यान्वयन की अनुकूलता में अधिक समय की जरूरत है। आर.सी.एच. कार्यक्रम के विशिष्ट घटकों के अन्तर्गत कवरेज में सुधार करने के प्रयासरूप कुछ राज्यों ने अभियान विधि कार्यान्वयन शुरू किया था जिसकी वजह से सामान्य सेवाएं अवरुद्ध हुईं। विशाल पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से 2000 की शरद ऋतु तक पोलियो के उन्मूलन के प्रयासों का भी सामान्य प्रतिरक्षण और आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी घटकों के तहत सेवाएं प्रदान करने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ वर्तमान डाटा की तुलना करने से पता चलता है कि अशोधित जन्म दर के संबंध में लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना है; संस्थात्मक प्रसव के संबंध में लक्ष्य योजना के अन्तिम वर्ष से काफी पहले प्राप्त हो जाएंगे। तथापि, अन्य प्राचलों के संबंध में लक्ष्य 2002 तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है। स्वतंत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि अनेक राज्यों ने, नौवीं योजना के दौरान आर.सी.एच. कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें विद्यमान अवस्थापना, जनशक्ति और इन्पुटों के साथ प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरणार्थ:

- आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जन्म दरों में काफी कमी आई है बाद वाले तीन राज्यों द्वारा उर्वरता का प्रतिस्थापन स्तर पूर्वानुमानों से काफी पहले प्राप्त हो जाने की संभावना है;
- पंजाब ने, अन्य सभी राज्यों की तुलना में उच्च युगल संरक्षण दरें तथा अन्तराल पद्धतियों के उपयोग में सफलता प्राप्त की है;
- तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में संस्थात्मक प्रसवों में पर्याप्त वृद्धि हुई है;
- केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार हुआ है;
- तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश ने प्रसव-पूर्व देखभाल के कवरेज और कोटि में सुधार प्राप्त किया है।


13. दसवीं योजना में, गर्भनिरोधकों और मातृ तथा बाल स्वास्थ्य के संबंध में सभी पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करने और आई.एम.आर., सी.बी.आर. तथा एम.एम.आर. में, पांच वर्षों में तेज गिरावट प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चूंकि ये लक्ष्य, विगत तीन दशकों के दौरान प्राप्त लक्ष्यों के साथ तुलनीय हैं, इसलिए इस बाबत विवाद उठ गया है कि क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।




14. प्रतिदर्श पंजीकरण पद्धति से, 1971 से राज्य विशिष्ट शिशु मृत्यु दर और समग्र जन्म दर (सी.बी.आर.) उपलब्ध होती है। सभी राज्यों ने, इस अवधि के दौरान सी.बी.आर. और आई.एम.आर. में गिरावट दर्शाई है; किन्तु गिरावट की गति और समय में भिन्नता थी। एस.आर.एस. से डाटा के विश्लेषण से स्पष्ट रूप

से पता चलता है कि अनेक राज्यों ने सी.बी.आर. और आई.एम.आर. में एक दशक के अन्दर, यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में गिरावट की गति धीमी थी, बड़े पैमाने पर गिरावट प्राप्त की है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु के संबंध में सी.बी.आर. में समय प्रवृत्तियां चित्र-1 में दर्शाई गई हैं। केरल में 1981 और 1991 के बीच सी.बी.आर. में तेजी से गिरावट आई और उसके बाद यह मूलतः अपरिवर्तित रही है। तमिलनाडु में 1984 और 1994 के बीच सी.बी.आर. में तेजी से गिरावट आई (1984 में 28 से 1994 में 19); आन्ध्र प्रदेश ने 1986 में 31 से 2001 में 21 तक की गिरावट की रिपोर्ट की। महाराष्ट्र में, जन्म दर 1989 तक मूलतः अपरिवर्तित रही और उसके बाद गिरावट शुरू हुई किन्तु आन्ध्र प्रदेश की तुलना में यह गिरावट कम थी। कर्नाटक में जन्म दर में अधिक तेजी से गिरावट 1990 में आई किन्तु गिरावट की दर सभी दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक धीमी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जन्म दर में तेज गिरावट अपेक्षाकृत अल्पावधि में प्राप्त की जा सकती है जब तक कि उर्वरता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त न हो जाए, बशर्ते कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, प्रशासन कारगर हो और गर्भनिरोधकों के लिए पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों।

15. पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1971 से 2001 तक के वर्षों के दौरान सी.बी.आर. में परिवर्तन चित्र 2 में दर्शाया गया है। पंजाब और उड़ीसा को छोड़कर, इन सभी राज्यों में 1970 के दशक के दौरान दक्षिणी राज्यों की तुलना में उंची सी.बी.आर. थी। 1980 के दशक के दौरान इन सभी राज्यों में जन्म दर में गिरावट बहुत धीमी रही। उड़ीसा में, बहुत उंची शिशु मृत्यु दर के बावजूद, जन्म दर, 1988 और 2001 के बीच 32 से कम होकर 23 हो गई। पश्चिम बंगाल में गिरावट 1987 में प्रारम्भ हुई तथा 2001 तक जन्म दर




20.5 हो गई; पंजाब में गिरावट 1990 के दशक में आरम्भ हुई तथा फिलहाल सी.बी.आर. 21/1000 है। उत्तर प्रदेश में, सी.बी.आर. में तेज गिरावट अभी शुरू होनी बाकी है। यदि, स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक देखभाल की सुलभता विशेष रूप से गर्भनिरोध की पूर्ण पद्धतियों के संबंध में पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बन्धीकरण सेवा की सुलभता में सुधार करने के लिए साथ-साथ प्रयास किए जाएं तो वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में सी.बी.आर. में बहुत तेज गिरावट की उम्मीद करना संभव है।




16. उत्तरी और पूर्वी राज्यों तथा दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में आई.एम.आर. में समय प्रवृत्ति क्रमशः चित्र 3 और 4 में दर्शाई गई है। 1970 के दशक में दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में आई.एम.आर. कम थी। 1970 के दशक के दौरान सभी राज्यों में आई.एम.आर. में तेज गिरावट आई। तथापि, 1980 के दशक

के मध्य तक, गिरावट धीमी हो गई और 1990 के दशक के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में गिरावट अधित्यका पर पहुंच गई। उड़ीसा में आई.एम.आर. में गिरावट अपेक्षतया धीमी थी जो 1972 में 130 से 2001 में 90 हो गई। उत्तर प्रदेश में आई.एम.आर. में 1980 के दशक के दौरान गिरावट की गति अपेक्षाकृत तेज थी; बाद में गिरावट धीमी रही। दसवीं योजना में आई.एम.आर. में तेज कमी प्राप्त करने के लिए विभेदक कार्यनीति का समर्थन किया गया है। अपेक्षाकृत उच्च आई.एम.आर. तथा उच्च नवजातोत्तर मृत्यु दर वाले राज्यों में ओ.आर.टी. और ए.आर.आई. उपचार की सुलभता सुधारने पर बल दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में संभवतः अपेक्षाकृत तेज गिरावट आएगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आई.एम.आर. में गिरावट प्राप्त करने के लिए, प्रसव-पूर्व, प्रसव और नवजात देखरेख में सुधार करना अनिवार्य होगा। इस विभेदक कार्यनीति से सभी राज्यों/ जिलों को वर्तमान स्थिति से वृद्धिकारी सुधार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे देश दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकेगा।



किशोरावस्था में गर्भ

17. एन.एफ.एच.एस.-II से डाटा से पता चलता है कि भारत में लड़कियों की शादी की औसत आयु 16 वर्न है तथा प्रथम जन्म पर औसत आयु 19.2 वर्न है। शिशुवस्था के दौरान मृत्यु के समय मातृ आयु के प्रभाव के संबंध में डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि शिशुवस्था में मृत्यु दर सबसे अधिक होती



है, यदि प्रसव के समय लड़की की आयु 15 अथवा 16 वर्न की हो, मृत्यु दर सबसे कम होती है जबकि बच्चे के जन्म के समय महिला 20 वर्न अथवा अधिक आयु की हो (चित्र 5)। गर्भावस्था की पोषण आवश्यकता, किशोर विकास में बढ़ोतरी के तुरंत बाद जरूरत होती है, रक्ताल्पता की उंची विद्यमानता और गर्भ प्रेरित, तनाव तथा स्वास्थ्य सेवाओं का असंतो-जनक उपयोग संभवतः उच्च


नवजात मृत्यु दरों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक हैं। अत्यन्त युवा लड़कियों की असंतो-जनक बाल देखभाल/ बाल पालन पद्धतियां, और स्वास्थ्य सेवाओं की असंतो-जनक सुलभता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उच्च शिशु मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। 12 से 20 वर्न की आयु में जल्द गर्भ ठहरने के प्रतिकूल परिणामों के बारे में तथा विवाह की न्यूनतम आयु में विवाह करने का कठोरतः अनुपालन करने के सामाजिक समर्थन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है। जब भी 12 से 20 वर्न की आयु में गर्भ ठहरता है तो वे और उनके शिशु को "उच्च जोखिम" वाला व्यक्ति समझा जाना चाहिए तथा उनके लिए पर्याप्त पोषाहार और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

रक्ताल्पता


18. भारत में रक्ताल्पता की विद्यमानता निम्नलिखित के कारण उंची है:

- न्यून खुराक अन्तर्ग्रहण, असंतो-जनक लौह और फोलिक एसिड अन्तर्ग्रहण
- फाइटेट, फाइबर-समृद्ध भारतीय खुराक में लौह की असंतो-जनक बायो-उपलब्धता
- संक्रमण, जैसे कि मलेरिया और अंकुश कृमि की विद्यमानता।

19. भारतीय भे-ज अनुसंधान परि-द (आई.सी.एम.आर.) तथा रा-ट्रीय पो-नाहार मानीटरन ब्यूरो (एन.एन.एम.बी.) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यद्यपि रक्ताल्पता सभी आयु वर्ग में जनसंख्या के सभी घटकों में विद्यमान होती है, तथापि गर्भवती महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में रक्ताल्पता की विद्यमानता अधिक होती है। रक्ताल्पता को रोकने के लिए रा-ट्रीय पो-नाहार रक्ताल्पता रोगरोधन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत प्रथम विकासशील देश है।



रक्ताल्पता की जांच करना तथा रक्ताल्पता वाले व्यक्तियों



का उचित प्रबंधन, प्रसव-पूर्व तथा बालरोग पद्धति के घटक रहे हैं। रा-द्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में 1998-99 में हेमोग्लोबिन का अनुमान लगाया गया तथा 0-3 वर्ग के आयु-वर्ग में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की विद्यमानता के संबंध में राज्य-वार जानकारी दी गई है (चित्र 6 और 7)। एन.एफ.एच.एस.2 द्वारा

रिपोर्ट की गई स्कूल-पूर्व बच्चों में रक्ताल्पता की विद्यमानता वैसी ही थी जैसी कि पिछले आई.सी.एम.आर. और एन.एन.एम.बी. सर्वेक्षणों से डाटा में बताई गई थी; तथापि, गर्भावस्था में रक्ताल्पता की बताई गई विद्यमानता काफी न्यून थी।

20. एन.एन.एम.बी. ने 2002 में आठ राज्यों के संबंध में, स्कूल-पूर्व बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं में हेमोग्लोबिन स्तर के बारे में जानकारी एकत्र की थी (तालिका 1)।

राज्य	1-4 वर्ग (लड़के+ लड़कियां)	12-17वर्ग (लड़कियां)	गर्भवती महिलाएं	दुग्धपान कराने वाली महिलाएं
केरल	11.4 ± 1.43 (369)	11.8 ± 1.39 (706)	10.9 ± 1.39 (279)	11.7 ± 1.33 (338)
तमिलनाडु	10.3 ± 1.67 (387)	11.6 ± 1.73 (773)	9.9 ± 1.81 (365)	10.8 ± 2.06 (380)
कर्नाटक	10.0 ± 1.67 (344)	11.1 ± 1.72 (682)	9.2 ± 1.50 (319)	10.4 ± 1.82 (320)
आन्ध्र प्रदेश	10.1 ± 1.63 (448)	10.8 ± 1.82 (889)	9.9 ± 1.63 (416)	10.7 ± 1.85 (439)
महाराष्ट्र	10.6 ± 1.68 (250)	11.5 ± 1.74 (522)	9.9 ± 1.67 (239)	10.8 ± 1.91 (250)
मध्य प्रदेश	9.7 ± 1.68 (235)	10.5 ± 1.80 (461)	9.4 ± 1.61 (208)	10.1 ± 1.90 (227)
उड़ीसा	9.6 ± 0.94 (407)	10.7 ± 1.46 (869)	9.7 ± 1.57 (356)	10.0 ± 1.60 (408)
पश्चिम बंगाल	10.1 ± 0.96 (437)	10.9 ± 1.00 (872)	10.2 ± 0.97 (436)	10.3 ± 0.94 (437)
कुल समूह	10.2 ± 1.55 (2877)	11.1 ± 1.63 (5774)	9.9 ± 1.58 (2618)	10.6 ± 1.75 (2799)


को-ठकों में दिए गए आंकड़े संख्या दर्शाते हैं

स्रोत: माइक्रो पो-नण कमी का मूल्यांकन एन.एन.एम.बी. 2003



एन.एफ.एच.एस.2 और एन.एन.एम.बी. में गर्भवती महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में रक्ताल्पता की विद्यमानता के संबंध में डाटा की तुलना चित्र 6 और 7 में दर्शाई गई है। दोनों सर्वेक्षणों में स्कूल-पूर्व बच्चों में रक्ताल्पता की विद्यमानता, उड़ीसा और महाराष्ट्र को छोड़कर, तुलनीय है। एन.एन.एम.बी. ने, सभी राज्यों के संबंध में गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की काफी अधिक विद्यमानता बताई थी। एन.आई.एन., एम्स व अन्य केन्द्रों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला कि एन.एफ.एच.एस.2 में हेमोग्लोबिन का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त हेमीसीन पद्धति में हेमोग्लोबिन स्तरों का अधिक अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है; किन्तु साइनमेथामोग्लोबिन और हेमीसीन पद्धति द्वारा बताए गए हेमोग्लोबिन स्तर के बीच कोई एकसमान सह-संबंध नहीं है। यह, गर्भवती महिलाओं में एन.एफ.एच.एस.2 में बताई गई रक्ताल्पता की काफी कम विद्यमानता की वजह से हो सकती है। गर्भावस्था में रक्ताल्पता की सतत ऊंची विद्यमानता और माता तथा भ्रूण के लिए इसके प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए यह जरूरी है कि प्रसव-

पूर्व देखभाल के एक भाग के रूप में रक्ताल्पता की जांच-पड़ताल, पता लगाने और प्रबंधन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नि-पादन में प्रगति




21. परिवार कल्याण विभाग, प्रत्येक मास परिवार नियोजन और प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नि-पादन की रिपोर्ट करता है। प्रक्रिया संकेतकों के संबंध में सूचना भी संकलित की जाती है और समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। 1990 के दशक के दौरान नि-पादन के संबंध में तथा प्रतिरक्षण और गर्भनिरोध के बारे में नए दशक के प्रथम दो वर्षों



की सेवा रिपोर्टों से उपलब्ध डाटा चित्र 8 और 9 में दर्शाया गया है। सेवा रिपोर्टों में अन्तराल पद्धति के अन्तर्गत, कवरेज मूल्यांकन की तुलना में, काफी अधिक युगल संरक्षण दरों का उल्लेख किया गया है (चित्र 10)। रा-ट्रीय स्तर पर प्रतिरक्षण के अन्तर्गत रिपोर्ट किया गया कवरेज बी.सी.जी. के संबंध में 100 प्रतिशत से लेकर खसरे के संबंध में 90 प्रतिशत था जबकि मूल्यांकन से पता चला कि कवरेज काफी कम था (चित्र 10)। सेवा माध्यमों और मूल्यांकन सर्वेक्षणों द्वारा रिपोर्ट किए गए कवरेज में विशाल अन्तर को ठीक करना होगा जिससे कि सेवा रिपोर्टों से कार्यक्रम में प्राप्त प्रगति का विश्वसनीय संकेत प्राप्त हो। सेवा और मूल्यांकन रिपोर्टों के बीच कवरेज के आंकड़ों में घटते अन्तर का उपयोग रिपोर्ट करने की कोटि में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है।

22. सेवा रिपोर्टों से डाटा से पता चलता है कि नौवीं योजना अवधि के दौरान परिवार नियोजन पद्धतियों की स्वीकार्यता अथवा प्रतिरक्षण के अन्तर्गत कवरेज में कोई वृद्धि नहीं हुई है (चित्र 11)।

तथापि, दसवीं योजना के प्रथम वर्न में कवरेज में कुछ सुधार हुआ है। इस बाबत चिन्ता व्यक्त की गई है कि सुधार का यह स्प-ट अभाव कुछ राज्यों में कवरेज में वास्तविक कमी, विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना लागू करने के कारण हो सकती है, समुदाय के आधार पर, इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मूल्यांकन, आर.सी.एच. कार्यक्रम के कुछ घटकों के लिए अभियान विधि सेवा सुलभता पर बल देने और विशाल पल्स पोलियो पहल की जरूरत है।



रा-द्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1 और 2 से, प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत मूल्यांकित कवरेज और 1992-93 तथा 1998-99 में विभिन्न गर्भनिरोध पद्धतियों की स्वीकृति दर्शाई गई है; त्वरित परिवार सर्वेक्षण 1 और 2 (जो चल रहा है) से 1998-99 और 2002-03 के संबंध में ऐसे ही डाटा का पता चलता है। एन.एफ.एच.एस.1 और 2 से डाटा से पता चला कि 1992-93 और 1998-99 के बीच गर्भनिरोधक और सामान्य प्रतिरक्षण - दोनों के नि-पादन में कुछ सुधार हुआ है। त्वरित परिवार सर्वेक्षण के प्रथम चरण से डाटा के प्रारम्भिक विश्ले-ण से, प्रसव-पूर्व देखभाल, संस्थात्मक प्रसव और गर्भनिरोधक स्वीकृति के संबंध में ऐसी ही प्रवृत्ति का पता चलता है। यह नोट करने से पुनः आश्वासन प्राप्त होता है कि मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि सेवाओं के कवरेज, वि-नय तथा कोटि से पिछले वर्नों के दौरान सतत किन्तु धीमे सुधार का पता चलता है। दसवीं योजना के दौरान, सुधार की गति को तेज करने के प्रयास करने होंगे ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं।

पोलियो उन्मूलन

23. वर्न 2002 में विश्व में केवल 7 देशों ने पोलियो मामलों की रिपोर्ट की है। विश्वभर में भारत (84 प्रतिशत), नाइजीरिया और पाकिस्तान में 99 प्रतिशत मामले हुए हैं; भारत में 78 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश के हैं। 1998-2003 के बीच रिपोर्ट किए गए राज्य-वार मामले संलग्नक 4.7.2 में दर्शाए गए हैं। टाइप I और टाइप III पोलियो वायरस - दोनों का स्थानिक संचरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। टाइप I पोलियो वायरस की प्रमुख घटना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई है तथा वह पश्चिमी बिहार व अन्य राज्यों के निकटवर्ती जिलों तक फैल गई। टाइप I पोलियो की प्रमुख घटना पश्चिम बंगाल और गुजरात में पोलियो वायरस के पुनः लागू करने के बाद घटी। 2002 में 80 प्रतिशत से अधिक मामले 2 वर्न से कम आयु के बच्चों में हुए।

24. कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षणों से उपलब्ध डाटा तथा पोलियो निगरानी डाटा के आधार पर, राज्यों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- दो अथवा अधिक वर्नों तक पोलियो के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं और सामान्य प्रतिरक्षण और एन.आई.डी. - दोनों के अन्तर्गत उंची कवरेज (उदाहरणार्थ केरल, तमिलनाडु) - इन राज्यों में उंची कवरेज को बनाए रखना होगा ताकि संक्रमण के फिर से उभरने को रोका जा सके।

- दो अथवा अधिक वर्गों तक पोलियो को किसी मामले की रिपोर्ट नहीं किन्तु सामान्य प्रतिरक्षण का कवरेज कम है (उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर राज्य) - यदि संक्रमण का राज्य में प्रवेश हो तो उसके फैलाव को रोकने के लिए सामान्य तथा पल्स पोलियो - दोनों के अन्तर्गत कवरेज में सुधार करने के लिए तत्काल उपाय करने होंगे।
- न्यून से साधारण सामान्य प्रतिरक्षण कवरेज और पल्स प्रतिरक्षण में कवर न हुए पाकेटों से कुछ पोलियो मामलों की रिपोर्ट - (पश्चिम बंगाल और हरियाणा) - पोलियो मामलों को समाप्त करने के लिए सामान्य तथा पल्स पोलियो - दोनों के अन्तर्गत कवरेज में सुधार करने के लिए तत्काल उपाय करने होंगे।
- सामान्य प्रतिरक्षण के अन्तर्गत न्यून कवरेज और पल्स प्रतिरक्षण में कवर न हुए पाकेटों में बड़ी संख्या में पोलियो के मामले (उ.प्र., बिहार) - पर्याप्त कटौती और तत्पश्चात पोलियो मामलों की समाप्ति करने के लिए, सामान्य तथा पल्स पोलियो - दोनों के अन्तर्गत कवरेज में सुधार करने के लिए सक्रियतापूर्वक उपाय करने की जरूरत है।

25. उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि जिन राज्यों/ जिलों में सामान्य प्रतिरक्षण स्तर ऊंचा है, वहां पोलियो की घटनाएं नहीं होती। तथापि, यदि सामान्य प्रतिरक्षण स्तर न्यून हो तो उन राज्यों/ जिलों में आशंका बनी रहती है; जब कभी भी पोलियो वायरस प्रवेश कर जाता है, तो पोलियो की घटना अप्रतिरक्षित बच्चों में घटित होती है। इस प्रकार, पल्स पोलियो अभियानों के साथ-साथ, सामान्य प्रतिरक्षण कवरेज में सुधार न केवल पोलियो के उन्मूलन को तेज करने के लिए जरूरी है बल्कि उन्मूलन को बनाए रखने व पोलियो के फिर से घटित न होने के लिए भी जरूरी है।

26. पोलियो के संबंध में भारत विशेष-ज्ञ सलाहकार दल (आई.ई.ए.जी.) ने नवम्बर 2002 और फरवरी 2003 में पोलियो स्थिति की समीक्षा की थी; आई.ई.ए.जी. ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बच्चों के प्रतिरक्षित संभाव्य समूह में वृद्धि हुई थी जिसकी वजह असंतो-जनक सामान्य प्रतिरक्षण कवरेज और एस.एन.आई.डी. के दौरान असंतो-जनक कवरेज थी जिसके फलस्वरूप घटनाएं घटी। भारत में पोलियो-मुक्त राज्यों में उत्तरी भारत में स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों से पोलियो वाइरस फिर से घटित होने का जोखिम बना रहता है। महामारी संबंधी डाटा पर विचार करने के बाद, आई.ई.ए.जी. ने सिफारिश की कि वर्ष 2003-04 में निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया जाए:

- उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में उच्च जोखिम वाले जिलों (दक्षिण दिनाजपुर के दक्षिण में सभी जिले), मध्य प्रदेश (16), झारखण्ड (13), राजस्थान (29) और उत्तरांचल (4) में एस.एन.आई.डी. के दो चक्र 6 अप्रैल और 1 जून को पहले ही पूरे हो चुके हैं।
- इन राज्यों में एस.एन.आई.डी. के दो और चक्र सितम्बर और नवम्बर 2003 में।
- एन.आई.डी. के दो चक्र, जनवरी-फरवरी 2004 में।
- उत्तर प्रदेश में 7 दिन, बिहार, दिल्ली में 5 दिन व अन्य राज्यों में दो दिन में केन्द्रों पर प्रतिरक्षण के बाद घर-घर जाकर प्रतिरक्षण किया जाएगा।
- उन क्षेत्रों में अन्तिम चक्र नहीं किया जाएगा जो एस.एन.आई.डी. के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, उन्हें फरवरी 2003 के बाद वाइल्ड पोलियो वायरस का पता लगने के बाद अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

27. व्यय वित्त समिति ने उपरोक्त कार्यनीति अनुमोदित कर दी है तथा देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम 2003-04 के दौरान 605 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। समिति ने इस बात पर बल

दिया कि पोलियो का तीव्र उन्मूलन सुनिश्चित करने और उच्च नेमी प्रतिरक्षण व पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दौरान उच्च कवरेज की भी सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता के जरिए पोलियो-मुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाने चाहिए।

28. प्रसार के बाद प्रतिरक्षण के कारण, रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, अगले दो वर्षों में तेजी से कमी हो सकती है, तथापि इसकी वजह से निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए। पिछले वर्ष की घटना को, पोलियो उन्मूलन को धक्का पहुंचाने की बजाए एक अवसर समझा जाना चाहिए। इस घटना के कारण बच्चे, जिन्हें पहले न तो सामान्य प्रतिरक्षण के अन्तर्गत अथवा न ही पल्स पोलियो के अन्तर्गत प्रतिरक्षित नहीं किया गया था, प्रतिरक्षित हो गए हैं। यदि अगले कुछ वर्षों के दौरान, इन सभी राज्यों में सामान्य और पल्स पोलियो के तहत कवरेज अच्छा रहा तो देश संभवतः 2007 तक पोलियो और नवजात टेटनस - दोनों के उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, जैसा कि दसवीं योजना में परिकल्पित है।

29. जैसे-जैसे देश पोलियो उन्मूलन की दिशा में बढ़ेगा, जैसे-वैसे विशेषज्ञ समूहों को इस बात पर विचार करना है कि राज्यों में पोलियो प्रतिरक्षण नीति में कोई परिवर्तन करने का क्या उपयुक्त समय है (उदाहरणार्थ ओ.पी.वी. से आई.पी.वी. में परिवर्तन), जो तीन या चार वर्षों तक पोलियोमुक्त रहे हैं। भारत ने एक अच्छी पोलियो निगरानी पद्धति निर्मित की है। अभी तक, वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण पोलियो के मामलों का पता लगाने पर जोर दिया जाता रहा है (जैसा कि स्टूल कल्चर में वाइल्ड पोलियो वायरस से पता चलता है)। पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए एन.आई.डी. और एस.एन.आई.डी.को शुरू किए हुए देश में सात साल हो गए हैं। जैसे-जैसे वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण पोलियो के मामलों की संख्या में कमी आती है, जैसे-जैसे टीके से जुड़े पक्षाघात पोलियो की मात्रा का अनुमान लगाना और साथ ही एक व्यवस्थित पद्धति द्वारा विभिन्न राज्यों में टीका वायरस के उत्परिवर्ती तन्त्रिका अनि-टकर विकार की उत्पत्ति पर नजर रखना भी उपयुक्त होगा (इनकी वजह से अन्य देशों में पोलियो के मामलों की रिपोर्ट मिली है)।

परिवार कल्याण अवस्थापना का पुनर्गठन

30. 1970 के दशक में, जब परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस समय मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए अवस्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर अपर्याप्त और द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल स्तरों पर इ-टतम से कम थी। स्थिति में तेजी से सुधार करने के उद्देश्य से, परिवार कल्याण विभाग ने प्रसव पश्चात केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका वित्तपोषण किया तथा उस समय विद्यमान पी.एच.सी. (ब्लाक स्तर पी.एच.सी.) के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की। इसके अलावा, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सृजित, उप-केन्द्रों में ए.एन.एम. के लिए भी विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराया गया। परिवार कल्याण विभाग ने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा कार्मिकों के सेवा-पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के वास्ते राज्य और जिला स्तरीय अवस्थापना का भी सृजन किया। इन सभी कार्यकलापों के लिए योजना निधियों के माध्यम से धन दिया जा रहा है।

31. विगत तीन दशकों के दौरान, राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल अवस्थापना का काफी विस्तार और उसका सुदृढीकरण किया गया है। अब, परिवार कल्याण सेवाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक अभिन्न अंग हैं। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और प्रसव-पश्चात केन्द्रों की स्कीम के अधीन परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित स्टाफ राज्य

स्वास्थ्य सेवा कार्मिक हैं जो राज्य अवस्थापना के भाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए, नौवीं योजना में सिफारिश की गई कि वित्तपो-ण का काम राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2002 से राज्यों ने प्रसव-पश्चात केन्द्रों और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के वित्तपो-ण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है।

32. क्योंकि कार्यक्रम की सुलभता में सुधार करने के वास्ते ए.एन.एम. महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ए.एन.एम. के पद भरे जाएं और यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं कि वे उपलब्ध रहें और उन्हें सौंपे गए कार्यों को नि-पादित करें। ए.एन.एम. के संबंध में एक प्रमुख समस्या यह है कि यद्यपि परिवार कल्याण विभाग ने 97,000 से अधिक का वित्तपो-ण किया तथापि लगभग 40,000 का वित्तपो-ण राज्य द्वारा किया गया (अधिकांशतः योजना-भिन्न से)। नौवीं योजना में सिफारिश की गई कि वित्तपो-ण में इस द्विभाजन को दूर किया जाएगा तथा सभी ए.एन.एम. का वित्तपो-ण, 1991 जनसंख्या के लिए मानदण्डों के अनुसार, परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाए। 1 अप्रैल 2002 से ऐसा किया गया है। उम्मीद है कि ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य अपेक्षित संख्या में ए.एन.एम. नियुक्त करें, उनके कामकाज में चुस्ती लाएं तथा मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा गर्भनिरोधक देखभाल की कवरेज, वि-नय-वस्तु तथा कोटि में सुधार लाएं।

33. व्यय वित्त समिति ने, अपनी 4.8.2003 को हुई बैठक में, उप-केन्द्रों में सभी ए.एन.एम. के वित्तपो-ण के संबंध में परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया:

- उप-केन्द्रों के केन्द्रीय वित्तपो-ण के संबंध में मानदण्ड, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1991 जनगणना आबादी के संदर्भ में बेंचमार्क पर आधारित होने चाहिए, जिन्हें आयोग और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाए। कुछ राज्यों में इन बेंचमार्कों से अधिक स्थापित किए गए उप-केन्द्रों पर खर्च उनके द्वारा अपने बजट में से ही वहन किया जाना चाहिए। बेंचमार्क से अधिक अतिरिक्त उप-केन्द्रों के लिए तभी सहायता दी जाए यदि वे असाधारण आधारों पर न्यायोचित हों।
- इस वित्त वर्ग के अन्त तक किसी बाह्य एजेन्सी के माध्यम से मूल्यांकन के पश्चात, उप-केन्द्रों के नि-पादन की समीक्षा करने की एक पद्धति, ब्लाक तथा उप-केन्द्र स्तरीय नि-पादन संकेतों सहित, विकसित की जानी चाहिए।
- ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, परिवार कल्याण विभाग तथा योजना आयोग के अधिकारियों की एक समिति सेवाओं के अभिसरण के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार कर सकती है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, परिवार कल्याण विभाग द्वारा, सेवाओं के अभिसरण के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए जा सकते हैं। मार्गनिर्देश के प्रारूप को सी.सी.ई.ए. के लिए टिप्पणी में शामिल किया जा सकता है।
- ई.ए.जी. की विद्यमान समिति के विचारार्थ वि-नयों का विस्तार किया जा सकता है जिससे कि ब्लाक और उप-केन्द्र स्तर नि-पादन संकेतकों के आधार पर उप-केन्द्रों के कार्य नि-पादन की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय करने के काम को, उपलब्धि स्तरों में कमी रहने की स्थिति में, उनमें सम्मिलित किया जा सके।

अधिकार-प्राप्त कार्रवाई दल

34. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और जनांकिकीय सूचक तालिका 2 में दर्शाए गए हैं। यदि रा-ट्रीय जनसंख्या नीति और दसवीं योजना में निर्धारित उर्वरता और मृत्यु दर में कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं, तो इन राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता में सुधार करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि इन राज्यों का देश

तालिका 2 ई.ए.जी. राज्यों के परिवार कल्याण संकेतक									
क्रम सं.	राज्य	18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत	3+ उच्च जन्म दर का योगदान	किसी ए.एन.सी. वाली महिलाओं का प्रतिशत	पूर्ण ए.एन.सी. वाली महिलाओं का प्रतिशत	सुरक्षित प्रसव	पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत	प्रतिरक्षण सहित बच्चों का प्रतिशत	सी.पी.आर. कोई पद्धति
1	बिहार	58.2	57.1	26.4	8.0	18.8	20.1	53.2	23.4
2	झारखण्ड	50.8	54.2	42.8	18.9	19.9	30.8	34.1	27.8
3	मध्य प्रदेश	58.6	53.6	53.9	20.2	29.5	47.3	13.3	47.1
4	छत्तीसगढ़	41.9	47.0	52.2	27.1	22.4	59.1	7.8	40.1
5	उत्तर प्रदेश	49.3	59.4	48.0	12.1	21.9	44.5	27.3	29.1
6	उत्तरांचल	12.4	50.8	40.6	17.5	22.3	62.8	19.4	39.9
7	उड़ीसा	32.2	45.3	72.9	32.4	32.9	57.4	10.0	49.4
8	राजस्थान	57.1	51.9	62.0	14.7	33.5	36.9	33.8	40.5

स्रोत: परिवार कल्याण विभाग

की मृत्यु दर और उर्वरता में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। दसवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि इन राज्यों/ जिलों में स्वास्थ्य पद्धति की क्षमता को उन्नत बनाना होगा ताकि उर्वरता और मृत्यु दर, दोनों में तेजी से गिरावट आए। इन समस्याओं पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकार-प्राप्त कार्रवाई दल (ई.ए.जी.) गठित किया गया है कि असंतो-जनक स्वास्थ्य और जनांकिकीय सूचकों वाले इन आठ राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ई.ए.जी. के अध्यक्ष हैं और इसमें संबंधित विभागों के सचिव, योजना आयोग, एन.जी.ओ. व विशेष-ज्ञ सम्मिलित हैं। ई.ए.जी. को सौंपे गए वि-नय निम्नलिखित हैं:

- रा-ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में उल्लिखित सामाजिक -जनांकिकीय लक्ष्यों को, उन राज्यों/ क्षेत्रों में जहां आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए पिछड़े हुए हैं, प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रम तैयार करना। निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई की जाएगी:
- इन राज्यों में, इनके निकटवर्ती तथा दूर-दराज स्थित क्षेत्रों में, गर्भनिरोधों, औ-नधियों, टीकों और साथ ही सेवाओं की सुलभता व उपलब्धता का मानीटरन करने के लिए, जिला और उप-जिला स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना पद्धतियां लागू करना;
- उचित शीत कड़ी व्यवस्था, आपूर्तियों और उपस्कर की समय पर सुपुर्दगी, पर्याप्त तालिका नियंत्रण और स्टाक स्थिति की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों में संभारतंत्र के लिए विद्यमान पद्धतियों में सुधार करना;
- विविध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सम्मिलित करके जनसंख्या स्थिरता के संबंध में कार्यक्रमों के प्रबंधन में प्रतिमान बदलाव को कार्यान्वित करना;

- इन राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घण्टे की सेवा सुलभता के लक्ष्य के वास्ते, वहां प्रत्येक सी.एच.सी./ पी.एच.सी./ उप-केन्द्र में उपयुक्त स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तैनात करना;
- स्वैच्छिक क्षेत्रक तथा गैर-सरकारी संगठनों की मदद से, स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से, ग्राम स्तरों पर सेवा सुलभता का प्रायोगिक अभिसरण;
- इन राज्यों में सूचना, शिक्षा तथा संचार के लिए एक लक्ष्यपूर्ण अभियान को अन्तिम रूप देना, जिसमें इन राज्यों में समर्थन, सूचना तथा संचार के प्रसार हेतु, ग्राम स्तर से ऊपर तक, समुदाय, सिविल सोसायटी, मत निर्धारकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए;
- रेफरल परिवहन, दाइयों के प्रशिक्षण और पुनर्जनन स्वास्थ्य देखभाल कोटि की विद्यमान पद्धतियों को, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए सक्रिय बनाना;
- व्यापक मानीटरन पद्धतियां प्रारंभ करना, जिसमें व्यावसायिक एजेन्सियों के माध्यम से, सम्बर्तो मूल्यांकन और विश्वसनीय, विस्तृत पारिवारिक और सुविधाओं का सर्वेक्षण शामिल है;
- इन राज्यों में प्रत्येक जिले से समुदाय जरूरतें मूल्यांकन रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिला आयोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- प्रजनन अनुसंधान में वर्तमान प्रौद्योगिकियों में प्रगतियों के साथ कार्यक्रम और परियोजना सुलभता का तालमेल बिठाना;
- गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक क्षेत्र तथा निजी निगमित क्षेत्र के सक्रिय सहयोग के जरिए, विशेष रूप से रेफरल परिवहन और देखभाल की कोटि सुधारने के क्षेत्र में, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता और व्यापक कवरेज का विस्तार करने के लिए परियोजनाएं चलाना।
- राज्यों की जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में संबंधित राज्य सरकार की सहायता करना;
- स्वैच्छिक एसोसिएशनों, सामुदायिक संगठनों और पंचायती राज संस्थानों की सार्थक भागीदारी के लिए उपाय खोजना।
- गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन के कार्यक्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करने की संभावना का पता लगाना कि वे जागरूकता स्तरों में वृद्धि करने के साथ-साथ, वे सहजता से उपलब्ध हो सकें।

35. ई.ए.जी. ने, चल रहे कार्यक्रमों में कमियों को दूर करने तथा अन्तर-क्षेत्रकीय अभिसरण को सुकर बनाने के वास्ते स्कीम शुरू करने के लिए एक सफल उच्च शक्ति-प्राप्त एकल खिड़की स्वीकृति पद्धति की भी परिकल्पना की है। ई.ए.जी. को, प्रदाय तंत्र को सुदृढ़ करने अथवा क्रान्तिक अन्तर को पाटने के लिए राज्यों द्वारा सुझाए गए नवीन हस्तक्षेपों के समर्थन हेतु, उसे सौंपे गए कार्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में जरूरत-आधारित विशि-ट उपाय शुरू करने के लिए विनिर्दि-ट निधियां विनिश्चित की हैं। दसवीं योजना में इस स्कीम के लिए 250 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। परिवार कल्याण विभाग ने सभी राज्यों से वार्षिक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है जिसमें इन राज्यों में गर्भनिरोध तथा मातृत्व व बाल देखभाल की पूरी न हुई जरूरतों को, अवस्थापना, आपूर्ति और सेवाओं में अन्तरों को पाटने के माध्यम से, पूरा करने के वास्ते चल रही स्कीमों और साथ ही नए उपायों को भी शामिल किया जाए। चल रही स्कीमों के संबंध में मानदण्डों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयासों में दोहरापन न हो, चल रही स्कीमों और प्रस्तावित उपायों की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी।

36. ई.एफ.सी. ने 4.3.2003 को हुई अपनी बैठक में ई.ए.जी. स्कीमों को निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अनुमोदित किया:

- ई.ए.जी. की एक उप-समिति को, जिसमें वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का सं.स.(एफ.ए.) सम्मिलित हो, कार्य नि-पादन समीक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में उपयुक्त सिफारिशें तथा ई.ए.जी. की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत आवश्यक निवेश की सिफारिशें करनी चाहिए, जिन पर तत्पश्चात उसके द्वारा अन्तिम अनुमोदनार्थ विचार किया जाएगा।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य में विद्यमान अवस्थापना का (परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र और मेडिकल कालेज) उपयोग किया जाएगा।
- किराए का विकल्प उपलब्ध न होने पर ही नए निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सिविल कार्य पर व्यय परियोजना परिव्यय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- किसी ए.एन.एम. की गतिशीलता सुधारने के लिए और सहायता संबंधी प्रस्ताव पर, अन्य राज्यों में स्कीम की सफलता का मूल्यांकन करने के बाद तथा उन क्षेत्रों का पता लगाने के बाद ही विचार किया जाएगा जहां गतिशीलता बढ़ाने की तत्काल जरूरत है।
- परिवार कल्याण विभाग में पदों का सृजन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- अन्य स्कीमों के अन्तर्गत भाण्डागारों के निर्माण के लिए उपलब्ध धन का उपयोग, ई.ए.जी. स्कीमों के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता मांगने से पहले किया जाएगा। निधियां, संबंधित राज्य सरकारों के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का वित्तपो-नण

37. नौवीं योजना से पहले, परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक एकल केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में समझा जाता था। परिणामस्वरूप, निधियन के लिए इस सीएसएस के अंतर्गत शी-र्न कार्यात्मक थे, यथा कार्मिक, सेवाएं, आपूर्ति, परिवहन, क्षेत्र विकास आदि। इन कार्यात्मक शी-र्नों से निधियां सभी चालू कार्यक्रमों के लिए दी जाती थीं, जिनमें मातृ तथा बाल स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण सम्मिलित हैं। नौवीं योजना में, आर.सी.एच., पल्स पोलियो, प्रतिरक्षण तथा नेमी प्रतिरक्षण को सुदृढ़ करने जैसी प्रमुख परियोजनाओं को बड़े परिव्यय के साथ अलग-अलग स्कीमों के रूप में इन कार्यात्मक उप-स्कीमों के तहत शामिल कर लिया गया। वर्ष 2001 में, योजना आयोग तथा परिवार कल्याण विभाग ने, जेड.बी.बी. प्रक्रिया शुरू की तथा उस समय परिवार कल्याण विभाग के तहत स्कीमों को युक्तियुक्त बनाने का प्रयास किया गया। एक संशोधित स्कीम-वार सूची तैयार की गई, जिसमें अवस्थापना को सुदृढ़ करने की स्कीमों, क्षेत्र विकास परियोजना, प्रशिक्षण, अनुसंधान, गर्भनिरोध, प्रतिरक्षण, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और पो-नाहार के लिए कार्यक्रम सम्बद्ध कार्यकलापों को विनिर्दि-ट स्कीमों के रूप में विनिर्धारित किया गया। इस प्रकार कुल 94 स्कीमों विनिर्धारित की गई। नौवीं योजना के दौरान इन 94 स्कीमों में स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 4.7.3क में दर्शाए गए हैं।

38. इन 94 स्कीमों के संबंध में एक शून्य आधारित बजट पद्धति प्रयास शुरू किया गया ताकि दसवीं योजना में जारी रखी जाने वाली स्कीमों का विनिर्धारण किया जा सके, जैसेकि अभिसरण, छँटाई अथवा राज्यों को हस्तांतरण। इस प्रक्रिया के अंत में 54 स्कीमों ऐसी थी जिन्हें दसवीं योजना में जारी रखा जाना था। उन स्कीमों के संबंध में दसवीं योजना और वार्षिक योजना परिव्यय 2002-03, संलग्नक

4.7.3ख में दिया गया है। रा-द्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि को रा-द्रीय जनसंख्या आयोग से परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया और यह परिवार कल्याण विभाग की स्कीम संख्या 55 हो गई। इन सीएसएस सेवाओं के लिए राज्य-वार परिव्यय तैयार करते समय यह अनुभव किया गया कि कुछेक स्कीमें जिन्हें सीएसएस के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वस्तुतः केन्द्र/अथवा केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों द्वारा (यथा आईसीएमआर, आईआईपीएस, एनआईएचएफडब्ल्यू) कार्यान्वित की जाती हैं; इसलिए इन्हें पुनः सीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनका उल्लेख संलग्नक 4.7.3ख में * के साथ किया गया है। उन्हें वार्षिक योजना 2004-05 में केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के रूप में दिखाया जाएगा।

39. व-र्न 2002-03 में तीन राज्यों में पोलियो के स्थानीय मामले होने की वजह से विभाग को चालू प्लस पोलिया कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा। अनुमान लगाया गया कि विभाग को, दसवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए प्रदत्त 1450 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा, इस दिशा में प्रयास करने के वास्ते 1660 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसके अलावा, विभाग को दसवीं योजना में स्वास्थ्य मेलों के लिए प्रदत्त 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के अलावा, 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी। परिवार कल्याण विभाग ने व-र्न 2002-03 में अनंतिम व्यय को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना के लिए संशोधित स्कीम-वार परिव्यय निश्चित किए ताकि इन दो कार्यक्रमों के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकताओं को परिवार कल्याण विभाग के विद्यमान दसवीं योजना परिव्ययों के अंदर शामिल किया जा सके और इस संशोधन के संबंध में योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया। ये संशोधित दसवीं योजना स्कीम-वार परिव्यय संलग्नक 4.7.3ख में दर्शाए गए हैं।

40. नौ मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत परिवार कल्याण विभाग में प्रमुख केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी राज्यवार निधियां संलग्नक 4.7.4 - 4.7.11 में दर्शाई गई हैं। अनेक छोटी-छोटी स्कीमें भी थी, जिनके लिए नौवीं योजना के दौरान राज्यवार निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं। ऐसी स्कीमों की सूची संलग्नक 4.7.12 में दी गई है।

वर्तमान स्थिति तथा दसवीं योजना लक्ष्य

संलग्नक 4.7.1					
संकेतक	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य			
		एन.एच.पी. 1983	नौवीं योजना	दसवीं योजना	एन.पी.पी. 2000
लक्ष्य वर्ष		2000	2002	2007	2010
अशोधित जन्म दर	25.4 एस आर एस (2001)	21	24	21	21
कुल उर्वरता दर	2.85 *	2.3	2.9	2.3	2.1
युगल संरक्षण दर (प्रतिशत)	46.2 प.क. विभाग (2000)	60	51	65	सभी जरूरतें पूरी हुई
मातृ मृत्यु दर अनुपात	540 *	200 से कम	300	200	100 से कम
प्रसव-पूर्व मृत्यु दर	-	30-35	-	-	-
नवजात मृत्यु दर	43.4 *	-	35	26	-
शिशु मृत्यु दर	66 एस आर एस (2001)	60 से कम	56	45	30 से कम
पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर	94.9*	-	-	-	-
6 वी.पी.डी. के विरुद्ध प्रतिशत प्रतिरक्षित (%)	42 *	85	65	100	100
➤ खसरा	51*				
➤ डी पी टी	55*				
➤ पोलियो	63*				
➤ बी.सी.जी.	72*				
प्रसव-पूर्व देखभाल (ए.एन.सी.)					
➤ 3 ए.एन.सी. न्यूनतम प्रतिशत	43.8 *	100	90	90	100
➤ 3 अथवा 4 मास के लिए आई.एफ.ए. प्राप्त प्रतिशत	47.5*			100	100
➤ टी.टी. की दो खुराक प्राप्त प्रतिशत	66.8 *		95	100	100
प्रसव					
संस्थात्मक प्रसव (%)	33.6 *	-	35	80	80
प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मिकों और टी.बी.ए. द्वारा प्रसव (प्रतिशत)	42.3 *	100	45		100
न्यून जन्म भार की विद्यमानता (प्रतिशत)	30 (अनुमानित)	10	-	-	-

* एन.एफ.एच.एस.-2

पोलियो मामले (1998 से 2003**)								पूर्णतः प्रतिरक्षित प्रतिशत
(31 मई 2003 तक)								
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
1	आन्ध्र प्रदेश	96	21	0	0	0	0	*58.7
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	#77.4
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	*20.5
4	असम	1	0	0	1	0	0	*17.0
5	बिहार	158	123	50	27	121	8	*11.0
6	चण्डीगढ़	1	2	1	0	1	0	#61.6
7	छत्तीसगढ़	-	-	-	0	1	0	*40.0
8	दादरा और नागर हवेली	1	0	0	0	0	0	#77.5
9	दमन और दीव	5	0	0	0	0	0	#68.7
10	दिल्ली	47	73	3	3	24	3	*69.8
11	गोवा	2	0	0	0	0	0	*82.6
12	गुजरात	164	9	2	1	24	3	*53.0
13	हरियाणा	39	19	4	5	37	2	*62.7
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	*83.4
15	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	0	1	0	*56.7
16	झारखण्ड	-	-	-	2	12	0	*18.2
17	कर्नाटक	71	21	8	0	0	0	*60.0
18	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	*79.7
19	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	0	0	0	#94.5
20	मध्य प्रदेश	107	17	2	0	21	7	*22.4
21	महाराष्ट्र	121	18	7	4	6	1	*78.4
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	*42.3
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	*14.3
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	*59.6
25	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	*14.1
26	उड़ीसा	49	0	0	0	4	2	*43.7
27	पांडिचेरी	2	0	0	0	0	0	#95.3
28	पंजाब	9	4	0	5	2	0	*72.1
29	राजस्थान	63	18	0	0	41	4	*17.3
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	*47.4
31	तमिलनाडु	91	7	0	0	0	0	*88.8
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	#46.3
33	उत्तरांचल	-	-	-	3	14	0	*56.0
34	उत्तर प्रदेश	881	773	179	216	1242	28	*21.2
35	पश्चिम बंगाल	26	21	8	1	49	23	*43.8
	जोड़	1934	1126	265	268	1600	81	
	स्रोत: ** प.क. विभाग * एनएफएचएस.2, आरएचएस							

4.8 महिलाएं और बच्चे

प्रस्तावना

एक स्वतंत्र लक्ष्य वर्ग के रूप में महिलाओं की संख्या, 2001 की जनगणना के अनुसार, 495.74 मिलियन है, जो देश की कुल आबादी के 48.3 प्रतिशत है। 2001 के जनगणना के पूर्वानुमान के अनुसार बच्चों (0-14 वर्ष) की संख्या, देश की कुल आबादी में 347.54 मिलियन (33.8 प्रतिशत) है। इस प्रकार महिलाएं और बच्चे न केवल देश का एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं, बल्कि समग्र मानव विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक भी हैं। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), "महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास, के प्रति प्रतिबद्ध है। महिलाओं की अधिकारिता के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण, कार्यनीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसरण में, यद्यपि संबंधित महिलाओं से जुड़े मंत्रालयों/विभागों ने वर्ष 2002-2003 के दौरान महिलाओं और बच्चों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन जारी रखा, तथापि महिला और बाल विकास के नोडल विभाग ने, विभिन्न स्तरों पर अपने अनन्य संस्थात्मक तंत्र की सहायता से, महिलाओं की अधिकारिता और बच्चों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जारी रखा।

2. महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बच्चों के लिए जिन विभिन्न कार्यनीतियों और पद्धतियों पर कार्रवाई की गई उनमें सम्मिलित हैं: i) देशभर में बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं और माताओं के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में, वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीसी) की रा-द्रव्यापी स्कीम; ii) महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए 1992 में रा-द्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) की स्थापना; iii) गरीब और संपत्तिहीन महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1993 में रा-द्रीय महिला कोन (आर एम के) की स्थापना; iv) लोगों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए पर्याप्त पो-नण स्तर सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के वास्ते 1993 में रा-द्रीय पो-नाहार नीति (एन एन पी) अपनाया; v) 1994 में रा-द्रीय क्रेच निधि (एन सी एफ) की स्थापना, जिससे कि क्रेच सेवाओं के लिए बढ़ती मांग पूरी की जा सके; vi) प्रायोगिक आधार पर 1995-96 में स्वयंसिद्धा की शुरुआत जिसे पहले इंदिरा महिला योजना (आई एम वाई) कहा जाता था, (2000 में एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (आई डब्ल्यू ई पी) के रूप में पुनर्संरचित और अनुसमर्थित); vii) 1997 में स्व-शक्ति परियोजना, जिसे पहले ग्रामीण महिला विकास और सशक्तिकरण परियोजना (आर डब्ल्यू डी ई पी) कहा जाता था; viii) 1997 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत, जिसे 1999 में पुनर्रचित किया गया; ix) महिला स्व: सहायता समूहों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, जिसे 1998 में शुरू किया गया था; और x) कठिन परिस्थितिग्रस्त महिलाओं के लाभार्थ 2001-2002 में स्व: आधार। 2003-04 के दौरान इन कार्यक्रमों/स्कीमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।

वार्षिक योजना 2002-2003 की समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2003-2004

3. शून्य आधारित बजट पद्धति (जेड बी बी) का अनुप्रयोग करके, नौवीं पंचवर्षीय योजना के (1997-2002) के अंत में महिला और बाल विकास विभाग/(डी/डब्ल्यू सी डी) की चल रही 46 स्कीमों में से 25 स्कीम या तो समाप्त कर दी गई या उनका विलय कर दिया गया अथवा उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए, दसवीं योजना के शुरू में केवल 21 स्कीमों, 15 केन्द्रीय क्षेत्रक (सी एस) और 6 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी सी एस) सहित, अस्तित्व में थी। जेड बी बी की कोर समिति के निर्देशों का पालन करते हुए, स्कीमों की कारगर ढंग से जांच-पड़ताल करके दसवीं योजना में स्कीमों की संख्या में कटौती प्राप्त की गई। महिला और बाल विकास विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में 5 नई स्कीमों (2 सी एस तथा 3 सी एस एस) का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित इन पांच स्कीमों में से केवल एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2002-2003 के दौरान अनुमोदित की गई है। वार्षिक योजना 2003-2004 में कुल 22 स्कीमों (15 सी एस तथा 7 सी एस एस), 2002-2003 में प्रारंभ की गई नई सी एस एस सहित, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

4. वर्ष 2002-2003 के दौरान महिला और बाल विकास विभाग के लिए प्रदत्त 2200.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले विभाग द्वारा 2085.00 करोड़ रुपए का व्यय प्रत्याशित है जो निधियों के लगभग 95% उपयोग का परिचायक है। वर्ष 2002-2003 के दौरान हुए व्यय से भी, पिछले वर्ष 2001-2002 की राशि में 56 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत मिलता है (1,396.07 करोड़ रुपए)। इसलिए, वार्षिक योजना 2003-2004 में, महिला और बाल विकास विभाग के लिए, केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत कुल 2,600 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक क्रमिक ढंग से आई सी डी एस का सर्वसुलभीकरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ए डब्ल्यू डब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (ए डब्ल्यू एच) के लिए मानदेय में बढ़ोत्तरी और देश में 412 अतिरिक्त ब्लॉकों को कवर करने के लिए स्वयंसिद्धा स्कीम का विस्तार, शामिल है। वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित, आई सी डी एस और स्वयंसिद्धा प्रत्येक के लिए 100 ब्लॉकों को प्रचालनात्मक बनाने के लक्ष्य के बदले, 152 आई सी डी एस ब्लॉकों और 301 स्वयंसिद्धा ब्लॉकों को प्रचालनात्मक बनाया जा चुका है। चूंकि महिला और बाल विकास को राज्य योजना के "सामाजिक सेवाएं तथा कल्याण क्षेत्रक" के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है इसलिए उसके संबंध में परिव्यय को सामाजिक कल्याण के परिव्यय में शामिल किया गया है जैसाकि "अन्य विशेष-वर्ग" के संबंध में अध्याय के संलग्नक 7.3.4 में प्रस्तुत है। यद्यपि, केन्द्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास के अंतर्गत विनिश्चित कार्यक्रम-वार और वर्ष-वार परिव्यय और व्यय का विवरण संलग्नक 4.8.1(i) में और वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्नक 4.8.1 (ii) में प्रस्तुत हैं तथापि उनका सारांश नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका - 1

वार्षिक योजना 2002-2003 और वार्षिक योजना 2003-2004 के दौरान महिला और बाल विकास क्षेत्रक के अंतर्गत परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम	वार्षिक योजनाएं			
		2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	महिला और बाल विकास	1640.41	2197.00	2083.01	2597.97
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	161.15	156.07	123.82	162.00
	(ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1479.26	2040.93	1959.19	2435.97
II	खाद्य और पो-नाहार बोर्ड	2.78	3.00	1.99	2.03
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	2.78	2.00	1.98	2.00
	(ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	0.00	1.00	0.01	0.03
		1643.19	2200.00	2085.00	2600.00

महिलाओं का सशक्तिकरण

5. हाल ही में अपनाई गई रा-ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 को देखते हुए, नीति को कार्यरूप देने के अलावा, दसवीं योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई बेहतर दृष्टिकोण नहीं हो सकता। इसलिए, वार्षिक योजना 2003-2004 में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को, लिंग न्याय पर विशेष बल देते हुए सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के वास्ते, जारी रखा जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, लिंग न्याय को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कि सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित की जा सके, जैसाकि नीति में निर्धारित है। इसके साथ ही, "महिला घटक आयोजना" की नौवीं योजना कार्यनीति के कार्यान्वयन को और तेज किया जाएगा ताकि अन्य विकास क्षेत्रकों से महिलाओं के लिए निधियों के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में लिंग संवेदीकरण को भी स्वीकार करते हुए, मंत्रिमंडल सचिव ने पहले ही जनवरी, 2003 में सभी मंत्रालयों/विभागों से अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिंग मुद्दों पर एक अध्याय शामिल करने का अनुरोध किया है जिसमें उनके द्वारा महिला और लिंग सम्बद्ध मुद्दों, उपलब्ध संसाधन तथा उनके उपयोग के बारे में की गई नई पहलें सम्मिलित हों।

6. नौवीं योजना (1997-02) के दौरान महिलाओं को स्वयंसेवी समूहों (एस एच जी) में गठित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी ताकि उनकी जरूरतों को अभिव्यक्त करने के लिए स्थायी सहायता प्रदान की जा सके और विकास में वे अपने परिदृश्य का योग कर सकें। एस एच जी, जो स्वयंसिद्धा के कार्यक्रम के तहत कार्यरत हैं, विभिन्न आय-सृजक गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहे हैं। 1996 में शुरू किए गए सामाजिक कार्यक्रम (एस ई पी) का उद्देश्य महिलाओं को तरह-तरह के अनेक आय-सृजक

कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें सहायक इकाइयों में औद्योगिक कल-पुर्जों का निर्माण, हथकरघे, हस्तशिल्प, पशुपालन, रेशम पालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि-आधारित कार्यकलाप और सब्जी अथवा मछली आदि की बिक्री जैसे स्व-रोजगार उद्यम शामिल हैं। चल रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों को नोट करते हुए, वार्षिक योजना 2003-04 में न केवल कार्यान्वयन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए बल्कि उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से कमियों को दूर करके, प्रयास किए जाएंगे।

7. वार्षिक योजना 2003-2004 में, सभी महिला सम्बद्ध क्षेत्रों, यथा स्वास्थ्य, पो-नाहार, शिक्षा, रोजगार, संचार साधन, पर्यावरण, सुरक्षित पेय जल, प्रौढ़/कार्यात्मक साक्षरता, लाभप्रद रोजगार या तो मजदूरी पर अथवा स्व-रोजगार, स्वच्छता, बाल रोगों के एकीकृत प्रबंधन के बारे में ज्ञान और जानकारी, सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं, कल्याण सेवाओं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, लघु और मझौले उद्योग क्षेत्रों/उद्योगों, माइक्रो-क्रेडिट आदि के प्रभाव को इ-टम बनाने के लिए परामर्श के क्षेत्रों में, उपलब्ध सेवाओं, संसाधनों, जनशक्ति, आधारभूत ढांचे के प्रभावी अभिसरण को जारी रखा जाएगा।

8. वार्षिक योजना 2002-03, हाल ही में अपनाई गई रा-ट्रीय महिला अधिकारिता नीति को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को निम्नलिखित के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए एक त्रि-आयामीय नीति की परिकल्पना की गई है: (i) सामाजिक सशक्तिकरण; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण; और (iii) लैंगिक न्याय। ये कार्यनीतियां 2003-2004 के दौरान भी जारी रहेंगी।

सामाजिक सशक्तिकरण

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संघनित पाठ्यक्रम (सी सी ई एंड वी टी)

9. शिक्षा को सामाजिक विकास के लिए एक बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता स्वीकारते हुए दसवीं योजना में साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसलिए, शिक्षा को एक "मूलभूत अधिकार" घोषित करने और सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) नामक एक रा-ट्रव्यापी नूतन कार्यक्रम की शुरुआत, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की चिंता और प्रतिबद्धता स्प-टतः परिलक्षित होती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर हो। एस एस ए के विशेष लक्षित कार्यक्रम के माध्यम से अब तक पहुंच से बाहर रही बालिकाओं तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे कि एस एस ए अपनी प्रतिबद्धता कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करे। पिछले वर्ष के अंत तक महिला शिक्षा के तहत हुई प्रगति को समेकित किया जाएगा तथा "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा" के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा जैसाकि रा-ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) में कहा गया है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संघनित पाठ्यक्रम की स्कीम, जिसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है, उन स्कीमों में से एक है जिनका उद्देश्य महिलाओं को अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने और उनकी दक्षताओं को उन्नत करने में भी मदद देता है जिससे कि बदलते कार्य परिवेश की मांगों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि उन्हें आत्म-विश्वासी और आत्म-निर्भर बनाया जा सके। वर्ष 2002-03 के लिए 2 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके बदले, 2250 उम्मीदवारों को लाभ प्रदान करने के लिए 89 पाठ्यक्रम आयोजित करने के वास्ते 31 दिसम्बर, 2002 तक 1.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 400 पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 4 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

सूचना तथा जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी

10. योजना के अंतर्गत जन संचार माध्यमों को, महिलाओं और बालिकाओं को, विशेष रूप से लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के बारे में प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि महिलाओं और पुरुषों का संतुलित चित्र प्रस्तुत किया जा सके। सूचना और जनसंचार माध्यमों की स्कीमों के लिए वर्ष 2002-03 के लिए 6.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले, 31.12.2002 के अंत तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सामान्य - दोनों क्षेत्रों के लिए 18 फिल्मों और 52 रेडियो कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते 1.10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 0.50 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले, इसी अवधि के दौरान, अर्थात् दिसम्बर, 2002 तक 0.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए सूचना और जन संचार साधनों के लिए 5 करोड़ रुपए और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 0.50 करोड़ रुपए, 17 विडियो फिल्मों/स्पाट तैयार करने के वास्ते, विनिश्चित किए गए हैं।

अल्प आवास गृह (एस एस एच)

11. अल्प आवास गृहों की स्कीम, जो 1969 में शुरू की गई थी, अब मानसिक कुसमंजन, भावात्मक असंतोह और सामाजिक बहिष्कार की पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को, जो या तो भाग गई हैं अथवा जिन्हें पारिवारिक समस्याओं, मानसिक अथवा शारीरिक यातना के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा अथवा जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है अथवा जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया है, अस्थाई आश्रय, परामर्श अथवा मानसिक उपचार प्रदान करने के वास्ते, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अल्प आवास गृह (एस एस एच) का उद्देश्य, ऐसी महिलाओं का पुनर्वास करना और समाज में उन्हें फिर से मिलाना है। वार्षिक योजना 2002-03 में, 90 एस एस एच के निर्माण के लिए 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है। तथापि, 31.12.2002 को समाप्त अवधि के संबंध में, 8.25 करोड़ रुपए की राशि केवल 39 एस एस एच के निर्माण के लिए खर्च की गई है। अधिकाधिक एस एस एच की जरूरत को देखते हुए, वर्ष 2003-04 के लिए परिव्यय 15.00 करोड़ रुपए बनाए रखा गया।

आर्थिक सशक्तिकरण

स्व-शक्ति परियोजना

12. योजना का अंतिम उद्देश्य सभी महिलाओं को, कौशलों के प्रशिक्षण और स्तरोन्नयन तथा "अग्रगामी" तथा "पश्च" दोनों प्रकार के संयोजनों के साथ रोजगार व आय-सृजक कार्यकलापों की व्यवस्था करके, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्म-निर्भर बनाना है। इस उद्देश्य से स्वयंसेवी दलों (एस एस जी)को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यमों के रूप में कार्य करते हैं। चालू एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्व-शक्ति, जो विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोन (आई एफ ए डी) द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित है, कठोर परिश्रम और समय कटौती प्रणालियों, स्वास्थ्य, साक्षरता तथा विश्वास संवृद्धि व आय-सृजक कार्यकलापों पर उनके नियंत्रण में वृद्धि करके, बेहतर जीवन स्तर के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान 25 करोड़ रुपए

के परिव्यय के बदले, दिसम्बर, 2002 के अंत तक 17.83 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। तथापि, विभाग ने, वर्न 2002-03 के लिए 650 नए एस एच जी का निर्धारित वास्तविक लक्ष्य दिसम्बर, 2002 में ही प्राप्त कर लिया। वर्न 2003-04 के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

स्वयंसिद्धा

13. स्वयंसिद्धा कार्यक्रम का उद्देश्य, प्रेरणा की एक सतत प्रक्रिया और सभी चल रहे क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से, संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और उन पर नियंत्रण सुनिश्चित करके उनका चहुंमुखी सशक्तिकरण करना है। स्कीम का विस्तार करने की प्रक्रिया 2002-03 में शुरू हो चुकी है किन्तु प्रगति बहुत धीमी रही है। स्वयंसिद्धा के अंतर्गत एस एच जी के प्रभावी आय सृजक तथा जागरूकता सृजन कार्यकलापों के माध्यम से प्राप्त हुए सर्वोत्तम परिणामों के बावजूद स्कीम की वास्तविक अवधारणा को समझने में काफी अधिक अंतर है। स्वयंसिद्धा की अवधारणा के अनुसार, आय और जागरूकता - दोनों प्रकार के सृजक कार्यकलाप पंजीकृत सोसायटियों के रूप में एस एच जी का केवल स्तर उंचा उठाने का माध्यम हैं और बाद में उन्हें स्वतंत्र वित्तीय संस्थानों/बैंकों के रूप में उन्नत करना है तथा इन दलों के सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे अलग-अलग अथवा एक दल के रूप में उद्यमकर्ता के रूप में उभरेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले एस एच जी, " पश्च और अग्रगामी संयोज्यता" दोनों प्रकार की सहायता से अत्यंत प्रभावी ढंग से विभिन्न आय-सृजक कार्यकलाप कार्यान्वित कर रहे हैं। कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के वास्ते, सरकार ने, दसवीं व-नीय योजना के दौरान देशभर में स्वयंसिद्धा का 650 ब्लॉकों में और विस्तार करने का अनुमोदन किया है। 2002-03 में 20.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले दिसम्बर, 2002 के अंत तक केवल 5.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। तथापि, ब्लॉकों को प्रचालनात्मक बनाने की दृष्टि से वास्तविक प्रगति बहुत अच्छी रही है। दसवीं पंचव-नीय योजना (2002-07) के दौरान प्रचालनात्मक बनाने के वास्ते 650 ब्लॉकों का लक्ष्य निश्चित किया गया है, जिनमें 238 इंदिरा महिला योजना (आई एम वाई) ब्लॉक शामिल हैं। किन्तु विभाग ने दिसम्बर, 2002 तक 574 ब्लॉकों का लक्ष्य प्राप्त किया है। नि-पादन को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रमों को पहले से उपलब्ध आधारभूत स्तरीय एस एच जी के नेटवर्किंग के जरिए, सार्वजनीन बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 20 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस टी ई पी)

14. 1987 में शुरू किए गए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एस टी ई पी) का उद्देश्य, महिलाओं की उत्पादकता व आय सृजन में वृद्धि करने के लिए पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग, रेशमपालन, सामाजिक वानिकी तथा परती भूमि विकास के परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार क्रेडिट और विपणन संयोजनों के अलावा, उनके प्रशिक्षण के जरिए गरीब और संपत्तिविहीन महिलाओं को अद्यतन कौशल व नई जानकारी प्रदान करना है। वार्षिक योजना 2002-2003 में 25 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले दिसम्बर, 2002 के अंत तक केवल 2.81 करोड़ रुपए व्यय होंगे जिनसे 35,000 के लक्ष्य के बदले 25,000 महिलाओं को लाभ पहुंचेगा, जो वित्तीय और वास्तविक - दोनों प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी का संकेत है। महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण/परंपरागत क्षेत्रों में लगी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अत्यावश्यक कौशल उन्नयन और उद्यमशीलता के लिए वर्न 2003-04 के दौरान 25 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रोजगार सह-आय सृजन-सह उत्पादन इकाइयां (नोराड)

15. रोजगार सह-आय सृजन सह-उत्पादन इकाइयों की स्कीम, जिसे अब "स्वावलंबन" के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1982-83 में, नोर्वेवाई विकास सहयोग एजेंसी (नोराड) की सहायता से, महिलाओं को सतत् आधार पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान करने के लिए, शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत लक्षित समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाएं शामिल हैं जो समाज के कमजोर वर्गों, अर्थात्, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में इस कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया था। दिसम्बर, 2002 के अंत तक, 10.79 करोड़ रुपए के व्यय की रिपोर्ट की गई है जिससे 65,000 के लक्ष्य के बदले 21,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। कार्यक्रम की सफलता से, आधारभूत स्तर पर सुविधाविहीन महिलाओं को कौशल प्रदान करने में अनौपचारिक तथा सस्ते प्रशिक्षण माड्यूलों की व्यवहार्यता प्रदर्शित हुई है। नोराड द्वारा कराए गए स्वतंत्र अध्ययन सहित, विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों से, पता चलता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं में से लगभग 50-60 प्रतिशत महिलाएं रोजगार अथवा स्व: रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परिव्यय को 25 करोड़ रुपए पर बनाए रखा गया है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

16. महिला और बाल विकास विभाग, रोजगार बाजार में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत, अपने घर से बाहर रह रही कामकाजी महिलाओं को सस्ती और सुरक्षित होस्टल आवास उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थियों में अकेली कामकाजी महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा, पृथक हुई और और ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जिनके पति नगर से बाहर रहते हैं। रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं तथा स्कूल-पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाली छात्राएं भी होस्टलों में आवास के लिए पात्र हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण की दिशा में प्रगति, वर्ष के दौरान वित्तीय और वास्तविक -दोनों ही दृष्टियों से निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रही है। कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले 31.12.2002 के अंत तक केवल 15 प्रतिशत राशि व्यय की गई जो 2.25 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2002-03 के दौरान निर्मित किए जाने के लिए 40 होस्टलों के लक्ष्य के बदले केवल 9 होस्टल की वृद्धि हुई जिनसे 741 महिलाएं लाभान्वित हुई जबकि लक्ष्य 4,000 महिला लाभार्थियों का था। धीमी प्रगति के कारण, कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के लिए परिव्यय 2003-04 में घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

रा-ट्रीय महिला को-न (आर एम के)

17. वार्षिक योजना 2003-04 में विभिन्न रोजगार-सह-आयसृजन कार्यक्रमों के वित्तपो-नण हेतु स्वयंसिद्ध के अंतर्गत गठित समूहों के साथ आर एम के के सूक्ष्म-ऋण कार्यक्रम को जोड़ने में और मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए ऋणों की सुलभता में या तो नए सूक्ष्म-ऋण तंत्र स्थापित करके अथवा महिलाओं की जरूरतें पूरी करने वाले विद्यमान ऋण संस्थानों को सुदृढ़ करके, साथ-साथ आर एम के सीमित कवरेज का विस्तार करके, वृद्धि की जाएगी। महिला विकास निगमों

वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उत्प्रेरकों की भूमिका अदा करने के अलावा महिला उद्यमियों को ऋण और विपणन सुविधाओं के अग्रगामी और पश्च दोनों प्रकार के संयोजन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, आर एम के अंतर्गत 93.44 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया जा सका जिससे 1044 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 4.63 लाख गरीब और संपत्तिविहीन महिलाएं लाभान्वित हुईं। वार्षिक योजना 2003-04 में आर एम के लिए एक करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

सहायता-अनुदान व अन्य स्कीमें

18. रोजगार में कार्य और उपलब्धता - दोनों ही दृष्टि से असमानताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने के वास्ते और इस प्रकार महिलाओं के कामकाज को और अधिक स्प-ट सुनिश्चित करने व उनके योगदान को राष्ट्रीय लेखाओं में रिकार्ड करने के लिए, वार्षिक योजना 2003-04 में एक उचित कार्यनीति तैयार की जाएगी। विधायी और कल्याण, दोनों प्रकार के उपायों का विस्तार करने/लागू करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं की कामकाजी स्थिति सुधारने के अलावा, औपचारिक क्षेत्र में उनके शो-नण को नियंत्रित/समाप्त करने के लिए न्यूनतम और समान मजदूरी से संबंधित उपायों का विस्तार करने/लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रक्रियाओं के मानीटरन में सहभागिता के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा जाए, प्रशासनिक व प्रवर्तन तंत्र में लैंगिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजनाओं (ए जी पी आर पी डब्ल्यू) के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, किन्तु प्रगति संतो-जनक नहीं थी क्योंकि विभाग दिसम्बर, 2002 के अंत तक केवल 0.44 करोड़ रुपए की राशि खर्च सका। इसी प्रकार, 2002-03 के दौरान 30 नए अध्ययनों के लक्ष्य के बदले केवल 8 अध्ययन आयोजित किए जा सके तथा 40 सेमिनारों/कार्यशालाओं के लक्ष्य के बदले केवल 4 कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए गए। ए जी पी आर पी डब्ल्यू के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 1.50 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

19. सरकार ने, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई स्थान सुरक्षित करने के लिए विधान बनाने के वास्ते लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है और इस प्रकार निर्णय-निर्माण निकायों में महिलाओं का अनुपात उनकी संख्या के अनुपात में सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि उनकी बात सुनी जा सके, प्रयास किया है। विधेयक लोकसभा में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है।

स्वाधार

20. अनेक विधानों के बावजूद, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध, घर पर और कार्यस्थान पर, हिंसा की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो धीरे-धीरे बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों (2000) के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की संख्या, जो 1998 में 1.31 लाख थी, 2000 में बढ़कर 1.41 लाख हो गई। 2000 में महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल 1.41 लाख अपराधों में से यातनाओं का हिस्सा सर्वाधिक 32.38 प्रतिशत है; उसके बाद छेड़छाड़ (23.30%); अपहरण और हरण (10.62%) बलात्कार (11.66%); यौन

उत्पीड़न (7.80 प्रतिशत) और दहेज मृत्यु (4.95%); अनैतिक करोबार (6.74%) व अन्य (2.55%) मामले हैं। इसलिए महिलाओं और किशोर लड़कियों समेत, बालिकाओं के विरुद्ध निरन्तर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए, विद्यमान विधान को, विशेष रूप से प्रवर्तन प्राधिकारियों के प्रयासों को पूरक बनाने में, स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी के जरिए कठोरतापूर्वक कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। स्वाधार स्कीम, कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं जैसेकि महिलाओं के परिवारों द्वारा उन्हें वृन्दावन, काशी आदि जैसे धार्मिक स्थानों पर छोड़ दी गई निराश्रित विधवाएं, जेल से मुक्त और बिना किसी पारिवारिक समर्थन वाली कैदी; प्राकृतिक आपदाओं के कारण आश्रयहीन हुई और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली जीवित बची महिलाओं; वेश्यालयों व अन्य स्थानों से भागी हुई/मुक्त कराई गई, भगाई गई महिलाओं/बालिकाओं अथवा यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को जिन्हें परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता अथवा जो विभिन्न कारणवश अपने-अपने परिवार में वापस नहीं जाना चाहतीं; आतंकी हिंसा से पीड़ित महिलाओं को जिन्हें पारिवारिक सहायता प्राप्त नहीं होती और आजीविका का कोई आर्थिक साधन नहीं होता; मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को, जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा संबंधियों आदि की सहायता उपलब्ध नहीं हो, लाभ प्रदान करने के वास्ते हाल ही में 2001-02 में शुरू की गई हैं। चूंकि यह स्कीम हाल ही में शुरू की गई है, इसलिए इसके कार्यान्वयन की गति धीमी है। वर्ष 2002-2003 में 15.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले 31.12.2002 के अंत तक 2.07 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। तदनुसार, 35 केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य के बदले, उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 20 केन्द्र स्थापित किए गए। चूंकि स्कीम के 2003-04 के दौरान गति पकड़ने की उम्मीद है इसलिए कठिन परिस्थितियों में रह रही मार्जिनकृत महिलाओं को आश्रय, खाना, कपड़े और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

लैंगिक न्याय

21. महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से पता चलता है कि लिंग संवेदी नीतियां, लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक कार्यकुशलता के लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान कर सकती हैं। इसलिए, लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, लिंग संवेदी नीति की जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने मार्च 2001 में "रा-द्रीय महिला सशक्तिकरण नीति" अपनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण प्राप्त करना तथा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना तथा जीवन व कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीति के अंतर्गत शामिल किए गए वि-यों व मुद्दों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं; (i) समय लक्ष्यों के अनुरूप, वरीयतः अन्य महिला-सम्बद्ध रा-द्रीय नीतियों की निश्चित समय-तालिका के अनुरूप प्राप्त किए जाने वाले मापन योग्य लक्ष्य; (ii) संसाधनों की प्रतिबद्धता; (iii) डब्ल्यू सी पी के अंतर्गत लाभों का विनिर्धारण; (iv) कार्रवाई मुद्दों के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदारियां निश्चित करना; और (v) महिलाओं, किशोर लड़कियों और बालिकाओं का स्तर उनके सहभागियों के साथ समान रूप से ऊंचा उठाने में सभी सम्बद्ध नीतियों, कार्रवाई योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी समीक्षा, मानीटरन और प्रभाव सुनिश्चित करने की संरचना और तंत्र। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित नीतियां कार्यान्वित हों, महिला तथा बाल विकास विभाग ने, वर्ष 2010 तक प्राप्ति योग्य लक्ष्यों के साथ एक कार्रवाई योजना (पी ओ ए) तैयार की है। कार्रवाई योजना में संसाधनों की प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदारियां भी विनिर्धारित की जाएंगी तथा मानीटरन हेतु संस्थात्मक पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रचालन कार्यनीति में, लिंग आडिटिंग की पद्धति के रूप में "लिंग विकास सूचक, (जेंडर डेवलपमेंट

इंडेक्स) विकसित करने की जरूरत का भी उल्लेख किया गया है तथा लिंग-पृथक्कृत डाटा एकत्र करने के महत्व पर बल दिया गया है, जो आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरन के लिए उपयोगी होगा। कार्रवाई योजना को सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, वार्षिक योजना 2003-04 में, सभी क्षेत्रकीय नीतियों और कार्यक्रमों तथा कार्रवाई योजनाओं में लिंग परिप्रेक्ष्यों को मुख्य धारा में मिलाने की प्रमुख कार्यनीति की पुष्टि की गई है, जिससे कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक न्याय का एक समर्थकारी परिवेश कायम करने का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, जिससे महिलाओं और लड़कियों को उत्प्रेरकों, सहभागियों और प्राप्तकर्ताओं के रूप में कार्य करने में मदद मिलेगी।

रा-द्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू)

22. रा-द्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) जिसे महिलाओं के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रभारी के रूप में 31.1.1992 को एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उनके समग्र सशक्तिकरण हेतु कार्य करने के लिए रा-द्रीय प्रयास में अग्रणी रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान रा.म. आयोग के लिए 6 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। तथापि, दिसम्बर, 2002 के अंत तक 2.85 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। वार्षिक योजना 2003-04 में रा.म.आयोग के लिए 4.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

बच्चों का विकास

23. बच्चों का विकास, देश के मानव संसाधन विकास में एक निवेश के रूप में, पिछली योजनाओं में एक प्रमुख कार्यनीति रही है जिसे अब तक अधिकार - आधारित दृष्टिकोण के साथ जारी रखा जा रहा है, जैसा कि रा-द्रीय बालनीति (2002) तथा दसवीं योजना (2002-2007) में बच्चों/बालिकाओं के लिए विद्यमान दो रा-द्रीय कार्रवाई योजनाओं (1992) में प्रस्तावित है। इस प्रकार दसवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसरण में वार्षिक योजना 2003-04 में बाल विकास के लिए निम्नलिखित अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और अधिक सुदृढ़ व सुनिश्चित होगा :

- घटते लैंगिक अनुपात को रोककर तथा बालिका भ्रूण हत्या व बालिका शिशु हत्या की सम्बद्ध समस्याओं को दूर करके, बच्चों की, विशेष रूप से बालिकाओं की उत्तरजीविता;
- सभी बच्चों के लिए, और विशेष रूप से उन बच्चों का विद्यमान बाल-सम्बद्ध विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए "संरक्षण" जिनकी विशेष जरूरतें व समस्याएं हैं तथा जो कठिन परिस्थितियों में हैं; और
- तीन रा-द्व्यापी कार्यक्रमों, यथा प्रजनन बाल स्वास्थ्य, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, सर्व-शिक्षा अभियान व अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के जरिए स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, पो-नाहार व शिक्षा के क्षेत्रों में नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से "विकास"।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) स्कीम

24. 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (आई सी डी एस) एक रा-द्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसने 25 से अधिक वर्ग पूरे कर लिए हैं, देशभर में बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं और माताओं के समग्र विकास के संबंध में एक प्रमुख उपाय बना हुआ है। योजना में इस बात को स्वीकारा गया है कि यद्यपि बाल्यावस्था के प्रारंभिक छः वर्ग बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथापि प्रसव-पूर्व से प्रथम तीन वर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और पूर्ण मानव विकास क्षमता व संचयी जीवन काल अध्ययन की प्राप्ति हेतु जीवन में एक नाजुक अवधि है। आई सी डी एस में, यथानिर्धारित, बच्चों के समग्र (बृहत) विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वास्थ्य, पो-नाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा के कवरेज के संबंध में वर्तमान दृष्टिकोण के कार्यक्षेत्र को सामुदायिक भागीदारी/सामुदायिक कार्रवाई के साथ और सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह उन बच्चों तक, विशेष रूप से 3 वर्ग से कम आयु के बच्चों तक पहुंच सके। लड़कियों और किशोर युवतियों पर विशेष बल देते हुए, महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बद्ध आवश्यक उपायों के साथ बाल विकास के कार्यक्षेत्र का और विकास करने/व्यापक बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना (के एस वाई) के अंतर्गत इस समय प्रचलित स्वास्थ्य, पो-नाहार, शिक्षा और उसकी जागरूकता के संबंध में पैकेज में परामर्श सुविधाओं को शामिल किया जाएगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण व उद्यमशीलता कौशलों को सुदृढ़ किया जाएगा।

25. इस समय चल रहे विशेष पो-नाहार कार्यक्रम (एस एन पी) के प्रत्यक्ष खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से 24 से कम मास के बच्चों के संबंध में विशेष प्राथमिकता के साथ 6 वर्ग से कम बच्चों की पो-नाहार स्थिति सुधारने के उद्देश्य से संकेन्द्रित उपाय किए जाएंगे जिससे कि सार्वजनीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत सार्वजनीन कवरेज प्राप्त किया जा सके। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विनिर्धारित परिवारों में से बच्चों का पता लगाकर उनकी व्यापक जांच-पड़ताल को कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम को, वृहत और लघु पो-नाहण कमियों को आश्वस्त करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा क्योंकि 6 वर्ग से कम आयु के बच्चे "जोखिम समूह" के अंतर्गत हैं और बालिकाओं पर बल देते हुए, खाद्य प्रथाओं और आंतर-परिवार खाद्य वितरण में बदलाव के जरिए खुराक अंतर्ग्रहण में सुधार किया जाएगा।

26. अभी तक बाल विकास के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी और सामुदायिक योगदान प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। अभिसरण कार्रवाई के प्रेरकों के रूप में, अग्रणी कार्यकर्ताओं के ज्ञान, कौशलों और क्षमताओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, प्रमुख रूप से बल, नवीन भू-आधारित दृष्टिकोण के साथ विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यनीतियां विकसित करने पर दिया जाएगा। आई सी डी एस के संबंध में सामुदायिक भागीदारी/योगदान के साथ, बाल विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए नकद व वस्तु दोनों के रूप में सहायता जुटाने के वास्ते नए दृष्टिकोणों पर प्रयोग किया जाएगा। निगमित क्षेत्रक को आई सी डी एस परियोजनाओं को अपनाने और इस प्रकार अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रजामंद किया जाएगा। ऊपर वर्णित सिद्धांतों और पी आर आई/शहरी स्थानीय निकायों की परिकल्पित भूमिका के न केवल आयोजना में बल्कि बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए निधियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी व्यापक प्रभाव होंगे।

27. लोगों के मस्ति-क में यह बात बिठाने के लिए कि बालिकाएं परिसंपत्ति हैं, सभी प्रकार के जनसंचार साधनों का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल, आई सी डी एस के अंतर्गत 395 लाख

लाभार्थियों को 5.8 लाख आंगवाड़ी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें लगभग 332 लाख बच्चे (0-6 वर्ष) और लगभग 62 लाख गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। आई सी डी एस के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार के खर्च में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, आई सी डी एस (सामान्य) के लिए 1635.44 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि, 31.12.2002 के अंत में व्यय की राशि 737.62 करोड़ रुपए थी, तथापि, विभाग को सं.अ. स्तर पर सहमत 1477.40 करोड़ रुपए के पूर्ण उपयोग की प्रत्याशा है और इस आधार पर 25.2.2003 तक 1335.85 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार, 4947 आई सी डी एस ब्लॉकों को प्रचालनात्मक बनाने के लक्ष्य के बदले 4761 आई सी डी एस ब्लॉक 30.9.2002 तक प्रचालनात्मक बनाए गए। उपरोक्त को देखते हुए, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 1675.97 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

28. कुल 5652 आई सी डी एस परियोजनाओं में से, दस राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 922 विश्व बैंक सहायित परियोजनाएं चल रही हैं। विश्व बैंक सहायित परियोजनाएं 30.9.2004 के अंत तक पूरी की जानी हैं। उसके बाद, इन परियोजनाओं को आई सी डी एस (सामान्य) के अंतर्गत कवर किया जाएगा। वर्ष 2001-02 के दौरान, इन परियोजनाओं पर 219.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। वार्षिक योजना 2002-03 में 288.48 करोड़ रुपए के परिव्यय के बदले, 378.31 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वार्षिक योजना 2003-04 में इस स्कीम के लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम - उदीशा

29. महिलाओं और समुदायों के सशक्तिकरण से सम्बद्ध उपायों और क्षेत्रकीय सेवाओं के अभिसरण द्वारा, आई सी डी एस सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। आई सी डी एस के अंतर्गत जिन मुद्दों पर बल दिया जाता है उनमें शामिल हैं - शहरी निर्धनों की जरूरतों का समाधान करना; महिलाओं और बच्चों के बीच विद्यमान अल्प-पोषण और कुपोषण को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय; आंगनवाड़ी केन्द्रों को आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृहों में बदलना; निर्माण स्थलों पर कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए बाल देख-रेख सुविधाएं शुरू करना; आई सी डी एस के तहत सामुदायिक भागीदारी; किशोर शक्ति योजना (के एस वाई) - (किशोर युवतियां स्कीम) का आई सी डी एस के एक घटक के रूप में व्यापीकरण; आई सी डी एस के अंतर्गत समस्याओं और क्षेत्र/स्थान विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए आई सी डी एस के अंतर्गत नूतनता को प्रोत्साहन; सहभागिता के साथ, विशेष रूप से बालिकाओं की सहभागिता के साथ युवा बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास प्रोत्साहित करने के लिए "उदीशा" से जुड़े प्रमुख समर्थन, संचार और समाजिक गतिशीलता उपाय; सेवा सुलभता और प्रबंधन की कोटि में सुधार और बुनियादी आधारीय सुविधा का सुदृढीकरण। आई सी डी एस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की स्कीम के लिए, वार्षिक योजना 2002-03 में 72 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। बताया गया है कि 31.12.2002 के अंत तक 44.33 करोड़ रुपए की राशि, सी डी पी ओ, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर खर्च हुई है। सी डी पी ओ के लिए 325 रोजगार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य के बदले 31.12.2002 तक केवल 104 पाठ्यक्रम संचालित किए जा सके। इसी प्रकार, पर्यवेक्षकों के लिए 2025 रोजगार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बदले, इसी अवधि के दौरान केवल 985 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। ए डब्ल्यू डब्ल्यू प्रशिक्षण के मामले में 97,000 ए डब्ल्यू डब्ल्यू लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 44,000 ए डब्ल्यू डब्ल्यू को प्रशिक्षित किया जा सका। 2003-04 के दौरान

लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जाएं, 85 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

30. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के अंतर्गत, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास और पो-नाहार की बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में विस्तार करने के वास्ते अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) की परिकल्पना की गई है। पी एम जी वाई के पो-नाहार घटक के अंतर्गत आबंटन अनिवार्यतः 0-3 वर्ष के बच्चों आदि को बढ़ी हुई, आवश्यक पो-नाहार जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्तता के रूप में है। इस बाबत, महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण खाद्य प्रथाओं को समाप्त करना है, जिससे महिलाओं, माताओं और बच्चों के बीच कुपो-नण और इससे जुड़ी विकृतियां और रोग उत्पन्न होते हैं, जो उनकी विकास क्षमताओं के लिए एक खतरा है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे कि सभी 7.5 लाख आंगनवाड़ियों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, कोटि और मात्रा, दोनों ही दृष्टि से पूरक खाद्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं। इसके अलावा, "सभी के लिए पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि खाद्य हिस्सेदारी में विद्यमान भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचा जा सके। पी एम जी वाई के माध्यम से प्रदान की जा रही अतिरिक्त सहायता तथा रा-ट्रीय मिशन मोड के अंतर्गत परिकल्पित सेवाओं से विद्यमान असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सही करने के लिए, महत्वपूर्ण पूरकता प्राप्त होगी।

रा-ट्रीय पो-नाहार मिशन (एन एन एम) और खाद्य पो-नाहार बोर्ड (एन एन बी)

31. यद्यपि 1-5 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अल्प पो-नण की विद्यमानता में कमी आई है, तथापि, लड़के और लड़कियों के बीच कुपो-नित बच्चों की संख्या में कोई खास अंतर नहीं आया है। 0-3 वर्ष के आयु वर्ग में 1992 की तुलना में 1998 में बच्चों की पो-नाहार स्थिति में सुधार हुआ है। छः मास से कम के बच्चों में अल्पपो-नण न्यूनतम है तथा 12-35 मास के बच्चों के बीच सर्वाधिक व्याप्त है।

32. राज्य स्तर पर, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तीन वर्ष से कम उम्र के आधे बच्चे कम वजन के हैं तथा शे-न राज्यों में कम से कम 20% बच्चे कम वजन वाले हैं। उड़ीसा, महारा-ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक पतले हैं। निम्न जन्म भार के मामलों की संख्या में कोई खास सुधार नहीं हुआ है जो अब भी लगभग 30 प्रतिशत बना हुआ है। बच्चों के बीच लघु पो-नण विकृतियां यद्यपि अब भी विद्यमान हैं तथापि उनमें कमी आ रही है। इनमें, रक्ताल्पता बच्चों और महिलाओं के बीच अब भी काफी विद्यमान है। अनुमान है कि लगभग 52 प्रतिशत महिलाएं और 6-35 मास के आयु वर्ग में 74 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। बड़े-बड़े राज्यों में, बच्चों में रक्ताल्पता की सबसे अधिक विद्यमानता गुजरात से (83.9 प्रतिशत) रिपोर्ट की गई, उसके बाद पंजाब (82.3), बिहार (80.01 प्रतिशत) और उड़ीसा (80 प्रतिशत) का स्थान है। आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 70-80 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भा-ण, 2001 में की गई घो-नाणा के अनुसरण में एन एन एम 2002-03 में एक सी एस एस के रूप में प्रारंभ की गई। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) परिवारों से संबंधित किशोर युवतियों और गर्भवती दुग्धपान कराने वाली माताओं को सस्ती दर पर खाद्य उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन के अंतर्गत, पो-नाहार के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बीच प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इन कार्यक्रमों को तथा आवश्यक होने पर नए कार्यक्रमों को व्यापक रूप से समेकित ढंग से कार्यान्वित तथा प्रारंभ किया जाएगा और राज्यों को पूर्णतः

अवगत रखा जाता है जिससे कि पूरे रा-ट्र में कु-पो-ण के अप्रत्यक्ष संकट को हल किया जा सके । एन एन एम के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । एन एन एम कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष-केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2003 के दौरान देश के 51 जिलों में प्रायोगिक परियोजना शुरू किए जाने पर सभी राज्यों के लिए 103.33 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई । प्रस्तावित एन एन एम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक उपाय करके प्रयास किए जाएंगे । 2002-03 के दौरान धीमी प्रगति को देखते हुए, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए केवल 0.03 करोड़ रुपए की नाममात्र व्यवस्था की गई है । नोडल महिला और बाल विकास विभाग से सम्बद्ध खाद्य और पो-नाहार बोर्ड, अपनी रा-ट्रीय पो-नाहार नीति और पो-नाहार शिक्षा (एन एन पी एंड एन ई) 1993 के माध्यम से पो-नाहार जागरूकता पैदा करने की दिशा में कार्य कर रहा है । 2002-03 के दौरान, एन एन पी एंड एन ई के लिए 2 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई तथा वार्षिक योजना 2003-04 के लिए भी इतनी ही राशि विनिश्चित की गई है ।

शिशु गृह/दिवा-देखभाल केन्द्र

33. कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों/दिवा-देखभाल केन्द्रों जैसी सहायक सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है, विशेष-रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जबकि अधिकाधिक संख्या में महिलाएं संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं । इसलिए, कामकाजी महिलाओं/बीमार माताओं तथा साथ ही बालिकाओं के बोझ को भी कम करने में मदद प्रदान करने के वास्ते, जिनसे छोटे बच्चों का बोझ उताने की उम्मीद की जाती है, वर्ष 2003-04 के दौरान शिशु गृह/दिवा-देखभाल सेवाओं की सहायक सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । वार्षिक योजना 2002-03 में 12.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । दिसम्बर, 2002 के अंत तक 6.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई । कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों/दिवा-देखभाल केन्द्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के वास्ते, वार्षिक योजना 2003-04 में 20 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

34. बच्चों और बालिकाओं - दोनों के संबंध में रा-ट्रीय कार्रवाई योजना में "कठिन परिस्थितियों में बच्चों" की स्प-ट रूप में परिभा-ना की गई है, जिनमें आवारा बच्चे, कामकाजी बच्चे, बाल सेक्स कार्यकर्ता, बाल मादक औ-धि व्यसनी, कानून में विवादग्रस्त बच्चे, विकलांग बच्चे, एच आई वी/एड्स पीड़ित बच्चे, एच आई वी/एड्स रोगियों के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता हिरासत में हैं, विभिन्न आपदाओं (प्राकृतिक और मानव-निर्मित) द्वारा पीड़ित बच्चे, रा-ट्रीय और अंतरा-ट्रीय विवादों से प्रभावित बच्चे यथा राजनीतिक शरणार्थी, युद्ध पीड़ित, आंतरिक रूप से विस्थापित तथा ऐसे बच्चे जिनके परिवार संकट में हैं, टूटे परिवारों से संबंधित बच्चों सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे । इन विशेष-समूहों से संबंधित बच्चों तक पहुंचने में आजकल विद्यमान बड़े अंतर को समझते हुए, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की तत्काल जरूरत है, वर्ष 2003-04 के दौरान समस्या की मात्रा और आकार का अनुमान लगाने तथा सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रकों में किए जा रहे प्रयासों को कारगर बनाने तथा उनका विस्तार करने के वास्ते, आवश्यक गहन अध्ययन आयोजित कराने के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे ।

रा-ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी सी डी)

35. आई सी डी एस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, रा-ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी सी डी), महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में लगे सरकारी व गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए दिशा-अनुकूलन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखेगा। वार्षिक योजना 2002-03 में एन आई पी सी सी डी के लिए 6 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। तथापि, दिसम्बर, 2002 के अंत तक केवल 0.50 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। इसके लिए, वार्षिक योजना 2003-04 में 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

बालिका समृद्धि योजना (बी एस वाई)

36. बालिका के जन्म के समय, गरीबी रेखा से नीचे के (बी पी एल) परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, बालिका समृद्धि योजना (बी एस वाई) स्कीम 1997 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना पर अमल किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रसवोत्तर अनुदान, वार्षिक छात्रवृत्ति और पाठ्य-पुस्तकें, वर्दियां आदि प्रदान की जाती हैं। चूंकि स्कीम को 2002-03 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की योजना थी, इसीलिए वार्षिक योजना 2002-03 में किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई। तथापि, सं.अ. स्तर पर 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एन डी सी का अंतिम निर्णय होने तक स्कीम 2003-04 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अब भी जारी है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है।

रा-ट्रीय बाल आयोग (एन सी सी)

37. बच्चों को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, भारतीय दंड संहिता, 1860 और और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरुपयोग रोकना) अधिनियम, 1994 का कठोरतः प्रवर्तन करके, सभी प्रकार के शो-ण से बचाने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान विधानों के समुचित कार्यान्वयन पर नजर रखने और इस प्रकार बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2003 में रा-ट्रीय बाल सहयोग की स्थापना का अनुमोदन कर दिया। इस संबंध में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है। वार्षिक योजना 2003-04 में एक करोड़ रुपए का नाममात्र प्रावधान किया गया है।

विदेशी सहाय्यित परियोजनाएं

38. सरकारी वित्तपो-ण के अतिरिक्त, कतिपय महिला और बाल विकास परियोजनाओं की सहाय्यता बाहरी एजेंसियों से भी विदेशी सहाय्यता प्राप्त होती है, जैसे कि: (i) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों (नोराड) की स्थापना; (ii) विश्व बैंक (डब्ल्यू बी) आई सी डी एस कार्यक्रम (बहु राज्य आई सी डी एस परियोजना); (iii) आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, उदीशा; और (iv) ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना (आर डब्ल्यू डी एंड ई पी)। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए ई ए पी के अंतर्गत 390.49 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आबंटन किया गया था (नोराड 5 करोड़ रुपए, वि.बैंक- आई सी डी एस- 288.48 करोड़ रुपए, आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

72 करोड़ रुपए, ग्रामीण महिला विकास और सशक्तिकरण परियोजना (आर डब्ल्यू डी एंड ई पी) - 25 करोड़ रुपए तथा हिमाचल प्रदेश के लिए कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) सहायित कार्यक्रम 0.01 करोड़ रुपए), जबकि पिछले वर्ष 2001-02 के दौरान 236.50 करोड़ रुपए की कुल सहायता प्राप्त हुई थी। दिसम्बर, 2002 के अंत तक, 305.78 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। ई ए पी के अंतर्गत आबंटन और बढ़कर वार्षिक योजना 2003-04 में 518.50 करोड़ रुपए हो गया है। वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान खर्च हुई वर्ष-वार विदेशी सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक 4.8.2 में प्रस्तुत है। दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजना 2002-03 तथा 2003-04 के लिए विदेशी सहायता बजट का सारांश निम्नलिखित तालिका 2 में प्रस्तुत है।

तालिका 2

दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजना (2002-03 व 2003-04) के दौरान महिला और बाल विकास क्षेत्रक के लिए विदेशी सहायित परियोजना (ई ए पी) के तहत परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना परिव्यय (2002-07)		वार्षिक योजना (ब.अ.) (2002-03)		वार्षिक योजना (ब.अ.) (2003-04)	
		कुल	ई ए पी	कुल	ई ए पी	कुल	ई ए पी
	1	2	3	4	5	6	7
I	महिला और बाल विकास	13670.00	1683.02	2198.00	279.28	2597.97	518.50
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	1148.11	37.01	156.18	5.02	162.00	4.00
ii)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	12521.89	1646.01	2041.82	274.26	2435.97	514.50
II	खाद्य और पो-नाहार बोर्ड	110.00	-	2.00	-	2.03	-
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	10.00	-	1.00	-	2.00	-
ii)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	100.00	-	1.00	-	0.03	-
	कुल	13780.00	1683.02	2200.00	279.28	2600.00	518.50

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

39. केन्द्रीय योजना के तहत पूर्णतः वित्तपोषित सात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस) हैं। इनमें शामिल हैं: (i) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस-सामान्य); (ii) विश्व बैंक सहायित आई सी डी एस; (iii) आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण - उदीशा; (iv) एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम - स्वयंसिद्धा; (v) ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना - स्वशक्ति; (vi) बालिका समृद्धि योजना; और (vii) रा-द्रीय पो-नाहार मिशन (एन एन एम), इन्हें महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यद्यपि 6 स्कीमें नौवीं पंचवर्षीय योजना से चल रही हैं, तथापि एक स्कीम, यथा रा-द्रीय पो-नाहार मिशन दसवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई है तथा इसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। क्योंकि बालिका समृद्धि योजना की सी एस एस स्कीम राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव था इसलिए 2002-

03 में किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई। शेन पांच सी एस एस के अंतर्गत राज्य-वार निधियां प्रदान करने का विवरण संलग्नक 4.8.3 में दर्शाया गया है ।

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

40. स्वैच्छिक संगठन, महिलाओं और बालिकाओं, दोनों के पक्ष में लोगों की विचारधारा बदलने के लिए जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता पैदा करके तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा/ अत्याचार रोकने के वास्ते भी, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं । वे महिलाओं को एस एच जी में संगठित करने, स्वरोजगार, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन इत्यादि के क्षेत्रों में, वैकल्पिक मॉडल तैयार करने में भी मदद करते हैं । इसलिए, स्वैच्छिक संगठनों को "महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास " की प्रक्रिया में उत्प्रेरक एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए, प्रोत्साहित किया जाएगा ।

4.9 कला और संस्कृति

संस्कृति विभाग के कार्य आधार स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता का सृजन करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक फैले हैं। विभाग अनेक प्रकार की समकालीन सृजनात्मक कलाओं को प्रोत्साहित और प्रसारित करता है। मौटे तौर पर संस्कृति के तीन आयाम हैं : रा-ष्ट्रीय अभिज्ञान, जनसंचार साधन और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विरासत। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरासत की अनेक विधाएं हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसके तहत स्मारक, पुरातत्व स्थल; मानवविज्ञान तथा नृवंशशास्त्र; लोक और जनजातीय कला; साहित्य; हस्तशिल्प; अभिलेखागार; पुस्तकालय; संगीत; नृत्य और नाटक सहित नि-पादन कलाएं; और चित्रकारी, मूर्तिकला और रेखाचित्र (ग्राफिक्स) के रूप में दृश्य कलाएं शामिल हैं।

2. विगत और वर्तमान के बीच संस्थानों और स्कीमों के एक नेटवर्क के माध्यम से भावी विकास पर उनके प्रभाव की दृष्टि से, संस्कृति विभाग द्वारा संयोजन कायम करने का प्रयास किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रा-ष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय, पुस्तकालय, अकादमियां आदि जैसे अनेक स्वायत्त संस्थानों/संगठनों के अलावा संस्कृति विभाग का अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों का एक नेटवर्क है। वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान पुस्तकालयों और सम्बद्ध कार्यकलापों के माध्यम से साक्षरता में सुधार करने पर बल दिया गया। ग्रामीण, शहरी और दुर्गम क्षेत्रों को कवर करते हुए लोगों के बीच पढ़ने की आदत पैदा करने पर संकेन्द्रित प्रयास किए गए। अनेक केन्द्रीय स्कीमों चल रही हैं जिनके माध्यम से संस्कृति विभाग उत्कृ-ट कलाकारों को अध्येतावृत्तियां, युवा कलाकारों और साहित्य तथा कला व जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। विनिर्दि-ट नि-पादन कला-परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवनों के निर्माण और उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि जनजातीय लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित और उनका प्रसार किया जा सके। बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और उनकी परंपरा के वैज्ञानिक विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

3. वार्षिक योजना 2001-02 में 172.00 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय के बदले वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 250.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए योजना आयोग द्वारा विभाग के लिए 250.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

वार्षिक योजना 2003-04

4. आलोच्य अवधि के दौरान पुरातत्वीय खुदाई के बढ़े हुए कार्यकलापों पर अमल करने तथा कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वयन हेतु प्रशासनिक और तकनीकी दोनों प्रकार के आवश्यक आधारिक संरचना कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जानी है। भारतीय अभिलेखागार के अभिलेखों की मरम्मत और पुनरुद्धार की गति को तेज करने के लिए आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण सुविधाओं पर बल दिया जाएगा।

5. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, विभिन्न कला और सांस्कृतिक स्वरूपों, सांस्कृतिक विरासत के प्रोन्नयन और परिरक्षण के संबंध में चल रहे अपने कार्यक्रमों को जारी रखने, अंतर-सरकारी नेटवर्क के सुदृढीकरण और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रशासन में प्रबंध-उन्मुखी दृष्टिकोण लागू करने के अलावा,

भारतीय रा-द्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करने पर बल दिया जाएगा । केन्द्रीय संग्रहालयों के बीच नेटवर्क निर्माण का सुदृढीकरण किया जाएगा जिससे कि इन संस्थानों को अपने अनुभवों और संसाधनों का आदान-प्रदान करने योग्य बनाया जा सके । आलोच्य अवधि के दौरान, विभाग एन आई सी सहायता से कंप्यूटरीकरण कार्य करेगा जिसमें लैन, वेन और विभिन्न कला रूपों का डिजिटीकरण पांडुलिपियों का प्रतिलेखन/माइक्रो फिल्म तैयार करना और ऑडियो दौरे के लिए उपस्कर इस्तेमाल करना सम्मिलित है ।

6. विभाग, पुस्तकालयों के विकास के लिए परिसंपत्तियां निर्मित करने के काम में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है । विभाग ने एक क्षेत्रीय भा-ना पुस्तकालय (भा-ना पुस्तकालय) स्थापित करने, दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी के प्रशासनिक ब्लॉक का कंप्यूटरीकरण करने, तंजाबूर महाराजा सेरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय (छः मंजिल भवन का निर्माण) का प्रस्ताव किया है । निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं वाली विभिन्न इमारतों को वर्-न के दौरान पूरा किया जाएगा ।

7. हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा देश में विज्ञान नगर परियोजनाओं के वित्तपो-नण के संबंध में मानदंड/मार्गनिर्देश अनुमोदित किए गए हैं । विज्ञान नगर स्थापित करने के लिए मानदंडों की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

- विज्ञान नगर की कुल लागत 65-70 करोड़ रुपए के बीच होनी चाहिए;
- केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार प्रत्येक के इक्विटी शेयर 13% होने चाहिए । 74% की शे-न इक्विटी निजी उद्यमी अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से जुटाई जानी चाहिए;
- विज्ञान नगर स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 50 एकड़ विकसित भूमि उपलब्ध करानी चाहिए तथा इसकी लागत को (मामूली लागत को भी) राज्य सरकार के इक्विटी अंशदान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए;
- विज्ञान नगर की स्थिति या तो राज्य की राजधानी में या राज्य के किसी ऐसे नगर में हो जिसकी आबादी काफी अधिक अर्थात् 50 लाख हो, जिसमें इसके आस-पास का क्षेत्र सम्मिलित है;
- किसी राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को विज्ञान नगर की स्थापना की परियोजना का प्रस्ताव भेजने से पहले तक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले तैयार और प्रस्तुत की जानी चाहिए;
- विज्ञान नगर के संचालन और अनुरक्षण की आवर्ती लागत की व्यवस्था राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी सोसायटी द्वारा जो विशेष रूप से गठित की गई हो, अथवा किसी अन्य एजेंसी अथवा निजी उद्यमी द्वारा की जाएगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके लिए चुना गया हो;
- केन्द्र सरकार, विज्ञान नगर के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और न ही परियोजना के लिए कोई धन अथवा जनशक्ति उपलब्ध कराएगी; और
- राज्य सरकार, पानी, बिजली, स्थानीय करों आदि के संबंध में रियायती दरों पर जो शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध है, उपर्युक्त प्रावधान करेगी ।

5. रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

रोजगार

दसवीं योजना में यह नोट किया गया था कि 1990 के दशक के अन्त में श्रम की आपूर्ति, श्रम की मांग की तुलना में बढ़ गई और आगे यह भी नोट किया गया कि इसका कारण यह था कि संगठित क्षेत्र में कार्यकलापों में उसी पैमाने पर विगत की भांति, श्रम की खपत नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या और उनकी प्रतिशतता में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई। इसलिए, दसवीं योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की दरों को बढ़ाकर और इनकी संरचना को श्रम-बहुल कार्यकलापों की दिशा में बदलकर श्रम की मांग बढ़ाने के प्रयास करने की परिकल्पना की गई है।

2. वर्तमान की अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व अर्थव्यवस्था में, श्रम हेतु मांग में सुधार करने की एक मुख्य कार्यनीति, उत्पादन में इकाई लागत को घटाना, उत्पादों की कोटि में सुधार करना तथा बाजार मांग बढ़ाने के लिए संबंधित खण्ड की क्रय शक्ति को बढ़ाना है। काफी सीमा तक ऐसा श्रम की उत्पादकता में सुधार करके किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ एक महत्वपूर्ण तत्व व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए श्रमिक बल के कौशल में सुधार करना, उन्हें गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना और आधुनिक तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संगतता के प्रति उनकी जानकारी में सुधार करने हेतु उत्पादकता में सुधार करने के वास्ते आवश्यक समर्थन प्रदान करना है।

रोजगार सृजक विकास के माध्यम से श्रम की मांग बढ़ाना

3. सभी उत्पादन आर्थिक कार्यकलापों में रोजगार का सृजन करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। श्रम की मांग अथवा रोजगार के अवसरों के सृजन का आर्थिक कार्यकलापों में विकास की प्रक्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध है। यद्यपि कुल मिलाकर विकास नि-पादन में सुधार का तीव्र और बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार-सृजन पर सीधे प्रभाव पड़ता है, तथापि विकास की क्षेत्रवार संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिस सीमा तक श्रम-बहुल क्षेत्रकों/ उप-क्षेत्रकों/ उद्योगों से विकास के एक बड़े भाग की उम्मीद की जा सकती है, उसी सीमा तक निश्चित विकास दर के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन की गति बढ़ाई जा सकती है।

4. कौशल आधार, रिहायशी स्थिति, रोजगार से आकांक्षाओं आदि की दृष्टि से श्रमिक बल के विभिन्न घटकों की विशेषताओं के भी विकास की क्षेत्रवार संरचना के लिए कुछ निहितार्थ हैं, जो सर्वाधिक उपयुक्त तथा उत्पादक रूप से श्रमिक बल को रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

दसवीं योजना के लिए रोजगार परिप्रेक्ष्य

5. दसवीं पंच-वर्षीय योजना में पांच-वर्ष की अवधि में 50 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है, अर्थात् औसतन प्रति-वर्ष 10 मिलियन नए रोजगार अवसर। उत्पादन विकास की रोजगार बहुलता का उल्लेख पूंजी गहनता और श्रम उत्पादकता बढ़ाने के जरिए किया जा सकता है। दसवीं योजना के रोजगार के परिदृश्य में 1990 के दशक के अन्त में श्रम-बहुलता में गिरावट को ध्यान में रखा गया है और यह अनुभव किया गया कि यदि मात्र विकास पर ही छोड़ दिया गया तो देश में रोजगार की स्थिति और खराब हो सकती है। दसवीं योजना के लिए रोजगार परिदृश्य की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

- i) 50 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करना। इनमें से लगभग 20 मिलियन व्यक्ति व-नों के रोजगार अवसर चुनिन्दा नूतन कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से सृजित किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप श्रम-बहुल क्षेत्रों के विकास के स्वरूप में बदलाव आएगा; शेष 30 मिलियन का सृजन विकास की सामान्य उत्प्लावकता के फलस्वरूप होगा जैसा कि विगत हाल में देखा गया है (1993-94 से 1999-2000)।
- ii) श्रम-बहुल क्षेत्रों का विनिर्धारण, जैसे कि कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-भिन्न ग्रामीण क्षेत्रक, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग, लघु और मझौले उद्यम व स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित सेवा क्षेत्रक सम्मिलित हैं, जिनमें यदि सही प्रकार की क्षेत्रकीय नीतियां कार्यान्वित की जाएं तो रोजगार सृजक विकास में तेजी लाई जा सकती है।

6. दसवीं योजना अवधि में जो कार्यक्रम रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान करेंगे, उनका विनिर्धारण निम्न प्रकार किया गया है:

- (i) वर्नापोनित क्षेत्रों के लिए रा-द्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए)
- (ii) कृषि प्रबंधन प्रणाली
- (iii) श्रम-बहुल फसलों तिलहन, दालें, बागवानी आदि की दिशा में विविधीकरण
- (iv) बांस बागान
- (v) औ-नधीय पौधे
- (vi) वनरोपण
- (vii) एथनोल बागान
- (viii) ऊर्जा बागान
- (ix) सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एस जी आर वाई)
- (x) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वः रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)
- (xi) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)
- (xii) लघु और मझौले उद्योग
- (xiii) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)
- (xiv) महिला और बाल विकास स्कीमें
- (xv) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई)

दसवीं योजना रोजगार कार्यनीति का कार्यान्वयन

7. इस कार्यनीति के अनुसरण में रोजगार अवसरों के सृजन के वास्ते केन्द्रीय योजना के माध्यम से हाल ही के व-नों में शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम अथवा जिन पिछले कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है, वे हैं:

ग्रामीण क्षेत्र

- (i) आर ई जी पी
- (ii) एस जी एस वाई
- (iii) एस जी आर वाई

- (iv) पी एम जी एस वाई
- (v) वाटरशेड विकास
- (vi) ग्राम आवास

शहरी क्षेत्र

- (vii) एस जे एस आर वाई (अति लघु उद्यम)
- (viii) एस जे एस आर वाई (मजदूरी रोजगार)

ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र

- (ix) पी एम आर वाई
- (x) एस एस ए
- (xi) एन एच डी पी

रोजगार स्थिति की देख-रेख

8. रोजगार स्थिति की घटनाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक दो-आयामीय कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। प्रथमतः, परिवार प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का उपयोग और दूसरे सरकार द्वारा कार्यान्वित क्षेत्रकीय स्तर कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन की देख-रेख, जिसमें क्षेत्रकीय स्तर पर किए गए नीतिगत परिवर्तनों की प्रतिक्रिया सम्मिलित है।

9. सबसे हाल ही में वार्षिक सर्वेक्षण जुलाई 2000-जून 2001 (56वां चक्र), जुलाई 2001-जून 2002 (57वां चक्र), और जुलाई-दिसम्बर 2002 (58वां चक्र) में किए गए थे। विगत पंच वर्षीय सर्वेक्षण (1999-2000) के परिणामों के साथ सामान्य स्थिति आधार पर, वार्षिक चक्र सर्वेक्षणों से डाटा की तुलना करने पर पाई गई कुछेक सकारात्मक विशेषताएं नीचे प्रस्तुत हैं:

- ❖ रोजगार और बेरोजगारी (1999-2000) के संबंध में पिछले बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण के साथ तुलना करने पर 58वें चक्र सर्वेक्षण से, 1994-2000 के दौरान अनुभव की गई रोजगार वृद्धि में कमी की विपरीत दिशा का पता चलता है। औसतन, 1999-2000 और 2002 (जुलाई-दिसम्बर) के बीच कार्य बल में लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। 1999-2000 में, शहरी लोगों की 33.7 प्रतिशत और ग्रामीण व्यक्तियों की 41.7 प्रतिशत कार्य बल भागीदारी की तुलना में, जुलाई-दिसम्बर 2002 में तदनुसारी अनुपात क्रमशः 34.6 और 41.8 प्रतिशत है।
- ❖ 1999-2000 से 2002 के दौरान रोजगार में वृद्धि में तेजी आई है। 1993-94 से 1999-2000 के दौरान देखी गई, सामान्य स्थिति आधार पर, रोजगार में 1.02 प्रतिशत प्रति वर्ग की वृद्धि की तुलना में, 1999-2000 और 2002 (जुलाई-दिसम्बर) के दौरान रोजगार वृद्धि अनुमानतः 2.07 प्रतिशत प्रति वर्ग है। यह, 1999-2000 और 2002 (जुलाई-दिसम्बर) अवधि के दौरान औसतन 8.4 मिलियन प्रति वर्ग की रोजगार अवसरों की वृद्धि के अनुरूप है।
- ❖ कुल रोजगार में आकस्मिक श्रम के हिस्से में पुरुष कामगारों के मामले में कमी आई है। ग्रामीण पुरुषों के मामले में उनका हिस्सा जो 1999-2000 में 36.2 प्रतिशत था, 2002 (जुलाई-दिसम्बर) में घटकर 34.4 प्रतिशत हो गया जबकि शहरी पुरुष कामगारों के मामले में यह 16.8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत हो गया।

10. इस समय, वार्षिक रा-द्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से उपलब्ध अनुमान सामान्य स्थिति उपाय के अनुसार हैं और इसलिए सामान्य स्थिति उपाय के अनुसार पंचवर्षीय चक्र (1999-2000) के परिणामों के साथ तुलना की गई है। और अधिक अन्तरालों पर रोजगार के संबंध में और अधिक विस्तृत सूचना, सी डी एस आधारित की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

11. सरकार के मंत्रालयों और विभागों के स्तर पर यह जरूरी नहीं है कि वे उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों अथवा स्कीमों में रोजगार के पहलुओं को शामिल करें और यदि ऐसा किया भी जाए तो रोजगार-लाभों को मापा नहीं जाता। रोजगार पर तेजी से बल देने तथा इसकी नियमित रूप से देख-रेख करने के लिए योजना आयोग ने उपाय किए हैं। रोजगार स्थिति की घटनाओं का 5 वर्ग की बजाए, जैसी की अभी तक की प्रथा है, और अधिक जल्द देखरेख करने के लिए निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं:

- i) रा-द्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से वार्षिक आधार पर बड़े पैमाने पर रोजगार सर्वेक्षण आयोजित करने तथा अपने सर्वेक्षण फार्मेटों को उचित रूप से पुनः तैयार करके छमाही रूप से रिपोर्ट करने की एक पद्धति शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है।
- ii) रा-द्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से रोजगार सम्बन्धी अपने वार्षिक सर्वेक्षणों में सी डी एस आधार पर रोजगार से सम्बद्ध और अधिक चरों के बारे में सूचना एकत्र करने का भी अनुरोध किया गया है। दसवीं योजना में योजना प्रयोजनार्थ रोजगार का सी डी एस माप अपनाया है ताकि रोजगार की लाभप्रद प्रकृति सुनिश्चित हो सके। एन एस एस ओ ने, 60वें चक्र से शुरू होने वाले अपने वार्षिक चक्रों में सी डी एस आधार पर रोजगार और बेरोजगारी अनुमान एकत्र करने पर सहमति प्रकट की है।
- iii) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का, योजना स्कीमों की त्रैमासिक नि-पादन समीक्षा के माध्यम से, देख-रेख करने के वास्ते एक पद्धति विकसित की जा रही है।
- iv) रा-द्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के संबंध में अनुमान शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि उनकी रोजगार योग्यता का पता चल सके। एन एस एस ओ ने 60वें चक्र में यह सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और इसके परिणाम शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है।

राज्यों के स्तर पर रोजगार नीति का कार्यान्वयन

12. अधिकांश नीतियां और कार्यक्रम, जो रोजगार अवसरों के सृजन को प्रभावित करते हैं, स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित किए जाते हैं, और इसलिए यह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा, केन्द्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के परिणाम, स्थान पर विद्यमान स्थितियों के प्रति संवेदी होते हैं। इसलिए, रोजगार अवसरों के सृजन में राज्य सरकारों की एक अहम भूमिका है।

13. योजना आयोग ने, राज्य स्तर पर रोजगार स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी राज्य योजना सचिवों का एक पूरे दिन का सम्मेलन आयोजित किया। सदस्य (एल ई एम), योजना आयोग ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अन्तर-राज्य सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर, राज्य स्तर पर रोजगार की देखरेख करने हेतु योजना आयोग में सदस्य (एल ई एम), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया है। रोजगार नीतियों और राज्य स्तर पर रोजगार की देखरेख करने के

संबंध में कार्य दल, केन्द्र और राज्यों में दसवीं योजना की रोजगार कार्यनीति को कार्यान्वित करने में रोजगार वृद्धि के आयामों और मुद्दों तथा समस्याओं की देखरेख करेगा।

कौशल विकास - व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

वर्तमान परिदृश्य - व्यापक आधार पर बल देने की आवश्यकता

14. रा-ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सीडीएस आधार पर, 41 प्रतिशत बेरोजगार व्यक्ति शिक्षित (कक्षा आठ और उससे अधिक) हैं तथा उनमें से लगभग 60 प्रतिशत कक्षा आठ और उससे अधिक शिक्षित युवक हैं। सामान्य तौर पर यह प्रतिशतता सभी के सम्बन्ध में लगभग 80 है। इससे पता चलता है कि शिक्षा पद्धति ऐसी दक्षताएं प्रदान नहीं करती जिनकी रोजगार बाजार में जरूरत है।

15. आठवीं कक्षा तक शिक्षित युवाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि 6-14 आयु वर्ग में सभी बच्चे अपनी आठ व-र्ष की स्कूली शिक्षा 2010 तक पूरी कर लेंगे। एक अनुमान से पता चलता है कि अगले दस व-र्षों में ऐसे युवाओं की संख्या में वृद्धि 2.2 प्रतिशत से अधिक होगी। यह संख्या इतनी अधिक होगी कि अपेक्षाकृत थोड़ी सी संख्या को छोड़कर, जो माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करेंगे, उन्हें दक्षता प्राप्ति की एक मांग-आधारित पद्धति सुलभ कराना आवश्यक होगा।

16. इसके साथ ही, देश में श्रमिक बल की शिक्षा और कौशल क्षमता बहुत निम्न बनी हुई है। एक ओर बेरोजगारों के बीच शिक्षितों की उंची संख्या और दूसरी ओर विद्यमान श्रमिक बल के बहुत निम्न शैक्षिक उपलब्धि स्तरों से शिक्षा पद्धति और कार्य जगत के बीच विद्यमान विसंगति का पता चलता है। आज जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है, उसमें सामान्य शिक्षा के प्रति बहुत अधिक झुकाव है जो व्यक्ति को उन आवश्यक दक्षताओं से सज्जित नहीं करती जो या तो उसकी रोजगार-उपयुक्तता में सुधार करें अथवा जिससे स्व-रोजगार के आधार पर वह अपना कोई उद्यम प्रारम्भ कर सके। व्यावसायिक शिक्षा ढांचे की पहुंच सीमित है। व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति की वर्तमान स्कीम में अधिकांश असंगठित क्षेत्रक तक पहुंच सुलभ नहीं है। इसके साथ ही, पद्धति में बहुत सी खामियां हैं।

17. वर्तमान में, भारत में 20-24 व-र्ष के आयु-वर्ग में श्रमिक बल में नए प्रवेशकर्ताओं में से केवल पांच प्रतिशत को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है जबकि कोरिया गणराज्य में यह प्रतिशत 95 है जिसके फलस्वरूप भारत की तुलना में कोरिया में प्रति श्रमिक उत्पादकता 18 गुणा है। हमारे कौशलहीन अथवा कम शिक्षित कामगारों को भी, जिनका कुल श्रमिक बल में हिस्सा दो-तिहाई है, व्यवस्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत है जिससे कि उनकी उत्पादकता में सुधार हो सके और उन्हें लाभप्रद कार्य हेतु बेहतर रूप से सज्जित किया जा सके।

18. रोजगार/ बेरोजगारी स्थिति की उपरोक्त विशेषताओं और शिक्षा ढाँचे से, ऐसी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यापक आधारित प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत का पता चलता है जिससे कि युवाओं को, विशेष-रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को लाभ मिल सके।

कार्यबल के कौशल स्तर में घट-बढ़ और उत्पादक दक्षताओं की प्राप्ति से लाभों की देखरेख करना

19. रा-ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने, योजना आयोग से एक सुझाव के प्रत्युत्तर में, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या, प्रशिक्षण के स्रोत, उन ट्रेडों के बारे में, जिनमें प्रशिक्षण दिया गया है/ प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है, पारिवारिक डाटा के संकलन का काम शुरू किया

है। एन एस एस ओ ने, 60वें चक्र एन एस एस ओ सर्वेक्षण (जनवरी-जून 2004) से, व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में सूचना का संकलन सम्मिलित किया है।

योजना के माध्यम से उपाय

20. व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति में सुधार और उसका विस्तार करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल विकास हेतु कार्यक्रमों को योजना में अनेक "विकास शीर्ष" के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है; दो प्रमुख विकास शीर्ष हैं: "शिक्षा क्षेत्रक" और "श्रम क्षेत्रक"। श्रम मंत्रालय, "व्यावसायिक प्रशिक्षण" पर एक रा-ट्रीय नीति तैयार कर रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक क्षेत्र में उत्पादकता और कौशल विकास पर बल दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी, अपने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम पर, अनेक विशेषज्ञ समूहों द्वारा इसके मूल्यांकन के बाद, पुनर्विचार कर रहा है। "तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टी वी ई एण्ड टी)" नामक एक संशोधित केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की गई है।

21. शिक्षा और श्रम क्षेत्रकों के अलावा, बहुत से अन्य मंत्रालयों/ विभागों ने, विशिष्टिकरण के अपने-अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, लघु उद्योग, हथकढ़ा, हस्तशिल्प, फेशन प्रौद्योगिकी और पोशाक, रेशमपालन, नर्सिंग, फार्मसी, शारीरिक रूप से विकलांगों का पुनर्वास, बाल देख-रेख, कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप तथा निर्माण सम्बद्ध कार्यकलाप। ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यकलापों को संबंधित विकास शीर्ष का उल्लेख करने वाले अध्यायों के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

22. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम है जिसे औपचारिक क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा तथा अनौपचारिक क्षेत्र में एन जी ओ द्वारा 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं: व्यक्ति की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना, कौशलप्राप्त जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असमानता को कम करना और बिना किसी रुचि अथवा प्रयोजन के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए किसी विकल्प की व्यवस्था करना। स्कीम को राज्य सरकारों द्वारा देश भर में फैले लगभग 6728 स्कूलों के माध्यम से 10+2 स्कीम के +2 स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। छः प्रमुख वि-यों में 150 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। ये हैं: कृषि, व्यवसाय और वाणिज्य, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अर्ध-चिकित्सा, गृह विज्ञान व मानविकी। संभारतंत्रीय तथा शैक्षणिक बाधाओं के कारण, जिसके लिए पाठ्यक्रमों को कारगर बनाने और उद्योगों और संस्थानों के बीच दृढ़ संयोजन कायम करने की जरूरत है, शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम का भागीदारों (स्टेकहोल्डर) ने स्वागत नहीं किया है। वर्ष 2000 तक 25 प्रतिशत वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत लाने के लिए संशोधित शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्य के विपरीत इस समय केवल 10 प्रतिशत छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा को चुना है।

23. माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम का अनेक विशेषज्ञ दलों द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिनमें दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए गठित व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल सम्मिलित है। उपर्युक्त दल की सिफारिशों पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को दसवीं योजना के लिए "तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टी वी ई एण्ड टी)" के रूप में संशोधित किया जा रहा है। दक्षताओं के स्तर तय करने, दक्षताओं के मूल्यांकन, मूल्यांकन केन्द्रों के

प्रत्यायन और मूल्यांककों, कोटि नियंत्रण आदि के संबंध में मापदण्ड और विधियां विकसित करने के वास्ते, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में "रा-ट्रीय दक्षता परीक्षण एजेन्सी" कायम करने का प्रस्ताव है।

24. टी वी ई एण्ड टी एक भिन्न स्कीम होगी जिसका उद्देश्य छात्रों को कार्यकलापों के अनेक क्षेत्रों में फ़ैले विनिर्धारित विनयों के लिए तैयार करना है। कक्षा आठ के बाद, लचीली अवधि के साथ, विनिश्चित संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम की संरचना व्यवसायों की दो आवश्यकताओं, (क) ज्ञान; और (ख) दक्षताएं (वास्तविक कार्य नि-पादन), को ध्यान में रखते हुए, विकसित की जाएगी। पाठ्यक्रम, ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक गतिशीलता के साथ, माडुलर, क्रेडिट आधारित होंगे। लक्षित समूह में सम्मिलित होंगे: बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले, दस्तकार, अकुशल, अर्ध-कुशल कामगार और औपचारिक शिक्षा पद्धति से निकले बेरोजगार युवा आदि।

पालिटेक्निक और सामुदायिक पालिटेक्निक

25. देश में 1225 पालिटेक्निक, प्रमुख रूप से इंजीनियरी सम्बद्ध विनयों में, डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इन पालिटेक्निकों का परिचालन राज्य सरकारों द्वारा उप-विकास शीर्ष "तकनीकी शिक्षा" के अन्तर्गत किया जाता है।

सामुदायिक पालिटेक्निक

26. सामुदायिक पालिटेक्निकों की स्कीम, भारत सरकार की सीधी केन्द्रीय सहायता स्कीम के रूप में वर्ष 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) पालिटेक्निकों को एकबारगी अनावर्ती सहायता-अनुदान और साथ ही वार्षिक आवर्ती अनुदान सीधे ही प्रदान करता है जिनके प्रस्तावों की राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा सिफारिश की जाती है। सामुदायिक पालिटेक्निक, एक विद्यमान पालिटेक्निक का स्कन्ध होते हैं और इनका कार्य पालिटेक्निकों में विद्यमान ढांचे का उपयोग करते हुए, निकटतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से ग्राम/सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाप आयोजित करना है।

सामुदायिक पालिटेक्निकों का क्षेत्र-वार विभाजन:

उत्तरी क्षेत्र	-	188
दक्षिणी क्षेत्र	-	243
पूर्वी क्षेत्र	-	99
पश्चिमी क्षेत्र	-	145
जोड़		<u>675</u>

27. स्कीम के वर्णित प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (i) एक समुदाय-संस्थान अन्योन्यक्रिया की व्यवस्था करना ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन्पुटों को कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अन्तरण और समर्थनकारी सेवाओं के आयोजन के माध्यम से, समुदाय को हस्तान्तरित किया जा सके;
- (ii) ग्रामीण समाज के लिए, तकनीकी शिक्षा पद्धति में निवेशों से लाभ की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना और इस प्रकार ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार और समाजार्थिक उत्थान करना; और
- (iii) पालिटेक्निकों के छात्रों और संकाय सदस्यों को, विज्ञान व प्रौद्योगिकी इन्पुट चाहने वाले समुदाय की जीवन्त समस्याओं के प्रति संवेदी बनाना।

28. समुदाय-पालिटेक्निक स्कीम के तहत प्रमुख कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (i) तकनीकी-आर्थिक रोजगार क्षमता सर्वेक्षण के माध्यम से समुदाय की महसूस की गई जरूरतों का पता लगाना;
- (ii) वैज्ञानिक ढंग से विकास हेतु ग्राम समुदाय को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण हेतु एक मंच उपलब्ध कराना;
- (iii) स्थानीय समुदाय को तकनीकी/ समर्थन सेवाएं प्रदान करना;
- (iv) ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों व समुदाय के अन्य सुविधाविहीन समूहों को जरूरत-आधारित, गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों/ कौशलों में प्रशिक्षित करना जिससे कि वे लाभप्रद रोजगार (स्वयं/ मजदूरी पर) प्राप्त कर सकें; और
- (v) सूचना का प्रसार करना तथा समस्या-समाधान परिवेश कायम करने के वास्ते विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

29. व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती वि-य होने के नाते, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें जिम्मेदारियां बांटती हैं। रा-ट्रीय स्तर पर, महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (डी जी ई एण्ड टी), श्रम मंत्रालय, नीतियां तैयार करने, मानक निर्धारित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यवसाय (ट्रेड) परीक्षण आयोजित करने, और प्रमाणन आदि के वास्ते एक नोडल विभाग है। डी जी ई एण्ड टी द्वारा भी अनेक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं। राज्य स्तर पर, राज्य सरकारों के विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार, को रा-ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परि-द (एन सी वी टी) सलाह देती है जो एक त्रि-पक्षीय निकाय है, जिसमें नियोक्ताओं, कामगारों और केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

30. देश में 4647 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के साथ (जिनमें से 1798 सरकारी क्षेत्रक के अन्तर्गत तथा शे-न 2849 निजी क्षेत्रक के अन्तर्गत हैं), एक बड़ा प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा है

जिनमें राज्यों में 6.28 लाख सीट हैं। एक मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण ऐसे कौशलों में दिया जाता है जिनकी बहुत कम मांग है। राज्यों के बीच आई टी आई की गुणवत्ता में और अलग-अलग आई टी आई के बीच भी काफी भिन्नता है। बहुत से राज्यों ने, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बाजार क्षमता के बारे में पर्याप्त प्रारम्भिक अध्ययन किए बगैर नए आई टी आई की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है (विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता के साथ आई टी आई/ आई टी सी की संख्या संलग्नक 5.1 में देखी जा सकती है)।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र

31. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में आई टी आई स्थापित करने की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत 49.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 35 विद्यमान आई टी आई को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा, 49.88 करोड़ रुपए की लागत से 22 नए आई टी आई स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 0.11 करोड़ रुपए की लागत से, संकाय/ प्रायोजित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है (जारी की गई राज्य-वार निधियां संलग्नक 5.2 में दर्शाई गई हैं)।

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण

32. अनेक औद्योगिक कामगारों के कौशलों को उन्नत और अद्यतन बनाने के वास्ते उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत चुनिन्दा दक्षता क्षेत्रों में, 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों से माडुलर पाठ्यक्रमों के माध्यम से अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दिसम्बर 2002 तक 92350 औद्योगिक कामगारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम

33. उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करने के वास्ते प्रशिक्षु अधिनियम को, जिसका अधिनियमन 1961 में किया गया था, समय-समय पर संशोधित किया गया। इसके अलावा, प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम आदि के सम्बन्ध में मानदण्ड और मानक तथा नीतियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के वास्ते केन्द्रीय प्रशिक्षुता परि-द कार्यरत है। प्रशिक्षु 6 मास से लेकर 4 वर्ष तक की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इस अवधि के अन्त में उनकी ट्रेड का परीक्षण रा-ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परि-द द्वारा किया जाता है तथा सफल उम्मीदवारों को रा-ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

34. रोजगार-योग्य कौशलों में महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने तथा स्व-रोजगार के आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के वास्ते, अनन्य रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं, रा-ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर वी टी आई) के माध्यम से प्रदान की जाती रहीं। वर्ष 2001-

02 के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में लगभग 2900 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर 2002 की स्थिति के अनुसार, दाखिल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या लगभग 2300 थी। राज्य क्षेत्रक में, अक्टूबर 2002 तक एकत्रित डाटा के अनुसार, संस्थानों की संख्या लगभग 775 है (224 डब्ल्यू आई टी आई और सामान्य प्राइवेट आई टी आई में 551 महिला स्कन्ध), जिनमें लगभग 47577 प्रशिक्षण सीट हैं (महिला आई टी आई और सामान्य आई टी आई में महिलाओं के लिए विशेष स्कन्धों का राज्य-वार विभाजन संलग्नक 5.3 में देखा जा सकता है)।

औपचारिक क्षेत्रक के लिए दक्षता-आधारित प्रमाणन पद्धति

35. पूंजी गहन क्षेत्रक और उच्च तकनीक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण पद्धति को, अनौपचारिक क्षेत्र में चल रही पद्धति के मुकाबले, सदैव उच्च प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार प्रदान किया गया है। तथापि, बड़ी संख्या में उन श्रमिकों के लिए कोई प्रमाणन पद्धति नहीं है, जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है किन्तु जिन्होंने स्वयं अथवा पारिवारिक परम्परा अथवा लम्बे अनुभव के बाद दक्षता प्राप्त की है। किसी उचित प्रमाण-पत्र के अभाव में ऐसे श्रमिकों का शो-ण होता है और उन्हें बाजार में बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होते और उनकी गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है।

36. योजना आयोग द्वारा दसवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए गठित "कौशल विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यदल" ने औपचारिक अर्हता रहित कामगारों के लिए एक दक्षता-आधारित प्रमाणन पद्धति का सुझाव दिया था। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग और योजना आयोग के डा. एस.पी. गुप्ता द्वारा दस मिलियन रोजगार अवसर के लक्ष्य वाली रिपोर्ट में भी दक्षता निर्माण और कौशलों के दक्षता-आधारित प्रमाणन के संबंध में जोर दिया गया था।

37. अनौपचारिक विधि, अर्थात् पारिवारिक परम्परा अथवा औपचारिक शिक्षा के बगैर रोजगार पर अनुभव के माध्यम से प्राप्त कौशलों की दक्षता-आधारित प्रमाणन पद्धति विकसित करने तथा बड़ी संख्या में कामगारों की रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग ने "अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों का परीक्षण और कौशलों का प्रमाणन" नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है, जिसे श्रम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्यों को, कौशल परीक्षण की एक विश्वसनीय पद्धति तथा प्रमाणन विकसित करने, मूल्यांकनों की सेवाओं का उपयोग करने तथा राज्यों में प्रको-ठों की स्थापना करने और जागरूकता पैदा करने के वास्ते, केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति का सुधार (विश्व बैंक परियोजना - चरण-II)

38. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से सहायतार्थ एक परियोजना के संबंध में श्रम मंत्रालय से प्राप्त एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है। इस स्कीम के माध्यम से, आई टी आई के आधुनिकीकरण, प्रारम्भ की जाने वाली ट्रेडों, निर्माण कार्यों, उपस्कर और वेतनों तथा राज्यों में

परियोजना देखरेख के कार्यालयों की स्थापना पर व्यय हेतु प्रावधान करने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने परियोजना के संबंध में "सिद्धान्त रूप" में स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भावी रोजगार के साथ प्रशिक्षण के संयोजन में सुधार

39. प्रशिक्षित जनशक्ति की रोजगार सम्भावनाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग-संस्थान अन्योन्यक्रिया प्रारम्भ की गई है और स्थानीय नियोक्ता/ उद्योगपति के नेतृत्व में संस्थान प्रबंधन समितियां (आई एम सी) स्थापित की गई हैं। उद्योग और औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, केन्द्रीय और राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों को मिलाकर, राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) में आई एम सी का गठन किया जा रहा है। 189 आई टी आई ने, आंशिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए, पहले ही आई एम सी का गठन कर लिया है जिनके उत्साहजनक परिणाम हुए हैं। लगभग सभी प्रशिक्षण संस्थानों को, प्रबंधन की आई एम सी विधि के अन्तर्गत कवर करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

6.1 ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन - कार्यनीति और कार्यक्रम

भारत में नियोजित आर्थिक विकास का एक उद्देश्य देश के लोगों की गरीबी दूर करना और जीवन स्तर में सुधार करना रहा है। यद्यपि देश में ग्रामीण गरीबी में कमी आई है जो 1993-94 में 37.27 प्रतिशत से कम होकर 1999-2000 में 27.09 प्रतिशत हो गई, तथापि ग्रामीण गरीबों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है जो 1999-2000 में अनुमानतः 193.24 मिलियन थी। गरीबी कम करने की कार्यनीति का एक प्रमुख तत्व रोजगारसृजक क्षेत्रों पर बल देते हुए आर्थिक विकास का रहा है, इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सफाई आदि जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया है। इस कार्यनीति में, गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को सीधे ही लक्ष्य बनाने का एक तीसरा तत्व जोड़ दिया गया है। ग्रामीण आवास सम्बन्धी स्कीमों के साथ-साथ स्व तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य आधार हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. यह भी स्वीकार किया जाता है कि गरीबी केवल तभी कारगर ढंग से दूर हो सकती है जब गरीब, विकास प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा, विकास में योगदान करेंगे। इसलिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अधिकाधिक ऐसे दृष्टिकोणों और पद्धतियों पर आधारित है जिनमें गरीब स्वयं सामाजिक संघटन, भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोणों और संस्थानों के प्रोत्साहन तथा गरीबों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के जरिए गरीबी दूर करने की प्रक्रिया में भाग लें। इस प्रयास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में, पंचायती राज संस्थानों की भूमिका के साथ-साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी-रोधी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) पर भी चर्चा की गई है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

3. भूतपूर्व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों के पुनर्गठन के बाद अप्रैल 1999 में शुरू की गई स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का उद्देश्य, सहायित गरीब परिवारों (स्व-रोजगारियों) को, सामाजिक संघटन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके, उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से और बैंक क्रेडिट व सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के जरिए आयसृजक परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

4. एसजीएसवाई कार्यक्रम की परिकल्पना सामाजिक संघटन और स्व-सहायता समूहों के गठन पर बल के साथ गरीबों के लिए एक प्रक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम के रूप में की गई है। यह माना जाता है कि एसएचजी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और इसलिए कार्यक्रम में ऐसा विचार किया गया है कि प्रत्येक चरण के अन्त में एक ग्रेडिंग किया जाए। ऐसी परिकल्पना की गई है कि एसएचजी के विकास कार्य हेतु, डीआरडीए, समूह विकास प्रक्रिया प्रारंभ करने और उसे बनाए रखने के वास्ते एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों जैसे सुविधाप्रदाताओं की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और एसएचजी के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त संगठनों/ सोसायटियों/ व्यक्तियों को 10,000 रुपए तक प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम के अन्तर्गत, बैंकों द्वारा 25,000/- रुपए की आवर्ती निधि की व्यवस्था की जाती है जिसमें से 10,000/- रुपए की राशि डीआरडीए द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। एसएचजी द्वारा आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के वास्ते अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दिए जाने के बाद, कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक कार्यकलाप हेतु सब्सिडी और ऋण के रूप में सहायता प्रदान

की जाती है। सब्सिडी, अधिकतम 7500/- रुपए की सीमा तक परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों व विकलांग व्यक्तियों के मामले में सब्सिडी की राशि अधिकतम 10,000/- रुपए के अध्याधीन, परियोजना लागत की 50 प्रतिशत है। स्वरोजगारियों के समूहों के मामले में सब्सिडी, प्रति व्यक्ति 10,000/- रुपए अथवा 1.25 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक की सब्सिडी की शर्त पर स्कीम की लागत का 50 प्रतिशत होती है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी हेतु धन की कोई सीमा नहीं है। सब्सिडी बैंक एन्डेड होती है।

5. कार्यक्रम के अन्तर्गत, 50 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए, 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए और 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करके कमजोर वर्ग के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

6. चूंकि इस स्कीम का स्वरूप प्रक्रिया प्रधान है, इसलिए यह माना जाता है कि स्कीम के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सहभागी होंगे। इसलिए स्कीमों में लचीलापन रखा गया है ताकि जिला विकास एजेंसियां प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संरचना, आवर्ती निधि जैसे विभिन्न घटकों पर होने वाले व्यय और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी और समूह निर्माण के विभिन्न चरणों के मामलों में प्राथमिकताएं तय कर सकें। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 15 प्रतिशत धन विशेष परियोजनाओं के लिए रा-ट्रीय स्तर पर अलग से रखा जाता है।

7. वर्ष 2003-04 के बजट में 800 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 2001-02 के लिए वास्तविक व्यय और 2001-02 के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान तथा 2001-02 की भौतिक उपलब्धि के साथ-साथ 2002-03 के लिए प्रत्याशित भौतिक नि-पादन, 2003-04 के लिए बजट अनुमान और प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2003-04 के लिए भौतिक लक्ष्य संलग्नक 1 में देखे जा सकते हैं।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

8. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का प्रमुख उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना व पो-ण स्तरों में सुधार करना है। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन व आधारभूत ढांचे का विकास करना है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसकी घो-णा प्रधान मंत्री ने 15.8.2001 को की थी, जो सितम्बर 2001 में आरम्भ हुई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) को इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.4.2002 से मिला दिया गया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में वे सभी ग्रामीण निर्धन भाग ले सकते हैं जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो गांव/ निवास स्थान में या इसके आस-पास हाथ का तथा अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम में स्वयं आना पड़ता है। मजदूरी रोजगार देते समय खेतिहर मजदूरों, गैर-कृ-ि अकुशल मजदूरों, सीमान्त किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, खतरनाक व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिकों के मां-बाप, विकलांग बच्चों के मां-बाप अथवा विकलांग मां-बाप वाले वयस्कों को वरीयता दी जाती है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित किया जाता है।

9. यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच लागत बंटवारे के आधार पर चलाया जाता है जिसमें कार्यक्रम के नकदी घटक में उनके हिस्सों का अनुपात 75 : 25 होता है। तथापि, कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

10. ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धन और खाद्यान्न का 5 प्रतिशत भाग अपने पास रखता है जोकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न गम्भीर संकट वाले क्षेत्रों में उपयोग होता है अथवा हमेशा सूखाग्रस्त रहने वाले अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत किसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अपरिहार्य स्थितियों से निबटने के लिए मजदूरी रोजगार की संभावना वाली केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी स्कीम में उपयोग हेतु विशेष-घटक के लिए आरक्षित रहता है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत शे-राशि और खाद्यान्न को दो भागों में बराबर बांट दिया जाता है। पहले भाग की राशि और खाद्यान्न 40:60 के अनुपात में जिला परिषद और मध्यवर्ती पंचायतों के बीच वितरित कर दिया जाता है। इस भाग की राशि और खाद्यान्न को ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित कर दिया जाता है। दूसरे भाग को ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस भाग के सम्पूर्ण संसाधन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/ जिला परिषदों द्वारा ग्राम पंचायतों को वितरित कर दिए जाते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

11. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी अंशतः खाद्यान्न के रूप में और अंशतः नकद दी जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मजदूरी के रूप में दिए गए खाद्यान्न की लागत की गणना समान दर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे वालों की दर, या गरीबी की रेखा से ऊपर वालों की दर, या दोनों दरों के बीच कुछ भी हो सकती है। श्रमिकों को शे-मजदूरी नकद दी जाती है ताकि उन्हें अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी मिल सके।

12. प्रत्येक जिला परिषद/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें और ग्राम पंचायतें स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए वार्षिक कार्यवाही योजना तैयार करती हैं। अधूरे कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है और श्रम प्रधान कार्यों पर जोर दिया जाता है। मिट्टी और नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेय जल संसाधनों का पुनरुद्धार, भू-जल में वृद्धि, पारंपरिक जल संरक्षण संरचना, गांव के टैंकों/ तालाबों आदि से गाद निकालना आदि और वाटर शेड विकास हेतु ऐसी ही अन्य स्कीमों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य प्राथमिकता वाले कार्य हैं- ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, खेतों को जोड़ने वाली फार्म सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, वनरोपण और ऐसे कार्य करना जिनसे स्थायी सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है जैसे स्कूल, स्कूलों के लिए किचन शेड्स, औ-नधालय, सामुदायिक केन्द्र, पंचायत घर, हाटों (मार्केट्स) का विकास, आदि। तथापि, निर्माण कार्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उन्हें एक या दो वर्नों में पूरा किया जा सके। जिला परिषदें/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/ मध्यवर्ती पंचायतें/ ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर अधिकतम 15 प्रतिशत धन व्यय कर सकती हैं। वर्न 2003-04 के बजट में स्कीम के वास्ते 4900 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा

13. रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, 15 अगस्त 1995 से आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य बुढ़ापे में, रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तथा प्रसूति के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करना था। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूरक है और इसका उद्देश्य भलाई के न्यूनतम रा-ट्रीय स्तर को सुनिश्चित करना है और यह केन्द्रीय सहायता उन लाभों के अतिरिक्त है जो राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए पहले से दिए जा रहे हैं।

14. पो-ण और रा-ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मातृत्व लाभ घटक को 2001-02 से परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है और 2002-03 से रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के शेष दो घटकों, यथा रा-ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम (65 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के निराश्रितों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए) और रा-ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम (बीपीएल परिवार के मुख्य रोजी-रोटी कमाने वाले की प्राकृतिक अथवा दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में एकमुश्त राशि प्रदान करने के लिए) को अन्नपूर्णा के साथ-साथ (एनओएपी के अन्तर्गत कवर न होने वाले निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए) 2002-03 से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

15. यह माना गया है कि इन स्कीमों के हस्तान्तरण से राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों को चुनने और उन्हें कार्यान्वित करने में अपेक्षित लचीलापन उपलब्ध होगा। इन स्कीमों के लिए जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का उपयोग राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, परिवार लाभ या अपनी प्राथमिकताओं व जरूरतों के अनुसार एक अथवा दो अथवा सभी तीनों स्कीमों अथवा किसी अन्य स्कीम के साथ मिलाकर, कार्यान्वित करके वृद्धजनों के लिए मुफ्त खाद्यान्नों की व्यवस्था जैसी कल्याण स्कीमों के लिए किया जा सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बजट के तहत इन स्कीमों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान (एमएमपी) की व्यवस्था करेंगे। इस एमएमपी की गणना, इन स्कीमों के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य के बजट प्रावधान अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो, तथा संबंधित वर्ष के संबंध में एसीए आबंटन को मिलाकर, उसके बराबर के रूप में की जानी है। वर्ष 2003-04 के दौरान एनएसएपी तथा अन्नपूर्णा के लिए राज्यों को 679.87 करोड़ रुपए की एसीए की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण आवास - इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

16. आवास एक ऐसा घटक है जिसे मनु-य के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण निर्धनों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार 1985 से इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। नौवीं पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने आवास को "सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए विशेष-कार्य योजना" के तहत प्राथमिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों के लिए ग्रामीण आवास के लिए विशेष-कार्य योजना तैयार की गई थी।

इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

17. इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जाति तथा गैर-अनुसूचित जन जातियों के लोगों को निःशुल्क आवास इकाइयां उपलब्ध कराना है। 1995-96 से इन्दिरा आवास योजना के लाभ का विस्तार युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उनके निकट के सम्बन्धियों तक कर दिया गया है। ये लाभ भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को भी मिलने लगे हैं बशर्ते कि वे इन्दिरा आवास योजना की सामान्य शर्त को पूरा करते हों। 3 प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अशक्त लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। परन्तु गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले लाभ इन्दिरा

आवास योजना के आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को मकान निर्माण हेतु मैदानी इलाकों में 20,000/- रुपए की तथा पहाड़ी/ दुर्गम क्षेत्रों में 22,000/- रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच 75:25 के भागीदारी अनुपात में वित्तपोषित की जाती है।

18. वर्ष 1999-2000 से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आबंटित कुल निधि की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के न रहने योग्य कच्चे मकानों को पक्के/ अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए किया जाता है। मकान में सुधार करने के घटक के अन्तर्गत प्रति आवास इकाई के लिए 10,000 रुपए की अधिकतम सहायता दी जा रही है।

19. 1999-2000 से इन्दिरा आवास योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन सम्बन्धी मानदण्ड में परिवर्तन कर दिया गया है। इसे गरीबी अनुपात से बदल कर राज्य में 50 प्रतिशत गरीबी अनुपात और 50 प्रतिशत आवास की कमी कर दिया गया है। इसी प्रकार, किसी राज्य में किसी जिले को निधियों के आबंटन का मानदण्ड भी बदल कर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और आवास की कमी कर दिया गया है जिससे प्रत्येक को बराबरी का भारांश दिया जाएगा।

ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम

20. ग्रामीण आवास के लिए ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। इस स्कीम का लक्ष्य ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए तक हो। जबकि आर्थिक सहायता की सीमा 10,000 रुपए तक है किन्तु इसके अंतर्गत 40,000 रुपए का अधिकतम ऋण लिया जा सकता है।

21. वर्ष 2002-03 से इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) और ऋण एवं आर्थिक सहायता के (सीसीएसएम) अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन को मिला दिया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, ग्राम आवास के लिए 1900 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से, आईएवाई/ सीसीएसएम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों हेतु 14.85 लाख मकानों के निर्माण/ सुधार के लिए 1870.50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

ग्रामीण आवास और बस्ती विकास के लिए अभिनव धारा

22. यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और आवास सेक्टरों में अभिनव, किफायती लागत वाले और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल 1999 से परियोजना आधारित मांग प्रधान स्कीम के रूप में आरम्भ की गई है। गैर-सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी सोसाइटी के मामले में अधिकतम अनुज्ञेय सहायता की राशि 20 लाख रुपए है और सरकारी एजेंसियों के लिए 50 लाख रुपए है। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 11.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

ग्रामीण भवन-निर्माण केन्द्र

23. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य (क) प्रौद्योगिकी अंतरण तथा सूचना प्रसार; (ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन; और (ग) किफायती लागत वाली तथा पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों/ संघटकों का निर्माण करना है। प्रत्येक भवन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक ही बार 15 लाख रुपए का अनुदान तीन

किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2003-04 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को इक्विटी सहायता

24. हुडको को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली इक्विटी सहायता आठवीं योजनावधि में 5.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर नौवीं योजनावधि में 350 करोड़ रुपए कर दी गई है और यह समूची राशि हुडको को रिलीज कर दी गई। इससे हुडको को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बाजार से इक्विटी के रूप में दी गई राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने में सुविधा हो जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान हुडको को इक्विटी सहायता हेतु 10.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए रा-ट्रीय मिशन

25. इस सेक्टर में निरंतर आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिर्दियों को लाने को सुविधाजनक बनाने हेतु और एक निश्चित समय अवधि में और सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्र में सभी को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक आवास और ऊर्जा सम्बन्धी मुद्दों को समन्वित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए एक रा-ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान रा-ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

समग्र आवास योजना (एसएवाई)

26. यह एक परियोजना-आधारित स्कीम है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और समग्र आवास में सुधार करना है। समग्र बस्ती विकास और आईईसी कार्य शुरू करने हेतु चुनिन्दा ब्लॉकों के लिए 25 लाख रुपए की विशेष-केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है और इसमें 10 प्रतिशत अंशदान लोगों का होगा। स्कीम के तहत निधियां आईएवाई आबंटन में से प्रदान की जाती हैं। अब इस स्कीम को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

27. सभी मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चलता है कि इन्दिरा आवास योजना, क्रियान्वित किए जा रहे सफल कार्यक्रमों में से एक है। परन्तु इसमें कुछ कमियां हैं। निःशुल्क मकान देने का यह अर्थ है कि अन्य ऋण-आधारित स्कीमों में सफल नहीं हो सकी हैं। यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया अपने में बंटवारा करने वाली स्वरूप की है क्योंकि सभी निर्धन लोगों को एक ही समय मकान नहीं मिल सकता, जिसके कारण प्रभाव और भ्र-ट उपायों का प्रयोग होता है। इसलिए दसवीं योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क मकान अधिकांशतः गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दिए जाएंगे। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य परिवारों के लिए इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे ऋण-आधारित आवास कार्यक्रम के रूप में बदला जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण आवास कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में आश्रयहीनता को दूर करने के इस विशाल कार्य में सभी सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके एक अभियान के रूप में शुरू किया जाएगा।

भूमि सुधार

28. भूमि सुधार के अन्तर्गत 'राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना' तथा 'भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण' के दो घटकों के साथ 'राजस्व और भू-प्रशासन के आधुनिकीकरण' की स्कीम भू-संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(क) भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)

29. यह 'राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण' के दो घटकों में से एक है। पहले यह भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की एक स्वतंत्र स्कीम थी जो 1988-89 में राज्य सरकारों द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान-सहायता स्कीम के रूप में आरम्भ की गई थी। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की उप-योजना के मुख्य उद्देश्य हैं- (i) उचित मूल्य पर भू-स्वामियों को अधिकारों के रिकार्ड की समय पर और सही प्रति जारी करने के लिए भू-स्वामित्व ब्योरे का कम्प्यूटरीकरण, (ii) दीर्घकालीन, कम लागत पर, आसानी से पुनरुत्पादनीय ब्योरे संग्रह करना, (iii) आरेखीय और पाठ-विनयक सूचना की द्रुत और कुशल पुनः प्राप्ति की व्यवस्था करना, और (iv) भू-सूचना पद्धति और डाटा बेस का सृजन। स्कीम का मुख्य लक्ष्य देश में भूमि अभिलेखों का 'आन-लाइन मैनेजमेंट' करना है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 582 जिलों को लाया गया है। कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों ने स्कीम के अन्तर्गत अच्छा काम किया है। असम, बिहार, पंजाब, झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों की प्रगति संतो-नजनक नहीं है। इसका कारण जिला और तहसील स्तर पर उपलब्ध आधुनिक संरचना सुविधाओं की कमी, राज्य प्रशासन से प्रेरणा और स्प-ट निदेश का न होना, राज्य सरकारों द्वारा जिला प्राधिकारियों को धन का अंतरण करने में विलम्ब किया जाना और डाटा प्रविटि का काम करने के लिए डाटा प्रविटि एजेंसियों का उपलब्ध न होना है।

30. 1998-99 के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटक 'डिजिटलाइजेशन आफ कैंडेस्ट्रल मैप' को स्कीम में शामिल किया गया। कैंडेस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्र का उद्देश्य गांव और खेत की हदों का निर्धारण करना, गांव का मानचित्र तैयार करना जिसमें ऐसी हदों और क्षेत्र की सूचियों को दिखाया गया हो और फील्ड रजिस्टर तैयार करना है। यह कार्य प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में हाथ में लिया गया है। अब तक भारत सरकार ने 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 33 मार्गदर्शी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। सीएलआर स्कीम की शुरुआत के समय से, 31.3.2003 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 264.74 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना

31. यह 'राजस्व और भू-प्रशासन का आधुनिकीकरण' स्कीम का दूसरा घटक है। आरम्भ में यह एक स्वतंत्र स्कीम थी जिसे केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के बंटवारे के आधार पर 1987-88 के दौरान आरम्भ किया गया था। उप-स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं (क) उन क्षेत्रों में भू-अभिलेखों को तैयार करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने हेतु, जहां यह कार्य अभी पूरा किया जाना है, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त संगठनों का सुदृढ़ीकरण, (ख) विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां कोई भू-अभिलेख नहीं हैं, बन्दोबस्त और निपटान संगठनों की स्थापना करना, (ग) राजस्व, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त स्टाफ को सेवा-पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना और इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण को आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, (घ) सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों के आधुनिकीकरण, सर्वेक्षण मानचित्रों, प्रतिवेदनों/ दस्तावेजों के मुद्रण और अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी निविटियों का उपयोग करके भू और फसल सम्बन्धी

अभिलेखों के भण्डारण, उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने और उन्हें अद्यतन बनाने के कार्य हेतु सुविधाएं, (ड.) चयन के आधार पर ग्राम और सीधे पर्यवेक्षण स्तरों पर राजस्व तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि इन पदाधिकारियों के काम का भार प्रबंधकीय हो सके। प्रारम्भ से भारत सरकार ने, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू-अभिलेखों के सुधार हेतु केन्द्रीय हिस्से के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 31.3.2002 तक 241.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

पंचायती राज

32. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) देश में शासन के तीसरे टियर के रूप में उभरी हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सांविधिक दर्जा देकर न केवल लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण करना था अपितु यह भी परिकल्पना की गई थी कि ये स्थानीय संस्थाएं गांवों में आमूल परिवर्तन लाने के लिए लोगों की सहज योग्यताओं का उपयोग इस प्रकार करेंगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसका सही स्थान मिल सके।

33. अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की परिकल्पना ऐसे साधन के रूप में की गई है जो निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी के द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत विकास प्रक्रिया की स्थापना में, लोगों के रहन-सहन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं के कार्यान्वयन और उनके वितरण में सहायक हो सकें।

34. पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन सौंपे जाने का भार राज्य सरकारों पर है। यद्यपि राज्यों ने इन संस्थाओं को धीमी गति से कार्य और वित्तीय संसाधन सौंपे हैं परन्तु प्रशासनिक समर्थन न मिलने से इन संस्थाओं के कार्य में रुकावट आई है। पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में स्टाफ होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को आयोजन, बजट बनाने और लेखापालन के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचायतों की निधियों की लेखा परीक्षा करने की व्यापक पद्धति होनी चाहिए। इस समय निर्वाचित कार्यकर्ताओं द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक राज्यों में पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं हैं। दसवीं योजना में इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए।

35. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध 24 दिसम्बर 1996 से लागू हो गए हैं। इस अधिनियम में पंचायतों का विस्तार 9 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में किया गया है जिनके नाम हैं: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें जनजातीय समाज को प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकार पूर्ववत् और सुरक्षित रखने के लिए अपनी नियति पर नियंत्रण रखने में समर्थ बनाने का प्रयास किया गया है। पीईएसए, 1996 के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों ने अपने-अपने विधान अधिनियमित किए हैं। फिर भी, राज्य सरकारों को सभी संगत नियमों/ अधिनियमों को संशोधित करना चाहिए ताकि वे पीईएसए के प्रावधानों के अनुरूप हो सकें।

36. ग्राम सभा को अब सहभागी लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण की प्रणाली में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इस दिशा में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली के जरिए विकास कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं के महत्व की ओर आकर्षित किया गया है। अनेक राज्यों ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी समय पर बैठकें सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अनुसूची V के क्षेत्र

में ग्राम सभा को प्रदत्त शक्तियों का विस्तार गैर-अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं तक भी किया जा सकता है।

37. सरकार यह मानती है कि विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए स्थानीय स्तरों पर क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर नए प्रवेशकर्ताओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं और सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकियों की तथा अन्य अपेक्षित जानकारी दी जा सके। ऐसा पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्य अनुसंधान करने तथा राज्यों की पंचायती राज प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय अनुसंधान संगठनों तथा संस्थानों को भी निधियां प्रदान करता है।

38. केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विनयों के सम्बन्ध में, कार्यों, वित्त तथा कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण हस्तान्तरित करके पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तथापि, सरकार के प्रयासों के बावजूद बहुत से राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं कमजोर बनी हुई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत को स्वीकारते हुए सरकार ने, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों, कार्यों और वित्तीय संसाधनों का अंतरण करने से जुड़े मुद्दों के पूरे मसले की जांच करने के लिए “पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय तथा प्रशासनिक सशक्तिकरण के सम्बन्ध में रा-द्रीय विकास परि-द की अधिकारप्राप्त उप-समिति” गठित की है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)

39. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) ग्राम स्तर पर निरन्तर मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक योजना 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। इसको साथ ही पीएमजीवाई ने पिछले बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बी.एम.एस.) सम्बन्धी कार्यक्रम को स्थानापन्न कर दिया ।

40. पीएमजीवाई के अन्तर्गत सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) देने का प्रस्ताव किया गया है। पीएमजीवाई कार्यक्रम बीएमएस कार्यक्रम के आधार पर बना है और इसका उद्देश्य केवल चुनिंदा सेवाओं के लिए प्रयास करना और संसाधन जुटाना है। पीएमजीवाई में आरम्भ में पांच घटक थे, यथा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल और पो-नाहार। वार्षिक योजना 2001-02 से ग्रामीण विद्युतीकरण को अतिरिक्त घटक (छठा) के रूप में शामिल किया गया।

41. पीएमजीवाई के लिए आबंटन वार्षिक योजना 2000-01 में 2500 करोड़ रुपए था। इसे बढ़ा कर 2001-02 और 2002-03 के लिए 2800 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2003-04 के लिए पीएमजीवाई के लिए आबंटन उसी स्तर पर, यथा 2800 करोड़ रुपए था।

42. पिछली दो वार्षिक योजनाओं के दौरान पीएमजीवाई के छः क्षेत्रकीय कार्यक्रमों का प्रबंध प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल

विकास और विद्युत के सम्बन्धित केन्द्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा किया जाता था, जिन्होंने अपने क्षेत्रकों के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए गए और निधियां जारी करने के वास्ते राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। परन्तु केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ मिल कर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का कार्य बोझिल हो गया और इसमें विलम्ब होने लगा तथा योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का प्रबंध सीधे करने का निर्णय लिया। वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के दौरान पीएमजीवाई के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गनिर्देश जारी किए गए थे। मानीटरिंग प्रारूप तैयार किए गए तथा सभी राज्यों और संघ राज्यों के बीच परिचालित किए गए। मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों को यह छूट और लचीलापन प्राप्त था कि वे पीएमजीवाई के छः घटकों में से किसी को भी एसीए का वितरण कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें कम से कम 15 प्रतिशत आबंटन पो-नाहार मद के लिए करना होगा। आबंटन का एक न्यूनतम स्तर जिसे न्यूनतम अनिवार्य प्रावधान कहा जाता है, राज्य सरकार की वार्षिक योजना 2003-04 में पीएमजीवाई के लिए सुनिश्चित और निर्धारित करना होगा। न्यूनतम अनिवार्य प्रावधान की गणना 2000-01 में पीएमजीवाई क्षेत्रकों के लिए आवंटित कुल अतिरिक्त राशि और 2003-04 में कार्यक्रम के लिए राज्य को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जोड़ के रूप में की जाती है। पीएमजीवाई के अन्तर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति की अर्ध-वार्षिक रूप से निगरानी की जाती है। पीएमजीवाई के मार्ग-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि राज्य, उन्हें पीएमजीवाई के लिए एसीए की दूसरी किस्त जारी किए जाने से पहले, कार्यक्रम के लिए उनके पास उपलब्ध बुनियादी निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत भाग का उपयोग सुनिश्चित करें। विगत तीन वर्षों के सम्बन्ध में पीएमजीवाई के तहत राशि के राज्यवार आबंटन और निर्गमन और साथ ही वार्षिक योजना 2003-04 के लिए आबंटन संलग्नक II में दर्शाए गए हैं।

6.2 खाद्य और पो-ण सुरक्षा

स्वास्थ्य और मानव विकास के लिए इ-टतम पो-ण का महत्व सर्वविदित है। भारत ने इन समस्याओं से निपटने के लिए तथा जनता के पौ-णिक स्तर में सुधार लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय, बहुमुखी कार्यनीति अपनाई है। भारत के संविधान (अनुच्छेद 47) में यह कहा गया है कि “राज्य अपने लोगों के पो-ण और जीवन स्तर में सुधार लाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपना प्राथमिक कर्तव्य समझेगा”। उत्तरोत्तर पंच व-र्षीय योजनाओं में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां और कार्यनीतियां निर्धारित की गईं। विगत तीन दशकों के दौरान अल्प पो-ण के गम्भीर ग्रेडों में काफी कमी आई है; तथापि मामूली और साधारण अल्प पो-ण और सूक्ष्मपो-ण कमियों में कटौती बहुत निम्न रही है। फिलहाल, प्रमुख पो-ण-सम्बद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं:

- चिरकालिक ऊर्जा कमी और अल्पपो-ण
- सूक्ष्म-पो-ण कमियां
- लौह और फोलेट कमी के कारण एनेमिया
- विटामिन ए की कमी
- आयोडीन कमी की विकृतियां
- चिरकालिक ऊर्जा अधिकता और मोटापा

2. योजना आयोग

- इन समस्याओं से निपटने के लिए नीतियां और कार्यनीतियां परिभाषित करते हुए वार्षिक योजनाएं तैयार करता है
- केन्द्र और राज्यों में संबंधित विभागों के साथ पंच व-र्षीय और वार्षिक योजनाओं में संबंधित क्षेत्रक के लिए धन आबंटित करता है
- पंचायती राज संस्थाओं की अधिकाधिक भागीदारी के जरिए ग्राम स्तर पर संबंधित विभागों के बीच सेवाओं के अभिसरण को प्रोत्साहित करता है और प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

पिछले पांच दशकों के दौरान जनता की पौ-णिक स्थिति में सुधार के लिए की गई पहलों में ये शामिल हैं:

- खाद्य उत्पादन में वृद्धि-बफर स्टॉक का निर्माण करना
- खाद्य वितरण में सुधार लाना - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ करना
- निम्न माध्यमों से पारिवारिक खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना:
 - क्रय शक्ति में सुधार लाना
 - काम के बदले अनाज कार्यक्रम
 - प्रत्यक्ष या परोक्ष खाद्य सब्सिडी
- दुर्बल वर्गों की विशेष-आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए खाद्यान्न पूर्ति-समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन
- विशेष रूप से खाद्यान्न और पो-ण बोर्ड (एफएनबी) तथा आईसीडीएस के माध्यम से पो-ण शिक्षा
- निम्न से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रयास:-
 - अल्पपो-ण से प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव
 - पौ-णिक स्तर पर संक्रमण और अवांछित उर्वरता के प्रतिकूल प्रभाव
 - सूक्ष्म पौ-णिक कमियां और उनके स्वास्थ्य परिणाम

दसवीं योजना में उपाय

3. दसवीं योजना के दौरान, व्यक्तियों का पो-नण और स्वास्थ्य स्तर सुधारने के उद्देश्य से संकेन्द्रित और व्यापक उपाय किए जाएंगे। दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि निम्नलिखित से प्रतिमान बदलाव लाया जाएगा:

- पारिवारिक खाद्य सुरक्षा और भूख से मुक्ति के बजाय परिवार और व्यक्ति की पौ-नणिक सुरक्षा;
- अलक्षित खाद्य पूर्ति से हटकर कमजोर वर्गों में सभी व्यक्तियों की जांच-पड़ताल, अल्पपो-नण की विभिन्न मात्राओं वाले लोगों की पहचान और उपयुक्त प्रबंधन;

अति पो-नण के लिए केन्द्रित हस्तक्षेपणीय उपायों की कमी से हटकर अति-पो-नण और मोटापे की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए उपयुक्त जीवन शैलियों और अन्तर्ग्रहण को बढ़ावा।

4. निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए उपाय किए जाएंगे:

निम्नलिखित के द्वारा अनाज की पर्याप्त उपलब्धता:

- पो-नण जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज, दालों और मौसमी फलों का उत्पादन सुनिश्चित करना;
- कटाई-पश्चात हानियों में कटौती और उपयुक्त संसाधन के माध्यम से वहनीय लागत पर पूरे वर्ष के दौरान उन्हें उपलब्ध कराना;
- वृहत और लघु पो-नण कमियों के समाधान के वास्ते पीडीएस का और अधिक किफायती और कुशल लक्ष्य। (इसमें लक्षित (पीडीएस) के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मोटा अनाज, दालें और आयोडीनयुक्त/ दुगना पु-ट नमक उपलब्ध कराना शामिल किया जा सकता है);
- काम के लिए अनाज स्कीमों सहित उपयुक्त कार्यक्रमों में माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार।

निम्नलिखित के उद्देश्य से पो-नण शिक्षा के माध्यम से अल्प पो-नण की रोकथाम:

- उपयुक्त शिशु भोजन प्रथाएं सुनिश्चित करना (व्यापक नवदुग्धपान, छः मास तक मात्र स्तनपान, छः मास के बाद अर्ध-ठोस वस्तुओं की शुरुआत);
- जरूरतों के आधार पर खाद्य का समुचित आन्तर-परिवार वितरण प्रोत्साहित करना;
- परिवार की पो-नण जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार विविधीकरण।

अल्प-पो-नण हेतु सभी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, स्कूल-पूर्व और स्कूली बच्चों की व्यापक जांच-पड़ताल प्रारम्भ करना।

निम्नलिखित के माध्यम से अल्प-पो-नण के प्रबंधन हेतु पो-नण उपाय प्रारम्भ करना:

- अल्प-पो-नण वालों के लिए लक्षित खाद्य पूर्ति और स्वास्थ्य देख-रेख;
- इन व्यक्तियों और उनके परिवारों का कारगर मानीटरन;
- प्रभावी अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उपयोग तथा सेवाओं का अभिसरण और चालू उपायों के आयोजन और मानीटरन में सामुदायिक भागीदारी में सुधार करना।

निम्नलिखित के माध्यम से सूक्ष्म पो-ण कमियों और सम्बद्ध स्वास्थ्य जोखिमों का निवारण, जल्द पता लगाना और उपयुक्त प्रबंधन:

- सभी सूक्ष्म पो-णों के सन्तुलित अन्तर्ग्रहण की प्राप्ति हेतु आहार विविधीकरण प्रोत्साहित करने के लिए पो-नाहार शिक्षा;
- आयोडीनयुक्त/ दुग्ने पु-ट नमक की व्यापक सुलभता;
- गम्भीर अल्प-पो-ण वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों की जांच-पड़ताल के जरिए सूक्ष्म पो-ण कमियों का जल्द पता लगाना।
- सूक्ष्म पो-ण कमियों का समय पर उपचार


मोटापो और आहार-सम्बद्ध चिरकालिक बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन हेतु उपयुक्त आहार अन्तर्ग्रहण और जीवनशैलियों का प्रोत्साहन।

पो-ण मानीटरन और निगरानी जिससे कि देश निम्नलिखित सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोगों की पो-नाहार और स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव पर नजर रख सके:

- पो-नाहार स्थिति सुधारने के लिए विद्यमान अवसरों का पूर्णरूपेण उपयोग; और
- उभरती समस्याओं का जल्द पता लगाया जाए और उन्हें शीघ्र सुधारा जाए।

खाद्य के सम्बन्ध में उपभोग व्यय में समय प्रवृत्तियां

5. निम्न आहार अन्तर्ग्रहण का एक मुख्य कारण गरीबी है जिसके फलस्वरूप अल्प पो-ण होता है। इस तथ्य को देखते हुए कि आय, विशेष-रूप से निम्नतम आय समूह जनसंख्या के बीच, आहार अन्तर्ग्रहण का एक प्रमुख निर्धारक है, भारत



तालिका 1: खाद्यान्नों की औसत खपत


खाद्यान्न (ग्राम/सी यू)	व-ई	
	1975-79	1996-97
अनाज और मंडुआ	505	450
दालें	34	27
हरी पत्तेदार सब्जियां	8	15
अन्य सब्जियां	54	47
कन्द मूल	56	44
दूध और दुग्ध उत्पादन	116	86
वसा और तेल	14	12
शर्करा और गुड	23	21

स्रोत: एन एन एम बी 1999




ने लोगों की ऊर्जा आवश्यकता (शहरी क्षेत्रों में 2200 कैलोरी प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति दिन) को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की डाली खरीदने के लिए आवश्यक आय को गरीबी रेखा के रूप

में परिभाषित किया है। पिछले व-ई के दौरान प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त सुधार हुआ है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी आई है। तथापि, उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि न तो आहार अन्तर्ग्रहण में (तालिका 1) अथवा अल्प पो-ण दरों में (चित्र-1) तदनुसूची सुधार हुआ है। इस विसंगति के कारणों का पता लगाने के वास्ते विगत तीन दशकों के सम्बन्ध में एनएसओ तथा एनएनएमबी सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया।

6. एनएसएसओ सर्वेक्षणों से विभिन्न आय समूहों और रिहायश (ग्रामीण और शहरी) तथा राज्य के





अनुसार वर्गीकृत खाद्य और खाद्य-भिन्न मदों पर व्यय का समय-श्रृंखला डाटा उपलब्ध होता है। तदनुरूपी वर्न में खाद्य की लागत को ध्यान में रखते हुए, एनएसएसओ विभिन्न खाद्य मदों की खपत के पारिवारिक स्तर का परिकलन और रिपोर्ट करता है। वर्न 1972 से 2000 तक एनएसएसओ सर्वेक्षणों के डाटा से पता चलता है कि निम्नतम और मध्यम आय वर्गों में अनाज पर खर्च में कमी आई है। तथापि, अनाजों पर सर्वाधिक आय समूह व्यय में कुल व्यय की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न अनुपात है और यह अनुपात विगत तीन दशकों के दौरान बिलकुल अपरिवर्तित रहा है (चित्र 2)।



(पीडीएस) के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले अनाज के मामले में, कमी आई है। एनएसएसओ


7. निम्नतम, मध्यम और और उच्च आय समूहों के सम्बन्ध में डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि निम्नतम आय समूह द्वारा उपभोग किए गए अनाजों की मात्रा (किलो ग्राम में) में अनाजों पर खर्च के अनुपात में कमी के बावजूद वृद्धि हुई है क्योंकि पिछले वर्नों के दौरान अनाजों की सापेक्ष लागत में, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सर्वेक्षणों से (चित्र 4) अनाज अन्तर्ग्रहण में समय प्रवृत्ति सम्बन्धी डाटा से पु-टि होती है कि अनाजों के सम्बन्ध में आरडीआई के 70 प्रतिशत से कम खपत करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता में कमी आई है। मध्यम आय समूहों में अनाजों की पारिवारिक खपत में थोड़ी सी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय वाले परिवारों में अनाजों की बताई गई प्रति व्यक्ति “खपत” 26.2 किलो ग्राम (लगभग 1 किलो ग्राम/दिन) थी। 1999-2000 में यह कम होकर 14.4 किलो ग्राम हो गई। एनएनएमबी द्वारा आयोजित आहार सर्वेक्षणों से डाटा से पता चलता है कि उच्च आय वर्ग में भी अनाजों का औसत आहार अन्तर्ग्रहण कभी भी 400 ग्राम/दिन से अधिक नहीं हुआ। इसलिए यह प्रतीत होगा कि उच्च आय समूह परिवारों के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खाद्य में अतिथियों, सम्बन्धियों और सेवकों की भागीदारी थी। विगत दो दशकों के दौरान जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से संभवतः उच्च आय वर्ग परिवारों में अनाजों की “खपत” में तेजी से कमी आई है।



सस्ती दरों पर टीपीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे प्रदत्त कैलोरियों में किसी कटौती के बगैर सब्सिडी लागत में काफी कमी आएगी। इससे लक्ष्य में भी सुधार होगा क्योंकि सर्वाधिक जरूरतमंदों द्वारा ही इन मोटे अनाजों की खरीद किए जाने की संभावना है। मंडुआ सूक्ष्मपो-नों से भरपूर होता है और इसलिए अधिक खपत से समाज के निर्धनतम घटकों के बीच सूक्ष्मपो-नक अन्तर्ग्रहण में सुधार होगा।

8. निम्नतम आय वर्ग के बीच उपभोग किए जाने वाले अनाजों की किस्म में बदलाव आया है। पीडीएस के माध्यम से गेहूं और चावल की उपलब्धता से समाज के निर्धनतम घटकों ने मुख्य अनाजों के रूप में गेहूं और चावल को अपना लिया है। निम्नतम आय वर्ग द्वारा अब बाजरे, रागी जैसे मोटे अनाज का, जो सूक्ष्म पो-नक और खनिज से भरपूर होता है, पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा है (चित्र 5)। दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि स्थानीय रूप से उत्पादित और खरीदा गया मोटा अनाज



चित्र सं.6 से पता चलता है कि 1972-2001 के बीच निम्नतम आय वर्ग में कुल खर्च की दृष्टि से दालों पर खर्च के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मध्यम और उच्च आय वर्ग में दालों पर खर्च अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहा है। दालों पर अधिक खर्च के बावजूद सभी आय वर्गों में दालों की पारिवारिक “खपत” में कमी हुई है (चित्र 7)। एनएनएमबी सर्वेक्षण से डाटा से यह भी पता चलता है कि दाल खपत में, जो आरडीआई से काफी कमी रही है, पिछले वर्गों के दौरान और कमी आई है (चित्र 8 और तालिका 1)। निम्नतम आय वर्ग में इसका कारण पिछले वर्गों के दौरान दालों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होना कहा जा सकता है। निम्नतम आय वर्ग में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। इस समूह में पर्याप्त प्रोटीन अन्तर्ग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विभिन्न किस्मों की दालों की खेती बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे निवेश करना आवश्यक है जिन्हें संभवतः पीडीएस के माध्यम से समाज के निर्धनतम घटकों को वहनीय लागत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। मध्यम और ऊपरी आय समूहों में पिछले वर्गों के दौरान दूध और पशु उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है (चित्र 9) और इसलिए प्रोटीन अन्तर्ग्रहण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

आहार विविधीकरण

9. आय में वृद्धि के साथ-साथ दूध और पशु उत्पादों की खपत में वृद्धि होती है। उच्च आय वर्ग में ये आहार में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं (चित्र 9)। पो-कों में औसत दैनिक अन्तर्ग्रहण में समय-प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में एनएनएमबी से डाटा से पता चलता है कि विगत तीन दशकों के दौरान प्रोटीन अन्तर्ग्रहण में थोड़ी वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण आहार विविधीकरण और दूध, दुग्ध उत्पादों और पशु प्रोटीनों की बढ़ती मात्रा है। कुल वसा खपत में वृद्धि हुई है (तालिका 2)।


तालिका-2
पो-कों के औसत अन्तर्ग्रहण में समय प्रवृत्तियां

पो-क	प्रौढ़ पुरु-न		प्रौढ़ महिलाएं (एनपीएनएल)		गर्भवती महिलाएं		दुग्धपान कराने वाली महिलाएं	
	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97
प्रोटीन (ग्राम)	55.70	60.10	45.40	49.90	40.80	47.20	47.60	56.50
वसा (ग्राम)	20.30	27.40	17.10	24.50	18.80	21.50	18.30	24.60
ऊर्जा (कैलोरी)	2065.00	2418.00	1698.00	1983.00	1597.00	1994.00	1797.00	2243.00
कैल्शियम (मि.ग्रा.)	98.00	421.00	330.00	382.00	390.00	339.00	358.00	373.00
लौह (मि.ग्रा.)	26.00	27.00	21.00	22.00	20.00	23.00	23.00	23.00
विटामिन ए (मि.ग्रा.)	142.00	172.00	118.00	148.00	160.00	142.00	133.00	162.00
थिआमिन (मि.ग्रा.)	1.30	1.10	1.00	0.90	1.00	0.90	1.10	1.10
रिबो (मि.ग्रा.)	0.80	1.00	0.70	0.80	0.60	0.80	0.70	0.90
नायसिन (मि.ग्रा.)	13.00	14.00	11.00	12.00	10.00	11.00	12.00	14.00
विटामिन सी (मि.ग्रा.)	28.00	36.00	24.00	32.00	21.00	28.00	23.00	29.00


एन पी एन एल: गर्भवती-भिन्न दुग्धपान न कराने वाली
स्रोत: एन एन एम बी 2000

सब्जियों की खपत

10. लोगों की सूक्ष्म पो-नक स्थिति सुधारने के लिए सब्जियों की खपत में वृद्धि और आहार विविधीकरण एकमात्र संधारणीय पद्धति है। सब्जियों की कम खपत के लिए एक प्रमुख कारक सब्जियों की अनुपलब्धता है; विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय लागत पर पूरे वर्न भर हरी पत्तेदार सब्जियां। अन्य खाद्यान्नों, प्रमुख रूप से सब्जियों पर खर्च में बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है (1972 में 24.6 प्रतिशत से





1999-2000 में 29.1 प्रतिशत) (चित्र 10)। एनएनएमबी से डाटा से यह भी पता चलता है कि विगत तीन दशकों के दौरान सब्जी और सूक्ष्मपो-नक अन्तर्ग्रहण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है (तालिका 2)




(विटामिन ए, लौह और फोलिक एसिड)। खाद्यान्नों पर खर्च के समग्र अनुपात में विगत तीन दशकों में काफी कमी आई है (1972 में 70.6 प्रतिशत से 1999-2000 में 55.3 प्रतिशत) (चित्र 10)। इसी अवधि के दौरान पेय पदार्थों पर खर्च 2.4 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत लगभग दुगना हो गया है। दसवीं योजना में, आहार विविधीकरण के जरिए वृहत, सूक्ष्म, और फाइटोपो-नों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिमान बदलाव खाद्य सुरक्षा से पो-नण सुरक्षा की परिकल्पना की गई है। सब्जी खपत में संधारणीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अधिक सब्जी खपत की जरूरत के बारे में उपलब्धता,

वहनीयता, सुलभता और जानकारी में सुधार करना महत्वपूर्ण है। घर में तथा परती भूमि क्षेत्रों में कम लागत वाली सब्जियों की खेती पर बल देने से ग्रामीण गरीबों की सब्जी जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। बागवानी उत्पाद प्रति हेक्टेयर उच्च पैदावार प्रदान करते हैं और छोटे किसानों के लिए एक आर्थिक रूप से सक्षम विकल्प उपलब्ध कराते हैं, विशेष रूप से उपयुक्त भण्डारण, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने पर। यदि ऐसा जारी रहे तो इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्न के दौरान वहनीय लागत पर सब्जियों की उपलब्धता में भी सुधार होगा। फिलहाल खाद्यान्नों पर खर्च में थोड़ी सी वृद्धि से लोगों की पो-नाहार जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी हुई सब्जी खपत सुनिश्चित हो सकेगी।


खपत में शहरी-ग्रामीण और समाजार्थिक अन्तर



11. एनएसएसओ 55वें चक्र (1999-2000) से डाटा से पता चला कि ग्रामीण लोगों की तुलना में शहरी लोगों ने अनाज की कम खपत की (चित्र 11)। ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि के साथ-साथ खपत हुई अनाज की मात्रा में वृद्धि हुई। परिवार के सदस्यों द्वारा अधिक खपत के अतिरिक्त संभव है कि उच्च “खपत”, ग्रामीण उच्च आय समूह परिवारों में घर में तैयार भोजन में अतिथियों और सेवकों की भागीदारी के कारण हुई हो। शहरी क्षेत्रों में आय वर्गों के बीच अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में अन्तर कम था (निम्नतम आय वर्ग में 8.9 किलो ग्राम और उच्चतम आय वर्ग में 9.7 किलो ग्राम)। इसके विपरीत, दाल की खपत शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी (चित्र 12)। शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में आय वर्गों के बीच दालों की खपत में लगभग तीन गुना अन्तर था।





12. आय बढ़ने के साथ-साथ सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खपत में वृद्धि होती है। सर्करा, तेल, दूध और पशु उत्पादों के सम्बन्ध



में यह विशेष रूप से सही है। एनएनएमबी से डाटा से पता चलता है कि उच्चतम आय वर्ग में ऊर्जा खपत निम्न आय वर्ग की तुलना में अधिक है (चित्र 13)। इन आय वर्गों में निम्न ऊर्जा व्यय के साथ-साथ अधिक ऊर्जा खपत का कारण अतिभार और मोटापे में, विशेष रूप से समाज के समृद्ध घटक में देखी गई वृद्धि है (चित्र 14)।

अन्तर-राज्य भिन्नताएं

13. एनएसएसओ खाद्यान्नों के सम्बन्ध में राज्यवार खपत व्यय के बारे में डाटा उपलब्ध कराता है। खाद्यान्नों की लागत को ध्यान में रखते हुए परिवारों द्वारा वास्तव में खपत किए गए खाद्यान्न का हिसाब लगाया जाता है। एनएनएमबी दस राज्यों में लोगों के आहार अन्तर्ग्रहण और पो-नाहार स्थिति में समय-प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में डाटा एकत्र करता है। एनएफएचएस I तथा II द्वारा स्कूल-पूर्व बच्चों और महिलाओं में अल्पपो-नण के राज्य-वार अनुमान प्राप्त हुए हैं। पन्द्रह प्रमुख राज्यों के सम्बन्ध में 1990 के दशक से सम्बन्धित इन तीन स्रोतों से डाटा चित्र 15 और 16 में दर्शाए गए हैं। प्रौढ़ों में अनाज, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। विभिन्न राज्यों में एनएसएसओ द्वारा यथा अनुमानित अनाज खपत और साथ ही महिलाओं में अल्पपो-नण सम्बन्धी डाटा चित्र 15 में दर्शाए गए हैं। एनएनएमबी और खाद्य तथा पो-नाहार बोर्ड द्वारा 15 प्रमुख राज्यों में किए गए आहार सर्वेक्षणों द्वारा यथा मूल्यांकित ऊर्जा खपत तथा 0-3 आयु वर्ग के बच्चों में अल्पपो-नण (एनएफएचएस II द्वारा) चित्र 16 में दर्शाया गया है। यह स्प-ट है कि निम्न अनाज खपत और अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा खपत वाले केरल जैसे राज्य में अल्पपो-नण दरें बहुत निम्न हैं।



मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में अनाज की खपत तथा ऊर्जा अन्तर्ग्रहण ऊंचा है। इसके बावजूद, इन राज्यों में महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में अल्पपो-नण दर भी ऊंची है। इसका कारण संभवतः असंतो-जनक शिशु खाद्य प्रथाएं, असंतो-जनक आन्तर-परिवार खाद्य

वितरण और रुग्णता की बार-बार घटनाएं हैं, जिनका तुरन्त और कारगर इलाज नहीं किया जाता।

14. पो-नण शिक्षा पर बल देने, सभी भेद्य समूहों की जांच-पड़ताल, अल्प पो-नित व्यक्तियों की पहचान करने और इन व्यक्तियों को एकीकृत स्वास्थ्य और पो-नाहार प्रदान करने की जरूरत है। ग्राम, ब्लाक और जिला स्तरों पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पो-नण के क्षेत्र में विद्यमान सेवा प्रदाताओं के कार्यकलापों के अभिसरण के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एएनएम और एडब्ल्युडब्ल्यु के कार्यकलापों के तालमेल के माध्यम से ग्राम स्तर पर परिवार कल्याण और आईसीडीएस सेवाओं के अभिसरण को सुधारने की सुझाई गई प्रक्रियाएं निम्नांकित हैं:

15. एडब्ल्युडब्ल्यु निम्नलिखित करेंगे:

- घर पर प्रसव होने पर प्रसव के बाद यथाशीघ्र नवजात का वजन करना और 2.2 किलो ग्राम से कम वजन वाले नवजात बच्चों को उन केन्द्रों पर भेजना जहां शिशु विशेषज्ञ उपलब्ध हों;
- बच्चों का प्रत्येक तीन माह में एक बार वजन करके अल्प-पो-नित स्कूल-पूर्व बच्चों का पता लगाना जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि साधारण और गम्भीर अल्पपो-नण वाले बच्चों को (-2 एसडी और 3 एसडी) आईसीडीएस के अन्तर्गत खाद्य पूरक कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले;
- सभी गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का वजन करना, 40 किलो ग्राम से कम वजन वाली महिलाओं का पता लगाना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरक उपलब्ध कराना;
- लौह और फोलिक एसिड गोणियों, ओआरएस, गर्भनिरोधकों और उपभोज्य प्रसूति किटों के सम्बन्ध में डिपोधारक के रूप में काम करना और गर्भवती महिलाओं में लौह फोलेट औ-धि की सतत खपत में सुधार करना;
- पीआरआई और कृनि विस्तार कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल से हरी पत्तेदार सब्जियों, जड़ी-बूटियों और मसालों की पर्याप्त मात्रा में खेती को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि खाद्य पूरकों के सूक्ष्म-पो-नण तत्वों में सुधार हेतु उनकी नियमित रूप से आंगनवाडियों में आपूर्ति हो।

16. एएनएम निम्नलिखित करेंगी:

- सभी शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समयानुसार प्रतिरक्षण;
- स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बच्चों की, विशेष रूप से अल्प-पो-नित बच्चों की जांच-पड़ताल करेंगी और उनमें समस्याओं का प्रबंधन/ रेफर करेंगी;
- सभी गर्भवती महिलाओं की जांच-जोखिम वाली महिलाओं का पता लगाएंगी (अल्पपो-नित, रक्ताल्पता, पीआईएच वाली) समस्याग्रस्त/ जटिलताओं वाली महिलाओं को पीएचसी/ एफआरयू को रेफर करेगी।

17. एडब्ल्युडब्ल्यु निम्नलिखित में एएनएम की मदद करेंगे:

- सभी जन्मों और मृत्यु की रिपोर्ट और गर्भवती महिलाओं की पहचान;
- आंगनवाड़ी महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य चैक-अप और में प्रतिरक्षण आयोजित करना;
- आपात रेफरल आयोजित करना; उसे एक सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें उस निकटवर्ती सुविधा का उल्लेख होगा जहां महिलाओं और बच्चों को रेफर किया जा सकेगा;

- अप्रैल में (ग्री-म-पूर्व) और अक्टूबर में (शरद-पूर्व) 18-36 मास के बीच की आयु (18 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने - विटामिन ए की खुराक) के बच्चों को एएनएम के पर्यवेक्षण में विटामिन ए की पूर्ण खुराक पिलाना;
- स्वास्थ्य और पो-ण शिक्षा - मुख्य संदेश उपलब्ध कराना, जिसमें बच्चों को व्यापक स्तनपान, पहले छः मास तक मात्र स्तनपान, छः महीने पूरे होने पर पूरक खाद्य की शुरुआत, खाद्य के उपयुक्त आन्तर-पारिवारिक वितरण को प्रोत्साहन और हरी पत्तेदार सब्जियों की अधिक खपत।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

18. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), जो विश्व में सभी खाद्य पूरक कार्यक्रमों का शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम है, 1975 में शुरू किया गया था। आईसीडीएस के पो-ण घटक का उद्देश्य पूरक खाद्य उपलब्ध कराकर तथा राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ तालमेल बिठाकर, 0-6 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य और पो-ण स्थिति सुधारना है ताकि अपेक्षित स्वास्थ्य इन्पुटों की सुलभता सुनिश्चित हो सके। 1975 में शुरू होकर आईसीडीएस के अन्तर्गत आजकल 5652 ब्लॉक कवर हैं। 5652 मंजूरशुदा परियोजनाओं में से 4761 कार्यान्वित हो रही हैं; 582194 आंगनवाड़ियां कार्यरत हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने बताया है कि स्कीम के अन्तर्गत 33.2 मिलियन बच्चों और 6.0 मिलियन गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को खाद्य पूरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खाद्य पूरक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर उतरोत्तर वृद्धि हो रही है। सन् 2000 में विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा आईसीडीएस कार्यक्रम की एक विस्तृत समीक्षा से पता चला कि:

- आईसीडीएस सेवाओं की बड़ी मांग है किन्तु सुलभता, कोटि और समन्वय की समस्याएं हैं;
- संभवतः कार्यक्रम से परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा में सुधार हो रहा हो किन्तु इससे अल्पपोषित बच्चों/ माताओं की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन के मुद्दे का समाधान नहीं होता;
- 6-24 मास आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाएं आंगनवाड़ी में नहीं आतीं और उन्हें खाद्य पूरक प्राप्त नहीं होते;
- उपलब्ध खाद्य का लाभ अधिकांशतः 3-5 वर्ष की आयु के बच्चे उठाते हैं, चाहे उनकी पो-ण स्थिति कैसी भी हो;
- गम्भीर रूप से अल्प-पोषित बच्चों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता;
- 6-24 मास के बच्चों के लिए घर ले जाने के लिए तैयार मिश्रण उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, जिसे दिन में 3-4 बार दिया जा सके;
- पो-नाहार शिक्षा में इन बच्चों की जरूरत को पारिवारिक डाली से पूरा करने पर बल नहीं दिया जाता;
- माता की बाल देख-रेख शिक्षा असंतो-जनक अथवा विद्यमान नहीं होती; और
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण और जानकारी, कार्यक्रम के पर्यवेक्षण में खामियां थीं तथा कार्यक्रम के लिए सामुदायिक समर्थन व अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय असंतो-जनक था।

19. आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवस्था है कि सभी बच्चों का वज़न किया जाए और सामान्यतः पोषित की तुलना में आयु के अनुसार वज़न के आधार पर तथा अल्प-पो-ण के ग्रेड I से IV के अनुसार वर्गीकरण किया जाए। आईसीडीएस और पीएमजीवाई के पो-ण घटक के अन्तर्गत रिपोर्ट किए गए डाटा से पता चलता है कि केवल 20 प्रतिशत से कम बच्चों का वज़न किया जाता है

(संलग्नक 6.2.1)। विभिन्न ग्रेडों के अल्प-पो-ण वाले बच्चों का पता लगाने के लिए 0-6 वर्- के बच्चों का वर्- में कम से कम चार बार व्यापक रूप से वज़न करने का दसवीं योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते इसमें पर्याप्त रूप से सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि वे लक्षित स्वास्थ्य और पो-नाहार उपायों से लाभान्वित हो सकें।

20. आईसीडीएस में अल्प-पो-ण की विद्यमानता के सम्बन्ध में रिपोर्ट किए गए डाटा की, रा-ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में अल्प-पो-ण की रिपोर्ट की गई विद्यमानता के साथ तुलना की गई। यह स्प-ट है कि आईसीडीएस की रिपोर्ट की गई अल्प-पो-ण दरें काफी कम थीं। आईसीडीएस रिपोर्टिंग से अल्प-पो-ण की विद्यमानता के सम्बन्ध में डाटा की व्याख्या करने में एक बड़ी समस्या यह है कि बच्चों की अनुमानित संख्या के 20 प्रतिशत से भी कम का वज़न किया जाता है; वह स्व-चयनित समूह हो सकता है और जिस समुदाय में वे रहते हैं, उसके प्रतिनिधिक नहीं भी हो सकते।

21. एनएफएचएस के अन्तर्गत केवल 0-3 वर्- आयु वर्ग के बच्चों का वज़न करने की रिपोर्ट की गई है किन्तु आईसीडीएस की रिपोर्टों में 0-6 वर्- के आयु वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में डाटा दिया गया है। ऐसे ही आयु समूहों से डाटा की तुलना करने के उद्देश्य से, 6-36 मास आयु वर्ग के बारे में पीएमजीवाई पो-नाहार घटक के अन्तर्गत राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए डाटा की एनएफएचएस के अन्तर्गत रिपोर्ट की गई अल्प-पो-ण दरों के साथ तुलना की गई (तालिका 3)। ऐसे राज्यों में भी, जहां 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वज़न किया गया था, आईसीडीएस और एनएफएचएस के बीच अल्प-पो-ण के पर्याप्त अन्तर की रिपोर्ट की गई है।

22. केबीके जिलों के लिए दीर्घावधि कार्रवाई योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा ने रिपोर्ट की है कि पीएमजीवाई स्कीम के अन्तर्गत पात्र आयु वर्ग में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वज़न किया गया था। केबीके जिलों में, जो उड़ीसा में सर्वाधिक पो-णात्मक भेद्य जिले हैं, रिपोर्ट की गई अल्प-पो-ण दरें भी, उड़ीसा के सम्बन्ध में एनएफएचएस द्वारा रिपोर्ट की गई अल्प-पो-ण दरों से काफी कम हैं (तालिका 4)।

तालिका 3: बच्चों की पो-ण स्थिति (पी एम जी वाई)

राज्य का नाम	लड़के 6-36 मास				लड़कियां 3-36 मास				गम्भीर रूप से कम वजन %		अवधि
	बच्चों की संख्या	वजन किए गए की सं.	किए गए वजन का %	ग्रेड III तथा IV का %	बच्चों की संख्या	वजन किए गए की सं.	किए गए वजन का %	ग्रेड III तथा IV का %	राज्य रिपोर्ट के अनुसार	एनएफएच एस-II के अनुसार	
उत्तर प्रदेश	1038045	840816	81	0.00	958195	756974	79	1.20	1.20	21.9	02-03 तिमाही II
तमिलनाडु	71356	68549	96	0.33	72619	73497	101	0.25	0.58	10.6	मार्च 03
छत्तीसगढ़	122615	82943	68	1.60	122314	83712	68	1.72	3.32	24.3	दिसम्बर 02
राजस्थान	1797000	328852	18	0.20	1637000	302776	18	0.21	0.41	20.8	02-03 तिमाही IV
हरियाणा	475751	423793	89	0.53	420202	369281	88	0.74	1.27	10.1	दिसम्बर 02
मेघालय	49983	34122	68	0.39	50105	34061	68	0.38	0.77	11.3	दिसम्बर 02
मिजोरम	33590	33590	100	2.10	46386	46386	100	1.90	4.00	5.0	02-03 तिमाही III
चण्डीगढ़	8842	8842	100	0.03	7955	7955	100	0.03	0.06		1/10/02 से 31/3/03
त्रिपुरा	47105	30905	66	1.00	46230	29103	63	1.00	2.00		01-02 तिमाही II
मध्य प्रदेश	1613000	995000	62	2.40	1562000	953000	61	2.60	5.00		02-03 तिमाही III

^: आयु वर्ग 6-72 मास है

*: लगभग 50 प्रतिशत बच्चे ग्रेड I अल्प पो-ण वाले थे

तालिका 4

नवम्बर 2002 में केबीके जिलों की पो-नाहार स्थिति रिपोर्ट

क्रम सं.	आयु	कुल बच्चे	वजन किए गए बच्चे	वजन किए गए का %	सामान्य का %	ग्रेड I का %	ग्रेड II का %	ग्रेड III और IV का %
1.	0-3 वर्ष	585349	555832	94.96	32.59	36.52	29.19	2.18
2.	0-3 वर्ष (एनएफएचएस)*	-	-	-	-	-	33.7	20.7
3.	3-6 वर्ष	449297	394618	87.83	33.32	38.07	27.33	0.66

स्रोत: वार्षिक योजना 2003-04, उड़ीसा सरकार *उड़ीसा के सम्बन्ध में


23. विभिन्न राज्यों में आईसीडीएस के अन्तर्गत रिपोर्ट किए गए अल्प-पो-ण के निम्न स्तरों से पता चलता है कि सामान्य और अल्प-पो-ण के रूप में बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए आईसीडीएस और एनएफएचएस में संभवतः विभिन्न मानदण्डों का प्रयोग किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इन भिन्नताओं का समाधान किया जाए। विशेष-ज्ञ समूह को उन एकसमान मानदण्डों के बारे में निर्णय करना होगा जिनका सभी एजेन्सियों द्वारा पो-नाहार स्थिति का मानीटरन करने के वास्ते उपयोग किया जाना चाहिए

तथा उनकी सिफारिशों को सभी एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किया जाए। क्षेत्रीय दौरो से यह बात भी प्रकाश में आई है कि बहुत से एडब्ल्युडब्ल्यु/ एएनएम, बच्चों की आयु और वास्तविक वजन सम्बन्धी डाटा को अल्प-पो-नण के विभिन्न ग्रेडों में परिवर्तित करने में समर्थ नहीं हैं। गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, यह जरूरी है कि उस आयु वर्ग में सभी बच्चों को बाल स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएं जिनमें रिकार्ड किया जाने वाला प्रतिमान आयु के हिसाब से वजन है, जिससे कि उनका पर्यवेक्षकों/ एएनएम/ पीएचसी डाक्टरों द्वारा समाधान किया जा सके तथा जो एडब्ल्युडब्ल्यु/ एएनएम अल्प-पो-नण के ग्रेड सही ढंग से रिकार्ड नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके ही केन्द्रों में तब तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जब तक कि वे डाटा का सही ढंग से रिकार्ड करना और व्याख्या करना न सीख लें। समुचित संवेदी तुलाओं का अभाव व सही वजन करने में समस्याएं अन्य कारक हैं जो अल्प-पो-नण में ग्रेडों का अनुमान लगाने और हस्तक्षेपणीय उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में त्रुटियों के लिए जिम्मेदार हैं। सभी एडब्ल्युसी/ पीएचसी से विभिन्न प्रकार के तुलाओं की उपलब्धता और उनकी कामकाजी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। समुचित कामकाजी तुलाओं की उपलब्धता में कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। इन सभी कारकों की जांच करना और समस्या का पता लगाना व उसे दूर करना महत्वपूर्ण है जिससे कि अल्प-पो-नित बच्चों का पता लगाने के लिए व्यापक जांच-पड़ताल, संकेन्द्रित स्वास्थ्य और गम्भीर रूप से अल्प-पो-नित बच्चों में पो-नाहार उपायों का दसवीं योजना लक्ष्य प्राप्त हो सके ताकि देश 2007 तक गम्भीर रूप से अल्प-पो-नण में 50 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य प्राप्त कर सके।


पीएमजीवाई पो-नाहार घटक

24. आईसीडीएस कार्यक्रम के भारत सरकार और विश्व बैंक मूल्यांकन की एक प्रमुख टिप्पणी यह है कि 6 से 36 मास के आयु वर्ग में बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं आते और खाद्य पूरकों से लाभान्वित नहीं होते। उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि 6 से 24 मास की आयु के बीच अल्प-पो-नण दरों में तेजी से वृद्धि हुई है जिसका कारण छः मास की आयु के बाद बच्चों के लिए अर्ध-टोस पूरकों की शुरुआत में देरी होना है। 6 से 36 मास के आयु वर्ग में बच्चों के लिए अर्ध-टोस पूरकों की

शुरुआत करने के वास्ते माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पो-नाहार घटक के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों द्वारा 6 से 36 मास की आयु के बीच बच्चों वाले परिवारों को घर ले जा सकने वाला अनाज, दाल और तिलहन मिश्रण प्रदान किया जाना है। उम्मीद की जाती है कि समुचित पो-नाहार शिक्षा के साथ-साथ खाद्य पूरकों से 6 से 36 मास के बच्चों को दिन में 3-4 बार पूरकों की समय पर शुरुआत करने में और अल्प-पो-नण रोकने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 2000-01 से चल रहा है। महिला और बाल विकास विभाग ने कार्यक्रम के पो-नाहार घटक को वर्न 2000-01 और 2001-02 में कार्यान्वित किया। 1 अप्रैल 2002 से योजना आयोग इस कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान कर रहा है। पो-नाहार घटक के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों में इस बात पर भी बल दिया गया कि सभी बच्चों का तीन मास में कम से कम एक बार वजन किया जाए जससे कि अल्प-पो-नितों का पता लगाया जा सके और गम्भीर अल्प-पो-नण वाले बच्चों के लिए उचित स्वास्थ्य और पो-नाहार उपाय किए जा सकें। एक बड़ी समस्या यह है कि अनेक राज्य आईसीडीएस के अन्तर्गत पूरक खाद्य हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। केन्द्र ने, आईसीडीएस



कार्यक्रम के लिए राज्यों के अपने परिव्यय की अतिरिक्तता के रूप में (1996-2000 से) बीएमएस के तहत और बाद में (2000-01 से) पीएमजीवाई के तहत एसीए प्रदान की (चित्र 17)। यह स्पष्ट है कि बीएमएस/पीएमजीवाई के लिए एसीए का उपयोग राज्यों द्वारा प्रदत्त निधियों की अतिरिक्तता की बजाए एवजी के रूप में अधिक किया। कुछ राज्यों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध घर ले जा सकने योग्य पूरकों की प्राप्ति में कठिनाइयों की रिपोर्ट की। कुछ राज्यों ने



अपेक्षाकृत मंहगा तत्काल खाने योग्य खाद्य अथवा दूध उपलब्ध कराया और न कि सस्ता अनाज, दालें और तिलहन मिश्रण, जैसा कि दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है। इन सभी समस्याओं के परिणामस्वरूप, पीएमजीवाई के अल्प-पो-नाहार घटक के लिए प्रदत्त अतिरिक्त निधियों के बावजूद, 6-36 मास आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में कोई खास सुधार नहीं हुआ है (चित्र 18)।

किशोर लड़कियों के लिए पो-नाहार कार्यक्रम

25. किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं तथा दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में अल्प-पो-नाहार की मात्रा में कमी लाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भा-नण, 2001 में घो-नणा की थी कि बीपीएल परिवारों से किशोर लड़कियों और गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। आईसीडीएस कार्यक्रम के खाद्य पूरक घटक के वित्तपो-नण की जिम्मेदारी राज्यों की है। प्रधान मंत्री द्वारा की गई घो-नणा पर अमल करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने खाद्यान्न, आईसीडीएस और प्रायोगिक परियोजना की प्रचालन लागत वहन करने के वास्ते राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की। प्रायोगिक परियोजना को प्रत्येक बड़े राज्य में दो पिछड़े जिलों और सर्वाधिक आबाद जिले में, छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी जिलों को छोड़कर, शुरू किया गया है। स्कीम में व्यवस्था है कि सभी किशोर लड़कियों (10-19 वर्ग), और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का वर्ग में चार बार वजन किया जाएगा। 35 किलो ग्राम से कम वजन वाली किशोर लड़कियों के परिवारों तथा 40 किलो ग्राम से कम वजन वाली गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को तीन मास तक 6 किलो ग्राम खाद्यान्न/ मास दिया जाएगा। एडब्ल्यूडब्ल्यू यह सुनिश्चित करने के लिए पो-नाहार शिक्षा प्रदान करेंगे कि इन अल्प-पो-नित व्यक्तियों को परिवार डाली से पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। कार्यक्रम को केन्द्र में तथा राज्यों में महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रायोगिक परियोजना का दो वर्ग के बाद मूल्यांकन किया जाना है और मूल्यांकन के आधार पर इसे जारी रखने के बारे में निर्णय किया जाएगा। वर्ग 2002-03 के दौरान योजना आयोग ने इस परियोजना के वास्ते राज्यों को एसीए के रूप में 103.33 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की। वित्त मंत्रालय ने ऋण अनुदान अनुपात के सम्बन्ध में

सामान्य केन्द्रीय सहायता की पद्धति का अनुसरण करते हुए एसीए के रूप में 53.95 करोड़ रुपए की पहली किस्त अक्टूबर 2002 के अन्तिम सप्ताह में जारी की। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जनवरी 2003 के अन्त तक खाद्यान्न जारी करने के आदेश जारी किए। इसलिए अधिकांश राज्य 2002-03 तक स्कीम को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं थे और केवल 2003-04 में स्कीम को कार्यान्वित करने की शुरुआत कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों ने इस प्रायोगिक परियोजना के प्रति बहुत ही सकारात्मक रुख दर्शाया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल जैसे राज्यों ने अल्प-पोषित व्यक्तियों का पता लगाने का काम पूरा कर लिया है और परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने पाया कि सूखा प्रभावित सरगूजा जिले में लगभग आधी गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाएं और लगभग 75 प्रतिशत किशोर लड़कियां अल्प-पोषित थीं (तालिका 5)।

तालिका 5

जिला सरगूजा, छत्तीसगढ़ की भौतिक प्रगति पर रिपोर्ट

	कुल संख्या	% वजन की गई	वजन की गई	अल्प-वजन वाली महिलाओं की संख्या	अल्प-वजन वाली महिलाओं का %
गर्भवती महिलाएं	22499	21502	95.57	10180	47.34
दुग्धपान कराने वाली महिलाएं	26424	25906	98.04	13503	52.12
किशोर 10-14	58401	57694	98.79	43672	75.70
किशोर 15-19	25029	24726	98.79	18716	75.69

26. इसे देखते हुए राज्य ने, केन्द्र द्वारा प्रदत्त आपूर्ति के अलावा इन अल्प-पोषित व्यक्तियों के परिवारों को अपनी निधियों में से 4 किलो ग्राम और खाद्यान्न प्रदान किया है। राज्य ने बताया है कि जिलों में अल्प-पोषण के बहुत ऊंचे अनुपात को देखते हुए उन्हें कार्यक्रम को पूरे वर्ग जारी रखने के वास्ते फिलहाल आबंटित मात्रा से काफी अधिक मात्रा की जरूरत होगी जिससे कि पो-नाहार स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हो सके।

27. योजना आयोग ने वर्ग 2002-03 में जारी अप्रयुक्त एसीए के सम्बन्ध में पुनर्विधीकरण जारी किया है जिससे कि राज्य, वर्ग 2003-04 के पहले कुछेक मास के लिए धन की जरूरत पर काबू पाने के लिए 2003-04 में पहले ही जारी किस्त का उपयोग कर सकें। वर्ग 2003-04 के लिए योजना आयोग ने राज्यों को 145.31 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है। निधियां 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान की जाएंगी। वर्ग 2003-04 के लिए आबंटित निधियों और खाद्यान्नों की राज्य-वार मात्रा संलग्नक 6.2.2 में दर्शाई गई है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की खुराक और पो-नाहार स्थिति

28. कृषि मंत्रालय और भारतीय भे-नज अनुसंधान परि-द के अनुरोध पर रा-ट्रीय पो-ण मानीटरन ब्यूरो ने निम्नलिखित सूखा प्रभावित जिलों में एक त्वरित सर्वेक्षण आयोजित किया:- आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, महबूबनगर और नलगौंडा; छत्तीसगढ़ में बस्तर और दुर्ग; गुजरात में दाहोत, जामनगर और कच्छ; कर्नाटक में गुलबर्ग और कोलार; महारा-ट्र में औरंगाबाद और गढ़चिरोली; मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और शहडोल; उड़ीसा में गंजाम और कालाहांडी; राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर तथा तमिलनाडु में करूर

और वेल्लोर । सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखितों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई: लोगों की सामाजिक-जनांकिकीय स्थिति, सूखा राहत कार्यक्रमों में भागीदारी, परिवार के मुखिया द्वारा यथा मूल्यांकित परिवार की खाद्य सुरक्षा स्थिति, रोजगार पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सृजित रोजगार अवसर और सूखे के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए परिवारों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियां, परिवार के सदस्यों द्वारा खाद्य और पो-नक तत्वों का अंतर्ग्रहण, पो-नाहार न्यूनता के नैदानिक लक्षण, अल्पपो-नण की विद्यमानता (ऐन्थ्रोपोमेट्रिक्स सूचक) और सर्वेक्षण से पूर्व पखवाड़े में गंभीर बीमारियों की विद्यमानता । यह सर्वेक्षण मई और जून, 2003 के महीनों के दौरान किया गया था और एकत्रित आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण कार्य फिलहाल चल रहा है । आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि सभी जिले सूखा प्रभावित हैं किंतु सूखे की गंभीरता और कृनि, पशुपालन, रोजगार, जल की उपलब्धता, खान-पान ग्रहण और पो-नाहार स्थिति में काफी भिन्नता थी । सूखा प्रभावित लोगों ने खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए टीपीडीएस का और सूखे की अवधि के दौरान रोजगार के संबंध में एसजीआरवाई का लाभ उठाया । उन्होंने खाद्य सुरक्षा में सुधार करने हेतु भिन्न-भिन्न मात्रा में वृद्धावस्था पेंशन, अन्नापूर्ण स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना का भी उपयोग किया । आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इन राहत उपायों से काफी सीमा तक लोगों के स्वास्थ्य और पो-नाहार स्थिति पर सूखे के घातक प्रभावों को रोकने में मदद मिली ।

पो-नाहार लक्ष्य

29. पहली बार, दसवीं योजना में पो-नाहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के मानीटरन-योग्य लक्ष्य और 2007 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रभाव संकेतकों का निर्धारण किया गया है। लोगों की, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की पो-नाहार स्थिति में विशाल अन्तर-राज्य भिन्नताओं को देखते हुए, वर्तमान पो-नाहार स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में विशि-ट लक्ष्य तय किए गए हैं और राज्य लक्ष्यों से रा-ट्रीय लक्ष्य तैयार किए गए हैं। क्योंकि दसवीं योजना तैयार करने के समय, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल के नवगठित राज्यों के सम्बन्ध में पो-नाहार स्थिति के बारे में डाटा उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इन राज्यों के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए थे। इन राज्यों के सम्बन्ध में 2002-03 एनएफएचएस रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं जिनमें वर्तमान पो-नाहार स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है और इसलिए इन राज्यों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं (संलग्नक 6.2.3)। तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उनकी वर्तमान पो-नाहार स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन राज्यों के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य वही हैं जो अविभाजित राज्यों के सम्बन्ध में तय किए गए थे।

परिव्यय और व्यय

30. राज्य योजना के अन्तर्गत पो-नाहार हेतु परिव्यय और व्यय में नौवीं योजना के दौरान बीएमएस/पीएमजीवाई परिव्यय शामिल हैं, दसवीं योजना और वर्ष 2002-03 के लिए परिव्यय संलग्नक 6.2.4 में दर्शाए गए हैं। बार-बार दोहराने के बावजूद कि पीएमजीवाई के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग अतिरिक्तता के रूप में किया जाना है और न कि पो-नाहार हेतु राज्यों के अपने परिव्ययों के एवजी के रूप में, बहुत से राज्य अभी भी पीएमजीवाई निधियों का उपयोग राज्यों में सभी पो-नाहार कार्यकलापों के वित्तपो-नण हेतु कर रहे हैं। पीएमजीवाई के पो-नाहार घटक के लिए परिव्यय संलग्नक 6.2.5 में दिया गया है। 3701.20 करोड़ रुपए के नौवीं योजना परिव्यय के विपरीत वार्षिक परिव्ययों की राशि (बीएमएस/पीएमजीवाई के लिए एसीए सहित) 3729.90 करोड़ रुपए थी। तथापि खर्च केवल 3230.90 करोड़ रुपए था। यद्यपि समग्र व्यय वार्षिक परिव्ययों की राशि का 87 प्रतिशत था, तथापि बिहार जैसे कुछ

राज्यों में उनकी गरीबी और अल्प-पोषण के साथ, व्यय परिव्यय के एक-तिहाई से भी कम था। बहुत से राज्यों में, जिनमें असम शामिल है, पोषण हेतु पूरा परिव्यय पीएमजीवाई के अन्तर्गत प्रदत्त एसीए था। तथापि, गुजरात जैसे राज्य में, व्यय परिव्यय से अधिक था, इसके अलावा राज्य ने खाद्य पूरक प्रदान करने के लिए योजना-भिन्न निधियां प्रदान की।

बच्चों की पो-माहार स्थिति (आई सी डी एस)

राज्य का नाम	0-6 वर्ष आयु वर्ग में आबादी	वजन किए गए कुल बच्चे	वजन किए गए बच्चों की प्रतिशतता	ग्रेड III और ग्रेड IV प्रतिशत	गम्भीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों (0-3 वर्ष) का प्रतिशत
	(जनगणना 2001)	(जिले-वार आईसीडीएस रिपोर्टें)		(एनएफएचएस-II)	
आन्ध्र प्रदेश	9673274	2063425	21.33	1.03	10.3
अरुणाचल प्रदेश	200055	44260	22.12	0.38	7.8
असम	4350248	2300	0.05	2.00	13.3
बिहार	21030727	559747	2.66	6.65	25.5
गोवा	142152	36266	25.51	0.31	4.7
गुजरात	6867958	2200203	32.04	1.13	16.2
हरियाणा	3259080	950999	29.18	0.18	10.1
हिमाचल प्रदेश	769424	196739	25.57	0.21	12.1
जम्मू तथा कश्मीर	1431182	60599	4.23	0.72	8.3
कर्नाटक	6826168	2075805	30.41	0.54	16.5
केरल	3653578	1157146	31.67	0.09	4.7
मध्य प्रदेश	14088097	2038903	14.47	1.40	24.3
महाराष्ट्र	13187087	4524719	34.31	0.58	17.6
मणिपुर	312691	19216	6.15	1.72	5.3
मेघालय	457442	63234	13.82	1.21	11.3
मिजोरम	141537	64074	45.27	0.62	5.0
नागालैंड	280172	91871	32.79	6.03	7.4
उड़ीसा	5180551	2899287	55.96	1.64	20.7
पंजाब	3055492	1705269	55.81	0.16	8.8
राजस्थान	10451103	626184	5.99	0.40	20.8
सिक्किम	77170	16287	21.11	0.17	4.2
तमिलनाडु	6817669	1147248	16.83	0.67	10.6
त्रिपुरा	427012	63777	14.94	1.11	
उत्तर प्रदेश	31791435	1346423	4.24	3.16	21.9
पश्चिम बंगाल	11132824	1793396	16.11	1.62	16.3
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	44674	15813	35.40	1.58	
चण्डीगढ़	109293	18529	16.95	0.02	
दिल्ली	1924000	274709	14.28	0.16	
दादरा एवं नगर हवेली	39173	0	-	-	
दमन और दीव	20012	5946	29.71	0.00	
लक्षद्वीप	8860	3897	43.98	0.00	
पांडिचेरी	113010	38858	34.38	0.02	

स्रोत: महिला एवं बाल कल्याण विभाग

6.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पिछले वर्षों में सामान्य मानसूनों और साथ ही चावल तथा गेहूं के उत्पादन पर अपेक्षाकृत ऊंचा प्रतिफल सुनिश्चित करने की नीति के कारण, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास निर्धारित बफर स्टॉक मानदण्डों से कहीं अधिक खाद्यान्नों का अधिशेष हो गया है। देश के सामने आज समस्या खाद्यान्नों की कमी की नहीं है बल्कि इकट्ठे हुए अधिशेष के प्रबंधन के लिए साधन और उपाय खोजने की है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश में उत्पादित खाद्यान्नों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंदों को हस्तान्तरित करने को सुकर बनाती है। बढ़ती खाद्य सप्लाय और खाद्य भण्डारों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के किफायतीपन की लागत के बारे में अनेक सन्देह उत्पन्न हो गए हैं, जिनकी वजह से वर्तमान प्रणाली पर फिर से शौर करने की आवश्यकता है।

2. हमारे देश में हमने सतत भूख की समस्या पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है ; किन्तु, गरीबी और अल्प-पोषण की समस्या अब भी हमको घेरे हुए है। पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा का मुद्दा चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के दो आयाम हैं। एक, गरीबों की अपर्याप्त क्रय शक्ति से सम्बन्धित है तथा दूसरा वास्तविक उपलब्धता की दृष्टि से खाद्यान्न की सुलभता का है। दूरवर्ती, दुर्गम और पिछड़े इलाकों में, रोजगार के अवसरों तथा खाद्य की सुलभता - दोनों की तंगी है। ऐसी स्थिति में काम के लिए अनाज और सम्बद्ध स्कीमों में आवश्यक हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। अन्न बैंक जैसी और अधिक नूतन स्कीमों द्वारा इनकी अनुपूर्ति की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक अन्न बैंक स्थापित किए जा सकते हैं जहां से जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के समय अन्न उधार ले सकते हैं और बाद में आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर अनाज लौटा सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भूकम्प और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी ऐसी स्थितियां पैदा कर देती हैं जिनके अन्तर्गत सरकार को आपातक सहायता प्रदान करनी चाहिए और प्रशासन को खाद्यान्न की मांग के प्रति सावधान रहना होगा। अन्ततः उन लोगों को, जो वृद्ध, बीमार अथवा अपंग हैं और काम मिलने पर भी काम नहीं कर सकते, और उन लोगों को भी जिन्हें विशेष रूप से असंतोषजनक कृषि मौसम में काम नहीं मिल पाता, न्यूनतम मात्रा में खाद्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

एमएसपी और खाद्य क्रय नीति

3. 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार, सरकारी एजेन्सियों के पास 32.80 मिलियन टन खाद्यान्न का स्टॉक उपलब्ध था, जिसमें से 17.16 मिलियन टन चावल और 15.65 मिलियन टन गेहूं था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान में 2002-03 के दौरान काफी सुधार हुआ है। अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक टीपीडीएस के अन्तर्गत चावल का उठान (विक्रय) 10.03 मिलियन टन और गेहूं का उठान (विक्रय) 9.06 मिलियन टन था जबकि 2001-02 की तदनुसूची अवधि के दौरान यह मात्रा गेहूं के सम्बन्ध में 5.68 मिलियन टन तथा चावल के सम्बन्ध में 8.16 मिलियन टन थी। फिर भी खाद्यान्न के स्टॉक का स्तर अभी भी सरकार द्वारा निर्धारित बफर स्टॉक मानदण्डों के कहीं अधिक है। इस प्रकार, खाद्य के मोर्चे पर आज की समस्या सुरक्षा की नहीं, अपितु अधिशेष के प्रबंधन की है।

4. अनाजों की बदलती मांग पद्धति, जिसके तहत आज लोग अनाजों की तुलना में अधिक फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों की खपत करना पसंद करते हैं, एक कारक हो सकती है जिसकी वजह से हमारे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अधिशेष खाद्यान्न भण्डार जमा हो गए हैं। किन्तु, यह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण जिसकी वजह से अधिक भण्डारों का सृजन हुआ है, वह है कि हाल ही के

वर्षों में उतरोत्तर (केन्द्रीय) सरकारों द्वारा धान और गेहूं की न्यूनतम समर्थन कीमतों को उस स्तर से अधिक निर्धारित करने की प्रवृत्ति रही है जो कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। यद्यपि, इससे किसानों को और अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तथापि इससे बफर स्टॉक मानदण्डों से अधिक खरीद की समस्या उत्पन्न हो गई है। 'राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद' में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 'कृषि लागत और कीमत आयोग' (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित स्तरों से अधिक क्रय कीमत निर्धारित करने के परिणामस्वरूप लगभग 12.8 मिलियन टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा और लगभग 3.4 मिलियन टन चावल की अधिक मात्रा की खरीद की गई। इस दृष्टि से, अनाजों के सम्बन्ध में खरीद कीमतें तय करते समय सीएसीपी की सिफारिशों का पालन किए जाने की जरूरत है। अधिक यथार्थवादी "न्यूनतम" समर्थन कीमत नीति से फसल पद्धतियों के विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

5. विगत साढ़े तीन दशक के दौरान एमएसपी स्कीम से देश को काफी लाभ मिला। तथापि, हाल ही के वर्षों में, इसमें कतिपय समस्याएं सामने आने लगी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि उत्पादन के परिदृश्य में विगत कुछेक वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अनेक राज्यों में बहुत सी कृषि वस्तुओं के अधिशेष दिखने लगे हैं और आने वाले वर्षों में भी यही प्रवृत्ति बने रहने की संभावना है। बिहार, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पहले कमी रहती थी, जैसे राज्यों ने कतिपय अनाजों का अधिशेष कायम करना शुरू कर दिया है तथा तार्किक दृष्टि से 'भा.खा.नि.' को इन राज्यों से भी खरीद करनी चाहिए।

6. अन्य फसलों के 'एमएसपी' की तुलना में गेहूं और चावल के लिए 'एमएसपी' से हरित क्रान्ति से उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने में मदद मिली और दालों व मोटे अनाज की औसत उत्पादकता की तुलना में गेहूं और चावल की औसत उत्पादकता कहीं अधिक हो गई। इसलिए इन फसलों के सम्बन्ध में एमएसपी की अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों से इन फसलों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई और किसानों को अपनी जमीन का उपयोग मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की बजाय इन अनाजों की फसलों की खेती करने को प्रोत्साहन मिला, जैसाकि पंजाब में हुआ है। इससे खाद्यानों (चावल और गेहूं) के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। किन्तु, बदलते संदर्भ में, इस नीति पर पुनर्विचार किए जाने की सख्त जरूरत है। दालों और तिलहन पैदा करने को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे तिलहनों और दालों की एमएसपी में वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है जिससे कि इन फसलों को किसान के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

7. यद्यपि 'टीपीडीएस' के तहत उठान (विक्रय) में 2002-03 के दौरान सुधार हुआ है, तथापि केन्द्रीय सरकार के खाद्य सब्सिडी बिल में भी वृद्धि हुई है। खाद्य सब्सिडी का स्तर, जो 2001-02 में 17,612 करोड़ रुपए और 2002-03 में 24,200 करोड़ रुपए था, वर्ष 2003-04 में, बजट अनुमानों के अनुसार, 27,800 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की उम्मीद है। केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में खाद्य सब्सिडी, जो 2001-02 में 4.86 प्रतिशत और 2002-03 में 5.99 प्रतिशत थी, 2003-04 में 6.34 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

8. अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अन्तर्गत, गरीब परिवारों के निर्धनतम परिवारों को 2.00 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3.00 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल अत्यंत सब्सिडीकृत (सरस्ते) दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 'एएवाई' के कवरेज को मौजूदा एक करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 1.5 करोड़ परिवार करने का निर्णय लिया गया है।

योजनागत स्कीमें

9. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का वार्षिक योजना परिव्यय वर्ष 2002-03 में 144.23 करोड़ रुपए विनिश्चित किया गया था जिसके लिए सकल बजटीय सहायता 44.23 करोड़ रुपए तय की गई थी। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, यद्यपि विभाग का कुल परिव्यय 138.23 करोड़ रुपए विनिश्चित किया गया था, तथापि सकल बजटीय सहायता को 44.23 करोड़ रुपए के स्तर पर बनाए रखा गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्कीम-वार परिव्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक में दिया गया है। विभाग की स्कीमों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है।

1. भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण गोदामों का निर्माण

10. इस स्कीम की परिकल्पना पांचवीं पंच वर्षीय योजना में, खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए भण्डार क्षमता में वृद्धि करने और उनका निर्माण करने के लिए की गई थी। स्कीम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा निधियां भारतीय खाद्य निगम को 'इक्विटी' के रूप में जारी की जाती हैं। दसवीं पंच वर्षीय योजना में 6.42 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता एवं रेलवे साइडिंग के निर्माण करने के वास्ते 185.46 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए, 1.32 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 33.47 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। वित्त वर्ष के अन्त में 'भा.खा.नि.' ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2500 मैट्रिक टन क्षमता और अन्य क्षेत्रों में 91.97 हजार मैट्रिक टन क्षमता का सृजन किया था तथा 31.03 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, देश भर में 1.35 लाख मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के निर्माण के वास्ते 27.83 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

2. भा.खा.नि. में खाद्यान्नों के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली

11. इस स्कीम को, आवश्यक 'ईएफसी' स्वीकृति मिलने के बाद वर्ष 2003-04 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है। स्कीम को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण के दौरान, 'भा.खा.नि.' के मुख्यालय को ज़ोनल कार्यालयों (5), क्षेत्रीय कार्यालयों (22), जिला कार्यालयों (167) और डिपो कार्यालयों (134) के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण के दौरान 673 डिपो कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और तीसरे चरण में 864 डिपो कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 110.93 करोड़ रुपए होगी। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 12.00 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इस स्कीम को कार्यान्वित किए जाने से भा.खा.नि. के कामकाज में, विशेष रूप से शीघ्र निर्णय लेने, भण्डारों के सुधरे प्रबंधन, खाद्यान्नों की सुचारु दुलाई, जल्द सूचना एकत्रण और मौनीटरन पद्धतियों व और अधिक पारदर्शिता के मामले में पर्याप्त सुधार होगा।

3. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मौनीटरन

12. इस स्कीम का उद्देश्य, 'पीडीएस' के कार्यकरण और कार्यान्वयन में लगे कार्मिकों की दक्षताओं को सुदृढ़ व उन्नत करना है। अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के वास्ते प्रशिक्षणार्थ सहायता-अनुदान के रूप में 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, स्कीम के अन्तर्गत 1.15 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। इसमें से 0.35 करोड़ रुपए की राशि वार्षिक योजना 2002-03 के लिए स्वीकृत की गई जिसमें से 0.28 करोड़ रुपए की राशि वर्ष के दौरान खर्च की गई। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 0.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

4. वी.वी.ओ एंड एफ निदेशालय की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और आर एण्ड डी

13. 'आर एण्ड डी' स्कीम का मुख्य उद्देश्य वनस्पति तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों का विनिर्माण करना है। प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की स्कीम का उद्देश्य वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा (वी.वी.ओ. एण्ड एफ.) निदेशालय की प्रयोगशाला को तेलों और वसा के परीक्षण के लिए आधुनिक उपस्कर लगाकर उसे सज्जित करना है। दसवीं पंच व-र्नीय योजना में 1.25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसमें से वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 0.25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। मार्च 2003 के अन्त तक इस स्कीम के तहत 0.15 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 0.25 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है, जिसका उपयोग वी.वी.ओ. एण्ड एफ. के क्षेत्र में नई 'आर एण्ड डी' परियोजनाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा।

5. रा-ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

14. 'रा-ट्रीय शर्करा संस्थान', कानपुर और 'तकनीकी अध्ययन कन्सलटेन्सीज' नामक दो स्कीमों को इस स्कीम के अन्तर्गत मिला दिया गया है। दसवीं पंच व-र्नीय योजना के लिए 8.95 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें से 2.04 करोड़ रुपए की राशि वार्षिक योजना 2002-03 के लिए विनिश्चित की गई थी तथा 0.48 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। वार्षिक योजना 2003-04 में 2.05 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

6. पीडीएस में खाद्य क्रेडिट कार्ड लागू करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजना

15. यह स्कीम 13.20 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ दसवीं पंच व-र्नीय योजना में शुरू की गई थी जिसमें से 4.40 करोड़ रुपए की राशि वार्षिक योजना 2002-03 के लिए मंजूर की गई। संशोधित अनुमान तैयार करते समय इसे घटाकर 2.69 करोड़ रुपए कर दिया गया है और केवल 0.98 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा सका। अब स्कीम को चुनिन्दा जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करके चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। साफ्टवेयर विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के वास्ते एनआईसी नोडल एजेन्सी होगी। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, प्रायोगिक परियोजना को पूरा करने के वास्ते 1.50 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

7. केन्द्रीय भांडागारण निगम (आई.ई.बी.आर. स्कीम)

16. विभाग की 'आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधन' (आई.ई.बी.आर.) स्कीम को केन्द्रीय भांडागारण निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रचालित किया जाता है। दसवीं पंच व-र्नीय योजना के लिए 485.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस अवधि के दौरान 'सीडब्ल्यूसी' का प्रस्ताव देश में 15.00 लाख एमटी भण्डार क्षमता निर्मित करने का है। वार्षिक योजना 2002-03 में, देश में 3.25 लाख मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता निर्मित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था (96.50 करोड़ रुपए गोदामों के निर्माण के लिए और 3.50 करोड़ रुपए राज्य भांडागारण निगमों की शेयर पूंजी हेतु अंशदान के वास्ते)। 'सीडब्ल्यूसी' ने इस अवधि के दौरान 3.59 लाख एमटी क्षमता का सृजन किया और 90.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है जिसमें से 92 करोड़ रुपए 3.12 लाख एमटी भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए हैं तथा 2.00 करोड़ रुपए 'एसडब्ल्यूसी' की शेयर पूंजी हेतु अंशदान करने के वास्ते खर्च किए जाएंगे।

वार्षिक योजना (2002-03) और (2003-04) के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की स्कीमों के लिए स्कीम-वार आबंटन/ व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना (2002-03) ब.अ.	वार्षिक योजना (2002-03) प्रत्याशित	वार्षिक योजना (2003-04) ब.अ.
1.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण	36.06	31.03	27.83
2.	'भा.खा.नि.' के लिए एकीकृत सूचना पद्धति (नई स्कीम)	-	-	12.00
3.	प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरन	0.35	0.28	0.60
4.	अनुसंधान और विकास तथा 'वी.वी.ओ. एंड एफ निदेशालय' की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण	0.25	0.15	0.25
5.	'रा-ट्रीय शर्करा संस्थान', कानपुर तथा तकनीकी अध्ययन और कन्सलटेन्सीज	2.04	0.48	2.05
6.	'पीडीएस' में खाद्य कृनि कार्ड लागू करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजना	4.40	0.98	1.50
7.	कटाई-पश्चात कामकाज	1.13*	0.54^	-
	कुल (जीबीएस)	44.23	32.92	44.23
	आईईबीआर स्कीमें			
1.	'सीडब्ल्यूसी' द्वारा भांडागारों/ गोदामों का निर्माण	96.50	89.91	92.00
2.	राज्य भांडागारण निगमों की शेयर पूंजी में अंशदान	3.50	0.60	2.00
	कुल (आईईबीआर)	100.00	90.51	94.00
	कुल जोड़	144.23	123.43	138.23

*संशोधित अनुमान

^स्कीम बन्द कर दी गई, व्यय 30 सितम्बर 2003 तक

6.4 श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

श्रम क्षेत्रक उन बहु-आयामीय समाजार्थिक पहलुओं का समाधान करता है जो श्रम कल्याण, उत्पादकता, श्रमिक बल के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। कार्य बल की आय में वृद्धि करने तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से, उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रकों के लिए त्वरित समाजार्थिक विकास हेतु आवश्यक उपयुक्त कौशल और उच्च कोटि का पर्याप्त श्रमिक बल उपलब्ध कराने के वास्ते जनशक्ति विकास विगत पचास वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख केन्द्र-बिन्दु रहा है।

2. भारत सरकार ने, उत्पादकता बढ़ाने और एक समुचित स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, नए सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश में श्रम कानूनों की समीक्षा करने और उनमें तालमेल बैठाने; एक व्यवहार्य विशिष्ट और स्व-पोषण पद्धति सृजित करने के प्रयासों के माध्यम से कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का विस्तार करके, अत्यन्त विपरीत कार्य परिस्थितियों की स्थितियां सुधारकर, श्रमिक कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है।

3. अधिशन श्रम और साथ ही अधिकांश श्रमिकों का अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने की स्थिति से असंतो-जनक सामाजिक प्रथाओं का जन्म हुआ है जैसे कि बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक और उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए विपरीत कार्य परिस्थितियां। ऐसी अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, श्रमिक कल्याण की देखभाल करने और विभिन्न क्षेत्रकों में स्त्री और पुरुष - दोनों प्रकार के कामगारों के रोजगार से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक सहायक उपायों की व्यवस्था करने जैसे पहलुओं पर पिछली योजनाओं में प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया गया तथा दसवीं योजना के दौरान ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे।

4. योजना प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रम उत्पादकता में सुधार करने और श्रम बाजार के कामकाज के पूरक के रूप में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्थितियां निर्मित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किए हैं। इस सम्बन्ध में अधिनियम हैं: कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, कर्मचारी भवि-य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 । ईपीएफओ के तहत ईपीएफ स्कीम को सरलीकृत किया गया है और अभिदाता अपनी स्वयं की घो-णाओं के आधार पर मकान निर्माणार्थ अपनी भवि-य निधि से राशि निकाल सकते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत देश भर में फैले 26000 डाकघरों के माध्यम से पेंशन के संवितरण के लिए व्यवस्था की गई है।

दसवीं योजना के उद्देश्य

5. श्रम उत्पादकता सुधारने और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान ढांचा श्रमिक बल के केवल एक छोटे से घटक को कवर करता है। दसवीं योजना का उद्देश्य श्रम बाजार संस्थाओं की कवरेज में वृद्धि करना होगा। दसवीं योजना के दौरान श्रम उत्पादकता और श्रम कल्याण हेतु निम्नलिखित कुछेक पहल की जाएंगी:

- (i) व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति में सुधार जिससे कि श्रमिक बल में नए प्रवेशकर्ता रोजगार प्रारम्भ करने से पहले व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर लें।
- (ii) लघु और मझौली संस्थापनाओं हेतु श्रम कानून प्रशासन के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं।

- (iii) छोटे संस्थापनाओं के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा हेतु, राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति के वास्ते व्यावसायिक सेवाएं विकसित करना।
- (iv) अनौपचारिक क्षेत्र आदि में छोटे संस्थापनाओं, कृषि में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना।
- (v) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जागरूकता सृजन अभियान और सूचना के प्रसार को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों का कवरेज बढ़ाना।

योजना परिव्यय और इसका उपयोग

6. वर्तमान वर्न (2003-2004) में 170 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो वार्षिक योजना 2002-03 के स्तर पर ही है। श्रम मंत्रालय के योजना बजट का प्रमुख भाग निम्नलिखित स्कीमों से संबंधित है: रा-ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, डीजीई एण्ड टी की स्कीमें - श्रम सम्बद्ध वि-यों के बारे में अनुसंधान और सांख्यिकी, खानों और फेक्टरियों की कामकाजी स्थितियां सुधारने के लिए स्कीमें, कार्य स्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और बचाव - अन्य महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमें हैं (श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्रक परिव्यय के लिए देखें केन्द्रीय क्षेत्रक के सम्बन्ध में संलग्नक 6.4.1 और राज्य क्षेत्रक के सम्बन्ध में संलग्नक 6.4.2)। वर्न 2003-04 के दौरान सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसार योजना आबंटनों की 10 प्रतिशत राशि, जो 17.00 करोड़ रुपए है, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में विशि-ट परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए विनिश्चित की गई है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कार्यक्रम

श्रम और कानून

7. त्रिपक्षवाद की संस्कृति और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए कामगारों के व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए अनेक विधायी, नीतिगत, प्रशासनिक व कार्यक्रमबद्ध उपाय किए गए हैं। वर्न 2002-03 के दौरान शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वर्न 2003-04 के दौरान जारी रहेगा। वर्न 2002-03 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों में हुई प्रगति तथा उपाय निम्नलिखित हैं:

श्रम कल्याण

8. सामाजिक सुरक्षा के समुचित स्तर के साथ श्रम कल्याण में सुधार और उत्पादकता बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य है जिस पर सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। संसाधनों को कौशल निर्माण और विकास, कार्य स्थितियों के देख-रेख, स्वास्थ्य, औद्योगिक सम्बन्धों हेतु ढांचे के माध्यम से औद्योगिक सामंजस्य के सृजन और कामगारों व उनके परिवारों के लिए बीमारी, दुर्घटना तथा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे की दिशा में योजनागत कार्यक्रमों के माध्यम से निदेशित किया गया है।

9. श्रम मंत्रालय, बीड़ी, सिनेमा, माइका खानों, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों तथा लौह, मंगनीज खानों आदि में कामगारों के लिए पांच कल्याण निधियां प्रशासित कर रहा है। इन कल्याण निधियों से बीड़ी, उद्योग, सिनेमा उद्योग और कतिपय कोयला-भिन्न खानों में कार्यरत कामगारों को आवास, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना जारी रहा। कल्याण निधि दृष्टिकोण का पर्याप्त रूप से विस्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि असंगठित क्षेत्रकों

के कामगारों की और श्रेणियों व उप-श्रेणियों को कवर किया जा सके जैसे कि तेन्दु पत्ता तोड़ने वाले, मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग कामगार और नमक उद्योग कामगार। केन्द्रीय सरकार के अलावा अनेक राज्य सरकारों ने भी असंगठित क्षेत्रक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपाय किए हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध

10. वर्ष 2001 में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। हड़तालों, तालाबन्दियों और सबसे महत्वपूर्ण, इन गड़बड़ियों के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या में वर्ष 2000 की तुलना में क्रमशः 12.7 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत और 51.5 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2002 के दौरान (सितम्बर तक) औद्योगिक असंतो-न की मात्रा में कहीं अधिक गिरावट आई जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या में क्रमशः 51 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की कमी आई। किन्तु इन गड़बड़ियों में लिप्त कामगारों की संख्या में लगभग 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायालयों सह-श्रम न्यायालयों की अधिनिर्णयन पद्धति में शिकायत समाधान के वैकल्पिक तंत्र के रूप में 8 लोक अदालतें आयोजित की गईं तथा उनमें 259 मामलों में निर्णय लिए गए।

भारतीय श्रम सम्मेलन

11. भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 38वां सत्र 28-29 सितम्बर 2002 को आयोजित किया गया। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक - दोनों प्रकार के प्रभाव के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। इसलिए, आईएलसी का मत था कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, वार्तालाप के जरिए सामाजिक भागीदारों द्वारा कार्यनीतियां विकसित की जानी चाहिए। सरकार की विनिवेश नीति के बारे में भिन्न-भिन्न मत थे। सामाजिक सुरक्षा कड़ी के सम्बन्ध में आईएलसी ने सरकार से अनुरोध किया कि सभी कामगारों को कवर करते हुए एक सामाजिक सुरक्षा नीति तैयार की जानी चाहिए और प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक रा-ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा पर किए जाने वाले खर्च में सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि करने पर भी बल दिया गया।

द्वितीय रा-ट्रीय श्रम आयोग

12. द्वितीय रा-ट्रीय श्रम आयोग (एनसीएल) ने अपनी रिपोर्ट जून 2002 में प्रस्तुत कर दी। आयोग का पहला विचारार्थ वि-नय विद्यमान कानून की समीक्षा करना तथा उन्हें तर्कसंगत बनाने और जहां कहीं आवश्यक हो, उनका सरलीकरण सुझाने के बारे में था। दूसरा महत्वपूर्ण विचारार्थ वि-नय, संरक्षण का कतिपय न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के वास्ते असंगठित क्षेत्रक के लिए एकछत्र विधान सुझाना था। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्रम सांख्यिकी

13. श्रम ब्यूरो (श्रम मंत्रालय) देश में एक प्रमुख संस्था है जो श्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में अखिल भारत स्तर पर श्रम सांख्यिकी के संकलन, विश्लेषण और प्रसार कार्य में लगी है। श्रम ब्यूरो निम्नलिखित तीन कीमत सूचकांकों का मासिक आधार पर संकलन और अनुसंधान करता है:

- i) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार 1982=100)

- ii) ग्रामीण श्रमिकों और साथ ही इनके उप वर्ग - कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार 1986-87=100)
- iii) शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं का खुदरा कीमत सूचकांक (आधार 1982=100)।

14. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से कामगारों, सरकारी कर्मचारियों आदि का मंहगाई भत्ता तय होता है। वर्ष 2002-03 के दौरान श्रम ब्यूरो ने, श्रम सांख्यिकी, भारत में औद्योगिक विवाद, ग्रामीण भारत में मजदूरी दरों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यकरण, लोहा और इस्पात उद्योग में ठेके पर मजदूरों की कामकाजी स्थिति (1999) आदि के सम्बन्ध में 12 प्रकाशन जारी किए।

बाल श्रम का उन्मूलन

15. खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम की विद्यमानता एक गम्भीर समस्या है। बाल श्रम के सम्बन्ध में सही, प्रामाणिक और अद्यतन सूचना की अनुपलब्धता, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के योजनाबद्ध उपायों में एक प्रमुख बाधा है। बाल श्रमिकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कारगर उपाय करने के उद्देश्य से एक योजनागत स्कीम रा-ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) है जिसे काम पर से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल श्रम प्रधान क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इस समय 100 एनसीएलपी कार्यान्वयनाधीन हैं जिनके अन्तर्गत कांच और पीतल के बर्तन, ताला, गलीचा, स्लेट, टाइल्स, माचिस और आतिशबाजी, हीरा, कृषि रसायन, बीड़ी उद्योगों आदि में कार्यरत 13 बाल श्रम प्रधान राज्यों में लगभग 2.11 लाख बच्चों को कवर किया गया है। विगत में स्थापित एक रा-ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, उन विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के तहत सेवाओं के अभिसरण की दिशा में कार्य कर रहा है जो बालकों से सम्बद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करते हैं। बाल श्रम की मात्रा को कम करने के लिए, इस स्कीम को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक स्कीम - के साथ मिलाने के लिए दसवीं योजना में प्रयास किया जाएगा (एनसीएलपी के अन्तर्गत राज्य-वार कवरेज संलग्नक 6.4.3 में दर्शाया गया है)।

महिला श्रमिक

16. महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रमों में, कार्रवाई-उन्मुख परियोजनाएं और अध्ययन, बाल देख-रेख केन्द्रों का आयोजन, और निर्माण कार्यकलापों आदि में लगी महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं शामिल हैं। महिलाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के बारे में सरकार को सलाह देने के वास्ते एकसमान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्र में एक समिति स्थापित की गई है।

बंधुआ मजदूर

17. मुक्त हुए मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों को मदद देने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मई 1978 से एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, मुक्त हुए प्रति बन्धुआ मजदूर के लिए 20,000 रुपए की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है, जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है; सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को बन्धुआ मजदूरों के जिला-वार सर्वेक्षण, जागरूकता सृजन और मूल्यांकन-अध्ययन करने के लिए भी केन्द्रीय अनुदान दिए जाते हैं।

18. वर्तमान वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान, 27 जिलों में सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए 54.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 1058 बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को 103.81 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई (अभिज्ञात और पुनर्वासित बन्धुआ मजदूरों का विवरण संलग्नक 6.4.4 में देखा जा सकता है। स्कीम के लिए राज्य-वार निधियां जारी करने का ब्योरा संलग्नक 6.4.5 में दिया गया है)।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

19. महानिदेशालय, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) तथा महानिदेशालय, फेक्टरी सलाहकार सेवाएं तथा श्रम संस्थान (डीजीएफएसएलआई), जो श्रम मंत्रालय के दो क्षेत्रीय संगठन हैं, खानों, फेक्टरियों और पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लिखित सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयास करते हैं।

फेक्टरी सलाह, सेवा, और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएसएलआई)

20. यह संगठन फेक्टरियों और पत्तनों/ गोदियों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय के एक तकनीकी हाथ के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डीजीएफएसएलआई की अग्रणी भूमिका को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002-03 के दौरान 200 संगठनों के 1022 प्रतिनिधियों के वास्ते 44 सेमिनार/ कार्यशालाएं और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुम्बई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई स्थित श्रम संस्थानों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के सम्बन्ध में 2885 लाभभोगियों हेतु 133 बोध कार्यक्रम आयोजित किए। 30 फेक्टरियों में चल सुरक्षा प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जिनसे 25850 फेक्टरी कामगारों को लाभ पहुंचा। डीजीएफएसएलआई ने विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर जोखिम मूल्यांकन, पर्यावरण मूल्यांकन, सुरक्षा आडिट और व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति के मूल्यांकन के क्षेत्रों में 32 परामर्श अध्ययन पूरे किए।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)

21. खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) अनेक प्रोत्साहन उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से खान उद्योग पर निवारक और साथ ही शैक्षिक प्रभाव का प्रयोग करता है, स्व-विनियमन और साथ ही सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की संकल्पना को भी प्रोत्साहित करता है। इस संगठन की एक प्रमुख जिम्मेदारी उपयुक्त विधान का ड्राफ्ट तैयार करने और मानक निर्धारित करने तथा साथ ही अनेक प्रोत्साहन कार्यकलापों के माध्यम से इसके अनुपालन की है और इस प्रकार यह सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक वातावरण का सृजन करता है। खानों में आवश्यक सुरक्षा उपायों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और पूछताछ की जाती है। अप्रैल 2002 से सितम्बर 2002 तक की अवधि के दौरान कोयला खानों में 33 नोटिस और 22 आदेश जारी किए गए और कोयला-भिन्न खानों में 17 नोटिस और 27 आदेश जारी किए गए।

श्रम कानूनों में संशोधन

22. हाल के वर्षों में श्रम कानूनों में सुधार करना आवश्यक हो गया है, जिससे कि भारतीय उद्योग वैश्वीकरण प्रक्रिया के दौरान कुशल, किफायती और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धात्मक बन सकें। इस दिशा में मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और संविदा श्रम अधिनियम 1970 संशोधित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा

23. कर्मचारी भवि-य निधि संगठन ने प्रस्तावित परियोजना “आरई-इन्वेस्टिंग ईपीएफ इण्डिया” के भाग के रूप में सूचना प्रेरित अनुपालन माडल लागू करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत भवि-य निधि सदस्यों को पहचान के लिए स्थायी और अनूठे नम्बर के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, 2-3 दिन में दावों का आन-लाइन निपटारा सुगम बनाने के वास्ते सभी भवि-य निधि कार्यालयों के बीच नेटवर्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

24. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत ईएसआई स्कीम 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 677 केन्द्रों में चल रही है। अभी तक स्कीम के अन्तर्गत 85 लाख से अधिक बीमाशुदा व्यक्तियों और लगभग 329.55 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है। फेक्टरियों और संस्थापनाओं की संख्या बढ़कर लगभग 2,38,000 हो गई है। ईएसआईसी ने 1 अप्रैल 2001 से 40/- रुपए प्रतिदिन कमाने वाले बीमाशुदा व्यक्तियों को कर्मचारी अंशदान की अदायगी से छूट दे दी है। इससे छः लाख से अधिक कामगार लाभान्वित होंगे। ईएसआई स्कीम के अन्तर्गत आश्रित और अपंगता लाभ 14 प्रतिशत से 23.59 प्रतिशत तक के बीच बढ़ा दिए गए हैं।

25. असंगठित क्षेत्रक में कामगारों के लिए कल्याण उपाय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक कल्याण निधियां प्रशासित की जा रही हैं। ये हैं:

- श्रम मंत्रालय बीड़ी, सिनेमा और कोयला-भिन्न खनन श्रमिकों की कतिपय श्रेणियों के कल्याण के लिए पांच कल्याण को-न प्रशासित कर रहा है। इन को-नों की स्थापना, इन कामगारों के कल्याण के लिए संसद के पांच सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत की गई है। स्वास्थ्य, समूह बीमा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्रों में अनेक कल्याण स्कीमों तैयार की गई हैं और चल रही हैं।
- लक्षित कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमों को अगस्त, 2002 में सरलीकृत/ युक्तिसंगत बनाया गया जिससे कि उनकी सुलभता और अधिक सार्थक तथा सहज बन सके। इस प्रयोजनार्थ एक पृ-ठ का सरलीकृत आवेदन-पत्र अपनाया गया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य देख-रेख और सहायता-अनुदान स्कीमों में भी सुधार किया गया है। लक्षित कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखरेख के विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया गया है तथा कल्याण स्कीमों की कारगरता व सुलभता में और सुधार करने के वास्ते स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू किया गया है। आवास स्कीम को सरल/ युक्तिसंगत बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।
- नालन्दा (बिहार), सागर (मध्य प्रदेश) और मुक्कुदल (तमिलनाडु) में बीड़ी कामगारों के लिए तीन नए 30-30 बिस्तर वाले अस्पतालों के निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

26. केन्द्रीय सरकार के अलावा, अनेक राज्य सरकारों ने भी असंगठित क्षेत्रक में कामगारों की कल्याण सम्बन्धी जरूरतें पूरा करने के लिए उपाय किए हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- केरल सरकार ने व्यावसायिक समूहों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कल्याण को-न स्थापित किए हैं।

- असम सरकार द्वारा असम बागान कर्मचारी कल्याण को-न अधिनियम 1959 अधिनियमित किया गया।
- कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न व्यावसायिक समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।
- पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए भविष्य निधियों की राज्य सहायताप्राप्त स्कीम प्रारम्भ की गई।
- आटो-रिक्शा, टेक्सी ड्राइवर्स, धोबियों, सिलाई कामगारों आदि जैसे हस्त कामगारों को कवर करने वाली तमिलनाडु सामाजिक सुरक्षा और कल्याण स्कीम 2001 ।

27. अनेक सार्वजनिक संस्थान और एजेन्सियां भी असंगठित क्षेत्र में कामगारों के चुनिन्दा वर्गों को विभिन्न प्रकार के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर रही हैं, जैसे कि स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन (सेवा), महाराष्ट्र में मथाडी कामगार बोर्ड आदि।

श्रम शिक्षा

क. वी.वी. गिरि रा-ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

28. वी.वी गिरि रा-ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), जो जुलाई 1974 में स्थापित किया गया था, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, और एक प्रमुख श्रम अनुसंधान और शिक्षा संस्थान बन गया है। अपनी स्थापना से ही संस्थान ने अपने अनुसंधान, प्रशिक्षण शिक्षा तथा प्रकाशनों के माध्यम से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विविध समूहों तक पहुंचने का प्रयास किया है।

29. बाल श्रम के क्षेत्र में, संस्थान ने एक प्रमुख प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का विशेष दर्जा प्राप्त किया है तथा इसे आईएलओ-आईपीईसी के तहत एक नोडल संस्थान घोषित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, एक रा-ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है। संस्थान ने, अवार्डस डाइजेस्ट, श्रम विधान, श्रम जगत, लेबर एण्ड डवलपमेंट नामक नियमित प्रकाशन निकालना जारी रखा।

30. संस्थान ने, श्रम बाजार, रोजगार और विनियम, कृषि सम्बन्ध और ग्रामीण श्रम, एकीकृत श्रम इतिहास, बाल श्रम और कार्य स्थल पर एचआईवी/ एड्स की रोकथाम के क्षेत्रों में 31 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं। 15 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न स्तरों पर पहुंची हुई हैं। संस्थान ने 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें 1145 व्यक्तियों ने भाग लिया।

ख. कामगार शिक्षा स्कीम

31. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) एक त्रिपक्षीय सोसायटी है जिसकी स्थापना नागपुर में मुख्यालय के साथ 1958 में की गई थी, और जिसका उद्देश्य रा-ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई/ ग्राम स्तरों पर कामगार शिक्षा स्कीम को कार्यान्वित करना है। बोर्ड का 49 क्षेत्रीय और 10 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है जो क्षेत्रीय तथा इकाई/ ग्राम स्तर पर स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए देशभर में फैला है।

32. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड ने, रा-द्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तर पर, नेतृत्व विकास, औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से लेकर औद्योगिक सम्बन्धों और ट्रेड यूनियनवाद तक के विभिन्न विनयों पर अप्रैल-अगस्त 2002 के दौरान 3004 कार्यक्रम आयोजित किए तथा 97664 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। असंगठित तथा ग्रामीण श्रमिकों, बाल मजदूरों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के लिए भी विशेष कार्यक्रम/ सेमिनार आयोजित किए गए। वर्तमान वर्ग (अक्टूबर तक) के दौरान बोर्ड ने कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत 5356 कृषि श्रमिकों के लिए 133 एक-दिवसीय शिविर भी आयोजित किए।

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान

33. व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएमआर) की स्थापना सन् 1962 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। संस्थान, अब दिसम्बर 2002 से नरेला में अपने नए कैम्पस से कार्य संचालन कर रहा है। संस्थान का मुख्य कार्य एक ऐसा संस्थात्मक ढांचा विकसित करना है जो सुव्यवस्थित जनशक्ति आयोजन प्रक्रिया को बनाए रखने व उसके संचालन में समर्थ हो।

34. अनुसंधान, तकनीकी जनशक्ति आयोजन के अलावा, आईएमआर मानव संसाधन, आयोजना और विकास के विनय में 9 मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्ग का मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम भी संचालित करता है; यह गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। संस्थान ने, अनुसंधान, परामर्श, सूचना पद्धति, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा सम्मेलनों सहित मानव विकास संसाधन आयोजन और विकास के क्षेत्र में अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों की परिकल्पना, संकल्पना और विकास किया।

35. संस्थान, “मैनपावर प्रोफाइल इण्डिया ईयर बुक” नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध जनशक्ति के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का एक संकलन है। रा-द्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से तकनीकी जनशक्ति के सम्बन्ध में सूचना संकलन करने का कार्य जारी रखा।

अध्याय - 7

7.1 सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूह

प्रस्तावना

नौवीं योजना के दौरान एक दीर्घावधिक प्रक्रिया के रूप में आरंभ किया गया अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण दसवीं योजना (2002-2007) में सरकार का एक प्राथमिकतापूर्ण मुद्दा बना हुआ है जिससे कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से असुविधाप्राप्त समूह, विकासात्मक लाभों के एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की बजाए, सामाजिक परिवर्तन और विकास साधन के रूप में अपनी क्षमता और सामर्थ्य का विकास कर सकें। इस दृष्टि से, निम्नलिखित की प्राप्ति हेतु विभिन्न कल्याण और विकास नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकारी व गैर-सरकारी स्तरों पर समेकित प्रयास किए जाते हैं : (i) सामाजिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से शैक्षिक विकास के माध्यम से; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण-रोजगार और आय-सृजक और निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से; और (iii) सामाजिक न्याय-अत्याचारों, शो-ण, भेदभाव और सामाजिक उपयोगिताओं से असुविधाप्राप्त समूहों के निवारण और संरक्षण में विद्यमान विधानों व अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से।

2. यद्यपि समग्र उद्देश्य, उनके कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यकलापों को कवर करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए इन असुविधाप्राप्त वर्गों के बीच समाजार्थिक विकास करना है तथापि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक पृथक रूप से, अपनी विशेष-जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों के संपूर्ण क्षेत्र में अपना विनिर्दिष्ट स्थान रखेंगे। इन असुविधाप्राप्त वर्गों के सशक्तिकरण की प्रगति को तेज करने के लिए नए पहलों/उपायों के साथ-साथ चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार कार्य किया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

3. वर्ष 2002-03, दसवीं योजना (2002-07) का पहला वर्ष होने के नाते सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की प्रक्रिया पर सरकार का प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जाना जारी रहा। इ-टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, चल रही स्कीमों को युक्तियुक्त तथा न्यूनतम बनाने के लिए शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेड बी बी) प्रक्रिया के अनुप्रयोग के माध्यम से विशेष प्रयास किए गए। नौवीं योजना की चल रही 31 स्कीमों को कम करके 13 कर दिया गया (4 केन्द्रीय क्षेत्रक तथा 9 केन्द्र प्रायोजित स्कीम)। वार्षिक योजना 2002-03 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण, विकास और अधिकारिता हेतु, केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 701 करोड़ रुपए और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) हेतु 379 करोड़ रुपए को मिलाकर कुल 1,080 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया था। 1080 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना 2002-03 के परिव्यय के बदले 897.21 रुपए का व्यय किया गया जो पिछड़े वर्ग क्षेत्रक में निधियों के 83.07 प्रतिशत उपयोग का द्योतक है।

4. राज्य क्षेत्रक में वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 3105 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई जिसके बदले 2868.40 करोड़ रुपए खर्च प्रत्याशित है जो कुल आबंटन के 92.4% उपयोग का द्योतक है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय स्तर पर स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 7.1.1(i) में दर्शाया गया है। राज्य क्षेत्रक में इस संबंध में विवरण संलग्नक 7.1.3 में प्रस्तुत है। वर्ष 2002-03 के दौरान पिछड़े वर्ग क्षेत्रक में परिव्यय और प्रत्याशित व्यय का सारांश और केन्द्रीय क्षेत्रक में 2003-04 के दौरान परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका - 1
वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के संबंध में परिव्यय और व्यय
(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	मर्दे	वार्षिक योजना 2002-2003		वार्षिक योजना 2003-2004
		ब.अ.	प्रत्या.व्यय	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनु.जातियों का कल्याण और विकास	964.10	806.60	973.10
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	61.60	60.60	71.60
ii)	सी एस एस	523.50	319.28	516.90
iii)	एस सी पी के लिए एस सी ए	379.00	426.72	384.60
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	76.50	68.61	69.00
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	17.50	15.46	15.00
ii)	सी एस एस	59.00	53.15	54.00
3.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	39.40	22.00	52.90
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	39.40	22.00	52.90
ii)	सी एस एस	---	--	--
	जोड़ 1+2+3	1080.00	897.21	1095.00

सामाजिक सशक्तिकरण

5. इन असुविधाप्राप्त वर्गों के बीच सामाजिक उपलब्धि, केवल विद्यमान असमानताओं, विनमताओं व अन्य विद्यमान समस्याओं को, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य बुनियादी न्यूनतम सेवाओं तक पहुंच की व्यवस्था करने के क्षेत्र में, असमानताओं को दूर करके/कमी करके ही संभव है।

शैक्षिक विकास

6. शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण की एक बुनियादी जरूरत व सर्वाधिक कारगर साधन होने के नाते, अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की रा-द्रव्यापी प्रमुख स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को 2002-03 के दौरान उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। सभी पात्र अनुसूचित जाति छात्रों को, देश के अन्दर मान्य संस्थानों में व्यावसायिक, और स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित, मैट्रिक से बाद कि शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (पी एम एस) प्रदान की जाती हैं। पी एम एस के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के बीच विकलांगों को कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किये जाते हैं। स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के अलावा, शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य फीस की अदायगी के लिए, अर्थोपाय परीक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने के वास्ते, उनके संबंध में प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का वास्तविक व्यय 457.29 करोड़ रुपये था, जिससे 15.45 लाख अनुसूचित छात्र लाभान्वित हुए। लाभार्थियों का यह स्तर नौवीं योजना के अन्त तक पहुँचा, इन पर खर्च राज्यों की प्रतिबद्ध देयता बन गई। दसवीं योजना के प्रथम वर्ग, अर्थात् वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 17.17 लाख अनुसूचित जाति छात्रों को कवर करने के वास्ते मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के लिए 275.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले दाखिल 93% से अधिक अनुसूचित जाति छात्रों को कवर किया गया है। वर्तमान मैट्रिक पूर्व छात्रों की संख्या में तदनुसूचित वृद्धि के कारण अनुसूचित जातियों की आबादी की वृद्धि दर की तुलना में इस स्कीम के अंतर्गत कवरेज में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास को और तेज करने के लिए, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पुस्तक कोश की एक और सहायक सेवा को, जिसके अंतर्गत मैडिकल, इंजीनियरिंग, पशु विज्ञान, कृषि, पालिटेक्निक्स, चार्टर्ड लेखापद्धति, व्यापार प्रशासन, जैव-विज्ञानों और विधि पाठ्यक्रमों अदि का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें मुहैया की जाती हैं, शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेड बी बी) प्रक्रिया के अनुसार पूरक और संपूरक सहायता के तौर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के साथ मिला दिया गया। पुस्तक कोश स्कीम के अंतर्गत वर्ग 2002-03 के दौरान 15,791 अनुसूचित छात्र लाभान्वित हुए।

7. एक कारगर, युक्तिसंगत दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के बीच शैक्षिक विकास पर ऐसा ही संकेंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों और अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों को, जेड बी बी प्रक्रिया के माध्यम से लिए गए निर्णय के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों की एकल छात्र स्कीम के अंतर्गत मिला दिया गया था, जिसके लिए वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 42.49 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था। स्कीम के अंतर्गत वर्ग 2002-03 के दौरान खर्च हुई राशि 38.05 करोड़ रुपए थी जिससे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के 2.53 लाख छात्र और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के 5.86 लाख छात्र लाभान्वित हुए।

8. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम, इन बच्चों को निकृ-ट व्यवसायों विशेष रूप से हाथ से सफाई करने के निम्न व्यवसाय के शिकंजे से छुटकारा दिलाने

के लिए कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत, उन छात्रों को मैट्रिक पूर्व अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता अस्वच्छ प्रकृति के कार्यों में लगे हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 12.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई जिससे 5.55 लाख छात्र लाभान्वित हुए जबकि अनुमोदित परिव्यय की राशि 14.50 करोड़ रुपये थी।

9. अनुसूचित जातियों और शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के बीच, बीच में अनुसूचित पढाई छोड़ देने वालों की दर में कमी करने व बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने की दरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिडिल, माध्यमिक, और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़के और लड़कियों के वास्ते होस्टल सुविधाओं के रूप में एक बड़ी सहायक सेवा प्रदान की जा रही है। वस्तुतः नौवी योजना के अन्त तक, अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होस्टलों की अलग-अलग स्कीमें चल रही थी। फिर भी जेड बी बी प्रक्रिया के पश्चात "अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए होस्टल स्कीम" का भी 2002-03 के दौरान अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए होस्टल की एकल छत्र स्कीम के अन्तर्गत विलयन कर दिया गया। स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को आनुपातिक आधार (50:50) पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत की सीमा तक होस्टल भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान लड़कियों के लिए 11484 स्थान वाले तथा लड़कों के लिए 11,587 स्थान वाले 127 अनुसूचित जाति बालिका और 191 अनुसूचित जाति बाल होस्टलों के निर्माण के लिए, 61.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई (43 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति लड़कों और लड़कियों के होस्टल के लिए तथा 18.50 करोड़ रुपये अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक लड़के व लड़कियों के होस्टल के लिए)। स्कीम के कार्यान्वयन में कुछ एक बाधाएं हैं: अपर्याप्त निधियां, होस्टलों का असन्तो-जनक रख रखाव जैसी कमियां, जो निर्माण की धीमी प्रगति के अलावा हैं।

10. प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और निजी संस्थानों या विश्वविद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क कौचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे कि वे सिविल सेवाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ हो सकें। कौचिंग सेवाएं प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य, विभिन्न केन्द्रीय राज्य सरकारों और सरकारी सेवक उपक्रमों में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम में और संशोधन किया गया है ताकि प्रतियोगिता के बेहतर अवसर प्रदान किये जा सकें और इसकी पहुँच एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिक संख्या में लाभार्थियों तक सुलभ हो सके। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कौचिंग और आर्थिक मापदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कौचिंग की स्कीमों का दसवीं योजना में विलय कर दिया गया तथा इसका नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए कौचिंग स्कीम रखा गया। वर्ष 2002-03 के लिए स्कीम के वास्ते अनुमोदित परिव्यय 15.65 करोड़ रुपये था तथा संभावित खर्च 7.35 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिससे 12,819 अनुसूचित जाति उम्मीदवार लाभान्वित होंगे।

11. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा प्रोत्साहित करने की दिशा में, वर्ष 1989 में स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान, विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करता है जिनमें स्कूलों की स्थापना/विस्तार, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल/कालेज; प्रयोगशाला भवनों का निर्माण; महिलाओं के लिए कंप्यूटर/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना शामिल है। प्रति-ठान,

अल्पसंख्यक लड़कियों पर विशेष बल देते हुए, विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान भी प्रदान करता है ।

आर्थिक सशक्तिकरण

12. विशेष रूप से रोजगार और आय-सृजक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करके निर्धनता उन्मूलन पर बल देते हुए, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण को दसवीं योजना में समान रूप से प्राथमिकता प्रदान की गई है । इस संबंध में, इन असुविधाप्राप्त वर्गों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाने के अंतिम उद्देश्य से सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बहुत से रोजगार-सह-आय सृजक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जा रहे हैं । अनुसूचित जातियों के बीच आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष संघटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आबादी, सापेक्ष पिछड़ेपन, एससीपी कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के नि-पादन आदि के आधार पर प्रदान की जा रही है । एससीपी के लिए एससीए के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायक संरचनात्मक विकास के साथ क्रांतिक अंतरों को पाटने तथा परिवारोन्मुखी आय-सृजक स्कीमों में अनुपस्थित निविटियों को पूरा करने के वास्ते अतिरिक्तता के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं ताकि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके । वर्ष 2002-03 के दौरान एससीपी के लिए एससीए के वास्ते 379 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था जिसके बदले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे विशेष आय और आय-सृजक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 426.72 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई, जिनका अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी को दूर करने तथा समग्र समाजार्थिक विकास पर प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ता है ।

13. इन सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों के आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम विशेष रूप से रोजगार तथा आय सृजक स्कीमों के समन्वयन और नेटवर्किंग के द्वारा पूरे देश में फैले हुए हैं। रा-ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मात्र इसी प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें शामिल है : (i) रा-ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसएफडीसी); (ii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी); (iii) रा-ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एनएसकेएफडीसी); (iv) रा-ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी); और (v) रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी) । वर्ष 2002-03 के दौरान एनएसएफडीसी के लिए 15.10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान तथा एससीडीसी के लिए 24.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया । निगम, विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को कौशल तथा उद्यम संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं । इसके अलावा, छोटे ऋणों के लिए स्वयंसेवी समूहों के वित्तपो-ण के लिए, 2001-02 से माइक्रो-क्रेडिट स्कीम भी शुरू की गई है। पिछले वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी के नि-पादन में तेजी आई है । 2002-03 के दौरान, निगम ने 1,755.92 करोड़ रुपए की लागत से 3239 स्कीमें मंजूर की हैं, जो पूरा हो जाने पर, विभिन्न आय सृजक कार्यक्रमों को आयोजित करने के वास्ते 4,14,318 अनुसूचित जाति लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगी । एनएसएफडीसी ने, 1.10.2002 से अपनी उधार नीति भी संशोधित की है । 1.10.2002 से पहले 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर 7 प्रतिशत थी तथा 5 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के संबंध में यह दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी । संशोधित नीति के अंतर्गत, उधार देने की दरों में एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी की गई है । एनएसएफडीसी ने माइक्रो-क्रेडिट वित्त स्कीम (एमसीएफ) के तहत भी ब्याज दरें जो पहले 12 प्रतिशत थी, घटाकर लाभार्थियों के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी हैं । लाभार्थियों की लाभों तक पहुंच को तेज बनाने में मदद देने के वास्ते, राज्य माध्यमों

वाली एजेंसियों के लिए अनुमत्य निधि उपयोगिता अवधि 120 दिन से कम करके 90 दिन कर दी गई है। अनुसूचित जाति उद्यमियों की सुविधा हेतु, निगम ने लक्ष्य वर्गों के लिए प्रासंगिक जरूरत आधारित आर्थिक कार्यकलापों की 101 अवसर रूपरेखाएं प्रकाशित की हैं। एससीडीसी लक्षित अनुसूचित जाति लाभार्थियों को विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए, मार्जिन राशि ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के वास्ते राज्य स्तरों पर गारंटी प्रदानकर्ताओं और प्रवर्तकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस समय, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एससीडीसी कार्य कर रहे हैं जिनमें वे 9 एससीडीसी शामिल हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिए कार्यरत हैं।

14. आधार स्तर पर रोजगार और आय-सृजक स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, तथा लक्षित समूह, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के अनुकूल क्रेडिट सुविधाओं में सुधार की माइक्रो-क्रेडिट स्कीम की सहायता, रा-ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने राज्य माध्यम एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से, माइक्रो-वित्त पो-ण पद्धति अपनाई है तथा एनजीओ को या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से प्रत्यायित किया है। एनबीसीएफडीसी के लिए वर्ष 2002-03 के लिए 11 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसके बदले निगम ने 103.29 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है जिनसे 74,954 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

15. रा-ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित और उनके प्रोन्नयन के लिए तथा उद्यमी व तकनीकी कौशलों के उन्नयन हेतु अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। एनएमडीएफसी ने, एक शैक्षिक ऋण स्कीम भी शुरू की है जिसके अंतर्गत, तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र उम्मीदवारों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 75,000/- रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान, भारत सरकार द्वारा निगम को इक्विटी हिस्से के वास्ते 20.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

16. इन सभी निगमों के कामकाज के एक बारीकी से किए गए अध्ययन से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि निगम सरकारी सहायता पर बड़ी मात्रा में निर्भर हैं। निगमों से उनकी स्थापना के 2-3 वर्षों की अवधि के दौरान आत्म-निर्भर बनने की उम्मीद की गई थी। तथापि, अब वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और समय-समय पर प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की मांग करते रहते हैं। संप्रति, निगमों को जेडबीबी प्रक्रिया के फलस्वरूप, दसवीं योजना में कमजोर वर्गों के लिए रा-ट्रीय वित्त तथा विकास निगमों की एक छत्र स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। मंत्रालय को इन निगमों के कामकाज का एक तुरंत मूल्यांकन करने तथा स्वसंपो-नक व स्वतंत्र समर्थनकारी पद्धति के रूप में उनके कामकाज में सुधार करने के वास्ते आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है।

सामाजिक न्याय

17. इन कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के वास्ते, जो परंपरागत रूप से विभिन्न प्रकार की समाजार्थिक असमानताओं/अनियमितताओं और वंचनाओं के शिकार रहे हैं, चल रहे प्रयासों को 2002-03 में न केवल उनके साथ किए गए सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन के वास्ते बल्कि उन्हें विद्यमान विधानों व ठोस कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए, उनके साथ अन्य द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के वास्ते भी, जारी रखा गया।

18. दसवीं योजना के अंत तक (2007) हाथ से सफाई के काम को पूर्णतः समाप्त करने के रा-ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास एक प्राथमिकतापूर्ण प्रतिबद्धता बनी हुई है। इस उद्देश्य हेतु, झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की रा-ट्रीय स्कीम को 1998 में संशोधित किया गया था ताकि संशोधित मानदंडों को और झाड़ूकशों के विनिर्धारण मुक्ति और पुनर्वास हेतु किए जाने वाले प्रयासों में एनजीओ को शामिल किया जा सके। देश में झाड़ूकशों की संख्या लगभग 6.76 लाख है। 2001-02 तक लगभग 18,000 झाड़ूकशों को प्रशिक्षित किया गया और 4,08,644 का पुनर्वास किया गया। तथापि, स्कीम के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की जरूरत है। हाथ से सफाई को पूर्णतः समाप्त करने के लिए रा-ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के वास्ते, स्वतंत्रता दिवस, 2002 को प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का विलयन करने के सरकार के इरादे की घो-णा की थी। इस बाबत, योजना आयोग ने 2007 तक हाथ से सफाई के पूर्णतः उन्मूलन हेतु तत्काल कार्रवाई के वास्ते एक रा-ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। वर्ष 2002-03 के दौरान 80 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के बदले स्कीम के तहत केवल 33 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा सका।

19. इन असुविधाप्राप्त समूहों के विरुद्ध शो-ण और अत्याचार के बढ़ते मामले और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों की विद्यमानता और सामाजिक भेदभाव की सतत समस्या के निवारण/नियंत्रित करने के वास्ते दो महत्वपूर्ण विधायी साधन हैं : नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के स्थान पर ही शीघ्र विचारण व निपटान के वास्ते विशेष- न्यायालयों/चल न्यायालयों की व्यवस्था है। इन अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक, प्रवर्तन तथा न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने के वास्ते, तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और राहत प्रदान करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के वास्ते, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महारा-ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष- प्रको-ठों की भी स्थापना की गई है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के वास्ते, आंध्र प्रदेश में 12, गुजरात में 10, कर्नाटक में 4, मध्य प्रदेश में 35, राजस्थान में 17, तमिलनाडु में 4 और उत्तर प्रदेश में 40, कुल 122 अनन्य विशेष- न्यायालयों की स्थापना की गई है। 32.00 करोड़ रुपए के आबंटन के बदले, वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 30.90 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

एससीपी के लिए एससीपी और एससीए की विशेष- कार्यनीतियों का कार्यान्वयन

20. अनुसूचित जातियों के लिए एससीपी तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एससीपी हेतु, एसएसए की दो नूतन कार्यनीतियों पर विशेष- ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक केवल 14 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, एससीपी के अंतर्गत निधियां विनिर्धारित कर रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान एससीपी के लिए एससीए के अंतर्गत 371.62 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की सहायतार्थ, एनएसएफडीसी के अंतर्गत ऋण घटक का और अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल करके, विशेष- केन्द्रीय सहायता के उपयोगतार्थ विशेष- परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की सलाह दी गई

है। तथापि, इसी अवधि के दौरान 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एससीपी के अंतर्गत 5,641.60 करोड़ रुपए का विनिर्धारण किया है, जो वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य योजना परिव्यय का केवल 12.76 प्रतिशत है। केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति ने, जिसकी बैठक दिसम्बर, 2002 में हुई थी, एससीपी और टीएसपी के कार्यान्वयन की समीक्षा की। अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने सुझाव दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय महिला के संबंधित नोडल मंत्रालयों को सेवा उन्मुख मंत्रालयों व विभागों की प्रत्येक स्कीम की अलग-अलग समीक्षा करनी चाहिए ताकि न केवल इन सभी स्कीमों का विनिर्धारण हो सके जिनके तहत एससीपी/टीएसपी के अंतर्गत निधियां विनिश्चित की जा सकें बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी प्रतिशतता के अनुसार निधियां विनिश्चित करने के लक्ष्य से और आगे बढ़ा जा सके।

21. विशेष- केन्द्रीय सहायता (एससीए) की केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों के बीच तीव्र समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करने के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों के पूरकस्वरूप, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एससीए, अनुसूचित जातियों के बीच आर्थिक विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष- संघटक योजना की अतिरिक्तता के रूप में प्रदान की जाती है। नौवीं योजना अवधि के दौरान (2001-02) 125 लाख परिवारों के बदले, 111.72 लाख अनुसूचित जाति परिवारों की कार्यक्रम के अंतर्गत मदद की गई, जो 89.4 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है।

वार्षिक योजना 2003-04

22. अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के इन असुविधाप्राप्त वर्गों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया को उनके लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दसवीं योजना दृष्टिकोण के अनुरूप वार्षिक योजना 2003-04 में, और अधिक व्यापक व प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा : (i) सामाजिक सशक्तिकरण; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण; और (iii) सामाजिक न्याय। सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों को सशक्त बनाने के वास्ते, वार्षिक योजना 2003-04 में केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीम के लिए (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष- संघटक योजना के लिए विशेष- केन्द्रीय सहायता के रूप में 384.60 करोड़ रुपए सहित) 1095 करोड़ रुपए के परिव्यय का बजट प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 में सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों के लिए विनिश्चित कार्यक्रम-वार परिव्यय का विवरण संलग्नक 7.1.1(i) में दर्शाया गया है। उसका सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2

वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 2003-04
1.	कल्याण और विकास	973.10
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	71.60
ii)	सीएसएस	516.90
iii)	एससीपी के लिए एससीए	384.60
2.	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	69.00
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	15.00
ii)	सीएसएस	54.00
3.	अल्पसंख्यक	52.90
i)	केन्द्रीय क्षेत्रक	52.90

ii)	सीएसएस	--
	कुल जोड़ : 1+2+3	1,095.00

23. यद्यपि, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने की दिशा में दसवीं योजना दृष्टिकोण, प्रथम वर्ष 2002-03 में नए उत्साह के साथ जारी रहा, फिर भी वार्षिक योजना 2003-04 में सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इन असुविधाप्राप्त समूहों के बीच निश्चित समाजार्थिक विकास सामाजिक न्याय के साथ प्राप्त किया जा सके। न केवल चालू विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर अतिरिक्त जोर दिया जाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कीमों को इन वर्गों की स्थिति समाज के शून्य वर्ग के बराबर तक लाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के दिशा में तीव्र गति के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए। यद्यपि, इन कमजोर वर्गों के बीच चहुंमुखी समाजार्थिक विकास के लिए चालू प्रयासों को तेजी से और अधिक प्राथमिकता के साथ जारी रखा जाएगा, तथापि, (i) सामाजिक सशक्तिकरण; (ii) आर्थिक सशक्तिकरण; और (iii) सामाजिक न्याय की सामान्य त्रिआयामीय नीति के जरिए, सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और तेज करने के वास्ते नए प्रयास भी किए जाएंगे।

सामाजिक सशक्तिकरण

24. पिछड़े समुदायों की समाजार्थिक स्थिति सुधारने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिक निविन्डि अन्य प्रोन्नयन कार्यक्रमों के साथ-साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से योग्यता के उन्नयन द्वारा उनकी मदद करना, शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करके, इन असुविधाप्राप्त समूहों के बीच शैक्षिक विकास प्राप्त करने के माध्यम से, सुनिश्चित करने की है। उच्च अध्ययन करने के वास्ते, पात्र छात्रों को शिक्षा शुल्क व अन्य खर्चों की अदायगी हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के स्कीम हेतु 265.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। अनुसूचित जाति छात्रों को उच्च तथा व्यावसायिक अध्ययन करने को सुकर बनाने के वास्ते, विस्तारित कवरेज के साथ पुस्तक कोश की स्कीम के माध्यम से पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2003-04 के लिए पुस्तक कोश स्कीम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है।

25. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कार्यक्रम को ऐसे बच्चों को हाथ से सफाई के परंपरागत व्यवसाय के शिकंजे से मुक्त कराने के अंतिम उद्देश्य के साथ अधिक प्रभावी बनाने के वास्ते और सुदृढ़ बनाया जा सके। यह स्कीम 1977-78 से कार्यान्वित की जा रही किन्तु स्कीम के प्रभाव के संबंध में और यह जानने के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है कि स्कीम की प्रभावशालिता को किस प्रकार बढ़ाया जाए। इसलिए, इसके प्रभाव का पता लगाने व स्कीम के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायों का पता लगाने/सुझाने के वास्ते वर्ष 2003-04 के दौरान स्कीम का स्वतंत्र रूप से व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कि हाथ से सफाई करने के सामाजिक उन्मूलन में विशेष रूप से योगदान प्राप्त हो सके। वार्षिक योजना 2003-04 में स्कीम के अंतर्गत 5.30 लाख छात्रों को कवर करने के वास्ते 14.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

26. मिडिल, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की ऊंची दरों पर रोक लगाने के वास्ते, सहायक सेवा के रूप में, राज्यों को

आनुपातिक आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण के वास्ते 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 2003-04 में 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। "अनुसूचित जाति छात्रों की योग्यता का स्तरोन्नयन व अनुसंधान तथा प्रशिक्षण" जैसे अन्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 60 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिश्चित किया गया है। आवासीय पब्लिक स्कूलों में अध्ययन करने के वास्ते अनुसूचित जातियों से संबंधित योग्य छात्रों को सहायता के नए कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपए का भी प्रावधान वर्ष 2003-04 के लिए किया गया है। यह स्कीम, अनुसूचित जाति छात्रों की योग्यता के उन्नयन की चालू स्कीम के एक अतिरिक्त घटक के रूप में होगी। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है जिससे कि प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों के प्रतिभावान बच्चों को संस्कृति के दृढ़ घटक के साथ व मूल्य जागृत करके उन्हें अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके; यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आवासीय स्कूलों के छात्र तीन भा-भाओं में यथापरिकल्पित, मौखिक व लिखित संप्रे-ण में दक्षता का स्तर प्राप्त कर सकें।

27. उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति छात्रों को शैक्षिक विकास प्राप्ति हेतु अल्पावश्यक इन्पुट व सहायता प्रदान करने के वास्ते अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें सम्मिलित हैं : (i) सम्बद्ध सेवाओं व अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कोचिंग केन्द्र, जिन्हें स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाया जाता है; और (ii) अम्बेडकर प्रति-ठान, जिसके तहत रा-ट्रीय/क्षेत्रीय सेमिनारों, कार्यशालाओं और संगो-ठियों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के वास्ते योजनागत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 के लिए एक करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। शैक्षिक विकास को पिछड़े अन्य कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की समाजार्थिक स्थिति सुधारने के एक महत्वपूर्ण इन्पुट को स्वीकारते हुए, तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के वास्ते, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक योजना 2003-04 में इन छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए 38.05 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में सुधार करने, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने की दरों को बढ़ावा देने तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के वास्ते, अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के और लड़कियों को छात्रावास स्कीम के अंतर्गत, अल्पसंख्यकों सहित अन्य कमजोर वर्गों के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के आवास व भोजन की सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। कोचिंग व सम्बद्ध स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों से संबंधित उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में आवश्यक कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के वास्ते तैयार/सज्जित करने में सुविधा मिल सके। वार्षिक योजना 2003-04 में इस स्कीम के लिए 7.35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

28. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवि-टि है क्योंकि ये बड़ी संख्या में विशेष-रूप से महिलाएं अब भी शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इसलिए उभरते रोजगार अवसरों के लिए इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षरता के स्तरों में सुधार और शिक्षा की कोटि के उन्नयन की दिशा में, प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। शिक्षा की मुख्य पद्धति में पालन की जा रही आधुनिक पाठ्यचर्या अपना कर मदरसों जैसे पारंपरिक विद्यमान शिक्षा संस्थानों को आधुनिक बनाकर और उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों का, विशेष-रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच

शिक्षा का विकास करके विशेष प्रयास किए जाएंगे। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों के बीच, विशेषतः अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। वर्ष 2003-04 के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के वास्ते 30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ, प्रतिष्ठान को 100 करोड़ रुपए की पूरी कौरपस राशि उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि प्रतिष्ठान को पूरी कोरप्स राशि (100 करोड़ रुपए) उपलब्ध करा दी गई है इसलिए वार्षिक योजना 2003-04 के बाद स्कीम समाप्त हो जाएगी। शिक्षा को स्थानीय अर्थव्यवस्था और उत्पादन पद्धति के साथ कार्यात्मक रूप से संगत बनाने के उद्देश्य से इसके व्यावसायीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा जिससे कि ये कमजोर वर्ग अपने आस-पड़ोस में आय सृजक और रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें।

आर्थिक सशक्तिकरण

29. अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के असुविधाप्राप्त समूहों के बीच आर्थिक उन्नति के महत्व को समझते हुए, उन कार्यकलापों पर प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया जाएगा जिनसे रोजगार व आयसृजन सुनिश्चित हो, जिनसे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थिर रूप से आय प्राप्त हो सके, जैसा कि दसवीं योजना में निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य से, सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों के लिए, विशेष रूप से परंपरागत व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के लिए क्षमता, निर्माण, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और ऋण विपणन तथा प्रौद्योगिकी समर्थन के पृष्ठ तथा अग्र संयोजनों के उद्यमशीलता विकास के माध्यम से रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झाड़ूकशों सहित अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनन्य रूप से कार्यरत वित्त तथा विकास निगमों जैसे समर्थनकारी वित्तीय संस्थानों को उनके आर्थिक विकास हेतु उत्प्रेरक एजेंटों के रूप में कार्य करने के वास्ते चुस्त बनाया जाएगा। निगमों यथा रा-द्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगमों (एनएसएफडीसी); राज्य स्तरीय अनुसूचित सजाति विकास निगमों (एससीडीसी); रा-द्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगमों (एनएससीएफडीसी), को आय व रोजगार सृजक विशेष रूप से स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करके, सहायता/समर्थन प्रदान करने के वास्ते सक्रिय बनाया जाएगा। दो रा-द्रीय शीर्ष स्तर संगठन, यथा रा-द्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) और रा-द्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) जिनके लिए वर्ष 2003-04 में क्रमशः 15.10 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लक्षित वर्गों को जैसे कि अनुसूचित जातियों व झाड़ूकश ऋण तथा अन्य सहायता/समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगे जिनका उद्देश्य स्थित आय सृजक कार्यकलापों के माध्यम से व्यावसायिक गतिशीलता प्राप्त करना है। राज्य स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को भी अनुसूचित जाति परिवारों को प्रेरित व सहायता प्रदान करने के वास्ते चुस्त बनाया जाएगा जिससे कि वे आर्थिक विकास स्कीमों/परियोजनाओं में शामिल हो सकें, जिसके लिए उन्हें स्वरोजगार व आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के उद्देश्य से मार्जिन राशि हेतु ऋण सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वार्षिक योजना 2003-04 में एससीडीसी के लिए 49.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

30. देश में अन्य पिछड़े वर्गों की उत्पादक क्षमता को स्वीकारते हुए, जो देश के कार्यबल का एक बड़ा भाग है, उनकी उत्पादक तथा तकनीकी क्षमताओं को इ-टतम बनाने की दसवीं योजना कार्यनीति को 2003-04 के दौरान प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा। इस संबंध में, देश के मानव संसाधनों का निर्माण करने के वास्ते एक महत्वपूर्ण इन्पुट के रूप में, अन्य पिछड़े वर्गों के समाजार्थिक विकास की

दिशा में भरपूर प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में, रा-ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) वर्ग 2003-04 के दौरान कृषि व इससे सम्बद्ध कार्यकलापों, यथा डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, पशुपालन, परंपरागत व अन्य शिल्पकार व्यवसाय, लघु व कुटीर उद्योग, परिवहन सेवाओं, लघु व्यापार और छोटी-मोटी दुकान आदि के क्षेत्र में मजदूरी व स्वरोजगार उद्यम - दोनों के जरिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आय सृजक समर्थनकारी कार्यकलापों के अपने कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करता रहेगा। वर्ग 2003-04 में एनबीसीएफडीसी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन वित्त विकास निगमों को पुनः सक्रिय बनाने तथा उनमें जान फूंकने के उद्देश्य से, उनके कार्य की समीक्षा की जाएगी और अत्यावश्यक सुधार कार्यान्वित किए जाएंगे जिससे कि वे इन कमजोर वर्गों को, व्यवहार्य व संघारणीय आय और रोजगार सृजक कार्यकलाप अपनाकर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते सहायता और समर्थन प्रदान करने में अपनी उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकें।

31. क्योंकि अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय, हथकरघा, हस्तशिल्प, चिकन कार्य, ग्लास कार्य, धातु कार्य आदि जैसे परंपरागत शिल्पों व कलाओं में लगे हैं तथा अपनी आजीविका के लिए इन कम आय वाले परंपरागत शिल्पों पर निर्भर हैं इसलिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को विशेष रूप से अधिक मांग वाले हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों, कौशल उन्नयन में व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्रेडिट सुविधाओं, विपणन सुविधाओं आदि की दृष्टि से उचित सहायता प्रदान करके मूल्य-वर्धन में बढ़ोत्तरी करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अनुसरण हेतु, रा-ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम (एनएमएफडीसी) को वित्तीय सहायता व अन्य आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाएगा। एनएमएफडीसी को स्वरोजगार कार्यकलाप प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से स्वयंसेवी समूहों के प्रोत्साहन के माध्यम से महिलाओं, पारंपरिक शिल्पकारों व अन्य व्यवसायिक समूहों पर बल देते हुए, प्रोत्साहित किया जाएगा। वार्षिक योजना 2003-04 में एनएमएफडीसी के लिए 22.40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक न्याय

32. सभी चारों सांविधिक आयोग यथा, रा-ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (1992), रा-ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1993), रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992) तथा रा-ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (1994), इन समूहों के अधिकारों और हितों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने और इस प्रकार उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और अधिक उत्साह के साथ कार्य करना जारी रखेंगे।

33. क्योंकि हाथ से सफाई करने की अमानवीय प्रथा अब भी रा-ट्रीय महत्व का मामला बना हुआ है, इसलिए दसवीं योजना में निर्धारित कार्यनीति में, सभी विद्यमान शु-क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ बदलने और इस प्रकार 2007 तक लक्ष्यानुसार एक समयबद्ध आधार पर हाथ से सफाई को पूर्ण रूप से समाप्त करने के वास्ते वैकल्पिक कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक रा-ट्र-व्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में शु-क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने, झाड़ूकशों का विनिर्धारण करने, उन्हें इस व्यवसाय से हटाने तथा प्रशिक्षण व वैकल्पिक रोजगार के साथ उनका पुनर्वास करने, पुनः बसाए गए लोगों की देखभाल, और राज्यों के कल्याण विभागों व स्थानीय निकायों के बीच कारगर समन्वयन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के वास्ते कार्रवाई करने व राज्य-विशिष्ट योजनाएं तैयार करने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस रा-ट्रीय प्रयास में, रा-ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अग्रणी भूमिका निभाएगा। वार्षिक योजना 2003-04 में इस प्रयोजनार्थ, झाड़ूकशों की मुक्ति और पुनर्वास की रा-ट्रीय स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सभी सम्बद्ध स्कीमों के अभिसरण और इस विनय तथा स्थान को एकल मंत्रालय के अधीन लाकर, 2007 तक मैला ढोने की इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए रा-ट्रीय कार्य योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

अनुसूचित जातियों के लिए एससीपी हेतु एससीपी तथा एससीए की विशेष कार्यनीतियां

34. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों के हितों की अनदेखी न हो, संबंधित विकास क्षेत्रों से आबादी के अनुपात में निधियां विनिश्चित करने व मात्रात्मक निधियां सुनिश्चित करने के वास्ते 1970 के दशक में शुरू की गई विशेष व्यवस्था यथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एससीपी) और एससीपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) को उनकी संरचना व प्रभावी/सार्थक रूप से कार्यान्वयन, दोनों दृष्टि से और सुदृढ़ किया जाएगा । इस संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नोडल एजेंसी होने के नाते, इन विशेष कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में बारीकी से नजर रखेगा । नोडल मंत्रालय के प्रयासों को पूरक बनाने/संपूरक करने में इन उपायों की कारगरता का अनुमान लगाने के वास्ते केन्द्र में एससीपी के लिए एससीपी तथा एससीए के कार्यान्वयन की समीक्षा, केन्द्रीय स्थायी त्रिपक्षीय समिति द्वारा की जाएगी ।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

35. 9 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) हैं जिनका वित्तपो-ण केन्द्रीय को-न से, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है (सीएसएस के ब्यौरों के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है) । सीएसएस के अंतर्गत वित्तपो-ण पद्धति निम्न प्रकार है : (i) अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक कोश (100 प्रतिशत); (ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां (100 प्रतिशत) ; (iii) अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों व कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास (50:50 और एनजीओ व विश्वविद्यालयों के लिए 90:10); (iv) अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) (50:50) अनुसूचित जाति निम्न साक्षरता क्षेत्र से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा, विकास कार्यक्रम (100 प्रतिशत), दसवीं योजना में समाप्त कर दिया गया; (v) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम (50:50 और एनजीओ व विश्वविद्यालयों के लिए 90:10); (vi) अनुसूचित जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन (100 प्रतिशत); (vii) पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन (50:50); (viii) झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास योजना; (50:50) और (ix) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों को योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां (50:50) । तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपो-ण की व्यवस्था है ।

36. यद्यपि सभी स्कीमें नौवीं पंचव-र्षीय योजना से चल रही हैं तथापि, एक स्कीम यथा अनुसूचित जाति निम्न साक्षरता क्षेत्र से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम को, शून्य आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया संबंधी कोर समिति के निर्णयानुसार दसवीं पंचव-र्षीय योजना में छोड़ दिया गया है । राज्यवार निधियां प्रदान करने का विवरण संलग्नक 7.1.3 में दर्शाया गया है।

स्वैच्छिक संगठन

37. आधार स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन असुविधाप्राप्त समूहों को विभिन्न कल्याण व विकास सेवाएं प्रदान करने के

सरकार के प्रयास को न केवल पूरकता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उन्हें अस्पृश्यता और सामाजिक तथा आर्थिक शो-ण जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सरकार व लक्षित वर्गों, दोनों की सहायता करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ।

राज्य क्षेत्रक

38. राज्य क्षेत्रक को, जो कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बल्कि एससीपी व एससीपी के लिए एससीए की विशेष कार्यनीतियों का इ-टतम व सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी चुस्त बनाया जाएगा । इस संबंध में उन स्कीमों/कार्यक्रमों के शीघ्र व प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे जिनका अनुसूचित जातियों पर विशेष बल देते हुए लाभप्रद उच्च कोटि रोजगार, शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, निर्धनता में कमी, वन तथा वृक्ष कवर में वृद्धि आदि के संबंध में दसवीं योजना में निर्धारित प्राप्ति-योग्य/मानीटरन योग्य लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है । अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में राज्य क्षेत्रक के लिए 3367.30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का
योजना परिव्यय और व्यय - वार्षिक योजना 2003-04

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण				
I.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)				
1	विशेष-संघटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष-केन्द्रीय सहायता (एससीए)	452.51	379.00	426.72	384.60
2	कमजोर वर्गों के लिए रा-द्वितीय वित्त विकास निगम	65.26	67.10	68.10	67.50
3	अनु.जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायता अनुदान	33.14	29.35	28.46	30.50
4	डा0 बी.आर. अम्बेडकर प्रति-ठान	1.00	1.00	1.00	1.00
	नई स्कीमें				
5	कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययन करने के लिए अनु. जातियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना				10.00
	कुल - 1	551.91	476.45	524.28	493.60
II.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)				
5	अनु.जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक कोश	162.27	275.00	154.50	265.00
6	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	10.04	14.50	12.50	14.50
7	अनु.जाति, अन्य पिछड़े वर्गों व कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास	50.74	61.50	57.85	58.00
8	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	21.00	25.00	24.00	49.00
9	अनु.जाति निम्न साक्षरता क्षेत्रों से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	0.15			
10	अनु.जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम	5.73	15.65	7.35	6.90
11	अनु. जाति छात्रों का योग्यता स्तरोन्नयन	1.00	42.00	5.50	65.00
12	पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	30.16	32.00	40.18	32.00
13	झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की रा-द्वितीय स्कीम	9.20	80.00	33.00	40.00
14	अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां	39.36	42.49	38.05	41.00
	i अ.पि.व. व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व व पश्चात छात्रवृत्तियां				40.99
	ii अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां		0.01	0.00	0.01
	iii अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां		15.40	0.00	(ली गई)
	कुल - II	329.65	603.55	372.93	571.40
	समग्र योग - I+II	881.56	1080.00	897.21	1065.00
	पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान			52.85	

* 100 करोड़ रुपए की कुल कोरप्स की बची हुई, जिसकी अदायगी प्रति-ठान को की जानी है तथा स्कीम को 2003-04 के दौरान समाप्त कर दिया जाएगा ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के
वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीम का नाम	यूनिट का नाम	वार्षिक योजनाएं			
			2001-02	2002-03		2003-04
			उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण					
I.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)					
1	विशेष-संघटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष-केन्द्रीय सहायता (एससीए)	लभार्थियों की सं.	2815000	400000	-	450000
2	कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	लभार्थियों की सं. नियमित स्कीमों की सं. माइक्रो क्रेडिट स्कीमों की सं.	73310 - -	129500 30000 20000	189930 23888 -	142000 40000 30000
3	अनु.जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायता अनुदान	लभार्थियों की सं. एजीओ की सं.	8500 322	92000 15	65185 76600	97000 -
4	डा0 बी.आर. अम्बेडकर प्रति-ठान	एजीओ की सं.	-	-	28	-
-	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता अनुदान	एजीओ की सं.	60	60	50	60
	नई स्कीमें					
5	कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययन करने के लिए अनु. जातियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना	आवासीय स्कूलों की सं.	-	-	-	20
II.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)					
5	अनु.जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक कोश	लभार्थियों की सं.	1545375	1716708	2105344	200000
6	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	लभार्थियों की सं.	441000	527300	555160	530000
7	अनु.जाति, अन्य पिछड़े वर्गों व कमजोर वर्गों के लिए छात्रावास	लभार्थियों की सं. सीटों की सं. छात्रावासों की सं.	6954 2404 60	6000 11000 380	5808 23071 402	6000 11500 400
8	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	लभार्थियों की सं.	144000	एए	एए	एए
9	अनु.जाति निम्न साक्षरता क्षेत्रों से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	संचालित स्कूलों की सं.	7	-	-	-
10	अनु.जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध स्कीम	लभार्थियों की सं. एजीओ की सं. कोचिंग केन्द्रों की सं.	20 11 -	27066 - -	18514 30 69	12000 3000 12500
11	अनु. जाति छात्रों की योग्यता स्तरोन्नयन	पुरस्कारों की सं.	276	25000	2144	20000
12	पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	स्थापित किए गए स्पेशल कोर्ट की सं.	-	141	120	141
13	झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम	प्रशिक्षित झाड़ूकशों की सं. पुनर्वास की संख्या	18000 -	33885 58583	43101 53066	35000 60000
14	अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां	लभार्थियों की सं.	542079	250000	839308	220000
	i अ.पि.व. व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व व पश्चात छात्रवृत्तियां	लभार्थियों की सं.	-	-	-	-
	ii अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां	लभार्थियों की सं.	-	-	-	-
	iii अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां	छात्रों की संख्या	-	1386	-	-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत 2002-03 में जारी केन्द्रीय हिस्सा									
		अनु.जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक कोश			अनु.जाति बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां	अनु.जा, अ.पि.वर्गों तथा कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवास					
		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	पुस्तक कोश	जोड़		अनु.जाति			अ.पि.व.	जोड़	
					लड़के	लड़कियां	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	आंध्र प्रदेश	5804.52	76.43	5880.95	252.60	462.83	505.50	968.33	210.00	1178.33	
2	असम	221.32	2.78	224.10	8.11	9.00	9.00	18.00	-	18.00	
3	बिहार	-	10.00	10.00	20.00	-	-	-	-	-	
4	छत्तीसगढ़	106.83	5.31	112.14	21.80	-	-	-	-	-	
5	गोवा	2.70	-	2.70	0.02	-	-	-	-	-	
6	गुजरात	-	-	-	-	77.00	23.05	100.05	-	100.05	
7	हरियाणा	180.92	8.47	189.39	-	4.50	-	4.50	-	4.50	
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	9.74	-	-	-	-	-	
9	जम्मू व कश्मीर	19.99	5.99	25.98	5.09	24.97	38.64	63.61	108.27	171.88	
10	झारखंड	266.64	-	266.64	1.15	-	-	-	-	-	
11	कर्नाटक	984.47	115.63	1100.10	11.45	274.31	651.84	926.15	263.77	1189.92	
12	केरल	674.44	16.79	691.23	-	-	79.50	79.50	-	79.50	
13	मध्य प्रदेश	371.81	24.99	396.80	62.62	344.67	-	344.67	50.00	394.67	
14	महाराष्ट्र	1696.66	-	1696.66	-	65.75	-	65.75	-	65.75	
15	मणिपुर	71.28	-	71.28	-	-	-	-	-	-	
16	मेघालय	6.90	-	6.90	-	-	-	-	-	-	
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	120.04	120.04	
19	पंजाब	60.00	14.51	74.51	0.00	-	-	-	-	-	
20	राजस्थान	400.67	-	400.67	38.83	-	-	-	-	-	
21	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	
22	तमिलनाडु	1658.56	61.86	1720.42	61.50	89.41	61.50	150.91	283.50	434.41	
23	त्रिपुरा	85.06	1.18	86.24	2.30	-	-	-	-	-	
24	उत्तर प्रदेश	1994.42	87.85	2082.27	-	71.08	36.91	107.99	195.47	303.46	
25	उत्तरांचल	-	-	-	7.78	-	-	-	-	-	
26	पश्चिम बंगाल	677.37	3.21	680.58	5.60	4.48	40.06	44.54	68.95	113.49	
27	चंडीगढ़	-	-	-	-	50.18	35.42	85.60	-	85.60	
28	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	दमन व दीव	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	
30	दिल्ली	-	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	
31	पॉण्डिचेरी	20.03	-	20.03	1.80	-	-	-	-	-	
	कुल	15304.67	447.00	15751.67	510.39	1478.18	1481.42	2959.60	1320.00	4279.60	

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत 2002-03 में जारी केन्द्रीय हिस्सा								
		अनुसूचित जाति विकास निगम	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना @	अनु.जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन	पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनु.जा./अनु.जनजा. (पीओए) अधिनियम 1989	झाड़ुकशों की मुक्ति और पुनर्वास की रा-द्रीय स्कीम	अन्य पि.व. के लिए योग्यता-आधारित छावृत्तियां			कुल जोड़
							मैट्रिक पूर्व	मैट्रिक पश्चात्	जोड़	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	498.50	111.80	26.70	328.14	2966.80	645.25	247.86	893.11	12136.93
2	असम	-	-	13.80	-	-	-	8.39	8.39	272.40
3	बिहार	-	6.00	-	65.00	-	-	-	-	101.00
4	छत्तीसगढ़	503.70	-	21.52	88.27	-	-	-	-	1222.43
5	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	2.72
6	गुजरात	-	5.45	-	226.62	-	-	-	-	332.12
7	हरियाणा	-	24.68	7.65	27.28	-	-	-	-	253.50
8	हिमाचल प्रदेश	25.60	-	-	4.72	239.96	-	-	-	280.02
9	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	14.32	14.32	217.27
10	झारखंड	-	-	-	105.97	-	-	214.08	214.08	587.84
11	कर्नाटक	160.50	-	28.20	567.05	888.37	184.75	211.69	396.44	4342.03
12	केरल	437.70	22.01	3.00	73.15	-	-	-	-	1306.59
13	मध्य प्रदेश	-	19.99	73.50	435.98	-	-	-	-	1383.56
14	महाराष्ट्र	-	-	-	772.52	-	-	-	-	2534.93
15	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	60.20	60.20	131.48
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	6.90
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	उड़ीसा	-	-	36.60	0.81	-	-	-	-	157.45
19	पंजाब	-	7.76	-	-	-	-	-	-	82.27
20	राजस्थान	-	-	7.01	19.28	-	-	198.95	198.95	664.74
21	सिक्किम	100.50	-	1.50	1.90	-	171.23	5.29	176.52	300.42
22	तमिलनाडु	400.00	-	-	336.66	-	240.00	352.81	592.81	3545.80
23	त्रिपुरा	-	-	3.00	-	-	-	254.03	254.03	345.57
24	उत्तर प्रदेश	314.60	-	36.25	886.64	-	606.00	1016.14	1622.14	5245.36
25	उत्तरांचल	61.40	-	-	22.42	-	-	-	-	91.60
26	पश्चिम बंगाल	-	-	45.90	-	-	26.85	258.14	284.99	1130.56
27	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	85.60
28	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	26.32	-	-	-	-	26.32
29	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08
30	दिल्ली	-	10.00	-	-	-	-	-	-	22.00
31	पॉण्डिचेरी	-	-	-	29.23	-	-	-	-	51.06
	कुल	2502.50	207.69	304.63	4017.96	4095.13	1874.08	2841.90	4715.98	36860.55

@ ये आंकड़े अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को छोड़कर केवल अनुसूचित जाति के संबंध में हैं क्योंकि नियमों सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा एनजीओ को प्रदान की गईं ।

योजना परिव्यय तथा व्यय - सामाजिक असुविधाप्राप्त समूह

(अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु.जनजाति व अल्पसंख्यक)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	29152	70369	59673	79987
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	2237	5293	5293	5499
4	बिहार	383	2410	2026	3834
5	छत्तीसगढ़	3226	4195	4195	5698
6	गोवा	63	77	77	177
7	गुजरात	27098	32628	26763	32324
8	हरियाणा	1400	1300	1300	1350
9	हिमाचल प्रदेश	335	1212	923	1431
10	झारखंड	525	746	667	1075
11	जम्मू व कश्मीर	-	20318	20318	21118
12	कर्नाटक	32005	26704	32817	22994
13	केरल	12000	24651	19626	17951
14	मध्य प्रदेश	5533	18802	18625	25780
15	महाराष्ट्र	21065	27542	27542	29922
16	मणिपुर	421	1214	1214	779
17	मेघालय	10	10	10	10
18	मिजोरम	-	-	-	-
19	नागालैंड	-	-	-	-
20	उड़ीसा	2861	12462	11961	18811
21	पंजाब	4670	3284	4367	3576
22	राजस्थान	172	7513	9104	3001
23	सिक्किम	439	550	517	981
24	तमिलनाडु	18644	9738	11454	22490
25	त्रिपुरा	3413	4614	4614	4930
26	उत्तर प्रदेश	22497	20808	11761	20851
27	उत्तरांचल	987	1596	1596	1638
28	पश्चिम बंगाल	6128	8603	5328	5261
	कुल - राज्य	195264	306639	281771	331468
	संघ राज्य क्षेत्र				
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	70.00	105.00	108.00	165.70
2	चंडीगढ़	64.13	93.00	93.00	95.00
3	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-
4	दमन व दीव	18.00	12.84	12.84	18.00
5	दिल्ली	2400.00	2450.00	3638.00	3500.00
6	लक्षद्वीप	-	-	-	-
7	पांडिचेरी	803.01	1200.00	1217.80	1483.18
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र	3355.14	3860.84	5069.64	5261.88
	कुल जोड़	198619.14	310499.84	286840.64	336729.88
वि.दि.	2003-04 ब.अ. आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।				

7.2 अनुसूचित जनजातियां

सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाबद्ध विकास की पद्धति में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जो अभी भी न केवल समाजार्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं बल्कि अपेक्षतया अलग-थलग भी हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 67.76 मिलियन है जो देश की कुल आबादी के 8.08 प्रतिशत का द्योतक है। इनमें से 1.32 मिलियन (1.95 प्रतिशत) आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) से हैं। यद्यपि अनुसूचित जातियां शून्य सोसायटी से काफी पिछड़ी हुई हैं तथापि, पीटीजी की स्थिति शून्य जनजातियों से भी बदतर है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनजाति आबादी आंकड़ों के अभाव में अनुमान है कि इनकी संख्या 2001 में 88.8 मिलियन तक पहुंच गई होगी।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2003-04 के लिए परिव्यय

2. वार्षिक योजना 2002-03 का, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की प्रथम वार्षिक योजना है, दसवीं योजना की समग्र कार्यनीति और प्राथमिकताओं को देखते हुए, नीतियों तथा कार्यक्रमों व जनजातियों के विकास के लिए की गई नई पहलों की दृष्टि से, महत्वपूर्ण है। वार्षिक योजना 2002-2003, स्कीमों की संख्या के युक्तिकरण और न्यूनतम बनाने की शून्य आधारित बजट-पद्धति (जेड बी बी) प्रक्रिया के जरिए लिए गए निर्णयों के अनुसार स्कीमों के कार्यान्वयन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की संख्या को दसवीं योजना में कम करके 10 कर दिया गया जबकि नौवीं योजना में इनकी संख्या 16 थी। इसी प्रकार, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) की कुल संख्या 9 से कम करके 4 कर दी गई।

3. वर्ष 2002-03 में जनजातियों के विकास के लिए 1090 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसमें, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए 144.01 करोड़ रुपए; केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के लिए 145.99 करोड़ रुपए; 500 करोड़ रुपए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के लिए; तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता- अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपए शामिल हैं। राज्य क्षेत्रक में, जनजातीय विकास, पिछड़े वर्ग क्षेत्रक का हिस्सा है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं। जनजातीय विकास के संबंध में राज्य क्षेत्रक सूचना "सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों" संबन्धी अध्याय 7.1 के संलग्नक 7.1.3 में सम्मिलित है। योजना परिव्यय के केन्द्रीय परिव्यय तथा व्यय का स्कीम-वार विवरण संलग्न है (संलग्नक 7.2.1), जिसका सारांश तालिका 7.2.1 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान कुल व्यय 1,005.81 करोड़ रुपए अनुमानित है जो कुल परिव्यय के 92.28 प्रतिशत उपयोग को प्रदर्शित करता है। वार्षिक योजना 2001-02 के व्यय की तुलना में 2002-03 के 821.31 करोड़ रुपए परिव्यय में 25% की वृद्धि हुई है।

तालिका 7.2.1
वर्ष 2002-2003 के दौरान जनजातीय विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक
परिव्यय और प्रत्याशित व्यय तथा 2003-04 के दौरान परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	मद	वार्धिक योजना 2002-03		वार्धिक योजना 2003-04
		ब.अ.	प्रत्या.व्यय	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	144.01	122.26	159.51
2	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	145.99	83.55	130.49
3	टीएसपी के लिए एससीए	500.00	500.00	500.00।
4	अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत सरकार की सहायता	300.00	300.00	300.00
	जोड़	1090.00	1005.81	1090.00

* संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2.99 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं ।
(स्रोत: जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार)

4. जनजातीय विकास की प्रक्रिया को, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय की त्रि-आयामीय कार्यनीति की दसवीं योजना के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी रखा जाएगा । इसके लिए, पिछले वर्ष की भांति, वर्ष 2003-04 के लिए 1090 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है । इसमें, 290 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए, 500 करोड़ रुपए टी एस पी के लिए; और 300 करोड़ रुपए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत सरकार की सहायता सम्मिलित है। स्कीम-वार परिव्ययों का विवरण संलग्नक 7.2.1 में दिया गया है । वर्ष 2003-04 के दौरान जनजातीय विकास हेतु अनुमोदित परिव्यय का सारांश ऊपर तालिका 7.2.1 में दिया गया है । राज्य क्षेत्रक सूचना "सामाजिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों" संबंधी अध्याय के संलग्नक 7.1.3 में सम्मिलित है ।

सामाजिक सशक्तिकरण

5. जनजातियों का सामाजिक सशक्तिकरण, महिला साक्षरता दर में सुधार करने पर विशेष बल देते हुए, जनजातियों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रोन्नयन के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है । जनजातियों के बीच शैक्षिक विकास की दिशा में कार्यान्वित स्कीमों में सम्मिलित तीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हैं :- (i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (पीएमएस), पुस्तक कोश तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का स्तरोन्नयन; (ii) अनुसूचित जनजातीय छात्रों (लड़के और लड़कियों) के लिए छात्रावास; (iii) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल; और (iv) कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम । मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों (पीएमएस), पुस्तक कोश और अनुसूचित जनजाति छात्रों की योग्यता के स्तरोन्नयन की स्कीम के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारियों के अतिरिक्त, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम पर कुल परिव्यय की राशि 68.49 करोड़ रुपए थी। इसके बदले, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 53.91 करोड़ रुपए (79%) की राशि प्रदान की गई, तथा

वास्तविक उपलब्धि थी: 2,02,730 छात्रों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकों के 3219 सैटों की खरीद, जिनसे 5721 छात्र लाभान्वित हुए तथा 494 छात्रों के लिए योग्यता का स्तरोन्नयन। पी एम एस, पुस्तक कोश और अनुसूचित जनजातीय छात्रों की योग्यता के स्तरोन्नयन की पुनर्गठित छात्र स्कीम के अंतर्गत, 56.49 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ वर्ष 2003-04 के दौरान, जो पिछले वर्ष प्रदत्त राशि की तुलना में लगभग 5% अधिक है, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाता रहेगा। इस वर्ष के लिए 6,99,680 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, 600 पुस्तक कोशों और 370 छात्रों की योग्यता के स्तरोन्नयन का वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित है।

6. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावासों की स्कीम के तहत वर्ष 2002-03 में 24 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था, जिसमें से 7,750 छात्रों के लाभार्थ 148 छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल 13.50 करोड़ रुपए (56%) प्रदान किए गए। 5850 सीटों के साथ 115 बाल छात्रावासों के निर्माण के लिए 7.16 करोड़ रुपए, और 1700 सीटों के साथ 33 बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए 6.34 करोड़ रुपए प्रदान किए। वर्ष 2003-04 के दौरान, यद्यपि राज्यों को अपना आनुपातिक हिस्सा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तथापि, जनजातीय मामले मंत्रालय, अन्य समानांतर विभागों/स्वायत्त निकायों/एनजीओ के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करेगा तथा स्कीम को 2003-04 के दौरान 24 करोड़ रुपए के पुनः परिव्यय के साथ जारी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत लड़के तथा लड़कियों के लिए 101 छात्रावासों का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है।

7. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना एक सीएसएस स्कीम है जिसे 21 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आश्रम स्कूलों के कामकाज की समीक्षा करने से पता चला है कि इनमें से अधिकांश रिहायशी स्कूलों में न केवल बुनियादी सुविधाओं का अभाव है बल्कि उनका रख-रखाव भी असंतोषजनक है। वर्ष 2002-03 के लिए आश्रम स्कूलों हेतु केन्द्रीय परिव्यय 14 करोड़ रुपए है। इसके बदले, 7625 सीटों के साथ 135 आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 9.50 करोड़ रुपए का व्यय किया गया (68%)। वर्ष 2003-04 के दौरान 14 करोड़ रुपए के इतने ही परिव्यय की, 46 आश्रम स्कूलों के लक्ष्य के साथ, व्यवस्था की गई है।

8. न्यून साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्कीम उन जिलों में चल रही है जहां अनुसूचित जनजातीय महिलाओं/बच्चों की साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस स्कीम के तहत आबंटन की राशि 8 करोड़ रुपए थी, जिसके बदले 6 करोड़ रुपए (75%) व्यय की रिपोर्ट की गई है। अभी तक, 1955-56 से स्कीम के अंतर्गत 175 शैक्षिक परिसरों की स्थापना की गई है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2003-04 में, 170 शैक्षिक परिसरों के वास्तविक लक्ष्य के साथ 8 करोड़ रुपए का ही परिव्यय निर्धारित किया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण

9. जीवन और परिवार की मूल आवश्यकताओं तथा आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिए आय का एक संधारणीय स्रोत, "आर्थिक सशक्तिकरण" का एक प्रमुख पहलू है तथा जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार व आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के वास्ते वित्तीय सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक स्कीमें कार्यान्वित की गईं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) की स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और साथ ही सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों/संगठनों को भी 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम के अंतर्गत परिव्यय की राशि

12 करोड़ रुपए थी जिसमें से कार्यान्वयन एजेंसियों को 6.30 करोड़ रुपए की राशि (53%) प्रदान की गई। पूर्ववर्ती वर्न में प्रदत्त राशि को ध्यान में रखते हुए, वर्न 2003-04 के दौरान 8 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्तमान वर्न के दौरान राज्यों और एनजीओ द्वारा लगभग 244 वीटीसी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

10. रा-ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राज्य अनुसूचित जनजाति तथ वित्त निगमों (एसएसटीडीएफसी) की स्कीम के अंतर्गत जनजातियों के बीच उद्यमशीलता विकास हेतु सहायता और समर्थन जारी रहा। वर्न 2002-03 के दौरान, एनएसटीएफडीसी के लिए शेयर पूंजी के रूप में 32 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया। निगम ने 83 नई परियोजनाओं के लिए 35.20 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की जिससे 4093 अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित हुए। वर्न 2003-04 के दौरान इस स्कीम के तहत 37.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

11. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि0 (ट्राइफेड), गौण वन उत्पाद (एमएफपी) सहित जनजातीय उत्पाद के लिए लाभकारी समर्थन कीमतें प्राप्त करने तथा रोजगार अवसरों के साथ विपणन हेतु एक रा-ट्र-स्तरीय शी-र्न निकाय है। वर्न 2002-03 के दौरान ट्राइफेड के लिए 6.01 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई जिसमें से 5.95 करोड़ रुपए (99%) की राशि प्रदान की गई। 2002-03 के लिए परिव्यय का स्तर वही, अर्थात् 6.01 करोड़ रुपए रहेगा। इसी प्रकार, राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (टीडीसीसी), वन विकास निगम (एफडीसी), गौण वन उत्पाद व्यापार और विकास संघ (एमएफपीटीडीएफ) को सहायता प्रदान की गई, जिससे कि गौण वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रह की मात्रा में वृद्धि की जा सके, प्रसंस्करण यूनिटों के साथ भंडारगृहों/गोदामों की स्थापना करने के लिए वे अपनी शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ कर सकें। वर्न 2002-03 के दौरान, टीडीसीसी/एफडीसी/एमएफपीटीडीएफ को 15 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई जबकि परिव्यय की राशि 14 करोड़ रुपए थी। वर्न 2003-04 के लिए इस परिव्यय को बढ़ा कर 18 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

12. भुखमरी और पो-नाहार कमियों की वजह से दूरवर्ती व पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में सामान्यतः जनजातियों के बीच और विशेष रूप से बच्चों की मौतों को रोकने के उद्देश्य से जनजातीय परिवारों को समूह में (लगभग 20 के हिसाब से) ट्राइफेड के माध्यम से, ग्राम अन्न बैंकों की स्कीम चलाई जा रही है। शुरुआत से, अभी तक 645 बैंकों की स्थापना की गई है। वर्न 2002-03 के दौरान स्कीम के अंतर्गत आबंटन की राशि 20 करोड़ रुपए थी जिसमें से केवल 9.19 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई (46%)। वर्न 2003-04 में स्कीम के वास्ते आबंटन की राशि 30 करोड़ रुपए है तथा बैंकों की लक्षित संख्या 3367 है।

सामाजिक न्याय

13. नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (पी ओ ए) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भी किए जाने वाले भेदभाव और अत्याचार की सतत समस्याओं को रोकने/नियंत्रित करने के लिए दो महत्वपूर्ण विधायी साधन हैं। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के संबंध में एकसमान स्कीम है और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ।

टीएसपी की कार्यनीतियां तथा टीएसपी के लिए एससीए

14. जनजातियों, विशेष-रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के बीच आर्थिक विकास को 2002-03 के दौरान प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत निधियां प्रदान करने के संबंध में मार्गनिर्देशों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है जिससे कि रोजगार-सह-आय-सृजक कार्यकलापों के आयोजन के वास्ते स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी)/समुदायों को सहायता प्रदान की जा सके । वर्ष 2002-03 के दौरान टीएसपी के लिए एससीए के रूप में 500 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है तथा इतनी ही राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई । वार्षिक योजना 2003-04 के लिए भी टीएसपी के लिए एससीए के रूप में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

15. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत उपलब्ध निधियां भी राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर सुधारने के वास्ते विशेष-परियोजनाओं की लागत वहन करने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की जाती है । निधियों का उपयोग, कक्षा VI से X में अध्ययन करने वाले जनजातीय छात्रों के लिए "एकलव्य विद्यालय" नामक 100 मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने के लिए किया गया । संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध-1 के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों में संरचनात्मक विकास पर ध्यान देने तथा वन ग्रामों व आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है । वर्ष 2002-03 के लिए आबंटन की राशि 300 करोड़ रुपए थी तथा बताया गया है कि पूरी राशि राज्यों को प्रदान कर दी गई। वर्ष 2003-04 के लिए भी 300 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

16. 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 75 पीटीजी का विनिर्धारण किया गया है । पीटीजी का कल्याण और विकास, पेयजल, आवासन, सिंचाई और शिक्षा जैसे एक पैकेज की व्यवस्था करके "पीटीजी के विकास" स्कीम हेतु, आईटीडीपी/आईटीडीए/टीआरआई और एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । वर्ष 2002-03 में स्कीम हेतु परिव्यय की राशि 20 करोड़ रुपए थी जिसमें से केवल 13.75 करोड़ रुपए (69%) कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए जा सके । वर्ष 2003-04 में भी स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

वार्षिक योजना 2003-04 के संबंध में दृष्टिकोण

17. वार्षिक योजना 2003-04 के अंतर्गत, दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप प्रथम वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान जनजातीय विकास हेतु शुरू किए गए उपायों का सुदृढीकरण जारी रहेगा । चल रहे कल्याण और विकास कार्यक्रमों को और अधिक ध्यान के साथ कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि जनजातियों का स्तर शून्य समाज के बराबर तक ऊंचा उठाने के जनजातीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में तेजी लाई जा सके । वर्ष 2003-04 के दौरान कार्रवाई मुद्दों के माध्यम से, जिनका उल्लेख इस खंड में बाद में किया गया है, नई पहलें भी शुरू की जाएंगी ताकि देश में जनजातीय विकास की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके ।

18. एनएसटीएफडीसी, ट्राइफेड जैसे शीर्ष स्तर समर्थन संस्थानों तथा उनके राज्य प्रतिभागियों को, विशाल विपणन क्षमता वाले उपयुक्त व नूतन आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए जनजातियों को सहायता/समर्थन प्रदान करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में, जड़ी-बूटियों, जटरोपा - एक बायो-डीजल स्रोत, रबड़ तथा काफी बागान तथा बांस उत्पादों की खेती तथा उत्पादन को पौध, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, पृ-ठ व अग्र बाजार संयोजनों के साथ मूल्य वृद्धि के जरिए आवश्यक इन्पुटों की व्यवस्था करके, जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाएगा।

19. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), जो एक बहुमुखी दृष्टिकोण है, 23 टीएसपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 194 आईटीडीपी/आईटीडीए, 259 एमएडीए पॉकेटों तथा 82 संकुलों (क्लस्टर्स) के माध्यम से, अनुसूचित जनजातियों का शो-ण रोककर व उनके व्यापक समाजार्थिक विकास द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की विशेष कार्यनीति पर अमल किया जाना, अन्य सामान्य विकास क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातीय विकास हेतु निधियों का आनुपातिक प्रवाह सुनिश्चित करने के वास्ते, सक्रिय रूप से भूमिका निभाने के उद्देश्य से जारी रहेगा। टीएसपी राज्यों से, न केवल एक पृथक शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए आनुपातिक निधियों की मात्रा तय करने के लिए ही नहीं बल्कि एकत्रित निधियों को नोडल विभाग के मातहत रखने के लिए भी, जो प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा, टीएसपी का महारा-ट्र मॉडल, अपनाने का सुझाव दिया गया है।

20. टीएसपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, विद्यमान परिस्थितियों के अंतर्गत उपयुक्त विकास कार्यकलापों के विशि-ट पैकेज तथा संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) जैसे वन विभाग कार्यक्रमों के साथ कारगर तालमेल सुनिश्चित करके वन ग्रामों के विकास हेतु, निधियों के उपयोग का प्राथमिकताकरण किया जाएगा। टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत वित्तपो-ण पद्धति में किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सम्मिलित है : पीटीजी का विकास, बदलती खेतीहर, महिलाओं को महिला संघटक योजना में एक प्रमुख भूमिका प्रदान करना और 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना।

21. पीटीजी का विकास, जो असंतो-जनक स्थिति में है तथा जिनमें से कुछेक समाप्ति के कगार पर हैं, एक प्राथमिकतापूर्ण चिंता का वि-य बना हुआ है। पीटीजी की उत्तरजीविता तथा संरक्षण हेतु रा-ट्रीय कार्रवाई योजना, स्वास्थ्य, पो-नाहार, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित कार्यकलाप शुरू करने पर विशेष बल देते हुए, तैयार की जाएगी। संबंधित राज्यों को, प्रत्येक समूह की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग पीटीजी विनिर्दि-ट योजना तैयार करने और उन्हें उनके तीव्र विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

22. क्योंकि जनजातियां अपेक्षतया अलग-थलग स्थिति में रहती हैं, इसलिए वे सरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न विकास प्रयासों की पहुंच से बाहर रहती हैं। पीटीजी सहित, जनजातियों के समाजार्थिक विकास में, स्वैच्छिक संगठन और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को समझते हुए उन्हें विकास में सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने और शो-ण के विरुद्ध संघ-र्न करने में जनजातीय समूहों की मदद करने के वास्ते प्रोत्साहित किया जाएगा। छोटे स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता विकसित करने में मदद करने तथा सरकार के भागीदारों के रूप में कार्य करने के वास्ते एक कार्यनीति के रूप में प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों (मातृ एनजीओ) का विनिर्धारण करने के वास्ते कार्रवाई की जाएगी।

23. क्योंकि इन मुद्दों/समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रमों की तत्काल जरूरत है इसलिए योजना आयोग ने, जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ परामर्श करके वर्ष 2003-04 के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट "कार्रवाई मुद्दे" विनिर्धारित किए हैं :

- (i) रा-ट्रीय कार्रवाई योजना के साथ-साथ "भारत की जनजातियों के सशक्तिकरण" के लिए रा-ट्रीय नीति का निर्माण ।
- (ii) "आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास हेतु रा-ट्रीय कार्रवाई योजना" तैयार करना; और
- (iii) 5,000 वन ग्रामों तथा उनमें रहने वाली जनजातियों का विकास ।

जनजातीय मामलों का नोडल मंत्रालय, उपरोक्त कार्रवाई मुद्दों के संबंध में समुचित कार्रवाई करने के संबंध में कार्यरत है । की गई कार्रवाई तथा उपलब्धियों का त्रैमासिक आधार पर मानीटरन किया जा रहा है ।

संलग्नक 7.2.1

जनजातीय मामले मंत्रालय का योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक व्यय	ब.अ.	व्यय	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनजाति छात्रों की कोचिंग के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	23.80	32.00	30.87	32.00
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2.33	12.00	6.30	8.00
3	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	2.50	8.00	6.00	8.00
4	ट्राइफेड में निवेश तथा मूल्य समर्थन	0.00	6.01	5.95	6.01
5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगमों को सहायता-अनुदान	11.71	14.00	15.00	18.00
6	ग्राम अन्न बैंक	2.00	20.00	9.19	30.00
7	आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	5.14	20.00	13.75	20.00
8	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राज्य अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगमों को सहायता-अनुदान	0.19	32.00	35.20	37.50
9	सूचना और जनसंचार शिक्षा	0.10			
	जोड़ - I	47.77	144.01	122.26	159.51
II.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)				
10	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक कोशों और अनुसूचित जनजाति छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	28.32	68.49	53.91	56.49
11	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग व सम्बद्ध स्कीम	0.22			
12	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों की स्कीम	14.15	24.00	13.50	24.00
13	जनजातीय उपयोगिता क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	4.40	14.00	9.50	14.00
14	अनुसंधान तथा जनसंचार शिक्षा, जनजातीय त्यौहार व अन्य	0.70	10.50	6.64	7.00
15	राज्य अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विकास निगम (एसटीडीसी) को सहायता-अनुदान	0.19			
	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान		29.00	0.00	29.00
	जोड़ - II	47.98	145.99	83.55	130.49
III	जनजातीय उपयोगिता (टीएसपी) के लिए विशेष-केन्द्रीय सहायता (एससीए)	500.00	500.00	500.00	500.00*
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान	225.56	300.00	300.00	300.00
	समग्र योग - I+II+III+IV	821.31	1090.00	1005.81	1090.00

* वर्ष 2003-04 के दौरान टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2.99 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित है।

स्रोत: जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार।

7.3 अन्य विशेष-समूह

प्रस्तावना

तेज गति से आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा साथ ही ग्रामीण शहरी अप्रवास में बढ़ती प्रवृत्तियों का समाज के मार्जिनकृत, कमजोर और सुविधाविहीन वर्गों के समाजार्थिक विकास पर पर्याप्त हानिकर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही, सामाजिक और संयुक्त परिवार की कड़ी कमजोर होने से भी, जिससे इन समूहों को परंपरागत रूप से बुनियादी सहायता प्रणाली उपलब्ध होती थी, ये वर्ग लाचार हो गए हैं और इनकी कठिनाई में और वृद्धि हुई है जिससे इन्हें सामाजिक अलगाव, कुसमायोजन, आश्रयहीनता, भिक्षावृत्ति आदि प्राप्त हुई है।

2. समाज के सुविधाविहीन और कमजोर वर्गों के बीच प्रमुख रूप से, जो तेजी से होने वाले समाजार्थिक परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ हैं, अन्य विशेष-समूहों से संबंधित हैं, अर्थात् लोको-मोटर, दृश्य, श्रवण, वक्तृत्व सहित अक्षमताओं वाले व्यक्ति और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति; सामाजिक पथभ्र-ट, जो कानून के विरोधी हैं, अर्थात्, किशोर अपराधी/आवारा, मादक औषधि सेवनकर्ता, शराबखोर, सेक्स कार्यकर्ता, भिखारी आदि तथा अन्य सुविधाविहीन, यथा वृद्ध व्यक्ति, कठिनाईग्रस्त बच्चे, जैसाकि आवारा बच्चे, अनाथ बच्चे आदि। विकलांग तथा वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें जनसंख्या जनगणना के दौरान गिन लिया जाता है, अन्य समूहों की संख्या के संबंध में, सिवाय यदा-कदा सर्वेक्षणों और लघु अध्ययनों के, कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2001 की जनगणना के अभाव में, विकलांगों की संख्या (मानसिक रूप से अक्षम को छोड़कर) अनुमानतः 20.54 मिलियन अथवा देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.0 प्रतिशत है। वृद्धों की संख्या (60 वर्ष से अधिक) 70.6 मिलियन (2001 जनगणना) अथवा देश की आबादी की 6.9 प्रतिशत है।

3. क्योंकि "विकलांगों को सशक्त बनाने," सामाजिक पथभ्र-टों को सुधारने" और "अन्य सुविधाविहीनों की देखभाल" की त्रिआयामीय नीति, जैसे नौवीं योजना के दौरान अपनाया गया था, लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी सिद्ध हुई है, इसलिए दसवीं योजना में समाज कल्याण क्षेत्रक में इन्हीं प्रक्रियाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इन चालू प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दसवीं योजना में, एक बहु-क्षेत्रकीय दृष्टिकोण अपनाकर, सभी कल्याण-सम्बद्ध क्षेत्रकों में विद्यमान सेवाओं में अभिसरण का प्रयास किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

4. अन्य विशेष-समूहों के कल्याण और विकास के लिए दसवीं योजना के दृष्टिकोण के अनुसरण में, बहुत सी स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि ये सुविधाविहीन समूह, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी सामाजिक, आर्थिक और भौतिक कमियों को पूरा कर सकें। वार्षिक योजना (2002-03) में केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए 330 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें 232.50 करोड़ रुपए नीतिगत कार्यक्रमों और विकलांगों के लिए स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए तथा 97.50 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीनों के लिए सम्मिलित हैं। इसके अलावा, वर्ष 2002-03 में इन समूहों के कल्याण और विकास के लिए राज्य क्षेत्रक में 1312.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

5. दसवीं योजना में पालन की जा रही त्रिआयामीय कार्यनीति, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के नोडल मंत्रालय और संबंधित भागीदार मंत्रालय/विभागों के बहु-सहयोगात्मक व अंतर-क्षेत्रकीय प्रयासों के माध्यम से, वार्षिक योजना 2002-03 में मार्गदर्शी सिद्धांत बने रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वार्षिक योजना 2002-03 में प्राप्त प्रगति का संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण और विकास

6. बहुत से विकलांगों को समाज के यथासंभव सक्रिय, आत्म-निर्भर व उत्पादक सदस्य बनाने का दसवीं योजना का प्रमुख ध्येय वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान किए गए प्रयासों में परिलक्षित होता है। विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के फलस्वरूप विकलांगों के बीच जागरूकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वे अपने अधिकारों तथा अपनी संवर्धित आकांक्षाओं के प्रति सचेत हो गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगों की बहु-आयामीय समस्याओं और जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के संबंध में अनेक प्रावधान सम्मिलित हैं, जिनमें अक्षमताओं की शीघ्र पहचान करने व उनका निवारण करने से लेकर उपचारात्मक, पुनर्वास तथा विकासात्मक उपाय शामिल हैं। इन प्रयासों में विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, रोजगार के अधिक अवसर, सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत तक आरक्षण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सम्मिलित हैं। विद्यमान प्रावधानों को और मजबूत करने तथा पक्की कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा, बाधा-मुक्त पर्यावरण जैसी नूतन विशेषताएं प्रारंभ करने व इन सभी के अलावा, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदारियां सौंपकर एक बहु-सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में और संशोधन किया जा रहा है।

7. विकलांगों के लिए सेवाओं का एक वृहत पैकेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छः प्रमुख शीर्ष स्तरीय रा-द्वितीय संस्थानों, नामतः रा-द्वितीय दृष्टि विकलांग संस्थान (देहरादून); रा-द्वितीय शारीरिक विकलांग संस्थान (कोलकाता); रा-द्वितीय श्रवण विकलांगता संस्थान (मुम्बई); और रा-द्वितीय मानसिक विकलांगता संस्थान (सिकंदराबाद); ने, दो शीर्ष स्तरीय संस्थान, यथा शारीरिक विकलांग संस्थान (नई दिल्ली); और रा-द्वितीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (कटक) के साथ अपने-अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कार्य करना जारी रखा। उन्होंने व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की तथा अनुसंधान व सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों, स्वास्थ्य और पुनर्वास शिविरों आदि का आयोजन किया। अपनी बाह्य सेवाओं के माध्यम से इन संस्थानों ने, अयोग्यताओं का शीघ्र पता लगाने और उनके निवारण के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए। इन संस्थानों ने वर्ष 2002-03 के दौरान पुनर्वास सेवाओं की कुल मिलाकर 319 हजार यूनिटों की व्यवस्था की। वार्षिक योजना 2002-03 में 28.20 करोड़ रुपए की राशि व्यय होने की प्रत्याशा है जबकि परिव्यय की राशि 32 करोड़ रुपए थी। रा-द्वितीय संस्थानों के प्रयासों को प्रभावी ढंग से पूरा बनाने तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपनी विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करने के वास्ते वर्ष 2000-01 में श्रीनगर, लखनऊ, सुरेन्द्रनगर, भोपाल और गुवाहटी में पांच मिश्रित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) ने कार्य करना शुरू कर दिया। इनके अलावा, मेरुदंडीय आघात के संबंध में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आरआरसी) (जबलपुर, मोहाली, बरेली तथा कटक) ने भी अपनी अस्थाई इमारतों का निर्माण पूरा होने तक तकनीकी सहायता और रेफरल सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। अभी तक सीआरसी सेवाओं से 86,273 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 27219 से अधिक व्यक्ति आरआरसी से लाभान्वित हुए/कवर किए गए। भारतीय मेरुदंडीय आघात केन्द्र (आईएसआईसी) नई दिल्ली ने मेरुदंडीय वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जिनमें शल्य चिकित्सा, शारीरिक, मनः सामाजिक व व्यावसायिक पुनर्वास सम्मिलित है। वर्ष 2002-03

में आईएसआईसी में कुल 10,212 व्यक्तियों ने बिस्तरों का लाभ उठाया । केन्द्र ने लगभग 2510 व्यक्तियों का मुफ्त ओपीडी उपचार किया । वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 3.00 करोड़ रुपए के व्यय की प्रत्याशा थी जबकि परिव्यय की राशि 4.00 करोड़ रुपए थी ।

8. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली, अक्षमताओं के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है । यह, सभी व्यावसायिकों/कार्मिकों के संबंध में केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी रखती है तथा पुनर्वास व विशेषज्ञता शिक्षा में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करती है । मार्च, 2003 के अंत तक परिषद ने 16 श्रेणियों के पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए जनशक्ति कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 87 अत्यावधिक व दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया तथा विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 160 संस्थानों को मान्यता प्रदान की । आरसीआई द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों में, अक्षमता प्रबंधन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के अनुस्थापन हेतु एक रा-द्रीय कार्यक्रम सम्मिलित है । वार्षिक योजना 2002-03 में आरसीआई के लिए 4.00 करोड़ रुपए का परिव्यय विनिर्धारित किया गया है तथा इतनी ही राशि खर्च होने की उम्मीद की गई है ।

9. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), कानपुर ने दिसम्बर, 2002 तक लगभग 25,413 लाभार्थियों को साधन व उपकरण वितरित किए । निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान संतो-नजनक ढंग से नि-पादन किया तथा वर्ष 2002-03 के दौरान 33.60 करोड़ रुपए का कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष 30.08 करोड़ रुपए का कारोबार किया था । वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 2.20 करोड़ रुपए का व्यय प्रत्याशित है जबकि परिव्यय की राशि 4.00 करोड़ रुपए थी । "साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी) " स्कीम के अंतर्गत, एनजीओ एनआई, अलिम्को आदि जैसी एजेंसियों को टिकाऊ, आधुनिकतम और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित साधनों और उपकरणों की प्राप्ति में विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के वास्ते, वित्तीय सहायता प्रदान की गई । वर्ष 2002-03 के दौरान, 280 कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई जबकि लक्ष्य 175 का था तथा प्रत्याशित व्यय 54 करोड़ रुपए था जबकि परिव्यय की राशि 55 करोड़ रुपए थी ।

10. रा-द्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) ने शहरी क्षेत्रों में एक लाख रुपए प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 रुपए प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले विकलांगों को आय-सृजक कार्यकलापों के वास्ते रियायती ऋण उपलब्ध कराए । अपनी माइक्रो-वित्तपो-ण स्कीम के तहत निगम ने अलग-अलग व्यक्तियों की तथा स्वयंसेवी समूहों की सहायता की । वर्ष 2002-03 के दौरान निगम ने 2025 लाभार्थियों को कवर करते हुए 10.18 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की । अभी तक 9,755 विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं । एनएचएफडीसी ने मानसिक अवरुद्ध व्यक्तियों की माता-पिता एसोसिएशनों को भी इन समूहों के लिए आय-सृजक कार्यकलाप स्थापित करने के वास्ते ऋण उपलब्ध कराए । वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 15.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई । तथापि, इसके विपरीत 10.00 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की प्रत्याशा है ।

11. "न पहुंचे हुए तक पहुंचने ", अर्थात् ग्रामीण विकलांगों तक पहुंचने के उद्देश्य से विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए रा-द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2002 के अंत तक, 82 जिलों को पंचायत स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक अत्यावश्यक पुनर्वास पद्धति के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई । अब इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्रक में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

12. विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार में सहायता प्रदान करने हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों अथवा नियंत्रित रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रको-ठों की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विकलांगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास जारी रहे। इस समय देश में 41 विशेष प्रको-ठ तथा 40 विशेष रोजगार कार्यालय हैं। वार्षिक योजना 2002-03 में 3.60 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से बताया गया है कि 1.48 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए गए हैं। अब इस स्कीम को, शून्य आधारित बजट पद्धति (जेडबीबी), 2000 संबंधी कोर समिति के निर्णयानुसार, राज्य क्षेत्रक को हस्तांतरित करने की योजना है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत स्कीम के बारे में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है।

13. स्वैच्छिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने तथा सेवा का कार्यक्षेत्र व सुलभता का विस्तार करने के उद्देश्य से, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की चार चालू स्कीमों; कु-ठ उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास; मस्ति-क पक्षाघात और मानसिक अवरुद्धता वाले व्यक्ति; और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने की स्कीमों को, कानूनी सहायता, मनोरंजन, अनुसंधान आदि प्रदान करने जैसे नूतन इन्पुटों के साथ 1998 में, "विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक गतिविधि प्रोत्साहित करने के लिए एकल छत्र स्कीम" में मिला दिया गया। वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 546 स्वैच्छिक संगठनों को 73.57 करोड़ रुपए (प्रत्याशित) की सहायता प्रदान की गई जिससे एक लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए जो इसके लिए उपलब्ध परिव्यय (72.00 करोड़ रुपए) को पार कर गया।

14. मानसिक अयोग्यता के अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से विचार भ्रम, मस्ति-क पक्षाघात, मानसिक अवरुद्धता और बहु-अयोग्यता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु रा-ट्रीय न्यास, जिनकी स्थापना दिसम्बर, 1999 में हुई थी, "विचार भ्रम, मस्ति-क पक्षाघात, मानसिक अवरुद्धता, बहु-अयोग्यता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु पहुंच और राहत स्कीम" नामक एकछत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत दीर्घावधिक, और स्थायी राज्य संस्थानों, दिवा देख-रेख केन्द्रों, गृह दौरो को सुदृढ़ करने आदि के वास्ते सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों और अधिकारों को समर्थन प्रदान करने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में अभी तक 369 स्थानीय स्तर की समितियां गठित की गई हैं। इसके साथ ही, मानसिक अक्षमताओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 228 संगठन, 11 माता-पिता एसोसिएशनों सहित, पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, न्यास ने 75 दिवा देख-रेख और रिहायश केन्द्रों के लिए भी सहायता प्रदान की। इन परियोजनाओं से लगभग 5,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। न्यास द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को सुकर बनाने के वास्ते 100 करोड़ रुपए की एक कोरप्स निधि कायम की गई है।

15. उपरोक्त के अलावा, मिशन मोड में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के तत्वावधान में विकलांगों के लिए उपयुक्त तथा नूतन प्रौद्योगिकीय उपकरणों के अनुसंधान और विकास के संबंध में भी अनेक अन्य कदम उठाए गए। 30 से अधिक साधनों और उपकरणों का विकास किया गया जैसेकि प्लास्टिक अगोलीय शीशे, म्यो विद्युत हस्त नियंत्रित पद्धति और मोटरीकृत जायास्टिक प्रचालित व्हील चेरर आदि।

16. मंत्रालय ने, अधिनियम की समीक्षा, कार्यान्वयन के मानीटरन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इनमें सम्मिलित हैं : (i) सांविधिक समितियों, यथा केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति और केन्द्रीय कार्यपालन समिति द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा; (ii) 51 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवों के एक समूह द्वारा न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में भी अधिनियम के

विभिन्न प्रावधानों की प्रगति का मानीटरन; (iii) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, विकलांगों के लिए उपयुक्त विनिर्धारित पदों की अधिसूचना; (iv) अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षणों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा अनुपालन की सतत समीक्षाएँ एक अतिरिक्त संस्थात्मक पद्धति उपलब्ध कराने के वास्ते मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की एक स्थायी समिति। स्कीम के अंतर्गत, 2002-03 के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 78,676 बताई गई है जबकि लक्ष्य 80,000 का था।

सामाजिक मार्ग विचलितों का सुधार

किशोर कुसमायोजन

17. किशोर कुसमायोजन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए तथा इसे कानूनों के साथ विवादाग्रस्त बच्चों के लिए सुनिर्धारित कल्याण-सह-पुनर्वास सेवाओं के साथ अधिक बाल अनुकूल बनाने के वास्ते, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को रद्द करके उसके स्थान पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे अधिनियम, 2000) अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों की स्थापना करें। अधिनियम के प्रावधानों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने अधिनियम के तहत मॉडल नियमों को जून, 2001 में अधिसूचित किया और राज्य सरकारों को भी इन नियमों को अपनाने अथवा अपने खुद के नियम बनाने की सलाह दी। मंत्रालय, "किशोर सामाजिक कुसमायोजन" की भी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसे अब "किशोर न्याय का एक कार्यक्रम" कहा जाता है जिसके अंतर्गत उपेक्षित और अपराधी प्रवृत्ति के किशोरों के लिए अनिवार्य रूप से गृह स्थापित करने और उनके रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को खर्च के 50% तक सहायता प्रदान की जाती है। मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार, किशोरों की देख-रेख और पुनर्वास के लिए 290 किशोर गृहों, 287 प्रेक्षणगृहों, 35 विशेष गृहों और 50 वर्ग की आयु के बाद की देखभाल वाले गृहों की स्थापना की जा चुकी है। कुल मिलाकर लगभग 38,821 किशोर इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, देशभर में 202 किशोर न्यायालय और 260 किशोर कल्याण न्यायालय भी स्थापित किए गए। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, 16.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत इन पर प्रत्याशित व्यय की राशि 14.40 करोड़ रुपए थी।

18. रा-ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान और "चाइल्डलाइन" प्रति-ठान के माध्यम से शुरू किए गए रा-ट्रीय बाल संरक्षण पहल (एनआईसीपी) के विशेष अभियान ने बाल संरक्षण और पुनर्वास के लिए, पुलिस, स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं, न्यायपालिका, शिक्षा आदि जैसी सम्बद्ध प्रणालियों के साथ संयोजन कायम करने का कार्य जारी रखा।

मादक औ-निधि/शराब दुरुपयोग का निवारण

19. मादक औ-निधि और शराब दुरुपयोग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय, जागरूकता सृजन सेवाओं, व्यावसायियों का पता लगाने, रेफरल सेवाओं और उपचार तथा पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से शराबखोरी और पदार्थ (औ-निधि) दुरुपयोग निवारण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान, मादक औ-निधि परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के वास्ते केन्द्रों

का संचालन करने के लिए 2321 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2002-03 के दौरान 3.2 लाख लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के विपरीत बताया गया है कि 2.03 लाभार्थियों ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाया। इसके अलावा, एनआईएसडी में पहले से विद्यमान औ-धि दुरुपयोग निवारण ब्यूरो का स्तरोन्नयन करके, विभिन्न श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 1998 में रा-ट्रीय औ-धि दुरुपयोग निवारण केन्द्र (एनसी-डीएपी) की स्थापना की गई। प्रशिक्षण आवश्यकताओं को विकेन्द्रीकृत करने तथा क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के वास्ते, चेन्नई, पुणे, दिल्ली में एक-एक तथा कोलकाता में दो-दो कुल मिलाकर स्थापित 5 क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों ने, औ-धि दुरुपयोग और एचआईवी/एड्स आदि के निवारण और प्रबंधन सहित इन वि-यों में प्रशिक्षण संहिताएं विकसित करने के अलावा, विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, सूचना और डाटा बेस के स्तरोन्नयन तथा औ-धि मांग कटौती के क्षेत्र में नेटवर्किंग के जरिए अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अंतर्रा-ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त रा-ट्र अंतर्रा-ट्रीय औ-धि-नियंत्रण कार्यक्रम (यूएनडीसीपी) जैसी अंतर्रा-ट्रीय एजेंसियों के साथ विशेष सहयोग परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें "भारत में समुदाय व्यापक मांग कटौती स्कीम, जिसके तहत 1000 से अधिक सेवा प्रदाताओं को देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षित किया गया; तथा उत्तर पूर्व में "समुदाय व्यापक मांग कटौती" स्कीम सम्मिलित थी, जो उस क्षेत्र में औ-धि दुरुपयोग की उच्च घटनाओं को चैक करने के लिए थी। देश में औ-धि दुरुपयोग की मात्रा, प्रकृति और पद्धति का अनुमान लगाने के लिए, मंत्रालय द्वारा यूएनडीसीपी के सहयोग से एक रा-ट्रीय औ-धि दुरुपयोग सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। समस्या के आकार तथा सर्वाधिक प्रभावित लक्ष्य समूहों के संबंध में प्रारंभिक डाटा संकलित कर लिया गया है तथा उसकी छानबीन की जा रही है। शराब तथा औ-धि मांग कटौती हेतु समुदाय आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई, प्रशिक्षण व अन्य पुनर्वास सुविधाओं हेतु समर्थन प्रदान करने के वास्ते वार्षिक योजना 2002-03 में 28.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 25.60 करोड़ रुपए का व्यय होने की प्रत्याशा है।

अन्य सुविधाविहीनों की देखभाल

20. वार्षिक योजना 2002-03 में वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के लिए सहायता प्रदान करके वृद्धों का कल्याण सुनिश्चित करने की रा-ट्रीय नीति का अनुपालन किया गया। आवारा बच्चों की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य कार्यक्रमों आदि जैसी कल्याण और विकास समर्थन स्कीमों के साथ निवारक उपायों के माध्यम से प्रयास किए गए।

वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल

21. वर्ष 1999 में अपनाई गई वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में रा-ट्रीय नीति, स्वास्थ्य देख-रेख और पो-नाहार, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना के प्रसार तथा परिवार द्वारा प्रदत्त संरक्षण और पूरक देखभाल तथा इन सभी के अतिरिक्त पेंशन समर्थन सहित आर्थिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू करके, वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और देखभाल का आधार स्वरूप रही। नीति के अंतर्गत आदेशित भागीदार मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारियों का स्प-ट रूप से उल्लेख करते हुए कार्रवाई के मसौदे के साथ-साथ वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में एक रा-ट्रीय परि-द गठित की गई। परि-द के लिए सचिवालयीय सेवाएं प्रदान करने के वास्ते, केन्द्र में "आधार" के नाम से तथा जिला स्तर पर "जिला आधार" के नाम से एक एजेंसी गठित की गई। दिसम्बर 1999 में इसके गठन के बाद, लगभग 530 जिलों में जिला आधार सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये सदस्य, वृद्धों की समस्याएं हल करने में उनकी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।

22. "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 222 वृद्धावस्था गृह, 201 दिवा-देखरेख केन्द्र, 27 सचल स्वास्थ्य देखभाल यूनिट स्थापित और संचालित करने तथा साथ ही गैर-संस्थात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वार्षिक योजना 2002-03 में 20.30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जबकि व्यय 18.27 करोड़ रुपए संभावित है। तथापि, वास्तविक उपलब्धियां एक बेहतर स्थिति प्रस्तुत करती हैं क्योंकि स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए 78,246 लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2002-03 में निर्धारित 70,000 के लक्ष्य से अधिक थी। वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा की जरूरत को, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रक में जरूरत को ध्यान में रखते हुए, "वृद्धावस्था सामाजिक तथा आय सुरक्षा" के संबंध में एक अध्ययन आयोजित किया गया था। इसकी रिपोर्ट आजकल योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के एक समूह के विचाराधीन है।

कठिन परिस्थितिग्रस्त बच्चे

23. आवारा बच्चों को वंचना तथा आवारागर्द जीवन से बचाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से, मंत्रालय, "आवारा बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम" की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक उपाय सम्मिलित हैं, जैसेकि आश्रयस्थलों में 24 घंटे ठहरना, रात्रि आश्रय, पोनाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, स्वच्छता, सफाई, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं और दुरुपयोग व शो-नण के विरुद्ध संरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 22 राज्यों में 230 संगठन कार्य कर रहे हैं जिनसे 1.88 लाख सड़क पर घूमने वाले बच्चों को लाभ मिल रहा है। अनुमान है कि वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान इस स्कीम पर 13.60 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी जबकि 19 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। वर्ष 2002-03 के दौरान, 32,000 बच्चों के लक्ष्य को पार करते हुए 37,195 कठिनाईग्रस्त बच्चे स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित हुए। "चाइल्डलाइन" सेवा की विशेष पहल, कठिनाईग्रस्त बच्चों के लिए उपलब्ध चुंगी-मुक्त टेलीफोन सेवा (1098) से बच्चों की आपातक जरूरतें पूरी होती हैं तथा रेफरल सेवा उपलब्ध होती है। अब यह सुविधा 34 नगरों में उपलब्ध है तथा 1998 में इसकी शुरुआत से बच्चों/संबंधित प्रौढ़ों से 30.04 लाख कालें प्राप्त हुईं।

बच्चों को अपनाना

24. अनाथ, परिव्यक्त व निराश्रित बच्चों को अपनाने के माध्यम से स्थायी पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से यथासंभव अधिकाधिक बच्चों को देश के अंदर व अंतर-देश में अपनाने के संबंध में प्रयास किए गए। वर्ष 2003 के दौरान लगभग 2793 बच्चों को अपनाने का प्रस्ताव किया गया जिनमें से 1066 अंतर-देश तथा 1727 देश के अंदर के प्रस्ताव सम्मिलित थे। केन्द्रीय गोद (अपनाना) संसाधन एजेंसी (सीएआरए) जो विदेश में भारतीय बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित व मानीटरन करती है, देश के अंदर व अंतर-देश दोनों प्रकार के गोद लेने के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है। इसने, अनाथ बच्चों के कल्याण और पुनर्वास की जिम्मेदारी में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच दक्षता निर्माण का कार्य भी शुरू किया है। वार्षिक योजना 2002-03 (31.12.2003 तक) के दौरान, सीएआरए द्वारा 0.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने की उम्मीद है जबकि परिव्यय की राशि 1.80 करोड़ रुपए है।

रा-द्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी)

25. हाल ही में गठित स्वायत्त एनआईएसडी ने नए कार्य शुरू करने के वास्ते अपने कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा; सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं का अनुमान लगाना व निदान करना; स्वैच्छिक कार्य विकसित और प्रोत्साहित करना; एनआईसीपी तथा "चाइल्डलाइन" के सहयोग से बाल संरक्षण के संबंध में कार्यकलाप; वृद्धों के क्षेत्र में देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आदि । शराबखोरी तथा मादक औ-धि के निवारण के क्षेत्र में, एनसीडीएपी विशेष-ठ ने गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण का कार्य जारी रखा । वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, बताया गया है कि 31.12.2002 तक 0.80 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई जबकि परिव्यय की राशि 4.10 करोड़ रुपए थी ।

वार्षिक योजना (2003-04)

26. वार्षिक योजना 2003-04 में, दसवीं योजना की त्रि-आयामीय नीति, यथा: (i) विकलांगों का सशक्तिकरण; (ii) सामाजिक पथभ्र-टों का सुधार; और (iii) सभी सम्बद्ध कल्याण व विकास क्षेत्रकों में विद्यमान सेवाओं के अभिसरण पर विशेष-बल देते हुए अन्य सुविधाविहीनों की देखभाल को और बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि सभी लक्ष्य समूहों के संबंध में निवारण, उपचार, पुनर्वास, कल्याण और विकास के क्षेत्रकों के माध्यम से पर्याप्त रूप से समर्थन प्रदान किया जा सके ताकि सेवाएं सौर सुविधाएं इन लक्ष्य समूहों तक पहुंच सकें । वार्षिक योजना 2003-04 में, जो दसवीं योजना का द्वितीय वर्ष है, अगले चार वर्षों के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों और दृ-टिकोण व नीतिगत प्राथमिकताओं को और बढ़ावा दिया जाएगा ।

वित्तीय परिव्यय

27. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कुल परिव्यय की राशि 315.00 करोड़ रुपए है जिसमें 222.70 करोड़ रुपए विकलांगों के कल्याण के लिए तथा शे-न 92.30 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीनों के लिए हैं । उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को इ-टतम बनाने तथा कामकाज में तालमेल व अभिसरण प्राप्त करने के वास्ते, समाज कल्याण क्षेत्रक में वर्तमान स्कीमों की संख्या, जो नौवीं योजना के दौरान 39 थी, दसवीं योजना में शून्य आधारित बजट पद्धति (जेडबीबी) की विशेष-प्रक्रिया के माध्यम से , जिसमें स्कीमों का विलयन, छंटाई और राज्य क्षेत्रक, योजनेतर के अंतर्गत हस्तांतरित करना आदि शामिल था, कम करके 16 कर दी गई हैं ।

28. वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 में समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए स्कीम-वार परिव्यय और व्यय संबंधी सूचना संलग्नक 7.3.1(i) में दी गई है । राज्य क्षेत्रक में परिव्यय और व्यय का विवरण संलग्न 7.3.3 में दर्शाया गया है । तालिका 1 में वार्षिक योजना 2001-2002 से 2003-2004 तक के दौरान अनुमोदित परिव्यय व खर्च हुई राशि संक्षेप में दी गई है।

29. निम्नलिखित पैराग्राफों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नोडल मंत्रालय द्वारा वार्षिक योजना 2003-04 में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों का विवरण दिया गया है :

तालिका 1: योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

	वार्षिक योजना 2001-02	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04
	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
I. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	309.37	330.00	326.54	315.00
II. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1217.97	1312.20	1427.96	1597.60*
कुल I+II	1527.34	1642.20	1754.50	1912.60

*अंतिम रूप दिया जाना शेष है ।

I अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाना

30. वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, दसवीं योजना की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की सहायता व शक्ति के साथ यथासंभव अधिकाधिक लोगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और रा-ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदानकर्ता के रूप में सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा । इस संदर्भ में, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अंतर्निहित बहु-क्षेत्रकीय सहयोगात्मक प्रयासों और जिम्मेदारियों पर अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के वास्ते, भागीदार मंत्रालयों/विभागों द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश और नियमों के निर्माण के माध्यम से, और अधिक बल दिया जाएगा । इसके अलावा, पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते, इन मंत्रालयों/विभागों के बजट में विकलांगों के लिए एक संघटक योजना लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित निधियां/लाभ विकलांगों तक पहुंचे ।

31. जेडबीबी प्रक्रिया के अनुसार, अनेक स्कीमों को "पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन" की छत्र स्कीम के अंतर्गत मिला दिया गया था । इनमें, आरआरसी और सीआरसी, एस एंड टी मिशन मोड इत्यादि शामिल हैं । वर्ष 2003-04 में इस छत्र स्कीम के लिए 22.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा 80,000 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

32. जरूरतमंद क्षेत्रों तथा समूहों, विशेष रूप से गांवों में अछूते रह गए व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, रा-ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क संस्थात्मक तंत्र, यथा सात रा-ट्रीय संस्थानों, चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों और पांच सीआरसी और साथ ही आईएसआईसी को उपचार पुनर्वास प्रशिक्षण आदि के एक संयुक्त पैकेज की व्यवस्था करने वाली बाह्य सेवाओं को उपयुक्त रूप से संवर्धित किया जाएगा व उनका विस्तार किया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ, सात रा-ट्रीय संस्थानों के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 42.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा आईएसआईसी के लिए 10,950 बिस्तरों की व्यवस्था करने हेतु 3.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

33. वर्ष 2003-04 के दौरान 250 एनजीओ के माध्यम से साधनों और उपकरणों की खरीद व उन्हें लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ आबंटन (एडीआईपी) की राशि 57.00 करोड़ रुपए है, तथा कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (अलिम्को) के लिए इस अवधि हेतु 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

34. चूंकि अक्षमता के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा जनशक्ति संबंधी आवश्यकताएं एक प्राथमिकतापूर्ण चिंता वाला क्षेत्र है इसलिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए एकसमान मानकों के प्रवर्तन व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों में अच्छी कोटि की सेवा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2003-04 में आरसी के लिए 3.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। दक्षताओं और साथ ही व्यावसायिक जनशक्ति की, विशेष रूप से विकलांगों के लिए पुनर्वास के उच्च स्तरों पर, स्नातकोत्तर स्तर प्रशिक्षण सहित, दक्षताओं के स्तरोन्नयन के लिए एक पुनर्वास विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसके लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

35. विकलांगों के लिए रोजगार का एक अधिक महत्वपूर्ण अवसर उन्हें रोजगार प्रदान करने का है, इसलिए "विकलांगों को रोजगार" की सीएसएस के तहत नियमित रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रको-ठों/विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सरकार और सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में रिक्तियों के 3 प्रतिशत तक आरक्षित पदों का प्रभावी ढंग से विनिर्धारण करके और उन्हें भरने के जरिए, उनके लिए और अधिक रोजगार सृजित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस स्कीम को दसवीं योजना में इसके लिए 3.60 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। तथापि, राज्यों को स्कीम हस्तांतरित करने के संबंध में रा.वि. परिषद के अनुमोदन की इस स्तर पर प्रतीक्षा है। दसवीं योजना के कुल 3.60 करोड़ रुपए के आबंटन में से, इस स्कीम के लिए 2002-03 में 1.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। शेष 2.00 करोड़ रुपए की शेष राशि इसी प्रयोजनार्थ 2003-04 में उपलब्ध कराई गई है। स्कीम के संबंध में और ब्यौरा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में पैराग्राफ के अंतर्गत दिया गया है।

36. स्वैच्छिक क्षेत्रक ने परंपरागत रूप से विकलांगों के लिए समुदाय-आधारित सेवाएं सुलभ कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्र स्कीम, यथा "विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही प्रोत्साहित करने" को समर्थन प्रदान किया जाएगा जिससे कि इसके कार्यकरण का विस्तार किया जा सके और उनकी सेवाओं में एक नवीन नूतन संघटक लागू किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ इस स्कीम के लिए 79.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि इस प्रयोजनार्थ 500 एनजीओ को सहायता प्रदान की जाएगी।

II सामाजिक मार्ग विचलितों का सुधार

37. इस बात को समझते हुए कि किशोर अपराधी, शराब और औ-धि व्यसनी, हालात के मारे हुए और परिस्थितिवश बाध्यताओं के कारण, सामाजिक रूप से पथभ्र-ट हो जाते हैं न कि संगठित अपराध में ग्रस्त आदतन अपराधी, इसलिए वार्षिक योजना 2003-04 में, इन सामाजिक पथभ्र-टों का मानवीय ढंग से, न कि दंडात्मक परिवेश में, सुधार करने और उनका पुनर्वास करने की जरूरत है ताकि आज के सामाजिक पथभ्र-टों को कल का जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके।

किशोर सामाजिक कुसमायोजन

38. संस्थात्मक और गैर-संस्थात्मक सुविधाओं के नेटवर्क का उपयोग करते हुए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को, इसके बाल-अनुकूल सकारात्मक परिवेश में किशोरों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से, कारगर ढंग से कार्यान्वित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा।

इस प्रयोजनार्थ, यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे कि अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से स्थापित संस्थानों में जीवन के न्यूनतम मानक और जीवन स्तर कायम रहें। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का भी इन बच्चों की गैर-संस्थात्मक देखभाल प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपयुक्त रूप से विस्तार किया जाएगा। "किशोर न्याय के कार्यक्रम" की स्कीम के कार्यान्वयन में और तेजी लाई जाएगी। इनके संबंध में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों संबंधी पैराग्राफ के अंतर्गत चर्चा की गई है। वर्ष 2003-04 में "किशोर सामाजिक कुसमायोजन का निवारण और नियंत्रण" स्कीम के लिए 16.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

शराबखोरी और औ-धि दुरुपयोग कटौती

39. देश में शराबखोरी और औ-धि दुरुपयोग की बढ़ती समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत तथा व्यापक सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण का ग्रामीण क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों और आवारा बच्चों वाणिज्यिक सेक्स कार्यकर्ताओं, ट्रक ड्राइवर्स आदि जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों तक विस्तार किया जाएगा और विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत, गहन जागरूकता सृजन और निवारक शिक्षा, परामर्श, उपचार, नशामुक्ति और व्यसनियों का पुनर्वास सम्मिलित होगा। एनसी-डीएपी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण में तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2003-04 में स्कीम के लिए आबंटन की राशि 28.50 करोड़ रुपए है। वर्ष 2003-04 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 3.20 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

III अन्य सुविधाविहीनों की देखभाल

40. "अन्य सुविधाविहीनों" में वृद्ध तथा अनाथ/परित्यक्त बच्चे, निराश्रित और आवारा बच्चे सम्मिलित हैं, जो पारिवारिक सहायता में गिरावट आने व अन्य समाजार्थिक परिस्थितियों के कारण लाचार हो गए हैं तथा जिन्हें राज्य द्वारा सहायता और संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक रूप से जरूरी है।

वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल

41. वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य, आवास, कार्य थेरापी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, जीवन का संरक्षण आदि प्रदान करने के लिए वृद्ध व्यक्ति संबंधी रा-द्रीय नीति की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" की स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे वृद्धावस्थागृहों, दिवा देखरेख केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल केन्द्रों के इस समय चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार करने पर विशेष बल दिया जाएगा। वृद्धों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के वास्ते "जिला आधार" और "हैल्पलाइन" की सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2003-04 के लिए स्कीम हेतु 20.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिससे 70,000 वृद्धों को लाभ पहुंचेगा।

कठिनाईग्रस्त बच्चों का कल्याण

42. कठिनाईग्रस्त बच्चों (आवारा, अनाथ, परित्यक्त, निराश्रित बच्चे आदि) की बढ़ती समस्याओं का समाधान करने के लिए, जो दुरुपयोग और शो-ण के अधिक शिकार हो जाते हैं, वार्षिक योजना 2003-04 का उद्देश्य, इन बच्चों का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के वास्ते, स्वास्थ्य, पो-नाहार, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा आदि के संबंध में आवश्यक प्रावधानों के साथ निवारक और पुनर्वास

संबंधी पहलुओं पर बल देते हुए "आवारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम " का विस्तार करना और उसे सुदृढ़ करना है । गोद लेने वाले परिवारों में अनाथ और निराश्रित बच्चों का पूर्ण पुनर्वास करने के वास्ते बड़ी संख्या में, इन बच्चों को देश के अंदर ही गोद लिए जाने के उद्देश्य से "शिशु गृह " स्कीम के अंतर्गत प्रयास किए जाएंगे । कठिनाईग्रस्त 35,000 बच्चों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 14.30 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

43. बाल श्रमिकों और संभाव्य बाल श्रमिकों (अर्थात् आवारा बच्चे पटरीवासी बच्चे, उत्प्रवासी सेक्स कार्यकर्ता, निराश्रित बच्चे आदि) की जरूरतों को पूरा करने तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, सेतु शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ने को सुकर बनाने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करने के वास्ते, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान "देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का कल्याण " नामक एक विशेष- स्कीम शुरू की जानी थी। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान इस स्कीम के लिए 4.50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी । क्योंकि यह स्कीम अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए 31.12.2002 तक कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी । वर्ष 2003-04 के लिए 7.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

44. "बाल संरक्षण हेतु रा-द्रीय पहल (एनआईसीपी) " कार्यक्रम का कार्यान्वयन, पुलिस स्वास्थ्य, न्यायपालिका, शिक्षा जैसी एजेंसियों में बाल-अनुकूल पद्धतियां निर्मित करने के लिए जारी रहेगा ताकि आवारा बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, श्रम आदि जैसी बुनियादी सेवाएं सुलभ हो सकें । "चाइल्डलाइन " सेवाओं को, जिसके तहत कठिनाईग्रस्त बच्चों से सहायता के लिए काल प्राप्त होती हैं, समुचित अंतर-संयोजनों के साथ पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ।

बच्चों को अपनाना (गोद लेना)

45. अनाथ बच्चों के लिए स्थाई घर की व्यवस्था के उद्देश्य से, केन्द्रीय गोद संसाधन एजेंसी (सीएआरए), अनुसंधान और प्रलेखन हेतु अपनी सुविधाओं का उन्नयन करेगी, ताकि गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों के बारे में जानकारी सहज रूप में प्राप्त की जा सके । गोद लेने के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सीएआरए की मानीटरन तथा मूल्यांकन पद्धति और विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अभिलेखों को अद्यतन बनाया जा सके, गृह दौरे आयोजित किए जा सकें और प्रलेखन सेवाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा सके । वार्षिक योजना 2002-03 में शे-न रहती 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता को पूरी करने के बाद, स्कीम को 2003-04 से योजना-भिन्न के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है ।

रा-द्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

46. वार्षिक योजना में नए स्वायत्त रा-द्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान को व्यावसायिक, तकनीकी तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि यह अपने कार्यकलापों का विस्तार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र तक तथा अन्य सुविधाविहीन समूहों तक कर सके । संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कार्मिकों को, विशेष- रूप से किशोर न्याय, जेल कल्याण, जेल प्रशासन, बाल अपनाने, देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, औ-धि दुरुपयोग के निवारण, वरि-ठ नागरिकों के कल्याण व अन्य उभरती सामाजिक समस्याओं के संबंध में समुदाय-आधारित सेवाओं के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के जनशक्ति विकास के अपने पिछले

कार्यकलापों को फिर से शुरू करेगा। स्कीम को "राष्ट्रीय संस्थानों के वित्तपोषण" की छत्र स्कीम के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

47. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण क्षेत्रक से संबंधित दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में कार्यान्वित कर रहा है, यथा: (i) विकलांगों का रोजगार; और (ii) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम। विकलांगों को रोजगार की स्कीम का उद्देश्य या तो अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों अथवा सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोठों के माध्यम से लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की मदद करना है। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में श्रम विभाग उपरोक्त स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम की वित्तपोषण पद्धति में यह निर्धारित है कि विशेष रोजगार कार्यालयों के संबंध में 80 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, विशेष प्रकोठों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। वर्ष 2002-03 में 3.6 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए 1.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। स्कीम से लाभान्वित होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, जो 2001-02 में 9 थी, 2002-03 में कम होकर 5 रह गई। विवरण संलग्नक 7.3.2 में दिया गया है।

48. किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय, प्रेक्षण गृह, किशोर गृह/विशेष गृह स्थापित करने तथा उनके संचालन व विद्यमान संस्थानों के उन्नयन के लिए 50:50 आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता-अनुदान देता है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 16.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसके विरुद्ध 14.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यद्यपि जारी की गई राशि, जो 2001-02 में 15.19 करोड़ रुपये थी, 2002-03 में कम होकर 14.33 करोड़ रुपये रह गई, तथापि, इस अवधि के दौरान लाभार्थी राज्यों की संख्या बढ़कर 19 से 23 हो गई। वर्ष 2003-04 के लिए 16.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक के दौरान परिव्यय और जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्नक 7.3.2 में दिया गया है।

49. निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों की दृष्टि से विभिन्न कल्याण और विकास स्कीमों के नियमित मानीटरन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, न केवल हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए बल्कि इन सुविधाविहीन समूहों के बीच विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में भी त्रैमासिक आधार पर क्षेत्रक के प्रभारी-सदस्य की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

50. इस बात को समझते हुए कि अधिकांश समाज कल्याण कार्यक्रमों को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित भी किया जाए क्योंकि वे लक्षित समूहों के निकट संपर्क में रहते हैं, वार्षिक योजना 2003-04 में उन एनजीओ का पता लगाने व उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा जिनका काम करने का रिकॉर्ड अच्छा है तथा उन्हें जरूरतमंद व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

संलग्नक 7.3.1(i)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
का योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		(2001-02)	(2002-03)		(2003-04)
		वास्तविक	परिव्यय	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
I.	समाज कल्याण क्षेत्रक (एसडब्ल्यू)	-			
i.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)				
क.	विकलांगों का कल्याण				
1.	रा-ट्रीय संस्थानों के वित्तपो-नण की स्कीम	17.56	32.00	28.20	42.70
2.	कृत्रिम अंग विनिर्माण, कानपुर	5.40	4.00	2.20	1.00
3.	साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	43.44	55.00	54.00	57.00
4.	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहित करने की स्कीम	60.86	72.00	73.57	79.00
5.	भारतीय मेरुदंड आघात केन्द्र	2.07	4.00	3.00	3.50
6.	भारतीय पुनर्वास परि-द	2.40	4.00	4.00	3.00
-	मानिसक अवरुद्धता वाले व्यक्तियों के लिए रा-ट्रीय न्यास	51.00	1.00	1.00	-
7.	रा-ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम (एनएचएफडीसी)	0.00	15.00	10.00	10.00
-	विकलांगों के लिए रा-ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम	43.61	राज्यों को स्थानांतरित		

संलग्नक 7.3.1(i) जारी

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		(2001-02)	(2002-03)		(2003-04)
		वास्तविक	परिव्यय	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
8.	अक्षमताओं वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन	9.74	32.50	14.25	22.50
-	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (केवल 2002-03 के लिए बचा हुआ)	0.73	1.00	0.90	-
9.	अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए सहायता (एक यूएनडीपी वित्तपोषित स्कीम)	0.93	2.37	2.00	1.00
10.	पुनर्वास विज्ञान कालेज	--	6.03	0.10	1.00
	जोड़ (क)	237.74	228.90	193.22	220.70
ख.	सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीन समूह				
11.	सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए, शराबखोरी और औ-धि दुरुपयोग के निवारण सहित, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	24.98	28.50	25.60	28.50
-	केन्द्रीय गोद संसाधन एजेंसी (केवल 2002-03 के लिए बचा हुआ)	1.10	2.00	1.30	-
12.	कठिनाईग्रस्त बच्चों के कल्याण के लिए सहायता-अनुदान	10.06	19.00	13.60	14.30
13.	वृद्धों से संबद्ध कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	14.61	20.30	18.27	20.00
14.	अनुसंधान, सूचना व अन्य विविध कार्यों हेतु सहायता-अनुदान	3.97	6.70	5.18	6.50
15.	कार्यरत बच्चों तथा देखभाल व सुरक्षा की जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम	--	5.00	1.12	7.00
	जोड़ (ख)	54.72	81.50	65.07	76.30
	जोड़ - i (क+ख)	292.46	310.40	258.29	297.00

संलग्नक 7.3.1(i) जारी

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		(2001-02)	(2002-03)		(2003-04)
		वास्तविक	परिव्यय	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
ii.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)				
क.	विकलांगों का कल्याण				
-	विकलांगों का कल्याण (रा.वि. परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा में)	1.54	3.60	1.00	2.00
	जोड़ (क)	1.54	3.60	1.00	2.00
ख.	सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीन समूह				
16.	किशोर सामाजिक कुसमायोजन के निवारण और नियंत्रण की स्कीम	15.37	16.00	14.40	16.00
	जोड़ (ख)	15.37	16.00	14.40	16.00
	जोड़ ii (क+ख)	16.91	19.60	15.40	18.00
iii	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान			52.85	
	जोड़ : एसडब्ल्यू (i+ii+iii)	309.37	330.00	326.54	315.00

टिप्पणी: मंत्रालय के कुल परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्धारित ।

संलग्नक 7.3.1(ii)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
के योजना लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	स्कीम का नाम	यूनिट	वार्षिक योजना		
			(2002-03)		(2003-04)
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
I.	समाज कल्याण क्षेत्रक (एसडब्ल्यू)				
i.	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)				
क.	विकलांगों का कल्याण				
1.	रा-ट्रीय संस्थानों के वित्तपो-ण की स्कीम	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			
2.	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर	सहायता उपकरणों/ अंगों की कुल संख्या	1,129,349	-	-
3.	साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	सहाय्यित एनजीओ की संख्या	175	280	250
4.	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई प्रोत्साहित करने की स्कीम		-	144,954	-
5.	भारतीय मेरुदंड आघात केन्द्र	मुफ्त बिस्तरों की सं. भरे गए बिस्तर	30 10,950	30 10,212	30 10,950
6.	भारतीय पुनर्वास परि-द	अध्यापकों का प्रशिक्षण पंजीकृत व्यावसायिकों की संख्या कार्मिक पंजीकरण पुनर्वास का संवेदीकरण	- - - -	4,723 399 1,791 1,553	- - - -
-	मानिसक अवरुद्धता वाले व्यक्तियों के लिए रा-ट्रीय न्यास	राहत संस्थान की स्थापना देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण	- -	900/1958 900/770	- -
7.	रा-ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम (एनएचएफडीसी)	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			

संलग्नक 7.3.1(ii) जारी

क्र.सं.	स्कीम का नाम	यूनिट	वार्षिक योजना		
			(2002-03)		(2003-04)
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
8.	अक्षमताओं वाले व्यक्ति	लाभार्थियों की संख्या	80,000	78,676	80,000
-	अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (केवल 2002-03 के लिए बचा हुआ)	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			
9.	अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए सहायता (एक यूएनडीपी वित्तपोषित स्कीम)	अध्यापकों की संख्या माता-पिता की सं. बच्चों की संख्या ग्राम स्तर पुनर्वास कार्यकर्ताओं की सं.		3,000 15,000 4,124 632	
10.	पुनर्वास विज्ञान कालेज	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			
ख.	<u>सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीन समूह</u>				
11.	सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए, शराबखोरी और औ-नधि दुरुपयोग के निवारण सहित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	लाभार्थियों की सं. सहायित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	320,000 -	202,751 2,321	320,000 -
-	केन्द्रीय गोद संसाधन एजेंसी (केवल 2002-03 के लिए बचा हुआ)	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			
12.	कठिनाईग्रस्त बच्चों के कल्याण के लिए सहायता-अनुदान	लाभार्थियों की सं.	32,000	37,195	35,000
13.	वृद्धों से संबद्ध कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	लाभार्थियों की सं.	70,000	78,246	70,000
14.	अनुसंधान, सूचना व अन्य विविध कार्यों हेतु सहायता-अनुदान	अनुसंधान अध्ययनों की संख्या सेमिनारों की सं.	30 -	13 8	30 -
15.	कार्यरत बच्चों तथा देखभाल व सुरक्षा की जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			

संलग्नक 7.3.1(ii) जारी

क्र.सं.	स्कीम का नाम	यूनिट	वार्षिक योजना		
			(2002-03)		(2003-04)
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
ii.	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)				
क.	विकलांगों का कल्याण				
-	विकलांगों के लिए रोजगार (रा.वि. परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा में)	----- मात्रात्मक योग्य नहीं -----			
ख.	सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुविधाविहीन समूह				
16.	किशोर सामाजिक कुसमायोजन के निवारण और नियंत्रण की स्कीम	लाभार्थियों की सं.	-	38,821	-

वर्ष 2002-03 में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत
जारी केन्द्रीय हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 2002-03 में जारी केन्द्रीय हिस्सा	
		विकलांगों का रोजगार	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम
1	2	3	4
	राज्य		
1	आंध्र प्रदेश	-	112.13
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	-
4	बिहार	-	30.31
5	छत्तीसगढ़	-	23.56
6	गोवा	-	4.12
7	गुजरात	-	47.59
8	हरियाणा	-	2.47
9	हिमाचल प्रदेश	-	3.99
10	जम्मू व कश्मीर	-	-
11	झारखंड	-	23.84
12	कर्नाटक	25.94	51.76
13	केरल	-	12.69
14	मध्य प्रदेश	-	110.81
15	महाराष्ट्र	-	509.15
16	मणिपुर	-	-
17	मेघालय	-	7.00
18	मिजोरम	-	15.91
19	नागालैंड	-	4.56
20	उड़ीसा	-	0.42
21	पंजाब	-	23.04
22	राजस्थान	26.10	9.17
23	सिक्किम	-	2.03
24	तमिलनाडु	77.60	113.60
25	त्रिपुरा	-	-

संलग्नक 7.3.2 जारी			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 2002-03 में जारी केन्द्रीय हिस्सा	
		विकलांगों का रोजगार	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम
1	2	3	4
26	उत्तर प्रदेश	14.10	189.11
27	उत्तरांचल	-	-
28	पश्चिम बंगाल	-	83.65
	जोड़ (राज्य)	143.74	1380.91
	संघ राज्य क्षेत्र		
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-
2	चंडीगढ़	4.34	-
3	दादरा व नगर हवेली	-	-
4	दमन व दीव	-	-
5	दिल्ली	-	52.09
6	लक्षद्वीप	-	-
7	पांडिचेरी	-	-
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4.34	52.09
	कुल जोड़	148.08	1433.00

संलग्नक 7.3.3

योजना परिव्यय तथा व्यय - अन्य विशेष-समूह
(महिला एवं बाल विकास, विकलांगों का कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा)-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजना			
		(2001-02)	(2002-03)		(2003-04)
		वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	42.27	68.32	65.28	68.22
2	अरुणाचल प्रदेश	1.76	6.00	5.44	1.56
3	असम	3.10	0.00	0.00	3.91
4	बिहार	0.30	10.76	4.74	1.58
5	छत्तीसगढ़	5.00	19.25	19.25	53.96
6	गोवा	4.61	34.50	34.50	48.67
7	गुजरात	47.85	54.26	54.26	87.30
8	हरियाणा	320.27	326.47	308.85	343.00
9	हिमाचल प्रदेश	23.16	29.97	34.86	10.82
10	जम्मू व कश्मीर	16.98	22.66	22.66	60.32
11	झारखंड	224.73	37.95	37.95	40.00
12	कर्नाटक	51.27	55.44	39.07	71.33
13	केरल	3.50	22.00	12.50	15.75
14	मध्य प्रदेश	14.09	15.62	15.49	14.10
15	महाराष्ट्र	14.59	12.08	12.08	69.89
16	मणिपुर	2.95	7.33	7.33	7.20
17	मेघालय	2.36	5.50	5.50	2.59
18	मिजोरम	3.40	4.84	6.55	7.89
19	नागालैंड	0.59	5.26	5.41	4.90
20	उड़ीसा	8.12	46.44	46.44	53.67
21	पंजाब	153.60	165.77	165.77	262.30
22	राजस्थान	19.73	20.66	19.41	15.04
23	सिक्किम	2.61	3.70	4.41	4.38
24	तमिलनाडु	44.40	45.02	174.51	48.39
25	त्रिपुरा	8.48	13.14	13.14	13.30
26	उत्तर प्रदेश	70.13	118.38	161.24	115.64
27	उत्तरांचल	12.70	10.45	10.97	17.75
28	पश्चिम बंगाल	58.56	76.17	56.82	46.88
	जोड़ (राज्य)	1161.11	1237.94	1344.43	1490.34

संलग्नक 7.3.3 जारी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजना			
		(2001-02) वास्तविक	(2002-03)		(2003-04)
1	2	3	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
			4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.25	1.90	1.90	3.52
2	चंडीगढ़	0.47	2.16	2.16	2.96
3	दादरा व नगर हवेली	0.09	0.24	0.24	0.24
4	दमन व दीव	0.07	0.12	0.12	0.20
5	दिल्ली	38.50	51.60	54.60	65.60
6	लक्षद्वीप	0.17	0.44	0.44	0.33
7	पांडिचेरी	16.31	17.80	24.07	34.41
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	56.86	74.26	83.53	107.26
	कुल जोड़	1217.97	1312.20	1427.96	1597.60

टिप्पणी: वर्ष 2003-04 ब.अ. आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है ।

अध्याय 8 कृनि और ग्रामीण विकास

8.1 कृनि

प्रस्तावना

वर्ष 2002-2003 में कृनि को धक्का पहुंचा तथा जीडी पी में 3.2 प्रतिशत की कमी आई जबकि 2001-02 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसका कारण अनेक राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति होना था। 2002-2003 में कुल 182.57 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जबकि 2001-02 में 212 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार, 15.75 मिलियन टन तिलहनों का अनुमानित उत्पादन 2001-02 के उत्पादन से लगभग 5 मिलियन टन कम अथवा उसमें लगभग 24 प्रतिशत से अधिक की कमी आई। कपास, जूट और गन्ने जैसी अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी 2002-03 के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान अलग-अलग फसलों का उत्पादन नि-पादन संलग्नक 8.1.1. में दर्शाया गया है।

2. अभी तक व्यापक रूप से वर्ना तथा 2003-04 के दौरान सामान्य मानसून की संभावना को देखते हुए अनुमान है कि वर्ष 2003-04 के दौरान कृनि उत्पादन में बहाली होने से न केवल कृनि व सम्बद्ध कार्यकलापों से होने वाले जी डी पी में ऊंची दर पर वृद्धि होगी बल्कि समग्र जी डी पी में भी वृद्धि होगी।

3. केवल वर्तमान वर्ष में ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भी कृनि उत्पादन में संवृद्धि की उच्च आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, दसवीं योजना में अनेक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र विनिश्चित किए गए थे। इन प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए अनेक स्कीमों/कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और कृनि तथा सहकारिता विभाग, कृनि अनुसंधान और शिक्षा विभाग व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. दसवीं योजना की स्कीमों/कार्यक्रमों, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान उनके नि-पादन तथा वार्षिक योजना 2003-04 की विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में नीचे दिया गया है :

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2003-04

तिलहनों, दालों, मक्का तथा पाम तेल के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन

5. तिलहनों, दालों, मक्का और पाम तेल के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन का पुनर्गठन किया गया है तथा दसवीं योजना में इसे तीन स्कीमों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, यथा तिलहनों, दालों, पाम तेल तथा मक्का (आई एस ओ पी ए एम) की एकीकृत स्कीम, तिलहनों, दालों और मक्का के संबंध में कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी और वृक्ष-आधारित तिलहन। मूल उद्देश्य, बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तिलहनों, दालों और मक्का व उसके उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा साथ ही इन गैर-परंपरागत तेल स्रोतों के उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए भी वृक्ष आधारित तिलहनों की स्कीम शुरू की जा रही है। आई एस ओ पी ए एम स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्यों के खर्च की हिस्सेदारी पद्धति 80:20 है, न कि नौवीं योजना की 75:25 पद्धति। आई एस ओ पी ए एम की

एकीकृत स्कीम का कार्यान्वयन, तिलहनों और दालों के संबंध में 14 राज्यों तक तथा मक्का के संबंध में 15 राज्यों तक सीमित होगा जिससे कि संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से प्रमुख तिलहनों, दालों और मक्का उत्पादक राज्यों में किया जा सके और इस कार्यक्रमों पर वांछित बल दिया जा सके। पाम तेल संबंधी स्कीम 11 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं योजना के तहत 1069.15 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 835 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-2003 के लिए आई एस ओ पी ए एम स्कीम के वास्ते परिव्यय का केन्द्रीय हिस्सा 146.20 करोड़ रुपए है।

कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन

6. कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी, 2000 में शुरू किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य कपास का उत्पादन बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। मिशन के अंतर्गत चार लघु मिशन सम्मिलित हैं, यथा लघु मिशन I, II, III और IV जो क्रमशः प्रौद्योगिकी सृजन, प्रौद्योगिकी अंतरण, बाजार ढांचे में सुधार और ओटाई तथा प्रैसिंग (जी एंड पी) फैक्टरियों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। एम एम I और एम एम IV का वित्तपो-ण भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत तक किया जा रहा है। एम एम III के लिए, जिसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा लगभग 58 प्रतिशत तक वित्तपो-ण की व्यवस्था की जाएगी। एम एम II में भारत सरकार और राज्यों की हिस्सेदारी 75:25 आधार पर है। एम एम II कृनि और सहकारिता विभाग द्वारा 13 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महारा-ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। वर्ष 2002-03 के दौरान इस मिशन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 20 करोड़ रुपए है जिसमें से 12.09 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। 2003-04 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 38 करोड़ रुपए है।

कृनि निवि-टियां तथा सेवाएं

बीज

7. बीजों की उपलब्धता में जो उच्च उत्पादकता स्तर प्राप्त करने में एक क्रांतिक और बुनियादी निवि-टि है, पिछले व-र्षों के दौरान देश में लगातार वृद्धि हुई है। 2001-02 के दौरान 114.0 लाख क्विंटल प्रमाणिक/अच्छी कोटी के बीजों की उपलब्धता, केवल 92.7 लाख क्विंटल की प्रक्षेपित आवश्यकता से अधिक थी। 2002-03 के दौरान भी प्रमाणिक/अच्छी कोटी के बीजों की उपलब्धता, कुछेक फसलों/किस्मों को छोड़कर अनुमानित आवश्यकता की तुलना में अधिक रही, फिर भी, 112 लाख क्विंटल वितरण के लक्ष्य के बदले प्रमाणीकृत/अच्छी कोटी के केवल 95 क्विंटल बीजों का वितरण उपलब्ध किया जा सका। तथापि, यह 2001-02 के दौरान वितरित 91 लाख क्विंटल की मात्रा से अधिक था। वर्ष 2003-04 के संबंध में प्रमाणीकृत/अच्छी कोटी के बीजों का वितरण लक्ष्य दसवीं योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 के संबंध में 149.6 लाख क्विंटल के लक्ष्य की तुलना में 117 लाख क्विंटल निश्चित किया गया है। यद्यपि प्रमाणीकृत/अच्छी कोटी के बीजों की समग्र उपलब्धता में सुधार हुआ है, तथापि अनेक फसलों के मामले में, विशेष-रूप से दालों और कुछ तिलहनों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर (एस आर आर) सिफारिश किए गए स्तरों से काफी कम रही है।

8. नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई "बीज को-न" की स्कीम, आकस्मिकताओं के मामलों में जैसेकि सूखा और बाढ़, की स्थिति में बीजों की जरूरतें पूरी करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। वर्ष 2002-

03 के दौरान भारतीय रा-ट्रीय बीज निगम (एन एस सी), भारतीय राज्य कृषि निगम (एस एफ सी आई और 13 सहभागी राज्य बीज निगमों द्वारा बीज को-न में विभिन्न फसलों/किस्मों के 1,24,483 क्विंटल बीज रखे गए। बीज निगमों को, बीज कोश के अनुसंधान, भंडारों के निर्माण और कंप्यूटरीकरण के लिए 699.99 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। बीज कोश में रख गए बीजों में से 65,424 क्विंटल बीज सूखा प्रभावित किसानों को वितरित किए गए। वर्ष 2003-04 के लिए, बीज को-न के लिए, प्रमाणीकृत बीजों का वास्तविक लक्ष्य 1,40,300 क्विंटल (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11,000 क्विंटल सहित) तथा विभिन्न फसलों के संबंध में 8,370 क्विंटल आधार (फाउंडेशन) बीजों का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

9. वाराणसी में स्थापित किया जा रहा रा-ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (एन एस आर टी सी) विभिन्न बीज विभाग संगठनों में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वाराणसी में प्रस्तावित बीज परीक्षण प्रयोगशाला, केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करेगी, जैसा कि बीज अधिनियम, 1966 में अपेक्षित है।

10. इस समय देश में 22 राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों और 101 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 1,12,00,000 क्विंटल बीज प्रमाणित किए गए जबकि 2001-02 के दौरान 62,23,000 क्विंटल बीज प्रमाणित किए गए थे।

11. फिलहाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई) नई दिल्ली में केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला (सी एस टी एल) बीज अधिनियम, 1966 के तहत केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए कार्य आयोजित करने के वास्ते प्रयोगशाला को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को अनिवार्य उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य देशभर में किसानों को अच्छी कोटि के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

12. वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को 149 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण आयोजित करने के वास्ते 10 लाख रुपए की राशि तथा 9 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय बीज समिति और केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के अनुसंधान पर खर्च की जाएगी।

13. डब्ल्यू टी ओ के टी आर आई पी करार के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने तथा किए जाने वाले निवेशों पर उपयुक्त प्रतिफल सुनिश्चित करके नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सरकारी तथा निजी - दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हेतु निवेश प्रेरित करने के उद्देश्य से "पौधा किस्में तथा कृ-क अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, (पी वी एफ आर पी अधिनियम, 2001) पर विधान अधिनियमित किया गया है। आशा है कि इससे, स्वदेशी और विदेशी निवेश के माध्यम से देश में बीज उद्योग का विकास होगा और किसानों के लिए अच्छी कोटि के बीजों और पादप सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। विधान में, सार्वजनिक हित में अनिवार्य लाइसेंसिंग हेतु प्रावधान सम्मिलित हैं।

14. कृषि और सहकारिता विभाग (डी ए सी) ने बीज क्षेत्रक सुधार के संबंध में एक रूपरेखा तैयार की है। संसाधनों के सुचारु उपयोग के लिए, योजना आयोग ने एक ही एजेंसी के रूप में कार्य करने के वास्ते एन एस सी और एस एफ सी आई का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया है। विद्यमान बीज अधिनियम, 1966 को एक उपयुक्त विधान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में

बीज विधेयक, 2002 के मसौदे पर विधि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। बीज क्षेत्रक को और सुदृढ़ करने तथा उसमें सुधार करने व विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणीकृत/अच्छी कोटि के बीजों की उपलब्धता की दिशा में उपायों को, वर्ष 2003-04 के दौरान दसवीं योजना में जारी रखा जाएगा जिससे कि उच्च एस आर आर प्राप्त की जा सके। वर्ष 2003-04 के लिए बीज क्षेत्रक में स्कीमों के वास्ते 27 करोड़ रुपए के आबंटन की व्यवस्था की गई है जबकि वर्ष 2002-03 का बजट अनुमान 26.96 करोड़ रुपए और दसवीं योजना आबंटन 275 करोड़ रुपए है।

उर्वरक तथा एकीकृत पो-नक प्रबंधन

15. देश में उर्वरक खपत में काफी वृद्धि हुई है। नौवीं योजना के दौरान, एन पी एंड के पो-नों की दृष्टि से कुल उर्वरक खपत 16.2 से 17.4 मिलियन टन के बीच रही सिवाय वर्ष 1999-2000 के जबकि यह स्तर 18 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2002-03 के दौरान, 16.64 मिलियन टन की अनुमानित उर्वरक खपत, वर्ष 2001-02 के दौरान 17.36 मिलियन टन की खपत से कम थी, जिसका मुख्य कारण अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति होना था।

16. तथापि, एन पी एंड के पो-नों के प्रयोग के अर्थों में असंतुलन जारी है, 2002-03 के दौरान वह 6.4:2.5:1.0 देखा गया जबकि आदर्श अनुपात 4:2:1 है। इस तथ्य के बावजूद कि 2002-03 के दौरान उर्वरक खपत में कमी आई, एन पी एंड के की दृष्टि से पो-नक उपयोग अनुपात, 2001-02 की तरह ही बना रहा।

17. यूरिया को छोड़कर सभी रासायनिक उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया जो अब भी जारी है। सरकार ने यूरिया के निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा जिससे कि किसानों को उचित कीमतों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, विनियंत्रित फास्फेटिक (पी) और पोटासिक (के) उर्वरकों की उचित कीमतों पर बिक्री में मदद देने के उद्देश्य से सरकार पी एंड के उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

18. केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सी एफ क्यू सी एंड टी आई), फरीदाबाद तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, देशभर से उर्वरकों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ) 1985 की धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचित प्रयोगशालाएं हैं। देश में 66 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनकी परीक्षण क्षमता प्रति वर्ष 1,20,115 नमूनों की है। तथापि, इन प्रयोगशालाओं में क्षमता उपयोग 90% से कम रहा है। क्षमता उपयोग असंतो-जनक (45% से कम) है, विशेष रूप से असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में राज्य प्रयोगशालाओं में, जिसका मुख्य कारण रसायनों, ग्लासवेयरों, उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता है, जिसका संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समाधान किए जाने की जरूरत है। 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान जिन उर्वरक नमूनों का परीक्षण किया गया उनमें से 5.3 से 6.6% तक स्तरों से कम पाए गए। किन्तु, लघु पो-नों के मामले में निम्न स्तरीय नमूनों का अनुपात ऊंचा पाया गया (23%)। एन पी एंड के उर्वरकों के मिश्रणों और एकल सुपर फास्फेट (एस एस पी) के मामले में भी गुणवत्ता की चिंता महत्वपूर्ण है, जिनमें निम्न-स्तरीय नमूनों का अनुपात उच्च पाया गया है (7.35%)। डी ए सी के अधीन केन्द्रीय और क्षेत्रीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 2001-02 के दौरान गुणवत्ता जांच/नियंत्रण के लिए 9103 उर्वरक नमूनों का परीक्षण किया। वर्ष 2002-03 के दौरान इन प्रयोगशालाओं द्वारा कुल 7,228 उर्वरक नमूनों का परीक्षण किया गया जबकि लक्ष्य 8,500 नमूनों का था। यद्यपि लगभग 6,000 नमूने

प्रत्येक वर्न घटिया स्तर के पाए जाते हैं, तथापि शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या बहुत कम है और वह भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में और सफल सिद्धदो-न तो अत्यंत विरल ही हैं। इसलिए, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ) 1985 को हाल ही में संशोधित किया गया है जिससे कि इसे और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। वर्न 2003-04 के लिए केन्द्रीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा 8500 उर्वरक नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

19. सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति का उद्देश्य एकीकृत पो-नक प्रबंधन (आई एन एम) अवधारणा अपनाने के साथ-साथ आर्गनिकों के अधिक उपयोग के अलावा, उर्वरकों के संतुलित उपयोग का प्रचार करना है। देश में कुल 125 जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयां हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 18,000 टन प्रतिवर्न है। इनमें भारत सरकार समर्थित 77 इकाइयां शामिल हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8,775 टन है। नौवीं योजना के दौरान, भारत सरकार की सहायता से राज्यों में 37 जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई थी। देश में बेचे जाने वाले जैव-उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच के लिए जैव-उर्वरक नमूनों का परीक्षण किया जाता है। जैव-उर्वरक उत्पादन इकायों की स्थापना के लिए सहायता तथा गुणवत्ता नियंत्रण पर जांच को 2003-04/दसवीं पंचवर्नीय योजना के दौरान जारी रखा जाएगा।

20. आर्गनिकों के बढ़े उपयोग के अलावा, आई एन एम अपनाने तथा आर्गनिक खेती अपनाने का प्रचार करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। "जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग संबंधी रा-ट्रीय परियोजना" की चालू स्कीम का पुनर्गठन करके, आर्गनिक खेती के संबंध में एक स्कीम नामतः "रा-ट्रीय आर्गनिक खेती परियोजना" तैयार की गई है। इसके 2003-04 के दौरान प्रारंभ हो जाने की संभावना है। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य रूप से जागरूकता पैदा करने और आर्गनिक खेती की प्रौद्योगिकी किसानों को उपलब्ध कराने; परीक्षण के लिए अवस्थापना के निर्माण/सुदृढीकरण; और प्रमाणीकरण पद्धति लागू करने पर बल दिया जाएगा ताकि निर्यात प्रोन्नयन हेतु और देश बाजार के लिए भी कृनि जिसों के आर्गनिक उत्पादन का प्रमाणीकरण किया जा सके। स्कीम को कार्यान्वित करने तथा विभिन्न कार्यकलापों के समन्वयन हेतु, कृनि और सहकारिता विभाग के अधीन एक रा-ट्रीय आर्गनिक कृनि संस्थान (एन आई ओ एफ) स्थापित करने का प्रस्ताव है। डी ए सी द्वारा अपनी दसवीं योजना आबंटन में "रा-ट्रीय आर्गनिक कृनि परियोजना" के कार्यान्वयन हेतु 92.50 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

21. वर्न 2003-04 के लिए, वर्न 2002-03 के 6.05 करोड़ रुपए के ब.अ. और 110 करोड़ रुपए के दसवीं योजना आबंटन के बदले उर्वरकों और एकीकृत पो-नक प्रबंधन से संबंधित स्कीमों के लिए 9.00 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

पौधा संरक्षण/एकीकृत कीट प्रबंधन

22. फसलों में कीड़े, कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए, एकीकृत कीट प्रबंधन (आई पी एम) दृ-टिकोण का समर्थन किया जा रहा है। आई पी एम दृ-टिकोण के प्रोत्साहन से कृनि में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद मिली है, जो 1994-95 में 61,357 टन से कम होकर 2000-01 में 43,584 टन हो गया। कीटों और बीमारियों की घटनाओं का मानीटरन करने तथा आई पी एम की अवधारणा का समर्थन करने के लिए, राज्यों की अपनी पौधा संरक्षण पद्धति के अलावा, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 26 केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केन्द्र (सी आई पी एम सी) कार्य कर रहे हैं। वर्न

2002-03 के दौरान इन केन्द्रों ने कीटों/बीमारियों के संबंध में 8.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का मानीटरन किया जबकि लक्ष्य 8 लाख हैक्टेयर का था। इसके अलावा, इन सी आई पी एम सी द्वारा 2238 मिलियन बायो-नियंत्रण एजेंटों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया और जारी किया गया जबकि लक्ष्य 2000 मिलियन का था। भारत सरकार के समर्थन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 29 राज्य बायो-नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।

23. कृषि उत्पाद के साथ कीटनाशकों के अवशेषों का अभिमिश्रण एक बड़ी चिंता की बात है, जो कृषि जिनसे के निर्यात नि-पादन को प्रभावित करने के अलावा, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आई पी एम दृष्टिकोण के माध्यम से, जरूरत आधारित/न्यूनतम उपयोग और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विस्तार एजेंसियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 77 फसलों के लिये आई पी एम पैकेज विकसित किया गया है।

24. आई पी एम दृष्टिकोण अपनाने तथा कीटनाशकों के सुरक्षित अनुप्रयोग को सुकर बनाने के लिए पौधा संरक्षण, संघरोध और भंडारण निदेशालय (डी पी पी क्यू एंड एस) अपने सी आई पी एम सी तथा रा-ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (एन पी पी टी आई) हैदराबाद के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान एन पी पी टी आई ने 28 नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए जबकि लक्ष्य 27 पाठ्यक्रमों का था, जिनमें विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय संगठनों से 466 अधिकारियों को पौधा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान 27 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। सी आई पी एम सी ने धान, कपास, सब्जियों, दालों, मूंगफली आदि में 504 कृ-क क्षेत्र स्कूल (एफ एफ एस)/प्रदर्शन आयोजित किए जबकि लक्ष्य 520 एफ एफ एस का था, जिनमें 1,807 कृषि विस्तार अधिकारियों (ए ई ओ) और 15,123 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2003-04 के लिए लगभग 2660 ए ई ओ तथा 15,960 किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 532 एफ एफ एस आयोजित करने का लक्ष्य है। आई पी एम तथा कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण तंत्र को वर्ष 2003-04/दसवीं योजना के दौरान और सुदृढ़ किया जाएगा।

25. कीटनाशकों का आयात, विनिर्माण, बिक्री और उपयोग, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनियंत्रित है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के विभिन्न प्रावधानों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। अठारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने, कीटनाशकों की कोटि गुणवत्ता का मॉनीटरिंग करने के लिए 56,116 से अधिक नमूनों का विश्लेषण करने की वार्षिक क्षमता के साथ 46 कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केन्द्रीय सरकार ने रेफरल विश्लेषण की सांविधिक भूमिका नि-पादित करने के लिए, अधिनियम की धारा 16 के तहत फरीदाबाद में एक केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सी आई एल) की भी स्थापना की है। इसके अलावा, कीटनाशकों के विश्लेषण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को पूरकता प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ और कानपुर में दो क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं (आर पी टी एल) भी स्थापित की गई हैं। सी आई एल ने वर्ष 2002-03 के दौरान 3063 कीटनाशी नमूनों का विश्लेषण किया, जिनमें न्यायालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रेफर किए गए 870 नमूनों शामिल हैं जबकि लक्ष्य 1200 नमूनों का था। इसके अलावा, 86 कीटनाशियों/बायो-कीटनाशियों का बायो-कुशलता, फाइटोटोक्सिटी, अनुकूलता आदि के लिए 20 कीटनाशियों का कीटनाशियों की सुरक्षा का अनुमान लगाने के लिए एल डी 50 वि-नाक्तता के संबंध में, और 161 नमूनों का पैकिंग, लेबलिंग और इशतहार आवश्यकताओं की दृष्टि से परीक्षण किया गया। दो क्षेत्रीय कीटनाशी प्रयोगशालाओं ने (आर पी टी एल) वर्ष 2002-03 के

दौरान गुणवत्ता प्राचलों की दृष्टि से 1783 नमूनों का विश्लेषण किया। किसानों को अच्छी कोटि के कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में छापों को आयोजित करने और समन्वित करने के वास्ते डी ए सी में एक केन्द्रीय कार्य दल भी गठित किया गया है।

26. पारि-सुरक्षित खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित करने के अलावा, अंतर्रा-द्रीय रूप से स्वीकृत न्यूनतम सहनशीलता स्तर के अनुरूप अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं (एम आर एल) निर्धारित करके कीटनाशी अपशिष्टों के नियंत्रण पर बल दिया जा रहा है। इस संबंध में पी एफ ए अधिनियम, 1954 के तहत अधिकतम अपशिष्ट सीमाएं निर्धारित करने के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण हेतु आवेदकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना/अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के वास्ते, केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की पंजीयन समिति (सी आई बी आर सी) ने एक प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा, 5 कीटनाशकों के संबंध में एम आर एल निश्चित किए गए हैं जो पी एफ ए अधिनियम, 1954 के तहत अधिसूचित किए जाने वाले 51 कीटनाशकों में से हैं, ये उन 71 कीटनाशकों के अलावा हैं, जिनके संबंध में 2002-03 से पूर्व में एम आर एल पहले ही निश्चित किए जा चुके हैं। 21 और कीटनाशकों के भारतीय कृषि में उपयोग के लिए रोक लगा दी गई है। विनाक्तता/बायो-कुशलता आदि के संदर्भ में उपलब्ध डाटा की जांच करने के लिए, सी आई बी आर सी द्वारा इसके सचिवालय के साथ एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है, जिससे कि 1972 से पहले पंजीकृत अनेक कीटनाशकों के एम आर एल निश्चित किए जा सकें। 2003-04/दसवीं योजना अवधि के दौरान मामले पर और आगे कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 2002-03 के दौरान, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 के तहत पंजीकरण के लिए, कुल 4,056 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 3,548 के संबंध में पंजीकरण पत्र जारी किए गए।

27. पादप संघरोध विनियामक उपाय [विनाशक कीड़े और कीट अधिनियम, 1914(1914 का अधिनियम 2)] के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि किसी कीड़े, फुई (फंगस) अथवा अन्य कीट जो फसलों के लिए विनाशक हैं अथवा हो सकते हैं, के प्रवेश और एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने को रोका जा सके। अधिसूचित प्रवेश स्थलों के जरिए पादपों, फलों और बीजों के आयात को नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि फसलों के लिए विनाशकारी कीटों के प्रवेश को रोका जा सके, उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पहले जारी की गई अधिसूचना का स्थान, पादप, फल और बीज (भारत में आयात के लिए विनियम) आदेश, 1989 ने ले लिया है। इस प्रयोजनार्थ, 32 पादप संघरोध केन्द्र, अंतर्रा-द्रीय हवाई अड्डों, समुद्रीय पत्तनों व सीमा प्रवेश स्थलों पर कार्यरत हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान रक्सोल और रूपाढिहा में दो नए पादप संघरोध केन्द्र कायम किए गए। वर्ष 2002-03 के दौरान, कीटों और रोगों के अपमिश्रण के संबंध में 1078.06 टन आयातित बीज प्रचार सामग्री और 74.39 लाख पादपों/पादप सामग्री की छानबीन की गई। बीजों/प्रचार सामग्री की यह मात्रा उस आयातित 67.45 लाख टन और 4.62 लाख टन सामग्री के अलावा थी, जिनकी उपभोग प्रयोजनार्थ छानबीन की गई थी। बीजों और पादप सामग्री के संबंध में कुल 55,476 आयात परमिट जारी किए गए। 161.96 लाख टन कृषि उत्पाद और 133.49 लाख पौधों/पादप सामग्री के निर्यात के वास्ते, पी क्यू केन्द्रों द्वारा जांच की गई और 53,886 फाइटो-स्वच्छता प्रमाण-पत्र जारी किए गए। आने वाले वर्षों में पादप संघरोध सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।

28. 2003-04/दसवीं योजना के दौरान आई पी एम के अंतर्गत दृष्टिकोण, कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच करने के लिए उपायों के अलावा, देश में परदेशी कीड़ों, कीटों और रोगजनकों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने के काम को जारी रखने का होगा। वर्ष 2003-04 के लिए, पादप संरक्षण से

संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जबकि वर्न 2002-03 के लिए ब.अ. 19.78 करोड़ रुपए था तथा दसवीं योजना आबंटन 220 करोड़ रुपए है ।

कृनि औजार और मशीनरी

29. ऊर्जा किफायती और समय बचत करने वाली मशीनों, यंत्रों और औजारों की बड़े पैमाने पर निर्माण करके उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने के प्रयास वर्न 2002-03 के दौरान जारी रखे गए जैसा कि दसवीं योजना के लिए परिकल्पित है । मशीनरी क्षेत्रक में चालू केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को संशोधित/पुनर्गठित किया गया ।

30. कृनि और सहकारिता विभाग के अधीन, बुदनी, हिसार, गारलादिन, विश्वनाथ चरिआली में स्थित विद्यमान चार कृनि मशीनरी परीक्षण और प्रशिक्षण केन्द्रों (एफएमटीटीआई) ने वर्न 2002-03 के दौरान कृनि मशीनरी के उपयोग और रखरखाव में 4545 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जबकि लक्ष्य 3500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का था । इसके अलावा, ट्रैक्टरों, पावर टीलरों (विद्युत हल) मिले-जुले हार्वैस्टरों, धान ट्रान्सप्लान्टरों और रीपरों को मिलाकर 140 मशीनों का उनकी उपयोगिता और नि-पादन की दृष्टि से क्षेत्र (खेत) परीक्षण किया जबकि वार्षिक लक्ष्य 70 मशीनों का था । नव विकसित मशीनों और औजारों को प्रदर्शित करने के लिए आई सी ए आर को वर्न 2001-02 के दौरान 0.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया । वर्न 2002-03 के दौरान, राज्यों और आई सी ए आर को ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने के लिए 0.75 करोड़ रुपए प्रदान किए गए । कृनकों द्वारा अपनाए जाने के लिए, जीरो टिल सीड ड्रिल, स्ट्रिप टिल ड्रिल, सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्चेयर रीपर, मैनुअल/सेल्फ प्रोपेल्ड पेडी ट्रान्सप्लान्टर, रेज्ड बेड प्लान्टर, शूगरकेन कटर प्लान्टर, ट्रैक्टर/पावर टिलर आपरेटिड रोटावेटर, श्रेशर, पावर वीडर, कोनोवीडर आदि के संबंध में कुल 6421 क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित किए गए जबकि लक्ष्य 500 प्रदर्शन आयोजित करने का था । ये एफ एम टी टी आई, सुधरी फार्म मशीनों/यंत्रों और व्यावसायीकरण के लिए नव विकसित यंत्रों के उपयोग का प्रचार करना जारी रखेंगे जो फार्म मशीनों और यंत्रों के उपयोग और अनुरक्षण के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा नव विकसित मशीनों और यंत्रों के क्षेत्र परीक्षण के अतिरिक्त होगा । मशीनरी क्षेत्रक में मशीनों के लिए वर्न 2003-04 के लिए 3.90 करोड़ रुपए का बजट (ब.अ.) प्रावधान किया गया है जैसाकि वर्न 2002-03 के लिए किया गया था । इस क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना आबंटन 75 करोड़ रुपए है ।

कृनि विस्तार

31. कृनि और सहकारिता विभाग ने, राज्यों में कृनि विस्तार के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और विस्तार कार्यकलापों के लिए मानव संसाधन विकसित करने के निमित्त, अपने प्रयास जारी रखे । शुरू किए गए कार्यक्रम हैं : स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृनि विस्तार; अनुसंधान विस्तार का सुदृढ़ीकरण; कृनक संयोजन; कृनि विस्तार; कृनक संगठनों के जरिए कृनि विस्तार के मूल्यांकन और मानीटरन का सुदृढ़ीकरण, विस्तार में मानव संसाधन विकास; और कृनि में महिलाओं का प्रशिक्षण।

32. रा-ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सृजित प्रशिक्षण अवस्थापना, वरि-ठ, मध्य और आधारभूत स्तर के विस्तार कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा कर रही है । विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशलों और विद्यमान जानकारी में सुधार करने के वास्ते उपलब्ध आधारभूत ढांचे के उपयोग को इ-टतम करने पर बल दिया जा रहा है । वर्न 2002-03 के दौरान, कुल 125 पाठ्यक्रमों की योजना तैयार की गई,

जिनमें 63 रा-द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एन टी सी); 50 राज्य स्तरीय सहयोगात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एस एल सी टी सी) और कृनि में मानव संसाधन विकास पर 12 दक्षता उन्नयन कार्यशालाएं शामिल हैं; इनमें कुल 2620 सहभागियों ने भाग लिया । 125 प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में वर्न के दौरान 972 सहभागियों के साथ 54 एन टी सी, 442 सहभागियों के साथ 26 एस एल सी टी सी, 37 सहभागियों के साथ 2 दक्षता उन्नयन कार्यशालाएं आयोजित की गईं । वर्न 2003-04 के लिए, 1260 सहभागियों के साथ 63 एन टी सी; 1120 सहभागियों के साथ 56 एस एल सी टी सी; और 240 सहभागियों के साथ 12 दक्षता उन्नयन कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

33. वर्न 2002-03 के दौरान कुल 450 कृनि महिला स्वयंसेवी दल गठित किए गए तथा इन दलों के माध्यम से कृनि महिलाओं को सभी कृनि सहायक सेवाएं प्रदान की गईं । 720 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अभिप्रेरित 9000 कृनि महिलाओं को प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान की गईं; 15 महिला गो-ठियां और 30 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए; तथा 1800 परिणाम प्रदर्शन आयोजित किए गए । वर्न 2003-04 के दौरान इन सभी कार्यकलापों को जारी रखा जाएगा ।

34. 50 गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण का कार्य 21 राज्यों में फैले 50 जिलों में जारी रखा गया । राज्य कृनि विभाग और राज्य कृनि विश्वविद्यालयों (एस ए यू) के निकट सहयोग से, एन जी ओ ने विनिर्धारित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने में सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है । प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक एन जी ओ को हर वर्न 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है ।

35. जिस आधारित कार्यशालाओं, कृ-क प्रशिक्षण, अध्ययन दौरों के आयोजन, कृ-क सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण और प्राप्ति, कृनि सूचना सामग्री/श्रव्य-दृश्य साधनों के निर्माण व प्राप्ति तथा क्षेत्र दिवस व किसान गो-ठियां आयोजित करने जैसे कार्यकलाप आयोजित करने के वास्ते 9 राज्यों में 18 कृ-क संगठनों (एफ ओ) के माध्यम से कृनि विस्तार की स्कीम वर्न के दौरान जारी रही । उपरोक्त कार्यकलाप आयोजित करने के लिए प्रत्येक एफ ओ को वार्षिक रूप से 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है ।

36. कृनि विस्तार के संबंध में चल रही स्कीमों को समेकित किया गया है तथा उनका पुनर्गठन किया गया है ताकि राज्य स्तर पर कृनि विस्तार में सुधार लाए जा सकें । कृनि विस्तार की नीतिगत रूपरेखा में सुधारों के वास्ते प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं : (i) सरकारी क्षेत्रक विस्तार का सुधार जिससे कि उसे व्यावसायिक रूप से सक्षम, सूक्ष्म और किफायती बनाया जा सके; (ii) कृनि विस्तार में निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करना; (iii) क्षमता निर्माण के विस्तार और कृ-कों/महिला कृ-कों और विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशल उन्नयन हेतु संचार साधन सहायता को सुदृढ़ करना; और (iv) लिंग संबंधी चिंताओं को दूर करना । आशा है कि पुनर्गठित स्कीमें 2003-04 के दौरान कार्यान्वयन योग्य हो जाएंगी ।

37. वर्न 2003-04 के लिए कृनि विस्तार हेतु स्कीमों के कार्यान्वयन के वास्ते 78.55 करोड़ रुपए के आबंटन की व्यवस्था की गई है जबकि वर्न 2002-03 के लिए ब.अ. 86.27 करोड़ रुपए था। कृनि विस्तार में स्कीमों के लिए दसवीं योजना आबंटन 550 करोड़ रुपए है ।

कृषि क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केन्द्र

38. विस्तार में मानव संसाधन और अवस्थापना के विकास के लिए स्कीमों के अलावा, "कृषि क्लीनिकों और कृषि-व्यवसाय केन्द्रों" की एक नई स्कीम वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू की गई जिसका उद्देश्य सरकारी/निजी क्षेत्रक एजेंसियों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए, कृषि विस्तार-सूचना और समर्थन सेवाओं में निजी क्षेत्रक को शामिल करना है। स्कीम का उद्देश्य बेरोजगार कृषि स्नातकों को अथवा अपनी स्वयं के सेवा/व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना करने के इच्छुक व्यक्तियों का कृषकों को अदायगी आधार पर विस्तार सेवाएं प्रदान करने के वास्ते उपयोग करना है।

39. वर्ष 2003-04 के दौरान, विनिर्धारित स्नातकों के लिए, 11 गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) सहित, 61 संस्थानों के माध्यम से, अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जून, 2003 के मध्य तक, 18,670 स्नातकों में से जिन्होंने ऐसे प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था, 3245 स्नातकों को विभिन्न संस्थानों में 114 प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित स्नातकों में से, बताया गया है कि 543 ने कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कृषि-क्लीनिक/कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की है। अधिकतम संख्या, अर्थात् 129 कृषि-क्लीनिक/कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना कर्नाटक में की गई, उसके बाद राजस्थान में 104, महाराष्ट्र में 72 और आंध्र प्रदेश में 60 केन्द्रों की स्थापना की गई। प्रशिक्षित स्नातकों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित 16 राज्यों में कृषि क्लीनिक/कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्कीम को वर्ष 2003-04 के दौरान जारी रखा जाएगा जिसमें निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कृषि विस्तार में शामिल करने के अधिक प्रयास किए जाएंगे।

40. वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए के आबंटन में से 5.985 करोड़ रुपए की राशि लघु कृषक व्यवसाय संघ (एस एफ ए सी) को प्रदान की गई, जो स्कीम को कार्यान्वित करने के वास्ते नोडल एजेंसी है। वर्ष 2003-04 के लिए स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। स्कीम के लिए दसवीं योजना आबंटन 175 करोड़ रुपए है।

कृषि का मेक्रो (वृहत) प्रबंधन

41. पिछली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के बेहतर उपयोगार्थ, एक नया दृष्टिकोण "मेक्रो प्रबंधन" अपनाया गया है जो फसल/कार्यकलाप विशिष्ट अलग-अलग स्कीमों के स्थान पर है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, राज्यों को अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यकलाप विकसित और कार्यान्वित करने की छूट दी गई है। इस प्रकार, कृषि विकास आयोजना में राज्यों की प्रमुखता बहाल करने के अनुसरण में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस प्रक्रिया के तहत 27 स्कीमों को मिलाकर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम "मेक्रो प्रबंधन - कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयास को पूरक बनाना/कार्यान्वित करना" तैयार की गई है। स्कीम का उद्देश्य, राज्यों द्वारा स्वयं तैयार की गई कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि का चहुंमुखी विकास करना है। वर्ष 2002-03 के दौरान, मेक्रो-प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत 736.86 करोड़ रुपए के आबंटन के संदर्भ में राज्यों को 581.20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2003-04 के लिए स्कीम के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। दसवीं योजना के लिए कुल आबंटन 4053 करोड़ रुपए है।

सहयोग

42. कृषि क्रेडिट के संवितरण, कृषकों को बाजार सहायता प्रदान करने, कृषि इन्पुटों के वितरण तथा सहकारिता शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिताओं को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने तथा उनके प्रबंधन को व्यावसायीकृत करने के लिए अगस्त, 2002 में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम का अधिनियमन किया गया। अधिनियम के अंतर्गत नियम तैयार कर लिए गए हैं। रा-द्रीय सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा स्कीम की पुनर्संरचना की गई है। दसवीं योजना के दौरान स्कीम के लिए 231 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। स्कीम के अंतर्गत सहकारी सोसायटियों के प्रबंधन में उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए सहकारिता कार्मिकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नौवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 1.32 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। भारतीय रा-द्रीय सहकारिता यूनियन (एन सी यू आई), सहकारी प्रशिक्षण पद्धति का प्रबंधन कार्य जारी रखेगी। दसवीं योजना के दौरान रा-द्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) का पुनर्गठन करके उसके अधीन विभिन्न स्कीमों को शामिल किया गया, अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण के लिए सहायता, रा-द्रीय सहकारी संघों, चुनिंदा जिलों में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाओं के लिए सहायता, सहकारी कर्ताई मिलों (उत्पादक) में शेयर पूंजी भागीदारी और सहकारी प्रसंस्करण यूनितों का पुनर्वास और महिला सहकारिताओं के विकास के लिए सहायता (नई स्कीम)। कृषि और सहकारिता विभाग (डी ए सी) का सहकारिता प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर बागवानी वस्तुओं की प्राप्ति हेतु "बाजार हस्तक्षेप स्कीम" (एम आई एस) भी कार्यान्वित कर रहा है। एम आई एस का कार्यान्वयन, बागवानी वस्तुओं के उत्पादकों को भरपूर (बंपर) फसलें होने की स्थिति में उनकी कम दाम पर बिक्री करने से विशेष रूप से अधिकतम आवक की अवधि के दौरान संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

क्रेडिट

43. सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) व अन्य एजेंसियों द्वारा कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए प्रदत्त आधार स्तरीय क्रेडिट प्रवाह की कुल मात्रा, 2001-02 के दौरान 62045 करोड़ रुपए से बढ़कर 2002-03 में 70810 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) स्कीम का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती संबंधी जरूरतों के लिए, जिनमें कृषि उत्पादनों इन्पुटों की खरीद शिथिलनीय व किफायती ढंग से करना शामिल है, बैंकिंग पद्धति के माध्यम से पर्याप्त और समय पर क्रेडिट सहायता उपलब्ध कराना है, 1998-99 में इसकी शुरुआत से ही लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, 313.44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) जिनमें 76498.80 करोड़ रुपए का मंजूरशुदा बैंक ऋण सम्मिलित था, सहकारी बैंकों, आर आर बी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को जारी किए गए। सहकारी क्रेडिट संस्थानों को व्यावसायीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता, निर्माण आधारभूत सुविधाओं में सुधार कंप्यूटरीकरण, क्षेत्र स्टाफ की गतिशीलता बढ़ाने आदि के लिए सहकारी क्रेडिट संस्थानों को सहायता प्रदान करने के वास्ते नाबार्ड ने सहकारी विकास निधि (सी डी एफ) कायम की है। 31 मार्च, 2003 तक सी डी एफ से विभिन्न सहकारी संस्थानों को कुल 57.31 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। हाल ही में, सरकार ने, किसानों के लिए 50,000 रुपए तक की राशि पर 9 प्रतिशत से अनाधिक ब्याज दर की घोषणा की है। ऐसा, राज्य सहकारी बैंकों की अनदेखी करके और जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा सीधे ही उधार प्रदान करके किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, नाबार्ड ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारिताएं और आर आर बी क्षीण हैं, इसलिए नाबार्ड ने, विशेष-मामले के तौर पर इस क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को सभी पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की हैं। ये सुविधाएं देश के अन्य क्षेत्रों में केवल सहकारिताओं और आर आर बी को उपलब्ध हैं।
- नाबार्ड, सभी वित्त पो-ण एजेंसियों को (वाणिज्यिक बैंकों समेत) कृनि-भिन्न क्षेत्रक के लिए उनके आधार स्तरीय क्रेडिट के 100 प्रतिशत के हिसाब से पुनर्वित्त प्रदान करता है जबकि देश के शे-न भाग के लिए 90 प्रतिशत की उपलब्धता है।
- स्कीमबद्ध उधार के अंतर्गत नाबार्ड से बगैर किसी सीमा के पुनर्वित्त प्राप्त करने के वास्ते न्यूनतम वसूली स्तर से संबंधित पात्रता मानदंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में 50 प्रतिशत पर निम्न निर्धारित किया गया है जबकि देश के अन्य भागों के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत है।
- ढीलप्राप्त मानदंडों के तहत अल्पावधि (विशे-न कृनि संचालन) क्रेडिट सीमाएं मंजूर की जाती हैं।
- नाबार्ड, सभी एस टी (एस ए ओ) पुनर्वित्त पर ब्याज की न्यूनतम दर वसूल करता है।
- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि0 (एन ई डी एफ आई), गुवाहटी, को नाबार्ड पुनर्वित्त के लिए एक पात्र संस्थान बना दिया गया है।

कृनि बीमा

44. पिछली व्यापक फसल बीमा स्कीम के स्थान पर रबी सत्र 1999-2000 से प्रारंभ की गई रा-ट्रीय कृनि बीमा स्कीम (एन ए आई एस) के अंतर्गत, कृ-नकों (ऋण प्राप्त न करने वाले कृ-नकों को कवर किया गया), फसलों (वारिक, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों समेत) और जोखिमों (तैयार शुदा पैदावार की कीमत तक) की दृ-टि से अधिक कवरेज की व्यवस्था है। स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम पद्धति को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि अधिक वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त की जा सके। अब कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की वित्तीय देयताओं में बराबर की हिस्सेदारी है (अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच वित्तीय देयताओं की भागीदारी 1:1 है)। इस समय यह स्कीम 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं योजना में स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। भारतीय रा-ट्रीय कृनि बीमा कंपनी लि0 नामक एक नई कंपनी, 200 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ, स्थापित की गई है, जिसमें नाबार्ड का योगदान 30 प्रतिशत और सामान्य बीमा कंपनी व इसकी चार सहायक कंपनियों का योगदान 70 प्रतिशत है।

रा-ट्रीय कृनि सूचना पद्धति

45. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के वास्ते रा-ट्रीय कृनि सूचना पद्धति (एन ए आई एस) लागू की गई है। उम्मीद की जाती है कि कृनि से संबंधित सभी सूचना यथा समय, कृ-नकों, निर्यातकों, व्यापारियों और अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृनि विभागों और केन्द्रीय सरकार को उपयोगार्थ

वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। स्कीम से, कृषि विकास तथा कृषकों की आय को बढ़ावा देने में सूचना की शक्ति का दोहन किए जाने की उम्मीद है।

कृषि विपणन

46. कृषकों को भंडारण, रेहन वित्तपोषण की सुविधाएं तथा विपणन सेवाएं प्रदान करने के लिए, ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरुद्धार/विस्तार के वास्ते एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की गई है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को अपनी धारण क्षमता में वृद्धि करने और इस प्रकार कम दाम पर बेचने से बचने में, समर्थ बनाना है। स्कीम के अंतर्गत उन्हें ब्याज की न्यून दरों पर ऋण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्कीम के अंतर्गत, भंडारण के समय कृषि उत्पादन के श्रेणीकरण और मानकीकरण की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना के दौरान निजी और सहकारी क्षेत्रक में 70 लाख एम टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के तहत, परियोजना के पूरी हो जाने के बाद, गोदामों के निर्माण की पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 36.62 लाख मिलियन टन की भंडारण क्षमता के साथ लगभग 2373 गोदाम पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। "बाजार अवस्थापना का विकास, श्रेणीकरण और मानकीकरण" की एक अन्य स्कीम भी 1103.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तैयार की गई है जिसमें केन्द्रीय सब्सिडी 305 करोड़ रुपए की होगी। स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बाजारों के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव है। कृषि विपणन क्षेत्रक में परिकल्पित सुधार आयोजित करने वाली राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी। एक और स्कीम "कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (ए जी एम ए आर के एन ई टी)" कार्यान्वित की जा रही है। उस स्कीम के अंतर्गत कुल 810 "नोडो" को शामिल किया गया है जिसमें 735 कृषि उत्पाद बाजार और राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय आदि सम्मिलित हैं।

बागवानी और बागान फसलें

बागवानी

47. बागवानी क्षेत्रक का भारतीय कृषि में प्रमुख स्थान है। अनुकूल कृषि - जलवायु स्थितियों, आर एंड डी के लिए जनशक्ति और अवस्थापना के विशाल संसाधनों के बावजूद, बागवानी की विद्यमान क्षमता का पूर्णतः दोहन नहीं किया गया है। भूमि की उत्पादकता सुधारने, रोजगार सृजित करने, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और निर्यात संवर्धन में बागवानी की भूमिका सु-स्थापित है। प्रति इकाई क्षेत्र उच्च आय और रोजगार सृजन तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धतियों के कारण, भारतीय कृषि के विविधीकरण के लिए यह क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्रक, संवर्धित खाद्य और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। फलों, सब्जियों, फूलों, गिरियों, मसालों व अन्यो को मिलाकर बागवानी का अनुमानित उत्पादन 1999-2000 के दौरान 149.2 मिलियन टन था। यह, 2000-2001 में बढ़कर 152.5 मिलियन टन हो गया जो 2.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। फसलों के इस समूहों के अंतर्गत क्षेत्र में केवल मामूली वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 15.3 मिलियन हैक्टेयर से 15.7 मिलियन हैक्टेयर हो गई। रा-द्रीय बागवानी बोर्ड तथा नारियल विकास बोर्ड, प्रमुख विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। इनके अलावा, बागवानी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के वास्ते मेक्रो-प्रबंधन के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और स्कीमें अनुमोदित की जाती हैं।

रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी)

48. बागवानी के लिए शीत आगारों और भंडारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते एन एच बी "बैंक एंडिड क्रेडिट जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम" अत्यंत आकर्षक बन गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, बागवानी उत्पादों के लिए शीतगारों व अन्य भंडारगृहों में 30.53 लाख टन क्षमता निर्मित करने के लिए 681 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। मंजूरशुदा सब्सिडी राशि 200.41 करोड़ रुपए बैठती है। इसके अलावा, एन एच बी ने, "उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन" के माध्यम से "वाणिज्यिक बागवानी के विकास" के अंतर्गत 30.71 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी करके, 744 परियोजना भी स्वीकृत की गई।

नारियल विकास बोर्ड

49. भारत, विश्व में प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। अच्छी कोटि की पादप सामग्री के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शन-सह-बीज-उत्पादन (डी एस पी) फार्मों, नर्सरियों की स्थापना और अनुरक्षण और शंकर किस्मों के वितरण पर बल दिया जाती है। इसके अलावा, क्षेत्र विस्तार, कीट प्रबंधन, आर्गनिक खाद, बाजार प्रोन्नयन आदि पर भी बल दिया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान 27.27 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 300 डी एस पी फार्मों का अनुरक्षण किया गया तथा 2001-02 के अंत तक 34181 हैक्टेयर क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया गया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु अनेक प्रदर्शन भी प्रायोजित और आयोजित किए गए।

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

50. उत्तर-पूर्वी राज्यों में, सिक्किम सहित, बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, सभी 4 लघु मिशनों के तहत, वर्ष 2000-01 के दौरान 67.25 प्रतिशत की राशि प्रदान की गई। 2002-03 के दौरान 91.07 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, क्षेत्र विस्तार, सामुदायिक तालाब, ट्यूबवैल, नर्सरियां, प्रशिक्षण, आर्गनिक खेती, जैव-उर्वरक, आई पी एम कार्यकलाप, ग्रामीण और थोक बाजारों का प्रोन्नयन, प्रयोगशाला और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण जैसे कार्यकलाप शुरू किए गए। वर्ष 2001-02 के दौरान बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार 24074 हैक्टेयर हुआ। इन सभी स्कीमों को 2003-04 में जारी रखा जाएगा।

51. यद्यपि, चल रहे कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा कुछ संरचनात्मक सहायता से अच्छा प्रभाव पड़ा है, तथापि, प्रौद्योगिकियों और अवस्थापना की अपर्याप्तता, भू-धारणों का छोटा आकार, पुराने तथा जराकालीन बगीचों की बहुलता, अच्छी कोटि के, रोगाणु-मुक्त बीजों और उत्तम पौधारोपण सामग्री का अभाव, बीमारियों और कीटों की विद्यमानता तथा असंतो-नजनक कटाई-पश्चात प्रबंधन प्रथाएं जैसेकि हैंडलिंग, छंटाई, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण सुविधाएं, जैसी अनेक बाधाएं हैं। विपणन तथा प्रसंस्करण नेटवर्क भी असंतो-नजनक है। इन बाधाओं को दूर करने से बागवानी क्षेत्रक की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

52. दसवीं योजना में विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र शामिल हैं: उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, सुधरे कल्टीवरों और किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, उच्च कोटि के रोगमुक्त, उच्च पैदावार वाले बीज और पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति द्वारा उत्पादन लागत में कमी करना, कृ-क स्तर पर मूल्य अभिवृद्धि तथा

प्रसंस्करण उद्योग पर प्रतिबंधों को दूर करना, जिसमें अनाज, फलों, सब्जियों और गन्ने पर आधारित शराब शामिल है, नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सुधरी कृषि प्रथाओं के अनुप्रयोग द्वारा कोटि सुधार, देशज विपणन तथा निर्यात को प्रोत्साहन, संगठनात्मक सहायता को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन विकास, उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में जैसेकि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, मिशन मोड । दृष्टिकोण बागवानी में उभरते क्षेत्र हैं : औ-धीय तथा सुगंधित पौधे, फूलों की खेती, मशरूम आदि तथा मधुमक्खी पालन, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है । इसलिए, विभिन्न योजनागत विकास कार्यक्रमों को जारी रखकर बागवानी में इन उप-क्षेत्रों पर प्राथमिकतापूर्ण ध्यान देने का प्रस्ताव है । नाबार्ड व बैंकिंग क्षेत्रक की भागीदारी से बैंक एंडिड क्रेडिट जुड़ी सब्सिडी विधि के साथ, कटाई-पश्चात प्रबंधन और शीतगार पद्धति के लिए अवस्थापना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है । बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन का हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू व कश्मीर में विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में बागवानी की विशाल क्षमता का दोहन किया जा सके ।

53. नई पहलों के एक भाग के रूप में, दो केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें, यथा (i) उच्च तकनीकी बागवानी तथा सही खेती, और (ii) प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों की दिशा में बागवानी का संधारणीय विकास, शुरू की जा रही है ।

बागान फसलें

54. चाय, काफी और खड़ देश में परंपरागत बागान फसलें हैं । ये अधिकांशतः दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में उगाई जाती हैं । देशज खपत मांग को पूरा करने के बाद, वस्तुओं का यह समूह देश की निर्यात डाली में भी महत्वपूर्ण योग देता है । संबंधित क्षेत्रों का जीव मंडलीय और पारिस्थितिक परिरक्षण भी बागान फसलों को इस समूह का अतिरिक्त लाभ है ।

चाय

55. चाय बोर्ड, पांच स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, नामतः चाय बागान विकास, बाजार प्रोन्नयन, कोटि उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण, अनुसंधान तथा विकास और मानव संसाधन विकास । अनुमानित चाय उत्पादन, जो 2001-02 में 853.71 मिलियन कि.ग्रा. था, 2002-03 में कम होकर 826.16 मिलियन कि.ग्रा. हो गया । 2001-02 में 1719 करोड़ रुपए लागत की चाय का निर्यात हुआ । यह कम होकर 2002-03 में 1622 करोड़ रुपए का रह गया, अर्थात् इसमें 5.64 प्रतिशत की गिरावट आई ।

56. चाय पर एक रुपया प्रति कि.ग्रा. उत्पाद कर को समाप्त करके इसके स्थान पर इतनी ही राशि का उपकर लगाकर, चाय बागान क्षेत्रक के विकास, आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए एक पृथक चाय बागान निधि कायम की गई है ।

काँफी

57. काँफी बोर्ड, बड़ी संख्या में छोटे आकार की स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जैसेकि फसल संरक्षण और प्रबंधन, कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकियां, उत्तर-पूर्व क्षेत्र व अन्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, बाजार विकास व प्रोन्नयन, लघु उत्पादक क्षेत्रक के लिए सहायता और मानव संसाधन

विकास, जिनका उद्देश्य बागान सुधार करना है। इसके अलावा, लघु उत्पादक के लिए ब्याज सब्सिडी की एक नई स्कीम भी दो वर्षों 2002-03 और 2003-04 के लिए लागू की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान बड़े काफी उत्पादकों तक भी इसका विस्तार कर दिया गया है। यद्यपि, वर्ष 2002-03 में कॉफी की खेती के तहत क्षेत्र में मामूली रूप से 3.47 लाख हैक्टेयर से 3.49 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई, तथापि इस अवधि के दौरान उत्पादन 3.01 लाख टन से कम होकर 2.75 लाख टन रह गया। इन दो वर्षों में उत्पादकता में भी कमी आई जो 937 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से कम होकर 900 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गया। सुस्त अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा दबी हुई कीमतों के कारण कॉफी उत्पादक कृषि इन्पुट का उपयोग करने में हिचकिचा रहे हैं। देश में उत्पादित कॉफी का लगभग 80 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। वर्ष 2001-02 में 1095 करोड़ रुपए मूल्य की कॉफी का निर्यात किया गया जबकि 2002-03 में यह राशि 974 करोड़ रुपए थी, जिसका परिणाम इस अवधि के दौरान 11.1 प्रतिशत की गिरावट के रूप में है।

रबड़

58. रबड़ बोर्ड, अनुसंधान, बागान विकास, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र स्कीम के तहत विकास, प्रसंस्करण कोटि उन्नयन और प्राकृतिक रबड़ का उत्पाद विविधिकरण, बाजार विकास के संबंध में पांच स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। यद्यपि रबड़ के अंतर्गत क्षेत्र 5.67 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बना रहा, तथापि, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन अनुमान में विगत वर्ष के दौरान उत्प्लावकता आई। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो 2001-02 में 6.31 लाख टन था, 2002-03 में बढ़कर 6.38 लाख टन हो गया। इन दो वर्षों के दौरान उत्पादकता में मामूली वृद्धि हुई जो 1576 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1580 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई।

मसाले

59. मसाला बोर्ड, पांच स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जो मुख्य रूप से छोटी और बड़ी इलायची के निर्यातोन्मुखी उत्पादन, निर्यात विकास, निर्यातोन्मुखी अनुसंधान, कोटि सुधार व मानव संसाधन विकास से संबंधित हैं। इसके अलावा, दसवीं योजना के लिए, मसालों के निर्यात प्रोन्नयन की एक नई स्कीम का प्रस्ताव है। वर्ष 2001-02 में निर्यात किए गए मसालों का मूल्य 1497 करोड़ रुपए था। वर्ष 2002-03 में यह बढ़कर 1615 करोड़ रुपए हो गया, परिमाणतः इन दो वर्षों के दौरान 7.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। काजू निर्यात प्रोन्नयन परि-द (सी ई पी सी) द्वारा काजू की कोटि सुधार हेतु अन्य लघु स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है जिनमें भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान (आई आई पी एम) को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।

60. मौटे तौर पर बागान फसलों के चहुंमुखी विकास में प्रमुख बाधाओं में पुराने बागान, पुनः पौधारोपण की धीमी गति, अपर्याप्त सिचाई सुविधाएं, उच्च भूमि: श्रम अनुपात, बागान के लघु भू-धारण आकारों की बहुलता, अच्छी कोटि की रोगमुक्त पौधारोपण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता और वैज्ञानिक बागान विकास का अभाव शामिल है।

61. दसवीं योजना के दौरान इन बाधाओं को दूर करने का प्रस्ताव है। क्योंकि सुस्त मांग के कारण विगत कुछेक वर्षों में बागान फसलें भी गंभीर रूप से प्रभावित हुईं, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें दबाव में रही इसलिए विभिन्न उपायों के जरिए उत्पादकता संवर्धन और कोटि सुधार

को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। अंतर-फसल पद्धति प्रथाओं और रबड़, रबड़-का-ठ आदि जैसे उत्पादों के अन्त्य उपयोग के विविधिकरण के जरिए पौधारोपकों की आय के स्रोतों को पूरक बनाने के वास्ते भी कदम उठाने का प्रस्ताव है।

62. बागान फसलों के लिए, जिसमें मसाला बोर्ड, काजू निर्यात प्रोन्नयन परिषद (सी ई पी सी) आदि की बागान फसलें शामिल हैं, दसवीं योजना परिव्यय 1212 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है। दसवीं योजना 2002-03 और 2003-04 के दौरान परिव्यय और व्यय संलग्नक-1 में दर्शाया गया है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

63. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) अग्रणी विस्तार कार्यकलापों के रूप में नई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु, रा-द्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। भा.कृ.अ. परिषद, 47 संस्थानों की कड़ी के माध्यम से अनुसंधान आयोजित करती है, जिनमें सम विश्वविद्यालय वाले चार संस्थान, 5 रा-द्रीय ब्यूरो, 12 परियोजना निदेशालय, 32 रा-द्रीय अनुसंधान केन्द्र, 158 क्षेत्रीय केन्द्र और 77 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (ए आई सी ए आर पी) शामिल हैं। सभी उपलब्ध संसाधनों को इकट्ठा करने और पशु-चिकित्सा के महत्व के लघु अंगों के संरक्षण तथा विशि-टीकरण हेतु वर्तमान व भावी आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते सुविधाओं को उन्नत करने के लिए नौवीं योजना के दौरान, रा-द्रीय कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवाणु ब्यूरो की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। शैक्षिक कार्यक्रम, 34 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा संस्थानों में कुल मिलाकर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 11000 छात्रों और उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 5000 छात्रों की दाखिला क्षमता है।

64. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी ए आर ई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के परामर्श से शुरू की गई शून्य आधारित बजट पद्धति (जेड बी बी) प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चल रही 235 परियोजनाओं/स्कीमों में 9 स्कीमों को समाप्त कर दिया गया तथा शेष 226 स्कीमों की पुनर्चना करके उनके विलयन/अभिसरण के जरिए, 72 स्कीमों में बदल दिया गया है। ऐसा, वैज्ञानिक जनशक्ति सहित संसाधनों के सुचारु उपयोग और साथ ही स्कीमों/ परियोजनाओं के बेहतर मानीटरन व कार्यान्वयन हेतु भी किया गया है।

65. पादपवंशीय संसाधनों के संरक्षण हेतु स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान, फसलों और उनकी अपेक्षित वन्य प्रजातियों की 15,243 अधिप्राप्तियां की गईं; 39 देशों से 27,847 फसल नमूने (ट्रांसजेनिक फसलों के 79 नमूनों समेत), लागू किए गए तथा 27,245 अधिप्राप्तियां रा-द्रीय जीन बैंक में शामिल की गईं। वर्ष 2003-04 के दौरान, पुनउत्पादन के लिए उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की खेती की किस्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली फसल नस्लों के जंगली तथा खर-पतवार संपोषितों के संग्रहण के लिए और अधिक अन्वेषण आयोजित करने का प्रस्ताव है।

66. कृषि में विभिन्न क्षेत्रों, जैसेकि फसल सुधार बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुधन सुधार, मत्स्य विकास आदि में अनुसंधान कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न फसलों की 85 से अधिक किस्मों/संकर नस्लों का विकास किया गया। भा.कृ.अ.प. द्वारा विकसित चावल की 21 किस्में और मक्का की 2 किस्में, केन्द्रीय तथा राज्य किस्म विमोचन समितियों द्वारा जारी

की गई। दालों की आठ नई किस्में और तिलहनों की 16 किस्में जारी किए जाने हेतु विनिर्धारित की गई। विभिन्न फलों तथा सब्जियों की भी अनेक किस्में 2002-03 के दौरान जारी किए जाने के वास्ते विनिर्धारित की गई। इसके अलावा, औ-धीय व सुगंधित पौधों की 6 नई सुधरी किस्में - दो अफीम पापी की, इसबगोल, अश्वगंधा, आसिलियों की एक-एक, और लम्बी मिर्च की एक किस्म - विकसित की गई। वर्ष 2002-03 के दौरान ट्रांसजेनिकों के विकास के संबंध में भी अनुसंधान कार्य जारी रहा।

67. अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम क्रम का प्रथम चरण पूरा किया गया। भारतीय सरसों में, बहालकर्ता के साथ, कोशिका द्रव्यात्मक जीन संबंधी विसंक्रमणता पद्धति को संकर बीज उत्पादन हेतु परिशुद्ध किया गया; विभिन्न फसलों की 1400 किस्मों का डी एन ए फिंगर प्रिंट लिया गया; और स्थल पर ही गैर-ट्रांसजेनिक से ट्रांसजेनिक बी टी कपास में भेद करने के लिए तत्काल उपयोग किए जाने हेतु सरल किट विकसित किया गया।

68. पशुधन तथा मत्स्य क्षेत्रों में, जीन संबंधी संसाधनों का सर्वेक्षण और विशि-टीकरण; पशुओं में बाध्यकर प्रोटीन 3 के इन्सूलीन जैसे विकास कारक का विनिर्धारण; फीडबेस-2001 डाटाबेस का विकास; पूर्ण कुक्कुट खाद्य सूत्र प्रौद्योगिकी का विकास; भैंस भ्रूण का अंतर्जीव विकास; पनीर, फल, दही, अजलीयकृत चिकन सूप, मिश्रण तैयार करने की तकनीक; श्रीम्प रोग प्रबंधन तकनीकों का विकास और मत्स्य मृत्यु दर कम करने के लिए "सिफेलोस्ट्रेस" सूत्र, कुछेक वर्ष 2002-03 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी।

69. प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिकरण और हस्तांतरण के तहत, 344 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के वी के) ने कृषि के विभिन्न पहलुओं में 18,461 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 0.43 मिलियन किसान और कृषि महिलाएं लाभान्वित हुईं; 66,000 ग्रामीण युवाओं को लाभ पहुंचाने वाले 3237 व्यावसायिक तथा कौशल-उन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; और 41,000 सेवाकालीन कार्मिकों को लाभ पहुंचाने वाले 1643 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आठ प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों (टी टी सी) ने 188 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनसे 2893 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वर्ष 2003-04/दसवीं योजना के दौरान और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिससे कि प्रत्येक जिले में अंततः कम से कम एक के वी के हो सके तथा विद्यमान के वी के को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि प्रौद्योगिकी के अंतरण के माध्यम से किसानों की उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा इन्पुट सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें। दसवीं योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003-04 के दौरान अनुसंधान के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

- मॉलीकुलर प्रजनन तथा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास, जीनोम बारंबारता, ट्रांसजेनिकों का विकास; और समृद्ध जैव-विविधता के परिरक्षण व दोहन के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय विकास;
- विविधिकृत कृषि, मूल्य अभिवृद्धि और कृषि व्यवसाय के संदर्भ में अनुसंधान का पुनर्स्थापन;
- लागत कटौती तथा कोटि सुधार हेतु प्रौद्योगिकियां;
- छोटे खेतों, पहाड़ी खेती में मशीनीकरण, ऊर्जा प्रबंधन तथा ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के कृषि में उपयोग के संबंध में अनुसंधान;

- जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति सहनशील उच्च पैदावार वाली किस्मों/संकर नस्लों, उच्च उत्पादकता क्षमता और अच्छी कोटि के अनाज/उत्पादों का विकास तथा निर्यात हेतु उपयुक्त कोटि के अनाज का धारण ।

70. इसके अलावा, आर्गनिक खेती (कृनि वस्तुएं तथा साथ ही पशुधन उत्पाद) के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के संबंध में और बढ़ती जलवायु भिन्नता व जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृनि की भेद्यता के मात्राकरण के लिए अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाएगी जिससे कि उनके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अनुकूलन/कमी करने संबंधी कार्यनीतियां विकसित की जा सकें ।

71. भारतीय कृनि अनुसंधान परि-द, अनुसंधान पैदावार और कृ-क पैदावारों के बीच पैदावार अंतर को कम करने के लिए, अपने कृनि विज्ञान केन्द्रों (के वी के) तथा संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण का कार्य भी जारी रखेगी । अवस्थापना के विकास तथा के.वी.के. में कार्यरत स्टाफ के कौशलों के उन्नयन हेतु कार्य किया जाएगा जिससे कि वे कृनि के वैश्वीकरण तथा वाणिज्यिकरण के कारण उत्पन्न उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें ।

72. डी ए आर ई/आई सी ए आर के लिए वर्न 2003-04 के लिए 775 करोड़ रुपए के आबंटन की व्यवस्था की गई है जो 2002-03 के ब.अ. स्तर पर है । वर्न 2002-03 के दौरान, 637.90 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया जबकि आबंटन की राशि 775 करोड़ रुपए (ब.अ.) थी । कृनि अनुसंधान के लिए दसवीं योजना आबंटन बढ़ाकर 5368 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि नौवीं योजना में 3376.95 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था ।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

वर्नापोनित क्षेत्रों के लिए रा-ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए)

73. इस कार्यक्रम को, वर्नापोनित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता सुधारने और पारिस्थिकीय संतुलन बहाल करने के दोहरे उद्देश्य के साथ, आठवीं योजना से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। एन डब्ल्यू डी पी आर ए की पुनर्संरचना की गई है तथा वाटरशेड विकास के संबंध में एकसमान दृष्टिकोण और एन डब्ल्यू डी पी आर ए के संबंध में नए कार्यान्वयन मार्गनिर्देश, नवम्बर 2000 के बाद से लागू किए गए हैं। पुनर्गठित एन डब्ल्यू डी पी आर ए के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी के चयन और कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण में नम्यता की काफी मात्रा में छूट है। परियोजनाओं के संबंध में अब यह आवश्यक है कि उनकी आयोजना, कार्यान्वयन, मानीटरन व अनुसंधान वाटरशेड समुदाय द्वारा किया जाए।

झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना

74. बदलती खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना (डब्ल्यू डी पी एस सी ए) को 1994-95 में फिर से चालू किया गया तथा यह केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ-साथ पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कवर किया गया है। नौवीं योजना के दौरान 82.01 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 157366 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया। वर्ष 2002-03 के दौरान उपचारित क्षेत्र तथा निवेश क्रमशः 19366 हैक्टेयर और 19.67 करोड़ रुपए था।

नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में (आर वी पी तथा एफ पी आर) अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण

75. अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने, जलाशयों के गादभरण को न्यूनतम करने तथा बाढ़ प्रवण नदियों में बाढ़ प्रकोप को न्यूनतम करने के लिए "नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में (आर वी पी तथा एफ पी आर) अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण" के संबंध में एक स्कीम, कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम नौवीं योजना की "नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन की एक विलयित स्कीम है तथा यह 20 राज्यों में फैले 52 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, यथा असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आर वी पी तथा एफ पी आर स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए 52 जलग्रहण क्षेत्रों का कुल जलग्रहण क्षेत्र 96.1 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 25.62 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र, उपचार हेतु तृतीय योजना में उच्च तथा अत्यंत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्यक्रम की शुरुआत से नौवीं योजना के अंत तक (2001-02) 54.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया जिस पर 1516.21 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

क्षारीय मृदाओं का पुनरुद्धार

76. यह स्कीम उन सभी राज्यों में 1974-75 से चल रही है जहां मृदा में क्षारीयता विद्यमान है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, क्षारीयता प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना तथा बागवानी, ईंधन लकड़ी और

चारे की नस्लों के विकास सहित, भूमि और फसल उत्पादकता में सुधार करना है, स्कीम के अंतर्गत, क्षारीय मृदा पुनरुद्धार प्रौद्योगिकी के संबंध में नि-पादन कार्मिकों और कृ-कों की क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रयास किया जाता है। शुरूआत से, नौवीं योजना के अंत तक, 5.81 लाख हैक्टेयर भूमि का उपचार किया गया जिस पर 76.38 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

वाटरशेड विकास को-न

77. सहभागी दृ-टिकोण के माध्यम से 100 प्राथमिकता वाले जिलों में एकीकृत वाटरशेड विकास के उद्देश्य से रा-ट्रीय कृ-नि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की 1999-2000 में स्थापना की गई थी। को-न की कुल कार्पस 200 करोड़ रुपए है जिसमें 100 करोड़ रुपए का योगदान नाबार्ड का तथा 100 करोड़ रुपए का आनुपातिक योगदान कृ-नि और सहकारिता मंत्रालय का शामिल है। को-न का उपयोग, सरकारी, अर्ध सरकारी और एन जी ओ क्षेत्रों में विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में अलग-थलग सफल पहलों को समेकित और उनका अनुकरण करने के लिए रूपरेखा स्थितियों का सृजन करने के लिए किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत 14 राज्यों को दो चरणों में कवर किया जाना है; छः राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, महारा-ट्र, गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को पहले चरण में और 8 राज्यों, यथा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को दूसरे चरण में कवर किया जाएगा।

जम्मू व कश्मीर में नदियों के अवनत जलग्रहण क्षेत्रों की पारि-बहाली

78. प्रधानमंत्री द्वारा मई, 2002 में की गई घो-णा के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में झेलम, चिनाब और शिवालिक के अवनत जलग्रहण क्षेत्रों के पुनरुद्धार का काम हाल ही में शुरू किया गया है। मेक्रो-प्रबंधन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है। स्कीम का उद्देश्य, अवनत भूमि की उत्पादकता में संवर्धन करना है। स्कीम के उद्देश्य हैं :

- अवनत भूमि की उत्पादकता का संवर्धन।
- चरम प्रवाह को कम करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र से बहाव में कटौती।
- जल ग्रहण क्षेत्रों से मृदा-ह्रास को रोकना।
- भू-समर्थता और आर्द्रता व्यवस्था में सुधार।
- जलग्रहण क्षेत्र देखरेख के संबंध में जागरूकता सृजन।
- नए रोजगार अवसरों का सृजन।

8.2 पशु पालन तथा डेयरी कार्य

प्रस्तावना

79. भारत में पशुओं की बहुत बड़ी संख्या है, जो विश्व में भैंस आबादी का लगभग 57 प्रतिशत और पशु आबादी का 16 प्रतिशत है। पशु पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, पाले जाने वाले अधिकांश पशु इ-टतम से कम स्थितियों में रहते हैं। इस बाधा के बावजूद, भारत अब विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। कुल जी डी पी में पशु पालन और डेयरी का योगदान 2001-02 में चालू कीमतों पर 5.59 प्रतिशत था। मात्र दुग्ध का योगदान (1,03,804 करोड़ रुपए), कृनि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के उत्पादन के मूल्य के रूप में धान (73,965 करोड़ रुपए) गेहूं (43,816 करोड़ रुपए) और गन्ना (28,592 करोड़ रुपए) से अधिक था। वर्ष 2001-02 में, 84.6 मिलियन टन दूध के अलावा, पशुधन क्षेत्रक ने 34 बिलियन अंडों, 50.7 मिलियन कि.ग्रा. ऊन, 4.92 मिलियन टन माँस और 5.8 मिलियन टन मत्स्य का योगदान किया। पशुधन क्षेत्रक, लगभग 11 मिलियन लोगों को प्रधान रूप में और 8 मिलियन को सहायक रूप में नियमित रोजगार उपलब्ध कराता है। पशुधन क्षेत्रक में कुल श्रमिक बल में 69 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि फसल खेती में 35 प्रतिशत हैं। पशुओं से संबंधित उत्पादों से निर्यात आय वर्ष 2001-02 में 3841 करोड़ रुपए थी।

80. संवृद्धि प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां हैं : पशुओं और भैंसों का तीव्र जीन संबंधी उन्नयन, रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन सहित स्वास्थ्य कवरेज का प्रावधान, पो-नक खाद्य तथा चारे का प्रावधान, और डेयरी उत्पादों के लिए विपणन अवस्थापना का विकास।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

पशु और भैंस विकास

81. एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में पशु और भैंस प्रजनन के लिए एक व्यापक रा-ट्रीय परियोजना देश में अक्टूबर, 2000 से शुरू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पशु और भैंस प्रजनन कार्यकलापों के लिए 100% सहायता अनुदानों और प्रजनन उपादानों और सेवाओं की गुणवत्ता का टिकाऊपन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, स्कीम का कार्यान्वयन की गई परिकल्पना के अनुसार नहीं हो रहा है। प्रमुख मद्दों (जैसे कि प्राकृतिक समागम हेतु सांडों की प्राप्ति, चल ए आई केन्द्र, वीर्य केन्द्रों का सुदृढीकरण और वीर्य को-न) के संबंध में पंचवर्षीय परियोजना के प्रथम तीन वर्ष के अंत में (प्रथम चरण) लक्ष्य और उपलब्धि के बीच पर्याप्त अंतर है। परियोजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु, राज्य स्तरीय मानीटरन और प्रबंधन सूचना पद्धति को कार्यात्मक तथा कारगर बनाया जाना चाहिए। राज्यों के बीच परियोजना कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए एक समान मानकों की भी जरूरत है। पशुपालन और डेयरी विभाग के वेबसाइट का प्रयोग सूचना के प्रसारण हेतु किया जा सकता है, जैसे कि सांडों की उपलब्धता और उनका नि-पादन, वीर्य का उत्पादन, परियोजना की प्रगति।

82. रा-ट्र में 2002-03 के दौरान गंभीर सूखा पीड़ित राज्यों में पशुओं की आबादी पर अत्यंत प्रभाव पड़ा विशेष रूप से चारे और पानी की अनुपलब्धता की वजह से। पशु देख-रेख के लिए राजस्थान (483.5 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (55.3 करोड़ रुपए), गुजरात (39.8 करोड़ रुपए), पंजाब (39.7 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (31.5 करोड़ रुपए), हरियाणा (31 करोड़ रुपए), कर्नाटक (17 करोड़ रुपए),

उड़ीसा (15 करोड़ रुपए), हिमाचल प्रदेश (11.5 करोड़ रुपए) को कुल 752 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई ।

डेयरी विकास

83. अप्रैल, 1996 में "आपरेशन फ्लड कार्यक्रम" के पूरा हो जाने के बाद, डेयरी विकास के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं : (1) गैर-आपरेशन फ्लड, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी), और (2) सहकारिताओं के लिए सहायता । आई डी डी पी स्कीम के अंतर्गत, 2001-02 के अंत तक कुल 260 करोड़ रुपए के आबंटन में से 50 राज्य परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। महाराष्ट्र को (39.27 करोड़ रुपए) अधिकतम सहायता प्राप्त हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश (32.32 करोड़ रुपए), उड़ीसा (24.80 करोड़ रुपए), छत्तीसगढ़ (18.37 करोड़ रुपए), बिहार (13.84 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (13.81 करोड़ रुपए), असम (12.61 करोड़ रुपए) का स्थान है । परियोजना का नि-पादन संतो-जनक नहीं है । डेयरी सहकारिता सोसायटियों (डी सी एस) के गठन और दुग्ध प्राप्त के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी है । बहुत सी डी सी एस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में डी सी एस समाप्त हो जाती है । परियोजना के कार्यान्वयन की विधि और दृष्टिकोण में मध्यावधिक सुधार किए जाने की जरूरत है । "सहकारिताओं को सहायता" की स्कीम नुकसान उठाने वाली जिला दुग्ध सहकारी यूनियनों के पुनरुद्धार के लिए अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करने के वास्ते, जनवरी, 2000 में अनुमोदित की गई थी । 168 दुग्ध यूनियनों में से 58 दुग्ध यूनियन (34.5%) मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार नुकसान उठा रही थी । बहुत सी नुकसान उठाने वाली सहकारी दुग्ध यूनियनें स्कीम का लाभ उठाने में असमर्थ हैं क्योंकि राज्य अनुपातिक अनुदान (50%) का योगदान करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में दिल्ली दुग्ध स्कीम (डी एम एस) को जारी रखने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है । यद्यपि डी एम एस को दिल्ली की रा.रा.क्षेत्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय जून 1997 में ही ले लिया गया था किन्तु इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है । शून्य आधारित बजट पद्धति निर्णय के अनुसार स्कीम को वर्तमान वित्त वर्ष के 6 मास के पश्चात समाप्त किया जाना है ।

84. एक नई स्कीम "उत्तम और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवस्थापना का सुदृढीकरण" के दसवीं योजना में कार्यान्वयन हेतु सिफारिश की गई है । इस स्कीम में, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए पात्र व कल-पुर्जे प्रदान करने तथा विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ करने के वास्ते 100% अनुदान दिया जाएगा । बड़े-बड़े कूलरों की खरीद के लिए 75:25 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

कुक्कुट विकास

85. पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 में "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए सहायता" की नौवीं योजना स्कीम की पुनर्चना की गई । स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम दो कुक्कुट फार्मों को, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 80% केन्द्रीय सहायता के साथ सुदृढ किया जाएगा । अन्य उदीयमान पक्षियों को जैसे कि गिनी चिड़िया, टर्की, बटेर आदि को एक नए कार्यकलाप के रूप में शुरू किया जाएगा । विभाग, दसवीं योजना के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्धी मूल्यांकन की संभावना का भी पता लगाएगा ।

पशु स्वास्थ्य

86. वर्ष 2002-03 से 535 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ "पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" पर एक नई स्कीम शुरू की गई। यह स्कीम तीन विद्यमान स्कीमों का विलयन करके तैयार की गई है, यथा (i) पशु बीमारियों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (75:25 भागीदारी आधार, 270 करोड़ रुपए), (ii) व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास (50:50, 25 करोड़ रुपए), (iii) पशु महामारी उन्मूलन संबंधी रा-ट्रीय परियोजना (100% अनुदान, 40 करोड़ रुपए), और (iv) एक नया कार्यक्रम (पाद और मुख रोग नियंत्रण 100% अनुदान, 200 करोड़ रुपए)। पशु रोग घटक के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु रोगों (जैसे कि हेमारहजिक सेप्टीसेमिआ, एन्थ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर) के विरुद्ध पशुओं के प्रतिरक्षण पर बल दिया गया है। पशु प्लेग संक्रमण से मुक्ति का अंतिम चरण प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहे। प्रस्ताव है कि दसवीं योजना के दौरान चार करोड़ पशुओं को 20 करोड़ पाद और मुख रोग टीका लगाने का प्रस्ताव है। स्कीम के सभी घटकों को पूरे देश में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, सिवाय पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम के जिसे देश के तीन चुनिंदा क्षेत्रों के 54 जिलों में शुरू किया जाएगा। परियोजना को आई सी ए आर, पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें ग्राम पंचायतों व अन्य सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया गया है। एफ एम डी कार्यक्रमों के संबंध में किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन कराना आवश्यक होगा और पुनर्गठन यदि किया गया तो, योजना आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2003-04 की समीक्षा

87. पशुपालन और डेयरी विभाग ने, 18 स्कीमों कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है जिनमें से पांच नई स्कीमों हैं, यथा रोगमुक्त क्षेत्रों का सृजन, कुक्कुट/डेयरी उद्यम पूंजी को-न, उत्तम और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना का सुदृढीकरण, लघु रोमन्थी तथा लहू पशुओं का संरक्षण और डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्क का सुदृढीकरण। इनमें से एक सचिवालय तथा आर्थिक सेवाओं से, पशुपालन से, 4 डेयरी विकास से और 5 मत्स्य क्षेत्रक से संबंधित हैं। योजना आयोग ने सभी नई स्कीमों के संबंध में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वर्ष 2003-04 के लिए ब.अ. 202 करोड़ रुपए था (पशुपालन 172.10 करोड़ रुपए और डेयरी 29.90 करोड़ रुपए)। अधिकतम आबंटन "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" स्कीम के लिए (35%) है, उसके बाद रा-ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम परियोजना (23.8%) और डेयरी (14.8%) का स्थान है। केन्द्रीय पशु विकास संगठन, केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केन्द्रीय चारा विकास संगठन, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन और पशु स्वास्थ्य निदेशालय जैसी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को कुल आबंटन का लगभग 16% प्राप्त होगा।

88. पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने, चार चालू स्कीमों, यथा पशु रोगों का नियंत्रण, व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास, रा-ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन और पाद तथा मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना (नई) को मिलाकर एक "मेक्रो प्रबंधन" स्कीम तैयार की है। वर्तमान में 1 मार्च, 1998 से पूरा देश पशु प्लेग से अस्थाई रूप से मुक्त है। वर्तमान में प्रयास "पशुप्लेग रोग से पक्की तौर पर मुक्ति" का अंतिम चरण प्राप्ति की दिशा में किए जा रहे हैं। "पशुप्लेग संक्रमण से मुक्ति" का अंतिम चरण प्राप्त करने के लिए "आफिस इंटरनेशन डेस एपीजूटीज" (ओआईई) को प्रस्तुत किए जाने के वास्ते डोजियर तैयार करने के लिए सूचना सृजित करने के वास्ते देश भर में याद्दाच्छिक रूप से चुनिंदा गांवों में लसी निगरानी कार्य आयोजित किया जाएगा। रा-ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत, किसानों

के घर पर ही अत्यंत सुधरे कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करके पशुओं और भैंसों में सभी प्रजनन योग्य मादाओं को धीरे-धीरे व्यवस्थित प्रजनन के तहत लाने की परिकल्पना की गई है ।

89. कार्यनीति तथा नीतिगत पहल

- प्रमाणित वीर्य और उच्च कोटि के उच्चवंशोत्पन्न सांडों का उपयोग करके तथा कृ-क स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के वास्ते कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करके देशज/स्वदेशी पशुओं और भैंसों का आनुवांशिक उन्नयन । सैनिक डेयरी फार्मों, सरकार/संस्थान फार्मों और गौशालाओं के सहयोग से नस्ल परीक्षित सांडों का उत्पादन करने का काम शुरू किया जाएगा ।
- संख्या में कमी दर्शाने वाली अथवा लुप्त होने वाली पशु नस्लों का संरक्षण ।
- विद्यमान पशु रोगों को नियंत्रित करने के लिए रा-द्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम अपनाना । रोग मुक्त क्षेत्र सृजित करने के प्रयास किए जाएंगे ।
- चारा फसलों और चारा वृक्षों की खेती के जरिए चारे का विकास, चारागाह भूमि का पुनरुद्धार और आम संपत्ति साधनों का प्रबंधन, संधारणीय पशु उत्पादन के लिए जरूरी है । स्वदेशी घासों, जैसे कि राजस्थान की सावन घास, लोकप्रिय बनाने पर विशेष बल दिए जाने की जरूरत है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है ।
- छोटे रोमन्थी (भेड़ और बकरी) तथा लड्डू पशुओं (अश्व और ऊंट) का सुधार करने का कार्य संबंधित क्षेत्रों में किया जाएगा जहां ऐसे पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं ।
- पंचायतों, सहकारिताओं और एन जी ओ को अपने-अपने क्षेत्र में किसानों के दरवाजे पर ही सेवा प्रदाताओं की समर्पित टोली तैयार करने में प्रमुख रूप से भूमिका निभानी चाहिए ।
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा साथ ही मूल्यवर्धन हेतु अवस्थापना और कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के काम को डेयरी क्षेत्रक में प्राथमिकता दी जाएगी ।
- स्वदेशी पक्षियों को सुधारने व ग्रामीण क्षेत्रों में अहाते में कुक्कुटपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे ।

90. संस्थानों, सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, सहकारिताओं और एन जी ओ की सक्रिय भागीदारी के साथ, पशु उत्पादन और स्वास्थ्य के आधार पर सूचना नेटवर्क का सृजन किया जाएगा ।

8.3 मत्स्यसंवर्धन और मत्स्यपालन

प्रस्तावना

91. देश के समाजार्थिक विकास में योग देने वाले क्षेत्रकों में एक प्रमुख क्षेत्रक मत्स्यक्षेत्रक है। सस्ते और पोन्नक खाद्य के एक स्रोत के रूप में यह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय का योगदान करने के अलावा, अनेक सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देता है। यह परिवारों की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करके पारिवारिक आय को पूरकता प्रदान करने में भी योग देता है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान चौथा और विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है।

92. दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है : मत्स्य पालन और मछली पकड़ने, दोनों तरीकों से, विशेष रूप से अपतटीय तथा गहरे समुद्र, नदियों और जलाशयों से, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, जो तटीय मत्स्य पालन प्रबंधन के अतिरिक्त है, मत्स्यपालन का ऊर्ध्वाधर व समानांतर विकास, अवस्थापना विकास, सुधरा पकड़-पश्चात प्रबंधन, आवास बहाली तथा मछेरों का कल्याण।

93. वर्ष 2002-03 के दौरान मत्स्य क्षेत्रक में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 102 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी, जिसे संशोधित करके 2002-03 के सं.अ. में 82 करोड़ रुपए कर दिया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

94. वर्ष 2001-02 के दौरान कुल मत्स्य उत्पादन 59.56 लाख टन था, जबकि 2000-01 में यह 56.55 लाख टन था। अनुमान है कि वर्ष 2002-03 के दौरान मत्स्य उत्पादन लगभग 60.50 लाख टन होगा। वर्ष 2001-02 के दौरान 5815 करोड़ रुपए मूल्य के 4.58 लाख टन समुद्रीय उत्पादों का निर्यात किया गया। 2001-02 के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन 15758 मिलियन फ्राई था।

2002-03 के दौरान स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा

95. क्योंकि समुद्रीय मत्स्य के विकास की बड़ी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को, योजना आयोग की शून्य आधारित बजट पद्धति (जेड बी बी) संबंधी कोर समिति द्वारा नौवीं योजना के पश्चात समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी, इसलिए जेड बी बी सिफारिश की किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा किए जाने से पहले, परंपरागत और छोटे मशीनीकृत मत्स्य क्षेत्रकों के विकास हेतु कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जा सके। तथापि, समुद्रीय क्षेत्रक में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 13 मत्स्य पालन केन्द्र मंजूर किए गए जिनमें 11 आंध्र प्रदेश में, एक उड़ीसा में और एक अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सम्मिलित है। अंतर्देशीय क्षेत्रक में मत्स्य पालन का ऊर्ध्वाधर और समानांतर विकास एक प्रमुख उत्पादन-उन्मुख कार्यक्रम था जिसे देश में कार्यरत 429 मत्स्य पालन विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए), 39 ब्रेकिश जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (बी एफ डी ए) के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। अनुमान है कि वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 30,000 हैक्टेयर जल क्षेत्र को, वैज्ञानिक मत्स्यपालन के तहत लाया जाएगा और 25,000 मत्स्य पालकों को सुधरी मत्स्य पालन प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जल क्षेत्र कवरेज के अंतर्गत हुई उपलब्धि वर्ष 2002-03 के दौरान निश्चित लक्ष्य के लगभग

होने की उम्मीद है तथा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में हुई उपलब्धि 20,000 के लक्ष्य से अधिक होगी । 2002-03 के दौरान अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का संग्रह करने का काम, सहायता की विद्यमान पद्धति के अनुसार जारी रहा । इसके अलावा, मछेरों के कल्याण के लिए चल रहे कार्यक्रमों को भी, माडल मछेरे ग्रामों के विकास, सक्रिय मछेरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा स्कीम और बचत-सह-राहत के घटकों के जरिए जारी रखा गया । मत्स्य संस्थानों ने भी जैसेकि फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, मुम्बई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नौटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कोचीन, इंटेग्रेटिड फिशरीज प्रोजेक्ट, कोचीन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिशरी, बंगलौर ने भी वर्ष 2002-03 के दौरान अपने-अपने कार्यक्रमानुसार मत्स्य पालन में, मत्स्य सर्वेक्षण जनशक्ति प्रशिक्षण, पकड़-पश्चात विकास और निवेश पूर्व सर्वेक्षण आदि के अपने कार्यक्रमों को जारी रखा ।

2003-04 के दौरान प्रस्तावित स्कीमें/कार्यक्रम

96. समुद्रीय क्षेत्रक में शुरू किए जाने वाले कुछेक कार्यक्रम होंगे : पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु परंपरागत नौकाओं के मोटरीकरण के जरिए मुद्रीय मत्स्य पालन का विकास, छोटे मशीनीकृत मत्स्य क्षेत्रक के विकास के लिए मझौली नौकाओं की शुरुआत, संसाधन विशि-ट गहन समुद्र मत्स्य पोत प्रारंभ करना, पारंपरिक और छोटे मशीनीकृत क्षेत्रकों के लिए केरोसिन और डीजल हेतु सब्सिडी तथा मछेरों की सुरक्षा के लिए एक घटक की व्यवस्था करना । अवस्थापना विकास के अंतर्गत अतिरिक्त मत्स्य पोताश्रयों और मत्स्य पालन केन्द्रों की स्थापना व पकड़ पश्चात प्रचालनों का विकास करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003-04 के दौरान सक्रिय मछेरों के लिए बीमा कवरेज और बचत-सह-राहत के साथ, मछेरों के कल्याण कार्यक्रमों को भी जारी रखने का प्रस्ताव है । आजकल, पशु पालन और डेयरी विभाग के अधीन विभिन्न संस्थानों के तहत कार्यकलापों के अभिसरण द्वारा मत्स्य संस्थानों को सहायता जारी रखी जाएगी । इसके अलावा, वर्ष 2003-04 के दौरान "मत्स्य के संबंध में डाटा बेस और सूचना नेटवर्किंग को सुदृढ़ करने" के संबंध में एक नई स्कीम भी शुरू करने का प्रस्ताव है ।

97. अंतर्देशीय क्षेत्रक में, ताजे पानी के मत्स्य पालन और खारे पानी के मत्स्यपालन के विकास को, मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाने, रोजगार अवसर सृजित करने, मत्स्यय पालन प्रथाओं को विविधीकृत करने और मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से जारी रखने का प्रस्ताव है जिससे कि मत्स्य क्षेत्र में पूर्णतः लगे मत्स्य पालकों का एक प्रशिक्षित व सुसंगठित संवर्ग तैयार किया जा सके।

98. 2003-04 के दौरान मत्स्य पालन के विकास हेतु प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र होंगे; उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मत्स्य कार्यकलापों का ऊर्ध्वाधर और समानांतर विकास, जिसमें शीत जल मत्स्य विकास सम्मिलित है, जलाक्रान्त क्षेत्रों को मत्स्यपालन स्थल बनाना और मत्स्य पालन के लिए अंतर्देशीय क्षारीय/लवणयुक्त मृदाओं का उपयोग । समुद्रीय क्षेत्रक में, इन क्षेत्रों से अ-दोहित/अल्प-दोहित मत्स्य संसाधनों के दोहन के वास्ते अपतटीय और गहन-समुद्रीय क्षेत्रों से मत्स्य पकड़ने के विकास पर और अधिक बल दिया जाएगा । मछेरों की मछली पकड़ने के दौरान सुरक्षा के लिए कार्यक्रमों के साथ-साथ मछेरों के कल्याण को भी यथोचित महत्व दिया जाएगा । इसके अलावा, 2003-04 के दौरान मत्स्य के संबंध में डाटाबेस और सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करने का काम भी शुरू किया जाएगा ।

8.4 परती भूमि और अवनत भूमि का विकास

सरकार देश में अवनत और परती भूमि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि गरीबी का सूखा प्रवण, मरुस्थल प्रवण व कृषि कार्यों के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के साथ बहुत गहरा संबंध है। रा-द्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी (एन आर एस ए) ने मार्च, 2000 में परती भूमि के रूप में 63.85 मिलियन हैक्टेयर भूमि का अनुमान लगाया था जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वाटरशेड विकास, वर्षापोषित खेती और रा-द्रीय संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यदल ने परती भूमि के रूप में 88.5 मिलियन हैक्टेयर भूमि का अनुमान लगाया था। अवनत भूमि के विकास के लिए, राज्य द्वारा वाटरशेड आधार पर, जल दोहन और संरक्षण प्रथाओं तथा बेहतर भूमि प्रबंधन पद्धति के जरिए, लोगों की कठिन रहन-सहन परिस्थितियों में कमी लाने के लिए, कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया जाता है। भू-संसाधन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वाटरशेड स्कीमों पर नीचे चर्चा की गई है :

भू-संसाधन विभाग (डी ओ एल आर) के क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2. सी.एच. हनुमंत राव समिति ने, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, यथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) और एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) के कार्यान्वयन के लिए वाटरशेड आधार पर, कामकाजी मार्गनिर्देशों, उद्देश्यों कार्यनीतियों और व्यय मानदंडों के एक-समान सैट की सिफारिश की थी। अन्य वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए भी, जैसेकि वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए रा-द्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्र का विकास, जिसका संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, एकसमान मार्गनिर्देश अपनाए गए हैं। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1.4.1995 से, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(i) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)

3. डी पी ए पी की शुरुआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1973-74 में की गई थी : (i) फसलों और पशुओं के उत्पादन, भूमि की उत्पादकता, जल तथा मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, जिससे अंततः प्रभावित क्षेत्रों का सूखे से बचाव किया जा सके, (ii) समग्र आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना, और (iii) सूखा प्रवण क्षेत्र में अल्प संसाधन वाले व सुविधाविहीन वर्गों की समाजार्थिक स्थितियां सुधारना।

4. इस समय 16 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महारा-द्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में 183 जिलों के 971 ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हैं। 1995-96 से 31.3.2003 तक डी पी ए पी के अंतर्गत कुल 16,268 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनके तहत लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। इनमें से 3165 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

5. वर्ष 2003-04 के दौरान, पहले से चल रही परियोजना की निधि संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के अलावा, डी पी ए पी के तहत 12 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र कवर करने के लिए, 2400 परियोजनाओं के वास्ते 295 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी)

6. भूमि, जल, पशुओं और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के वास्ते एक दीर्घावधिक उपाय के तौर पर डीडी पी की शुरुआत वर्ष 1977-78 में की गई थी। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : (i) सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना करना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली को प्रोत्साहन; (ii) फसलों, पशुओं और भूमि की उत्पादकता, जल व मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना; और (iii) आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना और ग्रामीण समुदाय के अल्प-संसाधन और सुविधाविहीन वर्गों की समाजार्थिक स्थिति सुधारना।

7. इस समय, सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान में 40 जिलों के 235 ब्लॉकों को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है। 1995-96 से 2001-02 तक कुल 8314 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं (राजस्थान के लिए 1171 विशेष-परियोजनाओं सहित)। इनमें से 1209 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

8. वर्ष 2003-04 के दौरान, 265.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने तथा चल रही परियोजनाओं की निधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

9. डी पी ए पी तथा डी डी पी के अंतर्गत, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निधियां सीधे ही डी आर डी ए/जिलों परिन्दों को प्रदान की जाती हैं। 1999-2000 से, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियन पद्धति, 1.4.1999 के पश्चात मंजूर परियोजनाओं के संबंध में, केन्द्र और राज्यों के बीच बदलकर 75:25 लागत विभाजन आधार पर कर दी गई है। परियोजना लागत प्रति परियोजना 30 लाख रुपए है, जिसमें 6,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से 500 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

(iii) एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)

10. आई डब्ल्यू डी पी, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ग्राम/माइक्रो वाटरशेड योजनाओं के आधार पर परती भूमि के विकास के उद्देश्य से 1988-89 में शुरू की गई थी। तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान स्कीम को परती भूमि विकास विभाग (अब भू-संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है) को हस्तांतरित कर दिया गया।

11. आई डब्ल्यू डी पी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, तथा 4,000 रुपए प्रति हैक्टेयर के मानदंड को संशोधित करके, 1.4.2000 से 6000 रुपए प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है। 2000 रुपए की यह वृद्धि, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 अनुपात में बांटी जानी है। इस प्रकार, स्कीम की वित्तपोषण पद्धति को 100% केन्द्रीय अनुदान से संशोधित करके, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 11:1 अनुपात में विभाजन के आधार पर कर दिया गया है। आई डब्ल्यू डीपी के अंतर्गत परियोजनाएं सामान्यतः उन क्षेत्रों में मंजूर की जाती हैं जो डी डी पी और डी पी ए पी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। कार्यक्रम को देश में 297 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

12. 1995-96 से 2002-03 तक, कुल 472 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनके अंतर्गत 40.59 लाख हैक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। इनमें से 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

13. वार्षिक योजना 2003-04 में, आई डब्ल्यू डी पी के लिए, 402 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए, रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत वाटरशेड संघटक के कारण पिछली देयता को पूरा करने के लिए विनिश्चित किए गए हैं तथा 66 करोड़ रुपए विदेशी सहायित परियोजनाओं (डी एफ आई डी) के लिए है तथा एक करोड़ रुपए की राशि परती भूमि विकास की नई पहलों के लिए है। इस प्रकार, वर्ष 2003-04 में आई डब्ल्यू डी पी के अंतर्गत 14.5 हैक्टेयर को कवर करने के लिए तथा चल रही परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निवल राशि 275 करोड़ रुपए है।

(iv) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी डी ई टी)

14. टी डी ई टी स्कीम, 1993-94 के दौरान, परती भूमि के पुनरुद्धार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिससे कि खाद्य, ईंधन, चारे आदि का लागतार उत्पादन प्राप्त किया जा सके। सरकार, सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि की स्वामित्व वाली परती भूमि के संबंध में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 100% केन्द्रीय अनुदान अनुमत्य है। निजी किसानों/निगमित निकायों की परती भूमि के विकास के लिए सम्मिलित परियोजनाओं के मामले में; परियोजना की लागत सरकार और लाभार्थियों के बीच 60:40 आधार पर बांटी जानी अपेक्षित है। कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.2003 तक, 55,450 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 137 परियोजनाएं, 116.26 लाख रुपए की लागत पर मंजूर की गई हैं।

(v) विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई ए पी)

15. ऊपर वर्णित कार्यक्रमों के अलावा, इस समय विभिन्न विदेशी दाता एजेंसियों की सहायता से पांच विदेशी सहायित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। डी एफ आई डी द्वारा वित्तपोषित दो इ ए पी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके लिए निधियां डी ओ एल आर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के संबंध में डी ओ एल आर द्वारा जारी एकसमान मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अन्य तीन परियोजनाओं में, यथा वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजनाएं, अट्टापाडी परतीभूमि व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण परियोजना और हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को, आर्थिक कार्य विभाग को दाता एजेंसियों के माध्यम से, प्रदान की जाती हैं।

(क) आंध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (ए पी आर एल पी) का उद्देश्य, आंध्र प्रदेश के पांच जिलों, यथा अनंतपुर, करनूल, महबूबनगर, नलगोंडा और प्रकाशम में गरीबोन्मुखी वाटरशेड आधारित संधारणीय ग्रामीण आजीविका दृष्टिकोण को कार्यान्वित करना है।

(ख) पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (डब्ल्यू ओ आर एल पी), उड़ीसा के चार जिलों, यथा बोलनगीर, नुआपाडा, कालाहांडी और बारगढ़ में, परती भूमि क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना का उद्देश्य, उड़ीसा के के बी के

जिलों व अन्य सरकारी एजेंसियों व अन्य पणधारियों द्वारा अपनाई गई संधारणीय ग्रामीण आजीविकाओं के संबंध में और अधिक कारगर दृष्टिकोण अपनाना है। इन ई ए पी के अंतर्गत न केवल भू-सुधार के संबंध में बल दिया जाएगा, अर्थात् गरीब लोगों को संधारणीय आधार पर पूर्ण आजीविका सहायता सुनिश्चित करना।

16. परती भूमि कार्यक्रमों का मूल्यांकन उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित हाल ही में किए गए अध्ययनों से मिली-जुली स्थिति सामने आई है। डी पी ए पी, डी डी पी और आई डब्ल्यू डी पी के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भूमि की समग्र उत्पादकता और जल स्तर में वृद्धि हुई है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मरुस्थल क्षेत्रों में हरित वनस्पति कवर में भी सुधार हुआ है जिसका जल और हवा द्वारा भू-कटाव को रोकने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रमों से परियोजना क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में भी मदद मिली है। तथापि, कुछ प्रमुख कमजोरियां जैसे कि लोगों की सहभागिता का अभाव, क्षेत्रीय स्टाफ का सहभागी दृष्टिकोणों से परिचित न होना, आधारभूत स्तर पर निधि उपलब्धता के बारे में असुरक्षा, सामंजस्यपूर्ण समूह गठन पर बहुत कम बल, क्षेत्रों और गांवों का चयन करने के लिए पारदर्शी मापदंडों का अभाव, समानांतर एजेंसियों की भागीदारी का अभाव, जिला स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच कमजोर समानांतर संयोजन आदि का भी उल्लेख किया गया है।

(vi) हरियाली - एक नई पहल

17. विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी के मुद्दे के समाधान के लिए "हरियाली" नामक एक नई पहल 27.1.2003 को शुरू की गई थी। इस पहल के अंतर्गत, आई डब्ल्यू डी पी, डी पी ए पी और डी डी पी के अंतर्गत 1.4.2003 के बाद मंजूर की गई नई परियोजनाओं को भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

कृषि और सहकारिता विभाग (डी ए सी)

18. कृषि विभाग (डी ए सी), वर्नापोनित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता के संवर्धन पर मूल रूप से बल देते हुए, वाटरशेड विकास के लिए एकसमान दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम हैं : (i) वर्नापोनित क्षेत्रों के लिए रा-द्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए), (ii) झूम खेती; (iii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (आर वी वी एंड एफ पी आर) के जलग्रहण क्षेत्रों में अवनत भूमियों की उत्पादकता के संवर्धन हेतु मृदा संरक्षण; (iv) क्षारीय मृदाओं का पुनरुद्धार।

19. इन कार्यक्रमों के अलावा, डी ए सी, सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम 100 प्राथमिकता वाले जिलों में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यान्वित करने के उद्देश्य से रा-द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में वर्न 1999-2000 में स्थापित वाटरशेड विकास को-न (डब्ल्यू डी एपन) का भी संचालन कर रहा है। डब्ल्यू डी एफ के अंतर्गत दो चरणों में 14 राज्यों को कवर किया जाएगा।

20. उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में 2021.00 करोड़ रुपए की लागत से, 15 बड़े राज्यों में वाटरशेड और भू-पुनरुद्धार और विकास के संबंध में 17 विदेशी सहायित परियोजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत लगभग 1.50 मिलियन हैक्टेयर को कवर किया गया है।

21. कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) ने, ऊपर वर्णित वाटरशेड विकास स्कीमों सहित 27 विनिर्धारित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) को समेकित करके "मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण" नामक एक नई स्कीम तैयार की है। मेक्रो प्रबंधन के अंतर्गत, अलग-अलग स्कीमों के तहत प्रदत्त निधियों को इकट्ठा किया जाता है और राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे राज्य योजना स्कीम के भाग के रूप में प्रदत्त निधियों और विनिर्धारित सी एस एस के संबंध में अपनाए गए "मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण" से आबंटन के रूप में प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता - दोनों की व्यवस्था करके, कृषि विकास दर को तेज करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। "मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण" के अंतर्गत सी एस एस के समेकन से उत्पादकता सहायक कार्यक्रमों में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर कार्यकलाप विकसित व संचालित करने के लिए राज्य सरकार को अधिक ढील प्राप्त होगी। इस प्रकार यह कृषि विकास आयोजना में राज्यों की प्रधानता बहाल करने के अनुसरण में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ)

22. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों, देश में वर्नापोनित/अवनत क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पद्धति विकास के लिए प्रासंगिक हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, चालू स्कीमों का विलयन करके, यथा एकीकृत वनारोपण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्र उन्मुख ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम, औ-धीय पौधे स्कीम सहित का-ठ-भिन्न वन उत्पाद (एन टी एफ पी) का संरक्षण और विकास, और अवनत वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग, को "रा-ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (एन ए पी)" नामक एकल स्कीम के रूप में बना दिया है। कार्यक्रम को वन विकास एजेंसियों (एफ डी ए) के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। नई स्कीम को पहले चरण में कुछ राज्यों में वर्न 2000-01 और 2001-02 के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया था। परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर उपरोक्त चार स्कीमों सहित नई स्कीम को अब दसवीं योजना से सर्वसुलभ बनाने का निर्णय लिया गया है।

23. अवनत वनों के आयोजन और प्रबंधन में समुदायों की भागीदारी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। निधियां एफ डी ए को सीधे ही प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनका गठन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संघ के रूप में किया गया है। वर्न 2003-04 के लिए परिव्यय की राशि 196 करोड़ रुपए है। वर्न के दौरान 250 नई एफ डी ए के माध्यम से अवनत वनों के 1.25 लाख हैक्टेयर तक के क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है।

नि-कर्न :

24. भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में फैले हुए हैं। देश में भू-संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कारगर प्रशासनिक कायम करने के उद्देश्य से सभी भू-कार्यक्रमों/स्कीमों को एक समन्वय एजेंसी के छत्र के तहत लाया जाएगा। समाजार्थिक मांगों को पूरा करने, प्रभावी आयोजन हेतु भू-डाटाबेस के सृजन और भू-अवनयन के गंभीर क्षेत्रों के विनिर्धारण हेतु, भू-संसाधनों के इ-टतम प्रबंधन के वास्ते भू-संसाधन प्रबंधन के संबंध में एक रा-ट्रीय नीति पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, पी आर आई, एन जी ओ और एस एच जी को शामिल करके एक अभियान विधि के जरिए, विद्यमान ग्राम तालाबों, टैंकों व अन्य जल दोहन संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा जागरूकता अभियानों के जरिए सरकार तथा उपभोक्ता समुदायों में परती भूमि पुनरुद्धार के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है।

8.4 बंजर और अनुत्पादक भूमि का विकास

सरकार देश में अनुत्पादक और बंजर भूमि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि निर्धनता का सूखा प्रवृत्त, रेगिस्तान प्रवृत्त क्षेत्रों और कृषि कार्यों के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों से बहुत निकट का संबंध है। रा-ट्रीय दूरस्थ संवेदनशील एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) ने मार्च 2000 में यह अनुमान लगाया था कि देश में 63.85 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन है जबकि दसवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए जल विभाजन विकास, वर्षा-पोषित कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यकारी ग्रुप का यह विचार था कि 88.5 मिलियन हेक्टेयर अनुत्पादक भूमि है। अनुत्पादक भूमि के विकास के लिए, राज्यों ने बेहतर भू-प्रबंधन, जल दोहन तथा जल विभाजन आधार पर संरक्षण प्रथाएं अपनाकर लोगों के कठिन जीवन यापन स्थितियों में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों को धन दिया है। भूमि संसाधन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग और पर्यावरण तथा वानिकी मंत्रालय ने जल विभाजन आधार पर कार्यान्वित स्कीमों पर नीचे चर्चा की गई है:

भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) के क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2. डा. सी. एच. हनुमंत राव समिति ने क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, यथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और पन-विभाजन आधार पर क्रियान्वित किए जा रहे एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, उद्देश्य, कार्यनीतियां और व्यय संबंधी मानदण्ड के संबंध में एक सामान्य सेट की सिफारिश की थी। कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही नदी घाटी परियोजनाओं के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के विकास और वर्षा-पोषित क्षेत्रों के लिए रा-ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना जैसे अन्य जल विभाजक विकास कार्यक्रमों के लिए भी एकसमान मार्गनिर्देश अपनाए गए हैं। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के अनुसरण में क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1.4.1995 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(i) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

3. 1973-74 में शुरू किए गए सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य था : (i) फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल और जन संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम से कम करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र अंततः सूखा-मुक्त हो जाएंगे; (ii) समग्र आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना; और (iii) सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में रहने वाले अल्प संसाधन प्राप्त तथा असुविधाग्रस्त वर्गों की सामाजिक-आर्थिक हालत में सुधार करना।

4. इस समय 16 राज्यों में, यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के 183 जिलों के 971 ब्लाकों को कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। 1995-96 से 31.3.2003 तक सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 16,268 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 3165 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं तथा अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

5. वर्ष 2003-04 के दौरान डी पी ए पी के अन्तर्गत 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 2400 परियोजनाओं के वास्ते 295.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो चालू परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों की पूर्ति के अलावा है।

(ii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

6. मरुस्थल विकास कार्यक्रम को वर्ष 1977-78 में भूमि, जल, पशु तथा मानव संसाधनों के परिरक्षण, विकास और उपयोग द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- (i) सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना करना और पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली को बढ़ावा देना; (ii) फसलों तथा पशुधन और भूमि, जल और मानव साधनों की उत्पादकता पर सूखे के विपरीत प्रभावों को समाप्त करना; (iii) ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और अल्प संसाधन-प्राप्त और असुविधाग्रस्त वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

7. इस समय सात राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान के 40 जिलों के 235 ब्लकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8314 परियोजनाओं (राजस्थान के लिए 1171 विशेष-परियोजनाओं सहित) को 1995-96 से 2001-02 तक स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1209 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष-परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

8. 2003-04 के दौरान 265.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और चालू परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

9. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ जिला परिषदों को निधियां सीधे दी जाती हैं। 1999-2000 से इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1.4.1999 के बाद मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधियन पैटर्न बदल कर केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 लागत विभाजन आधार पर कर दिया गया है। परियोजना लागत 30 लाख रुपए प्रति परियोजना है जिसमें 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 हेक्टेयर भूमि आएगी।

(iii) एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

10. एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1988-89 में ग्राम/ लघु जल विभाजन योजनाओं पर आधारित बंजर भूमि के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परन्तु 1992-93 के दौरान यह स्कीम बंजर भूमि विकास विभाग (जो अब भू-संसाधन विभाग कहलाता है) को हस्तान्तरित कर दी गई।

11. एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है और प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए के लागत मानदण्ड को पुनरीक्षित करके 1.4.2000 से 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। 2000 रुपए की इस वृद्धि का केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में बंटवारा होना है। इस प्रकार, स्कीम का निधियन पैटर्न पुनरीक्षित करके 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 11:1 के अनुपात से हिस्सेदारी कर दिया गया है। आई.डब्ल्यू.डी.पी. के

अन्तर्गत परियोजनाएं आमतौर पर उन क्षेत्रों में मंजूर की जाती हैं जो डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत नहीं आते। यह कार्यक्रम देश के 297 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

12. 1995-96 से 2002-03 तक कुल 472 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसके अन्तर्गत 40.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। इनमें से 16 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

13. वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 402.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से रोजगार आश्वासन योजना के तहत जल विभाजन घटक के कारण पिछली देनदारी को पूरा करने हेतु 60.00 करोड़ रुपए और विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 66.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं तथा एक करोड़ रुपए बंजर भूमि विकास की “नई पहलों” के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार, 2003-04 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए तथा चालू परियोजनाओं की निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 275.00 करोड़ रुपए उपलब्ध किए जाएंगे।

(iv) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.)

14. खाद्य, ईंधन लकड़ी, चारा आदि का निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बंजर भूमि का सुधार करने के वास्ते उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने हेतु 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) स्कीम आरंभ की गई थी। सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि के स्वामित्व वाली बंजर भूमि संबंधी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान अनुमान्य है। निजी किसानों/ निगमित निकायों की बंजर भूमियों के विकास के लिए सम्मिलित परियोजनाओं के मामले में, परियोजना की लागत सरकार और लाभार्थियों के बीच 60:40 आधार पर बांटी जानी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.3.2003 तक 55,450 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हुए 116.26 लाख रुपए की लागत वाली 137 परियोजनाएं मंजूर की गईं।

(v) विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

15. उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, इस समय विभिन्न विदेशी दाता एजेन्सियों की सहायता से पांच विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। डी एफ आई डी द्वारा वित्तपोषित दो विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके लिए डी.ओ.एल.आर. के माध्यम से निधियां दी जाती हैं और डी.ओ.एल.आर. द्वारा जल विभाजन विकास कार्यक्रमों के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तीन अन्य परियोजनाओं के लिए, नामतः वृक्ष उत्पादक सहकारिता परियोजना, अट्टापाडी बंजर भूमि व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण परियोजना और हिरयाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना के लिए निधियां कार्यान्वयन एजेन्सियों को दाता एजेन्सियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(क) आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (ए.पी.आर.एल.पी.) का उद्देश्य राज्य के पांच जिलों, यथा अनन्तपुर, कुरनूल, महबूबनगर, नालगोंडा और प्रकाशम में गरीबों के लिए जल विभाजन आधारित संधारणीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है।

(ख) उड़ीसा के चार जिलों, यथा बोलनगीर, नूपाड़ा, कालाहांडी और बारगढ़ में वाटरशेड क्षेत्रों के विकास के लिए पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना (डब्ल्यू.ओ.आर.एल.पी.) क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य, उड़ीसा में के बी के जिलों व अन्यत्र सरकारी एजेन्सियों व अन्य पणधारियों द्वारा अपनाई गई संधारणीय ग्राम आजीविका पद्धति को और कारगर बनाना है। ये ई ए पी न केवल भू-सुधार का काम करेंगी बल्कि “जल विभाजन के साथ” दृ-टिकोण पर भी ध्यान दिया जाएगा जिससे कि गरीब लोगों को संधारणीय आधार पर पूर्ण आजीविका सहायता सुनिश्चित हो सके।

16. जल विभाजन कार्यक्रमों का उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने की दृ-टि से जायज़ा लिया जाता है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से एक मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। डी पी ए पी, डी डी पी और आई डब्ल्यू डी पी के अन्तर्गत जल विभाजन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से भूमि की समग्र उत्पादकता और जल स्तर में वृद्धि हुई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि मरुस्थल क्षेत्रों में हरित वनस्पति कवर में भी वृद्धि हुई है जिसका जल और वायु द्वारा मृदा कटाव को रोकने में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम से परियोजना क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में भी मदद मिली है। तथापि, जन भागीदारी का अभाव, क्षेत्रीय स्टाफ की सहभागी पद्धतियों के बारे में अनभिज्ञता, आधारभूत स्तर पर निधि उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता, सामन्जस्यपूर्ण समूह निर्माण पर बहुत कम बल, क्षेत्रों और ग्रामों का चयन करने के लिए पारदर्शी मापदण्ड का अभाव, एकसमान एजेन्सियों की भागीदारी का अभाव, जिला स्तर पर विभिन्न एजेन्सियों के बीच कमजोर ऊर्ध्वाधर संयोजन जैसी कुछ प्रमुख खामियों का भी पता चला है।

(vi) हरियाली - एक नई पहल

17. विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी के मुद्दे से निपटने के लिए “हरियाली” नामक एक नई पहल 27.1.2003 को शुरू की गई थी। इस पहल के अन्तर्गत, आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के अन्तर्गत 1.4.2003 के पश्चात मंजूर नई परियोजनाएं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।

कृनि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.)

18. कृनि विभाग (डी.ए.सी.), वर्नापोनित क्षेत्रों में कृनि उत्पादकता की संवृद्धि पर मूल बल के साथ जल विभाजन के विकास हेतु एकसमान दृ-टिकोण के आधार पर बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम हैं: (i) वर्ना-पोनित क्षेत्रों के लिए रा-ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना, (ii) बदलती कृनि पद्धति, (iii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवृत्त नदियों (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.) के जलग्रहण क्षेत्र में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (iv) क्षारीय मृदाओं का पुनरुद्धार।

19. इन कार्यक्रमों के अलावा, डी.ए.सी. जलविभाजन विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) भी संचालित कर रहा है जिसकी स्थापना सहभागी दृ-टिकोण के माध्यम से 100 प्राथमिकतापूर्ण जिलों में एकीकृत जलविभाजन विकास कार्यान्वित करने के उद्देश्य से रा-ट्रीय कृनि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) में 1999-2000 में की गई थी। डब्ल्यू.डी.एफ. के अन्तर्गत दो चरणों में 14 राज्य कवर किए जाएंगे।

20. उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, जलविभाजन और भू-पुनरुद्धार तथा विकास के सम्बन्ध में 17 विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं पन्द्रह प्रमुख राज्यों में चल रही हैं जिनके अन्तर्गत 2021.00 करोड़ रुपए

की अनुमानित लागत से लगभग 1.50 मिलियन हेक्टेयर भूमि कवर की गई है और ये कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही हैं।

21. कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) ने, ऊपर वर्णित जलविभाजन विकास स्कीमों सहित 27 विनिर्धारित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) को मिलाकर “मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण” नामक एक नई स्कीम तैयार की है। मेक्रो प्रबंधन के अंतर्गत, अलग-अलग स्कीमों के लिए उपलब्ध निधि को इकट्ठा मिला दिया जाता है और राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे राज्य आयोजना स्कीम के भाग के रूप में उपलब्ध निधियों और विनिर्धारित सी.एस.एस. के सम्बन्ध में अपनाए गए मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण से आबंटनों के रूप में प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता का इस्तेमाल करके कृषि वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करें। मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण के अन्तर्गत सी.एस.एस. के एकीकरण से उत्पादकता समर्थन कार्यक्रमों में वृद्धि होगी और राज्य सरकार को क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रमलाप विकसित और संचालित करने में अधिक शिथिलता प्राप्त होगी। इस प्रकार यह, कृषि विकास आयोजना में राज्यों की प्रमुखता बहाल करने के अनुपालन में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)

22. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों, देश में वर्ना-पोनित/ अवनत क्षेत्रों में एक संधारणीय पारि-पद्धति के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, एकीकृत वनरोपण और पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्र-उन्मुख ईंधन का-ठ और चारा परियोजना स्कीम, औ-धीय पौधा स्कीम सहित गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) का संरक्षण और विकास, तथा अवनत वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों की एसोसिएशन नामक चालू स्कीमों को मिलाकर रा-ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) नामक एक स्कीम तैयार की है। कार्यक्रम को वन विकास एजेन्सियों (एफ.डी.ए.) के माध्यम से संचालित किया जाएगा। नई स्कीम को प्रथम चरण में प्रायोगिक आधार पर कुछ राज्यों में वर्न 2000-01 और 2001-02 में कार्यान्वित किया गया था। अनुभव और परियोजनाओं की व्यापक सराहनीयता के आधार पर, दसवीं योजना से उपरोक्त सभी चार स्कीमों सहित नई स्कीम को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है।

23. अवनत वनों के आयोजन और प्रबंधन में समुदायों की भागीदारी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। निधियां एफ.डी.ए. को सीधे ही जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संघ के रूप में गठित किया गया है। वर्न 2003-04 के लिए परिव्यय 196.00 करोड़ रुपए है। वर्न के दौरान 250 नई एफ.डी.ए. के माध्यम से 1.25 लाख हेक्टेयर अवनत वनों को कवर करने का प्रस्ताव है।

नि-कर्म

24. भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच फैले हुए हैं। देश में भू-संसाधनों का प्रबंध करने के वास्ते एक कारगर प्रशासनिक तंत्र कायम करने के उद्देश्य से, सभी भूमि कार्यक्रमों/ स्कीमों को एक समन्वय एजेन्सी के मातहत लाया जाएगा। समाजार्थिक मांगों को पूरा करने, कारगर आयोजना हेतु भू-डाटाबेस के सृजन और भू-अवनयन के गम्भीर स्थलों के विनिर्धारण के वास्ते भू-संसाधनों के इ-टतम प्रबंधन हेतु एक रा-ट्रीय भू-संसाधन प्रबंधन नीति पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, पी.आर.आई, एन.जी.ओ. और एस.एच.जी. की भागीदारी द्वारा एक अभियान पद्धति के जरिए विद्यमान ग्रामीण तालाबों, टैंकों व अन्य

जल दोहन संरचना का पुनरुद्धार किया जाएगा। सरकार में उपभोक्ता समुदायों के बीच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से बंजर भूमि पुनरुद्धार हेतु क्षमता निर्माण की जरूरत है।

8.5 खादी और ग्रामोद्योग

दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा नए रोजगार की खोज में उनके शहरी क्षेत्रों के लिए बहिर्गमन को कम करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के वास्ते प्रयास किए जाएंगे। दसवीं योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 20 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) ने अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं तथा 2002-03 के दौरान यह 66.30 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करने में समर्थ हुआ। वर्ष 2003-04 के लिए 70.53 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कपड़े में नए डिजाइन और फैशन प्रारंभ किए हैं, मार्जिन राशि स्कीम (जिसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) भी कहा जाता है) का बेहतर कार्यान्वयन किया है, ग्रामोद्योग इकाइयों में उचित प्रौद्योगिकी लागू की है, ग्राम लघु उद्योग उत्पादों के लिए एक समान गुणवत्ता स्तर अपनाए हैं तथा ग्रामोद्योग आदि का समूह विकास किया है।

2. वर्ष 1998-99 में 113.3 मिलियन वर्गमीटर खादी कपड़े का उत्पादन हुआ, जो 2001-02 में घटकर 95 मिलियन वर्गमीटर रह गया। देखा गया है कि विगत में हाल ही के वर्षों के दौरान खादी कपड़े के उत्पादन और रोजगार में कमी आई है। ग्रामोद्योगों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई है तथा नए रोजगार सृजन की रिपोर्ट अधिकांश ग्रामोद्योगों से की गई है। खादी और ग्रामोद्योग का नि-पादन संलग्नक 8.5.1 तथा 8.5.2 में देखा जा सकता है। खादी कपड़े के उत्पादन और रोजगार के क्रमशः 59.50 मिलियन वर्गमीटर और 8.56 लाख व्यक्ति के लक्ष्य के बदले उम्मीद है कि के वी आई सी 63 मिलियन वर्गमीटर का उत्पादन प्राप्त करेगा, जिसकी कीमत 443.07 करोड़ रुपए होगी। ग्रामोद्योगों में उत्पादन और रोजगार के संबंध में प्रत्याशित उपलब्धि क्रमशः 7932.50 करोड़ रुपए तथा 57.72 लाख व्यक्ति है जबकि उत्पादन और रोजगार का लक्ष्य क्रमशः 7680 करोड़ रुपए और 60 लाख व्यक्ति है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने, रा-द्रीय डिजाइन संस्थान (एन आई डी) और रा-द्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) की मदद से खादी कपड़ों के संबंध में नए डिजाइन और फैशन निविटियां प्रारंभ की हैं। उम्मीद है कि इन गतिविधियों से खादी मांग को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। खादी कपड़े के लिए छूट प्रदान करने की नीति को अब दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी रखा जाएगा जैसा कि कृ-ण चन्द्र पन्त समिति ने सिफारिश की है। कृनि और ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा 2003-04 के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत 31.3.2002 तक 14.42 लाख नए रोजगारों का सृजन किया गया तथा 1.40 लाख परियोजनाएं मंजूर की गईं।

3. ग्राम उद्योग के विकास के लिए, के वी आई सी ने अपने उत्पादों के संबंध में सर्वोदय ब्रांड की शुरूआत की है। इस ब्रांड के अंतर्गत टायलेट साबुन, शहद, अगरबत्ती और आचार उत्पाद शामिल होंगे। परिकल्पना की गई है कि इस कदम से एक विपणन नेटवर्क के माध्यम से इन उत्पादों को एक ब्रांड नाम प्राप्त होगा। के वी आई सी ने, छः उत्पादों के संबंध में एक नई विपणन कंपनी प्रारंभ करने के लिए भी कदम उठाए हैं। ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के संबंध में "देसी आहार" नामक नया ब्रांड नाम के वी आई सी द्वारा शुरू किया गया है। हर्बल, अनिवार्य तेल, मस्लिन खादी आदि के नई श्रेणी के उत्पाद विकसित करने के वास्ते आर एंड डी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। पश्चिमी देशों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, के वी आई सी द्वारा कोलकता, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर और गोवा विभिन्न रा-द्रीय और अंतर्रा-द्रीय हवाई अड्डों पर प्रदर्शन एवं बिक्री केन्द्र स्थापित किए

जा रहे हैं। जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (जे बी सी आर आई), वर्धा का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान के नए नाम के तहत खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्रक के लिए एक रा-ट्र स्तरीय आर एंड डी संस्थान कायम किया जा सके। के वी आई सी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खादी कपड़े के उत्पादन और रोजगार सृजन में सुधार की गति को तेज करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। खादी शिल्पकारों के लिए बीमे की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक नई जनश्री आरोग्य बीमा योजना अनुमोदित की गई है।

4. नए ग्रामोद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के वास्ते के वी आई सी द्वारा 1995-96 में मार्जिन राशि स्कीम (एम एम एस) प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक की निधियां दस लाख रुपए तक की परियोजना के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए मार्जिन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। 10-25 लाख रुपए के बीच की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदायों आदि की परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की मार्जिन राशि प्रदान की जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को, 27 रा-ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य के वी आई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंकों के संघ से निधियों के उपयोग की गति धीमी है तथा इस कमजोर कड़ी को दूर करने की जरूरत है। वर्ष 2002-03 के दौरान, के वी आई सी ने सरकारी क्षेत्रक बैंकों को 149.60 करोड़ रुपए की तथा राज्य के वी आई बोर्डों को 40.43 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि अग्रिम उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें मिलाकर कुल राशि 190.25 करोड़ रुपए हो गई। इस मार्जिन राशि/अग्रिमों के बदले बैंक ऋण का अनुमानित जुटाव लगभग 457.30 करोड़ रुपए था। सामान्यतः यूनितों से निधियों का जुटाव, के वी आई सी/भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का लगभग तीन गुणा है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि के वी आई क्षेत्रक को अपने आप को और अधिक क्रेडिट योग्य सिद्ध करना चाहिए ताकि बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त निधियां जुटाई जा सकें।

5. खादी शिल्पकारों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जनश्री आरोग्य बीमा योजना (जे ए बी वाई) नाम से एक समूह बीमा स्कीम अनुमोदित की है। दसवीं योजना के दौरान चार लाख से अधिक शिल्पकारों को कवर किया जाएगा। यह स्कीम, 200 रुपए प्रति लाभार्थी के वार्षिक प्रीमियम के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना पॉलिसी और 60 रुपए प्रति लाभार्थी के वार्षिक प्रीमियम के साथ जन आरोग्य बीमा योजना को मिलाकर तैयार की गई है। बीमा स्कीम के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 50,000 रुपए और प्राकृतिक मृत्यु कवर के लिए 20,000 रुपए की राशि मनोनीत व्यक्ति को देय होगी। खादी श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ, बीमारी/रुग्णता/चोट के लिए सामान्य अस्पतालीकरण खर्च को पूरा करने की दृष्टि से 5,000/- रुपए तक के रूप में होंगे, इस बात को स्पष्ट किए बिना कि क्या यह पूरी बीमा कवर की अवधि के लिए एकबारगी अदायगी है, और यह अवधि किसी भी स्वतंत्र लाभार्थी के लिए उसके कार्यकाल के 40 वर्षों तक की हो सकती है। 286/- रुपए प्रति लाभार्थी का वार्षिक प्रीमियम, एल आई सी द्वारा, 100/- रुपए, केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूति निधि से, 93/- रुपए तथा खादी संस्थान द्वारा 46.50 रुपए की दर से खादी शिल्पकारों और के वी आई सी/भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृ-ण चन्द्र पंत की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 14.5.2001 को एक खादी पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज की

मुख्य बातों में, पांच वर्ग तक छूट नीति, विपणन विकास सहायता (एम डी ए) के रूप में छूट के विकल्प, खादी शिल्पकारों के लिए बीमा कवर, खादी उत्पादों के सुधार पर बल देना, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन, भूमि, इमारत, समूह विकास को प्रोत्साहित करना, कोर क्षेत्रों पर बल देना और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना सम्मिलित है ।

संलग्नक 8.5.1

वास्तविक नि-पादन - खादी और ग्रामोद्योग वार्षिक योजना 2003-04

क्र.सं.	उद्योग/उपक्षेत्रक	यूनिट	2001-02 वास्तविक	2002-03 (प्रत्याशित)	2003-04 लक्ष्य
क.	उत्पादन				
	1. खादी कपड़ा	एक करोड़	416.69	443.07	428.00
	2. ग्रामोद्योग	एक करोड़	7140.52	7932.50	8137.00
ख.	रोजगार				
	1. खादी और ग्रामोद्योग	लाख व्यक्ति	62.64	66.30	70.53

संलग्नक 8.5.2

खादी और ग्रामोद्योग परिव्यय/व्यय - वार्षिक योजना 2003-04

क्र. सं.	उद्योग/उपक्षेत्रक	2001-02 वास्तविक	2002-03 (ब.अ.)			2002-03 (सं.अ.) व्यय		
			परिव्यय	बजट सहायता	आई ई बी आर	व्यय	बजट सहायता	आई ई बी आर
1.	के वी आई सी	182.18	392.00	392.00	-	130.00	130.00	-

2003-04 (ब.अ.)

परिव्यय	बजट सहायता	आई ई बी आर
392.00	392.00	--

8.6 ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई

दसवीं पंच वनीय योजना में देश में प्रत्येक बस्ती में स्थायी आधार पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और स्थानीय सहभागिता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं के त्वरित विस्तार और सुधार के निमित्त सभी उपाय किए जाने की परिकल्पना की गई है।

2. यद्यपि सुरक्षित पेयजल और सफाई की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का विनय है और इनकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, फिर भी केन्द्रीय सरकार 1976-77 से वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक के तौर पर कार्य कर रही है और इस प्रयोजन के लिए वह ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में एक बड़े पैमाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अर्थात् “त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम” (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) कार्यान्वित कर रही है जिसे बाद में “राजीव गांधी रा-ट्रीय पेयजल मिशन” के नाम से भी जाना जाता है। मिशन द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला है कि कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 14,22,664 विनिर्धारित बस्तियों में से 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार 15798 बस्तियां सरकारी कार्यक्रमों द्वारा कवर नहीं की गईं (एन.सी) और 133305 बस्तियां “आंशिक रूप” (पी.सी.) से कवर की गईं। इसके अलावा, जिन बस्तियों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है कि उनके यहां पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, जैसेकि फ्लोराइड, सांखिया, लवणता, लौह आदि की अधिकता, उनसे भी निबटे जाने की आवश्यकता है। अतः भवि-य का काम इन अर्थों में काफी बड़ा है: “पानी के स्रोतों से वंचित” गांव/ बस्तियों की संख्या, पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा सम्बन्धी समस्याओं की सीमा जिस तक निबटा जाना है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की संधारणीयता की है। जहां तक ग्रामीण सफाई का संबंध है, स्थानीय व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोजन से एक पुनर्निर्मित केन्द्र-प्रायोजित योजना अप्रैल 1999 से शुरू की गई है।

वार्षिक योजना 2002-2003 की समीक्षा

3. वार्षिक योजना 2002-2003 में जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के लिए (शहरी जल आपूर्ति और सफाई सहित) 9532.03 करोड़ रुपए का परिव्यय (जिसमें 6932.73 करोड़ रुपए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में और 2599.30 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना में) की व्यवस्था की गई थी। वर्न के दौरान संशोधित परिव्यय 9036.98 करोड़ रुपए होगा, जिसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र योजनाओं में 6638.23 करोड़ रुपए और केन्द्रीय योजना में 2398.75 करोड़ रुपए शामिल है, जैसा कि संलग्नक 8.6.1 में दर्शाया गया है (इन आंकड़ों में शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता भी शामिल है)। सभी राज्यों के संबंध में वास्तविक खर्च उपलब्ध नहीं है।

4. राजीव गांधी पेयजल मिशन को राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के अनुसार 2002-2003 के दौरान 49434 गांवों/ बस्तियों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान की गईं जबकि समग्र लक्ष्य 63869 गांवों/ बस्तियों को शामिल करने का था। कमी का मुख्य कारण यह है कि शेन कवर न हुई बस्तियां दूरस्थ और दूरवर्ती क्षेत्रों में हैं और बहुत सी बस्तियों के लिए बड़ी दूर से पानी ले जाया जाना है।

वार्षिक योजना 2003-2004

5. दसवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप वार्षिक योजना 2003-2004 में संलग्नक 8.6.1 में दर्शाए अनुसार केन्द्रीय योजना के अधीन 2906.25 करोड़ रुपए सहित जल आपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत विशाल योजना परिव्यय शामिल है (शहरी जन आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित)। केन्द्रीय योजना के अधीन संस्वीकृत परिव्ययों के स्कीमवार ब्योरे तथा राज्य/ संघ शासित क्षेत्र योजनाओं के राज्यवार ब्योरे क्रमशः संलग्नक 8.6.2 तथा संलग्नक 8.6.3 में दिए गए हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई

6. दसवीं पंच-वर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखितों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा:

- i यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी कि शे-न 15798 “कवर न हुई बस्तियों” को पेयजल की स्थायी और निर्धारित आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।
- ii यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि 10 लिटर प्रति व्यक्ति (एलपीसीडी) से कम के आपूर्ति स्तर वाली सभी शे-न “अंशतः कवर हुई” बस्तियों और जल गुणवत्ता समस्या से गंभीर रूप से पीड़ित बस्तियों को भी संधारणीय आधार पर पूर्णतः सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के तहत लाया जाए।
- iii इसके बाद, अन्य “अंशतः कवर हुई” और “गुणवत्ता प्रभावित” बस्तियों को कवर किया जाएगा। गुणवत्ता पीड़ित बस्तियों का विनिर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
- iv विद्यमान डाटा के अनुसार 2004 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने के बाद दसवीं योजना की शे-न अवधि का उपयोग समेकन हेतु किया जाएगा, अर्थात् नव-निर्मित बस्तियों और उन बस्तियों को कवर करना जो अनेक कारणवश “अंशतः कवर हुई” अथवा “कवर न हुई बस्तियों” में बदल गई हैं।
- v इसके साथ-साथ उन बस्तियों का पता लगाने और समाधान करने की जरूरत है जहां जल गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं का पता चला है।
- vi यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी तथा अन्य कमजोर/ गरीब वर्ग पूर्ण रूप से दसवीं योजना के अन्त तक प्राथमिकता के आधार पर कवर हो जाएं। इस प्रयोजनार्थ ऐसी सभी विनिर्धारित बस्तियों का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए।

7. आपूर्ति का निर्धारित मानदंड 1.6 कि.मी. की दूरी के अंदर अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मी. उत्थान अन्तर के अंदर 40 एल.पी.सी.डी. सुरक्षित पेयजल होगा, जिसमें शु-क, अर्ध-शु-क और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू क्षेत्रीय स्थितियों के अनुसार ढील दी जा सकती है। प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक हैंडपम्प/स्थल स्रोत की व्यवस्था करनी होगी। पशुओं के लिए डी.डी.पी. क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करनी होगी, जिसका आधार पशुओं की संख्या होगी।

8. उन राज्यों में जहां सभी बस्तियों में 40 एल.पी.सी.डी. का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, अगला कदम इस स्तर को बढ़ाकर 55 एल.पी.सी.डी. करने का होगा। उन राज्यों के संबंध में, जहां विद्यमान मानदंडों

के अनुसार पूर्ण कवरेज प्राप्त हो गई है, लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा लागत विभाजन की शर्त पर, दसवीं योजना के दौरान कवरेज हेतु आबादी/ दूरी/ ऊंचाई मानदंडों को भी उदार बनाया जा सकता है।

9. वार्षिक योजना 2003-2004 में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु काफी अधिक परिव्यय सम्मिलित है। इसके अलावा, इसमें 2585 करोड़ रुपए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के लिए और 11641 “कवर न हुए” तथा 99121 “अंशतः कवर हुए” गांवों/ बस्तियों के कवर करने की परिकल्पना है। राज्य-वार विवरण संलग्नक 8.6.4 में दिया गया है।

10. वर्ना का पानी इकट्ठा करने को, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपसमूहों तथा पानी के दबाव वाले क्षेत्रों में, पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे भौम जलभरों को पुनःआवेशित करने, गिरते भौम जलस्तर को रोकने और साथ ही बाढ़ों की उग्रता को कम करने के साथ-साथ पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, जैसे कि फ्लोराइड, संखिया, लवणता आदि से निबटने में सहायता प्राप्त होगी। अतः वर्ना के पानी को इकट्ठा करने के ढांचों का निर्माण करने तथा पानी की मांग की पूर्ति के लिए भूमि के ऊपर/ नीचे वर्ना के जल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। एक लाख परम्परागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार की एक स्कीम हाल ही में अनुमोदित की गई है।

11. इस समय अधिकांश राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति का संचालन और अनुरक्षण संतो-जनक नहीं है और इसलिए यह एक चिन्ता का वि-य है तथा इस पर समुदाय की भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के साथ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, महारा-ट्र, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों ने संचालन और अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को सौंप दी है, जो बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। अन्य सभी राज्यों को भी ओ एण्ड एम का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए और इसे पी आर आई को सौंप देना चाहिए। ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वी डब्ल्यू एस सी) गठित की जानी चाहिए तथा उसे जल आपूर्ति स्कीमों के प्रबंधन और स्रोतों की संधारणीयता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ए आर डब्ल्यू एस पी में हाल ही में प्रारंभ किया गया “स्वजलधारा” घटक इस दिशा में एक कदम है।

12. ग्रामीण सफाई कार्यक्रम कई राज्यों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कार्यक्रम के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रकार के बारे में अनुभूत आवश्यकता और ग्राम पंचायतों, लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण सहभागिता और सहयोजन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शु-क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के काम पर बल देते हुए कम लागत के पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम जारी रहेगा। समग्र पर्यावरणीय सफाई की संकल्पना अपनाए जाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ‘ग्रामीण सफाई मार्ट’ जैसे एक वाणिज्यिक उद्यम के माध्यम से सामाजिक लक्ष्य सहित वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली भी सुनिश्चित करनी होगी जो कि एक बिक्री आउटलट के साथ-साथ एक परामर्श केन्द्र तथा सेवा केन्द्र का भी काम करेंगे। वार्षिक योजना 2003-04 में 165 करोड़ रुपए केन्द्र-प्रायोजित ग्राम सफाई कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी) के लिए शामिल हैं।

विदेशी सहायताप्राप्त जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाएं

13. विश्व बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की मदद कर रहा है। इस समय 3 परियोजनाएं चल रही हैं। वर्न 2003-04 के लिए संवितरण बजट अनुमानतः लगभग

240.05 करोड़ रुपए है, जैसाकि संलग्नक 8.6.5 में देखा जा सकता है। इन परियोजनाओं के अलावा, अनेक परियोजनाएं अन्य विदेशी सहायता एजेंसियों द्वारा, जैसे कि जे.बी.आई.सी., के.एफ.डब्ल्यू., ई.ई.सी., डी.आई.एफ.डी., डी.ए.एन.आई.डी.ए., नीदरलेण्ड्स आदि द्वारा भी वित्तपोषित की जा रही हैं।

2002-2003 में शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम

14. प्रधानमंत्री ने, 15.8.2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस भा-नण में पेयजल क्षेत्रक में तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने की घो-नणा की थी, यथा, जल दुर्लभता वाले क्षेत्रों में एक लाख हेण्डपम्पों की स्थापना, एक लाख प्राथमिक स्कूलों में पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था और पेयजल के एक लाख परम्परागत स्रोतों का पुनरुद्धार। पेय जल आपूर्ति विभाग ने उपरोक्त घो-नणा को कार्यरूप देने के लिए 800 करोड़ रुपए की एक स्कीम तैयार की थी, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमान तैयार करते समय, हेण्डपम्पों की स्थापना, स्कूल जल आपूर्ति स्कीम और परम्परागत स्रोतों के पुनरुद्धार की प्रति इकाई लागत क्रमशः 34,750 रुपए, 30,000 रुपए और 15,250 रुपए ली गई है।

15. प्रधानमंत्री ने 25.12.2002 को 'स्वजलधारा' की शुरुआत की थी, जिसके अन्तर्गत पंचायतों/समुदायों को जल आपूर्ति और स्वच्छता स्कीमों के आयोजन, कार्यान्वयन, संचालन, अनुरक्षण और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता स्कीमों के प्रबंधन की शक्तियां प्राप्त होंगी। निधियन पद्धति 90:10 है (केन्द्र:लाभार्थी)। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान का लगभग 20 प्रतिशत इस कार्यक्रम हेतु विनिश्चित किया गया है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण और शहरी) - परिव्यय/ व्यय का सारांश

(करोड़ रुपए)

स्कीम	2001-02	2002-03		2003-04
	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना क) ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता) ख) शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता)	5518.62	6932.73	6638.23	उपलब्ध नहीं
उप-जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना)	5518.62	6932.73	6638.23	उपलब्ध नहीं
केन्द्रीय योजना क) ग्रामीण विकास मंत्रालय (i) केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ii) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (ख) शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय (i) 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ii) झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित शहरी कम लागत वाली स्वच्छता स्कीम (iii) अन्य स्कीमें	1943.05 130.05 21.05 10.00 50.00	2235.00 165.00 143.00 30.00 26.30	2110.00 140.00 121.95 5.00 21.80	2585.00 165.00 140.00 5.00 11.25
उप-जोड़ (केन्द्रीय योजना)	2154.15	2599.30	2398.75	2906.25
कुल जोड़	7672.77	9532.03	9036.98	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: (i) उपरोक्त आंकड़ों में, पूर्वोक्त क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के अ-व्यपगत केन्द्रीय पूल के तहत जारी निधियां सम्मिलित नहीं हैं।

जल आपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण और शहरी) - केन्द्रीय योजना स्कीम-वार परिव्यय/ व्यय

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम	2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, जिसमें राजीव गांधी रा-ट्रीय पेय जल मिशन कार्यक्रम सम्मिलित है	194305.5	223500	211000	258500
2.	केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	13005.50	16500	14000	16500
	उप-जोड़ (ग्रा.वि.मंत्रालय)	207311.04	240000	225000	275000
1.	शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	130	130	125
2.	मानीटरन तथा प्रबंध सूचना पद्धति*	0	-	-	-
3.	अनुसंधान और विकास*	0	-	-	-
4.	हुडको के लिए इक्विटी (डब्ल्यूएस शेयर)	2000	2000	2000	500
5.	झाड़कशों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रायोजित शहरी कम लागत वाली स्वच्छता स्कीम	1000	3000	500	500
6.	देश में कुछ चुनिन्दा आईएएफ हवाई अड्डे कस्बों में ठोस अपशि-ट प्रबंधन और नाली व्यवस्था के संबंध में प्रायोगिक परियोजना	0	500	50	500
7.	20,000 से कम आबादी वाले (1991 जनगणना के अनुसार) छोटे कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	2105	14300	12195	14000
8.	ओईसीएफ (जापान) से हुडको को विदेशी सहायता हेतु प्रतिपक्ष निधि*	0	-	-	-
9.	गम्भीर जल संकट का सामना कर रहे बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति स्कीम के लिए सहायता (कानपुर में गंगा बराज)*	3000	-	-	-
10.	जल आपूर्ति के लिए विशेष नई स्कीम*	0	-	-	-
11.	ठोस अपशि-ट प्रबंधन और स्वच्छता हेतु विशेष नई स्कीम*	0	-	-	-
	उप-जोड़ (शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय)	8105	19930	14875	15625
	जोड़	215416.04	259930	239875	290625

* इस स्कीम को दसवीं योजना में छोड़ दिया गया है।

टिप्पणी: (i) उपरोक्त आंकड़ों में पूर्वोक्त क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के अ-व्यपगत पूल के तहत जारी निधियां सम्मिलित नहीं हैं।

जल आपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण और शहरी) के सम्बन्ध में परिव्यय/ व्यय - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक/ प्रत्याशित व्यय जोड़	अनुमोदित परिव्यय जोड़	संशोधित परिव्यय जोड़	अनुमोदित परिव्यय जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18264*	36083.00	35667	
2.	अरुणाचल प्रदेश	2898	2950.00	3059	
3.	असम	7042	6613.00	6613	
4.	बिहार	2603	6696.00	6884	
5.	छत्तीसगढ़	13504*	13530.00	13530	
6.	गोवा	5628	10897.00	10897	
7.	गुजरात	62594*	79213.00	79213	
8.	हरियाणा	9185	8200.00	13117	
9.	हिमाचल प्रदेश	12177	12590.00	11133	
10.	जम्मू तथा कश्मीर	13125*	13042.00	13042	
11.	झारखण्ड	9000*	10020.00	10020	
12.	कर्नाटक	75741	52980.00	61327	
13.	केरल	8216	17535.00	14500	
14.	मध्य प्रदेश	15921	17885.00	17677	
15.	महाराष्ट्र	39613	119364.00	119364	
16.	मणिपुर	3562	5186.00	5186	
17.	मेघालय	2912	3375.00	2799	
18.	मिजोरम	3258	2594.00	2718	
19.	नागालैंड	3866	3241.00	3291	
20.	उड़ीसा	7730	8533.00	9133	
21.	पंजाब	6914	11524.00	11524	
22.	राजस्थान	23241	29905.00	26581	
23.	सिक्किम	1714	2204.00	2231	
24.	तमिलनाडु	72342	82380.00	60559	
25.	त्रिपुरा	3101	3690.00	3690	
26.	उत्तर प्रदेश	40350	38480.00	21052	
27.	उत्तरांचल	14153	9800.00	9800	
28.	पश्चिम बंगाल	16972	18776.00	18750	
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2661.33	2577.00	2577	
30.	दादरा एवं नगर हवेली	323.09	294.00	294	
31.	दमन और दीव	165.42	173.00	173	
32.	दिल्ली	50285	59287.00	63350	
33.	लक्षद्वीप	235.19	305.40	305.4	
34.	पांडिचेरी	1756.23	2196.09	2612.75	
35.	चण्डीगढ़	810	1154.00	1154	
	कुल जोड़	551862.26	693272.49	663823.15	

* संशोधित अनुमान आंकड़े

ग्रामीण बस्तियों में पेय जल आपूर्ति की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2002 की स्थिति				2002-2003 के दौरान कवरेज					
						लक्ष्य			उपलब्धि		
		एनसी	पीसी	एफसी	जोड़	एनसी	पीसी	जोड़	एनसी	पीसी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	16023	53709	69732	0	8012	8012	0	3224	3224
2.	अरुणाचल प्रदेश	329	893	3076	4298	327	446	773	28	86	114
3.	असम	650	19719	50300	70669	536	5000	5536	160	3631	3791
4.	बिहार	0	0	105340	105340	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379	0	0	0	0	2196	2196
6.	गोवा	8	43	345	396	8	4	12	4	10	14
7.	गुजरात	96	1777	28396	30269	70	430	500	67	564	631
8.	हरियाणा	0	48	6697	6745	0	48	48	0	736	736
9.	हिमाचल प्रदेश	1074	10252	34041	45367	500	1350	1850	500	1375	1875
10.	जम्मू तथा कश्मीर	1709	3576	5899	11184	850	1644	2494	198	100	298
11.	झारखण्ड	484	132	99480	100096	200	49	249	200	28	228
12.	कर्नाटक	3	20533	36146	56682	1	7400	7401	1	6136	6137
13.	केरल	783	6878	2102	9763	400	2000	2400	555	20	575
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489	0	0	0	0	2222	2222
15.	महाराष्ट्र	2036	24405	59489	85930	1000	11810	12810	157	1285	1442
16.	मणिपुर	15	201	2575	2791	15	115	130	15	100	115
17.	मेघालय	346	808	7485	8639	180	200	380	159	216	375
18.	मिजोरम	0	461	450	911	0	180	180	0	180	180
19.	नागालैंड	349	569	607	1525	195	50	245	127	29	156
20.	उड़ीसा	0	0	114099	114099	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1510	2197	9742	13449	750	1097	1847	321	389	710
22.	राजस्थान	6116	9434	78396	93946	1895	9105	11000	1156	10098	11254
23.	सिक्किम	0	372	1307	1679	0	130	130	0	130	130
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631	0	0	0	0	6628	6628
25.	त्रिपुरा	93	332	6987	7412	93	332	425	0	332	332
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	243633	243633	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	119	913	29976	31008	34	500	534	56	351	407
28.	पश्चिम बंगाल	0	13291	65745	79036	0	6650	6650	0	5618	5618
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	121	383	504	0	46	46	0	10	10
30.	दादरा एवं नगर हवेली	38	242	236	516	31	110	141	8	5	13
31.	दमन और दीव	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	219	219	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0
34.	पांडिचेरी	40	75	152	267	40	26	66	0	23	23
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0
	जोड़	15798	133305	1273561	1422664	7125	56744	63869	3712	45722	49434

ग्रामीण बस्तियों में पेय जल आपूर्ति की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2003 की स्थिति				2003-04 लक्ष्य		
		एनसी	पीसी	एफसी	जोड़	एनसी	पीसी	जोड़
1	2	13	14	15	16	17	18	19
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	12799	56933	69732	0	12799	12799
2.	अरुणाचल प्रदेश	301	807	3190	4298	301	807	1108
3.	असम	376	16088	54205	70669	376	16088	16464
4.	बिहार	0	0	105340	105340	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379	0	0	0
6.	गोवा	4	37	355	396	4	37	41
7.	गुजरात	29	1213	29027	30269	29	1213	1242
8.	हरियाणा	0	0	6745	6745	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	574	8877	35916	45367	574	8877	9451
10.	जम्मू तथा कश्मीर	1511	3476	6197	11184	1511	3476	4987
11.	झारखण्ड	105	21	99970	100096	105	21	126
12.	कर्नाटक	0	13637	43045	56682	0	13637	13637
13.	केरल	228	7444	2091	9763	228	7444	7672
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	1879	23120	60931	85930	1879	23120	24999
16.	मणिपुर	0	101	2690	2791	0	101	101
17.	मेघालय	187	617	7835	8639	187	617	804
18.	मिजोरम	0	371	540	911	0	371	371
19.	नागालैंड	72	744	709	1525	72	744	816
20.	उड़ीसा	0	0	114089	114099	0	0	0
21.	पंजाब	1189	1808	10452	13449	1189	1808	2997
22.	राजस्थान	4960	0	88986	93946	4960	0	4960
23.	सिक्किम	0	216	1463	1679	0	216	216
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631	0	0	0
25.	त्रिपुरा	93	0	7319	7412	93	0	93
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	243633	243633	0	0	0
27.	उत्तरांचल	63	562	30383	31008	63	562	625
28.	पश्चिम बंगाल	0	6752	72284	79036	0	6752	6752
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	111	393	504	0	111	111
30.	दादरा एवं नगर हवेली	30	241	245	516	30	241	271
31.	दमन और दीव	0	0	32	32	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	219	219	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	10	10
34.	पांडिचेरी	40	69	158	267	40	69	109
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18	0	0	0
	जोड़	11641	99121	1311902	1422664	11641	99121	110762

संलग्नक 8.6.5

चालू ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की कुल लागत	संवितरण की अन्तिम तारीख	विदेशी सहायता (ऋण)	
					संचयी निकासी 31.3.03 तक	2003-04 बजट अनुमान
1.	एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति और नाली व्यवस्था परियोजना	पंजाब	686.68	उपलब्ध नहीं	-	0.050
2.	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (जल निर्मल परियोजना)	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	449.730 (31.3.03 तक संचयी व्यय)	200.000
3.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	केरल	451.40	उपलब्ध नहीं	37.41 (31.3.03 तक संचयी व्यय)	40.00

अध्याय - 9

शहरी विकास

9.1 शहरी विकास

शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति

संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम का उद्देश्य, शक्तियों के पर्याप्त हस्तांतरण, आय के सुपरिभाषित और पर्याप्त स्रोतों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के स्तर के अनुरूप वित्तीय स्वायत्तता और साथ ही शहरी निवासियों के प्रति जवाबदेही के उच्च स्तर के साथ, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को "स्वःशासन के संस्थानों" के रूप में पुनर्गठित करना है। इसकी स्कीम के अंतर्गत म्यूनिसिपल निकाय मात्र नागरिक सुविधाएं प्रदाताओं से हटकर शहरी संकुलों/बस्तियों के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोजना को शामिल करते हुए कार्रवाई के व्यापक क्षेत्र अंग बन जाते हैं। दसवीं योजना अवधि के दौरान हल की जाने वाली चुनौती इन निर्वाचित निकायों को विश्व स्तरों के अनुरूप जीवन स्तर के वास्ते शहरी निवासियों की मांग आर्गनिक ढंग से विकसित करने की है।

भारत में शहरीकरण परिदृश्य

2. 2001 की जनगणना के अनंतिम जनगणना आंकड़ों से विगत दशक के दौरान शहरीकरण के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं का पता चलता है। 1.02 बिलियन आबादी में, 285 मिलियन अथवा 27.8 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जिसमें 5,161 नगर सम्मिलित हैं, जो 1991 की जनगणना में शहरी आबादी के अनुपात से 2.1 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

3. बड़े राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत तमिलनाडु है जहां शहरी आबादी की प्रतिशतता 43.9 है, महाराष्ट्र की प्रतिशतता 42.4 और गुजरात की 37.4 है। बड़े राज्यों में, शहरी आबादी का सबसे कम अनुपात बिहार का है (10.5%) और उसका स्थान असम (12.7%) और उड़ीसा (14.9%) से नीचे है।

4. 35 शहरी संकुल (यूए)/नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। कुल शहरी आबादी का लगभग 37 प्रतिशत एक मिलियन से अधिक आबादी वाले यूए/नगरों में रहता है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में आधे से अधिक शहरी आबादी एक मिलियन से अधिक आबादी वाले यूए/नगरों में रहती है। जनगणना अवधि 1991-2001 में शहरीकरण की समग्र दर साधारण रही है।

शहरी अधिशासन

5. अच्छे शहरी अधिशासन के लिए जरूरत है; पर्याप्त नीतिगत और कानूनी रूपरेखाएं, विनियामक और आयोजना प्राधिकरणों की विद्यमानता, मानव कौशल, एक सुदृढ़ राजस्व आधार, आधुनिक लेखांकन मानक और लोगों के प्रति जवाबदेही। शहरी अवस्थापना के स्तरोन्नयन के लिए काफी कार्य किया गया है; अनेक सरकार द्वारा परोक्षतः नियंत्रित निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों ने परियोजनाओं की आयोजना और नि-पादन में पर्याप्त कौशल प्राप्त कर लिया है। कुछेक शहरी जरूरतों को पूरा करने में, पांच चुनिंदा शहरों के लिए वृहद नगर परियोजना, छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास

(आईडीएसएमटी) और त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसे कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न मात्रा में सफलता दर्शाई है। सरकार द्वारा परोक्षतः नियंत्रित निकायों और विकास प्राधिकरण का ध्येय, चुने हुए निकायों के लिए समर्थनकारी भूमिका अदा करना है, न कि उनके कार्यों को संभालना, जिनका संबंध उचित रूप से ही शहरी स्थानीय निकायों से है।

शहरी वित्त के स्रोत

6. शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने में मदद देने के उद्देश्य से, संपत्ति कर पद्धति में सुधार करने की प्रक्रिया को दसवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। संपत्ति कर जाल का कवरेज संतो-जनक नहीं है। "वार्निक कर-योग्य मूल्य" के विकल्प, क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन और पूंजी मूल्य आधारित मूल्यांकन के रूप में उपलब्ध हैं। एक उपयोगी साधन के रूप में संपत्ति स्वामियों द्वारा स्व-निर्धारण विधि का उपयोग करते हुए नगर में सभी संपत्तियों के समग्र कवरेज के साथ मूल्यांकन की पारदर्शी और उत्प्लावक पद्धतियां विकसित करने के लिए इन उपायों का और परि-करण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता प्रभार आरोपित करना, कर-भिन्न राजस्व को बढ़ाना, लागतों और विशेष-रूप से स्थापना लागतों को नियंत्रित करना तथा म्यूनिसिपल परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग कुछेक ऐसे उपाय हैं जिनसे यूएलबी को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। म्यूनिसिपल लेखांकन पद्धतियों को प्रोद्भवन-आधारित बनाकर उन्हें उधारदाता एजेंसियों और वित्तीय बाजारों के लिए स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। उन यूएलबी के लिए यह विशेष-रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें सुलभ ऋण निधियों की जरूरत है।

शहरी क्षेत्रक में व्यापक - आधारित सुधार

7. सर्वत्र यह माना जाता है कि नगर देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और अवस्थापना संबंधी जरूरतों में पर्याप्त रूप से योग देते हैं। यद्यपि वे, नगरवासियों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं तथापि उन्हें, ग्रामीण उत्पादन हेतु मांग का सृजन करके पृ-ठ प्रदेश के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं सुनिश्चित करने और इन्पुटों तक सुलभता हेतु अवसरों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। विपणन, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा की सेवाओं के लिए तथा व्यापक विश्व तक खिड़की खोलने में भी नगर और कस्बे नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

8. योजनाबद्ध और सु-प्रबंधित शहरी विकास के लिए एक दृढ़ प्रेरणा को गति प्रदान करना आवश्यक है, जिससे उपभोक्ता प्रभारों व अन्य करों के संसाधन संग्रह में सुधार होगा और बेहतर कोटि अनुस्थापना में निवेश का स्तर उच्च होगा और इस प्रकार आर्थिक कार्यकलापों में विकास प्रक्रिया सुकर होगी। शहरी निर्धनों की जरूरतें पूरा करना यूएलबी पर निर्भर है जिनके पास अधिक संसाधन हैं। शहरी विकास, और साथ ही अपेक्षित नीतिगत सुधारों में विशि-ट बाधाओं का आमतौर पर विनिर्धारण किया गया है। शहरी क्षेत्रक में सुधार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सुधार उपायों का एक पैकेज शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहनों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई स्कीम, "शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि" नाम से कार्यान्वित की जा रही है। सुधार उपाय शहरी भूमि सीमा विधान को रद्द करना, किराया नियंत्रण में सुधार, उपभोक्ता प्रभार आरोपित करना, संपत्ति कर का सुधरा कार्यान्वयन, म्यूनिसिपल लेखांकन मानकों का उन्नयन, स्टाम्प ड्यूटी की ऊंची दरों को कम करना और संपत्ति कारोबार के पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण से संबंधित हैं तत्पश्चात भू-नीति, म्यूनिसिपल विधान, भवन निर्माण विनियमों के सरलीकरण तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सरकारी निजी भागीदारी की शुरूआत करने के लिए और उपाय किए जाने चाहिए।

आधारभूत ढांचे के लिए योजना सहायता

9. केन्द्र से सहायता, शहरी अवस्थापना उन्नयन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधनों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। शहरी अवस्थापना और सेवाओं के उन्नयन के कठिन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, बड़ी मात्रा में केन्द्रीय सहायता, केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली बाह्य सहायता सहित, और साथ ही आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) जैसी एजेंसियों से यूएलबी को संस्थात्मक वित्त भी जरूरी है। निःसंदेह अधिक संसाधनों की उपलब्धता से, चुने हुए यूएलबी सुदृढ़ होंगे, जो स्थानीय स्तर पर अधिशासन के वैध संस्थान हैं। तथापि, सहायता क्षेत्रकीय सुधारों के कार्यान्वयन, विशेष रूप से म्यूनिसिपल सेवाएं प्रदान करने और उचित उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण में सरकार निजी भागीदारी से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन की शर्त पर दी जानी चाहिए।

10. शहरी अवस्थापना का वित्तपोषण मात्र बजटीय सहायता से नहीं किया जा सकता। यद्यपि बाजार उधार, अधिकांश मामलों में शहरी अवस्थापना के वास्ते वित्तपोषण का एक व्यवहार्य स्रोत नहीं है, तथापि यूएलबी की साख निर्मित करने की दिशा में शुरुआत की जानी चाहिए। यदि समस्त यूएलबी के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, तो इसे कम से कम अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसेकि जल आपूर्ति, शहरी परिवहन व अन्य क्षेत्रों में शुरू करने का प्रयास किया जा सकता है जहां प्रचालन लागत वसूल करने के लिए उपभोक्ता प्रभार आरोपित किया जा सकता है और जहां सामान्य संसाधन स्थिति के अंतर्गत ऋण निधियों का उपयोग अनुदानों अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वयं के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए करना व्यवहार्य हो। सुधार उपायों को कार्यान्वित करने की लागत वहन करने के वास्ते बजटीय संसाधनों से और साथ ही बाह्य वित्तपोषण एजेंसियों से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे उपयोगिताओं (यूटिलिटियों) को अपने नि-पादन और वित्त में सुधार करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय बजट 2002-03 में एक "नगर चुनौती निधि (सीसीएफ) की घोषणा की गई थी तथा इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी प्रकार, "एकत्रित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) " के अंतर्गत, छोटे कस्बों की वित्तीय जरूरतों को समेकित करने को सुकर बनाने तथा क्रेडिट संवर्धन की एक स्कीम, शुरू की जाएगी।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2003-04 के लिए प्रावधान

11. वार्षिक योजना (2002-03) में शहरी विकास स्कीमों के लिए 5354.29 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 700.70 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्रक में (जल आपूर्ति और स्वच्छता को छोड़कर) तथा 4653.59 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्रक में शामिल हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक में 1985.44 करोड़ रुपए के अनंतिम खर्च की रिपोर्ट की गई है जबकि राज्य क्षेत्रक में संशोधित अनुमान की राशि 4474.95 करोड़ रुपए है।

12. वर्तमान वर्ष (2003-04) में केन्द्रीय क्षेत्रक में शहरी विकास के लिए 1443.75 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। प्राप्त नि-पादन, प्रमुख मुद्दों और विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों, लिए गए नीतिगत निर्णयों और दसवीं पंचवर्षीय अवधि के लिए परिकल्पित कार्यनीतियों की पृष्ठभूमि में, योजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई थी। इनके अनुसार, कवरेज, वास्तविक कार्यक्षेत्र, संस्थात्मक प्रबंध, वित्तीय पद्धति, प्रचालनात्मक डिजाइनों व मानीटरन व्यवस्थाओं की दृष्टि से, अनेक स्कीमों का अभिसरण, संशोधन और सुधार हुआ।

13. यह अनिवार्य है कि आईडीएसएमटी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अवस्थापना संबंधी सहायता का उद्देश्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन आदि की व्यवस्था करने की दृष्टि से बकाया रहते काम को पूरा करना होना चाहिए। इस सहायता का लक्ष्य उन नगरों को बनाया जाना चाहिए जिनके संसाधन न्यून हैं किन्तु जिन्हें संवृद्धि की उंची दरों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, आयोजना और वित्तीय सहायता का लक्ष्य, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से शहरी केन्द्रों के बीच बढ़ती असमानताओं को कम करने का होना चाहिए। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए आईडीएसएमटी आबंटन 105 करोड़ रुपए था जिसके बदले मंत्रालय द्वारा 86.43 करोड़ रुपए के खर्च की रिपोर्ट की गई। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, आईडीएसएमटी के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

14. यह एक तथ्य है कि अवस्थापना और सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से शहरी परिदृश्य, भिन्न-भिन्न आकार की श्रेणी वाले नगरों के बीच और उन स्थानों की तुलना में जहां निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं, बेहतर स्थिति वाले वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों पर नगरों के अंदर, देशभर में पर्याप्त रूप से भिन्न हैं। बड़े शहरों को संस्थात्मक व्यवस्थाओं का लाभ होता है, जो जरूरतों के निकट हैं, जहां उच्च कोटि की जनशक्ति और संसाधनों तक अधिक पहुंच है। नगरों की परंपरा में, राजधानी नगरों का स्थान उंचा है और उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसके बाद अधिक आर्थिक कार्यकलाप वाले अन्य नगरों का स्थान आता है जबकि अत्यंत सीमित संसाधन वाले बहुत छोटे कस्बों में शायद ही कोई सुधार होता है। बड़े शहरों के पास प्रायः बाजार से और देश के अंदर से और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों से संसाधन जुटाने की क्षमता होती है। "वृहद नगर स्कीम" की सीएसएस के अंतर्गत, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर नगरों तक सीमित है, वार्षिक योजना 2002-03 के आबंटन की राशि 125 करोड़ रुपए थी जिसके बदले मंत्रालय द्वारा 119.90 करोड़ रुपए के व्यय की रिपोर्ट की गई है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए "वृहद नगर स्कीम" के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

15. शहरी आवश्यकताओं, सेवाओं की स्थिति आदि के बारे में व्यापक आंकड़ों की उपलब्धता को शहरी नगर आयोजना का एक बुनियादी साधन समझा गया है, सेवाओं, उत्तरदायी क्षेत्रों और विनिर्धारित समस्याग्रस्त क्षेत्रों के खाके के साथ, कराधान प्रयोजनों के लिए संपत्ति सूची के संबंध में आधार स्तर कार्य के लिए अत्यंत दृढ़ उपग्रह छवि के साथ पूरक बनाते हुए और साथ ही शहरी विकास, विशेष रूप से पेरी-शहरी क्षेत्रों में प्रवृत्तियों आदि का मानीटरन करने के लिए, जीआईएस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए, वर्तमान शहरी मानचित्रण, आयोजकों व अन्य एजेंसियों के लिए उपयोगी सिद्ध होने की उम्मीद है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए, शहरी मानचित्रण के अंतर्गत (शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान को मिलाकर) आबंटन 8 करोड़ रुपए था तथा 1.5 करोड़ रुपए के व्यय की रिपोर्ट की गई है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

16. रा-द्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना, दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करने और तीन राज्यों यथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान को मिलाकर रा-द्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सामंजस्यपूर्ण विकास के दोहरे उद्देश्य के वास्ते की गई थी। एनसीआरपीबी, क्षेत्र के लिए मास्टर योजना तैयार करता है और साथ ही शहरी अवस्थापना विकास के लिए निर्धारित परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान बजटीय सहायता के अंतर्गत आबंटन 55 करोड़ रुपए था जिसका पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया। तथापि, आईबीआर के अंतर्गत

उपलब्धि 872 करोड़ रुपए थी जबकि लक्ष्य 822.40 करोड़ रुपए का था । वार्षिक योजना (2003-04) के लिए जीबीएस के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का तथा आईबीआर के अंतर्गत 435 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

17. राज्यों को शहरी सुधार से जुड़ी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2002-03 के दौरान शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत शहरी आबादी के आधार पर क्षेत्रक में सुधार करने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसीए के रूप में धन प्रदान किया जाता है । यूआरआईएफ के अंतर्गत, वर्ष 2002-03 के दौरान 500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था किन्तु मंत्रालय द्वारा "कुछ नहीं " खर्च की रिपोर्ट की गई है क्योंकि किसी भी राज्य ने मंत्रालय के साथ एमओए नहीं किया । वर्ष 2003-04 के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । वर्तमान वर्ष के दौरान उम्मीद की जाती है कि राज्य शहरी सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बाद इस राशि का उपयोग कर लेंगे ।

18. वार्षिक योजना (2002-03) और वार्षिक योजना (2003-04) के लिए शहरी विकास हेतु (शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता को छोड़कर) परिव्यय का स्कीम-वार ब्यौरा संलग्नक-1 में दिया गया है तथा आवास और शहरी विकास - राज्य क्षेत्रक के संदर्भ में वार्षिक योजना (2002-03) का विवरण संलग्नक-III में दिया गया है ।

शहरी निर्धनता उन्मूलन

19. 30 दिन की स्मरण अवधि का उपयोग करते हुए, एनएसएसओ के 55वें चक्र के अनुसार, 67.1 मिलियन अथवा 23.62 प्रतिशत भारत की शहरी आबादी 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी जबकि 1993-94 में यह प्रतिशत 32.4 था । गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की निरपेक्ष संख्या जिसमें सदा बढ़ोत्तरी हो रही थी तथा जो 1993-94 में 76.3 मिलियन तक पहुंच गई थी, उसमें कमी आई है और यह 67.1 मिलियन हो गई है ।

20. यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबों की प्रतिशतता शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, तथापि केवल कुछे बड़े राज्यों की स्थिति इस पद्धति के अनुरूप है । आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और पांडिचेरी संघ क्षेत्र ने ग्रामीण गरीबी की तुलना में ऊंचे शहरी गरीबी स्तरों की रिपोर्ट की है । उन क्षेत्रों में भी जहां बुनियादी पो-नाहार जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के स्तर बढ़ रहे हैं, आवास, नागरिक सुविधाओं, स्वास्थ्य देखरेख, शैक्षिक और सामाजिक जरूरतों आदि की अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण जरूरतें पर्याप्त रूप में पूरी नहीं हो रही हैं । इस प्रकार, शहरी निर्धनता ग्रामीण निर्धनता की तुलना में अधिक जटिल समस्या के रूप में उभर रही है ।

21. शहरी निर्धनों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपार समस्याएं हैं । अपर्याप्त वित्तपोषण की समस्याएं केन्द्रीय निधियों के अल्प-उपयोग, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए प्रदत्त निधियों का व्यावर्तन और अनावश्यक खर्च के कारण और भी बढ़ गई हैं । निर्धनता के समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक व अन्य गतिकी को पर्याप्त रूप से समझे बिना कार्यक्रमों के इंजीनियरी अथवा "निर्माण कार्य" पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है । कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लाभार्थियों से परामर्श नहीं किया जाता और न ही उन्हें कुछ कहने दिया जाता है ।

मलिन बस्तियां

22. 2001 की जनगणना के अनुसार, 607 नगरों/कस्बों में मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40.3 मिलियन थी। पर्यावरणीय सुधार और मलिन बस्तियों के उन्नयन हेतु अनेक दशकों के कार्यक्रमों के बावजूद मलिन बस्तियों की स्थितियों में बुनियादी स्तर पर कोई परिवर्तन अथवा सुधार नहीं हुआ है। शहरी निर्धनता की असंतो-जनिक स्थितियों की निरंतरता के कुछेक कारण हैं: विश्वसनीय बुनियादी सर्वेक्षण डाटा, सेवाओं की स्थिति की जानकारी का अभाव, मास्टर योजनाओं और एनएसडीपी जैसी स्कीमों में उन्नयन के निश्चित उद्देश्यों का अभाव, तालमेल के बगैर कार्यरत एजेंसियों की बहुलता, शहरी निर्धनों की आवासन जरूरतों के वास्ते भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता, सड़क पर बेचने वालों और फेरी वालों आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।

23. "तत्स्थाने स्तरोन्नयन" नामक मलिन बस्ती सुधार की पद्धति का और बड़े पैमाने पर पालन किए जाने की जरूरत है। "वामबाय" परियोजना के तहत स्थान पर ही स्तरोन्नयन की अनुमति है तथा यह आवश्यक है कि जहां मलिन बस्तियां विद्यमान हैं उस भूमि के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक है ताकि स्तरोन्नयन को सुकर बनाया जा सके।

शहरी निर्धनों के लिए योजना सहायता

24. रा-ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), वामबाय, रात्रि विश्रामालय, दो मिलियन आवासन स्कीम जैसी विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्कीमों के तहत मलिन बस्तीवासियों सहित शहरी निर्धनों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें सम्मिलित हैं: शहरी गरीबों का विनिर्धारण, सामुदायिक समूहों का गठन, गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग, स्वसहायता/बचत और उधार कार्यक्रमों का प्रोत्साहन, आजीविका के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, आर्थिक कार्यक्रमों के लिए ऋण और सब्सिडी, आवासन, स्वच्छता और पर्यावरणीय परिवेश में सुधार, सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन, मजदूरी रोजगार और सेवाओं का अभिसरण आदि। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मलिन बस्तीवासियों की जरूरतें पूरी करने के कार्य को बेहतर ढंग से आयोजित, प्रभावी ढंग से प्रशासित और राज्य तथा केन्द्रीय दोनों स्तरों पर बाकायदा मानीटरन किया जाए।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2003-04 के लिए प्रावधान

25. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत स्वरोजगार उद्यमों और महिलाओं व बच्चों सहित शहरी बेरोजगारों, अल्प-रोजगारप्राप्त लोगों के लिए मजदूरी रोजगार की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। यह स्थानीय विकास के लिए समर्थनकारी व सुविधाजनक तंत्र की व्यवस्था करने के लिए, निकटवर्ती समूहों (एनएचजी), निकटवर्ती समितियों (एनएचसी) सामुदायिक विकास सोसायटियों (सीडीएस) आदि जैसी उपयुक्त सामुदायिक प्रणालियों के सृजन पर निर्भर है। शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक के लिए, विशेष रूप से स्वरोजगारप्राप्त शहरी गरीबों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में बैंकिंग क्षेत्रक की भूमिका का विस्तार करने की जरूरत है। एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 105 करोड़ रुपए के विनिश्चित परिव्यय में से, वर्ष 2002-03 के दौरान 100 प्रतिशत उपयोग की रिपोर्ट की गई। इस स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष (2003-04) के लिए 94.50 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

26. वाल्मिकी - अम्बेडकर आवास योजना (वामबाय) के अंतर्गत, जो 2001-02 में शुरू की गई थी, मलिन बस्तीवासियों के लिए कार्यक्रमों में लम्बे अरसे से चली आ रही कमियों के संबंध में व्यवस्था है, अर्थात् शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी से नीचे की रेखा के लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था करना अथवा विद्यमान आश्रय का स्तरोन्नयन । "वामबाय " के अंतर्गत कुल आबंटन में से बीस प्रतिशत, स्वच्छता और सामुदायिक शौचालयों के लिए विनिश्चित है जिनका निर्माण शहरी निर्धनों और मलिन बस्तीवासियों के लिए किया जाना है । स्कीम के तहत केन्द्रीय सब्सिडी की ऊपरी सीमा, दिल्ली व पांच वृहद नगरों में 30,000 रुपए और दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 25,000 रुपए व अन्य सभी नगरों व कस्बों में 20,000 रुपए है । किसी विद्यमान इकाई के स्तरोन्नयन के लिए उपरी सीमा एक नए मकान के निर्माण के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा की 50 प्रतिशत है । "वामबाय " के अंतर्गत वर्ग 2002-03 के लिए 218.35 करोड़ रुपए का अनंतिम व्यय रिपोर्ट किया गया है जबकि अनुमोदित आबंटन 256.85 करोड़ रुपए है । वर्तमान वर्ग (2003-04) के लिए 238.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

27. रा-द्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) वर्ग 1996-97 के दौरान मलिन बस्तीवासियों के रहन-सहन परिवेश को सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मलिन बस्ती आबादी के आधार पर एसीएके रूप में निधियां प्रदान की जा रही हैं । वार्षिक योजना 2002-03 में एनएसडीपी के अंतर्गत एसीए की राशि 365 करोड़ रुपए थी, वर्ग 2003-04 के लिए भी 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

28. शहरी क्षेत्रों में पटरीवासियों के लिए आश्रय और स्वच्छता सुविधाओं को "शहरी आश्रयहीनों के लिए रात्रि आश्रय " के रूप में संशोधित किया गया है । संशोधित मार्गनिर्देश अब केवल सामुदायिक शौचालयों से मिले-जुले रात्रि आश्रयों और शहरी आश्रयहीनों के लिए स्थानगृहों के निर्माण तक सीमित हैं। प्रारंभ से, हुडको ने 113 स्कीमें मंजूर की हैं जिनमें 30 करोड़ रुपए से अधिक की भारत सरकार सब्सिडी अंतर्निहित है । वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 3 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है । वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 4.5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

29. वार्षिक योजना (2003-04)-शहरी निर्धनता उन्मूलन के लिए स्कीमवार परिव्यय संलग्नक-II में दर्शाया गया है ।

शहरी आवासन

30. आवासन एक बुनियादी जरूरत और साथ ही निर्माण उद्योग का एक अभिन्न अंग होने के नाते, एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप भी है । विकास परिव्ययों में निर्माण कार्यकलापों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है । भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जिसका प्रायोजन आवासन क्षेत्रक में निवेश का जीडीपी और रोजगार पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था, पता चला है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों की दृष्टि से इस क्षेत्रक का स्थान 14 प्रमुख क्षेत्रकों के बीच तीसरा है ।

31. आवासन और निवास नीति 1998 में इस बात का विशिष्ट रूप से समर्थन किया गया है कि सरकार को आवासन का काम खुद संभालने की बजाए आवासन कार्यकलाप के विकास के लिए एक

सुविधाजनक परिवेश कायम करने का होना चाहिए । ग्रामीण और शहरी - दोनों ही क्षेत्रों में आवासन प्रमुख रूप से निजी क्षेत्रक कार्यकलाप हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरी निर्धनों की आवासन जरूरतों को पूरा करने में सरकार तथा इसकी एजेंसियों की बड़ी मात्रों में हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है । इस हिस्सेदारी की प्रकृति, कुछ मामलों में मकान निर्माण तक भी हो सकती है और यह किसी स्थिति विशेष में जरूरतों द्वारा निर्भर होगा ।

32. अधिशासन की रा-द्रीय कार्यसूची में भी इस बात पर बल दिया गया है कि आवासन कार्यकलाप पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन का एक प्रमुख साधन होगा और तीव्र आवासन कार्यकलाप के मार्ग में आने वाली सभी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए । यह अविवादित है कि सरकारी उपायों और इसकी "सुविधाकर्ता भूमिका" - का आवासन की व्यवस्था और इस क्षेत्रक के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । ये उपाय और हस्तक्षेप, भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और विकास से संबंधित विधानों; स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण कानूनों; किराया नियंत्रण विधान; कर नीति, विशेष रूप से आवासन ऋणों से संबंधित नीति; संपत्ति और भूमि कर कानूनों; नगर आयोजना कानून और उसका वास्तविक कार्यान्वयन, अर्थात् विस्तृत विकास योजनाएं, क्षेत्रीकरण विनियम, भू-उपयोग परिवर्तन; और भवन उप-नियमों से संबंधित है। इसके अंतर्गत, सरकार द्वारा परोक्षतः नियंत्रित निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरी विकास कार्यकलाप, स्थल और सेवा स्कीमें; आवासन विकास तथा आवासन वित्त से संबंधित सरकारी क्षेत्रक में संस्थान; और सरकारी क्षेत्रक में आवास निर्माण भी सम्मिलित है ।

33. दसवीं योजना के लिए आवासन संबंधी कार्यदल ने टिप्पणी की है कि आवासन कमी का संबंध लगभग 90% कमजोर वर्गों के साथ है । भू-आबंटन, वित्तपोषण सहायता के विस्तार और सहायक सेवाओं की व्यवस्था के एक उपयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वहनीय आवासन की व्यवस्था में वृद्धि किए जाने की जरूरत है । शहरी आश्रयहीनों और पटरीवासियों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि किसी कल्याण अथवा गरीबोन्मुखी राज्य में दिया जाना जरूरी है, जैसाकि "रात्रि आश्रय स्कीम" में प्रगति के अभाव से देखा जा सकता है । इमारत गुणवत्ता का विनियमन और इसका आश्वासन, विशेष रूप से आपदा प्रवण क्षेत्रों में एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तात्कालिकता पर गुजरात में जनवरी, 2000 में आए भूकंप के बाद प्रकाश डाला गया था । इमारत का डिजाइन लिंग संवेदी बनाए जाने की भी जरूरत है और इसमें शारीरिक रूप से विकलांगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

34. आवासन क्षेत्रक में पारिवारिक बचतों के निवेश अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से तथा साथ ही उन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के वास्ते जो अपना मकान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, किराया आवासन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है । इसके लिए विद्यमान किराया नियंत्रण कानूनों में विधायी परिवर्तनों की जरूरत है, जिसके संबंध में अभी तक बहुत कम प्रगति हुई है ।

35. आवासन प्रयोजनार्थ भूमि की उपलब्धता, भू-राजस्व अधिनियम, भू-सुधार अधिनियम, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (यूएलसीआरए), नगर आयोजना अधिनियम और शहरी विकास अधिनियमों जैसे बहुत से विधानों में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के कारण बाधित रही है । इनमें से प्रत्येक की वजह से, प्रायः इनके प्रावधानों के माध्यमों के जरिए, और जिस ढंग से इन पर अमल किया जाता है इसकी वजह से भी आवासन कार्य के विस्तार के लिए तत्काल आवश्यक भूमि के वैध कारोबार हेतु बाधाएं पहुंची हैं । उम्मीद है कि यूएलसीआरए को रद्द किए जाने से स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार होगा ।

आवासन का संस्थात्मक वित्तपो-ण

36. प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रक उधार से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक विनियम, राजको-नीय रियायतें और बजटीय प्रोत्साहन सहित सुविधाकर्ता उपायों के माध्यम से सरकार द्वारा आवासन पर दिए गए पर्याप्त बल के फलस्वरूप परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। रा-ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 28 आवासन वित्त संस्थानों (एचएफआई) के माध्यम से संस्थात्मक संवितरण किए जा रहे हैं।

हुडको

37. हुडको, अपनी आवासन पोर्टफोलियों में से 55 प्रतिशत भाग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई डब्ल्यू एस) और निम्न आय वर्गों के लिए, विभेदक ब्याज दरों, निम्न लागत यूनिटों के लिए उच्च ऋण घटक और लम्बी वापसी अदायगी अवधि के साथ उपलब्ध कराता है। यद्यपि इसके द्वारा जारी की गई राशि मंजूरीयों की तुलना में कुछ कम है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि हुडको ने दिसम्बर, 2002 तक 16 मिलियन शहरी आवास यूनिटों की मंजूरी दी थी।

38. सामूहिक आवासन कार्यक्रमों के संबंध में हुडको कामकाज में अन्य कारक राज्य सरकार गारंटियों पर निर्भरता है जिसकी वजह से वे राज्य अपात्र हो जाते हैं, जिन्होंने चूक की है। ऐसे राज्यों को गारंटी के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपाय करने की जरूरत होगी। हुडको, आवासन के लिए खुदरा ऋण प्रदान करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है और वर्ष 2002-03 में अप्रैल से दिसम्बर तक अवधि के दौरान 5.15 लाख लाभार्थियों को कुल 12,799 करोड़ रुपए की राशि का ऋण मंजूर किया। वर्ष 2002-03 के दौरान हुडको को इक्विटी के रूप में 180 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई जिसका पूर्ण रूप में उपयोग कर लिया गया। हुडको ने आईईबीआर के अंतर्गत 2606.50 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, आईईबीआर के अंतर्गत 3143 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ आवासन के लिए हुडको को इक्विटी सहायता प्रदान करने के वास्ते 215.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

39. निर्धनतम वर्गों के लिए आवासन कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से, राज्यों को एक ऐसा परिवेश कायम करना चाहिए जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण-आधारित आवास निर्माण के अनुकूल हो तथा उधार देने व ऋण की वसूली संबंधी कामकाज के लिए राज्य-स्तरीय तंत्र सुदृढ़ हो। बड़ी मात्रा में पूरी न हुई मांग की दृष्टि से, शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवासन लम्बे अरसे से एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है और इस वर्ग को ऋण प्रदान करने तथा वसूली तंत्र के लिए कारगर प्रबंधों के अभाव में, राज्यों के लिए लम्बे समय तक कार्यक्रम को चला पाना कठिन होगा। ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी परिवार के नाम में (पति और पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से) मालिकाना अधिकार सौंपने का काम तभी हो सकता है जबकि ऋण की पूरी राशि वसूल हो जाए, तब तक मकान को किराए के आधार पर रखा जा सकता है। निर्धनों के लिए आवास मुहैया करने को तेज करने के लिए, निजी पहलों में वृद्धि करने और सरकारी-निजी क्षेत्रक भागीदारियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की भी जरूरत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/निजी उद्यमशीलता के जरिए नए एकीकृत नगरों के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ऐसे आवासन के लिए कुछ प्रतिशतता ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए विनिश्चित करने के वास्ते व्यवस्था की जानी चाहिए।

वार्षिक योजना (2003-04) के लिए परिव्यय का स्कीम-वार विवरण -
शहरी विकास (शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता को छोड़कर)*

(करोड रुपए)

क्र. सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2001-02) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04) परिव्यय
			परिव्यय	अनंतिम व्यय	
1	2	3	4	5	6
क	शहरी विकास				
1	आईडीएसएमटी	76.71	105.00	86.43	100.00
2	वृहद नगर	115.34	125.00	119.90	120.00
3	रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड	50.00	55.00	55.00	50.00
4	शहरी मानचित्रण	0.00			0.00
5	शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान	4.00	8.00	1.50	1.00
6	शहरी परिवहन				
	I) डीएमआरसी	165.00	172.00	172.00	190.00
	ii) अन्य	1.07	5.00	1.46	2.00
	iii) भू-अधिप्राप्ति/उप-ऋण	1.00	3.00	3.00	10.00
	iv) जेबीआईसी से पास श्रू सहायता	783.35	1.00	1347.00	680.00
7	हुडको के लिए इक्विटी - शहरी अवस्थापना हेतु	5.00	5.00	5.00	5.00
8	कंप्यूटरीकरण	1.17	3.00	3.00	0.00
9	शहरी अधिशासन हेतु क्षमता निर्माण (यूएनडीपी परियोजना)	1.07	1.20	1.15	0.00
ख	लोक निर्माण कार्य				
10	सामान्य पूल रिहायशी आवास	68.34	90.00	89.00	93.00
11	सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान	8.47	3.00		2.75
12	सामान्य पूल कार्यालय आवास	17.45	25.00	24.00	21.00
13	सीपीडब्ल्यूडी का आधुनिकीकरण/कंप्यूटरीकरण	0.00	3.00		3.00
14	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	0.00	4.00		0.00
	एनबीसीसी (इक्विटी)	8.35	0.00		0.00
ग	नई स्कीमें				
21	सांस्कृतिक नगरों का पुनरुद्धार	0.00	1.00	0.00	0.00
22	रा-द्रीय शहरी सूचना पद्धति	0.00	0.50	0.00	5.00
23	एकत्रित (पूल्ड) वित्त विकास निधि	0.00	0.50	0.00	0.50
24	नगर चुनौती निधि	0.00	0.50	0.00	0.50
घ	पूर्वोत्तर - एकमुश्त प्रावधान	82.49	90.00	77.00	160.00
25	जोड़	1388.81	700.70	1985.44	1443.75

* शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए परिव्यय, जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रभाग के अंतर्गत सम्मिलित है ।

संलग्नक - 9.2

वार्षिक योजना (2003-04) के लिए परिव्यय का स्कीम-वार विवरण
शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम	वार्षिक योजना (2001-02) वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04) परिव्यय
			परिव्यय	अनंतिम व्यय	
1	2	3	4	5	6
क	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम				
1	एसजेएसआरवाई	45.54	105.00	105.00	94.50
2	वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना	69.00	256.85	218.35	238.50
3	रात्रि आश्रय स्कीम	4.44	5.00	3.00	4.50
4	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कालोनियों में आधारभूत सुविधा	6.30	8.03	0.00	6.00
ख	केन्द्रीय स्कीमें				
5	बीएमटीपीसी	5.07	4.00	4.40	3.00
6	भवन केन्द्र	2.00	3.00	0.00	
7	आवासन के लिए हुडको को इक्विटी	155.00	180.00	180.00	215.60
8	एनसीएचएफ को अनुदान	0.50	0.20	0.20	0.20
9	शहरी संकेतक	0.11	0.40	0.00	0.20
10	अन्य/प्राकृतिक आपदाएं	2.50	0.02	0.00	0
ग	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान	33.00	62.50	44.17	62.50
घ	कुल योग	323.46	625.00	555.12	625.00

वार्षिक योजना (2003-04) आवासन और शहरी विकास - राज्य क्षेत्रक

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना (2002-03)				वार्षिक योजना (2003-04)	
		आवासन		शहरी विकास		आवासन	शहरी विकास
		परिव्यय	संशोधित परिव्यय	परिव्यय	संशोधित परिव्यय		
1	आंध्र प्रदेश	193.55	132.38	230.7	192.97		
2	अरुणाचल प्रदेश	19.28	19.01	21.53	21.6		
3	असम	3.76	3.76	18.43	18.43		
4	बिहार	193.14	13.11	57.33	36.53		
5	छत्तीसगढ़	15.33	27.44	110.57	110.57		
6	गोवा	7.93	7.93	32.91	32.91		
7	गुजरात	548.94	584.94	504.01	504.01		
8	हरियाणा	52.80	45.8	38.25	37.25		
9	हिमाचल प्रदेश	67.02	81.33	23.88	61.85		
10	जम्मू व कश्मीर	3.41	3.41	43.22	43.22		
11	झारखंड	46.00	46.00	190.00	190.00		
12	कर्नाटक	587.83	551.85	303.50	234.99		
13	केरल	70.00	65.00	42.83	34.25		
14	मध्य प्रदेश	172.28	134.23	172.50	190.53		
15	महाराष्ट्र	179.07	179.07	542.84	492.85		
16	मणिपुर	15.36	16.56	16.74	16.74		
17	मेघालय	11.75	8.28	32.40	10.07		
18	मिजोरम	44.18	45.24	18.41	34.27		
19	नागालैंड	33.28	42.65	8.94	9.32		
20	उड़ीसा	58.25	74.26	23.07	25.7		
21	पंजाब	0.17	0.17	60.01	60.01		
22	राजस्थान	141.09	142.84	554.23	637.7		
23	सिक्किम	25.00	5.00	6.50	8.37		
24	तमिलनाडु	237.45	163.35	492.78	351.23		
25	त्रिपुरा	73.97	73.97	11.37	11.37		
26	उत्तर प्रदेश	60.37	5.32	223.47	190		
27	उत्तरांचल	2.00	2.00	24.50	24.5		
28	पश्चिम बंगाल	40.86	15.36	250.48	251.34		
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	14.65	14.65	13.65	13.65		
30	चंडीगढ़	6.15	6.15	43.66	43.66		
31	दादरा व नगर हवेली	0.68	0.68	1.15	1.15		
32	दमन व दीव	0.48	0.54	1.08	1.08		
33	दिल्ली	32.00	34.41	536.65	551.65		
34	लक्षद्वीप	3.12	3.12	2.00	2.00		
35	पांडिचेरी	10.07	10.73	19.50	29.18		
कुल		2971.22	2560.54	4653.59	4474.95		

9.2 शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता

दसवीं पंच-वर्षीय योजना में देश में प्रत्येक बस्ती के लिए संधारणीय आधार पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय भागीदारी के साथ स्वच्छता सुविधाओं के तीव्र विस्तार और सुधार के लिए सभी संभव उपाय करने की परिकल्पना की गई है।

2. यद्यपि सुरक्षित पेयजल और सफाई की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का वि-य है और इनकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और विशेष-रूप से स्थानीय निकायों की है, फिर भी केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक के तौर पर कार्य कर रही है। जहां तक शहरी जल आपूर्ति का संबंध है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा 20,000 की जनसंख्या से कम (1991 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक साधारण सी केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत की सफाई की एक केन्द्र प्रायोजित योजना भी 1990 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीय मल को हाथ से ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त किया जाए और इस प्रयोजन के लिए सभी मौजूदा शु-क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदल दिया जाए। इस योजना के अधीन “समग्र नगर” दृ-टिकोण अपनाया जाता है और इस प्रक्रिया में जहां शौचालयों की कोई सुविधा नहीं है, वहां नए स्वच्छ पारिवारिक/ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, शहरी जल आपूर्ति और सफाई स्कीमों के लिए राज्य सरकारें भी पर्याप्त योजना आबंटन जुटा रही हैं तथा पर्याप्त संस्थागत वित्त का लाभ उठाया गया है। तथापि, प्रगामी जल आपूर्ति और आधुनिक भूमिगत मल व्यवस्था की प्रति इकाई लागत बहुत अधिक है और अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों/ राज्य सरकारों की मौजूदा वित्तीय स्थिति से बाहर है। अतः इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता के संवर्धन के लिए और अधिक संख्या में नवाचारी ‘उपभोक्ता प्रभार’ तथा मूल्य निर्धारण सिद्धान्त अपनाए जाने तथा संस्थागत वित्त, बाजार ऋण, निजी निवेश आदि के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

3. वार्षिक योजना 2002-03 में, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय आयोजना में 199.30 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित था। वर्ष के दौरान संशोधित परिव्यय की राशि 148.75 करोड़ रुपए थी, जैसा कि संलग्नक 9.2.1 में देखा जा सकता है।

4. केन्द्र-प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अन्तर्गत 2002-03 तक केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 आनुपातिक आधार पर 1143.57 करोड़ रुपए की लागत की 883 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं, जिनमें से 312.08 करोड़ रुपए की लागत की 223 परियोजनाएं 2002-03 के दौरान अनुमोदित की गईं। वर्ष 2002-03 के लिए आबंटन की राशि 143.00 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार ने अभी तक 482.52 करोड़ रुपए की संचयी राशि जारी की है जिसमें से 121.95 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2002-03 के दौरान जारी किये गये तथा राज्यों द्वारा कुल 328.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा 2002-03 तक उपलब्ध कुल 810.30 करोड़ रुपए की राशि में से राज्यों ने, जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल है, अभी तक इन स्कीमों पर 541.50 करोड़ रुपए का खर्च रिपोर्ट किया गया है।

5. केन्द्र प्रायोजित स्कीम “झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए कम लागत की स्वच्छता” के अन्तर्गत हुडको ने, 1989-90 से 31 मार्च 2003 तक विभिन्न राज्यों में 17.96 लाख अलग-अलग शु-क

शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और 18.69 लाख नए अलग-अलग शौचालयों तथा 3966 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के वास्ते 1468.73 करोड़ रुपए की लागत की 1495 नगरों को कवर करते हुए कुल 860 स्कीमें मंजूर की। मंजूर परियोजनाओं की 1468.73 करोड़ रुपए की कुल लागत में 512.61 करोड़ रुपए का घटक केन्द्रीय सब्सिडी घटक के रूप में और 512.77 करोड़ रुपए हुडको ऋण घटक के रूप में तथा शेन 443.35 करोड़ रुपए लाभार्थी अंशदान के रूप में सम्मिलित हैं। इसके विपरीत, सब्सिडी के रूप में 259.52 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 320.96 करोड़ रुपए की संचयी राशि 31 मार्च 2003 तक जारी की गई। इसमें 2002-03 के दौरान सब्सिडी के रूप में 29.83 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 6.17 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, कुल 15.46 लाख पारिवारिक स्वच्छता शौचालय और 2998 सामुदायिक शौचालय पूरे हो गए हैं। इसके अलावा, 1.08 लाख शौचालयों को बदलने तथा 1.85 लाख नए पारिवारिक शौचालयों और 185 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, 37532 झाड़ूकशों को मुक्त किया गया तथा 387 नगरों को झाड़ूकश-मुक्त घोषित किया गया है। यह एक मांग-प्रेरित स्कीम है और इसकी प्रगति संतो-जनक नहीं है, विशेष-रूप से राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों और सामान्य रूप से लोगों द्वारा प्रदान की गई नीची प्राथमिकता के कारण, इसके अलावा, कम यूनिट लागत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त करने में देरी आदि जैसी कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं।

6. प्रधान मंत्री ने 15.8.2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित किया था कि सरकार, झाड़ूकशों की मुक्ति और पुनर्वास को तेज करने के लिए इस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय तथा शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सभी भिन्न-भिन्न स्कीमों का विलयन करेगी। इस घोषणा के अनुसरण में योजना आयोग ने वर्ष 2007 तक हाथ से सफाई करने के काम को बिलकुल समाप्त करने के वास्ते एक रा-द्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.) तैयार की थी। एन.ए.पी. के अन्तर्गत, झाड़ूकशों और विद्यमान शु-क शौचालयों का विनिर्धारण, राज्यों द्वारा 1993 अधिनियम का कार्यान्वयन, एन.जी.ओ. की भागीदारी, निम्न लागत स्वच्छता कार्यक्रम में बी.पी.एल. परिवारों के लिए सब्सिडी घटक में वृद्धि, प्रोत्साहन आदि शामिल है। झाड़ूकशों की मुक्ति और पुनर्वास की स्कीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से शहरी विकास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में एन.ए.पी. की एक सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

वार्षिक योजना 2003-04

7. दसवीं याजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2003-04 में, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता के संबंध में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 156.25 करोड़ रुपए सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रक के अन्तर्गत एक बड़ा योजना परिव्यय शामिल है, जैसाकि संलग्नक 9.2.1 में देखा जा सकता है।

8. वर्ना का पानी एकत्र करने को, जल का, विशेष-रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपसमूहों और जल-अभाव वाले क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इससे भौम जलभरों को पुनःआवेशित करने, गिरते भौम जल स्तर को रोकने और साथ ही बाढ़ों की उग्रता को कम करने के साथ-साथ पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, जैसेकि फ्लोराइड, संखिया, लवणता आदि से निपटने में सहायता प्राप्त होगी। अतः, वर्ना के पानी को इकट्ठा करने के ढांचों का निर्माण करने तथा पानी की मांग की पूर्ति में मदद देने के लिए भूमि के ऊपर/ नीचे वर्ना के जल का संरक्षण किए जाने की जरूरत है। बहुत से राज्यों ने शहरी वर्ना जल को एकत्र करना अनिवार्य बना दिया है।

शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता

9. त्वरित शहरीकरण तथा शहरों और कस्बों की सतत रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उपयुक्त पेयजल आपूर्ति तथा तरल और ठोस अपशिष्टों के स्वच्छतापूर्वक निपटान की उनकी मांग वर्न-दर-वर्न महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिकांश शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति के सेवास्तर वांछित मानदंडों से अत्यंत न्यून हैं, कुछ मामलों में, विशेष रूप से छोटे कस्बों में इस आशय के स्तर, यहां तक की ग्रामीण मानदंडों की तुलना में भी न्यून हैं और इस कारण जल आपूर्ति प्रणालियों का संवर्धन आवश्यक है। जबकि सुरक्षित जल आपूर्ति शहरी जनसंख्या में से लगभग 89 प्रतिशत को 1.4.2000 तक सुलभ होने का अनुमान है किन्तु फिर भी इससे सेवा के घटिया स्तरों तथा निर्धनों, विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वालों को पानी के जिस अभाव को भोगना पड़ता है, उसका सही परिचय नहीं मिलता है। इसी प्रकार शहरी सफाई के संदर्भ में जहां ऐसा बताया जाता है कि लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ मलव्ययन सुविधाएं सुलभ हैं, केवल 30 प्रतिशत को ही अधिकांशतः बड़े नगरों में मल व्यवस्था प्रणाली सुलभ है और शेष 30 प्रतिशत जनसंख्या को केवल कम लागत वाले स्वच्छ शौचालय ही सुलभ हो पाते हैं। जहां कहीं मल व्यवस्था मौजूद है, वहां भी वह आंशिक है तथा अधिकांश मामलों में उपयुक्त अभिक्रिया सुविधाओं से विहीन है। मलिन बस्तियां सर्वाधिक प्रभावित हैं और अधिकांशतः बुनियादी पर्यावरणात्मक सुविधाओं से वंचित हैं।

10. बजटीय संसाधनों पर दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दसवीं योजना में की गई परिकल्पना के अनुरूप यह जरूरी होगा कि शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजनाएं अधिकाधिक रूप से संस्थागत वित्त पर निर्भर होनी चाहिए और राज्य बजट सहायता संस्थागत वित्त के बराबरी के अंश की पूर्ति करने के निमित्त प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक बजटीय प्रावधानों का संबंध है, केन्द्रीय योजना में राज्य परिव्ययों के अलावा 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए केन्द्र-प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन 140 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन तथा अनुरक्षण और प्रबंध की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है और अधिकांश मामलों में राजस्व सृजन, संचालन और अनुरक्षण की वास्तविक लागत की तुलना में कहीं कम है। इस दृष्टि से जल शुल्क दर और बिल पद्धति तथा संग्रह तंत्र में तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है। विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के संबंध में दाता अनिवार्य रूप से टैरिफ और परियोजना पश्चात अनुरक्षण के संबंध में शर्तें आरोपित करते हैं। दुर्भाग्यवश, ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. परियोजना के परिव्यय ऐसे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत कम हैं।

11. शहरी आबादी के लिए सफाई सुविधाओं की सुलभता धीमी रही है। जबकि महानगरों और कुछेक महत्वपूर्ण पर्यटक/ तीर्थस्थलों तथा औद्योगिक शहरों/ कस्बों में उन्नत मल व्यवस्था और मल जल उपचार सुविधाएं जरूरी हो सकती हैं, अन्य सभी मामलों में वित्तीय संसाधनों पर दबाव तथा अन्य प्रतियोगी मांगों के कारण कम लागत की सफाई प्रणाली अपनायी होगी। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, उनमें गैर-घरेलू उपयोग के लिए अपशिष्ट जल पुनःचालन को, यदि वह तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ताजा पानी की बहुत बड़ी मात्रा में बचत हो सकेगी। शहरी विकास मंत्रालय ने दस चुनिन्दा भारतीय वायु सेना हवाई अड्डों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नाली व्यवस्था हेतु 99.35 करोड़ रुपए की एक स्कीम तैयार की है।

12. देश में मल को हाथ से ढोने की सर्वाधिक घृणित परिपाटी का सीमित समय-सीमा में सर्वथा उन्मूलन करने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए शहरी कम लागत की सफाई की केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को दसवीं योजना में प्राथमिकता दी गई है। वार्षिक योजना 2003-2004 में केन्द्रीय योजना के अधीन इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपए शामिल हैं। 'हस्तचालित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और शु-क शौचालयों के निर्माण (निधे) अधिनियम 1993' नामक केन्द्रीय विधान संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और इसके संबंध में रा-ट्रपति ने जून 1993 में अपनी सहमति दे दी थी। सभी राज्य सरकारों से केन्द्रीय कानून को अपनाने अथवा केन्द्रीय कानून के अनुरूप राज्य विधान अधिनियमित करने का अनुरोध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा, 17 राज्यों ने, नामतः आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महारा-ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने इस विधान को अपना लिया है। तथापि, इन राज्यों में अधिनियम का कठोरतः अनुपालन किया जाना शेष है।

विदेशी सहायताप्राप्त जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाएं

13. विश्व बैंक, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की मदद कर रहा है। इस समय 3 परियोजनाएं चल रही हैं। वर्ष 2003-04 के लिए संवितरण बजट अनुमान लगभग 143.41 करोड़ रुपए है, जैसाकि संलग्नक 9.2.2 में देखा जा सकता है। इन परियोजनाओं के अलावा, अनेक परियोजनाएं अन्य विदेशी सहायता एजेंसियों द्वारा, जैसे कि ए.डी.बी., जे.बी.आई.सी., के.एफ.डब्ल्यू., ई.ई.सी., डी.एफ.आई.डी., डी.ए.एन.आई.डी.ए., नीदरलेण्ड्स आदि द्वारा भी वित्तपोषित की जा रही हैं।

9.2.2 शहरी परिवहन

14. सुचारू सामूहिक शहरी परिवहन पद्धति के साथ-साथ सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क शहरी, आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, जिसका शहरी निर्धनों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। परिवहन नेटवर्क की पर्याप्तता से आर्थिक कार्यकलापों के विविधिकरण, उत्पादन में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य आदि के विस्तार में मदद मिलती है, इस प्रकार समग्र प्रति व्यक्ति जीडीपी आवागमन पद्धति (एमआरटीएस) है जो जेबीआईसी से उदार ऋण सहायता के साथ चलाया जा रहा है। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल निगम) को निधियां पास थ्रू सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं, जो शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय के बजटीय संसाधनों में सम्मिलित है। परियोजना मार्च, 2005 में पूरी होनी है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान एक करोड़ रुपए की राशि पास-थ्रू सहायता के रूप में रखी गई है जिसके बदले 1347 करोड़ रुपए के अनंतिम व्यय की मंत्रालय द्वारा पूरक प्रावधानों के आधार पर रिपोर्ट की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान डीएमआरसी को इक्विटी समर्थन के रूप में 172 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। वार्षिक योजना (2003-04) के लिए जेबीआईसी से पास-थ्रू सहायता की राशि 680 करोड़ रुपए है तथा 190 करोड़ रुपए व 10 करोड़ रुपए का प्रावधान क्रमशः डीएमआरसी के लिए इक्विटी और अधीनस्थ ऋण के लिए किया गया है।

शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता - केन्द्रीय योजना स्कीम-वार परिव्यय/ व्यय

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम	2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	130	130	125
2.	मानीटरन तथा प्रबंध सूचना पद्धति*	0	-	-	-
3.	अनुसंधान और विकास*	0	-	-	-
4.	हुडको के लिए इक्विटी (डब्ल्यूएस शेयर)	2000	2000	2000	500
5.	झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए केन्द्र-प्रायोजित शहरी न्यून लागत वाली स्वच्छता स्कीम	1000	3000	500	500
6.	देश में कुछ चुनिन्दा आईएएफ हवाई अड्डे कस्बों में ठोस अपशि-ट प्रबंधन और नाली व्यवस्था के संबंध में प्रायोगिक परियोजना	0	500	50	500
7.	20,000 से कम आबादी वाले (1991 जनगणना के अनुसार) छोटे कस्बों के लिए केन्द्र-प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	2105	14300	12195	14000
8.	ओईसीएफ (जापान) से हुडको को विदेशी सहायता हेतु प्रतिपक्ष निधि*	0	-	-	-
9.	गम्भीर जल संकट का सामना कर रहे बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति स्कीम के लिए सहायता (कानपुर में गंगा बराज)*	3000	-	-	-
10.	जल आपूर्ति के लिए विशेष-नई स्कीम*	0	-	-	-
11.	ठोस अपशि-ट प्रबंधन और स्वच्छता हेतु विशेष-नई स्कीम*	0	-	-	-
	योग	8105	19930	14875	15625

- इस स्कीम को दसवीं योजना में छोड़ दिया गया है।

टिप्पणी: (i) उपरोक्त आंकड़ों में पूर्वोक्त क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के अ-व्यपगत पूल के तहत जारी निधियां सम्मिलित नहीं हैं।

संलग्नक 9.2.2

चल रहीं जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की कुल लागत	संवितरण की अन्तिम तारीख	विदेशी सहायता (ऋण)	
					संचयी निकासी 31.3.03 तक	2003-04 बजट अनुमान
1.	द्वितीय चेन्नई जल आपूर्ति परियोजना	तमिलनाडु	778.00	मार्च-04	538.260	35.310
2.	मुम्बई मल निपटान परियोजना	महाराष्ट्र	1131.20	31-12-2003	678.560 संचयी व्यय	108.00
3.	विश्व बैंक सहायताप्राप्त जल आपूर्ति और मल व्ययन परियोजना	पंजाब	1348.00	उपलब्ध नहीं	-	0.100 (सांकेतिक प्रावधान)

अध्याय 10

उद्योग और सेवाएं

10.1 उद्योग

औद्योगिक उत्पादन की गति और पद्धति (2002-03)

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आई आई पी) में विनिर्माण क्षेत्रक का हिस्सा 79.36% है। वर्ष 2002-03 के दौरान, आई आई पी में 5.8% की दर से वृद्धि हुई जबकि 2001-02 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्रक ने 6% की वृद्धि दर्ज की जबकि 2001-02 के दौरान 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, बुनियादी वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में अप्रैल-नवम्बर 2002-03 अवधि के दौरान, 2001-02 की तुलना में ऊंची वृद्धि दर्ज की गई।

औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्रक-वार सूचकांक (प्रतिशत परिवर्तन)

	भारिता	2000-01/ 1999-00	2001-02/ 2000-01	2002-03 (अप्रैल- मार्च)
सामान्य				
खनन और उत्खनन	10.47	3.7	1.8	5.8
विनिर्माण	79.36	5.3	2.8	6.0
बिजली	10.17	4.0	3.1	3.2
आई आई पी (सामान्य)	100.00	5.0	2.8	5.8
उपयोग आधारित वस्तुएं				
बुनियादी वस्तुएं	35.5	3.9	2.8	4.8
पूंजीगत वस्तुएं	9.3	1.8	-3.9	10.4
मध्यवर्ती वस्तुएं	26.5	4.7	1.6	3.8
उपभोक्ता वस्तुएं, जिनमें				
i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.4	14.5	11.5	-6.4
ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं सम्मिलित हैं	23.3	5.8	4.0	12.3
	100.0			

2. उपरोक्त डाटा से, आई आई पी और साथ ही विनिर्माण क्षेत्रक के विकास की प्रवृत्ति में वृद्धि की संभावना का पता चलता है। वर्ष 2003-04 के दौरान विकास की इस पद्धति को बनाए रखने के उद्देश्य से, विभिन्न औद्योगिक घटकों के संबंध में तेज समर्थनकारी उपायों की जरूरत है।

3. विनिर्माण क्षेत्रक के अंतर्गत संघटक उत्पाद समूहों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि यद्यपि कतिपय उद्योग घटकों ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 (पहले दो मास) में बेहतर प्रदर्शन किया है, तथापि कतिपय अन्य घटक पिछले वर्ष के नि-पादन की तुलना में पिछड़ गए हैं ।

4. सीमेंट, इस्पात, गेहूं आटा/मैदा, दुग्ध पाउडर, डीजल इंजिनों, आटो कल-पुर्जों व अन्य हिस्सों ने बेहतर प्रदर्शन किया है । दूसरी ओर, पी वी सी पाइपों और ट्यूबों, शू-अपर्स, सिगरेट, कास्टिक सोडा, स्कूटर और मोपेड का नि-पादन संतो-जनक नहीं रहा ।

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

विकास केन्द्र स्कीम

5. विकास केन्द्र स्कीम वर्ष 1991 में प्रारंभ हुई । विकास केन्द्र स्कीम का उद्देश्य, चुनिंदा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना का निर्माण करना था ताकि राज्य और उसकी एजेंसियां विकास केन्द्र में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित कर सकें । देशभर में विकास के लिए विनिर्धारित 71 विकास केन्द्रों में से अभी तक स्कीम की शुरुआत से 68 विकास केन्द्र मंजूर किए गए हैं । शे-1 तीन केन्द्रों की मंजूरी, असम, उत्तरांचल और सिक्किम में दी जानी है । इन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं । अभी तक मंजूर 68 विकास केन्द्रों में से 44 विकास केन्द्रों को कार्यात्मक समझा जा सकता है जहां औद्योगिक भू-खंडों का आबंटन कार्य शुरू हो गया है । शे-1 विकास केन्द्र कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं । दसवीं योजना में कोई नया विकास केन्द्र मंजूर नहीं किया गया है ।

6. केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में की गई वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर प्रदान की जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा 31.3.2003 तक प्रदत्त की कुल राशि 427.49 करोड़ रुपए है तथा राज्य सरकारों व उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदत्त राशि 755.24 करोड़ रुपए है । 9386.76 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित किया गया है जिसके फलस्वरूप 31,400 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है । राज्य सरकारों से स्कीम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उनके अपने-अपने राज्य में पिछड़े जिलों में औद्योगिकीकरण पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए कहा गया है ।

7. स्कीम की, वर्ष 2003-04 के संबंध में योजना आयोग द्वारा अपनी जेड बी बी प्रक्रिया के तहत समीक्षा की जा रही है । पीईओ द्वारा आयोजित किए जा रहे मूल्यांकन के आधार पर, स्कीम को संशोधन के साथ अथवा बगैर संशोधन के चालू रखने पर विचार किया जाएगा ।

परिवहन सब्सिडी स्कीम

8. परिवहन सब्सिडी स्कीम, पर्वतीय, दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी, यह स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में स्थित प्राइवेट व सरकारी दोनों क्षेत्रक में सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए (बागान, रिफाइनरियों और बिजली उत्पादन इकाइयों को छोड़कर) लागू है,

चाहे उनका आकार कितना ही हो । स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक बढ़ा दिया गया है तथा 31.12.2002 तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 721.17 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है ।

9. स्कीम के संबंध में किए गए एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास का मिला-जुला परिदृश्य प्रस्तुत हुआ है । चुने गए प्राचलों की दृष्टि से असम राज्य का नि-पादन अच्छा नहीं रहा, हिमाचल प्रदेश ने, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अच्छा नि-पादन किया है क्योंकि फैक्टरियों की संख्या में 10.5% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है । मेघालय और उत्तरांचल राज्यों ने औद्योगिकीकरण में उत्साहवर्धक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है । इन राज्यों में प्रमुख औद्योगिक समूहों में सम्मिलित हैं: खाद्य और खाद्य उत्पाद, बुनियादी धातुएं और मिश्र धातु, मशीनरी और उपकरण, विद्युत उत्पादन । परिवहन सब्सिडी के लाभार्थियों में लघु उद्योगों की विद्यमानता पर्याप्त है ।

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री की पहलों के बाद, सरकार ने 24 दिसम्बर, 1997 को एक नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एन ई आई पी) की घो-ना की । इस नीति के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के लिए अनेक रियायतों की अनुमति दी गई है, उदाहरणार्थ औद्योगिक अवस्थापना का विकास, विभिन्न स्कीमों के तहत सब्सिडियाँ, दस वर्ग की अवधि के लिए उत्पाद और आय-कर छूट आदि । पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफसी) की स्थापना भी स्कीम के अंतर्गत नोडल संवितरण एजेंसी के रूप में की गई थी ।

11. एनईडीएफआई द्वारा 2002 में किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि अगस्त, 1991 से जुलाई, 1999 तक फाइल किए गए 106 आईईएम के बदले अगस्त, 1999 से मई, 2002 तक की अवधि के दौरान, नीति के कार्यान्वयन के पश्चात, फाइल किए गए आईईएम की संख्या 226 थी, अर्थात् उनमें 113% की वृद्धि हुई है । इसी तरह, अगस्त, 1991 से जुलाई, 1999 तक की अवधि के दौरान 4403 करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में, अगस्त, 1999 से मई, 2002 तक की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध अतिरिक्त निवेश की राशि 4257 करोड़ रुपए थी । इसके अलावा, उपरोक्त निवेश के फलस्वरूप 33,763 व्यक्तियों तक को रोजगार प्राप्त हुआ । तथापि, इन निवेशों का लाभ व सृजित रोजगार मुख्यतः गुवाहटी तक और उसके आसपास के क्षेत्र और मेघालय के चाय और प्लाईवुड उद्योगों को छोड़कर कुछ भाग तक सीमित था ।

विशेष श्रेणी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति व अन्य रियायतें

12. विशेष श्रेणी राज्यों में औद्योगिकीकरण के लिए, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग में एक विशेष पैकेज अनुभाग की स्थापना की गई थी । 2002-03 में सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति की तरह ही औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित राज्यों के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के तीन पैकेजों की घो-ना की : (i) जम्मू व कश्मीर; (ii) सिक्किम; (iii) उत्तरांचल; और (iv) हिमाचल प्रदेश ।

परियोजना निर्माण सुविधा

13. पिछले अनुभव से पता चलता है कि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों को पेश आने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा, वित्तपो-ण एजेंसियों के लिए अच्छी कोटि के परियोजना प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत करने में उनकी अक्षमता है। इन मुद्दों की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से, योजना आयोग ने एक "परियोजना निर्माण सुविधा" कायम की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा परियोजना के पेशेगत निर्माण के वित्तपो-ण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिससे कि राज्य के विकास के लिए विदेशी और संस्थात्मक वित्तपो-ण आकर्षित किया जा सके। ये सुविधाएं केवल उन राज्यों को उपलब्ध हैं जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 500 करोड़ रुपए से कम की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। 25 लाख रुपए तक का पूर्ण (100%) वित्तपो-ण प्रदान किया जाता है ताकि राज्य ऐसी परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाता नियुक्त कर सकें, जो उधारदाताओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। पिछड़े राज्यों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए तथा उन्हें अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के वास्ते सीएसएस/सीएस स्कीमों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

औद्योगिक अवस्थापना स्तरोन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)

14. इस शीर्षक से एक नई स्कीम विचारार्थ अग्रिम अवस्था में है। 625 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, एक प्रमुख पहल के रूप में समझी जाने वाली आईआईयूएस स्कीम का मुख्य उद्देश्य, उन चुनिंदा कार्यात्मक संकुलों/संस्थानों में, जहां वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनने की अधिक क्षमता है सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से अच्छी कोटि की अवस्थापना की व्यवस्था करके स्वदेशी उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करना है। चुनिंदा प्रतिस्पर्द्धात्मक संकेतकों में नि-पादन में सुधार प्रत्येक औद्योगिक समूह के साथ परामर्श करके सुनिश्चित किया जाएगा।

15. प्रति संकुल/स्थान केन्द्रीय सहायता, परियोजना के लागत 75% तक, 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन, सीमित होगी। शेन 25% का वित्तपो-ण, कुल परियोजना लागत के कम से कम 15% उद्योग अंशदान के साथ, संबंधित संकुल/स्थान के अन्य पणधारियों द्वारा किया जाएगा, सरकार की वित्तपो-ण व्यवस्था केवल टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन और उत्पादकता संवर्धन से संबंधित कार्यकलापों तक सीमित होगी तथा सरकारी अंशदान से किसी आवर्ती खर्च का वित्तपो-ण नहीं किया जाएगा।

चर्म क्षेत्रक का एकीकृत विकास

16. चर्म क्षेत्रक की निर्यात क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यूएनडीपी सहायित रा-ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम, 1992 से 1998 और 1998 से 2002 तक के दौरान दो चरणों में कार्यान्वित किया गया था। कार्यक्रम के फलस्वरूप, चर्म क्षेत्र में प्रशिक्षण पद्धतियों का उन्नयन, आर एंड डी प्रयासों का दृढीकरण और लघु उद्यमकर्ताओं का विकास हुआ है। उपरोक्त कार्यक्रमों को पूरक बनाने के प्रयासस्वरूप "भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)" नामक एक पृथक कार्यक्रम 17.80 करोड़ रुपए की कुल लागत से, नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, देश में विभिन्न स्थानों पर विकेन्द्रीकृत आम सुविधा केन्द्र, डिजाइन स्टूडियो आदि स्थापित किए गए। इसके

अलावा, आईएलडीपी के अंतर्गत "चर्मशाला आधुनिकीकरण स्कीम" नामक एक नई स्कीम भी शुरू की गई ।

17. दसवीं योजना में चर्म क्षेत्रक में "चर्म क्षेत्रक के एकीकृत विकास" के अंतर्गत, फुटवियर - भिन्न क्षेत्रक का सुदृढीकरण, ग्राम और लघु चर्म उद्यम, प्रौद्योगिकी/कौशल उन्नयन, विपणन सहायता आदि जैसी चालू स्कीमों/कार्यकलापों को जारी रखने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीमों, यथा चर्मशाला उद्योग के आधुनिकीकरण, फुटवियर उद्योग के विस्तार, फुटवियर घटकों के आधुनिकीकरण और चर्म वस्तुओं व वस्त्रों के समेकन की पुनर्रचना की गई है और क्षेत्रक के विकास के लिए विनिर्दिष्ट जरूरतों के अनुरूप विस्तार किया गया है । चर्म क्षेत्रक के लिए विनिश्चित 400 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के अंदर 290 करोड़ रुपए का परिव्यय दसवीं योजना के दौरान इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किए जाने की प्रक्रिया में है । इसके पश्चात्, पृ-ठ और अग्रगामी क्षेत्रकीय संयोजनों के साथ 110 करोड़ रुपए के शे-न निवेश पर विचार किया जाएगा ।

बौद्धिक संपदा अधिकार

18. यह अनुभव किया गया है कि आगामी चक्रों के दौरान डब्ल्यू टी ओ बातचीत और आईपीआर मुद्दों से निपटने के लिए एक समेकित दृ-टिकोण की जरूरत है । तदनुसार, सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और एजेंसियों के विचारों के विवेचन के आधार पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करने के वास्ते, मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है जिससे कि इस संबंध में एक स्थायी रुख अपनाया जा सके । मंत्रियों के समूह के कार्यक्षेत्र के तहत, आईपीआर मुद्दों, जैसेकि पेटेंटों, डिजाइनों, परंपरागत ज्ञान आदि के सभी पहलुओं को कवर किया गया है ।

19. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम): 1991 में नई उद्योग नीति की घो-णा के बाद से दिसम्बर, 2002 तक से सरकार के पास नई वस्तुओं के विनिर्माण और विद्यमान इकाइयों के विस्तार आदि के लिए, 2002 नई इकाइयां स्थापित करने के साथ-साथ 45312 आईईएम फाइल किए गए हैं । इन आईईएम में लगभग 10,37,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश और 82 लाख से अधिक व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित था । आईईएम स्कीम की शुरूआत से, दिसम्बर, 2002 तक 5201 इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत औपचारिक रूप से सूचित की है । इन आईईएम के संबंध में लगभग 1,89,210 करोड़ रुपए के निवेश की रिपोर्ट की गई है ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

20. क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर, भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में पांचवा स्थान है (फ्रांस, इटली, यू.के. और रूस से ऊपर रैंक) तथा पूरे एशिया महाद्वीप में जीडीपी की दृ-टि से यह तीसरा बड़ा देश है । भारत विश्व के उन कुछ बाजारों में से एक है जहां संवृद्धि और अर्जक क्षमता की दृ-टि से, विशेष रूप से व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में, ऊंची संभावनाएं हैं । फिर भी, व्यवहार्यतः समुद्रपारीय व्यवसायों के लिए भारत में असीमित संभावनाओं के बावजूद, विश्व का सर्वाधिक आबाद प्रजातंत्र अभी हाल ही तक, उस तरह का उत्साह पैदा करने में असमर्थ रहा जैसाकि चीन जैसी उभरती अन्य व्यवस्थाएं पैदा कर सकी हैं ।

21. निवेशों के निम्नलिखित रूप के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है :

- वित्तीय सहयोगों के माध्यम से ।
- संयुक्त उद्यमों और तकनीकी सहयोगों के माध्यम से ।
- इयूरो निर्गमों के जरिए पूंजी बाजारों के माध्यम से ।
- निजी सुपुर्दगियों अथवा अधिमानतः आबंटनों के माध्यम से ।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निम्नलिखित दो तरीकों से अनुमोदन किए जाते हैं :

(क) भा.रि. बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन

22. भारतीय रिजर्व बैंक उन सभी प्रस्तावों के संबंध में दो सप्ताह की अवधि के अंदर (बशर्ते कि कुछ प्रतिमान पूरे किए जाएं) स्वतः अनुमोदन प्रदान करता है जो निम्नलिखित से संबंधित हों :

- खनन कार्यकलापों से संबंधित 3 श्रेणियों में 50% तक की विदेशी इक्विटी (सूची 2) ।
- 48 विनिर्दिष्ट उद्योगों में 51% तक की विदेशी इक्विटी ।
- 9 श्रेणियों में 74% तक की विदेशी इक्विटी ।
- 74% श्रेणी की मदों में 51% श्रेणी की मदें सम्मिलित हैं, 74% भागीदारी लागू होगी ।

23. सूचियां विस्तृत हैं और विदेशी कंपनियों के हित वाले अधिकांश उद्योग इसमें शामिल हैं । उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों अथवा प्रमुख रूप से निर्यात के क्षेत्र में व्यापार करने वाली कंपनियों में निवेश, भा.रि. बैंक द्वारा लगभग स्वतः अनुमोदित किया जाता है ।

24. (ख) एफआईपीबी माध्यमः स्वतः-भिन्न अनुमोदन मामलों पर कार्रवाई : विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड उन सभी अन्य मामलों को अनुमोदित करता है जिनमें स्वतः-मार्ग लागू नहीं है । सामान्य कार्रवाई समय 4 से 6 सप्ताह है । निःसंदेह यद्यपि और अधिक उदारीकरण हेतु कुछ गुंजाइश है, तथापि एफडीआई अप्रवाह की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी खुलापन आया है जैसाकि संलग्नक 10.1.1 में सम्बद्ध डाटा/सूचना से पता चलता है ।

निर्यात प्रोत्साहन प्रयास

25. देश ने निर्यात में 23.38 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है । अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान 15011 करोड़ रुपए की निर्यात मात्रा के बदले इसी अवधि में 2002 में यह मात्रा 18521 करोड़ रुपए थी । मार्च, 2002 में जारी की गई नई निर्यात-आयात (एग्जिम) नीति में निर्यात बाजार विविधीकरण पर विशि-ट बल दिया गया है जिससे कि अब तक अदोहित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सके । तदनुसार, अधिक निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता उपलब्धि और विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में बढ़ोत्तरी के विशेष उद्देश्य के साथ एक मध्यावधि निर्यात नीति तैयार की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के

उद्देश्य से वर्न 2002-03 के दौरान अनेक नीतिगत पहलें/उपाय किए गए हैं । कुछेक महत्वपूर्ण पहलों पर नीचे चर्चा की गई है :

26. निर्यात अवस्थापना का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) :राज्य सरकारों के लिए प्रोत्साहन जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम, यथा एएसआईडीई तैयार की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहित करने के वास्ते आवश्यक आधारभूत ढांचे का सहवर्ती विकास हो सकेगा । जिन स्कीमों के लिए अनुमोदित कायकलापों हेतु धन प्रदान किया जाएगा उनमें शामिल हैं : नए ईपीआईपी/ईपीजेड, निर्यात कालोनियां (एन्कलेव), पूरक ढांचा जैसेकि उत्पादन केन्द्रों को बंदरगाहों से जोड़ने वाली सड़कें, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर भाड़ा स्टेशन, लघु पत्तन जेट्टी, समान बहिस्त्राव उपचार संयंत्र आदि । विद्यमान स्कीमों, नामतः क्रांतिक अवस्थापना संतुलन (सीआईबी) निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र (ईपीजेड), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए, निर्यात विकास निधि (ईडीएफ), तथा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) को नई एएसआईडीई स्कीम में खपा लिया गया है । स्कीम की 80 प्रतिशत निधियों का आबंटन राज्यों को निर्यात नि-पादन मानदंड के अनुसार किया जाएगा तथा शेन 20% को और साथ विगत आबंटनों के अप्रयुक्त अंश को केन्द्रीय स्तर पर अंतर-राज्य परियोजना शुरू करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के वास्ते कार्यकलाप आयोजित करने के लिए रखा जाएगा । वर्न 2001-02 में 49.52 करोड़ रुपए प्रदान की गई राशि के बदले, 139 परियोजनाएं शुरू करने के वास्ते, जिनकी कुल निवेश आवश्यकता की राशि 844 करोड़ रुपए होगी, एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत दिसम्बर, 2002 (2002-03) तक, 173 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई ।

27. बाजार सुलभता पहल स्कीम (एमएआई) : इसे एक ऐसे उपाय के रूप में तैयार किया गया है जो न केवल डब्ल्यूटीओ अनुरूप है बल्कि इससे निर्यातकों को, हमारे निर्यात में स्थित आधार पर दो अंकीय वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धाकारी देशों में अपने प्रतिपक्षियों के मुकाबले पेश आने वाली विभिन्न बाधाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी । स्कीम के अंतर्गत उत्पाद विशि-ट दृ-टिकोण अपनाने के वास्ते एक अस्प-ट तंत्र की व्यवस्था है जिससे कि अदोहित क्षेत्रों में संभाव्य बाजारों का पता लगाया जा सके ।

28. एमएआई को, 14.50 करोड़ रुपए की लागत पर नौवीं पंचवर्नीय योजना के अंतिम वर्न में शुरू किया गया था जिससे कि बाजार अध्ययन आयोजित करने में, निर्यातकों को शोरूम/भंडारागार सुविधाएं स्थापित करने, प्रचार अभियान और ब्रांड प्रोत्साहन आदि में मदद देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन परि-दों की मदद की जा सके । वर्न 2001-02 और 2002-03 के दौरान विनिश्चित क्रमशः 42 और 16 बाजार अध्ययन पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं । इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत सहायता के रूप में एपीईडीए द्वारा नीदरलैंड्स में कटे फूलों के निर्यात के लिए एक विपणन केन्द्र स्थापित किया गया है । फार्मास्यूटिकलों, जैव-प्रौद्योगिकी तथा कृनि-रसायनों, इंजीनियरी उत्पादों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रभारों के लिए सहायता प्रदान करने, कुटीर तथा हस्तशिल्प यूनिटों के लिए सहायता और विशि-ट अवधियों के दौरान चुनिंदा बाजारों के लिए निर्यात के वास्ते एग्जिम बैंक को निर्यात सुकर सहायता और वास्तविक प्रदर्शनियों हेतु वेबसाइट विकसित करने आदि के लिए निधियां विनिश्चित करने जैसे

कार्यकलापों/अतिरिक्त घटकों को शामिल करते हुए स्कीम का व्यापक रूप पहले ही दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 552 करोड़ रुपए की लागत से ईएफसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

29. विशेष-आर्थिक क्षेत्र: विनिर्माण, व्यापार, पुनर्नुकूलन तथा मरम्मत अथवा सेवा जैसे कार्यकलापों में लगे यूनितों के मामले में निर्यात हेतु एक अंतर्रा-द्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धात्मक परिवेश कायम करने के उद्देश्य से विश्व स्तर की अवस्थापना को मिलाकर देश में विशेष-आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 1.4.2002 से एग्जिम नीति में एक नई नीति प्रारंभ की गई थी । क्षेत्र में स्थापित यूनित निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होना चाहिए किन्तु उन पर कोई पूर्व-निर्धारित मूल्य अभिवृद्धि अथवा न्यूनतम निर्यात नि-पादन शर्त लागू नहीं होगी । एसईजेड यूनितों द्वारा देशज टैरिफ क्षेत्र में बिक्री, सकारात्मक विदेशी मुद्रा आय और लागू सीमा शुल्क की अदायगी व आयात नीति के अध्यक्षीन होगी । एसईजेड में श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा । अन्य बातों के साथ-साथ एसईजेड यूनितों में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी :

- आयात के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं ।
- पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, उपभोज्यों, फालतू कल-पुर्जों आदि के आयात और देशज बाजार से क्रय पर कोई शुल्क नहीं ।
- 5 वर्न तक 100 प्रतिशत आय-कर छूट तथा उसके बाद 2 वर्न तक 50% छूट ।
- लागू सीमा शुल्क नीति के अध्यक्षीन देशज बिक्री पूर्ण सीमा-शुल्क के आधार पर ।
- स्वतः (आटोमेटिक) माध्यम के जरिए विनिर्माण क्षेत्रक में 100% एफडीआई की छूट ।

30. सरकार ने, कांडला और सूरत (गुजरात), सांता क्रूज (महारा-ट्र) और कोचीन (केरल) में विद्यमान निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष-आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है । निजी क्षेत्रक/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देश में 17 विशेष-आर्थिक क्षेत्र कायम करने के संबंध में भी अनुमोदन जारी कर दिए गए हैं । केन्द्रीय सरकार देश में कोई नया एसईजेड स्थापित करने में अपने आपको शामिल नहीं करना चाहेगी बल्कि पहल करने के लिए निजी और संयुक्त क्षेत्रक को पसंद करेगी ।

31. अभी तक 370 यूनितों वाले चार एसईजेड कार्य करने लगे हैं तथा इन यूनितों से निर्यात में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । इन क्षेत्रों से निर्यात जो 2000-01 में 6088.21 करोड़ रुपए का था, 2001-02 में बढ़कर 6271.94 करोड़ रुपए का हो गया । दिसम्बर, 2002 तक निर्यात का स्तर पहले ही 3428.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है ।

32. कृनि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) : का प्रस्ताव, जिसे फूलों, ताजे फलों और सब्जियों, संसाधित खाद्य और पशुधन उत्पादों सहित कृनि उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अवस्थापना विकास, डाटाबेस और सर्वेक्षण/अध्ययन, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार विकास तथा पैकेजिंग स्तरोन्नयन के संबंध में स्कीमें कार्यान्वित करने का है । इसी प्रकार, समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) का प्रस्ताव, जो निर्यात के विशेष-संदर्भ में समुद्रीय उत्पाद उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार एक सांविधिक निकाय है, निर्यात उत्पादन-मछली पकड़ने, निर्यात उत्पादन-मछलियां पालने, नई प्रौद्योगिकी लागू करने, प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और बाजार प्रोत्साहन आदि के संबंध में स्कीमें कार्यान्वित करने का है । एमपीईडीए की दसवीं योजना स्कीमों के प्रमुख कार्यकलापों में सम्मिलित है : यूरोपीय यूनियन द्वारा निर्धारित कोटि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सात विद्यमान प्रयोगशालाओं और नेल्लोर व भीमावरम, आंध्र प्रदेश

में दो नई प्रयोगशालाओं में तरल क्रोमाटोग्राफ तथा मास स्पेक्ट्रा फोटोमीटर सुविधाओं की स्थापना । इसका अलावा, समुद्रीय उत्पाद के निर्यात में गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए, सज्जात्मक मत्स्य यूनिट/पार्क स्थापित करने और बाजार विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है ।

33. डंपिंग-रोधी और सम्बद्ध शुल्क तथा संवेदनशील मर्चों का आयात : वाणिज्य विभाग में पदनामित प्राधिकरण, 1992 से डंपिंग-रोधी मामलों को संभाल रहा है । तथापि, अप्रैल, 1988 में डंपिंग तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) की स्थापना की गई थी । वर्ष 2002-03 के दौरान भारत ने 30 मामलों की शुरुआत की । इन नए मामलों के अलावा, वर्ष के दौरान चार मामलों में मध्यावधि समीक्षा, छः मामलों में सनसेट समीक्षा, और चार मामलों में नई शिपर्स समीक्षा भी की गई । वर्ष के दौरान, कुल 29 अंतिम नि-कर्म जारी किए गए, जिनमें से 28 पिछले वर्ष शुरु की गई जांच के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे । वर्ष के दौरान जारी 27 प्रारंभिक नि-कर्मों में से 18 वर्तमान वर्ष अर्थात् 2002-03 से संबंधित थे तथा शेष मामले वर्ष 2001-02 के अंत में शुरु किए गए थे । 2002-03 के अंत में शुरु किए गए बारह मामले अब भी प्रारंभिक नि-कर्म जारी करने के वास्ते जांच-पड़ताल के अधीन हैं । जनवरी से जून, 2002 तक के संबंध में डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अधिकतम 25 डंपिंग-रोधी जांच-पड़ताल आरंभ की, उसके बाद अमरीका (22) और अर्जेंटीना (10) का स्थान है । भारत, इस समय उन डब्ल्यूटीओ सदस्य-देशों में से एक बहुत सक्रिय देश है जो डंपिंग-रोधी उपायों का इस्तेमाल और सामना कर रहे हैं ।

34. निर्यात निरीक्षण परि-द (ईआईसी) : का प्रस्ताव, जो अधिकारिक निरीक्षण और प्रमाणन निकाय है तथा जिसे लदान-पूर्व निरीक्षण और अधिसूचित वस्तुओं के प्रमाणन का दायित्व सौंपा गया है, अपनी पद्धतियों और प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने/स्तरान्तरण तथा आयात नियंत्रण पद्धतियों की विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी के माध्यम से उद्योग को सेवाएं प्रदान करने का है ।

35. निर्यात तथा क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) : क्रेडिट बीमा, निर्यात की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । दसवीं पंचवर्षीय योजना में, ईसीजीसी के इक्विटी आधार को बढ़ाने के वास्ते 400 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । उम्मीद है कि यह 2003-04 के दौरान फलीभूत होगा । परियाजना निर्यात की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

36. पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण : हाल ही में अनुमोदित परियोजना के भाग के रूप में पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रारंभिक स्तरीय कंप्यूटरीकरण के लिए कंप्यूटर उपस्कर का प्रावधान किया गया है तथा पेटेंट कार्यालयों में इंटरनेट संयोजकता कायम की गई है । अबाधित संयोजकता सुनिश्चित करने के वास्ते आईएसडीएन सुविधा के साथ-साथ आन-लाइन खोज सुविधा की व्यवस्था की गई है तथा कोलकाता और दिल्ली कार्यालयों के बीच एक ब्राड-बैंड समर्पित संयोजकता कायम की गई है । पुस्तकालय में पुस्तकों और पत्रिकाओं की पेटेंट अनुप्रयोग सूची की प्राप्ति और स्थिति के बारे में कंप्यूटरीकृत सूचना सृजित करने के वास्ते फ्रंट-ऑफिस साफ्टवेयर स्थापित किया गया है । 90,000 पेटेंट अभिलेखों और 28,000 डिजाइन अभिलेखों का डिजिटलीकरण, स्केनिंग आदि कार्य पूरा हो चुका है ।

37. वर्ष 2001-02 के दौरान पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत कुल 10,592 आवेदन-पत्र, अन्य देशों से 8221 को मिलाकर, फाइल किए गए । अप्रैल-अक्टूबर, 2002 अवधि के दौरान फाइल किए गए

पेटेंटों हेतु आवेदन-पत्रों की संख्या 6526 थी। नवम्बर, 2002 - मार्च, 2003 अवधि के दौरान 5380 की बिक्री की उम्मीद है।

38. महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) : महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन की स्कीम, 14 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2002-03 के दौरान अनुमोदित की गई। डीजीएफटी के कुछ कार्यालयों के कतिपय कार्यों और प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण की 1980 में शुरुआत की गई थी। बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन से कार्यालयों का नेटवर्किंग तथा वीडियो कांफरेसिंग की सुविधा का काम पूरा हो गया जिससे कि आयातक/निर्यातक डीजीएफटी के साथ अन्योन्यक्रिया कर सकें। वर्ष 2002-03 के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव के अंतर्गत आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने तथा आन-लाइन लाइसेंस जारी करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत, सीमा शुल्क, बैंकों, आय-कर, बंदरगाहों आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजनों की भी व्यवस्था होगी। इस परियोजना को दसवीं योजना के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सरकारी क्षेत्रक

39. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, 250 केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यम थे, जिनमें 6 बीमा कंपनियां तथा 2 वित्तीय संस्थान सम्मिलित नहीं हैं। कार्यरत केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) में से 11 नुकसान उठाने वाले थे तथा 66 औद्योगिक सरकारी क्षेत्र उद्यम, जिनका निवल मूल्य नकारात्मक बन गया था, रुग्ण हो गए थे जो बीआईएफआर के पास पंजीकृत थे। इनमें से 324 को सरकार ने, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के वास्ते, निजी क्षेत्रक से ले लिया था।

रुग्ण पीएसयू:

40. बीआईएफआर को भेजे गए रुग्ण पीएसयू के मामले रा-ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। रुग्ण पीएसई के संबंध में निर्णय लेने में लम्बा समय लगता है तथा पुनरुद्धार पैकेज में, संसाधन उपलब्धता की समस्या के अलावा, इसकी व्यवहार्यता के संबंध में भी कतिपय अनिश्चितताएं हैं। ऐसे मामलों पर संबंधित क्षेत्रकीय मुद्दों के साथ-साथ चर्चा की गई है। 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार बीआईएफआर के पास रुग्ण पीएसई की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :

41. निम्नलिखित यूनिटों को बंद करने की सिफारिश की गई है :

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	भारत गोल्ड माइंस लि०	बंद किया जा रहा है
2.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	- तदैव -
3.	मान्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०	- तदैव -
4.	नेशनल बाइसिकल कोरपोरेशन आफ इंडिया लि०	- तदैव -
5.	टेनरी एंड फुटवेयर कोरपोरेशन आफ इंडिया लि०	- तदैव -
6.	वेहबर्ड (इंडिया) लि०	- तदैव -
7.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कोरपोरेशन लि०	बंद करने की अनुमति प्राप्त हो गई
8.	साइकिल कोरपोरेशन आफ इंडिया लि०	सरकार ने बंद करने का अनुमोदन कर

		दिया है
9.	महारा-ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0	- तदैव -

विनिवेश:

42. सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने, वरीयतः किसी स्ट्रेटेजिक भागीदार को करने के लिए एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया है। तथापि, स्ट्रेटेजिक क्षेत्रक में पीएसयू को सामान्यतः उपरोक्त प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। विनिवेश मंत्रालय (एमओडीआई), पहले से विद्यमान सम्बद्ध मार्गनिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पीएसयू में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के चरण-वार विनिवेश के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

43. विनिवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन के दौरान, कुछेक क्षेत्रों में और सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, विनिवेश मंत्रालय ने अब "विनिवेश नीति, प्रक्रियाएं और प्रगति" प्रलेख का द्वितीय संस्करण तैयार किया है, जिसमें बीच की अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित परिवर्तन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, पीएसयू में सरकारी इक्विटी के विनिवेश/बिक्री में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देशों में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, विनिवेश के लिए कार्रवाई करने से पहले, कमजोर वित्तीय स्थिति वाले पीएसयू के वित्तीय पुनर्गठन के विभिन्न विकल्पों को शामिल करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसे पुनर्गठन से विनिवेश प्रक्रिया में और सुविधा प्राप्त होगी।

44. विनिवेश आयोग ने मार्च, 2003 तक 75 पीएसयू के संबंध में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की सिफारिश की थी। इनमें से 36 पीएसयू को पहले ही विनिवेश के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। अप्रैल, 1991 के बाद से, वास्तविक विनिवेश की स्थिति के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 49 कंपनियों में विनिवेश हो गया है तथा इन विनिवेशों से वास्तविक प्राप्ति की राशि 30484 करोड़ रुपए थी जबकि लक्ष्य 91,500 करोड़ रुपए का था। निम्न वसूली का कारण प्रबंधन नियंत्रण को हस्तांतरित किए बगैर विभिन्न पीएसयू में लघु पण्यों (स्टेक्स) की बिक्री की पिछली प्रथा का पालन किया जाना था। बाद में सरकार ने, स्ट्रेटेजिक बिक्री और साथ ही प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण पर जोर देने के वास्ते अपनी नीति संशोधित की। परिणामतः विनिवेश प्रक्रिया ने 2000-01 से गति पकड़ी है। स्ट्रेटेजिक बिक्री की नीति अपनाए जाने के बाद सरकार ने 33 सरकारी कंपनियों में (आईटीडीसी के 18 होटलों की बिक्री और होटल कोरपोरेशन आफ इंडिया के 3 होटल शामिल हैं) अपनी इक्विटी का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप 11,260 करोड़ रुपए की विनिवेश राशि प्राप्त हुई। इन कंपनियों में से, माडर्न फूड्स, एचसीआई के 3 होटलों और आईटीडीसी के 18 होटलों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश हो गया है।

45. मारुति उद्योग लि0 (एमयूएल) के विनिवेश से शेयर बाजार में अंशतः पुनरुत्थान हुआ है। अन्य संभाव्य पीएसयू में सरकारी इक्विटी के शीघ्र निपटान द्वारा स्थिति का लाभ उठाना बुद्धिमानी होगी।

46. उपभोक्ता जागरूकता : इस समय उपभोक्ता जागरूकता का प्रबंधन, 22 भागों को कवर करते हुए सभी प्रमुख और विविध भारतीय केन्द्रों के डीएवीपी के माध्यम से "जागो ग्राहक जागो" नामक अपने 15 मिनट के साप्ताहिक आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ता जागरूकता/समाधान और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) के प्रवर्तन के लिए एक रा-ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी। इस महत्वपूर्ण पहलू के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में पर्याप्त परिव्ययों के वित्तपो-ण के नवीन उपायों को खोजे जाने की जरूरत है। व्यापार और वाणिज्य द्वारा प्रयुक्त तोलन और मापयंत्रों के संबंध में भार और माप मानकों को नियंत्रित और लागू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता कल्याण निधि के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्थित 9 प्रयोगशालाओं के लिए सुविधाओं का उन्नयन किया है। शे-न 93 राज्य मानक प्रयोगशालाओं को शीघ्र सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

क्षेत्रकीय चित्र

इंजीनियरी उद्योग:

47. अपने विविध अग्र और पृ-ठ संयोजनों के साथ इंजीनियरी उद्योग की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियरी क्षेत्रक में अनेक उद्योग सम्मिलित हैं, जैसेकि भारी इंजीनियरी उद्योग/पूंजीगत वस्तु उद्योग, मशीनी औजार उद्योग, भारी विद्युतीय उद्योग, औद्योगिक मशीनरी, परिवहन उपस्कर विनिर्माण और साथ ही आटो उद्योग भी। इंजीनियरी क्षेत्रक ने 2002-03 के पहले 9 महीनों के दौरान 5.3% की समग्र वृद्धि दर दर्ज करके उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है जबकि 2001-02 की तदनुसूची अवधि के दौरान 2.5% की वृद्धि दर्ज की थी।

48. भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के अधीन 49 स.क्षे. उपक्रम हैं जो विनिर्माण, परामर्श और संविदाकारी कार्यकलापों में लगे हैं। इनमें से 10 ने 2002-03 में 825.54 करोड़ रुपए (प्रत्याशित) का लाभ अर्जित किया तथा शे-न 39 ने 1437.86 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। नौ पीएसई को पहले ही बंद कर दिया गया है तथा 3 और का कार्य रोक दिया गया। 2002-03 में कुल उत्पादन बढ़कर 12535 करोड़ रुपए का हो गया जबकि 2001-02 में 11670 करोड़ रुपए उत्पादन दर्ज किया गया था।

49. 49 पीएसयू में से 29 मामले बीआईएफआर को भेज दिए गए थे। इनमें से बीआईएफआर ने 9 मामलों में पुनरुद्धार स्कीमें मंजूर की थी, जिसमें 654 करोड़ रुपए की भारत सरकार की निधि का ताजा निवेश और 2103 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्गठन शामिल है। शे-न रहते 20 मामलों में, 11 मामलों में बंदी की सिफारिश की गई है तथा शे-न 9 मामलों में अभी पक्की राय कायम की जानी है। बीआईएफआर मामलों के अलावा, 7 पीएसई के संबंध में वित्तीय/संगठनात्मक पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया है जिसके लिए 531 करोड़ रुपए के ताजा निवेश की जरूरत होगी।

50. भारी उद्योग विभाग के तहत 49 पीएसयू के संबंध में एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत 16 पीएसयू के मामले विनिवेश मंत्रालय को भेजे गए हैं, 12 यूनिटों के मामले में

संयुक्त उद्यम/विनिवेश के संबंध में विभागीय तौर पर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सीमेंट निगम के मामले में पूरी कंपनी की अथवा अलग-अलग यूनिटों की बिक्री करने की परिकल्पना की गई है। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि०, हैवी इंजीनियरिंग कोरपोरेशन तथा हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स लि० के संबंध में वित्तीय/व्यावसायिक पुनर्गठन कार्य प्रगति पर है। तीन यूनिटों के संबंध में बीआईएफआर/एएआईएफआर की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। नौ यूनिटों को बंद किया जा चुका है। तीन अन्य यूनिटों के संबंध में ऐसी ही प्रक्रिया विचाराधीन है। इस समय, बीएचईएल और एचएमटी होल्डिंग कंपनी को पीएसयू के रूप में रखा जाना है। "संक्रमणाधीन सरकारी क्षेत्रक" की स्थिति को बिगड़ने तथा इसके निवल मूल्य में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, महत्वपूर्ण संतुलनकारी निवेश अनुमोदित किए गए हैं।

51. बकाया सांविधिक देयों, स्वैच्छिक पृथक्करण/सेवानिवृत्ति शर्तों व सरकारी क्षेत्रक कर्मचारियों के हित के अन्य क्षेत्रों जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई। अब कर्मचारियों की सहकारिताएं कुछ प्राथमिकता वाली शर्तों पर विनिवेशकर्ता पीएसयू के लिए बोली लगाने की पात्र हैं।

52. "आटो उद्योग" ने विगत कुछ वर्षों के दौरान काफी सुधार किया है तथा इसने उद्योग क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। इसने वर्ष 2001-02 में लगभग 82,000 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया तथा इसकी लगभग सभी वैश्विक क्षेत्रों में भागीदारी है। 7.9 मिलियन वाहनों (सभी प्रकार के) की कुल स्थापित क्षमता के बदले इसने 2001-02 में 5.37 मिलियन और 2002-03 में लगभग 6 मिलियन वाहनों का निर्माण किया। इस व्यवसाय में कोई केन्द्रीय पीएसयू नहीं है सिवाय एमयूएल के, जहां भारत सरकार की शेयरधारिता 50% है। तथापि, सुजुकी-एसएमएल के साथ एक हाल ही के करार के अनुसार शेयर को बढ़ाकर 54.2% किया जाएगा। सरकार ने गुणवत्ता में सुधार पर विशिष्ट बल देते हुए इस क्षेत्रक के और विकास तथा संवृद्धि हेतु, हाल ही में एक आटो नीति अनुमोदित की है। डीएचआई ने, बढ़ते कठोर पर्यावरण विनियम की पूर्ति हेतु आटो उद्योग के लिए परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधाएं स्थापित और सुदृढ़ करने के वास्ते एक दीर्घावधिक योजना तैयार की है, जिसके लिए आगामी वर्षों के दौरान 1500 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 2003-04 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

53. डीएचआई के अधीन 49 पीएसई में से 21 पीएसई ने 2002-03 के दौरान सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। चल रहे 40 पीएसई की कुल बिक्री 2002-03 के दौरान 12,525.21 करोड़ रुपए प्रत्याशित है जो 2001-02 में 11,670.24 करोड़ रुपए के वास्तविक कारोबार से लगभग 7.4% अधिक है। वर्ष 2003-04 के लिए कुल 14,185.35 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।

54. आटो उद्योग के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए के प्रावधान के अलावा, वर्ष 2003-04 में विनिश्चित 100 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से बड़ा भाग पीएसई द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रतिस्थापन/अनुसंधान/वार्षिक अभिवृद्धियों और परियोजनाओं संबंधी एकमुश्त आवश्यकता के लिए निर्धारित है।

55. पोतनिर्माण तथा पोत मरम्मत उद्योग : देश में 28 शिपयार्ड हैं, 7 केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उपक्रम (4 नौवहन मंत्रालय के अधीन तथा 3 रक्षा मंत्रालय के अधीन), 2 राज्य सरकार के अधीन तथा शेष 19 निजी कंपनियों के स्वामित्व में हैं। यद्यपि नौवहन उद्योग इस समय लाइसेंस मुक्त है, तथापि निजी क्षेत्रक भागीदारी अभी भी मझौले और छोटे आकार के पोतों के निर्माण व मरम्मत कार्य तक सीमित है। दो सरकारी क्षेत्रक कंपनियां यथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० (एचएसएल), विशाखापत्तनम और कोचीन शिपयार्ड लि० (सीएसएल), कोच्चि इस क्षेत्रक में प्रमुख भागीदार हैं, जिनके अनेक प्रकार के कार्यकलाप हैं, जैसे कि बड़े समुद्री पोतों (75259 डीडब्ल्यूटी और 12,5000 डीडब्ल्यूटी) का निर्माण/मरम्मत और विभिन्न प्रकार के पानी के अंदर व पानी की सतह पर कार्य करना। अन्य प्रमुख पीएसयू हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि० (एचडीपीईएल), देश में सबसे पुराने पोतनिर्माता हैं तथा इसके कोलकाता में सलकिआ तथा नाजिरगंज में दो शिपयार्ड हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन कंपनियां, यथा मंजगांव डॉक लि०, मुम्बई, गार्डनरीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लि०, कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लि० गोवा, प्रमुख रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक के लिए जहाजों व पोतों के निर्माण कार्य में लगे हैं।

56. बड़े पीएसयू का हिस्सा उद्योग के कुल कारोबार में लगभग 95% है। तथापि, जहाजनिर्माण कार्यकलाप में सरकारी क्षेत्रक शिपयार्ड में क्षमता उपयोग बहुत कम है जिसके कारण हैं : पर्याप्त आर्डरों का अभाव, देशज जहाज निर्माताओं द्वारा निर्माण में लगाई जाने वाली लम्बी अवधि और ऊंची कीमत के कारण जहाज मालिकों की ओर से हिचकिचाहट और साथ ही जहाजरानी में अंतर्रा-द्वीप तौर पर मंदे की स्थिति। परिणामस्वरूप, बड़ी सरकारी क्षेत्रक जहाजनिर्माण कंपनियों यथा एचएसएल और एचडीपीईएल, काफी व-नों से नुकसान उठा रही हैं। वित्तीय पुनर्गठन के बाद, सीएसएल ने लाभ कमाना शुरू किया है और उसने अपने पिछले संचयित नुकसान की भरपाई कर ली है।

57. एचएसएल, सीएसएल और एचडीपीईएल में सरकारी इक्विटी का विनिवेश परिकल्पित है।

लोहा और इस्पात

58. विनिर्मित इस्पात की देशज खपत, उत्पादन और निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है (नीचे दी गई तालिका), हालांकि 1996-97 से यह वृद्धि धीरे-धीरे कम होकर 6% से 2% रह गई है।

विनिर्मित सी-इस्पात

(मिलियन टन)

वर्ष	स्प-ट खपत	उत्पादन	आयात	निर्यात
1998-99	23.54	23.82	1.65	2.40
1999-00	25.01	26.71	2.20	3.34
2000-01	26.53	29.27	1.885	2.57
2001-02	27.44	31.63	1.50	3.30
2002-03 (दिसम्बर, 2002 तक)	20.65	23.83	1.47	2.75

59. लोहा और इस्पात उद्योग, देश के अंदर और देश के बाहर अधिशेष क्षमता से पीड़ित है और इसलिए देशज विनिर्माता अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग प्राप्त करने के वास्ते कुछ सीमा तक निर्यात पर निर्भर हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में विश्वभर में मंदी के कारण उद्योग को और हानि हुई है। देशज उद्योग के सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की भी समस्या है क्योंकि आयात शुल्क जो 1994-95 से पहले 75% तथा इससे अधिक था, उसे 1996-97 से कम करके 25-35% कर दिया गया है। चीन और सीआईएस देशों से डंपिंग भी इस क्षेत्रक की एक अन्य समस्या है हालांकि देश ने उन पर डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाकर सफलता प्राप्त की है। बदले में देश को अमरीका, कनाडा आदि से भी डंपिंग-विरोधी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है।

60. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता की अधिकता के कारण बहुत से देशों ने संरक्षणवादी उपाय किए हैं और इसके संबंध में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं (ऐसी पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं) जिनमें क्षमता की अधिकता को कम करने के लिए प्रक्रियाओं पर और साथ ही इस्पात बाजार को अनुशासित करने पर भी विचार किया जाता है। भारत की कार्यकरण क्षमता 33-34 मिलियन टन है (यद्यपि 1990 के दशक में यह 40 एमएमटी थी, किन्तु उसके बाद बहुत सी बंदी हुई हैं) जबकि देशज मांग लगभग 29 मिलियन टन है।

61. सेल: सेल, देश में एक बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है जिसके चार बड़े इस्पात संयंत्र (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो) तथा 3 विशेष संयंत्र हैं (एलायज स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वर्या आयरन एंड स्टील प्लांट)। विगत कुछ वर्षों के दौरान निरंतर नुकसान के कारण कंपनी के निवल मूल्य में कमी होकर 50% से कम हो गया था तथा मामले को नवम्बर, 2002 में बीआईएफआर को भेजा गया था। किन्तु वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान बाजार में उछाल की प्रवृत्ति के कारण कंपनी ने 1334 करोड़ रुपए का सकल लाभ रिकार्ड किया है (दिसम्बर, 2002) तथा निवल हानि जो 2001-02 में 1707 करोड़ रुपए थी घटकर 2002-03 में (दिसम्बर, 2002 तक) 546 करोड़ रुपए रह गई है।

62. कंपनी ने, कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए (जनशक्ति में कटौती सहित) बहुत से उपाय किए हैं और ऊर्जा खपत में कटौती की है। इसने कोक रेट में 5% की कटौती प्राप्त की है तथा प्रति टन कच्चे इस्पात की ऊर्जा खपत अब तक सबसे कम होकर 7.69 जीसीएएल/टी हो गई है। सेल, 1998 से वीआरएस पर अमल कर रहा है और अभी तक 19600 कर्मचारियों ने वीआरएस का लाभ उठाया है। 2000-01 में स्कीम में और सुधार किए जाने के बाद से 6510 और कर्मचारियों ने वीआरएस ली।

63. सेल ने बहुत सी बड़ी (पूंजी) स्कीमें शुरू की हैं जैसे कि रेलवे की बढी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन इकाइयों में अतिरिक्त संयंत्र लगाना तथा भिलाई में 872 करोड़ रुपए की लागत का सिंटर प्लांट, राउरकेला में ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट का उन्नयन, स्लेग रिनोवेशन प्लांट तथा दुर्गापुर में 98 करोड़ रुपए का बीएफ उन्नयन, हीटिंग फर्नेस में सुधार और बोकारो में स्लिटिंग लाइन में टेंशन लेवलर। इन बड़े निवेशों के लिए किसी बजटीय सहायता की जरूरत नहीं है।

64. इस्को: सेल की इस नुकसान उठाने वाली सहायक कंपनी के पुनरुद्धार का एक पैकेज सरकार ने अनुमोदित किया है तथ उसके संबंध में बीआईएफआर अनुमोदन की प्रतीक्षा है जिसे इस कंपनी का मामला 1994 में भेजा गया था।

65. रा-द्रीय इस्पात निगम लि० (आरआईएनएल) : आरआईएनएल का विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) में अगस्त, 1992 में चालू एक आधुनिकतम प्लांट, उत्पादन और खपत दोनों ही मानदंडों के अनुसार उच्च स्तर का नि-पादन प्राप्त करने में समर्थ है। इसके अंतर्गत इस्पात के देशज उत्पादन में निम्नतम ऊर्जा की खपत होती है। कंपनी ने जिसने कुछ वर्ष पहले 75 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था, 2002-03 के दौरान अच्छी प्रगति की और 207 करोड़ रुपए का (दिसम्बर, 2002 तक) निवल लाभ कमाया।

66. स्पॉज आयरन इंडिया लि० (एसआईआईएल) : स्पॉज आयरन इंडिया लि० ने प्रतिवर्ष 60,000 टन स्पॉज आयरन का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता दुगुनी कर ली है, जिसका उपयोग लम्प आयरन ओर और 100% गैर-कुकिंग कोयले का इस्तेमाल करने वाली इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस के लिए फेरस स्क्रैप हेतु, प्रतिस्थापन के रूप में किया जाना है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 3.5 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

67. मेकोन: मेकोन ने जो इस्पात क्षेत्रक में एकमात्र प्रथम परामर्शी और इंजीनियरी कंपनी है, क्षेत्रक में घटे कार्य के कारण अपने खर्च को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। इसने खर्च को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति आयु को 60 से घटाकर फिर 58 वर्ष करना और अधिशेष-जनशक्ति को कम करने के लिए वीआरएस। सरकार के 50% हिस्से का किसी स्ट्रेटेजिक भागीदार को विनिवेश करने का प्रयास, उपयुक्त प्रस्तावों के अभाव में सफल नहीं हुआ। अच्छा प्रस्ताव आकर्षित करने के उद्देश्य से मेकोन के पुनर्गठन योजना पर विचार किया जा रहा है।

68. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० : इस्पात क्षेत्रक में परियोजनाएं स्थापित करने में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए गठित यह सरकारी क्षेत्र वाली कंपनी घटते हुए रोजगार और साथ ही 22,000 की अधिक जनशक्ति संख्या से होने की वजह से भी नुकसान उठा रहा है। 7373 कर्मचारियों ने प्रथम चरण के अंतर्गत तथा 3152 कर्मचारियों ने द्वितीय चरण के अंतर्गत (दिसम्बर, 2002 तक) वीआरएस का लाभ उठाया है। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की जनशक्ति 2785 है। कंपनी को इसमें और चुस्ती बरतने की जरूरत है। इसके अलावा, कंपनी 1785 कर्मचारियों को भी हटाना चाहती है। कंपनी वेतन देने में भी असमर्थ है तथा सरकार को नन-प्लान सहायता देनी पड़ती है। आवश्यक एएमआर के लिए सरकार सहायता देती है।

69. भारत रीफ्रेक्टरीज लि० (बीआरएल) : भारत रीफ्रेक्टरीज लि० भी एक नुकसान उठाने वाला पीएसयू है और इसने 2001-02 के दौरान 63 करोड़ रुपए का व 2002-03 में 22.4 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। सरकार ने कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की है जिसमें लगभग 332 करोड़ रुपए का पैकेज सम्मिलित है।

70. आर एंड डी व्यय : लोहा और इस्पात क्षेत्रक में आर एंड डी कार्यकलापों को, इस्पात विकास निधि के जरिए बहुत बढ़ावा मिला है। इन कार्यकलापों पर वास्वतिक खर्च 2001-02 में 76.18 करोड़ रुपए तथा 2002-03 में (सितम्बर, 2002 तक) 41 करोड़ रुपए था।

औ-नधि तथा औ-नध निर्माण :

71. नीतिगत इन्पुटों के जरिए भारतीय औ-ध निर्माण उद्योग, थोक औ-धियों के मामले में देश की 70 प्रतिशत आवश्यकता तथा सूत्रों के संबंध में लगभग पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ हुआ है। औ-धियों, औ-ध विज्ञानीय तथा परिशुद्ध रसायनों ने 2001-02 के दौरान लगभग 9751.2 करोड़ रुपए (अंतिम) मूल्य का निर्यात दर्ज किया जबकि आयात की राशि 2001.10 करोड़ रुपए (अंतिम) थी।

72. औ-धि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 1995 का कार्यान्वयन : डीपीसीओ, 1995 ने कीमत नियंत्रित औ-धियों की संख्या 74 निर्धारित की है तथा ये सारी औ-धियां एकल श्रेणी तथा 100% के अधिकतम अनुमत्य विनिर्माण पश्चात खर्च (एमएपीई) की हैं। डीपीसीओ के अंतर्गत औ-धियों को शामिल करने के मापदंड के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं : न्यूनतम 4 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार, लोकप्रिय ब्रांडों के संबंध में एकाधिकार स्थिति, एकल फोरमूलेटर के संबंध में 90% बाजार हिस्से के साथ एक करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार आदि। हाल ही के एक संशोधन के अनुसार, अधिकतम कीमतें, कीमत नियंत्रण के तहत फार्मूलेशनों का समान रूप से चिन्हित मानक पैक आकार के लिए की जाएगी, जो लघु उद्योग इकाइयों द्वारा उत्पाद विनिर्माताओं पर भी लागू होगा। कीमत निर्धारण के संबंध में मानदंड मार्च, 1999 तक ओआरजी-एमएआरजी डाटा पर आधारित थे जिसे हाल ही की घटनाओं को शामिल करने के लिए बाद में बदलकर मार्च, 2001 के ओआरजी-एमएआरजी डाटा अपनाने का कर दिया गया।

73. रा-ट्रीय औ-ध विज्ञानीय कीमत पद्धति प्राधिकरण (एनपीपीए) ने जो एक स्वतंत्र निकाय है, तथा जो कीमतों के निर्धारण/संशोधन तथा मानीटरन व डीपीसीओ के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, अभी तक 63 थोक औ-धियों, 33 व्युत्पादित और 1968 सूत्रों के संबंध में कीमतें निर्धारित/संशोधित की हैं। इनमें से 7 थोक औ-धियों की तथा 57 सूत्रों की कीमतें 2002-03 के दौरान (अप्रैल से नवम्बर तक) निर्धारित की गईं।

74. आर एंड डी : औ-धि निर्माण क्षेत्रक में स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दसवीं योजना के लिए 150 करोड़ रुपए के विनिश्चित परिव्यय के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में एक औ-ध निर्माण अनुसंधान तथा विकास निधि कायम की गई है।

75. औ-धि विज्ञानीय पीएसयू : औ-धि निर्माण क्षेत्रक में सभी पांच सरकारी क्षेत्रक यूनिट रुग्ण हो गए हैं। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0, ने बीआईएफआर का संशोधित पुनरुद्धार पैकेज सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है तथा बहाली के संकेत प्रदर्शित कर रहा है। तथापि, सरकार ने बंगाल इम्यूनिटी लि0 तथा स्मिथ स्ट्रेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि0 को बंद करने का निर्णय लिया है। आईडीपीएल के मामले में पुनरुद्धार पैकेज दो बार असफल रहा है तथा इसका प्रचालन बंद हो गया है। पुनरुद्धार के संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना शे-न है।

76. औ-धि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा आर एंड डी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के वास्ते, मोहाली, पंजाब में "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर)" नामक प्रथम रा-ट्र स्तरीय संस्थान स्थापित किया गया है।

रसायन, कीटनाशी और सम्बद्ध उद्योग

77. रसायन उद्योग : यह एक सबसे पुराना उद्योग है, जिसकी क्षमता अनेक प्रकार के उत्पाद पैदा करने की है तथा निर्यात की दृष्टि से कुल निर्यात में इसका हिस्सा 11.5% है। कीटनाशी सहित प्रमुख रसायनों के उत्पादन में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

(,000 टन)

मद	क्षमता	2001-02	2002-03 (अनंतिम)	2003-04 (अनुमानित)
सोडा ऐश	1865	1560	1550	1640
कास्टिक सोडा	2036	1438	1480	1520
कार्बन ब्लैक	3450	248	248	248
कैल्शियम कार्बाइड	128.9	58.8	58.8	58.5
फिनोल	76.6	60.8	76.0	80.0
मेथानोल	386	309	346	370
टेक0 कीटनाशी	138.3	80.1	89.3	100.1
रंग-रोगन	58.6	24.4	30.4	33.9

78. कीटनाशी : भारत, विश्व में कीटनाशियों का सबसे बड़े एक निर्यातक देशों की सूची में है और यहां अनेक प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं।

79. एचआईएल : इसके मुख्य उत्पाद डीडीटी के प्रतिबंधित उपयोग तथा 1993 से बेन्जीन हेक्सा - क्लोराइड (बीएचसी) का विनिर्माण बंद कर दिए जाने के बाद, कम क्षमता उपयोग की वजह से, पिछले वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में इस एकमात्र पीएसयू की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। कंपनी के निवल मूल्य में 50% की कमी आने से, इसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी की नुकसान उठाने वाली कंपनी एसपीईसी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 2.4.2003 से बंद कर दिया गया है। एचआईएल के दिल्ली यूनिट को भटिंडा भेज दिया गया है तथा सुरक्षित कृत्रिमनाशी उत्पादित करने के लिए 10.7 करोड़ रुपए की लागत का संयंत्र पूर्णता के उन्नत चरण पर है और संभवतः 2003-04 में चालू हो जाएगा। प्रचालन यूनिटों की नवीकरण व प्रतिस्थापन लागत को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

80. सीपीडीएस (रसायन प्रोन्नयन तथा विकास स्कीमें) : विभाग, निवेश आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ वृहद रासायनिक संपदाओं का लाभ उठाने की संभावना पर विचार कर रहा है। इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर वार्षिक योजना में विचार किया जाएगा जिसके लिए 2.4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

81. पेट्रोरसायन उद्योग : यह क्षेत्रक जिसके अंतर्गत कृत्रिम रेशे, पोलिमेर्स, इलास्टोमेर्स आदि सम्मिलित हैं, उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। 2002-03 में पेट्रोरसायनों का अनुमानित उत्पादन 6169 हजार टन था जबकि 2001-02 में यह मात्रा 5995 हजार टन थी। तदनुसारी उपभोग क्रमशः 6373 हजार टन व 6177 हजार टन बताया गया है।

82. विनिवेश के फलस्वरूप फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रक में सरकारी भागीदारी में कमी आई है। प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन टन एथिलीन की मिली-जुली क्षमता के विद्यमान 8 पेट्रोरसायन क्रेकर कांप्लेक्सों में से

भारतीय गैस प्राधिकरण लि० (गैल) का ओरेया पेट्रोरसायन कांपलैक्स एकमात्र पीएसयू है जिसकी एथीलीन क्षमता 300 हजार टीपीए है । वर्न के दौरान 5 विस्तार/नई पेट्रोरसायन परियोजनाओं (क्षमता 2500 हजार टन प्रतिवर्न) के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई ।

83. सीआईपीईटी : औजारीकरण (टूलिंग), प्रसंस्करण, डिजाइन, नए उत्पादों और अच्छी कोटि की आश्वासन सेवाओं के विकास के क्षेत्रों में प्लास्टिक उद्योग को जनशक्ति प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी बहुवि-यक सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी की सहायता से 1968 में यह संस्थान स्थापित किया गया था । सीआईपीईटी का निगमित कार्यालय चेन्नई में है तथा इसके 10 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें से 3 (पटना, हल्दिया और गुवाहटी) 2002-03 के दौरान खोल गए । प्लास्टिक अनुप्रयोगों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमता में वृद्धि करने के वास्ते, सीआईपीईटी को ओपेक निधि सहायता की अनुमति देने के वास्ते एक प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किया गया है ।

84. उर्वरक : वर्न 2002-03 के अंत में सभी उर्वरकों की कुल स्थापित क्षमता, नाइट्रोजन के मामले में 12.18 मिलियन टन (डीएपी से नाइट्रोजन की क्षमता को मिलाकर) और फास्फेटिक पो-नों के मामले में 5.36 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश बन गया है । उर्वरक उत्पादन क्षमता में तीव्र विकास अनुकूल नीति वाले माहौल का परिणाम है जिसकी वजह से तीनों क्षेत्रों, सरकारी, सहकारी और निजी में बड़ा निवेश हो सका । इस समय, देश में 57 बड़े आकार वाले उर्वरक संयंत्र हैं जहां अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और कांपलैक्स उर्वरकों का उत्पादन होता है । इनमें से 29 यूनिट यूरिया का, 20 यूनिट डीएपी और कांपलैक्स उर्वरकों का, 13 संयंत्र अमोनियम सल्फेट (एसएस), कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट (सीएएन) व अन्य निम्न विश्ले-ण नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन करते हैं । इसके अलावा, लगभग 64 मझौले और लघु यूनिट हैं जो सुपर फास्फेट (एसएसपी) का उत्पादन करते हैं ।

85. वर्न 2001-02 के दौरान नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 10.76 मिलियन टन और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन 3.86 मिलियन टन हुआ । वर्न 2002-03 के लिए 11.6 मिलियन टन नाइट्रोजन और 4.82 मिलियन टन फास्फेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो वर्न 2001-02 में वास्तविक उत्पादन की तुलना में नाइट्रोजन के मामले में 7.8 प्रतिशत और फास्फेट के मामले में 24.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का द्योतक है । दोनों पो-नों के संबंध में उत्पादन लक्ष्य स्थापित क्षमता की तुलना में कम निर्धारित किया गया था जिसकी वजह रा-ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स, ट्राम्बे और थल यूनिटों, नेयवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन लि० (एमएलसी), नेयवेली, फर्टीलाइजर कोरपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई), सिंद्री और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कोरपोरेशन लि० (बीईएफसीएल), नामरूप में, गैस की कमी और उपस्कर संबंधी समस्याएं थी । यह समस्या निकट भवि-य में भी जारी रहने की संभावना है क्योंकि सरकार ने रामगुंडम, गोरखपुर और तालचर स्थित एफसीआई के सभी संयंत्रों और हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कोरपोरेशन आफ इंडिया (एचएफसी) के दुर्गापुर व बरौनी संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है । पूर्व एचएफसी के नामरूप यूनिटों को जिनका इस समय पुनर्गठन किया जा रहा है, अब बीवीएफसीएल की पृथक इकाई के अधीन किया गया है।

86. वर्न 2002-03 के दौरान नाइट्रोजन का वास्तविक उत्पादन 10.53 मिलियन टन तथा फास्फेट का 3.38 मिलियन टन हुआ । असंतो-नजनक नि-पादनका मुख्य कारण था : अनेक संयंत्रों को गैस की

आपूर्ति में कमी और होना, "फैक्ट" के यूरिया संयंत्र में काम की रुकावट, एमएफएल की बायलर समस्या, नामरूप पुनर्गठन को चालू करने में देरी और एफसीआई, सिंद्री एलएलसी, नेयवेली तथा डंकन इंडस्ट्रीज लि0 (डीआईएल), कानपुर का असमय बंद किया जाना इत्यादि है। फास्फेट के मामले में बहुत से राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण डीएपी की कम मांग के कारण डीएपी संयंत्रों में उत्पादन कम हुआ। इसी प्रकार, असंतो-जनक बिक्री की वजह से कांपलैक्स उर्वरकों का उत्पादन भी कम हुआ। वर्ष 2002-03 के दौरान नाइट्रोजन के संबंध में 89.8 प्रतिशत और फास्फेट के संबंध में 81.3 प्रतिशत क्षमता उपयोग का अनुमान है।

87. उर्वरक की कुल खपत, जो 2001-02 के दौरान 17.54 मिलियन टन थी, वर्ष 2002-03 के दौरान, बहुत से राज्यों में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण घटकर 16.65 मिलियन टन रह गई। फास्फेटिक उर्वरक की खपत भी, जो 2001-02 में 4.41 मिलियन टन थी, 2002-03 में कम होकर 4.25 मिलियन टन रह गई। तथापि, उर्वरक का कुल उत्पादन 2002-03 के दौरान 14.62 मिलियन टन से बढ़कर 15.23 मिलियन टन (अनुमानित) हो गया जो 2001-02 की तुलना में 2002-03 के दौरान लगभग 4.0 प्रतिशत वृद्धि दर का द्योतक है।

88. यूरिया, डाई-अमोनिया फास्फेट (डीएपी) तथा मुरिएट आफ पोटाश (एमओपी) तीन मुख्य उर्वरक हैं जिनका देश में मांग और देशज आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए आयात किया जाता है। यूरिया का आयात, जिस पर कीमत व आवागमन नियंत्रण है, सरकारी खाते में किया जाता है, और यह राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से आयात किया जाने वाला एकमात्र उर्वरक है। अन्य सभी उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है, असारणीकृत कर दिया गया है तथा निजी व्यापार के तहत उनका आयात किया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान यूरिया का कोई आयात नहीं किया गया। तथापि, फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में, देश में उर्वरक ग्रेड रॉक फास्फेट की उपलब्धता सीमित हैं, जिसका इस वजह से फास्फेटिक एसिड, एसएसपी और डीएपी तथा कांपलैक्स उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन के लिए, बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। इसके अलावा, इन उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त अन्य मध्यवर्तियों का भी आयात किए जाने की जरूरत होती है। चूंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भंडार नहीं है, इसलिए पोटाश की पूरी जरूरत को एमओपी के सीधे ही आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

89. दो प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं नामतः बीवीएफसीएल तथा गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0 (जीएसएफसी), सिक्का लगभग 689 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन परियोजनाओं के एक बार चालू हो जाने पर, 0.38 मिलियन टन यूरिया और 0.39 मिलियन टन डीएपी का प्रतिवर्ष अतिरिक्त उत्पादन होगा। बीवीएफसीएल परियोजना में जो मूलतः फरवरी, 2002 में चालू होनी थी और देरी होने की संभावना है अब इसके चालू होने की संभावित तिथि मार्च, 2004 है। जीएसएफसी विस्तार परियोजना पूरी हो गई है चालू हो गई है तथा परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया जा रहा है।

90. सरकार ने, बीआईएफआर धारा से बचने तथा (कंपनियों के) इनकी विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से, फैक्ट (FACT) और एमएफएल का वित्तीय पुनर्गठन अनुमोदित किया है। वित्तीय पुनर्गठन से संभाव्य क्रेता आकर्षित होंगे और बेहतर वसूली होगी। सरकार ने, प्रोजेक्ट एंड डवलपमेंट

इंडिया लि० (पीडीआईएल) का पुनरुद्धार अनुमोदित किया है, इसके नोएडा और बडौदा स्थित रिसर्च एंड इंजीनियरी डिविजन तथा सिंद्री स्थित केटेलिस्ट एंड रिसर्च एंड इंजीनियरी डिविजन को बनाए रखते हुए पायरेट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लि० (पीपीसीएल) को, इसकी परिसंपत्तियों का निपटान करते हुए, बंद करने का अनुमोदन किया है। भारत सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एनएफएल) में अपनी 97.65 प्रतिशत इक्विटी धारिता में से 51 प्रतिशत का; एमएफएल में अपनी 58.74 प्रतिशत धारिता और आरसीएफ में अपनी 64 प्रतिशत धारिता में से 32.74 प्रतिशत का विनिवेश करने की प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्णय लिया है। भारत सरकार ने एनएफएल, फेक्ट ओर आरसीएफ के मामले में विनिवेशों में सरकार की मदद करने के वास्ते खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वैश्विक सलाहकार व अन्य मध्यवर्ती सलाहकार नियुक्त करने के संबंध में सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

91. सरकार ने, दो विस्तार परियोजनाओं, नामतः गुजरात में "कृभको" के हाजिरा संयंत्र का विस्तार और महारा-ट्र में आरसीएफ का थल संयंत्र तथा दो ग्रासरूट परियोजनाओं, नामतः "कृभको" द्वारा उ.प्र. में एफसीआई गोरखपुर संयंत्र के विद्यमान स्थल पर स्थापित किया जाने वाला नया संयंत्र और वर्न 2000 में आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में इफ्को द्वारा स्थापित किया जाने वाला नया यूरिया संयंत्र का "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन कर दिया है। सरकार ने इन प्रस्तावों को दीर्घावधिक कीमत और कच्चे माल की (फीडस्टाक) नीति तय होने तक अस्थगित रखने का निर्णय लिया है।

92. नाइट्रोजन उर्वरकों के संबंध में फीडस्टाक नीति के अंतर्गत अभी तक नए संयंत्रों की स्थापना मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस के आधार पर करने की परिकल्पना की गई थी। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधा को समझते हुए, सरकार ने देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आपूर्ति की एकीकृत श्रृंखला स्थापित करने के लिए "विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर)" तैयार करने के वास्ते उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों का एक कोर समूह स्थापित किया है। तथापि, कोर समूह में सरकार द्वारा दीर्घावधिक उर्वरक नीति की घो-णा किए जाने तक डीएफआर को अस्थगित रखने का निर्णय लिया है। अनेक कंपनियों ने देश में एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने में तीव्र रुचि दिखाई है तथा मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लि० (पीएलएल) ने जो सार्वजनिक क्षेत्रक तेल तथा प्राकृतिक गैर उपक्रमों का एक संघ है, दहेज और कोचीन में एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने में पहल की है। परियोजना से वर्न 2004 के शुरु में आपूर्ति शुरु होने की उम्मीद है।

93. एक कार्यबल (Task force) ने जिसकी स्थापना उर्वरकों के उत्पादन के लिए फीडस्टाक के रूप में देश में कोयले के प्रचुर स्रोतों का दोहन करने के उद्देश्य से, सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में मार्च, 2000 में की गई थी और जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द, फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया और पीडीआईएल के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा यह नि-क-र्न निकाला है कि देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए देशज कोयले का फीडस्टाक के रूप में उपयोग करना व्यवहार्य नहीं है।

94. सरकार ने, यूरिया यूनितों के संबंध में एक नई "समूह प्रतिधारण कीमत पद्धति नीति" घो-नित की है, जो विद्यमान पद्धति का स्थान लेगी और अप्रैल, 2003 से लागू होगी। नई स्कीम के अंतर्गत आधारित रियायत तय करने के लिए छः समूह होंगे, नामतः 1992 पूर्व गैस आधारित यूनित, 1992 पश्चात गैर आधारित यूनित, 1992-पूर्व नेपथा आधारित यूनित, 1992-पश्चात नेपथा आधारित यूनित,

ईंधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टाक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित यूनिट तथा मिश्रित ऊर्जा आधारित यूनिट, मिश्रित ऊर्जा-आधारित समूह में ऐसे गैस-आधारित यूनिट शामिल होंगे जो 1.4.2002 को यथाअनुमत्य 25% से अधिक सीमा तक वैकल्पिक फीडस्टाक/ईंधन का उपयोग करते हैं। यद्यपि नई नीति के प्रारंभिक वर्ष में कुछ यूनिटों ने नुकसान उठाया तथापि दीर्घावधि में उर्वरक सब्सिडी के संबंध में सरकार के बजट पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नीति का उद्देश्य सब्सिडी को समाप्त करना तथा यूरिया वितरण व दुलाई पर से नियंत्रण हटाना है।

95. ओमान में एक विश्व स्तरीय उर्वरक कांप्लैक्स के निर्माण पर भारत सरकार और ओमान की सलतनत सरकार के बीच एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के अंतर्गत, जिसमें भारतीय पक्ष की ओर से इफको और कृभको द्वारा इक्विटी के रूप में 160 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया जाएगा 15 वर्ष की अवधि के लिए एक दीर्घावधिक निश्चित कीमत (एलटीपी) पर सरकार द्वारा परियोजना के तहत उत्पादित 1.65 मिलियन टन यूरिया की वापसी खरीद की व्यवस्था है। परियोजना से संबंधित प्रमुख करारों पर पक्षकारों द्वारा वर्ष के दौरान हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का कार्यान्वयन 15.8.2002 से शुरू हो गया है तथा इसके 35 मास में अर्थात् जुलाई, 2005 में चालू होने की संभावना है। एसपीआईसी, 170 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर 0.40 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए संयुक्त अरब अमरीरात में दुबई में एक गैस-आधारित नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्र भी स्थापित कर रहा है। परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है तथा इसके 2004 की चौथी तिमाही में चालू हो जाने की उम्मीद है।

96. कपड़ा : कृषि के पश्चात्, कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा नियोक्ता है, अनुमान है कि उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 मिलियन को रोजगार प्रदान किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से 58 मिलियन और लोगों को रोजगार प्राप्त है। अनुमान है कि कते सूत का उत्पादन वर्तमान वित्त वर्ष, अर्थात् 2002-03 के दौरान 3088 मिलियन कि.ग्राम तक पहुंच जाएगा, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 1% की वार्षिक वृद्धि का द्योतक है। यह नोट करने योग्य है कि 100% कपास भिन्न सूत के उत्पादन में हाल ही के वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई है और अनुमान है कि वर्ष 2002-03 के दौरान यह 307 मिलियन कि0 ग्राम तक पहुंच जाएगा जो विगत पांच वर्षों के दौरान 11.64% वार्षिक वृद्धि का द्योतक है। सभी क्षेत्रकों यथा मिल, विद्युत करघे और खादी, ऊन तथा रेशम द्वारा कपड़े के कुल उत्पादन में हाल ही के वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। अनुमान है कि 2002-03 के दौरान कपड़े का कुल उत्पादन 42,314 मिलियन वर्गमीटर तक पहुंच जाएगा जो विगत पांच वर्षों के दौरान 2.48% वार्षिक वृद्धि का परिचायक है। विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्रक से कपड़े के उत्पादन में विगत पांच वर्षों के दौरान 4.8% की पर्याप्त ऊंची वार्षिक वृद्धि दर प्रदर्शित की है। देश में कपड़े की प्रतिव्यक्ति देशज उपलब्धता, 1997-98 में 30.92 वर्गमीटर से बढ़कर 2001-02 में 31.97 वर्गमीटर हो गई है।

97. हमारे उद्योग की प्रमुख कमजोरी घटिया प्रौद्योगिकीय आधार है। कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। संगठित क्षेत्रक की चरखा (स्पिंडलेज) क्षमता, 1998-99 में लगभग 36.67 मिलियन से बढ़कर 2002-03 में 38.75 मिलियन हो गई है। इस विकास प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति 1990 के दशक में बड़ी संख्या में ओपन एंड रोटोर्स की स्थापना तथा कताई के क्षेत्र में 100% निर्यातान्मुखी यूनिटों की स्थापना किया जाना है। "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)" की एक स्कीम चल रही है जिसके अंतर्गत कताई, बुनाई, निटिंग, संसाधन, वस्त्र निर्माण,

कपास ओटाई और प्रैसिंग के सभी उप-क्षेत्रक सम्मिलित हैं। इस उद्देश्य से कि अधिकाधिक लघु उद्योग यूनिट टीयूएफएस का लाभ उठाएं, या तो 12% क्रेडिट जुड़ी पूंजी सब्सिडी या विद्यमान 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने का हल ही में एक विकल्प उपलब्ध कराया गया है। स्कीम की समय सीमा बढ़ाकर दसवीं योजना तक कर दी गई है। स्कीम का कार्यान्वयन चुनिंदा नोडल एजेंसियों अर्थात् आईडीबीआई (कपड़ा उद्योग के संबंध में, लघु उद्योग को छोड़कर) एसआईडीबीआई (लघु उद्योग कपड़ा क्षेत्रक) और आईएफसीआई (जूट उद्योग) द्वारा किया जा रहा है।

30.11.2002 के अनुसार टीयूएफएस के अंतर्गत ऋण संवितरण की प्रगति

(करोड़ रुपए)

	आवेदन पत्रों की संख्या	परियोजना लागत	मांगा गया ऋण	स्वीकृत	संवितरित
विद्युत करघा	170	171.99	117.76	101.04	40.24
जोड़	1970	15246.46	8761.48	5786.63	4206.99

98. रा-द्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कपास फसल के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, निम्न उत्पादन तथा अपमिश्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए फरवरी, 2000 से "कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)" प्रारंभ किया है। मिशन के अंतर्गत चार लघु मिशन सम्मिलित हैं जिन्हें कृषि मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। लघु मिशन I तथा II का कार्यान्वयन क्रमशः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है जबकि लघु मिशन III और IV के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कपड़ा मंत्रालय है। उपलब्ध नवीनतम दिसम्बर, 2002 तक, सूचना के अनुसार लघु मिशन III के अंतर्गत 102 परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। कुल अंतर्निहित अनुमानित लागत 180 करोड़ रुपए है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 89 करोड़ रुपए होगा। लघु मिशन IV के अंतर्गत, 271 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 221 ओटाई और फैक्टरियों का आधुनिकीकरण मंजूर किया गया है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 47 करोड़ रुपए होगा।

99. दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमें नामतः "निर्यात हेतु पोशाक उद्यान" तथा "कपड़ा केन्द्र अवस्थापना विकास" सरकार द्वारा अंतर्रा-द्रीय मानकों के कपड़ा निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा विकास एवं प्रेरक निवेश माहौल हेतु आधुनिक अवस्थापना संबंधित सुविधाओं के साथ कपड़ा निर्यात यूनिटों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। "एकीकृत पोशाक उद्यान स्कीम" के अंतर्गत, आधुनिक उच्च तकनीक बुनाई/निटिंग उद्यान आधुनिक संसाधन यूनिट और बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए तथा अनुमोदित उद्यानों अथवा कपड़ा संवृद्धि केन्द्रों में उच्च स्तरीय कौशल उन्नयन/परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दसवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय के लिए उपरोक्त स्कीमों में से प्रत्येक स्कीम के वास्ते 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान विनिश्चित किया गया है।

100. कपड़ा मंत्रालय के लिए बजट आबंटन में जो 2000-01 में 457 करोड़ रुपए था, पर्याप्त रूप से वृद्धि करके उसे वार्षिक योजना 2003-04 में 763 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

101. रा-द्रीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्रक की महत्ता तथा कपड़ा क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करने और विकास को प्रोत्साहित करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग के सदस्य

श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में कपड़ा क्षेत्रक में निवेश और विकास के संबंध में संचालन समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिससे कि सरकार राजको-नीय परिवर्तनों और बजट 2003-04 में "कपड़ा पैकेज" पर विचार कर सके। राजको-नीय नीति के संबंध में संचालन समूह की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें बजट 2003-04 में सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सतत "सेंटवाट" श्रृंखला और अपवंचन को समाप्त करना सम्मिलित है, ताकि पद्धति में विकृतियों को कम किया जा सके, अर्थात् "मोडवाट" सम क्रेडिट को समाप्त करना। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के वास्ते, बड़ी संख्या में कपड़ा मशीनरी और उनके कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क को विद्यमान 25% से मात्र 5% कर दिया गया और "पोशाक ग्रेड कच्चे ऊन पर सीमा शुल्क" को 15% से 5% कर दिया गया। संचालन समूह ने कपड़ा उद्योग के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 3000 करोड़ रुपए के कोरप्स के साथ एक "कपड़ा उद्योग पुनर्गठन निधि" की स्थापन की भी सिफारिश की है। यह सिफारिश विचाराधीन है।

102. तकनीकी कपड़े भी एक नया क्षेत्र हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा विधान हेतु तथा सरकारी भवनों में अग्नि-रोधी कपड़ों के अनिवार्य उपयोग, सड़क अवस्थापना सुधारने, मृदा संरक्षण प्रयासों आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के अंतर्गत, विकेन्द्रीकृत क्षेत्रक, तकनीकी कपड़े, उत्पाद विकास, पारि-अनुकूलन प्रौद्योगिकियां, लागत कटौती, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित होगी।

103. औद्योगिक क्षेत्रक में पीएसयू: कपड़ा उद्योग में निजी क्षेत्रक का प्रभुत्व है। इस क्षेत्रक में केवल दो पीएसयू, एनटीसी तथा बीआईसी विद्यमान हैं, यथा एनटीसी 119 मिलों के साथ (53 विनिश्चित व्यवहार्य मिल+66 अव्यवहार्य मिल) तथा बीआईसी, 2 ऊनी मिलों और 2 सूती सहायक कंपनियों के साथ। अधिक संख्या में जनशक्ति, कार्यपूंजी के अभाव और अप्रचलित मशीनरी, सतत रूप से नुकसान उठाने वाली कंपनियों के कारण, मामले को बीआईएफआर को भेजा गया है तथा पुनरुद्धार पैकेज विचाराधीन है।

जूट

104. वर्ष 2001-02 के दौरान 105 लाख गांठों और 2002-03 के दौरान अनुमानित 110 लाख गांठों की कच्चे जूट की मेस्ता सहित लगातार दो बम्पर फसलों का कच्चे जूट बाजार पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। अप्रैल-दिसम्बर 2002 अवधि के दौरान जूट वस्तुओं का कुल उत्पादन 1158.5 हजार टन पर कम था जबकि 2001-02 की तदनुसूची अवधि में उत्पादन 1218.8 हजार टन था। "बोरो" का उत्पादन जो अप्रैल-सितम्बर, 2002 में 685.4 हजार टन रहा, जो 2001-02 की तुलना में कम था। तथापि, अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान हेसिन उत्पादन 259.4 हजार टन पर अधिक था जबकि विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि में 205.4 हजार टन का उत्पादन हुआ था। वर्तमान संकेतों के अनुसार वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान जूट वस्तुओं का उत्पादन, वर्ष 2001-02 में 1600.8 हजार टन के कुल उत्पादन की तुलना में 1550 हजार टन हो सकता है।

105. रा-ट्रीय जूट विविधिकरण केन्द्र (एनसीजेडी), जूट के विविधिकृत उत्पादों के उत्पादन और विपणन में लगा है।

106. जूट विनिर्माता विकास परि-द (जेएमडीसी) को जूट क्षेत्रक में निर्यात प्रोन्नयन से सभी कार्य तथा जूट क्षेत्रक का देशज बाजार में अन्य कार्यकलाप नि-पादित करने का काम भी सौंपा गया है । भारत सरकार विभिन्न जूट विनिर्माताओं से एकत्रित उपकर से पूर्ण रूप से जेएमडीसी के कार्यकलापों का वित्तपो-ण करती है । जेएमडीसी, कम लागत के जूट बैगों का विकास करने और राज्य सरकार के संगत प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके प्लास्टिक बैगों के विकल्प के रूप में जूट बैगों को बढ़ावा देने के वास्ते, भारतीय जूट औद्योगिक अनुसंधान एसोसिएशन (आईजेआईआरए) के साथ निकट सहयोग से कार्य कर रही है ।

107. जूट उद्यमी सहायता स्कीम (जेईएस) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों को "विशे-न जूट विकास निधि" से अधिकतम 50 लाख रुपए तक ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है । अप्रैल-नवम्बर, 2001 अवधि के दौरान, 712 नए यूनिटों को सहायता प्रदान की गई ।

108. कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) : परीक्षण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय के अधीन 8 टीआरए (स्वायत्त निकाय) हैं : - चार सूती कपड़ों के लिए (एटीआईआरए, बीटीआरए, एसआईटीआरए, एनआईटीआरए) तथा एक-एक ऊन के लिए (डब्ल्यूआरए) जूट (आईजेआईआरए), रेशम (एसएसएमआईआरए) और सिंथेटिक (एमएएनटीआरए)। सुविधाओं के उन्नयन, भवनों आदि जैसी उनकी योजनागत स्कीमों के लिए वे बजटीय सहायता पर निर्भर रहते हैं । तथापि, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के दसवीं योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बजटीय सहायता को धीरे-धीरे कम किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में बजटीय सहायता आवर्ती खर्च के लिए उपयोग में लाने की अनुमति नहीं होगी, जैसी कि आजकल प्रथा है ।

109. परमाणु ऊर्जा : आई एंड एम क्षेत्रक के अंतर्गत कार्यकलापों में प्रमुख रूप से नाभिकीय तथा संरचनात्मक सामग्री और नियंत्रण पद्धतियों का विनिर्माण सम्मिलित है, जिनका उद्देश्य न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण और प्रचालन करना तथा पूर्ण ईंधन चक्र का प्रबंधन करना है । आई एंड एम क्षेत्रक की कार्यक्रम रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि चल रहे न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों तथा निर्माणाधीन संयंत्रों के वास्ते न्यूक्लीय ईंधन व अन्य सामग्री की सतत तथा समय पर पूर्ति हो । इस समय कुल न्यूक्लीय विद्युत क्षमता 2720 मे.वा. है, जिसमें 14 यूनिट (12 पीएचडब्ल्यूआर और 2 बीडब्ल्यूआर) वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत हैं तथा दसवीं योजना के अंत तक 4020 मे.वा. और ग्यारहवीं योजना के अंत तक 9990 मे.वा. की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

110. नौवीं योजना में कार्यान्वित किए गए अधिकांश कार्यक्रमों ने परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य लाभप्रद ढंग से प्राप्त कर लिए तथा कार्यकलापों में सम्मिलित हैं : यूरेनियम, दुर्लभ धातु और दुर्लभ पृथ्वी और बीच सेंड खनिज संसाधनों की खोज, यूरेनियम अयस्कों और मिनरल सेंडों का खनन और संसाधन, न्यूक्लीय ईंधन का विनिर्माण तथा न्यूक्लीय विद्युत रिएक्टरों के लिए हैवी वाटर का उत्पादन, इस्तेमाल किए जा चुके ईंधन का पुनः संसाधन तथा न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों के लिए नियंत्रण तथा यंत्रीकरण उपस्कर का निर्माण । योजना अवधि के दौरान चालू संयंत्रों का समग्र नि-पादन तथा सुरक्षा रिकार्ड उत्तम रहा है । इस्तेमाल हो चुके ईंधन और इरेडिएटिड थोरियम का पुनः संसाधन तथा न्यूक्लीय ईंधन चक्र का अपशि-ट प्रबंधन, न्यूक्लीय विद्युत कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है ।

111. बीआरआईटी की योजना, देश में स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्रक के लिए सुचारु गाम्मा रेडिएशन स्टर्लाइजेशन सेवाएं प्रदान करने के वास्ते नई गाम्मा रेडिएशन सुविधा की स्थापना करने की है ।

आधुनिकतम उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए रेडिएशन प्रौद्योगिकी के वास्ते एक एकीकृत सुविधा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । दाईं किटों व अन्य स्वास्थ्य देखरेख उत्पादों के लिए एक गाम्मा रेडिएशन स्टर्लाइजेशन संयंत्र भी, ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राजस्थान में कोटा में या उसके निकट स्थापित किया जाएगा ।

112. बीएआरसी की नि-पादित की जाने वाली एक परियोजना मेटल रीडक्शन टेक्नोलॉजी के उन्नयन तथा बहिस्त्राव हैंडलिंग के संबंध में है । इस परियोजना के अंतर्गत, मेटल रीडक्शन स्टेज में यूरेनियम रिकवरी सुधारने के लिए इस समय प्रयुक्त किए जाने वाले पाउडर रीडक्शन के स्थान पर पेलेटाइज्ड चार्ज के मेटल रीडक्शन हेतु एक सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है । निकट भवि-य हेतु यूरेनियम और थोरियम के इंटर-मेटेलिक अलायज के उत्पादन के संबंध में अनुसंधान करने के लिए भी एक सुविधा का निर्माण किया जाएगा । इसलिए, बेरिलियम मेटल, अलायज तथा बोरिलियम आक्साइड के उत्पादन के लिए बेरिलियम टेक्नोलॉजी की एक परियोजना शुरू की जाएगी ।

113. फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट (एफआरएफआरपी) के द्वितीय चरण के संबंध में एक परियोजना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) में शुरू की जा रही है । इसके अंतर्गत शेन रहते कार्य सम्मिलित हैं जैसेकि चोपर, टिटानियम डिजोल्वर, सेन्ट्रीफुगेस, सेन्ट्रीफूगल एक्सट्रेक्टर और संपलिंग रोबोट्स जैसे प्रोसेस उपस्कर का विनिर्माण और स्थापना सम्मिलित हैं । इन कार्यों के पूरा हो जाने के बाद, संयंत्र इरीडिएटिड एफबीटीआर ईंधन को पुनः संसाधित करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईंधन चक्र को बंद करने के लिए "पीएफबीआर रिप्रोसेसिंग प्लांट" नामक द्वितीय परियोजना पर कार्यवाही की जाएगी ताकि पद्धति बाह्य पीयू इन्पुट के बगैर आत्म-निर्भर बन जाए । पीएफबीआर ईंधन चक्र के लिए अपशि-ट प्रबंधन सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु 5 करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है ।

114. दसवीं योजना के दौरान एचडब्ल्यूबी के अंतर्गत प्रमुख बल, ऊर्जा संरक्षण, चल रहे संयंत्रों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण और संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने पर रहेगा । विगत दो व-नों के दौरान, विशि-ट ऊर्जा खपत में पर्याप्त कटौती प्राप्त की गई । कोटा, मनुगुरु और तूतीकोरीन में चल रहे संयंत्रों में लघु संशोधनों की स्कीमें कार्यान्वित करके और अधिक ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया जाएगा । सीमित कार्यकाल वाले उत्प्रेरकों (केटलिस्ट्स) जैसी कुछेक मर्दों को समय-समय पर प्रतिस्थापित करने की जरूरत है तथा कुछ यंत्रिकरण मर्दें जो अप्रचलित हो गई हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है । आशोधनों के जरिए मनुगुरु, हाजिरा और तूतीकोरीन का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जाएगा । इसके अलावा, हैवी वाटर की दीर्घावधिक मांग और आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनुगुरु में 100 टीपीए की क्षमता के साथ हैवी वाटर उत्पादन के लिए एक अतिरिक्त धारा (स्ट्रीम) के संबंध में कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । इसलिए मनुगुरु विस्तार के संबंध में परियोजना-पूर्व कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे तथा बची रहती स्कीमों के रूप में चार स्कीमों को जारी रखने के अलावा कुछ आर एंड डी स्कीमें संचालित की जाएंगी ।

115. इलेक्ट्रानिक्स कोरपोरेशन आफ इंडिया (ईसीआईएल) का मुख्य बल प्रौद्योगिकी के उन्नयन और यंत्रिकरण तथा नियंत्रण उपस्कर, फ्यूज उत्पादों, रेडियो, कम्प्यूनिकेशन उत्पादों, सम्बद्ध उत्पादों के लिए

परीक्षण सुविधाओं और विनिर्माण पर रहेगा। पीसीबी प्रौद्योगिकी उन्नयन, कंपनी के बीच आईटी, सुरक्षा उपस्कर और समान आर एंड डी सुविधाओं सहित अवस्थापना निर्माण के संबंध में भी एक परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। इन स्कीमों को कार्यान्वित करके कंपनी का उद्देश्य अगले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम से कम 15% विकास प्राप्त करना है।

लघु उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

116. लघु उद्योग (एसएसआई), कम पूंजी वाले उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक और श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराकर, जिसके फलस्वरूप गरीबी और बेरोजगारी को कम करने की समस्याओं का समाधान करके, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मौटे अनुमानों के तौर पर, देश में लगभग 35.14 लाख लघु उद्योग इकाइयां हैं जो विनिर्माण क्षेत्रक में कुल औद्योगिक उत्पादन के 40 प्रतिशत से भी अधिक का तथा देश के कुल निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान करती हैं। इसने 2002-03 तक लगभग 195.65 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया।

117. लघु उद्योग क्षेत्रक ने, औद्योगिक क्षेत्रक की तुलना में कुल मिलाकर दो से तीन प्रतिशतांक तक अधिक वृद्धि दर दर्ज की है। आर्थिक उदारीकरण, डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के कारण क्षेत्रक ने अर्थव्यवस्था को खोलने और आयातों से प्रतिस्पर्द्धा का प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआर), लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए शीर्ष बैंक है जो बड़ी मात्रा में निधियां संवितरित करता है तथा वाणिज्यिक बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्रक को और आगे उधार देने के वास्ते, पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत 25 लाख रुपए तक के ऋणों की गारंटी, लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि-न्यास द्वारा किसी सहयोगी गारंटी के बिना प्रदान की जाती है। उधारकर्ता संस्थान द्वारा पात्र दावा प्रस्तुत किए जाने पर न्यास गारंटीशुदा राशि के 75 प्रतिशत की अदायगी करेगा। गारंटीशुदा राशि के शेष 25 प्रतिशत की अदायगी, उधारकर्ता संस्थान द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी होने के बाद की जाएगी। इस स्कीम के नि-पादन में सुधार हुआ है क्योंकि 25 सरकारी क्षेत्रक बैंकों सहित 35 सदस्य उधारदाता संस्थान स्कीम में भाग ले रहे हैं। लघु उद्योग इकाइयों/बैंकों के बीच व्यापक जागरूकता प्रयास किए जा रहे हैं ताकि और अधिक लघु उद्योग इकाइयां स्कीम का लाभ उठा सकें।

118. उत्पादन, रोजगार और निर्यातों के संबंध में संकेतात्मक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 6.4.2 में दर्शाई गई हैं। आगामी पैराग्राफों में ब्यौरों पर क्षेत्रकवार चर्चा की गई है। वर्ष 2001-02, 2002-03 (ब.अ.-सं.अ.) तथा 2003-04 (ब.अ.) के संबंध में परिव्यय और व्यय संलग्नक 6.4.1 में दर्शाया गया है।

लघु उद्योग

119. लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) के माध्यम से प्रोन्नयन तथा विकास स्कीमों कार्यान्वित कर रहा है। एसआईडीओ, संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों को सेवाएं प्रदान करता है, यथा लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (आरटीसी) क्षेत्र परीक्षण केन्द्र (एफटीएस), संसाधन सह-उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी) आदि। एसआईडीओ प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु तकनीकी इन्पुट, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विस्तार

बाजार विकास सहायता, डाटा आधार सहायता, अवस्थापना संबंधी सुविधाएं, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट जुड़ी पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराता है ।

120. एसएसआई इकाइयों की मदद करने तथा अच्छी कोटि के यंत्रों के डिजाइन और उत्पादन के वास्ते तकनीकी परामर्श और समान सेवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक टूल रूम कायम किए गए हैं । एसआईडीओ, स्थानीयकृत प्रशिक्षण और उत्पादन सुविधाएं कायम करने में मदद देने के वास्ते लघु टूल रूम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को मशीनरी हेतु एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करता है । राज्य सरकार को लघु टूल रूम के वास्ते भूमि, भवन और आवर्ती खर्च की व्यवस्था करनी है, जबकि भारत सरकार लघु टूल रूम के लिए मशीनरी स्थापित करने के वास्ते 9 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराती है । लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एसआईएसआई)/ क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (आरटीसी)/क्षेत्र परीक्षण स्टेशनों (एफ टीएस) की कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का काम क्रमिक रूप से किया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक मशीनों और दक्षताप्राप्त जनशक्ति के साथ सज्जित किया जा सके ।

121. औद्योगिक विकास प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के वास्ते, एकीकृत अवस्थाना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) स्कीम को आठवीं पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित किया जा रहा है । कतिपय प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाकर तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उदार वित्त की व्यवस्था करके इस स्कीम का पुनर्गठन किया गया है । अभी तक 74 आईआईडीसी अनुमोदित किए गए हैं तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं । सितम्बर, 2003 तक 62.88 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया है ।

122. लघु उद्योगों के संबंध में सांख्यिकी का संकलन एक योजनागत स्कीम है जिसके अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्रक से संबंधित संगत डाटा/सूचना एकत्रित, संकलित और प्रसारित की जाती है । लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के तुरंत परिणाम 30 अगस्त, 2003 को जारी किए गए हैं । अंतिम परिणाम शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है । लघु उद्योग गणना के तुरंत परिणामों के अनुसार, प्रति यूनिट रोजगार 4.4 व्यक्ति है तथा लगभग 35% लघु उद्योग यूनिट रुग्ण हो गए हैं।

प्रधामंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

123. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सभी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों के लिए स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने तथा नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए, संस्थात्मक वित्त उपलब्ध कराने के वास्ते, 1992 में अनुमोदित की गई थी । स्कीम में अनेक परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसे और कारगर बनाया जा सके, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 करना, वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम सीमा और उद्योग तथा सेवा क्षेत्रकों के तहत परियोजनाओं के लिए परियोजना आकार बढ़ाना; विवाहित महिला आवेदकों के लिए निवास स्थान के मापदंड में ढील देना और अलग-अलग लाभार्थी द्वारा उद्योग क्षेत्रक के तहत परियोजनाओं के लिए समर्थनयुक्त ऋण; पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए क्रेडिट/ऋण अंश बढ़ाना । वर्ष 2002-03 के दौरान 2.17 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण मंजूर किए गए तथा 1.36 लाख को संवितरित किए गए जबकि योजना लक्ष्य 2.56 लाख था। कुछ राज्यों में काफी समय से बकाया रहते ऋणों की वसूली की असंतो-जनक दर चिंता का वि-य है । स्कीम के तहत बकाया रहते ऋणों की

वसूली सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान, पीएमआरवाई के अंतर्गत प्रदत्त निधियों की राशि क्रमशः 14.22 करोड़ रुपए और 15.44 करोड़ रुपए थी तथा आबंटित लक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2003-04 के दौरान 18.85 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किए जाने का अनुमान है। प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) द्वारा किए गए पीएमआरवाई के एक मूल्यांकन अध्ययन से लाभार्थियों द्वारा ऋण किस्तों की वापसी की औसत रा-द्रीय दर लगभग 45 प्रतिशत अनुमानित है। यह काफी कम है और आर्थिक दृ-टि से व्यवहार्य परियोजनाओं का चयन करके तथा नई इकाइयों को समय पर निधियां उपलब्ध कराकर, सुधार करने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि वापसी दर में वृद्धि करने के लिए पीएमआरवाई लाभार्थियों को बड़ी संख्या में माडल परियोजना रूपरेखा उपलब्ध कराई जाए।

रा-द्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

124. रा-द्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड की स्थापना, देश में लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने, उसे सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने के वास्ते, किराया खरीद पर मशीनरी, पट्टे पर उपस्कर, कच्ची सामग्री की सहायता, देशज और निर्यातों के लिए विपणन इन्पुट, एकल प्वाइंट पंजीकरण आदि की व्यवस्था करके, लघु उद्योग क्षेत्रक को मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। एनएसआईसी, देशभर में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में तथा निर्यात हेतु प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के रूप में विनिर्धारित उत्पादन की चयनित मर्दों में, व्यवहार्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में भी मदद दे रहा है।

125. "एकल खिडकी (सिंगल विंडो)" सहायता स्कीम से निर्यातकर्ता लघु उद्योग यूनिटों को मदद मिलती है तथा निगम सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है ताकि लघु उद्योग यूनिट निर्यात कर सकें। लघु उद्योगों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में सम्मिलित हैं : निर्माता हार्डवेयर, ब्रास कल-पुर्जे, मशीनी औजार, हाथ के औजार, हाथ के दस्ताने, डीजल ईजन, सेनितरी और स्नानगृह फिटिंग, खेल का सामान, चमड़े की वस्तुएं, उद्यान औजार आदि। एनएसआईसी, लघु उद्योग यूनिटों को अंतर्रा-द्रीय मेलों में भाग लेने में भी मदद देता है। वर्ष 2003-04 के दौरान नवम्बर, 2002 तक, एनएसआईसी के माध्यम से लघु उद्योग यूनिटों से निर्यात की राशि (साफ्टवेयर निर्यात को छोड़कर) 4.28 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में यह राशि 2.31 करोड़ रुपए थी। एनएसआईसी ने सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2003 तक 32,496 लघु उद्योग यूनिट रजिस्टर किए। 2003-04 के पहले आठ महीनों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 473 नए यूनिट पंजीकृत किए गए। एनएसआईसी, विकासशील देशों को टर्न - की आधार पर भी परियोजना निर्यात कर रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान निगम ने निम्नलिखित पर बल दिया : (क) लघु उद्योग यूनिटों के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के निर्यात को तेज करना, (ख) विश्व बाजार में लघु उद्योगों के लिए सहज सुलभता को सुकर बनाना, (ग) निर्यात बाजारों में लघु उद्योगों का प्रवेश सुकर बनाना, और (घ) अंतर्रा-द्रीय मंचों पर लघु उद्योग यूनिटों के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन।

126. विगत देनदारियों और कामकाज के फलस्वरूप हुए नुकसान को देखते हुए, एनएसआईसी का पुनर्गठन किया जा रहा है। बट्टे खाते डाले गए ऋणों और खातों के लिए प्रावधान किया गया। अब एनएसआईसी निम्नलिखित पर बल देगा : (क) प्रौद्योगिकी और कोटि उन्नयन, (ख) विपणन प्रोन्नयन, (ग) अंतर्रा-द्रीय सहयोग, और (घ) लघु उद्योग यूनिटों को मशीनों की किराया-खरीद और पट्टे पर देने पर बल देने की बजाए, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सीमित वित्तीय सहायता।

कॉयर (नारियल रेशा) उद्योग

127. यह एक श्रम बहुल किन्तु निर्यातान्मुखी उद्योग है। यह नारियल बागान के एक उप-उत्पाद कॉयर रेशे का उपयोग करता है। कॉयर उद्योग का वास्तविक नि-पादन संलग्नक 10.1.9 में देखा जा सकता है। कॉयर बोर्ड, विपणन इन्पुटों की व्यवस्था करके कॉयर उद्योग के प्रोन्नयन विकास और संवृद्धि, निर्यात प्रोन्नयन और देशज बाजार का विस्तार करने संबंधी कार्य की देखभाल कर रहा है। बोर्ड, कॉयर क्षेत्रक के संबंध में अनेक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें, निम्नलिखित सम्मिलित हैं : प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता, कॉयर उद्योग अवार्ड, महिला कॉयर योजना, रा-ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों, मॉडल कॉयर ग्रामों का सुदृढीकरण, शिल्पकारों के लिए समूह बीमा स्कीम, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, कॉयर दस्तकारों की नीरसता को दूर करना व अन्य कल्याणकारी उपाय। इस उद्योग में लगभग 5.5 लाख व्यक्ति लगे हैं। ऐतिहासिक कारणवाश कॉयर उद्योग की जड़ें केरल राज्य में जमी हैं किन्तु छोटे पैमाने पर यह तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी फैला है। कॉयर उद्योग का विकास करने के लिए विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है : (i) श्रम को विस्थापित किए बगैर उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन अवस्थापना का आधुनिकीकरण, (ii) आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल उन्नयन, (iii) समुचित प्रचार के जरिए स्वदेशी बाजार का विस्तार, (iv) निर्यात का प्रोन्नयन, (v) कॉयर भू-वस्त्रों, गुंथी टेल्ट कॉयर प्लाई, कॉयर गूदा, कॉयर जाल, गूदा प्लस आदि जैसे नए उत्पादों के लिए विविधिकरण, (vi) नीरसता और प्रदू-ण को समाप्त करना, तथा (vii) आर एंड डी का अनुप्रयोग।

128. कॉयर बोर्ड ने बेक्टीरिया सूत्र (फार्मूलेशन) कॉयर जाल का विकास किया है जिससे हरित हस्त रेशे की कोटि में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी तथा दुलाई असान होगी। कॉयर गूदे के तेज कंपोस्टिंग की प्रक्रिया विकसित की गई है। इन प्रक्रियाओं के संबंध में पेटेंट आवेदन-पत्र फाइल किया गया है तथा रा-ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) मैसर्स केडिला फार्मास्यूटिकल्स लि0, अहमदाबाद के माध्यम से प्रक्रिया का वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उत्पादन कर रहा है। रेशे को अलग करने की एक चल मशीन में परिवर्तन किए गए हैं, जिसका विकास एक स्थानीय उद्यमी ने किया है। रेशे कोटि के एकल प्लाई कॉयर सूत का अन्य विभिन्न प्राकृतिक रेशों के साथ/मिश्रण करके वैनीशन ब्लाइंड पर्दे, हस्तशिल्प मर्दे जैसे विभिन्न उत्पाद विनिर्मित किए गए हैं। भारतीय पैकिंग संस्थान, मुम्बई के सहयोग से कॉयर कंपोजिंग बोर्डों का विकास पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया गया है। कॉयर बोर्ड ने कॉयर भू-वस्त्र जल्दी लगाने के लिए एक मोबाइल-लॉन का विकास किया है। इस उत्पाद को घरों, उपवनों, जलपानगृहों आदि में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

हथकरघा

129. हथकरघे, न केवल भारत की विरासत और समृद्धता तथा हमारे देश की विविधता और शिल्पकारिता को चित्रित करते हैं बल्कि लगभग 120 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर अर्थ-व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। कृ-नि के बाद हथकरघा एक सबसे बड़ा आर्थिक कार्यकलाप है। यह क्षेत्रक हथकरघा उत्पादों के निर्यात के माध्यम से मूल्यावान विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। वित्तीय सहायता प्रदान करने में प्रभावी राज्य हस्तक्षेप तथा विकासात्मक व कल्याणकारी

स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा यह क्षेत्रक विद्युतकर्घा और मिल क्षेत्रकों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सफलतापूर्वक मुकाबले में समर्थ हुआ है । यह क्षेत्रक, देश में उत्पादित कुल कपड़े के लगभग 15 प्रतिशत का योगदान करता है । इस उप-क्षेत्रक का कार्य-नि-पादन संलग्नक-2 में दर्शाया गया है ।

130. हथकरघा क्षेत्रक आजकल अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जैसे कि पुरानी प्रौद्योगिकी तथा परंपरागत उत्पादन तकनीक, हैंक यार्न की ऊंची कीमत, छोटे-छोटे पैकों में मानकीकृत रंगों और रसायनों जैसे इन्पुटों की अपर्याप्त उपलब्धता, नए डिजाइनों का अभाव, कौशलों में पर्याप्त उन्नयन की जरूरत तथा अपर्याप्त विपणन आसूचना और फीडबैक । इसके अलावा, इसमें कुछ अंतर्निहित हतोत्साहन हैं जैसेकि असंगठित संरचना, बुनकरों का कमजोर वित्तीय आधार और सहकारिताओं का अफसरीकरण/राजनीतिकरण ।

131. हथकरघा क्षेत्रक, अपने प्रमुख कच्चे माल, यथा हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से संगठित मिल क्षेत्रक पर निर्भर है । केन्द्रीय सरकार हथकरघा बुनकरों को निम्नलिखितों के माध्यम से उचित कीमतों पर हैंक यार्न की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने में मदद कर रही है : (क) हैंक यार्न आब्लिगेशन स्कीम, और (ख) रा-ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमतों पर यार्न की आपूर्ति । एनएचडीसी ने वर्ष 2001-02 के दौरान हथकरघा एजेंसियों को 361.02 करोड़ रुपए मूल्य के 460.99 लाख कि.ग्राम यार्न की सप्लाई की। अगस्त, 2003 तक एनएचडीसी ने 99.12 करोड़ रुपए मूल्य के 115.40 लाख कि.ग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति की । 2002-03 बजट में हैं यार्न पर उत्पाद-शुल्क लगा दिया गया । वर्ष 2002-03 के अंत तक बजट में हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी । तथापि, उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त लागत के कारण, हथकरघा बुनकरों को कठिनाइयों से बचाने के लिए, डीसी (हथकरघा) कार्यालय ने हथकरघा बुनकरों को सेनवाट से निवल कीमतों पर हैंक यार्न की आपूर्ति करने वाले संगठनों को हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की एक स्कीम तैयार की है ।

132. हथकरघा एजेंसियों और अलग-अलग बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने के वास्ते, डीसी (हथकरघा) कार्यालय, रा-ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशे-एक्सपो, जिला स्तरीय समारोह आयोजित करने, मास्टर बुनकरों को रा-ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागों में आयोजित शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करता है । वर्ष 2001-02 के दौरान, 9 रा-ट्रीय हथकरघा एक्सपो, 9 विशे-एक्सपो तथा 82 जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए गए । वर्ष 2002-03 के दौरान उदयपुर, हैदराबाद, फरीदाबाद, आगरा, पटियाला और कोल्लम में 6 शिल्प मेलों के साथ-साथ 18 रा-ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशे-एक्सपो तथा 132 जिला स्तरीय समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है । वर्ष 2003-04 के दौरान लगभग 20 रा-ट्रीय/विशे-एक्सपो तथा 150 जिला स्तरीय समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

133. हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी उपाय किए गए हैं, जैसेकि समूह बीमा स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज, बचत निधि-स्कीम-परियोजना पैकेज स्कीम और वर्कशेड-सह-आवास स्कीम आदि । माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2002 को बुनकरों व शिल्पकारों के लिए विशे-अंशदायी बीमा स्कीम के कार्यान्वयन की घो-ना की थी । तदनुसार, "बुनकर बीमा योजना" नामक एक व्यापक स्कीम तैयार की गई है और अनुमोदनार्थ विचाराधीन है ।

134. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) की शुरुआत अप्रैल, 2002 में की गई थी तथा इसे हथकरघा क्षेत्रक के विकास के लिए मार्च, 2007 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। पिछली कुछ स्कीमों को जैसेकि परियोजना पैकेज स्कीम, फ्रीलांस डिजाइनर स्कीम, आदि को डीडीएचपीवाई स्कीम में मिला दिया गया है। डीडीपीएचवाई के अंतर्गत हथकरघा संगठनों को निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि (i) बुनियादी इन्पुट, (ii) आधारभूत ढांचा सहायता, (iii) डिजाइन इन्पुट, (iv) प्रचार, (v) विपणन प्रोत्साहन, (vi) परिवहन सब्सिडी, और (vii) हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50:50 अनुपात में अनुदान दिए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के मामले में हिस्सेदारी 90:10 अनुपात में होगी। 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/अल्पसंख्यक सदस्यता वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के मामले में अनुदान की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है। सभी राज्यों के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच विपणन सहायता हेतु सहायता का अनुपात 50:50 होगा।

135. प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू व कश्मीर के लिए पोषित आर्थिक पैकेज के अंतर्गत, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

- (क) ऊन तथा ऊनी डिजाइन विकास केन्द्रों के लिए एकीकृत परियोजना प्रस्ताव,
- (ख) जम्मू व कश्मीर में एक नया बुनकर सेवा केन्द्र।

विद्युतकरघा

136. विकेन्द्रीयकृत विद्युतकरघा क्षेत्रक देश की कपड़े की जरूरतें पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और सादा तथा जटिल डिजाइनों वाला अनेक प्रकार का संसाधित कपड़ा तैयार करता है। 3.84 लाख से अधिक विद्युतकरघे हैं, जो देश में कुल कपड़ा उत्पादन में 60 प्रतिशत का योग करते हैं, जिसमें लघु उद्योग बुनाई-भिन्न और होजरी/निटिंग इकाइयों द्वारा तैयार कपड़ा शामिल नहीं है। इस क्षेत्रक में लगभग 43 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं तथा निर्यात आय में भी इसका हिस्सा महत्वपूर्ण है।

137. देश में विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रक में विद्युतकरघे की अनुमानित संख्या जो 1986 में 6.39 लाख थी, 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 17.20 लाख हो गई। विद्युतकरघों को पुरानी प्रौद्योगिकी, अलग-थलग छोटे आकार के यूनिट, उच्च विद्युत टैरिफ, बढ़ती विद्युत कटौती, निम्न दक्षताएं, अपर्याप्त क्रेडिट उपलब्धता और घटिया विपणन तकनीक जैसी प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकरण के साथ-साथ आयातों से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो रही है। विद्युतकरघों का आधुनिकीकरण, उत्पादन की कोटि और उतपादकता में सुधार, उच्च डिजाइन इन्पुट की व्यवस्था करने और विद्युतकरघा श्रमिकों के सामाजिक कल्याण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है।

138. चौदह विद्युतकरघा सेवा केन्द्र (पीएससी) कपड़ा आयुक्त के अधीन कार्य कर रहे हैं तथा 30 पीएससी विभिन्न कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों (टीआरए), नामतः एटीआईआरए, बीटीआरए, एमएएनटीआरए, एनआईटीआरए, एसएएसएमआईआरए, आईजेआईआरए, एसआईटीआरए और मध्य प्रदेश व कर्नाटक की राज्य सरकार एजेंसियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। ये पीएससी अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनमें सम्मिलित हैं प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं, तकनीकी परामर्श, डिजाइन

विकास और विविधिकरण आदि तथा विद्युतकरघा यूनितों और बुनकरों के लिए समूह बीमा स्कीम का कार्यान्वयन ।

139. विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में विद्युतकरघे बहुत पुराने और अप्रचलित प्रौद्योगिकी वाले हैं। शटल-विहीन करघों, कोप-परिवर्तनशील/शटल परिवर्तनशील करघों, ड्राप-बाक्स करघों, डौबी, जेक्वार्ड टेरी फेब्रिक बुनाई करघों, प्रिन-वाइंडिंग मशीनों, सैक्शनल वार्षिक मशीनों, यार्न और फेब्रिक परीक्षण उपस्कर, रासायनिक परीक्षण उपस्कर, डीजी सेटों आदि की स्थापना करके विद्यमान पीएससी को आधुनिक बनाने तथा सुदृढ़ करने की जरूरत है । नौवीं योजना के दौरान 12.67 करोड़ रुपए की लागत से 21 पीएससी का आधुनिकीकरण किया गया तथा शेन का आधुनिकीकरण दसवीं योजना के दौरान किया जाना है ।

140. नए डिजाइनों के सृजन, फैशन में तेजी से बदलती विश्व परंपरा में डिजाइन और उत्पादन में सुधार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रबंधन एजेंसियों के अधीन 17 प्रमुख विद्युतकरघा संकुलों (क्लस्टर) में कंप्यूटर सहायित (सीएडी) केन्द्र स्थापित किए गए । इन सीएडी केन्द्रों को पांच वर्न की अवधि पूरी होने तक प्रतिवर्न प्रति केन्द्र 6.75 लाख के हिसाब से आवर्ती व्यय प्रदान किया गया है ।

141. भारत सरकार ने, वर्न 1992-93 से भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा कामगारों के लिए एक समूह बीमा स्कीम प्रारंभ की गई है । वर्तमान वर्न से एक संशोधित स्कीम प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत 18-59 आयु वर्ग के बीच के और गरीबी रेखा से नीचे के (1999-2000 कीमतों पर शहरी कामगारों के लिए गरीबी रेखा अनुमानतः 454.1 रुपए प्रति व्यक्ति है) अथवा गरीबी रेखा से मामूली ऊपर के विद्युतकरघा कामगार "जनश्री बीमा योजना" के तहत दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में 50,000/- रुपए के; स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 25,000/- रुपए तक के; अथवा आंशिक अपंगता की स्थिति में 20,000/- रुपए तक के बीमा कवरेज के पात्र हैं । 200/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम की राशि केन्द्रीय सरकार, लाभार्थी और जीवन बीमा निगम के बीच क्रमशः 60/- रुपए, 40/- रुपए और 100/- रुपए के रूप में वहन की जाएगी । अतिरिक्तता स्कीम के तहत, प्राकृतिक और साथ ही दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में 180/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम के साथ 30,000/- रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज उपलब्ध होगा, इस राशि को केन्द्रीय सरकार और लाभार्थी द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। अदायगी करने पर बुनकर संचयी लाभ प्राप्त कर सकता है । पूर्व स्कीम के तहत वर्न 2002-03 के दौरान 12.9 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी तथा नई स्कीम भी अच्छी तरह से चल रही है जिसके अंतर्गत 30 सितम्बर, 2003 तक 19,823 विद्युतकरघों को कवर करते हुए अनुमानतः 13.56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई ।

142. कार्य परिवेश में सुधार करने तथा विद्युतकरघा कामगार को उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने सामूहिक वर्कशेड स्कीम अनुमोदित की है जिसके लिए दसवीं योजना में 19.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा जिसमें अधिकतम 80/- रुपए प्रति वर्ग फुट के अध्यक्षीन निर्माण की यूनिट लागत के 25% की सीमा तक वर्कशेडों के निर्माण के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है । अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में उद्धार करने के उद्देश्य से स्कीम के अंतर्गत कपड़ा केन्द्र अवस्थापना विकास स्कीम (टीसीआईडीएस) के साथ संयोजन की परिकल्पना की गई है जिसके अंतर्गत विद्यमान अथवा उभरते कपड़ा केन्द्रों में क्रांतिक अवस्थापना में सुधार करने के वास्ते केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है ।

ऊन क्षेत्रक

143. भारत में ऊन उद्योग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में संकेंद्रित है। देशज बाजार के विभिन्न वर्गों व साथ ही निर्यात की मांग को पूरा करने में, ऊनी उद्योग का संगठित क्षेत्रक, विकेन्द्रीकृत क्षेत्रक तथा ग्रामीण क्षेत्रक एक-दूसरे के पूरक हैं। उद्योग के अंतर्गत संगठित क्षेत्रक में आधुनिक परि-कृत पूर्णतः मिली-जुली मिलें और साथ ही ग्राम स्तर पर हथकरघा और हाथ से बुने जाने वाले गलीचा विनिर्माण यूनिट भी सम्मिलित हैं। उद्योग में बड़ी संख्या में 12 लाख व्यक्तियों तक को रोजगार प्राप्त है। उनमें से अधिकांश गडरिए हैं जो भेड़ पालक हैं तथा कच्चे ऊन का उत्पादन करते हैं। घटती चारागाह भूमियों की वजह से भारतीय ऊन पालकों की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय औसतों की तुलना में काफी कम है।

144. ऊन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रकों के विभिन्न विविधीकृत हितों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से तथा उद्योग का एकीकृत विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) जोधपुर, सन 1989 से कार्य कर रहा है। सीडब्ल्यूडीबी ने भेड़ पालकों की आय बढ़ाने तथा ऊन की कोटि में सुधार करने, विपणन आसूचना, ऊन तथा ऊनी कपड़ों के विपणन, ऊन तथा ऊनी उत्पादों के मानकीकरण, कोटि नियंत्रण, सूचना के प्रसार, उत्पाद विविधिकरण, नीतिगत मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने, समन्वय आदि के संबंध में, ऊनी उत्पादों की संवृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यकलाप किए हैं।

145. अंगोरा ऊन के विकास के लिए 8.43 करोड़ रुपए की लागत से एक यूएनडीपी सहायित परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अंगोरा ऊन के उत्पादन और संसाधन का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देश में अंगोरा ऊन का वार्षिक उत्पादन लगभग 40 एमटी है। राशि को संशोधित करके 3.57 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसके तहत 2.88 करोड़ रुपए का प्रावधान लद्दाख क्षेत्र के लिए पशमीना परियोजना के लिए है। एकीकृत भेड़ और ऊन विकास परियोजना के अंतर्गत, सीडब्ल्यूडीबी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं - नस्ल सुधार के पहलू, स्वास्थ्य कवरेज, उत्पाद विकास, विपणन सहायता, भेड़, भेड़ पालन और उत्पादकता में भेड़ पालकों को प्रशिक्षण आदि। बोर्ड ने नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 37.25 लाख भेड़ों को कवर किया है।

146. सीडब्ल्यूडीबी ने, ऊन उत्पादकों, व्यापारियों और उद्योग के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते राजस्थान में बीकानेर और ब्यावर में ऊन परीक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। बोर्ड ने लघु ऊन कटाव संयंत्र, बुनाई और डिजाइन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक सेवा केन्द्र, ऊन परीक्षण सुविधाएं आदि भी स्थापित की हैं। अच्छी कोटि की ऊन की भेड़ उपज में सुधार करने के लिए कर्तक मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक मशीन कर्तन - सह-प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

147. बोर्ड ने ऊन और यार्न की विद्यमान बाजार दरों, ऊन और ऊनी उत्पादों की नवीनतम प्रवृत्तियों और कारोबार के संबंध में साप्ताहिक आधार पर बाजार आसूचना जानकारी इकट्ठा करने और ऊन उत्पादकों, ऊन व्यापारियों और ऊन उपयोगकर्ताओं के बीच उसका प्रसार करने के लिए मुख्य ऊन बाजारों में दस केन्द्र स्थापित किए हैं। सीडब्ल्यूडीबी ने ऊन हथकरघा बुनकरों को नवीनतम बुनाई

प्रौद्योगिकी और नए डिजाइनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एक बुनाई और डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है जिससे कि वे उत्पादन और आय बढ़ा सकें और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार प्राप्त कर सकें। भेड़ पालकों और ऊन बुनकरों की उत्पादकता, आय बढ़ाने आदि के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मिशन प्रस्तावित है। राज्यों को अधिकाधिक अवनत परती भूमि का उपयोग करने और हरे चारागाह विकसित करने में समर्थ बनाकर और अधिक चारागाह भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रेशमपालन

148. भारत, चीन के बाद विश्व में न केवल रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है बल्कि यह सभी चार किस्मों का रेशम उत्पादित करता है यथा मलबरी, एरी, टसर और मूगा। रेशम पालन एक श्रम-बहुल, कृषि आधारित उद्योग है जिसका लक्ष्य वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 56 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) रेशम उद्योग के तीन मुख्य क्षेत्रों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास, बीज अनुसंधान और रेशमपालन और रेशम उद्योग के विकास को कवर कर रहा है तथा देश में रेशमपालन उद्योग को विस्तार तथा आर एंड डी निविटियां भी उपलब्ध करा रहा है।

149. नौवीं योजना अवधि के दौरान 17351 टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 20666 टन का था। दसवीं योजना के दौरान सीएसबी ने, सभी किस्म की रेशम के अंतर्राष्ट्रीय कोटि के मानक प्राप्त करने, आर एंड डी के सुदृढीकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, बाई-वोलटाइन मलबरी रेशम पर विशेष बल देते हुए, रेशमपालन और कपड़ा उद्योग के बीच संयोजनों के सुदृढीकरण आदि पर बल दे रहा है। शून्य आधारित बजट पद्धति के अंतर्गत विकास स्कीमों पर और अधिक बल दिया गया है।

150. मलबरी रेशमपालन के संबंध में कार्रवाई करने के वास्ते मैसूर (कर्नाटक) बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) और पम्पोर (जम्मू व कश्मीर) में, टसर के संबंध में रांची (झारखंड) में और मूगा तथा एरी रेशम के संबंध में जोरहाट (असम) में अनुसंधान संस्थान कार्यरत हैं। बंगलौर स्थित केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई), कोकन-पश्चात आर एंड डी सहायता प्रदान कर रहा है। सीएसबी ने, रेशमकीट की नस्लों में संबद्ध क्षेत्रों में आर एंड डी के लिए बंगलौर (कर्नाटक) में रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एसएसटीएल), होसुर (तमिलनाडु) में केन्द्रीय रेशमपालन जर्मप्लाज्म संसाधन केन्द्र (सीएसजीआरसी) और बंगलौर में सेरी बायोटेक अनुसंधान प्रयोगशाला (एसबीआरएल) स्थापित की है। सीएसबी, विभिन्न राज्य रेशमपालन विभागों और उनके संसाधनों को प्रौद्योगिकी, परामर्श और विस्तार सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

151. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रा-ष्ट्रीय रेशमकीट बीज परियोजना (एनएसएसपी) के माध्यम से अच्छी कोटि के रेशम कीट बीज उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान सीएसबी के 22 ग्रेनेजों (एसएसपीसी) ने विभिन्न मिश्रणों के 183.68 लाख अच्छी कोटि के संकर नस्ल के डीएफएल तैयार किए। वर्ष 2003-04 के दौरान 216.24 लाख मलबरी डीएफएल तैयार करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार, वर्ष 2002-03 के दौरान एरी, ओक, टसर, उ-णकटिबंधीय टसर तथा मूगा डीएफएल के क्रमशः 0.06 लाख, 0.53 लाख, 18.06 लाख और 1.85 लाख का उत्पादन किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेशमकीट बीजों की मांग सीएसबी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों और राज्य सरकार केन्द्रों की वर्तमान क्षमता से अधिक होगी। इसलिए डीएफएल और बीज कोकूनो का उत्पादन करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार बीज उत्पादन केन्द्रों को भी उपयुक्त रूप से सुदृढ किया जाएगा।

152. सीएसबी ने विपणन सहायता प्रदान करने के अलावा उत्पादकता में वृद्धि और कोटि में सुधार करने के लिए राज्य को प्रेरित करने के वास्ते केटेलिटिक विकास कार्यक्रमों (सीडीपी) के अंतर्गत अनेक स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें नौवीं योजना में कार्यान्वित किया है। दसवीं योजना के दौरान, शून्य आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया के अंतर्गत सीएसबी ने बाई-वोल्टाइन रेशमपालन पर अधिक बल देने तथा मलबारी-भिन्न क्षेत्रक को और अधिक बाजार अनुस्थापन प्रदान करने के लिए सीडीपी का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित सीडीपी का उद्देश्य रेशम के लिए समूह बागानों, फार्म अवस्थापना, आधुनिक रीलिंग और संसाधन प्रौद्योगिकियों आदि का विकास और विस्तार करना है। दसवीं योजना अवधि के दौरान सीडीपी के कार्यान्वयन के लिए 173.73 करोड़ रुपए का प्रावधान विनिर्धारित किया गया है। 2002-03 के दौरान सीएसबी द्वारा सीडीपी के तहत विभिन्न स्कीमों/घटकों के कार्यान्वयन के लिए 43.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

153. भारत सरकार के सहयोग से देशज सहयोग फ्रेमवर्क-1 (सीसीएफ-1) के फाइवर्स तथा हैंडिक्राफ्ट्स कार्यक्रम (एफएचएपी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उड़ीसा, मेघालय और नागालैंड राज्यों में मलबारी-भिन्न रेशम (टसर, मूगा और एरी) के विकास के संबंध में यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम 2002-03 में पूरा हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छी कोटि के अंडों के उत्पादन और आपूर्ति, प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन, कोकून-पूर्व तथा कोकून-पश्चात प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकीय समर्थन, जिसमें रीलिंग और कताई आदि सम्मिलित हैं, बल दिया गया।

154. छत्तीसगढ़ राज्य, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) के सहयोग से 748.55 करोड़ रुपए की लागत से एक रेशमपालन परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत (अनुमानित लागत 117.10 करोड़ रुपए), 4000 हैक्टेयर टसर बागान उगाए जाएंगे।

155. मणिपुर की राज्य सरकार जेबीआईसी, जापान के साथ 93.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "मणिपुर रेशमपालन परियोजना" का प्रथम चरण कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 3000 से 5000 तक लाभार्थियों द्वारा 1020-1700 मलबारी बागान उगाए जाएंगे। 60 एमटी कच्चे रेशम के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

156. जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) सहायित बायो-वोल्टाइन परियोजना (पीपीपीबीएसटी परियोजना II चरण) जिसे 1997 में शुरू किया गया था, के अंतर्गत परियोजना-1 के दौरान विकसित बायो-वोल्टाइन नस्लों का क्षेत्र सत्यापन और प्रदर्शन कार्य पूरा हो गया तथा इन बायो-वोल्टाइन नस्लों का नि-पादन संतो-जनक रहा है। प्रति सैकड़ डीएफएल 60-80 कि.ग्राम, 6 कि.ग्राम से 7 कि.ग्राम का एक रेनडिहा और 2 ए से 4 ए ग्रेड कच्ची रेशम (एक बढ़िया कोटि) सतत रूप से प्राप्त की गई है। तृतीय चरण के अंतर्गत भारत में बाई-वोल्टाइन के प्रोन्नयन के लिए विस्तार पद्धति को सुदृढ़ करने की परियोजना, अगस्त, 2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में चुनिंदा टीएससी में बाई-वोल्टाइन के प्रोन्नयन के लिए उपयुक्त विस्तार पद्धति कायम करने का लक्ष्य रखा गया है।

157. 6700 एमटी मलबारी बाई-वोल्टाइन रेशम की व्यवस्था करने के दसवीं योजना लक्ष्य के तहत नई प्रौद्योगिकी तथा सीएसबी द्वारा विकसित नई मजबूत बाई-वोल्टाइन नस्लों के बड़े पैमाने पर प्रचार करने

का एक विशेष कार्यक्रम परिकल्पित किया गया है। दसवीं योजना के दौरान सीएसबी का उद्देश्य, उद्योग के उप-क्षेत्रक के बीच सीधे संयोजन के जरिए निजी क्षेत्रक में एकीकृत रेशम-से-रेशम उत्पादन यूनिट प्रोत्साहित करना, बेहतर कोटि स्तर अपनाना सुनिश्चित करना, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में रेशम पालन सम्बद्ध संस्थानों का पुनर्गठन करना और उत्पादन, रोजगार व निर्यात के संबंध में दसवीं योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रेरक परिवेश कायम करने के वास्ते उपयुक्त नीतिगत उपाय की व्यवस्था भी करना है।

हस्तशिल्प

158. हस्तशिल्प क्षेत्रक, रोजगार सृजन और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा साथ ही विरासत और परंपरा को बनाए रखकर महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान इस क्षेत्रक का नि-पादन उत्साहवर्धक रहा है जैसाकि संलग्नक 10.19 में देखा जा सकता है।

159. हस्तशिल्प क्षेत्रक में राज्य कार्यकलापों के पूरक के रूप में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा बहुत सी विकास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनागत स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण, डिजाइन विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार प्रोत्साहन, प्रदर्शनियां और प्रचार, निर्यात आदि सम्मिलित हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीआई) के अंतर्गत, शिल्पकारों के सशक्तिकरण, विपणन इन्पुट प्रदान करने, स्वयंसेवी समूह (एचएचजी)/सहकारिताएं गठित करने में शिल्पकारों को प्रोत्साहन और संकुल विकास पर बल दिया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान 42 संकुलों को वित्तीय सहायता के रूप में 7.70 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जबकि लक्ष्य 100 संकुलों का था।

160. विद्यमान शिल्पकारों को उनके कौशलों के उन्नयन तथा साथ ही अकुशल शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि आर्थिक विकास के लिए रोजगार तथा शिल्पों के उत्पादन आधार का विस्तार किया जा सके। लुप्त होते शिल्पों के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन निविटियां प्रदान करने पर बल दिया जाता है। 198 विभागीय बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो गलीचा बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 198 केन्द्रों में से 175 गलीचा बुनाई/उन्नत केन्द्र जम्मू व कश्मीर में हैं। गलीचों की धुलाई और उनके परि-करण जैसे बुनाई-पश्चात कामकाज के लिए शिल्पकारों को सात केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। गलीचों के अलावा, बैत और बाँस, का-ठ-बर्तनों आदि जैसे शिल्पों में शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2002-04 के दौरान 2905 शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

161. नई दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और गुवाहटी में एक-एक पांच क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र (आरडीटीडीसी) हैं। इन केन्द्रों में किए जाने वाले कार्यकलापों में सम्मिलित हैं : समकालीन बाजार में शिल्पों को सफल बनाना और दृढ़/डिजाइन इन्पुटों के आधार पर शिल्पों का पारंपरिक सौन्दर्य परिलक्षित रखना। अनेक संस्थान, जैसेकि एनसीडीपीडी, संगीत वाद्य विकास केन्द्र, मद्रास, बैत और बाँस विकास संस्थान, अगरतला, गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही (उत्तर प्रदेश) तथा धातु हस्तशिल्प केन्द्र, मुरादाबाद, अनुसंधान और डिजाइन, प्रौद्योगिकी विकास, औजारों और उपस्कर के सुधार, नए डिजाइनों और प्रोटोटाइपों के विकास आदि के माध्यम से हस्तशिल्प यूनिटों की सहायता कर

रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान, 80 डिजाइन कार्यशालाएं आयोजित की गईं, 3650 नए डिजाइनों और 200 औजार किटों का विकास किया गया।

162. विपणन सहायता और सेवा स्कीम के अंतर्गत, शिल्पकारों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य सरकारों, निर्यातकर्ताओं और व्यापारियों के साथ बेहतर और सार्थक अन्वोन्यक्रिया/कायम करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान, 79 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जबकि लक्ष्य 60 का था। इन कार्यक्रमों से 17.41 करोड़ रुपए मूल्य की बिक्री करने में मदद मिली जिनसे 5400 शिल्पकार लाभान्वित हुए। उपरोक्त के अलावा, 147 प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं जिनके फलस्वरूप 8.16 करोड़ रुपए तक की बिक्री हुई जिससे 2396 शिल्पकार लाभान्वित हुए।

163. दिल्ली हाट की तरह शहरी हाट स्थापित करने की स्कीम के अंतर्गत बाजार रुचि के प्रमुख स्थानों पर अवस्थापना कायम की जाएगी। अभी तक 25 शहरी हाटों को अनुमोदित किया गया है।

164. डीसी (हस्तशिल्प) कार्यालय और हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद के निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विभिन्न देशों के लिए बिक्री/तकनीकी-सह-अध्ययन दलों का प्रायोजन सम्मिलित है। निर्यात किए जाने वाले हस्तशिल्पों में, जरी की शिल्प मदें और जरी वस्तुएं, कला धातु बर्तन, का-ठ सामान, हस्त मुद्रित कपड़े और रुमाल व किरोशिए से कढ़ी हुई व कसीदा कारी वस्तुएं सम्मिलित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

165. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्रक के प्रोन्नयन व विकास हेतु समग्र रा-ष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अंतर्गत नीतियों और योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन संबंधी कार्य की देखभाल करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के अंतर्गत अनाज प्रसंस्करण, फल और वनस्पति उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, माँस और डेयरी उत्पाद, मछली व मछली संसाधन, पेय पदार्थ, शीतल पेय आदि जैसे उप-क्षेत्रक सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्रक को एक उदीयमान उद्योग के रूप में विनिर्धारित किया गया है जो कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करके कृषि/बागवानी उत्पाद की बरबादी कम करने, रोजगार सृजन और निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

166. चावल की मिलों में तैयारी, दाल विनिर्माण तथा गेहूं आटे का उत्पादन व अन्य गेहूं उत्पाद महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं जो अन्न प्रसंस्करण क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार आधुनिक चावल मिलों की संख्या 35088 थी। चावल या गेहूं के प्रसंस्करण/विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते कोई लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वर्ष लगभग 12.50 मिलियन टन गेहूं को विभिन्न गेहूं उत्पादों में बदला जाता है तथा 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार 19.50 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ 820 रोलर आटा मिलें कार्यरत थीं। चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण और उत्पाद उपयोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों वाले विभिन्न राज्यों में तेरह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खडगपुर में कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी केन्द्र, घरेलू स्तर पर खाद्य

प्रसंस्करण और परिरक्षण तकनीकों और गौण मौटे अनाज (मिलेट) के प्रसंस्करण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बेकरी उत्पादों का उत्पादन 30 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। संगठित क्षेत्रक लगभग 65 प्रतिशत डबल रोटियां और बिस्कुटों का उत्पादन करता है जो कुल बेकरी उत्पादों का 82 प्रतिशत है। इसके अलावा, मृदु पेय, बीयर और मादक पेय भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक भाग है।

167. बागवानी उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत भाग, जिसका मूल्य अनुमानतः 50,000 करोड़ रुपए है, कटाई पश्चात प्रसंस्करण सुविधाओं, शीतगारों और शीत श्रृंखलाओं की उपलब्धता के अभाव में बरबाद हो जाता है। एक दृढ़ और कारगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक, कृनि कार्यकलापों के विविधीकरण, मूल्य वर्धन और कृनि उत्पादों का निर्यात सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्रक में, उत्पादन, निर्यात और रोजगार बढ़ाने की विशाल क्षमता है। दसवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण स्तर को वर्तमान में 2 प्रतिशत स्तर से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने की परिकल्पना की गई है। फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित स्थापित क्षमता, जो 2000 में 21.00 लाख टन थी, 2001 में बढ़कर 21.10 लाख टन हो गई। यह वृद्धि नगण्य है तथा नए निवेश की जरूरत है। तैयार खाद्य उत्पादों पर करों को कम करने की सख्त जरूरत है जिससे कि आकर्षक बन सकें और जन समूह की पहुंच के अंदर उपलब्ध हो सकें। तैयार/पैकड खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती से एफपीआई निजी क्षेत्रक निवेश प्राप्त करने में और आकर्षक बन सकता है। भारत, दूध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर और फलों व सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2000-01 में भारत का दूध उत्पादन 81 मिलियन टन तक पहुंच जाने की उम्मीद है जबकि 1999-2000 में यह 78 मिलियन टन था। यद्यपि ब्राजील जैसे देश में 80 प्रतिशत फल और सब्जियां संसाधित की जाती हैं तथापि भारत में केवल लगभग 2 प्रतिशत बागवानी उत्पादन को संसाधित किया जाता है।

168. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों में, अवस्थापना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और एफपीआई यूनिटों का आधुनिकीकरण, पृ-ठ तथा अग्र एकीकरण व अन्य प्रमुख कार्यकलाप, कोटि आश्वासन, कोडेक्स मानक और आर एंड डी, मानव संसाधन विकास तथा एमएफपीआई के अंतर्गत संस्थानों का आधुनिकीकरण जैसी स्कीमों में सम्मिलित हैं। ये स्कीमों शून्य आधारित बजट पद्धति प्रक्रिया के बाद अनुमोदित की गई हैं। जिसके तहत नौवीं योजना की 24 स्कीमों को घटाकर 6 कर दिया गया जिन्हें दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु शुरू किया जाएगा।

169. खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा परंपरागत खाद्य, नए उत्पादों/प्रक्रियाओं/पैकेजिंग सामग्री के विकास और उप-उत्पादों के उपयोग आदि के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2001-02 में एमएफपीआई द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास के अंतर्गत जिसके लिए विश्वविद्यालयों/प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान दिए गए निम्नलिखित सम्मिलित हैं : अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के उद्देश्य से परंपरागत खाद्य प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, ऊर्जा बचत, पैकेजिंग सामग्री तथा खाद्य योग्य के लिए आयात प्रतिस्थापन, किफायती तथा कुशल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों

के उच्च कोटि के स्थिर विकास के साथ मध्यवर्ती उत्पादों और निर्जलीकृत उत्पादों, प्रशीतित खाद्य विकास आदि । पैकेजिंग विकास के जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना है उनमें सम्मिलित हैं : प्लास्टिक कंटेनरों में खाद्य उत्पादों को गर्म-गर्म भरना, खाने के लिए तैयार खाद्य, पारंपरिक भारतीय खोया-आधारित मिठाइयों, माँस और माँस उत्पादों के संबंध में उपयुक्त पैकेजों का विकास, माइक्रो-ओवन उपयुक्त पैकेज, खाद्य मर्दों तथा जैव-क्षतियोग्य पैकेजिंग सामग्री के लिए प्रतिकारयोग्य पाउच ।

170. अवस्थापना संबंधी विद्यमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उनका उन्नयन व आधुनिकीकरण करने की जरूरत है । कोटि परीक्षण तथा प्रमाणन की सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं है जो देशज और साथ ही अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात बाजारों की भी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं । राज्य/प्रोन्नयन संगठनों द्वारा खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया । अभी तक (नवम्बर, 2002 तक) 36 खाद्य पार्कों की मंजूरी दी गई है तथा वे पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं । केरल और तमिलनाडु में कुछेक खाद्य पार्क पूर्ण हो चुके हैं तथा इन खाद्य पार्कों में नए एफपीआई यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं ।

171. उपभोक्ताओं को स्वच्छ और अच्छी कोटि के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खाद्य उत्पाद आदेश (एफपीओ) 1955 प्रचालन में हैं । केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति के अनुरोध पर एफपीओ में संशोधन किए जा रहे हैं, इस समिति में सरकार, सीएफटीआरआई, बीआईएस, फल और सब्जी प्रसंस्कर्ताओं और प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । वर्ष 2001 और 2002 में संशोधन किए गए । 61 उत्पादों के संबंध में विनिर्देशों के मसौदे पर केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया तथा उसने परिवर्तनों की सिफारिश की । यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान आयोजित किए गए हैं कि सभी फल और सब्जी प्रसंस्कर्ताओं के पास एफपीओ के अंतर्गत लाइसेंस हों ।

172. कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका गठन, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारी निकायों, उपभोक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर खाद्य विनिर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मानक विकसित करने में सहायताार्थ खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किया गया है । कोडेक्स मानकों का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चर्चाओं और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवादों के निपटान हेतु भी विश्व भर में खाद्य की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए किया जा रहा है । कोडेक्स मानकों के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए एफपीआई मंत्रालय में एक मानीटरन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । भारत में कोडेक्स संपर्क स्थल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है। एफपीआई मंत्रालय, कोडेक्स एलीमेंटरीज के कार्यकलापों के साथ निकटतः जुड़ा है तथा पांच छाया समितियां मंत्रालय के अधीन हैं । कठिनाई विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण प्वाइंट (एचएसीसीपी) कोटि आश्वासन पद्धति और आईएसओ: 9000 गुणवत्ता प्रबंधन अत्यंत वांछनीय है । मंत्रालय, एचएसीसीपी के कार्यान्वयन, समग्र कोटि प्रबंधन (टीक्यूएम) और आइएसओ: 9000 प्रमाणन प्राप्त करने आदि की जागत के वास्ते अधिकतम दस लाख रुपए के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत तक अनुदान देता है । वर्ष 2001-02 के दौरान 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

173. एफपीआई मंत्रालय ने एक रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा तैयार किया है जिसके तहत समर्थनकारी परिवेश कायम करने, अवस्थापना विकास तथा फार्म स्तर पर पृ-ठ संयोजनों की परिकल्पना की गई है । नीति के मसौदे में राज्य सरकारों उद्योग और विशेष-ज्ञों के मत शामिल हैं। एफपीआई मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण विधेयक के ड्राफ्ट के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई है । एफपीआईके संबंध में एक व्यापक एकीकृत कानून तैयार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) स्थापित किया गया है ।

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र तथा 2003-04 के लिए कार्रवाई योजना

174. रा-ट्रीय विकास परि-द (एनडीसी) की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुपालन में व-र् 2003-04 के लिए कार्रवाई की एक प्राथमिकतापूर्ण कार्यसूची का मसौदा तैयार किया गया है । वारिक योजना के निम्नलिखितों को प्राथमिकता/विशे-न ध्यान दिया जाएगा :

- विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा विद्यमान 0.6% के स्तर से 10% तक बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त नीति बनाना और एक समर्थनकारी माहौल कायम करना ।
- बुनकरों और शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज का शीघ्र कार्यान्वयन ।
- फार्मास्यूटिकल उद्योग संबंधी कार्यदल की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।
- वाणिज्य विभाग के विनियामक कार्य के संबंध में आनलाइन फाइलिंग/डाटा संग्रहण आदि के लिए इलेक्ट्रानिक डाटा परस्पर विनिमय का पूर्ण रूप में लागू करना ।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कामकाज की व्यापक समीक्षा ताकि इसकी प्रमुख दक्षताओं को सुदृढ़ किया जा सके और इसके कुछ कार्यकलापों का अन्यो को सौंपने की संभावना का पता लगाना ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक स्कीम का निर्माण और कार्यान्वयन जिससे कि विश्व नि-पादनों के संदर्भ में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार किया जा सके ।
- सरकारी उद्यमों के संबंध में सहमति-ज्ञापन पद्धति का पुनर्गठन ।
- जरूरत आधारित तथा विशि-ट रूप से तैयार किए गए उपायों के संबंध में उच्च विकास क्षमता के साथ औद्योगिक संकुलों का विनिर्धारण ।
- विश्व कपड़ा व्यापार में भारत के हिस्से को 3% से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए समर्थकारी माहौल और उपायों का निर्धारण ।
- विकास अनुप्रयोगों हेतु नाभिकीय प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में एक रा-ट्रीय कार्यसूची तैयार करना ।

- सभी विनियामक प्रक्रियाओं, प्रतिस्रोत (निवेश अनुमोदन से पहले) तथा अनुप्रवाह (कार्यान्वयन के दौरान) दोनों की पुनर्संरचना ।
- विनियामक सिद्धांतों की एक स्प-ट पद्धति के आधार पर औ-धि कीमतों पर से नियंत्रण को और हटाना तथा कीमत विनियमन हेतु संस्थात्मक पद्धति ।
- परियोजना निर्यात संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ।
- एसईजेड का आकार और प्रतिस्पर्द्धात्मक आर्थिक क्षेत्र नीति की केन्द्रीय एसईजेड अधिनियम सहित, संरचना, जिससे कि निजी भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में बाधा रहित विनियामक व्यवस्था के माध्यम से, जिसमें एसईजेड में कराधान, सीमाशुल्क, श्रम आदि शामिल हैं, विश्व स्तर की अवस्थापना कायम की जा सके ।
- दो व-नों के अंदर सभी खाद्य निर्यातों के संबंध में अनिवार्य जीएमपी एचएसीसीपी प्रमाणन के संबंध में विधान तैयार करना तथा तकनीकी सहायता हेतु एक स्कीम का निर्माण जिससे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उनका पालन कर सके ।
- डब्ल्यूटीओ वि-यों से सम्बद्ध एक व्यापक अधिदेश के साथ तथा डब्ल्यूटीओ सम्बद्ध विधिक क्षमताओं द्वारा संवर्धित, पूर्व बीआईसीपी की तकनीकी क्षमताओं से सज्जित, विद्यमान डंपिंग-रोधी प्रको-ठ का एक स्वायत्त अर्ध-न्यायिक अंतर्रा-द्रीय व्यापार आयोग में विलयन ।
- आईटीसी की खोज पर डंपिंग-रोधी शुल्क आरोपित करने के लिए सांविधिक आधार को मजबूत करना ।
- उदारता हेतु अनिवार्य वस्तु अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना ।
- उपभोक्ता जागरूकता, समाधान और प्रवर्तन हेतु एक रा-द्रीय कार्रवाई योजना तैयार करना ।
- नुकसान उठाने वाले सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के विनिवेश के लिए एक नीति तैयार करना।
- विनिवेश वाली कंपनियों के शे-न रहते हिस्से के प्रबंधन और वितरण हेतु परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी गठित करने के संबंध में अंतिम मत निर्धारित करना ।
- नई परिसंपत्तियां, निवेश, रोजगार सृजित करने तथा सरकारी ऋण की निवृत्ति के लिए विनिवेश प्राप्त निधि स्थापित करने संबंधी एक अंतिम मत का मूल्यांकन ।
- यूरिया के लिए सब्सिडी स्कीम और अनियंत्रित उर्वरकों (डीएपी, एमओपी तथा कंपलेक्सिज) के लिए रियायत स्कीम के युक्तिकरण के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन का निकटतः मानीटरन ।
- उर्वरक क्षेत्रक के संबंध में एक दीर्घावधिक नीति का निर्माण ।

- लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए सहायक निःशुल्क क्रेडिट सहित क्रेडिट उपलब्धता को सुकर बनाना तथा क्रेडिट गारंटी न्याय निधि स्कीम के अंतर्गत लघु/छोटे यूनिटों की अधिक कवरेज प्राप्त करना ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण, आधुनिक परीक्षण सुविधाओं, कोटि प्रमाणन प्रयोगशालाओं और दक्षताओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- एफडीआई के संबंध में नीति, एफडीआई मंजूरीयों के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन तथा सुकर बनाने को सुदृढ़ करना ।
- निरर्थक विस्तार को कम करने के उद्देश्य से ईआरसी की सिफारिशों और सम्बद्ध वीआरएस स्कीम का कार्यान्वयन ।
- एक नया समेकित खाद्य विधेयक तैयार करने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम व अन्य खाद्य कानूनों में व्यापक रूप से संशोधन ।
- खाद्य क्षेत्रक में बहु-पक्षीय बातचीत के संबंध में उद्योग के साथ परामर्शों को प्रणालीबद्ध करना ।
- कृषि में इन्पुटों तथा उत्पाद के लिए कोटि नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करना ।
- एफडीआई प्रवाहों के माध्यम से आर एंड डी निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रक्रियाएं प्रारंभ करना ।
- आर एंड डी निर्यात से आय को आयकर प्रयोजनार्थ निर्यात आय के बराबर समझने पर विचार करना ।
- एक नई बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में बदलाव को पूरा करना जिससे कि ज्ञान आधारित उद्योगों में हमारे तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाया जा सके ।
- लघु उद्योगों की जिस रिपोर्टों के संबंध में राकेश मोहन, आबिद हुसैन, एस.पी. गुप्ता और के.सी. पंत रिपोर्टों की सिफारिशों पर कार्यवाही व कार्यान्वयन ।
- लघु उद्योग क्षेत्रक के संबंध में प्रक्रियात्मक/विनयामक रिपोर्टों के संबंध में एएससीआई रिपोर्ट पर कार्यवाही तथा कार्यान्वयन और साथ ही गोविंदराजन समिति रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

175. देश में निवेशकर्ता अनुकूल माहौल कायम करने के लिए एक विशि-ट रा.वि. परि-द उप-समिति पहले ही गठित की जा चुकी है ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

क्र.सं.	क्षेत्रक	इक्विटी सीमा	प्रवेश मार्ग
I	विनिर्माण		
I.1	औ-नधि (पुनः संयोजित डीएनए)	100%	एफआईपीबी
I.2	पेट्रोलियम परि-करण - पीएसयू	26%	एफआईपीबी
I.3	तेल विपणन	74%	एफआईपीबी
I.4	लघु उद्योग	24%	ओटोमेटिक
II	खनन और उत्खनन		
II.1	हीरे, कीमती पत्थर	74%	ओटोमेटिक
II.2.1	पेट्रोल खोज : छोटे क्षेत्र, बोली	100%	एफआईपीबी
II.3.1	पेट्रोल खोज : अ संस्थापित जे.वी.	60%	एफआईपीबी
II.2.3	पेट्रोल खोज : संस्थापित जे.वी.	51%	एफआईपीबी
II.3.1	कोयला और लिग्नाइट	50%	ओटोमेटिक
	विद्युत उपभोक्ता	100%	एफआईपीबी
	अन्य उपभोक्ता	74%	एफआईपीबी
II.3.2	कोयला वाशरी	50%	ओटोमेटिक
		100%	एफआईपीबी
IV	आधारभूत सेवाएं		
IV.1	हवाईअड्डे	74%	ओटोमेटिक
IV.2	नागरिक विमानन	100%	एफआईपीबी
IV.3	दूरसंचार	40%	एफआईपीबी
IV.3.1	बुनियादी और मोबाइल	49%	एफआईपीबी
IV.3.2	समग्र बैंडविड्थ	74%	एफआईपीबी
IV.3.3	गेटवे	74%	एफआईपीबी
IV.4	पाइपलाइन: तेल और गैस	51%	एफआईपीबी
V	वित्तीय सेवाएं		
V.1	बैंकिंग (निजी)	49%	ओटोमेटिक
V.2	निवेश कंपनियां	49%	एफआईपीबी
VI	ज्ञान सेवाएं		
VI.1	सूचना प्रौद्योगिकी		
VI.1.1	आईएसपी	100%	एफआईपीबी
VI.1.2	ई-मेल, वायस मेल	100%	एफआईपीबी
VI.1.3	रेडियो पेजिंग	74%	एफआईपीबी
VI.2	प्रसारण - डीटीएच, केयू	20%	एफआईपीबी
VI.2.1	अप लिंकिंग	49%	एफआईपीबी
VII	अन्य सेवाएं		
VII.1	विज्ञापन	74%	ओटोमेटिक
VII.2	व्यापार (निर्यात, लघु उद्योग)	51%	ओटोमेटिक
VII.3	कूरियर सर्विस	100%	एफआईपीबी
VIII	वर्तमान में निनिद्ध क्षेत्रक		
VIII.1	बागान (अन्य)	0%	एफआईपीबी
VIII.2	स्थावर संपदा:		
VIII.2.1	कम्प्लेक्सिज (सभी श्रेणी)	0%	ओटोमेटिक
VIII.2.2	वैयक्तिक मकान/इमारत/शेड	0%	एफआईपीबी

सम्मिलित नहीं किए गए क्षेत्रक: अस्त्र-शस्त्र, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, परिवहन, कोयला और लिग्नाइट, लोहे, मेनगनीज, क्रोम, जिप्सम, सल्फर, स्वर्ण, हीरे, तांबे, जस्ते का खनन ।

संलग्नक 10.1.2

विदेशी निवेश आप्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01(R)	2001-02(R)	2002-03(P)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क. प्रत्यक्ष निवेश	97	129	315	586	1,314	2,144	2,821	3,557	2,462	2,155	4,029	6,131	4,660
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ+ङ.)	..	129	315	586	1,314	2,144	2,821	3,557	2,462	2,155	2,400	4,095	2,700
क. सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	..	66	222	280	701	1,249	1,922	2,754	1,821	1,410	1,456	2,221	919
ख. भा.रि. बैंक	..	—	42	89	171	169	135	202	179	171	454	767	739
ग. एन.आर.आई.	..	63	51	217	442	715	639	241	62	84	67	35	—
घ. शेयरों की अधिप्राप्ति [^]	11	125	360	400	490	362	881	916
ङ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	61	191	126
II. पुनः निवेशित आय \$	1,350	1,646	1,498
III. अन्य पूंजी\$\$	279	390	462
ख. पोर्टफोलियो निवेश	6	4	244	3,567	3,824	2,748	3,312	1,828	-61	3,026	2,760	2,021	979
क. जीडीआर/एडीआर #	—	—	240	1,520	2,082	683	1,366	645	270	768	831	477	600
ख. एफआईआई ^{**}	—	—	1	1,665	1,503	2,009	1,926	979	-390	2,135	1,847	1,505	377
ग. अपतटीय निधियां व अन्य	6	4	3	382	239	56	20	204	59	123	82	39	2
जोड़ (क+ख)	103	133	559	4,153	5,138	4,892	6,133	5,385	2,401	5,181	6,789	8,152	5,639

[^] : डाटा को अगस्त 2002 में संशोधित किया गया । आर. संशोधित ।

* : फेमा 1999 की धारा 5 के तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की अधिप्राप्ति से संबंधित है । ऐसी अधिप्राप्तियों के संबंध में डाटा को जनवरी 1996 से एफडीआई के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

: भारतीय कंपनियों द्वारा विश्व जमा प्राप्तियों (जीडीआर) तथा अमरीकी जमा प्राप्तियों (एडीआर) के माध्यम से जुटाई गई राशि का द्योतक है ।

** : विदेशी संस्थात्मक निवेशकर्ताओं (एफआईआई) द्वारा निधियों के नए आप्रवाहों को प्रदर्शित करता है ।

\$: 2002-03 के संबंध में डाटा पिछले दो व-नों के औसत पर अनुमानित है ।

\$\$: डाटा एफडीआई घटकों के अंतर कंपनी ऋण कारोबार से संबंधित है ।

टिप्पणी: एफडीआई के संबंध में डाटा, अंतर्रा-ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विस्तारित कवरेज के साथ 2000-01 से संशोधित किए गए हैं, इसलिए पिछले व-नों के संबंध में एफडीआई डाटा के साथ तुलनीय नहीं हैं ।

संलग्नक 10.1.3

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
को जारी की गई राज्यवार निधियां

मंत्रालय/विभाग का नाम: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

स्कीम का नाम: विकास केन्द्र स्कीम

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	110	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	320	-
3.	असम	200	-	900	-
4.	बिहार	-	-	200	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	100	-
6.	दिल्ली	-	-	-	-
7.	गोवा	150	-	-	-
8.	गुजरात	400	235	300	-
9.	हरियाणा	150	200	450	-
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	153	-
11.	झारखंड	200	50	275	-
12.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-
13.	कर्नाटक	200	-	-	-
14.	केरल	-	-	-	-
15.	मध्य प्रदेश	100	-	250	-
16.	महाराष्ट्र	255	240	-	-
17.	मणिपुर	100	-	-	-
18.	मेघालय	-	-	-	-
19.	मिजोरम	250	-	180	-
20.	नागालैंड	195	255	-	-
21.	उड़ीसा	-	675	240	-
22.	पंजाब	-	-	-	-
23.	राजस्थान	-	-	850	-
24.	सिक्किम	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	150	600	-	-
26.	त्रिपुरा	250	270	500	-
27.	उत्तर प्रदेश	650	1025	250	-
28.	उत्तरांचल	-	-	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	-	350	300	-
30.	अंडमान व निकोबार	-	-	-	-
31.	चंडीगढ़	-	-	-	-
32.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-
33.	दमन व दीव	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
35.	पांडिचेरी	-	100	250	-
	जोड़	3250	4000	5628	-

संलग्नक 10.1.4

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
को जारी की गई राज्यवार निधियां

मंत्रालय/विभाग का नाम: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

स्कीम का नाम: परिवहन सब्सिडी स्कीम

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	असम	4252.04*	6583.19*	9497.45*	
2.	मणिपुर				
3.	त्रिपुरा				
4.	अरुणाचल प्रदेश				
5.	मेघालय				
6.	नागालैंड				
7.	मिजोरम				
8.	सिक्किम	-	69.59	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	4037.88	2238.23	1174.45	-
10	जम्मू व कश्मीर	275.86	69.54	191.03	-
11	उत्तर प्रदेश (अब उत्तरांचल)	0.76	-	-	-
12	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	33.46	3.19	0.81	-
13	लक्षद्वीप	-	-	-	-
14	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	-	36.26	36.26	-
	कुल	8600.00	9000.00	10900.00	-

*मई, 2000 से एनईडीएफआई को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पात्र यूनिटों को सब्सिडियों के संवितरण के वास्ते नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है (क्रम सं. 1-7) और तदनुसार निधियां एनईडीएफआई के पक्ष में जारी की जाती हैं ।

संलग्नक 10.1.5

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
को जारी की गई राज्यवार निधियां

मंत्रालय/विभाग का नाम: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

स्कीम का नाम: क्रांतिक अवस्थापना शेन स्कीम

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	200.00		"एसआईडी" के साथ स्कीम शामिल की गई ।	
2.	अरुणाचल प्रदेश				
3.	असम	95.47	300.00		
4.	बिहार	99.81			
5.	छत्तीसगढ़				
6.	दिल्ली				
7	गोवा				
8	गुजरात	100.00			
9	हरियाणा		12.20		
10	हिमाचल प्रदेश	165.00	165.00		
11	झारखंड				
12	जम्मू व कश्मीर	222.60	10.13		
13	कर्नाटक	250.00	274.08		
14	केरल				
15	मध्य प्रदेश	71.18	221.19		
16	महाराष्ट्र	115.74	50.00		
17	मणिपुर				
18	मेघालय				
19	मिजोरम	135.53			
20	नागालैंड				
21	उड़ीसा	180.00			
22	पंजाब	100.00	100.00		
23	राजस्थान				
24	सिक्किम				
25	तमिलनाडु	200.00			
26	त्रिपुरा	100.00	85.24		
27	उत्तर प्रदेश				
28	उत्तरांचल				
29	पश्चिम बंगाल	65.00	100.00		
30	अंडमान व निकोबार				
31	चंडीगढ़				
32	दादरा व नगर हवेली				
33	दमन व दीव				
34	लक्षद्वीप				
35	पांडिचेरी	99.00	150.00		
	जोड़	2199.33	1467.84		

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
को जारी की गई राज्यवार निधियां

मंत्रालय/विभाग का नाम: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

स्कीम का नाम: निर्यात प्रोन्नयन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश		100.00	"एएसआईडीई" के साथ स्कीम शामिल की गई ।	
2.	अरुणाचल प्रदेश				
3.	असम				
4.	बिहार		300.00		
5.	छत्तीसगढ़				
6.	दिल्ली				
7.	गोवा				
8.	गुजरात	100.00			
9.	हरियाणा	250.00			
10.	हिमाचल प्रदेश	270.00			
11.	झारखंड				
12.	जम्मू व कश्मीर	300.00			
13.	कर्नाटक	81.00	200.00		
14.	केरल				
15.	मध्य प्रदेश				
16.	महाराष्ट्र				
17.	मणिपुर				
18.	मेघालय				
19.	मिजोरम				
20.	नागालैंड	61.28	500.00		
21.	उड़ीसा	245.00			
22.	पंजाब	176.00	234.00		
23.	राजस्थान	23.00	70.00		
24.	सिक्किम				
25.	तमिलनाडु	114.00			
26.	त्रिपुरा		300.00		
27.	उत्तर प्रदेश	270.00	435.00		
28.	उत्तरांचल				
29.	पश्चिम बंगाल	110.00	61.00		
30.	अंडमान व निकोबार				
31.	चंडीगढ़				
32.	दादरा व नगर हवेली				
33.	दमन व दीव				
34.	लक्षद्वीप				
35.	पांडिचेरी				
	जोड़	2000.28	2200.00		

संलग्नक 10.1.7

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
को जारी की गई राज्यवार निधियां

मंत्रालय/विभाग का नाम: औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

स्कीम का नाम: निर्यात अवस्थापना के विकास तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों (एएसआईडीई)
के लिए राज्यों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश		170.00	1200.00	1200.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		-	50.00	100.00
3.	असम		208.00	200.00	400.00
4.	बिहार		330.98	300.00	600.00
5.	छत्तीसगढ़		200.00	400.00	400.00
6.	दिल्ली		-	10.00	200.00
7.	गोवा		-	600.00	600.00
8.	गुजरात		118.14	1400.00	1400.00
9.	हरियाणा		250.00	600.00	600.00
10.	हिमाचल प्रदेश			700.00	700.00
11.	झारखंड		200.00	400.00	400.00
12.	जम्मू व कश्मीर			600.00	600.00
13.	कर्नाटक		200.00	1800.00	1800.00
14.	केरल		450.00	1100.00	1100.00
15.	मध्य प्रदेश		213.95	1000.00	1000.00
16.	महाराष्ट्र		533.00	1600.00	3200.00
17.	मणिपुर		11.00	100.00	200.00
18.	मेघालय		-	100.00	200.00
19.	मिजोरम		-	100.00	200.00
20.	नागालैंड		-	50.00	100.00
21.	उड़ीसा		-	450.00	900.00
22.	पंजाब		400.00	900.0	900.00
23.	राजस्थान		239.15	1200.00	1200.00
24.	सिक्किम		-	50.00	100.00
25.	तमिलनाडु		50.00	2800.00	2800.00
26.	त्रिपुरा		-	150.00	300.00
27.	उत्तर प्रदेश		306.75	2000.00	2000.00
28.	उत्तरांचल		200.00	400.00	400.00
29.	पश्चिम बंगाल		271.03	1000.00	1000.00
30.	अंडमान व निकोबार		-	200.00	200.00
31.	चंडीगढ़		-	100.00	200.00
32.	दादरा व नगर हवेली		-	300.00	300.00
33.	दमन व दीव		-	150.00	300.00
34.	लक्षद्वीप		-	200.00	200.00
35.	पांडिचेरी		-	300.00	300.00
	जोड़		4352.00	22600.00	26100.00*

*280 करोड़ रुपए के आबंटन के विरुद्ध 261 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया ।

उप-क्षेत्रक-वार परिव्यय/व्यय, वार्षिक योजना 2003-04

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उद्योग/उप-क्षेत्रक	2001-02 वास्तविक	2002-03 (BE)			2002-03 (सं.अ.)/व्यय			2003-04		
			परिव्यय	बीएस	आईई बीआर	व्यय	बीएस	आईई बीआर	परिव्यय	बीएस	आईई बीआर
लघु उद्योग मंत्रालय											
1	एसआईडीओ	173.14	313.00	313.00	0.00	249.23	49.23	0.00	305.00	305.00	0.00
2	एनएसआईसी	101.30	117.00	32.00	85.00	103.26	25.65	77.61	90.00	40.00	50.00
3	अन्य स्कीमें	0.48	5.00	5.00	0.00	0.83	0.83	0.00	5.00	5.00	0.00
जोड़ : लघु उद्योग		274.92	435.00	350.00	85.00	353.32	75.71	77.61	400.00	350.00	50.00
एआरआई मंत्रालय @											
1	कॉयर	11.60	13.80	13.80	0.00	11.24	11.24	0.00	18.00	18.00	0.00
2	पीएमआरवाई	193.50	169.00	169.00	0.00	168.10	68.10	0.00	169.00	69.00	0.00
3	एनपीआरआई	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
जोड़: एआरआई		205.28	183.80	183.80	0.00	179.34	79.30	0.00	188.00	88.00	0.00
कपड़ा मंत्रालय (ग्रा.लघु उद्योग)											
1	हथकरघा	113.00	140.00	140.00	0.00	130.83	30.83	0.00	156.77	56.77	0.00
2	विद्युतकरघा	7.26	12.00	12.00	0.00	4.95	4.95	0.00	14.00	14.00	0.00
3	हस्तशिल्प	76.84	88.00	88.00	0.00	72.41	72.41	0.00	103.55	03.55	0.00
4	रेशमपालन	88.41	87.50	87.50	0.00	91.07	91.07	0.00	92.68	92.68	0.00
5	ऊन	5.62	8.00	5.26	2.74*	8.25	8.25	0.00	13.00	13.00	0.00
जोड़: कपड़ा मंत्रालय (ग्रा.लघु उद्योग)		291.13	335.50	332.76	2.74	307.51	07.51	0.00	380.00	80.00	0.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय											
जोड़ : खा.प्र.मं.		55.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00

* यूएनडीपी सहायता

@ केवीआईसी परिव्यय/व्यय का उल्लेख ग्रामीण विकास संबंधी अध्याय में किया गया है।

संलग्नक 10.1.9

वास्तविक नि-पादन (उप-क्षेत्रक) वार्षिक योजना 2003-04

क्र. सं.	उद्योग/उप-क्षेत्रक	यूनिट	2001-02 वास्तविक	2002-03 प्रत्याशित	2003-04 लक्ष्य
क	उत्पादन				
1	लघु उद्योग	करोड़ रुपए	690316	760631	935597
2	कॉयर रेशा	टन	375000	375000	410000
3	हथकरघा कपड़ा	मिलियन वर्गमीटर	7585	5989	6200
4	विद्युतकरघा कपड़ा	मिलियन वर्गमीटर	25192	26109	25406
5	कच्ची रेशम	टन	17351	16211	19900
6	हस्तशिल्प	करोड़ रुपए	16278	19563	20356
ख	रोजगार	लाख व्यक्ति			
1	लघु उद्योग	लाख व्यक्ति	192.23	199.65	209.03
2	कॉयर रेशा	लाख व्यक्ति	634	10000	20000
3	हथकरघा कपड़ा	लाख व्यक्ति	124	120	124
4	विद्युतकरघा कपड़ा	लाख व्यक्ति	42	42	अनिश्चित
5	रेशम पालन	लाख व्यक्ति	55	56	57.50
6	हस्तशिल्प	लाख व्यक्ति	58	60	62
7	ऊन विकास (असंगठित क्षेत्रक)	लाख व्यक्ति	12	12	12
ग	निर्यात	करोड़ रुपए			
1	लघु उद्योग	करोड़ रुपए	71244	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कॉयर उद्योग	करोड़ रुपए	321	353	400
3	हथकरघा	करोड़ रुपए	2065	2633	575 मिलियन अमरीकी डालर
4	विद्युतकरघा	करोड़ रुपए	11000	13191	14500
5	रेशम	करोड़ रुपए	2235	2163	3060
6	हस्तशिल्प	करोड़ रुपए	9206	10934	11604

10.2 खनिज

10.2.1 देश के आश्वस्त औद्योगिक और आधारभूत विकास के लिए खनिजों का विकास अनिवार्य है। विगत पांच दशकों में खनिजों के संभाव्य और विकास में सतत प्रयासों से खनिज तालिका में काफी वृद्धि हुई है, तथापि तांबे, जस्ते, स्वर्ण, हीरे, धातुओं के प्लेटिनम समूह के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता एक चिन्ता का वि-य है।

10.2.2. खनिज खोज और विकास कार्य की एक समीक्षा से पता चलता है कि अधिकांश सुलभ और सतह के निकट निक्षेप या तो समाप्त हो गए हैं अथवा उत्पादन के अधीन हैं। तांबे, सीसे और ज़िंक भण्डार का बड़ा भाग “संभव” श्रेणी के अन्तर्गत है और “सिद्ध” भण्डार के स्तर तक उनकी खोज नहीं हुई है। तांबे, सीसे और ज़िंक के संबंध में आधार धातुओं के भण्डार सूचक क्रमशः दस वर्ग, पांच वर्ग और पन्द्रह वर्ग तक अनुमानित हैं, तथापि, बाक्ससाइट के मामले में देश संतो-जनक स्थिति में हैं जिनका भण्डार सूचक 1.4.2007 के बाद 153 वर्ग है। भारत में एल्युमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है। बाक्ससाइट के विश्व संसाधनों के 7 प्रतिशत के साथ, विश्व एल्युमिना का उत्पादन और इसका निर्यात बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। भारत बाक्ससाइट और एल्युमिना का क्रमशः दस लाख और तीन लाख टन का निर्यात कर रहा है जबकि विश्व व्यापार क्रमशः 35 मिलियन टन और 17 मिलियन टन है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है और भारत में विद्युत दुर्लभ है, किन्तु वैश्वीकरण के युग में, प्रचुर मात्रा में विद्युत वाले देशों के साथ, जैसे कि खाड़ी, एल्युमिनियम के उत्पादन के वास्ते संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्यात हेतु और अधिक एल्युमिनियम उत्पादित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

10.2.3. खनिजों में प्राप्त आत्म-निर्भरता से रा-ट्र की भावी औद्योगिक जरूरतों की पूर्णतः पूर्ति नहीं होती क्योंकि नौवीं योजना में केवल कुछेक महत्वपूर्ण खोजों की रिपोर्ट मिली है। देश में और अधिक तांबे, सीसे, ज़िंक के पुनःप्राप्ति योग्य भण्डार कायम करने के लिए धातुओं की खोज काफी बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। खनन क्षेत्रक को विदेशी और देशज - दोनों प्रकार के निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। एम एम डी आर अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है ताकि उसे और अधिक निवेशकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके जिसमें विनियमन की बजाए विकास पर बल दिया गया है। इस उपाय से, इस क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आर) में वृद्धि होने की उम्मीद है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

10.2.4. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर अधिनियम) में और इसके तहत बनाए गए नियमों को संशोधित किया गया जिससे कि सांविधिक प्रावधानों को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समान बनाया जा सके। नीतिगत परिवर्तन से बेस धातुओं, अनूठी धातुओं और जवाहरात पत्थरों की खोज के प्रति निजी निवेश आकर्षित हुआ है। 31.12.2002 तक 155000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के 119 मामलों में वीक्षण की अनुमति मंजूर की गई है जिसमें से 68300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 46 वीक्षण अनुज्ञा-पत्र 2002-03 के दौरान मंजूर किए गए।

10.2.5. वर्ग 2002-03 के दौरान 55 करोड़ रुपए तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले दो प्रस्ताव, विदेश निवेश प्रोन्नयन बोर्ड (एफ आई पी बी) के माध्यम से अनुमोदित किए गए जिन्हें मिलाकर एफ

आई पी बी अनुमोदनों की संख्या 72 हो गई जिससे 4018 करोड़ रुपए के संभावित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) आप्रवाह का संकेत मिलता है।

2002-03 में की गई कार्रवाई

वर्ष 2002-03 के दौरान, एम सी आर, 1960 और एम सी डी आर, 1988 में निम्नानुसार और संशोधन किए गए:

- अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए खनन योजना के सम्बन्ध में निर्णय सूचित करने के वास्ते भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों के लिए 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- खनिज रियायतों के वास्ते आवेदन-पत्रों पर निर्णय प्रेषित करने के वास्ते समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं, यथा वीक्षण अनुज्ञा-पत्रों के वास्ते छः महीने, भावी लाइसेंसों के लिए 9 महीने, और खनन पट्टों के लिए बारह महीने।
- एम सी डी आर, 1988 के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधानों को 11 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया, खनन पट्टों के विलयन की 30 दिन में सूचना देने, नियमों को उल्लंघन के लिए दण्ड बढ़ाने आदि के लिए नया नियम जोड़ा गया।
- समुद्री सीमाओं में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन, महाद्वीपीय पट्टी और मात्र आर्थिक जोन की व्यवस्था करते हुए अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002, 31.1.2003 को अधिसूचित किया गया। विधान से अपतटीय क्षेत्रों में खनिज खोज और विकास में तेजी लाने के लिए खनिज भण्डारों (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर) का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक दोहन सुनिश्चित होगा।

10.2.6. वार्षिक योजना 2002-03 में शून्य-आधारित बजट पद्धति की संकल्पना लागू की गई, जो दसवीं योजना का पहला वर्ष था, और तदनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण (जी एस आई), तथा भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) ने अपने कार्यकलापों को शून्य-आधारित बजट पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया है। शून्य-आधारित बजट पद्धति पर आधारित क्यू पी आर के माध्यम से भौतिक और वित्तीय नि-पादन का मानीटरन योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है।

10.2.7. पिछली योजनाओं में 1:50,000 पैमाने पर देश का भू-गर्भीय मानचित्रण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, जी एस आई ने दसवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान भू-रासायनिक और भू-भौतिक मानचित्रण का काम शुरू किया है। निश्चित समय-सीमा के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य सुनिश्चित करने के लिए जी एस आई के कार्यकलापों को प्रोजेक्ट मोड में तैयार किए जाने की जरूरत है। दसवीं योजना के दौरान जी एस आई के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

10.2.8. भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) ने, वन नक्शों के साथ पर्त अध्यारोपण खनिज नक्शे तैयार करने के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार डाटा परिवर्तित करने के लिए भारतीय खनिज संसाधनों के संयुक्त रा-ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण के सम्बन्ध में कार्य किया है।

उप-क्षेत्रक चित्र

10.2.9. खनिज क्षेत्रक का उप-क्षेत्रक वार ब्योरा निम्नानुसार है:

लौह अयस्क

10.2.10. अनुमान है कि भारत के लौह अयस्क के गैरिक (हेमेटाइट) भण्डार (1.4.2000 की स्थिति के अनुसार) 12317 मिलियन टन से अधिक और मेगनेटाइट अयस्क के 5395 मिलियन टन हैं।

10.2.11. वर्ष 2002-03 में लौह अयस्क का वास्तविक उत्पादन 86.4 मिलियन टन था जबकि लक्ष्य 100.00 मिलियन टन था। 2002-03 के दौरान लौह अयस्क के प्रेषण 84.7 मिलियन टन होने का अनुमान है जिसमें आन्तरिक खपत के लिए अनुमानतः 53.3 मिलियन टन तथा निर्यात के लिए 31.4 मिलियन टन शामिल हैं।

10.2.12. भारत सरकार ने 430.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रा-ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) की बेलाडिला 10/11ए लौह अयस्क परियोजना का विकास अनुमोदित कर दिया, जिसमें 18.61 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा घटक सम्मिलित है। परियोजना निर्माण पूरा हो गया है। क्रशिंग प्लांट के लोड ट्रायल जुलाई 2002 में किए गए। स्क्रीनिंग प्लांट और लोडिंग प्लांट में उपस्कर लोड टन आपरेशनों के अधीन हैं। एन एम डी सी ने, तन्जानिया, मडागास्कर, नामिबिया और मोजम्बिक में स्वर्ण और हीरों की खोज का काम शुरू किया है।

10.2.13. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल) के लिए खनन पट्टा 30 वर्ग की अवधि के लिए दिया गया था जो 24 जुलाई 1999 को समाप्त हो गई। तब से, कम्पनी उसे मंजूर किए गए अस्थायी कार्य परमिटों के आधार पर कार्य कर रही थी। एक एन जी ओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मई 2001 में एक समादेश याचिका दाखिल की, जिसमें कम्पनी के खनन पट्टे के दीर्घावधिक नवीकरण पर सवाल खड़ा किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30.10.2002 को अपना निर्णय उद्घोषित किया और इस निर्णय के अनुसार: कम्पनी कुद्रेमुख में खान कार्य दिसम्बर 2005 तक जारी रख सकती है, जिसमें बीच की अवधि में आपरेशन्स कार्य शामिल है, और खनन कार्य केवल अपक्षीण अयस्क के सम्बन्ध में किया जाएगा। कम्पनी, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखण्ड में अन्य स्थानों पर लौह अयस्क के दोहन हेतु भावी लाइसेंस/ खनन पट्टा प्राप्त करने के वास्ते अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

क्रोमियम (क्रोमाइट) अयस्क

10.2.14. अनुमान है कि विदेश में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार, (नेशनल मिनरल ईयर बुक के अनुसार) 114 मिलियन टन से अधिक क्रोमियम अयस्क भण्डार हैं। इन भण्डारों की काफी मात्रा उड़ीसा राज्य तक सीमित है।

10.2.15. अनुमान है कि वर्ष 2002-03 के दौरान देश में 2550 हजार टन क्रोमियम अयस्क का उत्पादन हुआ। अनुमानतः क्रोमियम अयस्क का प्रेषण 1948 हजार टन होने का अनुमान है जिसमें 1010 हजार टन देशज खपत के लिए और 938 हजार टन निर्यात के लिए शामिल है।

10.2.16. इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में क्रोमियम अयस्क का सीमित भण्डार है, केवल कुछ ग्रेडों के क्रोमियम अयस्क के निर्यात की अनुमति है। निर्यात नीति 2002-03 में क्रोमियम अयस्क

के निर्यात के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सीमा निर्धारित है। समग्र अधिकतम सीमा सभी क्रोमियम अयस्क के सम्बन्ध में 4 लाख टन है जिसमें प्रति वर्ग 0.40 लाख टन के निर्यात की सीमा सम्मिलित है जो 52-54 प्रतिशत के बीच क्रोमियम आक्साइड के साथ निम्न सिलिका फ्राएबिल/ फाइन क्रोमियम अयस्क और 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका तथा 52 प्रतिशत से अनाधिक क्रोमियम आक्साइड के साथ निम्न सिलिका फ्राएबिल/ फाइन क्रोमियम अयस्क के सम्बन्ध में 3.6 लाख टन और 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका और 40 प्रतिशत से अनधिक क्रोमियम आक्साइड वाले क्रोमियम लम्प शामिल हैं। परि-कृत क्रोमियम दाने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है यदि औसत फीड ग्रेड सी आर 203 के 42 प्रतिशत से कम है।

मैंगनीज अयस्क

10.2.17. 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार, कुल मैंगनीज अयस्क भण्डार अनुमानतः 406 मिलियन टन हैं। लौह-मैंगनीज ग्रेड के लिए उपयुक्त भण्डार कुल भण्डारों का 11 प्रतिशत है। मैंगनीज अयस्क, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। मैंगनीज अयस्क के देशज उत्पादन में इन राज्यों का हिस्सा 95 प्रतिशत है।

10.2.18. वर्ष 2002-03 के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन अनुमानतः 1.56 मिलियन टन हुआ। मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड (एम ओ आई एल) देश में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो धातुकर्मीय और ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करता है। मैंगनीज अयस्क के ज्ञात भण्डारों की पर्याप्तता की कुल अवधि कम है, इसलिए इसके प्रयोग को संरक्षित रखने तथा साथ ही निर्यात को सीमित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए अधिकतम सीमा 7 लाख टन प्रति वर्ग है जिसमें 1.50 लाख टन (क) प्रति वर्ग 0.25 लाख से अधिक नहीं (i) 0.24 प्रतिशत पी से कम नहीं 46 प्रतिशत-49 प्रतिशत वाला मध्यम ग्रेड मैंगनीज अयस्क मिश्रण, (ii) 38 प्रतिशत से 46 प्रतिशत मैंगनीज और 0.1 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत पी से अधिक वाला मध्यम ग्रेड मैंगनीज अयस्क/ मिश्रण; (ख) 38 प्रतिशत से कम वाला निम्न ग्रेड मैंगनीज अयस्क/ मिश्रण अयस्क का 40 लाख टन प्रति वर्ग से अनधिक मैंगनीज; और (ग) 44 प्रतिशत मैंगनीज से कम वाला आकार में 12 एम एम से कम मैंगनीज अयस्क परि-कृत का प्रतिवर्ग 1.50 लाख टन से अधिक नहीं, शामिल है।

10.2.19. 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार, मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड में भारत सरकार के 81.57 प्रतिशत शेयर हैं जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के शेयर क्रमशः 9.62 प्रतिशत और 8.81 प्रतिशत हैं। वर्तमान वर्ष में, कम्पनी ने दिसम्बर 2002 तक 9,300 टन से अधिक का निर्यात किया।

एल्युमिनियम

10.2.20. देश में एल्युमिना के उत्पादन की स्थापित क्षमता 24,87,000 टन प्रति वर्ग तथा एल्युमिनियम की 7,14,000 टन प्रति वर्ग है। देश में पांच कम्पनियां हैं, जो एल्युमिना और एल्युमिनियम का उत्पादन करती हैं, नामतः नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड - एक सरकारी क्षेत्रक उपक्रम; भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) - एक संयुक्त क्षेत्रक उपक्रम; हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड (हिन्डाल्को); इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इनडाल); और मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (माल्को), सभी तीन निजी क्षेत्रक में।

10.2.21. वर्न 2002-03 के दौरान 689 हजार टन एल्युमिनियम का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 701 हजार टन है। देशज उत्पादन में नाल्को का हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत है (संलग्नक II)।

10.2.22. नाल्को की एल्युमिना रिफाइनरी की तीसरी शाखा दिसम्बर 2001 के दौरान चालू की गई। इसके साथ, एल्युमिना रिफाइनरी की क्षमता 10,50,000 टन प्रति वर्न (टी पी ए) से बढ़कर 15,75,000 टी पी ए हो गई।

10.2.23. विस्तार के पश्चात, नाल्को एशिया में सबसे बड़ा एल्युमिना उत्पादनकर्ता बन गया है जिसका निर्यात योग्य अधिशेष अगुल में इसके स्मेल्टर की आन्तरिक मांग को पूरा करने के बाद एक मिलियन टन प्रति वर्न है।

10.2.24. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड में भारत सरकार 87.15 प्रतिशत इक्विटी की धारक है। सरकार ने, सार्वजनिक पेशकश (देशज बाजार के मिश्रण में 10 प्रतिशत और ए डी आर के माध्यम से 20 प्रतिशत) के माध्यम से नाल्को की 30 प्रतिशत इक्विटी का और विनिवेश करने तथा एक स्ट्रेटेजिक भागीदार को 29.15 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री करके, नाल्को कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत इक्विटी आरक्षित रखकर, सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है।

तांबा

10.2.25. देश में तांबा उत्पादन की स्थापित क्षमता प्रति वर्न 3,47,500 टन अनुमानित है, इसमें हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की 47,500 टन प्रति वर्न की क्षमता शामिल है। मांग को पूरा करने के लिए तांबे का देशज उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए तांबे के आयात की अनुमति दे दी गई है। दोनों निजी कम्पनियां, स्टर्लाइट और बिड़ला कॉपर अपने कामकाज के लिए आयातित तांबे दाने पर निर्भर हैं। देशज मांग का लगभग 70 प्रतिशत भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

10.2.26. वर्न 2002-03 के दौरान अनुमान है कि तांबे का उत्पादन 377 हजार टन होगा (संलग्नक II) जबकि लक्ष्य 400 हजार टन है। इसका कारण हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की सिंहभूम (झारखण्ड) और खेतड़ी (राजस्थान) में कैप्टिव खानों का बन्द किया जाना है।

10.2.27. तांबे की एल एम ई कीमतों में निरन्तर गिरावट और आयातित तांबे पर सीमाशुल्क में धीरे-धीरे कटौती के कारण, एच सी एल लगातार हानि उठा रहा है। कम्पनी के तुलन-पत्र को, विनिवेश हेतु आकर्षित बनाने और निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने जून 2002 में कम्पनी के लिए द्वितीय वित्तीय पुनर्संरचना की मंजूरी प्रदान की।

सीसा और जस्ता

10.2.28. हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड तथा बिनानी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड देश में जस्ते के एकमात्र उत्पादनकर्ता हैं। जस्ते की स्थापित क्षमता 199 हजार टन प्रति वर्न तथा सीसे की 43 हजार टन प्रति वर्न है। हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड की स्थापित क्षमता जस्ते के सम्बन्ध में 169 हजार टन प्रति वर्न और सीसे के सम्बन्ध में 43 हजार टन प्रति वर्न है। वर्न 2002-03 के दौरान जस्ते का उत्पादन 235 हजार टन था जबकि लक्ष्य 237 हजार टन था। सीसे के 37 हजार टन के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन 39 हजार टन हुआ।

भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम)

10.2.29. भारतीय खान ब्यूरो, खनिजों के प्रोन्नयन और संरक्षण, खान पर्यावरण के संरक्षण और देश के खनिज संसाधनों, (कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और लघु खनिजों को छोड़कर), के वैज्ञानिक विकास कार्य में लगा है।

10.2.30. अयस्क और खनिज, जिस रूप में वे प्रकृति में विद्यमान हैं, अनुप्रवाह उद्योगों के वांछित विनिर्देशों के सामान्यतः अनुरूप नहीं होते और इसलिए उन्हें उपयुक्त कच्चे माल के उत्पादन हेतु “परि-करण प्रक्रियाओं” से गुजरना होता है। निम्न ग्रेड अयस्कों/ खनिजों के परि-करण हेतु, जो देश में अभी भी अप्रयुक्त पड़े हैं, प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत है। आई बी एम को, परि-करण कार्य करने के वास्ते, विशेष रूप से निम्न ग्रेड अयस्कों के सम्बन्ध में, और अधिक आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

10.2.31. आई बी एम ने, 2001-02 से सम्बन्धित और वन तथा पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत वन अधिक्षेत्र के साथ 50 खनिज मानचित्र पूरे किए हैं, जो बर्न 2002-03 के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों को कवर करते हुए 100 मानचित्रों का लक्ष्य प्राप्त करने के अलावा हैं। इस क्षेत्रक में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने की जरूरत है।

10.2.32. उदारीकरण की नीति को देखते हुए, खनिज क्षेत्रक में बदलते परिदृश्य, पर्यावरणीय संरक्षण की चिन्ता और व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से खनन सुनिश्चित करने की बात को ध्यान में रखते हुए आई बी एम को सौंपे गए कार्यों को हाल ही में संशोधित किया गया है, जैसाकि संलग्नक III में दर्शाया गया है।

भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण (जी एस आई)

10.2.33. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान, जी एस आई ने, भूतल भू-गर्भीय सर्वेक्षण, भू-भौतिक सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण, हवाई सर्वेक्षण, समुद्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन कार्य किया, जो इसकी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के अलावा था। “स्पेशिएलाइज्ड थीमेटिक मैपिंग” के अन्तर्गत 1:25,000 पैमाने पर लगभग 89,75 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का मानचित्रण किया गया जबकि लक्ष्य 8778 वर्ग कि.मी. के लक्ष्य के विपरीत गुरुत्वाकर्षण-चुम्बकीय भू-भौतिक सर्वेक्षणों के मामले में कमी रही, जिसके तहत 7076.30 वर्ग कि.मी. के लक्ष्य के विपरीत गुरुत्वाकर्षण-चुम्बकीय भू-भौतिक मानचित्रण द्वारा 3948.8 वर्ग कि.मी. का था जो पार हो गया। तथापि भूतल भू-भौतिक सर्वेक्षणों के मामले में कमी रही जिसके तहत 7076.30 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर किया गया। जीएसआई ने, देश के विभिन्न भागों में कोयले, लिग्नाइट, लौह अयस्क और मंगनीज आदि के भण्डारों को सुदृढ़ करने के अलावा, बड़े पैमाने पर मानचित्रण, और खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिलिंग का लक्ष्य भी पार कर लिया। हवाई सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जी एस आई ने 167131 कि.मी. का क्षेत्र कवर किया जबकि लक्ष्य 308001 कि.मी. था। हवाई सर्वेक्षणों में यह कमी, रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मंजूरी प्राप्त होने में देरी के कारण हुई। समुद्रीय सर्वेक्षण भी जीएसआई का एक प्रमुख कार्यकलाप है, जिसके अन्तर्गत मात्र आर्थिक क्षेत्र (ई ई ज़ैड) और क्षेत्रीय जल के अन्दर व्यवस्थित सर्वेक्षण और पैरामीट्रिक अध्ययन (बाथीमीट्रिक, मेगनेटिक और सेम्पलिंग) बर्न 2002-03 के दौरान आयोजित किए गए। जी एस आई के भू-वैज्ञानिकों ने अन्टार्कटिक अभियान में भी भाग लिया।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड (एम ई सी एल)

10.2.34. एम ई सी एल ने, विभिन्न धात्विक, अ-धात्विक खनिजों के सम्बन्ध में, कोयला, लिग्नाइट और कोयला बैड मीथेन (सी बी एम) सहित, विस्तृत अन्वेषणात्मक तथा खोजी खनन कार्य आयोजित किया। कम्पनी ने, वर्ष 2002-03 के दौरान खनन विकास के अलावा, प्रोन्नयन और संविदे के आधार पर ड्रिलिंग कार्य किया। इस अवधि के दौरान ड्रिलिंग में 32 प्रतिशत की और विकासात्मक खनन में 10 प्रतिशत की कमी रही। विगत कुछेक वर्षों से कम्पनी नुकसान उठा रही है और (-) 284 लाख रुपए के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 2002-03 में वास्तविक हानि और बढ़कर (-) 1429 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच गई। यह एक नुकसान उठाने वाली कम्पनी है जिसका विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

10.2.35. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान जी एस आई ने, 70.00 करोड़ रुपए की बी आर जी एम वित्तीय सहायता के साथ, प्रयोगशाला सुविधाओं के आधुनिकीकरण, और अपने भूतल, समुद्रीय तथा हवाई सर्वेक्षणों की पुनर्संरचना करने का प्रस्ताव किया था, तथापि, विदेशी सहायता प्राप्त न होने के कारण आधुनिकीकरण कार्यक्रम को योजना के दौरान शुरू नहीं किया जा सका।

10.2.36. चार आई बी एम-बी आर जी एम परियोजना प्रस्ताव, तथा भारत में खनन से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, आई बी एम को प्रयोगशाला उपस्कर की आपूर्ति, खनिज विकास तथा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण; सहायता-अनुदान के तहत भारत में खनिज संसाधन प्रबंधन हेतु संयुक्त रा-ट्र के रूपरेखा वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर बी आर जी एम, फ्रांस और भारत सरकार द्वारा सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है, इन्हें दसवीं योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इन परियोजनाओं में 3.33 करोड़ रुपए की बी आर जी एम, फ्रांस सहायता सम्मिलित है। वर्ष 2002-03 के दौरान (दिसम्बर 2002 तक) 54 अयस्क ड्रेसिंग जांच-पड़ताल , 39,113 रासायनिक विश्लेषण और 1682 खनिजीय जांच पूरी की गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 12 इन-प्लांट अध्ययन किए गए।

खनिज क्षेत्रक में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आचरण

10.2.37. दिसम्बर 2002 तक एल्युमिनियम की कुल विश्व आपूर्ति लगभग 17.5 मिलियन टन थी जबकि खपत 16.8 मिलियन टन थी। विद्युत सम्बद्ध निष्क्रिय क्षमता को पुनः सक्रिय बनाने से काफी सीमा तक आपूर्ति को बहाल करने में मदद मिली है। अमरीका, यूरोप और जापान की अर्थ-व्यवस्थाओं में धीमी प्रगति के कारण, एल एम ई कीमतें वर्ष 2002-03 के दौरान दबाव में रहीं। एल एम ई एल्युमिनियम नकद कीमतें लगभग 1300 अमरीकी डालर प्रति टन बनी रहीं। विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के कारण कीमतें काफी अस्थिर रहीं।

10.2.38. तांबे की देशज कीमत एल एम ई कीमत से जुड़ी है, जो 1995-96 में 2844 अमरीकी डालर प्रति टन से तेजी से कम होकर 1998-99 में 1581 अमरीकी डालर हो गई और तब से इनमें उतार-चढ़ाव होता रहा है। चिली और सी आई एस से तांबा दानों की अत्यधिक आपूर्ति और यूरोप से मांग में कमी के कारण तांबे की एल एम ई कीमत प्रभावित हुई। इससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की वित्तीय स्थिति गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। हाल ही के वर्षों में अस्थिर एल एम ई कीमत स्थिति ने खनिज अन्वेषण पर विश्व व्यय को प्रभावित किया है और इसलिए यह एक चिन्ता का विषय है।

वार्निक योजना 2003-04

उद्देश्य

10.2.39. दसवीं योजना के एक भाग के रूप में, तटवर्ती क्षेत्रों में खनिजों की खोज की जाएगी। जी एस आई, सक्रिय फौल्ट मानचित्रण, पूर्वसूचक-भूकम्पीय लघु जोनेशन मानचित्र तैयार करने और भू-संकटपूर्ण प्रबंधन हेतु संभाव्य जोखिम क्षेत्र के सीमांकन के लिए प्रेक्षणीय भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी कार्य करेगा।

10.2.40. जी एस आई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में प्रयोगशाला यंत्रों, ड्रिल मशीनों आदि और साथ ही नीला-जल (ब्लू वाटर) अनुसंधान पोत, भू-तकनीकी पोत, तटीय नौका और हवाई सर्वेक्षण पद्धति का उन्नयन और विस्तार कार्य शामिल होगा।

योजना परिव्यय

10.2.41. वार्निक योजना 2002-03 के लिए 1018.29 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय (सं.अ.) अनुमोदित किया गया था जिसमें आई बी ई आर के रूप में 703.25 करोड़ रुपए और 315.04 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता सम्मिलित थी। वार्निक योजना 2003-04 के लिए 888.05 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसका वित्तपोषण 653.55 करोड़ रुपए के आई ई बी आर और 234.50 करोड़ रुपए के जी बी एस के जरिए किया जाना था जिसमें बजट के माध्यम से विदेशी सहायता के रूप में 25.60 करोड़ रुपए की राशि शामिल है (संलग्नक 1)। भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के वार्निक योजना (2003-04) आबंटनों में पूर्वोत्तर तथा सिक्किम क्षेत्र में अनिवार्य व्यय के लिए क्रमशः 15.19 करोड़ रुपए और 1.75 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। इस क्षेत्रक में कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) नहीं है।

ध्यातव्य क्षेत्र

- देशज खनिज संसाधनों में वृद्धि करने के वास्ते, स्वर्ण, हीरे और प्लेटिनम धातु समूह जैसे उच्च मूल्य अल्प मात्रा वाले खनिजों के क्षेत्र में व्यापक रूप से खोज किए जाने की जरूरत है।
- दसवीं योजना में नए निक्षेपों का पता लगाने तथा उन्हें संधारणीय ढंग से विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता के साथ निजी क्षेत्रक भागीदारी के माध्यम से नया निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्थनकारी परिवेश सृजित किया जाना चाहिए।
- भारत में अनेक खनिजों के सम्बन्ध में, पर्याप्त संसाधन आधार का अभाव है जिसके लिए देश को मुख्यतः आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्यतः ज्ञात खनिजमय पट्टियों में छिपे/ गहन गडे. हुए निक्षेपों/ संभावनाओं का पता लगाने में और अयस्क स्थानीकरण, विशेष रूप से अभावग्रस्त और अविद्यमान वस्तुओं में, नए भू-गर्भीय पर्यावरणों का विनिर्धारण करने के वास्ते संभव प्रगति प्राप्त करने के वास्ते आधुनिक धारणाओं और औजारों के साथ खोजी प्रयास करने की तत्काल जरूरत है।
- निम्न ग्रेड अयस्कों पर यथोचित ध्यान देना भी आवश्यक है ताकि विगत अपशि-ट को आई बी एम द्वारा प्रौद्योगिकीय नूतनताओं की मदद से भावी अयस्क में बदला जा सके।
- दसवीं योजना अवधि में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा उत्पादन की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते यूरेनियम भण्डारों में वृद्धि करने को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- छिपे निक्षेपों का पता लगाने के लिए खनिज अन्वेषण के प्रति एक एकीकृत बहु-विनयक दृष्टिकोण तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है।
- भू-गर्भीय डाटाबेस के आधार पर, आधुनिक भू-गर्भीय, भू-रासायनिक तथा भू-भौतिक तकनीकों को एकीकृत करके गहरे स्तर पर निक्षेपों का पता लगाने के वास्ते अवधारणात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
- जी एस आई का पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण करना होगा, जिसमें जमीनी और हवाई भू-भौतिक दोनों प्रकार के सर्वेक्षणों के लिए यंत्रिकरण के क्षेत्र, उच्च यथार्थ क्षमताओं के साथ आधुनिकतम प्रयोगशाला यंत्र आदि शामिल हैं। इसके साथ ही, “III - यू एन सी एल ओ एस” के तहत 350 मील तक विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र पर दावा कायम करने के वास्ते अपतटीय क्षेत्रों में बथीमीट्रिक और मेगनेटिक सर्वेक्षण करने के लिए एक नया अनुसंधान पोत भी प्राप्त करना होगा।
- शीघ्रातिशीघ्र संयुक्त रा-ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (यू एन एफ सी) अपनाना तथा रा-ट्रीय खनिज तालिका (एन एम आई) तैयार करना आवश्यक होगा। इस वर्गीकरण के अनुसार, खनन क्षेत्रक में अन्तर्रा-ट्रीय एकसमान पद्धति पर खनिजों का भण्डार/ संसाधन प्रस्तुत करेगा, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ खनन क्षेत्रक में और अधिक एफ डी आई आकर्षित होंगे।

योजना परिव्यय तथा व्यय (ब.अ., सं.अ. 2002-03 और ब.अ. 2003-04)

(करोड़ रुपए)

स.क्षे.उ. का नाम	2001-02	2002-03		2003-04
		वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.
नेशनल एल्युमिनियम कं. लिमिटेड	1054.13	900.00	700.00	650.00
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	95.00	25.00	85.00	20.00
मिनरल एक्सप्लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड				
(क) प्रोन्नयन सम्बन्धी	7.00	8.00	14.00	9.00
(ख) पूंजी		3.00	3.00	0.00
भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण	82.14	168.50	181.50	176.00
भारतीय खान ब्यूरो	17.09	18.00	18.00	19.00
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	7.62	8.50	9.79	8.05
निर्माण				
(क) जी एस आई	8.00	6.00	6.00	5.00
(ख) आई बी एम		1.00	1.00	1.00
जोड़	1270.98	1138.00	1018.29	888.05

वर्ष 2002-03 के लिए भौतिक नि-पादन तथा वार्षिक
योजना 2003-04 के लिए लक्ष्य

क्रम सं.	मद	यूनिट	2001-02 वास्तविक	2002-03 योजना लक्ष्य	2002-03 वास्तविक	2003-04 लक्ष्य
1.	लौह अयस्क	मिलियन टन	80.99*	100.00	86.40	100.00
2.	एल्युमिनियम	हजार टन	638.00	701.00	689.00	795.00**
3.	तांबा केथोड	हजार टन	336.00	400.00	377.00	378.00#
4.	जस्ता (प्राथमिक)	हजार टन	205.00	237.00	235.00	234.00@
5.	सीसा	हजार टन	38.00	37.00	39.00	36.00@@

* अनुमानित

** निजी क्षेत्रक कम्पनियों, यथा बाल्को, हिंडाल्को, इनडाल और माल्को से उत्पादन सहित

निजी क्षेत्रक कम्पनियों, यथा स्टरलाइट इन्डस्ट्रीज लि. और बिडला कापर से उत्पादन सहित

@ एच ज़ेड एल और निजी क्षेत्रक यूनिट, बिनानी इन्डस्ट्रीज लि. (बी आई एल) में प्राथमिक जस्ते का उत्पादन

@@ थाणे और कोलकाता में आई एल एल के दोनों संयंत्र बन्द हो गए हैं क्योंकि कम्पनी बी आई एफ आर के समक्ष है।

आई बी एम के कार्यों का संशोधित चार्टर

1. देश के (तटीय और अपतटीय - दोनों स्थानों पर) खनिज संसाधनों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास प्रोत्साहित करना।
2. खनिजों के संरक्षण और खान परिवेश के बचाव को ध्यान में रखते हुए खनन योजनाएं, स्कीमें और खनन बन्द करने की योजनाएं अनुमोदित करना।
3. खानों और खनिजों के अन्वेषण, संभावनाओं के सम्बन्ध में डाटाबेस एकत्रित, समन्वित और अनुरक्षित रखना तथा खनन उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रकाशन/ बुलेटिन प्रकाशित करना।
4. क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरणीय मूल्यांकन अध्ययन शुरू करके पर्यावरण पर खनन के विपरीत प्रभाव को कम करने में सक्रिय भूमिका निभाना।
5. खनन, भू-गर्भविज्ञान, खनिज प्रसंस्करण और पर्यावरणीय पहलुओं का स्वयमेव तकनीकी-आर्थिक अध्ययन आयोजित करना, जिसमें अयस्क और खनिजों का विश्लेषण शामिल है तथा इन क्षेत्रों में आर एण्ड डी कार्यकलाप प्रोत्साहित करना।
6. खनन, भू-गर्भविज्ञान, खनन प्रसंस्करण और परिवेश के क्षेत्र में देश-विदेश में प्रोन्नयन आधार पर तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
7. विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी व अन्य संवर्गों व मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अन्य एजेन्सियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. सरकार को, खनिज उद्योग के सम्बन्ध में, पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, निर्यात और आयात नीतियों, व्यापार, खनिज विधान, राजको-नीय प्रोत्साहन और सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में सलाह देना।
9. खनिज निक्षेपों के संरक्षण, व्यवस्थित या वैज्ञानिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, प्रदर्शनियों और श्रव्य-दृश्य माध्यमों के जरिए खनिज क्षेत्रों के पुनरुद्धार, पुनः तैयार करने व पुनर्वास सहित, जागरूकता प्रोत्साहित करना।
10. खनन क्षेत्रों में समुदाय विकास कार्यकलापों को प्रोत्साहित और मानीटर करना।
11. भू-गर्भविज्ञान, खनन, खनिज परि-करण और पर्यावरण के क्षेत्र में घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक अन्य कार्यकलाप आयोजित करना।

10.3 ऊर्जा

प्रस्तावना

विश्व में ऊर्जा के उपभोग के मामले में भारत का छठा स्थान है। इसने वर्ष 2002 में विश्व की वाणिज्यिक ऊर्जा के 3.5 प्रतिशत भाग का उपभोग किया था। लेकिन आपूर्ति सम्बन्धी रुकावटों और लागत वहन कर सकने की क्षमता के कारण, वाणिज्यिक ऊर्जा की इस खपत से वस्तुतः दबी हुई मांग का पता चलता है। इस बात की सम्भावना है कि आर्थिक सुधारों के जोर पकड़ने पर और उनके कारण दसवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास की गति तेज होने से भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत में गत समय की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होगी। पिछले दो दशकों में ऊर्जा की आपूर्ति में उल्लेखनीय दर से वृद्धि होने के बावजूद, आपूर्ति में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग में हुई है। इसके परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक ऊर्जा की आपूर्ति और खपत के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन के लिए गैस एक अधिक पसन्दीदा ईंधन के रूप में उभर रही है, विशेष रूप से पीकिंग स्टेशनों के लिए, जो गैस टर्बाइनों पर निर्भर करते हैं। भारत में गैस की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए, एल.एन.जी. और पाइपबन्द गैस - दोनों रूपों में प्राकृतिक गैस के आयात की परिकल्पना की गई है।

2. भारत की आधी से अधिक जनसंख्या की पहुंच वाणिज्यिक ऊर्जा तक नहीं है। वहन कर सकने योग्य लागत पर वाणिज्यिक ऊर्जा की सुलभता में वृद्धि करना एक ऐसा प्राथमिक उद्देश्य बना रहेगा, जिसके आधार पर भारत की नीतियों और योजनाओं का निर्माण होता है। इस क्षेत्रक के बारे में दसवीं योजना की कार्यनीति में ये बातें शामिल हैं: कोयले और बिजली के उत्पादन को बढ़ाना, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, हाइड्रोकार्बनों की तेजी से खोज करना, विदेशों में इक्विटी तेल में निवेश करना, ऊर्जा क्षेत्रक का पुनर्गठन और गैस-विनियमन करने वाले और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक घटक के अन्दर प्रतियोगिता को बढ़ाने वाले सुधारों के द्वारा उच्च कार्यकुशलता प्राप्त करना, और ऊर्जा के कम उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों/ प्रक्रियाओं और उपकरणों के इस्तेमाल द्वारा प्रबन्धन करना। बिजली अधिनियम, 2003 सुधार का एक ऐसा उपाय है, जिससे विद्युत क्षेत्रक में प्रतियोगिता को बढ़ाकर कार्यकुशलता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

3. अगले दशक में देश में वाणिज्यिक ऊर्जा के उपभोग में कोयले का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक बना रहेगा। कोयला क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना की अवधि में उत्पादकता में वृद्धि, क्षमता के उपयोग, और प्रौद्योगिकी अनुकूलन के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से देश में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत में तेल और गैस के हिस्से में वृद्धि हो रही है और इस समय उसके 44 प्रतिशत होने के अनुमान है। मौजूदा प्रक्षेपणों (अनुमानों) के आधार पर, भारत के ऊर्जा मिश्रण में तेल और गैस का हिस्सा अगले दशक में इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। हाइड्रो, जिसका हिस्सा भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा मिश्रण में बढ़ता जा रहा था और 1980-81 में 4 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया था, दसवीं योजना के अंत तक घट कर 3.1 प्रतिशत रह जाएगा और इसके बाद बढ़कर ग्यारहवीं योजना के अन्त में 3.3 प्रतिशत हो जाएगा। वाणिज्यिक ऊर्जा मिश्रण में न्यूक्लीय ऊर्जा के हिस्से में पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि होती रही है और इस बात की संभावना है कि यह ग्यारहवीं योजना के अंत तक बढ़ कर 2.5 प्रतिशत हो जाएगा।

4. कोयले और लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रक में हुई प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। विद्युत क्षेत्रक के बारे में विस्तृत विवरण बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित अध्याय-11 में दिया गया है।

(i) कोयला और लिग्नाइट

प्रस्तावना

5. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला आने वाले काफी लम्बे समय तक देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा, दसवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि उत्पादकता में वृद्धि, क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए सरलीकृत प्रक्रिया, परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन, खोज, संरक्षण, आदि के द्वारा, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्रक और सामान्य रूप से अन्तिम प्रयोक्ता क्षेत्रक की कोयले की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए, देश के अन्दर कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला-संसाधनों का तेजी से विकास किया जाए। योजना के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्बन्ध कोयला क्षेत्रक का पुनर्गठन करने और आवश्यक विधायी संशोधनों के द्वारा कोयले के वाणिज्यिक खनन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारिता सुविधाजनक बनाने और कोयला उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक भाग की समुचित प्रतियोगिता और सबके लिए खेलने का एकसमान मैदान सुनिश्चित करने, विवादों के समाधान और खोज तथा खनन, आदि के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए एक विनियामक तंत्र की स्थापना करने से है। कोयले के परिवहन में सुधार के लिए रेल और पत्तनों की बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने और लिग्नाइट संसाधनों के विकास, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, कोयला क्षेत्रक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और कोयला बेड मीथेन संसाधनों के विकास, आदि पर भी बल दिया गया है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

6. दसवीं योजना की अवधि में कोयले की मांग में 5.74 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है, जबकि नौवीं योजना की अवधि में वास्तविक वृद्धि 3.5 प्रतिशत की दर से हुई थी। वर्ष 2002-03 में, 4.1 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग को छोड़ कर, कोयले की 361.68 मिलियन टन की प्रत्याशित खरीद/ खपत अनुमानित मांग के लगभग बराबर है और वर्ष 2001-02 में कोयले का जो वास्तविक उठान हुआ था, उससे लगभग 3 प्रतिशत अधिक है।

7. इसी प्रकार, दसवीं योजना में कोयले के उत्पादन में 4.46 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है, जबकि इसकी तुलना में नौवीं योजना की अवधि में 2.5 प्रतिशत की दर प्राप्त की गई थी। वर्ष 2002-03 में कोयले के उत्पादन का 335.70 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त होने जाने की संभावना है, जोकि 2001-02 में हुए उत्पादन से 2.5 प्रतिशत अधिक है।

8. नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (एन.एल.सी.) से लिग्नाइट के उत्पादन में दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है, जबकि नौवीं योजना की अवधि में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2002-03 में लिग्नाइट का 18.85 मिलियन टन उत्पादन होने की प्रत्याशा है, जो इस वर्ष के 19.95 मिलियन टन के लक्ष्य के लगभग 94 प्रतिशत के बराबर है और 2001-02 में हुए वास्तविक उत्पादन से लगभग 1 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वर्ष 2002-03 में 12350 मिलियन यूनिट का प्रत्याशित सकल विद्युत उत्पादन इस वर्ष के 14638 मिलियन यूनिट के लक्ष्य के लगभग 84 प्रतिशत के बराबर है और 2001-02 में हुए 14451 मिलियन यूनिट के वास्तविक उत्पादन से लगभग 15 प्रतिशत कम है।

9. फिलहाल, कोयले के खनन में गैर-सरकारी क्षेत्रक की भागीदारिता केप्टिव उपभोग तक सीमित है। चूंकि इसके वांछित परिणाम नहीं निकले हैं, इसलिए गैर-सरकारी क्षेत्रक को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। लेकिन, वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रक को अनुमति देने के वास्ते कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने वाला विधेयक अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, जैसाकि दसवीं योजना में परिकल्पना की गई है। धारक (होल्लिंग) कम्पनी के ढांचे को समाप्त करने और अलग-अलग सहायक कोयला कम्पनियों को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) का प्रस्तावित पुनर्गठन किए जाने के बारे में कार्रवाई अभी शुरू की जानी है। घाटा उठाने वाली कोयला कम्पनियों में फिर से जान डालने का काम भी अभी किया जाना है। भारत सरकार की नई कोयला खनन नीति के अनुसार, राज्य सरकारों की कम्पनियों अथवा उपक्रमों को, कतिपय शर्तों के अधधीन, अलग-थलग छोटे पाकेटों की पहले की पाबन्दी के बिना, देश में किसी भी स्थान पर, ओपनकास्ट अथवा भूमिगत तरीके से कोकिंग कोयले, गैर-कोकिंग कोयले अथवा लिग्नाइट निक्षेपों (रिजर्व्स) के खनन की अनुमति है।

वार्षिक योजना 2003-04

कोयले की मांग

10. वर्ष 2002-03 में, 4.10 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग को छोड़कर, कच्चे कोयले के 361.68 मिलियन टन के प्रत्याशित उठान/ उपभोग की तुलना में, वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए कोयले की अनुमानित मांग 380.90 मिलियन टन की है, जिसमें 4.29 मिलियन टन मिडलिंग की मांग शामिल नहीं है। यह वर्ष 2002-03 में हुए उठान के प्रत्याशित स्तर से 5.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2003-04 की इस अनुमानित मांग में, 36.16 मिलियन टन (9.5 प्रतिशत) की मांग कोकिंग कोयले की है, जो 2003-04 में इस्पात क्षेत्रक के 25.54 मिलियन टन के गर्म धातु उत्पादन कार्यक्रम के लिए है और 344.74 मिलियन टन (90.5 प्रतिशत) की मांग गैर-कोकिंग कोयले की है। कुल अनुमानित मांग में 67 प्रतिशत मांग विद्युत क्षेत्रक की उपयोगिताओं (यूटिलिटीज़) के लिए है और उसमें 370 मिलियन के.डब्ल्यू.एच. के उत्पादन के प्रक्षेपित कोयला-आधारित कार्यक्रम से सम्बन्धित मांग शामिल है। लगभग 6 प्रतिशत मांग केप्टिव विद्युत के लिए और शे-न लगभग 13 प्रतिशत मांग अन्य क्षेत्रकों के लिए है। कोयले की मांग/ उठान का ब्योरा नीचे की तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1
क्षेत्रकीय कोयला मांग/ उठान

(मिलियन टन)

क्रम सं.	क्षेत्रक	नौवीं योजना 2001-02	दसवीं योजना			
			2002-03		2003-04	2006-07
		वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	प्रक्षेपित
1.	कोकिंग कोल					
	इस्पात	27.60	32.90	29.05	35.35	35.32
2.	कोक भट्टियां	0.83	1.50	0.66	0.81	1.89
	उप-जोड़ - कोकिंग:	28.43	34.40	29.71	36.16	37.21
	गैर-कोकिंग					
3.	विद्युत उपयोगिताएं	248.14	249.50	249.50	256.00	317.14
		(1.86)	(3.28)	(2.87)	(3.04)	(3.74)
4.	सीमेंट	15.25	17.10	16.42	16.50	24.56
5.	इस्पात (डी.आर.)	5.10	4.00	5.09	5.36	7.00
6.	रेलवे	-	-	-	-	-
7.	उर्वरक	3.20	3.50	3.13	3.14	4.18
8.	एल.टी.सी./ साफ्ट कोक*					0.20
9.	कोकरी/ कोक भट्टियां					1.50
	एन.एल.डब्ल्यू*					1.50
10.	निर्यात	0.02	0.05	0.02	0.02	0.10
11.	केप्टिव विद्युत	17.41	21.15	20.97	22.49	28.26
		(1.36)	(1.55)	(1.04)	(1.15)	(1.40)
12.	बी.आर.के. और अन्य	31.91	31.10	35.21	39.58	37.85
		(0.28)	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.10)
13.	कोलियरी उपभोग	1.82	2.50	1.63	1.65	2.50
	उप-जोड़- गैर-कोकिंग	322.85	328.90	331.97	344.74	423.29
		(3.50)	(4.93)	(4.10)	(4.29)	(5.24)
	कुल जोड़	351.28	363.30	361.68	380.90	460.50
		(3.50)	(4.93)	(4.10)	(4.29)	(5.24)

टिप्पणी: (i) को-ठकों में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स के हैं और उन्हें जोड़ में शामिल नहीं किया गया है।

(ii) *बी.आर.के. व अन्य में शामिल है।

कोयला उत्पादन

11. वर्ष 2002-03 में 335.70 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की सभावना है। इसकी तुलना में, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 350.05 मिलियन टन कोयला उत्पादन

का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 298.50 मिलियन टन सी.आई.एल. के लिए, 33.50 मिलियन टन एस.सी.सी.एल. के लिए, 7.85 मिलियन टन टिस्को/ आई.आई.एस.सी.ओ./आई.आई.एस.सी.ओ./ डी.वी.सी. के लिए, 5.20 मिलियन टन केप्टिव ब्लाकों से और 5.00 मिलियन टन अन्यों (मेघालय) से शामिल है। 2003-04 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 2002-03 के प्रत्याशित उत्पादन से 4.2 प्रतिशत अधिक है। सी.आई.एल. में ओपनकास्ट उत्पादन का भाग लगभग 83 प्रतिशत और भूमिगत उत्पादन का भाग लगभग 17 प्रतिशत है। एस.सी.सी.एल. में ओपनकास्ट उत्पादन का भाग लगभग 58 प्रतिशत और भूमिगत उत्पादन का भाग 42 प्रतिशत है। उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपना कर भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। कम्पनी-वार कोयला उत्पादन की जानकारी नीचे तालिका 2 में दी गई है।

तालिका-2
कम्पनी-वार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन)

कम्पनी	नौवीं योजना	दसवीं योजना			
	2001-02	2002-03		2003-04	2006-07
	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	लक्ष्य
ई.सी.एल.	28.55	29.00	28.00	29.00	31.00
बी.सी.सी.एल.	25.25	28.00	25.50	27.50	33.00
सी.सी.एल.	33.81	34.25	34.25	35.50	43.30
एन.सी.एल.	42.46	44.00	45.00	46.50	52.00
डब्ल्यू.सी.एल.	37.01	37.00	37.20	37.25	37.50
एस.ई.सी.एल.	64.12	65.25	66.50	69.00	84.55
एम.सी.एल.	47.81	48.00	49.20	53.10	68.00
एन.ई.सी.	0.64	0.50	0.65	0.65	0.65
सी.आई.एल.	279.65	286.00	286.30	298.50	350.00
एस.सी.सी.एल.	30.81	32.50	32.50	33.50	36.13
टिस्को/ इस्को/ डी.वी.सी	7.71	7.60	7.85	7.85	7.64
केप्टिव	4.46	5.50	4.15	5.20	6.73
अन्य	5.02	4.10	5.00	5.00	4.50
जोड़:	327.65	335.70	335.80	350.05	405.00

12. दसवीं योजना के अन्तिम वर्ग 2006-07 में सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों से कोयले के 83.12 मिलियन टन के नए उत्पादन की परिकल्पना की गई है (79.11 मि.ट. सी.आई.एल. द्वारा और 4.01 मि.ट. एस.सी.सी.एल. द्वारा), जो सरकारी क्षेत्र की इन कोयला कम्पनियों के 386.13 मि.ट. के उत्पादन लक्ष्य के 22 प्रतिशत के बराबर है। कोयले के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सी.आई.एल. ने 23,159.24 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजी-निवेश से कुल 197.40 मि.ट. की क्षमता वाली 98 नई परियोजनाओं को हाथ में लेने की योजना बनाई है और एस.सी.सी.एल. ने 2116.96 करोड़ रुपए के पूंजी-निवेश से 4.13 मि.ट. की क्षमता वाली 17 नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी तुलना में, सी.आई.एल. ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन

31.12.2002 तक कुल 304.91 करोड़ रुपए की पूंजी-लागत से कुल 4.32 मि.टन प्रति वर्ग की क्षमता वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी प्रकार, एस.सी.सी.एल. बोर्ड ने 31.12.2002 तक कुल 64.29 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से 1.5 मि.टन प्रति वर्ग की क्षमता वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. - दोनों में कई नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की गई है। सी.आई.एल. से 2002-03 में इस नई श्रेणी की परियोजनाओं से होने वाला 3.93 मि.टन का प्रत्याशित उत्पादन, लक्ष्य के लगभग 56 प्रतिशत के बराबर है और एस.सी.सी.एल. में इस नई श्रेणी का कोई उत्पादन होने की प्रत्याशा नहीं है, जबकि इसके लिए 0.1 मि.टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

13. केंद्रित ब्लॉकों का अंशदान केवल लगभग 1.5 प्रतिशत है। इससे घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रक की भागीदारिता को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता का पता चलता है। श्रेणी-वार कोयला-उत्पादन की जानकारी नीचे की तालिका-3 में दी गई है:

तालिका-3
श्रेणी-वार कोयला-उत्पादन - 2003-04

(मिलियन टन)

श्रेणी	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	टिस्को/ डी.वी.सी.	इस्को/ के.पिटिव ब्लाक	अन्य (मेघालय)	जोड़
मौजूदा	26.71	4.12	7.85	4.15	5.00	47.83
पूरी की गई	223.42	24.01	-	-	-	247.43
कार्यान्वयनाधीन	32.13	5.37	-	-	-	37.50
नई	16.24	0.00	-	1.05	0.00	17.29
जोड़	298.50	33.50	7.85	5.20	5.00	350.05

धुला कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला

14. वर्ग 2002-03 में सी.आई.एल. से धुले कोकिंग कोयले के 4.94 मि.टन के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में, 2003-04 में धुले कोकिंग कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 5.33 मि.टन रखा गया है। यह एक चिन्ता का क्षेत्र है और धातुकर्म क्षेत्रक के लिए वांछित गुणवत्ता वाले धुले कोकिंग कोयले की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने के भरसक प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार, 2002-03 में सी.आई.एल. के स्रोतों से धुले गैर-कोकिंग कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता, 8.26 मि.टन के लक्ष्य की तुलना में, 7.98 मि.टन है और 2003-04 में उसे 8.56 मि.टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युत-उत्पादन के लिए 34 प्रतिशत से अनधिक राख वाला कोयला उपलब्ध कराने के बारे में एम.ओ.ई.एफ. के निदेश का पालन करने के लिए गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए और अधिक वाशरियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

मांग आपूर्ति और कोयले की दुलाई

15. वर्ग 2002-03 में कच्चे कोयले की 361.68 मि.टन की प्रत्याशित मांग को 335.8 मि.टन के घरेलू उत्पादन से, 1.9 मि.टन स्टॉक से आहरित करके (सी.आई.एल. से 1.5 मि.टन और एस.सी.सी.एल. से 0.4 मि.टन), और 21 मि. टन के अनुमानित आयात द्वारा (11 मि.टन कोकिंग

कोयला और 10 मि.टन गैर-कोकिंग कोयला) पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस पर भी 2.98 मि.टन की कमी रह जाएगी।

16. वर्न 2003-04 में कच्चे कोयले की 380.90 मि.टन की अनुमानित मांग को 350.05 मि.टन के घरेलू उत्पादन से और सी.आई.एल. के स्रोतों से 1.35 मि.टन का स्टॉक आहरित करके पूरा करने की योजना है। इससे 29.50 मि.टन का अन्तर रह जाता है। इस्पात क्षेत्रक के लिए 16.41 मि.टन और सीमेंट क्षेत्रक के लिए 3 मि.टन गैर-कोकिंग कोयले के प्रस्तावित आयात के बावजूद 10.09 मि.टन की कमी रह जाएगी। अनुमानित मांग के 5 प्रतिशत के बराबर कोयले के आयात का प्रक्षेपित स्तर लगभग उतना ही है, जितना कि 2002-03 में संभावित आयात का है। यदि मांग फलीभूत हो गई तो इस अंतर को उपलब्ध स्टॉक से और सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों द्वारा कुछ अतिरिक्त उत्पादन करके पूरा करने की जरूरत होगी। मांग-आपूर्ति की स्थिति नीचे तालिका-4 में दी गई है।

तालिका-4
कोयले की मांग-आपूर्ति - 2003-04

(मिलियन टन)

मांग	घरेलू उत्पादन	स्टॉक से आहरण सी.आई.एल.	कुल घरेलू आपूर्ति (2+3)	प्रस्तावित आयात			कुल आपूर्ति (4+7)	अन्तर (8-1)
				कोकिंग	गैर-कोकिंग	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
380.90	350.05	1.35	351.40	16.41	3.00	19.41	370.81	10.09

17. वार्षिक योजना 2003-04 में कच्चे कोयले की 380.90 मि.टन की जो मांग आंकी गई है, उसमें से 333.35 मि.टन अथवा लगभग 88 प्रतिशत का उठान सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. से करने की योजना है। यह इन कम्पनियों से चालू वर्न के दौरान किए जाने वाले प्रत्याशित उठान से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. से प्रस्तावित उठान की मात्रा में से 178 मि.टन अथवा 53 प्रतिशत की दुलाई रेल द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए प्रति दिन चार पहियों वाले कुल 22419 माल डिब्बों (एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.) की जरूरत होगी। यह आवश्यकता 2002-03 के संशोधित अनुमानों से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है।

18. तालचर, कोरबा, उत्तरी कर्णपुरा और भूपालपल्ली जैसे संभाव्य कोयला क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण रेल-सम्पर्क स्थापित किए जाने होंगे। एम.सी.एल. में तालचर और पारादीप रेल लाइन(लिक) को दोहरा बनाना और उसका विद्युतीकरण, दीपिका-पेंडरा रोड रेल लिक का निर्माण और एस.ई.सी.एल. में राबर्टसन स्टेशन से मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र तक के लिए रेल लिक का विकास और सी.सी.एल. के उत्तरी कर्णपुरा में तोरी-शिवपुरी रेल लाइन का निर्माण, आदि कुछ ऐसे रेल सम्पर्क (लिक) हैं, जो दसवीं योजना के दौरान सम्भाव्य कोयला क्षेत्रों के उपयुक्त विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

19. सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. से प्रस्तावित उठान में परिवहन के अन्य साधनों का हिस्सा इस प्रकार है: सड़क द्वारा 60.78 मि.टन (18 प्रतिशत), एम.जी.आर. द्वारा 79.64 मि.टन (24 प्रतिशत), तटवती नौवहन द्वारा 13.87 मि.टन (4 प्रतिशत) और अन्य साधनों द्वारा 13.26 मि.टन (4 प्रतिशत)।

लिग्नाइट

20. एन.एल.सी. के लिए वर्न 2002-03 में 19.95 मि.टन लिग्नाइट उत्पादन के लक्ष्य के विपरीत प्रत्याशित उत्पादन केवल 18.85 मि.टन है। कमी के कारण हैं: टी.पी.एस.-I विस्तार परियोजना को चालू करने में देरी और एस.टी.सी.एम.एस. यूनिट को चालू करने में देरी। तदनुसार, सकल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, 14,638 मिलियन यूनिटों के लक्षित उत्पादन के विपरीत 12,350 मिलियन यूनिट है। इसके विपरीत, वार्षिक योजना 2003-04 के लिए प्रस्तावित लिग्नाइट उत्पादन लक्ष्य 20.90 मि.टन है जो अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) यूनिटों की जरूरतों और एस.टी.सी.एम.एस. यूनिट को आपूर्ति के अनुरूप है। सकल विद्युत उत्पादन लक्ष्य 15006 मिलियन यूनिट रखा गया है। वर्न 2003-04 के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों से लिग्नाइट उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन में 21.5 प्रतिशत वृद्धि का संकेत मिलता है। वर्न 2003-04 में उत्पादकता में प्रस्तावित सुधार 5 प्रतिशत और जनशक्ति में 2.1 प्रतिशत तक की वृद्धि है।

उत्पादकता

21. वर्न 2002-03 में सी.आई.एल. में 2.58 टन (यूजी-0.67 टन, ओसी-6.53 टन) के प्रत्याशित समग्र ओ.एम.एस के विपरीत वर्न 2003-04 के लिए ओ.एम.एस. का लक्ष्य 2.71 टन (यूजी-0.69 टन, ओसी-6.96 टन) रखा गया है। वर्न 2002-03 में प्रत्याशित ओ.एम.एस. की तुलना में प्रस्तावित वृद्धि 5 प्रतिशत है।

22. एस.सी.सी.एल. के मामले में, 1.75 टन (यूजी-0.86 टन, ओसी-7.76 टन) के प्रत्याशित समग्र ओ.एम.एस. के विपरीत वर्न 2003-04 के लिए ओ.एम.एस. का लक्ष्य 1.80 टन रखा गया है (यूजी-0.94 टन, ओसी-6.8 टन)। प्रस्तावित वृद्धि, 2002-03 में प्रत्याशित ओ.एम.एस. की तुलना में 2.85 प्रतिशत है।

23. वर्न 2003-04 में सी.आई.एल. के कोयला उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि 5 प्रतिशत के उत्पादकता में प्रस्तावित समग्र सुधार और जनशक्ति में 2.6 प्रतिशत की कटौती के साथ, 2002-03 में प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में 12.20 मि.टन अथवा 4.3 प्रतिशत है। एस.सी.सी.एल. के मामले में, कोयला उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि, उत्पादकता में 2.85 प्रतिशत के सुधार और 2003-04 में जनशक्ति में 0.5 प्रतिशत की कटौती के साथ, एक (1) मिलियन टन है।

24. एन.एल.सी. के मामले में, वर्न 2003-04 के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों से, उत्पादकता में 5 प्रतिशत के प्रस्तावित सुधार के साथ, लिग्नाइट उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन में 21.5 प्रतिशत वृद्धि का संकेत मिलता है। तथापि, 2003-04 में जनशक्ति में 2.1 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है।

25. कोयला कम्पनियों के मामले में, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, निवेश आदि के सम्बन्ध में कामकाज का बेंच मार्किंग महत्वपूर्ण है। कोयला कम्पनियों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए, कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्र, कामकाज की स्वतंत्र रूप से आडिटिंग, संसाधनों के निवेश की कार्यकुशलता आदि की जरूरत है।

परियोजना कार्यान्वयन

26. भू-अधिग्रहण, वन संबंधी मंजूरी, पुनर्वास, उपस्कर आपूर्ति, निधियों की उपलब्धता, अपर्याप्त भौगोलिक अध्ययन, अनुचित परियोजना निर्माण आदि के कारण, कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में

देरी और क्षमता को विनियंत्रित करने व कुछेक परियोजनाओं को समय से पहले बन्द करने की वजह से देरियां जारी हैं।

27. अनेक परियोजनाएं, विशेष रूप से ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. से संबंधित परियोजनाएं, संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किए जाने के बाद भी मंजूरशुदा क्षमताओं तक नहीं पहुंच पाई हैं और उन्हें विभिन्न तकनीकी व गैर-तकनीकी कारणवश, जिनमें भू-खनन, भू-अधिग्रहण और पुनर्वास समस्याएं शामिल हैं, समय से पहले बन्द करना पड़ा। इससे कोयला कम्पनियों की परियोजना निर्माण प्रथाओं की समीक्षा किए जाने की जरूरत का पता चलता है। स्थानीय कम्पनियों द्वारा कोयला परियोजनाओं के सार्थक कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि के दाखिलखारिज और हस्तान्तरण की समस्याओं का सही ढंग से समाधान किए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा पट्टे की मंजूरी/नवीकरण के पहलू भी महत्वपूर्ण हैं जिससे कि नई परियोजनाओं के मामले में, समय की देरियां कम हो सकें। पर्यावरणीय तथा वानिकी मंजूरीयों के संबंध में पहले अनेक बार यह विचार व्यक्त किया गया है कि एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के साथ एकल खिड़की पद्धति जरूरी है। तथापि, इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ है और नई परियोजनाओं की मंजूरी में अनावश्यक रूप से काफी अधिक समय लगता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि के प्रति “आंकांक्षा मूल्य” चार्ज करना परियोजना कार्यान्वयन में एक बाधा बनती जा रही है और कोयला कम्पनियों को इस संबंध में बहुत बड़ी राशियां अदा करनी पड़ती हैं जिससे वनारोपण की लागत के अलावा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है।

28. यह देखा गया है कि कोयला खनन परियोजनाओं की परिपक्वनावधि बहुत लम्बी होती है और वे अनिवार्य रूप से समय और लागत में बढ़ोतरी से ग्रस्त हैं। यह मत व्यक्त किया गया था कि अग्रिम कार्रवाई हेतु विद्यमान प्रावधान बहुत अल्प हैं और यह वांछनीय है यदि पन और नाभिकीय (न्यूक्लीयर) विद्युत परियोजनाओं के लिए लागू दो स्तरीय मंजूरी पद्धति को कोयला क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए भी लागू कर दिया जाए। ऐसा करने से, लोक निवेश बोर्ड समिति (सी.पी.आई.बी.) के अनुमोदन से प्रथम चरण में, भू-अधिग्रहण, पुनः बसाने और पुनर्वास तथा पर्यावरणीय पहलुओं को हल किया जा सकता है। शून्य तिथि, डी.पी.आर. के अनुमोदन के बाद से शुरू होनी चाहिए जिसमें पहले चरण की लागत भी शामिल की जानी चाहिए। इससे परियोजना को समय पर पूरा करने और आई.डी.सी. में कटौती करने में मदद मिलेगी।

कोयला और लिग्नाइट भण्डार

29. 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार, कोयले का भण्डार 240.75 बि.टन है (सिद्ध - 90.9 बि.टन (37 प्रतिशत); संकेतित-112.61 बि.टन (47 प्रतिशत); अनुमानित-38.05 बि.टन (16 प्रतिशत)। तथापि, अनुमानित नि-कर्णीय भण्डार केवल लगभग 18 बि.टन है (सिद्ध भण्डारों का 20 प्रतिशत)। इसी प्रकार, 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार, देश में अनुमानित लिग्नाइट भण्डार 35.36 बि.टन है। उपलब्ध कोयला भण्डारों को भण्डारों की सिद्ध और नि-कर्णीय श्रेणी तक उन्नत बनाने की जरूरत है।

शून्य-आधारित बजट पद्धति

30. कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय स्कीमों की शून्य-आधारित बजट तरीके के साथ यह जानने के लिए समीक्षा की गई कि क्या उन्हें दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03 तथा 2003-04 में जारी रखने तथा उनमें आशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आर.एण्ड डी./एस.एण्ड टी., कोयला नियंत्रक संगठन, प्रोन्नयक गवै-णा, गैर-सी.आई.एल. ब्लकों में व्यापक

गवे-णा, वी.आर.एस. जैसी स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रखने के बारे में सहमति हुई। तथापि, पर्यावरणीय तरीके एवं धसान नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.) तथा पुनर्वास, झरिया एवं रानीगंज कोयला खदानों में आग नियंत्रण स्कीमों को दसवीं योजना में जारी रहने वाली ई.एम.एस.सी. नामक एक स्कीम के अन्तर्गत विलय कर दिया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी की स्कीम को योजना स्कीमों में से निकाल लिया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

संवर्धनात्मक गवे-णा

31. कोयला तथा लिग्नाइट में क्षेत्रीय गवे-णा और बाद में कोयले की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भण्डारों के परियोजनाकरण की गति में तेजी लाने के लिए सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान संवर्धनात्मक गवे-णा नामक एक स्कीम शुरू की गई।

32. इस स्कीम के अन्तर्गत, दसवीं योजना के दौरान, कोयले के सम्बन्ध में 3.3 लाख मीटर और लिग्नाइट के लिए 2.7 लाख मीटर, कुल मिलाकर 6 लाख मीटर की ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के दौरान कोयले के लिए लगभग 994 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने तथा कोयले का 6.68 बि.टन भण्डार कायम करने की योजना है। यह कार्य, कोयला मंत्रालय के वित्तपो-ण से जी.एस.आई., सी.एम.पी.डी.आई. और एम.ई.सी.एल. द्वारा किया जाएगा। ड्रिलिंग कार्यक्रम के अलावा, भावी निर्णयों को सुकर बनाने के वास्ते विभिन्न अन्वे-णात्मक एजेन्सियों द्वारा सृजित डाटा को समाकलित करने के लिए कोयला और लिग्नाइट डाटाबेस सृजित करने की एक स्कीम संवर्धनात्मक अन्वे-ण के तहत शुरू करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, संवर्धनात्मक अन्वे-ण कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिल किए गए बोरहोलों से अनुमानित गैस का अन्दाजा लगाने के वास्ते, कोयला बैड मीथेन (सी.बी.एम.) के संबंध में अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है ताकि सी.बी.एम. के लिए कोयला ब्लॉकों की संभाव्यता का पता लगाया जा सके।

33. वर्ष 2002-03 में 1,20,300 मीटर के संवर्धनात्मक अन्वे-ण हेतु ड्रिलिंग के लक्ष्य के विपरीत, संभावित उपलब्धि 1,08,300 मीटर है (लक्ष्य का 90 प्रतिशत)। इसके विरुद्ध, 2003-04 में ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,20,300 मीटर तय किया गया है।

गैर-सी.आई.एल. ब्लॉकों में व्यापक ड्रिलिंग

34. इस स्कीम को बजटीय सहायता के जरिए नौवीं योजना में शुरू किया गया था ताकि निजी उद्यमियों को खनन ब्लॉकों के आबंटन और उनके द्वारा कोयला खनन कामकाज की शुरुआत के बीच अन्तराल को कम किया जा सके और इस प्रकार कोयले की मांग और उपलब्धता में अन्तर को पाटा जा सके।

35. दसवीं योजना के लिए, गैर-सी.आई. ब्लॉकों में व्यापक ड्रिलिंग के लिए 2.13 लाख मीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 3.58 बि.टन कोयला भण्डार कायम हो सकेंगे। 2002-03 में 42,000 मीटर की ड्रिलिंग के लक्ष्य के विपरीत, संभावित उपलब्धि 37,500 मीटर है। वर्ष 2003-04 के लिए 41,650 मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (आर एण्ड टी)

36. कोयला क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को कोयला उद्योग के रा-द्रीयकरण के बाद महत्व प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम वर्न 1975 में शुरू किया गया था। कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्थायी समिति (एस.एस.आर.सी.) स्थापित की गई थी तथा इसके सदस्य अन्य सरकारी विभागों तथा उद्योगों से लिए गए थे। एस.एस.आर.सी. की सहायता के लिए चार उप-समितियां हैं जिनके नाम हैं: उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा; कोयला परि-करण; कोयला उपयोगिता, तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।

37. दसवीं योजना में तीनमुखी दृ-टिकोण अपनाया गया है, अर्थात (i) एस.एस.आर.सी. के अंतर्गत कोयला एस एण्ड टी कार्यक्रम जारी रखना, (ii) कोयला कम्पनियों के साथ इनहाउस आर.एण्ड डी. कार्यक्रम, तथा (iii) अन्तर-क्षेत्रीय अनुसंधान - प्रौद्योगिकी परामर्श समिति (आई.एस.-एस.टी.ए.सी.)। कोयला एस एण्ड टी कार्यक्रम के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य चिह्नित मामले हैं - कोयला गैसीकरण, कोयला वाशिंग, लो वोलेटाइल कोकिंग कोयले का परि-करण (एल.वी.एम.सी.), कोयला द्रवीकरण, फ्लूडाइज्ड बैड कम्बसचन, ग्रीन हाउस गैस के नियंत्रण में कार्बनडाई-आक्साइड का सिक्यूरिस्टेशन तथा सी.बी.एम. का नि-र्कण आदि। 2002-03 के प्रारम्भ में कोयला एस.एण्ड टी. के अंतर्गत लगभग 41 परियोजनाएं चल रही हैं। वर्न 2002-03 के दौरान पांच नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एस एण्ड टी के अन्तर्गत दसवीं योजना के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप नई स्कीमें विनिर्धारित और तैयार किए जाने की जरूरत है।

पर्यावरणीय उपाय एवं धसान नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.)

38. यह स्कीम आठवीं योजना में रानीगंज तथा झरिया कोयला खदानों में धंसाव तथा आग से उठने वाली समस्याओं के समाधान तथा उत्खनित किए क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों के सुधार के लिए लागू की गई थी। झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में पुनर्वास, अग्नि नियंत्रण और धसान की स्कीम को 2002-03 से ई.एम.एस.सी. के साथ मिला दिया गया है। 2002-03 के आरम्भ में धसान नियंत्रण के अन्तर्गत 12 चालू स्कीमें, पर्यावरणीय उपायों के अन्तर्गत 8 स्कीम, सामाजिक न्यूनता के अन्तर्गत 2 स्कीम और पुनर्वास उपायों के अन्तर्गत 4 स्कीम चल रही थीं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.)

39. यह स्कीम नौवीं योजना में शुरू में एन.आर.एफ. के माध्यम से, जिसके लिए बाद में बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई, निधियां उपलब्ध कराकर जनशक्ति के युक्तियुक्तकरण द्वारा घाटे में चलने वाली कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। आरम्भ में यह ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. में शुरू की गई थी जिसे बाद में सी.सी.एल. में विस्तारित किया गया। कुल मिलाकर 44,400 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई (ई.सी.एल. 19200; बी.सी.सी.एल. - 19200; सी.सी.एल. - 6000), जिनमें से 34675 कर्मचारी (ई.सी.एल. - 16502, बी.सी.सी.एल. - 15507, सी.सी.एल. - 2666) अथवा लक्ष्य के 78 प्रतिशत को सेवानिवृत्त किया गया। इसके विपरीत, दसवीं योजना के दौरान 15500 कर्मचारियों को (ई.सी.एल.-4000, बी.सी.सी.एल.-9000, सी.सी.एल.-2500) वी.आर.एस. के माध्यम से सेवानिवृत्त करने की योजना है।

40. वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 7485 कर्मचारियों को (ई.सी.एल.-3125; बी.सी.सी.एल.-3635; सी.सी.एल.725) को सेवानिवृत्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विपरीत, संभवतः 5600 कर्मचारियों को (ई.सी.एल.-2800; बी.सी.सी.एल.-2000 और सी.सी.एल.-800) सेवानिवृत्त किया गया।

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 5200 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (ई.सी.एल.-2000, बी.सी.सी.एल.-2000 और सी.सी.एल.-1200) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मॉनीटरिंग मेकेनिज़्म

41. कोयला क्षेत्रक की परियोजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का सामयिक एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मंत्रालय में आयोजित की जाने वाली त्रैमासिक कार्य नि-पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर.) बैठकों के अतिरिक्त योजना आयोग में त्रैमासिक कार्य नि-पादन समीक्षा बैठकें शुरू की गई हैं।

नीतिगत उपाय

42. दसवीं योजना में, लम्बित पड़े कोयला विधेयक 2000 को शीघ्र पारित करने की परिकल्पना की गई है ताकि केप्टिव-भिन्न कोयला खनन में निजी क्षेत्रक को अनुमति दी जा सके, कोयला उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में कोयला उत्पादन के प्रत्येक घटक में नि-पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और कामकाज सुनिश्चित करने और विवादों के निपटान आदि के वास्ते एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जा सके, धारण कम्पनियों को हटाकर सी.आई.एल. का पुनर्गठन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित और नि-पादन को सुधारने के वास्ते गौण कोयला कम्पनियों को स्वतंत्र बनाया जा सके, अन्वे-ण और दोहन दोनों के वास्ते कोयला ब्लाक आबंटित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जा सके, श्रम कानूनों, भू-अधिग्रहण सहित सभी आवश्यक विधायी संशोधन आदि किए जा सकें।

43. भारत सरकार की नई कोयला खनन नीति के अनुसार, राज्य सरकार कम्पनियों अथवा उपक्रमों को, कोकिंग, गैर-कोकिंग कोयले अथवा लिग्नाइट भण्डारों की, कतिपय शर्तों के अध्वधीन अलग-थलग छोटे पाकेटों के पूर्ववर्ती प्रतिबंध के बगैर देश में कहीं भी, ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धति द्वारा, खनन की अनुमति है।

44. एन.एल.सी. को कोयला अग्नि वाले विद्युत उत्पादन का विविधीकरण करने की अनुमति दे दी गई है तथा इस संबंध में कुछेक परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

45. भारी मात्रा में बकाया कोयला और विद्युत बिक्री देयों की वजह से कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देयों के परिकल्पित प्रतिभूतिकरण को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। तथापि, जहां तक चालू बिलिंग का संबंध है, किसी बकाया की रिपोर्ट नहीं मिली है।

46. आयातित कोयले की तुलना में, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में, उँचे रेल भाड़ों की वजह से देशज कोयले की कीमतें अधिक बैठती हैं। इसका कारण रेलवे द्वारा आन्तर-सब्सिडी है और कोयले के संबंध में रेल भाड़ा दरों को तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है।

47. इस समय, कोकिंग कोयले पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत और गैर-कोकिंग कोयले पर 25 प्रतिशत है। कोयले के आयात को बढ़ाने, विशेष रूप से गैर-कोकिंग कोयले के आयात को बढ़ाने के लिए, जिससे इस क्षेत्रक में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, कोयले पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है।

48. सरकार ने, 16 अगस्त 2002 से कोयले पर रायल्टी की दरें संशोधित की हैं। रायल्टी की दरें, समूह-I कोयले के लिए 250/- रुपए प्रति टन से लेकर समूह-VI कोयले के लिए 90/- रुपए प्रति टन

के बीच हैं। कोयले पर ये रायल्टी दरें, समूह-I के लिए कोयले के बिक्रीमूल्य का लगभग 19 प्रतिशत से लेकर समूह-IV कोयले के संबंध में 11 प्रतिशत बैठता है। लिग्नाइट पर रायल्टी दर 15 मार्च 2001 से संशोधित करके 50/- रुपए प्रति टन कर दी गई।

सुरक्षा और कल्याण

49. कोयला खानकर्मियों की सुरक्षा और कल्याण को विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता वाला क्षेत्र समझा गया है। दसवीं योजना के लिए कोयला खानों में सुरक्षा के वास्ते विनिर्धारित कुछेक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं:

- (i) खानों में पर्यावरणीय टेली-मानिटियरिंग सिस्टम (ई.टी.एम.एस.) लगाना;
- (ii) निकटवर्ती खानों से पानी के खतरे की पहचान के लिए उत्खनन योजनाओं का क्षेत्र स्तर पर डिजिटीकरण, सहसम्बद्ध सर्वेक्षण की जांच तथा बैरियरों की मोटाई का अनुमान लगाना;
- iii) लकड़ी के आधार को स्टील आधार में बदलना;
- (iv) बेहतर आत्मरक्षक, आदि। वर्न 2002 के लिए सी.आई.एल. में रिपोर्ट की गई मृत्यु दर कोयला उत्पादन की 0.24 प्रति मिलियन टन थी और अब तक प्राप्त से न्यूनतम है। इसी प्रकार, एस.सी.सी.एल. में मृत्यु दर कोयला उत्पादन की 0.68 प्रति मिलियन टन थी।

50. 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार आवास सुविधा सी.आई.एल. में 80 प्रतिशत तक और एस.सी.सी.एल. में 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है। दिसम्बर 2002 तक जल आपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत कवर की गई सी.आई.एल. में कुल संख्या 23.2 लाख तथा एस.सी.सी.एल. में 6.5 लाख है। सी.आई.एल. में 5979 बिस्तरों के साथ 87 अस्पताल और एस.सी.सी.एल. में 956 बिस्तरों के साथ 7 अस्पताल कार्यरत हैं। इसके अलावा, सी.आई.एल. में 436 औ-नधालय और एस.सी.सी.एल. में 43 औ-नधालय भी कार्यरत हैं।

योजना परिव्यय

51. कोयला मंत्रालय के लिए वर्न 2002-03 के बजट अनुमानों में 3491.47 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसमें एन.एल.सी. (विद्युत) के लिए 292.72 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित था। इसके विपरीत, 2002-03 के लिए संशोधित अनु. प्रावधान 2744.21 करोड़ रुपए था जिसमें एन.एल.सी. (विद्युत) के लिए 318.61 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है। प्रत्याशित व्यय ब.अनु. प्रावधान से लगभग 21 प्रतिशत कम है। व्यय में कमी के प्रमुख कारण, कुछ कानूनी मसलों के कारण सी.आई.एल. में एच.ई.एम.एम. की प्राप्ति में देरी होना है। इसके साथ ही, नई परियोजनाएं शुरू करने में देरी की वजह से पूंजी व्यय प्रभावित हुआ। एस.सी.सी.एल. में, व्यय में कमी का कारण कुछ भूमिगत उपस्करों के लए संविदाओं को अन्तिम रूप देने में देरी तथा परियोजनाएं शुरू करने में देरी का होना है। तथापि, एन.एल.सी. के मामले में, ब.अनु. में किए गए प्रावधान की तुलना में सं.अनु. में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और यह खान-I ए के मामले में प्रमुख खनन उपस्करों के लिए अन्तिम अदायगियों और टी.पी.एस. I विस्तार परियोजना के लिए अदायगियों से सम्बद्ध है। इसके साथ ही कुछ केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों में, नामतः वी.आर.एस. (48 प्रतिशत), कुछ आगे लागे गए बकाया के कारण, क्षेत्रीय अन्वे-ण (10 प्रतिशत), ई.एम.एस.सी. (41 प्रतिशत) आदि के कारण, कमी है।

52. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कोयला मंत्रालय के लिए ब.अ. में 3321.30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें एन.एल.सी. (विद्युत) के लिए 278.45 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। यह व्यवस्था 2002-03 के सं.अ. से 21 प्रतिशत अधिक है। प्रस्ताव है कि परिव्यय का वित्तपोषण 3035.40 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर. के माध्यम से और 285.90 करोड़ रुपए की जी.बी.एस. के जरिए किया जाए। ई.ए.पी. का कोई घटक नहीं है (बजट के माध्यम से दिया जाने वाला घटक) तथा पूरी बजटीय सहायता कोयला मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए है जिसमें वी.आर.एस. शामिल है। कम्पनी-वार/ स्कीम-वार विवरण नीचे तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5
कम्पनी-वार/ स्कीम-वार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

कम्पनी/ स्कीम	2001-02 अनन्तिम	2002-03		2003-04 परिव्यय
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
कोल इण्डिया लिमिटेड	1146.69	2190.00	1705.52	2240.00
सिंगरेनी कोल कं. लि.	181.92	405.00	227.00	340.00
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (खान)	377.70	292.23	298.99	176.95
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	0.17	7.55	9.50	22.48
कोयला नियंत्रण संगठन	0.17	0.21	0.21	0.21
क्षेत्रीय/ प्रोन्नयन अन्वेषण	31.61	49.19	44.27	56.10
पर्यावरणीय उपाय तथा धसाव नियंत्रण	3.31	34.65	20.56	27.56
गैर-सी.आई.एल. ब्लकों में व्यापक ड्रिलिंग	45.85	13.92	12.53	12.52
पुनर्वास परियोजना	7.24	-	-	-
सूचना प्रौद्योगिकी	0.51	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम	192.38	206.00	107.02	138.44
जोड़: कोयला और लिग्नाइट	1987.55	3198.75	2425.60	3014.26
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (विद्युत)	292.85	292.72	318.61	278.45
एन.ई.सी.	11.21	-	-	28.59
जोड़: कोयला विभाग	2291.61	3491.47	2744.21	3321.30

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

53. नौवीं योजना के दौरान ई.ए.पी घटक का लाभ उठाने वाली अधिकांश परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और कुछ शेष रहती राशि को दसवीं योजना में ले जाया जा रहा है। वार्षिक योजना 2002-03 में सी.आई.एल. की सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना और कोयला क्षेत्रक परिवेश के लिए व्यवस्थित 15.48 करोड़ रुपए की राशि के विपरीत, सं.अ. प्रावधान केवल 12.91 करोड़ रुपए रहा। 2003-04 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार, सी.आई.एल. की कोयला क्षेत्रक पुनर्वास परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण के बकाया घटक के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में 26.67 करोड़ रुपए के प्रावधान के विपरीत, सं.अ. प्रावधान केवल 200.91 करोड़ रुपए था। वर्ष 2003-04 में ब.अ. प्रावधान 12.35 करोड़ रुपए था, जो सी.आई.एल. की कोयला क्षेत्रक पुनर्वास योजना का प्रत्यक्ष और बकाया

घटक है। कोयला क्षेत्रक में ई.ए.पी. सहायता के लिए नई परियोजनाएं विनिर्धारित किए जाने की जरूरत है।

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कार्रवाई-योग्य मुद्दे

54. कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2003-04 के लिए, दसवीं पंच व-नीय योजना अनुमोदित करते समय रा-ट्रीय विकास परसि-द (एन.डी.सी.) के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्रवाई-योग्य मुद्दे विनिर्धारित किए गए हैं।

55. वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्रक को अनुमति देने के लिए लम्बित कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 पारित होने पर निम्नलिखित उपाय करने की जरूरत है:

- (i) कोयला उत्पादन के प्रत्येक घटक और आपूर्ति श्रृंखला में उचित प्रतिस्पर्द्धा और समान अवसर सुनिश्चित करने के वास्ते विवादों के निपटान और गवे-ण तथा खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना।
- (ii) प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित कोयला-ब्लाकों को मुक्त कराने का प्रस्ताव है।
- (iii) कोयले को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की सूची से हटाकर इसके व्यापार की अनुमति देना तथा कोयला संभावित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 और संविदा श्रम (विनियमन और विकास) अधिनियम 1970 के प्रावधानों को संशोधित करना।

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

प्रस्तावना

56. दसवीं योजना में, विनिवेश, पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और वितरण में निजी भागीदारी और नई अन्वे-ण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अन्तर्गत अन्तर-रा-ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से अन्वे-ण ब्लाक प्रदान करके हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक के पुनर्गठन के संबंध में पहले शुरू किए गए उपायों को समाकलित करने और उनका विस्तार करने का प्रस्ताव है। विदेश में इक्विटी आयल तथा गैस प्राप्त करके, तेल आयातों के विविधीकरण तथा एन.ई.एल.पी. के माध्यम से त्वरित अन्वे-ण द्वारा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। और अधिक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिए, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि हो, हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार करने का विचार है।

57. एन.ई.एल.पी. के पहले तीन बोली चक्रों में 70 ब्लाक अवार्ड किए गए। हाल ही में, एन.ई.एल.पी. के चौथे चक्र के अन्तर्गत बोली के वास्ते 24 अतिरिक्त ब्लाकों की घो-णा की गई है। रूस में सखालिन-I अपतटीय क्षेत्र, सूडान में ग्रेटर नील तेल परियोजना व अन्य देशों, नामतः वियतनाम, इराक, ईरान, लिबिया और म्यांमार में इक्विटी आयल/ गैस और अन्वे-ण हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आटो फ्युल गुणवत्ता में सुधार हुआ है जिससे कि आटोमोबाइल उद्योग निर्धारित उत्सर्जन मापदण्डों का अनुपालन कर सके। नौ राज्यों में 5 प्रतिशत इथानोल के साथ मिश्रित मोटर स्पिट की आपूर्ति प्रारंभ की गई है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

58. दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 120.4 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्वानुमानित खपत के विपरीत वर्ष 2002-03 के दौरान वास्तविक खपत 104.14 मिलियन टन होने का अनुमान है जो जो 2001-02 के दौरान 100.43 मिलियन टन की वास्तविक खपत पर 3.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर होने का संकेत है।

59. अन्वेषण और विकास ड्रिलिंग के क्रमशः 1941.12 हजार मीटर और 1533.96 हजार मीटर के दसवीं योजना लक्ष्यों के विपरीत, रा-द्रीय तेल कम्पनियों (ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल.) के संबंध में वर्ष 2002-03 में अनुमानित उपलब्धियां क्रमशः 456.08 हजार मीटर और 474.67 हजार मीटर हैं। ये वर्ष 2001-02 के लिए क्रमशः 428.65 हजार मीटर और 367.21 हजार मीटर के वास्तविक नि-पादन की तुलना में 6.4 प्रतिशत और 29.3 प्रतिशत अधिक हैं। इस गति के साथ, उम्मीद है कि रा-द्रीय तेल कम्पनियां अन्वेषण और विकास ड्रिलिंग के लिए दसवीं योजना के लक्ष्यों को पार कर जाएंगी।

60. कच्चे तेल उत्पादन के लिए दसवीं योजना का लक्ष्य 169.38 मिलियन टन है जिसमें निजी/संयुक्त क्षेत्रक उत्पादकों का उत्पादन सम्मिलित है। कच्चे तेल का उत्पादन, संयुक्त उद्यमों और निजी क्षेत्रक कम्पनियों के उत्पादन सहित, वर्ष 2002-03 में 33.04 मिलियन टन था। यह 2001-02 में 32.03 मिलियन टन के उत्पादन से 3.2 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2002-03 में उत्पादन से वर्ष का लक्ष्य काफी सीमा तक पूरा हो गया और इसने दसवीं योजना के लिए लक्षित स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन के 18.9 प्रतिशत का योग मिला।

61. प्राकृतिक गैस उत्पादन के संबंध में संचयी दसवीं योजना लक्ष्य 177.48 विलियन घन मीटर रखा गया है। वर्ष 2002-03 में 31.39 विलियन घन मीटर का वास्तविक उत्पादन 2001-02 के उत्पादन से 5.7 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा हो गया और इससे दसवीं योजना के लिए लक्षित उत्पादन को 17.7 प्रतिशत का योग मिला।

62. 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार परिशोधन क्षमता 116.97 मिलियन टन थी। 2003-04 के दौरान किसी अतिरिक्त वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है। स्वदेशी परिशोधन क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की देशज खपत में वृद्धि के साथ-साथ चल रही है।

63. वर्ष 2001-02 के दौरान 78.7 मिलियन टन कच्चा तेल और 7.0 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया, जबकि 10.1 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया। वर्ष 2002-03 के दौरान 94.29 मिलियन टन कच्चे तेल और 2.13 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक आयात क्रमशः 82.35 मिलियन टन और 6.37 मिलियन टन था। वर्ष 2002-03 में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 10.28 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 14.83 मिलियन टन था।

क्षेत्रकीय सुधार

64. सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में, क्षेत्रक को धीरे-धीरे उदार बनाया जा रहा है। रिफाइनरियों को लाइसेंसमुक्त करके तथा एन.ई.एल.पी. शर्तों को और अधिक प्रगतिशील बनाकर, आई.बी.पी. का विनिवेश कर दिया गया है तथा बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. का विनिवेश करने की प्रक्रिया पर सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, नए प्रवेशकों को, जिनमें शेल इण्डिया, रिलाएन्स इन्डस्ट्रीज और एस्सार आयल जैसी निजी क्षेत्रक कम्पनियां शामिल हैं, परिवहन ईंधन का विपणन अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही, ओ.एन.जी.सी. तथा आई.ओ.सी. को, भारतीय बाजार में प्रवेश

की इच्छुक विदेशी तेल कम्पनियों के साथ बराबरी के आधार पर बेहतर ढंग से प्रतियोगिता करने के लिए एकीकृत तेल प्रमुख कम्पनी बनने की अनुमति दे दी गई है। अन्ततः पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक 2002 संसद में पेश कर दिया गया है। प्रस्तावित विनियामक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य तेल तथा गैस क्षेत्रक के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार कायम करना है।

65. प्रशासित कीमत पद्धति तंत्र (ए.पी.एम.) को, जिससे परिवहन ईंधन, एल.पी.जी. और केरोसिन की कीमतें अधिशासित होती थीं, 1.4.2002 से समाप्त कर दिया गया है। यद्यपि मोटर स्प्रीट, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतें आयात समानता आधार पर तय की जा रही हैं, किन्तु केरोसिन और एल.पी.जी. के लिए अभी भी सब्सिडियां दी जा रही हैं जिन्हें पूरी तौर पर बजट के माध्यम से वहन नहीं किया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय बजट में सम्मिलित सब्सिडी की कुल राशि निर्धारित है, तथापि उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दी गई है। इस प्रकार, तेल विपणन कम्पनियों द्वारा अदा की जाने वाली उच्च आयात समानता कीमतों के परिणामस्वरूप इन दोनों उत्पादों की बिक्री पर हानि हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप से तेल विपणन कम्पनियां परिवहन ईंधनों से होने वाले लाभों में से केरोसिन और एल.पी.जी. के लिए क्रास सब्सिडी देने के लिए बाध्य हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

कार्यक्रम और स्कीमें

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

66. 2003-04 में पेट्रोलियम उत्पादों की संभावित खपत लगभग 107.16 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि 2002-03 के दौरान अनुमानित खपत 104.14 मिलियन टन थी। इससे केवल 2.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का पता चलता है।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

67. वर्ष 2003-04 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का लक्ष्य क्रमशः 87.62 मिलियन टन और 8.27 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2003-04 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 12.73 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। 2003-04 का आयात लक्ष्य कच्चे तेल के संबंध में 6.4 प्रतिशत अधिक तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में 29.8 प्रतिशत अधिक है जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में निर्यात लक्ष्य 2002-03 में तदनुसूची स्तर से 23.8 प्रतिशत अधिक है।

अन्वे-णात्मक तथा विकास ड्रिलिंग

68. अन्वे-णात्मक तथा विकास ड्रिलिंग के संबंध में वर्ष 2003-04 के लिए लक्ष्य क्रमशः 557.86 हजार मीटर और 501.45 हजार मीटर रखा गया है। ये लक्ष्य, वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान अनुमानित उपलब्धियों से क्रमशः 22.3 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत अधिक हैं। ड्रिलिंग कार्यकलापों से संबंधित विवरण संलग्नक 10.3.1 में प्रस्तुत है।

कच्चे तेल का उत्पादन

69. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य 33.50 मिलियन टन रखा गया है जो 2002-03 के 33.04 मिलियन टन उत्पादन से केवल मामूली तौर पर ज्यादा है। संवर्धित तेल

वसूली (ई.ओ.आर.) और सुधरी तेल वसूली (आई.ओ.आर.) निवेशों की मदद से चालू उत्पादन स्तरों को, किसी महत्वपूर्ण नई खोज के अभाव के बावजूद, बनाए रखा जा रहा है। कच्चे तेल उत्पादन का विवरण संलग्नक 10.3.2 में दिया गया है।

प्राकृतिक गैस उत्पादन

70. वर्ष 2003-04 में प्राकृतिक गैस उत्पादन के संबंध में 31.30 विलियन घन मीटर का लक्ष्य रखा गया है जबकि 2002-03 में 31.39 विलियन घन मीटर का उत्पादन हुआ। गैस उत्पादन के स्थिर स्तर से ओ.एन.जी.सी. द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए कुछेक अपतटीय गैस उत्पादन संस्थापनाओं को बन्द करने की योजना का पता चलता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन का विवरण संलग्नक 10.3.3 में दिया गया है।

परिशोधन क्षमता

71. देश ने परिशोधन क्षमता में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। परिशोधन क्षेत्रक को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। अतिरिक्त परिशोधन क्षमता स्थापित करना बहुत से कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि शुल्क संरचना, देशज मांग, आयात और निर्यात संभावनाएं और संभावित परिशोधन मार्जिन। परिशोधन क्षमता का विवरण संलग्नक 10.3.4 में दिया गया है।

पर्यावरणीय उपाय

72. परिशोधनशालाओं (रिफाइनरियों) ने विगत कुछेक वर्षों में पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। फिलहाल, भारत चरण II के अनुरूप महानगरों में डीजल की सफ़ाई की जा रही है। परिशोधनशालाएं, अप्रैल 2005 से चार महानगरों और 7 बड़े नगरों में पेट्रोल और डीजल के संबंध में भारत चरण-III (यूरो III के समकक्ष) विनिर्देश शुरू करने के साथ-साथ, भारत चरण-II विनिर्देश का देश के अन्य भागों में विस्तार करने के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

वैकल्पिक ईंधन

73. पेट्रोल में इथानोल मिश्रण की प्रतिशतता 10 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया है। 5 प्रतिशत तक बायो-डीजल के साथ डीजल के मिश्रण के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की जा रही है। योजना आयोग ने हाइड्रोजन ऊर्जा के संबंध में अलग से एक कार्य दल गठित किया है।

प्रमुख परियोजनाएं

74. कार्यान्वित की जा रही प्रमुख सरकारी क्षेत्रक परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- (i) मुम्बई हाई उत्तर पुनः विकास योजनाएं - ओ.एन.जी.सी.
- (ii) मुम्बई हाई दक्षिण पुनः विकास योजनाएं - ओ.एन.जी.सी.
- (iii) एच.बी.जे. विस्तार परियोजना (चरण-I) - गैल (जी.ए.आई.एल.)
- (iv) पानीपत रिफाइनरी विस्तार-6 एम.एम.टी.पी.ए. से 12 एम.एम.टी.पी.ए.-आई.ओ.सी.
- (v) पूर्वी भारत में 9 एम.एम.टी.पी.ए. ग्रास-रूट रिफाइनरी-आई.ओ.सी.

- (vi) 9 एम.एम.टी.पी.ए. पंजाब रिफाइनरी तथा कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना - एच.पी.सी.एल.
- (vii) 6 एम.एम.टी.पी.ए. मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना - बी.पी.सी.एल.

75. वर्ष 2002-03 के संबंध में परियोजना लागत, परिव्यय और व्यय का विवरण, वर्ष 2003-04 के लिए अनुमोदित परिव्यय और उपरोक्त परियोजनाएं चालू करने की अनुसूची संलग्नक 10.3.5 में दी गई है। बताया गया है कि ऊपर (v), (vi) और (vii) के अंतर्गत सूचीबद्ध रिफाइनरियों की वास्तविक उपलब्धि, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में देशज विकास के साथ निकटतः जुड़ी है क्योंकि क्षेत्रीय असमानताओं के बावजूद, वर्तमान परिशोधन क्षमता, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के वर्तमान स्तरों की तुलना में पर्याप्त से अधिक है।

परिव्यय

76. वार्षिक योजना 2003-04 में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए 22,080.43 करोड़ रुपए के परिव्यय (ब.अ.) की व्यवस्था की गई है (अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्र के लिए 16,950.43 करोड़ रुपए और परिशोधन तथा विपणन क्षेत्र के लिए 5130.00 करोड़ रुपए)। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए किसी बजटीय सहायता की व्यवस्था नहीं की जाएगी। कम्पनी-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 10.3.6 में दर्शाया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

कार्यक्रम	2001-02 वास्तविक	दसवीं योजना (2002-07) लक्ष्य	2002-03		2003-04 लक्ष्य
			लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	
('000 मीटर)					
1. अन्वे-णात्मक ड्रिलिंग					
क) ओएनजीसी					
i) तटीय	343.75	1095.01	307.51	329.30	326.36
ii) अपतटीय	45.34	480.51	111.30	71.78	165.50
ख) ओआईएल					
i) तटीय	39.56	338.1	58.00	55.00	66.00
ii) अपतटीय	0.00	27.5	0.00	0.00	0.00
जोड़(अन्वे-णात्मक)	428.65	1941.12	476.81	456.08	557.86
2. विकास ड्रिलिंग					
क) ओएनजीसी					
i) तटीय	242.63	694.51	266.26	279.09	296.35
ii) अपतटीय	67.11	469.45	140.00	125.58	135.10
ख) ओआईएल					
i) तटीय	57.47	370.00	60.20	70.00	70.00
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़(विकास)	367.21	1533.96	466.46	474.67	501.45

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक
कच्चे तेल का उत्पादन

क्षेत्र	मिलियन टन				
	2001-02 वास्तविक	दसवीं योजना (2002-07) लक्ष्य	2002-03 लक्ष्य	2002-03 वास्तविक #	2003-04 लक्ष्य
क) ओएनजीसी					
i) तटीय	8.635	42.02	8.66	8.45	8.82
ii) अपतटीय	16.073	88	17.24	17.56	17.57
उप-जोड़ (क)	24.71	130.02	25.90	26.01	26.39
ख) ओआईएल					
i) तटीय	3.183	18.70	3.50	2.95	3.30
ii) अपतटीय	0	0	0.00	0.00	0.00
उप-जोड़ (ख)	3.18	18.70	3.50	2.95	3.30
जोड़ (ओएनजीसी+ओआईएल)	27.89	148.72	29.40	28.96	29.69
जेवीसी/प्राइवेट	4.14	20.66	3.68	4.08	3.81
जोड़	32.03	169.38	33.08	33.04	33.50

अन्तिम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)

क्षेत्र	2001-02 वास्तविक	दसवीं योजना (2002-07) लक्ष्य	2002-03		(बीसीएम)
			लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	2003-04 लक्ष्य
(क) ओएनजीसी					
i) तटीय	5.61	30.71	5.68	5.87	6.11
ii) अपतटीय	18.43	81.39	18.01	18.37	17.20
उप-जोड़ (क)	24.04	112.10	23.69	24.24	23.31
ख) ओआईएल					
i) तटीय	1.62	12.61	2.19	1.74	1.96
ii) अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0
उप-जोड़ (ख)	1.62	12.61	2.19	1.74	1.96
जोड़ (ओएनजीसी+ओआईएल)	25.66	124.71	25.88	25.98	25.27
जेवीसी/ प्राइवेट	4.05	52.77	5.49	5.41	6.03
जोड़	29.71	177.48	31.37	31.39	31.30

संलग्नक 10.3.4

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक
रिफाइनरी क्षमता

(1.4.2003 को मिलियन टन में)

क्रम संख्या	रिफाइनरी का नाम	2003
1	आई.ओ.सी., गुवाहाटी	1.00
2	आई.ओ.सी., बरौनी	6.00
3	आई.ओ.सी., गुजरात	13.70
4	आई.ओ.सी., हल्दिया	4.60
5	आई.ओ.सी., मथुरा	8.00
6	आई.ओ.सी., डिगबोई	0.65
7	आई.ओ.सी., पानीपत	6.00
8	बी.पी.सी.एल., मुम्बई	6.90
9	एच.पी.सी.एल., मुम्बई	5.50
10	एच.पी.सी.एल., विशाखापटनम	7.50
11	के.आर.एल., कोची	7.50
12	सी.पी.सी.एल., मनाली	6.50
13	सी.पी.सी.एल., नरीमानम	1.00
14	बी.आर.पी.एल., बोंगईगांव	2.35
15	एन.आर.एल., नूमालीगढ़	3.00
16	एम.आर.पी.एल., मंगलौर (जेवी)	9.69
17	ओ.एन.जी.सी.	0.08
18	आर.पी.एल., जामनगर	27.00
	जोड़	116.97

प्रमुख परियोजनाओं की सूची

स्कीम का नाम	परियोजना की लागत/प्रत्याशित (करोड़ रुपए)	अनुमोदन की तारीख	परियोजना की लागत/प्रत्याशित (करोड़ रुपए)	चालू होने की अनुसूची		लाभ	परिव्यय 2002-03 (करोड़ रुपए)		परिव्यय 2003-04 (करोड़ रुपए)
				मूल	अब प्रत्याशित		लक्ष्य	प्रत्याशित	
मुम्बई हाई उत्तर पुनः विकास योजना - ओएनजीसी	2929.40/2929.40	दिसम्बर 2000	2929.40/2929.40	दिसम्बर, 2005	दिसम्बर 2005	तेल तथा गैस वसूली के संवर्धन हेतु	573.99	674.86	899.40
मुम्बई हाई दक्षिण पुनः विकास योजना - ओएनजीसी	5255.97/5255.97	अक्टूबर 2000	5255.97/5255.97	जुलाई 2007	जुलाई 2007	तेल तथा गैस वसूली के संवर्धन हेतु	0.10	69.68	855.56
एचबीजे विस्तार चरण-I गेल	2936.00/2936.00	दिसम्बर 2001	2936.00/2936.00	सितम्बर 2004	सितम्बर 2004	दहेज टर्मिनल से एलएनजी निकालने हेतु	134.68	300.00	1800.00
पानीपत रिफाइनरी विस्तार - 6 एमएमटीपीए-आईओसी	3365.00/4165.00	-	3365.00/4165.00	-	जनवरी 2005	उत्तर में पेट्रोलियम उत्पाद का घाटा आंशिक रूप से पाटने के लिए	400.00	290.00	800.00
9 एमएमटीपीए ग्रास रूट रिफाइनरी पूर्वी भारत में - आइओसी	8270.00/12400.00	-	8270.00/12400.00	अन्तिम अनुमोदन के बाद 36 महीने		पूर्व में पेट्रोलियम उत्पाद का घाटा आंशिक रूप से पाटने के लिए	72.00	86.50	51.06
9 एमएमटीपीए पंजाब रिफाइनरी तथा क्रूड पाइपलाइन परियोजना - एचपीसीएल	9806.00	अक्टूबर 2000	9806.00	दिसम्बर 2005	मार्च 2007	उत्तर में पेट्रोलियम उत्पाद का घाटा आंशिक रूप से पाटने के लिए	400.00	125.00	250.00
6 एमएमटीपीए मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना - बीपीसीएल	5277.00/6364.00 (सितम्बर 01)	दिसम्बर 1994	5277.00/6364.00 (सितम्बर)	दिसम्बर 1999	अन्तिम अनुमोदन के बाद 42 महीने	मध्य भारत क्षेत्र में किफायती ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करने के लिए	50.00	3.00	100.00

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

परिव्यय/ व्यय (करोड़ रुपए)

कम्पनी का नाम	2001-02	2002-03		2003-04
	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
क. अन्वेषण और उत्पादन				
1. ओ.एन.जी.सी.	4040.32	8973.31	14644.94	13223.25
2. ओ आई एल	475.39	900.00	775.00	1000
3. गैल	500.20	1492.95	1174.79	2727.18
उप-जोड़ (क)	5015.91	11355.26	16594.73	16950.43
ख. परिशोधन तथा विपणन				
1. आई.ओ.सी.	2542.50	3000.00	1886.17	2450.00
2. एच.पी.सी.एल.	319.75	900.00	336.07	750.00
3. बी.पी.सी.एल.	268.52	650.00	544.90	800.00
4. सी.पी.सी.एल.	404.79	1000.00	1000.00	850.00
5. के.आर.एल.	30.75	75.00	12.00	85.00
6. बी.आर.पी.एल.	26.19	10.00	12.98	10.00
7. एल.आई.एल.	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ई.आई.एल.	3.04	0.00	0.00	0.00
8. आई.बी.पी.	53.14	144.00	147.00	125.00
9. एन.आर.एल.	37.54	38.00	7.00	60.00
उप-जोड़ (ख)	3686.22	5817.00	3946.12	5130.00
जोड़ - पेट्रोलियम	8702.13	17172.26	20540.85	22080.43

संलग्नक 10.4
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग – वार्षिक योजना 2003-04 के लिए परिव्यय
(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम संख्या / नाम	वार्षिक योजना (2001-02) वास्तविक	वार्षिक योजना (2002-03)				संशोधित अनुमान (जीबीएस)	अंतिम रूप से तय परिव्यय				ईबीएस	निवल बीएस	
			अनुमोदित परिव्यय (ब.अ./सं.अ.)					वार्षिक योजना (2003-04)						
			परिव्यय	आई आर	ईबीआर	जीबीएस		परिव्यय	आई आर	ईबीआर	सकल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	I. आर एण्ड डी कार्यक्रम						.							
1	समीर	12.00	22.00	2.50	7.50	12.00	12.00	23.00	10.00			13.00		13.00
2	औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी प्रोन्नयन कार्यक्रम	2.34	8.24		4.74	3.50	3.50	2.50				2.50		2.50
3	माइक्रो इलेक्ट्रानिकी तथा नानो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	0.50	3.00			3.00	3.00	3.00				3.00		3.00
4	प्रौद्योगिकी विकास परिषद	2.96	5.00			5.00	5.00	6.00				6.00		6.00
5	स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रानिकी उपस्कर का विकास	2.69	3.00			3.00	3.00	3.00				3.00		3.00
6	इलेक्ट्रानिकी कल-पुर्जे और सामग्री	4.99	7.05	0.45	1.50	5.10	5.10	7.50	0.45	1.55	5.50			5.50
7	सी-डीएसी	10.00	10.00			10.00	10.00	70.50	18.25	26.75	25.50			25.50
8	फोटोनिक्स / ओप्टोइलेक्ट्रानिकी	0.71	3.00			3.00	3.00	3.00				3.00		3.00
9	ईआरडीसी	8.00	50.41	12.95	29.46	8.00	8.00							
10	स्वास्थ्य और बायो-इन्फोर्मेटिक्स में इलेक्ट्रानिकी	5.00	5.00			5.00	5.00	6.00				6.00		6.00
11	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	6.00	6.00			6.00	6.00	6.00				6.00		6.00
12	सी.जी. उद्योग का विकास	1.01	2.00		1.00	1.00	1.00	0.50				0.50		0.50
13	परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रानिकी	4.27	19.75		15.15	4.60	4.60	3.50				3.50		3.50
14	लिक्विड क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र	1.70	1.70			1.70	1.70							
15	आईपीआर प्रोन्नयन कार्यक्रम	0.21	0.40			0.40	0.40	1.00				1.00		1.00

संलग्नक 10.4 जारी.....													
16	आईटी/विशेष आईटी परियोजनाओं में आर एण्ड डी/ प्रोन्नयन	3.00	21.00			21.00	21.00	16.00			16.00	16.00	
17	जन समूह के लिए आईटी (सिटिजन पोर्टल्स सहित)	0.65	20.00			20.00	18.00	16.00			16.00	16.00	
18	मिडिया लैब इन एशिया	65.00	1.00			1.00	0.00	0.10			0.10	0.10	
	आर एण्ड डी उप-जोड़	131.03	188.55	15.90	59.35	113.30	110.30	167.60	28.70	28.30	110.60	0.00	110.60
II. आधारभूत ढांचा विकास													
19	इंटरनेट	5.00	0.10			0.10	0.10	6.00			6.00	6.00	
20	'विद्या वाहिनी' और 'ज्ञान वाहिनी' कार्यक्रम	0.00	30.00			30.00	30.00	5.00			5.00	5.00	
21	एसटीक्यूसी	28.33	27.31			27.31	27.31	33.50		2.00	31.50	0.50	31.00
22	एसटीपीआई और ईएचटीपी	8.00	8.00			8.00	8.00	31.00	25.00		6.00	6.00	
23	डिजिटल डीएनए पार्क	0.00	0.00			0.00	0.00	3.50			3.50	3.50	
24	आईटी उद्यमपूँजी	1.00	10.00			10.00	10.00	5.00			5.00	5.00	
25	ई-गवर्नेन्स	4.92	66.17		25.00	41.17	41.17	40.50			40.50	40.50	
26	आईटी विधेयक/प्रमाणीकरण और नेटवर्क सुरक्षा	5.28	5.00			5.00	5.00	6.00			6.00	6.00	
27	सेमीकन्डक्टर लेआउट डिजाइन अधिनियम, 2000	1.00	0.50			0.50	0.50	0.50			0.50	0.50	
28	सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी)	21.97	20.00			20.00	23.00	25.00			25.00	25.00	
	आधारभूत ढांचा उप-जोड़	75.50	167.08		25.00	142.08	145.08	156.00	25.00	2.00	129.00	0.50	128.50
III. मानव संसाधन विकास													
29	सी ई डी टी	4.00	11.58	7.58		4.00	4.00	20.00	13.50	1.50	5.00	5.00	
30	एन सी एस टी	2.60	3.00			3.00	3.00						
31	साफ्टवेयर जनशक्ति विकास/रोजगार सृजन	10.36	6.00			6.00	5.00	5.00			5.00	5.00	
32	ए एस आई सी डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति	1.90	2.00			2.00	2.00	3.50			3.50	3.50	
	मा.सं.वि. उप-जोड़	18.86	22.58	7.58		15.00	14.00	28.50	13.50	1.50	13.50	13.50	
IV. विविध													
33	मुख्यालय (सचिवालय तथा भवन)	9.11	10.24			10.24	10.24	10.50			10.50	10.50	
34	ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्रक के लिए इलेक्ट्रानिकी	2.12	14.00		10.00	4.00	4.00	1.00			1.00	1.00	

संलग्नक 10.4 जारी....													
35	प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान	0.00	0.50			0.50	0.50						
36	इलेक्ट्रानिकी उद्योग सूचना कार्यक्रम	0.24	0.25			0.25	0.25	0.20			0.20	0.20	
37	ई-कामर्स, सूचना सुरक्षा, स्मार्ट कार्ड	4.50	5.00			5.00	5.00	10.00			10.00	10.00	
38	आईटी क्षेत्रक में नीति निर्माण	0.60	0.60			0.60	0.60	0.50			0.50	0.50	
	विविध जोड़	16.57	30.59		10.00	20.59	20.59	22.20	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20
	उप-जोड़ (I से V)	241.96	408.80	23.48	94.35	290.97	289.97	374.30	67.20	31.80	275.30	0.50	274.80
	V. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम												
39	सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लि.	0.00	3.51	3.50		0.01	0.01	10.50	4.50		6.00		6.00
40	VI. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)	162.63	175.02			175.02	175.02	181.70			181.70	2.00	179.70
41	VII.ई एस सी तथा निर्यात प्रोत्साहन	3.99	6.25	2.25		4.00	4.00	10.95	3.95		7.00		7.00
	कुल जोड़	408.58	593.58	29.23	94.35	470.00	469.00	577.45	75.65	31.800	470.00	2.50	467.50
		(492.16)*					(470.00)**						

**अन्य 1.00 करोड़ रुपए

टिप्पणी :-

1. सी-डीएसी में, 8 करोड़ रुपए पूर्व ई आर एण्ड डी सी आई के लिए, 0.5 करोड़ रुपए सी ई डी टी आई, मोहाली के लिए, 3 करोड़ रुपए एन सी एस टी के लिए भी शामिल है।

2. डी ओ ई ए सी सी में, 4 करोड़ रुपए सी ई डी टी आई के अन्य केन्द्रों के लिए और एक करोड़ रुपए आर सी सी के लिए शामिल हैं।

पूर्वोत्तर घटक 2003-04
सीआईसी

25

2001-02 (वास्तविक)

एनआईसी

16

57\$\$ \$\$ एनई

एसटीक्यूसी

2

ई-गवर्नेन्स

4

26.58 \$अन्य
\$

47

(492.16)*

10.4 सूचना प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेज गति से बढ़ने वाले क्षेत्रकों में से एक है। भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रक के रूप में उभरा है जिसकी वृद्धि दर 2002-03 के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक रही तथा कुल बिक्री 12.7 बिलियन अमरीकी डालर (59,900 करोड़ रुपए) की और निर्यात 10 बिलियन अमरीकी डालर (47,500 करोड़ रुपए) का हुआ। पूर्वानुमान है कि उद्योग का 2008 के दौरान भारत के जी.डी.पी. में हिस्सा 7 प्रतिशत और निर्यात में 35 प्रतिशत होगा। नासकोम मेकिनसे रिपोर्ट 2002 में इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि हाल ही की मन्दी के बावजूद, भारतीय आई.टी. सेवाएं (आई.टी.एस.) और आई.टी. समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.) उद्योग अपनी 57-65 बिलियन अमरीकी डालर की दीर्घावधिक निर्यात क्षमता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। भारतीय आई.टी. समर्थित क्षेत्रक, भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए विकास की एक प्रमुख कुंजी के रूप में उभरा है। यह घटक अगले पांच वर्षों के दौरान विश्वव्यापी रूप में बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है।

2. अनुमान है कि विश्व आई.टी. उद्योग का वर्तमान आकार लगभग 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर का है। उम्मीद है कि भवि-य में अमरीका और यूरोप भारतीय साफ्टवेयर के लिए एक प्रमुख बाजार बना रहेगा। एशियाई क्षेत्र में चीन, फिलिपीन्स, सी.आई.एस. देश तथा कोरिया, साफ्टवेयर निर्यात के लिए नए केन्द्रों के रूप में उभर रहे हैं। जापान ने, चीन, मलेशिया और कोरिया जैसे देशों के लिए उनके विद्यमान सांस्कृतिक और भा-नाई लाभ के बावजूद, भारत से अपनी साफ्टवेयर आवश्यकताओं की आउटसोर्सिंग में तीव्र रुचि दिखाई है।

दसवीं पंच व-र्तीय योजना के

प्रमुख उद्देश्य

3. दसवीं पंच व-र्तीय योजना में आई.टी. क्षेत्रक के लिए परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- साफ्टवेयर क्षेत्रक की निरंतर संवृद्धि सुनिश्चित करना और विश्व के आई.टी. बाजार में भारत का हिस्सा वर्तमान में 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत स्तर तक लाना।
 - हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए बुनियादी नीतिगत ढांचा स्थापित करना।
 - अपेक्षाकृत अधिक कुशल, पारदर्शी तथा प्रतिक्रियाशील अधिशासन को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग हेतु समुचित नीतिगत उपाय तैयार करना।
 - भारतीय भा-नाओं में साफ्टवेयर का विकास और उपयोग प्रोत्साहित करना।
 - आई.टी. को सामर्थ्य-योग्य, प्रयोग करने में सरल तथा दिन-प्रति-दिन के जीवन में उपयोगी बनाकर इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक उपाय करना।
 - मानव शक्ति, कौशलों तथा अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपेक्षित नीतिगत ढांचा स्थापित करना।

प्रमुख पहल तथा प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

4. दसवीं योजना में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख पहलों में शामिल हैं- एक रा-द्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार करना, साफ्टवेयर विकास में गुणवत्ता तथा उत्पादिता में सुधार करना, अमेरिका को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त, यूरोप, यू.के., एशिया पैसिफिक, जापान आदि के नए उभरते हुए बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करने सहित साफ्टवेयर निर्यात के लिए आक्रामक बाजार-नीति अपनाना, आई.टी. को आम आदमी तक पहुंचाने तथा देशीय बाजार में वृद्धि करने के उद्देश्य से साफ्टवेयर का भारतीय भा-नाओं में विकास तथा संवर्द्धन, मानवशक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंजीनियरी कालेजों में सुविधाओं का उन्नयन, देश में व्यापक तरीके से ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करना, विद्या वाहिनी तथा ज्ञान वाहिनी कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इंटरनेट संयोजकता तथा ई-अध्ययन साधन प्रदान करना तथा मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान/ अभिनवीकरणों को बढ़ावा देना।

5. ग्राहक अन्वोन्यक्रिया सेवाओं जैसी आई.टी. समर्थित सेवाएं, व्यापार प्रक्रिया में बाहरी स्रोत प्राप्त करना (बी.पी.ओ.), बीमा दावा प्रासेसिंग, अंकीय अंतर्वि-नय विकास और आन-लाइन शिक्षा, वेब सेवाओं की धन और रोजगार के अवसर पैदा करने के स्रोतों के रूप में पहचान की गई है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.आई.-डब्ल्यू.टी.ओ.) से अवगत रहने के लिए, भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए अन्तर्रा-द्रीय लागत और गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकियां, उत्पाद तथा सेवाएं विकसित करना और कम से कम साफ्टवेयर और आई.टी. सेवाओं, जैव-सूचना-विज्ञान, माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वायरलैस प्रौद्योगिकियों, हार्ड-एंड कम्प्यूटिंग आदि जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय अग्रणी बनना जरूरी हो गया है। दसवीं योजना में अनुसंधान और विकास करने के लिए तैयार किया गया आर एण्ड डी मॉडल दीर्घकालिक, मध्यम और अल्पकालिक आर एण्ड डी के रूप में उनके सामरिक महत्व और वर्गीकरण पर आधारित है। इस वर्गीकरण के अधीन दीर्घकालिक, मध्य और अल्पकालिक आर एण्ड डी परियोजनाएं क्रमशः 10 वर्न, 3-6 वर्न और 1-3 वर्न की हैं।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

7. वर्न 2002-03 के दौरान अनुमान है कि भारतीय इलेक्ट्रानिकी और आई.टी. उद्योग का उत्पादन 96,950 करोड़ रुपए का होगा जबकि निवल पूर्वानुमानित लक्ष्य 1,10,500 करोड़ रुपए का था। उम्मीद है कि भारतीय आई.टी. समर्थित सेवा (आई.टी.ई.एस.) सह-व्यवसाय प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) उद्योग 2002-03 के दौरान लगभग 65 प्रतिशत की दर से प्रगति करेगा। आई.टी. समर्थित सेवा उद्योग का कुल निर्यात राजस्व इस समय 11,700 करोड़ रुपए था जबकि 2001-02 में यह राशि 7,100 करोड़ रुपए थी। जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, अनुमान है कि इस क्षेत्रक ने मार्च 2003 तक 6,50,000 आई.टी. व्यावसायिकों को रोजगार प्रदान किया। यह देखा गया है कि इसमें से लगभग 2,05,000 आई.टी. साफ्टवेयर में और सेवा उद्योग में; लगभग 1,60,000 आई.टी.ई.एस. में; 25,000 स्वदेशी साफ्टवेयर बाजार में और 2,60,000 से अधिक उपभोक्ता संगठनों में कार्य कर रहे हैं। विगत पांच वर्नों में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 10.4
आई.टी. उद्योग का उत्पादन

(करोड़ रुपए)

मद	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
आई.टी. हार्डवेयर	25,250	28,100	30,700	32,750	37,050
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	15,890	24,300	37,750	48,134	59,000
जोड़	41,140	52,450	68,450	80,124	96,950

8. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.), केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रक की विभिन्न पहलों को सुसाध्य तथा समन्वित करते हुए इस क्षेत्रक के संवर्द्धन के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 593.58 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जबकि अनुमानित बजट व्यय 470 करोड़ रुपए रहा है (जी.बी.एस.)। योजनागत स्कीमों की एक सूची संलग्नक 10.4 में दी गई है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- आवि-कार, परि-करण को सुकर बनाने तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के लाभों का विस्तार जन समूह तक पहुंचाने के उद्देश्य से, एम.आई.टी.-यू.एस.ए. के सहयोग से मिडिया लैब एशिया परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत की जरूरतों वाले क्षेत्रों में हाई-एण्ड अनुसंधान आयोजित करना है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में 487 ब्लकों में सभी सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सी.आई.सी.) को चालू और संचालित करना।
- आई.आई.एस.सी., बंगलौर में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया पद्धति (सी.ई.आर.टी.) प्रारंभ करना।
- सेन्टर फार इन्फोर्मेशन एण्ड नेटवर्क सिक्युरिटी (सी.आई.एन.एस.) द्वारा पुणे में समीक्षा और पैठ परीक्षण आयोजित करने के लिए एक सुरक्षित प्रयोगशाला स्थापित करना।
- विद्या वाहिनी कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 200 स्कूल कवर करते हुए देश के 7 भिन्न-भिन्न जिलों में सात प्रायोगिक परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत, आई.टी. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थापित कन्ट्रोलर आफ सर्टिफाइंग अथोरिटीज (सी.सी.ए.) ने रा-ट्रीय आधारभूत ढांचे की स्थापना की है जिसका उपयोग सभी प्रमाणीकरण प्राधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए किया जाएगा।
- एस.टी.पी.आई. ने नए केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें पाण्डिचेरी, नासिक, तिरुनेलवेली, इलाहाबाद और कोल्हापुर में हाई स्पीड डाटा कम्प्युनिकेशन फेसिलिटीज शामिल हैं।
- रा-ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने 130 जिलों में विडियो कन्फरेन्सिंग सुविधाएं स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है।

- सेन्टर फार डवलपमेंट आफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) केन्द्र द्वारा बंगलौर में “परम” टेराफ्लाप कम्प्यूटिंग सिस्टम के जरिए अगली पीढ़ी की हाई परफोर्मेंस कम्प्यूटिंग एण्ड कम्युनिकेशन्स (एच.पी.सी.सी.) का विकास और उन्हें चालू करना।
- सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लि. (एस.सी.एल.) ने महत्वपूर्ण क्षेत्रक के लिए लगभग 82 एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टेग्रेटेड सर्किटों का विकास किया है, अन्तर्िक्ष विभाग के लिए टी.डी.आई. इमेजर और फ्रेम ट्रान्सफर इमेजर का डिजाइन किया है।
- ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ई-गवर्नेन्स सहित राजकीय सुधारों के संबंध में एक एन.डी.सी. उप-समिति स्थापित की गई है।

वार्षिक योजना 2003-04 में प्रमुख कार्यक्रम

9. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए डी.आई.टी. की विभिन्न स्कीमें के लिए, 470 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता के साथ 577.45 करोड़ रुपए का परिव्यय (आई आर: 75,65 करोड़ रुपए, ई.बी.आर: 31.80 करोड़ रुपए) अनुमोदित किया गया है। डी.आई.टी. की योजनागत स्कीमों की एक सूची, जिसमें वार्षिक योजना 2003-04 के लिए अनुमोदित परिव्यय दर्शाया गया है, संलग्नक 10.4 में दी गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान डी.आई.टी. के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

9.1 ई-गवर्नेन्स: दसवीं पंच वर्षीय योजना में, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्रक में कार्यकुशलता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सरकारी उपयोगिता (यूटिलिटी) सेवा संगठनों में ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। एन.डी.सी. की बैठकों में भी, इस विनय में ई-गवर्नेन्स सहित, गवर्नेन्स के संबंध में गठित एन.डी.सी. उप-समिति सरकार के अंगों में परिवर्तन लाने के लिए एक कार्यनीति पर विचार करेगी जिससे वे अपना कामकाज एक प्रतिक्रियाशील, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और नागरिक-केन्द्रित ढंग से संचालित करने में समर्थ हो सकें। ऐसी कार्यनीति में कार्यकलाप/ चिन्ता के 15 क्षेत्रों तक में सुधार उपाय सम्मिलित होंगे।

9.2 रा-ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.): वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, निकनेट अनुप्रयोग और नेटवर्क की सुरक्षा आडिटिंग; सरकारी कामकाज के विभिन्न स्तरों पर “ई-गवर्नेन्स हेतु न्यूनतम एजेन्डा” के कार्यान्वयन हेतु अनुप्रयोग विकास; प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-गवर्नेन्स योजना तैयार करने, और राज्यों की राजधानियों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बैंकबोन के स्थापना कार्य को पूरा करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा।

9.3 माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स तथा नानो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (एन.एम.सी.): आई.सी. प्रोसेस/ विनिर्माण, परीक्षण और करेक्टराइजेशन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, एस.आई.जी.ई./ एस.आई.सी./ डायमंड आधारित यंत्रों और सामग्री विकास के लिए; जैव-इन्फोर्मेटिक्स लैब और इन्डस्ट्रीज सपोर्ट स्कीम (बी.एल.आई.एस.एस.) के अन्तर्गत परियोजनाएं शुरू करने और प्रौद्योगिकी विकास परिषद के अधीन नई परियोजनाएं शुरू करने के वास्ते उपाय किए जाएंगे।

9.4 आई.टी. अधिनियम/ प्रमाणीकरण और नेटवर्क सुरक्षा: 2003-04 के दौरान, रूट सर्टिफाइंग आथोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर.सी.ए.आई.) और साथ ही नेशनल रिपोजिटरी आफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स (एन.आर.डी.सी.) के लिए एक आपदा बहाली केन्द्र (डी.आर.सी.) की स्थापना की जानी है, जो इस समय कार्य कर रहा है। प्रमाणीकरण प्राधिकारियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी बाधारहित सेवाएं

प्रदान करने के वास्ते यह आवश्यक है। वर्तमान स्थल पर किसी भी दुर्घटना घटने के 2-4 घन्टे के अन्दर यह सुविधा प्रचालन-योग्य होनी चाहिए। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत ई-कामर्स और ई-गवर्नेन्स के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से और अधिक ओपन हाउस सेमिनारों का आयोजन किया जाना है।

9.5 भारतीय भा-नाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास: इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भा-नाओं में कम्प्यूटर्स तथा आई.टी. प्रणालियों का प्रयोग सहज बनाने के लिए उनमें आई.टी. साधन तथा अंतर्वि-नय विकसित करना है। इस क्षेत्र में डी.आई.टी. ने अग्रणी आर.एण्ड.डी. संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों के 13 संसाधन केन्द्रों पर विकास कार्य आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अधीन प्रमुख उपलब्धियां हैं - बहु-भा-नी अंकीय पुस्तकालयों/ शब्दकोशों का विकास, अनुवाद सहायता प्रणाली, आप्टिकल स्वरूप पहचान प्रणाली, पाठ से भा-नण प्रणालियां और मानकीकरण (यूनिकोड, एक्स.एम.एल., लेक्सवेयर फार्मेट, फॉन्ट्स)। भा-ना इंजीनियरी के क्षेत्र में शुरू की जाने वाली कुछ नई आर एण्ड डी परियोजनाओं में लाइनक्स अप्रेटिंग प्रणाली का स्थानीयकरण, भारतीय भा-ना अंतर्वि-नय सृजन, परस्पर भा-नाई सूचना पुनः प्राप्ति पद्धति, हिन्दी में आई.टी. शब्दावली का विकास, अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद सहायता प्रणाली।

9.6 भारत में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.आई): एस.टी.पी.आई. देश भर में सेवारत साफ्टवेयर निर्यात उद्योग है, जिसके 30 साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क हैं जोकि हार्ड स्पीड डाटा संचार सुविधाओं से लैस हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान, मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए डाटा संचार अवस्थापना को उन्नत करने; 64 के.बी./एस. से 2 एम.बी./एस. के बीच बैंड विड्थ तथा पोर्ट सीड्स उपलब्ध कराने और फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, निगमित प्रशिक्षण केन्द्र और एस.एम.ई. के लिए विपणन सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

9.7 मीडिया लैब एशिया: मीडिया लैब एशिया परियोजना डी.आई.टी. द्वारा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के सहयोग से शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य सर्वोत्तम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां विकसित करके इन प्रौद्योगिकियों को नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के हितलाभ के लिए प्रयोग करना और व्यापार के अवसर पैदा करके उन्हें सबल बनाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत हाथ में लिए जाने वाले प्रहार (थ्रस्ट) क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा/ अध्ययन, रोजगार तथा सूक्ष्म उद्यमवृत्ति हैं। एम.आई.टी., यू.एस.ए. के साथ आर.सी.ए. सहयोग समाप्त होने से वर्ष 2003-04 से एम.एल.ए परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी (निजी क्षेत्रक में, टी.सी.एस. तथा माइक्रोसॉफ्ट कोरपोरेशन ने प्रायोजक बनने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है जो परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं तथा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

9.8 इरनेट: “इरनेट” का उद्देश्य देश में शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना तथा उनके साथ जोड़ना है। ए.आई.सी.टी.ई. के 14 संस्थानों को पहले ही इरनेट पर जोड़ा जा चुका है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, पहले चरण में 115 विश्वविद्यालयों को जोड़ने और शै-न 140 विश्वविद्यालयों को दूसरे चरण में जोड़ने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार किया है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और आई.आई.टी. को ब्रांड बेंडविड्थ पर जोड़ने की योजना तैयार की गई है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तक वि.अ.आ.नेट, ए.आई.सी.टी.ई. नेट और ब्राडबैंड संयोजकता पर अमल करने के लिए इरनेट बैकबोन को 8/2 एम.बी.पी.एस. से न्यूनतम 34 एम.बी.पी.एस. ब्राडबैंड बनाने तथा

उसे 155 एम.बी.पी.एस. तथा और स्केल अप करने की जरूरत है। अन्य आधारिक संरचना के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों में 10 उपस्थिति पाइंट खोले जाने हैं।

9.9 वी.एल.एस.आई. डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति विकास: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का उद्देश्य वी.एल.एस.आई. डिजाइन के लिए विश्व बाजार में भारत के हिस्से में लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर से लगभग 5-7 वर्न में लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर तक एक साधारण सी वृद्धि प्राप्त करना है। टी.सी.एस. और आई.आई.टी. मुंबई द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में, एम.टेक. (माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी) के स्तर पर प्रति वर्न 4000 से 5000 माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी व्यावसायिकों की जरूरत का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग का उद्देश्य इस क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक., एम.ई./एम.टेक. और पीएच.डी. स्तरों पर विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है।

9.10 सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड: सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड, मोहाली में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बिक्री को छोड़कर, कम्पनी का गैर-स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नि-पादन न्यून था और कम्पनी को 2002-03 में 8.35 प्रतिशत की निवल पूंजी हानि हुई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, चिप विनिर्माण क्षेत्र में अन्य प्रमुख उद्यमियों के परामर्श से 2003-04 के दौरान एस.सी.एल. के संबंध में एक पुनरुद्धार योजना पर विचार कर रहा है।

वार्षिक योजना 2003-04 में मानीटरन-योग्य लक्ष्य/ प्रत्याशित उपलब्धियां

10. वर्न के दौरान प्रमुख रूप से शुरू किए जाने वाले सम्भावित उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं:

- प्रायोगिक आधार पर विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी को कार्यान्वित करना,
- डिजिटल हस्ताक्षर जारी करना,
- मिडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट के अन्वेषणात्मक चरण को पूरा करना,
- देश में ई-गवर्नेन्स कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना,
- हार्डवेयर नीति तैयार करना और नीति के संबंध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना,
- रा-ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (इरनेट), मानकीकरण परीक्षण और कोटि नियंत्रण (एस.टी.क्यू.सी.), आदि की विद्यमान अवस्थापना को सुदृढ़ करना।

शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेड.बी.बी.)

11. जेड.बी.बी. कार्यवाही के परिणामस्वरूप डी.आई.टी. की 55 नौवीं योजना स्कीम में पहले ही कम होकर 37 स्कीम रह गई हैं।

मुद्दे

12. नौवीं योजना में आई.टी. क्षेत्रक को बढ़ावा देने के वास्ते सरकार और निजी क्षेत्रक द्वारा अनेक योजनाएं और नीतिगत उपाय किए गए हैं। तथापि, नीचे वर्णित कुछेक मुद्दों का दसवीं योजना में इस क्षेत्रक के और विकास हेतु समाधान किया जाना है:

- वर्न 2003-04 के दौरान रा-ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार करना और उसके संबंध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना तथा भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के वास्ते विश्व हार्डवेयर उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

- विनिर्मित उत्पादों के संबंध में शून्य ड्यूटी व्यवस्था से निपटने के लिए जो आई.टी.ए.आई.-डब्ल्यू.टी.ओ. करार के अनुसार 2005 के बाद लागू होगी, टैरिफ संरचना का एक व्यापक युक्तिकरण।
- निजी क्षेत्रक में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्को की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- ब्राण्ड इक्विटी निर्मित करने में बड़ी मात्रा में निवेश करना और इण्डिया ब्रान्ड को विदेश में स्थापित करना। नासकोम, मैट, ई.एस.सी. आदि जैसे उद्योग संघों को एस.एम.ई. के निर्यात प्रयासों में, कारगर नेटवर्किंग और सम्भाव्य ग्राहकों के साथ बैठकें आयोजित करके, उनकी मदद करनी चाहिए।
- स्वदेशी बाजार में आई.टी. की पैठ में वृद्धि करने के लिए भारतीय भा-नाओं में साफ्टवेयर को प्रोत्साहन।
- उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकी संस्थानों में कम्प्यूटर इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी और आई.टी. के पाठ्य विवरण को अद्यतन बनाना। इंजीनियरी की अन्य शाखाओं में पाठ्यचर्या का भी विस्तार किया जाना चाहिए ताकि आई.टी. विनयों को उसमें शामिल किया जा सके। स्नातकोत्तर इंजीनियरी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।
- ई-गवर्नेन्स को दसवीं योजना में एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र विनिर्धारित किया गया है तथा इसे एक रा-ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए बिना किसी देशी के स्प-ट दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिससे कि कार्यक्रमों को तेजी के साथ कार्यान्वित किया जा सके।
- सी.एस.आई.आर. और आई.आई.टी. के परामर्श से एम.ई.एम.एस., बायो-इन्फोर्मेटिक्स और नानो-प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में आर एण्ड डी आयोजित करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करने की जरूरत है।
- साइबर अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियों को प्रशिक्षित करने के लिए आई.टी. अधिनियम का प्रवर्तन।

10.5 जैव प्रौद्योगिकी

भारत के लिए जैव प्रौद्योगिकी एक उभरता आर्थिक अवसर है। जीव-विज्ञानों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में अग्रणी रूप से कार्यरत अंग्रेजी भाषी वैज्ञानिकों के बड़े स्रोत की उपलब्धता और उनके किफायतीपन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संदर्भ में जैव-प्रौद्योगिकी को ठीक ही "आशावान प्रौद्योगिकी" कहा गया है। संकेंद्रित ढंग से कार्यान्वित किए जाने पर, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे प्रयासों के पर्याप्त रूप से सामाजिक तथा वाणिज्यिक लाभों के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग की विशिष्टता इसकी लम्बी परिपक्वानावधि, पर्याप्त लागत और अत्यधिक जोखिम तथा उच्च प्रतिफल प्रदानकर्ता के रूप में आघात की है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में संवृद्धि में बाधक प्रमुख कारक पर्याप्त निवेशों अथवा जोखिम पूंजी का अभाव है। भारत में अधिकांश निवेश निधियों में, लगभग 2.5 से 5 करोड़ रुपए के निवेश आकार के साथ परवर्ती-स्तरीय वित्त पोषण पर बल दिया जाता है। इसके फलस्वरूप निजी इक्विटी निवेश में अंतर रह जाता है क्योंकि शुरूआती दौर में अनेकों को अपने उद्यम शुरू करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर वित्तपोषण की अथवा अनुचर निवेश की जरूरत होती है। यद्यपि भारत में, अमरीका, यूरोप और प्रमुख पैन एशिया-प्रशांत निधियों सहित दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण पणधारी योगदान करते हैं, तथापि जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए वित्तपोषण, अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग की जटिलता, लम्बी परिपक्वानावधि और जोखिमपूर्ण स्थिति के कारण, कठिन बना हुआ है। अन्य देशों में, जैसेकि चीन, कोरिया, सिंगापुर और ताइवान में सरकारों ने जैव-प्रौद्योगिकी के संबंध में महत्वपूर्ण पहले की हैं जिनका ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है। यह जरूरी है कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए उद्यम निधि के रूप में पर्याप्त वित्तपोषण की व्यवस्था की जाए। सरकार, इस निधि के संबंध में प्रमुख प्रायोजक निवेशकर्ता हो सकती है, जिससे न केवल नूतन कार्य को समर्थन प्राप्त होगा बल्कि संकेंद्रित क्षेत्रक में निवेश के माध्यम से मझौली से दीर्घावधिक आधार पर पूंजी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। निधि के जरिए उच्च जोखिम वाली जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेशों को न्यून-जोखिम वाले सम्बद्ध कार्यकलापों के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से पोर्टफोलियो में जोखिम को साधारण बनाया जा सकता है।

जैव-प्रौद्योगिकी उद्यान: "जैव प्रौद्योगिकी परिकल्पना एक दस वर्षीय परिदृश्य" के अंतर्गत, जहां तक औद्योगिक क्षेत्रक का संबंध है, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विशिष्ट प्रगति स्तंभ विनिर्धारित किए गए हैं जैसेकि जैव-प्रौद्योगिकी उद्यानों, इन्क्यूबेटरों की स्थापना, प्रशिक्षण और प्रायोगिक परियोजनाएं। किण्वन (फरमेंटेशन) यूनिट, पादप टिशु खेती दृढीकरण यूनिट स्थापित करने तथा जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम प्रारंभ की जा रही है। प्रारंभ में, शुरूआत के तौर पर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक-एक (दो) जैव-प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित किए जाने की उम्मीद है। प्राप्त अनुभव के आधार पर, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे और उद्यान स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

इन जैव-प्रौद्योगिकी उद्यानों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अधिस्वामिक प्रौद्योगिकीयां विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवाएं और सहायता प्रदान करना है। जैव-प्रौद्योगिकी उद्यानों के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक वित्तपोषण निम्नलिखित के लिए किया जाएगा : इन्क्यूबेटरों, फरमेंटेशन यूनिटों, जीएलपी/जीएमपी सुविधाओं की स्थापना; विशिष्ट उपस्कर, ग्रीनहाउस, नेटवर्किंग और डाटा संयोजकता जो अलग-अलग व्यवसाय योजनाओं पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाली परियोजनाओं का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए उद्योगों को सहायता प्रदान करना है :

- i स्वास्थ्य देखरेख और सस्य विज्ञान उत्पादों के लिए औ-धीय और सुगंधित पौधा नि-क-र्ण और जैव-प्रसंस्करण
- ii डीएनए उत्पादों के लिए फरमेंटेशन तथा अनुप्रवाह प्रसंस्करण
- iii पादप टिशु कृनि और अ-आनुवांशिक उत्पादों का विकास
- iv जीन वापसी/इन्क्यूबेटरों का निर्माण
- v डीएनए जैव-औ-ध-विज्ञान के लिए सुविधाएं

भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल कोरपोरेशन लि0 (बीआईबीसीओएल) : इस सरकार क्षेत्रक उपक्रम की स्थापना मौखिक पोलियो टीका (ओपीवी) विनिर्मित करने के लिए की गई थी । कंपनी ने आयातित थोक मात्रा से ओपीवी तैयार किया तथा रा-द्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए 100 मिलियन खुराक सप्लाई की हैं । कंपनी के सकारात्मक निवल मूल्य के आधार पर बीआईएफआर ने कंपनी को 1.8.2002 को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया है ।

इंडियन वेक्सीन्स कोरपोरेशन लि0 (आईवीसीओएल) : इस स.क्षे.उ. की स्थापना अनुसंधान तथा विकास कार्य करने तथा वायरल टीकों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी । कंपनी शुरू से ही उत्पादन शुरू करने में असफल रही । एक प्रवर्तक पीएमएसवी, फ्रांस ने भारत सरकार (डीबीटी) को अपना हिस्सा हस्तांतरित करके कंपनी को छोड़ दिया । फिलहाल, भारत सरकार की कंपनी की इक्विटी में 67% धारिता है । आईवीसीओएल को पुनः प्रारंभ करने के उद्देश्य से, इसकी धारिता को किसी उपयुक्त स्ट्रेटेजिक भागीदार को विनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

चीन/हांगकांग

- चीन ने, पादप जेनोमिक्स, ट्रांसजेनिक्स, मेडिसिन्स, वेक्सीन्स के क्षेत्रों पर बल देते हुए, 1980 के दशक के मध्य में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास कार्य प्रारंभ किया ।
- एकमात्र विकासशील देश जिसने मानव जिनोम परियोजना में भाग लिया ।
- सरकार ने प्रमुख रा-ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की, जिन्हें कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, चीनी विज्ञान अकादमी ने समर्थन प्रदान किया ।
- जैव-प्रौद्योगिकी उद्यान-बैदा, हांगज्होयु, ज्होनग्गुअनकम, एचके विज्ञान पार्क ।
- 80 से अधिक राज्य वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों ने कृषि जीन संबंधी इंजीनियरी पर बल दिया।
- सरकारी नीतियों में आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी और परंपरागत चीनी औ-धि सूचीबद्ध है ।
- कर लाभ, सरकार समर्थित वीसी, विदेशी राष्ट्रों को अनु. संस्थानों में आकर्षित करने जैसे उपाय:
 - रा-ट्रीय उच्च प्रौद्योगिकी आर एंड डी बोर्ड - जैव प्रौद्योगिकी सहित 8 प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के लिए 12 बिलियन अमरीकी डालरों का को-न ।
 - रा-ट्रीय बुनियादी अनुसंधान विकास कार्यक्रम - कृषि बायोटेक पर बल ।
 - चीनी रा-ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र - राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आयोग के अधीन - बायोटेक परियोजनाओं पर बल ।
 - रा-ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउंडेशन, चीन - 30 मिलियन अमरीकी डालर का को-न, जिसमें से एक तिहाई जीव विज्ञानों के लिए है ।
 - एमओएसटी टोर्च कार्यक्रम - का उद्देश्य वित्तपो-ण एजेंसियों को सिफारिशें करके नूतन प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना है ।
 - नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी को-न - सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के वित्तपो-ण के लिए 640 मिलियन अमरीकी डालर विनिर्दि-ट किए ।

- अनुप्रयुक्त अनुसंधान को-न - अनुप्रयुक्त अनु. और विकास परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन अमरीकी डालर का को-न, इन्हें तीन व्यावसायिक वीसी फर्मों द्वारा चलाया जाता है।

कोरिया

- कोरिया ने जैव-प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना है और उसकी योजना कर व राजको-नीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ पर्याप्त संसाधन खर्च करने की है ।
- बायोटेक उद्यान - देइदुक विज्ञान उद्यान, जैव-उद्यम सहायता केन्द्र, कोरिया जैव प्रौद्योगिकी औद्योगीकरण केन्द्र ।
- जैव-प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अनु. और विकास करने के लिए पांच नामित प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में विनिर्धारित किया गया है - डब्ल्यू 10 टीएन (8.3 बिलियन अमरीकी डालर) 2005 तक ।
- स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की, स्वास्थ्य सम्बद्ध उद्योगों का विकास करने के लिए 2010 तक डब्ल्यू 1 टीएन (30 मिलियन अमरीकी डालर) खर्च करने की योजना है ।
- सरकार से जुड़ा बायोटेक खर्च 2000 में कुल 246 बिलियन डब्ल्यू था तथा 2001 में 324 बिलियन डब्ल्यू अनुमानित है (206 मिलियन अमरीकी डालर, 270 मिलियन अमरीकी डालर)।
- अन्य लाभ जैसेकि न्यून ब्याज ऋण, कर प्रोत्साहन, अनु. अनुदान ।

ताइवान

- प्रयोगशालाओं के सरकारी वित्तपो-नण के साथ ताइवान का जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग 1984 में प्रारंभ हुआ ।
- सरकार की योजना पांच विज्ञान उद्योगों के विकास और निवेशों के जरिए इस क्षेत्रक पर बल में वृद्धि करना है ।
- बायोटेक उद्यान - ह्सीनचू विज्ञान उद्यान, ताइवान विज्ञान उद्यान ।
- बायोटेक क्षेत्रक में 20 बिलियन एनटी डालर (580 मिलियन अमरीकी डालर) का योजनाबद्ध वित्तपो-नण ।
- क्षेत्रक में निवेश के लिए उद्यम पूंजी फर्मों के लिए निधियां प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना - अगले 5 व-र्षों के दौरान उद्यम निधियों में निवेश करने के लिए 30 बिलियन एनटी डालर का विनिश्चयन (890 मिलियन अमरीकी डालर) ।

- अन्य सरकारी प्रोत्साहन, जैसे कि कर छूट, आयात रियायत, मूल्यहास लाभ, न्यून ब्याज वित्तपो-ण आदि ।

सिंगापुर

- सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी को ज्ञान अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए एकमात्र दीर्घावधिक वस्तु के रूप में चुना ।
- जैव-प्रौद्योगिकी को चौथा स्तंभ विनिर्धारित किया गया - इलेक्ट्रानिकी, इंजीनियरी, रसायन।
- आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीपी), रा-ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी बोर्ड (एनएसटीबी) और टेमोसेक, जैव-प्रौद्योगिकी के वित्तपो-ण में सक्रिय ।
- बायोटेक उद्यान - टुआस बायोमेडिकल पार्क, बाओपोलिस ।
- सरकार ने, बायोमेडिकल कंपनियों में अवस्थापना को सुदृढ़ करने, मानव पूंजी विकसित करने, निजी क्षेत्रक आर एंड डी को प्रोत्साहित करने, निवेश करने के लिए 2 बिलियन एस डालर (1.1 बिलियन अमरीकी डालर) का निवेश किया है ।
- शुरूआती उद्यमों में निवेश के लिए 1 बिलियन एस डालर (570 मिलियन अमरीकी डालर) की बायोमेडिकल विज्ञान निवेश निधि कायम की गई है ।
- बायो-नवीकरण निधि, फार्म बायो विकास निधि और जीवन विज्ञान निवेशों सहित अन्य उपक्रमों में निवेश करने के लिए 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है ।
- सिंगापुर की विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एजेंसी ने बायोटेक क्षेत्रक में अनु. तथा विकास के लिए 1.5 बिलियन एस डालर (850 मिलियन अमरीकी डालर) आबंटित किए हैं।
- स्थानीय तथा विदेशी बायोटेक शुरू करने वाले उद्यमों में निवेश करने के वास्ते सिंगापुर में प्रमुख अनुसंधान संगठनों को आकर्षित करने के वास्ते 2 मिलियन एस डालर (1.1 बिलियन अमरीकी डालर) की और राशि अलग से निर्धारित की गई है ।
- ईडीबी तथा टेमासेक निधियों के माध्यम से जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में प्रारंभिक स्तर पर पूंजी का आधार सरकार सम्बद्ध वित्तपो-ण है ।
- 2005 तक, सिंगापुर का उद्देश्य 15 प्रमुख औ-नध विज्ञानीय कंपनियों का गृह बनने और नैदानिक परीक्षणों तथा औ-नधि विकास के संबंध में क्षेत्रीय गढ़ बनने का है ।

10.6 पर्यटन

प्रस्तावना

पर्यटन के प्रति दसवीं योजना दृष्टिकोण में पिछली योजनाओं में अपनाए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट भिन्नता है। रा-द्रीय एकीकरण, अन्तर्रा-द्रीय समझ-बूझ को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पर्यटन का विकास करने के परम्परागत रूप से मान्य लाभों को स्वीकार करने के अलावा, दसवीं योजना में पर्यटन की विशाल रोजगार सृजक क्षमता और इसके द्वारा योजना के समाजार्थिक उद्देश्यों को बढ़ाने में निभाई जाने वाली भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। दसवीं योजना में पर्यटन विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की जरूरत को स्वीकार किया गया है। पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए एक समर्थनकारी परिवेश सृजित करने के उद्देश्य से दसवीं योजना के दौरान नई पर्यटन नीति 2002 पर अमल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संधारणीय पर्यटन के लिए विधायी तथा विनियामक समर्थन प्रदान करना तथा उद्योग और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना है। इसका ध्येय ग्रामीण, दाय, साहसिक और पारि-पर्यटन के प्रोत्साहन में ग्रामीण क्षेत्रक को भी सम्मिलित करना है। इसके अन्तर्गत उच्च कोटि के उत्पादों और गन्तव्य स्थलों का विकास करने पर बल दिया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उद्देश्य विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा पर्यटन के विकास में सहायक कार्यकलापों का अन्तर-क्षेत्रकीय अभिसरण प्राप्त करने में नीतिगत विरोधाभासों को दूर करना है।

2. यात्रा और पर्यटन क्षेत्रक से, अर्थव्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्रक की तुलना में, निवेश के प्रति मिलियन रुपयों से अधिक रोजगार का सृजन होता है और यह देश के दूरवर्ती भागों में भी अकुशल से लेकर विशेष-ताप्राप्त रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को एक व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराने में समर्थ है। पर्यटन, विश्व में तेजी से बढ़ता हुआ एक उद्योग है जिसमें भारत में विकास की अपार संभाव्यता है।

3. वार्षिक योजना का उद्देश्य, एक सुपरिभाषित विकास नीति के माध्यम से पर्यटन की रोजगार क्षमता का दोहन करना है, जिसका ध्येय पर्यटन को आर्थिक विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में कायम करना है और इसके अन्तर्गत-

- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष और बहु-आयामीय प्रभावों का दोहन करने का प्रयास किया गया है। यह, कृनि-भिन्न रोजगार उत्पन्न करने के वास्ते ग्रामीण पर्यटन को प्रेरणा प्रदान करता है।
- स्वदेशी पर्यटन पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है।
- बढ़ती हुई विश्व यात्रा और व्यापार तथा गन्तव्य स्थल के रूप में भारत की विशाल अप्रयुक्त संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए भारत को एक विश्व ब्रान्ड के रूप में स्थापित करता है।
- निजी क्षेत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है जिसमें सरकार एक सक्रिय सुविधाकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।
- भारत की अनूठी सभ्यता, विरासत और संस्कृति के आधार पर, राज्यों, निजी क्षेत्रक व अन्य एजेन्सियों की भागीदारी के साथ, एकीकृत पर्यटन सर्किटों का सृजन और विकास करता है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

4. वर्ष 2002-03 के लिए पर्यटन हेतु 225 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। पर्यटन सूचना और प्रचार की स्कीम को 58 करोड़ रुपए के साथ योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। इसमें समुद्रपारीय अभियान और देशज अभियान - दोनों सम्मिलित हैं। पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास की स्कीम के लिए परिव्यय की राशि 58 करोड़ रुपए थी। अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों थीं: उत्पाद/ अवस्थापना और गन्तव्य स्थल विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीम इत्यादि। इन स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है। परिव्ययों और व्यय का स्कीम-वार विवरण संलग्नक I में देखा जा सकता है।

स्कीमों का विवरण

(i) पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास

5. नौवीं योजना में पर्यटन अवस्थापना की व्यवस्था करने में यात्रा सर्किट अवधारणा के आधार पर एक चयनात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई थी। यात्रा सर्किट विनिश्चित किए गए थे किन्तु इन सर्किटों के संसाधनों को सरणीकृत करना कठिन हो गया। इसका कारण यह था कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने परियोजनाओं को प्राथमिकताएं प्रदान कीं जो मात्र यात्रा सर्किटों पर केन्द्रित नहीं थी। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों होने की वजह से अवस्थापना सम्बन्धी स्कीमों को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंशदानों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए, इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए, पर्यटन अवस्थापना परियोजनाओं को पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत मंजूर किया गया। इसका उद्देश्य वार्षिक आधार पर देश में छः पर्यटन सर्किट (प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक) विनिश्चित करना तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप विकसित करना है। वर्ष 2002-03 के दौरान चुने गए सर्किट निम्नलिखित थे: बौद्ध सर्किट, हिमालयाई सर्किट, प्रकृति और वन्य जीवन सर्किट, कांकण रिवेरिया सर्किट, बैकवाटर और बीच सर्किट तथा पारि-पर्यटन सर्किट।

(ii) उत्पाद/ अवस्थापना और गन्तव्य स्थल विकास

6. अवस्थापना और उत्पाद विकास के लिए, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश में अवस्थापना और उत्पाद विकास सुदृढ़ हुआ है। दसवीं योजना में इस स्कीम की पुनर्संरचना की गई है। दसवीं योजना में बजट आवास और पर्यटक परिसरों के निर्माण, मार्गस्थ सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, स्मारकों के पुनरुद्धार आदि की दृष्टि से अवस्थापना अथवा उत्पाद विकास की बड़ी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने पर बल दिया गया है।

7. गन्तव्य स्थल विकास के लिए मास्टर योजना में पर्यावरणीय बातों सहित सभी पृ-ठ और अग्र संयोजनों को जोड़ दिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत, ग्रामीण पर्यटन, विरासत पर्यटन, पारि-पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, वन्यजीवन पर्यटन आदि जैसे पर्यटन के उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान विनिश्चित स्थल हैं: हाम्पी (कर्नाटक), लाल किला (दिल्ली), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), मेवाड (राजस्थान), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), हरिद्वार-ऋषिकेश (उत्तरांचल), खोनोमा (नागालैण्ड) आदि।

8. ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान सम्मिलित परियोजनाएं हैं: बेल्लूर (कर्नाटक), हत्वा ग्राम (मध्य प्रदेश), रघुराजपुर (उड़ीसा), कमलासागर (त्रिपुरा) और जागेश्वर (उत्तरांचल)।

(iii) विपणन और प्रोन्नयन

9. भारतीय पर्यटन उत्पाद को भारत में और भारत से बाहर, पर्यटन विभाग द्वारा, अपनी स्वदेशी प्रोत्साहन और समुद्रपारीय अभियान की स्कीमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

10. स्वदेशी प्रोत्साहन - प्रोन्नयन प्रयासों को बहु-आयामीय प्राथमिकता प्रदान की जाती है जिसमें छवि निर्माण, सूचना का प्रसार, और सार्वजनिक सम्बन्ध प्रयास सम्मिलित हैं। संचार संदेश, पर्यटक, सेवा प्रदाता और उपभोक्ता संचार-साधन-उन्मुखी होते हैं। स्वदेशी अभियान में, सृजित किए जा रहे नए पर्यटन सर्किटों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि अजन्ता-एलोरा, गंगा हार्टलेण्ड परियोजना, बौद्ध सर्किट और लेह-लद्दाख-मनाली सर्किट। योजना में भिन्न-भिन्न प्रकार के मेलों और उत्सवों को समर्थन प्रदान किया गया है।

11. समुद्रपारीय प्रोत्साहन - समुद्रपारीय उच्च प्रतिस्पर्द्धात्मक पर्यटन बाजार में सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहन के बगैर भारत लक्षित विकास और विश्व पर्यटक आगमनों में बढ़ा हुआ हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा। वर्ष 2002-03 के दौरान, प्रोत्साहन के लिए कार्यनीतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: भारतीय पर्यटन उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा करना, भारतीय मिशनों के साथ निकट संबंध और समन्वय बनाए रखना, यात्रा और व्यापार माध्यम, एयरलाइनें, भारतीय खाद्य उत्सवों का आयोजन और विदेश में उत्सवों/ प्रदर्शनियों में भाग लेना।

12. भारत के बारे में विदेश में कारगर ढंग से प्रचार करने के उद्देश्य से, विश्व भर में एक बहु-माध्यम अभियान ("इन्क्रेडिबिल इण्डिया") शुरू किया गया था। यह अभियान, मुद्रण, टेलिविज़न और इन्टरनेट के माध्यम से आयोजित किया गया।

(iv) मानव संसाधन विकास

13. पर्यटन एक रोजगारोन्मुखी क्षेत्रक होने की वजह से, अनुमान है कि पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित कुल रोजगार का 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान होटल और खानपान क्षेत्रक द्वारा किया जाएगा। पर्यटकों के साथ प्रत्यक्षतः सम्पर्क में एक श्रम-उन्मुखी उद्योग होने की वजह से, इस क्षेत्रक के लिए अपेक्षित दक्षताएं अन्य क्षेत्रकों में अपेक्षित दक्षताओं से भिन्न हैं। दसवीं योजना में, होटल प्रबंधन संबंधी सभी पिछली योजनाओं का पुनर्गठन किया गया और उन्हें एक स्कीम में मिला दिया गया, नामतः "आई.एच.एम./ एफ.सी.आई./ आई.आई.टी.टी.एम./ एन.आई.ए.एस./ एन.सी.एच.एम.सी.टी. को सहायता"। वर्ष 2002-03 के दौरान, होटल प्रबंधन में विद्यमान संस्थानों में प्रशिक्षण पद्धति को उन्नत बनाया गया है तथा इन सभी संस्थानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। कुरुक्षेत्र (हरियाणा) और देहरादून (उत्तरांचल) में वर्ष 2002-03 में नए होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के वास्ते कार्य शुरू किया गया है।

(v) संगठित और असंगठित क्षेत्रक में क्षमता निर्माण

14. निजी क्षेत्रक में विद्यमान संस्थान, एफ.सी.आई., आई.एच.एम. मुख्य रूप से संगठित क्षेत्रक की जरूरतों को पूरा करते हैं। असंगठित क्षेत्रक में छोटे होटल, ढाबे, जलपानगृह और अन्य खाद्य पाइंट सम्मिलित हैं जो देश भर में फैले हैं, उन्हें आतिथ्य क्षेत्रक में दक्ष और व्यावसायिक प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण का शायद ही कोई अवसर प्राप्त होता है। चूंकि प्रत्येक जिले में एफ.सी.आई. स्थापित करना संभव और व्यवहार्य नहीं है, इसलिए विद्यमान आई.एच.एम. ने उनके लिए चल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना शुरू किया है। वर्ष 2002-03 के दौरान, सेवा प्रदाताओं के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण माड्यूल आयोजित किए गए।

वार्निक योजना 2003-04

15. वार्निक योजना 2003-04 में पर्यटन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय 325 करोड़ रुपए है। पर्यटन मंत्रालय की पुनर्गठित दसवीं योजना स्कीमें, जैसे कि पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास, उत्पादन/अवस्थापना और गन्तव्य स्थलों का विकास, विपणन और प्रोन्नयन, मानव संसाधन विकास, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में क्षमता निर्माण आदि, दसवीं योजना के द्वितीय वर्ग अर्थात् वार्निक योजना 2003-04 में जारी रहेंगी। वार्निक योजना 2003-04 के लिए स्कीम-वार परिव्यय का विवरण संलग्नक II में दिया गया है।

संलग्नक 10.6.1

पर्यटन के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के अन्तर्गत स्कीम-वार आबंटन

(करोड़ रुपए)

एस	स्कीम का नाम	वा.यो. 2001-02	वार्षिक योजना (2002-03)	
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सी.एस.)	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.
ए.1	चल रही योजना स्कीमें, जिन्हें दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा			
1.	बौद्ध केन्द्र (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं)	4.76	7.50	7.50
2.	आई एच एम और सी टी	8.80	8.50	8.50
3.	खाद्य शिल्प संस्थान	0.20	0.40	0.40
4.	भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान	1.74	1.00	1.00
5.	राष्ट्रीय जल खेलकूद संस्थान आदि	-	0.10	0.10
6.	समुद्रपारीय अभियान	51.32	17.00	17.00
7.	आतिथ्य कार्यक्रम	0.66	1.00	1.00
8.	विपणन विकास सहायता	0.01	1.00	1.00
9.	सब्सिडियां और प्रोत्साहन	9.10	9.00	9.00
ए.1	कुल चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	76.59	45.50	45.50
ए.2	दसवीं योजना के लिए नई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1	पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास	-	41.50	41.50
2	आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीएम/ एनआईएस/ एनसीएचएमसीटी	-	5.00	5.00
3	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	-	1.50	1.50
4	विपणन विकास सहायता सहित समुद्रपार प्रोन्नयन और प्रचार की पुनर्गठित स्कीम	-	34.00	34.00
5	स्वदेशी प्रोत्साहन और प्रचार आतिथ्य सहित	-	6.00	6.00
6	आवास अवस्थापना के लिए प्रोत्साहन	-	2.00	2.00
ए.2	10वीं योजना के लिए कुल नई सी एस स्कीमें	-	90.00	90.00
ए	कुल केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (ए.1+ ए.2)	76.59	135.50	135.50
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस)			
बी.1	चल रही नौवीं योजना स्कीमें, जिन्हें दसवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा			
1	साहसिक और खेल-कूद पर्यटन	5.92	2.00	2.00
2	एसईएल शो (फ्लड प्रकाश)	2.40	2.00	2.00
3	पर्यटक केन्द्रों/ क्षेत्रों का, ग्राम तथा वसीयत पर्यटन सहित, विकास	12.37	8.00	8.00
4	स्मारकों/ दाय भवनों का पुनरुद्धार	2.54	1.00	1.00
5	मार्गस्थ सुविधाएं	7.53	5.50	5.50
6	बजट आवास	16.08	6.50	6.50
7	इक्विटी स्कीम	2.00	1.00	1.00
8	साहित्य और प्रचार सामग्री का प्रकाशन	5.45	3.50	3.50
9	देशज अभियान, मेलों और उत्सवों सहित	6.18	4.00	4.00
10	कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	-	6.00	6.00
11	बाजार अनुसंधान, 20 व-र्षीय परिप्रेक्ष्य योजना सहित	9.04	3.50	3.50
बी.1	कुल चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें जिन्हें 10वीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा	69.51	43.00	43.00
बी.2	दसवीं योजना के लिए नई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1	उत्पाद/ अवस्थापना और गन्तव्य स्थल विकास	-	18.00	18.00
2	बड़ी राजस्व अर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता	-	6.00	6.00
बी.2	दसवीं योजना के दौरान कुल नई सी.एस.एस. स्कीमें	-	24.00	24.00

बी	कुल केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (बी.1+बी.2)	69.51	67.00	67.00
सी	जोड़: (ए+बी)	146.10	202.50	202.50
डी	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत इकमुश्त प्रावधान पूँजीगत राजस्व	- -	17.50 5.00	17.50 5.00
डी	जोड़: पूर्वोत्तर तथा सिक्किम राज्य	-	22.50	22.50
ई	कुल जोड़ (सी.+डी)	146.43*	225.00	225.00
* इसमें तीर्थ केन्द्रों के विकास (0.25 करोड़ रुपए) और भारत पर्यटन भवन (0.06 करोड़ रुपए) के लिए सहायता-अनुदान व अन्य कार्यक्रमों के लिए (02 करोड़ रुपए) सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित है।				

पर्यटन के लिए वार्षिक योजना 2003-04 के अन्तर्गत स्कीम-वार आबंटन
(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2003-04)
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सी एस)	
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.00
2	पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास	60.00
3	आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस/ एनआईएस/ एनसीएचएमसीटी को सहायता	17.50
4	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	2.00
5	समुद्रपारीय प्रोत्साहन तथा प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित	56.00
6	देशज प्रोत्साहन तथा प्रचार, आतिथ्य सहित	12.00
7	आवास अवस्थापना के लिए प्रोत्साहन	10.00
ए	जोड़: केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	162.50
बी	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)	
1	कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी	9.00
2	बाजार अनुसंधान, 20 व-र्षीय परिप्रेक्ष्य योजना सहित	3.00
3	उत्पाद/ अवस्थापना और गन्तव्य स्थल विकास	100.00
4	बड़ी राजस्व अर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता	18.00
बी	जोड़: केन्द्र प्रायोजित योजना	130.00
सी	जोड़: सी एस तथा सी एस एस स्कीमें ((ए+बी)	292.50
डी	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत इकमुश्त प्रावधान	
	पूंजीगत	22.50
	राजस्व	10.00
डी	जोड़: पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम राज्य	32.50
ई	कुल जोड़	325.00

11.1 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

दसवीं योजना में कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के संबंध में वार्षिक औसतन 8% विकास दर की परिकल्पना की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए, अनुमान है कि कृषि को 4% की दर से विकास करना होगा। सिंचाई, कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एक क्रांतिक निविटि है तथा कृषि में पूर्वानुमानित वृद्धि दर प्राप्त करने के वास्ते सिंचाई को भी उसी के अनुरूप दर से बढ़ना होगा। सिंचाई के संबंध में दसवीं योजना कार्यनीति में निम्नलिखित पर बल देने का प्रस्ताव है :-

- एआईबीपी जैसे केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग करके चालू परियोजनाओं को पूरा करना।
- पानी उपयोग कार्यकुशलता को प्रोत्साहन।
- पद्धति बहाली और कृ-क भागीदारी लागू करने के लिए सीएडी कार्यक्रम का पुनर्गठन।
- सिंचाई सांख्यिकी का समायोजन और आंकड़ों को पक्का करना।
- जल दरों को बढ़ाना तथा ओ एंड एम घटक में प्रशासनिक लागतों के वास्ते उपयुक्त मानदंड तैयार करना।
- सतही तथा भूतल जल प्रदू-ण और बाढ़ प्रबंधन।

2. योजना अवधि के दौरान राज्यों ने लगभग 84735 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 15.16 मि0 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का पूर्वानुमान लगाया है।

बड़ी और मझौली सिंचाई

3. बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं से अंततः सिंचाई क्षमता 58.46 मि0 हैक्टेयर है। नौवीं योजना के अंत तक प्राप्त क्षमता 37.05 मि0 हैक्टेयर है। संलग्नक 11.1 में नौवीं योजना के अंत तक सृजित और प्रयुक्त क्षमता की राज्यवार स्थिति तथा दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के संबंध में लक्ष्य दर्शाए गए हैं (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर)। 9.93 मि0 हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के वास्ते दसवीं योजना में 71,213.18 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की व्यवस्था की गई है। दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04 के संबंध में राज्यवार अनुमोदित परिव्यय संलग्नक 11.1.4 से 11.1.7 तक में दर्शाए गए हैं।

4. निम्नलिखित तालिका में नौवीं योजना में बड़े तथा मझौले सिंचाई क्षेत्रक पर व्यय और दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के संबंध में परिव्यय दर्शाए गए हैं।

तालिका 11.1

बड़ी और मझौली सिंचाई

(करोड़ रुपए)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय
नौवीं योजना	330.12	235.74	42644.11	49070.85
दसवीं योजना	351.40	-	70861.78	-
2002-2003	62.82	54.24	13646.07	13077.27
2003-2004 प्रस्तावित परिव्यय	76.08	-	11360.95	

वर्न 2003-04 के लिए कार्यक्रम

5. 159 बड़ी, 242 मझौली और 89 विस्तार, पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं, जो नौवीं योजना में पूरी नहीं हो पाई थीं, दसवीं योजना में शामिल की गई हैं। इनमें पांचवीं योजना से पूर्व तथा पांचवीं योजनाओं की 119 परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें से 30 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को दसवीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से संभवतः 7 वार्षिक योजना 2002-03 में और 12 वार्षिक योजना 2003-04 में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

विदेशी सहाय्यित परियोजनाएं

6. 17 चालू सिंचाई परियोजनाओं को विभिन्न राज्यों में विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है। परियोजनाओं का नाम, सहायता की राशि तथा दिसम्बर, 2002 तक संवितरित राशि नीचे दी गई है। दो विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं वर्न 2002-03 के दौरान पूरी हो गईं।

तालिका 11.2

विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम विश्व बैंक सहायित	करार की तारीख पूर्णता की तारीख	सहायता की राशि (एसडीआर/अमरीकी डालर - मिलियन)	31.1.2003 तक सहायता का उपयोग (एसडीआर/अमरीकी डालर - मिलियन)
1.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना (सिंचाई घटक) (आं.प्र.)	<u>30.01.1999</u> 31.03.2004	यूएसडी 170.100	यूएसडी 78.50
2.	आंध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना	<u>3.6.1997</u> 31.03.2004	एसडीआर 108.100 यूएसडी 175.000	एसडीआर 108.100 यूएसडी 45.802
3.	जल विज्ञान परियोजना (बहु-राज्य)	<u>22.09.1995</u> 31.12.2003	75.100	61.973 364.938 रुपए
4.	कर्नाटक सामुदायिक आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना (कर्नाटक)	<u>06.06.2002</u> 31.01.2009	80.000	1.674
5.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना (उड़ीसा)	<u>05.01.1996</u> 31.03.2004	194.800	145.169
6.	राजस्थान जल क्षेत्रक पुनर्गठन परियोजना	<u>15.3.2002</u> 31.3.2008	110.00	4.166
7.	तमिलनाडु डब्ल्यूआरसीपी	<u>22.9.1995</u> 31.3.2003	161.900	132.713
8.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्रक पुनर्गठन परियोजनाएं	<u>8.3.2002</u> 31.10.2007	117.000	4.007
	जोड़			2628.46

(II) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख पूर्णता की तारीख	सहायता की राशि (मिलियन ईयूआर)	21.1.2003 तक उपयोग की गई सहायता (मिलियन ईयूआर)
9.	लघु सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	<u>03.07.1995</u> 31.12.2004	10.70	1.108
10.	तालाब पुनरुद्धार परियोजना (पांडिचेरी)	<u>21.02.1997</u> 31.12.2004	6.65	1.742
11.	महाराष्ट्र लवणीय भूमि पुनरुद्धार परियोजना (चरणII) (महाराष्ट्र)	<u>11.07.1995</u> 31.12.2005	15.50	1.229
	जोड़		32.85	17.816

(III) द्विपक्षीय सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख पूर्णता की तारीख	सहायता की राशि (मिलियन डालर मुद्रा)	31.1.2003 तक सहायता का उपयोग (मिलियन डालर)
	<u>जापान</u>			
12.	करनूल-कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण (आं.प्र.)	<u>25.01.1996</u> 26.03.2003	येन 16049.000	येन 8268.501
13.	राजघाट नहर बड़ी सिंचाई परियोजना (म.प्र.)	<u>25.02.1997</u> 31.03.2004	येन 13222.000	येन 6173.115
14.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	<u>12.12.1997</u> 31.12.2004	येन 7760.000	येन 4563.644
	<u>कुल</u>			
	<u>नीदरलैंड</u>			
15.	आंध्र प्रदेश भूतल जल परियोजना (एपीडब्ल्यूईएलएल) (आंध्र प्रदेश)	<u>14.11.1994</u> 31.03.2003	ईयूआर 10.722	ईयूआर 5.879
	<u>जर्मनी</u>			
16.	महारा-ट्र लघु सिंचाई परियोजना (महारा-ट्र)	<u>31.12.1998</u> 30.12.2006	ईयूआर 23.008	ईयूआर 1.370
17.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	<u>19.02.1993</u> 30.06.2003	ईयूआर 28.121	ईयूआर 21.799

लघु सिंचाई

7. लघु सतही प्रवाह सिंचाई परियोजनाएं, जिनमें भंडारण तालाब, विचलन और सतही लिफ्ट शामिल हैं, सिंचित कृषि में, विशेष रूप से देश के प्रायद्विपीय भाग में और पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लघु सिंचाई स्कीमों की प्रथम गणना (1986-87) से पता चला है कि देश में राजस्थान को छोड़कर जहां कोई गणना नहीं की गई, 5,07,212 लघु सिंचाई तालाब उपयोग में लाए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मिलाकर दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा देश में तालाबों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% है। इनके अलावा, मध्य प्रदेश, महारा-ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी उने अपने-अपने राज्यों में बड़ी संख्या में तालाब हैं। उपरोक्त आठ राज्यों में कुल तालाबों की संख्या के लगभग 97% तालाब हैं। लघु सिंचाई स्कीमों की अल्प परिपक्वनावधि कम तथा श्रम गहन होती हैं तथा निर्धनता उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

8. लघु सिंचाई परियोजनाओं की अंततः सिंचाई क्षमता अनुमानतः 81.43 मि0 हैक्टेयर है जिसमें से 17.38 मि0 हैक्टेयर सतही जल लघु सिंचाई से तथा 64.05 मि0 हैक्टेयर भूतल जल से है। दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 14,406.66 करोड़ रुपए है जिसका उद्देश्य 5.23 मि0 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना है। नौवीं योजना के अंत तक 56.86 मि0 हैक्टेयर क्षमता का सृजन हुआ था। राज्यवार स्थिति संलग्नक 11.1.2 में दी गई हैं।

9. लघु सिंचाई स्कीमों का वित्तपो-ण योजना निधियों, संस्थात्मक वित्त तथा किसानों द्वारा निजी निवेश से किया जाता है। इसे आमतौर पर लोगों का कार्यक्रम समझा जाता है।

10. निम्न तालिका में, लघु सिंचाई के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्रक तथा राज्य क्षेत्रक में नौवीं योजना, दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-03 के व्यय और परिव्यय तथा लघु सिंचाई के लिए व्यय और परिव्यय तथा 2002-03 और 2003-04 के परिव्यय दर्शाए गए हैं। दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के संबंध में राज्यवार अनुमोदित परिव्यय संलग्नक 11.1.4 से 11.1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 11.3

लघु सिंचाई

(करोड़ रुपए)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय
नौवीं योजना	385.00	379.44	8984.84	8277.03
दसवीं योजना	533.80	-	13,872.86	-
2002-2003	109.16	97.31	2057.02	1853.14
2003-2004 प्रस्तावित परिव्यय	95.22	-	2419.11	

भूतल जल दोहन का विनियमन

11. केन्द्रीय भूतल जल प्राधिकरण (सीजी डब्ल्यूए) द्वारा अप्रैल, 1998 तक संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में 5711 ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों/वाटरशेडों में से 310 का वर्गीकरण अति दोहित के रूप में (जहां भूतल जल विकास की स्थिति वार्षिक पुनर्भरण स्रोत को पार कर गई है) तथा 160 को डार्क (जहां भूतल जल विकास की स्थिति पुनर्भरण स्रोत के 85% को पार कर गई है) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीजीडब्ल्यूए यह देखने के लिए अपने विनियामक कार्य जारी रखे हुए हैं कि अति दोहन की स्थिति पर अंकुश रखा जा सके। भूतल जल विधान के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पहले ही परिचालित माडल विधेयक के आधार पर आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप राज्यों ने विधान अधिनियमित किया है तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी राज्यों ने इस विनियम पर विधेयक पारित किए हैं। विनियामक अधिनियम की बजाए, एक ऐसा अधिनियम राज्यों को अधिक स्वीकार्य हो सकता है जिससे विनियंत्रित विकास प्रोत्साहित हो।

कमान क्षेत्र विकास

12. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) 1974-75 में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था जिससे कि सृजित और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को कम किया जा सके और चुनिंदा बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सेवित कमान क्षेत्रों में भूमि और जल उपयोग के बेहतर प्रबंधन द्वारा कृषि उत्पादन को इ-टतम बनाया जा सके। वार्षिक योजना 2002-03 तक कार्यक्रम में 236 परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत 22.72 मि0 हैक्टेयर का सीसीए कवर किया गया है। खेत मार्गों, खेत नालियों का निर्माण बाराबंदी और भू-समतलीकरण के महत्वपूर्ण घटकों का हिस्सा सीएडीपी के केन्द्रीय क्षेत्रक पर हुए खर्च का लगभग 70% है। नौवीं योजना के अंत तक इन चार घटकों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

तालिका 11.4

सीएडी (वास्तविक)

(000 हैक्टेयर)

कोर घटक	नौवीं योजना लक्ष्य	नौवीं योजना उपलब्धियां	दसवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक योजना 2003-04 लक्ष्य
खेत मार्ग	95	180	550	140
वाराबंदी	199.6	153.70	18.00	4.5
खेत नालियां	50.90	35.10	160	40
भू-समतलीकरण	6.00	3.00		
जलाक्रांत क्षेत्रों का पुनरुद्धार	22	11	5	1.2

13. दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 4253.43 करोड़ रुपए है। दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के संबंध में राज्यवार अनुमोदित परिव्यय संलग्नक 11.1.4 से 11.1.7 में दर्शाया गया है।

14. सीएडीपी के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक तथा राज्य क्षेत्रक में परिव्यय और व्यय नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.5

सीएडीपी (वित्तीय)

(करोड़ रुपए)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय
नौवीं योजना	860.00	764.27	2027.19	1493.17
दसवीं योजना	1406.80	-	2846.63	-
2002-2003	202.00	153.05	271.44	266.05
2003-2004 प्रस्तावित परिव्यय	202.00	-	264.12	-

पुनर्गठित सीएडीपी

15. दसवीं योजना में सीएडीपी का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि स्कीमों की संख्या में और फैलाव को नियंत्रित करके और क्षेत्र स्तर पर जल प्रबंधन के साथ भागीदारपूर्ण दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। बेहतर मानीटरन और समय पर पूर्णता के वास्ते परियोजनाओं की संख्या 236 से कम करके 96 करने का प्रस्ताव है।

बाढ़ नियंत्रण

16. रा-ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में लगभग 40 मि0 हैक्टेयर का अनुमान लगाया है जिसमें से 32 मि0 हैक्टेयर क्षेत्र को समुचित मात्रा में संरक्षण प्रदान किया जा सकता है । अभी तक लगभग 19 मि0 हैक्टेयर क्षेत्र का, तटबंध, नालियों का निर्माण करके, नगर संरक्षण निर्माण कार्य तथा गांवों को बाढ़ स्तर से ऊपर उठाकर, संरक्षण किया गया है । दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 2.78 मि0 हैक्टेयर का संरक्षण करने के वास्ते 5870.25 करोड़ रुपए है । दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04 के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय संलग्नक 11.1.4 से 11.1.7 में दर्शाए गए हैं । निम्नलिखित तालिका में नौवीं योजना, दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक में परिव्यय तथा योजना परिव्यय दर्शाए गए हैं ।

तालिका 11.6

बाढ़ नियंत्रण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रत्या./व्यय
नौवीं योजना	716.13	492.65	2216.36	2457.54
दसवीं योजना	1308.00	-	4562.25	-
2002-2003	176.02	145.40	592.06	527.17
2003-2004 प्रस्तावित परिव्यय	180.7		562.09	

17. दसवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यदल ने रा-ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के वास्ते एकीकृत बाढ़ प्रबंधन आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है । ऐसा आयोग, गांवों को ऊंचा उठाने, फसल पद्धति और फसल पंचांग में परिवर्तन, जल रोधी फसलों का उत्पादन, गैर-संरचनात्मक उपायों आदि के जरिए बाढ़ समस्याओं के अन्य दीर्घावधिक स्थायी समाधानों का अध्ययन कर सकता है ।

ग्राम अवस्थापना विकास को-न

18. भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का यह दायित्व है कि वे प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के लिए अपने कुल ऋणों का कम से कम 40% और प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों के लिए 40% के अपने समग्र लक्ष्य के अंदर, उधार प्रदान करें, इन बैंकों को कृषि उप-क्षेत्रक के लिए 18% के लक्ष्य का पालन करना है । इस प्रकार ग्राम अवस्थापना विकास को-न (आरआईडीएफ) वर्ष 1995-96 के लिए संघीय बजट में घो-णा के साथ, अस्तित्व में आया ।

को-न

19. अप्रैल, 1995 से नाबार्ड में को-न स्थापना की गई है। को-न की प्रारंभिक कौरपस वर्न 1995-96 के लिए 2000 करोड़ रुपए (आरआईडीएफ-1) थी जिसका अंशदान भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने किया था, जो प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र लक्ष्य (40%) के अंदर, निवल बैंक क्रेडिट की 1.5% की अधिकतम सीमा की शर्त पर, कृनि उप-क्षेत्रक के लिए उनके उधार में कमी को दर्शाता है। तब से स्कीम को संवर्धित प्रतिबद्धताओं के साथ उत्तरोत्तर केन्द्रीय बजट में घो-णाओं के साथ जारी रखा गया, जो निम्न प्रकार है :

वर्न		(करोड़ रुपए)
1995-96	आरआईडीएफ I	2000
1996-97	आरआईडीएफ II	2500
1997-98	आरआईडीएफ III	2500
1998-99	आरआईडीएफ IV	3000
1999-2000	आरआईडीएफ V	3500
2000-01	आरआईडीएफ VI	4500
2001-02	आरआईडीएफ VII	5000
2002-03	आरआईडीएफ VIII	5500
2003-2004	आरआईडीएफ IX	5500

20. आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण सहायता, बाढ़ संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण, ग्रामीण सड़कों और पुलों, ग्रामीण बाजारों, प्राथमिक स्कूल इमारतों, ग्रामीण पेयजल निर्माण कार्य, नाली व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, वन विकास आदि की परियोजनाओं के साथ-साथ बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई में पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी जाती हैं। आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण, परियोजना लागत के 90% तक अथवा बकाया लागत के लिए, जो भी कम हो, मंजूर किए जाते हैं। मार्च, 2003 तक आरआईडीएफ मंजूरीयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	बड़ी		मझौली		लघु		सिंचाई निवेश का %
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	
आरआईडीएफ I	18	236.16	89	886.36	3969	673.37	93.9%
आरआईडीएफ II	25	440.47	29	221.68	3835	601.78	48.1%
आरआईडीएफ III	15	239.56	19	23.99	8830	510.24	35.2%
आरआईडीएफ IV	27	246.54	12	170.96	393	433.45	28.6%
आरआईडीएफ V	203	351.29	9	119.04	101492	551.23	28.9%
आरआईडीएफ VI	10	233.35	11	249.72	31083	743.46	26.8%
आरआईडीएफ VII	30	364.59	8	130.75	1132	700.78	23.7%
आरआईडीएफ VIII	61	484.64	16	242.02	9707	975.10	27.8%
कुल	206	2596.60	193	2224.52	178441	5189.41	

परियोजनाओं की संख्या: 1,78,840

मंजूर की गई राशि : 10,010.53 करोड़ रुपए

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी कार्य

21. महत्वपूर्ण प्रकृति के कटाव-रोधी कार्य आयोजित करने के लिए, उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा साथ ही फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण (एफबीपीए) को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वास्ते, नौवीं योजना के कार्यान्वयन हेतु 110 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से के साथ जनवरी, 2001 में "गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी कार्य" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 अनुपात में संबंधित राज्यों को अनुदान तथा एफबीपीए के लिए 100% वित्तपोषण के रूप में दी जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान गंगा बेसिन में महत्वपूर्ण कटाव रोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार को सहायता अनुदान के रूप में 31.85 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसे मिलाकर स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से के बदले नौवीं योजना के दौरान इन राज्यों को प्रदत्त कुल राशि 51.85 करोड़ रुपए हो गई है। स्कीम का शेन रहता बचा हुआ अंश, जिसकी राशि 58.15 करोड़ रुपए है, दसवीं योजना में 192 करोड़ रुपए के दसवीं योजना परिव्यय के बदले प्रदान की जा रही है तथा कार्यक्रम को योजना के प्रथम दो वर्षों में पूरा किया जाना है। वर्ष 2003-04 के लिए बजट अनुमानों में 25 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। दसवीं योजना के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए 133.85 करोड़ रुपए की शेन राशि (192 करोड़ रुपए में से 58.15 करोड़ रुपए कम करने के बाद) के संबंध में स्कीम तैयार करने के वास्ते अलग-अलग स्कीमों का विनिर्धारण करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

22. कृषि उत्पादन और उत्पादकता को इ-टतम बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों के प्रबंधन और व्यवस्थित विकास के वास्ते 1974-75 में एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) प्रारंभ किया गया था। लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों तथा "कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के संबंध में योजना आयोग के कार्यदलों की सिफारिशों के आधार पर, सीएडी कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जा रहा है। पुनर्गठित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कुछेक विद्यमान घटकों को त्यागने तथा कुछ नए घटक शामिल करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रमों की शुरुआत से विभिन्न राज्यों से 276 सिंचाई परियोजनाओं को समय-समय पर सीएडी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा होने से 27.03 मिलियन हैक्टेयर का सांस्कृतिक कमान क्षेत्र लाभान्वित होने की संभावना है। चल रही 236 परियोजनाओं में 141 परियोजनाएं मार्च, 2004 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। 2004-05 के बाद से पुनर्गठित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के शुरु हो जाने की संभावना है, जिसके अंतर्गत पद्धति पुनरुद्धार और कमान क्षेत्र में तालाबों के पुनरुद्धार जैसे घटकों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। लगभग 80 चालू योजनाओं और 16 नई परियोजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने की संभावना है।

लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस) स्कीम

23. "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (आरएमआईएस) " की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। आर एम आई एस स्कीम के अंतर्गत, लघु सिंचाई क्षेत्रक के विकास की योजना के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस सृजित करने के वास्ते प्रत्येक पांच वर्न में लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना आयोजित की जाती है। इसके साथ ही स्कीम के अंतर्गत, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल विभागों में सांख्यिकी प्रको-ठों का सृजन किया गया है। ये प्रको-ठ, संबंधित विभागों से लघु सिंचाई के विकास के संबंध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों का संकलन करने और उन्हें जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांख्यिकी प्रको-ठों में तैनात अधिकारी/स्टाफ, लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में गणना आयोजित करने और साथ ही नमूने के सर्वेक्षण के आयोजन में भी मदद करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रको-ठों से प्राप्त आंकड़ों को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समेकित किया जाता है। वर्न 1998-99 को एक संदर्भ वर्न मानकर "लघु सिंचाई स्कीमों की स्थिति" के संबंध में एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। नवम्बर, 2002 तक, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है। वर्न 2000-01 के संदर्भ में वर्न के साथ लघु सिंचाई परियोजनाओं की तीसरी गणना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। अभी तक 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गणना का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गणना से संबंधित क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गणना कार्य प्रगति पर है।

उत्तरी बिहार में बाढ़ बचाव कार्यक्रम

24. अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई, यथा : (i) उत्तरी बिहार में बाढ़ बचाव कार्यक्रम; (ii) कोसी और गंडक परियोजनाओं का बाढ़ बचाव कार्य; (iii) लालबाकेया, कमला बागमती और खांडों नदियों के तटबंधों आदि का विस्तार। इन स्कीमों को बाढ़ बचाव कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करके दसवीं योजना में जारी रखा जा रहा है, जिसमें अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश राज्यों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

25. देश में नाली व्यवस्था, मोकामा ताल क्षेत्र सहित, नाली व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए दसवीं योजना में 50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अत्यधिक नाली व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, उपयुक्त फसलों, सिंचाई तथा मत्स्य कृषि के लिए पानी और भूमि के उसी स्थान पर उपयोग के बारे में विकल्प के रूप में विचार किया जा सकता है। दूरवर्ती संवेदी तकनीकों व जीआईएस जैसे अन्य साधनों का उपयोग करके नाली व्यवस्था के संबंध में एक मास्टर योजना तैयार करने की जरूरत है।

बड़ी और मझौली सिंचाई वास्तविक विवरण (000 हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंतिम सिंचाई क्षमता	नौवीं योजना उपलब्धि		दसवीं योजना लक्ष्य		वार्षिक योजना 2002-03 लक्ष्य		वार्षिक योजना 2002-03 प्रत्याशित उपलब्धि		वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 लक्ष्य	
			पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू
1	आंध्र प्रदेश	5000.00	3303.22	3051.59	739.88	480.92	183.93	119.55	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	4.00	2.60	0.80	0.52	0.80	0.52	0.80	0.52
3	असम	970.00	243.92	174.37	116.10	75.47	26.80	17.42	5.50	3.58	9.00	5.85
4	बिहार	5223.50	2680.00	1714.83	948.42	400.00	170.00	110.50	51.00	33.15	223.00	144.95
5	छत्तीसगढ़	1146.93	922.50	760.74	305.00	198.25	93.00	60.45	58.00	37.70	47.00	30.55
6	गोवा	62.00	21.17	15.33	26.66	14.69	5.46	3.55	एनएफ	एनएफ	4.21	2.74
7	गुजरात	3000.00	1430.37	1300.83	1904.00	1237.60	235.00	152.75	एनएफ	एनएफ	20.00	26.00
8	हरियाणा	3000.00	2099.49	1849.97	119.00	77.35	41.00	26.65	32.00	20.80	28.00	18.20
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	7.51	8.00	5.20	3.00	1.95	0.20	0.13	0.30	0.20
10	झारखंड	1276.50	354.47	230.45	315.00	204.75	54.15	35.20	एनएफ	एनएफ	46.61	30.30
11	जम्मू व कश्मीर	250.00	179.69	168.75	25.00	16.25	1.40	1.20	1.40	1.20	एनएफ	एनएफ
12	कर्नाटक	2500.00	2121.12	1844.82	999.89	649.93	221.29	143.84	57.12	37.13	241.63	157.06
13	केरल	1000.00	609.49	558.87	90.00	58.50	10.00	6.50	10.00	6.50	15.00	9.75
14	मध्य प्रदेश	4853.07	1386.90	875.63	265.30	127.20	101.75	66.14	101.75	66.14	100.97	65.63
15	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	2147.24	1276.43	829.68	70.00	45.50	एनएफ	एनएफ	70.00	45.50
16	मणिपुर	135.00	156.00	111.00	28.15	18.30	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	20.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	10.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	उड़ीसा	3600.00	1826.56	1794.17	465.07	302.30	23.22	15.09	29.92	19.45	64.93	42.20
21	पंजाब	3000.00	2542.48	2485.99	160.30	104.20	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
22	राजस्थान	2750.00	2482.15	2313.87	413.80	268.97	49.30	32.05	44.80	29.12	54.50	35.43
23	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	1500.00	1549.31	1549.29	9.38	6.10	0.84	0.55	4.25	2.76	5.14	3.34
25	त्रिपुरा	100.00	4.90	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	6334.00	1000.76	650.49	145.34	94.47	145.34	94.47	158.00	102.70
27	उत्तरांचल	346.00	280.30	185.41	6.20	4.03	1.24	0.81	1.24	0.81	4.50	2.93
28	पश्चिम बंगाल	2300.00	1683.29	1527.12	700.00	455.00	65.00	42.25	39.00	25.35	28.00	18.20
29	संघ राज्य क्षेत्र	98.00	6.51	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	58465.00	37046.28	31010.22	9926.34	6187.76	1502.52	976.93	582.32	378.80	1121.59	742.03

पीसी: क्षमता उपयोग

स्रोत: दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04 व राज्य सरकारों से प्राप्त प्रलेख ।

पीयू: निश्चित नहीं

एनएफ: प्रस्तुत नहीं

लघु सिंचाई वास्तविक विवरण (000 हैक्टेयर में)												
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंततः सिंचाई क्षमता	मार्च, 2002 तक उपलब्धि (नौवीं योजना)		दसवीं योजना लक्ष्य		वार्षिक योजना 2002-03 लक्ष्य		प्रत्याशित उपलब्धि 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04 लक्ष्य	
			पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू	पीसी	पीयू
1	आंध्र प्रदेश	6260.00	3019.46	2781.22	195.40	156.32	27.98	22.38	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
2	अरुणाचल प्रदेश	168.00	99.52	77.40	20.00	16.00	4.13	3.30	4.13	3.30	4.13	3.30
3	असम	1900.00	603.62	494.11	116.10	92.88	26.80	21.44	26.80	21.44	17.00	13.60
4	बिहार	5663.50	4716.44	3759.46	264.60	211.68	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
5	छत्तीसगढ़	571.00	487.70	322.86	55.00	44.00	20.00	16.00	29.10	23.28	38.00	30.40
6	गोवा	54.00	19.14	20.00	4.54	1.86	1.33	1.06	एनएफ	एनएफ	0.20	0.16
7	गुजरात	3103.00	1998.92	1876.14	66.00	45.00	8.50	6.80	8.50	7.00	8.50	7.00
8	हरियाणा	1512.00	1630.95	1578.12	42.50	34.00	8.50	6.80	6.72	5.38	8.50	6.80
9	हिमाचल प्रदेश	303.00	161.00	138.30	10.00	8.00	2.09	1.67	2.09	1.67	2.00	1.60
10	झारखंड	1183.50	588.87	471.09	एनएफ	एनएफ	18.64	14.91	एनएफ	एनएफ	20.61	16.49
11	जम्मू व कश्मीर	1108.00	382.45	366.77	एनएफ	एनएफ	1.40	1.12	1.40	0.90	एनएफ	एनएफ
12	कर्नाटक	3474.00	1585.40	1541.74	221.29	177.03	8.00	6.40	8.00	6.40	8.00	6.40
13	केरल	1679.00	640.02	603.76	50.00	40.00	7.00	5.60	7.00	5.60	10.00	8.00
14	मध्य प्रदेश	11361.00	2256.13	2149.48	125.00	100.00	35.00	28.00	35.00	28.00	30.00	24.00
15	महाराष्ट्र	4852.00	2942.60	2557.72	158.00	126.40	61.00	48.80	66.00	52.80	30.00	24.00
16	मणिपुर	469.00	75.49	62.34	14.45	11.56	3.40	2.72	3.40	2.72	3.10	2.48
17	मेघालय	148.00	50.97	47.31	12.50	10.00	2.97	2.38	2.97	2.38	2.82	2.26
18	मिजोरम	70.00	16.69	14.08	1.66	1.33	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22
19	नागालैंड	75.00	76.56	65.63	9.43	7.54	17.92	14.34	17.99	14.39	18.72	14.98
20	उड़ीसा	5203.00	1474.12	1337.55	132.37	105.90	30.37	24.30	30.37	24.30	20.56	16.45
21	पंजाब	2967.00	3427.56	3367.82	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
22	राजस्थान	2378.00	2447.10	2361.80	50.00	40.00	7.00	5.60	4.00	3.20	3.00	2.40
23	सिक्किम	50.00	29.67	23.61	5.00	4.00	0.50	0.40	0.40	0.32	0.80	0.60
24	तमिलनाडु	4032.00	2123.38	2119.52	9.02	7.22	4.46	3.57	0.68	0.54	5.21	4.17
25	त्रिपुरा	181.00	109.65	96.09	32.40	25.92	7.30	5.84	7.30	5.84	7.06	5.65
26	उत्तर प्रदेश	17481.00	21599.40	17279.62	3616.80	2893.44	375.43	300.34	373.92	299.14	368.32	294.66
27	उत्तरांचल	518.00	500.98	400.80	11.88	9.50	2.38	1.90	2.38	1.90	2.38	1.90
28	पश्चिम बंगाल	4618.00	3792.52	3098.12	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
	संघ राज्य क्षेत्र	81382.00	56856.31	49012.46	223.94	4169.58	682.33	545.90	638.38	510.72	609.14	487.51
29	अंडमान व निकोबार		1.38	1.35	0.81	0.65	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
30	चंडीगढ़		0.26	0.24	0.16	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
31	दादरा व नगर हवेली		0.69	0.65	एनएफ	एनएफ	0.19	0.15	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
32	दमन व दीव		15.37	10.29	0.96	0.77	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
33	दिल्ली		21.64	18.52	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ	एनएफ
34	लक्षद्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी		4.37	4.36	2.50	2.00	0.45	0.36	0.45	0.36	0.47	0.38
	संघ राज्य क्षेत्र	46.00	43.71	35.41	4.43	3.54	0.66	0.53	0.47	0.38	0.49	0.39
	राज्य व सं. रा. क्षेत्र	81428.00	56900.02	49047.87	228.37	4173.12	682.99	546.43	638.85	511.10	609.63	487.90

पीसी: क्षमता उपयोग

पीयू: निश्चित नहीं

एनएफ: प्रस्तुत नहीं स्रोत: दसवीं योजना, वार्षिक योजना 2002-03, 2003-04 व राज्य सरकारों से प्राप्त प्रलेख ।

वास्तविक व्यय 2001-2002
(रुपए)

(करोड़)

क्र.सं.	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मझौली व मध्यम	लघु सिंचाई	सीएडी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	आंध्र प्रदेश	843.49	229.42	15.37	37.41	1125.69
2	अरुणाचल प्रदेश	0.36	23.31	1.39	3.68	28.74
3	असम	40.02	78.34	2.41	19.45	140.22
4	बिहार	185.31	59.14	5.95	70.74	321.14
5	छत्तीसगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
6	गोवा	61.39	3.86	2.23	1.58	69.06
7	गुजरात	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
8	हरियाणा	256.00	74.00	10.00	24.98	364.98
9	हिमाचल प्रदेश	11.80	50.04	1.35	6.60	69.79
10	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
11	जम्मू व कश्मीर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
12	कर्नाटक	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
13	केरल	112.86	28.31	0.06	21.55	162.78
14	मध्य प्रदेश	530.54	151.77	3.76	0.40	686.47
15	महाराष्ट्र	4055.23	51.15	22.23	0.73	4129.34
16	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
17	मेघालय	2.17	8.89	0.10	1.97	13.13
18	मिजोरम	0.01	6.14	0.30	0.00	6.45
19	नागालैंड	0.00	6.44	0.05	0.10	6.59
20	उड़ीसा	394.84	93.10	5.02	3.38	496.34
21	पंजाब	141.94	52.26	27.06	61.09	282.35
22	राजस्थान	265.82	89.55	35.44	3.93	394.74
23	सिक्किम	0.00	5.39	0.05	1.58	7.02
24	तमिलनाडु	314.43	32.19	10.66	-	357.28
25	त्रिपुरा	4.90	25.08	0.00	3.42	33.40
26	उत्तर प्रदेश	716.17	122.05	28.31	22.29	888.82
27	उत्तरांचल	47.77	14.00	0.00	0.00	61.77
28	पश्चिम बंगाल	125.39	56.08	7.88	194.67	384.02
	कुल राज्य	8110.44	1260.51	179.62	479.55	10030.12
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
31	दादरा व नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
32	दमन व दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.41	0.00	18.87	19.28
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	5.38	5.38
35	पांडिचेरी	0.00	8.96	0.00	3.94	12.90
	कुल संघ राज्य क्षेत्र					0.00
	कुल राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	8110.44	1260.51	179.62	479.55	10030.12
	केन्द्रीय क्षेत्र	47.72	123.00	148.13	137.26	456.11
	कुल जोड़	8158.16	1383.51	327.75	616.81	10486.23

स्रोत: राज्य वार्षिक योजना 2003-04 प्रलेख ।
एनआर: प्राप्त नहीं

दसवीं योजना अनुमोदित आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़ी व मझौली	लघु सिंचाई	सीएडी	एफसीडी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	9153.84	1607.19	66.22	17.73	10844.98
2	अरुणाचल प्रदेश	1.66	160.71	17.00	5.00	184.37
3	असम	273.60	305.09	47.64	19.00	645.33
4	बिहार	3273.19	681.78	150.05	1911.85	6016.87
5	छत्तीसगढ़	1721.37	776.64	6.76	1.88	2506.65
6	गोवा	175.40	27.00	12.50	8.00	222.90
7	गुजरात	7660.91	1098.49	34.05	16.60	8810.05
8	हरियाणा	1129.64	154.28	102.85	154.28	1541.04
9	हिमाचल प्रदेश	55.00	333.02	9.50	55.66	453.18
10	झारखंड	1720.86	325.84	0.00	30.00	2076.70
11	जम्मू व कश्मीर	237.43	333.06	42.19	193.10	805.79
12	कर्नाटक	13277.33	719.35	137.07	42.83	14176.57
13	केरल	600.00	205.00	75.00	50.00	930.00
14	मध्य प्रदेश	3819.03	1047.46	37.40	12.00	4915.89
15	महाराष्ट्र	12150.10	2043.16	1056.75	5.00	15255.01
16	मणिपुर	221.60	101.20	21.89	23.85	368.54
17	मेघालय	24.75	60.00	1.65	11.00	97.40
18	मिजोरम	0.05	26.83	1.40	0.00	28.28
19	नागालैंड	0.50	35.60	3.00	2.00	41.00
20	उड़ीसा	2329.02	1604.43	35.75	130.00	4099.21
21	पंजाब	1592.51	275.05	150.00	593.95	2611.51
22	राजस्थान	2269.61	285.42	193.51	19.35	2767.88
23	सिक्किम	0.00	15.00	15.00	1.00	31.00
24	तमिलनाडु	1700.00	500.00	175.00		2375.00
25	त्रिपुरा	44.17	219.25	0.00	96.57	360.00
26	उत्तर प्रदेश	6424.58	535.27	400.00	247.50	7607.35
27	उत्तरांचल	103.28	59.86	0.00	15.39	178.53
28	पश्चिम बंगाल	895.85	238.49	52.05	712.27	1898.66
	कुल राज्य	70855.28	13774.47	2844.23	4375.81	91849.69
1	अंडमान व निकोबार	0.00	27.57	0.00	0.00	27.57
2	चंडीगढ़	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
3	दादरा व नगर हवेली	5.00	6.20	1.40	0.00	12.60
4	दमन व दीव	1.50	0.72	1.00	1.30	4.52
5	दिल्ली	0.00	10.00	0.00	146.00	156.00
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	17.34	17.34
7	पांडिचेरी	0.00	51.90	0.00	21.80	73.70
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	6.50	98.39	2.40	186.44	293.73
	कुल (राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)	70861.78	13872.86	2846.63	4562.25	92143.42
	केन्द्रीय क्षेत्र	351.40	533.80	1406.80	1308.00	3600.00
	कुल जोड़	71213.18	14406.66	4253.43	5870.25	95743.42

संलग्नक - 11.1.5

अनुमोदित आबंटन 2002-03

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़ी व मझौली	लघु सिंचाई	सीएडी	एफसीडी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1459.01	305.34	10.80	6.20	1781.33
2	अरुणाचल प्रदेश	0.40	20.53	2.00	5.75	28.69
3	असम	53.29	59.56	3.41	10.00	126.26
4	बिहार	456.55	150.14	22.30	133.35	762.34
5	छत्तीसगढ़	274.95	124.05	1.08	0.30	400.38
6	गोवा	68.50	9.56	3.09	1.76	82.91
7	गुजरात	1190.32	198.22	6.12	3.02	1397.68
8	हरियाणा	239.50	30.00	20.00	30.00	319.50
9	हिमाचल प्रदेश	11.83	60.29	2.19	13.05	87.36
10	झारखंड	290.00	60.00	0.00	10.00	360.00
11	जम्मू व कश्मीर	37.34	52.51	8.61	29.94	128.40
12	कर्नाटक	2631.00	132.78	21.00	6.00	2790.78
13	केरल	110.00	26.00	10.00	6.00	152.00
14	मध्य प्रदेश	634.85	204.96	7.37	1.34	848.52
15	महाराष्ट्र	3610.87	134.07	13.40	0.80	3759.14
16	मणिपुर	85.00	25.00	2.00	10.00	122.00
17	मेघालय	2.00	6.50	0.15	1.20	9.85
18	मिजोरम	0.01	6.00	0.10	0.00	6.11
19	नागालैंड	0.00	6.95	0.20	0.05	7.20
20	उड़ीसा	512.65	88.33	4.04	2.77	607.79
21	पंजाब	175.87	27.01	29.90	89.07	321.85
22	राजस्थान	462.34	64.28	39.85	4.10	570.57
23	सिक्किम	0.00	4.00	0.05	3.50	7.55
24	तमिलनाडु	307.39	42.15	24.48		374.02
25	त्रिपुरा	9.46	30.93	0.02	4.05	44.46
26	उत्तर प्रदेश	824.81	70.26	30.00	38.53	963.60
27	उत्तरांचल	31.76	41.35	0.00	3.70	76.81
28	पश्चिम बंगाल	165.47	57.45	9.10	146.91	378.94
	कुल राज्य	13645.17	2038.22	271.26	561.39	16516.04
1	अंडमान व निकोबार	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90
2	चंडीगढ़	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
3	दादरा व नगर हवेली	0.80	0.57	0.18	0.00	1.55
4	दमन व दीव	0.10	0.15	0.00	0.22	0.47
5	दिल्ली	0.00	0.50	0.00	22.00	22.50
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
7	पांडिचेरी	0.00	12.98	0.00	5.45	18.43
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.90	18.80	0.18	30.67	50.55
	कुल (राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)	13646.07	2057.02	271.44	592.06	16566.59
	केन्द्रीय क्षेत्र	62.82	109.16	202.00	176.02	550.00
	कुल जोड़	13708.89	2166.18	473.44	768.08	17116.59

संलग्नक - 11.1.6

संशोधित अनुमोदित परिव्यय 2002-03

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़ी व मझौली	लघु सिंचाई	सीएडी	एफसीडी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1331.76	250.02	13.58	43.70	1639.06
2	अरुणाचल प्रदेश	0.40	22.54	2.00	6.75	31.69
3	असम	53.29	59.56	10.00	3.41	126.26
4	बिहार	279.90	86.00	15.30	92.00	473.20
5	छत्तीसगढ़	274.95	124.05	1.08	0.30	400.38
6	गोवा	68.50	9.56	3.09	1.76	82.91
7	गुजरात	1190.32	198.22	6.12	3.02	1397.68
8	हरियाणा	170.00	0.00	15.00	25.00	210.00
9	हिमाचल प्रदेश	11.83	58.09	2.15	13.40	85.47
10	झारखंड	290.00	60.00	0.00	10.00	360.00
11	जम्मू व कश्मीर	37.34	52.51	8.61	29.94	128.40
12	कर्नाटक	2474.27	100.65	21.00	6.20	2602.12
13	केरल	100.00	20.00	10.00	6.00	136.00
14	मध्य प्रदेश	937.67	224.60	7.37	2.61	1172.25
15	महाराष्ट्र	3610.87	134.07	12.77	1.43	3759.14
16	मणिपुर	53.10	15.90	2.94	6.70	78.64
17	मेघालय	2.00	6.50	0.15	1.20	9.85
18	मिजोरम	0.01	6.30	0.10	0.00	6.41
19	नागालैंड	0.00	6.95	0.20	3.10	10.25
20	उड़ीसा	453.65	93.33	4.04	2.77	553.79
21	पंजाब	175.87	27.01	29.90	89.07	321.85
22	राजस्थान	266.18	53.58	30.35	3.95	354.06
23	सिक्किम	0.00	4.15	3.50	0.05	7.70
24	तमिलनाडु	291.12	63.39	23.22		377.73
25	त्रिपुरा	7.46	32.93	0.03	4.05	44.47
26	उत्तर प्रदेश	816.66	43.91	40.04	38.62	939.23
27	उत्तरांचल	31.76	41.35	0.00	3.70	76.81
28	पश्चिम बंगाल	147.46	38.82	3.33	91.75	281.36
	कुल राज्य	13076.37	1833.99	265.87	490.48	15666.71
1	अंडमान व निकोबार	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90
2	चंडीगढ़	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
3	दादरा व नगर हवेली	0.80	0.57	0.18	0.00	1.55
4	दमन व दीव	0.10	0.15	0.00	0.22	0.47
5	दिल्ली	0.00	0.60	0.00	21.00	21.60
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
7	पांडिचेरी	0.00	13.23	0.00	12.47	25.70
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.90	19.15	0.18	36.69	56.92
	कुल (राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)	13077.27	1853.14	266.05	527.17	15723.63
	केन्द्रीय क्षेत्र	54.24	97.31	153.05	145.40	450.00
	कुल जोड़	13131.51	1950.45	419.10	672.57	16173.63

संलग्नक - 11.1.7

प्रस्तावित परिव्यय 2003-2004

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी व मझौली	लघु सिंचाई	सीएडी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1861.64	279.04	7.97	28.14	2176.79
2	अरुणाचल प्रदेश	0.40	21.54	2.00	3.75	27.69
3	असम	66.94	74.81	3.53	19.21	164.49
4	बिहार	473.96	121.24	27.70	117.65	740.55
5	छत्तीसगढ़	211.52	253.39	1.58	0.15	466.64
6	गोवा	16.06	30.08	0.94	4.50	51.58
7	गुजरात	1158.47	298.22	6.12	3.02	1465.83
8	हरियाणा	200.00	0.00	20.00	46.00	266.00
9	हिमाचल प्रदेश	15.99	57.00	2.11	13.04	88.14
10	झारखंड	62.97	63.41	9.20	35.71	171.29
11	जम्मू व कश्मीर	687.00	60.00	0.00	5.00	752.00
12	कर्नाटक	2608.00	213.28	22.10	6.00	2849.38
13	केरल	110.00	11.50	11.50	8.00	141.00
14	मध्य प्रदेश	977.13	194.49	6.67	1.34	1179.63
15	महाराष्ट्र	311.00	186.43	18.86	2.01	518.30
16	मणिपुर	86.40	22.00	2.94	4.70	116.04
17	मेघालय	2.20	8.00	0.20	1.32	11.72
18	मिजोरम	0.01	7.10	0.10	0.00	7.21
19	नागालैंड	0.02	7.10	0.10	0.05	7.27
20	उड़ीसा	427.74	112.97	3.60	4.00	548.31
21	पंजाब	210.25	33.60	30.00	48.00	321.85
22	राजस्थान	533.31	56.83	40.24	4.90	635.28
23	सिक्किम	0.00	4.64	0.20	6.00	10.84
24	तमिलनाडु	276.59	99.47	13.84	30.00	419.90
25	त्रिपुरा	8.58	37.87	0.00	4.66	51.11
26	उत्तर प्रदेश	922.31	69.82	30.00	40.53	1062.66
27	उत्तरांचल	45.90	38.90	0.00	0.00	84.80
28	पश्चिम बंगाल	84.70	26.66	2.44	87.71	201.51
	कुल राज्य	11359.09	2389.39	263.94	525.39	14537.81
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	अंडमान व निकोबार	0.00	5.80	0.00	2.50	8.30
30	चंडीगढ़	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75
31	दादरा व नगर हवेली	1.86	0.57	0.18	0.00	2.61
32	दमन व दीव	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
33	दिल्ली	0.00	0.50	0.00	22.00	22.50
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15
35	पांडिचेरी	0.00	16.10	0.00	9.05	25.15
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.86	29.72	0.18	36.70	68.46
	कुल राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	11360.95	2419.11	264.12	562.09	14606.27
	केन्द्रीय क्षेत्र	76.08	95.22	202.00	180.70	554.00
	कुल जोड़	11437.03	2514.33	466.12	742.79	15160.27
	स्रोत: राज्य वार्षिक योजना 2003-04 प्रलेख					

11.2 विद्युत

भूमिका

देश के समग्र समाजार्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दसवीं योजना में विद्युत क्षेत्र में 41,110 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा नवीकरणीय विद्युत स्रोतों के माध्यम से 3075 मेगावाट की वृद्धि का प्रस्ताव है। दसवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक नई नीतिगत पहलें की हैं तथा इस बारे में विद्युत क्षेत्र के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस क्षेत्र को प्रतियोगात्मक एवं व्यवहार्य बनाया जा सके। कुछ प्रमुख सुधार लक्ष्य हैं : (क) विद्युत मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक घटक में प्रतियोगिता और निजी सहभागिता को बढ़ावा देना; (ख) बिजली टैरिफ को युक्तियुक्त बनाना तथा टैरिफ निर्धारित करने वाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना; तथा (ग) निवेश घटक और प्रोत्साहन घटक दोनों के माध्यम से वितरण सुधार के प्रति लक्षित संशोधित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) को, जोकि 2000-01 में हुई समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में वास्तविक गिरावट लाने से संबंधित है, लागू करना।

2. विद्युत अधिनियम, 2003, दिनांक 10 जून 2003 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। नई विधि ने तीन विद्युत विधियों, अर्थात् भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का स्थान ले लिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 तापीय विद्युत उत्पादन को पूरी तरह लाइसेंस-मुक्त करता है, पन विद्युत उत्पादन को उदारीकृत करता है, विद्युत के व्यापार को एक स्वतंत्र क्रियाकलाप के रूप में मान्यता देता है, एक ही क्षेत्र में पारे-ण और वितरण के लिए एकाधिक लाइसेंसों की अनुमति देता है, पारे-ण में मुक्त सुलभता के लिए आधार निर्धारित करता है, चरणों में विद्युत के वितरण में एस.ई.आर.सी. को मुक्त सुलभता की अनुमति देता है और केप्टिव उत्पादन की परिभाषा को उल्लेखनीय ढंग से उदारीकृत करता है। इन सबसे अन्ततः प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे कार्य कुशलता सम्बन्धी लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2002-03 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2003-04

विद्युत उत्पादन और प्लांट लोड फेक्टर्स (उपयोगिताएं)

3. 2002-03 के दौरान 545.55 बिलियन यूनिट (बीयू) के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 531.43 बीयू था जो कि 2.6% की कमी दर्शाता है। इस कमी का कारण व्यापक सूखे की स्थिति थी जिसके फलस्वरूप पन विद्युत उत्पादन बहुत कम रहा और कार्यक्रम के केवल 77% की उपलब्धि हुई। तथापि तापीय और न्यूक्लीयर उत्पादन लक्ष्य से क्रमशः 0.6% और 11.8% अधिक रहा जिससे कि पन विद्युत उत्पादन में हुई कमी की आंशिक भरपाई हो गई। 2002-03 में कुल उत्पादन 2001-02 की तुलना में 3.1% अधिक रहा। 2003-04 में उपयोगिताओं द्वारा कुल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 572.90 बीयू रखा गया है।

4. उपर्युक्त के अलावा, भूटान की चुखा और कुरिचू पन परियोजनाओं से भी क्रमशः 1.32 बीकेडब्ल्यूएच और 0.20 बीकेडब्ल्यूएच बिजली उपलब्ध हुई।

5. 2003-04 के लिए कुल उत्पादन लक्ष्य पूर्ववर्ती वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 1.05% उच्चतर रखा गया है। भूटान की चुखा और कुरिचू पन परियोजनाओं से लगभग 1.72 बीयू अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है।

6. वर्ष 2002-2003 के लिए ऊर्जा उपयोगिताओं के संबंध में स्रोतवार उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियां एवं 2001-2002 के लिए वास्तविक तथा 2003-2004 के लिए अनुमानित आंकड़े तालिका 1 में दिए गए हैं। इन संख्याओं का एक विस्तृत क्षेत्रवार ब्योरा संलग्नक I में दिया गया है।

तालिका 1
स्रोतवार बिजली उत्पादन

(मिलियन यूनिट)

स्रोत	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 लक्ष्य
		लक्ष्य	वास्तविक	
पन	73940	82814	63773	83050
तापीय	421987	445558	448445	472650
न्यूक्लीयर	19320	17180	19212	17200
योग	515247	545552	531430	572900

7. वर्ष 2002-2003 के दौरान, थर्मल स्टेशनों के लिए अखिल भारत प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) का लक्ष्य 70.8% था जबकि वास्तविक एवं मूल्यांकन पर आधारित उपलब्धि 72.1% थी। तालिका 2 में वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के लिए पी.एल.एफ. के सेक्टरवार ब्योरे सार रूप में दिए गए हैं। सभी राज्य बिजली बोर्डों, केंद्रीय विद्युत संगठनों तथा निजी क्षेत्रक के लिए पी.एल.एफ. के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्नक II में दर्शाई गई है।

तालिका 2
सेक्टर-वार प्लांट लोड फैक्टर (%)

क्षेत्रक	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
केंद्रीय क्षेत्रक	74.3	74.8	77.1	74.6
राज्य क्षेत्रक	67.0	68.2	68.7	70.0
निजी क्षेत्रक	74.7	74.0	78.9	78.9
अखिल भारतीय	69.9	70.8	72.1	72.1

क्षमता में वृद्धि

8. वर्ष 2002-2003 के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य 4109.10 मेगावाट था जिसकी तुलना में 2002-03 में उपलब्धि 2979.40 मेगावाट (72.5%) थी। वास्तविक उपलब्धि में, 800 मेगावाट क्षमता स्थापित किए जाने से, जो कि कार्यक्रम में मूलतः शामिल नहीं थी वृद्धि हो गई। 800 मेगावाट में

ये शामिल थे : केन्द्रीय क्षेत्रक में तलचर स्टेशन II (500 मेगावाट), निजी क्षेत्रक में बापसा एच.ई.पी. II में 100-100 मेगावाट की दो इकाइयां तथा राज्य क्षेत्रक में सरदार सरोवर नहर हेड पावर हाउस में 50-50 मेगावाट की दो इकाइयां। 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान तापीय, पन तथा न्यूक्लीयर सुविधाओं द्वारा प्राप्त क्षमता वृद्धियां और 2003-04 के लक्ष्य सार रूप में तालिका 3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 3
क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)

स्रोत	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
पन	1106.25	607.00	649.00	3765.00
तापीय	2009.00	3502.10	2330.40	1437.34
न्यूक्लीयर	440.00	0.00	0.00	0.00
योग	3115.25	4109.10	2979.40	5202.34

9. क्षमता वृद्धि के परियोजनावार ब्योरे संलग्नक III में दिए गए हैं। सात उत्पादन इकाइयां थीं जिन्होंने कुल मिलाकर 2037 मेगावाट उत्पादन किया जो कि 2002-2003 के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की तुलना में कम है। विलम्बित परियोजनाओं में शामिल हैं : पन क्षमता के 258 मेगावाट (3 उत्पादन इकाइयां) तथा तापीय क्षमता के 1779 मेगावाट (4 उत्पादन इकाइयां) जिसमें 1444 मेगावाट की दमोल परियोजना शामिल है जो कि न्यायालय में विचारणाधीन है। विलम्बित परियोजना की पूरी सूची संलग्नक IV पर प्रस्तुत है।

10. 2003-04 के लिए लक्षित 5202.34 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वृद्धि में ये शामिल हैं : केन्द्रीय क्षेत्रक में 4175 मेगावाट, राज्य क्षेत्रक में 874.54 मेगावाट तथा निजी क्षेत्रक में 152.80 मेगावाट। 2003-04 के लक्ष्य में 460 मेगावाट की परियोजनाएं शामिल हैं जो कि 2002-03 से चली आ रही थीं। 2003-04 के दौरान स्थापित क्षमता में प्रत्याशित वृद्धियों के स्कीम-वार ब्योरे संलग्नक V में दिए गए हैं।

पारे-नण एवं वितरण

11. 2001-02 तथा 2002-03 के लिए 800 के.वी./400 के.वी./220 के.वी. पारे-नण लाइनों के निर्माण/ऊर्जाकरण के संबंध में कार्यक्रम तथा उपलब्धि तथा 2003-04 के लक्ष्य संक्षेप में तालिका 4 में दिए गए हैं : 2002-03 में वास्तविक उपलब्धि मिश्रित परिणाम दर्शाती है जिसमें 400 के.वी. लाइनों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में कमियां दर्शाई गई हैं।

तालिका 4
पारे-ण लाइनों में वृद्धि

(सी.के.टी. किलोमीटर)

पारे-ण लाइनों में परिवर्धन	2001-2002 वास्तविक	2002-03		2003-04 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
+/- 500 के.वी. एच.वी.डी.सी.	800	636	569	शून्य
800 के.वी.	51	173	32	149
400 के.वी.	1780	3198	3433	3385
220 के.वी.	3543	3024	2980	3566

विद्युत क्षेत्र सुधार

12. वर्ग के दौरान सुधार की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार पहल निम्न प्रावधानों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियम किया जाना रहा है :-

- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से एक रा-ट्रीय विद्युत योजना और टैरीफ नीति तैयार करेगी।
- पन विद्युत उत्पादन को छोड़कर अन्य सभी विद्युत उत्पादन लाइसेंस मुक्त कर दिए गए हैं और कैप्टिव उत्पादन को व्यापक रूप से उदारीकृत बना दिया गया है।
- पन परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- पारे-ण में निजी लाइसेंस धारकों के लिए प्रावधान तथा एक स्वतंत्र नेटवर्क के माध्यम से वितरण की सम्भावना का प्रावधान।
- केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर पारे-ण उपयोगिता एक सरकारी कम्पनी होगी जो पारे-ण नेटवर्क के सुनियोजित और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार होगी।
- पारे-ण में शुरु से ही मुक्त सुलभता।
- वितरण में मुक्त सुलभता चरणों में प्रदान की जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन और वितरण पूरी तरह लाइसेंस मुक्त किया जाए।
- एक ही क्षेत्र में अनेक पारे-ण और वितरण लाइसेंस धारकों के लिए प्रावधान।
- व्यापार को एक स्वतंत्र क्रियाकलाप के रूप में मान्यता देना। यदि आवश्यक हो तो विनियामक आयोग व्यापारिक लाभ की ऊपरी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।
- सी.ई.आर.सी. तथा एस.ई.आर.सी. के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान।
- विद्युत की चोरी के लिए प्रावधान और अधिक कठोर बना दिए गए हैं।

13. राज्य स्तर पर राज्य विद्युत बोर्डों के उत्पादन, पारे-ण और वितरण की स्वतंत्र इकाइयों के रूप में पृथक्करण के माध्यम से विद्युत क्षेत्र सुधार जारी है। इसके फलस्वरूप एक लाभ केन्द्र के रूप में

प्रत्येक क्रियाकलाप के दक्षता स्तरों का मूल्यांकन करना और प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना संभव हो गया है।

14. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है। आयोग ने उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा ग्रिड अनुशासन सहित अनेक प्रमुख आदेश जारी किए हैं। जम्मू तथा कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा को छोड़ शेष सभी राज्यों ने एस.ई.आर.सी. की स्थापना कर ली है अथवा अधिसूचित कर दी है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु तथा असम में स्थित एस.ई.आर.सी. सहित पंद्रह एस.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

15. उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम तथा दिल्ली सहित नौ राज्यों ने अपने राज्य विद्युत सुधार अधिनियम बना लिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एस.ई.बी. के पृथक्करण/निगमीकरण, एस.ई.आर.सी. की स्थापना आदि का प्रावधान है। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली के राज्य विद्युत बोर्ड पृथक्करण/निगमित किए जा चुके हैं। उड़ीसा और दिल्ली राज्यों के विद्युत बोर्डों के पृथक्करण के बाद स्थापित वितरण कम्पनियों का निजीकरण किया जा चुका है।

16. विद्युत मंत्रालय ने चरणबद्ध रूप में सुधार करने के प्रयोजन से मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ शेष सभी राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.)/सहमति ज्ञापनों (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/सहमति ज्ञापनों में, दो चरणों में, अर्थात् (i) 11 के.वी. फीडरों, और (ii) सभी उपभोक्ताओं के लिए समयबद्ध ढंग से मीटर लगाए जाने का प्रावधान है। सहमत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मानीटरन किया जा रहा है।

17. 11 राज्यों द्वारा 11 के.वी. फीडरों के लिए शत प्रतिशत मीटर लगाए जा चुके हैं तथा 5 राज्यों के मामले में यह काम पूरा होने को है। तथापि 13 राज्यों, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा सिक्किम में 11 के.वी. फीडरों की दिशा में प्रगति 75% से कम रही है। उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाए जाने का काम पांच राज्यों में पूरा हो चुका है तथा अन्य पांच राज्यों में पूरा होने को है। तथापि छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड और सिक्किम जैसे राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाए जाने की दिशा में प्रगति 75% से कम है।

18. विद्युत मंत्रालय, कोयला विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रेल मंत्रालय के अधीन सी.पी.एस.यू. को देय एस.ई.बी. की बकाया राशि (30.9.2001 की स्थिति के अनुसार) के प्रतिभूतिकरण सम्बन्धी राज्य सरकार बंधपत्र हाल ही में जारी किए जा चुके हैं। चार पूर्वोत्तर राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा ने अपनी बकाया के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय करारों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। योजना के अधीन यह जरूरी है कि योजना में शामिल चूककर्ता राज्य भविष्य में अपनी चालू देयताओं का भुगतान करेंगे।

त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी. तथा एस.पी.) योजना

19. नौवीं योजना की अवधि के दौरान ए.जी. तथा एस.पी. योजना आरम्भ की गई थी। यह स्कीम राज्य बिजली बोर्डों/राज्यों और केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं को ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। निम्न सुधारों के साथ ए.जी. तथा एस.पी. योजना को अब दसवीं योजना तक बढ़ा दिया गया है :-

- क) वित्तपो-नण के लिए पात्रता को सुधार से सहमत न्यूनतम मीलपत्थर के नि-पादन के साथ जोड़ दिया गया है।
- ख) ब्याज सब्सिडी 4% से 3% तक कम कर दी गई है।
- ग) योजना के अंतर्गत सहायता के लिए कार्य क्षेत्र केवल राज्य क्षेत्रक उत्पादन और आर. तथा एम. परियोजनाओं तक ही सीमित है।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)

20. क्षेत्रक नि-पादन के सुधार के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम की एक योजना वित्तीय वर्ग (2000-01) में शुरू की गई थी। उपलब्ध वित्तपो-नण की उपयोगिता में सुधार लाने तथा वित्त पो-नण को समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी.सी.) क्षतियों में कमी लाने के माध्यम से उपयोगिताओं को लाभकारी बनाने के प्रति लक्षित वितरण सुधारों के साथ जोड़ने के निमित्त ए.पी.डी.पी. स्कीम 2002-03 में संशोधित की गई थी। संशोधित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अधीन वित्तपो-नण नए निवेशों और प्रोत्साहन भुगतानों में समान रूप से विभाजित हैं। प्रोत्साहन भुगतानों को पूरी तरह, ए.टी.सी. क्षतियों में सम्बन्धित उपयोगिताओं के मामले में इस प्रकार की क्षतियों के 2000-01 के स्तर की तुलना में वास्तविक गिरावट के साथ जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन वितरण निवेशों के फलस्वरूप चुनिन्दा क्षेत्रों में निर्धारणयोग्य वास्तविक तथा वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकें।

जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण (आर. एण्ड एम.)

21. दसवीं योजना में कुल मिलाकर लगभग 10,413 मेगावाट क्षमता वाली 106 पुरानी तापीय इकाइयां, 9200 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य पर जीवन अवधि विस्तार (एल.ई.) कार्य के लिए अभिज्ञात की गई हैं। इन 106 इकाइयों में से 59 इकाइयों के मामले में अवशि-ट जीवन अवधि निर्धारण अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। एल.ई. योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद इकाइयों के नि-पादन में समग्र सुधार के अलावा इनकी आर्थिक प्रचालन जीवन अवधि में 15-20 वर्षों की वृद्धि भी हो जाएगी। साथ ही तापीय संयंत्रों में आर. एण्ड एम. कार्य के लिए राज्य क्षेत्रक में 35 इकाइयां (6440 मेगावाट) और केन्द्रीय क्षेत्रक (एन.टी.पी.सी.) में 25 इकाइयां (7460 मेगावाट) अभिज्ञात की गई हैं ताकि उनके नि-पादन में सुधार लाया जा सके। आर. एण्ड एम. तथा पन विद्युत स्कीमों के उन्नयन के लिए दसवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक के अधीन 10 स्कीमों और राज्य क्षेत्रक के अधीन 62 स्कीमों सहित 72 स्कीमों अभिज्ञात की गई हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8139.05 मेगावाट है। आशा है कि इन पन विद्युत इकाइयों से 2733.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2886.62 मेगावाट का लाभ होगा। आगे वर्णित स्कीमों कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

22. दसवीं योजना के पहले वर्न, अर्थात वार्षिक योजना (2002-03) के सम्बन्ध में 851.75 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 13 पन विद्युत स्कीमें (केन्द्रीय क्षेत्रक में 1 + राज्य क्षेत्रक में 12) 479.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पूरा करने के लिए ली गई। आशा की गई थी कि इन स्कीमों से 425.25 मेगावाट का लाभ होगा। 2002-03 की इन स्कीमों में से 838.80 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 11 स्कीमें 445.29 करोड़ रुपए की लागत पर 30 जून 2003 तक पूरी कर ली गई थी। आशा है कि इन स्कीमों से 349 मेगावाट का लाभ होगा।

योजना परिव्यय

23. विद्युत क्षेत्र (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित) में, वर्न 2002-03 के दौरान 32,757 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कुल व्यय लगभग 30,181 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तालिका 5 में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रक दोनों के लिए 2001-02 तथा 2002-03 के परियोजना व्यय तथा 2003-04 के लिए अनुमानित परिव्यय संक्षेप में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक राज्य और सी.पी.एस.यू. के लिए विस्तृत परिव्यय संलग्नक VI में दिए गए हैं।

तालिका 5
वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

	2001-2002 वास्तविक	2002-03		2003-04 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	13555.19	17264.79	16675.02	अभी अन्तिम रूप दिया जाना है
केन्द्रीय क्षेत्रक	11624.80	15491.72	13505.97	18116.06
योग (अखिल भारत)	25179.99	32756.51	30180.99	अन्तिम रूप दिया जाना है

24. पूर्वोत्तर परिन्द (एन.ई.सी.) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्रक विकास के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग तालिका 6 में दर्शाया गया है। 2002-03 में उपयोगिता मुख्यतः इस कारण न्यून रही कि एन.ई.ई.पी.सी.ओ. द्वारा कार्यान्वित दो प्रमुख विद्युत उत्पादन परियोजनाओं ने वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्थाएं की थीं।

तालिका 6
अन्य प्रावधानों का प्रयोग

(करोड़ रुपए)

	2001-2002 वास्तविक व्यय	2002-03		2003-04 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	
पूर्वोत्तर परिन्द के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का विद्युत घटक	328.62	154.31	44.00	9.00

विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

25. विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रबंध व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी सहायता का वर्नवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7

वर्न 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान वर्नवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग
(करोड़ रुपए)

वर्न	आबंटन	उपयोगिता	(%) उपयोगिता
2001-02			
केंद्रीय क्षेत्रक	1675.43	2336.09	139.43
राज्य क्षेत्रक	2392.14	1651.67	69.05
योग	4067.57	3987.67	98.04
2002-03			
केंद्रीय क्षेत्रक	1450.05	1225.72	84.53
राज्य क्षेत्रक	2400.59	2059.23	85.78
योग	3850.64	3284.95	85.31

26. विद्युत परियोजनाओं के मामले में विदेशी सहायता के गैर-उपयोग के कारकों में से कुछ परियोजना प्रबंधन में कमी तथा निर्माण कार्य में विलम्ब होना है।

शून्य आधारित बजट निर्माण (जेड.बी.बी.)

27. विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के लिए शून्य आधारित बजट प्रक्रिया योजना आयोग द्वारा मंत्रालय के परामर्श से वार्षिक योजना (2002-03) में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य था विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अभिसरण, संशोधनों सहित/के बिना प्रतिधारण, राज्यों को अन्तरण और छंटाई की सिफारिशें करना। 'विद्युत वित्त निगम सभिसिडी' सम्बन्धी जिस स्कीम की जेड.बी.बी. के समय छंटाई कर दी गई थी, उसे बाद में दसवीं योजना अवधि के दौरान न्यून ब्याज युक्त सभिसिडी सहित जारी रखने की मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार वार्षिक योजना (2003-04) के दौरान प्रतिधारित स्कीमों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। जेड.बी.बी. स्कीमों का एक सार तालिका 8 में प्रस्तुत किया गया है। स्कीम-वार ब्योरे संलग्नक VII में दर्शाए गए हैं।

तालिका 8
जैड.बी.बी. स्कीमों का सार

क्रम.सं.	स्वैणी	स्कीमों की संख्या	
		केन्द्रीय	सी.एस.एस.
1	प्रतिधारित की जाने वाली स्कीमें	6	शून्य
2	विलय की जाने वाली स्कीमें	3/8	शून्य
3	समाप्त की जाने वाली स्कीमें	9	1
	नौवीं योजना की कुल स्कीमें	23	1
	दसवीं योजना में जारी रहने वाली स्कीमें	9	शून्य

ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) कार्यक्रम :

2002-03 के लिए आर.ई. कार्यक्रम की समीक्षा

28. गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अधीन 360.66 करोड़ रुपए और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) घटक के अधीन 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इसके अलावा कुटीर ज्योति स्कीम के अधीन समाज के गरीब वर्गों के परिवारों के लिए बिजली के एकल प्वाइंट संयोजनों के विस्तार के निमित्त विद्युत मंत्रालय के बजट में अनुदान के रूप में 90 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2002-03 के दौरान 12,363 गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 3662 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। कुल मिलाकर 3.36 लाख सिंचाई पम्पसेट विद्युत चालित बनाए गए जबकि लक्ष्य 2.42 लाख पम्पसेटों का था। विद्युतीकृत गांवों में लोड तीव्रीकरण और व्यवस्थागत सुधार क्रियाकलाप भी किए गए जिसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा प्रदत्त उदारीकृत निधियों का प्रयोग किया गया।

2003-04 के लिए आर.ई. कार्यक्रम

29. आर.ई. कार्यक्रम के लिए 2003-04 में पी.एम.जी.वाई. के अधीन 300 करोड़ रुपए, एम.एन.पी. के अधीन 600 करोड़ रुपए और कुटीर ज्योति के अधीन 90 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 2003-04 के लिए वास्तविक लक्ष्य 12,328 गांवों का विद्युतीकरण करना तथा 2.42 लाख पम्पसेटों को विद्युत चालित बनाना रखा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा तैयार की गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2003 की स्थिति के अनुसार 85 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 16584 पम्पसेट विद्युत चालित बना दिए गए हैं। आर.ई.सी. के वित्तपोषण से लोड विकास और व्यवस्थागत सुधार सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।

ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोत

30. ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों का कार्यक्रम गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन, नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन शामिल है। भारतीय नवीकरणीय

ऊर्जा विकास एजेंसी, जो कि एम.एन.ई.एस के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक वित्तीय संस्थान है, लक्ष्यों को सहयोग प्रदान करता है। एम.एन.ई.एस. की ग्रामीण ऊर्जा पहल, ग्रामीण परिवारों में खाना पकाने, प्रकाश तथा तापन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार की गई है। एम.एन.ई.एस. के विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में पवन विद्युत, लघु पन, बायोमास आधारित उत्पादन, सह-उत्पादन, सौर तापीय, सौर फोटोवोल्टायक तथा शहरी और औद्योगिक अपशि-ट परिवर्तन में निवेश शामिल हैं। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 3955 मेगावाट तक पहुंच गया था जो कि कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 3.7% बैठता है। इसमें से पवन विद्युत का हिस्सा 1870 मेगावाट (47%) था जिसके बाद 1519 मेगावाट (40%) सहित लघु पन का और उसके बाद 537 मेगावाट (14%) बायोमास (सह-उत्पादन सहित) का स्थान आता है। नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता और वास्तविक उपलब्धि संलग्नक VIII में प्रस्तुत है।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

31. एम.एन.ई.एस. के लिए 2002-03 के सम्बन्ध में वित्तीय परिव्यय तालिका 9 में दर्शाया गया है। परिव्यय में आई.आर.ई.डी.ए. के लिए इक्विटी सहायता सहित एम.एन.ई.एस. के अधीन संस्थान के लिए प्रावधान शामिल हैं। प्रमुख कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां संलग्नक IX में दी गई हैं।

तालिका 9
2002-03 के लिए वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
घरेलू बजटीय सहायता (डी.बी.एस.)	476.00	370.46
योजना में विदेशी सहायता (ई.ए.पी.)	149.00	98.00
सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.)	625.00	468.46
आई.ई.बी.आर.	476.48	419.98
कुल परिव्यय	1101.48	888.44

वार्षिक योजना 2003-04

32. एम.एन.ई.एस. का कुल परिव्यय तालिका 10 में दर्शाया गया है। 625.00 करोड़ रुपए की जी.बी.एस. में एम.एन.ई.एस. के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन उपयोग के निमित्त पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को आबंटित 10% की राशि शामिल है। 2003-04 के लिए तय किए गए वास्तविक लक्ष्यों में ये शामिल हैं : परिवार के आकार के 1.50 लाख बायोगैस संयंत्र, 53,000 घरेलू प्रकाश प्रणालियां, 600 सौर जेनरेटर, 0.45 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्र, 1600 एस.पी.वी. पम्प, 250 मेगावाट पवन विद्युत, 125 मेगावाट बायोमास विद्युत, 5 मेगावाट क्षमता की बायोमास गैसीफायर प्रणालियां, 80 मेगावाट लघु पन विद्युत तथा शहरी और ग्रामीण अपशि-ट से 13.30 मेगावाट के समतुल्य क्षमता।

तालिका 10
2003-04 के लिए वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बजट अनुमान
घरेलू बजटीय सहायता (डी.बी.एस.)	449.50
योजना में विदेशी सहायता (ई.ए.पी.)	175.50
सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.)	625.00
आई.ई.बी.आर.	458.14
कुल परिव्यय	1083.14

शून्य आधारित बजट प्रक्रिया (जेड.बी.बी.)

33. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) के संदर्भ में दसवीं योजना के आरम्भ में शुरू की गई विस्तृत प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि स्कीमों की संख्या जो कि 35 थी, उसमें भारी गिरावट आकर वह 11 रह गई। कई स्कीमों का विलय कर दिया गया, दो स्कीमों राज्यों को अन्तर्गत कर दी गईं और एक स्कीम समाप्त कर दी गई। प्रथम जेड.बी.बी. प्रक्रिया के वास्तविक अनुभव की समीक्षा करने के बाद ही और आगे जेड.बी.बी. प्रक्रिया कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.)

34. एम.एन.ई.एस. की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रीय क्षेत्रक व्यय के हिस्से के ब्योरे संलग्नक X में दिए गए हैं। दसवीं योजना के आरम्भ में शुरू की गई शून्य आधारित बजट (जेड.बी.बी.) प्रक्रिया के आधार पर दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए निम्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों प्रतिधारित कर ली गई हैं।

बायोगैस विकास सम्बन्धी रा-द्रीय योजना (एन.पी.बी.डी.)

35. एन.पी.बी.डी. कार्यक्रम के अधीन वित्त की व्यवस्था केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में की जाती है, जिसके जरिए पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की लगभग 25-30% लागत की पूर्ति कर ली जाती है। शेन लागत लाभग्राही द्वारा इक्विटी अथवा बैंकों या राज्य सरकारों के रियायती ऋणों के माध्यम से वहन की जाती है। दसवीं योजना में एन.पी.बी.डी. को एकल परिवार दृष्टिकोण की बजाय संशोधित समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपना कर कार्यान्वित किया जा रहा है। मंशा यह है कि ऐसे समुदाय आधारित संयंत्र स्थापित किए जाएं जो कि समूचे समुदाय की मांगे पूरी करते हों।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)

36. आई.आर.ई.पी. केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक घटकों सहित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय घटक का उद्देश्य एकीकृत ब्लाक स्तरीय ऊर्जा योजनाएं और परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित करने के लिए क्षमताएं विकसित करना है। राज्य स्तर पर आई.आर.ई.पी. परियोजना सेलों के लिए तथा चुनिन्दा आई.आर.ई.पी. ब्लाकों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण और विस्तार कार्य के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान

की जाती है। राज्य योजना घटक का प्रयोग आई.आर.ई.पी. ब्लाक ऊर्जा योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा विशिष्ट परियोजनाओं, निदर्शन क्रियाकलापों तथा विभिन्न ऊर्जा उपकरणों की प्रभावी लागत कम करने के निमित्त प्रोत्साहनों के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम सम्प्रति कुल 860 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

एस.पी.वी. निदर्शन कार्यक्रम

37. एस.पी.वी. निदर्शन कार्यक्रम परिवारों के लिए सौर प्रकाश प्रणालियों की लागत के 50% तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम 1992-93 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन राज्य नोडल एजेंसियों तथा चुनिन्दा एन.जी.ओ. के माध्यम से सौर पी.वी. लालटेन, सौर पी.वी. घरेलू प्रकाश, सौर गली प्रकाश तथा सौर विद्युत संयंत्र वितरित किए जाते हैं।

लघु पन विद्युत कार्यक्रम

38. लघु पन विद्युत कार्यक्रम एम.एन.ई.एस. द्वारा फरवरी 1989 में शुरू किया गया था। आरम्भ में एम.एन.ई.एस. की भूमिका 3 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिनके सम्बन्ध में एम.एन.ई.एस. सब्सिडी के रूप में लागत का 50% हिस्सा प्रदान करता था। शेष 50% हिस्सा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जुटाया जाता था। इस कार्यक्रम पर अधिक बल तथा केन्द्रित ध्यान देने के उद्देश्य से राज्य क्षेत्रक में कार्यान्वित की जाने वाली 3-25 मेगावाट क्षमता की लघु पन परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी 29.11.1999 से एम.एन.ई.एस. को अन्तरित कर दी गई। इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं को राज्य क्षेत्रक में कार्यान्वित राज्य परियोजनाओं अथवा निजी क्षेत्र में कार्यान्वित वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य परियोजनाओं को लागत के 50% तक का हिस्सा अभी भी एम.एन.ई.एस. से प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है जबकि वाणिज्यिक परियोजनाओं को निवेशकों द्वारा जुटाए गए ऋणों पर केवल ब्याज सब्सिडी ही प्राप्त होती है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में एक मेगावाट तक की लघु परियोजनाओं के लिए एम.एन.ई.एस. स्वयं अपनी निधियों में से 90% तक की लागत वहन करता है।

2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 (उपयोगिताएं) में ऊर्जा उत्पादन

वर्ष	प्रकार	क्षेत्र					अखिल भारत	
		उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	उ. पूर्वी		

2001-2002								
	हाइड्रो		29233	7796	26917	7828	2166	73940
	थर्मल	वास्तविक	113787	150960	98408	55748	3084	421987
	न्यूक्लियर		8006	6073	5241	-	-	19320
	योग		151026	164829	130566	63576	5250	515247
	हाइड्रो		31248	9382	31329	7197	3658	82814
	थर्मल	लक्ष्य	118127	155073	110584	58330	3444	445558
	न्यूक्लियर		7280	5800	4100	-	-	17180
	योग		156655	170255	146013	65527	7102	545552
2002-2003								
	हाइड्रो		30154	8045	18482	4488	2604	63773
	थर्मल	वास्तविक	116699	156789	112281	59925	2751	448445
	न्यूक्लियर		8629	6203	4380	-	-	19212
	योग		155482	171037	135143	64413	5355	531430
2003-2004								
	हाइड्रो		35236	9260	28405	6614	3535	83050
	थर्मल	लक्ष्य	121714	162167	119571	65631	3567	472650
	न्यूक्लियर		7390	5340	4470	-	-	17200
	योग		164340	176767	152446	72245	7102	572900

वर्ष 2002-03 के दौरान थर्मल पावर संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर

क्रम. सं.	एस.ई.बी./संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
राज्य क्षेत्र			
1	2	3	4
1	डी.वी.बी./जेनको	52.50	43.60
2	एच.पी.जी.सी	62.40	66.60
3	आर.आर.वी.यू.एन.एल	83.20	88.40
4	पी.एस.ई.बी.	75.40	73.50
5	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल	60.30	61.10
6	जी.ई.बी.	69.10	66.70
7	जी.एस.ई.सी.एल.	82.90	92.50
8	एम.एस.ई.बी.	74.70	72.00
9	एम.पी.ई.बी.	70.10	73.10
10	सी.एस.ई.बी.	73.00	69.90
11	ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	83.40	89.40
12	टी.एन.ई.बी.	79.70	81.00
13	के.पी.सी.एल	82.90	90.40
14	बी.एस.ई.बी.	14.90	11.30
15	झारखंड	11.10	18.20
16	तेनूघाट V	39.40	37.10
17	ओ.पी.जी.सी.	81.50	70.80
18	डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.*		
19	डब्ल्यू.बी.पी. डेव कॉ	55.10	54.80
20	डी. पी. एल.	41.00	43.10
21	ए.एस.ई.बी	17.30	14.80
	औसत: एस.ई.बी. का	68.20	68.70
	* बंदेल एवं सांतादही 1-7-2001 से डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी. को स्थानांतरित हो गए।		
केन्द्रीय क्षेत्र			
1	एन.टी.पी.सी. कुल	79.90	82.10
2	बदरपुर	84.20	85.60
3	नायवेली	76.70	82.40
4	डी.वी.सी.	38.50	38.90
	औसत : केन्द्रीय क्षेत्र	74.80	77.10
निजी सेक्टर (उपयोगिताएं)			
1	ए.ई. कं./साबरमती	82.30	86.60
2	ट्राम्बे (टाटा)	68.50	78.80
3	सी.ई.एस.सी/टीटागढ़	71.60	71.00
4	बी.एस.ई.एस. कं.	85.00	88.80
	औसत: निजी (उपयोगिताएं)	74.00	78.90
	औसत: अखिल भारत	70.80	72.10

संलग्नक - 11.2.3

वर्ष 2002-2003 के दौरान चालू/रोल की गई उत्पादन इकाइयां

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (मे.वा.)	तारीख
उत्तरी क्षेत्र								
1	प्रगति सी.सी.जी.टी.	जी.टी-2	थर्मल	राज्य	दिल्ली	पी.पी.सी.एल.	104.60	9.11.2002
2	प्रगति सी.सी.जी.टी.	एस.टी.	थर्मल	राज्य	दिल्ली	पी.पी.सी.एल.	121.20	31.01.2003
3	रामगढ़ सी.सी.जी.टी. स्टेशन-II	जी.टी-2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आर.आर.वी.यू. एन.एल.	37.50	7.8.2002
4	रामगढ़ सी.सी.जी.टी. स्टेशन-II	एस.टी.	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आर.आर.वी.यू. एन.एल.	37.80	31.03.2003
5	बास्पा-II	यू-1	हाइड्रो	निजी	हिमाचल प्रदेश	जे.पी.एच.पी.एल.	100.00	18.03.2002
6	बास्पा-II	यू-2	हाइड्रो	निजी	हिमाचल प्रदेश	जे.पी.एच.पी.एल.	100.00	19.03.2002
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	0.00	200.00	200.00			
	खर्मल	0.00	301.10	0.00	301.10			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (उ.क्षे.)	0.00	301.10	200.00	501.10			
पश्चिमी क्षेत्र								
1	सरदार सरोवर सी.एच.पी.एच.	2 से 3	हाइड्रो	राज्य	गुजरात/ मध्य प्रदेश / महाराष्ट्र	एस.एस. एन.एल.	100.00	04.09.2002
2	बनसागर टोन्स चरण II	2	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एम.पी.ई.बी.	15.00	20.08.2002
3	बनसागर टोन्स चरण III	3	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एम.पी.ई.बी.	20.00	24.08.2002
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	135.00	0.00	135.00			
	खर्मल	0.00	0.00	0.00	0.00			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (प.क्षे.)	0.00	135.00	0.00	135.00			
दक्षिणी क्षेत्र								
1	सिमहाद्री	2	थर्मल	केन्द्रीय	आन्ध्र प्रदेश	एन.टी.पी.सी.	500.00	24.08.2002
2	नेवेली एफ.एस.टी. एक्स्टेंशन	1	थर्मल	केन्द्रीय	तमिलनाडु	एन.एल.सी.	210.00	21.10.2002
3	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.	4	हाइड्रो	राज्य	आन्ध्र प्रदेश	ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	150.00	26.11.2002
4	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.	5	हाइड्रो	राज्य	आन्ध्र प्रदेश	ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	150.00	28.03.2003

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (मे.वा.)	तारीख
5	पेदापुरम सी.सी.जी.टी.	एस.टी.	थर्मल	निजी	आन्ध्र प्रदेश	बी.एस.ई.एस.ए.पी.पी.एल.	78.00	12.09.2002
6	रायचुर टी.पी.पी.	7	थर्मल	राज्य	कर्नाटक	के.पी.सी.एल.	210.00	11.12.2002
7	वालुथुर सी.सी.जी.टी.	जी.टी.	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टी.एन.ई.बी.	60.00	24.12.2002
8	वालुथुर सी.सी.जी.टी.	एस.टी.	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टी.एन.ई.बी.	34.00	13.03.2003
9	नेवेली टी.पी.एस.	0	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	एस.सी.एम.एस.ई.सी.ओ.	250.00	11.10.2002
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	300.00	0.00	300.00			
	खर्मल	710.00	304.00	328.00	1342.00			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (द.क्षे.)	710.00	604.00	328.00	1642.00			
पूर्वी क्षेत्र								
1	तलचर अवस्था II	3	थर्मल	केन्द्रीय	उड़ीसा	एन.टी.पी.सी.	500.00	04.01.2003
2	पोट्टेरु चरण I	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओ.एच.पी.सी.	3.00	30.06.2002
3	पोट्टेरु चरण II	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओ.एच.पी.सी.	3.00	30.06.2002
4	बैम्बूप्लैट डी.जी.	1	थर्मल	निजी	अण्डमान निकोबार द्वीप	सूर्य पावर	5.00	फरवरी 2003
5	बैम्बूप्लैट डी.जी.	2	थर्मल	निजी	अण्डमान निकोबार द्वीप	सूर्य पावर	5.00	जून, 2002
6	बैम्बूप्लैट डी.जी.	3	थर्मल	निजी	अण्डमान निकोबार द्वीप	सूर्य पावर	5.00	फरवरी 2003
7	बैम्बूप्लैट डी.जी.	4	थर्मल	निजी	अण्डमान निकोबार द्वीप	सूर्य पावर	5.00	जून 2002
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	6.00	0.00	6.00			
	खर्मल	500.00	0.00	20.00	520.00			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (पू.क्षे.)	500.00	6.00	20.00	526.00			
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1	लीमाखोंग डी.जी.	4	थर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत विभाग	6.00	10.04.2002
2	लीमाखोंग डी.जी.	5	थर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत विभाग	6.00	16.04.2002
3	लीमाखोंग डी.जी.	6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत विभाग	6.00	12.04.2002
4	रोकिया जी.टी. एक्सटेंशन चरण II	7	थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	विद्युत विभाग	21.00	11.07.2002
5	बारामूरा जी.टी. एक्सटेंशन	जी.टी.	थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	विद्युत विभाग	21.00	27.11.2002

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (मे.वा.)	तारीख
6	लीकिम-रो	3	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत विभाग	8.00	07.04.2002

		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	8.00	0.00	8.00			
	थर्मल	0.00	60.00	0.00	60.00			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0.00	68.00	0.00	68.00			
योग अखिल भारत								
(अखिल भारत)								
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	449.00	200.00	649.00			
	थर्मल	1210.00	665.10	455.30*	2330.40			
	न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (अखिल भारत)	1210.00	1114.10	655.30	2979.40			

* 107.3 मेगावाट की पवन उत्पादन क्षमता (निजी क्षेत्र के अधीन) भी शामिल की गई ।

संलग्नक - 11.2.4

2002-2003 के कार्यक्रम से छूट गई उत्पादन इकाइयां

क्रम सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेन्सी	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नायवेली एफएसटी विस्तार	2	थर्मल	केन्द्रीय	तमिलनाडु	एन.एल.सी.	210.00
2	टिहरी चरण-1	4	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टी.एच.डी.सी.	250.00
3	ऐक्रीमोटा लिग्नाइट	1	थर्मल	राज्य	गुजरात	जी.एम.डी.सी.एल.	125.00
4	चनदील एलबीसी	1	हाइड्रो	राज्य	झारखंड	जे.एस.ई.बी.	4.00
5	चनदील एलबीसी	2	हाइड्रो	राज्य	झारखंड	जे.एस.ई.बी.	4.00
6	दाभोल सीसीजीटी चरण-II	इकाई संख्या I एवं II	थर्मल	निजी	महाराष्ट्र	दाभोल पावर	1444.00
योग		7 इकाई					2037.00

संलग्नक - 11.2.5

वर्ष 2003-04 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेन्सी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
उत्तरी क्षेत्र								
1	दुलहस्ती परियोजना एच.ई. परियोजना	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	जम्मू तथा कश्मीर	एनएचपीसी	130.00	दिसम्बर, 2003
2	दुलहस्ती परियोजना एच.ई. परियोजना	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	जम्मू तथा कश्मीर	एनएचपीसी	130.00	जनवरी, 2004
3	दुलहस्ती परियोजना एच.ई. परियोजना	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	जम्मू तथा कश्मीर	एनएचपीसी	130.00	फरवरी, 2004
4	नाथपा झाकारी	6	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	जून, 2003
5	नाथपा झाकारी	5	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	जुलाई, 2003
6	नाथपा झाकारी	4	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	सितम्बर, 2004
7	नाथपा झाकारी	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	नवम्बर, 2003
8	नाथपा झाकारी	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	जनवरी, 2004
9	नाथपा झाकारी	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनजेपीसी	250.00	मार्च, 2004
10	टिहरी अवस्था-I	4	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	दिसम्बर, 2003
11	टिहरी अवस्था-I	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	जनवरी, 2004

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेन्सी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
12	टिहरी अवस्था-I	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	फरवरी, 2004
13	टिहरी अवस्था-I	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	मार्च, 2004
14	चमेरा अवस्था-II	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	100.00	जून, 2003
15	चमेरा अवस्था-II	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	100.00	जुलाई, 2003
16	चमेरा अवस्था-II	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	100.00	अगस्त, 2003
17	सूरतगढ़ टी.पी.पी. अवस्था-II	5	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयू एनएल	250.00	जून, 2004
18	कोटा टी.पी.पी. अवस्था-IV	6	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयू एनएल	195.00	जुलाई, 2003
19	बास्या एच.ई. परियोजना	3	हाइड्रो	निजी	हिमाचल प्रदेश	जेपीएचपीएल	100.00	अप्रैल, 2003
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	3190.00	0.00	100.00	3290.00		
		खर्मल	0.00	445.00	0.00	445.00		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (उ.क्षे.)	3190.00	445.00	100.00	3735.00		
	पश्चिमी क्षेत्र							
1	इंदिरा सागर	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	एनएचडीसी	125.00	अक्टूबर, 2003
2	इंदिरा सागर	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	एनएचडीसी	125.00	दिसम्बर, 2003
3	धुवरण सीसीपीपी	जी.टी.	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीएसईसी एल	67.85	अप्रैल, 2003
4	धुवरण सीसीपीपी	एस.टी.	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीएसईसी एल	38.77	जून, 2003
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	250.00	0.00	0.00	250.00		
		खर्मल	0.00	106.62	0.00	106.62		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (प.क्षे.)	250.00	106.62	0.00	356.62		
	दक्षिणी क्षेत्र							
1	नेवेली टी.पी.एस.-I विस्तार	2	थर्मल	केन्द्रीय	तमिलनाडु	एनएलसी	210.00	जुलाई, 2003
2	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.	6	हाइड्रो	राज्य	आन्ध्र प्रदेश	एपीजीईएनसी ओ	150.00	अक्टूबर, 2002
3	कुट्टालम सी.सी.पी.पी.	जी.टी.	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	63.00	सितम्बर, 2003
4	कुट्टालम सी.सी.पी.पी.	एस.टी.	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	37.00	सितम्बर, 2003
5	पाइकेरा अल्टीमेट	1	हाइड्रो	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	50.00	मार्च, 2004
6	वेलमश्रीवी	जी.टी.	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	आर के ऊर्जा	52.80	मार्च, 2004
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	200.00	0.00	200.00		
		खर्मल	210.00	100.00	52.80	362.80		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग	210.00	300.00	52.80	562.80		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन कर्ता एजेन्सी	इकाई क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
		(द.क्षे.)						
	पूर्वी क्षेत्र							
1	तलचर एस.टी.पी.पी. अवस्था-II	4	थर्मल	केन्द्रीय	उड़ीसा	एनटीपीसी	500.00	नवम्बर, 2003
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	0.00	0.00	0.00		
		खर्मल	500.00	0.00	0.00	500.00		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (पू.क्षे.)	500.00	0.00	0.00	500.00		
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1	कोपिली अवस्था-II	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	असम	एनईईपीसीओ	25.00	जून, 2003
2	बैराबी डी.जी.पी.पी.	1 और 2	थर्मल	राज्य	मिजोरम	विद्युत विभाग	11.46	दिसम्बर, 2003
3	बैराबी डी.जी.पी.पी.	3 और 4	थर्मल	राज्य	मिजोरम	विद्युत विभाग	11.46	जनवरी, 2004
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	25.00	0.00	0.00	25.00		
		खर्मल	0.00	22.92	0.00	22.92		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	25.00	22.92	0.00	47.92		
	अखिल भारत							
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	3465.00	200.00	100.00	3765.00		
		खर्मल	710.00	674.54	52.80	1437.34		
		न्यूक्लीयर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग	4175.00	874.54	152.80	5202.34		

संलग्नक - 11.2.6

परिव्यय/व्यय - विद्युत क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2002-03	2003-04
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	अनुमोदित	स. अनु	अनुमोदित
1.	संघीय प्रदेश	1986.63	3924.79	2609.08	3502.69	2282.00	4501.00
2	संघीय क्षेत्र	1066403	180696	183692	292529	260039	3269.72
3.	संघीय प्रदेश	160382	182687	246120	3372.00	2577.00	2670.00
4.	संघीय क्षेत्र	129500	64.82	17038	246.66	973.62	1450.00
5.	संघीय प्रदेश	337.68	436292	49520	120980	1038757	924.29
6.	संघीय प्रदेश	753076	687.75	130033	65520	46829	758.05
7.	संघीय प्रदेश	298.29	745.65	982.05	392.26	792.22	414.49
8.	संघीय प्रदेश	1333400	366476	3585	26100	20000	0.00
9.	संघीय प्रदेश	194.63	260882	25607	20206	30900	0.00
10	संघीय प्रदेश	300.00	320.86	326.33	429.99	458.90	680.06
11	संघीय प्रदेश	7699.34	6553.91	9925805	1368300	11268036	14667.61
12	संघीय प्रदेश	1956524	928.94	1436300	1816300	1079.80	3170.00
13	संघीय प्रदेश	558.46	620.29	292.95	292.02	589.60	278.45
14	संघीय प्रदेश	8739394	7981281	1262480	19491762	13505997	18116.06
15	संघीय प्रदेश	21327.182	28265067	2860909	3286661	30380598	
16	संघीय प्रदेश	53.13	33.70	0.00	62.73	62.73	
17	संघीय प्रदेश	12.50	46.51	82.62	135.47	93.82	
18	संघीय प्रदेश	47.50	48.72	41.43	41.32	42.01	
19	संघीय प्रदेश	14.48	10.85	41.98	34.78	35.25	
20	संघीय प्रदेश	255.73	360.69	347.34	1003.27	678.27	
21	संघीय प्रदेश	626.64	711.72	507.61	782.69	782.69	
22	संघीय प्रदेश	763.63	1016.57	1151.19	1114.00	1286.00	
23	संघीय प्रदेश	37.60	30.75	33.89	41.20	42.20	
24	संघीय प्रदेश	1033.61	1221.92	1286.48	905.00	1424.70	
25	संघीय प्रदेश	18.20	18.32	20.97	44.43	44.43	
26	संघीय प्रदेश	1049.02	848.13	862.67	981.56	892.07	
27	संघीय प्रदेश		46.72	56.00	303.67	303.67	
28	संघीय प्रदेश	992.39	1791.92	917.42	1558.33	821.99	
	उपयोग (राज्य)	11964.32	14392.18	11955.74	15727.69	14942.89	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.24	33.59	24.63	32.00	32.00	
2.	चंडीगढ़	13.26	12.32	10.99	15.66	15.66	
3.	दादरा व नागर हवेली	11.00	12.91	14.85	18.88	18.88	
4.	दमन व दीव	13.55	12.30	14.23	19.24	19.24	
5.	दिल्ली	483.58	847.83	1504.42	1413.00	1610.58	
6.	लक्षद्वीप	2.21	2.27	2.73	10.78	10.78	
7.	पांडिचेरी	21.22	20.86	27.61	27.53	24.98	
	उप योग (संघ राज्य क्षेत्र)	574.06	942.08	1599.45	1537.10	1732.12	
	योग(राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)	12538.38	15334.26	13555.19	17264.79	16675.01	

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में शून्य आधारित बजट प्रक्रिया

क्रम सं.	स्कीम का नाम	9वीं योजना		विदेशी सहायता (हां या नहीं)	मंत्रालय/विभाग द्वारा		योजना आयोग के निर्णय
		परिव्यय (करोड़ रु.)	प्रत्या. व्यय (करोड़ रु.)		सिफारिशें	योजना आयोग	
	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें							
1	सैन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीच्यूट (सी.पी.आर.आई.)	100.00	68.40	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	चालू रखी जाए
2	ऊर्जा संरक्षण / ईएमसी	52.00	14.06	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	चालू रखी जाए
3	कुटीर ज्योति कार्यक्रम	200.00	247.68	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	चालू रखी जाए
4	नेशनल पावर ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (एनपीटीआई)	38.00	16.59	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 19 पर स्कीमों के साथ विलयन कर दिया जाए
5	पावर ग्रिड सहायता-अनुदान	2.00	40.00	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	जारी रखा जाए
6	संयुक्त बिजली विनियामक आयोग की स्थापना	2.84	0.50	नहीं	परिशोधन के साथ रखा जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
7	बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बीटीपीपी)	100.00	72.21	नहीं	ऐसे ही चालू रखा जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
8	फ्लैक्सीबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम	0.00	0.00	नहीं	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
9	टीपीएस के बेहतर कार्य नि-पादन/टीएण्ड डी हानियों में कमी पर प्रोत्साहन	22.00	31.27	नहीं	छंटाई कर दी जाए	छंटनी कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
10	पावर फाइनेंस कारपोरेशन	1233.00	1282.21	नहीं	परिशोधनों के साथ जारी रखी जाए	अभी कोई निर्णय नहीं	जारी रखा जाए
11	सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	120.00	108.60	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	अभी कोई निर्णय नहीं	छंटाई कर दी जाए
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण							
12	साफ्टवेयर पैकजों की खरीद	2.93	2.01	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	(क्रम सं. 12 तथा 13 पर दी गई स्कीमों को विलयन कर दिया जाए)
13	के.वि.प्रा. में प्रौद्योगिकी सुधार	6.24	2.52	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 12 के साथ जारी रखा जाए	
14	क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को मजबूत बनाना	14.18	5.74	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	जारी रखा जाए

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में शून्य आधारित बजट प्रक्रिया

क्रम सं.	स्कीम का नाम	9वीं योजना		विदेशी सहायता (हां या नहीं) सिफारिशें	मंत्रालय/विभाग द्वारा		योजना आयोग के निर्णय
		परिव्यय (करोड़ रु.)	प्रत्या. व्यय (करोड़ रु.)		सिफारिशें	योजना आयोग	
15	विद्युत उत्पादन में वृद्धि - पेजर स्कीम	0.72	0.51	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	ऐसे ही रखा जाए	(क्रम सं. 15 से 17 की स्कीमों को विलय कर दिया जाए)
16	तापीय विद्युत केन्द्रों का परियोजना अनुसंधान मानीटरन	0.61	0.16	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 15 के साथ विलय किया जाए	
17	थर्मल पावर स्टेशनों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	8.89	8.95	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 15 के साथ विलय किया जाए	
18	पावर सिस्टम ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट स्टेज-II	5.22	5.11	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 4 पर विद्युत मंत्रालय की एन.पी.टी. आई. के साथ विलय किया जाए	क्रम सं. 18 तथा 19 पर स्कीमों को क्रम सं. 4 की स्कीम के साथ विलय किया जाए।
19	हॉट लाइन ट्रेनिंग सैन्टर स्टेज-II	5.66	4.12	नहीं	ऐसे ही रखा जाए	क्रम सं. 4 पर विद्युत मंत्रालय की एन.पी.टी. आई. के साथ विलय किया जाए	
20	चुनिन्दा टीपीएस में गौण ईंधन तेल खपत में कमी के लिए ऊर्जा जांच और अध्ययन	0.28	0.11	नहीं	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
21	लोड डिस्पैच स्टेशन (स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण) ई.आर.एल.डी.सी., कोलकाता	0.55	0.82	नहीं	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
22	पन विकास में प्रौद्योगिकी अन्तरण	16.10	22.43	हां	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए
23	योजना मॉडलों को अद्यतन बनाना	12.83	8.98	हां	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए

संलग्नक - 11.2.7 जारी.

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों (सीएसएस) के संबंध में शून्य आधारित बजट प्रक्रिया

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें							
1	अन्तर्राज्यीय पारे-गण लाइनें	6.00	11.82	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं	छंटाई कर दी जाए	छंटाई कर दी जाए

संलग्नक - 11.2.8

गैर-पारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

कार्यक्रम	वास्तविक		वित्तीय (करोड़ रु.)	
	लक्ष्य	दिसम्बर 2002 तक की उपलब्धि	लक्ष्य	दिसम्बर 2002 तक की उपलब्धि
बायोगैस	1.50 (लाख संख्या)	0.704	59.50	20.00 (31.1.03)
सुधरे चूल्हे	1.70 (लाख संख्या)	1.29	0.10	3.00 (सं.अ.)
ग्राम विद्युतीकरण	500 (संख्या)	379 गांव तथा 41 पुरवे	75.00	2.28
एस.पी.वी. घरेलू प्रकाश	50,000 (संख्या)	20687	58.00	19.17
एस.पी.वी. विद्युत संयंत्र	500 (के.डब्ल्यू.पी.)	39		
एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइट्स		1250 (संख्या)		
सौर लालटेनें	40000	8663 (संख्या)		
वायु विद्युत	200 (मेगावाट)	74	18.56	9.60
लघु पन	80 (मेगावाट)	25.5	28.00	28.00 (प्रत्या.)
बायोमास सहउत्पादन	100 (मेगावाट)	74	19.28	6.60
ऊर्जा के लिए अपशि-ट	10 (मेगावाट)	1.30	19.00	11.00 (प्रत्या.)

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा संभावना और उपलब्धियां
(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभावना	उपलब्धि
ए.	नवीकरणीय से विद्युत		
1.	सौर-फोटोवोल्टाइक विद्युत	-	2.50 मेगावाट
2.	पवन-विद्युत	45,000 मेगावाट	1870.00 मेगावाट
3.	लघु पन विद्युत (25 मेगावाट तक)	15,000 मेगावाट	1519.28 मेगावाट
4.	बायोमास विद्युत सहउत्पादन	19,500मेगावाट *	483.90 मेगावाट
5.	बायोमास गैसीफायर		53.40 मेगावाट
6.	अपशि-ट से ऊर्जा प्राप्ति	1,700 मेगावाट	25.80 मेगावाट
	नवीकरणीय से विद्युत (योग)	81,200 मेगावाट	3954.88 मेगावाट
बी.	विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां		
7	परिवार के आकार के बायोगैस संयंत्र	120 लाख	35.24 लाख
8	सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी संयंत्र	-	3902 संख्या
9	सुधरे हए चूल्हे	12 करोड़	3.52 करोड़
10	सौर-फोटोवोल्टाइक प्रणालियां	20 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर	
	i. सौर स्ट्रीट प्रकाश प्रणालियां	-	43474 संख्या
	ii. घरेलू प्रकाश प्रणालियां	-	235162 संख्या
	iii सौर लालटेनें	-	441481 संख्या
	iv. एसपीवी विद्युत संयंत्र	-	1391 केडब्ल्यूपी
11	सौर जल तापन प्रणालियां	140 मिलियन वर्ग मीटर कलेक्टर क्षेत्र	0.70 मिलियन वर्ग मीटर, कलेक्टर क्षेत्र
12.	खाना पकाने की सौर प्रणालियां		
	i. सौर कुकर	-	540830 संख्या
	ii. खाना पकाने की सौर भाप प्रणालियां	-	6 संख्या
13.	सौर पी वी पम्प	-	5611 संख्या
14.	पवन पम्प	-	883 संख्या
15.	मिश्रित प्रणालियां	-	219.09 केडब्ल्यू
सी.	अन्य कार्यक्रम		
16.	आदित्य सोलर शाप्स	-	35 संख्या
17.	बैटरी चालित वाहन	-	300 संख्या
18.	ऊर्जा पार्क		
	i. जिला स्तरीय पार्क	-	278 संख्या
	ii. राज्य स्तरीय पार्क	-	8 संख्या
19.	आईआरईपी ब्लाक	-	860 संख्या

केडब्ल्यू = किलोवाट केडब्ल्यूपी = किलोवाट पीक * बायोमास गैसीफायर सहित

2002-03 के दौरान एम.एन.ई.एस. के अधीन विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रदान की गई निधियों में केन्द्रीय हिस्सा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	बायोगैस	सीबीपी/ आईबीपी	सुधरे चूल्हे	लघु पन	सौर फोटो- वोल्टाइक	आईआरईपी
1	आन्ध्र प्रदेश	4.280	0.000	0.2500	2.200	1.6700	0.160
2	अरुणाचल प्रदेश	0.130	0.030	0.0000	12.900	0.3900	0.100
3	असम	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000
4	बिहार	0.000	0.000	0.0253	0.002	0.000	0.000
5	गोवा	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000
6	गुजरात	2.470	0.000	0.0500	0.000	2.0500	0.030
7	हरियाणा	0.160	0.200	0.1637	0.000	2.6800	0.190
8	हिमाचल प्रदेश	0.220	0.000	0.0069	6.680	1.2000	0.140
9	जम्मू तथा कश्मीर	0.000	0.000	0.0000	0.000	1.0900	0.000
10	कर्नाटक	5.730	0.000	0.3057	0.820	1.2100	0.050
11	केरल	0.090	0.250	0.1150	0.000	0.3800	0.370
12	मध्य प्रदेश	3.980	0.000	0.000	0.270	0.000	0.000
13	महाराष्ट्र	2.800	0.730	0.0500	0.170	0.2300	0.000
14	मणिपुर	0.190	0.000	0.0000	0.050	0.0820	0.000
15	मेघालय	0.250	0.000	0.0000	0.000	0.0690	0.120
16	मिजोरम	0.350	0.000	0.0000	0.060	0.5700	0.000
17	नागालैण्ड	0.000	0.000	0.0000	0.030	0.000	0.000
18	उड़ीसा	2.550	0.000	0.7024	0.000	0.000	0.000
19	पंजाब	0.000	0.330	0.0608	1.740	0.5700	0.400
20	राजस्थान	0.070	0.400	0.0000	0.000	6.3400	0.110
21	सिक्किम	0.250	0.000	0.0016	6.720	0.2100	0.020
22	तमिलनाडु	0.270	0.000	0.1500	0.080	0.7400	0.000
23	त्रिपुरा	0.150	0.000	0.0000	0.000	3.7800	0.080
24	उत्तर प्रदेश	0.000	0.380	0.0000	0.025	7.3400	1.220
25	पश्चिम बंगाल	4.140	0.100	0.3051	2.790	3.2200	0.000
26	अण्डमान तथा निकोबार	0.000	0.000	0.0000	3.000	0.000	0.000
27	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0770	0.011
28	दादर तथा नागर हवेली	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000
29	दमन तथा दीव	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000
30	दिल्ली	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.1800	0.030
31	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000
32	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0500	0.000
33	छत्तीसगढ़	2.520	0.000	0.1188	0.000	0.3300	0.150
34	झारखण्ड	0.030	0.000	0.0000	0.000	0.2500	0.270
35	उत्तरांचल	0.150	0.480	0.0039	1.810	2.1700	0.100
36	अन्य	14.000	0.500	0.3076	0.130	3.9800	0.000
	योग	44.780	3.400	2.6168	39.477	40.8580	3.551

11.3 परिवहन

रेल

भूमिका

मई 2002 में भारतीय रेल ने रा-ट्र की सेवा के 150 वर्न पूरे कर लिए हैं। 55,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत आधार और लगभग 63,000 किलोमीटर मार्ग के नेटवर्क भारी मात्रा में माल लाने-ले-जाने और लम्बी दूरी के यात्री यातायात की आवाजाही के लिए रेल परिवहन का मुख्य साधन है। पिछले वर्नों में भारतीय रेलवे, क्षमता की कमी और प्रौद्योगिकीय अप्रचलन सहन कर रही है जो कि रेलवे प्रणाली की उन्नति के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके अलावा परिवहन के अन्य प्रतियोगी माध्यमों के कारण बाजार के हिस्से में हानि के कारण रेलवे हासशील वित्तीय स्थिति झेल रही है। अतः दसवीं पंचवर्नीय योजना में मुख्य बल रेलवे प्रणाली के प्रौद्योगिकीय अद्यतनीकरण, सेवा-स्तर में सुधार, टेरिफ के युक्तियुक्तकरण पर रहा है ताकि कुल यातायात में रेल भाड़ा यातायात के हिस्से में सुधार लाया जा सके और रेलवे सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके।

वार्निक योजना 2002-03 की समीक्षा

2. दसवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2002-03 के दौरान अनेक नीतिगत पहलें की गईं। कतिपय जिन्सों के मामले में भाड़ा दरें घटा दी गईं और जो जिन्स अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त हैं उनकी भाड़ा दरों में मामूली वृद्धि हुई। उच्चतम श्रेणी और निम्नतम श्रेणी के बीच भाड़ा दर के अन्तर में उल्लेखनीय कमी लाई गई। यात्री टेरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप प्राप्ति में सुधार हो सके। ये उपाय टैरिफ संरचना के पुनः संतुलन के लिए किए गए थे। शुल्क सूची दरों में रियायतों की पेशकश करने के प्रत्यायोजित अधिकारों के माध्यम से महाप्रबन्धकों को अधिक नमनशीलता के अधिकार दिए गए। भाड़ा टर्मिनलों की व्यवस्था निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति तैयार की गई।

3. 26 दिसम्बर, 2002 को शुरू की गई रा-ट्रीय रेल विकास योजना का एक लक्ष्य यह था कि रेल प्रणाली के महत्वपूर्ण खण्डों में क्षमता विनयक बाधाएं दूर की जाएं। संसाधन जुटाने सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रेल विकास निगम नामक एक कम्पनी स्थापित की गई। वित्तीय नि-पादन में भी सुधार दिखाई पड़ा और प्रचालन अनुपात जो कि 2001-02 में 96% था, 2002-03 (सं.अ.) में सुधर कर 92.5% हो गया।

4. 2002-03 के दौरान रेलवे ने आय अर्जित करने वाले उद्गम टैरिफ यातायात के रूप में 515 मिलियन टन (सं.अ.) माल की ढुलाई की जो कि 2001-02 के दौरान वस्तुतः ढुलाई किए गए 492.5 मिलियन टन माल की तुलना में लगभग 4.6% अधिक था। फ्रेट टन किलोमीटर जो कि 2001-02 में 333.2 बिलियन टन किलोमीटर था वह 2002-03 (सं.अ.) में 7.2% बढ़ कर 357.2 बिलियन टन किलोमीटर हो गया। तथापि यात्री यातायात के सम्बन्ध में 2002-03 (सं.अ.) की उपलब्धि 5022.1 मिलियन रही जबकि 2001-02 में इस आशय की उपलब्धि 5169.3 मिलियन थी जो कि पिछले वर्न की तुलना में 2.8% की गिरावट की परिचायक है। इसी प्रकार यात्री किलोमीटर जो कि 2001-02 में 400.6

बिलियन यात्री मीटर था, 2002-03 (सं.अ.) में घट कर 391.0 बिलियन यात्री किलोमीटर रह गया जो कि लगभग 2.4% गिरावट का परिचायक है।

5. 2001-02 के दौरान वेगन उत्पादन में 2000-01 की तुलना में लगभग 8.9% की वृद्धि हुई जो कि तालिका 1 में परिलक्षित है।

तालिका - 1

वेगन उत्पादकता

वर्ष	प्रति वेगन प्रतिदिन एन.टी.के.एम. (बी.जी.)	पिछले वर्ष की तुलना में सुधार (%)
1997-98	1894	2.9
1998-99	1904	0.5
1999-00	2027	6.5
2000-01	2042	0.7
2001-02	2223	8.9

वार्षिक योजना 2003-04

6. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 2003-04 के दौरान अनेक उपाय किए जाएंगे। भाड़े की संरचना के युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू की गई थी, उसे 2003-04 में जारी रखा गया। 2003-04 के दौरान किसी भी वस्तु के भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्गों की कुल संख्या 32 से घटा कर 27 कर दी गई और उच्चतम तथा न्यूनतम वर्ग की भाड़ा दरों के बीच का अनुपात घटा कर 2.8% तक कर दिया गया। विभिन्न वस्तुओं के भाड़े की दरें घटा दी गईं। इनमें शामिल हैं : उच्च गति वाला डीजल तेल, लोहा और इस्पात, लौह पिण्ड, सीमेंट की चादरें आदि। लघु लीड यातायात प्राप्त करने के लिए, क्रमिक रियायतों की एक स्कीम शुरू की गई है। वार्षिक योजना (2003-04) में रा-ट्रीय रेल विकास योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से विशेष रूप से स्वर्ण चतुर्भुज के उच्च घनत्व कारिडारों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में उपाय किए जाएंगे। भाड़ा यातायात, बेहतर सिग्नल प्रणाली और रेल पटरियों के कम्प्यूटरीकरण पर विशेष बल देते हुए मुख्य बल रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण पर रहेगा। घरेलू बजटीय सहायता, बहुपक्षीय वित्तपो-ण और निजी/सरकारी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए रेल परियोजनाओं की बकाया का वर्गीकरण करने के लिए एक नीतिगत कार्यतंत्र तैयार किया जाएगा।

7. गैर-कोर रेलवे क्रियाकलापों के संबंध में भी एक नीति तैयार की जाएगी। मौजूदा लेखांकन नीतियों और परिपाटियों की समीक्षा की जाएगी और पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत लेखांकन और प्रबन्ध सूचना प्रणाली की योजना बनाई जाएगी जिससे कि यात्री और माल-भाड़ा सेवाओं के लिए वाणिज्यिक आधार पर लागत निर्धारण आंकड़े तैयार किए जा सकें।

8. 2003-04 के दौरान रेलवे के लिए 6577 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता तथा 6341 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर. सहित 12918 करोड़ का परिव्यय मंजूर किया गया है (संलग्नक-

11.3.1)। जहां तक वास्तविक लक्ष्यों का संबंध है आय सृजित करने वाले 540 मिलियन टन फ्रेट यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि 2002-03 (सं.अ.) में इस आशय का लक्ष्य 515 मिलियन टन रखा गया था। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है 2002-03 (सं.अ.) के 5022.12 मिलियन यात्री के मुकाबले 2003-04 में 5177 मिलियन यात्रियों का उच्चतर लक्ष्य रखा गया है। व-नों के दौरान, फ्रेट और यात्री यातायात में हुई प्रगति क्रमशः संलग्नक 11.3.2 और 11.3.3 में दर्शाई गई है। 2003-04 में प्रमुख कार्यक्रम में ये शामिल हैं : चल स्टाक का अभिग्रहण, रेल पटरी नवीकरण, गेज परिवर्तन, रेलवे विद्युतीकरण तथा नई रेल लाइनों का निर्माण (संलग्नक - 11.3.4)। वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

रेल पटरी नवीकरण	3850 किलोमीटर
गेज परिवर्तन	775 किलोमीटर
विद्युतीकरण	350 किलोमीटर
नई लाइनों का निर्माण	225 किलोमीटर
चल स्टाक (संख्या)	
(क) वेगन (चार पहियों वाले)	20050
(ख) डीजल इंजन	85
(ग) विद्युत इंजन	69
(घ) यात्री कोच	1760

9. जहां तक एन.आर.वी.वाई. के अधीन कार्यों की वास्तविक प्रगति का संबंध है तीन विशाल पुलों, अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल, गंगा पर दो पुलों - एक पटना में तथा दूसरा मुंगेर में, सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। कोसी नदी पर विशाल पुल के निर्माण तथा अलीगढ़-गाजियाबाद, कटक-बारंग, खुर्दा-बारंग, रायचुर-गुंटाकल के बीच लाइनों को दोहरा करने और साथ ही आनन्द विहार में टर्मिनल सुविधाओं सम्बन्धी कार्य उपयुक्त अनापत्ति प्राप्त करके रेलवे बजट (2003-04) में शामिल कर लिए गए हैं।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

10. विभिन्न रेलवे परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता उत्साहवर्द्धक नहीं रही है। निजी क्षेत्र की निधियां जुटाने के प्रयोजन से रेलवे ने अपनी वेगन स्कीम (ओ.वाई.डब्ल्यू.एस.) तथा बिल्ड ओन लीज एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.एल.टी.) स्कीम शुरू की। तथापि अधिकांश ओ.वाई.डब्ल्यू.एस. मामलों में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया धीमी तथा कुछ बी.ओ.एल.टी. मामलों के जरिए रेल परियोजनाओं में निजी/सरकारी सहभागिता के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश की जा रही है। रेलवे मंत्रालय तथा इसके पी.एस.यू. और गुजरात पिपावाव पोर्ट लि. (जी.पी.पी.एल.) तथा अन्य के बीच 50:50 आधार पर इक्विटी सहभागिता सहित सुरेन्द्रनगर - राजुला सिटी - पिपावाव गेज परिवर्तन परियोजना के लिए एक एस.पी.वी. का गठन किया गया है। पुरानी बी.ओ.एल.टी. स्कीम के स्थान पर नई बी.ओ.एल.टी. स्कीम शुरू की गई है जिसमें निर्माण ठेकेदारों और साहूकारों के एक समूह द्वारा निजी सहभागिता की परिकल्पना की गई है।

मानीटरन तंत्र

11. योजना स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने एक मानीटरिंग तंत्र, तिमाही नि-पादन समीक्षा तैयार की है। इस तिमाही नि-पादन समीक्षा (क्यू.पी.आर.) के अधीन योजना आयोग के संबंधित सदस्य पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ नियतकालिक बैठकें आयोजित करते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य कमियों का पता लगाना और योजना लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सुधारात्मक उपाय करना होता है।

संलग्नक - 11.3.1

योजना का वित्त पो-ण

(करोड़ रु.)

	9वीं योजना	1997- 98	1998- 99	1999- 00	2000- 01	2001- 02	1997- 2002	10वीं योजना	2002- 03 (सं.अ.)	2003- 04 (ब.अ.)
जी.बी.एस.	11791	1992	2185	2588	3597	5517	15879	27600	6004	6577
बाजार ऋण		2795	3217	2919	2897	2175	14003		2880	3000
	33622							33000		
आंतरिक संसाधन		3452	3455	3550	2901	2485	15843		3431	3341
योग	45413	8239	8857	9057	9395	10177	45725	60600	12315	12918

संलग्नक - 11.3.2

भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया माल यातायात

वर्ष	उद्गम यातायात (मिलियन टन में)			निवल टन कि.मी. (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	कुल	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	कुल
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	256.9
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258.1
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257.1
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	273.7

1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	286.8
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284.3
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308.0
2000-2001	473.5	30.7	504.2	312.4	3.1	315.5
2001-02	492.5	29.7	522.2	333.2	3.2	336.4
2002-03 (ब.अ.)	510.0	@	@	334.2	@	@
2002-03 (सं.अ.)	515.0	@	@	357.2	@	@
2003-04 (ब.अ.)	540.0	@	@	367.3	@	@

@ उपलब्ध नहीं

संलग्नक - 11.3.3

भारतीय रेलवे द्वारा वहन किया गया यात्री यातायात

वर्ष	यात्री संख्या (मिलियन में)			यात्री कि.मी. (बिलियन में)		
	उप नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल	उप नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल
1991-92	2411.0	1637.1	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282.0	1467.0	3749.0	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302.0	1406.0	3708.0	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430.0	1485.0	3915.0	68.0	251.0	319.0
1995-96	2481.0	1557.0	4038.0	72.6	261.4	334.0
1996-97	2578.0	1575.0	4153.0	76.5	280.5	357.0
1997-98	2657.0	1691.0	4348.0	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2836.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.4
2000-2001	2867.9	1971.9	4839.8	89.5	368.2	457.7
2001-02	3075.5	2093.8	5169.3	93.6	400.6	494.2
2002-03 (ब.अ.)	3012.8	2175.0	5187.3	88.2	410.2	498.4
2002-03 (सं.अ.)	3018.3	2003.83	5022.1	93.7	391.0	484.7
2003-04 (ब.अ.)	3078.3	2098.7	5177.0	95.5	412.1	507.6

संलग्नक - 11.3.4

भारतीय रेलवे का योजनागत शीर्ष-वार परिव्यय तथा व्यय

करोड़ रुपए

योजना शीर्ष	2000-2001		2001-02		2002-03		2003-04
	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
चल स्टाक	3900	3639	3850	3056	3772	3748	3795
वर्कशाप व शेड	220	165	220	206	215	224	273
मशीनें तथा संयंत्र	100	91	100	83	116	108	140
ट्रैक नवीकरण	2000	1702	2050	1885	2703	2602	2605
पुल निर्माण कार्य	75	69	75	107	204	218	302
गेज परिवर्तन	600	454	665	686	807	768	733
दोहरी लाइन	655	524	672	600	608	584	443
अन्य यातायात सुविधाएं	225	149	225	172	225	224	238
सिग्नल व संचार	425	350	425	369	725	674	689
सड़क सुरक्षा आर.ओ.बी./आर.यू.बी. लेवल क्रॉसिंग	300	79	300	139	450	264	433
कम्प्यूटरीकरण	70	55	70	68	139	107	144
विद्युतीकरण	325	302	225	269	238	247	122
अन्य विद्युत, कार्य	130	93	120	98	130	131	140
नई लाइनें	825	711	1015	891	911	1319	1005
स्टाफ क्वार्टर	60	53	65	63	67	71	75
स्टाफ कल्याण	60	52	65	52	65	69	65
प्रयोक्ता सुविधाएं	200	136	200	169	200	200	205
अन्य निर्दिष्ट कार्य	45	39	45	47	79	81	115
माल सूचियां	337	424	300	913	390	312	210
एम.टी.पी.	400	263	378	281	266	302	444
रेलवे अनुसंधान	10	9	10	8	20	9	10
पी.एस.यू. में निवेश	3	36	15	15	-	53	732
जोड़	11000	9395	11090	10177	12330	12315	12918

सड़कें

भूमिका

12. विकास की प्रक्रिया में सड़कें बुनियादी इन्पुट होती हैं। ये सड़कें दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़कर, बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों तक पहुंच सुलभ बना कर तथा घरेलू और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करके रा-ट्रीय एकता और देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा सड़कें, हवाई अड्डों, रेलवे टर्मिनलों और पत्तनों के साथ संबंध स्थापित करके अन्तर-मोडल परिवहन विकास को सुकर बनाती हैं।

13. वर्तमान सड़क नेटवर्क अपर्याप्त है और कई स्थानों पर उच्च यातायात घनत्व संभालने की स्थिति में नहीं है तथा चालन गुणवत्ता घटिया स्तर की है। भारत में वर्तमान सड़क नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं : पहुंच और गतिशीलता। पहुंच के लक्ष्य की पूर्ति ग्रामीण सड़कों के सुधरे हुए नेटवर्क के माध्यम से की जानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वत्र सड़क संयोजन प्रदान करने के प्रयोजन से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) आरंभ की गई है। गतिशीलता को क्षमता में सुधार तथा उच्च-घनत्व वाले मार्गों को सुदृढ़ बना कर सुकर बनाया जाएगा। इस संबंध में रा-ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना मुख्य पहल है और इसका उद्देश्य स्वर्णिम-चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिणी, पूर्व-पश्चिमी मार्गों को चार लेन वाला अथवा छः लेन वाला बनाना है। साथ ही सड़कों का रख-रखाव तथा उनकी चालन गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना अन्य ध्यातव्य क्षेत्र हैं।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

14. दसवीं पंचवर्षीय योजना का बल इन बातों पर है : सड़कों की पहुंच, क्षमता तथा वाहन-चालन गुणवत्ता में सुधार लाना; रखरखाव की परिपाटियों को चुस्त बनाना; निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से तथा प्रयोक्ता शुल्क लगाकर सड़क विकास के लिए संसाधनों की वृद्धि करना।

15. 2002-03 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में कुछ पहल की गई थीं। कोर नेटवर्क की अवधारणा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की आयोजना प्रक्रिया में शुरू की गई थी। पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांत और मानक बोली दस्तावेज तैयार किए गए। इन उपायों का उद्देश्य यह है कि न्यूनतम लागत पर तेजी के साथ बेहतर पहुंच का लक्ष्य पूरा हो सके।

16. रा-ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) को नियंत्रित करने के लिए 2002 में एक केन्द्रीय कानून बनाया गया था जिसका प्रयोजन यह था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रा-ट्रीय राजमार्गों के मार्ग अधिकार क्षेत्र में पड़ी भूमि, रा-ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात पर नियंत्रण रखने और उसपर अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए अधिकृत किया जाए। यह अधिनियम भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकेगा और रा-ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की जिन विभिन्न किस्मों के चलने की अनुमति है, उनका नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और क्षमता वृद्धि को सुकर बनाएगा।

17. रखरखाव परिपाटियों को चुस्त बनाने के लिए रखरखाव के काम में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए नीति निर्माण की दिशा में प्रारंभिक उपाय किए गए।

18. 2002-03 के दौरान 5870 करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत 5907.41 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है (देखें संलग्नक - 11.3.5)। 2002-03 के दौरान रा-द्रीय राजमार्ग विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति संलग्नक - 11.3.6 पर प्रस्तुत है। रा-द्रीय राजमार्गों (एन.एच.) को चौड़ा करने और सुदृढीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी रही है। रा-द्रीय राजमार्गों की वाहन-चालन गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य पार कर लिया गया है।

वार्षिक योजना 2003-04

19. वार्षिक योजना 2003-04 में इन बातों पर बल रहेगा : मौजूदा नेटवर्क की क्षमता, वाहन-चालन गुणवत्ता में सुधार लाना, कमियां दूर करना, निम्न ग्रेड खण्डों का सुधार, दुर्बल पुलों की बहाली और निर्माण।

20. सड़कों के रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सहयोजित करने के लिए नीति तैयार की जाएगी। सम्प्रति, रखरखाव परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए खण्डशः पद्धति अपनाई जाती है। रखरखाव के प्रयोजन से राजमार्गों के खण्ड को समग्र रूप में हाथ में लेने का विचार है। रा-द्रीय राजमार्गों के उच्च घनत्व वाले कारिडार, जोकि रा-द्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन शामिल हैं, अभिज्ञात किए जाएंगे। एक नए वित्तपो-ण तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता जुटाकर रा-द्रीय राजमार्गों के इन हिस्सों को विकसित किया जाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी निधि उठाई जाएगी।

21. 2003-04 में डीजल और मोटर स्प्रीट पर 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इससे सड़क क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों में और वृद्धि होगी।

22. केन्द्रीय क्षेत्रक में सड़कों के विकास के लिए 6,290.92 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ कराया गया है। स्कीम-वार ब्योरे संलग्नक 11.3.5 में दिए गए हैं। वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 11.3.6 में प्रस्तुत हैं। मुख्य कार्यक्रमों का संबंध रा-द्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनके सुदृढीकरण तथा मौजूदा नेटवर्क की वाहन-चालन गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ है।

बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं

23. विभिन्न बहुपक्षीय वित्तपो-नी एजेंसियों द्वारा वित्तपो-नित बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के ब्योरे संलग्नक में दिए गए हैं (देखें संलग्नक 11.3.7)। 9,546.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 30 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस संबंध में 31 मार्च 2003 तक 2,495.52 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। आशा है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं 2004 के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

रा-द्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं (एन.एच.डी.पी.)

24. रा-द्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुत (जी.क्यू.) तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग (एन-एस, ई-डब्ल्यू) परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारत के रा-द्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा नि-पादित की जा रही हैं और इनमें मौजूदा नेटवर्क को चार/छः लेनों में बदलना

शामिल है। जी.क्यू. की कुल लम्बाई 5,846 कि.मी. है और यह दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता को आपस में जोड़ेगी। एन-एस, ई-डब्ल्यू कॉरिडोर मार्गों की लम्बाई 7,300 कि.मी. होगी और ये कश्मीर को कन्याकुमारी से और सिल्वर को पोरबंदर के साथ जोड़ेंगे। एन.एस. ई-डब्ल्यू गलियारा मार्ग परियोजनाओं को वर्ष 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

25. जी.क्यू. को पूरा करने में कुछ लक्ष्य अधूरे रह गए हैं। जी.क्यू. की कुल 5,858 किलोमीटर लम्बाई में से 1,327 किलोमीटर को चार-लेन वाला बना दिया गया है, 4,383 किलोमीटर कार्यान्वयन के अधीन थी तथा 136 किलोमीटर का हिस्सा 31 मार्च 2003 के अन्त तक आबंटित किया जाना था।

26. एन.एच.डी.पी. (उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) के दूसरे चरण को चालू वार्षिक योजना के दौरान हाथ में लिए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम के अधीन 6,369 किलोमीटर रा-ट्रीय राजमार्गों को चार अथवा छः लेनों वाला बनाया जाएगा। उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों के चुनिन्दा हिस्सों में कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। 31 मार्च 2003 के अन्त तक इन कॉरिडोरों में से 557 किलोमीटर लम्बा हिस्सा पूरा कर लिया गया था और 423 किलोमीटर कार्यान्वयन के अधीन था। अब एन.एच.डी.पी. के चरण II में इन कॉरिडोरों के शेष हिस्से हाथ में लिए जाएंगे।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

27. सड़क विकास में निजी निवेश आकृ-ट करने के लिए सरकार ने एक्सप्रेस मार्गों सहित रा-ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अवधारणा को मंजूरी दे दी। उसके बाद से सड़क विकास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के सहयोजन को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

28. प्रतिष्ठित एन.एच.डी.पी. के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2002-03 के अन्त तक निजी क्षेत्र की सहभागिता से कुल मिलाकर 6867 करोड़ रुपए के निवेश सहित अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(i) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

29. भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण संयोज्यता एक प्रमुख घटक है। ग्रामीण संयोज्यता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) नामक एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम शुरू किया गया है। पी.एम.जी.एस.वाई. का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकाकी बस्तियों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों के माध्यम से संयोज्यता प्रदान करना है।

30. 2000-01 से 2003-04 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन राज्यवार आबंटन/व्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक 11.3.8 पर प्रस्तुत है।

(ii) आर्थिक तथा अन्तर्राज्य महत्व की सड़कें

31. अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व (ई. तथा आई. सड़कें) की सड़कें और पुल विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 में इस आशय का प्रावधान है कि सी.आर.एफ. के 10% प्रोद्भवन ई. तथा आई. सड़कों के लिए आबंटित किए जाएं।

32. स्कीम के लिए दसवीं योजना (2002-07) के लिए 500 करोड़ रुपए का तथा वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 - प्रत्येक के लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है (देखें संलग्नक 11.3.5)। 2000-01 से 2003-04 (ब.अ.) तक राज्यवार प्रदान की गई निधियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक 11.3.9 पर प्रस्तुत है।

केंद्रीय सड़क क्षेत्रक परिव्यय/व्यय

क्र.सं.	स्कीमें	दसवीं योजना 2002-07 परिव्यय	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04) परिव्यय
			परिव्यय	सं.अ.	
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	13990.50	2158.00	2071.90	2390.90
2.	अन्य स्कीमें एन.एच. (ओ.)	8664.00	1440.00	1600.00	1544.00
3.	बी.आर.डी.बी. के तहत निर्माण कार्य	950.00	145.00	111.45	210.00
4	यात्रा व्यय (देशीय)	20.00	1.00	0.80	1.02
5	अन्य प्रभार		1.00	0.40	0.50
6	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	20.00	4.00	2.00	5.00
7	सड़क विंग के अधीन सामरिक सड़कें	50.00	1.00	0.00	0.50
8	बी.आर.डी.बी. के अधीन सामरिक महत्व की सड़कें		8.50	10.25	19.00
9	अनुसंधान व विकास योजना अध्ययन	20.00	3.00	2.54	3.00
10	प्रशिक्षण	10.50	1.50	1.50	12.00
11	मशीनें तथा उपस्कर	15.00	2.00	1.57	7.00
12	प्रभारित व्यय	50.00	5.00	5.00	5.00
13	एन.एच.ए.आई. (निवेश)	10500.00	2000.00	2000.00	1993.00
14	सी.आर.एफ. से राज्यों के लिए आई.एस. तथा ई.आई.	500.00	95.00	100.00	95.00
15	सी.आर.एफ. से यू.टी. के लिए आई.एस. तथा ई.आई.		5.00		5.00
	योग	34790.00	5870.00	5907.41	6290.92

वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां - सड़कें तथा पुल केन्द्रीय क्षेत्र (एन.एच.ए.आई. को छोड़ कर)

क्र.सं.	स्कीमें	यूनिट	दसवीं योजना 2002-07 लक्ष्य	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04) लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धियां	
1	चार लेनों तक चौड़ा करना	कि.मी.	800	582	418	10
2	दो लेनों तक चौड़ा करना	कि.मी.	4000	829	710	200
3	कमजोर 2 लेनों का दृढ़ीकरण	कि.मी.	2000	1260	1109	500
4	उप-मार्ग	कि.मी.	25	21	12	2
5	पुलों का निर्माण/बहाली	संख्या	300	175	143	50
6	वाहन-चालन गुणवत्ता में सुधार	कि.मी.	10000	4264	4894	6500

कार्यान्वयन के अधीन विदेशी सहायता-प्राप्त सड़क/पुल परियोजना का वित्तपो-ण

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना	पूरी होने की संभावित लागत	पूरी होने की मूल तारीख	पूरी होने की संभावित तारीख	31.3.2003 तक कुल व्यय	1.4.2003 को बकाया राशि	*बजट आबंटन 2003-04 (अनुमानित व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एडीबी								
1	गुजरात	सूरत (चलथान) -अतुल	504.61	अक्तूबर, 03	जनवरी, 04	188.86	315.75	570.00
2	गुजरात	अतुल - कजली	282.64	अप्रैल, 03	दिसम्बर, 03	146.15	136.49	
3	महाराष्ट्र	कजली - मनोर	282.92	अक्तूबर, 03	अक्तूबर, 03	198.61	84.31	
4	कर्नाटक	सिरा - तुमकुर	207.47	अगस्त, 04	अप्रैल, 04	55.49	151.98	85.00
5	कर्नाटक	चित्रदुर्ग - सिरा	330.50	अगस्त, 04	अगस्त, 04	62.44	268.06	155.00
6	कर्नाटक	चित्रदुर्ग बाइपास	112.82	अगस्त, 04	अगस्त, 04	23.91	88.91	75.00
7	कर्नाटक	हरिहर - चित्रदुर्ग	290.12	अगस्त, 04	दिसम्बर, 04	67.05	223.07	155.00
8	कर्नाटक	हवेरी - हरिहर	311.84	अगस्त, 04	दिसम्बर, 04	40.10	271.74	120.00
9	पूर्व-पश्चिम	कारिडार परियोजना चरण II				0.00	0.00	496.40
10	पश्चिम बंगाल	रा-द्रीय राजमार्ग 34 पर 31 किलोमीटर से 398 तक पश्चिम बंगाल कारीडार विकास परियोजना	1027.87	जनवरी, 07	जनवरी, 07	0.00	1027.87	49.00
जे.आई.बी.एस.								
11	उत्तर प्रदेश	नैनी के निकट यमुना नदी पर केबल आधारित पुल	219.78	फरवरी, 04	फरवरी, 04	191.70	28.08	85.00
12	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा - चिलकौरीपेट पैकेज (I, II, III, IV)	272.98	पूरा हो गया		262.66	10.32	5.00
13	उड़ीसा	चन्दीखोई - जगतपुर	148.00	पूरा हो गया		114.10	33.90	21.50
डब्ल्यू.बी.								
14	उत्तर प्रदेश	आगरा - शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/ I-ए)	343.71	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	84.74	258.97	157.70
15	उत्तर प्रदेश	हांडिया - वाराणसी (टीएनएचपी/ III-सी)	312.73	जुलाई, 04	दिसम्बर, 04	72.39	240.34	88.46
16	उत्तर प्रदेश	खागा - कोखराज (टीएनएचपी/ III-ए)	209.98	जून, 04	जनवरी, 04	61.39	148.59	88.88
17	उत्तर प्रदेश	शिकोहाबाद - इटावा (जीटीआरआईपी/ I-बी)	202.44	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	32.69	169.75	92.81
18	उत्तर प्रदेश	इटावा - राजपुर (जीटीआरआईपी/ I-सी)	336.96	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	54.90	282.06	154.50
19	उत्तर प्रदेश	सिकन्दरा - भौंटी (टीएनएचपी/ II-ए)	303.79	अगस्त, 04	अगस्त, 04	114.25	188.54	156.50

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना	पूरी होने की संभावित लागत	पूरी होने की मूल तारीख	पूरी होने की संभावित तारीख	31.3.2003 तक कुल व्यय	1.4.2003 को बकाया राशि	*बजट आबंटन 2003-04 (अनुमानित व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	उत्तर प्रदेश	कानपुर - फतेहपुर (जीटीआरआईपी/II-बी)	516.79	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	117.90	398.89	260.40
21	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर - खागा (टीएनएचपी/II-सी)	306.00	अक्टूबर, 04	दिसम्बर, 04	57.63	248.37	138.87
	उत्तर प्रदेश / बिहार	वाराणसी - मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	463.44	मार्च, 05	नवम्बर, 04	104.40	359.04	186.20
22	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बाइपास पैकेज (I, II, III)	760.00	पुरस्कार के लिए शून्य		2.30	757.70	300.00
23	बिहार	मोहनिया - सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	241.58	फरवरी, 04	दिसम्बर, 04	67.38	174.20	107.40
24	बिहार	सासाराम - डेरी-ओन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी)	210.33	मार्च, 05	नवम्बर, 04	33.05	177.28	105.80
25	बिहार	डेरी-ओन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी)	236.39	फरवरी, 04	जनवरी, 04	107.15	129.24	92.08
26	बिहार	औरंगाबाद - बरछती (टीएनएचपी/V-ए)	295.27	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	66.67	228.60	105.80
27	झारखण्ड	गोरहार - बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-ए)	319.75	मार्च, 05	दिसम्बर, 04	90.90	228.85	84.90
28	बिहार / झारखण्ड	राजगंज - बरकाटा (जीटीआरआईपी/V-बी)	490.11	मार्च, 05	नवम्बर, 04	76.76	413.35	241.80
29	उत्तर दक्षिण	कारिडार परियोजना चरण II	0.00			0.00	0.00	210.00
30	उड़ीसा	जगतपुर में बाजार परिसर का निर्माण	6.34	मार्च, 04	मार्च, 04	0.95	5.39	4.00
	योग		9546.16			2496.52	7049.64	4393.00

* वर्ग 2003-04 के केन्द्रीय बजट में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 2294.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें दूसरे पक्ष की निधियां शामिल हैं। इसके अलावा वर्ग 2003-04 में 186.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कि एडीबी के लिए अपनी सूरत मानोर टालवे परियोजना के लिए एनएचएआई द्वारा उठाए जाने वाले सीधे ऋण के रूप में होगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन आबंटन/व्यय

क्र.सं.	नाम	आबंटन				व्यय	
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2000-01	2001-02 तथा 2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	190.00	190.00	190.00	90.00	244.62	298.89
2	अरुणाचल प्रदेश	35.00	35.00	35.00	35.00	40.95	55.23
3	असम	75.00	75.00	75.00	75.00	72.22	118.88
4	बिहार	150.00	150.00	150.00	150.00	63.70	13.67
5	छत्तीसगढ़	87.00	87.00	87.00	87.00	86.07	127.39
6	गोवा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
7	गुजरात	50.00	50.00	50.00	50.00	52.51	78.17
8	हरियाणा	20.00	20.00	20.00	20.00	20.96	24.93
9	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	60.00	60.00	59.40	67.39
10	जम्मू तथा कश्मीर	20.00	20.00	20.00	20.00	10.73	4.64
11	झारखण्ड	110.00	110.00	110.00	110.00	99.00	39.38
12	कर्नाटक	95.00	95.00	95.00	95.00	101.62	90.30
13	केरल	20.00	20.00	20.00	20.00	15.30	22.88
14	मध्य प्रदेश	213.00	213.00	213.00	213.00	158.51	376.12
15	महाराष्ट्र	130.00	130.00	130.00	130.00	126.25	89.17
16	मणिपुर	40.00	40.00	40.00	20.00	31.33	0.00
17	मेघालय	35.00	35.00	35.00	35.00	34.95	21.78
18	मिजोरम	20.00	20.00	20.00	20.00	19.93	37.59
19	नागालैण्ड	20.00	20.00	20.00	20.00	19.09	22.57
20	उड़ीसा	175.00	175.00	175.00	175.00	148.55	184.92
21	पंजाब	25.00	25.00	25.00	25.00	22.33	55.95
22	राजस्थान	130.00	130.00	130.00	130.00	98.03	206.80
23	सिक्किम	20.00	20.00	20.00	20.00	13.16	13.70
24	तमिलनाडु	80.00	80.00	80.00	80.00	137.02	71.47
25	त्रिपुरा	25.00	25.00	25.00	25.00	24.76	0.30
26	उत्तर प्रदेश	315.00	315.00	315.00	315.00	319.09	308.52
27	उत्तरांचल	60.00	60.00	60.00	60.00	44.80	18.59
28	पश्चिम बंगाल	135.00	135.00	135.00	135.00	102.22	99.56
29	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	10.00	10.00	10.00	10.00	0.26	0.00
30	दादरा तथा नगर हवेली	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
31	दमन और दीव	5.00	5.00	5.00	5.00	0.35	0.00
32	दिल्ली		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
34	पांडिचेरी	5.00	5.00	5.00	5.00	3.09	1.49
	योग	2370.00	2375.00	2375.00	2255.00	2175.80	2450.28

अंतर्राज्य और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन प्रदान की गई निधियां			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04(ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	116.50	0.00
3	असम	0.00	0.00	15.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	322.00	0.00
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	32.91	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू तथा कश्मीर	0.00	0.00	13.95	0.00
12	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
14	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	918.49	28.00	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	106.23	0.00
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मिजोरम	23.93	0.00	480.55	266.11
20	नागालैण्ड	0.00	10.00	845.00	0.00
21	उड़ीसा	151.56	0.00	0.00	0.00
22	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
23	राजस्थान	0.00	0.00	190.00	0.00
24	सिक्किम	0.00	120.00	178.56	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	115.00
26	त्रिपुरा	50.00	88.97	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तरांचल	0.00	70.00	200.00	228.07
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
30	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
31	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

32	दादरा तथा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0	0.00
	योग	1143.98	568.97	2500.00	609.18

टिप्पणी - 2003-04 के बजट में सभी राज्यों के लिए 95 करोड़ रुपए का और सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्यों को यह राशि पूर्व में प्रदान की गई राशियों की वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्ट सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर प्रदान की जाएगी।

सड़क परिवहन

भूमिका

33. देश में आने जाने वाले माल तथा यात्री यातायात के लिए सड़क परिवहन एक प्रमुख परिवहन साधन है। पिछले पचास वर्षों के दौरान इस क्षेत्रक में महत्वपूर्ण विकास हुआ है और इस अवधि के दौरान इसमें वाहनों की संख्या में 12.61 प्रतिशत की मिश्रित वृद्धि दर दर्ज की गई है। रेल लाइनों से न जुड़े पहाड़ी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए भूतल परिवहन का एकमात्र यंत्रीकृत साधन होने के कारण, रेलवे की तुलना में यात्री तथा माल यातायात में इसके हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

34. 10वीं योजना में बल इन बातों पर रहा है : सड़क परिवहन प्रचालन में सुरक्षा, सड़क परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्रक की सहभागिता को बढ़ावा देना, मोटर वाहन कर निर्धारण का युक्तियुक्तकरण और प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

35. सड़क परिवहन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के निमित्त 30.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है जिसमें से संभावित व्यय 29.75 करोड़ रुपए (99.17%) होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्कीम होने के नाते सड़क सुरक्षा मर्दों/कार्यों के लिए 22.53 करोड़ रुपए (75.73%) की राशि खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2002-03 में स्कीमवार अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय संलग्नक 11.3.10 में प्रस्तुत है।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

36. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वास्तविक नि-पादन संतो-पूर्ण रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान बेड़े के उपयोग, वाहन उत्पादकता, कर्मचारी उत्पादकता, ईंधन किफायत आदि में संतो-जनक सुधार हुआ है (संलग्नक 11.3.11)। बेहतर वास्तविक नि-पादन एस.आर.टी.यू. के कारण हानियों पर नियंत्रण रखना संभव हो पाया है। शुद्ध हानि जो कि 2001-02 के दौरान 1875.73 करोड़ रुपए रही थी वह वर्ष 2002-03 में घटकर 1857.03 करोड़ रुपए रह गई (संलग्नक 11.3.12)।

वार्निक योजना 2003-04

37. वार्निक योजना 2003-04 में चार सड़क परिवहन स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। 29.10 करोड़ रुपए (72.75%) के परिव्यय सहित यह प्रमुख स्कीम है जिसके ब्योरे (संलग्नक 11.3.10) में दिए गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल

38. दसवीं योजना में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में आदर्श मोटर चालन प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक संख्या में भारी वाहन (एच.वी.) ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं/मौतों की संख्या में कमी लाई जा सके। इस स्कीम के लिए 13.91 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और वार्निक योजना 2002-03 के दौरान 2.95 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। वार्निक योजना 2003-04 के लिए 6.10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मंजूर की गई और प्रदान की गई निधियों के राज्य-वार ब्योरे निम्नानुसार हैं :

मंजूर और प्रदान की गई निधियां (करोड़ रुपयों में)

राज्य	2002-03	
	मंजूर की गई निधियां	प्रदान की गई निधियां
1. असम	3.94	0.45
2. पश्चिम बंगाल	3.28	1.00
3. कर्नाटक	2.69	1.00
4. आन्ध्र प्रदेश (एन.जी.ओ.)	4.00	0.50
योग	<u>13.91</u>	<u>2.95</u>

परिव्यय और व्यय

(करोड़ रूपए)

स्कीम का नाम	10वीं योजना (2002-07) के लिए अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2002-03) के लिए अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2002-03) के लिए प्रत्याशित व्यय	वार्षिक योजना 2003-04 के लिए सहमत परिव्यय
सड़क सुरक्षा	164.00	22.01	22.53	29.10
मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल	24.00	3.99	2.95	6.10
रा-ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क	12.00	2.75	2.17	2.50
प्रदू-ण जांच और नियंत्रण	10.00	1.25	2.10	2.30
योग	210.00	30.00	29.75	40.00

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का राज्यवार वास्तविक नि-पादन

एस.आर.टी.यू. का नाम	बेड़ा उपयोग सड़क पर बसों का %		वाहन उत्पादकता प्रत्येक बस के दैनिक राजस्व अर्जक किलोमीटर		स्टाफ उत्पादकता प्रति कामगार के दैनिक राजस्व अर्जक किलोमीटर		प्रति लीटर ईंधन किफायत	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
आन्ध्र प्रदेश	99	99	315	316	44	48	5.07	5.07
अरुणाचल प्रदेश	68	68	136	141	21.56	24.53	3.15	3.1
असम	54	68	110	123	7	12	4	4
बिहार	12	29	29	66	0	8.15	3.79	3.99
डी.टी.सी. (दिल्ली)	72	79	151	173	31.78	18.96	4	4
गोवा (कदम्ब)	78	80	203	207	39	39	4	4
गुजरात	86	84	313	300	50.6	47.63	5	5
हरियाणा	96	96	308	308	54.9	57	4	4
हिमाचल प्रदेश	97	97	220	221	42.55	42.74	4	4
जम्मू तथा कश्मीर	67	66	107	120	17.09	16.1	4	4
कर्नाटक								
के.एस.आर.टी.सी.	94	95	340	342	62	60.1	5	5
एन.डब्ल्यू.के.आर.टी.सी.	96	96	333	330	55.82	55.34	5	5
बी.एम.टी.सी.	96	95	218	218	40.7	38.6	4	5
एन.ई.के.आर.टी.सी.	92	93	320	325	53	56	5	5
केरल	77	85	265	265	42.76	53.73	4	4
मध्य प्रदेश	80	82	213	207	37	43	4	4
महाराष्ट्र	94	94	290	294	44.18	45.18	5	5
मणिपुर	0	0	0	0	31	0	0	0
मेघालय	49	64	57	75	8.43	8.97	4	4
मिजोरम	51	51	61	60	5.57	6.39	3	3
नागालैण्ड	62	61	97	95	13.13	14.22	4	4
उड़ीसा	85	92	248	273	30.4	42	4	4
पंजाब रोडवेज	87	91	219	245	45.3	44.3	4	4
पेप्सू आर.टी.सी.	95	95	259	267	52.33	54.64	4	4
राजस्थान	93	93	312	318	59.41	62.09	5	5
सिक्किम	57	51	61	61	22.29	18.47	3	3
तमिलनाडु	90	93	366	382	49.32	52.14	4	4
त्रिपुरा	55	55	78	81	8.22	10.52	3	4
उत्तर प्रदेश	88	90	258	277	40.63	45.55	5	5
कलकत्ता एस.टी.सी.	67	74	140	164	18.79	20.14	4	4
उत्तर बंगाल एस.टी.सी.	63	62	155	154	22.82	22.83	4	4
दक्षिण बंगाल एस.टी.सी.	71	74	181	192	33.06	35.12	4	4
अखिल भारतीय औसत	89	91	283	296	45.58	47.02	4.61	4.67

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वित्तीय नि-पादन

एस.आर.टी.यू. का नाम	शुद्ध लाभ तथा हानि 2001-02	शुद्ध लाभ तथा हानि 2002-03
आन्ध्र प्रदेश	-231.68	-206.35
अरुणाचल प्रदेश	-12.87	-13.49
असम	-30.80	-23.12
बिहार	-51.46	-57.28
डी.टी.सी. (दिल्ली)	-236.67	-280.12
गोवा (कदम्ब)	-4.26	-4.18
गुजरात	-382.73	-574.00
हरियाणा	-62.74	-61.85
हिमाचल प्रदेश	-28.85	-59.70
जम्मू तथा कश्मीर	-36.25	-35.83
कर्नाटक		
के.एस.आर.टी.सी.	16.52	47.57
एन.डब्ल्यू.के.आर.टी.सी.	11.72	11.59
बी.एम.टी.सी.	26.70	49.21
एन.ई.के.आर.टी.सी.	-18.19	-11.77
केरल	-160.87	-146.60
मध्य प्रदेश	-141.20	-52.17
महाराष्ट्र	-69.52	-91.36
मणिपुर	0.00	0.00
मेघालय	-2.42	-1.51
मिजोरम	-1.18	-0.19
नागालैण्ड	-11.88	-14.69
उड़ीसा	-5.52	1.43
पंजाब रोडवेज	-67.16	-120.37
पेप्सू आर.टी.सी.	-28.95	-22.30
राजस्थान	-63.10	-44.00
सिक्किम	-6.40	-5.50
तमिलनाडु	-98.87	-21.06
त्रिपुरा	-9.40	-11.40
उत्तर प्रदेश	-121.45	-60.18
कलकत्ता एस.टी.सी.	-16.09	-15.02
उत्तर बंगाल एस.टी.सी.	-17.00	-19.21
दक्षिण बंगाल एस.टी.सी.	-13.16	-13.58
योग	-1875.73	-1857.03

पत्तन

भूमिका

39. पत्तन जल परिवहन और सेवा परिवहन के बीच वाहनान्तरण बिन्दुओं के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार को सुकर बनाने के लिए परिवहन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

40. भारत की समुद्री तट-रेखा पर स्थित बारह प्रमुख पत्तन देश का लगभग 75% पत्तन यातायात संभालते हैं जबकि शेन 25% यातायात लघु/राज्य पत्तनों द्वारा संभाला जाता है। ये पत्तन केवल यही नहीं कि कारोबार के लिए वाहनान्तरण बिन्दुओं के रूप में काम करते हैं बल्कि अपने आस-पास के क्षेत्र तथा भीतरी प्रदेश में आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों के रूप में भी काम करते हैं।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

41. दसवीं योजना में प्रमुख बल कन्टेनर यातायात और संगठनात्मक बदलावों और तैनाती स्तरों के युक्तियुक्तकरण लागू करके निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिए दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामान्य और विशाल कार्गो संचालन सुविधाओं के सृजन पर रहा है।

42. उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पत्तन क्षेत्र में अनेक नीतिगत पहलें की गईं। दो केन्द्र-पत्तन, अर्थात् जे.एन.पी.टी. और चेन्नई विकसित करने के संबंध में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में विकास कार्य किए गए जिनमें ये शामिल थे : चैनल को चौड़ा करना, कार्गो संचालन सुविधाएं, कच्चे लोहे, कोयले आदि के लिए पृथक लंगरगाह आदि। प्रमुख पत्तनों के निगमीकरण को सुकर बनाने वाला मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन विधेयक) 2001 जिसे पूर्व में संसद में प्रस्तुत किया गया था, उसे परिवहन तथा पर्यटन विभाग संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति की रिपोर्ट 2002-03 के अन्त तक प्राप्त हो गई थी और समिति की सिफारिशों पर सरकार के रुख को कार्यरूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

43. उत्पादकता मानदण्डों को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से बड़े पत्तनों पर तैनाती के मौजूदा स्तरों का अध्ययन करने और उपयुक्त तैनाती स्तरों की सिफारिश करते हुए अधिनिर्णय देने के लिए एक रा-द्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। बड़े पत्तनों पर जनशक्ति को न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुरूप युक्तियुक्त बनाया जाएगा। पत्तन प्रचालनों की दक्षता/उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से कन्टेनर संचालन करने वाले पत्तनों, कस्टम्स, बैंकों और पत्तन प्रयोक्ता के बीच इलेक्ट्रॉनिक डाटा अन्तः विनिमय (ई.डी.आई.) संचालित किया जा रहा है। चेन्नई, जे.एन.पी.टी., मुम्बई और कोचीन पत्तनों में ई.डी.आई. कार्य कर रहा है।

44. 1162.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2002-03 में 528.04 करोड़ रुपए की राशि के खर्च हो जाने की संभावना है (संलग्नक 11.3.13)। बजटीय सहायता का उपयोग भी सन्तो-पूर्ण नहीं रहा। 256.89 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान में से मात्र 40.13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। मुख्य कमी का कारण नदी विनियामक स्कीम, कोलकाता के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति है।

45. बड़े पत्तनों पर यातायात के, जो कि 31 मार्च 2002 को 289.10 मिलियन टन (एम.टी.) था, 31 मार्च 2003 को बढ़कर 295.84 मिलियन टन हो जाने की सोची गई थी। वास्तविक उपलब्धि 313.45 एम.टी. रही। 2002-03 के दौरान कन्टेनरयुक्त यातायात में सतत रूप से वृद्धि होती रही। पी.ओ.एल. और कच्चे लोहे के यातायात में भी वृद्धि का रुख बना रहा (संलग्नक 11.3.14)। पत्तन-वार यातायात के विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि सभी पत्तनों पर उपलब्धि लक्ष्य से बढ़ कर रही (संलग्नक 11.3.14)।

वार्षिक योजना 2003-04

46. 2003-04 के दौरान जिन नीतिगत मुद्दों पर पूर्व में कार्रवाई शुरू की गई थी, उसे पूरा किया जाएगा। इसमें ये कार्य शामिल होंगे : प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (संशोधन विधेयक) को अन्तिम रूप देना तथा संशोधन के लिए संसद में एक उपयुक्त प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा। इससे देश में प्रमुख पत्तनों के निगमीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

47. रा-द्रीय न्यायाधिकरण जो कि तैनाती के मौजूदा स्तरों का अध्ययन कर रहा है, उसका अधिनिर्णय 2003-04 के दौरान उपलब्ध हो जाने की संभावना है। न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुरूप प्रमुख पत्तनों पर जनशक्ति को युक्तियुक्त बनाया जाएगा। कन्टेनर संचालित करने वाले शै-न पत्तनों में 2003-04 के दौरान ई.डी.आई. लागू किया जाएगा।

48. बड़े और लघु पत्तनों के सम्बन्ध में एक व्यापक नीति को कानून का रूप दिया जाएगा। बड़े पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता वि-नयक मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधित किए जाएंगे जिससे कि निजी/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और आगे प्रोत्साहन मिल सके।

49. दो अभिज्ञात केन्द्र पत्तनों पर सुविधाएं विकसित करने का काम जारी रखा जाएगा। इसमें ये सुविधाएं शामिल होंगी : जे.एन.पी.टी. में विशाल टर्मिनल को बी.ओ.टी. आधार पर कन्टेनर टर्मिनल में बदलना तथा वल्लारपदम में अन्तर्रा-द्रीय कन्टेनर वाहनान्तरण टर्मिनल का निर्माण।

50. विनियामक तंत्र के सुदृढीकरण के लिए बड़े पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टी.ए.एम.पी.) की भूमिका की समीक्षा की जाएगी।

वित्तीय परिव्यय

51. पत्तन क्षेत्रक के लिए 1201.89 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय का वित्तपो-ण निम्नानुसार होगा :

क्र.सं.	वित्तपो-ण का स्रोत	करोड़ रुपए
1	आन्तरिक संसाधन	583.77
2	अन्तः निगमित ऋण/ई.सी.बी.	329.62
3	अन्य (प्रयोक्ता एजेंसियां)	22.50
4	बजटीय सहायता	266.00
	योग	1201.89

52. वार्षिक योजना (2003-04) के दौरान हाथ में ली जाने वाली मुख्य स्कीमों/लिए जाने वाले मुख्य कार्यों में ये शामिल होंगे : हुगली के मुहाने पर नदी तलछट के सुधार के लिए नदी विनियामक कार्य, ड्रेजर कोलरूल का बदलना, चेन्नई पत्तन पर पश्चिमी घाट का आधुनिकीकरण और उत्तरी घाट का विस्तार, नए मंगलौर पत्तन में अतिरिक्त सामान्य लंगरगाह का निर्माण, मोरमुगोवा पत्तन पर चार नोका अनलोडरों को बदलना, रबड़ के टायरों वाली 10 गंत्री क्रेनों का प्रावधान, मौजूदा घाट क्रेनों के स्थान पर 20 टन वाली घाट क्रेनों का प्रापण, कांडला पत्तन को गहरा बनाना, पारादीप पत्तन पर चैनल को गहरा करना।

वास्तविक लक्ष्य

53. 31 मार्च 2003 के 313.45 एम.टी. के यातायात स्तर की तुलना में 2003-04 के लिए 336.00 एम.टी. का लक्ष्य रखा गया है।

54. संचालित किए जाने वाले यातायात में से अधिकांश हिस्सा पी.ओ.एल. (34.10%), कच्चे लोहे (15.73) तथा तापीय कोयले (11%) का रहता है। कन्टेनरयुक्त कार्गो यातायात में निरन्तर वृद्धि का रुख बने रहने की संभावना है। फलतः कुल यातायात में इसका हिस्सा बढ़ कर 14.78% हो जाने की आशा है जिसका अर्थ यह होगा कि एक वर्ग में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहाजरानी

55. भारत में 12 बड़े और 184 लघु/मझोले पत्तनों से युक्त 5560 किलोमीटर लम्बी समुद्री तट-रेखा के जहाजरानी क्षेत्र को विशेष महत्व प्राप्त है। भारत का मात्रा की दृष्टि से 90% से अधिक तथा मूल्य की दृष्टि से 68% से अधिक का विदेशी कारोबार समुद्र आधारित है। देश के विदेशी व्यापार में भारतीय फ्लैगशिप का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों से 30% के लगभग बना रहा है।

भारतीय जहाजरानी निगम लि. (एस.सी.आई.)

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

56. 1332.25 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2002-03 के दौरान 470.08 करोड़ रुपए की राशि के खर्च हो जाने की संभावना है। परिव्यय के उपयोग में कमी का कारण यह है कि जहाजों का अभिग्रहण नहीं हो सका है।

वार्षिक योजना 2003-04

एस.सी.आई. में सरकारी इक्विटी का विनिवेश

57. एस.सी.आई. के विनिवेश की कार्रवाई संतो-जनक ढंग से आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया के 2003-04 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

58. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 1102.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से एस.सी.आई. 3.25 जी.टी. की समग्र क्षमता से युक्त पांच जहाज प्राप्त कर सकेगा।

महानिदेशक (प्रकाश स्तम्भ और दीप नौकाएं)

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

59. प्रकाश स्तम्भों और दीप नौकाओं का विभाग एक राजस्व अर्जक विभाग है और वह भारतीय पत्तनों में प्रवेश करने वाले तथा जाने वाले जहाजों से प्रकाश सम्बन्धी देयताओं और प्रकाश सम्बन्धी प्रभार से अपनी आय अर्जित करता है। 20.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2002-03 के दौरान 15.40 करोड़ रुपए के खर्च होने की संभावना है। 2002-03 के दौरान कई परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है जिनमें ये शामिल हैं : प्रकाश स्तम्भ टेण्डर जहाज एम.वी. सागर दीप का प्रतिस्थापन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रोजन बिन्दु पर एक प्रकाशित संकेतक की स्थापना, दो नए प्रकाश स्तम्भों की स्थापना।

वार्षिक योजना 2003-04

60. वार्षिक योजना 2003-04 में 24.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना में जिन प्रमुख स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है : कच्छ की खाड़ी में जहाज यातायात प्रबन्ध प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) की स्थापना, पाल्क खाड़ी में तट-आधारित न्यून शक्ति के प्रकाश स्तम्भ की स्थापना तथा डी.जी.पी.एस. चरण II शुरू करना।

महानिदेशक (जहाजरानी)

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

61. 10.01 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2002-03 के दौरान 9.08 करोड़ रुपए की राशि के खर्च हो जाने की संभावना है। इस वर्ग हाथ में ली गई प्रमुख स्कीमों में ये शामिल हैं : महानिदेशक (मुख्यालय) तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों के लिए ई-अभिशासन स्कीम, एल.बी.एस. कालेज, मुम्बई में छात्रावास भवन का निर्माण।

वार्षिक योजना 2003-04

62. महानिदेशक (जहाजरानी) के विकास कार्यक्रम के लिए 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ग हाथ में ली जाने वाली प्रमुख स्कीमों में ये शामिल हैं : महानिदेशक (मुख्यालय) तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों के लिए ई-अभिशासन स्कीम, एल.बी.एस. कालेज, मुम्बई में छात्रावास भवन का निर्माण।

अन्तर्देशीय जल परिवहन (आई.डब्ल्यू.टी.)

63. आई.डब्ल्यू.टी. पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तथा परिवहन का एक किफायती साधन है। भारत नदी प्रणालियों और नहरों सहित अनेक जलमार्गों से सम्पन्न है। अनुमान है कि यात्री और माल लाने-ले-जाने के लिए कुल 14,544 किलोमीटर जलमार्गों का प्रयोग किया जा सकता है। तथापि इस क्षेत्र की क्षमता का बहुत ही न्यून प्रयोग हुआ है क्योंकि अधिकांश नौगम्य जलमार्ग उथले जल तथा शु-क मौसम

के कारण चैनल की चौड़ाई कम हो जाने, गाद या नदी तल तथा किनारों के कटाव, लदान तथा लंगर डालने के लिए टर्मिनलों जैसी उपयुक्त आधारिक सुविधाओं तथा भूतल सड़क सम्पर्कों जैसी उपयुक्त आधारित सुविधाओं के अभाव जैसे अनेक जोखिमों से युक्त हैं।

64. दसवीं योजना में, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आधारिक सुविधाओं के विकास पर बल रहेगा ताकि स्वदेशी माल को रेल और सड़क मार्गों से धीरे-धीरे हटा कर स्वदेशी जल परिवहन में अंतरित कर दिया जाए जिससे कि इसका हिस्सा जो कि सम्प्रति 1% से कम है बढ़ कर कम से कम 2% तक हो सके।

65. 80 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2002-03 के दौरान 79.04 करोड़ रुपए की राशि के खर्च हो जाने की संभावना है। व्यय मुख्यतः इन मदों पर किया गया है : तीन रा-ट्रीय जलमार्गों पर नाव्य-जलपथ, टर्मिनल तथा जहाजरानी सम्बन्धी सहायक सामग्री का प्रावधान/रख-रखाव तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, जलमार्ग प्रणालियां और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) के अधीन राज्यों को सहायता।

वार्षिक योजना 2003-04

66. सी.एस.एस. के अधीन तथा नए जलमार्गों की घो-णा के निमित्त परिव्यय में वृद्धि की जाएगी। दो घो-णा प्रस्ताव (बराक नदी और रा-ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का विस्तार) जो कि विचाराधीन हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और मार्च 2004 तक उन्हें उनके युक्तियुक्त नि-कर्न तक ले जाया जाएगा। मौजूदा रा-ट्रीय जलमार्गों पर जो परियोजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उनका मासिक आधार पर मानीटरिंग किया जाएगा। आई.डब्ल्यू.टी. के पक्ष में आदर्श अन्तरण को सुकर बनाया जाएगा। जहां कहीं संभव होगा वहां पण्य आयोजना टूटिकोण अपनाकर माल की स्वदेशी आवाजाही के सम्बन्ध में उद्गम और गन्तव्य स्थल अध्ययन किए जाएंगे और उन्हें मार्च 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा।

67. 2003-04 के दौरान 67.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। रा-ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं हाथ में लेने के प्रस्ताव हैं। मुख्य बल आधारिक सुविधाओं और अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रचालन के लिए उपयुक्त गहराई पर है।

आई.डब्ल्यू.टी. के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

68. इस स्कीम के अधीन राज्यों को जलमार्गों के विकास के लिए आधारिक सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अधीन हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं में ये शामिल हैं : टर्मिनल सुविधाओं का निर्माण, पूंजीगत (कैपिटल) तलमार्जन, जल सर्वेक्षणात्मक सर्वेक्षण आदि।

69. इस स्कीम की वित्तपो-ण पद्धति 5 नवम्बर 2002 से बदल दी गई है। वित्तपो-ण की नई पद्धति के अनुसार इन परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 100% अनुदान और अन्य राज्यों को 90% अनुदान दिया जाता है। 2003-04 में इस स्कीम के लिए 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य-वार आबंटन संलग्नक 11.3.15 में दिया गया है।

प्रमुख पत्तन - परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	वार्षिक योजना 2001-02		वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय (अनन्तिम)	अनुमोदित परिव्यय (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
प्रमुख पत्तन (ए)						
1 (क)	कोलकाता	2.88	2.58	8.30	0.51	13.30
1 (ख)	हल्दिया डाक परिसर	14.30	9.22	16.62	6.23	47.00
1 (ग)	आर.आर. स्कीमें	75.00	0.00	175.00	0.75	150.00
1	कोलकाता (योग)	92.18	11.80	199.92	7.49	210.30
2	मुम्बई	91.21	68.12	109.05	99.03	54.21
3	जवाहर लाल नेहरू	81.30	16.27	149.36	39.83	143.02
4	चेन्नई	147.26	244.88	95.99	80.73	36.69
5	कोचीन	61.24	10.77	0.00	10.02	18.88
6	विशाखापत्तनम	90.00	67.52	49.06	52.05	51.00
7	काण्डला	100.98	53.43	94.78	50.07	66.71
8	मोरमुगांव	59.16	28.91	30.86	26.53	87.14
9	पारादीप	91.50	53.65	59.00	41.43	53.40
10	न्यू मंगलौर	74.00	32.58	37.00	24.26	25.00
11	तूतीकोरिन	69.35	29.71	76.10	33.67	17.54
12	एन्नोर पत्तन लि.	2.00	0.00	1.00	0.00	150.00
13	सेतुसमुद्रम जहाज नहर परियोजना	--	--	--	--	1.00
	उपयोग (ए)	960.18	617.64	902.12	465.11	914.89
अन्य (बी)						
14	डी.सी.आई	97.50	71.85	179.00	23.55	201.00
15	ए.एल.एच.डब्ल्यू.	37.00	34.04	30.00	25.74	30.00
16	एम.पी.एस.ओ.	1.90	0.12			
17	अनुसंधान तथा विकास/अध्ययन	5.65	0.29	1.02	0.80	0.62
18	अन्य पत्तन	2.00	0.05	1.00	0.88	1.05
19	टेरिफ प्राधिकरण	2.70	2.70	3.86	3.01	4.33
	उपयोग (बी)	146.75	109.05	214.88	53.98	237.00
सर्वेक्षण जहाज (सी)		45.00	12.44	45.00	8.95	50.00
उपयोग (सी)		45.00	12.44	45.00	8.95	50.00
सकल योग (ए + बी + सी)		1151.93	739.13	1162.00	528.04	1201.89

प्रमुख पत्तन - यातायात लक्ष्य और उपलब्धियां (पत्तन-वार)

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	वार्षिक योजना 2001-02		वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	कोलकाता	8.00	5.38	5.50	7.20	8.95
2	हल्दिया	25.10	25.02	26.25	28.55	31.40
3	मुम्बई	27.80	26.43	26.43	26.77	27.00
4	जवाहर लाल नेहरू	20.70	22.52	25.80	26.84	29.70
5	चेन्नई	36.00	36.12	32.50	33.69	36.60
6	कोचीन	13.20	12.06	12.79	13.00	13.50
7	विशाखापत्तनम	42.50	44.34	44.40	46.01	49.00
8	काण्डला	38.10	37.73	38.00	40.63	41.50
9	मोरमुगांव	20.40	22.93	22.93	23.65	24.35
10	पारादीप	19.90	21.13	22.20	23.90	26.30
11	न्यू मंगलौर	19.10	17.51	16.99	21.43	22.95
12	तूतीकोरिन	12.30	13.02	13.65	13.29	14.45
13	एन्नोर पत्तन लि.	6.00	3.40	8.40	8.49	10.30
	योग	289.10	287.59	295.84	313.45	336.00

यातायात लक्ष्य और उपलब्धियां (पण्य-वार)

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	पण्य का नाम	वार्षिक योजना 2001-02		वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	पी.ओ.एल.	108.00	103.31	104.08	109.58	114.58
2	कच्चा लोह	42.40	45.72	46.00	50.66	52.85
3	उर्वरक	4.03	3.52	3.58	2.88	4.35
4	एफ.आर.एम.	6.47	6.04	6.89	5.67	5.70
5	तापीय कोयला	32.80	31.64	31.10	32.77	37.05
6	कुकिंग कोयला	13.20	13.87	15.10	15.33	17.50
7	कन्टेनरयुक्त माल	35.30	37.24	40.71	43.65	49.65
		(2.68)				
8	अन्य जहाजी माल	46.90	46.25	48.38	52.71	54.32
	योग	289.10	287.59	295.84	313.45	336.00

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
को प्रदान की गई राज्य-वार निधियां

स्कीम का नाम : अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

शुरू होने की तारीख : संशोधित मार्गनिर्देश, 5 नवम्बर 2002 को जारी किए गए

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य	सी.एस.एस. के अधीन प्रदान की गई निधि			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (ब.अ.)
1.	गोवा	- - -	17.58	- - -	200.00
2.	केरल	171.00	102.00	- - -	
3.	उत्तर प्रदेश	- - -	49.40	- - -	
4.	पश्चिम बंगाल	179.00	68.76	- - -	

नागर विमानन

भूमिका और सिंहावलोकन

70. यात्री और माल को लाने-ले-जाने के लिए नागर विमानन परिवहन का सबसे तेज साधन है और वह स्थूलतः तीन स्वतंत्र कार्यात्मक सत्ताओं, अर्थात् विनियामक एवं विकास, प्रचालनात्मक तथा आधारिक में संरचित है। विनियामक कार्यों का दायित्व महानिदेशक नागर विमानन (डी.जी.सी.ए.) और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.एस.ए.) पर है। प्रचालनात्मक कार्य सरकारी क्षेत्र में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, ऐलायन्स एयर, पवन हंस हेलीकाप्टर द्वारा तथा निजी हवाई प्रचालकों द्वारा नि-पादित किए जाते हैं। आधारिक सुविधाएं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा प्रदान की जाती है। सम्प्रति ए.ए.आई. 94 सिविल हवाई अड्डों की देखभाल करता है जिनमें 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और रक्षा हवाई क्षेत्रों के 28 सिविल एन्कलेव शामिल हैं।

वार्षिक योजना (2002-03) की समीक्षा

71. 10वीं पंचवर्षीय योजना में नागर विमानन विकास का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर की आधारिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा कारोबार और पर्यटन की अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मांगों की पूर्ति के लिए प्रभावी, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की प्रचालनात्मक कार्यकुशलता और वित्तीय नि-पादन में सुधार लाने के प्रयोजन से दोनों संगठनों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया गया। इन कम्पनियों में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी क्योंकि पात्र बोलीदाताओं ने अनेक कारणों से अंतिम समय में हाथ खींच लिया। वैश्विक विमानन उद्योग में प्रतिभूत हालात को देखते हुए इन दोनों कम्पनियों में विनिवेश की प्रक्रिया पुनः शुरू नहीं की जा सकी। अतः इन कम्पनियों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश सम्बन्धी निर्णय की समीक्षा की गई और इन कम्पनियों को विनिवेश रोस्टर से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया।

72. नागर विमानन के लिए अनुमोदित परिव्यय 2521.19 करोड़ रुपए का है जबकि इसकी तुलना में 2000.50 करोड़ रुपए की राशि (79.35%) के खर्च होने की संभावना है। जी.बी.एस. की उपयोगिता 43.47 करोड़ रुपए (63.0%) तक के होने की आशा है। पूर्व-निर्माण क्रियाकलापों के पूरा न होने, प्रचालनात्मक कारणों तथा वैमानिकीय उपकरणों की प्राप्ति में देरी के कारण ए.ए.आई. में बड़ी कमियां सूचित की गई हैं (संलग्नक 11.3.16)।

73. दसवीं योजना के लक्ष्य की तुलना में 2002-03 के दौरान की वास्तविक उपलब्धियां संलग्नक 11.3.17 तथा 11.3.18 में दी गई हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

74. महानगरीय हवाई अड्डों की पुनर्रचना के प्रस्तावों को 2003-04 के दौरान आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के व्यापक संशोधनों से संबंधित एक विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। ए.ए.आई. अधिनियम 1994 के संशोधन से महानगरीय हवाई अड्डों के विकास में निजी क्षेत्रक को सहयोजित करना संभव होगा। आरम्भ में दिल्ली और मुम्बई के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का काम हाथ में लेने का विचार है। नागर विमानन उद्योग सम्बन्धी मुद्दों की ओर व्यापक रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से सिविल विमानन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से इस क्षेत्रक का विकास सुकर बन जाएगा। वार्षिक योजना 2003-04 में 1779.18 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें 52.88 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। संगठन-वार ब्योरे संलग्नक 11.3.19 में दिए गए हैं।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स

75. एयर इंडिया मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया के लिए वर्ष 2003-04 के सम्बन्ध में 600.81 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अधिकांश परिव्यय (440.81 करोड़ रुपए) पहले से प्राप्त किए गए हवाई जहाजों सम्बन्धी ऋणों की वापसी अदायगी के लिए है। 150 करोड़ रुपए की राशि गैर-वैमानिक परियोजनाओं, जैसे कि ग्राउंड की देखभाल तथा कारखाना/सुरक्षा उपकरणों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

इंडियन एयरलाइन्स

76. इंडियन एयरलाइन्स मुख्यतः देश में घरेलू अन्तर्देशीय हवाई सेवाएं सुलभ कराती है। यह कुछ पड़ोसी देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी सुलभ कराती है। वार्षिक योजना 2003-04 में 280 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा पहले से खरीदे गए हवाई जहाज सम्बन्धी ऋण की वापसी के लिए है।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का वास्तविक और साथ ही वित्तीय नि-पादन संलग्नक 11.3.20 तथा 11.3.21 में दर्शाया गया है।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण

77. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) 94 सिविल हवाई अड्डों के प्रबंधन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है, जिनमें 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा रक्षा विमान पत्तनों पर 28 सिविल एन्कलेव भी हैं। यह भारत में उड़ान भरने वाले विमानों को मार्गनिर्देशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। अनुमोदित वार्षिक योजना 2003-04 के लिए ए.ए.आई. के संबंध में परिव्यय 800.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर, लेह तथा लक्षद्वीप जैसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों के विकास तथा अमृतसर हवाई अड्डे के विकास के लिए बजटीय सहायता के रूप में 34.96 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 800 करोड़ रुपए के आबंटित परिव्यय में से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग (आई.ए.डी.) के लिए 247.32 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कि मुख्यतः धावन पथों और टर्मिनल भवनों तथा प्रचालनात्मक उपकरणों के सुधार तथा स्तरोन्नयन के लिए है। रा-द्रीय विमानपत्तन प्रभाग (एन.ए.डी.) का अनुमोदित परिव्यय 552.68 करोड़ रुपए का है जो कि मुख्यतः विमान क्षेत्र कार्यों तथा वैमानिक संचार सेवाओं के लिए है। एन.ए.डी. के लिए 552.68 करोड़ रुपए राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वार्षिक योजना - रा-द्रीय विमानपत्तन प्रभाग - 2003-04

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीमें	अनुमोदित परिव्यय 2003-04
1	विमान क्षेत्र कार्य	284.61
2	वैमानिक संचार सेवाएं	143.00
3	ग्राउंड सुरक्षा सेवाएं	122.71
4	हवाई यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण (एम.ए.टी.एस. - बी.डी.)	1.00
5	सी.ए.टी.सी., इलाहाबाद का आधुनिकीकरण	1.36
	योग	552.68 (34.96)

टिप्पणी - को-ठकों में दी गई संख्या भारत सरकार से बजटीय सहायता दर्शाती है।

ए.ए.आई. का वित्तीय नि-पादन संलग्नक 11.3.19 पर प्रस्तुत है।

अन्य स्कीमें

78. पवन हंस हेलीकाप्टर्स देश के भीतर हेलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। 2003-04 के लिए अनुमोदित परिव्यय 81.45 करोड़ रुपए का है जिसमें से 63.05 करोड़ रुपए की राशि नए हेलीकाप्टर प्राप्त करने के निमित्त हैं।

79. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) हवाई अड्डों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। 2003-04 के लिए अनुमोदित परिव्यय 7.00 करोड़ रुपए का है जिसमें नागर विमानन सुरक्षा अकादमी स्थापित करने के लिए 2.00 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय

भवन का निर्माण करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए, बी.सी.ए.एस. की पुनर्रचना तथा उपकरणों की खरीद के लिए 1.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

80. देश के भीतर वायुयान प्रचालनों में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महानिदेशक, नागर विमानन (डी.जी.सी.ए.) की है। वार्षिक योजना (2003-04) के लिए अनुमोदित परिव्यय 4.15 करोड़ रुपए है जिसमें से अधिकांश आबंटन निदेशालय की क्षमता के सुदृढीकरण के निमित्त प्रशिक्षण के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए है ताकि निदेशालय अपने विनियामक कार्य कर सकें।

81. इंदिरा गांधी रा-ट्रीय उड़ान अकादमी (आई.जी.आर.यू.ए.) नामक देश का शी-स्थ उड़ान संस्थान, वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस और वाणिज्यिक हेलीकाप्टर पायलेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है। वार्षिक योजना (2003-04) के लिए अनुमोदित परिव्यय 3.50 करोड़ रुपए का है जो कि मुख्यतः प्रशिक्षण प्रारम्भिक हवाई जहाज प्राप्त के लिए है।

82. भारतीय होटल निगम (एच.सी.आई.) एयर इंडिया का एक सहायक संगठन है। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान 8.76 करोड़ रुपए की समूची राशि के खर्च हो जाने की संभावना है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 1.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

83. विश्वस्तरीय अंतर्रा-ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने के लिए ए.ए.आई. के चार महानगरीय हवाई अड्डों की पुनर्रचना करने का निर्णय लिया गया है। पुनर्रचना की प्रक्रिया से हवाई अड्डों के विकास में निजी क्षेत्रक की सहभागिता सुकर बन जाएगी। बंगलौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देवनहल्ली में नया बंगलौर अंतर्रा-ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। यह एक संयुक्त उद्यम है जिसमें निजी क्षेत्रक के पास 74% इक्विटी होगी और शे-न कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा ए.ए.आई. के बीच बराबर की मात्रा में होगी। इस हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका सीमन्स, जर्मनी के नेतृत्व में एक संघ को दिया गया है।

84. एक संयुक्त उद्यम के रूप में हैदराबाद में एक अन्य हवाई अड्डा बनने वाला है। इस संयुक्त उद्यम में आन्ध्र प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एक निजी संघ (जी.एम.आर. वसावी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. तथा मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग बरहर्ड) शामिल हैं और इस हवाई अड्डे में उनका हिस्सा 74% है। गोवा में एक नए अन्तर्रा-ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में भी सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिया जा चुका है।

संलग्नक 11.3.16

परिव्यय और व्यय - नौवीं योजना और दसवीं योजना - नागर विमानन

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	संगठन	नौवीं योजना (1997-2002)		परिव्यय का व्यय %	दसवीं योजना 2002-07 परिव्यय	2002-03		परिव्यय का व्यय %	2003-04 ब.अ.
		परिव्यय	व्यय			ब.अ.	सं.अ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ए.आई.	3664.00	2437.91	66.54	2661.39	858.70	765.07	89.10	600.81
	जिसमें से बी.एस. है	0.00	0.00		1.00	1.00		0.00	1.00
2	आई.ए.	3640.75	2301.75	63.22	4240.50	510.00	427.00	88.73	280.00
	जिसमें से बी.एस. है	125.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	1.00
3	ए.ए.आई								
	i) एन.ए.डी.	1899.35	1118.11	58.87	3378.06	709.60	492.05	69.34	552.68
	ii) आई.ए.डी.	1522.52	569.13	37.38	2026.15	286.45	225.24	78.63	247.32
	योग	3421.87	1687.24	49.31	5404.21	996.05	717.29	72.01	800.00
	जिसमें से बी.एस. है	283.37	125.45	44.27	250.00	53.12	33.59	63.23	34.96
4	पी.एच.एच. एल.	209.20	62.22	29.74	458.90	133.80	72.50	54.19	81.45
5	एच.सी.आई.	89.55	73.11	81.64	15.00	8.76	8.76	100.00	1.00
6	बी.सी.ए.एस.	25.00	7.55	30.20	114.00	7.69	3.69	47.98	7.00
	जिसमें से बी.एस. है	25.00	7.55	30.20	114.00	7.69	3.69	47.98	7.00
7	डी.जी.सी.ए.	27.00	16.78	62.15	14.00	3.10	3.10	100.00	4.15
	जिसमें से बी.एस. है	27.00	16.78	62.15	14.00	3.10	3.10	100.00	4.15
8	आई.जी.आर. यू.ए.	35.00	33.89	96.83	10.00	2.09	2.09	100.00	3.50
	जिसमें से बी.एस. है	35.00	33.89	96.83	10.00	2.09	2.09	100.00	3.50
9.	ऐरो क्लब आफ इंडिया	0.00	0.00		10.00	1.00	1.00	100.00	1.27
	जिसमें से बी.एस. है				10.00	1.00	1.00	100.00	1.27
	योग	11112.37	6620.45	59.58	12928.00	2521.19	2000.50	79.35	1779.18
	जिसमे से बी.एस. है	495.37	183.67	37.08	400.00	69.00	43.47	63.00	52.88

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर
यात्री टर्मिनलों के लिए क्षमता, मांग और परिवर्द्धन

(वार्षिक मिलियन में)

हवाई अड्डे	दसवीं योजना लक्ष्य		2002-03		2003-04
	2006-07 में प्रस्तावित क्षमता	प्रक्षेपित मांग 2006-07	क्षमता	मांग	लक्ष्य मांग
मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	8.50	6.55	8.50	5.09	5.4
देशीय टर्मिनल	7.60	9.93	10.00	7.17	7.60
दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	9.90	5.60	4.66	3.84	4.08
देशीय टर्मिनल	7.20	7.03	7.20	5.25	5.57
चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	2.12	2.91	2.35	1.95	2.07
देशीय टर्मिनल	3.30	3.17	3.30	2.21	2.35
कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	1.08	0.85	0.82	0.59	0.62
देशीय टर्मिनल	3.70	2.60	3.70	2.24	2.38
त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	0.42	0.91	0.42	0.77	0.82
देशीय टर्मिनल	0.80	0.32	0.80	0.24	0.25
योग	44.62	39.87	41.75	29.35	31.14

संलग्नक 11.3.18

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर
अंतर्राष्ट्रीय माल टर्मिनलों के लिए क्षमता, मांग और परिवर्द्धन

(वार्षिक '000 मी. टनों में)

हवाई अड्डे	दसवीं योजना लक्ष्य		2002-03		2003-04
	2006-07 में प्रस्तावित क्षमता	प्रक्षेपित मांग 2006-07	क्षमता	मांग	मांग
मुम्बई	296.03	313.13	296.00	224.01	240.81
दिल्ली	268.50	260.53	220.00	197.43	212.24
चेन्नई	93.44	130.17	60.00	106.84	114.85
कोलकाता	41.09	39.78	28.00	27.02	29.05
योग	699.06	743.61	604.00	555.3	596.95

संलग्नक 11.3.19

वार्षिक योजना (2003-04) में अनुमोदित परिव्यय का
संगठन-वार ब्योरा - नागर विमानन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संगठन	अनुमोदित परिव्यय	बजटीय सहायता	आई.ई.बी.आर.
1	एयर इंडिया	600.81	1.00*	599.81
2	इंडियन एयरलाइन्स	280.00	1.00*	279.00
3	ए.ए.आई.	800.00	34.96 @	765.04
4	पी.एच.एच.एल.	81.45	0	81.45
5	होटल कार्पो. आफ इंडिया	1.00	0	1.00
6	इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी	3.5	3.5	0
7 (क)	नागर विमानन महानिदेशालय	4.15	4.15	0
7 (ख)	एयरो क्लब आफ इंडिया	1.27	1.27	0
8	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	7.00	7.00	0
	योग	1779.18	52.88	1726.30

* इक्विटी अंशदान के लिए टोकन प्रावधान विमान प्राप्ति से जुड़ा है जिसके लिए उपयुक्त अनुमोदन लिया जाएगा।

@ नीचे दिए विवरण के अनुसार -

i) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में तथा जम्मू और कश्मीर, लेह और लक्षद्वीप जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए	14.96 करोड़ रुपए
ii) अमृतसर हवाई अड्डे का विकास	20.00 करोड़ रुपए
	जोड़ 34.96 करोड़ रुपए

संलग्नक 11.3.20

इंडियन एयरलाइन्स - वास्तविक नि-पादन

क्र.सं.	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (ब.अ.)	2002-03 (सं.अ.)	2003-04 (ब.अ.)
1	उपलब्ध टन कि.मी. (मिलियन)	1120.9	1153.68	1200	1186	1307	1335
2	राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	740.3	777.34	756.0	783	843	874
3	उपलब्ध यात्री कि.मी. (मिलियन)	10911	11185	11775	11724	13071	13486
4	राजस्व यात्री कि.मी. (मिलियन)	6982.5	7307.0	7121.0	7562	7899	8374
5	कुल भार कारक (%)	66.0	67.4	62.9	66.0	64.5	65.5
6	सीट कारक (%)	64.0	65.3	60.5	64.5	60.4	62.1
7	कुल घंटों पर प्रतिविमान प्रतिवर्ष विमान उपयोग						
(क)	ए-320	2274	2400	2486	2500	2675	2860
(ख)	ए-320	2954	3048	3168	3100	3326	3250
8	विमान बेड़ा						
(क)	ए-300	11	11	7	5	7	4
(ख)	ए-320	30	30	35	36	38	41
(ग)	ए-737 *	12	11	11	11	11	11
	जोड़	53	52	53	52	56	56

सभी बी-737 विमान मेसर्स एयरलाइन्स एलाइड सर्विसिज लि. को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

इंडियन एयरलाइन्स - वास्तविक नि-पादन

विवरण	1999-00 (वास्तविक)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (वास्तविक)	2002-03 (ब.अ.)	2002-03 (सं.अ.)	2003-04 (ब.अ.)
उपलब्ध टन कि.मी. (मिलियन)	2238.3	2226.9	2298.2	2350.8	2393.9	2647.5
राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	1456.5	1501.4	1398.0	1529.3	1481.2	1665.3
कुल भार कारक (%)	65.1	67.4	60.8	65.1	61.9	62.9
उपलब्ध सीट कि.मी. (मिलियन)	16485.8	16478.0	16950.2	17202.1	17714.8	19681.7
राजस्व यात्री किलोमीटर (मिलियन)	11587.0	12047.7	11288.7	12418.1	12145.2	13698.5
यात्री भार कारक (%)	70.3	73.1	66.6	72.2	68.6	69.6
प्रतिवर्ष विमान उपयोग (घंटे/प्रतिवर्ष)	2913	3270	3234.0	3164	3088	3212.0

इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया तथा ए.ए.आई. का वित्तीय कार्य-नि-पादन

(करोड़ रु.)

इंडियन एयरलाइन्स							
क्र.सं.	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (ब.अ.)	2002-03 (सं.अ.)	2003-04 (ब.अ.)
1	संचालन राजस्व	3549	3793	3769.9	4527.5	4127	4951.5
2	संचालन खर्चे	3349	3879	3990.56	4514.9	4280	4977
3	संचालन लाभ/हानि	200	(85)	(220.65)	12.6	(153)	(25.5)
4	कुल राजस्व	3566	3854	3877.29	4534	4138.5	4958
5	कुल व्यय	3514	4013	4124.04	4632.9	4384	5068.5
6	लाभ/(हानि) कर-पूर्व	51.42	(159.17)	(246.75)	(98.9)	(245.5)	(110.5)
7	कर के लिए प्रावधान	6.15					
8	कर-पश्चात निवल लाभ/हानि	45.27	(159.17)	(246.75)	(98.9)	(245.5)	(110.5)
एयर इंडिया							
1	संचालन राजस्व	4448	4873	4640.33	4833	5032.38	5530.00
2	संचालन खर्चे	4372	4870	4694.86	4960	5227.36	5739.50
3	संचालन लाभ/हानि	76.05	3.1	(54.53)	(127)	(194.98)	(209.50)
4	कुल राजस्व	4717	5224	4921.91	5146	5385.76	5743.50
5	कुल व्यय	4755	5269	4905.19	5121.5	5280.08	5799.00
6	लाभ/(हानि) कर-पूर्व	(38)	(44)	16.72	24.5	105.68	
7	कर के लिए प्रावधान			1.28			
8	कर-पश्चात निवल लाभ/हानि	(38)	(44)	15.442	24.5	105.68	(55.50)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण							
क्र.सं.	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (ब.अ.)	2002-03 (सं.अ.)	2003-04 (ब.अ.)
1	राजस्व	1691.28	1873.44	2244.84	2303.4	2292.73	2412.39
2	खर्चे	1346.55	1514.36	1767.86	1890.9	1864.43	1974.45
3	निवल लाभ/(हानि) कर-पूर्व	344.73	359.08	476.98	412.5	428.3	437.94
4	कर के लिए प्रावधान	133.35	145	210	147.26	157.4	166.42
5	कर-पश्चात निवल लाभ/(हानि)	211.38	214.08	266.98	265.24	270.9	271.52

11.4 सूचना और प्रसारण

भूमिका

सूचना और प्रसारण (आई. तथा बी.) क्षेत्रक के क्रियाकलापों में तीन क्षेत्र, अर्थात् प्रसारण, (दूरदर्शन और ए.आई.आर.) सूचना तथा फिल्मों शामिल हैं जिनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के विशेष-ज्ञतापूर्ण यूनिट, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्मों, प्रकाशन, विज्ञापन और नृत्य तथा नाटक जैसे परम्परागत मीडिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी मांगों की पूर्ति करते हैं। इन माध्यमों में से प्रसारण, अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन जिन्हें इस क्षेत्रक के योजना परिव्यय का 90% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। केवल नेटवर्क के माध्यम से देश में अब उपलब्ध 80 से अधिक निजी चैनलों के चलते एकाधिकार प्राप्त प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन की स्थिति कम हो गई है।

2. दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारण क्रियाकलापों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रयोजन से संसद द्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 पारित किया गया और प्रसार भारती के एक सरकारी क्षेत्रक का प्रसारणकर्ता बन जाने के बाद उक्त अधिनियम 1997 में अस्तित्व में गया। यह उल्लेख्य है कि क्षेत्र और जनसंख्या में व्याप्ति की दृष्टि से दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों ने काफी प्रगति की है जिसे नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है :

(30.06.2002 की स्थिति के अनुसार)		
	दूरदर्शन	आकाशवाणी
कवर की गई जनसंख्या (%)	89.6	98.8
कवर किया गया क्षेत्र (%)	77.5	89.5
कुल ट्रांसमीटर (संख्या)	1236	333
प्रसारण केन्द्र (संख्या)		208
दूरदर्शन केन्द्रों में उपग्रह अपलिक सुविधाएं (संख्या)	26	
दूरदर्शन नेटवर्क के अधीन स्टुडियो (संख्या)	55	

3. लगभग 400 मिलियन दर्शकों और रा-ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय रूप में त्रिस्तरीय मूल कार्यक्रम सेवा के चलते दूरदर्शन, विश्व के एक विशालतम स्थलीय नेटवर्क के रूप में उभरा है। इसने नए उपग्रह चैनल भी जोड़े हैं जिनमें ये शामिल हैं : डी.डी. स्पोर्ट्स, डी.डी. भारती, ज्ञान दर्शन। आकाशवाणी भी विशालतम रेडियो संगठन के रूप में उभरा है जिसके अधीन 24 भा-नाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत, स्पोकल वर्ड तथा अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। निजी क्षेत्रक में भी देश में महानगरों तथा अन्य शहरों में बड़ी संख्या में एफ.एम. चैनल उभरे हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

प्रमुख लक्ष्य

आकाशवाणी

- एफ.एम. रेडियो का विस्तार किया जाए ताकि दसवीं योजना के अन्त तक वह 60% से अधिक जनसंख्या तक पहुंच सके। महानगरों और छोटे शहरों में एफ.एम. रेडियो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी प्रचालकों को प्रोत्साहित किया जाए।
- दसवीं योजना के अन्त तक 50% निर्माण सुविधाओं का डिजिटीकरण ताकि उत्तम स्तर की अभिसरण योग्य सामग्री सुनिश्चित हो सके (जो कि अन्योन्यक्रियापूर्ण रेडियो को भी सहयोग प्रदान करेगा)।
- पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) तथा द्वीपसमूह क्षेत्रों में रेडियो का सुदृढीकरण और पहुंच का विस्तार करना।
- स्थानीय समुदायों और विश्वविद्यालयों, एन.जी.ओ. आदि जैसे गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा एफ.एम. पद्धति के न्यून शक्ति के सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देना।

दूरदर्शन

- दसवीं योजना के अन्त तक समूची संभावित टी.वी. जनसंख्या को क्यू.बैण्ड तथा अन्य पद्धतियों में प्रत्यक्ष उपग्रह वितरण में शामिल करना।
- दसवीं योजना के अन्त तक दूरदर्शन का निर्माण सुविधाओं का प्रमुख केन्द्रों में शतप्रतिशत तथा अन्य केन्द्रों में 10 प्रतिशत डिजिटीकरण करना ताकि उत्तम स्तर की अभिसरण योग्य सामग्री सुनिश्चित हो सके।
- प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों के स्टुडियो में प्रचालन में पूर्ण तथा अन्य केन्द्रों में 50 प्रतिशत स्वचलीकरण।
- वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. के लिए संप्रे-ण सुविधाओं में शतप्रतिशत तथा एच.पी.टी. के मामले में 50 प्रतिशत स्वचलीकरण।

फिल्म क्षेत्रक

- वित्त के औपचारिक स्रोतों का लाभ उठाने के लिए संस्थानगत व्यवस्था तथा अपराधी-वर्ग से गैर-कानूनी पैसे के प्रवाह को हतोत्साहित करना।
- प्रदर्शन थियेट्रों की संख्या में वृद्धि करना।

- सारे देश के भीतर मनोरंजन कर का मानकीकरण करना और कर को कम करना ताकि आधारिक तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- उद्योग की आय बढ़ाने के लिए फिल्मों की चोरी पर कठोर नियंत्रण।

सूचना क्षेत्रक

- विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/पत्रिकाओं/जर्नलों के भारतीय संस्करणों की अनुमति देना।
- इन मैगजीन/जर्नलों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देना।
- समाचार और समसामयिक मामलों की पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों को 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देना।

ध्यातव्य क्षेत्र

- दूरदर्शन और रेडियो सेवाओं की कवरेज, असेवित क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, सीमा क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा छितरी जनसंख्या क्षेत्रों तक बढ़ाना।
- पुराने उपकरणों को बदलने और पिछली योजनाओं में हाथ में ली गई स्कीमों को पूरा करने के अलावा प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और निर्माण तथा संप्रेषण सुविधाओं का स्वचलीकरण।
- व्यापक व्याप्ति के प्रयोजन से तीन क्षेत्रों, अर्थात् सूचना और प्रसारण, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इ-टतम उपयोग।
- अमीरों और गरीबों के बीच के डिजिटल अन्तर को समाप्त करने के लिए उपाय।
- प्रशिक्षण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना जिससे कि प्रौद्योगिकीय बदलावों और नई चुनौतियों के साथ-साथ चलने के निमित्त मानव संसाधन विकसित किए जा सकें।
- स्थापित और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके सामग्री सृजन में सुधार।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

4. लोक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका के चलते उनके वित्तीय और मानव संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है जिसका सामना निजी चैनलों को नहीं करना पड़ता।

उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों तथा सीमा क्षेत्रों में जहां कि निजी प्रसारणकर्ताओं द्वारा आर्थिक कारणों से प्रचालन करने की संभावना नहीं होती, लोक सेवा प्रसारणकर्ता के रूप में प्रसार भारती को सेवाएं प्रचालित करनी होती हैं। इसके अलावा प्रसारण क्षेत्र में पिछली योजनाओं का व्यय मुख्यतः कैरिज आधारिक तंत्र के निर्माण पर किया गया और प्रसारण सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निधियों का बहुत कम अथवा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। प्रसार भारती के कार्यक्रम अपनी प्रकृति से अधिकांशतः सूचनाप्रद तथा शिक्षाप्रद होते हैं, मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ वे दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र होते हैं तथा मात्र आय सर्जक नहीं होते। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलें नीचे प्रस्तुत हैं :

(क) कन्डीशनल एक्सेस प्रणाली (सी.ए.एस.) - सी.ए.एस. विनयक कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा मई 2002 में केवल दूरदर्शन नेटवर्क्स (विनियमन विधेयक 2002) पारित किया गया। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ एक एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से पे-चेनल देखने के लिए अधिदेश दिया गया है। इसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक ग्राहक को समुचित लागत पर विभिन्न किस्मों के "फ्री-टु-एयर" (एफ.टी.ए.) चैनलों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध हो सके। यह भी आशा की जाती है कि दर्शकों की संख्या में पारदर्शिता लाई जाए तथा ग्राहक को अपनी इच्छानुसार चैनल छानने की सुविधा सुलभ हो।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर के लिए विशेष पैकेज - जम्मू तथा कश्मीर राज्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवाओं में सुधार के लिए 9वीं योजना में 430 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पैकेज शुरू किया गया था। इस आशय की पहल की गई है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की अधिकांश परियोजनाएं 2003 तक पूरी कर ली जाएं। पैकेज में विशेष साफ्टवेयर का विकास तथा कश्मीर चैनल के प्रसारण समय में वृद्धि करना भी शामिल है। पैकेज के कार्यान्वित होने के बाद केवल यही नहीं कि जम्मू तथा कश्मीर तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन की व्याप्ति सुदृढ़ हो जाएगी बल्कि इससे सीमा पार से होने वाले भारत विरोधी प्रचार का भी कारगर ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पूर्वोत्तर पैकेज - यह पैकेज 10वीं योजना में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर तथा द्वीप क्षेत्रों में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवाओं की व्याप्ति में सुधार और विस्तार किया जा सके। इस पैकेज के कार्यान्वित होने के बाद आशा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन की व्याप्ति जनसंख्या की दृष्टि से 94.8% तक तथा क्षेत्र की दृष्टि से 75.9% तक हो जाएगी तथा व्याप्ति क्षेत्र में संकेतकों की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा साथ ही अतिरिक्त क्षेत्रों में आकाशवाणी की व्याप्ति अधिकतम हो जाएगी।

(घ) उपग्रह अपलिकिंग नीति - जून 1998 तक विदेशी चैनलों सहित किसी भी निजी एजेंसी को अपलिकिंग की अनुमति नहीं थी। अपलिकिंग नीति को चरणों में उदारीकृत किया गया और उसे 2002-03 में और अधिक उदारीकृत किया गया तथा कम्पनियों को भारत में अपलिकिंग केन्द्र (टेलीपोटर्स) स्थापित करने की अनुमति दी गई जिससे कि वे प्रसारणकर्ताओं को पट्टे/किराए पर अपनी सुविधाएं प्रदान कर सकें।

(ड) निजी एफ.एम. रेडियो चैनल - देश में विशेष रूप से महानगरों तथा बड़े शहरों में एफ.एम. रेडियो सेवाओं के विस्तार की दिशा में पहलें की गई हैं। महानगरों, अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा बंगलौर, इन्दौर, अहमदाबाद, लखनऊ तथा पुणे में एफ.एम. केन्द्र प्रचालित किए जा चुके हैं।

(च) विज्ञापन तथा फिल्म क्षेत्रक में एफ.डी.आई. - मनोरंजन क्षेत्रक विशेष रूप से फिल्म क्षेत्रक में अत्यधिक संभावनाएं हैं। फिल्मों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के मानदण्डों के उदारीकरण से उन्नति की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा, बड़ी मात्रा में एफ.डी.आई. प्राप्त होगा और साथ ही विज्ञापन तथा फिल्म क्षेत्रक दोनों में प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन सुकर बन जाएगा। पूर्व में विज्ञापन क्षेत्र में कतिपय शर्तों के अधधीन प्रदत्त इक्विटी के 74% तक की एफ.डी.आई. की तथा फिल्म क्षेत्रक में 100% तक की एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि फिल्म तथा विज्ञापन क्षेत्रकों - दोनों में किसी भी अन्य शर्त के बिना मार्च 2002 से स्वचालित अनुमोदन पद्धति के जरिए 100% तक की एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी जाए।

(छ) मुद्रित मीडिया तथा विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों में विदेशी निवेश - कुछ समय पहले तक समाचार पत्रों और समाचारों तथा समसामयिक मामलों की पत्रिकाओं के विदेशी स्वामित्व की मनाही थी। वार्षिक योजना 2002-03 में सरकार ने छात्रों और व्यावसायिकों की आवश्यकताओं को तथा मुद्रित मीडिया क्षेत्र में सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों के प्रवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया :

- i) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/जर्नलों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन।
- ii) वैज्ञानिक, तकनीकी, विशेषज्ञता वाली मैगजीन/जर्नल/पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में 74% तक का विदेशी निवेश।
- iii) समाचार तथा समसामयिक मामलों से सम्बन्धित समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली भारतीय कम्पनियों में प्रदत्त पूंजी के 26% तक का एफ.डी.आई.।

(ज) क्यू-बैण्ड प्रसारण - देश में असेवित दूरस्थ सीमा तथा छितरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में टी.वी. व्याप्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10वीं योजना में क्यू-बैण्ड पद्धति से उपग्रह प्रसारण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। निदर्शन के प्रयोजन से उक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए नेटवर्क में उपलब्ध उपकरण का प्रयोग करते हुए क्यू-बैण्ड उपग्रह अपलिक सुविधा स्थापित कर दी गई है। देश के विभिन्न भागों में रिसेप्शन का मानीटरन किया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2002-03 की वित्तीय समीक्षा

5. सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में 878.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है जिसमें 415.00 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष बजटीय सहायता और 463.00

करोड़ रुपए का आई.ई.बी.आर. घटक शामिल है। 2002-03 के संशोधित अनुमान 395.09 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 413.45 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर. सहित 808.54 करोड़ रुपए का परिव्यय दर्शाते हैं। बजटीय सहायता में पिछले वर्ग की तुलना में वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं में सुधार का विशेष पैकेज पूरा करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेज के कार्यान्वयन पर बल दिया गया था। पिछले वर्गों की भांति ही इस वर्ग भी वार्षिक योजना के आई.ई.बी.आर. घटक में कमी की संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पिछले दो वर्गों के क्षेत्रक-वार परिव्यय तथा व्यय संलग्नक I में दिए गए हैं। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान प्रसार भारती के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक II में प्रस्तुत हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

6. वार्षिक योजना 2003-04 में इस क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय 890.00 करोड़ रुपए है जिसमें 415.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 475.00 करोड़ रुपए का आई.ई.बी.आर. शामिल है। बजटीय सहायता में जम्मू तथा कश्मीर के लिए विशेष पैकेज शामिल है ताकि पैकेज के अधीन पीछे से चली आ रही स्कीमों को इस वित्तीय वर्ग में पूरा किया जा सके। मौजूदा सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उनके समेकन के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) तथा द्वीप क्षेत्रों में टी.वी. और रेडियो सेवाओं के सुधार पर भी बल दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा क्यू-बैण्ड में बहु चैनल डिजिटल उपग्रह वितरण के माध्यम से असेवित क्षेत्रों को शामिल करने के प्रयोजन से वार्षिक योजना 2003-04 में 35 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के अधीन 10वीं योजना की नई स्कीमों अर्थात् पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज, नई निर्माण सुविधाएं, प्रसारण उपकरण, साफ्टवेयर विकास आदि के कार्यान्वयन के लिए 240.75 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसी प्रकार आकाशवाणी के लिए भी वार्षिक योजना 2003-04 में जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से चली आ रही स्कीमों को कार्यान्वित करने और आकाशवाणी सेवाएं सुधारने के लिए 201.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अलावा वार्षिक योजना 2003-04 में उपकरणों का आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन तथा स्तरोन्नयन और नई स्कीमों शुरू करना शामिल है। वार्षिक योजना 2003-04 के सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के लिए क्षेत्रक-वार अनुमोदित परिव्यय संलग्नक III में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए ध्यातव्य क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्रक

दूरदर्शन

7. इस क्षेत्रक में हो रहे बहुविध प्रौद्योगिकीय बदलावों के कारण पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे कि देश के शेष हिस्सों में टी.वी. की व्याप्ति, उत्कृष्ट सामग्री सृजन, प्रसार भारती के प्रमुख केन्द्रों में निर्माण सुविधाओं के डिजिटीकरण तथा स्वचलीकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण सुनिश्चित हो सके ताकि लोक सेवा प्रसारणकर्ता को निजी चैनलों के साथ प्रतियोगिता में प्रभावी ढंग से खड़े होने के योग्य बनाया जा सके। दूर-दराज के इलाकों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लगभग 30 चैनलों को निःशुल्क रूप से देखने के निमित्त संकेतक प्राप्त करने के लिए सेट-टाप बक्से (एस.टी.वी.) और डिश स्थापित करके आरम्भ में 8 राज्यों

के चुनिन्दा गांवों में क्यू-बैण्ड (उपग्रह वितरण) के माध्यम से टी.वी. सेवा सुविधाओं को प्राथमिकता भी दी गई है।

आकाशवाणी

8. मीडिया वेब प्रसारण लगभग 99% जनसंख्या तक पहुंच चुका है। तो भी इसकी उच्च स्तरीय स्टीरियोफोनिक ध्वनि के कारण एफ.एम. प्रसारण को समूचे विश्व में रेडियो प्रसारण का एक पसन्दीदा माध्यम बना है। इसलिए महानगरों तथा छोटे शहरों में प्रसारण और रिसेप्शन की बेहतर गुणवत्ता के लिए एफ.एम. रेडियो को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) में रेडियो की पहुंच सुदृढ़ करने और विस्तारित करने पर भी बल दिया गया है।

9. 2003-04 में प्रसारण क्षेत्र (अर्थात् प्रसार भारती) के लिए 841.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें बजटीय सहायता के रूप में 366.00 करोड़ रुपए और आई.ई.बी.आर. के रूप में 475.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष पैकेजों के निमित्त बजटीय सहायता के रूप में 159.41 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 640.00 करोड़ रुपए (डी.बी.एस. + आई.ई.बी.आर.) तथा 201.00 करोड़ रुपए (डी.बी.एस. + आई.ई.बी.आर.) है। वार्षिक योजना 2003-04 में सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय में 94% से अधिक हिस्सा प्रसारण क्षेत्रक का है।

फिल्म क्षेत्रक

10. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए फिल्म क्षेत्रक के सम्बन्ध में अनुमोदित परिव्यय 24.00 करोड़ रुपए है। वर्न के दौरान हाथ में लिए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों में ये शामिल हैं : भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार, फिल्म उपकरण का आधुनिकीकरण, फिल्म अभिलेखागार क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास, उत्सवों के माध्यम से भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा भारत में बाल फिल्म सोसायटी के लिए सुविधाएं सृजित करना।

सूचना क्षेत्रक

11. सूचना क्षेत्रक के लिए 2003-04 में अनुमोदित परिव्यय 21.00 करोड़ रुपए है। वार्षिक योजना के ध्यातव्य क्षेत्र में ये शामिल हैं : सूचना भवन और रा-ट्रीय प्रेस केन्द्र का निर्माण, भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालयों का आधुनिकीकरण, गीत और नाटक प्रभाग के लिए उपकरणों की खरीद, क्षेत्र प्रचार निदेशालय के लिए फिल्म/कैसेट, मीडिया कौशल विकसित करने के लिए जनशक्ति का प्रशिक्षण आदि।

शून्य आधारित बजट निर्माण

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शून्य आधारित बजट (जेड.बी.बी.) प्रविधि के आधार पर सभी योजनागत स्कीमों की एक व्यापक समीक्षा की, जिसका उद्देश्य था : कार्यक्रमों का युक्तियुक्तरण

सुनिश्चित करना, दोहराव से बचने के लिए एक समान स्कीमों का अभिसरण और गैर-प्राथमिक स्कीमों की छंटाई। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दसवीं योजना की 116 स्कीमों की संख्या वार्षिक योजना 2003-04 में घटा कर 101 कर दी गई है।

मुद्दे और कार्यनीतियां

13. प्रसारण क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना 2003-04 में निम्न कार्यनीति अपनाई गई हैं :

- (क) जम्मू तथा कश्मीर के लिए विशेष पैकेज पूरा करना।
- (ख) पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) तथा द्वीप क्षेत्रों में रेडियो और टी.वी. की सुलभता।
- (ग) एफ.एम. रेडियो की बेहतर ध्वनि और स्थानीय नेटवर्क के चलते प्रोत्साहित करना।
- (घ) टी.वी. और रेडियो सेवाओं के बेहतर नि-पादन के लिए कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं का डिजिटीकरण तथा प्रमुख केन्द्रों का स्वचलीकरण।
- (ङ) टी.वी. जनसंख्या को उत्तम स्तर की सामग्री सहित अधिमानतः बहुचैनल सेवाओं में शामिल करना।

14. हालांकि सूचना क्षेत्रक में अनेक मीडिया यूनिट, योजना प्रक्रिया की शुरु की अवधि में आरम्भ किए गए थे फिर भी विकासात्मक नीतियों की बाबत, विशेष रूप से ग्रामीण जनता को सूचित कराने की उनकी भूमिका, सदा की भांति अभी भी वैध बनी हुई है। मुद्रित मीडिया की नीतिगत कार्यनीति की वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान समीक्षा की गई और समाचार पत्र तथा समसामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने में विशेष रूप से विदेशी निवेश के लिए निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा विज्ञापन में विदेशी इक्विटी तथा विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक जर्नलों आदि के भारतीय संस्करण के प्रकाशन को सुकर बनाने की अनुमति भी दे दी गई है।

15. इसी प्रकार फिल्म क्षेत्रक में विभिन्न मीडिया यूनिटों की भूमिका और संरचना पर नए ढंग से दृष्टि डाली गई है। तथापि इस क्षेत्रक पर मुख्यतः निजी क्षेत्रक का प्राधान्य है और भारतीयों के जीवन में फिल्म को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन क्षेत्रकों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और नौवीं योजना में इसे एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही यह क्षेत्रक एक विशालतम नियोक्ता भी है जो कि प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः लगभग 5 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा पिछले कुछेक वर्षों में फिल्म निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए निम्न कार्यनीतियां अपनाई गई हैं :

- (i) फिल्म निर्माण के वित्तपो-ण के लिए औपचारिक स्रोतों का लाभ उठाना तथा आपराधिक स्रोतों से पैसे के गैर-कानूनी प्रवाह को हतोत्साहित करना।
- (ii) उत्सवों का आयोजन करके तथा विपणन कार्यनीतियों के जरिए विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्मों का निर्यात करना।

- (iii) सरकारी तथा निजी संस्थानों - दोनों में एच.आर.डी. प्रशिक्षण के जरिए कौशलों का उन्नयन करना।
- (iv) आय को बढ़ावा देने के लिए फिल्म की चोरी पर रोक लगाना।
- (v) बेहतर मानीटरन तथा फिल्म विनियमों के लिए सी.बी.एफ.सी. में आधारिक सुविधाओं का संवर्धन करना।
- (vi) बाल फिल्म सोसायटी (सी.एफ.एस.आई.) को उच्च स्तरीय फिल्मों का निर्माण बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लक्षित श्रोताओं तक पहुंचा जा सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वित्तीय नि-पादन

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक का नाम	9वीं योजना (1997-2002)		10वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय (2002-07)	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04	
	परिव्यय	वास्तविक व्यय		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1. सूचना क्षेत्रक							
डी.बी.एस	93.30	68.63	119.68	29.00	9.71	21.00	21.00
आई.ई.बी.आर.	0	6.93	0	0	0	0	0
योग	93.30	75.56	119.68	29.00	9.71	21.00	21.00
2. फिल्म क्षेत्रक							
डी.बी.एस	137.20	130.52	153.42	26.00	8.84	24.00	24.00
आई.ई.बी.आर.	45.50	26.42	0	0	0	0	0
योग	182.70	156.94	153.42	26.00	8.84	24.00	24.00
3. प्रसारण क्षेत्रक							
डी.बी.एस	449.55	664.37	2104.30	360.00	उपलब्ध नहीं	366.00	366.00
आई.ई.बी.आर.	2117.50	1870.97	2750.00	463.00	उपलब्ध नहीं	475.00	475.00
योग	2567.05	2535.34	4854.30	823.00	677.43	841.00	841.00
4. मुख्य सचिवालय							
डी.बी.एस	0	0	2.60	0	0	4.00	4.00
आई.ई.बी.आर.	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	2.60	0	0	4.00	4.00
योग डी.बी.एस. (सू. तथा प्र.)	680.05	863.52	2380.00	415.00	उपलब्ध नहीं	415.00	415.00
योग आई.ई.बी.आर. (सू. तथा प्र.)	2163.00	1904.32	2750.00	463.00	उपलब्ध नहीं	475.00	475.00
सू. तथा प्र. मंत्रालय का सकल योग	2843.05	2767.84	5130.00	878.00	695.98	890.00	890.00

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना 2001-02, 2002-03 के लिए मीडिया-वार
वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां और 2003-04 के लक्ष्य

क्र.सं	मीडिया यूनिट	स्कीम	2001-02		2002-03		2003-04
			लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1.	दूरदर्शन						
		स्टुडियो	3	2	4	3	2
		एचपीटी-डीडी1	18	5	14	8	10
		एचपीटी-डीडी2	8	2	11	10	12
		एलपीटी/वीएलपीटी	65	31	50	49	10
	दूरदर्शन (जे एण्ड के पैकेज)						
		स्टुडियो	--	--	1	--	1
		एचपीटी	9	2	6	5	10
		एलपीटी/वीएलपीटी	5	7	22	22	--
	दूरदर्शन योग		161	79	108	97	45
2	आकाशवाणी						
		प्रसारण केन्द्र	--	--	1	1	--
		मीडियम वेव ट्रांसमीटर	*33	*31	2	--	7
		एफ.एम. ट्रांसमीटर				1	18
		शार्ट वेव ट्रांसमीटर	--	--	3	3	--
		स्टुडियो	--	--	1	1	--
		केप्टिव अर्थ केन्द्र					10
	आकाशवाणी (जे. एण्ड के. पैकेज)						
		प्रसारण केन्द्र	--	--	2	2	--
		मीडियम वेव ट्रांसमीटर	10	8	--	--	1
		एफ.एम. ट्रांसमीटर	--	--	--	--	--
3.	आकाशवाणी	योग	43	39	9	8	36
	प्रसार भारती	योग	204	118	117	105	81

* जारी स्कीम - 10 + आधुनिकीकरण स्कीम - 22 + नई स्कीम - 1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय - वार्षिक योजना 2003-04

(लाख रुपए)

क्र.सं.	मीडिया यूनिट	अनुमोदित परिव्यय	एनई घटक विनिश्चित
I	सूचना क्षेत्रक		
1	पी.आई.बी.	511.00	60.00
2	प्रकाशन प्रभाग	93.00	1.00
3	डी.ए.वी.पी.	286.00	31.00
4	आई.आई.एम.सी.	360.00	10.00
5	फोटो प्रभाग	115.00	
6	डी.एफ.पी.	202.00	60.00
7	गीत और नाटक प्रभाग	280.00	30.00
8	आर.आर. तथा टी.डी.	10.00	
9	आर.एन.आई.	132.00	
	मुख्य सचिवालय स्कीमें		
10	सूचना भवन	71.00	
11	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	40.00	
	योग (I) डी.बी.एस	2100.00	192.00
II	फिल्म क्षेत्रक		
1	फिल्म प्रभाग	472.00	
2	एन.एफ.ए.आई.	122.00	
3	एफ.टी.आई.आई., पुणे	293.00	
4	एस.आर.एफ.टी.आई., कोलकाता	30.00	
5	डी.एफ.एफ.	450.00	
6	सी.एफ.एस.आई.	621.00	
7	सी.बी.एफ.सी	292.00	18.00
	मुख्य सचिवालय (फिल्म स्कन्ध) स्कीमें		
8	एफ.एफ.एस.आई. तथा एन.जी.ओ. को सहायता-अनुदान	20.00	
9	भारत तथा विदेशों में फिल्म बाजार में सहभागिता	100.00	
	योग (II) डी.बी.एस.	2400.00	18.00
III	प्रसारण क्षेत्रक (पी.बी.)		
1.	आकाशवाणी	20100.00	
	डी.बी.एस.	7600.00	1600.00
	आई.ई.बी.आर.	12500.00	
2.	दूरदर्शन	64000.00	
	डी.बी.एस.	29000.00	7480.00
	आई.ई.बी.आर.	35000.00	

	योग (III)	84100.00	
	डी.बी.एस.	36600.00	
	आई.ई.बी.आर.	47500.00	
IV	केन्द्रीय मानीटरन सेवा (सी.एम.एस.) : डी.बी.एस.	400.00	
	सकल योग (I+II+III+IV)	89000.00	
	डी.बी.एस.	41500.00	9290.00
	आई.ई.बी.आर.	47500.00	

11.5 संचार

डाक क्षेत्रक

उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए एक कारगर डाक प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। यह प्रणाली तेजी के साथ आधुनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रही है। 1.55 लाख डाकघरों सहित भारतीय डाक प्रणाली विश्व की विशालतम प्रणाली है। बहुविध डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा भारतीय डाक प्रणाली, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन जुटाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निम्न तालिका इस क्षेत्रक की बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

क्षेत्रक की रूपरेखा

- 155295 (31.3.2002 को अद्यतन) डाकघरों/आउटलेटों सहित भारतीय डाक प्रणाली विश्व की विशालतम प्रणाली है।
- विभाग के अधीन डाक सेवाएं चलाने में नियुक्त कुल जनशक्ति लगभग 5.75 लाख है जिसमें स्थायी कार्मिकों और अतिरिक्त विभागीय की संख्या बराबर-बराबर है (1.3.2003)।
- विभाग का कुल राजस्व व्यय 5508.51 करोड़ रुपए (2003-04 ब.अ.) है जबकि राजस्व घाटा 1308.51 करोड़ रुपए का है।
- योजना परिव्यय समग्र व्यय का बहुत छोटा हिस्सा बैठता है और वह (2002-03 सं.अ.) के लिए 95.00 करोड़ रुपए, अर्थात् राजस्व व्यय का 1.76% बैठता है।
- समग्र योजना परिव्यय का वित्तपो-ण बजटीय सहायता के माध्यम से होता है।
- कूरियर सेवाओं को छोड़कर डाक प्रचालनों पर अभी भी राज्य का एकाधिकार बना हुआ है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

मुख्य लक्ष्य

2. दसवीं योजना का लक्ष्य है कि डाक सेवाएं दसवीं योजना के अन्त तक स्ववित्तपो-नी बन जाएं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतिगत पहलें शुरू की जानी आवश्यक हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन

और डाक प्रचालनों के आधुनिकीकरण को एक ध्यातव्य क्षेत्र बनाए रखे जाने की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना के दौरान डाक क्षेत्रक के लिए परिकल्पित मुख्य लक्ष्य हैं :

- (i) वहनीय मूल्यों पर सार्वजनीन डाक सेवाओं का प्रावधान।
- (ii) अंतर्रा-द्रीय स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- (iii) आधुनिकीकरण और पुनः इंजीनियरी शुरू करना जिससे कि बेहतर प्रशासनिक प्रभाविता और वित्तीय प्रबन्ध प्राप्त हो सकें।
- (iv) मौजूदा आधारिक तंत्र का उन्नयन जिससे कि प्रचालन लागत न्यूनतम और ग्राहक संतुष्टि अधिकतम हो सके।
- (v) विभाग के डाक प्रचालनों को दसवीं योजना के अंत तक स्ववित्तपोषी बनाना।

ध्यातव्य क्षेत्र/नीतिगत पहलें

3. इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दसवीं योजना के दौरान एक व्यापक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना है। योजना का प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र होगा : संयोज्यता, नेटवर्क निर्माण और कम्प्यूटरीकरण। डाकघरों को बहु-उत्पाद और बहु-सेवा आउटलेटों में बदल कर एक नया रूप दिए जाने की बात सोची गई है। सेवाओं की प्रभाविता और गुणवत्ता में सुधार लाकर तथा आई.टी. आधारित उत्पादों और सेवाओं का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम शुरू करके इस क्षेत्रक को रूपान्तरित करने और आधुनिक बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। योजना के लिए परिकल्पित कार्यनीतियां और प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नानुसार हैं :

- (i) सार्वजनीन डाक सेवा दायित्व का निर्धारण और उसे अपनाना तथा वहनीय मूल्यों पर उसे उपलब्ध कराना।
- (ii) गैर-यू.पी.एस.ओ. का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक आधार पर किया जाए।
- (iii) एक स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना जो कि अन्य बातों के अलावा टैरिफ नियतन का काम भी देखेगा।
- (iv) नए डाकघर केवल स्टाफ की पुनर्तैनाती करके खोले जाएं; इस प्रयोजन के लिए कोई भी अतिरिक्त पद न बनाए जाएं।
- (v) सभी मौजूदा डाकघरों की एक समयबद्ध तरीके से व्यापक समीक्षा की जाए।
- (vi) डाकघर बहुउत्पाद/बहुसेवा केन्द्रों के रूप में काम करें और सेवाओं का अभिसरण प्रमुख मानदण्ड बने।
- (vii) डाक नेटवर्क का कम्प्यूटरीकरण, संयोज्यता और नेटवर्क निर्माण योजना क्रियाकलाप का मूलाधार हो।
- (viii) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को एक भवि-यदर्शी अधिनियम द्वारा बदला जाए ताकि प्रतियोगिता, अभिसरण तथा अन्य नए घटनाक्रम की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

4. दसवीं योजना के लिए सुधारों के एक व्यापक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना की नीति और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2002-03 के कार्यक्रमों में डाक

प्रचालनों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 150.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया। दसवीं योजना के बल और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण के प्रमुख क्षेत्र पर 104.31 करोड़ रुपए, अर्थात् कुल परिव्यय का 69.54% खर्च किया जाना था। दसवीं योजना के बल और प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आठ नई स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें ये शामिल हैं :

- (i) परिमण्डल टिकट डिपुओं का आधुनिकीकरण
- (ii) अंतर्रा-द्रीय डाक प्रोसेसिंग का कम्प्यूटरीकरण
- (iii) रा-द्रीय डाटा केन्द्र
- (iv) एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्रों की स्थापना
- (v) अनुसंधान और विकास/अध्ययन/सर्वेक्षण
- (vi) ई-डाक
- (vii) ई-बिलडाक
- (viii) वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास सहित नए उत्पादन और सेवाएं

5. दसवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय और अपेक्षित निवेश संबंधी अनुमोदनों में देरी के कारण तथा स्कीम-वार ब्योरों को अन्तिम रूप में हुई देरी की वजह से स्कीमें/कार्यक्रम वांछित रूप में शुरू नहीं किए जा सके। फलतः वर्ग के दौरान योजना व्यय की गति आशा से बहुत धीमी रही। 95.00 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। मुख्य उपलब्धियों में ये शामिल हैं : 1482 पी.एस.एस.के., 241 ई.डी.बी.ओ., 25 डी.एस.ओ. खोलना, 1818 ग्रामीण डाकघरों को आधारिक सुविधाएं मुहैया कराना और लगभग 35000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। अन्य प्रमुख उपलब्धियों में ये शामिल हैं : तीन विदेशी डाक केन्द्रों तथा दो विदेशी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण। वास्तविक उपलब्धि और वित्तीय व्यय ब्योरे संलग्नक -11.5.1 तथा 11.5.2 में दर्शाए गए हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

6. वार्षिक योजना 2003-04 में वार्षिक योजना 2002-03 के अधूरे लक्ष्यों की पूर्ति किए जाने की परिकल्पना की गई है। जो स्कीमें/कार्यक्रम 2002-03 में शुरू किए गए थे उन्हें जारी रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 150.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। स्कीमवार ब्योरे संलग्नक-11.5.2 में प्रस्तुत हैं। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए डाक विभाग के कुछेक प्रमुख कार्यक्रम/ध्यातव्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

(i) नेटवर्क निर्माण और संयोज्यता

7. इस कार्यक्रम के अधीन प्रस्तावित विभिन्न स्कीमों का प्रयोजन मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनियादी आधारिक तंत्र जुटाना और नई स-मूल्य तथा वित्तीय सेवाएं शुरू करने के निमित्त प्रौद्योगिकीय आधार प्रदान करना है। विभिन्न डाकघरों, अभिलेख कार्यालयों, बैंक आफिसों, ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि से नेटवर्क से जोड़ना समूचे कार्यक्रम का एक अविभाज्य अंग है। योजना के दौरान डाकघरों से जिस मिश्रित उत्पादों की आपूर्ति किए जाने की अपेक्षा की गई है, आई.टी. आधारित सेवाएं उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रौद्योगिकीय आधार की अनुपस्थिति में नई सेवाओं का शुरू करना

व्यवहार्य नहीं हो सकेगा। स्मार्ट कार्ड, ई-डाक, ई-बिलडाक आदि जैसी नई सेवाएं इसलिए शुरू की जा रही हैं ताकि प्रचालनों से और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके जिससे कि वित्तीय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

8. सारे देश के भीतर फैले डाक नेटवर्क का एक समयबद्ध ढंग से पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम से इ-टतम प्रचालन लाभ प्राप्त करने के लिए करना जरूरी है। क्योंकि आवश्यकताओं के संदर्भ में निधियों की उपलब्धता सीमित रहने के कारण आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दसवीं योजना के बाद जारी रहने की संभावना है इसलिए प्रचालन की लागत घटाने की दिशा में पूरे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समयबद्ध कम्प्यूटरीकरण के लिए विभाग को एक कार्य योजना/कार्यनीति तैयार करनी होगी।

(ii) डाक प्रोसेसिंग

9. कार्य वातावरण के श्रमदक्षताशास्त्र सहित प्रचालनों का आधुनिकीकरण बेहतर उत्पादकता की कुंजी है। डाक प्रोसेसिंग, डाक प्रचालनों के समूचे तंत्र का केन्द्रीय क्रियाकलाप है और स्टाफ की प्रभाविता सुधारने तथा डाक सेवाओं की त्वरित आपूर्ति दोनों दृष्टियों से इसका आधुनिकीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। डाक मोटर सेवाओं और आर.एम.एस. वेनों का आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकृत आपूर्ति इस स्कीम के अधीन महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं।

(iii) मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण

10. इस क्षेत्रक में हो रहे आधुनिकीकरण की समूची प्रक्रिया में जनशक्ति विकास संभवतः सबसे महत्वपूर्ण इन्पुट है। प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने और उसका प्रयोग करने और सभी स्तरों पर उपयुक्त कौशल प्रदान करने के निमित्त सोच में बदलाव लाना दसवीं योजना के दौरान मानव संसाधन विकास की कार्यनीति के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को पुनः दिशा-अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता है। कम्प्यूटर आदि में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे कार्यान्वित किया जाना है ताकि कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण पर किए जा रहे निवेश से यथासंभव अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इच्छुक स्टाफ के कौशलों के उन्नयन को अधिकतम विस्तार देने के प्रयोजन से चालू वर्ग से दूरस्थ शिक्षा शुरू कर दी गई है। इस प्रयोजन से लगभग 60,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि के दौरान दूरस्थ शिक्षा एकल विशालतम प्रशिक्षण प्रदानकर्ता (22,000) होगी।

प्रमुख नीतिगत पहलें

11. दसवीं योजना में परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना अवधि के दौरान विभिन्न अन्तरालों पर अनेक नीतिगत पहलें/सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कार्य की एक प्राथमिकतापूर्ण कार्यसूची तैयार कर ली गई है जिसके अधीन विभाग को आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी होगी तथा इन मदों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना होगा। इस संबंध में डाक विभाग के लिए अभिज्ञात मदें निम्नानुसार हैं :

- (i) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर एक भवि-यदर्शी कानून बनाना ताकि प्रतियोगिता, अभिसरण तथा अन्य नए घटनाक्रम की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके।
- (ii) डाक क्षेत्रक के निगमीकरण के लिए एक कार्ययोजना तैयार करना तथा प्रविधियों को कार्यरूप देना।

12. वार्षिक योजना 2003-04 के लिए परिकल्पित अन्य प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नानुसार हैं :

- (i) विभाग के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए विभाग की सम्पदाओं के वाणिज्यिक दोहन के लिए एक कार्यनीति तैयार करना।
- (ii) बुनियादी डाक सुविधाओं में निजी/सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस-प्राप्त डाक एजेंट (एल.पी.ए.) की एक नई पुनर्गठित स्कीम तैयार करना।
- (iii) डाकघर खोलने की नीति सहित डाक नेटवर्क की व्यापक समीक्षा, जिससे कि प्रचालनों की दक्षता प्राप्त की जा सके और स-मूल्य सेवाएं कारगर ढंग से शुरू की जा सकें।
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और अपने रा-ष्ट्रीय लक्ष्यों तथा समाजार्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनीन डाक सेवा दायित्व (यू.पी.एस.ओ.) का अभिज्ञान और उसे अपनाना। गैर-यू.पी.एस.ओ. मदों का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2003-04 के लिए लक्ष्यों का मानीटरण

13. दसवीं योजना के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा नीतिगत पहलों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2003-04 के लिए परिकल्पित प्रमुख लक्ष्य नीचे प्रस्तुत हैं। वार्षिक योजना के लिए परिकल्पित वास्तविक लक्ष्य संलग्नक -11.5.1 में प्रस्तुत हैं।

- (i) 20 विभागीय उप डाकघर (डी.एस.ओ.) तथा 200 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय खोलना।
- (ii) 900 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना।
- (iii) 10 डाक लेखा कार्यालयों, 3 परिमण्डल कार्यालयों तथा 37 क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान अभिलेख कार्यालयों के अलावा देश में 200 प्रमुख डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण।
- (iv) 935 ग्राहक सेवा केन्द्रों का स्तरोन्नयन।
- (v) देशव्यापी संयोज्यता के लिए रा-ष्ट्रीय डाटा केन्द्र स्थापित करना।
- (vi) मेल आफिसों सहित 150 डाकघरों के श्रमदक्षता स्तर में सुधार लाना।
- (vii) 1822 ग्रामीण डाकघरों में आधारीक उपकरण मुहैया कराना।
- (viii) समूह 'ए' के 275 अधिकारियों सहित लगभग 60,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

दूरसंचार

14. दूरसंचार, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है। दूरसंचार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सर्वाधिक उन्नतिशील क्षेत्रक है और इसमें भवि-य में उन्नति की अत्यधिक संभावना छिपी है। जबकि स्वतंत्रता के समय (मार्च 1948) एक लाख लाइनें थीं, मार्च 2003 के अन्त तक उनकी संख्या सेल्यूलर संयोजनों सहित बढ़कर लगभग 536.85 लाख लाइनों तक पहुंच गई है। इस क्षेत्रक की मूल रूपरेखा निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

दूरसंचार क्षेत्र की रूपरेखा
(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)

- स्थिर टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या - 536.00 लाख
- सेल्यूलर मोबाइल फोन की संख्या - 126.87 लाख (101.39 लाख निजी क्षेत्रक द्वारा तथा 25.48 लाख सरकारी क्षेत्रक द्वारा)
- टेलीफोन घनत्व - अखिल भारतीय - 5.11
- ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) की संख्या - 5.14 लाख
- इन्टरनेट कनेक्शन - 38 लाख (31 जनवरी 2002 की स्थिति के अनुसार)
- बी.एस.एन.एल. की प्रतीक्षा सूची - 18.24 लाख लाइनें

15. भारत में दूरसंचार क्षेत्रक में 1991 से सुधारों की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। इस संबंध में एक प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि 1994 की नीति के स्थान पर नई दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.) 1999 नामक एक नई नीति की घो-नाणा थी जिससे कि प्रौद्योगिकियों के अभिसरण, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा उसे मुक्त बनाने जैसे त्वरित प्रौद्योगिकीय बदलावों के फलस्वरूप उभरने वाले घटनाक्रम की देखभाल की जा सके। सुधारों की यह प्रक्रिया सरकार द्वारा की गई अनेक नई नीतिगत पहलों के माध्यम से उसके बाद से जारी रखी गई है। प्रमुख नीतिगत पहलों में ये शामिल हैं :

- मौजूदा लाइसेंसों के स्थिर लाइसेंस व्यवस्था से राजस्व भागीदारी में अन्तरित किए जाने के फलस्वरूप उभरने वाली समस्याओं का समाधान।
- इन्टरनेट के लिए अन्तर्रा-ट्रीय गेटवेज के निमित्त आई.एस.पी. को सबमेरीन केबल लैण्डिंग केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देना।
- रा-ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा को अगस्त 2000 में प्रतियोगिता के लिए खोलना।
- दूरसंचार विभाग का 1.10.2000 से भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमीकरण।
- अन्तर्रा-ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा को 1.4.2002 से प्रतियोगिता के लिए खोलना।

दसवीं पंचव-र्ीय योजना

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य

16. दसवीं योजना की नीतियां तथा कार्यक्रम इस आशय के बुनियादी लक्ष्य से संचालित होते हैं कि एक विश्वस्तरीय दूरसंचार आधारीक तंत्र का निर्माण किया जाए ताकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रक की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था के न्यून लागत पर आधुनिकीकरण की मांगों की पूर्ति की जा सके। 10वीं योजना में जिन नीतियों का अनुसरण किया जाएगा उनमें, ग्राहकों के पैसे का मूल्य तथा हर व्यक्ति को हर स्थान पर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं की वहनीय सुलभता सुनिश्चित करना एक अन्य लक्ष्य होगा। दसवीं योजना के लिए परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- (i) सभी नागरिकों के लिए वहनीय तथा प्रभावी संचार सुविधाएं।
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी असेवित क्षेत्रों में सार्वजनीन सेवा का प्रावधान।
- (iii) दूरसंचार, आई.टी. तथा मीडिया के अभिसरण से निपटने के लिए एक आधुनिक तथा प्रभावी दूरसंचार आधारीक तंत्र निर्मित करना।
- (iv) दूरसंचार क्षेत्रक को एक अधिक प्रतियोगात्मक वातावरण में अन्तर्गत करना तथा सभी पणधारियों को एकसमान अवसर और स्थितियां उपलब्ध कराना।
- (v) देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों का सुदृढीकरण करना।
- (vi) स्पेक्ट्रम प्रबंधन में प्रभाविता और पारदर्शिता प्राप्त करना।
- (vii) देश के रक्षा और सुरक्षा हितों का संरक्षण करना।
- (viii) भारतीय दूरसंचार कम्पनियों को सच्चे अर्थों में विश्वस्तरीय पणधारी बनने के लायक बनाना।

17. क्षेत्रक को पूरी तरह खोल दिए जाने के फलस्वरूप ऐसी संभावना है कि लक्ष्यों की पूर्ति करने में सरकारी क्षेत्रक सहित निजी क्षेत्रक एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करेगा। प्राथमिक दूरसंचार सेवाओं, अर्थात् स्थिर और सेल्यूलर मोबाइल को लेकर निकट भवि-य में उठने वाली नई मांग में अधिकांश हिस्सा अर्द्ध-शहरी, ग्रामीण तथा अन्य असेवित क्षेत्रों का होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में, जिन्हें कम लाभकारी समझा जाता है मांग की पूर्ति के लिए नवाचारी कार्यनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। दूरसंचार क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना के सम्बन्ध में परिकल्पित प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

- 2002-03 के अन्त तक कुल मिलाकर मांगने पर टेलीफोन उपलब्ध कराने और इस स्थिति को बाद में भी बनाए रखने के प्रयास करना।
- 31 मार्च 2003 तक 9.91 का समग्र टेलीघनत्व प्राप्त करना।
- दिसम्बर 2002 तक देश में सभी गांवों के लिए दूरसंचार सुविधाएं सुलभ कराना तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संप्रे-ण मीडिया उपलब्ध कराना।
- मार्च 2003 तक सभी केन्द्रों को विश्वसनीय मीडिया उपलब्ध कराना।
- मार्च 2003 तक 2 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में आई.एस.डी.एन. सहित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए उच्च गति वाला डाटा तथा मल्टीमीडिया क्षमता उपलब्ध कराना।

वार्षिक योजना 2002-03 की समीक्षा

18. देश में आर.एफ. स्पेक्ट्रम के प्रयोग की बड़े पैमाने पर वृद्धि से निपटने के लिए रेडियो फ्रीक्वेन्सी (आर.एफ.) स्पेक्ट्रम प्रबंधन, वायरलेस लाइसेंस आदि का स्वचालन तथा रेडियो मानीटरन सुविधाओं का स्तरोन्नयन आवश्यक है। क्योंकि आर.एफ. स्पेक्ट्रम एक विरल प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए आधुनिक

दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, जो कि अधिकांशतः आर.एफ. स्पेक्ट्रम पर निर्भर करती हैं, की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण द्वारा इसका कुशल और प्रभावी प्रयोग आवश्यक है। इस क्षेत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक की सहायता से दूरसंचार क्षेत्रक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना नामक एक परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का कुल परिव्यय 65.11 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें विश्व बैंक की घटक 55.73 मिलियन अमरीकी डालर है जबकि भारत सरकार का हिस्सा 9.38 मिलियन अमरीकी डालर है। यह परियोजना विनियामक निकायों, अर्थात् बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध (डब्ल्यू.पी.सी.), बेतार मानीटरन संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टी.ई.सी.), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.), दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलिय प्राधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) तथा दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना के 2004 के अन्त तक पूरा हो जाने की परिकल्पना की गई है।

19. पी.एस.यू. अर्थात् एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. द्वारा वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि संतो-जनक नहीं रही है। मुख्यतः नए कनेक्शनों, वी.पी.टी. और आर्टिकल फाइबर बिछाने से सम्बन्धित लक्ष्यों की पूर्ति में कमी रहने की संभावना है। मात्र 49.14 लाख नए कनेक्शन लगाए जाने की संभावना है जबकि लक्ष्य 69.83 लाख कनेक्शन लगाने का रखा गया था और इस प्रकार लक्ष्य पूर्ति में लगभग 30% की कमी रह जाएगी। वी.पी.टी. के संबंध में लक्ष्य की तुलना में 44.25 प्रतिशत की कमी रहने की आशा है। 70750 गांवों के लक्ष्य की तुलना में केवल 39440 गांव कवर किए जाएंगे। इन कमियों के प्रमुख कारण हैं : उपयुक्त उपकरण की उपलब्धता में कमी, कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्तियों के मिलने में देरी तथा समुचित निधियों की कमी/वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्योरे संलग्नक - 11.5.3 में प्रस्तुत हैं।

20. निधियों के प्रयोग में दूरसंचार क्षेत्रक द्वारा समग्रतः लक्ष्य की तुलना में 22% से अधिक की कमी रहने की संभावना है। यह स्थिति वार्षिक योजना 2002-03 के लिए अनुमोदित 18327.06 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 14191.04 करोड़ रुपए के व्यय के संशोधित अनुमानों से परिलक्षित होती है। यह कमी अंशतः एम.टी.एन.एल. की कुछ परियोजनाओं के शुरू न हो पाने और साथ ही बी.एस.एन.एल. द्वारा संसाधन जुटाने में गिरावट के कारण है। बी.एस.एन.एल. के आन्तरिक और बजटतर (आई.ई.बी.आर.) संसाधन 16% कम रहे। दूरसंचार विभाग के बेहतर आयोजना सेल, डब्ल्यू.एम.ओ. आदि में निधियों के प्रयोग में इस कारण कमी रह जाने की संभावना है कि कुछ बड़ी परियोजनाएं परिकल्पना के अनुसार शुरू नहीं हो सकीं। वित्तीय नि-पादन के ब्योरे संलग्नक-11.5.4 पर प्रस्तुत हैं।

वार्षिक योजना 2003-04

21. वार्षिक योजना 2003-04 में उन्हीं उद्देश्यों को जारी रखा जाएगा जो वार्षिक योजना 2002-03 में अपनाए गए थे। 2002-03 में जो स्कीमें/कार्यक्रम शुरू किए गए थे उन्हें जारी रखा जाएगा। प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं : 64.11 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना, 29,600 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना, 11.47 लाख टेक्स लाइनें उपलब्ध कराना आदि। इन्हें कार्यरूप देने के लिए 14955.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है जिसमें विशेष रूप से विनियामक निकायों और अनुसंधान संगठनों के लिए आबंटित 185 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के संगठन-वार ब्योरे क्रमशः संलग्नक-11.5.3 तथा संलग्नक-11.5.4 में दिए गए हैं।

प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र

(i) नेटवर्क का विस्तार

22. सरकारी क्षेत्र के यूनितों, अर्थात् बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का विस्तार कार्यक्रम कुल मिलाकर मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जाने के बुनियादी लक्ष्य से निदेशित होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 2003-04 के दौरान 64.11 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं ताकि एन.टी.पी., 1999 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप टेली-घनत्व के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि अगले दशक अथवा इससे आसपास की अवधि के लिए दूरसंचार क्षेत्र को आधारिक क्षेत्रक समझा जाए जिससे कि नई दूरसंचार नीति 1999 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप टेली-घनत्व के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ऐसी परिकल्पना की गई है कि इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों विशेष-रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्राड-बैंड की वृद्धि की काफी ऊंची दर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दूरसंचार क्षेत्र को एक आधारिक तंत्र के रूप में समझे जाने की आवश्यकता के बारे में दूरसंचार विभाग एक प्रलेख तैयार करेगा।

(ii) सार्वजनीन सेवा दायित्व

23. नई दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.) 1999 के अनुसार सरकार सभी व्यक्तियों को वहनीय और वाजिब मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दूर संचार विभाग द्वारा जारी किए गए यू.एस.ओ. मार्गनिर्देशों के अनुसार वी.पी.टी., टेली-इन्फो केन्द्रों और साथ ही ग्रामीण डी.ई.एल. जैसी लोक दूरसंचार और सूचना सेवाओं - दोनों के लिए प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित थी। तथापि, यू.एस.ओ. निधि पर सार्वजनिक पहुंच सेवाओं का प्रथम प्रभार होगा। तो भी एन.टी.पी. 1999 के अनुसार ग्रामीण टेली-घनत्व बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र मामलों में अलग-अलग कनेक्शनों के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यू.एस.ओ. मार्गनिर्देशों में अपेक्षित बदलावों पर विचार करना पड़ सकता है।

24. यद्यपि यू.एस.ओ. निधि प्रचालनात्मक बन गई थी और 2002-03 के दौरान 300 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी यू.एस.ओ. निधि को शासित करने वाले सांविधिक प्रावधानों को मंजूरी दी जानी अभी बाकी है। सरकार द्वारा इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सम्प्रति लाइसेंस शुल्क के एक अंग के रूप में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी इक्विटी एकत्र की जा रही है और तदनन्तर यू.एस.ओ. निधि को अन्तरित की जा रही है। सांविधिक मंजूरी के प्राप्त होने तक यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि भारत की समेकित निधि में से पर्याप्त निधियां यू.एस.ओ. निधि को अन्तरित कर दी जाएं। इस कार्यक्रम की विशि-ट प्रकृति को देखते हुए निधि को असमाप्य निधि में बदले जाने की आवश्यकता है।

(iii) ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था

25. एन.टी.पी., 1999 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए दसवीं योजना के दौरान 2003-04 के बाद से प्रति वर्न लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेवी की मौजूदा दरों के आधार पर यू.एस.ओ. निधि में वार्षिक प्राप्तियां अधिक से अधिक लगभग 2500 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस पर भी प्रति वर्न लगभग 2500 करोड़ रुपए की कमी रहेगी जिसे संभावित बजट सहायता सहित अन्य साधनों से पूरा किया जाना होगा। इस समस्या के सभी मुद्दों

को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस संबंध में एक ठोस दीर्घकालीन कार्ययोजना तैयार करने के लिए विभाग/टी.आर.ए.आई. द्वारा एक विस्तृत कार्यनीतिपरक लेख तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.)

26. नई दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.) 1999 में ऐसी परिकल्पना की गई है कि 2002 तक ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) की सुविधा सभी गांवों में सुलभ करा दी जाए। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार देश के कुल 6.04 लाख गांवों में से लगभग 5.14 लाख गांवों में वी.पी.टी. प्रदान कर दिए गए हैं। भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) ने वी.पी.टी. कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 29600 गांवों को जोड़ने की बात सोची है। तो भी इस संबंध में निजी क्षेत्र की उन्नति उत्साहवर्द्धक नहीं रही है। सभी गांवों की सार्वजनीन व्याप्ति यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग इस कार्यक्रम का मानीटरन करे। 2007 तक 3 का और 2007 तक 4 का ग्रामीण टेली-घनत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से विभाग को एक समयबद्ध ढंग से कार्यान्वुखी कार्यनीति तैयार और कार्यान्वित करनी होगी।

(v) स्पेक्ट्रम नीति

27. स्पेक्ट्रम आबंटन और लाइसेंस प्रदान करने से शासित करने वाली नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस विरल स्रोत का इ-टतम प्रयोग किया जाए और वह उन्नति के लिए बाधा न बन जाए। यह आवश्यक है कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण एक गतिशील ढंग से सापेक्ष मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाए और उसे स्पेक्ट्रम प्रभावी प्रौद्योगिकी लागू करने को बढ़ावा देना चाहिए। उपलब्ध स्पेक्ट्रम के एक बड़े हिस्से का प्रयोग रक्षा, पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि इन बलों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि आबंटित स्पेक्ट्रम का प्रभावी और इ-टतम उपयोग और अधिशेष स्पेक्ट्रम को नागरिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

मानीटरन-योग्य लक्ष्य

28. उक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना 2003-04 में परिकल्पित प्रमुख वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

- 64.11 लाख नए कनेक्शनों का प्रावधान;
- ग्रामीण क्षेत्रों में 8.61 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे;
- 11.47 लाख टेक्स लाइनों की वृद्धि;
- 29,600 वी.पी.टी. की व्यवस्था।

विभाग के अधीन पी.एस.यू. तथा अन्य संगठन

(i) भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.)

29. भूतपूर्व दूरसंचार विभाग का प्रचालनात्मक नेटवर्क अब भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाले पी.एस.यू. के रूप में बदल दिया गया है। इस कम्पनी ने 1.10.2000 से काम करना शुरू कर दिया है। 2002 तक कुल मिलाकर मांग पर टेलीफोन प्रदान करने और इस स्थिति को बाद में बनाए रखने के दसवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप कम्पनी का बुनियादी सेवाओं के त्वरित विस्तार की स्थापित नीति जारी रखने का विचार है। कम्पनी का विचार है कि सेल्यूलर फोन के प्रति बदलाव और निजी प्रचालकों द्वारा बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान किए जाने के कारण 2003-04 के दौरान 60.61 लाख अर्थात् 64.34 लाख कनेक्शनों के पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 94% नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। लम्बी दूरी की संयोज्यता में और आगे सुधार के लिए वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 10.58 लाख अतिरिक्त टेक्स लाइनें उपलब्ध कराने का संवर्धित लक्ष्य रखा गया है। इन तथा अन्य लक्ष्यों/कार्यक्रमों की पूर्ति के प्रयोजन से बी.एस.एन.एल. के लिए 12,285 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। वास्तविक लक्ष्यों के ब्योरे संलग्नक-11.5.3 पर प्रस्तुत हैं।

(ii) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.)

30. एम.टी.एन.एल. दिल्ली और मुम्बई के महानगरों में दूरसंचार क्षेत्रक उपलब्ध कराता है। सेल्यूलर फोन के प्रति बदलाव के कारण मांग में गत्यावरोध आने और साथ ही निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ प्रतियोगिता के चलते पिछले वर्ष के 5.49 लाख कनेक्शनों की तुलना में वर्ष 2003-04 के लिए 3.50 लाख नए कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लम्बी दूरी की बढ़ी हुई सम्प्रे-ण मांग को ध्यान में रखते हुए 2003-04 के दौरान नेटवर्क में 1.42 लाख अतिरिक्त टेक्स लाइनें जोड़े जाने की संभावना है। उपकरणों का आधुनिकीकरण और नई तथा स-मूल्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति लक्षित स्कीमों का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान कम्पनी का नया ध्यातव्य क्षेत्र रहने की संभावना है। इस दिशा में प्रमुख उपायों में ये शामिल हैं : समूचे नेटवर्क का डिजिटीकरण, इन्टरनेट पर वी.पी.एन. चैट सेवा, शापिंग मेल्स जैसी नई सेवाएं शुरू करना, डब्ल्यू.एल.एल. उपकरणों का प्रावधान। निगम के विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तपो-ण के लिए वार्षिक योजना 2003-04 के निमित्त 2284 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है।

(iii) आई.टी.आई. लिमिटेड

31. आई.टी.आई. लि. देश में दूरसंचार उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। हाल ही में कम्पनी अपनी स्थिति उलटने में सफल हुई है। कम्पनी द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहले से चली आ रही स्कीमों को पूरा करना प्राथमिकता का एक क्षेत्र होगा। वर्ष के दौरान जिन नई परियोजनाओं को हाथ में लेने की सोची गई है उनमें ये शामिल हैं : सी.एस.एन.-एम.एम. परियोजनाएं, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) आदि। कम्पनी की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 2003-04 के निमित्त 202.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। इसका वित्तपो-ण 7 करोड़ रुपए के नितान्त: आंतरिक स्रोतों और 195 करोड़ रुपए के बजटेतर स्रोतों से किया जाएगा।

(iv) विनियामक निकाय

32. विश्व बैंक की सहायता से 65.11 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय सहित, जिसमें विश्व बैंक का 55.75 मिलियन अमरीकी डालर का घटक तथा भारत सरकार का 9.38 मिलियन अमरीकी डालर का घटक शामिल है, शुरू की गई 'दूरसंचार क्षेत्रक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना' वार्षिक योजना 2003-04 में जारी रखी जाएगी। पूर्णतः बजटीय सहायता से वित्तपोषित 145.34 करोड़ रुपए का परिव्यय 2003-04 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इन्हें प्रदान किया गया है : बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध (डब्ल्यू.पी.सी.), बेतार मानीटरन संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.), दूरसंचार इंजीनीयरी केन्द्र (टी.ई.सी.), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.), दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलिय न्यायाधिकरण (टी.डी.-एस.ए.टी.) तथा दूरसंचार विभाग (मुख्यालय)।

(v) सी-डॉट

33. सी-डॉट दूरसंचार क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में प्रवृत्त सरकारी क्षेत्र की प्रमुख एजेंसी है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में प्रचालित कुल लाइनों में 40% से अधिक में सी-डॉट की प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। सी-डॉट स्विच ऐसे अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे हैं जिनकी स्थिति भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों से मिलती-जुलती है। दसवीं योजना के दौरान सी-डॉट की अनुसंधान योजना का बल ऐसी लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर होगा जो कि अन्य विश्वस्तरीय पणधारियों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं और विशेषताओं के बराबर की सेवाएं और विशेषताएं प्रदान करेंगी। ब्राड बैंड स्थिर और मोबाइल उपभोक्ता एक्सेस सिस्टम और साथ ही बैकबोन प्रणालियों सहित हाई बैंड सम्बन्धी मांगों की पूर्ति के लिए उत्पादों का विकास योजना की कार्यनीति का एक प्रमुख अंग होगा। वार्षिक योजना 2003-04 में जिन कुछ प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्रों में कार्रवाई की जानी है, वे निम्नानुसार हैं -

- बुद्धिमत्तापूर्ण नेटवर्क सेवाएं
- जी.एस.एम. वैयक्तिक संचार सेवाएं
- तीसरी पीढ़ी की मोबाइल संचार प्रणाली
- का-बैंड उपग्रह संचार
- ध्वनि और डाटा अभिसरण के लिए सेल तथा पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकियां
- अल्ट्रा हाई बिट रेट नेटवर्क बैक बोन
- मौजूदा वायर-लाइन नेटवर्क की विस्तार योजना

34. बी.एस.एन.एल. को सितम्बर 200 में एक स्वतंत्र निगमित निकाय बना दिए जाने के कारण सी-डॉट के लिए योजनागत परिव्यय बजटीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए संगठन के निमित्त पूर्णतः बजटीय सहायता से उपलब्ध कराया गया 38.66 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

डाक क्षेत्रक का वास्तविक नि-पादन

स्कीम	दसवीं योजना के लक्ष्य	2001-02 उपलब्धि	2002-03		2003-04 लक्ष्य
			लक्ष्य	प्रत्या.उपलब्धियां	
विस्तार					
(i) पी.एस.एस.के.	5000	2402	1500	1482	900
(ii) ई.डी.बी.ओ.	1000	405	250	241	200
(iii) डी.एस.ओ.	100	51	25	25	20
कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण					
डाकघर	13361		150	0	200
पी.ए.ओ.	9		3		10
परिमण्डल कार्यालय	22		7		3
क्षेत्रीय कार्यालय	37				37
एच.आर.ओ. के साथ नेटवर्क					
एच.आर.ओ.	47 + 22		10		10
टी.एम.ओ.	37 + 67		15		
सी.आर.सी.	186		20		
वी-एस.ए.टी. प्रणाली					
ग्राहक सेवा केन्द्र			62		883
श्रमदक्षता स्तर में सुधार					
आधुनिकीकरण		125	100		150
एस.पी.सी.सी.			100		12
मेल आफिस	400		100		22
आधारिक तंत्र	49448	8624	1818		1822
ए.एम.पी.सी.		2	1		
डाक संचलन			7		
प्रीमियम उत्पाद					
स्पीड पोस्ट बुकिंग			100		
डाक टिकट संग्रह					
प्रदर्शनी	25		25	50	45
साधन और उपकरण	500		40	54	40
प्रशिक्षण					
समूह ए		140	100	252	275
सेवाकालीन		2500	6000	8229	4750
दूरस्थ शिक्षा			35000	1235	22000
कम्प्यूटर प्रशिक्षण			28000	25780	33000
भवन					
कार्यालय भवन		48	54		32
स्टाफ क्वार्टर		190	21		70

संलग्नक-11.5.1 जारी					
परिमण्डल डाक टिकट डिपू			2		
अंतर्रा-द्रीय मेल प्रोसेसिंग			8	5	9
रा-द्रीय डाटा केन्द्र			1		
अनुसंधान तथा विकास और सर्वेक्षण					
एक्सप्रेस पार्सल			6		6
ई-पोस्ट					1
ई-बिल पोस्ट					
नए उत्पाद आदि					
बिक्री टर्मिनल का बिन्दु			40		120
स्मार्ट कार्ड			50000		150000

डाक विभाग
परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपए)

स्कीम	दसवीं योजना परिव्यय	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 ब.अ.
			ब.अ.	सं.अ.	
नेटवर्क विस्तार	37.27	12.93	3.41	0.91	2.10
कम्प्यूटरीकरण और संयोज्यता	836.27	19.13	38.86	19.08	59.32
एच.आर.ओ. नेटवर्क	25.37		13.32	11.46	0.82
वी-एस.ए.टी. प्रणाली	3.00		0.75	0.75	2.00
ग्राहक सेवा केन्द्र	11.57	0.29	11.57	0.10	11.57
श्रमदक्षता स्तर में सुधार	48.50		5.54	6.14	5.06
ए.एम.पी.सी.	71.05		24.00	15.00	0.05
डाक संचलन	21.00	12.98	0.30	0.30	15.31
प्रीमियम उरुपाद	41.09	3.12	2.74	1.74	5.94
डाक टिकट संग्रह	7.31	0.72	0.84	1.32	1.00
प्रशिक्षण	61.30	3.83	6.65	4.07	11.28
भवन	115.40	27.96	28.00	28.00	24.00
परिमण्डल डाक टिकट डिपू	2.52		0.26	0.26	0.01
अंतर्रा-द्रीय मेल प्रोसेसिंग	3.33		1.26	1.27	2.06
रा-द्रीय डाटा केन्द्र	10.00		5.00	0.20	0.50
अनुसंधान तथा विकास और सर्वेक्षण	4.00		1.00	0.00	0.07
एक्सप्रेस पार्सल	7.02		0.50	0.15	0.01
ई-पोस्ट	5.00		0.50	2.70	2.30
ई-बिल पोस्ट	5.00		0.50	0.50	3.00
नए उत्पाद आदि	10.00		5.00	1.05	3.60
सामग्री प्रबन्ध	24.00	0.18			
प्रशासन तथा वित्त		1.19			
योग	1350.00	82.33	150.00	95.00	150.00

दूरसंचार क्षेत्रक का वास्तविक नि-पादन

स्कीम	यूनिट	दसवीं योजना के लक्ष्य	2001-02 उपलब्धि	2002-03 लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	2003-04 लक्ष्य
नए कनेक्शन	लाख लाइनें	395.23	55.32	69.83	49.14	64.11
स्थिर	लाख लाइनें	96.89		25.03	1.44	
डब्ल्यू.एल.एल.	लाख लाइनें	62.93		13.43	0	
जी.एस.एम.	लाख लाइनें	235.41		31.37	0	
बी.एस.एन.एल.	लाख लाइनें	367.67	53.07	64.34	47.70	60.61
स्थिर	लाख लाइनें	80.90		22.90		14.00
डब्ल्यू.एल.एल.	लाख लाइनें	62.93		11.94		16.61
जी.एस.एम.	लाख लाइनें	223.84		29.50		30.00
एम.टी.एन.एल.	लाख लाइनें	27.56	2.25	5.49	1.44	3.50
स्थिर	लाख लाइनें	15.99		2.13	1.44	
डब्ल्यू.एल.एल.	लाख लाइनें	0.00		1.49		
जी.एस.एम.	लाख लाइनें	11.57		1.87		
टेक्स	लाख लाइनें		9.97	11.47	11.01	11.08
बी.एस.एन.एल.	लाख लाइनें			10.05	10.11	10.58
एम.टी.एन.एल.	लाख लाइनें			1.42	0.90	0.50
माइक्रोवेव	000 किलोमीटर		14.45	5.00	8.08	2.00
आप्टिकल फाइबर	000 किलोमीटर		99.62	126.06	95.81	55.00
बी.एस.एन.एल.	000 किलोमीटर		99.62	77.06	75.81	35.00
एम.टी.एन.एल.	000 किलोमीटर			49.00	20.00	20.00
वी.पी.टी.	000 संख्या		70.75	218.00	36.93	29.60

वार्षिक योजना 2003-04
दूरसंचार विभाग
परिव्यय/व्यय तथा वित्तपो-ण पद्धति

(करोड़ रुपए)

स्कीम	दसवीं योजना परिव्यय	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 ब.अ.
			ब.अ.	सं.अ.	
3 बी.एस.एन.एल.	66412.00	16857.15	14076.00	11819.00	12285.00
आई.आर.	66407*		7692.00	8937.00	10943.00
बाण्ड			3502.00	2881.00	1341.00
अन्य			2881.00	0.00	0.00
जी.बी.एस.	5.00		1.00	1.00	1.00
एम.टी.एन.एल.	11955.44	1033.57	3994.06	2180.00	2284.00
आई.आर.	9180.44	1033.57	2744.06	2180.00	2284.00
बाण्ड	2775.00		1250.00	0.00	0.00
आई.टी.आई.	790.00	45.99	73.00	71.73	202.00
आई.आर.	130.00		-77.00	-128.27	7.00
बाण्ड	660.00		150.00	200.00	195.00
डब्ल्यू.एम.ओ.		0.26	2.25	1.12	9.36
डब्ल्यू.पी.सी.		0.33	101.05	38.62	131.17
टी.आर.ए.आई.	1495**	4.00	1.50	2.30	1.67
टी.डी.एस.ए.टी.			0.20	0.48	0.87
टी.ई.सी.		2.69	4.00	3.70	2.27
सी डाट		101.00	75.00	74.09	38.66
अन्य	6331.56				
योग	86984.00	18044.99	18327.06	14191.04	14955.00
आई.आर.	79152.44		10359.06	10988.73	13234.00
बाण्ड			4902.00	3081.00	1536.00
अन्य	6331.56		2881.00	0.00	0.00
बी.एस.	1500.00	108.28	185.00	121.31	185.00

* आई.ई.बी.आर. शामिल हैं।

** टी.आर.ए.आई., टी.ई.सी. टी.डी.एस.ए.टी., डब्ल्यू.एम.ओ., डब्ल्यू.ओ.सी., सी-डाट के लिए जी.बी.एस. शामिल है।

अध्याय 12

पर्यावरण और वन

प्रस्तावना

हमारे ग्रह पृथ्वी की जीवन-समर्थन क्षमता का तेजी से ह्रास हो रहा है जो हमारे जीव-मंडल के अस्तित्व के लिए ही अन्ततः खतरनाक हो सकता है। पृथ्वी के घटते प्राकृतिक संसाधन आधार का मूल कारण ऊर्ण कटिबंधीय वन कटाई, नस्ल विलोपन और जल, मृदा तथा वायु के प्रदू-ण के कारण मानव-केन्द्रित नुकसान के माध्यम से होने वाला पर्यावरणीय अवनयन है।

2. संघारणीय विकास की संकल्पना मानव जीवन के लिए एक नुस्खे के रूप में उभरी है जिससे पारि-प्रणाली का दीर्घावधिक अनुरक्षण भी सुनिश्चित होता है। संघारणीय विकास प्राप्त करने के वास्ते एक प्राथमिकतापूर्ण आवश्यकता न केवल पर्यावरणीय शिक्षा तथा अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से संघारणीय मानव समाजों का सृजन करना है बल्कि प्रौद्योगिकियों, कौशलों और विशेष-ज्ञता का विकास करना भी है जिनसे पर्यावरणीय समस्याओं के एक सोचे-समझे समाधान को मूर्तरूप प्राप्त होता है।

3. आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक गरीबों की पहुंच बढ़ाकर तथा पर्यावरणीय क्षम रहन-सहन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता स्तर में वृद्धि करके गरीबी उन्मूलन पर बल देते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संवर्धन, समन्वय और कार्यान्वयन के महान कार्य की पूर्ति, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पारि-पुनरुद्धार, पर्यावरणीय अनुसंधान, विस्तार, शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण, पर्यावरणीय जानकारी के प्रसार, अन्तर्रा-ट्रीय सहयोग और देश के लोगों के सभी वर्गों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता के सृजन की मदद से अनेक स्कीमों के जरिए की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यकलापों के समर्थन हेतु अनेक विधायी और विनियामक उपाय हैं जिनका उद्देश्य पर्यावरण का परिरक्षण, संरक्षण और बचाव है। उनमें से कुछ हैं: वायु (प्रदू-ण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदू-ण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991, रा-ट्रीय पर्यावरण अभिकरण अधिनियम, 1995, रा-ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1997 आदि।

वानिकी और वन्यजीवन

वन क्षेत्र

4. रा-ट्रीय वन नीति का उद्देश्य देश के भू-क्षेत्र के एक-तिहाई हिस्से को वन क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने दूरवर्ती संवेदी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पाया कि देश में वन क्षेत्र की सीमा में स्थिरता आई है यद्यपि एक बहुत बड़ा क्षेत्र अभी भी अवनत बना हुआ है।

5. वन कवर, वन स्थिति रिपोर्ट 2001 में यथा परिकलित, सुधरे छवि विश्ले-ण पर आधारित है। वनों से बाहर के क्षेत्रों में वृक्ष कवर का भी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है और इससे 2.48 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है जिसे मिलाकर कुल वन और वृक्ष कवर 23.03 प्रतिशत बैठता है।

6. वानिकी और वन्यजीवन के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य में संरक्षण के उद्देश्य से नीतिगत और कानूनी सहायता प्रदान करना, और वनों और वन्यजीवन को कुशलतापूर्वक व संधारणीय तरीके से प्रबंधित करने में राज्य सरकारों को मदद देना सम्मिलित है।

7. वन उत्पाद, विशेष रूप से इमारती लकड़ी और ईंधन का-ठ की मांग के लिए संसाधन आधार और संधारणीय उपयोग को सुदृढ़ करने के वास्ते ठोस प्रयास करने की जरूरत है। बांस, कुटीर, ग्राम तथा साथ ही बड़े उद्योगों के लिए एक औद्योगिक कच्चा माल होने के अलावा, इमारती (स्ट्रक्चरल) लकड़ी का एक उपयुक्त और किफायती विकल्प होने की वजह से, उसे दसवीं योजना के दौरान उपयोगार्थ प्रौद्योगिकी, व्यापार और संसाधन आधार के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। पूर्वोत्तर में बांस के प्रत्याशित सामूहिक पु-पण को देखते हुए बांस के दोहन और प्रयोग का प्रयास एक महत्वपूर्ण और शीघ्र किया जाने वाला कार्य है।

वार्षिक योजना 2002-2003 की समीक्षा

8. दसवीं योजना के पहले वर्ष के रूप में वर्ष 2002-2003 में वन संसाधनों के संरक्षण हेतु अनेक उपाय तथा नए दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। वनरोपण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने वाली भिन्न स्कीमों को एनईडी के अन्तर्गत रा-ट्रीय वनरोपण स्कीम में मिला दिया गया था। संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जेएफएमसी) के लिए एक संघीय ढांचे के रूप में वन विकास एजेन्सियां गठित की गई हैं। वर्ष के अन्त तक 62890 जेएफएमसी का गठन किया जा चुका है जिनमें 29,45,773 परिवार सम्मिलित हैं जो 27 राज्यों में 142,54,845 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रबंध करती हैं। तथापि, अवनत वनों के संरक्षण के लिए प्रबंध पद्धति के रूप में जेएफएम को सभी राज्यों में कार्यरूप दिया जाना अभी शेष है।

9. ग्राम पारि-विकास को संरक्षित क्षेत्रों के विकास का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। राज्यों में वन संरक्षण और प्रबंध आयोजना को एकीकृत वन संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई है। जिले को एक इकाई के रूप में लेते हुए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जैव-विविधता मूल्यांकन सहित एक एकीकृत वन संसाधन तालिका बनाने का काम प्रारम्भ किया गया है।

10. वन्यजीवन प्रबंधन के अन्तर्गत, आईडीए और जीईएफ की सहायता से देश के 7 चीता आरक्षित क्षेत्रों (रिजर्व) में “भारत पारि-विकास परियोजना”, समुदायों के सहयोग से ग्राम पारि-विकास के माध्यम से और जैव-विविधता संरक्षण में ऐसे क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए संरक्षित क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता को कम करते हुए, संरक्षण हेतु एक व्यवहार्य माडल के रूप में विकसित हो रही है। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयासों का अनुकरण किया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2003-2004

11. दसवीं योजना का एक मानीटरनयोग्य लक्ष्य योजना अवधि के अन्दर 25 प्रतिशत भू-क्षेत्र को वन कवर के अन्तर्गत लाना है। सामाजिक-वानिकी, सिंचित क्षेत्रों में पारम्परिक कृषि की एक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पूरक पद्धति और वर्ना-पोनित क्षेत्रों में आजीविका के एक कार्यकलाप के रूप में, उभर रही है। जन भागीदारी और समुदायों के अन्दर वन संसाधनों हेतु परानुभूति की भावना विकसित करने की जरूरत के कारण संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) को व्यापक बनाने का योजनागत लक्ष्य रखा गया।

12. पृथ्वी को हरा-भरा बनाने तथा ग्राम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के एक साधन के रूप में बांस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, बांस पौद्योगिकी और व्यापार विकास के सम्बन्ध में एक रा-ट्रीय

मिशन प्रारम्भ किया गया है। मिशन का उद्देश्य दसवीं योजना के दौरान बांस का संसाधन आधार 2 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना और विश्व स्तरीय बांस उत्पादों हेतु यंत्र, प्रौद्योगिकी और सुविधा तंत्र के विकास हेतु ठोस उपाय करना है।

13. अवनत शु-क भूमियों को हरा-भरा बनाने में “जटरोफा करकस” की क्षमता और डीज़ल में जैव-डीज़ल के रूप में एक योगज के रूप में इसके व्यापक उपयोग का लाभ उठाए जाने की जरूरत है। इस उद्देश्य से जैव-डीज़ल के सम्बन्ध में एक रा-ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक-वानिकी फसल के रूप में इस प्रजाति का व्यापक पौधारोपण तथा संसाधन इकाइयां स्थापित करने का काम प्रारम्भ किया गया है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी, बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिलेगा, परती भूमि का उपयोग सुकर होगा तथा विदेशी मुद्रा बचाने के अलावा सीमित पेट्रोलियम संसाधनों के प्रतिस्थापन द्वारा उर्जा प्रबंधन में मदद मिलेगी।

14. पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए शून्य आधारित बजट पद्धति प्रारंभ की गई। परिणामस्वरूप, दो स्कीमों को मिला दिया गया है तथा एक को बन्द कर दिया गया है जिससे सीएसएस की संख्या 17 से कम होकर 15 रह गई है।

कार्यक्रम और स्कीमें

वानिकी

वानिकी अनुसंधान

15. वानिकी और सम्बद्ध अनुसंधान करने और उनका समन्वय कार्य भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परि-द (आईसीएफआरई) में किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां वन कवर 5 प्रतिशत से कम है। आईसीएफआरई, इन राज्यों को, सामाजिक और पारि-पुनरुद्धार केन्द्र, इलाहाबाद को एक परिपूर्ण संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करके अनुसंधान और विस्तार सहायता प्रदान करेगी। आईपीआरटीआई, नई पीढी के बांस उत्पाद उत्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करेगा। आईआईएफएम, संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) के संबंध में साहित्य विकसित करने के अलावा वानिकी क्षेत्रक में प्रबंधन और सम्बद्ध विनयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

मानव संसाधन विकास

16. वन अधिकारियों को वानिकी की नवीनतम प्रवृत्तियों से अवगत व अनुस्थापित करने के उद्देश्य से, इन्दिरा गांधी रा-ट्रीय वन अकादमी, देहरादून (आई जी एन एल ए) में आई एफ एस अधिकारियों के लिए एक सेवाकालीन प्रशिक्षण, संगत क्षेत्रों में विशेष-ज्ञताप्राप्त विभिन्न संस्थानों में और राज्य वन विभागों, वन निगमों तथा वन-आधारित औद्योगिक संगठनों के वन अधिकारियों के लिए तीन एस एफ एस कालेजों और एक रेंजर्स कालेज में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ये संस्थान, जैव-ईंधन, बांस प्रौद्योगिकी और जे एफ एम के संबंध में विशेष प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

संसाधन मूल्यांकन

17. भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग (एफएसआई), देश में वन संसाधनों का मूल्यांकन करता रहा है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के अलावा, समय-समय पर वन संरचना, ढांचे आदि में परिवर्तनों का मानीटरन करना शामिल है। नवें दशक के प्रारम्भ में उपग्रह डाटा उपलब्ध होने तथा इस तथ्य की

जानकारी होने से कि दूरवर्ती संवेदन के उपयोग से कहीं कम समय में वन कवर का मूल्यांकन किया जा सकता है, एफएसआई व्यापक वन स्थिति रिपोर्ट (एसएफआर) तैयार करने में समर्थ हुआ है, जिसमें प्रत्येक दो वर्ग में रा-द्रीय वन वनस्पति मानचित्रण (एनवीएम) शामिल है।

18. संस्थान, वनस्पति मानचित्रण, तालिका डाटा प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, क्रियाविधि-डिजाइन, राज्य सरकारों से परामर्श आधार पर विशेष अध्ययन के काम भी हाथ में लेता है। शिमला, नागपुर, कोलकाता और बंगलौर स्थित इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र तालिका और सम्बद्ध अध्ययन आयोजित करते हैं। दसवीं योजना के दौरान, जिले-वार व्यापक सूचीबद्धन तथा संसाधन मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें वन-भिन्न क्षेत्र सम्मिलित है, जो स्थानीय योजनाएं तैयार करने में मददगार होगा। विनिर्दि-ट बसापतों में बांस संसाधनों और औ-धीय पौधा संसाधनों का अनुमान लगाने की भी परिकल्पना की गई है। एफएसआई, वनस्पति नक्शे तैयार करने में दूरवर्ती संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने में राज्यों की मदद करेगा।

वन संरक्षण

19. राज्य सरकारों को, प्रबंधन आयोजना, वन सीमाओं के सीमांकन, अग्नि से बचाव और कुशल वन प्रबंधन हेतु आधारिक संरचनाओं के निर्माण की उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने में, सहायता प्रदान करने के वास्ते एक विस्तारित स्कीम के रूप में एकीकृत वन संरक्षण की एक व्यापक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत, मंत्रालय में वन संरक्षण के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय डाटा/ सूचना आधार स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जो आधुनिकतम डाटा आधार प्रबंध प्रणालियों से सज्जित होगा। राज्य, प्रबंध आयोजना और सूचना को अद्यतन बनाने में, आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।

वन्यजीवन प्रबंधन

20. वन्यजीवन क्षेत्रक में स्कीमें वन्यजीवन का स्वस्थान व इतर स्थान पर संरक्षण, बचाव और विकास तथा इसकी बसापत से सम्बन्धित हैं, जिसके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यकलापों के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं: वन्यजीवन अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण तथा वन्यजीवन कानूनों के प्रवर्तन में सुधार करना।

भारत पारि-विकास परियोजना (विदेशी सहायताप्राप्त परियोजना)

21. परियोजना को, अन्तर-द्रीय विकास एजेन्सी (आईडीए) और विश्व पर्यावरण सुविधा न्यास निधि (जीईएफटीएफ) की सहायता से केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में सात राज्यों में सात संरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में, उन पर निर्भरता को कम करते हुए, समुदायों की भागीदारी पर बल दिया जाता है। उम्मीद है कि परियोजना में विकसित माडलों और सीखे गए पाठों का प्रयोग अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी ग्राम पारि-विकास के माध्यम से, संरक्षण प्रयासों द्वारा किया जाएगा।

22. परियोजना 31.12.2001 तक पूरी की जानी थी; इसकी कुल लागत 68 मिलियन अमरीकी डालर (288.79 करोड़ रुपए) है, जिसे संशोधित करके 258.09 करोड़ कर दिया गया। इसमें, 92.48 करोड़ रुपए का आईडीए ऋण, 72.48 करोड़ रुपए का जीईएफ अनुदान, 43.19 करोड़ रुपए का भारत सरकार का हिस्सा, 28.68 करोड़ रुपए का राज्यों का हिस्सा और पारि-विकास कार्यक्रमों के लाभभोगियों का 21.26 करोड़ रुपए का अंशदान, शामिल है। 2002-2003 तक प्रत्याशित व्यय 183.86

करोड़ रुपए है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन में, यह महसूस किया गया कि प्रक्रिया को बनाए रखने तथा अभी तक के प्रयासों के परिणाम, संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन नीति के रूप में पारि-विकास अपनाने पर आधारित होंगे। उम्मीद है कि परियोजना अवधि का विस्तार जून 2004 तक किया जाएगा।

संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्यजीवन संरक्षण

23. वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम और साइट्स (सी.आई.टी.ई.एस.) के बेहतर संरक्षण हेतु वन्यजीवन संरक्षण के विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह स्कीम 1986 में आरम्भ की गई थी। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर वन्यजीवन बसापतों में सुधार करने तथा संरक्षण पद्धति को सुदृढ़ बनाने के वास्ते राज्य सरकारों को सहायता का एक घटक प्रदान करके स्कीम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अन्तर्गत, संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्यजीवन अपराधों का पता लगाने और जांच-पड़ताल करने के वास्ते राज्य वन विभागों की संरक्षण मशीनरी को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

रा-ट्रीय उद्यानों और संरक्षण स्थलों का विकास

24. रा-ट्रीय वन्यजीवन कार्य योजना के अन्तर्गत प्रबन्धन में सुधार करने के वास्ते संरक्षित क्षेत्रों के तर्कसंगत जैव-भौगोलिक प्रतिनिधिक नेटवर्क की स्थापना करने पर बल दिया गया है। परिणामस्वरूप इस समय 497 वन्यजीवन संरक्षण स्थल और 89 रा-ट्रीय उद्यान हैं जिनके अन्तर्गत 1.56 लाख वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र सम्मिलित है।

25. वन्यजीवन के संरक्षण हेतु रा-ट्रीय उद्यानों और संरक्षण स्थलों में अनेक विशि-ट कार्यकलाप आयोजित करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द गांवों के पारि-विकास का एक घटक शामिल है। निधिपो-नण पद्धति, अनावर्ती मदों के लिए 100 प्रतिशत और आवर्ती मदों के लिए 50 प्रतिशत है।

भारतीय वन्यजीवन संस्थान (डब्ल्यूआईआई)

26. भारतीय वन्यजीवन संस्थान (डब्ल्यूआईआई), जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, वन्यजीवन प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण, शिक्षा, विस्तार और अनुसंधान कार्यकलाप आयोजित करता है तथा राज्यों को अपराधों की जांच-पड़ताल तथा प्रबंधन आयोजना में सलाह देता है।

27. तीन प्रमुख पाठ्यक्रम: तीन महीने का प्रमाण-पत्र, नौ मास का डिप्लोमा और वन्यजीवन जीवविज्ञान में 2 वर्ष का एमएससी पाठ्यक्रम, नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान, वरि-ठ वन अधिकारियों के लिए एक लघु संक्षिप्त पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। नियमित तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान अनेक कार्यशालाएं आयोजित करता है। वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 8.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रोजेक्ट टाइगर

28. यह परियोजना भारत में चीतों की एक सक्षम संख्या का अनुक्षण सुनिश्चित करने और जैव-वैज्ञानिक महत्व के कुछेक वन क्षेत्रों को लोगों की शिक्षा और मनोरंजन के लाभार्थ एक रा-ट्रीय दाय के रूप में परिरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

29. इस समय 27 चीता रिजर्व हैं जो 17 राज्यों में स्थित हैं और 37760 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य बल हानिकारक मानव प्रभावों को कम करने और संरक्षण पर दिया जाता है जिससे कि रिजर्वों में प्राकृतिक पारि-पद्धति की व्यापक रूप से समीक्षा की जा सके।

30. स्कीम के लिए वित्तपो-ण की पद्धति, कार्य की आवर्ती मदों के अन्तर्गत खर्च के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और कार्य की अनावर्ती मदों के अन्तर्गत खर्च के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की है।

परियोजना हाथी (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट)

31. “परियोजना हाथी”, मुख्य रूप से घूमने वाले जंगली हाथियों वाले राज्यों की मदद करना है ताकि हाथियों की, उनके प्राकृतिक आवास में, विनिर्धारित व्यवहार्य संख्या का दीर्घावधि में जीवन सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना के उद्देश्य प्राप्त करने में राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। परियोजना को 12 राज्यों, नामशः आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालेण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैं: हाथियों के प्रवासी मार्गों और प्राकृतिक आवासों का पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार, महत्वपूर्ण आवासों में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के उपाय, हाथी प्रबंधन से सम्बद्ध मुद्दों के संबंध में अध्ययन और पशु चिकित्सा देखभाल।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

32. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण(सीजेडए) एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। सीजेडए का पुनर्गठन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। इसका पुनर्गठन 3.2.1998 को किया गया था। इसे सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त होता है।

33. चिड़ियाघर मान्यता नियम 1992 के प्रावधानों के तहत देश में चिड़ियाघरों के लिए यह आवश्यक है कि वे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करें। सीजेडए, राज्य सरकारों को चिड़ियाघर प्रबंधन, पिंजड़ाबंद प्रजनन और पशुओं के आदान-प्रदान के बारे में सलाह देता है। यह चिड़ियाघरों के प्रबंधन पर निगरानी रखता है और उनका मानीटरन करता है। उनकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है तथा ऐसे चिड़ियाघरों के सुधार के लिए योजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। वर्ष 2003-04 के लिए 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रा-ट्रीय वनरोपण और पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी)

34. रा-ट्रीय वनरोपण तथा पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी) तथा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए रा-ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपी)

35. रा-ट्रीय वनरोपण और पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी) का गठन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अगस्त 1992 में किया गया था। बोर्ड को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: वनरोपण को प्रोत्साहित करना, वृक्ष लगाना, पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार और देश भर में पारि-विकास कार्यकलाप, अवनत वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द भूमियों, रा-ट्रीय उद्यानों, शरण स्थलों व अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष-ध्यान देना।

36. बोर्ड, वन रोपण कार्यकलापों के लिए नोडल एजेन्सी है और इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय से समर्थन प्राप्त है। बोर्ड ने, सात क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ गठबंधन किया है, नामशः कृषि वित्त आयोग, नई दिल्ली और मुम्बई, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल और उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग।

37. स्कीम में बोर्ड के कार्यकलापों से सम्बन्धित व्यय, समुदायों को संरक्षण के हित के बारे में संवेदनशील बनाने से सम्बन्धित विशि-ट परियोजनाओं के लिए एनजीओ को सहायता-अनुदान, मरुस्थलीकरण को रोकने तथा भारत को हरा-भरा बनाने के लिए कार्रवाई योजना, दसवीं योजना के अन्तर्गत एक नए प्रस्ताव के घटक शामिल हैं। वर्ष 2003-04 के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रा-ट्रीय वनरोपण स्कीम

38. जन भागीदारी और जनजातीय विकास से जुड़ी अवनत वनों के वनरोपण से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमों, यथा आईईपीएस, एओएफएफपीएस, एनटीएफपीएस, एएसटीआरपी को, जिन्हें नौवीं योजना में चलाया जा रहा था, रा-ट्रीय वनरोपण स्कीम नामक एक ही स्कीम में मिला दिया गया है। स्कीम के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) और वन विकास एजेन्सियों (एफडीए) के रूप में सामुदायिक संस्थानों की सहभागिता के साथ, अवनत वनों के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। निधियां सीधे ही एफडीए को माइक्रो-योजना/ परियोजना आधार पर जारी करने का प्रस्ताव है। कार्यकलापों में सम्मिलित हैं: समितियों द्वारा माइक्रो-आयोजन और समुदाय तथा वनों के संघारणीय विकास हेतु उनका कार्यान्वयन।

39. स्कीम, जेएफएम को सर्वव्यापी बनाने का मुख्य आधार है, जैसी कि दसवीं पंच व-र्रीय योजना में परिकल्पना की गई है। वर्ष 2003-04 के लिए परिव्यय 196 करोड़ रुपए है।

पारि-कार्य बल

40. वन रोपण तथा पारि-पुनरुद्धार कार्यकलाप आयोजित करने के लिए सेवारत सेना अधिकारियों की कमान में भूतपूर्व सैनिकों को संगठित करने की विद्यमान स्कीम को दसवीं योजना में भी शामिल कर लिया गया है। क्रान्तिक रूप से अवनत क्षेत्रों में ये प्रयास बहुत सफल पाए गए हैं। इस समय, बीकानेर (राजस्थान), साम्बा (जम्मू तथा कश्मीर), कैंरकुली और पिथोरागढ़ (उत्तरांचल) में ऐसे चार बल तैनात किए गए हैं।

पशु कल्याण

41. वर्ष 2002-03 से, दसवीं योजना के 175 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, पशु कल्याण प्रभाग को पर्यावरण और वन मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है। प्रभाग की जिम्मेदारी, पशु क्रूरता

निवारण अधिनियम (1960) के कार्यान्वयन की है तथा यह पशु क्रूरता के निवारण हेतु सोसायटियों (एसपीसीए) को सहायता प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, दो सांविधिक निकायों, यथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और पशुओं पर प्रयोगों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए), की भी स्थापना की गई है। सड़क दुर्घटनाओं अथवा बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, आवारा और देखभालरहित पशुओं को चोट लगती है और वे अपंग हो जाते हैं। पशु कल्याण प्रभाग, इस क्षेत्र में कार्यरत सक्षम संगठनों को समुचित सहायता प्रदान करके क-ट भोग रहे पशुओं को आपातक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कीमों को कार्यान्वित करता है। मुख्य कार्यकलापों में, आवारा तथा निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था करना और शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का प्रतिरक्षण व बन्धीकरण सम्मिलित है।

पर्यावरण

स्कीमें:

चालू स्कीमें:

42. वार्षिक योजना 2003-04 की बहुत सी योजनाएं नौवीं योजना से ही चली आ रही हैं। इनमें से कुछ दीर्घकालीन योजनाएं हैं किन्तु इनमें से बहुत सी स्कीमें, जैसे रा-ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत आने वाली स्कीमें उनकी धीमी प्रगति के कारण ही अभी तक चली आ रही हैं। प्रमुख चालू योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

प्रदू-ण में कमी:

केन्द्रीय प्रदू-ण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी):

43. केन्द्रीय प्रदू-ण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल अधिनियम (1974), वायु अधिनियम (1991), जल उपकर अधिनियम (1977), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), जोखिम भरे अपशि-ट नियम, 2000, जोखिम भरे रसायन नियम (1989), जैव चिकित्सा अपशि-ट नियम (1998), नागर ठोस अपशि-ट नियम, 2000 आदि में दिए गए नियामक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए की गई है। इस प्रमुख कार्य को करने के अतिरिक्त बोर्ड के कार्यों में सर्वेक्षण और निगरानी करने, अनुसन्धान एवं विकास, प्रदू-ण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में अध्ययन करना, मानकों एवं दिशा-निर्देशों का विकास करना आदि भी सम्मिलित हैं। यह संगठन पूरे देश में स्थापित इसके 9 जोनल कार्यालयों के माध्यम से अपने कार्य करता है।

एकसमान अपशि-ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)

44. इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों की बहुत सी इकाइयों के समूह के लिए सामूहिक अपशि-ट उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है जिससे वे अपशि-ट द्रव्यों के बहिःस्राव से संबंधित मानकों का पालन वहनीय लागत पर कर सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार - दोनों ही कुल लागत का 25-25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान करती हैं। उद्योगों को लागत का केवल 20 प्रतिशत ही वहन करना होता है। शे-न 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लिया जाता है। दसवीं योजना में सीईटीपी के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करने का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

ताज संरक्षण तथा अन्य विरासत स्थलों में पर्यावरणीय प्रबंधन

45. उच्चतम न्यायालय के आदेश 1996 के अनुसार, ताज सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु ताज ट्रेपेजियम ज़ोन प्रदूषण नियंत्रण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिन पर लगभग 600 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य और केन्द्र के बीच 50:50 की साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के अंगस्वरूप 10 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अन्य विचाराधीन हैं।

पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, आयोग तथा ट्रिब्यूनलों की स्थापना

46. पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत तीन प्राधिकरणों की स्थापना की गई है- रा-द्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (नेशनल एनवायरनमेंट ऐपेलेट अथारिटी), तमिलनाडु राज्य के लिए लास आफ इकोलोजी अथारिटी तथा रा-द्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 के अंतर्गत रा-द्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल की बेंचें गठित करने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार की प्रथम ट्रिब्यूनल बेंच नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियां

47. संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय कार्यों से होने वाले प्रभावों से बचाव के लिए आवश्यक संधारणीय विकास के लिए ऊर्जा एवं औद्योगिक उत्पादन तथा परिवहन आदि में स्वच्छ तकनीक का प्रयोग करना अति अनिवार्य होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं, जैसे जीवन चक्र मूल्यांकन (लाइफ साइकल असैसमेंट) (एलसीए), वहन क्षमता आधारित क्षेत्रीय विकास योजना, प्राकृतिक संसाधन लेखा-जोखा आदि तथा स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना। इस समय लुगदी और रसायन उद्योगों के सम्बन्ध में एलसीए अध्ययन चल रहे हैं। एलसीए द्वारा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अध्ययन आगामी वर्षों में किया जाएगा।

संरक्षण और सर्वेक्षण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बोटैनिकल सर्वे आफ इंडिया)

48. इस संस्थान की स्थापना 1890 में देश में वनस्पति संसाधनों के सर्वेक्षण और उन्हें सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से की गई थी। नौवीं पंच वर्षीय योजना में इसके अंतर्गत 3 प्रतिशत अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्र (जिसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ) लिया गया। दसवीं योजना में इसके कार्यकलापों में नोएडा में बोटैनिकल गार्डन स्थापित करना, राज्य वन विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और वनस्पति उद्यानों को बांस, जटरोफा और औ-धीय पौधों की विख्यात नस्लों के जर्म प्लाज्मा एकत्र और वितरित करना शामिल है।

भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया)

49. यह संस्थान पूरे देश में फैले अपने 16 क्षेत्रीय और फील्ड स्टेशनों के माध्यम से देश में जीव-जन्तु समूह का सर्वेक्षण करता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। दसवीं योजना में क्रियाकलापों में लुप्त होती प्रजातियों की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, वर्गीकरण विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, लाल डाटा किताब तथा भारत के जन्तु समूह की श्रृंखला का प्रकाशन एवं नेशनल जूलोजिकल संग्रह सहित जन्तु समूह विविधताओं से सम्बन्धित आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण करना आदि सम्मिलित हैं।

जी.बी. पन्त हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान

50. यह हिमालय क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण के बारे में अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी कार्य करता है तथा जैव विविधता की संरक्षण योजना को महत्वपूर्ण इन्पुट प्रदान करता है। इसे क्षेत्र में औ-धीय पौधों के प्रोन्नयन और उनके वाणिज्यिक दोहन की विशि-ट जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

जैव मंडल रिजर्व (बीआर)

51. यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत देश के प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रों, तथा मानव एवं जीवमंडल की यूनेस्को द्वारा मान्य रूपरेखा के अनुरूप स्थलीय और तटवर्ती क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दसवीं योजना में अलग-अलग ज़ोनों में 14 नए स्थानों पर अतिरिक्त जैव मंडल रिजर्व तैयार किए जाएंगे। स्कीम में मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा:

- संवर्धित संरक्षण
- स्थानीय संसाधनों में मूल्य अभिवृद्धि
- बायो-मास उत्पादन, औ-धीय पौधों, पारम्परिक कृति आदि के लिए पायलट प्लाटों (प्रायोगिक भूखण्डों) की स्थापना
- संसाधनों का संधारणीय प्रयोग
- कोर क्षेत्र पर से दबाव को कम करने हेतु स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका साधन

जैव-मंडल के कोर जोन को इस प्रणाली से इतर किसी मानवीय दबाव से बिल्कुल मुक्त रखा जाता है।

गरान (मेंग्रोव्स) प्रवाल भित्तियों तथा आर्द्र भूमि (वेटलैंड) संरक्षण एवं प्रबंधन

52. समुद्र तटीय क्षेत्रों में व्यापार की दृ-टि से महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग की उत्पादकता के लिए और तट रेखा की सुरक्षा के लिए भी प्रवाल भित्तियां तथा गरान (मेंग्रोव्स) एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। प्राकृतिक आपदाओं, मानव-जन्य क्रियाकलापों तथा विभिन्न जैविक घटकों के कारण प्रवाल भित्तियों तथा गरान के लुप्त होने का भी-ण खतरा पैदा हो गया है। 1986 में गरान तथा प्रवाल भित्ति के सम्बन्ध में एक रा-ट्रीय समिति का गठन किया गया। समिति के परामर्श से देश में 30 गरान तथा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की गहन संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहचान की गई। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशि-ट प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया गया है। नौवीं योजना के दौरान गरान के अन्तर्गत 618 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र और जोड़ा गया। दसवीं योजना के दौरान 30 गरान क्षेत्रों तथा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों, जिनकी पहचान की जा चुकी है, के गहन संरक्षण और पबंधन का कार्य आरम्भ किया जाएगा। आर्द्र भूमि (वेटलैंड) संरक्षण की स्कीम भी चल रही है और दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगी।

जैव विविधता संस्थान

53. देश में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जैव-विविधता के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए पारम्परिक पारिस्थितिकीय प्रथाओं के प्रलेखन के लिए अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में एक नए संस्थान की स्थापना की जानी है।

रा-ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

54. यह संग्रहालय अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा के लिए नई दिल्ली में 1978 में स्थापित किया गया था। इसके तीन क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में स्थापित किए गए हैं। चूंकि नई दिल्ली में स्थित इसका वर्तमान भवन किराए पर लिया गया है, तथा और विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः धन की आवश्यकता अंशतः भवन के लिए भूमि अधिग्रहण करने तथा भवन निर्माण के लिए है। इसके अतिरिक्त, धन की आवश्यकता भुवनेश्वर संग्रहालय के तीसरे चरण के लिए तथा भोपाल एवं भुवनेश्वर संग्रहालयों में स्टाफ के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए है।

पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)

55. यह 1982 से चली आ रही एक केन्द्रीय योजना है जो पर्यावरणीय सूचना के एकत्रीकरण, मिलान, भण्डारण, पुनः प्राप्ति तथा इसके प्रयोक्ताओं तक इसका प्रचार-प्रसार करने के रा-ट्रीय प्रयासों को समेकित करने के लिए डाटा बेस नेटवर्क की संकल्पना पर आधारित है। इस योजना के तहत 25 केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है तथा एक वेबसाइट (एचटीटीपी://एनफोर.एनआईसी.इन) का भी निर्माण किया गया है। ईएनवीआईएस रा-ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में भी कार्य करता है तथा यूएनईपी के विश्व सूचना नेटवर्क के आईएनएफओटीईआरआरए के दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र का कार्य भी करता है। सिद्धान्त रूप में विश्व बैंक ने पर्यावरणीय सूचना प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना, जो जनवरी 2002 से चल रही है, के माध्यम से पर्यावरणीय सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

उत्कृ-टता केन्द्र

56. यह योजना 1983 से चल रही है और इसके अन्तर्गत पर्यावरणीय विज्ञान एवं प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। उत्कृ-ट केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिनकी सूची नीचे दी जा गई है:

- पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद।
- सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई।
- पशु और पर्यावरण केन्द्र, बंगलौर।
- पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
- खनन पर्यावरण केन्द्र, भारतीय खान स्कूल, धनबाद।
- सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केन्द्र, कोयम्बटूर।
- अवनत पारि-पद्धतियों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- ट्रापिकल बोटेनिकल गार्डन और रिसर्च इन्स्टिट्यूट, तिरुवनन्तपुरम, केरल।
- मद्रास अर्थशास्त्र स्कूल।

नीति एवं विधि

औद्योगिक प्रदू-ण निवारण परियोजना (बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना) (ईएपी)

57. यह परियोजना राज्य प्रदू-ण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने, हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, संसाधनों की पुनः प्राप्ति तथा लागत प्रभावी प्रदू-ण निवारण उपायों को अपनाने के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता (नौवीं परियोजना के लिए स्वीकृत 100 करोड़ रुपए का आईडीए

अनुदान) से 1994 से चल रही है। नौवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए 18 करोड़ रुपए, विश्लेषण एवं निगरानी सम्बन्धी उपकरणों के लिए 22 करोड़ रुपए, पर्यावरणीय गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए 12 करोड़ रुपए तथा पर्यावरणीय जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियों के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह परियोजना मार्च, 2002 में पूरी हो जानी थी किन्तु अनुदान की आधी राशि का उपयोग अभी किया जाना है, इसलिए इसकी अवधि दो वर्ष बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत में पर्यावरण क्षमता निर्माण परियोजना (ईएपी)

58. यह परियोजना अगस्त, 1997 में आईडीए से मिले \$ 50 मिलियन डालर की उधार राशि की सहायता से प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना का फोकस पर्यावरण प्रबंधन के ढांचागत, विधि और प्रशासन सम्बन्धी सभी पहलुओं की कमियों को पूरा करने पर रहता है। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, परियोजना के लिए आबंटित परिव्यय घट कर \$ 29.62 मिलियन डालर रह गया। जून 2003 तक इस परियोजना के पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि औद्योगिक स्थान निर्धारण, अर्थात् जोनिंग एटलस कार्यक्रम रहेगा जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए स्थानों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अनेक जिलों में स्थानीय स्तर पर मानचित्र तैयार किए जाएंगे।

भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा (आईसीईएफ) (ईएपी)

59. आईसीईएफ की स्थापना वन संरक्षण, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना, वाटरशेड प्रबंधन, जल संग्रहण, पर्यावरणीय शिक्षा, मल-निकास व्यवस्था और स्वच्छता, ऊर्जा स्रोतों का नवीकरण तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार तथा कनाडियन इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी के संयुक्त वित्तपोषण से एक पंजीकृत संस्था के रूप में की गई थी। इसके अंतर्गत 21 चालू परियोजनाएं हैं जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं तथा शेष प्रगति पर हैं। दसवीं योजना के दौरान कनाडा से ईएपी के लिए 11 मिलियन डालर धन प्राप्त होने की संभावना है।

भारत सरकार-यूएनडीपी-सीसीएफ कार्यक्रम (ईएपी)

60. यूएनडीपी की सहायता प्राप्त यह कार्यक्रम “देश सहयोग रूपरेखा-I” (कंट्री कोआपेरेशन फ्रेमवर्क) के अन्तर्गत 1997 से आरम्भ किया गया है जिसमें इक्विटी, गरीबी उपशमन तथा मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है। विदेशी सहायता प्राप्त इस परियोजना का कुल परिव्यय 8.1 मिलियन अमरीकी डालर है। धन, बजट द्वारा प्रदान किया जाता है तथा यूएनडीपी यह धन अनुदान के रूप में देता है।

विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)(ईएपी)

61. यह ईएपी योजना जैव-विविधता, जलवायु में परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय जल एवं ओजोन सतह ह्रास तथा भूमि के अवनयन आदि के क्षेत्रों में विश्व पर्यावरणीय लाभों को उठाने का वित्तीय साधन है। यह रा-ष्ट्रीय सरकारों, विश्व बैंक, यूएनईपी, एफएओ, एडीबी आदि के बीच एक सहकारी संस्था उद्यम है और 1994 से चल रही है। इस सम्बन्ध में भारत को 167 मिलियन अमरीकी डालर का धन प्राप्त होने की संभावना है।

कनाडा सहायता प्राप्त पर्यावरणीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नीति उत्कृ-टता केन्द्र (ईएपी)

62. यह एक नई योजना है जो वैश्विक, सीमा-पार तथा रा-ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विज्ञान, नीति एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पहलुओं के समाधान के उद्देश्य से भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उत्कृ-टता केन्द्र की स्थापना करने के लिए है। इस परियोजना के लिए कनाडा की अन्तर्रा-ट्रीय विकास एजेन्सी से आरम्भ में 2 लाख अमरीकी डालर मिलने की संभावना है।

भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना (ईएपी)

63. यह जीटीजेड की 6 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सहायता से पर्यावरणीय प्रबंधन में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए बनी एक नई योजना है जो यह 2001-04 तक की अवधि के लिए है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

64. भारत सरकार ने अपनी नीति के रूप में निर्धारित किया है कि योजनागत बजट का 2-3 प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नियत किया जाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण के क्षेत्र में ईएनवीआईएस के अतिरिक्त ई-गवर्नेंस सहित आईटी से सम्बन्धित अन्य बहुत सी नेटवर्किंग गतिविधियों को आरंभ किया है।

रा-ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)

65. एमआरसीपी के तहत नदी सफाई कार्यक्रमों की संधारणीयता में सुधार करने के लिए, एक एकीकृत व वृहत दृ-टिकोण अपनाते हुए, अनेक उपाय करने की योजना है। ये हैं :

- सीवेज रोकने, विचलन और उपचार के संबंध में एक विकेन्द्रीकृत दृ-टिकोण अपनाया जाएगा क्योंकि इससे न केवल पूंजी लागत बल्कि प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) कार्य की लागत भी न्यूनतम होगी।
- प्रदू-ण के गैर-बिंदु वाले स्रोतों पर, स्थानीय म्युनिसिपल निकायों के माध्यम से, और सक्रियतापूर्वक विचार किया जाएगा।
- उपचारित सीवेज का उपयोग, उसे संक्रमण-हीन करके, जहां व्यवहार्य हो, सिंचाई के लिए किया जाएगा।
- प्रदू-ण नियंत्रण बोर्डों के अलावा, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी नदियों और झीलों में जल की गुणवत्ता के मानीटरन में शामिल किया जाएगा।
- परियोजनाओं को केवल तभी अनुमोदित किया जाएगा जब स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों की ओर से ओ एंड एम लागत वहन करने के संबंध में पक्की वचनबद्धता हो।
- राज्य स्तर पर संस्थागत प्रबंधों को कार्यक्रम के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ किया जाएगा।

66. चल रही/नवीन परियोजनाओं के लिए एनआरसीपी के वास्ते वर्- 2003-04 में 124 करोड़ रुपए के परिच्यय का प्रस्ताव है। नई परियोजनाओं में कुछेक महत्वपूर्ण हैं : मूसी नदी (हैदराबाद) पर प्रदू-ण उपशमन कार्य, लखनऊ में गोमती कार्य योजना चरण-II, पूरी (उड़ीसा) में सीवेज संग्रह और उपचार

पद्धति और कर्नाटक में कावेरी तथा पेनियार नदियों को कवर करते हुए बंगलौर के लिए पर्यावरण कार्रवाई योजना ।

रा-द्रीय नदी संरक्षण योजना (ईएपी)

67. एनआरसीपी के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए की विदेश सहायता प्राप्त परियोजनाओं को वर्ष 2003-04 के दौरान शुरू किया जाएगा । यमुना कार्य योजना चरण-II के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसका वित्तपो-ण जेबीआईसी द्वारा यमुना कार्य योजना चरण-I के विस्तार के रूप में किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, कानपुर में चल रहे गंगा कार्य योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका वित्तपो-ण नीदरलैंड सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

रा-द्रीय झील संरक्षण योजना

68. चल रही नई परियोजनाओं के लिए 45 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिन्हें वर्ष 2003-04 के दौरान शुरू किया जाएगा । एनएलसीपी अपेक्षाकृत एक नई स्कीम होने की वजह से इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं प्रारंभिक स्तर पर हैं और उनमें अभी गति आनी है । चल रही परियोजनाओं में, पोवड़, ऊटी, कोडइकनाल और बंगलौर झीलों में झील सफाई के काम शामिल हैं । वर्ष 2003-04 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रमुख नई परियोजनाओं में शामिल हैं : मनसागर झील (जयपुर), नैनीताल झील (5) और रवीन्द्र सरोवर (कोलकाता) ।

केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

69. पर्यावरण और वन मंत्रालय, सीएसएस के अन्तर्गत विभिन्न पर्यावरणीय तथा वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के आयोजन, प्रोत्साहन, समन्वय और निगरानी रखने, गरीबों को, विशेष रूप से जनजातियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और प्रकृति-मनु-य सहक्रिया पर बल देते हुए पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।

70. देश में चल रही केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य, संकटग्रस्त नस्लों में पौधा और जीव जन्तु वंशीय विविधता के पुनरुद्धार के जरिए वन्यजीवन को प्रोत्साहित करना, पारि-विकास के माध्यम से जैव-विविधता का संरक्षण, पारि-पुनरुद्धार और बागान आदि के जरिए पशु आवास को समृद्ध बनाना है। 2002-03 के अन्त में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 15 सीएसएस चल रही थी।

71. वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम-वार योजना परिव्यय और व्यय, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां, सीएसएस के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से का राज्य-वार वितरण और राज्य-वार क्षेत्रकीय परिव्यय क्रमशः संलग्नक 12.1.1 से 12.14 में दिए गए हैं।

पर्यावरण क्षेत्रक के लिए स्कीम-वार योजना परिव्यय तथा
व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2001-02 वास्तविक	2002-03 परिव्यय	2002-03 संशोधित अनुमान	2003-04 परिव्यय
पर्यावरण स्कीमें				
वायु और जल प्रदू-ण में कमी	69.48	55.57		46.5.
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	4.48	6.00	4.00	2.80
संरक्षण और सर्वेक्षण	21.14	45.00		31.00
अनुसंधान एवं पारिस्थितिक पुनरुद्धार	18.92	4.00	4.00	4.50
पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण और पर्यावरणीय सूचना	12.51	37.00		18.00
नीति और विधि*	48.65	19.00		4.00
अन्तर्रा-ट्रीय सहयोग	1.10	45.52		2.52
सूचना प्रौद्योगिकी	4.63	3.00	2.50	2.50
सिविल इंजीनियरी	1.66	2.00	2.00	1.94
नई स्कीमें	0.00	14.91		11.00
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए पूंजी प्रावधान	10.54	0.00	13.00	85.24
जोड़ (पर्यावरण स्कीमें)	193.11	229.00	207.81	210.00
एनआरसीडी स्कीम	297.23	295.00	296.45	295.00
कुल जोड़ (पर्यावरण + एनआरसीडी)	<u>495.82</u>	<u>524.00</u>	<u>504.26</u>	<u>505.00</u>

*पर्यावरणीय आयोजन और समन्वय व अन्य व्यय सहित

वानिकी, वन्यजीवन, एनएईबी, पशु कल्याण क्षेत्रकों के
लिए स्कीम-वार योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2001-02 वास्तविक	2002-03 परिव्यय	2002-03 संशोधित अनुमान	2003-04 परिव्यय
वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण	57.91	50.00	51.33	48.00
भारतीय वन सर्वेक्षण	3.74	7.00	7.00	7.00
वन संरक्षण\$	19.20	65.00	47.1.	67.00
वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण \$	5.27	7.00	6.65	7.00
वानिकी पर पूंजी परिव्यय	7.00	-	-	-
वानिकी - जोड़	93.12	129.00	112.08	129.00
वन्यजीवन - जोड़ #	115.44	136.00	132.13	136.00
रा-द्रीय वन रोपण तथा पारि- विकास बोर्ड (एनएईबी) - जोड़	114.88	201.00	186.72	220.00
पशु कल्याण	-	-	15.00	20.00
जोड़ - वानिकी और वन्यजीवन	<u>323.44</u>	<u>466.00</u>	<u>445.93</u>	<u>505.00</u>
इकमुश्त प्रावधान - पूर्वोत्तर के लिए	79.77	@	@	@
कुल जोड़ - एमओईएफ	<u>893.55</u>	990.00	950.19	1010.00

\$ इन 2 स्कीमों के सम्बन्ध में “ वन संरक्षण विकास और पुनरुद्धार” के अन्तर्गत 2001-02 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किया गया डाटा (वास्तविक)।

वन्यजीवन परिरक्षण और प्राणी-उद्यान संहिता।

@ डाटा, पर्यावरण, एनआरसीडी, वानिकी और वन्यजीवन आंकड़ों में सम्मिलित।

भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां - पर्यावरण और वन क्षेत्रक

क्रम संख्या	प्राचल	दसवीं योजना लक्ष्य	2002-03 (वास्तविक)
1.	देश में वन और वृक्ष कवर	भौगोलिक क्षेत्र का 25 प्रतिशत	2001 तक 23.03 प्रतिशत
2.	संयुक्त वानिकी प्रबंधन (जेएफएम) के अन्तर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या	1.70 लाख	0.70-0.80 लाख

सीएसएस के तहत जारी केन्द्रीय हिस्से का राज्य-वार विवरण
पर्यावरण और वन क्षेत्रक - 2002-03

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	स्कीम	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां
1.	रा-द्रीय उद्यानों और संरक्षण स्थलों का विकास	आन्ध्र प्रदेश	83.73
		अरुणाचल प्रदेश	105.01
		असम	182.14
		छत्तीसगढ़	92.03
		गुजरात	90.37
		हरियाणा	18.75
		हिमाचल प्रदेश	93.85
		जम्मू तथा कश्मीर	99.90
		झारखण्ड	30.80
		कर्नाटक	599.02
		केरल	198.98
		मध्य प्रदेश	196.33
		महारा-द्र	168.20
		मणिपुर	64.50
		मेघालय	40.25
		मिजोरम	235.60
		नागालैण्ड	107.84
		उड़ीसा	82.57
		राजस्थान	366.27
		सिक्किम	132.76
		तमिलनाडु	136.11
		त्रिपुरा	101.88
		उत्तर प्रदेश	137.36
		उत्तरांचल	77.99
		पश्चिम बंगाल	223.67
		अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20.75
		चण्डीगढ़	14.00
		दादरा और नगर हवेली	15.25
		जोड़	3714.91

सीएसएस के तहत जारी केन्द्रीय हिस्से का राज्य-वार विवरण
पर्यावरण और वन क्षेत्रक - 2002-03

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	योजना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां
2.	जैव मण्डल रिजर्व	असम	21.96
		केरल	35.79
		मध्य प्रदेश	50.00
		मेघालय	25.00
		उड़ीसा	50.00
		सिक्किम	42.23
		तमिलनाडु	6.00
		उत्तरांचल	71.70
		पश्चिम बंगाल	50.00
		जोड़-	352.68
3.	एनआरसीपी	बिहार	25.00
		गुजरात	800.00
		गोवा	246.00
		हरियाणा	237.00
		कर्नाटक	800.00
		मध्य प्रदेश	700.00
		महारा-ट्र	2639.50
		उड़ीसा	128.00
		पंजाब	2620.00
		तमिलनाडु	4142.00
		उत्तर प्रदेश	3814.00
		उत्तरांचल	327.00
		पश्चिम बंगाल	2025.00
		दिल्ली	9185.00
जोड़-	27688.5.		
4.	रा-ट्रीय झील संरक्षण योजना	कर्नाटक	178.52
		महारा-ट्र	100.00
		राजस्थान	600.00
		उत्तरांचल	40.48
		पश्चिम बंगाल	300.00
		जोड़-	1219.00

संलग्नक - 12.1.3(जारी)

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	योजना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां
5.	मैंग्रोव्स, प्रवाल भित्ति तथा आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन	आन्ध्र प्रदेश	60.30
		गोवा	7.15
		गुजरात	31.88
		हिमाचल प्रदेश	26.45
		जम्मू तथा कश्मीर	132.65
		कर्नाटक	17.80
		उड़ीसा	158.28
		पंजाब	82.90
		पश्चिम बंगाल	48.82
		अण्डमान एवं निकोबार	34.50
		लक्षद्वीप	5.50
		जोड़	606.23
6.	परियोजना हाथी	आन्ध्र प्रदेश	50.00
		अरुणाचल प्रदेश	52.00
		असम	116.00
		बिहार/ झारखण्ड	45.00
		कर्नाटक	93.00
		केरल	111.88
		मेघालय	41.00
		मिजोरम	5.00
		नागालैण्ड	49.00
		उड़ीसा	108.39
		तमिलनाडु	71.26
		त्रिपुरा	3.00
		उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल	107.00
		पश्चिम बंगाल	86.47
		जोड़	939.00
7.	परियोजना चीता	आन्ध्र प्रदेश	21.00
		अरुणाचल प्रदेश	35.88
		असम	65.70
		बिहार	25.00
		छत्तीसगढ़	32.48

संलग्नक - 12.1.3(जारी)

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	योजना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां
		झारखण्ड	18.00
		कर्नाटक	289.56
		केरल	63.75
		मध्य प्रदेश	786.44
		महारा-ट्र	621.79
		मिजोरम	98.32
		उड़ीसा	32.88
		राजस्थान	294.92
		तमिलनाडु	125.00
		उत्तर प्रदेश	32.75
		उत्तरांचल	168.00
		पश्चिम बंगाल	168.33
		जोड़	<u>2879.80</u>
8.	भारत पारि-विकास परियोजना	झारखण्ड	252.00
		गुजरात	841.00
		कर्नाटक	1042.00
		केरल	65.00
		मध्य प्रदेश	539.00
		राजस्थान	565.00
		पश्चिम बंगाल	217.00
		जोड़	<u>3521.00</u>
9.	एकीकृत वन संरक्षण स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	129.00
		अरुणाचल प्रदेश	426.02
		असम	376.60
		छत्तीसगढ़	150.00
		गोवा	49.20
		गुजरात	75.00
		हरियाणा	70.00
		हिमाचल प्रदेश	57.40
		जम्मू तथा कश्मीर	74.25
		झारखण्ड	81.17
		कर्नाटक	77.00

संलग्नक - 12.1.3(जारी)

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	योजना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 में जारी केन्द्रीय निधियां
		केरल	83.50
		मध्य प्रदेश	158.50
		महारा-ट्र	188.92
		मिजोरम	574.12
		नागालैण्ड	407.47
		उड़ीसा	100.00
		राजस्थान	55.00
		सिक्किम	358.63
		तमिलनाडु	100.00
		त्रिपुरा	692.13
		उत्तर प्रदेश	80.00
		उत्तरांचल	98.07
		पश्चिम बंगाल	120.00
		जोड़	<u>4581.98</u>
10.	ताज संरक्षण मिशन	उत्तर प्रदेश	24.42
11.	सामान्य अपशि-ट उपचार संयंत्र (सीइटीपी)	आन्ध्र प्रदेश	30.00
		गुजरात	95.00
		महारा-ट्र	102.50
		पंजाब	4.00
		तमिलनाडु	10.50
		जोड़	<u>242.00</u>
12.	औद्योगिक प्रदू-नण निवारण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	323.76
		छत्तीसगढ़	158.27
		गुजरात	100.78
		कर्नाटक	438.20
		मध्य प्रदेश	121.49
		राजस्थान	36.96
		जोड़	<u>1179.46</u>

कुल जोड़-एमओईएफ

46009.98

राज्य-वार क्षेत्रकीय परिव्यय - वन तथा पर्यावरण क्षेत्रक

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	2001-02 वास्तविक	2002-03 बजट अनुमान	2002-03 संशोधित अनुमान	2003-04 बजट अनुमान
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.56	125.45	77.85	
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.43	12.58	12.58	12.00
3.	असम	35.96	27.49	27.49	
4.	बिहार	2.01	7.53	5.99	
5.	छत्तीसगढ़	38.51	53.51	53.51	
6.	दिल्ली	6.81	10.70	44.33	
7.	गोवा	3.91	4.47	4.47	
8.	गुजरात	154.72	175.04	175.04	175.04
9.	हरियाणा	34.42	32.25	30.95	
10.	हिमाचल प्रदेश	72.76	73.95	75.05	
11.	जम्मू तथा कश्मीर	53.81	60.75	60.75	
12.	झारखण्ड	82.00	85.00	85.00	90.00
13.	कर्नाटक	119.63	143.40	132.66	128.74
14.	केरल	50.61	42.00	45.00	95.90
15.	मध्य प्रदेश	100.06	79.64	154.86	
16.	महाराष्ट्र	26.58	22.09	22.09	31.59
17.	मणिपुर	1.19	13.76	13.76	
18.	मेघालय	8.04	7.50	7.50	8.50
19.	मिजोरम	5.78	6.04	6.04	6.19
20.	नागालैण्ड	4.48	4.15	4.15	2.06
21.	उड़ीसा	37.23	82.64	34.79	
22.	पंजाब	80.54	94.81	94.81	
23.	राजस्थान	42.93	174.04	4.66	15.12
24.	सिक्किम	6.36	6.94	7.14	6.00
25.	तमिलनाडु	124.83	119.85	112.09	
26.	त्रिपुरा	6.88	6.84	6.84	
27.	उत्तर प्रदेश	128.29	172.71	90.09	129.25
28.	उत्तरांचल	101.10	66.74	66.74	61.03
29.	पश्चिम बंगाल	42.99	48.52	44.92	18.34
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9.48	11.96	11.96	12.25
31.	चण्डीगढ़	7.45	7.10	7.10	5.03
32.	दादर और नगर हवेली	2.80	2.67	2.67	2.97

33.	दमन और दीव	0.34	0.37	0.37	0.37
34.	लक्षद्वीप	0.47	0.61	0.61	0.66
35.	पांडिचेरी	1.52	1.69	1.30	
	जोड़ - सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	1502.48	1784.79	1524.26	

टिप्पणी: 2003-04 (बजट अनुमान) का संकलन केवल उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया गया है जिनके बारे में कार्य समूह की बैठकें पूरी हो गई हैं।

अध्याय 13

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) को काफी अर्से से लोगों के सुधरते रहन-सहन स्तर और आर्थिक विकास के एक प्रेरक बल के रूप में माना जाता है और इस प्रक्रिया में यह लोगों के जीवन में गहन रूप से समाहित हो गया है कि किसी भी मानव कार्यकलाप के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से अछूता है। एस एण्ड टी में हुए विकास से मानव को पेश आई अनेक समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिली है, जिसमें कुछेक महत्वपूर्ण संचारी रोगों का उन्मूलन, खाद्य और ऊर्जा अभाव आदि हैं। तथापि, आज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति से बहुत से नई समस्याओं ने वैज्ञानिक समुदाय के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। विश्व भर में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के साथ-साथ चलते हुए भारत ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दसवीं पंच व-र्षीय योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी सृजन करने; मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करने, विशेष रूप से प्रतिभाशील युवा छात्राओं को विज्ञान को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करने; प्राकृतिक संकटों, विशेष रूप से बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, सूखे और भू-स्खलन आदि के पूर्वानुमान लगाने, उनकी रोकथाम और उन्हें कम करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हुए विकास को रा-ट्रीय कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में समाकलित करने; और उनका इस्तेमाल आजीविका सुधारने, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए करने पर बल दिया गया है। वार्षिक योजना 2003-04 तैयार करते समय विभिन्न केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/ एजेन्सियों की सभी स्कीमों को शून्य-आधारित बजट पद्धति (जेडबीबी) के अन्तर्गत लाया गया और उन्हें दसवीं पंच व-र्षीय योजना दृ-टिकोण और नीति के अनुरूप नई दिशा दी गई है। जेडबीबी प्रक्रिया से न केवल दुर्लभ संसाधनों के थोड़े-थोड़े फ़ैलाव से बचने के लिए इन विभागों/ एजेन्सियों के कार्यकलापों पर बल देने में मदद मिली है बल्कि परियोजना आधारित निधियन की पद्धति लागू करके निधियन प्रणाली को कारगर बनाने में भी मदद मिली है। इसके अलावा, वैज्ञानिक प्रयास के बदलते संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तथा वैश्वीकरण के नए युग में वर्तमान रा-ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के वास्ते सरकार ने “विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति-2003” घोषित की। “विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति-2003” की परिकल्पना का उद्देश्य एक नए तथा उदीयमान भारत का निर्माण करना है जो अपनी दृढ़, प्रजातान्त्रिक और आध्यात्मिक परम्पराओं को बनाए रखे, जो न केवल सैनिक दृ-टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृ-टि भी सुरक्षित रहे। इस नीति पर अमल किया जाएगा जिससे कि देश चारों तरफ के एक बड़े मानव परिवार के विश्व के मत के साथ मिल-जुलकर चले तथा यह सुनिश्चित करे कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी वस्तुतः भारतीय लोगों का और पूरी मानवता का उत्थान करे। वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय विभागों/ एजेन्सियों की उपलब्धियों की खास-खास बातें तथा वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान परिकल्पित कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है:

परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास क्षेत्रक)

वर्ष 2002-03 के दौरान हुई उपलब्धियों की समीक्षा

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), अपनी सभी पांच इकाइयों और 8 सहाय्यित संस्थानों के माध्यम से ऊर्जा के दोहन का जो कार्य उसे सौंपा गया है, उसे जारी रखे हुए है। यह नाभिकीय विज्ञान

अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के माध्यम से अनुसंधान हेतु एक्स्ट्रा मुरल धन भी उपलब्ध कराता है। नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम - चरण I के तहत, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) कार्यक्रम के लिए अनुसंधान तथा विकास सहायता के एक भाग के रूप में अनेक कार्यकलाप आयोजित किए। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के अनुरोध पर बीआरएसी ने जोर्जिया में ओरफन रेडिएशन का पता लगाने के वास्ते, आधुनिकतम इन-हाउस विकसित एरियल गामा स्पेक्ट्रोमीटरी सिस्टम (एजीएसएस) और सर्वे मानीटरों के साथ वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराईं। देश में बीएआरसी में विकसित एजीएसएस की श्रेष्ठता तथा बीएआरसी वैज्ञानिकों की तकनीकी दक्षता की आईएईए और साथ ही पर्यावरण मंत्रालय, जोर्जिया, दोनों ने बहुत सराहना की।

3. नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम - चरण II के अन्तर्गत फास्ट रीएक्टर के लिए स्थापित स्टीम जेनेरेटर टेस्ट फेसिलिटी को चालू किया गया। बीएआरसी में विश्व में पहली बार विकसित उच्च प्लुटोनियम अंश के साथ मार्क I मिश्रित कार्बाइड ईंधन से इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रीएक्टर (एफबीटीआर), वांछित बर्न-अप लेवल प्राप्त करने में समर्थ हुआ। विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो मिश्रित प्लुटोनियम-यूरेनियम (पीयू-यू) कार्बाइड ईंधन इस्तेमाल करता है और जिसने सफलता हासिल की है, जो इस उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसकी दक्षता को प्रदर्शित करता है।

4. नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम - चरण-III के अन्तर्गत, एडवान्स्ड हैवी वाटर रीएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) प्रोजेक्ट से सम्बन्धित इंजीनियरी विकास कार्यकलाप बीएआरसी में जारी रहे। 300 एमडब्ल्यू (इ) एएचडब्ल्यूआर स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है तथा उनकी बारीकी से समीक्षा की जा रही है। ईंधन हेन्डलिंग सिस्टम की विस्तृत इंजीनियरी तथा पेस्सिव सिस्टम का डिजाइन वैधीकरण प्रगति पर है। एएचडब्ल्यूआर स्पेन्ट फ्युअलों को पुनः संसाधित करने के लिए प्रोसेस फ्लो शीट विकसित करने के वास्ते अध्ययन किए जा रहे हैं। ट्राम्बे में एक नई पुनर्संसाधन फेसिलिटी (यूरेनियम थोरियम सेपेरेशन फेसिलिटी) प्लांट स्केल पर इरेडिएटिड थोरियम फ्युल से यूरेनियम-233 (यू-233) अलग करने के लिए, अगस्त 2002 से कार्यरत हो गई है। इससे भारत में ईंधन चक्र कार्यकलापों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी कायम हो गई है और यू-233 की उपलब्धता से देश में थोरियम से वस्तुतः समाप्त न होने वाले ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। थोरियम से फिस्साइल यू-233 ब्रीड करने के वास्ते, न्युक्लीयर रीएक्टर हेतु एक्सेलेरेटर चालित सब-क्रिटिकल सिस्टम (एडीएसएस) का विकास, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में एक नवीनतम अभिवृद्धि है और एडीएसएस विकास हेतु एक सामान्य मार्ग मानचित्र तैयार किया गया है।

5. रेडिएशन प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में, 40 वर्ग पुराने “सर्कस” रिएक्टर को, उसे नया जीवन प्रदान करते हुए उसका पुनरुद्धार कार्य पूरा होने के बाद, फिर से चालू किया गया। पहली बार, प्लुटोनियम-236 (पीयू-236) का, जो पर्यावरणीय तथा जीव-विज्ञानीय अध्ययनों हेतु एक महत्वपूर्ण ट्रेसर है, सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया। नाभिकीय कृषि के क्षेत्र में, मूंगफली उदभेदी की एक नई बड़ी बीज वाली मीठी किस्म इस साल बीएआरसी द्वारा शामिल की गई। प्याज का विकिरण की अल्प मात्रा द्वारा प्रसंस्करण करने हेतु “कृ-नक” - कृषि उत्पादन संरक्षण केन्द्र नामक एक केन्द्र लसलगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में बीएआरसी द्वारा चालू किया गया। स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के अन्तर्गत, बीएआरसी ने देश में पहली बार नैदानिक प्रयोजनों हेतु एफ-18 लेबल वाला रेडियो फार्मास्युटिकल “प्लुओरो डेओक्सी ग्लुकोज (एफडीजी)” सप्लाय करने के वास्ते, रेडिएशन मेडिसिन सेन्टर (आरएमसी), परेल में पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) के साथ जुड़ा हुआ एक मेडिकल साइक्लोट्रॉन स्थापित किया है। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण माओकार्डियल ब्लड फ्लो इमेजिंग एजेंट विकसित किया गया

और जले घावों तथा कु-ठरोग का उपचार करने के वास्ते रेडिशन-प्रोसेस्ड हाइड्रोजेल की प्रौद्योगिकी उपभोक्ताओं को हस्तान्तरित की गई। देश में पहली बार, औद्योगिक और स्ट्रेटेजिक अनुप्रयोगों हेतु बीएआरसी द्वारा, असाधारण रूप से उच्च रेजोलुशन वाला 3डी कोन बीम टोमोग्राफी सिस्टम विकसित किया गया है। सुपर-कन्डक्टिंग लिनिअर एक्सेलरेटर (एलआईएनएसी) बूस्टर इन्डक्ट करने के पहले चरण का, सिलिकन बीम के साथ, बीएआरसी और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) द्वारा संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और सुपर-कन्डक्टिविटी पर आधारित एडवान्स्ड एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता स्थापित की गई है।

6. बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में, बीएआरसी ने, 72 गिगा फ्लाप्स (फ्लोटिंग पाइन्ट आपरेशन प्रति सेकेण्ड) की सतत गति देने वाला एक 64 नोड अनुपम पी-IV पेरैलल सुपर कम्प्यूटर विकसित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। हल्के लडाकू विमानों (एलसीए) के लिए क्रान्तिक साफ्टवेयरों के सत्यापन हेतु साफ्टवेयर सत्यापन यंत्र भी विकसित किए गए हैं। साहा न्यूक्लीय भौतिकी संस्थान (एसआईएनपी) ने, आईओन इम्प्लान्टेशन के साथ समृद्ध आइसोटोप उपलब्ध कराने के वास्ते हाई करेन्ट आइसोटोप सेपरेटर हेतु एक रा-ट्रीय फेसिलिटी स्थापित की है। टीआईएफआर के जैव-विज्ञान रा-ट्रीय केन्द्र, बंगलौर में, टी-सैल विकास में अपोप्टोपिक मेकेनिज्म के मोलेकुलर विनियमन का विस्तृत अध्ययन एक प्रमुख उपलब्धि रही है। कैंसर के सम्बन्ध में सतत अनुसंधान कार्य के एक भाग के रूप में, कैंसर के उपचार, अनुसंधान और शिक्षा हेतु एक उन्नत केन्द्र नवी मुम्बई में स्थापित किया गया है। इमारत का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएटी), इन्दोर में, लेसर के साथ उत्पादित उच्च तापमान और उच्च घनत्व वाले प्लाज्मा के अध्ययन से सम्बन्धित प्रमुख कार्य और मल्टीबीम निओडिमियम-ग्लास लेसर चैन का प्रचालन पूरा हो गया है। बीएआरसी में विकसित निकल-टिटैनियम-आयरन शेप मेमोरी अलाय कल-पुर्जो ने हवाई उड़ान योग्य सभी निर्धारित परीक्षण पास कर लिए हैं और उनका हल्के लडाकू विमान (एलसीए) की परीक्षण उड़ानों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। वैमानिक विकास एजेन्सी ने इन कल-पुर्जो की अनेक वायुयानों के लिए सप्लाई स्वीकार कर ली है।

7. न्यूक्लीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) द्वारा समर्थित प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: स्ट्रक्चरल इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई में “एडवान्स्ड सेइसमिक टेस्ट फेसिलिटी” और जवाहरलाल नेहरू कृनि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर में “कृनि अनुसंधान में रेडिएशन तथा रेडियोट्रेसर तकनीकों का अनुप्रयोग तथा बीएआरसी फसल किस्मों का बहु-स्थान परीक्षण”। बीआरएनएस द्वारा बोम्बे पशुचिकित्सा कालेज (बीवीसी), मुम्बई में एक गामा सिटीलेशन कैमरा स्थापित किया है। यह केन्द्र, जो एशिया में अपनी किस्म का एक ही केन्द्र है, विभिन्न पशु रोगों के लिए नैदानिक सुविधा प्रदान करेगा।

वर्न 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

8. वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, कोल्ड बाक्स, क्रायो हीट एक्सचेन्जर्स, 1 केडब्ल्यू रेफ्रीजिरेशन मशीन के लिए हेलियम कम्प्रेसर, पीएचडब्ल्यूआर की सुरक्षा बढ़ाने हेतु अपेक्षित टरबो एक्सपेन्डर जैसे क्रान्तिक उपस्कर और सम्बद्ध सुविधाओं के विकास में और प्रगति होगी। लाइट वाटर रीएक्टरों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक सुविधा स्थापित करने के लिए सिविल कार्यों में काफी प्रगति होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यावरण कार्यक्रम हेतु विभिन्न सिस्टम्स/ कम्पोनेन्ट्स की प्राप्ति शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य व्यावसायिक कामगारों व किसी नाभिकीय संस्थापन के इर्द-गिर्द रहने वाली आम जनता की रेडिएशन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उच्च स्तरीय अपशि-ट (एचएलडब्ल्यू) से यूरेनियम अलग करने और एक्टीनाइड पार्टिशनिंग के प्रदर्शन हेतु सुविधा का वेस्ट इम्मोबिलाइजेशन प्लांट

(डब्ल्यूआईपी), ट्राम्बे में निमाण किया जाएगा। कोड वेलीडेशन के लिए कोल्ड क्रुसिबिल हेतु प्रोटोटाइप स्थापित किया जाएगा तथा उच्च फ्रीक्वेन्सी इन्डक्शन पावर सप्लाई के डिजाइन सत्यापन व विकास/प्राप्ति का कार्य शुरू किया जाएगा।

9. एफबीटीआर का प्रचालन जारी रखा जाएगा तथा रिएक्टर पावर में और वृद्धि की जाएगी जिससे कि एक क्रमिक ढंग से नामिनल पावर स्तर प्राप्त किया जा सके। बीएआरसी द्वारा प्लुटोनियम आधारित ईंधनों के करेक्टराइजेशन हेतु उपस्कर की प्राप्ति और एफबीटीआर ईंधन पिन उत्पादन सुविधा का पुनर्संज्जीकरण प्रारम्भ किया जाएगा। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के डिजाइन का वेलीडेशन और प्लुटोनियम आधारित ईंधनों हेतु सुविधाओं को सुदृढ़ करने के वास्ते वातानुकूलन और संवातन आदि से सम्बन्धित सिविल, इलेक्ट्रिकल व निर्माण कार्यों को वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान पूरा किया जाएगा। प्लुटोनियम और थोरियम आधारित ईंधनों के लिए विनिर्माण व पुनर्संसाधन पद्धतियां विकसित करने के वास्ते उपस्कर की स्थापना शुरू की जाएगी।

10. एएचडब्ल्यूआर (न्यूक्लीय पावर प्रोग्राम - चरण III) के लिए इंजीनियरी विकास कार्यकलाप पूरे किए जाएंगे तथा एएचडब्ल्यूआर और 500 एमडब्ल्यूईपीएचडब्ल्यूआर के डिजाइन की पु-टि करने के लिए आवश्यक रिएक्टर भौतिकी सम्बन्धी प्रयोग सुकर बनाने के वास्ते सिविल कार्यों को जारी रखा जाएगा। उन्नत रिएक्टरों का रिएक्टर कोर विकसित करने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग पूरी की जाएगी तथा हैवी वाटर रिएक्टरों के लिए निरीक्षण-सह-पुनरुद्धार पद्धति के सम्बन्ध में डिजाइन और विकास कार्य बीएआरसी में शुरू किया जाएगा। थोरियम ईंधन चक्र विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सह-प्रसंस्करण के विकास और एएचडब्ल्यूआर ईंधनों के पुनर्संस्करण हेतु सह-परिवर्तन (को-कनवर्शन) फ्लो शीटों के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास कार्य बीएआरसी में जारी रहेगा। इसके साथ ही डिजाइन की शुरुआत और उन्नत न्यूक्लीय रिएक्टरों के विकास हेतु उपस्करों/ कल-पुर्जों की प्राप्ति जारी रहेगी। न्यूक्लीय ऊर्जा कार्यक्रम चरण II के लिए महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे कि थोरियम एलाय, इन्टर-मेटेलिक्स एण्ड कम्पाउन्ड और रीफ्रेक्टरी मेटल एलायज के विकास के सम्बन्ध में भी अध्ययन बीएआरसी में किए जाएंगे।

11. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएटी), सामान्य कन्डक्टिंग के डिजाइन का कार्य करेगा और साथ ही सेमीकन्डक्टर लेसर प्रोजेक्ट को पूरा करने और रेडिएशन प्रोसेसिंग फेसिलिटी से सम्बन्धित कार्यकलाप, औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेल्फ शीलडिड एक्सेलेरेटर का विकास और कार्बनडाइआक्साइड (CO₂) लेसर का औद्योगिक अनुप्रयोग शुरू करने के अलावा, हाई करेन्ट प्रोटोन लिनाक एण्ड संकरोट्रोन हेतु सुपरकन्डक्टिंग प्रोटोन लिनाक के डिजाइन का भी कार्य करेगा। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम एक्सपेंशन के अन्तर्गत उम्मीद है कि इन्डस-2 के सभी कल-पुर्जे और सब-सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे तथा इन्डस-2 स्टोरेज रिंग की असेम्बली पूरी की जाएगी। प्लाज्मा चेम्बर, मेगनेट्स व अन्य वेक्युम कल-पुर्जों का विनिर्माण कार्य, पावर सप्लाइज तथा आईओन सोर्स असेम्बली प्राप्त करके वेरिफिबिल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेन्टर (वीईसीसी), कोलकाता में शुरू किया जाएगा।

12. अनुसंधान शिक्षा संयोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ज्ञान-आधारित इंजीनियरी केन्द्र, विद्यमान नाभिकीय, रासायनिक, परिशोधन और जैव-रासायनिक संयंत्रों/ प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए विश्वसनीय डिजाइन तथा स्केल-अप क्रियाविधि संचालित और विकसित करने के लिए, विश्वविद्यालय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईसीटी) के सहयोग से, स्थापित किया जाएगा। एसआईएनपी, पूर्व-स्नातक और स्नातक छात्रों के लिए भौतिकी और जीवविज्ञान प्रयोगशालाएं और स्नातक छात्रों के लिए उन्नत प्रयोगात्मक हेण्ड्स-ऑन कार्यशाला स्थापित करेगा।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2002-03 के दौरान हुई उपलब्धियों की समीक्षा

13. वार्षिक योजना 2002-03 के दौरान जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की कुछेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हैं: टीआईएफआर, मुम्बई और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर में न्युकलीयर मेगनेटिक रिसोनेन्स (एनएमआर) की, कल-पुर्जे तथा मोलेक्युल्स व महत्वपूर्ण ड्रग डिजाइन के सम्बन्ध में संरचनात्मक अध्ययन हेतु, अन्य विज्ञान विभागों के साथ संयुक्त रूप से, स्थापना; पश्चिमी हिमालय के पौधों तथा माइक्रोबिअल संसाधनों के संरक्षण, करेक्तराइजेशन तथा संधारणीय उपयोग हेतु जैव-संसाधन विकास यूनिट; बंगलौर में तितली उद्यान; तपेदिक टीका विकसित करने के लिए पशुओं को चुनौती देने के वास्ते एरोसोल सुविधा; आईआईटी, दिल्ली में जेनोमिक्स, प्रोटेमिक्स और ड्रग डिजाइन में इन-सिलिको अध्ययन हेतु सुपरकम्प्यूटिंग सुविधा; और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड नैदानिक केन्द्र (सीडीएफडी), हैदराबाद और रा-द्रीय मस्ति-क अनुसंधान केन्द्र (एनबीआरसी), गुडगांव में माइक्रो-ऐरे सुविधाएं। आईएमटीईसीएच, चण्डीगढ़ में स्थित माइक्रोबिअल टाइप कल्चर कलेक्शन फेसिलिटी को, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा अक्टूबर 2002 में बुडापेस्ट संधि के तहत अन्तर्रा-द्रीय संग्रह प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, पुणे विश्वविद्यालय में एमएससी पाठ्यक्रम के लिए, आईआईआईटी, इलाहाबाद में एम.टेक. के लिए, जेएनयू में पीएचडी तथा जैव-प्रौद्योगिकी में उच्च कोटि मानव संसाधन के विकास के लिए एक और एमएससी-पश्चात डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की गई।

14. दिसम्बर 2002 में घोषित अन्तर्रा-द्रीय चावल जीनोम सीक्वेन्सिंग प्रोजेक्ट (आईआरजीएसपी) के अन्तर्गत चावल जीनोम के उच्च कोटि ड्राफ्ट सीक्वेन्स के पूरा होने से भारतीय वैज्ञानिकों ने 2½ वर्ष के रिकार्ड समय में अन्तर्रा-द्रीय दायित्व पूरा कर लिया है। काफी के जर्मप्लाज्म करेक्तराइजेशन में अनेक महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त किए गए हैं। उत्तर-पूर्व, पश्चिमी घाटों और पश्चिमी हिमालय के सम्बन्ध में रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से जैव-विविधता करेक्तराइजेशन पूरा किया गया तथा स्थानिक व भूदृश्य स्तर जानकारी के सम्बन्ध में वेब-समर्थित डाटाबेस और नक्शे तैयार किए गए तथा विज्ञान कांग्रेस 2003 के दौरान आन-लाइन शुरू किया गया। ट्रान्सजेनेसिस के माध्यम से जैव-उर्वरकों की कुशल किस्मों के विकास के सम्बन्ध में एक नेटवर्क परियोजना 11 केन्द्रों में प्रारम्भ की गई है।

15. टीकों और निदान के क्षेत्र में तपेदिक के सम्बन्ध में डीएनए जांचों का विकास, जापानी मस्ति-क-ज्वर (एनसेफलाइटिस) के लिए टीका और तपेदिक के लिए पीसीआर-आधारित प्रतिरक्षण निदान, वैलीडेशन और/ अथवा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के उन्नत चरण में है। सम्भावना है कि रीकम्बिनेन्ट हैजा टीका के विस्तारित चरण-I के नैदानिक परीक्षण पूरे हो जाएंगे। डीएनए रेबीज टीके का कुत्तों और मानवों पर परीक्षण शुरू करने के लिए भी प्रयास किए गए। भारत-अमरीका टीका कार्रवाई कार्यक्रम (वीएपी) को अगस्त 2002 से जुलाई 2007 तक पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। रोटा वाइरल व अतिसार के टीके के चरण-I क्लिनिकल परीक्षण और एचआईवी, मलेरिया तथा जापानी एनसेफलाइटिस आदि के टीकों के निदान-पूर्व परीक्षण शुरू किए गए।

16. एक्सप्रेसन प्रोफाइलिंग, स्ट्रक्चरल तथा कम्प्यूटेशनल जेनोमिक्स और प्रोटेमिक्स को कवर करते हुए जनोमिक्स के सम्बन्ध में एक बड़ा कार्यक्रम आईआईएससी, बंगलौर में शुरू किया गया। खाद्य और पो-नाहार सुरक्षा के सम्बन्ध में एक मिशन-मोड कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। मानव लेन्स एपीथेलिअल सैलों के विकास हेतु एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जिसमें केटेरेक्ट-रोधी औ-धियों और उपचारों

के विकास की क्षमता है। चाय के बेहतर उत्पादन के लिए जैव फार्मूलेशन और नई चाय पादप जड़ों में पैथोजेन्स का पता लगाने के लिए निदान किट नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुडी में विकसित किए गए। लखनऊ नगर को “बायोटेक्नोलॉजी सिटी” के रूप में घोषित किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के महत्व के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के सहयोग से सेमिनार और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी), केन्द्र हैदराबाद, ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने के वास्ते राज्य/ केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। रा-ट्रीय मस्ति-क अनुसंधान केन्द्र (एनबीआरसी) ने कुछ निर्माण गतिविधियां पूरी कर ली हैं और अपनी अन्तरिम प्रयोगशालाओं को नई फेसिलिटी में स्थानान्तरित कर दिया है तथा केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विश्वविद्यालयवत् के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

17. वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, भारतीय जरूरतों को पूरा करने तथा भारत के देशज संसाधनों, इसकी विशाल जैव-विविधता और समृद्ध पारम्परिक ज्ञान को परिरक्षित, संरक्षित करने व उसके महत्व में वृद्धि करने के लिए नूतन प्रौद्योगिकियां विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के वास्ते अन्तर्रा-ट्रीय सहयोग को और सुदृढ़ किया जाएगा। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में, छः नए स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रमों, एम.डी./एम.एस. पश्चात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और विशि-ट वि-य क्षेत्रों में डिप्लोमा के लिए सहायता दी जाएगी। जैव-सूचना विज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ वितरित सूचना केन्द्रों (डीआईसी) को जैव-सूचना विज्ञान में एमएस.सी./पीएच.डी. कार्यक्रम आयोजित करने तथा उन्नत अनुसन्धान शुरू करने के वास्ते उत्कृ-टता केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। समाज में विभिन्न स्तरों पर जैव-संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जैव-संसाधनों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उत्कृ-टता केन्द्रों की स्थापना को भी जारी रखा जाएगा।

18. पादप-जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, निम्नलिखित के संबंध में सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे: चावल व अन्य अनाजों का कार्यात्मक जिनोमिक्स, मोलीकुलर मार्कर्स और जीन्स का विकास शामिल है; अर्ध-शु-क फसलों व अन्य फसलों के सुधार हेतु जैव-प्रौद्योगिकी; अधिक लम्बी भण्डारण अवधि हेतु कटाई-पश्चात जैव-प्रौद्योगिकी; संरक्षण और संधारणीय उपयोग हेतु औ-धीय व सुगन्ध वाले पौधों का माइक्रो-प्रोपेगेशन, जिनोमिक्स और जैव-परिवर्तन, आदि। पर्यावरण जैव-प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत, इस्पात उद्योग अपशि-ट उपचार के संबंध में एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू करने के अलावा, अन्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एजेन्सियों के साथ संयुक्त रूप से, चीता, शेर आदि लुप्तप्रायः पशु नस्लों के रा-ट्रीय केन्द्र फेसिलिटी के लिए सहायता दी जाएगी।

19. टीकों और निदान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रमुख उभरती बीमारियों के लिए सुधरे टीकों और निदान विज्ञान का विकास; देशज पशु नस्लों और उनकी जेनेटिक बीमारियों के मोलीकुलर करेक्तराइजेशन तथा उन्नयन; और नई जीनों की अभिव्यक्ति हेतु बड़े फार्म पशुओं में ट्रान्सजेनिक्स तथा नूतन प्रोटीनों का उत्पादन आदि जारी रखा जाएगा। उम्मीद है कि डीएनए रेबीज टीके तथा हैजा टीके, विशेष-रूप से पशुओं के सम्बन्ध में डीएनए रेबीज टीके का मूल्यांकन और परीक्षण पूरा हो जाएगा और ये टीक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मलेरिया, रोटा वायरल और एचआईवी टीकों के प्रथम चरण के परीक्षण प्रारम्भ किए जाएंगे तथा उम्मीद है कि एनशेक्स टीके का मूल्यांकन, मंजूरी और वाणिज्यीकरण भी पूरा हो जाएगा। संक्रामक बीमारियों, हाई स्क्रीनिंग थ्रूपुट के माध्यम से औ-धियों के विकास, श्वसन संक्रमणों का पता लगाने और उनके प्रबंधन, अतिसार रोगों के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसंधान, सीक्वेन्सिज तथा संक्रामक एजेन्टों की मोलीकुलर टाइपिंग, न्युरो-डीजेनेरेटिव बीमारियों, खाद्य टीकों,

पुनर्जनन सम्बन्धी मानव स्वास्थ्य और गर्भ-निरोध आदि के कार्यक्रम मेडिकल बायोटेक्नोलोजी के क्षेत्र में शुरू किए जाएंगे।

20. स्वायत्त संस्थानों में, रा-द्रीय प्रतिरक्षण संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली, सिंगल ट्रान्स-डायरेक्शन, इलेक्ट्रान/ स्केनिंग ट्रान्स-माइक्रोस्कोप फेसिलिटी के उन्नयन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण आदि से संबंधित कार्यकलाप हाथ में लेगा, इसके अलावा, अपनी रूचि के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान जारी रखेगा। रा-द्रीय सैल साइन्सिज सेन्टर (एनसीसीएस), पुणे में सैल रिपोजिटरी, मानव संसाधन विकास और ट्रान्सजेनिक माइस (चूहों) के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास, रोग को समझने के लिए प्रोटीओमिक्स, और माइक्रो-ऐरे टेक्नोलोजी के उपयोग और प्रतिरक्षण रिस्पोंस के कार्यकलाप जारी रहेंगे। एनबीआरसी, गुडगांव और रा-द्रीय प्लांट जेनोमिक रीसर्च सेन्टर (एनसीपीजीआर), नई दिल्ली, अपने कर्तव्यों के अनुसार निर्माण और अनुसंधान कार्यकलाप जारी रखेगा। उम्मीद है कि जैव-संसाधन और संधारणीय विकास (आईबीएसडी) संस्थान, पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगा। जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, बायोमेडिकल विज्ञान, संक्रामक रोगों, कैंसर और पादप विज्ञानों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करेगा।

सागर विज्ञान

वर्ष 2002-2003 के दौरान हुई उपलब्धियों की समीक्षा

21. दक्षिणी ध्रुव (अन्टार्कटिका) के लिए इक्कीसवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान, नए वैज्ञानिक प्रयोग शुरू करने के लिए केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था, जैसे कि ग्रीन-हाउस गैसों तथा मैत्री में रेडिएशन और इण्डिया बे के ऊपर हिम-वायु समुद्र इन्टरफेस में बाउन्ड्री लेयर का मानीटरन; अन्टार्कटिका में ताजी बर्फ में सतही आइसोटोपिक भिन्नता और मिश्रण; स्ट्रिमाचेर ओअसिस में ग्लेसियल सेडीमेन्ट्स का सेडिमेनटोलोजिकल अध्ययन; और अन्टार्कटिका पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी), अहमदाबाद के सहयोग से पोलर रिमोट सेन्सिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी शुरू की गईं। पालीमेटालिक नोड्यूल्स (पीएमएन) कार्यक्रम के अन्तर्गत, बहु-फ्रीक्वेंसी खोज पद्धति का उपयोग करके नोड्यूलों का संसाधन मूल्यांकन सर्वेक्षण चुनिन्दा मार्जिनल ब्लाकों में 5 किलो मीटर के नजदीकी ग्रिड में किया गया। चुनिन्दा ब्लाकों में भू-सांख्यिकीय संसाधन मूल्यांकन को अद्यतन बनाने का काम भी किया गया। 25,000 टन/ वर्ष की क्षमता के साथ 6000 मीटर गहराई पर काम करने में समर्थ एक खनन पद्धति, रा-द्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) और सेगेन विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन की गई तथा नोड्यूलों से धातु, वैल्यू के नि-कर्मण हेतु 500 किलो ग्राम/ दिन पालीमेटालिक नोड्यूल संसाधित करने का एक प्रायोगिक संयंत्र हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल), उदयपुर में चालू किया गया।

22. समुद्र प्रेक्षण और सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत के इर्द-गिर्द तटीय तथा गहरे समुद्र जल में 8 बहु-पेरामीटर बोया तैनात करके 20 डाटा बोया नेटवर्क स्थापित किए गए। तापमान की वास्तविक समय प्राप्ति 2000 मी. की गहराई तक से लिनिटी प्रोफाइल प्राप्त करने के वास्ते उत्तर भारतीय समुद्र में समय-समय पर प्रत्येक दस दिन के लिए 12 एआरजीओ (ऐरे आफ ग्लोबल जिओ-स्ट्रॉफिक ओसिअनोग्राफी) प्रोफाइलिंग फ्लोट्स तैनात किए गए। अरब समुद्र और बंगाल की खाड़ी में आठ पूर्णतः स्वदेश निर्मित बोया का सैट तैनात किया गया। इसके अलावा, 10 ड्रिफ्टिंग बोया, 300 विस्तारित बाथी थर्मोग्राफ्स (एक्सबीटी) तथा 3 करंट मीटर ऐरेज तैनात किए गए तथा रिमोट सेन्सिंग सेटेलाइट आईआरएस-पी4 सेन्सर्स के वैलीडेशन हेतु समुद्र सच्चाई अभियान के एक भाग के रूप में 5 क्रुसिज

(दौरों) में सतह मौसम विज्ञानीय डाटा एकत्र किया गया। आईआरएस के ओशन कलर मानीटर (ओसीएम) और एडवान्स्ड वैरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर (एवीएचआरआर) से समुद्र सतह तापमान (एसएसटी) का उपयोग करते हुए, मछुवारों को मिशन मोड तरीके से इन्टिग्रेटेड पोटेन्शियल फिशिंग जोन (पीएफजेड) एडवाइजरीज उपलब्ध कराए गए। इस जानकारी को मत्स्य समुदाय की वैल्यु कडी का एक भाग बनने के वास्ते अनेक नूतन उपाय किए गए हैं। इण्डियन ओशन ग्लोबल ओशन आबजर्विंग सिस्टम (आईओजीओओएस) के क्षेत्रीय गठबंधन का सृजन करने व उसमें सक्रियतापूर्वक भाग लेने के लिए भारतीय सागर क्षेत्र में 10 देशों के 19 संगठनों द्वारा एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

23. एकीकृत तटीय और समुद्रीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीएमएएम) कार्यक्रम के अन्तर्गत, चेन्नई के लिए एक प्रोटोटाइप डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस), एक स्टेण्ड अलोन पैकेज के रूप में, विकसित किया गया है। आईसीएमएएम पर तथा क्रान्तिक आबादियों के लिए जीआईएस के अनुप्रयोग के बारे में विभिन्न भागीदारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि तटवर्ती राज्य/ प्रदू-ण नियंत्रण बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान आदि। हाइड्रोडायनेमिक्स, जल गुणवत्ता और जीवविज्ञानीय पैरामीटरों से सम्बन्धित डाटा संग्रहण, दो मौसमों के लिए, तमिलनाडु में पुलीकेट झील में और आन्ध्र प्रदेश में कोरिंगा में “कोई प्रभाव नहीं क्षेत्र” निर्धारित करने के वास्ते, किए गए।

24. रा-द्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने, चालू करने से पहले के परीक्षणों/ टेस्टों के भाग के रूप में सागर थर्मल एनर्जी कन्वर्ज़न (ओटीईसी) के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण आयोजित किए। आवश्यक जोखिमपूर्ण संस्थापन अध्ययन भी आयोजित किए गए तथा आपातिक प्रक्रियाएं विकसित की गईं। 10,000 लिटर क्षमता वाला एक रिवर्स ओसमोसिस आधारित डिसेलीनेशन प्लांट वेव एनर्जी प्लांट में स्थापित किया गया तथा आलटर्नेटर से टरबाइन की गति तथा आउटपुट वोल्टेज की जांच करने के लिए प्रयोग किए गए।

वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

25. वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान, पोलर विज्ञान से संबंधित कार्यकलाप, अन्टारकटिका के लिए बाईसर्वे भारतीय वैज्ञानिक अभियान के आयोजन, समन्वय और नि-पादन तथा समुद्रविज्ञानीय डाटा की प्राप्ति तथा सेडीमेन्ट कोरों की पुनः प्राप्ति की सुविधाओं से लैस एक हिम-श्रेणी पोत चार्टर करके दक्षिणी सागर में लगभग 100 दिन की अवधि का एक बहु-संस्थागत तथा बहु-विनयक अभियान आयोजित करने से सम्बन्धित होंगे। पालीमेटेलिक नोड्यूल्स कार्यक्रम के अन्तर्गत, मध्य भारतीय सागर बेसिन (सीआईओबी) में धारित क्षेत्र में नोड्यूलों की उच्च प्रचुरता की प्रवृत्तियों का पता लगाने और वेलीडेटिंग के वास्ते, मल्टी-फ्रीक्वेन्सी एक्सप्लोरेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए, चुनिन्दा प्रोफाइलों के साथ-साथ, सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर, क्रशर तथा एसोसिएटेड सब-सिस्टमों के विकास के अलावा, मंगनीज नोड्यूल एकत्र करने के वास्ते अन्डरवाटर माइनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

26. सागर प्रेक्षण और सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत, लगभग वास्तविक समय आधार पर तापमान-लवणता प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए 30 एआरजीओ की तैनाती के वास्ते भारतीय सागर एआरजीओ कार्यक्रम जारी रहेगा। सम्भावित प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेमी-आपरेशनल, ओशन स्टेट फोरकास्ट शुरू करने के अलावा, एक्सपेरीमेन्टल ओशन स्टेट फोरकास्ट का प्रायोगिक पैमाने पर अध्ययन किया जाएगा। तटवर्ती सागर मानीटरन और पूर्वानुमान सिस्टम (सीओएमएपीएस) के अन्तर्गत, रासायनिक तथा जीव विज्ञानीय प्रदू-ण और अन्य पैरामीटरों के बारे में डाटा संग्रहण, महत्वपूर्ण स्थलों के

गहन मानीटरन और चुनिन्दा स्थानों के तटीय पानी में प्रदू-कों के प्रवाह की माडलिंग के लिए समय-समय पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

27. बेस मानचित्र तैयार करना तथा 3 क्रान्तिक आबादियों यथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप समूह और गोवा के सम्बन्ध में भौगोलिक सूचना पद्धति (जीआईएस) में बेस मानचित्रों के साथ उपग्रह डाटा को समाकलित करने का काम आईसीएमएएम कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। एनआईओटी, 1एमडब्ल्यू ओटीईसी संयंत्र को चालू करने व उसका परीक्षण करने का काम करेगा। इसके अलावा, वाटर इंजेक्टर वेकुम डीसेलीनेशन प्लांट के विनिर्माण, वेव-पावर्ड बोया और वेव पावर्ड रिवर्स ओसमोसिस प्लांट के डिजाइन और विनिर्माण से सम्बन्धित कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। स्टेण्ड एलोन इको साउन्डर का एक इंजीनियर्ड रूप, इन्ट्रेग्रेटिड अन्डरवाटर सर्वे सिस्टम (आईयूएसएस) परियोजना का एक स्पिन आफ, विकसित किया जाएगा और क्षेत्रीय परीक्षण किया जाएगा और जीपीएस रिसीवर के साथ एकीकृत किया जाएगा। गैस हाइड्रेट्स के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अध्ययन तथा स्वाथ बाथीमीट्री आयोजित की जाएगी। क्रस्टल विशे-ताओं का पता लगाने तथा क्रस्टर माडल का विकास करने के लिए लक्ष्मी बेसिन में समुद्रीय भू-भौतिकी सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा।

अन्तरिक्ष विज्ञान

वर्ष 2002-03 के दौरान हुई उपलब्धियां

28. 12 सितम्बर 2002 को पोलर सेटेलाइन लांच वेहिकल (पीएसएलवी-सी 4) बोर्ड पर से मौसम विज्ञानीय उपग्रह (मेटसेट-1) का सफल प्रक्षेपण वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस प्रक्षेपण से, जो पीएसएलवी की छठी लगातार सफल उड़ान थी, पीएसएलवी की जिओ-सिंक्रोनस प्रक्षेपण क्षमता भी प्रदर्शित हुई। मेटसेट उपग्रह वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर (वीएचआरआर) ले जाता है, जो विजिबल, थर्मल, इनफ्रारेड और जल वा-प चैनलों में पृथ्वी बादल कवर की छवि प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि मौसम प्रणाली का लगातार 24 घण्टे मानीटरन किया जा सके। उपग्रह में डाटा रिले ट्रान्सपॉन्डर (डीआरटी) से भूमि पर दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्र से मौसम विज्ञानीय डाटा एकत्र किया जा सकता है जिसका उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान सहित मौसम विश्ले-ण के लिए किया जाता है। उपग्रह पर भारतीय रिमोट सेन्सिंग सेटेलाइट (आईआरएस-पी6) - रिसोर्सिज का पेलोड विनिर्माण तथा परीक्षण पूरा हो गया है।

29. जीएसएलवी-डी2 की दूसरी विकास उड़ान के लिए सेटेलाइट जीएसएटी-2 को प्रक्षेपण वाहन के साथ एकीकृत किया गया तथा चैक-आउट आपरेशन पूरे किए गए। जीएसएलवी-डी2 में, जीएसएलवी की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए तरल स्ट्रेप-आन एल-40 का सुधरा रूप शामिल किया गया है। जीएसएटी-2 से, जो एक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है, अनेक प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक पेलोड ले जाने के अलावा, सी/केयू बैंड में अतिरिक्त 6 ट्रान्सपोन्डरों और मोबाइल सेटेलाइट सर्विसिज के साथ इनसेट पद्धति क्षमता में वृद्धि होगी।

30. अनेक दीर्घावधिक परीक्षणों के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, 30 मार्च 2002 को, 720 सेकण्ड की पूरी उड़ान अवधि के लिए स्वदेशी विकसित क्रायोजेनिक इंजिन की सफल परीक्षण फायरिंग के साथ क्रायोजेनेक अपर स्टेज (सीयूएस) कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। पिछले लम्बी अवधि के हौट परीक्षण का सफल संचालन 14 सितम्बर 2002 को 1000 सेकण्ड की अवधि के लिए किया गया। द्वितीय लांच पैड ने भी महत्वपूर्ण प्रगति (95 प्रतिशत पूरा हो गया) की है तथा स्थल पर सिविल

कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। अम्बीलिकल टावर, लाइटनिंग प्रोटेक्शन टावर्स, मोबाइल लांच पेडेस्टल जैसी प्रमुख संरचनाओं की स्थापना पूरी हो गई है तथा मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कन्ट्रोल एण्ड प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन का कार्य प्रगति पर है।

31. दसवीं पंच व-र्नीय योजना के कार्यक्रम के भाग के रूप में, इण्डियन नेशनल सेटेलाइट्स-इनसेट-4ए और 4बी, जीएसएटी-3 और 4 सेटेलाइट, जिओ-स्टेशनरी लांच वेहिकल (जीएसएलवी) को जारी रखने के कार्यक्रम को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। जीएसएटी-3 की परिकल्पना एक शैक्षिक उपग्रह (एड्युसेट) के रूप में की गई है - एक ऐसा उपग्रह जो सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए समर्पित है, जिसके अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश का एक बड़ा भाग कवर किया गया है। जीएसएटी-4, केए बैण्ड डाटा प्रसारण अनुप्रयोगों हेतु एक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है। सरकार ने अप्रैल-मई 2002 के दौरान जीएसएलवी एमके-III अनुमोदित कर दिया है तथा कार्य समयानुसार चल रहा है। जीएसएलवी एमके-111 का उद्देश्य एक किफायती प्रक्षेपण वाहन विकसित करना है जो जिओ ट्रान्सफर आर्बिट (जीटीओ) तक 4टी इनसेट किस्म के उपग्रह प्रक्षेपित करने में समर्थ हो। अन्य चालू परियोजनाओं, नामतः इनसेट-3डी और 3ई तथा कार्टोग्राफी सेटेलाइटों (काटोसेट)-1 और 2 में उनके प्रक्षेपण समयानुसार महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

32. व-र्न के दौरान आईआरएस का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पीने के पानी की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के क्षेत्र में है। रा-ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए उपग्रह छवियों का उपयोग करते हुए भू-जल संभावना मानचित्र तैयार किए गए। इन राज्यों को 1300 से अधिक भू-जल संभावना मानचित्र उपलब्ध कराए गए हैं तथा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि इन मानचित्रों का प्रयोग करते हुए अनेक कृएं सफलतापूर्वक खोदे गए हैं। उपग्रह डाटा पर आधारित हिम पिघलने से बहाव के प्रारम्भिक पूर्वानुमान भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन मण्डल को उपलब्ध कराए गए। उपग्रह डाटा का इस्तेमाल करते हुए भू दृश्य स्तर पर जैव-विविधता विशि-टीकरण कार्य पश्चिमी घाट क्षेत्र में पूरा हो गया है। इन-सीज़न फसल पूर्वानुमानों के लिए भी उपग्रह डाटा का प्रयोग किया गया है।

33. आईएसआरओ द्वारा शुरू किए गए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में से अभी हाल ही का एक अनुप्रयोग टेली-मेडिसिन है, जिसका उद्देश्य एक नगर में सुपर-विशे-ज्ञता अस्पताल को इनसेट उपग्रहों के माध्यम से दूरवर्ती स्थानों में अस्पतालों/ स्वास्थ्य देख-रेख केन्द्रों के साथ जोड़ना है। आठ राज्यों में (अंडमान और निकोबार तथा उत्तर-पूर्व सहित) लगभग 17 अस्पतालों को, टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए, इनसेट उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है और 10,000 से अधिक मरीजों का टेली-मेडिसिन सुविधाओं का उपयोग करके इलाज किया गया है। जिला अस्पताल, लेह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली को जोड़ने वाली टेली-मेडिसिन परियोजना स्थापित और चालू करने का कार्य प्रगति पर है। विकासात्मक अनुप्रयोगों हेतु ग्रामसेट उपग्रह आधारित नेटवर्क के विस्तार कार्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

व-र्न 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

34. बहु-प्रयोजनी सेटेलाइट इनसेट-3ए को फ्रेन्च गुयाना से एरिओन द्वारा 10 अप्रैल 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इनसेट-3ए, दूर-संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए एक बहु-प्रयोजनी उपग्रह है। इसमें 24 ट्रान्सपॉडर्स (सी, एक्स-सी और केयू बैण्ड में) हैं, जिनसे फिक्स्ड और प्रसारण उपग्रह सेवाओं के लिए इनसेट अन्तरिक्ष घटक क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ होती है। यह

एक वैरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर (वीएचआरआर), मौसम सेवाओं हेतु एक चार्ज कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) आधारित कैमरा और डाटा रिले ट्रान्सपोन्डर्स भी ले जाता है। यह सेटेलाइट अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह आधारित खोज और बचाव आपरेशन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में खोज और बचाव पेलोड से भी सज्जित है।

35. वर्न 2003-04 के दौरान इनसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत इनसेट सिस्टम क्षमता को सुदृढ़ करने और चौथी पीढ़ी वाले इनसेट-4ए और 4बी उपग्रहों पर कार्य शुरू करने के लिए प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। इनसेट-3डी और अन्तरिक्ष केपसूल रिकवरी इक्विपमेंट (एसआरई) के लिए उन्नत मौसम विज्ञानीय पेलोड के विकास में पर्याप्त प्रगति का भी लक्ष्य रखा गया है। आईआरएस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्न के दौरान, दूरवर्ती सेन्सिंग डाटा की निरंतरता कायम करने के वास्ते रिसोर्ससेट-1 (आईआरएस पी-6) का प्रक्षेपण और उसे प्रचालित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। कार्टोसेट-1 (आईआरएस-पी5) उपग्रह की असेम्बली, एकीकरण और परीक्षण के सम्बन्ध में अधिकांश कार्य भी वर्न के दौरान पूरा किए जाने की योजना है जिसके फलस्वरूप 2004 के प्रारम्भ में अन्तरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जाएगा। जीएसएटी-3 (एड्युसेट) का प्रक्षेपण और उसे प्रचालित करना, जो देश में सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करने के लिए समर्पित एक उपग्रह है, वर्न का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

36. प्रक्षेपण वाहनों के क्षेत्र में, श्रीहरिकोटा में द्वितीय प्रक्षेपण पैड को चालू करना और उसका परीक्षण करना वर्न का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्वदेशी सीयूएसपी परियोजना के अन्तर्गत, इंजिन परीक्षण कार्यक्रम के पूरा होने और अतिरिक्त इंजिनों के विनिर्माण के बाद क्रायोजेनिक उड़ान स्तर प्राप्त करने की योजना है। प्रारम्भिक डिजाइन के पूरा हो जाने, प्रमुख परीक्षण और विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए ठेकों को अन्तिम रूप देने और उद्योगों में विनिर्माण कार्य शुरू होने से, जीएसएलवी एमके-III के विकास के सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रगति होने की उम्मीद है। जीएसएटी-3 (एड्युसेट) ले जाने वाले जीएसएलवी-डी3 की तीसरी विकास उड़ान और रिसोर्ससेट-1 तथा कार्टोसेट-1 के प्रक्षेपण हेतु पीएसएलवी की आपरेशनल उड़ान, वर्न 2003-04 के लिए प्रक्षेपण वाहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

37. अन्तरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में, सभी प्रयासों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से बल, और अधिक राज्यों को कवर करते हुए तथा टेली-मेडिसिन नेटवर्क का विस्तार करके ग्रामसेट नेटवर्क का विस्तार करने पर दिया जाएगा। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान रा-ष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पद्धति (एनएनआरएमएस) को प्रचालित करने तथा शिक्षा व स्वास्थ्य में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने का काम प्रारम्भ किया जाएगा। विभिन्न अनुप्रयोग मिशनों, जैसे कि रा-ष्ट्रीय पेय जल मिशन, फसल उत्पादन और क्षेत्रफल अनुमान, जैव-विविधता विशि-टीकरण और सूखा/बाढ़ मानीटरन, को भी जारी रखा जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वर्न 2002-03 के दौरान हुई उपलब्धियों की समीक्षा

38. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने, जो देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का समन्वय करने वाला नोडल विभाग है, विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान परि-द (एसईआरसी) के तंत्र के माध्यम से नए ज्ञान की खोज करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगा है। उद्योगों, समाजार्थिक विभागों व सामान्य जनता के लिए उपयोज्य ज्ञान को उपयोज्य उत्पादों और सेवाओं में बदलने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी का विकास एक

ऐसा अन्य क्षेत्र है, जिस पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। विभाग के कार्यकलापों में प्रमुख रूप से, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, समाजार्थिक विकास, वैज्ञानिक सेवाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य विशि-ट समस्याओं को हल करने के लिए राज्य एस एण्ड टी परि-दों को प्रोजेक्ट मोड सहायता भी प्रदान की जाती है।

39. विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान परि-द (एसईआरसी) ने विज्ञान तथा इंजीनियरी के चुनौतीपूर्ण और उज्ज्वल भवि-य वाले क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अपनी सहायता जारी रखी और अपने आर एण्ड डी कार्यक्रम के अन्तर्गत 265 परियोजनाएं मंजूर की। कुछेक नई समर्थित परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में थीं; आर्गनिक सिनथेसिस संघनित पदार्थ भौतिकी, सामग्री विज्ञान तथा इंजीनियरी, फेज ट्रान्जीशन, बायो-आर्गनिक रसायन, प्लाज्मा फिजिक्स, नान-लिनियर डायनेमिक्स, लेसर, आप्टिक्स और कम्प्यूटर इंजीनियरी, बायो-मेडिकल इंजीनियरी इत्यादि। साफ्ट कम्प्यूटिंग, प्रेसिजन इंजीनियरी, क्रोनोबायोलाजी, एटामिक एण्ड मोलीकुलर फिजिक्स, एटमोस्फीअरिक आदि के क्षेत्रों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एसईआरसी स्कूलों को सहायता दी गई। महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक नई स्कीम वर्- के दौरान शुरू की गई। विगत वर्- शुरू की गई नानो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में रा-ट्रीय पहल के प्रति विभिन्न आर एण्ड डी संस्थानों के विविध श्रेणियों के अनुसंधानकर्ता आकर्षित हुए। वर्- के दौरान अनुमोदित कुछेक प्रमुख रा-ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं में शामिल हैं: 800 टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर), मुम्बई में एम.एच.जेड. न्युक्लीय मेगनेटिक रेसोनेंस (एन.एम.आर.) फेसिलिटी; सेन्टर फार डिस्प्ले टेक्नोलोजी; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर में; न्युक्लीयर डायनेमिक्स एण्ड स्ट्रक्चर स्टडीज फेसिलिटी, न्युक्लीयर साइंस सेन्टर (एनएससी), नई दिल्ली में; लो टेम्परेचर-हाई मेगनेटिक फेसिलिटी, इन्टर यूनिवर्सिटी सेन्टर फार डिपार्टमेन्ट आफ एटोमिक एनर्जी फेसिलिटी, इन्दोर में; डिजाइन एण्ड डवलपमेंट आफ मेटीरियल्स फार फोटोनिक एप्लीकेशन्स, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल), तिरुवनन्तपुरम में; और नेशनल फेसिलिटी फार प्रोटीन सीक्वेन्सीज, आईआईटी, मुम्बई में। औ-ध और औ-ध निर्माण के क्षेत्र में नूतन एन्टी-ट्युबरकुलर और एन्टी-बेक्टीरियल कम्पाउन्डों की स्क्रीनिंग, एक नूतन इम्युनो एडजुवेन्ट के विकास, नूतन एन्टी-कैंसर एजेन्टों के विकास और डिजाइन सिनथेसिस तथा सम्भाव्य फंगस-रोधी एजेन्टों आदि के रूप में नई रासायनिक एन्टीटीज के परीक्षण के लिए परियोजनाएं मंजूर की गईं। दो रा-ट्रीय फेसिलिटीज भी स्थापित की जा रही हैं, नामतः नेशनल सेन्टर फार बायो-अवेलेबिलिटी, रा-ट्रीय भे-जीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), चन्डीगढ़ में और नेशनल सेन्टर फार फार्माकोकिनेटिक्स एण्ड मेटाबोलिक स्टडीज, केन्द्रीय औ-ध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ में।

40. वर्- के दौरान टीआईएफएसी ने, बायोचिप्स, न्यूट्रासियुटिकल्स और ईंधन सैल तथा विद्यमान इमारतों को भूकम्प-रोधी बनाने के लिए उनकी रिट्रोफिटिंग जैसी उभरती व अग्रणी प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में रिपोर्टें तैयार की हैं। टीआईएफएसी ने बांस उत्पादों के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट को भी न्युकलिए किया है। इन्स्ट्रुमेन्टेशन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, विकसित कुछेक महत्वपूर्ण साधनों/सिस्टम्स में सम्मिलित हैं: एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, टेम्परेचर कन्ट्रोल्ड माइक्रोवेव हिस्टोप्रोसेसर, रिह्ओमीटर आदि। पोर्टेबिल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट्स, बायो-रिएक्टर्स, सल्फर डाईआक्साइड एनेलाइजर, पोर्टेबिल स्टैक ओपेसिटी मानीटर, मेगनेटिक सेन्सर फार मेटीरियल करेक्टराइजेशन आदि के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकियां/ जानकारी उद्योग को हस्तान्तरित की गईं।

41. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), रा-ट्रीय एटलस तथा थीमेटिक मानचित्रण संगठन (एनएटीएमओ) तथा रा-ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्युएफ) के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सियों को मौसमविज्ञान, सर्वेक्षण और मानचित्रण के क्षेत्र में वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की गईं। आईएमडी ने चेन्नई में एक डापलर राडार चालू किया है तथा एक अन्य शीघ्र ही कोलकाता में चालू होने वाला है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के सहयोग से विकसित एक स्वदेशी डापलर मौसम राडार, श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है। बालासोर, चांदबली, पुरी, विशाखापट्टनम, पाण्डिचेरी, नेल्लोर, कराइकल, अडिरामपट्टीनम, मछलीपट्टनम और ओनगोल स्थित मौसम कार्यालयों में अल्ट्रासोनिक किस्म के दस हाई विन्ड स्पीड रिकार्डर (एचडब्ल्युएसआर) स्थापित किए गए हैं। माइक्रो-ज़ोनेशन सम्बद्ध क्षेत्र अध्ययनों के लिए नेशनल सिएसमोलोजिकल नेटवर्क में स्थापना हेतु 50 स्ट्रॉंग मोशन सिएसमोग्राफ प्राप्त किए गए हैं। दिल्ली में और उसके आस-पास भूकम्पन (सिएस्मिटी) के लगभग वास्तविक समय मानीटरन हेतु दिल्ली टेलीमीटरी सिस्टम के अन्तर्गत सोलह सिएस्मोलोजिकल क्षेत्र स्टेशन तथा आईएमडी, एचक्यू, नई दिल्ली में सेन्ट्रल रिकार्डिंग स्टेशन चालू हो गए हैं। सुरक्षित और कुशल वायु नेविगेशन के लिए रा-ट्रीय/ अन्तर्रा-ट्रीय हवाई अड्डों पर उपस्कर सुविधाओं के सम्बन्ध में, फील्ड स्टेशनों पर स्थापना हेतु सात स्ट्रॉंग मोशन एक्सेलेरोग्राफ आद प्राप्त करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है।

वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

42. विनय-आधारित विज्ञान विभागों के विपरीत, एसईआरसी ऐसा एकमात्र संगठन है, जो सभी विज्ञानों को पार करता है और जीवविज्ञानीय (मेडिकल सहित) और भौतिक विज्ञानों - दोनों में बुनियादी अनुसंधान आयोजित करता है। अपनी बहु-स्तरीय समीक्षा पद्धति के कारण, जिसके द्वारा परियोजना के शैक्षणिक मूल्य की संवीक्षा कठोरतापूर्वक की जाती है और उस पारदर्शिता के कारण, जिसके साथ यह सभी कार्यकलाप नि-पादित करता है, इसने देश के वैज्ञानिकों के बीच अच्छी ख्याति प्राप्त की है। यह अनुभव किया जा रहा है कि इसे अधिशासन की एक नई पद्धति की जरूरत है, जिससे अनुसंधान क्षेत्रों के चयन की अधिक स्वतंत्रता, निधियों के शीघ्र उपयोग, और अन्वे-णकर्ताओं को शीघ्र संवितरण सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, देश में सभी दृष्टि से बुनियादी अनुसंधान को दिशा प्रदान करने के लिए, जिससे कि भारत बुनियादी अनुसंधान में अहम भूमिका के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त कर सके, “विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान परि-द (एसईआरसी)” तंत्र को, एक स्वायत्त निकाय अर्थात् रा-ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरी बोर्ड (एनएसईबी) के रूप में पुनर्गठित करने का कार्य वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान शुरू किया जाएगा। शैक्षणिक क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा तथा वर्ष के दौरान लगभग 350 कार्यक्रमों को सहायता प्रदान किए जाने की सम्भावना है। नानो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर नई पहल को जारी रखा जाएगा। यह नानो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उत्कृ-टता केन्द्रों की स्थापना के अलावा होगा। उद्योग तथा इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा विशेष-ज्ञों को एक साथ लाने के भी प्रयास किए जाएंगे। स्थापित की जाने वाली कुछेक प्रस्तावित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी फेसिलिटीज में निम्नलिखित सम्मिलित हैं; इन्डस-2 के लिए बीम लाइन्स, सेन्टर फार जिओक्रोनोलोजी एण्ड आइसोटोप जिओ साइन्सिज, कटेलेसिस सेन्टर, ओरिएंटेशन एण्ड टेक्चर इमेजिंग माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री सेन्टर, लार्ज गामा रे डिटेक्टर फेसिलिटी, आदि। औ-धियों और औ-धि निर्माण के क्षेत्र में सतत आधार पर विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के वास्ते 150 करोड़ रुपए की लागतसे एक ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स रिसर्च एण्ड डवलपमेंट फंड कायम करने का प्रस्ताव है। सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे जिससे कि हमारे देश में विद्यमान प्रमुख बीमारियों, जैसे कि तपेदिक, कु-ठ, मलेरिया, फुलबहरी, आमाशयतन्त्रीय विकार, मधुमेह, हाइपरटेन्शन, कार्डिओ-मस्कुलर विकृतियां व

अन्य प्रचलित संक्रामक रोगों के विरुद्ध औ-धि विकास हो सके। एन्टी-वायरल कार्यकलाप की स्क्रीनिंग हेतु नियंत्रणकारी फेसिलिटीज, प्रोटिओमिक्स के सम्बन्ध में नेशनल फेसिलिटी आदि जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में नेशनल फेसिलिटियां स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सहयोगात्मक परियोजनाओं के माध्यम से पशुचिकित्सा सम्बन्धी औ-धियों के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सिस्मोलोजी, एफआइएसटी, सोसाइटल कार्यक्रमों आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को भी और सुदृढ़ किया जाएगा।

43. समाजार्थिक मंत्रालयों को सेवाएं प्रदान करने के वास्ते, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, आईएमडी, एनएटीएमओ और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के कार्यकलाप जारी रहेंगे। आईएमडी और एसओआई में उपलब्ध सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है जिससे कि मौसम विज्ञान, चक्रवात, भूकम्प विज्ञान, मानचित्रण आदि के सम्बन्ध में सही पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जा सकें। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, निम्नलिखितों की स्थापना/ चालू करने के काम को वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान शुरू किया जाएगा: इनसेट-3ए के लिए नए पृथ्वी स्टेशनों हेतु उपस्कर; 40 स्टेशनों पर डिजिटल मौसमविज्ञानीय डाटा प्रसंस्करण उपस्कर (एमडीडी); हवाई अड्डों पर 10 लेसर सेलोमीटर्स और ऊपरी वायु स्टेशनों पर दस मौसम ब्यूरो रेडियो थिओडोलाइट्स (डब्ल्यूबीआरटी) (हिमालय में तीन सहित); तीन हवाई अड्डों पर आटोमेटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) कम्प्यूटर सिस्टम; “पर्वत” परियोजना के अन्तर्गत पर्वत मौसमविज्ञान हेतु हिमालय में आटोमेटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस); आन्ध्र प्रदेश में दस डिजिटल वार्निंग डिस्सेमिनेशन सिस्टम्स (सीडब्ल्यूडीएस), आदि। आप्टीमम सेइस्मो नेटवर्क के एकीकरण और स्थापना, विश्व बैंक सहाय्यित परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थापना हेतु डापलर वेदर राडार (डीडब्ल्यूआर) की प्राप्ति और ग्यारह एक्स-बेण्ड विंड फाइन्डिंग वेदर राडार तथा तूफान का पता लगाने वाले छः राडारों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा सभी प्रमुख पूर्वानुमान कार्यालयों के लिए “ इन्टिग्रेटेड टेलीकाम सिस्टम नेटवर्क” को कार्यान्वित किया जाएगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान

वर्ष 2002-03 के दौरान हुई उपलब्धियों की समीक्षा

44. प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन विकास तथा उपयोग (टीपीडीयू), वैज्ञानिक तथा और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास का प्रोन्नयन और देश में नई प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्राप्ति, प्रौद्योगिकी निर्यात के प्रबंधन, परामर्श क्षमताओं तथा सूचना प्रणालियों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, यह विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द, तथा दो सरकारी क्षेत्रक उद्यमों, नामतः रा-ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), और केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लि. (सीईएल) के कार्यकलापों का समन्वयन करने के लिए भी जिम्मेदार है। टीपीडीयू स्कीम के अनेक घटक हैं, यथा, उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास (आरडीआई), प्रौद्योगिकीय आत्म-निर्भरता के उद्देश्य वाला कार्यक्रम (पीएटीएसईआर), और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की उपादेयता के संवर्धन हेतु स्कीम (एसईईटीओटी)। वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान उद्योग में इन-हाउस आर एण्ड डी पर सोलहवां रा-ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया तथा श्रे-ठ इन-हाउस आर एण्ड डी उपलब्धियों हेतु आठ रा-ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। 75 नए इन-हाउस आर एण्ड डी यूनिटों और तीस नए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओएस) को आर एण्ड डी के लिए किए गए आयात पर सीमा शुल्क छूट व अन्य कर कटौतियां/ छूट मंजूर करने के

उद्देश्य से मान्यता प्रदान की गई। औद्योगिक यूनिटों की 20 नई परियोजनाओं को प्रौद्योगिकीय विकास तथा प्रदर्शन हेतु सहायता प्रदान की गई।

45. अपनी 38 रा-द्रीय प्रयोगशालाओं की कड़ी के माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द ने समाजार्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए एस एण्ड टी निवि-टियां उपलब्ध कराना जारी रखा। औद्योगिक मोर्चे पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द ने भारतीय उद्योग को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय निवि-टियां प्रदान कीं जिससे कि वह विश्व प्रतियोगिता का, विशेष-रूप से चर्म उद्योग, इस्पात, पेट्रो-रसायन, औ-धि तथा औ-धि निर्माण आदि में प्रतियोगिता का सामना कर सके। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द के कार्यकलापों से, सिविल वायुयान के डिजाइन और विनिर्माण के माध्यम से नए अवसरों का पता लगाने के वास्ते स्वदेशी सिविल वायुयान उद्योग को उत्प्रेरित करने में भी मदद मिली। अत्याधुनिक व स्वदेशी विकसित 14 सीट वाला बहु-भूमिका परिवहन वायुयान (सारस) 4 फरवरी 2003 को तैयार हुआ। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (एनएएल) ने नागर विमानन मंत्रालय को तीन “हंस” वायुयान सौंपे। इन्स्टिट्यूट आफ जीनोमिक्स एण्ड इन्टेग्रेटिव बायोलोजी (आईजीआईबी), नई दिल्ली ने एन्थ्रेक्स टोक्सिन के संरक्षक एन्टीजन प्रोटीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक्सप्रेसन सिस्टम विकसित किया है तथा एन्थ्रेक्स वेक्सीन के लिए विकसित प्रौद्योगिकी पैनेशिया बायोटेक (पी.) लि. को हस्तान्तरित की गई। नए बायोएक्टिव व पारम्परिक सूत्रों की खोज, विकास तथा व्यावसायीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, 4000 से अधिक स्क्रीन किए गए प्लांट और माइक्रोबिअल नि-क-नों में से 400 नि-क-नों में विश्व महत्व के 21 रोगों के लिए विवो एक्टिविटी पाई गई। संक्षेप में, 44 लीड नि-क-र्न प्राप्त किए गए, 3 नए बायोएक्टिव मोलीक्यूल्स पाए गए और 25 अन्तर्रा-द्रीय पेटेन्ट फाइल किए गए हैं।

46. माइक्रोक्रीस्टलाइन वेक्सिज के लिए फीडस्टाक तैयार करने के वास्ते एक प्रायोगिक संयंत्र का संचालन-पूर्व परीक्षण किया गया तथा तभी से माइक्रोक्रीस्टलाइन वेक्स के लिए डिस्टिलेट-फीडस्टाक उत्पादित करने के वास्ते उसे नियमित रूप से असम तेल प्रभाग (एओडी) द्वारा चलाया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द की कुछेक अन्य उपलब्धियां निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं: 4एमX8एम आटोक्लेव का डिजाइन और विकास; आईएसआरओ के डापलर मौसम राडारों के वास्ते 12.88 एम डायामेटर का विनिर्माण; चाय बीजों के लिए डेसिकेशन सहि-णुता सृजन; और नूट्रास्युटिकल उत्पादों का विकास, पित्ताशय रोगों के लिए पौधा आधारित उपचार, पोलीमर मेगनेट तथा थिन कन्डक्टिंग फिल्में, एपोक्सी-टार आधारित कोटिंग फारमूलेशन, जीओलाइट आधारित रिफॉर्मिंग केटेलिस्ट, एरोमेटिक उत्पादन हेतु ताड़ तेल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, आर्सेनिक एनेलाइजर आदि।

47. कुछेक चुनिन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व अग्रणी स्थिति प्राप्त करने के लिए एक नई मिलेनियम इण्डियन टेक्नोलोजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई) स्कीम शुरू की गई थी। कुछेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अगली पीढ़ी के बायो-इन्फार्मेटिक्स साफ्टवेयर के विकास, डीसेलफ्युराइजिंग डीज़ल के लिए उच्च नि-पादक उत्प्रेरक, और उच्च विरोधी अनुपात वाले फ्लेट पैनेल डिस्प्ले सिस्टम के लिए एक नया तरल क्रिस्टल डिस्प्ले यंत्र से सम्बन्धित है।

48. बौद्धिक सम्पदा मोर्चे पर, सीएसआईआर, पेटेन्ट फाइल करने में भारत में अग्रणी बनी रही, सीएसआईआर ने भारत में 417 और विदेश में 718 पेटेन्ट फाइल किए। वर्न के दौरान इसे 146 अमरीकी पेटेन्ट दिए गए जो सभी समय का एक रिकार्ड है। सीएसआईआर, बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में परम्परागत ज्ञान को समुचित मान्यता और प्रति-ठित स्थिति प्रदान करने की संकल्पना प्रस्तुत करने में भी विश्व भर में अग्रणी रही।

वर्ष 2003-04 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

49. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-द, उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को लीवरेजिंग समर्थन प्रदान करके और प्रौद्योगिकी नूतनताओं, डिजाइन इंजीनियरी केन्द्रों आदि को समर्थन देकर “प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन, विकास और उपयोग” कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना जारी रखेगी।

50. सीएसआईआर, जहां कहीं व्यवहार्य हो, भारत की ज्ञान की समृद्ध विरासत में गहन रूप से जुड़ी उन्नत विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से, विज्ञान में श्रेष्ठता प्रोत्साहित करके - एक ऐसा विज्ञान जो मार्ग प्रशस्त करेगा न कि अनुसरण; स्थानीय महत्व के प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित करने - लोगों की गम्भीर समस्याओं के वृहत और इ-टतम समाधान खोजने; और विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी प्रबंधन से वित्तपो-ण तक के कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में एक समग्र नवीन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करने के लिए, एक नेटवर्क मोड में विभिन्न आर एण्ड डी परियोजनाएं जारी रखेगी। रा-ट्रीय एस एण्ड टी मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम; बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन; आर एण्ड डी प्रबंधन समर्थन, न्यु मिलेनियम इण्डिया टेक्नोलोजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई); बुनियादी ढांचे और सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण और पुनर्सज्जीकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अलावा, सीएसआईआर की रा-ट्रीय प्रयोगशालाओं ने विनिर्धारित क्षेत्रों में 57 कार्यक्रम/ परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

51. “न्यु मिलेनियम इण्डियन टेक्नोलोजी लीडरशिप इनिशिएटिव” स्कीम के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप, लिनक्स आधारित सरल कार्यालय कम्प्यूटर के विकास; इन्टेग्रेटिड प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्युल सैल फार लेबोरेटरी इवेल्युएशन; प्रोसेस फार सेपरेशन आफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिगनिन फ्राम बगासे; तथा “अश्वगंधा” की भे-नजीय विशेषताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन से सम्बन्धित होंगे।

52. सीएसआईआर, वि-नय-इतर क्षेत्रों में समुचित अध्येतावृत्तियां प्रदान करके एस एण्ड टी के विविध वि-नयों में एक्स्ट्रा-मुरल मानव संसाधनों का उन्नयन जारी रखेगी। सीएसआईआर, अनुसंधान अध्येताओं को अपने खुद के आर एण्ड डी उद्यम स्थापित करने के लिए उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा करने का प्रयास करेगी। प्रतिभाशाली बच्चों को विज्ञान का अध्ययन करने के प्रति आकर्षित करने के अलावा, परि-द विज्ञान में युवा नेतृत्व हेतु सीएसआईआर कार्यक्रम (सीपीवाईएलएस) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करेगी। हाल ही में शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा।

53. विभिन्न एस एण्ड टी विभागों के लिए स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय तथा राज्य-वार एस एण्ड टी योजना परिव्यय/ व्यय का विवरण क्रमशः संलग्नक 13.1 और 13.2 में दर्शाया गया है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक विभाग
योजना व्यय की प्रगति

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग/ एजेन्सियां	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	वार्षिक योजना 2002-03 बजट अनुमान	वार्षिक योजना 2002-03 संशोधित अनुमान	वार्षिक योजना 2003-04 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी क्षेत्रक)	419.71	535.00	434.33	464.00
2.	सागर विकास विभाग	119.18	175.00	150.00	175.00
3.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	384.92	625.00	562.87	800.00
4.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	174.67	225.00	205.00	260.00
5.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान	327.16	440.00	375.00	520.00
6.	अन्तरिक्ष विभाग	1592.54	1950.00	1850.00	2050.00
	कुल जोड़	3018.18	3950.00	3577.20	4269.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय

परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी क्षेत्रक)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
1.	भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी)	117.35	186.00	120.00	140.00
2.	इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर)	49.07	32.00	25.50	35.00
3.	उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएटी)	49.87	45.00	45.88	50.00
4.	वेरिएबिल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेन्टर (बीईसीसी)	17.68	26.00	21.48	23.00
5.	परमाणु खनिज प्रभाग (एएमडी)	7.44	6.37	6.37	15.00
6.	टाटा स्मारक केन्द्र (टीएमसी)	27.00	27.00	34.20	35.40
7.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर)	30.80	38.00	33.10	35.00
8.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (एसआईएनपी)	11.93	17.00	17.13	18.00
9.	भौतिकी संस्थान (आईओपी)	4.92	3.94	2.07	3.10
10.	गणितीय विज्ञान संस्थान (आईएमएस)	4.35	1.30	1.03	2.50
11.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान (एचआरआई)	2.89	3.41	1.77	2.50
12.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आइपीआर)	38.75	62.00	50.00	28.00
13.	डीईई परियोजनाएं	2.78	1.33	1.82	2.00
14.	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ईआईआरबी)	3.19	4.00	3.93	2.50
15.	सहायता-अनुदान	31.83	42.40	53.80	50.00
16.	निर्माण, सेवाएं और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम)	19.86	39.25	16.25	22.00
	कुल जोड़	419.71	535.00	434.33	464.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय
सागर विकास विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
1.	पोलर विज्ञान	18.52	26.50	20.00	24.00
2.	पोलिमेटलिक नोड्यूलस प्रोग्राम	11.08	20.00	20.00	22.00
3.	सागर प्रेक्षण तथा सूचना पद्धति	14.15	25.00	24.00	35.00
4.	समुद्री अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास	4.33	24.85	22.75	21.50
5.	रा-द्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान	30.30	24.15	23.40	25.00
6.	तटवर्ती अनुसंधान पोत (सीआरवी)	3.89	5.00	5.00	5.00
7.	महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं का सीमांकन	25.00	18.00	18.00	8.00
8.	समुद्रीय सजीव संसाधन	1.05	0.00	0.00	0.00
9.	समुद्रीय निर्जीव-रहित संसाधन	1.04	0.00	0.00	0.00
10.	आईसीएमएएम	4.38	0.00	0.00	0.00
11.	सीओएमएपीएस	2.15	0.00	0.00	0.00
12.	समुद्र से ओ-नधि	1.62	0.00	0.00	0.00
13.	अन्तर्रा-द्रीय सहयोग	0.52	0.00	0.00	0.00
14.	कम्प्रीहेन्सिव स्वाथ बाथीमीट्रक सर्वे आफ इंडियन ईईजेड	0.00	14.00	5.25	12.00
15.	गैस-हाइड्रेट एकस्प्लोरेशन एण्ड टेक्नोलोजी डवलपमेंट फार एक्सप्लायटेशन	0.00	8.50	4.50	18.00
16.	नए अनुसंधान पोतों की प्राप्ति और प्रचालन	0.00	2.00	0.10	2.00
17.	लक्ष्मी बेसिन का भू-भौतिकी अध्ययन	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	निर्देशन तथा प्रशासन	1.15	0.00	0.00	0.00
	जोड़	119.18	175.00	150.00	175.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
	क. सतत स्कीमें				
1.	आर एण्ड डी सहायता				
1.1	विज्ञान तथा इंजीनियरी में बहु-विनयक अनुसंधान (एसईआरसी)	82.66	210.00	207.00	215.00
	जोड़ (1)	82.66	210.00	207.00	215.00
2.	आधारभूत समर्थन				
2.1	क्षेत्रीय आधुनिकतम यंत्रीकरण (आरएसआईसी)	2.50	0.00	0.00	0.00
2.2	रा-ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सूचना पद्धति (एनएसटीएमआईएस)	0.90	0.00	0.00	0.00
2.3	प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंध पद्धति (एनआरडीएमएस)	2.58	0.00	0.00	0.00
2.4	विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध अकादमिक संस्थानों में वि.तथा प्रौ.ढांचे के सुधार के लिए धन	34.99	0.00	0.00	0.00
	जोड़ (2)	40.97	0.00	0.00	0.00
3.	प्रौद्योगिकी विकास				
3.1	संयुक्त प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	2.26	0.00	0.00	0.00
3.2	यंत्र विकास कार्यक्रम	1.99	0.00	0.00	0.00
3.3	औ-नधियां तथा औ-नधि निर्माण	3.99	0.00	0.00	0.00
3.4	पेटेन्ट फेसिलिटेटिंग सैल	0.90	0.00	0.00	0.00
3.5	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	0.00	23.00	23.00	23.00
	जोड़ (3)	9.14	23.00	23.00	23.00
4.	समाजार्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम				
4.1	विज्ञान तथा सोसायटी कार्यक्रम	4.45	5.50	5.50	5.50
4.2	अ.जा. के विकास के लिए एससीपी	1.76	2.50	2.50	2.50
4.3	जनजातीय उप-योजना	1.55	2.50	2.50	2.50
4.4	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाप	7.45	14.00	14.00	14.00
4.5	वि.तथा प्रौ. संचार और लोकप्रियता	3.41	4.00	4.00	4.00
4.6	महिला घटक योजना	2.50	2.50	2.50	2.50
	जोड़ (4)	21.12	31.00	31.00	31.00
5.	अन्तर्रा-ट्रीय सहयोग कार्यक्रम				
5.1	भारत और रा-ट्रकुल देश गणराज्यों के बीच वि.तथा प्रौ. में सहयोग का एकीकृत दीर्घावधिक कार्यक्रम	1.84	0.00	0.00	0.00
5.2	उन्नत अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु भारत-फ्रेंच केन्द्र	5.74	6.00	6.00	6.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
5.3	विकासशील देशों के साथ वि.तथा प्रौ.में सहयोग का एकीकृत दीर्घवधिक कार्यक्रम	1.09	0.00	0.00	0.00
5.4	विकासशील देशों के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग	2.81	0.00	0.00	0.00
5.5	भारत-अमरीका वि.तथा प्रौ. मंच	2.70	3.50	3.50	3.50
5.6	अन्य देशों के साथ वि.तथा प्रौ. सहयोग	0.00	10.50	8.50	10.50
5.7	भारत और यूएनडीपी के बीच विकास सहयोग	4.00	10.00	10.00	3.74
	जोड़ (5)	18.18	30.00	28.00	23.74
6.	विज्ञान-आधारित सेवाएं				
6.1	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	4.75	20.00	18.38	17.00
6.2	नेशनल एटलस एण्ड थेमेटिक मैपिंग संगठन (एनएटीएमओ)	0.59	1.00	1.00	1.00
6.3	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)	42.14	60.00	64.49	65.00
6.4	नेशनल सेन्टर फार मिडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ)	16.88	10.00	10.00	9.00
	जोड़ (6)	64.36	91.00	93.87	92.00
7.	सहायता-प्राप्त संस्थान				
	स्वायत्त संस्थान/ व्यावसायिक निकाय	139.35	200.00	160.00	192.01
8.	अन्य				
8.1	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राज्य परि-दें	7.99	10.00	10.00	10.00
8.2	प्रबंध तथा प्रशासन	1.15	0.00	0.00	0.00
	जोड़ (8)	9.14	10.00	10.00	10.00
	जोड़ (क)	384.92	595.00	552.87	586.75
ख.	नई स्कीमें				
1.	सेसमोलोजी	0.00	10.00	5.00	10.00
2.	बांस उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी	0.00	20.00	5.00	43.25
3.	औ-धि निर्माण अनुसंधान तथा विकास सहायता को-न	0.00	0.00	0.00	150.00
4.	सिनर्जी प्रोजेक्ट्स (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	0.00	0.00	0.00	10.00
	जोड़ (ख)	0.00	30.00	10.00	213.25
	कुल जोड़	384.92	625.00	562.87	800.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/ व्यय
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2001-02 वास्तविक	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
क.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक				
1.	मानव संसाधन विकास	10.74	10.00	11.62	13.00
2.	बायो-टेक सुविधाएं, श्रे-ठता केन्द्र तथा कार्यक्रम सहायता	11.00	21.00	21.00	20.00
3.	बुनियादी और उत्पाद उन्मुख आर एण्ड डी	80.12	104.00	80.50	114.00
4.	सामाजिक विकास हेतु बायोटेक्नोलोजी	3.79	6.00	3.50	7.00
5.	बायोटेक प्रोसेस तथा उत्पाद विकास	7.42	8.00	7.86	7.00
6.	बायोइन्फोर्मेटिक्स	7.29	7.00	9.82	10.00
7.	अन्तर्रा-द्रीय सहयोग	4.45	6.00	6.00	8.00
8.	सचिवालय (जनशक्ति)	1.11	0.00	0.00	0.00
9.	रा-द्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान	16.00	25.00	24.00	25.00
10.	रा-द्रीय सैल विज्ञान केन्द्र, पुणे	8.75	9.00	9.90	9.00
11.	डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा डायगनोस्टिक्स केन्द्र	10.25	8.00	8.00	8.00
12.	रा-द्रीय मस्ति-क अनुसंधान केन्द्र	8.00	11.00	11.00	11.00
13.	रा-द्रीय प्लांट जीनोम अनुसंधान केन्द्र	5.50	7.00	7.00	7.00
14.	बायो-संसाधन तथा संधारणीय विकास संस्थान	0.25	2.00	1.30	2.00
15.	जीव विज्ञान संस्थान	0.00	0.00	2.50	4.00
	जोड़ - वि. तथा प्रौ. (क)	174.67	224.00	204.00	245.00
ख.	उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक				
1.	बीआईबीसीआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आईवीसीआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	टेक्नोलोजी इनकुबेटर्स एण्ड पायलट लेवल फेसिलिटीज, पार्क्स एण्ड बायोटेक विकास को-1	0.00	1.00	1.00	15.00
	जोड़ - उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक (ख)	0.00	1.00	1.00	15.00
	कुल जोड़ (क+ख)	174.67	225.00	205.00	260.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/व्यय
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक तथा
औद्योगिक अनुसंधान परि-द सहित

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
क.	डीएसआईआर				
1.	प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन, विकास तथा उपयोगिता कार्यक्रम	13.21	17.00	13.35	15.00
2.	रा-ट्रीय अनुसंधान विकास सहयोग	2.68	3.00	3.00	3.00
3.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3.00	8.00	6.00	10.00
	जोड़ (क)	18.89	28.00	22.35	28.00
ख.	सीएसआईआर				
1.	रा-ट्रीय प्रयोगशालाएं	181.91	310.00	291.65	392.00
2.	रा-ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मानव संसाधन प्रबंधन	4.20	5.00	5.00	7.00
3.	आधुनिकीकरण	48.68	0.00	0.00	0.00
4.	बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन	8.00	15.00	15.00	17.00
5.	अनुसंधान तथा विकास प्रबंधन सहायता	9.73	10.00	10.00	11.00
6.	रिहायशी इमारत	5.77	0.00	0.00	0.00
7.	न्यु मिलिनियम इण्डियन टेक्नोलोजी लीडरशिप इनिशिएटिव	49.99	45.00	30.00	35.00
8.	आधारभूत ढांचा पुनरुद्धार और पुनर्गठन	0.00	27.00	1.00	30.00
	जोड़ (ख)	308.28	412.00	352.65	492.00
	जोड़ (क+ख)	327.16	440.00	375.00	520.00

स्कीम-वार योजना परिव्यय/व्यय
अन्तरिक्ष विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
1.	इनसेट-2 उपग्रह	66.17	0.00	0.00	0.00
2.	जीएसएटी-1	5.79	0.00	0.00	0.00
3.	आईआरएस-पी4 (ओसिअनसेट)	0.76	0.00	0.00	0.00
4.	प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह	17.62	0.00	0.00	0.00
5.	पीएसएलवी सी4-सी6	114.74	60.28	64.00	17.00
6.	जीएसएलवी	63.23	101.13	85.13	70.00
7.	क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट (सीयूएसपी)	17.80	16.38	19.38	16.70
8.	अन्तरिक्ष केपस्यूल रीकवरी प्रयोग	0.00	20.00	8.65	31.43
9.	द्वितीय प्रशिक्षण पैड (एसएलपी)	127.83	45.00	70.00	20.47
10.	आईआरएस-पी5 कार्टोसेट	22.88	17.20	17.64	10.43
11.	आईआरएस-पी6 रिसोर्ससेट	18.63	17.00	17.64	10.43
12.	आईआरएस-2(उन्नत कार्टोसेट)	33.42	60.56	48.38	76.49
13.	इनसेट-3 उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाएं	576.62	294.70	208.59	275.00
14.	जीएसएटी-2	14.04	10.00	13.00	10.00
15.	मेटसेट-1	23.74	35.00	30.00	5.00
16.	जीएसएलवी एमके III	0.00	180.00	175.00	280.00
17.	जीएसएलवी जारी (एमके I/II)	0.00	25.00	34.80	100.00
18.	पीएसएलवी सी7-सी12	0.00	0.00	0.00	50.00
19.	इनसेट-4 तथा प्रक्षेपण सेवाएं (जीएसएलवी को छोड़कर)	0.00	435.0	546.27	185.00
20.	जीएसएटी-3 तथा 4	0.00	10.00	7.00	100.00
21.	उन्नत संचार परीक्षण उपग्रह	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राडार इमेजिंग सेटेलाइट	0.00	30.00	0.00	50.0
23.	ओसनसेट-2	0.00	5.00	0.00	15.00
24.	रिसोर्ससेट-2	0.00	0.00	0.00	5.00
25.	एस्ट्रोसेट	0.00	12.00	0.00	10.00
26.	मेघा-ट्रोपिक्स	1.37	5.35	2.13	5.20

स्कीम-वार योजना परिव्यय/व्यय
अन्तरिक्ष विभाग

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	कार्यक्रम	2001-02 वास्तविक	2002-03		2003-04 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
27.	प्लेनेटरी मिशन	0.00	0.00	0.00	10.00
28.	ईओ अनुप्रयोग	26.92	26.13	26.37	32.35
29.	एनएनआरएमएस तथा एसएनआरएमएस	21.98	36.00	26.63	54.80
30.	आपदा प्रबंधन सहायता	8.48	10.00	2.80	10.00
31.	सेटकोम अनुप्रयोग कार्यक्रम	10.51	42.20	31.18	61.57
32.	अन्तरिक्ष विज्ञान तथा पर्यावरण	32.87	29.40	32.22	53.57
33.	लघु उपग्रह कार्यक्रम	3.00	3.00	3.00	5.74
34.	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम/ ईओ प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम	55.49	56.57	39.18	52.84
35.	उन्नत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	12.23	11.15	11.09	10.47
36.	सुविधाएं पुनर्स्थापन/ संवर्धन/ ईओ ग्राउंड सेगमेंट संवर्धन	72.5	87.18	88.16	132.42
37.	अन्तरिक्ष सामग्री/ घटकों का विकास और उन्नत कार्रवाई/ पैरेलल आर्डरिंग	34.28	21.84	9.28	28.08
38.	उद्योग अन्योन्यक्रिया तथा उत्पादीकरण	9.43	21.29	8.79	14.96
39.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम	17.74	4.25	2.90	4.40
40.	प्रायोजित अनुसंधान	6.69	8.00	7.00	10.00
41.	तकनीकी तथा गौण सुविधा सहायता	139.00	175.35	169.06	169.16
42.	सामान्य सिविल कार्य तथा आवासन	36.78	38.04	31.83	46.55
	जोड़	1592.54	1950.00	1850.00	2050.00

संलग्नक 13.2

राज्य योजना के अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिव्यय

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 संशोधित अनुमान	10वीं योजना परिव्यय	2002-03 बजट अनुमान	2002-03 संशोधित अनुमान	2003-04 बजट अनुमान
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.00	500.00	105.00	20.00	22.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	124.00	420.00	126.00	126.00	153.00
3.	असम	163.00	750.00	145.00	145.00	145.00
4.	बिहार	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00
5.	छत्तीसगढ़	47.00	300.00	48.00	48.00	73.00
6.	गोवा	25.00	175.00	35.00	35.00	57.15
7.	गुजरात	5814.00 ^{\$\$}	29835.00 ^{\$\$}	6524.00 ^{\$\$}	6524.00 ^{\$\$}	7224.00
8.	हरियाणा	116.00	565.00	110.00	169.00	120.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	592.00	128.00	108.00	45.64
10.	जम्मू तथा कश्मीर	614.00	3619.00*	576.00*	576.00*	614.00*
11.	झारखण्ड	6000.00+	33000.00+	6000.00+	6000.00+	4700.00+
12.	कर्नाटक	150.00	1293.00	182.00	191.00	249.00
13.	केरल	1500.00*	12000.00\$\$	2500.00*	2000.00*	3750.00*
14.	मध्य प्रदेश	170.00	858.00	172.00	190.00	192.00
15.	महाराष्ट्र	145.00	4325.00	23.00	23.00	270.00
16.	मणिपुर	118.00	1227.00	195.00	195.00	502.00
17.	मेघालय	93.00	515.00	85.00	85.00	85.00
18.	मिजोरम	110.00	513.00	110.00	110.00	106.00
19.	नागालैंड	32.00	350.00	20.00	49.00	294.00
20.	उड़ीसा	167.00	2281.00\$\$	320.00\$\$	320.00 ^{\$\$}	875.52 ^{\$\$}
21.	पंजाब	56.00	3303.00	263.00	263.00	230.00
22.	राजस्थान	59.00	753.00	215.00	65.00	77.00
23.	सिक्किम	70.00	600.00	75.00	75.00	175.00
24.	तमिलनाडु	290.00	4735.00	204.00	165.00	186.79
25.	त्रिपुरा	42.00	904.00	20.00	20.00	5.06
26.	उत्तर प्रदेश	364.00	5950.00	825.00	350.00	416.00
27.	उत्तरांचल	60.00	304.00	361.00	361.00	720.00
28.	पश्चिम बंगाल	3048.00\$\$	13831.00	3507.00\$\$	489.00	329.00
	कुलराज्य	19504.00	123498.00	22874.00	18702.00	21636.16
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.00	212.00	35.00	35.00	20.00
2.	चण्डीगढ़	32.00	60.00	15.00	15.00	14.00
3.	दादर और नगर हवेली	6.00	35.00	6.00	6.00	6.00
4.	दिल्ली	385.00	700.00	130.00	80.00	150.00
5.	दमन और दीव	10.00	80.00	13.00	13.00	15.00
6.	लक्षद्वीप	37.24	307.64	63.00	63.00	75.00
7.	पांडिचेरी	33.60	140.00	35.00	40.00	35.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	523.84	1534.64	297.00	252.00	315.00
	कुल जोड़	20027.84	125032.64	23171.00	18954.00	21951.16

\$\$ सूचना प्रौद्योगिकी सहित

* पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण सहित

+ तकनीकी शिक्षा तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण

अध्याय 14

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और पूर्वोत्तर क्षेत्र

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

कतिपय क्षेत्रों द्वारा उनकी विशिष्ट भू-भौतिकी संरचना और सहगामी समाजार्थिक विकास के कारण उत्पन्न विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

14.1 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

2. एचएडीपी पांचवीं पंच व-र्षीय योजना की शुरुआत से चल रहा है और इसे कुछ चिह्नित पर्वतीय क्षेत्रों के इस एकीकृत विकास हेतु चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका पारिस्थितिकीय संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

3. एचएडीपी के अन्तर्गत कवर किए गए चिह्नित पर्वतीय क्षेत्र, रा-ट्रीय विकास परि-द की एक समिति द्वारा 1965 में विनिर्धारित किए गए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के बारह जिले सम्मिलित हैं। तथापि, एक अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल के गठन के बाद एचएडीपी पूर्व उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अब लागू नहीं है। इस समय एचएडीपी के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- असम-उत्तरी कछाड और कर्बी अंगलॉग के 2 पहाड़ी जिले।
- पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले का बड़ा भाग।
- तमिलनाडु का नीलगिरि जिला।

4. दसवीं पंच व-र्षीय योजना की शुरुआत से पहले, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के वास्ते दसवीं पंच व-र्षीय योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास/ पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक कार्य दल गठित किया गया था। कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कार्यक्रम को दसवीं पंच व-र्षीय योजना के दौरान जारी रखने की सिफारिश की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारि-परिक्षण और पारि-पुनरुद्धार बना रहेगा। तथापि, यदि पारि-पद्धति को परिरक्षित किया जाना है, तो लोगों की जरूरतों को, विशेष रूप से उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाना है। इसलिए, क्षेत्र की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना है।

5. एचएडीपी के लिए प्रदत्त की जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) सामान्य राज्य योजना निधियों के अतिरिक्त है और यह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को तेज करने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों की पूरक है। एससीए का उपयोग सामान्य राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना है। एचएडीपी के अन्तर्गत स्कीमों को राज्य योजना स्कीमों के साथ उचित रूप से समन्वित और एकीकृत किया जाना है।

6. एचएडीपी के लिए उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता को अब एचएडीपी के अन्तर्गत चिह्नित पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के चिह्नित तालुकों के बीच 60:40 अनुपात में बांटा जाता है। चिह्नित पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एससीए का विभाजन, क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर, दोनों को समान भार देते हुए, किया जाता है।

7. राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य योजना परिव्यय और विशेष-केन्द्रीय सहायता से निधियों के प्रवाह का उल्लेख करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक पृथक उप-योजना तैयार करें।

वार्षिक योजना 2001-2002 और 2002-2003 की समीक्षा

8. वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य सरकारों को पूरे 95.54 करोड़ रुपए आबंटित और जारी किए गए जिन्होंने विशेष-केन्द्रीय सहायता के पूर्ण उपयोग की रिपोर्ट भेजी है। 2001-02 के दौरान एचएडीपी के लिए उपलब्ध विशेष-केन्द्रीय सहायता कम होकर 95.54 करोड़ रुपए रह गई क्योंकि एक अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल के गठन के परिणामस्वरूप इस वर्ष से उत्तर प्रदेश को एचएडीपी से अलग कर दिया गया है।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत स्कीमें शुरू की गई हैं। एचएडीपी के अन्तर्गत 2002-03 के लिए भी विशेष-केन्द्रीय सहायता के आबंटन की राशि 95.54 करोड़ रुपए है। एचएडीपी के अन्तर्गत राज्यों में विनिश्चित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002-03 और 2003-04 के सम्बन्ध में विशेष-केन्द्रीय सहायता का विवरण तालिका 14.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 14.1

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम: आबंटन

(करोड़ रुपए)

एचएडीपी के अन्तर्गत राज्यों में विनिश्चित पहाड़ी क्षेत्र	आबंटन 2002-2003	आबंटन 2003-2004
असम	51.11	51.11
तमिलनाडु	22.10	22.10
पश्चिम बंगाल	22.33	22.33
जोड़	95.54	95.54

10. वर्ष 2002-2003 के बाद से राज्य सरकारों को एचएडीपी के अन्तर्गत आबंटित विशेष-केन्द्रीय सहायता के अधिकतम 15 प्रतिशत का उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत में सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु करने की छूट दे दी गई है, जो अब तक डब्ल्यूजीडीपी के अन्तर्गत अनुमत्य था।

11. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सीधे ही शामिल वरिष्ठ स्तरीय और मध्य स्तरीय अधिकारियों के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान एकीकृत वाटरशेड विकास के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

14.2 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

12. पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के धुले जिले में ताप्ती नदी से शुरू होकर तमिलनाडु में भारतीय प्रायद्वीप के धुर दक्षिण तक - कन्याकुमारी में समाप्त होने वाले, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के लगभग समानान्तर,

लगभग 1600 किलो मीटर की लम्बाई तक फैले हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 1.60 लाख वर्ग किलो मीटर का इलाका आता है जो 442 लाख लोगों को सहारा देता है (1991 जनगणना)।

13. पश्चिमी घाट इलाके की मुख्य समस्या भूमि और वनस्पति पर बढ़ती आबादी के दबाव की है। इन कारकों ने क्षेत्र में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं में योग दिया है। पहाड़ों की कमजोर पारि-प्रणाली पर, नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने, खनन के कारण क्षेत्र को क्षति, वनों की कटाई, बढ़ते वाणिज्यिक बागानों के लिए प्राकृतिक वनों की कटाई, भू-कटाव, जिसकी वजह से जलाशयों में गाद भर जाता है, और उनकी कार्य अवधि में कमी आती है तथा बाढ़ और भू-स्खलनों के प्रतिकूल प्रभाव, वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे और वन्यजीवों के शिकार आदि के कारण गम्भीर रूप से दबाव पड़ा है।

14. पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम द्वारा कवर किए जाने के वास्ते क्षेत्रों के सीमांकन हेतु, उत्थान (एमएसएल से 600 मीटर ऊपर) और तालुका के साथ निकटता (एस क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई) का मापदण्ड अपनाया गया था। कार्यक्रम को पांच राज्यों में, यथा महाराष्ट्र (62 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), केरल (29 तालुक), तमिलनाडु (25 तालुक) और गोवा (3 तालुक) में पश्चिमी घाट के 159 तालुक में कार्यान्वित किया जा रहा है।

15. छठी पंच व-र्षीय योजना से 2000-01 तक, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के लिए आबंटन-योग्य विशेष-केन्द्रीय सहायता (एससीए) का वितरण डब्ल्यूजीडीपी और एचएडीपी के बीच क्रमशः 13.39 प्रतिशत और 86.61 प्रतिशत के अनुपात में किया जाता है। इस समय, यह 60:40 के अनुपात में वितरित की जा रही है। राज्यों को आबंटित एससीए 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में जारी की जाती है। डब्ल्यूजीडीपी के अन्तर्गत विशेष-केन्द्रीय सहायता (एससीए) राज्यों के बीच क्षेत्र के 75 प्रतिशत भारांश और जनसंख्या के 25 प्रतिशत भारांश के आधार पर आबंटित की जाती है (सिवाय गोवा के जिसके मामले में कुल एससीए का 5 प्रतिशत तदर्थ आबंटन किया जाता है क्योंकि क्षेत्र और जनसंख्या के भारांश के उसी मापदण्ड को अपनाने पर तय किया गया गोवा का हिस्सा न्यूनतम बैठता है)।

16. दसवीं पंच व-र्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारि-परिरक्षण और पारि-पुनरुद्धार जारी रहेगा। अभी तक डब्ल्यूजीडीपी के अन्तर्गत निधियों का एक बड़ा अनुपात वाटरशेड आधार पर खर्च किया जाता है। तथापि, इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के, उनके आवास की दुर्बलता के अनुरूप, विकास के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसा दृ-टिकोण अपनाया जाए जो मात्र वाटरशेड विकास से अधिक हो। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि ऐसे आर्थिक कार्यकलापों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो संधारणीय हों, ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएं जिनसे आर्थिक और पारिवारिक - दोनों ही स्थितियों में लोगों के भार को कम किया जाए और पारिस्थितिकी को कम से कम अव्यवस्थित किए बगैर वासियों के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित हों। इस प्रकार, दसवीं पंच व-र्षीय योजना के दौरान दृ-टिकोण वाटरशेड तथा दृ-टिकोण का होगा - एक ऐसा दृ-टिकोण जो आर्थिक विकास की तुलना में पारिस्थितिकी पर अधिक बल दे।

17. वाटरशेड आधारित विकास, कार्यक्रम का बुनियादी प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र बना रहना चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र यूनिट के रूप में वाटरशेड से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। सहभागी दृ-टिकोण को अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा होगी। कार्यक्रम के

अन्तर्गत, प्रौद्योगिकियों के लिए नूतन स्कीमें, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हों, प्रोत्साहित की जाती हैं।

18. राज्य सरकारों को डब्ल्यूजीडीपी के अन्तर्गत आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता के अधिकतम 15 प्रतिशत को कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत में सृजित परिसम्पत्तियों के अनुक्षण हेतु उपयोग करने की छूट दी गई है।

19. कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गोवा और केरल के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन दो भिन्न-भिन्न संस्थानों को सौंपा गया है। इन अध्ययनों की अन्तिम रिपोर्टें चालू वर्ष 2003-04 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

20. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, डब्ल्यूजीडीपी को कार्यान्वित करने वाले वरिष्ठ स्तरीय और मध्य स्तरीय अधिकारियों को एकीकृत वाटरशेड विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान भी दो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है - एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए तथा एक अन्य मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए।

21. वर्ष 2001-02 के लिए अनुमोदित/ संशोधित परिव्यय और व्यय, वर्ष 2002-03 के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय और वर्ष 2003-04 के लिए अनुमोदित परिव्यय तालिका 14.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 14.2

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम: आबंटन/ व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2001-02			2002-2003		2003-2004
	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
महाराष्ट्र	21.06	21.06	20.50	21.06	20.86	21.06
कर्नाटक	15.57	16.79	15.15	15.57	13.67	15.57
केरल	13.13	13.68	13.67	13.13	13.13	13.13
तमिलनाडु	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99
गोवा	3.21	3.21	2.80	3.21	2.83	3.21
सर्वेक्षण और अध्ययन/ डब्ल्यूजीएस	0.50	0.50	0.19	0.50	0.22	0.50
जोड़	64.46	66.23	63.30	64.46	61.70	64.46

14.3 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

22. यह कार्यक्रम वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों, नामतः जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का संतुलित विकास

करना है। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया तथा इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर बंगलादेश के साथ पूर्वी सीमा के राज्यों तक कर दिया गया। नौवीं योजना अवधि में कार्यक्रम का विस्तार करके इसे सभी भू-सीमाओं तक कर दिया गया। ऐसा राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय की मांग को देखते हुए किया गया। इस प्रकार, 1997-98 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का विस्तार करके उसे म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों तक कर दिया गया। 1998-99 में चीन के सीमावर्ती राज्यों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया और 1999-2000 से कार्यक्रम का और विस्तार करके इसके अन्तर्गत नेपाल और भूटान के सीमावर्ती राज्यों तक भी कर दिया गया। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य, सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है।

23. यह एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है और अनुमोदित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों राज्य में सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य स्तर संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदनार्थ नोडल विभाग को भेजी जाती हैं। केन्द्रीय स्तर पर एक अधिकार-प्राप्त समिति, कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, राज्यों में क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण और राज्यों को निधियों के आबंटन से सम्बन्धित नीतिगत मामलों का निपटान करती है।

24. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा चुनी जाने वाली स्कीमों सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और पुल, जल आपूर्ति आदि जैसे क्षेत्रों से होती हैं। सामाजिक तथा भौतिक अवस्थापना में सुधार और उसे सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए, लोगों की महसूस की गई जरूरतें प्रमुख मापदण्ड होती हैं। कुछ राज्य सरकारें खेल के मैदानों, सामुदायिक हालों आदि का निर्माण कार्य कर रही हैं ताकि लोग, विशेष रूप से बेरोजगार युवा अपना खाली समय रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगा सकें।

25. बीएडीपी के अन्तर्गत, भौतिक और वित्तीय दृष्टि से स्कीमों के मानिट्रिंग की एक पद्धति 1994-95 से शुरू की गई है तथा सम्बन्धित राज्य सरकार योजना आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं जिसमें वित्तीय तथा भौतिक दृष्टि से स्कीम-वार उपलब्धियों का उल्लेख होता है।

वार्निक योजना 2001-02 और 2002-03 की समीक्षा

26. वर्ष 2001-02 के दौरान, 240 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी, जिसमें से 197.17 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई। गुजरात और बिहार सरकारों के पास बड़ी मात्रा में बकाया रहती राशियों की वजह से उन्हें कोई एससीए जारी नहीं की गई। उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल की सरकारों को एससीए की दूसरी किस्त जारी नहीं की जा सकी। खर्च न हुई बकाया राशि, बेहतर नि-पादन करने वाले राज्यों, नामतः मेघालय, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराई गई।

27. वर्ष 2002-03 के लिए कार्यक्रम के वास्ते 260 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। इसके अलावा, आबंटन की संशोधित अनुमान स्तर पर समीक्षा की गई और इसे 325 करोड़ रुपए कर दिया गया क्योंकि 23.5.2002 को श्रीनगर में प्रधान मंत्री की जम्मू और कश्मीर पैकेज घो-नणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर के लिए आबंटन 34.85 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह अतिरिक्त राशि, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को प्रदान की गई।

28. वर्ष 2001-02, 2002-03 में लाभग्राही राज्यों के लिए आबंटन/ जारी राशि तथा वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन तालिका 14.3 में दिए गए हैं।

तालिका 14.3

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: आबंटन तथा जारी राशि

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04
	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन
अरुणाचल प्रदेश	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51
असम	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48
बिहार	7.28	0.00	7.28	7.28	7.28
गुजरात	10.26	0.00	10.26	10.26	10.26
हिमाचल प्रदेश	4.16	19.31 (2)	4.16	10.98 (6)	4.16
जम्मू तथा कश्मीर	34.85	34.85	34.85	100.00	84.85 (15)
मणिपुर	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
मेघालय	4.70	5.36 (3)	4.70	8.00 (7)	4.70
मिजोरम	8.32	16.08 (4)	8.32	16.32 (8)	8.32
नागालैण्ड	4.16	4.16	4.16	4.46 (9)	4.16
पंजाब	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
राजस्थान	30.32	30.32	30.32	30.32 (10)	30.32
सिक्किम	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
त्रिपुरा	12.96	12.96	12.96	18.19 (11)	12.96
उत्तरांचल	4.16	2.08	4.16	5.23 (12)	4.16
उत्तर प्रदेश	8.32	8.32	8.32	17.45 (13)	8.32
पश्चिम बंगाल	39.56	19.78	39.56	45.56 (14)	39.56
जोड़	210.00 (1)	194.17	210.00 (5)	325.00	260.00

- (1) वर्ष 2001-02 के लिए कुल आबंटन की राशि 240.00 करोड़ रुपए है।
- (2) एक बार की 15.15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (3) एक बार की 0.66 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (4) एक बार की 7.76 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (5) वर्ष 2002-03 के लिए वास्तविक आबंटन 260.00 करोड़ रुपए है।
- (6) एक बार की 6.82 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (7) एक बार की 3.30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (8) एक बार की 8.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।

- (9) एक बार की 0.30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (10) एक बार की 10.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (11) एक बार की 5.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (12) एक बार की 1.07 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (13) एक बार की 9.13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (14) एक बार की 6.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सम्मिलित है।
- (15) जम्मू और कश्मीर के लिए आबंटन की संशोधित अनुमान स्तर पर समीक्षा की जाएगी जिससे कि इसमें 23.5.2002 को प्रधान मंत्री द्वारा श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पैकेज की घोषणा के अनुसार 15.15 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की जा सके।

14.4 विकास तथा सुधार सुविधा (रा-द्रीय सम विकास योजना)

29. विकास तथा सुधार सुविधा, जिसका बाद में नाम बदलकर रा-द्रीय सम विकास योजना कर दिया गया था, 2500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2002-03 के बजट में प्रस्तावित की गई थी। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करना है, जिससे विकास की बाधाएं दूर होंगी, विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों के जीवन की कोटि में सुधार होगा।

30. स्कीम के दो घटक, यथा (1) बिहार के लिए विशेष योजना; और (2) उड़ीसा के अविभाजित कालाहान्डी, बोलनगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना, और (3) पिछड़ा जिला पहल, आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

बिहार के लिए विशेष योजना

31. बिहार पुनर्गठन विधेयक, 1998 अनुमोदित करते समय, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने निर्णय किया कि मात्र बिहार के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष के सीधे प्रभार के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित प्रको-ठ स्थापित किया जाए जिससे कि केन्द्र से निधियों के पर्याप्त अन्तरण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की मदद से, बिहार का, विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवस्थापना के सम्बन्ध में चहुंमुखी विकास हो सके। तदनुसार, मई 2000 में योजना आयोग में एक बिहार प्रको-ठ स्थापित किया गया।

32. इस घटक के अन्तर्गत, प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा, नामतः ऊर्जा, ग्राम संयोजकता, सिंचाई, एकीकृत वाटरशेड विकास, एकीकृत सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन के लिए विकास स्कीमें, दूरवर्ती संवेदी तथा जीआईएस प्लेटफार्म पर अन्य डाटा का विकास आदि। राज्य सरकार, इस पहल को तथा योजना आयोग द्वारा उनकी सहमति से विनिर्धारित एजेन्सियों द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पूरी सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। इस प्रकार, विनिर्धारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण और मानीटरन किया जाएगा जो बिहार सरकार तथा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समुचित प्रयासों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद योजना आयोग को निधियां जारी करने की भी सिफारिश करेगा। योजना आयोग, परियोजनाओं की प्रगति की तिमाही समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और वर्तमान रा-द्रीय सम विकास योजना के लिए व्यय बजट के विवरण 16 में अपेक्षित निधियां प्रदान करेगा।

उड़ीसा के अविभाजित कालाहान्डी-बोलनगीर-कोरापुट जिलों के लिए विशेष योजना

33. केबीके क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिम भाग में स्थित मूल कालाहान्डी, बोलनगीर और कोरापुट के जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों के लिए एक संशोधित दीर्घावधि कार्रवाही योजना तैयार की गई थी तथा योजना आयोग 1998-99 से इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है।

34. आयोजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और कारगर बनाने के वास्ते राज्य सरकार को एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण तथा एक नूतन प्रदाय और मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करके एक विशेष योजना तैयार करने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए केबीके जिलों के वास्ते एक विशेष योजना तैयार की थी। विशेष योजना में, सूखा-बचाव, आजीविका सहायता, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं के समाधान पर, स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार बल दिया गया है। 2002-03 में 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता के बतौर 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आवधिक मूल्यांकन के आधार पर यथावश्यक उपयुक्त परिवर्तनों के साथ दसवीं योजना की शेष अवधि में यही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

पिछड़ा जिला उपाय

35. इस घटक में 100 जिले सम्मिलित होंगे। जिले के अन्दर पिछड़े जिलों का विनिर्धारण पिछड़ेपन के सूचक के आधार पर किया गया है जिसमें प्रत्येक के लिए एकसमान भारांश के साथ तीन पैरामीटर शामिल हैं: (i) प्रति कृषि श्रमिक उत्पादन का मूल्य; (ii) कृषि मजदूरी दर; और (iii) जिले की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता। प्रति राज्य जिलों की संख्या, गरीबी के भार के आधार पर तय की गई है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य, कम कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान खोजना और भौतिक तथा सामाजिक ढांचे में क्रान्तिक खामियों को दूर करना है। वाम विचारधारा से प्रभावित कुछ जिले विनिर्धारित किए गए हैं और उन्हें इस पिछड़ा जिला पहल के अन्तर्गत कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर, इस घटक के अन्तर्गत 132 जिले कवर होंगे।